

پہلے چالیس سالوں سے اردو زبان میں لاکھوں
کی تعداد میں شائع ہو کر قرآنی علوم کو
بہت سے افراد تک پہنچانے والی بنیادی تفسیر

مآثرات قرآن

علماء دیوبند کے علوم کا پاسبان
دینی و علمی کتابوں کا عظیم مرکز ٹیلیگرام چینل

حقیقی کتب خانہ محمد معاذ خان

درس نظامی کیلئے ایک مفید ترین
ٹیلیگرام چینل ہے

5

تفسیر

حضرت مولانا مفتی محمد شفیق دہلوی

(مفتی-آ-آزم پاکستان و دارال-علوم دہلوی)



पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों की तादाद में
प्रकाशित होकर कुरआनी उलूम को बेशुमार अफ़राद तक
पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर

मज़ारिफ़ुल-कुरआन

जिल्द (5)

उर्दू तफ़सीर

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफी देवबन्दी रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)

हिन्दी अनुवादक

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अलीग.)

रीडर अल्लामा इक़बाल युनानी मैडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़र नगर (उ.प्र.)

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज

नई दिल्ली-110002

सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं

तफ़सीर मआरिफ़ुल-कुरआन

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफी साहिब रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान)

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी एम. ए. (अलीग.)

मौहल्ला महमूद नगर, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 09456095608

जिल्द (5) सूर: यूसुफ़ ——— सूर: कहफ़

(पारा 12, रुकूअ 11 से पारा 16 रुकूअ 3 तक)

30 जून 2018

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَأَتَسَمِعُونَ
لِللَّهِ
وَأَتَسَمِعُونَ
لِللَّهِ

WA'A TASIMOO BIHAB LILLAHU JAMEB'AN WA LAH TAFARRAQOO

समर्पित

☉ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम क़ुरआन मजीद के प्रथम व्याख्यापक, हादी-ए-आलम, आख़िरी पैग़म्बर, तमाम नबियों में अफ़ज़ल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम, जिनका एक-एक कौल व अमल कलामे रब्बानी और मन्शा-ए-इलाही की अमली तफ़्सीर था।

☉ दारुल-उलूम देवबन्द के नाम, जो क़ुरआन मजीद और उसकी तफ़्सीर (हदीसे पाक) की अज़ीमुश्शान ख़िदमत और दीनी रहनुमाई के सबब पूरी इस्लामी दुनिया में एक मिसाली संस्था है। जिसके इल्मी फ़ैज़ से मुस्तफ़ीद (लाभान्वित) होने के सबब इस नाचीज़ को इल्मी समझ और क़ुरआन मजीद की इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ नसीब हुई।

☉ उन तमाम नेक रूहों और हक़ के तलाश करने वालों के नाम, जो हर तरह के पक्षपात से दूर रहकर और हर प्रकार की कठिनाईयों का सामना करके अपने असल मालिक व ख़ालिक के पैग़ाम को कुबूल करने वाले और दूसरों को कामयाबी व निजात के रास्ते पर लाने के लिये प्रयासरत हैं।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी



दिल की गहराईयों से शुकुरिया

⊙ मोहतरम जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर ख़ाँ साहिब (मालिक फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) का, जिनकी मुहब्बतों, इनायतों, कद्रदानियों और मुझे अपने इदारे से जोड़े रखने के सबब कुरआन मजीद की यह अहम खिदमत अन्जाम पा सकी।

⊙ मेरे उन बच्चों का जिन्होंने इस तफ़सीर की तैयारी में मेरा भरपूर साथ दिया, तथा मेरे सहयोगियों, सलाहकारों, शुभ-चिन्तकों और हौसला बढ़ाने वाले हज़रात का, अल्लाह तआला इन सब हज़रात को अपनी तरफ़ से ख़ास जज़ा और बदला इनायत फरमाये। आमीन या रब्बल्-अलमीन।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी



प्रकाशक के कलम से

अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने मुझे और मेरे इदारे (फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) को इस्लामी, दीनी और तारीख़ी किताबों के प्रकाशन के ज़रिये दीनी व दुनियावी उलूम की ख़िदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई।

अल्हम्दु लिल्लाह हमारे इदारे से कुरआन पाक, हदीस मुबारक और दीनी विषयों पर बेशुमार किताबें शायी हो चुकी हैं। बल्कि अगर यह कहा जाये कि आज़ाद हिन्दुस्तान में हर इल्म व फ़न के अन्दर जिस क़द्र किताबें फ़रीद बुक डिपो देहली को प्रकाशित करने का सौभाग्य नसीब हुआ है उतना किसी और इदारे के हिस्से में नहीं आया तो यह बेजा न होगा। कोई इदारा फ़रीद बुक डिपो के मुक़ाबले में पेश नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी इनायतों का फल है।

फ़रीद बुक डिपो देहली ने उर्दू, अरबी, फ़ारसी, गुजराती, हिन्दी और बंगाली अनेक भाषाओं में किताबें पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हिन्दी ज़बान में अनेक किताबें इदारे से शायी हो चुकी हैं। हिन्दी भाषा हमारी मुल्की ज़बान है। पढ़ने वालों की माँग और तलब देखते हुए तफ़सीरे कुरआन के उस अहम ज़ख़ीरे को हिन्दी ज़बान में लाने का फैसला किया गया जो पिछले कई दशकों से इल्मी जगत में धूम मचाये हुए है। मेरी मुराद तफ़सीर मआरिफ़ुल-कुरआन से है। इस तफ़सीर के परिचय की आवश्यकता नहीं, दुनिया भर में यह एक मोतबर और विश्वसनीय तफ़सीर मानी जाती है।

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज़ानवी ने फ़रीद बुक डिपो के लिये बहुत सी मुफ़ीद और कारामद किताबों का हिन्दी में तर्जुमा किया है। हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तकी उस्मानी के इस्लाही ख़ुतबात की 15 जिल्दें और तफ़सीर तौज़ीहुल-कुरआन उन्होंने हिन्दी में मुन्तक़िल की हैं जो इदारे से छपकर मक़बूल हो चुकी हैं। उन्हीं से यह काम करने का आग्रह किया गया जिसे उन्होंने कुबूल कर लिया और अब अल्हम्दु लिल्लाह यह शानदार तफ़सीर आपके हाथों में पहुँच रही है। हिन्दी भाषा में कुरआनी ख़िदमत की यह अहम कड़ी आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको पसन्द आयेगी और कुरआन पाक के पैग़ाम को समझने और उसको आम करने में एक अहम रोल अदा करेगी।

मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि वह इस ख़िदमत को कुबूल फ़रमाये और हमारे लिये इसे ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत और रहमत व बरकत का सबब बनाये आमीन।

खादिम-ए-कुरआन

मुहम्मद नासिर ख़ान

मैनेजिंग डायरेक्टर, फ़रीद बुक डिपो, देहली

अनुवादक की ओर से

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه اجمعين.
برحمتك يا ارحم الراحمين.

तमाम तारीफों की असल हकदार अल्लाह तआला की पाक ज्ञात है जो तमाम जहानों की पालनहार है। वह बेहद मेहरबान और बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। और बेशमार दुरूद व सलाम हों उस ज्ञाते पाक पर जो अल्लाह तआला की तमाम पख्लूक में सब से बेहतर है, यानी हमारे आका व सरदार हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम। और आपकी आल पर और आपके सहाबा किराम पर और आपके तमाम पैरोकारों पर।

अल्लाह करीम का बेहद फज़ल व करम है कि उसने मुझ नाचीज़ को अपने पाक कलाम की एक और खिदमत की तौफ़ीक़ बख़्शी। उसकी ज्ञात तमाम ख़ुबियों, कमालात, तारीफों और बन्दगी की हकदार है।

इससे पहले सन् 2003 ईसवी में नाचीज़ ने हकीमुल-उम्मत हजरत मौलाना अशरफ़ अली धानवी रह. का तर्जुमा हिन्दी भाषा में पेश किया जिसको काफी मकबूलियत मिली, यह तर्जुमा इस्लामिक बुक सर्विस देहली ने प्रकाशित किया। उसके बाद तफ़सीर इब्ने कसीर मुकम्मल हिन्दी भाषा में पेश करने की सआदत नसीब हुई, जो रगज़ान (अगस्त 2011) में प्रकाशित होकर मन्ज़रे आम पर आ चुकी है। इसके अलावा फ़रीद बुक डिपो ही से मौजूदा ज़माने के मशहूर आलिम शैख़ुल-इस्लाम हजरत मौलाना मुफ़ती मुहम्मद तकी उस्मानी दामत बरक़ातुहुम की मुख़्तसर तफ़सीर तौज़ीहुल-कुरआन शायब होकर पाठकों तक पहुँच रही है।

उर्दू भाषा में जो मकबूलियत कुरआनी तफ़सीरों में तफ़सीर मआरिफ़ुल-कुरआन के हिस्से में आयी शायद ही कोई तफ़सीर उस मक़ाम तक पहुँचो हो। यह तफ़सीर हजारों की संख्या में हर साल छपती और पढ़ने वालों तक पहुँचती है, और यह सिलसिला तकरीबन चालीस सालों से चल रहा है मगर आज तक कोई तफ़सीर इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी।

हिन्द महाद्वीप की जानी-मानी इल्मी शख़्सियत हजरत मौलाना मुफ़ती मुहम्मद शफी साहेब देवबन्दी (मुफ़ती-ए-आज़म पाकिस्तान) की यह तफ़सीर कुरआनी तफ़सीरों में एक बड़ा कीमती सरमाया है। दिल चाहता था कि हिन्दी जानने वाले हज़रात तक भी यह उलूम और कुरआनी मतालिब पहुँचें मगर काम इतना बड़ा और अहम था कि शुरू करने की हिम्मत न होती थी।

जो हज़रात इल्मी काम करते हैं उनको मालूम है कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना कितना मुश्किल काम है, और सही बात तो यह है कि इस काम का पूरा हक़ अदा होना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इबारात का मफ़हूम व मतलब तर्जुमे में उतर आये। कहीं-कहीं ब्रेकिट बद्धाकर भी इबारात को आसान बनाने की कोशिश की है। तर्जुमे में जहाँ तक संभव हुआ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी क्योंकि उलेमा-ए-मुहकिकीन ने इस तर्जुमे को इल्हामी तर्जुमा करार

दिया है। जहाँ बहुत ही ज़रूरी महसूस हुआ वहाँ आसानी के लिये कोई लफ़्ज़ बदला गया या अर्किक के अन्दर पायनों को लिख दिया गया।

अरबी और फ़ारसी के शेरों का मफ़हूम अगर मुसन्निफ़ की इबारात में आ गया है और हिन्दी पाठकों के लिये ज़रूरी न समझा तो कुछ अशुआर को निकाल दिया गया है, और जहाँ ज़रूरत समझी वहाँ अरबी, फ़ारसी शेरों का तर्जुमा लिख दिया है। ऐसे मौकों पर अहक़र ने उस तर्जुमे के अपनी तरफ़ से होने की वज़ाहत कर दी है ताकि अगर तर्जुमा करने में ग़लती हुई हो तो उसकी निस्वत साहिबे तफ़सीर की तरफ़ न हो बल्कि उसे मुझ नाचीज़ की इल्मी कौताही ग़रदाना जाये।

हल्के लुगात और किराअतों का इख़्तिलाफ़ चूँकि इल्मे तफ़सीर पर निगाह न रखने वाले, किराअतों के फ़न से ना-आशना और अरबी ग्रामर से नावाकिफ़ शख़्सा एक हिन्दी जानने वाले के लिये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, बल्कि बहुत सी बार कम-इल्मी के सबब इससे उलझन पैदा हो जाती है लिहाज़ा तफ़सीर के इस हिस्से को हिन्दी अनुवाद में शामिल नहीं किया गया।

हिन्दी जानने वाले हज़रात के लिये यह हिन्दी तफ़सीर एक नायाब तोहफ़ा है। अगर खुद अपने मुताले से वह इसे पूरी तरह न समझ सकें तब भी कम से कम इतना मौका तो है कि किसी आलिम से सबक़न् सबक़न् इस तफ़सीर को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जिस तरह उर्दू तफ़सीरें भी सिर्फ़ उर्दू पढ़ लेने से पूरी तरह समझ में नहीं आती बल्कि बहुत सी जगह किसी आलिम से रुजू करके पेश आने वाली मुशिकल को हल किया जाता है, इसी तरह अगर हिन्दी जानने वाले हज़रात पूरी तरह इस तफ़सीर से फ़ायदा न उठा पायें तो हिम्मत न हारें, हिन्दी की इस तफ़सीर के ज़रिये उन्हें कुरआन पाक के तालिब-इल्म बनने का मौका तो हाथ आ ही जायेगा। जो बात समझ में न आवे वह किसी मोतबर आलिम से मालूम कर लें और इस तफ़सीरी तोहफ़े से अपनी इल्मी प्यास बुझायें। अल्लाह का शुक्र भेजिये कि आप तफ़सीर के तालिब-इल्म बनने के अहल हो गये वरना उर्दू न जानने की हालत में तो आप इस मौके से भी मेहरूम थे।

फ़रीद युक्त डिपॉ से भरी वाबस्तागी पच्चीस सालों से है। इस दौरान बहुत सी किताबें लिखने, प्रूफ़ रीडिंग करने और हिन्दी में तर्जुमा करने का मुझ नाचीज़ को मौका मिला है। इदारे के संस्थापक जनाब मुहम्मद फ़रीद ख़ाँ मरहूम से लेकर मौजूदा मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर ख़ाँ तक सब ही की खास इनायतें मुझ नाचीज़ पर रही हैं। मैंने इस इदारे के लिये बहुत सी किताबों का हिन्दी तर्जुमा किया है, हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद तैयब साहिब मोहम्मिद दारुल-उलूम देवबन्द की किताबों और मज़ामीन पर किया हुआ मेरा काम सात जिल्लों में इसी इदारे से प्रकाशित हुआ है, इसके अलावा "मालूमात का समन्दर" और "तज़क़िरा अल्लामा मुहम्मद इब्राहीम बलियावी" वग़ैरह किताबें भी वहीं से शाय्या हुई हैं। जो किताबें मैंने उर्दू से हिन्दी में इस इदारे के लिये की हैं उनकी तायदाद भी पचास से अधिक है, इसी सिलसिले में एक और कड़ी यह जुड़ने जा रही है।

इस तफ़सीर को उर्दू से मिलती-जुलती हिन्दी भाषा (यानी हिन्दुस्तानी ज़बान) में पेश करने की कोशिश की गयी, हिन्दी के संस्कृत युक्त अलफ़ाज़ से परहेज़ किया गया है। कोशिश यह की है कि मज़मूँ तौर पर मज़मून का मफ़हूम व मतलब समझ में आ जाये। फिर भी अगर कोई लफ़्ज़ या

खजाने से इल्म व मालूमीत का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकेंगे। यह बात एक बार फिर अर्ज किये देता हूँ कि असल मतन को अरबी ही में पढ़िये तभी आप उसका किसी कद्र हक अदा कर सकेंगे। यह खालिके कायनात का कलाम है अगर इसको सीखने में थोड़ा बख्त और पैसा भी खर्च हो जाये तो इस सौदे को सस्ता और लाभदायक समझिये। कल जब आखिरत का आलम सामने होगा और कुरआन पाक पढ़ने वालों को इनामात व सम्मान से नवाजा जायेगा तो मालूम होगा कि अगर पूरी दुनिया की दौलत और तमाम उध्र खर्च करके भी इसको हासिल कर लिया जाता तो भी इसकी कीमत अदा न हो पाती।

हमने रुकूअ, पाव, आधा, तीन पाव और सज्दे के निशानात मुकरर किये हैं इनको ध्यान से देख लीजिये।

रुकूअ	☸	पाव	❖
आधा	●	तीन पाव	▲
सज्दा	⊗		

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (मुजफ्फर नगर उ. प्र.)



बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

पेश-लफ्ज

वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शफी साहिब मह जिल्लुहुम की तफसीर 'मआरिफुल-कुरआन' को अल्लाह तआला ने अयाम व ख्यास में असाधारण मकबूलियत अर्थात् फरमाई, और जिल्दे अब्दल का पहला संस्करण हाथों हाथ खत्म हो गया। दूसरे संस्करण को लपार्ट के वक्त हजरत मुसनिफ मह जिल्लुहुम ने पहली जिल्द पर मुकम्मल तौर से दोबारा नजर डाली और उसमें काफी तस्मीम व इजाफा अभल में आया। इसी के साथ हजरते वाला की इच्छा थी कि दूसरी बार छपने के वक्त पहली जिल्द के शुरू में कुरआनी उलूम और उसूल तफसीर से मुताल्लिक एक मुख्तसर मुकद्दिमा भी तहरीर फरमायें, ताकि तफसीर के मुताले (अध्ययन) से पहले पढ़ने वाले हजरत उन जरूरी मालूमात से लाभान्वित हो सकें, लेकिन लगातार बीमारी और कमजोरी की बिना पर हजरत के लिये बजाते खुद मुकद्दिमे का लिखना और तैयार करना मुश्किल था, चुनाँचे हजरते वाला ने यह जिम्मेदारी अहकर के सुपर्द फरमाई।

अहकर ने हुक्म के पालन में और इस सौभाग्य को प्राप्त कराने के लिये यह काम शुरू किया तो यह मुकद्दिमा बहुत लम्बा हो गया, और कुरआनी उलूम के विषय पर खास मुफस्सल किताब की सूरत बन गई। इस पूरी किताब को 'मआरिफुल-कुरआन' के शुरू में बतौर मुकद्दिमा शामिल करना मुश्किल था, इसलिये हजरत वालिद साहिब के इशारे और राय से अहकर ने इस मुफस्सल किताब का खुलासा तैयार किया और सिर्फ वे चीजें बाकी रखीं जिनका मुताला तफसीर मआरिफुल-कुरआन के मुताला करने वाले के लिये जरूरी था, और जो एक आम पाठक के लिये दिलचस्पी का सबब हो सकती थी। उस बड़े मजमून का यह खुलासा 'मआरिफुल-कुरआन' पहली जिल्द के इस संस्करण में मुकद्दिमे के तौर पर शामिल किया जा रहा है, अल्लाह तआला इसे मुसलमानों के लिये नाफे और मुफीद (लाभदायक) बनाये और इस नावीज़ के लिये आखिरत का जखीरा साबित हो।

इन विषयों पर तफसीली इल्मी मबाहिस (बहसें) अहकर की उस विस्तृत और तफसीली किताब में मिल सकेंगे जो इन्शा-अल्लाह तआला जल्द ही एक मुस्तकिल किताब की सूरत में प्रकाशित होगी (अब यह किताब 'उलूमुल-कुरआन' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है)। लिहाजा जो हजरत तहकीक और तफसील के ताल्लिब हों वे उस किताब की तरफ रुजू फरमायें। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।

अहकर

मुहम्मद तक़ी उस्मानी

दारुल-उलूम कोरंगी, कराची- 14

23 रबीउल-अव्वल 1394 हिजरी

ख़जाने से इल्म व मालूमात का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर-सकेंगे। यह बात एक बार फिर अर्ज किये देता हूँ कि असल मतन को अरबी ही में पढ़िये तभी आप उसका किसी कद्र हक़ अदा कर सकेंगे। यह ख़ालिके कायनात का कलाम है अगर इसको सीखने में थोड़ा वक़्त और पैसा भी ख़र्च हो जाये तो इस सौदे को सस्ता और लाभदायक समझिये। कल जब आख़िरत का आलम सामने होगा और क़ुरआन पाक पढ़ने वालों को इनामात व सम्मान से नवाज़ा जायेगा तो मालूम होगा कि अगर पूरी दुनिया की दौलत और तमाम उम्र ख़र्च करके भी इसको हासिल कर लिया जाता तो भी इसकी कीमत अदा न हो पाती।

हमने रुकूअ, पाव, आधा, तीन पाव और सज्दे के निशानात मुकरर किये हैं इनको ध्यान से देख लीजिये।

रुकूअ



पाव



आधा



तीन पाव



सज्दा



मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (मुज़फ़्फ़र नगर उ. प्र.)



बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

पेश-लफ़्ज़

वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब मह ज़िल्लुहुम की तफ़सीर 'मअरिफ़ुल-कुरआन' को अल्लाह तआला ने अ़वाम व ख़्वास में असाधारण मक़बूलियत अता फ़रमाई, और जिल्दे अब्वल का पहला संस्करण हाथों हाथ ख़त्म हो गया। दूसरे संस्करण की उपाई के वक़्त हज़रत मुसन्निफ़ मह ज़िल्लुहुम ने पहली जिल्द पर मुकम्मल तौर से दोबारा नज़र डाली और उसमें काफ़ी तर्फीम व इज़ाफ़ा अमल में आया। इसी के साथ हज़रते वाला की इच्छा थी कि दूसरी बार छपने के वक़्त पहली जिल्द के शुरू में कुरआनी उलूम और उसूले तफ़सीर से मुताल्लिक़ एक मुख़्तसर मुक़द्दिमा भी तहरीर फ़रमायें, ताकि तफ़सीर के मुताले (अध्ययन) से पहले पढ़ने वाले हज़रत उन ज़रूरी मालूमात से लाभान्वित हो सकें, लेकिन लगातार बीमारी और कमज़ोरी की बिना पर हज़रत के लिये बज़ाते खुद मुक़द्दिमे का लिखना और तैयार करना मुश्किल था, चुनाँचे हज़रते वाला ने यह जिम्मेदारी अहकर के सुपर्द फ़रमाई।

अहकर ने हुक्म के पालन में और इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिये यह काम शुरू किया तो यह मुक़द्दिमा बहुत लम्बा हो गया, और कुरआनी उलूम के विषय पर ख़ास मुफ़स्सल किताब की सूरत बन गई। इस पूरी किताब को 'मअरिफ़ुल-कुरआन' के शुरू में बतौर मुक़द्दिमा शामिल करना मुश्किल था, इसलिये हज़रत वालिद साहिब के इशारे और राय से अहकर ने इस मुफ़स्सल किताब का खुलासा तैयार किया और सिर्फ़ वे चीज़ें बाकी रखीं जिनका मुताला तफ़सीर मअरिफ़ुल-कुरआन के मुताला करने वाले के लिये ज़रूरी था, और जो एक आम पाठक के लिये दिलचस्पी का सबब हो सकती थी। उस बड़े मज़मून का यह खुलासा 'मअरिफ़ुल-कुरआन' पहली जिल्द के इस संस्करण में मुक़द्दिमे के तौर पर शामिल किया जा रहा है, अल्लाह तआला इसे मुसलमानों के लिये नाफ़े और मुफ़ीद (लाभदायक) बनाये और इस नाचीज़ के लिये आख़िरत का ज़ख़ीरा साबित हो।

इन विषयों पर तफ़सीली इल्मी मबाहिस (बहसें) अहकर की उस विस्तृत और तफ़सीली किताब में मिल सकेंगे जो इन्शा-अल्लाह तआला जल्द ही एक मुस्तक़िल किताब की सूरत में प्रकाशित होगी (अब यह किताब 'उलूमुल-कुरआन' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है)। लिहाज़ा जो हज़रत तहकीक़ और तफ़सील के तालिब हों वे उस किताब की तरफ़ रुजू फ़रमायें। व मा तौफ़ीकी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।

अहकर

मुहम्मद तक़ी उस्मानी

दारुल-उलूम कोरंगी, कराची- 14

23 रबीउल-अब्वल 1394 हिजरी

खुलासा-ए-तफ़सीर के बारे में एक ज़रूरी तंबीह

“मआरिफ़ुल-कुरआन” में खुलासा-ए-तफ़सीर सय्यिदी हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी कुदिस सिरूहू की तफ़सीर “बयानुल-कुरआन” से जूँ-का-तूँ लिया गया है। लेकिन उसके कुछ मौकों में ख़ालिस इल्मी इस्तिलाहात आई हैं जिनका समझना अ़वाम के लिये मुश्किल है, नाचीज़ ने अ़वाम की रियायत करते हुए ऐसे अलफ़ाज़ को आसान करके लिख दिया है, और जो मज़मून ख़ालिस इल्मी था उसको “मआरिफ़ व मसाईल” के उनवान में लेकर आसान अन्दाज़ में लिख दिया है। वल्लाहुल्-मुस्तअान।

बन्दा मुहम्मद शफी

मुख्तसर विषय-सूची

मअरिफुल-कुरआन जिल्द नम्बर (5)

मज़मून	पेज
☆ सर्गर्पित	5
☆ दिल की गहराईयों से शुक्रिया	6
☆ प्रकाशक के कलम से	7
☆ अनुवादक की ओर से	8
☆ एक अहम बात	11
☆ पेश-लफ़्ज़	13
☆ खुलासा-ए-तफ़्सीर के बारे में एक ज़रूरी तंबीह	14
सूर: यूसुफ़	
	35
☆ आयत नम्बर 1-6 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	37
☆ मअरिफ़ व मसाईल	38
☆ तारीख़ व वाकिआत बयान करने में कुरआन का ख़ास अन्दाज़	38
☆ सपने की हकीकत व दर्जा और उसकी किस्में	40
☆ ख़्वाब के नुबुव्वत का हिस्सा होने के मायने और इसकी वज़ाहत	42
☆ कादियानी दज्जाल के एक मुग़ालते की तरदीद	43
☆ कभी काफ़िर व बदकार आदमी का सपना भी सच्चा हो सकता है	43
☆ ख़्वाब को हर शख्स से बयान करना दुरुस्त नहीं	44
☆ ख़्वाब के अपनी ताबीर के ताबे होने का मतलब	45
☆ यूसुफ़ अलैहि. के ख़्वाब से मुताल्लिक़ अहम मसाईल	46
☆ आयत नम्बर 7-20 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	49
☆ मअरिफ़ व मसाईल	51
☆ नबी करीम सल्ल. से यहूदियों के बतलाये हुए चन्द सवालात	51
☆ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई नबी नहीं थे, मगर उनकी ख़तायें माफ़ हो गयीं	54
☆ जन कल्याण और आपसी सहयोग का इस्लामी उसूल	55
☆ जायज़ तफ़्सीरों और खैलकूद की इजाज़त	56
☆ तफ़्सीर के लिये जाने का तफ़्सीली वाकिआ	56

मज़मून	पेज
* बचपन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर वही की हकीकत	58
* भिस्र पहुँचने पर भी वालिद को अपने हालात की इत्तिजा न देने बल्कि हुपाने के एहतिमाय की हिक्मत	59
* दौड़ और घुड़दौड़ का शरई हुक्म	60
* यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की चन्द करामात	60
* जिस चीज़ को आम उफ़ में इत्तिफ़ाकी मामला कहा जाता है वह भी तकदीर के ख़ुफ़िया असबाब से जुड़ा होता है	61
* आयत नम्बर 21-23 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	65
* मआरिफ़ व मसाईल	66
* यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भिस्र पहुँचना और तकदीरी इत्तिजामात	66
* गुनाह से बचने का मज़बूत ज़रिया खुद अल्लाह से पनाह माँगना है	69
* आयत नम्बर 24 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	70
* मआरिफ़ व मसाईल	71
* गैरल्लाह को रब कहना	71
* जुलैखा का वाकिआ और पैग़म्बराना सुरक्षा का तफ़्सीली वाकिआ और शूक़ात का जवाब	71
* आयत नम्बर 25-29 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	76
* मआरिफ़ व मसाईल	77
* यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बराअत का तकदीरी इत्तिजाम	77
* उक्त वाकिए से हासिल होने वाले अहम मसाईल	79
* आयत नम्बर 30-35 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	84
* मआरिफ़ व मसाईल	85
* यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अल्लाह की तरफ़ रुजू होना	87
* आयत नम्बर 36-42 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	90
* मआरिफ़ व मसाईल	91
* यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में इब्तें और हिदायतें	91
* एक अजीब फ़ायदा	92
* पैग़म्बराना शफ़क़त की अजीब मिसाल	94
* अहकाम व मसाईल	95
* आयत नम्बर 43-50 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	98
* मआरिफ़ व मसाईल	100

मजमून	पेज
☆ ख्वाब की ताबीर के मुताल्लिक तहकीक	101
☆ आयत नम्बर 51-52 मय खुलासा-ए-तफसीर	104
☆ मआरिफ व मसाईल	105
पारा (13) व मा उबरिउ	108
☆ आयत नम्बर 53-57 मय खुलासा-ए-तफसीर	109
☆ मआरिफ व मसाईल	110
☆ अपनी पाकबाजी बयान करना दुरुस्त नहीं, मगर खास हालात में	110
☆ इनसानी नफ़्स की तीन हालतें	111
☆ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शाही दरबार में	113
☆ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जुलैखा का निकाह	115
☆ जिक्र हुए वाकिए से हासिल होने वाले अहकाम व मसाईल	115
☆ हुकूमत का कोई पद खुद तलब करना जायज़ नहीं, मगर चन्द शर्तों के साथ इजाज़त है	115
☆ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ओहदा तलब करना खास हिक्मत पर आधारित था	116
☆ क्या किसी काफ़िर हुकूमत में ओहदा कुबूल करना जायज़ है?	117
☆ आयत नम्बर 58-62 मय खुलासा-ए-तफसीर	120
☆ मआरिफ व मसाईल	122
☆ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शाही तख़्त पर और खुराकी इन्तिज़ामात	122
☆ हुकूमत का गिज़ा व खुराक पर कन्ट्रोल	122
☆ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अपने हालात से वालिद को इत्तिला न देना	
☆ अल्लाह के हुक्म से था	125
☆ आयत नम्बर 63-66 मय खुलासा-ए-तफसीर	127
☆ मआरिफ व मसाईल	128
☆ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों की मिस्र से वापसी	128
☆ संबन्धित हिदायात व मसाईल	130
☆ औलाद से गुनाह व ख़ता हो जाये तो ताल्लुक तोड़ने के बजाय उनके सुधार	
☆ की फ़िक्र करनी चाहिये	130
☆ आयत नम्बर 67-69 मय खुलासा-ए-तफसीर	133
☆ मआरिफ व मसाईल	134
☆ बुरी नज़र का असर होना हक़ है	135
☆ अहकाम व मसाईल	138

मज्मून		पेज
★	आयत नम्बर 70-76 मय खुलासा-ए-तफसीर	140
★	मआरिफ व मसाईल	141
★	यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से भाईयों पर डूठे इल्जाम वगैरह का राज	141
★	अहकाम व मसाईल	145
★	आयत नम्बर 77-82 मय खुलासा-ए-तफसीर	147
★	मआरिफ व मसाईल	149
★	यूसुफ अलैहिस्सलाम पर चोरी के इल्जाम की हकीकत	149
★	चन्द संबन्धित मसाईल	152
★	आयत नम्बर 83-87 मय खुलासा-ए-तफसीर	154
★	मआरिफ व मसाईल	155
★	इजरात याकूब अलैहि. को यूसुफ अलैहि. के साथ हद से ज्यादा मुहब्बत क्यों थी?	156
★	अहकाम व मसाईल	159
★	आयत नम्बर 88-92 मय खुलासा-ए-तफसीर	161
★	मआरिफ व मसाईल	162
★	याकूब अलैहिस्सलाम का छत अजीजे मिस्र के नाम	163
★	अहकाम व हिदायतें	165
★	सब्र व परहेजगारी हर मुसीबत का इलाज है	166
★	आयत नम्बर 93-100 मय खुलासा-ए-तफसीर	168
★	मआरिफ व मसाईल	170
★	यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुतों की विशेषतायें	170
★	अहकाम व मसाईल	174
★	गुदाई के जमाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र व शुक्र	175
★	आयत नम्बर 101 मय खुलासा-ए-तफसीर	177
★	मआरिफ व मसाईल	177
★	माँ-बाप से इजहारे हाल के बाद अल्लाह की बारागाह में दुआँ व इत्तिजा पर किस्से का समापन	177
★	हिदायतें व अहकाम	179
★	आयत नम्बर 102-109 मय खुलासा-ए-तफसीर	182
★	मआरिफ व मसाईल	183
★	अहकाम व हिदायतें	187
★	गैब की खबर देने और गैब के इल्म में फर्क	187

मजमून	पेज
★ कोई औरत रसूल व नबी नहीं हुई	188
★ आयत नम्बर 110-111 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	189
★ मआरिफ़ व मसाईल	190
सूर: रअद	
	195
★ आयत नम्बर 1-4 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	197
★ मआरिफ़ व मसाईल	198
★ रसूल की हदीस भी कुरआन की तरह अल्लाह की वही है	198
★ क्या आसमान का जिर्म (जिस्म) आँखों से नज़र आता है?	200
★ हर चीज़ की तदबीर दर हकीकत अल्लाह तआला ही का काम है, इनसानी तदबीर नाम के लिये है	201
★ आयत नम्बर 5-8 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	205
★ मआरिफ़ व मसाईल	206
★ मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने का सबूत	206
★ क्या हर कौम और हर मुल्क में नबी आना ज़रूरी है?	209
★ आयत नम्बर 9-15 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	212
★ मआरिफ़ व मसाईल	214
★ इनसान के मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते	214
★ आयत नम्बर 16-17 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	220
★ मआरिफ़ व मसाईल	221
★ आयत नम्बर 18-24 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	222
★ मआरिफ़ व मसाईल	223
★ अल्लाह वालों की खास सिफ़ात	223
★ आयत नम्बर 25-30 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	229
★ मआरिफ़ व मसाईल	231
★ अहकाम व हिदायतें	232
★ आयत नम्बर 31-33 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	237
★ मआरिफ़ व मसाईल	239
★ एक बस्ती पर अज़ाब करीबी बस्तियों के लिये चेतावनी होती है	242
★ आयत नम्बर 34-37 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	244
★ आयत नम्बर 38-43 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	247

मज़मून	पेज
✪ मआरिफ़ व मसाईल	249
✪ नबी व रसूल उमूमन बीवी बच्चों वाले हुए हैं	249
✪ तकदरे मुब्रम व तकदीरे मुअल्लक	250
सूर: इब्राहीम	
	255
✪ आयत नम्बर 1-3 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	257
✪ मआरिफ़ व मसाईल	257
✪ सूरत और इसके मज़ामीन	257
✪ हिदायत सिर्फ़ खुदा का फ़ैल है	258
✪ अहकाम व हिदायतें	259
✪ कुरआने करीम की तिलावत भी मुस्तक़िल मक़सद है	259
✪ मज़मून का खुलासा	261
✪ कुरआन समझने में कुछ ग़लतियों की निशानदेही	261
✪ अहकाम व मसाईल	262
✪ आयत नम्बर 4 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	263
✪ मआरिफ़ व मसाईल	263
✪ हर रसूल का अपनी कौम की भाषा के साथ आना	263
✪ कुरआने करीम अरबी भाषा में क्यों है?	265
✪ अरबी भाषा की विशेषता और ख़ूबी	266
✪ आयत नम्बर 5-8 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	269
✪ मआरिफ़ व मसाईल	270
✪ एक नुक्ता	271
✪ अय्यामुल्लाह	271
✪ सब्र के कुछ फ़ज़ाईल	272
✪ शुक्र और नाशुकी के नतीजे	273
✪ आयत नम्बर 9-15 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	277
✪ आयत नम्बर 16-17 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	280
✪ आयत नम्बर 18-22 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	282
✪ आयत नम्बर 23-25 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	285
✪ आयत नम्बर 26-29 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	286
✪ मआरिफ़ व मसाईल	287

मजमून	पेज
शजरा-ए-तय्यिबा से क्या पुराद है	288
काफ़िरो की मिसाल	289
ईमान का खास असर	290
क़ब्र का अज़ाब व सवाब कुरआन व हदीस से साबित है	290
अहकाम व हिदायतें	292
आयत नम्बर 30-34 मय खुलासा-ए-तफसीर	294
मआरिफ़ व मसाईल	295
तफसीर व खुलासा	295
अहकाम व हिदायतें	296
सूरज और चाँद को ताबे व काबू में करने का मतलब	297
आयत नम्बर 35-41 मय खुलासा-ए-तफसीर	301
मआरिफ़ व मसाईल	302
औलाद को बुत परस्ती से बचाने की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और अरब वालों की बुत परस्ती	302
अहकाम व हिदायतें	305
दुआ-ए-इब्राहीमी के भेद और हिक्मत	307
ज़रूरी बात	311
आयत नम्बर 42-52 मय खुलासा-ए-तफसीर	313
मआरिफ़ व मसाईल	315
क़ियामत में ज़मीन व आसमान की तब्दीली	317
एक याद्दाशत और इत्तिला	320
सूर: हिज़्र (पारा 14 रु-बमा)	323
आयत नम्बर 1-5 मय खुलासा-ए-तफसीर	325
मआरिफ़ व मसाईल	325
लम्बी उम्मीद के मुताल्लिक हज़रत अबूदर्दा रज़ि. की नसीहत	326
आयत नम्बर 6-8 मय खुलासा-ए-तफसीर	326
आयत नम्बर 9 मय खुलासा-ए-तफसीर	327
मआरिफ़ व मसाईल	327
खलीफ़ा मामून के दरबार का एक वाकिआ	327
कुरआन की हिफ़ाज़त के वायदे में हदीस शरीफ़ की हिफ़ाज़त भी दाख़िल है	329

★	रसूले पाक की हदीसों को उमूमी तौर पर गैर-महफूज़ कहने वाला दर हकीकत कुरआन को गैर-महफूज़ कहता है	330
★	आयत नम्बर 10-15 मय खुलासा-ए-तफसीर	331
★	आयत नम्बर 16 मय खुलासा-ए-तफसीर	332
★	मआरिफ़ व मसाईल	332
★	आसमान में बुरूज के मायने	332
★	आयत नम्बर 17-18 मय खुलासा-ए-तफसीर	333
★	मआरिफ़ व मसाईल	333
★	शिहाब-ए-साकिब (टूटने वाला तारा) क्या चीज़ है?	333
★	आयत नम्बर 19-25 मय खुलासा-ए-तफसीर	336
★	मआरिफ़ व मसाईल	337
★	अल्लाह की हिक्मत, गुज़ारे की ज़रूरतों में संतुलन व उचितता	337
★	तमाम मख़्लूक के लिये पानी पहुँचाने और सिंचाई का अल्लाह का अजीब व ग़रीब निज़ाम	338
★	नेक कामों में आगे बढ़ने और पीछे रहने में दर्जों का फ़र्क	340
★	आयत नम्बर 26-44 मय खुलासा-ए-तफसीर	343
★	मआरिफ़ व मसाईल	345
★	इनसानी बदन में रूह का फूँकना और उसको फ़रिश्तों के लिये काबिले सज़ा बनाने की मुख़्तसर तहकीक	345
★	रूह और नफ़स के मुताल्लिक हज़रत काज़ी सनाउल्लाह रह. की तहकीक	345
★	सज़दे का हुक्म फ़रिश्तों को हुआ था इब्लीस उनके साथ होने की वजह से उसमें शामिल करार दिया गया	347
★	अल्लाह तआला के ख़ास बन्दों पर शैतान का बस न चलने के मायने	348
★	जहन्नम के सात दरवाज़े	348
★	आयत नम्बर 45-50 मय खुलासा-ए-तफसीर	349
★	मआरिफ़ व मसाईल	350
★	आयत नम्बर 51-77 मय खुलासा-ए-तफसीर	353
★	मआरिफ़ व मसाईल	356
★	रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का विशेष सम्मान व इकराम	356
★	गैरुल्लाह की क़सम खाना	356
★	जिन बस्तियों पर अज़ाब नाज़िल हुआ उनसे इबरत हासिल करनी चाहिये	357

मज़मून	पेज
आयत नम्बर 78-86 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	359
एंका वालों और हिज़ वालों का क़िस्ता	359
मआरिफ़ व मसाईल	360
आयत नम्बर 87-99 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	362
मआरिफ़ व मसाईल	364
सूर: फ़ातिहा पूरे क़ुरआन का मतन और खुलासा है	364
मेहशर में सवाल किस चीज़ का होगा?	364
तब्लीग़ व दावत में गुंजाईश के मुताबिक़ चरणबद्धता हो	364
दुश्मनों के सताने से तंगदिली का इलाज	365
सूर: नहल	
इस सूरत का नाम 'नहल' होने की वजह	368
आयत नम्बर 1-2 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	368
मआरिफ़ व मसाईल	369
सूरत का शुरू सज़ा की धमकी से	369
आयत नम्बर 3-8 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	371
मआरिफ़ व मसाईल	371
क़ुरआन में रेल, मोटर, हवाई जहाज़ का ज़िक्र	373
बनने-संवरने और ज़ीनत का जायज़ होना	374
आयत नम्बर 9 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	375
मआरिफ़ व मसाईल	375
आयत नम्बर 10-16 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	377
मआरिफ़ व मसाईल	378
आयत नम्बर 17-23 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	382
मआरिफ़ व मसाईल	383
आयत नम्बर 24-29 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	384
मआरिफ़ व मसाईल	386
आयत नम्बर 30-34 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	388
आयत नम्बर 35-40 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	390
मआरिफ़ व मसाईल	392
क्या हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में भी अल्लाह का कोई रसूल आया है?	392

मजमून

पेज

आयत नम्बर 41-42 मय खुलासा-ए-तफसीर	393
मआरिफ व मसाईल	394
क्या हिजरत दुनिया में भी आसानी व ऐश का सबब होती है?	394
वतन छोड़ने और हिजरत की विभिन्न किस्में और उनके अहकाम	396
आयत नम्बर 43-44 मय खुलासा-ए-तफसीर	399
मआरिफ व मसाईल	400
गैर-मुजाहिद पर मुजाहिद इपामों की पैरवी वाजिब है	401
कुरआन समझने के लिये हदीसे रसूल जरूरी है, हदीस का इनकार दर हकीकत कुरआन का इनकार है	404
आयत नम्बर 45-47 मय खुलासा-ए-तफसीर	406
मआरिफ व मसाईल	407
कुरआन समझने के लिये धामूली अरबी जानना काफी नहीं	408
अरबी अदब (साहित्य) सीखने के लिये जाहिलीयत के शायरों का कलाम पढ़ना जायज़ है अगरचे वह खुराफात पर आधारित हो	408
दुनिया का अज़ाब भी एक तरह की रहमत है	408
आयत नम्बर 48-57 मय खुलासा-ए-तफसीर	410
आयत नम्बर 58-60 मय खुलासा-ए-तफसीर	412
मआरिफ व मसाईल	413
आयत नम्बर 61-65 मय खुलासा-ए-तफसीर	415
आयत नम्बर 66 मय खुलासा-ए-तफसीर	416
मआरिफ व मसाईल	416
आयत नम्बर 67 मय खुलासा-ए-तफसीर	417
मआरिफ व मसाईल	418
शराब की हुर्मत से पहले भी उसकी बुराई की तरफ इशारा	418
आयत नम्बर 68-69 मय खुलासा-ए-तफसीर	419
मआरिफ व मसाईल	420
शहद की मक्खियों की विशेषतायें और अहकाम	421
शहद का शिफा होना	422
फायदे	424
आयत नम्बर 70 मय खुलासा-ए-तफसीर	426
मआरिफ व मसाईल	427

मज़मून	पेज
★ घटिया और निकम्मी उम्र की वज़ाहत	427
★ आयत नम्बर 71 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	428
★ मअरिफ़ व मसाईल	429
★ रोज़ी व रोज़गार में दर्जों की भिन्नता इनसानों के लिये रहमत है	430
★ दौलत को कुछ हाथों में समेटने और इकट्ठा करने के खिलाफ़ कुरआनी अहकाम	431
★ आयत नम्बर 72-76 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	435
★ मअरिफ़ व मसाईल	436
★ आयत नम्बर 77-83 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	439
★ मअरिफ़ व मसाईल	441
★ घर बनाने का असल मक़सद दिल व जिस्म का सुकून है	443
★ आयत नम्बर 84-89 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	445
★ मअरिफ़ व मसाईल	446
★ आयत नम्बर 90 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	447
★ मअरिफ़ व मसाईल	447
★ कुरआन की बहुत ही जामे आयत और उसकी वज़ाहत	447
★ तीन चीज़ों का हुक्म और तीन चीज़ों से मनाही	449
★ आयत नम्बर 91-96 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	454
★ अहद पूरा करने का हुक्म और अहद तोड़ने की निंदा	454
★ मअरिफ़ व मसाईल	456
★ अहद को तोड़ना हराम है	456
★ किसी को धोखा देने के लिये कसम खाने में ईमान के छिन जाने का ख़तरा है	457
★ रिश्वत लेना सख़्त हराम और अल्लाह से किये अहद को तोड़ना है	457
★ रिश्वत की पूर्ण परिभाषा	458
★ दुनिया की ख़त्म होने वाली और आख़िरत की बाक़ी रहने वाली चीज़ें	458
★ आयत नम्बर 97 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	459
★ मअरिफ़ व मसाईल	460
★ अच्छी और मज़ेदार जिन्दगी क्या चीज़ है?	460
★ आयत नम्बर 98-100 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	462
★ मअरिफ़ व मसाईल	462
★ अल्लाह तआला पर ईमान व भरोसा शैतानी शिकंजे और कब्ज़े से मुक्ति का रास्ता है	464
★ आयत नम्बर 101-105 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	465

- ★ नुबुव्वत पर काफ़िरों के शुक़्ात का जवाब मय डरावे के 465
- ★ आयत नम्बर 106-109 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 468
- ★ मआरिफ़ व मसाईल 469
- ★ मजबूर और ज़बरदस्ती करने का मतलब और उसकी हद 469
- ★ आयत नम्बर 110-113 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 473
- ★ मआरिफ़ व मसाईल 473
- ★ आयत नम्बर 114-119 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 476
- ★ मआरिफ़ व मसाईल 477
- ★ हराम चीज़ें ऊपर बयान हुई चीज़ों के अलावा भी हैं 477
- ★ तौबा से गुनाह का माफ़ होना आम है चाहे बेसमझी से करे या जान-बूझकर 477
- ★ आयत नम्बर 120-124 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 479
- ★ मआरिफ़ व मसाईल 480
- ★ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये मिल्लते इब्राहीमी की पैरवी 481
- ★ इन आयतों के मज़मून का पीछे के मज़मून से संबन्ध 482
- ★ आयत नम्बर 125-128 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 482
- ★ मआरिफ़ व मसाईल 483
- ★ दावत व तब्लीग़ के उसूल और मुकम्मल निसाब 483
- ★ दावत के उसूल व आदाब 485
- ★ अल्लाह की तरफ़ दावत देने के पैग़म्बराना आदाब 487
- ★ प्रचलित और रिवाजी बहस-मुबाहसों के दीनी और दुनियावी नुक़सानात 494
- ★ हक़ के दाज़ी को कोई तकलीफ़ पहुँचाये तो बदला लेना भी जायज़ है मगर 497
- ★ सब्र बेहतर है
- ★ इन आयतों का शाने नुज़ूल और रसूले करीम सल्ल. और सहाबा की तरफ़ 497
- ★ से हुक्म की तामील

सूर: बनी इस्राईल

501

- ★ आयत नम्बर 1 मय खुलासा-ए-तफ़सीर 502
- ★ मआरिफ़ व मसाईल 503
- ★ मेराज के जिस्मानी होने पर कुरआन व सुन्नत की 503
- ★ दलीलें और उम्मत का इजमा
- ★ मेराज का मुख़्तसर वाकिआ

मज़मून	पेज
इमाम इब्ने कसीर रस्मतुल्लाहि अलैहि की रिवायत से	505
★ मेराज के बाकिए के मुताल्लिक एक गैर-मुस्लिम की गवाही	506
★ इस्रा व मेराज की तरीख	508
★ मस्जिद-ए-हराम और मस्जिद-ए-अक्सा	508
★ मस्जिद-ए-अक्सा और मुल्के शाम की बरकतें	509
★ आयत नम्बर 2-3 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	510
★ आयत नम्बर 4-8 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	511
★ मआरिफ़ व मसाईल	515
★ बनी इस्राईल के बाकिआत मुसलमानों के लिये इब्त हैं, बैतुल-मुकद्दस का पौजूदा बाकिआ इसी सिलसिले की एक कड़ी है	517
★ एक अजीब मामला	518
★ काफ़िर भी अल्लाह के बन्दे हैं मगर उसके मकबूल नहीं	518
★ आयत नम्बर 9-11 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	519
★ मआरिफ़ व मसाईल	520
★ कौमों का तरीका	520
★ आयत नम्बर 12-15 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	521
★ मआरिफ़ व मसाईल	522
★ 'नामा-ए-आमाल' गले का हार होने का मतलब	523
★ रसूलों के भेजे बगैर अज़ाब न होने की वज़ाहत	523
★ मुशिरकों की औलाद को अज़ाब न होगा	524
★ आयत नम्बर 16-17 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	524
★ मआरिफ़ व मसाईल	525
★ एक शुब्हा और उसका जवाब	525
★ उक्त आयत की एक दूसरी तफ़सीर	525
★ मालदार लोगों का कौम पर असर होना एक तबई चीज़ है	526
★ आयत नम्बर 18-21 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	527
★ मआरिफ़ व मसाईल	528
★ बिद्अत और अपनी राय का अमल कितना ही अच्छा नज़र आये मकबूल नहीं	529
★ आयत नम्बर 22-25 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	530
★ पहला हुक्म तौहीद	530
★ दूसरा हुक्म माँ-बाप के हुक्क अदा करना	530

मज़मून

पेज

मआरिफ़ व मसाईल	531
माँ-बाप के अदब व एहतिराम और इताअत की अहमियत	531
माँ-बाप की फरमाँबरदारी व खिदमत के फज़ाईल हदीस की रियायतों में	531
माँ-बाप की हक-सल्फी की सज़ा आखिरत से पहले दुनिया में भी मिलती है	532
माँ-बाप की फरमाँबरदारी किन चीज़ों में बाज़िब है और कहाँ मुख़ालफ़त की गुज़ाईश है	533
माँ-बाप की खिदमत और अच्छे सलूक के लिये उनका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं	533
माँ-बाप के अदब की रियायत खुसूसन बुढ़ापे में	534
एक अजीब वाकिआ	536
आयत नम्बर 26-27 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	539
मआरिफ़ व मसाईल	539
आम रिश्तेदारों के हुक्म का खास ख़्याल	539
फुज़ूलख़र्ची की मनाही	540
आयत नम्बर 28 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	541
मआरिफ़ व मसाईल	541
आयत नम्बर 29-30 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	542
मआरिफ़ व मसाईल	542
ख़र्च करने में दरमियानी चाल की हिदायत	542
अल्लाह की राह में इतना ख़र्च करना कि खुद परेशानी में पड़ जाये इसका दर्जा	543
ख़र्च में बद-नज़मी (अव्यवस्था) मन्सू है	544
आयत नम्बर 31 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	544
मआरिफ़ व मसाईल	544
आयत नम्बर 32 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	545
मआरिफ़ व मसाईल	546
आयत नम्बर 33 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	547
मआरिफ़ व मसाईल	547
नाहक क़त्ल की वज़ाहत	548
क़िसास लेने का हक़ किसका है?	548
ज़ुल्म का जवाब ज़ुल्म नहीं इन्साफ़ है, मुजरिम की सज़ा में भी इन्साफ़ की रियायत	548
याद रखने के काबिल एक वाकिआ	549
आयत नम्बर 34-35 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	550

मज़मून	पेज
✪ मआरिफ़ व मसाईल	550
✪ यतीमों के माल में एहतियात	550
✪ मुआहदों व समझौतों के पूरा करने और उनके पालन का हुक्म	551
✪ नाप-तौल में कमी हराम है	552
✪ आयत नम्बर 36-38 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	553
✪ मआरिफ़ व मसाईल	553
✪ कान, आँख और दिल के बारे में क़ियामत के दिन सवाल	554
✪ ये पन्द्रह आयतें पूरी तौरात का खुलासा हैं	557
✪ आयत नम्बर 39-44 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	558
✪ मआरिफ़ व मसाईल	559
✪ ज़मीन व आसमान और इनमें मौजूद तमाम चीज़ों के तस्बीह करने का मतलब	559
✪ आयत नम्बर 45-48 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	563
✪ मआरिफ़ व मसाईल	564
✪ पैग़म्बर पर जादू का असर हो सकता है	564
✪ दुश्मनों की नज़र से छुपे रहने का एक अमल	565
✪ आयत नम्बर 49-52 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	566
✪ मआरिफ़ व मसाईल	568
✪ मेहशर में काफ़िर लोग भी अल्लाह की तारीफ़ व सना करते हुए उठेंगे	568
✪ आयत नम्बर 53-55 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	570
✪ मआरिफ़ व मसाईल	571
✪ बद-जुबानी और सख़्त-कलामी काफ़िरों के साथ भी दुरुस्त नहीं	571
✪ आयत नम्बर 56-58 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	572
✪ मआरिफ़ व मसाईल	573
✪ आयत नम्बर 59-60 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	574
✪ मआरिफ़ व मसाईल	575
✪ आयत नम्बर 61-65 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	577
✪ मआरिफ़ व मसाईल	577
✪ आयत नम्बर 66-70 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	580
✪ मआरिफ़ व मसाईल	581
✪ इनसान की बड़ाई अक्सर मख़्लूक़ात पर किस वजह से है?	581
✪ आयत नम्बर 71-72 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	583

✽	मआरिफ व मसाईल	583
✽	नामा-ए-आमाल	584
✽	आयत नम्बर 73-77 मय खुलासा-ए-तफसीर	585
✽	मआरिफ व मसाईल	586
✽	आयत नम्बर 78-82 मय खुलासा-ए-तफसीर	589
✽	मआरिफ व मसाईल	590
✽	दुश्मनों के फरेब व जाल से बचने का बेहतरीन इलाज नमाज़ है	590
✽	पाँच वक़्त की नमाज़ों का हुक्म	591
✽	तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त और उसके अहकाम व मसाईल	592
✽	तहज्जुद की नमाज़ फर्ज़ है या नफ़िल?	593
✽	तहज्जुद की नमाज़ नफ़िल है या सुन्नत-ए-मुअक्कदा	594
✽	तहज्जुद की रकअतों की तादाद	595
✽	नमाज़-ए-तहज्जुद की कैफ़ियत	596
✽	मक़ाम-ए-महमूद	596
✽	नबियों और उम्मत के नेक लोगों की शफ़ाअत मक़बूल होगी	596
✽	एक सवाल और उसका जवाब	597
✽	फ़ायदा	597
✽	तहज्जुद की नमाज़ को शफ़ाअत का मक़ाम हासिल होने में ख़ास दख़ल है	597
✽	अहम और बड़े उद्देश्यों के लिये मक़बूल दुआ	599
✽	शिक्र व कुफ़्र और बातिल की रस्मों व निशानात का मिटाना वाजिब है	600
✽	आयत नम्बर 83-84 मय खुलासा-ए-तफसीर	601
✽	मआरिफ व मसाईल	601
✽	आयत नम्बर 85-89 मय खुलासा-ए-तफसीर	603
✽	मआरिफ व मसाईल	604
✽	रूह से मुराद क्या है?	604
✽	सवाल का वाकिआ मक्का में पेश आया या मदीना में?	605
✽	उपर्युक्त सवाल का जवाब	606
✽	हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं	607
✽	सवाल करने वाले की दीनी मस्लेहत की रियायत लाज़िम है	607
✽	रूह की हकीकत का इल्म किसी को हो सकता है या नहीं?	607

मज़मून	पेज
★ रूह के सवाल का तफ़सीली वाकिआ	608
★ इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	611
★ आयत नम्बर 90-95 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	611
★ मअरिफ़ व मसाईल	612
★ बिना सर-पैर के मुखालफ़त भरे सवालात का पैग़म्बराना जवाब	612
★ अल्लाह का रसूल इनसान ही हो सकता है फ़रिश्ते इनसानों की तरफ़ रसूल नहीं हो सकते	613
★ आयत नम्बर 96-100 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	615
★ मअरिफ़ व मसाईल	616
★ आयत नम्बर 101-109 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	619
★ मअरिफ़ व मसाईल	620
★ मूसा अलैहिस्सलाम के नौ मोजिजे	620
★ आयत नम्बर 110-111 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	623
★ मअरिफ़ व मसाईल	624
★ तफ़सीर के लेखक की तरफ़ से इज़हार-ए-हाल	626
सूर: कहफ़	
★ सूर: कहफ़ की विशेषतायें और फ़ज़ाईल	631
★ शाने नुज़ूल	632
★ आयत नम्बर 1-8 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	633
★ मअरिफ़ व मसाईल	634
★ लुगात की वज़ाहत	636
★ आयत नम्बर 9-12 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	636
★ मअरिफ़ व मसाईल	637
★ अस्हाब-ए-कहफ़ और रकीम वालों का किस्सा	637
★ दीन की हिफ़ाज़त के लिये ग़ारों में पनाह लेने वालों के वाकिआत विभिन्न शहरों और ख़िल्तों में अनेक हुए हैं	640
★ अस्हाब-ए-कहफ़ की जगह और उनका ज़माना	640
★ नये इतिहासकारों की तहकीक़	643
★ अस्हाबे कहफ़ का वाकिआ किस ज़माने में पेश आया और ग़ार में पनाह लेने के अराबाब क्या थे?	645

✽	कौमियत और एकता की असल बुनियाद	646
✽	क्या अस्हाब-ए-कहफ अब भी जिन्दा हैं?	648
✽	आयत नम्बर 13-16 मय खुलासा-ए-तफसीर	649
✽	मअरिफ व मसाईल	650
✽	आयत नम्बर 17-18 मय खुलासा-ए-तफसीर	652
✽	मअरिफ व मसाईल	654
✽	अस्हाबे कहफ लम्बी नींद के जमाने में इस हालत पर थे कि देखने वाला उनको जागा हुआ समझे	655
✽	अस्हाबे कहफ का कुत्ता	655
✽	नेक सोहबत की बरकतें कि उसने कुत्ते का भी सम्मान बढ़ा दिया	655
✽	अस्हाबे कहफ को अल्लाह तआला ने ऐसा रौब व जलाल अता फरमाया था कि जो देखे डरकर भाग जाये	656
✽	आयत नम्बर 19-20 मय खुलासा-ए-तफसीर	658
✽	मअरिफ व मसाईल	659
✽	चन्द मसाईल	661
✽	आयत नम्बर 21 मय खुलासा-ए-तफसीर	662
✽	मअरिफ व मसाईल	662
✽	अस्हाबे कहफ का हाल शहर वालों पर खुल जाना	662
✽	अस्हाबे कहफ की वफात के बाद लोगों में मतभेद	665
✽	आयत नम्बर 22 मय खुलासा-ए-तफसीर	666
✽	मअरिफ व मसाईल	667
✽	मतभेदी और विवादित बहसों में बातचीत के आदाब	667
✽	अस्हाबे कहफ के नाम	668
✽	विवादित और मतभेदी मामलों में लम्बी बहसों से बचना चाहिये	668
✽	आयत नम्बर 23-26 मय खुलासा-ए-तफसीर	669
✽	मअरिफ व मसाईल	671
✽	आईन्दा काम करने पर इन्शा-अल्लाह कहना	671
✽	आयत नम्बर 27-31 मय खुलासा-ए-तफसीर	675
✽	मअरिफ व मसाईल	676
✽	दावत व तब्लीग के खास आदाब	676
✽	जन्नत वालों के लिये ज़ेवर	677

मज़मून	पेज
आयत नम्बर 32-44 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	680
मआरिफ़ व मसाईल	682
आयत नम्बर 45-49 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	684
मआरिफ़ व मसाईल	685
कियामत में कब्रों से उठने के वक़्त	686
अमल ही बदला है	687
आयत नम्बर 50-59 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	691
मआरिफ़ व मसाईल	692
इब्लीस के औलाद और नस्ल भी है	692
आयत नम्बर 60-70 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	695
मआरिफ़ व मसाईल	697
इस्लाम में नौकरों का भी अदब है	697
हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़िर अलैहिमस्सलाम का क़िस्ता	698
सफ़र के कुछ आदाब और पैग़म्बराना हिम्मत व इरादे का एक नमूना	701
हज़रत मूसा का हज़रत ख़ज़िर से अफ़ज़ल होना	701
मूसा अलैहिस्सलाम की खास तरबियत और उनके मोज़िज़े	701
हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात और उनकी नुबुव्वत का मसला	703
किसी वली को शरीअत के जाहिरी हुक्म के खिलाफ़ करना हलाल नहीं	704
शागिर्द पर उस्ताद का हुक्म मानना लाज़िम है	705
आलिमे शरीअत के लिये जायज़ नहीं कि खिलाफ़े शरीअत बात पर सब्र करे	705
हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़िर के इल्म में एक बुनियादी फ़र्क और दोनों में जाहिरी टकराव का हल	706
आयत नम्बर 71-78 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	709
मआरिफ़ व मसाईल	710
आयत नम्बर 79-82 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	712
मआरिफ़ व मसाईल	712
मिस्कीन की परिभाषा	713
बाज़ जाहिरी ख़राबी वास्तव में इस्लाह होती है	714
एक पुराना नसीहत नामा	714
गाँ-बाप की नेकी का फ़ायदा औलाद दर औलाद को भी पहुँचता है	715

* सूरः यूसुफ़ *

यह सूरत मक्की है। इसमें 111 आयतें
और 12 रुकूअ हैं।

सूर: यूसुफ़

सूर: यूसुफ़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 111 आयतें और 12 रुकूअ हैं।

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ ۝ ۱۱۱ آيَاتٌ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

الرَّسْمِ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ۚ هَذَا الْقُرْآنُ ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝ قَالَ يَبْنَؤُا لَكَ قُلُوبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهَا عَلَىٰ أَيُّوبَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े बड़े मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ्-लाम्-रा। तिल्-क आयातुल्-किताबिल् मुबीन (1) इन्ना अन्जल्नाहु कुरआनन् अ-रबिय्यल् लअल्लकुम् तज्किलून् (2) नहनु नकुस्सु अलै-क अहसनल्-क-ससि बिमा औहैना इलै-क हाज़ल्-कुरआ-न व इन् कुन्-त मिन् क बिल्ही लमिनल्-गाफिलीन (3) इज़् का-ल यूसुफ़ लि-अबीहि या अ-बति इन्नी रएतु अ-ह-द अ-श-र कौकबव्-

ये आयतें हैं स्पष्ट किताब की। (1) हमने इसको उतारा है कुरआन अरबी भाषा का ताकि तुम समझ लो। (2) हा वयान करते हैं तेरे पास बहुत अच्छा बयान इस वास्ते कि भेजा हमने तेरी तरफ यह कुरआन, और तू था इससे पहले अलबत्ता बेखबरों में। (3) जिस वक़्त कहा यूसुफ़ ने अपने बाप से ऐ बाप! मैंने देखा सपने में ग्यारह सितारों को और सूरज को और चाँद को, देखा मैंने उनको

वशाम्-स वल्क-म-र रएतुहुम् ली
 साजिदीन (4) का-ल था बुनय्-य ला
 तकसुस् रुअ्या-क अला इख्वति-क
 फ-यकीदू ल-क कैदनु, इन्नश्शैता-न
 लिद्इन्सानि अदुव्वुम् मुबीन (5) व
 कजालि-क यज्तबी-क रब्बु-क व
 युअल्लिमु-क मिन् तअवीलिल्-
 अहादीसि व युतिम्मु निअ्म-तहू
 अलै-क व अला आलि यअकू-ब
 कमा अ-तम्महा अला अ-बवै-क मिन्
 कब्लु इब्राही-म व इस्हा-क, इन्-न
 रब्ब-क अलीमुन् हकीम (6) ❀

अपने वास्ते सज्दा करते हुए। (4) कहा
 ऐ बेटे! मत बयान करना अपना अपना
 अपने भाईयों के आगे, फिर वे बनायेंगे
 तेरे वास्ते कुछ फरेब, अलबत्ता शैतान है
 इनसान का खुला दुश्मन। (5) और इसी
 तरह चुनिन्दा करेगा तुझको तेरा रब और
 सिखलायेगा तुझको ठिकाने पर लगाना
 बातों का और पूरा करेगा अपना इनाम
 तुझ पर और याकूब के घर पर जैसा कि
 पूरा किया है तेरे दो बाप-दादों पर इससे
 पहले इब्राहीम और इस्हाक पर,
 यकीनन तेरा रब खाबरदार है हिक्मत
 वाला। (6) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

अलिफ़-लाम्-रा (इसके मायने तो अल्लाह ही को भालूम हैं)। ये आयतें हैं एक स्पष्ट
 किताब की (जिसके अलफ़ाज़ और ज़ाहिरी मायने तो बहुत साफ़ हैं) हमने इसको उतारा है
 कुरआन अरबी भाषा का ताकि तुम (अरबी भाषा वाले होने की वजह से दूसरों से पहले) समझो
 (फिर तुम्हारे माध्यम से दूसरे लोग समझें)। हमने जो यह कुरआन आपके पास भेजा है इसके
 जरिये से हम आपसे एक बड़ा उम्दा किस्सा बयान करते हैं और इससे पहले आप (उस किस्से
 से) बिल्कुल बेखबर थे (क्योंकि न आपने कोई किताब पढ़ी थी, न किसी शिक्षक से कुछ सीखा
 था, और किस्से की शोहरत भी ऐसी नहीं थी कि अ़वाम जानते हों)। किस्से की शुरुआत इस
 तरह है कि वह वक्त काबिले ज़िक्र है जबकि यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने अपने वालिद (याकूब
 अलैहिस्सलाम) से कहा कि अब्बा! मैंने (सपने में) ग्यारह सितारे और सूरज और चाँद देखे हैं,
 उनको अपने सामने सज्दा करते हुए देखा है। उन्होंने (जवाब में) फ़रमाया कि बेटा! अपने इस
 सपने को अपने भाईयों के सामने बयान न करना (क्योंकि वे नुबुव्वत के खानदान में से होने की
 वजह से इस सपने की ताबीर जानते हैं कि ग्यारह सितारे ग्यारह भाई और सूरज वालिद और
 चाँद माँ है, और सज्दा करने से मुराद इन सब का तुम्हारे लिये आज्ञाकारी व फ़रमाँबरदार होना
 है) तो वे तुम्हें (तकलीफ़ पहुँचाने) के लिये कोई खास तदबीर करेंगे (यानी भाईयों में से अक्सर

यानी इस भाई बाप-शरीक थे उनसे खतरा था, सिर्फ एक भाई नांग थे दानो बिनयामीन, जिनसे किसी मुखालफत का तो अन्देशा नहीं था मगर यह संभावना व गुमान था कि उनके मुँह से बात निकल जाये) बिला शुब्हा शैतान आदमी का खुला दुश्मन है (इसलिये भाईयों के दिल में बुरे ख्यालात डालेगा) और (जिस तरह अल्लाह तआला तुमको यह इज्जत देगा कि सब तुम्हारे ताबे व फरमाँबरदार होंगे) इसी तरह तुम्हारा रब तुमको (दूसरी इज्जत यानी बुबुखत के लिये भी) मुन्तखब करेगा और तुमको सपनों की ताबीर का इल्म देगा और (दूसरी नेमतें देकर भी) तुम पर और याकूब की औलाद पर अपना इनाम पूरा करेगा जैसा कि इससे पहले तुम्हारे दादा इब्राहीम व इस्हाक़ (अलैहिमस्सलाम) पर अपना इनाम कागिल कर चुका है। वाकई तुम्हारा रब बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिक्मत वाला है।

मअरिफ़ व मसाईल

सूर: यूसुफ़ चार आयतों के सिवा पूरी मक्की सूरत है। इस सूरत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा निरंतरता और तरतीब के साथ बयान हुआ है, और यह किस्सा सिर्फ इसी सूरत में आया है, पूरे कुरआन में दोबारा इसका कहीं जिक्र नहीं। यह खुसूसियत सिर्फ किस्सा-ए-यूसुफ़ ही की है वरना तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से व वाकिआत पूरे कुरआन में खास हिक्मत के तहत टुकड़े-टुकड़े करके लाये गये हैं और बार-बार लाये गये हैं।

हकीकत यह है कि दुनिया के इतिहास और गुज़रे ज़माने के तजुर्बात में इनसान की आईन्दा जिन्दगी के लिये बड़े सबक होते हैं, जिनकी कुदरती तासीर का रंग इनसान के दिल व दिमाग़ पर आम तालीमात से बहुत ज्यादा गहरा और बेमेहनत होता है। इसी लिये कुरआने करीम जो दुनिया की तमाम कौमों के लिये आखिरी हिदायत नामे की हैसियत से भेजा गया है, इसमें दुनिया की पूरी कौमों की तारीख़ का वह चुनिन्दा हिस्सा लिया गया है जो इनसान की मौजूदा हालत और उसके अन्जाम के सुधार के लिये नुस्खा-ए-कीमिया है, मगर कुरआने करीम ने दुनिया की तारीख़ के इस हिस्से को भी अपने मख्सूस व बेमिसाल अन्दाज़ में इस तरह लिया है कि इसका पढ़ने वाला यह महसूस नहीं कर सकता कि यह कोई तारीख़ की किताब है, बल्कि हर मक़ाम पर जिस किस्से का कोई टुकड़ा इबत व नसीहत के लिये ज़रूरी समझा गया सिर्फ उतना ही हिस्सा वहाँ बयान किया गया है और फिर किसी दूसरे मौके पर उस हिस्से की ज़रूरत समझी गई तो फिर उसको दोहरा दिया गया। इसी लिये इन किस्सों के बयान में वाकिआती तरतीब की रियायत नहीं की गई, बाज़ जगह किस्से का शुरू का हिस्सा बाद में और आखिरी हिस्सा पहले जिक्र कर दिया गया है। कुरआन के इस खास अन्दाज़ में यह मुस्तक़िल हिदायत है कि दुनिया की तारीख़ और इसके गुज़रे वाकिआत का पढ़ना याद रखना खुद कोई मक़सद नहीं बल्कि इनसान का मक़सद हर किस्से व ख़बर से कोई इबत व नसीहत हासिल करना होना चाहिये।

इसी लिये तहकीक़ का दर्जा रखने वाले कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि इनसान के कलाम की जो दो किस्में ख़बर और इन्शा मशहूर हैं, इन दोनों किस्मों में से असली मक़सद इन्शा ही है,

ख़बर बहसियत ख़बर के कभी मकसूद नहीं होती, बल्कि अक़्लमन्द इनसान का मकसद हर ख़बर और वाक़िए को सुनने और देखने से सिर्फ़ अपने हाल और अमल का सुधार व बेहतरी होना चाहिये।

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को तरतीब के साथ बयान करने की एक हिक्मत यह भी हो सकती है कि तारीख़ लिखना भी एक पुस्तकिल फ़न है, इसमें उस फ़न वालों के लिये खास हिदायतें हैं कि बयान में न इतनी संक्षिप्तता होनी चाहिये जिससे बात ही पूरी न समझी जा सके और न इतना तूल होना चाहिये कि उसका पढ़ना और याद रखना मुश्किल हो जाये, जैसा कि इस किस्से के क़ुरआनी बयान से वाज़ेह होता है।

दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि कुछ रिवायतों में है कि यहूदियों ने आजमाईश के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम से कहा था कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमें बतलाईये कि याक़ूब की औलाद मुल्के शाम से मिस्र क्यों मुन्तकिल हुई, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़िआ क्या था? उनके जवाब में वही के ज़रिये यह पूरा किस्सा नाज़िल किया गया जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम का मोजिज़ा और आपकी नुबुव्वत का बड़ा सुबूत व गवाह था क्योंकि आप उम्मी (बिना पढ़े-लिखे) थे और उम्र भर मक्का में मुक़ीम रहे, किसी से तालीम हासिल नहीं की, और न कोई किताब पढ़ी, फिर वो तमाम वाक़िआत जो तौरात में बयान हुए थे सही-सही बतला दिये, बल्कि कई वो चीज़ें भी बतला दीं जिनका ज़िक्र तौरात में न था और इसके ज़िमन में बहुत से अहक़ाम व हिदायतें हैं जो आगे बयान होंगे।

सबसे पहली आयत में हुरूफ़ 'अलिफ़-लाम-रा' मुक़त्तअत-ए-क़ुरआनिया में से हैं, जिनके मुताल्लिक़ सहाबा व ताबिईन और पहले बुजुर्गों की अवसरियत का फैसला यह है कि ये हुरूफ़ अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के बीच एक राज़ है जिसको कोई तीसरा आदमी नहीं समझ सकता, और न उसके लिये मुनासिब है कि इसकी तहकीक़ और खोज के पीछे पड़े।

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

यानी ये हैं आयतें उस किताब की जो हलाल व हराम के अहक़ाम और हर काम की हदों, शर्तों और पाबन्दियों को बतलाकर इनसान को ज़िन्दगी के हर क्षेत्र में एक दरमियानी और ज़िन्दगी का सीधा निज़ाम बख़्शती हैं, जिनके नाज़िल करने का वायदा तौरात में पाया जाता है, और यहूदी लोग उससे वाक़िफ़ हैं।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

यानी हमने नाज़िल किया इसको क़ुरआन अरबी बनाकर कि शायद तुम समझ-बूझ हासिल कर लो।

इसमें इशारा इस तरफ़ है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से का सवाल करने वाले अरब के यहूदी थे, अल्लाह तआला ने उन्हीं की भाषा में यह किस्सा नाज़िल फ़रमा दिया ताकि वे ग़ौर

करें, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लिम की सच्चाई व हक़ानियत पर ईमान लायें। और इस किस्से में जो अहक़ाम व हिदायतें हैं उनको अपन लिये रहनुमा बनायें।

इसी लिये इस जगह लफ़ज़ 'लअल्-ल' शायद के मायने में लाया गया है, क्योंकि उन मुखातबों का हाल मालूम था कि ऐसी स्पष्ट और वाज़ेह आयतें सामने आने के बाद भी उनसे हक़ के कुबूल करने की उम्मीद सदिग्ध थी।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝

यानी हम बयान करते हैं आपके लिये बेहतरीन किस्सा इस कुरआन को वही के जरिये आप पर नाज़िल करके, बेशक आप इससे पहले इन तमाम वाक़िआत से नावाक़िफ़ थे।

इसमें यहूदियों को तंबीह (चेतावनी) है कि तुमने जिस तरह हमारे रसूल की आजमाईश करनी चाही उसमें भी रसूल का कमाल स्पष्ट हो गया, क्योंकि वह पहले से उम्मी (बिना पढ़े-लिखे) और दुनिया की तारीख़ से नावाक़िफ़ थे, अब इस वाक़िफ़ियत का कोई जरिया (माध्यम) सिवाय अल्लाह की तालीम और नुबुव्वत की वही (पैग़ाम) के नहीं हो सकता।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝

यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान! मैंने सपने में ग्यारह सितारे और सूरज और चाँद को देखा है, और यह देखा है कि वे मुझे सज्दा कर रहे हैं।

यह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सपना था जिसकी ताबीर के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि ग्यारह सितारों से मुराद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ग्यारह भाई और सूरज और चाँद से मुराद माँ-बाप थे।

तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा (माँ) अगरचे इस वाक़िफ़ से पहले वफ़ात पा चुकी थीं, मगर उनकी ख़ाला उनके वालिद साहिब के निकाह में आ गई थीं, ख़ाला खुद भी माँ के कायम-मक़ाम समझी जाती है, खुसूसन जबकि वह वालिद के निकाह में आ जाये तो उर्फ़ (आम बोलचाल) में उसको माँ ही कहा जायेगा।

قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

यानी बेटा तुम अपना यह ख़्वाब (सपना) अपने भाईयों से न कहना, ऐसा न हो कि वे यह ख़्वाब सुनकर तुम्हारी शान की बड़ाई मालूम करके तुम्हें हलाक़ करने की तदबीर करें, क्योंकि शैतान इनसान का खुला दुश्मन है, वह दुनिया के माल व रूतबे की खातिर इनसान को ऐसे कामों में मुब्तला कर देता है।

इन आयतों में चन्द मसाल्ल काबिले ज़िक्र हैं।

सपने की हकीकत व दर्जा और उसकी किस्में

सबसे पहले ख़्वाब (सपने) की हकीकत और उससे मालूम होने वाले वाक़िआत व ख़बरों का दर्जा और मक़ाम ज़िक्र के काबिल है, तफ़सीरे मज़हरी में हज़रत काज़ी सनाउल्लाह रह. ने

फरमाया कि सपने की हकीकत यह है कि इनसानी नफ़्स जिस वक़्त नींद या बेहोशी के सबब बदन की जाहिरी तदबीर से फ़ारिग़ हो जाता है तो उसको उसकी कुव्वत-ए-ख़्यालिया की राह से कुछ सूरतें दिखाई देती हैं, इसी का नाम ख़्वाब है। फिर उसकी तीन किस्में हैं जिनमें से दो बिल्कुल बातिल हैं जिनकी कोई हकीकत और असलियत नहीं होती, और एक अपनी जात के एतबार से सही व सच्ची है मगर उस सही किस्म में कभी कुछ अवारिज़ (रुकावटें और ख़राबियाँ) शामिल होकर उसको फ़ासिद और नाफ़ाबिले एतबार कर देते हैं।

तफ़्सील इसकी यह है कि ख़्वाब (सपने) में इनसान जो मुख़लिफ़ सूरतें और वाकिआत देखता है, कभी तो ऐसा होता है कि जागने की हालत में जो सूरतें इनसान देखता रहता है वही ख़्वाब में शक़्लें बनकर नज़र आ जाती हैं, और कभी ऐसा होता है कि शैतान कुछ सूरतें और वाकिआत उसके ज़ेहन में डालता है, कभी खुश करने वाले और कभी डराने वाले, ये दोनों किस्में बातिल हैं जिनकी न कोई हकीकत व असलियत है न उसकी कोई सही ताबीर हो सकती है। इनमें से पहली किस्म को हदीसुन्नफ़स और दूसरी को तस्वील-ए-शैतानी कहा जाता है।

तीसरी किस्म जो सही और हक़ है वह अल्लाह तआला की तरफ़ से एक किस्म का इल्हाम है जो अपने बन्दे की आगाह व सचेत करने या खुशख़बरी देने के लिये किया जाता है, अल्लाह तआला अपने ग़ैब के ख़ज़ाने से कुछ चीज़ें उसके दिल व दिमाग़ में डाल देते हैं।

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि मोमिन का ख़्वाब एक कलाम है जिसमें वह अपने रब से गुफ़्तगू और बातचीत करने का सम्मान हासिल करता है। यह हदीस तबरानी ने सही सनद से रिवायत की है। (तफ़्सीरे मज़हरी)

इसकी तहकीक सूफ़िया-ए-किराम के बयान के मुताबिक़ यह है कि आलम में जितनी चीज़ें वजूद में आने वाली हैं, उस वजूद से पहले हर चीज़ की एक खास शक़्ल मिसाली जहान में होती है, और उस मिसाली जहान में जिस तरह अपना मुस्तक़िल वजूद रखने वाले और साबित तथ्यों की सूरतें और शक़्लें होती हैं इसी तरह मायनों और आराज़ (पेश आने वाली हालतों) की भी खास शक़्लें होती हैं। ख़्वाब में जब इनसानी नफ़्स बदन की जाहिरी तदबीर से फ़ारिग़ होता है तो कई बार उसका ताल्लुक (सम्पर्क) मिसाली जहान से हो जाता है, वहाँ जो कायनात की शक़्लें हैं वे उसको नज़र आ जाती हैं। फिर ये सूरतें ग़ैब के आलम से दिखाई जाती हैं। कई बार उनमें भी कुछ अवारिज़ (ख़राबी और हालात) ऐसे पैदा हो जाते हैं कि असल हकीकत के साथ कुछ बातिल ख़्याली चीज़ें शामिल हो जाती हैं, इसलिये ख़्वाब की ताबीर देने वालों को भी उसकी ताबीर समझना दुश्वार हो जाता है, और कई बार वे तमाम अवारिज़ से पाक-साफ़ रहती हैं तो वे असल हकीकत होती हैं, मगर उनमें भी कुछ ख़्वाब ताबीर के मोहताज होते हैं, क्योंकि उनमें असल हकीकत स्पष्ट नहीं होती, ऐसी सूरत में भी अगर ताबीर ग़लत हो जाये तो वाकिआ ख़्वाब से भिन्न हो जाता है, इसलिये सिर्फ़ वह ख़्वाब सही तौर से अल्लाह की तरफ़ से इल्हाम (दिल में डाली हुई बात) और साबित हकीकत होगी जो अल्लाह की तरफ़ से हो और उसमें कुछ अवारिज़ में भी शामिल न हुए हों, और ताबीर भी सही दी गई हो।

अधिका अलैहिमुस्सलाम के सब ख्वाब (सपने) ऐसे होते हैं इसी लिये उनके ख्वाब भी वही (अल्लाह की तरफ से आये हुए पैग़ाम) का दर्जा रखते हैं। आम मुसलमानों के ख्वाब में हर तरह के शुद्धे और संभावनायें रहती हैं इस लिये वे किसी के लिये हुज्जत और दलील नहीं होते, उनके ख्वाबों में कई बार तबई और नफ़थानी सूतों की पिलावट हो जाती है, और कई बार गुनाहों की अंधेरी और मैल सही ख्वाब पर छाकर उसको नाक़ाबिले भरोसा बना देती है, कई बार ऐसा होता है कि तावीर सही समझ में नहीं आती।

ख्वाब (सपने) की ये तीन किस्में जो ज़िक्र की गई हैं यही तफ़सील रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल की गयी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ख्वाब की तीन किस्में हैं- एक किस्म शैतानी है जिसमें शैतान की तरफ़ से कुछ सूतें ज़हन व दिमाग़ में आती हैं। दूसरी वह जो आदमी अपनी बेदारी (जागने की हालत) में देखता रहता है वही सूतें ख्वाब में सामने आ जाती हैं। तीसरी किस्म जो सही और हक़ है वह नुबुव्वत के हिस्सों में से छियालीसवाँ हिस्सा है यानी अल्लाह तआला की तरफ़ से इल्हाम है।

ख्वाब के नुबुव्वत का हिस्सा होने के मायने और इसकी वज़ाहत

यह किस्म जो हक़ और सही है और सही हदीसों में नुबुव्वत का एक हिस्सा और भाग फ़रार दी गई है, इसमें हदीस की रिवायतें मुख़लिफ़ हैं। कुछ में चालीसवाँ हिस्सा और कुछ में छियालीसवाँ हिस्सा बतलाया और कुछ रिवायतों में उनचास और पचास और सत्तरवाँ हिस्सा होना भी मन्कूल है। ये सब रिवायतें तफ़सीर-ए-कुर्तुबी में जमा करके अल्लामा इब्ने अब्दुल-बर् की तहकीक़ यह नक़ल की है कि इनमें कोई टकराय और विरोधाभास नहीं, बल्कि हर एक रिवायत अपनी जगह सही व दुहस्त है, और हिस्सों के अलग-अलग और भिन्न होने का यह इख़िलाफ़ ख्वाब देखने वालों के अलग-अलग हालात की बिना पर है। जो शख्स सच्चाई, अमानत, दियानत और कामिल ईमान की खूबियों का मालिक है उसका ख्वाब नुबुव्वत का चालीसवाँ हिस्सा होगा और जो इन गुणों व खूबियों में कुछ कम है उसका छियालीसवाँ या पचासवाँ भाग होगा, और जो और कम है उसका ख्वाब नुबुव्वत का सत्तरवाँ हिस्सा होगा।

यहाँ यह बात गौर करने के काबिल है कि सच्चे ख्वाब का नुबुव्वत का हिस्सा होने से क्या पुराद है। तफ़सीरि मज़हरी में इसका मतलब यह बयान किया है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नुबुव्वत की वही का सिलसिला तेईस साल जारी रहा, उनमें से पहली छमाही में अल्लाह की यह वही (पैग़ाम व अहक़ाम) ख्वाबों की सूत में आती रही, बाकी पैतालीस छमाहियों में जिब्रिले अमीन अलैहिस्सलाम के पैग़ाम पहुँचाने की सूत में आई। इस हिसाब से सच्चे ख्वाबों नुबुव्वत की वही का छियालीसवाँ हिस्सा हुआ, और जिन रिवायतों में कम या ज़्यादा की संख्या बयान हुई हैं उनमें या तो तक़रीबी कलाम किया गया है या वो सनद के

इतिवार से कमज़ोर व बेइतिवार हैं।

और इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि इसके नुबुव्वत का हिस्सा होने से मुराद यह है कि ख़्वाब में कई बार इनसान ऐसी चीज़ें देखता है जो उसकी कुदरत (ताक़त व पहुँच) में नहीं, जैसे यह देखे कि वह आसमान पर उड़ रहा है, या ग़ैब की ऐसी चीज़ें देखे जिनका इल्म हासिल करना उसकी कुदरत में न था तो उसका ज़रिया सिवाय अल्लाह को इमदाद व इल्हाम के और कुछ नहीं हो सकता, जो असल में नुबुव्वत का ख़ास्सा (विशेषता) है, इसलिये इसको नुबुव्वत का एक हिस्सा करार दिया गया।

कादियानी दज्जाल के एक मुग़ालते की तरदीद

यहाँ कुछ लोगों को एक अजीब मुग़ालता (धोखा) लगा है कि इस नुबुव्वत के हिस्से के दुनिया में बाकी रहने और जारी रहने से नुबुव्वत का बाकी रहना और जारी रहना समझ बैठे हैं जो क़ुरआन मजीद के स्पष्ट और क़तई बयानात, दलीलों और बेशुमार सही हदीसों के खिलाफ़ और पूरी उम्मत के इजमाई (सर्वसम्मति से माने हुए) ख़त्म-ए-नुबुव्वत के अक़ीदे के विरुद्ध है। वे लोग यह-न समझे कि किसी चीज़ का एक हिस्सा मौजूद होने से उस चीज़ का मौजूद होना लाज़िम नहीं आता। अगर किसी शख्स का एक नाखुन या एक बाल कहीं मौजूद हो तो कोई इनसान यह नहीं कह सकता कि यहाँ वह शख्स मौजूद है। मशीन के बहुत से कल-पुर्जों में से अगर किसी के पास एक पुर्जा या एक स्कू मौजूद हो और वह कहने लगे कि मेरे पास फुलॉ मशीन मौजूद है तो दुनिया भर के इनसान उसको या तो झूठा कहेंगे या बेवक़ूफ़।

हदीस शरीफ़ की वज़ाहत के मुताबिक़ सच्चे ख़्वाब बिला शुब्हा नुबुव्वत का हिस्सा हैं मगर नुबुव्वत नहीं, नुबुव्वत तो ख़ातमुत-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ख़त्म हो चुकी है।

सही बुख़ारी में है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لَمْ يَقُمْ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمَبْرَأَاتُ

यानी आईन्दा नुबुव्वत का कोई हिस्सा सिवाय मुबशिशरात के बाकी न रहेगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि मुबशिशरात से क्या मुराद है? तो फ़रमाया कि "सच्चे ख़्वाब" जिससे साबित हुआ कि नुबुव्वत किसी किस्म या किसी सूरत में बाकी नहीं, सिर्फ़ उसका छोटा-सा हिस्सा बाकी है जिसको मुबशिशरात या सच्चे ख़्वाब कहा जा सकता है।

कभी काफ़िर व बदकार आदमी का सपना भी सच्चा हो सकता है

और यह बात भी क़ुरआन व हदीस से साबित और तजुर्बों से मालूम है कि सच्चे ख़्वाब कई बार फ़ासिक़ व फ़ाजिर (गुनाहगार और बुरे आमाल वाले) बल्कि काफ़िर को भी आ सकते हैं। सूर: यूसुफ़ ही में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जेल के दो साथियों के सपने और उनका सच्चा

होना, इसी तरह मिस्र के बादशाह का सपना और उसका सच्चा होना कुरआन में वर्णन हुए हैं, हालाँकि ये तीनों मुसलमान न थे। हदीस में इरान के बादशाह किसरा का ख़्वाब जिक्र हुआ है जो उसने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बेसत (नबी बनकर तशरीफ़ लाने) के बारे में देखा था। वह ख़्वाब सही हुआ हालाँकि किसरा मुसलमान न था। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फूफी आतिका ने कुफ़्र की हालत में आपके बारे में सच्चा ख़्वाब देखा था, इसी तरह काफ़िर बादशाह बुख़्ते-नस्सर के जिस ख़्वाब की ताबीर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दी वह ख़्वाब सच्चा था।

इससे मालूम हुआ कि महज़ इतनी बात कि किसी को कोई सच्चा ख़्वाब नज़र आ जाये और याक़िआ उसके मुताबिक़ हो जाये उसके नेक सालेह बल्कि मुसलमान होने की भी दलील नहीं हो सकती, हाँ यह सही है कि अल्लाह तआला का आम दस्तूर यही है कि सच्चे और नेक लोगों के ख़्वाब उमूमन सच्चे होते हैं, गुनाहगार व बदकार लोगों के उमूमन हदीसुन्नफ़स या तस्वीले शैतानी की बातिल किस्मों से हुआ करते हैं, मगर कभी इसके ख़िलाफ़ भी हो जाता है।

बहरहाल! हदीस की बज़ाहत के मुताबिक़ सच्चे ख़्वाब आम उम्मत के लिये एक खुशख़बरी या चेतावनी से ज़्यादा कोई मक़ाम नहीं रखते, न खुद उसके लिये किसी मामले में हुज्जत हैं न दूसरों के लिये। कुछ नावाक़िफ़ लोग ऐसे ख़्वाब (सपने) देखकर तरह-तरह के वस्वसों (ख़्यालात) में मुब्तला हो जाते हैं। कोई उनको अपने वली और बुजुर्ग होने की निशानी समझने लगता है, कोई उनसे हासिल होने वाली बातों को शर्ई अहक़ाम का दर्जा देने लगता है, ये सब चीज़ें बेबुनियाद हैं, ख़ास तौर पर जबकि यह भी मालूम हो चुका हो कि सच्चे ख़्वाबों में भी ज़्यादातर नफ़सानी या शैतानी या दोनों किस्म के ख़्यालात की मिलावट का शुद्धा व संभावना है।

ख़्वाब को हर शख़्स से बयान करना दुरुस्त नहीं

मसला: आयत 'या बुनयू-य.....' यानी इसी सूरात की आयत नम्बर 5 में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना ख़्वाब (सपना) भाईयों के सामने बयान करने से मना फ़रमाया। इससे मालूम हुआ कि ख़्वाब ऐसे शख़्स के सामने बयान न करना चाहिये जो उसका ख़ैरख़्वाह और हमदर्द न हो, और न ऐसे शख़्स के सामने जो ख़्वाब की ताबीर और मतलब बताने में माहिर न हों।

हदीस की किताब जामे तिरमिज़ी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सच्चा ख़्वाब नुबुव्वत के चालीस हिस्सों में से एक हिस्सा है, और ख़्वाब अंधर में रहता है जब तक किसी से बयान न किया जाये, जब बयान कर दिया गया और सुनने वाले ने कोई ताबीर दे दी तो ताबीर के मुताबिक़ जाहिर हो जाता है, इसलिये चाहिये कि ख़्वाब किसी से न बयान करे सिवाय उस शख़्स के कि जो आलिम व समझदार हो या कम से कम उसका दोस्त और भला चाहने वाला हो।

और तिरमिज़ी व इब्ने माजा में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि

ख़्वाब तीन किस्म का होता है- एक अल्लाह की तरफ़ से खुशख़बरी, दूसरे नज़रानों ख़्यालान, तीसरे शैतानी तसव्वुरात। इसलिये जो शख्स कोई ख़्वाब देखे और उसे भला मालूम हो तो उसका अगर चाहे तो लोगों से बयान कर दे और अगर उसमें कोई बुरी बात नज़र आये तो किसी से न कहे, बल्कि उठकर नमाज़ पढ़ ले। और सही मुस्लिम की हदीस में यह भी है कि बुरा ख़्वाब देखे तो बाई तरफ़ तीन मर्तबा धूक दे और अल्लाह तआला से उसकी बुराई से पनाह माँगे, और किसी से ज़िक्र न करे तो वह ख़्वाब उसको कोई नुक़सान न देगा। वज़ह यह है कि कुछ ख़्वाब तो शैतानी तसव्वुरात होते हैं वो इस अमल से दफ़ा हो जायेंगे और अगर सच्चा ख़्वाब है तो इस अमल के ज़रिये उसकी बुराई दूर हो जाने की भी उम्मीद है।

मसला: ख़्वाब के उसकी ताबीर पर अटके और लगे रहने का मतलब तकलीफ़-ए-मज़हरी में यह बयान फ़रमाया है कि कुछ तक़दीरी मामलात गुब्रम यानी निश्चित नहीं होते, बल्कि मुअल्लक़ (अधर में और लटके हुए) होते हैं कि फुल्लों काम हो गया तो यह मुसीबत टल जायेगी और न हुआ तो पड़ जायेगी। जिसको तक़दीर-ए-मुअल्लक़ कहा जाता है, ऐसी सूरात में बुरी ताबीर देने से मामला बुरा और अच्छी ताबीर देने से मामला अच्छा हो जाता है। इसी लिये तिमिज़ी की उक्त हदीस में ऐसे शख्स से ख़्वाब (सपना) बयान करने की मनाही की गई है जो अक़्लमन्द न हो, या उसका ख़ैरख़्वाह व हमदर्द न हो। और यह वज़ह भी हो सकती है कि ख़्वाब की कोई बुरी ताबीर सुनकर इनसान के दिल में यही ख़्याल ज़मता है कि अब मुझ पर मुसीबत आने वाली है, और हदीस में है कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

यानी “बन्दा मेरे मुताल्लिक़ जैसा गुमान करता है मैं उसके हक़ में वैसा ही हो जाता हूँ।” जब अल्लाह तआला की तरफ़ से मुसीबत आने पर यकीन कर बैठा तो अल्लाह की इस आदत के मुताबिक़ उस पर मुसीबत आना ज़रूरी हो गया।

मसला: इस आयत से जो यह मालूम हुआ कि जिस ख़्वाब में कोई बात तकलीफ़ व मुसीबत की नज़र आये वह किसी से बयान न करे, हदीस की रिवायतों से मालूम होता है कि यह मनाही सिर्फ़ शफ़क़त और हमदर्दी की बिना पर है, शर्ई तौर पर हराम नहीं है। इसलिये अगर किसी से बयान कर दे तो कोई गुनाह नहीं, क्योंकि सही हदीसों में है कि उहुद की जंग के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया— मैंने ख़्वाब में देखा है कि मेरी तलवार जुल्फ़क़ार टूट गई, और देखा कि कुछ गायें जिबह हो रही हैं, जिसकी ताबीर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत और बहुत से मुसलमानों की शहादत थी जो बड़ा हादसा है मगर आपने इस ख़्वाब को सहाबा से बयान फ़रमा दिया था। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

मसला: इस आयत से यह भी मालूम हो गया कि मुसलमान को दूसरे के शर (बुराई) से बचाने के लिये उसकी किसी बुरी ख़स्लत या नीयत का इज़हार कर देना जायज़ है, यह ग़ीबत (चुगली) में दाख़िल नहीं। जैसे किसी शख्स को मालूम हो जाये कि फुल्लों आदमी किसी दूसरे आदमी के घर में चोरी करने या उसको क़त्ल करने का मन्सूबा बना रहा है तो उसको चाहिये

कि उस शख्स को बाख़्शर कर दे, यह गीबत हिराम में दख़िन नहीं, जैसा कि हज़रत योन्स अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इसका इज़हार कर दिया कि भाईयों से उनकी जान को ख़तरा है।

मसला: इसी आयत से यह भी मालूम हुआ कि जिस शख्स के मुताल्लिक यह संदेह व गुमान हो कि हमारी खुशहाली और नेमत का जिक्र सुनेगा तो उसको हसद (जलन) होगा, और नुक़सान पहुँचाने की फ़िक्र करेगा तो उसके सामने अपनी नेमत, दौलत व इज़्जत बग़ैरह का जिक्र न करे, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि:

"अपने पफ़सदों को कामयाब बनाने के लिये उनको राज़ में रखने से मदद हासिल करो, क्योंकि दुनिया में हर नेमत बाले से हसद किया जाता है।"

मसला: इस आयत और बाद की आयतों से जिनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़त्ल करने का कुर्रें में डालने का मशिवरा और उस पर अमल मज़कूर है, यह भी बाज़ेह हो गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अल्लाह के नबी और पैग़म्बर न थे, वरना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़त्ल का मशिवरा और फिर उनको बरबाद करने की तदबीर और बाप की नाफ़रमानी का अमल उनसे न होता, क्योंकि अध्विया अलैहिमुस्सलाम का सब गुनाहों से पाक और मासूम (सुरक्षित) होना ज़रूरी है किताब तबरी में जो उनको नबी कहा गया है वह सही नहीं। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

छठी आयत में अल्लाह तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से चन्द इनामात अता करने का वायदा फ़रमाया है। अख़्त:

كَذَلِكَ نَحْيَاكَ وَرَبُّكَ

यानी अल्लाह तआला अपने इनामात व एहसानात के लिये आपका चयन फ़रमा लेंगे, जिसका ज़हूर मुल्क मिस्त्र में हुकूमत व इज़्जत और दौलत मिलने से हुआ। दूसरे:

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

इसमें अहादीस से मुराद लोगों के ख़्वाब (सपने) हैं। मायने यह है कि अल्लाह तआला आपको ख़्वाब की ताबीर (मतलब बयान करने) का इल्म सिखा देंगे। इससे यह भी मालूम हुआ कि ख़्वाब की ताबीर एक मुस्तक़िल फ़न है जो अल्लाह तआला किसी-किसी को अता फ़रमा देते हैं, हर शख्स इसका अहल (काबलियत रखने वाला) नहीं।

मसला: तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि अब्दुल्लाह बिन शदाद बिन अल्लाह ने फ़रमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस ख़्वाब (सपने) की ताबीर चालीस साल बाद जाहिर हुई। इससे मालूम हुआ कि ताबीर का फ़ौरन जाहिर होना कोई ज़रूरी नहीं। तीसरा वायदा है:

وَيَتِمُّ لَعْنَةُ عَلَيْكَ

यानी "अल्लाह तआला आप पर अपनी नेमत पूरी फ़रमा देंगे।" इसमें नुबुव्वत अता करने की तरफ़ इशारा है और इसी की तरफ़ बाद के जुमलों में इशारा है:

كَمَا آتَمَّهَا عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَسْحَقَ

यानी जिस तरह हम अपनी नुबुव्वत की नेमत तुम्हारे बाप-दादा इब्राहीम और इस्हाक़ अलैहिमस्सलाम पर आप से पहले पूरी कर चुके हैं। इसमें इस तरफ़ भी इशारा हो गया कि ख़्वाब की ताबीर का फ़न जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया गया इसी तरह इब्राहीम व इस्हाक़ अलैहिमस्सलाम को भी सिखाया गया था।

आयत के आख़िर में फ़रमाया:

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

“यानी तुम्हारा परवर्दिगार बड़ा इल्म वाला बड़ी हिक्मत वाला है।” न उसके लिये किसी को कोई फ़न सिखाना मुश्किल है और न हिक्मत के सबब वह यह फ़न हर शख़्त को सिखाता है, बल्कि अपनी हिक्मत के मातहत चयन करके किसी को यह हुनर दे देता है।

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا وَ
نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْهِرُوا أَرْضَنَا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ
وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ
يَلْتَقِطُهَا بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا
لَهُ لَنَصِحُونَ ۝ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا
بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ۝ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا
إِذَا الْخُسْرُونَ ۝ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُعْمَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ
هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءَ وَآبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا
يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَآكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءَ وَعَلَى قَيْصِهِ بِدَامٍ
كَذِيبٌ قَالَ بَلْ سَأَلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمرَاءَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۝ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝ وَجَاءَتِ
سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً قَالَ يَبُشْرَى هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرَوهُ بَضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۝ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّالِمِينَ ۝

ल-क़द् का-न फी यूसु-फ व इख़्वतिही
आयातुल् लिस्सा-इलीन (7) इज़्
कालू ल-यूसुफु व अख़ूहु अहब्बु
इला अबीना मिन्ना व नहनु अुस्वतुनु,

अलबत्ता हैं यूसुफ़ के किस्से में और
उसके भाईयों के किस्से में निशानियाँ
पूछने वालों के लिये। (7) जब कहने लगे
अलबत्ता यूसुफ़ और उसका भाई ज्यादा
प्यारा है हमारे बाप को हम से, और हम

इन्-न अबाना लफी जलालिग्-मुबीन
 (8) उक्तुलू यूसु-फ़ अवित्रहूहु
 अरजंयख्लु लकुम् वज्हु अबीकुम् व
 तकूनू मिम्-वअदिही कौमन् सालिहीन
 (9) का-ल काइलुम्-मिन्हुम् ला
 तक्तुलू यूसु-फ़ व अल्कूहु फी
 गया-वतिल्-जुब्बि यस्तकि त्हु
 वअज्जुस्सय्यारति इन् कुन्तुम्
 फाअिलीन (10) कालू या अबाना मा
 ल-क ला तज्मन्ना अला यूसु-फ़ व
 इन्ना लहू लनासिहून (11) अरसिल्हु
 म-अना गदय्-यर्तज् व यल्अब् व
 इन्ना लहू लहाफिज़ून (12) का-ल
 इन्नी ल-यह्जुनुनी अन् तज़हबू बिही
 व अखाफु अय्यअकु-लहुज़िज्अबु व
 अन्तुम् अन्हु गाफिलून (13) कालू
 ल-इन् अ-क-लहुज़िज्अबु व नह्नु
 अुस्वतुन् इन्ना इज़ल्-लखासिरून (14)
 फ-लम्मा ज-हबू बिही व अज्मअ
 अय्यज्-अलूहु फी गया-वतिल्-जुब्बि
 व औहैना इलैहि लतुनब्बि-अन्नहुम्
 बिअम्रिहिम् हाजा व हुम् ला
 यशअरून (15) व जाऊ अबाहुम्
 अिशाअय्-यबूकून (16) कालू

उनसे ज्यादा कुव्वत वाले हैं, अलबत्ता
 हमारा बाप खुली ख़ता पर है। (8) मार
 डालो यूसुफ़ को या फेंक दो किसी मुल्क
 में कि ख़ालिस रहे तुम पर तवज्जोह
 तुम्हारे बाप की, और हो रहना उसके
 बाद नेक लोग। (9) बोला एक बोलने
 वाला उनमें से मत मार डालो यूसुफ़ को
 और डाल दो उसको गुमनाम कुएँ में कि
 उठा ले जाये उसको कोई मुसाफ़िर, अगर
 तुमको करना है। (10) बोले ऐ बाप क्या
 बात है कि तू एतिबार नहीं करता हमारा
 यूसुफ़ पर और हम तो उसके ख़ैरख़्वाह
 हैं। (11) भेज उसको हमारे साथ कल को,
 ख़ूब खाये और खेले और हम तो उसके
 निगहबान हैं। (12) बोला मुझको ग़म
 होता है इससे कि तुम उसको ले जाओ
 और डरता हूँ इससे कि खा जाये उसको
 भेड़िया और तुम उससे बेख़ाबर रहो।
 (13) बोले अगर खा गया उसको भेड़िया
 और हम एक जमाअत हैं कुव्वत वाली तो
 हमने सब कुछ गंवा दिया। (14) फिर जब
 लेकर चले उसको और सहमत हुए कि
 डालें उसको गुमनाम कुएँ में, और हमने
 इशारा कर दिया उसको कि तू जतायेगा
 उनको उनका यह काम और वे तुझको न
 जानेंगे। (15) और आये अपने बाप के
 पास अंधेरा पड़े रोते हुए। (16) कहने लगे

या अबाना इन्ना ज़हब्ना नस्तबिकु
 व तरकना यूसु-फ़ अिन्-द मताअिना
 फ़-अ-क-लहुज़्-ज़िअबु व मा अन्-त
 विमुअ्मिनिल्लना व लौ कुन्ना
 सादिकीन (17) ▲ व जाऊ अ़ला
 कमीसिही वि-दमिन् कज़िबिन्,
 का-ल बल् सव्व-लत् लकुम्
 अन्फुसुकुम् अमूरन्, फ़-सब्रुन्
 जमीलुन्, वल्लाहुल्-मुस्तअानु अ़ला
 मा तसिफून् (18) व जाअत् सय्यारतुन्
 फ़-अरसलू वारि-दहुम् फ़-अदला
 दत्वहू, का-ल या बुशरा हाजा
 गुलामुन्, व अ-सरूहु विजा-अतन्,
 वल्लाहु अलीमुम्-बिमा यअ्मलून्
 (19) व शरौहु बि-स-मनिम् बख़िसन्
 दराहि-म मअ्दू-दतिन् व कानू फ़ीहि
 मिनज़्ज़ाहिदीन (20) ❀

ऐ बाप! हम लगे दौड़ने आगे निकलने को
 और छोड़ा यूसुफ़ को अपने सामान के
 पास, फिर उसको खा गया भेड़िया, और
 तू यकीन न करेगा हमारा कहना और
 अगरचे हम सच्चे हों। (17) ▲ और लाये
 उसके कुर्ते पर खून लगाकर झूठ, बोला
 यह हरगिज़ नहीं बल्कि बना दी है तुमको
 तुम्हारे नफ़्तों (दिल और दिमागों) ने एक
 बात, अब सब ही बेहतर है, और अल्लाह
 ही से मदद माँगता हूँ उस बात पर जो तुम
 जाहिर करते हो। (18) और आया एक
 काफ़िला फिर भेजा अपना पानी भरने
 वाला, उसने लटका दिया अपना डोल,
 कहने लगा क्या खुशी की बात है यह है
 एक लड़का, और छुपा लिया उसको
 तिजारात का माल समझकर और अल्लाह
 ख़ूब जानता है जो कुछ वे करते हैं।
 (19) और बेच आये उसको भाई नार्किस
 कीमत के बदले, गिनती की चवन्नियाँ,
 और हो रहे थे उससे बेज़ार। (20) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के और उनके (बाप-शरीक-सौतेले) भाइयों के किस्से में (खुदा की
 क़ुदरत और आपकी नुबुव्वत को) दलीलें मौजूद हैं उन लोगों के लिये जो (आपसे उनका किस्सा)
 पूछते हैं (क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ऐसी बेकसी और बेबसी से सल्लनत व हुकूमत तक
 पहुँचा देना यह खुदा ही का काम था जिससे मुसलमानों के लिये सीख और ईमानी कुव्वत
 हासिल होगी। और यहूदी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आजमाईश के लिये यह
 किस्सा पूछा था उनके लिये इसमें नुबुव्वत की दलील मिल सकती है)। वह वक़्त काबिले ज़िक्र है
 जबकि उन (सौतेले) भाइयों ने (आपसी मश्वरे के तौर पर) यह गुफ़्तगू को कि (यह क्या बात
 है कि) यूसुफ़ और उनका (सगा) भाई (बिनयामीन) हमारे बाप-को ज़्यादा प्यारे हैं हालाँकि (वे

दोनों कप-उधरी को वजह से उनकी खिदमत के कर्बिल भी नहीं, और) हम एक जमाअत को जमाअत हैं (कि अपनी ताकत व कसरत की वजह से उनकी हर तरह की खिदमत भी करते हैं) याकई हमारे बाप खुली गलती में हैं (इसलिये तदबीर यह करनी चाहिये कि उन दोनों में थोड़ा-थोड़ा प्यार यूसुफ से है उसको किसी तरह उनके पास से हटाना चाहिये, जिसकी सूत यह है कि) या तो यूसुफ को कल्ल कर डालो या किसी (दूर-दराज की) सज़मीन में डाल आओ तो (फिर) तुम्हारे बाप का रुख खालिस तुम्हारी तरफ हो जायेगा और तुम्हारे सब काम बन जायेंगे।

उन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कल्ल न करो (इसलिये कि यह बड़ा जुमे है) और उनको किसी अंधेरे कुएँ में डाल दो (जिसमें इतना पानी न हो जिसमें डूबने का खतरा हो, क्योंकि वह तो कल्ल ही की एक सूत है, अलबत्ता बस्ती और आम रास्ते से बहुत दूर भी न हो) ताकि उनको कोई राह चलता मुसाफिर निकाल ले जाये, अगर तुमको (यह काम) करना ही है (तो इस तरह करो, इस पर सब की राय बन गई और) सब ने (मिलकर बाप से) कहा कि अब्बा! इसकी क्या वजह है कि यूसुफ के बारे में आप हमारा एतिबार नहीं करते (क्योंकि कभी कहीं हमारे साथ नहीं भेजते) हालाँकि हम उसके (दिल व जान से) खैरख्बाह हैं, (ऐसा न होना चाहिये बल्कि) आप उसको कल्ल हमारे साथ (जंगल) भेजिये कि ज़रा वह खायें खेलें और हम उनकी पूरी हिफाज़त रखेंगे। याकूब (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया कि (मुझे साथ भेजने से दो चीज़ें रुकावट हैं- एक रंज और एक खौफ़। रंज तो यह कि) मुझको यह बात ग़म में डालती है कि उसको तुम (मेरी नज़रों के सामने से) ले जाओ और (खौफ़ यह कि) मैं यह अन्देशा करता हूँ कि उसको कोई भेड़िया खा जाये और तुम (अपने धंधे में) उससे बेख़बर रहो (क्योंकि उस जंगल में भेड़िये बहुत थे)। ये बोले अगर उसको भेड़िया खा ले और हम एक जमाअत की जमाअत (मौजूद) हों तो हम बिल्कुल ही गये-गुज़रे हुए।

(ग़र्ज कि कह-सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम से ये उनको लेकर चले) तो जब उनको (अपने साथ जंगल) ले गये और (पहले तय पा चुके प्रोग्राम के मुताबिक) सब ने पुख्ता इरादा कर लिया कि उनको किसी अंधेरे कुएँ में डाल दें (फिर अपनी योजना पर अमल भी कर लिया) और (उस वक़्त यूसुफ की तसल्ली के लिये) हमने उनके पास वही भेजी कि (तुम ग़मगीन न हो, हम तुमको यहाँ से छुटकारा देकर बड़े रुतबे पर पहुँचा देंगे और एक दिन वह होगा कि) तुम उन लोगों को यह बात जतलाओगे और वे तुमको (इस वजह से कि बिना अपेक्षा के अचानक शाहाना सूत में देखेंगे) पहचानेंगे भी नहीं। (चुनाँचे याकिज़ा इसी तरह पेश आया कि भाई मिस्र पहुँचे और आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जतलाया) जैसा कि इसी सूत की आयत 81 में आगे आ रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो यह किस्सा हुआ) और (उधर) वे लोग अपने बाप के पास इशा के वक़्त रौते हुए पहुँचे (और जब बाप ने रौने का सबब पूछा तो) कहने लगे अब्बा! हम सब तो आपस में दौड़ लगाने में (कि कौन आगे निकले) लग गये और यूसुफ को हमने (ऐसी जगह जहाँ भेड़िया आने का गुमान न था) अपने सामान के पास छोड़ दिया, बस (इलिफ़ाक़न) एक भेड़िया (आया और) उनको खा गया और आप तो हमारा काहे को

यकीन करने लगे, हम कैसे ही सच्चे हों।

और (जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास आने लगे थे तो) यूसुफ की कमीज पर झूठ-मूठ का खून भी लगा लाये थे (कि किसी जानवर का खून उनकी कमीज पर डालकर अपनी बात की सनद के लिये पेश किया) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने (देखा तो कुर्ता कहीं से फटा हुआ नहीं था, जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से तबरी में नकल किया गया है, तो) फरमाया (यूसुफ को भेड़िये ने हरगिज नहीं खाया) बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है, सो मैं सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत का नाम न होगा (सब्रे-जमील की यह तफसीर कि उसके साथ कोई शिकायत का हर्फ न हो, तबरी ने मरफूअ हदीस के हवाले से बयान की है) और जो बातें तुम बताते हो उनमें अल्लाह ही मदद करे (कि इस वक़्त मुझे उन पर सब्र आ जाये और आगे चलकर तुम्हारा झूठ खुल जाये। बहरहाल हज़रत याकूब सब्र करके बैठ रहे)।

और (यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह किस्सा हुआ कि इत्तिफ़ाक से उधर) एक काफ़िला आ निकला (जो मिस्र को जा रहा था) और उन्होंने अपना आदमी पानी लाने के वास्ते (यहाँ कुएँ पर) भेजा और उसने अपना डोल डाला (यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल पकड़ लिया, जब डोल बाहर आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो खुश होकर) कहने लगा बड़ी खुशी की बात है, यह तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। (काफ़िले वालों को खबर हुई तो वे भी खुश हुए) और उनको (तिजारत का) माल करार देकर (इस ख्याल से) छुपा लिया (कि कोई दावेदार न खड़ा हो जाये, तो फिर उसको मिस्र लेजाकर बड़ी कीमत पर फ़रोख्त करेंगे) और अल्लाह को उन सब की कारगुजारियाँ मालूम थीं। (इधर वे भाई भी आस-पास लगे रहते और कुएँ में यूसुफ की खबरगोरी करते, कुछ खाना भी पहुँचाते जिससे मक़सद यह था कि यह हलाक भी न हों और कोई आकर इन्हें किसी दूसरे मुल्क में ले जाये, और याकूब अलैहिस्सलाम को खबर न हो। उस दिन जब यूसुफ को कुएँ में न देखा और पास एक काफ़िला पड़ा देखा तो तलाश करते हुए वहाँ पहुँचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम का पता लग गया तो काफ़िले वालों से कहा कि यह हमारा गुलाम है भागकर आ गया था और अब हम इसको रखना नहीं चाहते) और (यह बात बनाकर) उनको बहुत ही कम कीमत पर (काफ़िले वालों के हाथ) बेच डाला, यानी गिनती के चन्द दिरहम के बदले में, और (वजह यह थी कि) ये लोग उनके कुछ क़द्रदान तो थे ही नहीं (कि उनको उम्दा माल समझकर बड़ी कीमत में बेचते, बल्कि इनका मक़सद तो उनको यहाँ से टालना था)।

मआरिफ व मसाईल

सूर: यूसुफ की उपर्युक्त आयतों में से पहली आयत में इस पर सचेत किया गया है कि इस सूरत में आने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को महज़ एक किस्सा न समझो बल्कि इसमें सवाल करने वालों और तहकीक़ करने वालों के लिये अल्लाह तआला की कामिल कुदरत की बड़ी निशानियाँ और हिदायतें हैं।

इससे मुराद यह भी हो सकता है कि जिन यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम की आजमाईश के लिये यह किस्सा आपसे पूछा था उनके लिये इसमें बड़ी निशानियाँ हैं। रिवायत यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का मुअज्जमा में तशरीफ़ रखते थे, और आपकी ख़बर मदीना तय्यिबा में पहुँची तो यहाँ के यहूदियों ने अपने चन्द्र आदमी इस काम के लिये मक्का भेजे कि वे जाकर आपकी आजमाईश करें, इसी लिये यह सवाल एक ग़ैर-वाजेह (अस्पष्ट) अन्दाज़ में इस तरह किया कि अगर आप खुदा के सच्चे नबी हैं तो यह बतलाईये कि वह कौनसा पैग़म्बर है जिसका एक बेटा मुल्के शाम से मिन्न लेजाया गया और बाप उसके ग़म में रोते-रोते नाबीना (अंधे) हो गये।

यह वाकिआ यहूदियों ने इसलिये चुना था कि न इसकी कोई आम शोहरत थी, न मक्का में कोई इस वाकिए से वाकिफ़ था, और उस वक़्त मक्का में अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) में से भी कोई न था जिससे तौरात या इन्जील के हवाले से इस किस्से का कोई हिस्सा मालूम हो सकता। उनके इस सवाल पर ही पूरी सूर: यूसुफ़ नाज़िल हुई जिसमें हज़रत याक़ूब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा बयान हुआ है, और इतनी तफ़्सील से बयान हुआ है कि तौरात व इन्जील में भी इतनी तफ़्सील नहीं। इसलिये इसका बयान करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खुला हुआ मोजिज़ा था।

और इस आयत के यह मायने भी हो सकते हैं कि यहूदियों के सवाल को भी छोड़ दें तो खुद यह वाकिआ ऐसी बातों पर आधारित है जिनमें अल्लाह तआला की कामिल कुदरत की बड़ी निशानियाँ और तहकीक़ करने वालों के लिये बड़ी हिदायत और अहकाम व मसाल्ल मौजूद हैं, कि जिस बच्चे को भाईयों ने तबाही के गड्ढे में डाल दिया था अल्लाह तआला की कुदरत ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और किस तरह उसकी हिफ़ाज़त की, और अपने ख़ास बन्दों को अपने अहकाम की पाबन्दी का किस क़द्र गहरा रंग अता फ़रमाया कि नौजवानी के ज़माने में ऐश व मस्ती में वक़्त गुज़ारने का बेहतरीन मौक़ा मिलता है मगर वह खुदा तआला के ख़ौफ़ से नफ़स की इच्छाओं पर कैसा क़ाबू पाते हैं कि साफ़ तौर पर उस बला से निकल जाते हैं, और यह कि जो शख्स नेकी और परहेज़गारी इख़्तियार करे अल्लाह तआला उसको अपने मुख़ालिफ़ों के मुक़ाबले में कैसे इज़्ज़त देते हैं और मुख़ालिफ़ों को उसके क़दमों में ला डालते हैं। ये सब इब्रतें व नसीहतें और अल्लाह की कुदरत की अज़ीम निशानियाँ हैं जो हर तहकीक़ करने वाले और ग़ौर करने वाले को मालूम हो सकती हैं। (तफ़्सीरे कुर्तुबी व मज़हरी)

इस आयत में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों का ज़िक्र है। उनका वाकिआ यह है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम समेत बारह लड़के थे। उनमें से हर लड़का औलाद वाला हुआ, सब के ख़ानदान फैले। चूँकि याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब (उपनाम) इस्राईल था, इसलिये ये सब बारह ख़ानदान बनी इस्राईल (इस्राईल की औलाद) कहलाये।

इन बारह लड़कों में दस बड़े लड़के हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी मोहतरमा हज़रत लय्या लय्यान की पुत्री के पेट से थे, उनके इन्तिकाल के बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम ने लय्या की बहन राहील से निकाह कर लिया, उनके पेट से दो लड़के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और

बिनयामीन पैदा हुए। इसलिये यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई सिर्फ बिनयामीन थे, बाकी दस भाई बाप-शरीक थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बालिदा रंहील का इन्तिकाल भी उनके बचपन ही में बिनयामीन की पैदाईश के साथ हो गया था। (तफसीरे कुर्तुबी)

दूसरी आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने अपने बालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को देखा कि वह यूसुफ अलैहिस्सलाम से ग़ैर-मामूली (बहुत ज़्यादा और असाधारण) मुहब्बत रखते हैं जो उनके बड़े भाईयों को हासिल नहीं, इसलिये उन पर हसद हुआ। और यह भी मुम्किन है कि किसी तरह उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख़्वाब (सपना) भी मालूम हो गया हो, जिससे उन्होंने यह महसूस किया हो कि इनकी बड़ी शान होने वाली है, इससे हसद (जलन) पैदा हुआ और आपस में गुफ्तगू की कि हम यह देखते हैं कि हमारे बालिद को हमारे मुक़ाबले में यूसुफ और उसके सगे भाई बिनयामीन से ज़्यादा मुहब्बत है, हालाँकि हम दस हैं और उनसे बड़े हैं, घर के काम-काज संभालने की ताक़त रखते हैं, और ये दोनों छोटे बच्चे हैं जो कुछ काम नहीं कर सकते। हमारे बालिद को इसका ख़्याल करना और हमसे ज़्यादा मुहब्बत करनी चाहिये थी, मगर उन्होंने खुली हुई बेइन्साफी कर रखी है, इसलिये या तो तुम यूसुफ को क़त्ल कर डालो या फिर किसी दूर ज़मीन में फेंक आओ जहाँ से वापस न आ सके।

इस आयत में उन भाईयों ने अपने बारे में लफ़ज़ 'उस्बतुन' इस्तेमाल किया है। यह लफ़ज़ अरबी भाषा में पाँच से लेकर दस तक की जमाअत के लिये बोला जाता है, और अपने बालिद के बारे में जो यह कहा कि:

إِنَّا بَنَانٌ لِّفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

इसमें लफ़ज़ 'जलाल' के लुगवी मायने गुमराही के हैं, मगर यहाँ गुमराही से मुराद दीनी गुमराही नहीं, बरना ऐसा ख़्याल करने से ये सब के सब काफ़िर हो जाते, क्योंकि याक़ूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के चुने हुए, खास पैग़म्बर और नबी हैं, उनकी शान में ऐसा ख़्याल कतई कुफ़्र है।

और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों के बारे में खुद कुरआने करीम में बयान हुआ है कि बाद में उन्होंने अपने जुर्म को स्वीकार करके बालिद से मग़फ़िरत व बख़्शिश की दुआ की दरख़्वास्त की, जिसको उनके बालिद ने कुबूल किया, जिससे जाहिर यह है कि उन सब की ख़ता माफ़ हुई। यह सब इसी सूरत में हो सकता है कि ये सब मुसलमान हों, वरना काफ़िर के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ जायज़ नहीं। इसी लिये उन्हें भाईयों के नबी बनने में तो उलेमा का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है मगर मुसलमान होने में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। इससे मालूम हुआ कि लफ़ज़ जलाल इस जगह सिर्फ़ इस मायने में बोला गया है कि भाईयों के हुक्क में बराबरी नहीं करते।

तीसरी आयत में यह बयान है कि उन भाईयों में नशिवरा हुआ, बाज़ ने यह राय दी कि यूसुफ को क़त्ल कर डालो, बाज़ ने कहा कि किसी ग़ैर-आबाद कुएँ की गहराई में डाल दो ताकि यह काँटा बीच से निकल जाये और तुम्हारे बाप की पूरी तवज्जोह तुम्हारी ही तरफ़ हो जाये।

रहा वह गुनाह जो उसके कत्ल या कुएँ में डालने से होगा तो बाद में लौटा करके तुम निकल सकते हो। आयत के जुमले:

وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝

के मायने यह भी बयान किये गये हैं, और यह मायने भी हो सकते हैं कि यूसुफ़ के कत्ल के बाद तुम्हारे हालात दुरुस्त हो जायेंगे, क्योंकि बाप की तबज्जोह का पर्कज (केन्द्र) खत्म हो जायेगा, या यह कि कत्ल के बाद बाप से उज़्र-माज़िरत (यानी अपनी ग़लती मानकर और माफी-तलाफी) करके तुम फिर वैसे ही हो जाओगे।

यह दलील है इस बात की कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ये भाई नबी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने इस वाकिए में बहुत से कबीरा (बड़े) गुनाहों का काम किया। एक बेगुनाह के कत्ल का इरादा, बाप की नाफरमानी, और तकलीफ़ पहुँचाना, मुआहदे का उल्लंघन, फिर साज़िश वगैरह। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से नुबुव्वत से पहले भी जमहूर (उलेमा व बुजुर्गों की अक्सरियत) के अकीदे के मुताबिक़ ऐसे गुनाह सर्ज़द नहीं हो सकते।

चौथी आयत में है कि उन्हीं भाईयों में से एक ने यह सारी गुफ्तगू सुनकर कहा कि यूसुफ़ को कत्ल न करो, अगर कुछ करना ही है तो कुएँ की गहराई में ऐसी जगह डाल दो जहाँ यह ज़िन्दा रहे और राह चलते मुसाफ़िर जब उस कुएँ पर आयें तो वे इसको उठाकर ले जायें। इस तरह तुम्हारा मक़सद भी पूरा हो जायेगा और इसको लेकर तुम्हें खुद किसी दूर मक़ाम पर जाना भी न पड़ेगा। कोई काफ़िला आयेगा वह खुद इसको अपने साथ किसी दूर-दराज़ के मक़ाम पर पहुँचा देगा।

यह राय देने वाला उनका सबसे बड़ा भाई यहूदा था। और कुछ रिवायतों में है कि रोबील सबसे बड़ा था, उसी ने यह राय दी, और यह वह शख्स है जिसका जिक्र आगे आता है कि जब मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिनयामीन को रोक लिया गया तो इसने कहा कि मैं जाकर बाप को क्या मुँह दिखाऊँगा, इसलिये मैं वापस किनआन नहीं जाता।

इस आयत में लफ़ज़ 'ग़याबतिल्-जुब्बि' फ़रमाया है। ग़याबा हर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ को छुपा ले और ग़ायब कर दे, इसी लिये कब्र को भी 'ग़याबा' कहा जाता है और जुब्ब ऐसे कुएँ को कहते हैं जिसकी पन बनी हुई न हो।

يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ

लफ़ज़ 'इत्तिफ़ात' लुफ़्ते से बना है, लुफ़ता उस गिरी-पड़ी चीज़ को कहते हैं जो किसी को बगैर तलब के मिल जाये। ग़ैर-जानदार चीज़ हो तो उसको लुफ़ता और जानदार को फुकहा की परिभाषा में लकीत कहा जाता है। इनसान को लकीत उसी वक़्त कहा जायेगा जबकि वह बच्चा हो, आकिल बालिग़ न हो। अल्लामा कुर्तुबी ने इसी लफ़ज़ से दलील पकड़ी है कि जिस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में डाला गया था उस वक़्त वह नाबालिग़ बच्चे थे, तथा याक़ूब अलैहिस्सलाम का यह फ़रमाना भी उनके बच्चा होने की तरफ़ इशारा है कि मुझे ख़ौफ़ है कि

इसको भेड़िया खा जाये, क्योंकि भेड़िये का खा जाना बच्चों ही के नामले में ज़ेहन में आता है। इब्ने जरीर, इब्नुल-मुन्ज़िर और इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है कि उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र सात साल थी। (तफ़सीरे मज़हरी)

इमाम कुर्तुबी ने इस जगह लुक़ता और लक़ीत के शरई अहकाम की तफ़सील बयान की है जिसकी यहाँ गुन्जाईश नहीं, अलबत्ता इसके बारे में एक उसूलों बात यह समझ लेनी चाहिये कि इस्लामी निज़ाम में आम लोगों के जान व माल की हिफ़ाज़त रास्तों और सड़कों की सफ़ाई वगैरह को सिर्फ़ हुकूमत के महकमों की ज़िम्मेदारी नहीं बनाया, बल्कि हर शख्स को इसका वाबन्द बनाया है। रास्तों और सड़कों में खड़े होकर या अपना कोई सामान डालकर चलने वालों के लिये तंगी पैदा करने पर हदीस में सख्त वईद (सज़ा की धमकी) आई है। फ़रमाया कि "जो शख्स मुसलमानों का रास्ता तंग कर दे उसका जिहाद मक़बूल नहीं।" इसी तरह अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचने का ख़तरा है जैसे काँटे या काँच के टुकड़े या पत्थर वगैरह, उनको रास्ते से हटाना सिर्फ़ म्यूनिसिपल बोर्ड की ज़िम्मेदारी नहीं बनाया बल्कि हर मुसलमान को इस तरफ़ तवज्जोह दिलाकर इसका ज़िम्मेदार बनाया है और ऐसा करने वालों के लिये बड़े अज़्र व सवाब का वायदा किया गया है।

इसी उसूल पर किसी शख्स का गुमशुदा माल किसी को मिल जाये तो उसकी शरई ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी ही नहीं कि उसको चुराये नहीं, बल्कि यह भी उसके ज़िम्मे है कि उसको हिफ़ाज़त से उठाकर रखे और ऐलान करके मालिक को तलाश करे, वह मिल जाये और निशानी वगैरह बयान करने से यह इत्मीनान हो जाये कि यह माल उसी का है तो उसको दे दे। और ऐलान व तलाश के बावजूद मालिक का पता न चले और माल की हैसियत के मुताबिक़ यह अन्दाज़ा हो जाये कि अब मालिक इसको तलाश नहीं करेगा उस वक़्त अगर खुद ग़रीब मुफ़लिस है तो अपने खर्च में ले ले, वरना मिस्कीनों पर सदका कर दे, और इन दोनों सूरतों में यह मालिक की तरफ़ से सदका क़रार दिया जायेगा, इसका सवाब उसको मिलेगा। गोया आसमानी बैतुल-माल में उसके नाम पर जमा कर दिया गया।

ये हैं उमूमी ख़िदमत (जन-कल्याण) और आपसी इमदाद के वो उसूल जिनकी ज़िम्मेदारी इस्लामी समाज के हर फ़र्द पर लागू की गई है। काश! मुसलमान अपने दीन को समझें और इस पर अमल करने लगे तो दुनिया की आँखें खुल जायें कि हुकूमत के बड़े-बड़े महकमे करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी जो काम अन्जाम नहीं दे सकते वह इस आसानी के साथ किस शान से पूरा हो जाता है।

पाँचवीं और छठी आयत में है कि उन भाईयों ने वालिद के सामने दरख्वास्त इन लफ़्ज़ों में पेश कर दी कि अब्बा जान! यह क्या बात है कि आपको यूसुफ़ के बारे में हम पर इत्मीनान नहीं, हालाँकि हम उसके पूरे ख़ैरख्वाह (भला चाहने वाले) और हमदर्द हैं। कल उसको आप हमारे साथ (सैर व तफ़रीह के लिये) भेज दीजिये कि वह भी आज़ादी के साथ खाये पिये और खेले, और हम सब उसकी पूरी हिफ़ाज़त करेंगे।

भाईयों की इस दरख्वास्त से मालूम होता है कि वे इससे पहले भी कर्मा एसी दरख्वास्त कर चुके थे जिसको वालिद साहिब ने कुबूल न किया था, इसलिये इस मर्तबा ज़रा ताकीद और ज्यादा कोशिश के साथ वालिद को इत्मीनान दिलाने की कोशिश की गई है।

इस आयत में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से सैर व तफ़रीह और आज़ादी से खाने पीने खेलने कूदने की इजाज़त माँगी गई है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनको इसकी कोई मनाही नहीं फ़रमाई, सिर्फ़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ भेजने में शंका और दुविधा का इज़हार किया, जो अगली आयत में आयेगा। इससे मालूम हुआ कि सैर व तफ़रीह, खेल-कूद जायज़ हदों के अन्दर जायज़ व दुरुस्त हैं। सही हदीसों से भी इसका जायज़ होना मालूम होता है, मगर यह शर्त है कि उस खेल-कूद में शर्ई हदों से बाहर न निकला जाये, और किसी नाजायज़ काम की उसमें मिलावट न हो। (तफ़सीरे कुर्तुबी वगैरह)

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने जब वालिद से यह दरख्वास्त की कि यूसुफ़ को कल हमारे साथ तफ़रीह के लिये भेज दीजिये, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि उसको भेजना दो वजह से पसन्द नहीं करता, अब्बल तो मुझे उस नूरे नज़र के बगैर चैन नहीं आता, दूसरे यह ख़तरा है कि जंगल में कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी लापरवाही के वक़्त उसको भेड़िया खा जाये।

याक़ूब अलैहिस्सलाम को भेड़िये का ख़तरा या तो इस वजह से हुआ कि किनआन में भेड़ियों की अधिकता थी, और या इस वजह से कि उन्होंने ख़्वाब में देखा था कि वह किसी पहाड़ी के ऊपर हैं और यूसुफ़ उसके दामन में नीचे हैं, अचानक दस भेड़ियों ने उनको घेर लिया और उन पर हमला करना चाहा मगर एक भेड़िये ही ने बचाव करके छुड़ा दिया। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़मीन के अन्दर छुप गये।

जिसकी ताबीर बाद में इस तरह ज़ाहिर हुई कि दस भेड़िये ये दस भाई थे और जिस भेड़िये ने बचाव करके उनको हलाकत से बचाया वह बड़ा भाई यहूदा था और ज़मीन में छुप जाना कुएँ की गहराई से ताबीर थी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत में नक़ल किया गया है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम को इस ख़्वाब की बिना पर खुद उन भाईयों से ख़तरा था, उन्हीं को भेड़िया कहा था मगर मस्तेहत के सबब पूरी बात ज़ाहिर नहीं फ़रमाई। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

भाईयों ने याक़ूब अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर कहा कि आपका यह ख़ौफ़ व ख़तरा अजीब है, हम दस आदमियों की मज़बूत जमाअत इसकी हिफ़ाज़त के लिये मौजूद है, अगर हम सब के होते हुए इसको भेड़िया खा जाये तो हमारा तो वजूद ही बेकार हो गया, और फिर हमसे किसी काम की क्या उम्मीद की जा सकती है।

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पैग़म्बराना शान से औलाद के सामने इस बात की नहीं खोला कि मुझे ख़तरा तो ख़ुद तुम ही से है, क्योंकि अब्बल तो इससे सारी औलाद का दिल दुखाना होता, दूसरे बाप के ऐसा कहने के बाद ख़तरा यह था कि भाईयों की दुश्मनी और बढ़

जायेंगे और इस वक़्त छोड़ भी दिया तो दूसरे किसी वक़्त किसी वहाँ से क़त्ल कर देंगे। इसलिये इजाज़त दे दी मगर भाईयों से मुक़म्मल अहद व पैमान लिया कि इसको कोई तकलीफ़ न पहुँचने देंगे और बड़े भाई रोबील व यहूदा को विशेष तौर पर सुपुर्द किया कि तुम इनकी भूख़ प्यास और दूसरी ज़रूरतों का पूरी तरह ध्यान रखना और जल्द वापस लाना। भाईयों ने वालिद के सामने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने मोंदों पर उठा लिया और बारी-बारी सब उठाते रहे, कुछ दूर तक हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम भी उनको रुख़सत करने के लिये बाहर गये।

अल्लामा कुर्तुबी ने तारीख़ी रिवायतों के हवाले से बयान किया है कि जब ये लोग हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की नज़रों से ओझल हो गये तो उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस भाई के कन्धे पर थे उसने उनको ज़मीन पर पटक दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैदल चलने लगे मगर कम उम्र थे उनके साथ दौड़ने से अज़िज़ हुए तो दूसरे भाई की पनाह ली, उसने भी कोई हमदर्दी न की तो तीसरे चौथे हर भाई से इमदाद को कहा मगर सबने यह जवाब दिया कि तूने जो ग्यारह सितारे और चाँद सूरज अपने आपको सज़्दा करते हुए देखे थे उनको पुकार, वही तेरी मदद करेंगे।

अल्लामा कुर्तुबी ने इसी वजह से फ़रमाया कि इससे मालूम हुआ कि भाईयों को किसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़्याब मालूम हो गया था, वह ख़्याब ही उनकी सख़्त नाराज़गी और आक्रोश का सबब बना।

आख़िर में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यहूदा से कहा कि आप बड़े हैं, आप मेरी कमज़ोरी और कम-उम्र और अपने बूढ़े वालिद के हाल पर रहम करें और उस अहद को याद करें जो जो वालिद से आपने किये हैं। आपने कितनी जल्दी उस अहद व पैमान को भुला दिया। यह सुनकर यहूदा की रहम आया और उनसे कहा कि जब तक मैं जिन्दा हूँ ये भाई तुझे कोई तकलीफ़ न पहुँचा सकेंगे।

यहूदा के दिल में अल्लाह तआला ने रहमत और सही अमल की तौफ़ीक़ डाल दी, तो यहूदा ने अपने दूसरे भाईयों को ख़िताब किया कि बेगुनाह का क़त्ल बहुत बड़ा जुर्म है, खुदा से डरो, और इस बच्चे को इसके वालिद के पास पहुँचा दो, अलबत्ता इससे यह अहद ले लो कि बाप से तुम्हारी कोई शिकायत न करे।

भाईयों ने जवाब दिया कि हम जानते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, तुम यह चाहते हो कि बाप के दिल में अपना मर्तबा सबसे ज़्यादा कर लो, इसलिये सुन लो कि अगर तुमने हमारे इरादे में बाधा डाली तो हम तुम्हें भी क़त्ल कर देंगे। यहूदा ने देखा कि नौ भाईयों के मुक़ाबले में तन्हा कुछ नहीं कर सकते तो कहा कि अच्छा अगर तुम यही तय कर चुके हो कि इस बच्चे को जाया करो तो मेरी बात सुनो, यहाँ करीब ही एक पुराना कुआँ है जिसमें बहुत से झाड़ निकल आये हैं, साँप, बिच्छू और तरह-तरह के तकलीफ़ देने वाले जानवर उसमें रहते हैं, तुम इसको उस कुएँ में डाल दो, अगर इसको किसी साँप वगैरह ने डसकर ख़त्म कर दिया तो तुम्हारी मुराद हासिल है और तुम अपने हाथ से इसका खून बहाने से बरी रहे, और अगर यह जिन्दा रहा तो कोई

काफ़िला शक़द यहाँ आवे और पाना के लिये कुएँ में डोल डाले और यह बिकल आवे तो वह इसको अपने साथ किसी दूसरे मुल्क में पहुँचा देगा, इस सूरत में भी तुम्हारा मक़सद हासिल हो जायेगा।

इस बात पर सब भाईयों का इत्तिफ़ाक़ हो गया जिसका बयान मज़क़ूर आयतों में से तीसरी आयत में इस तरह आया है:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

“यानी जब ये भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले गये और इस पर सब मुत्तफ़िक़ (सहमत) हो गये कि इसको कुएँ की गहराई में डाल दें तो अल्लाह तअ़ाला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वही के द्वारा इत्तिला दी कि एक दिन ऐसा आयेगा जब तुम अपने भाईयों को उनकी इस करतूत पर तंबीह करोगे और वे कुछ न जानते होंगे।”

यहाँ लफ़ज़ ‘व औहैना’ ‘फलम्मा ज़-हबू’ की जज़ा और जवाब है, हर्फ़ वाव इस जगह ज्यादा है। (कुर्तुबी) मतलब यह है कि भाईयों ने मिलकर कुएँ में डालने का इरादा कर ही लिया तो अल्लाह तअ़ाला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तसल्ली के लिये वही भेज दी जिसमें किसी आईन्दा ज़माने में भाईयों से मुलाक़ात की और इसकी खुशख़बरी दी गई है कि उस वक़्त आप इन भाईयों से बेनियाज़ और हाकिम होंगे, जिसकी वजह से इनके इस जुल्म व सितम पर पकड़ और पूछगछ करेंगे और ये इस सारे मामले में बेख़बर होंगे।

इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि इसकी दो सूरतें हो सकती हैं- एक यह कि यह वही उनको कुएँ में डालने के बाद तसल्ली और यहाँ से निजात की खुशख़बरी देने के लिये आई हो, दूसरे यह कि कुएँ में डालने से पहले ही अल्लाह तअ़ाला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पेश आने वाले हालात व वाक़िआत से वही के ज़रिये बाख़बर कर दिया हो, जिसमें यह भी बतला दिया कि आप इस तबाही से सलामत रहेंगे, और ऐसे हालात पेश आयेंगे कि आपको उन भाईयों पर फटकार लगाने और पूछगछ करने का मौक़ा मिलेगा जबकि वे आपको पहचानेंगे भी नहीं, कि उनके भाई यूसुफ़ हैं।

यह वही जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बचपन के ज़माने में नाज़िल हुई, तफ़सीरे मज़हरी में है कि यह वही नुबुव्वत की न थी क्योंकि वह चालीस साल की उम्र में अता होती है, बल्कि यह वही ऐसी ही थी जैसे पूसा अलैहिस्सलाम की बालिदा को वही के ज़रिये सूचित किया गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर नुबुव्वत की वही का सिलसिला मिस्र पहुँचने और जवान होने के बाद शुरू हुआ, जैसा कि इरशाद है:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

और इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम ने इसको विशेष रूप की और आप दस्तूर से हटकर नुबुव्वत की वही क़रार दिया है जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन ही में नुबुव्वत अता की गई। (तफ़सीरे मज़हरी)

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मिस्र पहुँचने के बाद अल्लाह तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिये इस बात से मना कर दिया था कि वह अपने हाल की ख़बर अपने घर भेजे। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

यही वजह थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे पैग़म्बरे खुदा ने जेल से रिहाई और मुल्के मिस्र की हुकूमत मिलने के बाद भी कोई ऐसी सूत नहीं निकाली जिसके ज़रिये बूढ़े वालिद को अपनी सलामती की ख़बर देकर मुल्मईन कर देते।

अल्लाह जल्ल शानुहू की हिक्मतों को कौन जान सकता है जो इस अन्दाज़ में छुपी थीं, शायद यह भी मन्ज़ूर हो कि याक़ूब अलैहिस्सलाम को ग़ैरुल्लाह के साथ इतनी मुहब्बत के नापसन्द होने पर आगाह किया जाये और यह कि भाईयों को ज़रूरतमन्द बनाकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने पेश करके उनके अमल की कुछ सज़ा तो उनको भी देना मक़सद हो।

इमामे कुर्तुबी वग़ैरह मुफ़सिरीन ने इस जगह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में डालने का वाकिआ यह बयान किया है कि जब उनको डालने लगे तो वह कुएँ की मन पर चिमट गये, भाईयों ने उनका कुर्ता निकालकर उससे हाथ बाँधे, उस वक़्त फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाईयों से रहम की दरख़्वास्त की, मगर वही जवाब मिला कि ग़्यारह सितारे जो तुझे सज़ा करते हैं उनको बुला, वही तेरी मदद करेंगे। फिर एक डोल में रखकर कुएँ में लटकाया, जब आधी दूरी तक पहुँचे तो उसकी रस्ती काट दी, अल्लाह तआला ने अपने यूसुफ़ की हिफ़ाज़त फ़रमाई, पानी में गिरने की वजह से कोई चोट न आई और करीब ही एक पत्थर की चट्टान निकली हुई नज़र आई, सही सालिम उस पर बैठ गये। कुछ ख़ियायतों में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, उन्होंने चट्टान पर बैठा दिया।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तीन दिन उस कुएँ में रहे, उनका भाई यहूदा दूसरे भाईयों से छुपकर रोज़ाना उनके लिये खाना पानी लाता और डोल के ज़रिये उन तक पहुँचा देता था।

وَجَاءَ وَآبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝

यानी इशा के वक़्त ये भाई रोते हुए अपने बाप के पास पहुँचे। हजरत याक़ूब अलैहिस्सलाम इनके रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आये, पूछा क्या हादसा है? क्या तुम्हारी बकरियों के गल्ले पर किसी ने हमला किया है? और यूसुफ़ कहाँ है? तो भाईयों ने कहा:

يٰۤاَبَانَا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسِيۡقًا وَتَرَكْنَا يُوۡسُفَ عِنۡدَ مَاعِنَا فَاَكَلَهُ الدَّيۡبُ وَمَا نَتَّبِعُ بِمُؤۡمِنِيۡنَا وَاَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيۡنَ ۝

“यानी हमने आपस में दौड़ लगाई और यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ दिया, इस बीच में यूसुफ़ की भेड़िया खा गया और हम कितने ही सच्चे हों आपको हमारा यकीन तो आयेगा नहीं।”

अल्लामा इब्ने अरबी ने ‘अहक़ामुल-कुरआन’ में फ़रमाया कि आपसी मुसाबक़त (दौड़) शरीअत में जायज़ और अच्छी ख़स्तत है जो जंग व जिहाद में काम आती है। इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खुद अपने आप भी दौड़ लगाना सही हदीसों में साबित है

और घोड़ों को मुसाबकत कराना (यानी घुड़दौड़) भी साबित है। सहाबा किराम में से सलमा बिन अय्या रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स के साथ दौड़ में मुसाबकत की तो सलमा ग़ालिब आ गये।

उक्त आयत और इन रिवायतों से असल घुड़दौड़ का जायज़ होना साबित है और घुड़दौड़ के अलावा दौड़ें, तीर-अन्दाज़ी के निशाने वगैरह में भी आपसी मुकाबला और मैच जायज़ है। और इस मुसाबकत (मुकाबले और मैच) में ग़ालिब आने वाले फ़रीक को किंसी तीसरे की तरफ़ से इनाम दे देना भी जायज़ है, लेकिन आपस में हार-जीत की कोई रकम शर्त के तौर पर मुकर्र करना जुआ और किमार है, जिसको क़ुरआन करीम ने हराम करार दिया है। आजकल जितनी सूरतें घुड़दौड़ की राईज (प्रचलित) हैं वे कोई भी जुए और किमार से ख़ाली नहीं, इसलिये सब हराम व नाजायज़ हैं।

पिछली आयतों में ज़िक्र हुआ था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने आपस की बातचीत और योजना बन्दी के बाद आख़िरकार उनको एक ग़ैर-आबाद कुएँ में डाल दिया और वालिद को आकर यह बताया कि उनको भेड़िया खा गया है। उपर्युक्त आयतों में अगला किस्सा इस तरह ज़िक्र किया गया है।

وَجَاءَ وَعَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ.

यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठा खून लगाकर लाये थे ताकि वालिद को भेड़िये के खाने का यकीन दिलायें।

मगर अल्लाह तआला ने उनका झूठ जाहिर करने के लिये उनको इससे ग़ाफ़िल कर दिया कि कुर्ते पर खून लगाने के साथ उसको फाड़ भी देते जिससे भेड़िये का खाना साबित होता, उन्होंने सही सालिम कुर्ते पर बकरी के बच्चे का खून लगाकर बाप को धोखे में डालना चाहा। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता सही सालिम देखकर फ़रमाया मेरे बेटो! यह भेड़िया कैसा बुद्धिमान और अक्लमन्द था कि यूसुफ़ को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से नहीं फटा।

इसी तरह हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम पर उनके फ़रेब का राज़ खुल गया और फ़रमाया:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝

“यानी यूसुफ़ को भेड़िये ने नहीं खाया, बल्कि तुम्हारे ही नफ़सों ने एक बात बनाई है, अब मेरे लिये बेहतर यही है कि सब करूँ और जो कुछ तुम कहते हो उस पर अल्लाह से मदद माँगूँ।”

मसला: याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता सही सालिम होने से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों के झूठ पर दलील पकड़ी है, इससे मालूम हुआ कि काज़ी या हाकिम को दोनों पक्षों के दावों और दलीलों के साथ हालात और इशारात पर भी नज़र करनी चाहिये। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

मारवदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता भी तारीख़ के अजायबात में से है, तीन अज़ीमुश्शान वाकिआत इसी कुर्ते से जुड़े हैं।

पहला वाकिआ खून से भरकर वालिद को धोखा देने और कुर्ते की गवाही और सुबूत से

झूठा साबित होने का है।

दूसरा वाक़िआ जुलैखा का कि उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ही सबूत में पेश हुआ है।

तीसरा वाक़िआ याक़ूब अलैहिस्सलाम की बीनाई (आँखों की रोशनी) वापस आने का, इसमें भी उनका कुर्ता ही चमत्कारी साबित हुआ है।

मसला: कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि याक़ूब अलैहिस्सलाम ने जो बात अपने बेटों से उस वक़्त कही थी कि:

بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا

यानी तुम्हारे नफ़्सों ने एक बात बनाई है। यही बात उस वक़्त भी कही जब मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई बिनयामीन एक चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ लिये गये और उनके भाईयों ने याक़ूब अलैहिस्सलाम को इसकी ख़बर की तो फ़रमाया:

سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ

यहाँ ग़ौर करने का मक़ाम है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ये दोनों बातें अपनी राय से कही थीं, इनमें से पहली बात सही निकली दूसरी सही नहीं थी, क्योंकि इसमें भाईयों का कसूर न था। इससे मालूम हुआ कि राय की ग़लती पैग़म्बरों से भी शुरू में हो सकती है अगरचे बाद में उनको अल्लाह की वही के द्वारा उस ग़लती पर कायम नहीं रहने दिया जाता।

और तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि इससे साबित हुआ कि राय की ग़लती बड़े-बड़ों से हो सकती है, इसलिये हर राय देने वाले को चाहिये कि अपनी राय को आखिरी न समझे, उसमें भी ग़लती होने की संभावना को माने, उस पर ऐसा इतरार न करे कि दूसरों की बात सुनने मानने को तैयार न हो।

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ

सय्यारा के मायने हैं काफ़िला। वारिद से मुराद वे लोग हैं जो काफ़िले से आगे रहते हैं काफ़िले की ज़रूरतें पानी वगैरह मुहैया करना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। 'अदला' के मायने कुएँ में डोल डालने के हैं। मतलब यह है कि इत्तिफ़ाक़ से एक काफ़िला उस सरज़मीन पर आ निकला। तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि यह काफ़िला मुल्के शाम से मिस्र जा रहा था, रास्ता भूलकर उस ग़ैर-आबाद जंगल में पहुँच गया, और पानी लाने वालों को कुएँ पर भेजा।

लोगों की नज़र में यह इत्तिफ़ाकी वाक़िआ था कि मुल्क शाम का काफ़िला रास्ता भूलकर यहाँ पहुँचा और इस ग़ैर-आबाद कुएँ से साबका पड़ा, लेकिन कायनात के राज़ों का जानने वाला जान सकता है कि ये सब वाक़िआत आपस में जुड़े हुए और एक स्थिर निज़ाम की मिली हुई कड़ियाँ हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पैदा करने वाला और उसकी हिफ़ाज़त करने वाला ही काफ़िले को रास्ते से हटाकर यहाँ लाता है, और उसके आदमियों को इस ग़ैर-आबाद कुएँ पर भेजता है। यही हाल है उन तमाम हालात व वाक़िआत का जिनको आप इनसान इत्तिफ़ाकी

नटनायें समझते हैं, और फल्लसफ़े वाले उनको तक्दीर व इत्तिफ़ाक़ कहा करते हैं, जो दर हकीकत कायनात के निज़ाम से नावाक़िफ़ियत पर आधारित होता है, वरना मालिके कायनात के इस निज़ाम में कोई मुक़द्दर व इत्तिफ़ाक़ नहीं, हक़ सुब्हानहू व तआला जिसकी शान 'फ़ज़्ज़ालुल्लिमा युरीद' (यानी जो चाहे करे) है, अपनी छुपी हिक्मतों के तहत ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि जाहिरी वाकिआत और घटनाओं से उनका जोड़ समझ में नहीं आता, तो इनसान उनको इत्तिफ़ाकी घटनायें करार देता है।

बहरहाल उनका आदमी जिसका नाम मालिक बिन दुअ़बर बतलाया जाता है उस कुएँ पर पहुँचा, डोल डाला, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कुदरत की इमदाद का नज़ारा किया, उस डोल की रस्सी पकड़ ली, पानी के बजाय डोल के साथ एक ऐसी हस्ती का वेहरा सामने आ गया जिसकी आईन्दा होने वाली बड़ी शान से भी नज़र हटा ली जाये तो मौजूदा हालत में भी अपने हुस्न व जमाल (बेमिसाल खूबसूरती) और मानवी कमालात के चमकते निशानात उनकी बड़ाई और श्रेष्ठता के लिये कुछ कम न थे। एक अजीब अन्दाज़ से कुएँ की गहराई से बरामद होने वाले, इस कम-उम्र हसीन और होनहार बच्चे को देखकर पुकार उठा:

بُشْرَىٰ هَذَا غَلَامٌ

अरे बड़ी खुशी की बात है, यह तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया है। सही मुस्लिम में मेराज की रात वाली हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिला तो देखा कि अल्लाह तआला ने पूरे आलम के हुस्न व जमाल (सुन्दरता) में से आधा उनको अता फ़रमाया है, और बाकी आधा सारे जहान में बंटा हुआ है।

وَأَسْرُوءُ بِيضَاعَةٍ

यानी छुपा लिया उसको तिजारत का एक माल समझकर। मतलब यह है कि शुरू में तो मालिक बिन दुअ़बर यह लड़का देखकर ताज्जुब से पुकार उठा मगर फिर मामले पर गौर करके यह तय किया कि इसका चर्चा न किया जाये, इसको छुपाकर रखे ताकि इसको फ़रोख्त करके रक़म वसूल करे। अगर पूरे काफ़िले में इसका चर्चा हो गया तो सारा काफ़िला इसमें शरीक हो जायेगा।

और यह मायने भी हो सकते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने असल हकीकत को छुपाकर उनको एक माले तिजारत बना लिया जैसा कि कुछ रिवायतों में है कि यहूद रोज़ाना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में खाना पहुँचाने के लिये जाते थे, तीसरे दिन जब उनको कुएँ में न पाया तो वापस आकर भाईयों से वाकिआ बयान किया, ये सब भाई जमा होकर वहाँ पहुँचे, तहकीक करने पर काफ़िले वालों के पास यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बरामद हुए तो उनसे कहा कि यह लड़का हमारा गुलाम है, भागकर वहाँ आ गया है, तुमने बहुत बुरा किया कि इसको अपने कब्ज़े में रखा। मालिक बिन दुअ़बर और उनके साथी सहम गये कि हम चोर समझे जायेंगे इसलिये भाईयों से उनके ख़रीदने की बातचीत होने लगी।

तो आयत के मायने यह हुए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने खुद को यूसुफ को एक माले तिजारात बना लिया और फरोख्त कर दिया।

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

यानी अल्लाह तआला को उनकी सब कारगुजारियाँ मालूम थीं।

मतलब यह है कि अल्लाह तआला शानुहू को सब मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई क्या करेंगे, और उनसे खरीदने वाला काफिला क्या करेगा, और वह इस पर पूरी कुदरत रखते थे कि उन सब के मन्सूबों को खाक में मिला दें, लेकिन तक्दीरी हिक्मतों के मातहत अल्लाह तआला ने इन मन्सूबों को चलने दिया।

इमाम इब्ने कसीर ने फरमाया कि इस जुमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये भी यह हिदायत है कि आपकी कौम जो कुछ आपके साथ कर रही है या करेगी वह सब हमारे इल्म व कुदरत से बाहर नहीं, अगर हम चाहें तो एक आन में सब को बदल डालें, लेकिन हिक्मत का तकाज़ा यही है कि इन लोगों को इस वक़्त अपनी ताक़त आजमाने दिया जाये और परिणामस्वरूप आपको इन पर ग़ालिब करके हक़ को ग़ालिब किया जायेगा जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया गया।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

लफ़्ज़ शिरा अरबी भाषा में खरीदने और फरोख्त करने दोनों के लिये इस्तेमाल होता है, यहाँ भी दोनों मायने की गुंजाईश व संभावना है, ज़मीर (सर्वनाम) अगर यूसुफ के भाइयों की तरफ लौटाई जाये तो फरोख्त करने के मायने होंगे और काफिले वालों की तरफ लौटाई जाये तो खरीदने के मायने होंगे। मतलब यह है कि बेच डाला यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने या खरीद लिया काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत थोड़ी-सी कीमत यानी गिनती के चन्द दिरहमों के बदले में।

इमाम कुर्तुबी ने फरमाया कि अरब के व्यापारियों की आदत यह थी कि बड़ी रक़मों के मामलात वज़न से किया करते थे, और छोटी रक़मों जो चालीस से ज्यादा न हों उनके मामलात गिनती से किया करते थे, इसलिये दराहिम के साथ मअ़दूदा के लफ़्ज़ ने यह बतला दिया कि दिरहमों की मात्रा चालीस से कम थी। इब्ने कसीर ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से लिखा है कि बीस दिरहम के बदले में सौदा हुआ और दस भाइयों ने दो-दो दिरहम आपस में बाँट लिये; दिरहमों की तादाद में बाईस और चालीस दिरहम की भी अलग-अलग रिवायतें नक़ल की गयी हैं। (इब्ने कसीर)

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

ज़ाहिदीन, ज़ाहिद की जमा (बहुवचन) है, जो जुहद से निकला है, जुहद के लफ़्ज़ी मायने बेरग़बती (रुचि न लेने) और बेतवज्जोही के आते हैं। मुहावरों में दुनिया की माल व दौलत से बेरग़बती और मुँह-फेर लेने को कहा जाता है। आयत के मायने यह हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम

के भाई इस मामले में दर असल माल के इच्छुक न थे, उनका असल मकसद तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा करना था इसलिये थोड़े से दिरहमों में मामला कर लिया।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ

لَا مَرَاتِهِ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَمَّا بَلَغَ
أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢١﴾ وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ
الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢﴾

व कालल्लज़िशतराहु मिम्-मिस्-र
लिमूर-अतिही अकिस्मी मस्वाहु असा
अंय्यन्फ-अना औ नत्तख़ि-जहू
व-लदन्, व कज़ालि-क मक्कन्ना
लियूसु-फ़ फिल्अज़ि व लिनुअल्लि-महू
मिन् तअवीलिल्-अहादीसि, वल्लाहु
ग़ालिबुन् अला अमिही व लाकिन्-न
अक्सरन्नासि ला यअलमून (21) व
लम्मा ब-ल-ग़ अशुद्-दहू आतैराहु
हुक्मं-व अिल्मन्, व काज़ालि-क
नज़्ज़िल्-मुहिसनीन (22) व
रा-वदतूहुल्लती हु-व फ़ी बैतिहा अन्
नफ़िसही व ग़ल्ल-कतिल्-अब्बा-ब व
कालत् है-त ल-क, का-ल मअज़ल्लाहि
इन्नहू रब्बी अह्स-न मस्वा-य, इन्नहू
ला युफ़िलहुज़्-ज़ालिमून (23)

और कहा जिस शख्स ने ख़रीदा उसको
मिस्र से, अपनी औरत को- आबरू से
रख़ इसको शायद हमारे काम आये या
हम कर लें इसको बेटा, और इसी तरह
जगह दी हमने यूसुफ़ को उस मुल्क में,
और इस वास्ते कि उसको सिखायें कुछ
ठिकाने पर बिठाना बातों का और अल्लाह
ज़ोरावर रहता है अपने काम में, व लेकिन
अक्सर लोग नहीं जानते। (21) और जब
पहुँच गया अपनी कुव्वत को दिया हमने
उसको हुक्म और इल्म और ऐसा ही
बदला देते हैं हम नेकी वालों को। (22)
और फुसलाया उसको उस औरत ने
जिसके घर में था अपना जी थामने से,
और बन्द कर दिये दरवाज़े और बोली
जल्दी कर। कहा खुदा की पनाह! वह
अज़ीज़ मालिक है मेरा, अच्छी तरह रखा
है मुझको, बेशक भलाई नहीं पाते जो
लोग बेइन्साफ़ हों। (23)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(काफ़िले वाले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाईयों से ख़रीदकर मिस्र ले गये। वहाँ अज़ीज़े मिस्र के हाथ फ़रोख्त कर दिया) और जिस शख्स ने मिस्र में उनको ख़रीदा था (यानी अज़ीज़) उसने (उनको अपने घर लाकर अपनी बीवी के सुपर्द किया और) अपनी बीवी से कहा कि इसको खातिर से रखना, क्या अज़ब है कि (बड़ा होकर) हमारे काम आये, या हम इसको बेटा बना लें (मशहूर यह है कि यह इसलिये कहा कि उनके औलाद न थी), और हमने (जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी ख़ास इनायत से उस अंधेरे से निजात दी) उसी तरह यूसुफ़ को उस (मिस्र की) सरज़मीन में ख़ूब ताक़त दी (मुराद इससे सल्लनत है), और (यह निजात देना इस गर्ज़ से भी था) ताकि हम उनको ख़ाबों की ताबीर देना बतला दें (मतलब यह था कि निजात देने का मक़सद उनको ज़ाहिरी और बातिनी दौलत से मालामाल करना था) और अल्लाह तआला अपने (चाहे हुए) काम पर ग़ालिब (और क़ादिर) है (जो चाहे कर दे), लेकिन अक्सर आदमी जानते नहीं (क्योंकि ईमान व यकीन वाले कम ही होते हैं। यह मज़मून किस्से के बीच में एक ग़ैर-संबन्धित बात के तौर पर इसलिये लाया गया है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मौजूदा हालत यानी गुलाम बनकर रहना ज़ाहिर में कोई अच्छी हालत न थी मगर हक़ तआला ने फ़रमाया कि यह हालत चन्द दिन की वास्ते और माध्यम के तौर पर है, असल मक़सद उनको ऊँचा मक़ाम अता फ़रमाना है और इसका माध्यम अज़ीज़े मिस्र को और उसके घर में परवरिश पाने को बनाया गया, क्योंकि अमीरों के घर में परवरिश पाने से सलीका और तजुर्बा बढ़ता है हुकूमत के मामलात की जानकारी होती है, इसी का बाकी हिस्सा आगे यह है) और जब वह अपनी जवानी (यानी बालिग़ होने की उम्र या भरपूर जवानी) को पहुँचे हमने उनको हिक्मत और इल्म अता किया (इससे मुराद नुबुव्वत के इल्म का अता करना है, और कुएँ में डालने के वक़्त जो उनकी तरफ़ वही भेजने का ज़िक्र पहले आ चुका है वह नुबुव्वत की वही नहीं थी बल्कि ऐसी वही थी जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही भेजी गई थी) और हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं (जो किस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाने का आगे बयान होगा उससे पहले इन जुमलों में बतला दिया गया है कि वह सरासर तोहमत और झूठ होगा, क्योंकि जिसको अल्लाह तआला की तरफ़ से इल्म व हिक्मत अता हो उससे ऐसे काम सादिर हो ही नहीं सकते। आगे उस तोहमत के किस्से का बयान है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़े मिस्र के घर में आराम व राहत के साथ रहने लगे) और (इसी बीच में यह आजमाईश पेश आई कि) जिस औरत के घर में यूसुफ़ रहते थे वह (उन पर आशिक़ हो गई और) उनसे अपना मतलब हासिल करने के लिये उनको फुसलाने लगी और (घर के) सारे दरवाज़े बन्द कर दिये और (उनसे) कहने लगी आ जाओ तुम ही से कहती हूँ। यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने कहा (कि अब्बल तो यह खुद बड़ा भारी गुनाह है) अल्लाह बचाये, (दूसरे) वह (यानी तेरा शौहर) मेरा मुरब्बी (और मोहसिन) है कि मुझको कैसी अच्छी तरह रखा (तो क्या मैं उसकी इज़्ज़त में ख़लल डालने का

काम करूँ) ऐसे हक़ को भूलने वालों को फ़लाह नहीं हुआ करती (बल्कि अक्सर तो इसी दुनिया ही में ज़लील और परेशान होते हैं वरना आख़िरत में तो अज़ाब यकीनी है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का शुरू का किस्सा बयान हो चुका है कि काफ़िले वालों ने जब उनको कुएँ से निकाल लिया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने उनको भागा हुआ गुलाम बताकर थोड़े से दिरहमों में उनका सौदा कर लिया, अब्बल तो इसलिये कि इस बुजुर्ग हस्ती की कद्र मालूम न थी, दूसरे इसलिये कि उनका असल मकसद उनसे पैसा कमाना नहीं बल्कि बाप से दूर कर देना था इसलिये सिर्फ़ फ़रोख्त कर देने पर बस नहीं किया क्योंकि यह ख़तरा था कि कहीं काफ़िले वाले इनको यहीं न छोड़ जायें और यह फिर किसी तरह वालिद के पास पहुँचकर हमारी साज़िश का राज़ खोल दें। इसलिये इमामे तफ़्सीर मुजाहिद रह. की रिवायत के मुताबिक़ ये लोग इस इन्तिज़ार में रहे कि यह काफ़िला इनको लेकर मिस्र के लिये रवाना हो जाये और जब काफ़िला रवाना हुआ तो कुछ दूर तक काफ़िले के साथ चले और उन लोगों से कहा देखो इसको भाग जाने की आदत है, खुला न छोड़ो, बल्कि बाँधकर रखो। इस कीमती हीरे की कद्र व कीमत से नावाक़िफ़ काफ़िले वाले इनको इसी तरह मिस्र तक ले गये।

(तफ़्सीर इब्ने कसीर)

उक्त आयतों में इसके बाद का किस्सा इस तरह बयान हुआ है और कुरआन के मुख़्तसर बयान के साथ किस्से के जितने भाग खुद-ब-खुद समझ में आ सकते हैं उनको बयान करने की ज़रूरत नहीं समझी, जैसे काफ़िले का मुख़्तलिफ़ मन्ज़िलों से गुज़रकर मिस्र तक पहुँचना और वहाँ जाकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेचना वगैरह, सब को छोड़कर यहाँ से बयान होता है।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْرَهُ.

“यानी कहा उस शख्स ने जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र में ख़रीदा, अपनी बीवी से कि यूसुफ़ के ठहराने का अच्छा इन्तिज़ाम करो।”

मतलब यह है कि काफ़िले वालों ने उनको मिस्र लेजाकर फ़रोख्त करने का ऐलान किया तो तफ़्सीर-ए-कुर्तुबी में है कि लोगों ने बढ़-बढ़कर कीमतें लगाना शुरू किया, यहाँ तक कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और उसी के बराबर मुश्क और उसी वज़न के रेशमी कपड़े कीमत लग गई।

यह दौलत अल्लाह तआला ने अजीज़े मिस्र के लिये मुक़दर की थी उसने ये सब चीज़ें कीमत में अदा करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया।

जैसा कि कुरआनी इरशाद से पहले मालूम हो चुका है कि यह सब कुछ कोई इत्तिफ़ाकी वाक़िआ नहीं बल्कि रब्बुल-इज़्ज़त की बनाई हुई स्थिर तदबीर के हिस्से हैं। मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख़रीदारी के लिये उस मुल्क के सबसे बड़े इज़्ज़त वाले शख्स को मुक़दर फ़रमाया। इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि यह शख्स जिसने मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा

मुल्के मिस्र का वित्त-मंत्री था, जिसका नाम कतफ़ीर या अतफ़ीर बतलाया जाता है, और मिस्र का बादशाह उस ज़माने में अमालिका कौम का एक शख्स रय्यान बिन उसैद था (जो बाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम लाया और मुसलमान होकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िन्दगी में इन्तिकाल कर गया। (तफ्सीरे मज़हरी)

और अज़ीजे मिस्र जिसने खरीदा था उसकी बीवी का नाम राईल या जुलैखा बतलाया गया है। अज़ीजे मिस्र कतफ़ीर ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी बीवी को यह हिदायत दी कि इनको अच्छा ठिकाना दे, आम गुलामों की तरह न रखे, इनकी ज़रूरतों का अच्छा इन्तिज़ाम करे।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि दुनिया में तीन आदमी बड़े अक्लमन्द और क़ियाफ़ा-शनास साबित हुए- अब्बल अज़ीजे मिस्र जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कमालात को अपने क़ियाफ़े से मालूम करके बीवी को यह हिदायत दी, दूसरे शुएब अलैहिस्सलाम की वह बेटी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपने वालिद से कहा:

يَا بْتَ اسْتَاَجِرُهُ اِنْ خَيْرٍ مِّنْ اسْتَاَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْاَمِيْنَ ۝

“यानी अब्बा जान! इनको नौकर रख लीजिये, इसलिये कि बेहतरीन नौकर वह शख्स है जो ताक़तवर भी हो और अमानतदार भी।” तीसरे हज़रत सिद्दीके अकबर हैं जिन्होंने अपने बाद फ़ारूके आजम को ख़िलाफ़त के लिये चयनित फ़रमाया। (इब्ने कसीर)

وَكَذٰلِكَ مَكَّالِوَسْفٌ فِى الْاَرْضِ

“यानी इस तरह हुकूमत दे दी हमने यूसुफ़ को ज़मीन की।” इसमें आईन्दा आने वाले वाकिए की खुशख़बरी यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो अज़ीजे मिस्र के घर में इस वक़्त एक गुलाम की हैसियत से दाख़िल हुए हैं बहुत जल्दी यह मुल्के मिस्र के सबसे बड़े आदमी होंगे और हुकूमत की बाग़डोर इनको मिलेगा।

وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

यहाँ शुरू में हर्फ़ वाव को अगर अत्फ़ (जोड़) के लिये माना जाये तो एक जुमला इस मायने का यहाँ पोशीदा माना जायेगा कि हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन की हुकूमत इसलिये दी कि वह दुनिया में अदल व इन्साफ़ के ज़रिये अमन व अमान कायम करें, और मुल्क में रहने वालों की राहत का इन्तिज़ाम करें, और इसलिये कि हम उनको बातों का ठिकाने लगाना सिखा दें। बातों का ठिकाने लगाना एक ऐसा आम मफ़हूम है जिसमें अल्लाह की वही का संमझना, उसको काम में लाना और उस पर अमल करना भी दाख़िल है और तमाम ज़रूरी उलूम का हासिल होना भी और ख़्वाबों की सही ताबीर भी।

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ

यानी अल्लाह तआला ग़ालिब और क़ादिर है अपने काम पर, जो उसका इरादा होता है तमाम आलम के ज़ाहिरी असबाब उसके मुताबिक़ होते चले जाते हैं, जैसा कि हदीस में

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जब अल्लाह तआला किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो दुनिया के सारे असबाब उसके लिये तैयार कर देते हैं:

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ॥

लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं समझते और जाहिरी असबाब ही को सब कुछ समझकर उन्हीं की फिक्र में लगे रहते हैं, असबाब के पैदा करने वाले और कादिरे मुतलक (यानी अल्लाह तआला) की तरफ ध्यान नहीं देते।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ॥

“यानी जब पहुँच गये यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कुव्वत और जवानी पर तो दे दी हमने उनको हिक्मत और इल्म।”

यह कुव्वत और जवानी किस उम्र में हासिल हुई इसमें मुफ़सिरीन के विभिन्न अक़वाल हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम मुजाहिद और इमाम क़तादा ने फ़रमाया कि तैंतीस साल उम्र थी। इमाम ज़ह्राक रह. ने बीस साल और हसन बसरी रह. ने चालीस साल बतलाई है। इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि हिक्मत और इल्म अता करने से मुराद इस जगह नुबुव्वत का अता करना है। इससे यह भी मालूम हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुबुव्वत मिस्र पहुँचने के भी काफ़ी अरसे के बाद मिली है, और कुएँ की गहराई में जो वही (अल्लाह की तरफ़ से पैग़ाम) उनको भेजी गई वह नुबुव्वत की वही न थी, बल्कि लुग़वी वही थी जो अम्बिया के अलावा को भी भेजी जा सकती है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और हज़रत मरियम अलैहस्सलाम के बारे में बयान हुआ है।

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ॥

“और हम इसी तरह बदला दिया करते हैं नेक काम करने वालों को।” मतलब यह है कि हलाकत से निजात दिलाकर हुकूमत व इज़्ज़त तक पहुँचाना यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेक-चलनी, खुदा से डरना और नेक आमाल का नतीजा था, यह उनके साथ मख़सूस नहीं जो भी ऐसे अमल करेगा हमारे इनामात इसी तरह पायेगा।

وَرَأَوْنَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ॥

“यानी जिस औरत के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे वह उन पर आशिक़ हो गई और उनसे अपना मतलब हासिल करने के लिये उनको फुसलाने लगी, और घर के सारे दरवाज़े बन्द कर दिये और उनसे कहने लगी कि जल्द आ जाओ तुम्हीं से कहती हूँ।”

पहली आयत में मालूम हो चुका है कि यह औरत अज़ीज़े मिस्र की बीवी थी मगर इस जगह कुरआने करीम ने अज़ीज़ की बीवी का मुख़्तसर लफ़्ज़ छोड़कर ‘अल्लती हु-व फ़ी बैतिहा’ के अलफ़ाज़ इख़्तियार किये। इसमें इशारा इसकी तरफ़ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुनाह से बचने की मुश्किलों में इस बात ने और भी इजाफ़ा कर दिया था कि वह उसी औरत के घर में उसी की पनाह में रहते थे, उसके कहने को नज़र-अन्दाज़ करना आसान न था।

गुनाह से बचने का मजबूत ज़रिया खुद अल्लाह से पनाह माँगना है

और इसका ज़ाहिरी सबब यह हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने आपको सब तरफ़ से घिरा हुआ पाया तो पैग़म्बराना अन्दाज़ पर सबसे पहले खुदा की पनाह माँगी 'क़ाल मआज़ल्लाहि'। महज़ अपने अज़्म व इरादों पर भरोसा नहीं किया, और यह ज़ाहिर है कि जिसको खुदा की पनाह मिल जाये उसको कौन सही रस्ते से हटा सकता है। इसके बाद पैग़म्बराना हिक्मत व नसीहत के साथ खुद जुलैखा को नसीहत करना शुरू किया कि वह भी खुदा से डरे और अपने इरादे से बाज़ आ जाये। फ़रमाया:

إِنَّ رَبِّيَ أَحْسَنُ مَعْرَافِي، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

“वह मेरा पालने वाला है, उसने मुझे आराम की जगह दी, ख़ूब समझ लो कि जुल्म करने वालों को फ़लाह नहीं होती।”

बज़ाहिर मुराद यह है कि तेरे शौहर अज़ीज़े मिस्र ने मेरी परवरिश की और मुझे अच्छा ठिकाना दिया, मेरा मोहसिन है, मैं उसकी बीवी पर हाथ डालूँ? बड़ा जुल्म है और जुल्म करने वाले कभी फ़लाह नहीं पाते। इसके ज़िम्न में खुद जुलैखा को भी यह सबक दे दिया कि जब मैं उसकी चन्द दिन की परवरिश का इतना हक़ पहचानता हूँ तो तुझे मुझसे ज़्यादा पहचानना चाहिये।

इस जगह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़े मिस्र को अपना रब (पालने वाला) फ़रमाया, हालाँकि यह लफ़ज़ अल्लाह तआला के सिवा किसी दूसरे के लिये इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। वजह यह है कि ऐसे अलफ़ाज़ से शिर्क का वहम और मुशिरकों के साथ मुशाबहत पैदा करने का ज़रिया होते हैं, इसलिये शरीअते मुहम्मदिया में ऐसे अलफ़ाज़ इस्तेमाल करना भी वर्जित कर दिया गया। सही मुस्लिम की हदीस में है कि “कोई गुलाम अपने आका को अपना रब न कहे और कोई आका अपने गुलाम को अपना बन्दा न कहे।” मगर यह ख़ुसूसियत शरीअते मुहम्मदिया की है जिसमें शिर्क की मनाही के साथ ऐसी चीज़ों की भी मनाही कर दी गई है जिनमें शिर्क का सबब बनने का एहतिमाल (शुक्क व गुमान) हो। पहले अम्बिया की शरीअतों में शिर्क से तो सख़्ती के साथ रोक़ा गया है मगर असबाब व माध्यमों पर कोई पाबन्दी न थी, इसी वजह से पिछली शरीअतों में तस्वीर बनाना मना (वर्जित) न था, मगर शरीअते मुहम्मदिया चूँकि कियामत तक के लिये आई है इसको शिर्क से पूरी तरह महफ़ूज़ करने के लिये शिर्क के असबाब, तस्वीर और ऐसे अलफ़ाज़ से भी रोक़ दिया गया जिनसे शिर्क का वहम हो सके। बहरहाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इन्नहू रब्बी फ़रमाना अपनी जगह दुरुस्त था।

और यह भी हो सकता है कि इन्नहू (बेशक वह) में वह से अल्लाह तआला मुराद हो, उसी को अपना रब फ़रमाया और अच्छा ठिकाना भी दर हकीकत उसी ने दिया, उसकी नाफ़रमानी

सबसे बड़ा जुल्म है, और जुल्म करने वालों को क़त्ल (कामयाबी) नहीं।

कुछ मुफ़सिरीन जैसे इमाम सुददी और इब्ने इस्हाक़ वगैरह ने नक़ल किया है कि उस तन्हाई में जुलैखा ने यूसुफ़ अलेहिस्सलाम को अपनी तरफ़ माईल करने के लिये उनके हुस्न व खूबसूरती की तारीफ़ शुरू की, कहा कि तुम्हारे बाल किस क़द्र हसीन हैं, यूसुफ़ अलेहिस्सलाम ने फ़रमाया कि ये बाल मौत के बाद सबसे पहले मेरे जिस्म से अलग हो जायेंगे, फिर कहा तुम्हारी आँखें कितनी हसीन हैं, तो फ़रमाया मौत के बाद ये सब पानी होकर मेरे चेहरे पर बह जायेंगी, फिर कहा तुम्हारा चेहरा कितना हसीन है, तो फ़रमाया कि यह सब मिट्टी की गिज़ा है, अल्लाह तआला ने आख़िरत की फ़िक्र आप पर इस तरह मुसल्लत कर दी कि नैजवानों के आत्म में दुनिया की सारी लज़्ज़तें उनके सामने बेहकीक़त हो गई, सही है कि फ़िक्र आख़िरत ही वह चीज़ है जो इन्सान को हर जगह हर बुराई से महफूज़ रख सकती है। अल्लाह तआला हमें भी यह फ़िक्र नसीब फ़रमाये। आमीन

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ.

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝

व ल-क़द् हम्मत् बिही व हम्-म
बिहा लौ ला अर्-रआ बुरहा-न
रब्बिही, कज़ालि-क लिनसिर-फ़
अन्हुस्सू-अ वल्-फ़हशा-अ, इन्नहू
मिन् ञिबादिनल्-मुख़्लसीन (24)

और अलबत्ता औरत ने फ़िक्र किया उसका और उसने फ़िक्र किया औरत का, अगर न होता यह कि देखे क़ुदरत अपने रब की, यँही हुआ ताकि हटायें हम उससे बुराई और बेहयाई, अलबत्ता वह है हमारे चुनिन्दा व मुख़्लिस बन्दों में। (24)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और उस औरत के दिल में उनका ख़्याल (इरादे के दर्जे में) जम ही रहा था और उनको भी उस औरत का कुछ-कुछ ख़्याल (तबई चीज़ के दर्जे में) हो चला था (जो कि इख़्तियार से बाहर है, जैसे गर्मी के रोज़े में पानी की तरफ़ तबई मैलान होता है अगरचे रोज़ा तोड़ने का ख़्याल तक भी नहीं आता, अलबत्ता) अगर अपने रब की दलील को (यानी इस काम के गुनाह होने की दलील को जो कि शरई हुक्म है) उन्होंने न देखा होता (यानी उनको शरीअत का इल्म मय उस पर अमली कुव्वत के हासिल न होता) तो ज़्यादा ख़्याल हो जाना अजीब न था (क्योंकि उसके प्रबल असबाब और तकाज़े सब जमा थे मगर) हमने इसी तरह उनको इल्म दिया ताकि हम उनसे छोटे और बड़े गुनाह को दूर रखें (यानी इरादे से भी बचा लिया और फ़ल से भी, क्योंकि) वह हमारे चुनिन्दा और नेक बन्दों में से थे।

मआरिफ व मसाईल

पिछली आयत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़बरदस्त परीक्षा व इम्तिहान बयान हुआ था कि अज़ीज़े मिस्र की औरत ने घर के दरवाज़े बन्द करके उनको गुनाह की तरफ़ बुलाने की कोशिश की, और अपनी तरफ़ मुतवज्जह करने और मुब्तला करने के सारे ही असबाब जमा कर दिये मगर रब्बुल-इज्जत ने उस नेक नौजवान को ऐसे सख्त इम्तिहान में साबित-कदम रखा। इसकी और अधिक तफ़सील इस आयत में है कि जुलैखा तो गुनाह के ख़्याल में लगी हुई थी ही, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में भी इन्सानी फ़ितरत के तकाज़े से कुछ-कुछ ग़ैर-इख़्तियारी मैलान (रुझान) पैदा होने लगा, मगर अल्लाह तआला ने ऐन उस वक़्त में अपनी दलील व निशानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने कर दी जिसकी वजह से वह ग़ैर-इख़्तियारी मैलान आगे बढ़ने के बजाय बिल्कुल ख़त्म हो गया और वह पीछा छुड़ाकर भागे।

इस आयत में लफ़ज़ 'हम्-म' जिसके मायने ख़्याल के आते हैं जुलैखा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दोनों की तरफ़ मन्सूब किया गया है:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا

और यह मालूम है कि जुलैखा का हम्म यानी ख़्याल गुनाह का था इससे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी ऐसे ही ख़्याल का गुमान हो सकता था, और यह तमाम उम्मत की सर्वसम्मति से एक मानी हुई बात है कि यह बात नुबुव्वत व रिसालत की शान के खिलाफ़ है क्योंकि उम्मत की अक्सरियत इस पर मुत्तफ़िक़ है कि 'अम्बिया अलैहिमुस्सलाम छोटे और बड़े हर तरह के गुनाह से मासूम (महफूज़ व सुरक्षित) होते हैं। कबीरा (बड़ा) गुनाह तो न जान-बूझकर हो सकता है न ख़ता व भूल के रास्ते से हो सकता है, अलबत्ता सगीरा (छोटा) गुनाह भूल और चूक के तौर पर सर्जद हो जाने की संभावना है, मगर उस पर भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को कायम नहीं रहने दिया जाता, बल्कि आगाह करके उससे हटा दिया जाता है।

(मुसामरा)

और नबी व रसूलों के गुनाहों से सुरक्षित होने का यह मसला कुरआन व सुन्नत से साबित होने के अलावा अक्ली तौर पर भी इसलिये ज़रूरी है कि अगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से गुनाह होने की संभावना और शुब्हा रहे तो उनके लाये हुए दीन और वही पर भरोसा करने का कोई रास्ता नहीं रहता, और उनके नबी बनाकर भेजने और उन पर किताब नाज़िल करने का कोई फ़ायदा बाकी नहीं रहता, इसी लिये अल्लाह तआला ने अपने हर पैग़म्बर को हर गुनाह से मासूम (सुरक्षित) रखा है।

इसलिये संक्षिप्त तौर पर यह तो मुतय्यन हो गया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो ख़्याल पैदा हुआ वह गुनाह के दर्जे का ख़्याल न था। तफ़सील इसकी यह है कि अरबी भाषा में लफ़ज़ 'हम्म' दो मायने के लिये बोला जाता है- एक किसी काम का क़स्द व इरादा और पुख़्ता

ख्याल कर लेना, दूसरे सिर्फ दिल में वस्वसा और गैर-इख्तियार ख्याल पैदा हो जाना। पहले सूरत गुनाह में दाखिल और काविले पकड़ है, हाँ अगर कस्द व इरादे के बाद ख़ालिस अल्लाह तआला के ख़ौफ़ से कोई शख्स उस गुनाह को अपने इख्तियार से छोड़ दे तो हदीस में है कि अल्लाह तआला उसके गुनाह की जगह उसके नामा-ए-आमाल में एक नेकी दर्ज फ़रमा देते हैं, और दूसरी सूरत कि सिर्फ वस्वसा और गैर-इख्तियारी ख्याल आ जाये और उस काम का इरादा बिल्कुल न हो जैसे गर्मी के रोज़े में ठण्डे पानी की तरफ़ तबई मैलान गैर-इख्तियारी सब को हो जाता है हालाँकि रोज़े में पीने का इरादा बिल्कुल नहीं होता, इस किस्म का ख्याल न इनसान के इख्तियार में है न उस पर कोई पकड़ होगी।

सही बुखारी की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के लिये गुनाह के वस्वसे और ख्याल को माफ़ कर दिया है जब कि वह उस पर अमल न करे। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

और बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रियायत से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रिश्तों से फ़रमाते हैं कि मेरा बन्दा जब किसी नेकी का इरादा करे तो सिर्फ़ इरादा करने से उसके नामा-ए-आमाल में एक नेकी लिख दो, और जब वह यह नेक अमल कर ले तो दस नेकियाँ लिखो। और अगर बन्दा किसी गुनाह का इरादा करे मगर फिर खुदा के ख़ौफ़ से छोड़ दे तो गुनाह के बजाय उसके नामा-ए-आमाल में एक नेकी लिख दो, और अगर वह गुनाह कर ही गुज़रे तो सिर्फ़ एक ही गुनाह लिखो। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

तफ़सीरे कुर्तुबी में लफ़ज़ 'हम्म' का इन दोनों मायने के लिये इस्तेमाल अरब के मुहावरों और शे'रों के सुबूतों से साबित किया है।

इससे मालूम हुआ कि अगरचे आयत में लफ़ज़ 'हम्म' जुलैखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दोनों के लिये बोला गया, मगर उन दोनों के हम्म यानी ख्याल में बड़ा फ़र्क़ है। पहला गुनाह में दाखिल है और दूसरा गैर-इख्तियारी वस्वसे की हैसियत रखता है, जो गुनाह में दाखिल नहीं। कुरआने करीम का अन्दाज़े बयान भी खुद इस पर गवाह है क्योंकि दोनों का हम्म व ख्याल एक ही तरह का होता तो इस जगह एक ही लफ़ज़ से दोनों का इरादा बयान किया जाता जो मुख़्तसर भी था, इसको छोड़कर दोनों के हम्म व ख्याल का बयान अलग-अलग फ़रमाया:

هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا

और जुलैखा के हम्म व ख्याल के साथ ताकीद के अलफ़ाज़ लाम और क़द यानी 'लक़द' का इज़ाफ़ा किया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हम्म के साथ लाम और क़द की ताकीद नहीं है, जिससे मालूम होता है कि इस खास ताबीर के ज़रिये यही जतलाना है कि जुलैखा का हम्म किसी और तरह का था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दूसरी तरह का।

सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि जिस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह परीक्षा

पक्ष जाइ तो फ़रिश्तों ने अल्लाह जल्ल शान्हू से अर्ज किया कि आपका वह नक बन्दा गुनाह के ख्याल में है, हालाँकि वह उसके बवाल को खूब जानता है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया इन्तिज़ार करो, अगर वह वह गुनाह कर ले तो जैसा किया है वह उसके आमाल नामे में लिख दो, और अगर वह उसको छोड़ दे तो गुनाह के बजाय उसके आमाल नामे में नेकी दर्ज करो, क्योंकि उतने सिर्फ़ मेरे ख़ौफ़ से अपनी इच्छा को छोड़ा है (जो बहुत बड़ी नेकी है) : (तफ़सीरे कुतुबी)

खुलासा यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में जो ख़्याल या रुझान पैदा हुआ वह महज़ ग़ैर-इख़्तियारी बस्वसे के दर्जे में था जो गुनाह में दाख़िल नहीं, फिर उस बस्वसे के ख़िलाफ़ अमल करने से अल्लाह तआला के नज़दीक उनका दर्जा और ज़्यादा बुलन्द हो गया :

और हज़रते मुफ़स्सरीन में से कुछ ने इस जगह यह भी फ़रमाया है कि यहाँ वाकिआ जो बयान किया गया है उसमें इबारत आगे-पीछे की गयी है:

لَوْلَا أَنْ رَأَيْتَهُمَا رَبِّهِ

(अगर उन्होंने अपने रब की निशानी को न देखा होता) जो बाद में ज़िक्र किया गया है वह असल में पहले है और मायने आयत के यह हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी ख़्याल पैदा हो जाता अगर अल्लाह की दलील व निशानी को न देख लेते, लेकिन अल्लाह की निशानी को देखने की वजह से वह उस हम्म और ख़्याल से भी बच गये। मज़मून यह भी दुरुस्त है मगर कुछ हज़रत ने इबारत के इस आगे-पीछे करने को भाषायी कायदों के ख़िलाफ़ करार दिया है, और इस लिहाज़ से भी पहली ही तफ़सीर वरीयता प्राप्त है कि उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी व तक़वे की शान और ज़्यादा बुलन्द हो जाती है कि तबई और इनसानी तकाज़े के बावजूद वह गुनाह से महफूज़ रहे।

इसके बाद जो यह इरशाद फ़रमाया:

لَوْلَا أَنْ رَأَيْتَهُمَا رَبِّهِ

(अगर उन्होंने अपने रब की निशानी को न देखा होता) इसकी जज़ा यहाँ पोशीदा है, और मायने यह है कि अगर वह अपने रब की निशानी व दलील को न देखते तो इस ख़्याल में मुब्तला रहते, मगर रब की निशानी देख लेने की वजह से वह ग़ैर-इख़्तियारी ख़्याल और बस्वसा भी दिल से निकल गया।

कुरआने करीम ने यह स्पष्ट नहीं फ़रमाया कि वह अल्लाह की निशानी जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के समने आई क्या चीज़ थी? इसी लिये इसमें मुफ़स्सरीन हज़रत के अक़वाल अलग-अलग हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियुल्लाहु अन्हु, इमाम मुजाहिद, इमाम सईद बिन जुबैर, इमाम मुहम्मद बिन सीरीन और इमाम हसन बसरी रह. वग़ैरह ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मोजिज़े के तौर पर उस तन्हाई की जगह में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की सूरत इस तरह उनके सामने कर दी कि वह अपनी उंगली दाँतों में दबाये हुए उनको सचेत कर रहे हैं, और कुछ मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि अज़ीज़े मिस्र की सूरत उनके सामने कर दी गई,

कुछ ने फ़रमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नज़र छत की तरफ़ उठी तो उसमें कुरआन की यह आयत लिखी हुई देखी:

لَا تَقْرُبُوا الرِّثْيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وَمَاءَ سَيْلًا ۝

“यानी जिना के पास न जाओ, क्योंकि वह बड़ी बेहयाई (और अल्लाह के क़हर का सबब) और (समाज के लिये) बहुत बुरा रास्ता है।”

कुछ मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि जुलैखा के मकान में एक बुत (मूर्ति) था, उसने उस बुत पर पर्दा डाला तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी, उसने कहा कि यह मेरा माबूद है, इसके सामने गुनाह करने की ज़रत नहीं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मेरा माबूद इससे ज़्यादा हया (शर्म करने) का मुस्तहिक़ है, उसकी नज़र को कोई पर्दा नहीं रोक सकता। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नुबुव्वत और अल्लाह की पहचान खुद ही रब की निशानी व दलील थी।

इमामे तफ़सीर इब्ने जरीर रह. ने इन तमाम अक़वाल को नक़ल करने के बाद जो बात फ़रमाई है वह सब अहले तहकीक़ के नज़दीक़ बहुत ही पसन्दीदा और बेगुबार है। वह यह है कि जितनी बात कुरआने करीम ने बतला दी है सिर्फ़ उसी पर बस किया जाये, यानी यह कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी चीज़ देखी जिससे वस्यसा (ख़याल) उनके दिल से जाता रहा, उस चीज़ के मुतैयन करने में वे सब संभावनायें और गुमान हो सकते हैं जो हज़राते मुफ़स्सरीन ने ज़िक्र किये हैं, लेकिन निश्चित तौर पर किसी को मुतैयन नहीं किया जा सकता। (इब्ने कसीर)

كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝

यानी हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह बुरहान (निशानी व दलील) इसलिये दिखाई कि उनसे बुराई और बेहयाई को हटा दें। बुराई से मुराद छोटा गुनाह और बेहयाई से मुराद बड़ा गुनाह है। (तफ़सीरे मज़हरी)

यहाँ यह बात ध्यान देने के काबिल है कि बुराई और बेहयाई को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हटा देने का ज़िक्र फ़रमाया है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुराई और बेहयाई से हटाना नहीं फ़रमाया। जिसमें इशारा है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो अपनी नुबुव्वत वाली शान की वजह से इस गुनाह से खुद ही हटे हुए थे मगर बुराई और बेहयाई ने उनको घेर लिया था, हमने उसके जाल को तोड़ दिया। कुरआने करीम के ये अलफ़ाज़ भी इस पर सुबूत हैं कि हज़रात यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किसी मामूली से गुनाह में भी मुब्तला नहीं हुए, और उनके दिल में जो ख़याल पैदा हुआ था वह गुनाह में दाख़िल न था, वरना यहाँ ताबीर इस तरह होती कि हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह से बचा दिया, न यह कि गुनाह को उनसे हटा दिया।

क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हमारे ख़ास और चुनिन्दा बन्दों में से हैं। लफ़ज़ ‘मुख़्तसीन’ इस जगह मुख़्तस की जमा (बहुवचन) है, जिसके माध्यमे चुनिन्दा और ख़ास किये हुए के हैं। मुराद यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह तज़ाला के उन बन्दों में से हैं जिनको खुद अल्लाह

तअला ने अपनी मिसालत और मख्तूक को इस्लाम के काम के लिये चुन लिया, ऐसे लोगों पर अल्लाह तअला की तरफ से हिफाजती पहल होता है कि वे किसी दुराई में मुबलता न हो सकें। खुद शैतान ने भी अपने बयान में इसका इकरार किया कि हक तअला के खास और चुने हुए बन्दों पर उसका बस नहीं चलता। उसने कहा:

فَعَزَّتْكَ لَا غَوْيَتِهِمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝

“यानी कसम है तेरी इज्जत व ताकत की कि मैं उन सब इनसानों को गुमराह करूँगा सिवाय उन बन्दों के जिनको आपने चुन लिया और खास फरमा लिया है।”

और कुछ किराअतों में यह लफ्ज लाम के जेर के साथ ‘मुख्लिसीन’ भी आया है, और मुख्लिस के मायने यह हैं कि जो अल्लाह तअला की इबादत व फरमाँबरदारी इख्लास के साथ करे, उसमें किसी दुनियावी और नफ्सानी इच्छा व शोहरत व मर्तबे वगैरह की चाहत का दखल न हो, इस सूरात में इस आयत की मुराद यह होगी कि जो शख्स भी अपने अमल और इबादत में मुख्लिस (नेक-नीयत) हो अल्लाह तअला गुनाहों से बचने में उसकी इमदाद फरमाते हैं।

इस आयत में हक तअला ने दो लफ्ज सू और फहशा के इस्तेमाल फरमाये हैं। सू के लफ्जी मायने बुराई के हैं, और मुराद इससे छोटा गुनाह है, और फहशा के मायने बेहयाई के हैं इससे मुराद बड़ा गुनाह है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तअला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े और छोटे दोनों किस्म के गुनाहों से महफूज रखा।

इसी से यह भी बाजेह हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ कुरआन में जिस हम्म यानी ख्याल को मन्सूब किया है वह महज गैर-इख्तियारी वस्वसे के दर्जे का हम्म था, जो न बड़े गुनाह में दाखिल है न छोटे में, बल्कि माफ़ है।

وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَّاسِيْدَا هَذَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ

مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ قَالَ هِيَ رَأودُ ثَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ

مِنْ أَهْلِهَا ۝ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ

دُبُرٍ فَكَذَّابَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۝ إِنَّ كَيْدَكُنَّ

عَظِيمٌ ۝ يُوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا ۝ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيِكِ ۝ إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝

वस्त-बकल्बा-ब व कद्दत् क्रमी-सहू
मिन् दुबुरिन्-व अल्फया सय्यि-दहा
लदल्-बाबि, कालत् मा जजा-उ मन्
अरा-द बि-अह्लि-क सूअन् इल्ला

और दोनों दौड़े-दरवाजे को और औरत
ने चीर डाला उसका कुर्ता पीछे से, और
दोनों मिल गये औरत के शौहर से दरवाजे
के पास, बोली और कुछ सजा नहीं ऐसे
शख्स की जो चाहे तेरे घर में बुराई,

अंय्युस्ज-न औ अज़ाबुन् अलीम
 (25) का-ल हि-य रा-वदत्नी
 अन्-नफसी व शहि-द शाहिदुम् मिन्
 अस्लिहा इन् का-न कमीसुहू कुद्-द
 मिन् कुबुलिन् फ-स-दकत् व हु-व
 मिनल्-काज़िबीन (26) व इन् का-न
 कमीसुहू कुद्-द मिन् दुबुरिन्
 फ-क-ज़बत् व हु-व मिनस्सादिकीन
 (27) फ-लम्मा रआ कमी-सहू कुद्-द
 मिन् दुबुरिन् का-ल इन्नहू मिन्
 कैदिकुन्-न, इन्-न कै-दकुन्-न
 अज़ीम (28) यूसुफ़ु अज़रिज़् अन्
 हाज़ा वस्तगिफरी लिज़म्बिकि इन्नकि
 कुन्ति मिनल्-खातिर्इन (29) ❀

मगर यही कि क़ैद में डाला जाये या
 अज़ाब दर्दनाक। (25) यूसुफ़ बोला इसी
 ने इच्छा की मुझसे कि न धामूँ अपने जी
 को, और गवाही दी एक गवाह ने औरत
 के लोगों में से, अगर है उसका कुर्ता
 फटा आगे से तो औरत सच्ची है और
 वह है झूठा। (26) और अगर है कुर्ता
 उसका फटा पीछे से तो यह झूठी है और
 वह सच्चा है। (27) फिर जब देखा
 अज़ीज़ ने कुर्ता उसका फटा हुआ पीछे से
 कहा बेशक यह एक फरेब है तुम औरतों
 का, अलबत्ता तुम्हारा फरेब बड़ा है।
 (28) यूसुफ़ जाने दे इस ज़िक्र को, और
 औरत तू बख़्शवा अपना गुनाह, बेशक तू
 ही गुनाहगार थी। (29) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

(और जब उस औरत ने फिर वही ज़िद की तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ से जान बचाकर भागे और वह उनको पकड़ने के लिये उनके पीछे चली) और वे दोनों आगे-पीछे दरवाज़े की तरफ़ को दौड़े, और (दौड़ने में जो उनको पकड़ना चाहा तो) उस औरत ने उनका कुर्ता पीछे से फाड़ डाला (यानी उसने कुर्ता पकड़कर खींचना चाहा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आगे की तरफ़ दौड़े तो कुर्ता फट गया, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाज़े से बाहर निकल गये) और (वह औरत भी साथ थी तो) दोनों ने (इत्तिफ़ाक़न) उस औरत के शौहर को दरवाज़े के पास (खड़ा) पाया। औरत (शौहर को देखकर सटपटाई और फौरन बात बनाकर) बोली, कि जो शख्स तेरी बीवी के साथ बदकारी का इरादा करे उसकी सज़ा सिवाय इसके और क्या (हो सकती) है कि वह जेलखाने भेजा जाये या और कोई दर्दनाक सज़ा हो (जैसे जिस्मानी मार-पिट्टाई)।

यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने कहा (कि यह जो मेरी तरफ़ इल्ज़ाम का इशारा करती है बिल्कुल झूठी है, बल्कि मामला इसके उलट है) यही मुझसे अपना मतलब निकालने को फुसलाती थी, और (इस मौके पर) उस औरत के खानदान में से एक गवाह ने (जो कि दूध पीता बच्चा था

और यूसुफ अलैहिस्सलाम के मोजिजे से बोल पड़ा और आपको बरी होने की; गवाही दी (उस बच्चे का बोलना ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मोजिजा था, इस पर दूसरा मोजिजा यह हुआ कि उस दूध पीते बच्चे ने एक माकूल निशानी बताकर अक्लमन्दी वाला फैसला भी किया और कहा) कि इनका कुर्ता (देखो कहाँ से फटा है) अगर आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और यह झूठे। और अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी है और यह सच्चे। सो जब (अजीज ने) उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा (औरत से) कहने लगा कि यह तुम औरतों की चालाकी है, बेशक तुम्हारी चालाकियाँ भी ग़ज़ब की होती हैं। (फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा) ऐ यूसुफ! इस बात को जाने दो (यानी इसका चर्चा या ख्याल मत करो) और (औरत से कहा कि) ऐ औरत! तू (यूसुफ से) अपने कसूर की माफी माँग, बेशक पूरी की पूरी तू ही कसूरवार है।

मआरिफ व मसाईल

पिछली आयतों में यह बयान आया है कि जिस वक़्त अजीजे मिस्र की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह में मुब्तला करने की कोशिश में मशगूल थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे बच रहे थे मगर फितरी और गैर-इख्तियारी ख्याल की कश्मकश भी थी तो हक़ तआला ने अपने चुनिन्दा और खास पैग़म्बर की मदद के लिये बतौर मोजिजे के कोई ऐसी चीज़ सामने कर दी जिसने दिल से वह गैर-इख्तियारी ख्याल भी निकाल डाला, चाहे वह चीज़ अपने वालिद हजरत याक़ूब अलैहिस्सलाम की सूरत हो या अल्लाह की वही की कोई आयत।

उक्त आयत में यह बतलाया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस तन्हाई की जगह में अल्लाह की उस निशानी को देखते ही वहाँ से भाग खड़े हुए और बाहर निकलने के लिये दरवाज़े की तरफ दौड़े। अजीज की बीवी उनको पकड़ने के लिये पीछे दौड़ी और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पकड़कर उनको बाहर जाने से रोकना चाहा, वह अपने इरादे के मुताबिक़ न रुके तो कुर्ता पीछे से फट गया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े से बाहर निकल आये और उनके पीछे जुलैखा भी। तारीख़ी रिवायतों में बयान हुआ है कि दरवाज़े पर ताला लगा दिया था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़कर दरवाज़े पर पहुँचे तो अपने आप यह ताला खुलकर गिर गया।

जब ये दोनों दरवाज़े से बाहर आये तो देखा कि अजीजे मिस्र सामने खड़े हैं। उनकी बीवी सहम गई और बात यूँ बनाई कि इल्ज़ाम और तोहमत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालने के लिये कहा कि जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुरे काम का इरादा करे उसकी सज़ा इसके सिवा क्या हो सकती है कि उसको कैद में डाला जाये या कोई दूसरी जिस्मानी सख़्त सज़ा दी जाये।

हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पैग़म्बराना शिराफ़त की बिना पर ग़ालिबन उसका राज़ न खोलते मगर जब उसने पहल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत रखने का इशारा किया तो मजबूर होकर उन्होंने हकीक़त का इज़हार किया कि:

هِيَ رَأَوْتَنِي عَنْ نَفْسِي

वानों वही मुझसे अपना मतलब निकालने के लिये मुझे फुसला रही थी।

मामला बड़ा नाजुक और अजीब मिस्त्र के लिये इसका फैसला सख्त दुश्वार था कि इनमें से किसे सच्चा समझे, गवाही और सुबूत का कोई मौका न था मगर अल्लाह जल्ल शानुहू जिस तरह अपने पकबूल और खास बन्दों को गुनाह से बचा लेते हैं, और उनको सुरक्षित व महफूज रखते हैं, इसी तरह दुनिया में भी उनको रुस्वाई से बचाने का इन्तिजाम चमत्कारी अन्दाज़ से फरमा देते हैं, और उम्मान ऐसे मौकों पर ऐसे छोटे बच्चों से काम लिया गया है जो आदतन बोलने बात करने के काबिल नहीं होते, मगर गोजिजे की तौर पर उनको बोलने की ताकत अता फरमाकर अपने पकबूल बन्दों की बराअत का इज़हार फरमा देते हैं। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जब लोग तोहमत बाँधने लगे तो सिर्फ एक दिन (और राजेह कौल के मुताबिक चालीस दिन) के बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हक तआला ने बोलने की ताकत अता फरमाकर उनकी ज़बान से वालिदा की पवित्रता जाहिर फरमा दी, और कुदरते खुदावन्दी का एक खास प्रतीक सापने कर दिया।

बनी इस्राईल के एक बुज़ुर्ग जुरैज पर इसी तरह की एक तोहमत एक बड़ी साज़िश के साथ बाँधी गई तो एक नवजात बच्चे ने उनकी बराअत के लिये गवाही दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरऔन को शुब्हा पैदा हुआ तो फिरऔन की बीबी के बाल संवारने वाली औरत की छोटी बच्ची को बोलने की ताकत अता हुई, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में फिरऔन के हाथ से बचाया।

ठीक इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाकिए में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रियायत के मुताबिक एक छोटे बच्चे को हक तआला ने बोलने की ताकत अता फरमा दी, और वह भी निहायत अक़ल व समझ वाले अन्दाज़ की। यह छोटा बच्चा उसी घर में पालने के अन्दर पड़ा था, यह किसको गुमान हो सकता था कि वह इन हरकतों को देखेगा और समझेगा, और फिर इसको किसी अन्दाज़ से बयान भी कर देगा, मगर अल्लाह तआला जो हर चीज़ पर कादिर व मुख्तार है वह अपनी फ़रमाँबरदारी में मेहनत व कोशिश करने वालों की शान जाहिर करने के लिये दुनिया को दिखला देता है कि कायनात का ज़र्ज़र्ज़ उसकी खुफिया पुलिस (सी. आई. डी.) है, जो मुजरिम को खूब पहचानती और उसके जुर्मों का रिकॉर्ड रखती है, और ज़रूरत के वक़्त उसका इज़हार कर देती है। मैदाने हश्र में हिस्साब किताब के वक़्त इनसान दुनिया की अपनी पुरानी आदत की बिना पर जब अपने जुर्मों को मानने से इनकार करेगा तब उसी के हाथ-पाँव और खाल और दर व दीवार को उसके खिलाफ़ गवाह बनाकर खड़ा कर दिया जायेगा, वह उसकी एक-एक हरकत को मेहशर के अज़ीमुश्शान मजमे और ज़बरदस्त जनसमूह के सामने खोलकर रख देगा। उस वक़्त इनसान को यह पता लगेगा कि हाथ-पाँव और घर के दर व दीवार और हिफ़ाज़ती इन्तिजामात में से कोई भी मेरा न था बल्कि ये सब अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त के गोपनीय कार्यकर्ता थे।

ख़ुलासा यह है कि यह छोटा बच्चा जो पालने में बजाहिर इस दुनिया की हर चीज़ से

गाफ़िल व बेख़बर पड़ा था, वह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मोजिजे के तौर पर एन उस वक़्त बोल उठा जबकि अर्जीजे मिस इस वाकिए से कश्मकश (असमंजस और दुविधा) में मुब्तला था।

फिर यह बच्चा अगर सिर्फ़ इतना ही कह देता कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बरी हैं, जुलैखा का कसूर है तो वह भी एक मोजिजे की हैसियत से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हक़ में बराअत की बड़ी गवाही होती, मगर अल्लाह तआला ने इस बच्चे की ज़बान से एक अक्लमन्दी वाली बात कहलाई कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखो अगर वह आगे से फटा है तब तो जुलैखा का कहना सच्चा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम झूठे हो सकते हैं, और अगर वह पीछे से फटा है तो इसमें इसके सिवा कोई दूसरा गुमान व संभावना ही नहीं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे और जुलैखा उनको रोकना चाहती थी।

यह एक ऐसी बात थी कि बच्चे के बोल पड़ने के चपत्कार के अलावा खुद भी हर एक की समझ में आ सकती थी, और जब बतलाई हुई निशानी के मुताबिक़ कुर्ते का पीछे से फटा होना देखा गया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बराअत ज़ाहिरी निशानियों से भी ज़ाहिर हो गई।

यूसुफ़ के शाहिद (गवाह) की जो तफ़सीर हमने बयान की है कि वह एक छोटा बच्चा था जिसको अल्लाह तआला ने मोजिजे के तौर पर बोलने की ताक़त अता फ़रमा दी, यह एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है जिसको इमाम अहमद रह. ने अपने मुस्नद में और इब्ने हिब्बान रस्मतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब सही में और हाकिम रह. ने मुस्तद्रक में नक़ल करके सही हदीस करार दिया है। इस हदीस में इरशाद है कि अल्लाह तआला ने चार बच्चों को पालने में बोलने की ताक़त अता फ़रमाई है, ये चारों वही हैं जो अभी जिक़्र किये गये हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

और कुछ रिवायतों में शाहिद (गवाह) की दूसरी तफ़सीरें भी नक़ल की गई हैं मगर इमाम इब्ने जरीर और इमाम इब्ने कसीर वगैरह हज़रत ने पहली ही तफ़सीर को राजेह करार दिया है।

अहकाम व मसाईल

उपर्युक्त आयतों से चन्द अहम मसाईल और अहकाम निकलते हैं:

अव्वल आयत 'वस्त-बक़ल्-बा-ब.....' (यानी आयत नम्बर 25) से यह मालूम हुआ कि जिस जगह गुनाह में मुब्तला हो जाने का ख़तरा हो उस जगह ही को छोड़ देना चाहिये जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वहाँ से भागकर इसका सुबूत दिया।

दूसरा मसला यह कि अल्लाह के अहकाम की तामील में इनसान पर लाज़िम है कि अपनी हिम्मत भर कोशिश में कमी न की जाये चाहे उसका नतीजा बज़ाहिर कुछ निकलता नज़र न आये, नतीजे अल्लाह तआला के हाथ में हैं, इनसान का काम अपनी मेहनत और कोशिश को अल्लाह तआला की राह में खर्च करके अपनी बन्दगी का सुबूत देना है, जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दरवाज़े सब बन्द होने और तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक़ ताले लगे होने के बावजूद दरवाज़े की तरफ़ दौड़ने में अपनी पूरी ताक़त खर्च फ़रमा दी। ऐसी सूरत में अल्लाह

तआला की तरफ से इमदाद भी अक्सर देखने में आती है कि बन्दा जब अपनी कोशिश पूरी कर लेता है तो अल्लाह तआला कामयाबी के असबाब मुहैया फ़रमा देते हैं। मौलाना रूमी रह. ने इसी मज़मून पर इरशाद फ़रमाया है:

गरचे रज़्जा नेस्त आलम रा पदीद ख़ैरा यूसुफ़ वार मी बायद दवीद

कि अगरचे सामने बज़ाहिर कोई रास्ता नज़र न आये मगर फिर भी इनसान को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह भरपूर कोशिश करनी चाहिये। (मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

ऐसी सूरत में अगर ज़ाहिरी कामयाबी भी हासिल न हो तो बन्दे के लिये यह नाकामी भी कामयाबी से कम नहीं।

एक बुजुर्ग आलिम जेल में थे, जुमे के दिन अपनी ताकत के मुताबिक गुस्ल करते और अपने कपड़े धो लेते और फिर जुमे के लिये तैयार होकर जेल के दरवाजे तक जाते, वहाँ पहुँचकर अर्ज़ करते कि या अल्लाह! मेरी कुदरत में इतना ही था आगे आपके इख्तियार में है। अल्लाह तआला की उमूमी रहमत से कुछ बर्द न था कि उनकी करामत से जेल का दरवाज़ा खुल जाता और वह नमाज़े जुमा अदा कर लेते, लेकिन उसने अपनी हिम्मत से उस बुजुर्ग को यह ऊँचा मक़ाम अता फ़रमाया जिस पर हज़ारों करामतें क़ुरबान हैं कि उनके इस अमल की वजह से जेल का दरवाज़ा न खुला मगर इसके बावजूद उन्होंने अपने काम में हिम्मत नहीं हारी, हर जुमे को लगातार यही अमल जारी रखा, यही वह इस्तिक़ामत (जमाव और साबित-क़दमी) है जिसको उम्मत के बुजुर्गों ने करामत से भी बढ़कर और बरतर फ़रमाया है।

तीसरा मसला इससे यह साबित हुआ कि किसी शख्स पर कोई ग़लत तोहमत बाँधे और झूठा इल्ज़ाम लगाये तो अपनी सफ़ाई पेश करना अम्बिया की सुन्नत है, यह कोई तवक्कुल या बुजुर्गी नहीं कि उस वक़्त ख़ामोश रहकर अपने आपको मुजरिम करार दे दे।

चौथा मसला इसमें शाहिद का है, यह लफ़ज़ जब आम फ़िक़ही मामलात और मुक़द्दिमों में बोला जाता है तो इससे वह शख्स मुराद होता है जो विवादित मामले के मुताल्लिक अपना चश्मदीद कोई वाकिआ बयान करे, इस आयत में जिसको शाहिद के लफ़ज़ से ताबीर किया है उसने कोई वाकिआ या उसके मुताल्लिक अपना कोई देखना बयान नहीं किया, बल्कि फ़ैसला करने की एक सूरत की तरफ़ इशारा किया है, इसको इस्तिलाही तौर पर शाहिद नहीं कहा जा सकता।

मगर ज़ाहिर है कि ये परिभाषायें सब बाद के उलेमा व फ़ुक़हा ने आपसी समझने और समझाने के लिये इख्तियार कर ली हैं, क़ुरआने करीम की न ये परिभाषायें हैं न वह इनका पाबन्द है। क़ुरआने करीम ने यहाँ उस शख्स को शाहिद इस मायने के एतिज़ार से फ़रमाया है कि जिस तरह शाहिद के बयान से मामले का तसफ़िया (फ़ैसला करना) आसान हो जाता है और किसी एक फ़रीक़ का हक़ पर होना साबित हो जाता है, उस बच्चे के बयान से भी यही फ़ायदा हासिल हो गया कि असल तो उसका चमत्कारिक तौर पर बोल पड़ना ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बराअत के लिये शाहिद (सुबूत) था और फिर उसने जो पहचान बतलाई

उनका हासिल भी अन्जामकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ही की बराअत का सुबूत है। इसलिये यह कहना सही हो गया कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही दी, हालाँकि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच्चा नहीं कहा बल्कि दोनों संभावनाओं का जिक्र कर दिया था, और जुलैखा के सच्चे होने को एक ऐसी सूरत में भी फर्जी तौर पर तस्लीम कर लिया था जिसमें उनका सच्चा होना यकीनी न था, बल्कि दूसरा भी शुब्हा और संभावना मौजूद थी, क्योंकि कुर्ते का सामने से फटना दोनों सूरतों में मुम्किन था और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सच्चे होने को सिर्फ ऐसी सूरत में तस्लीम किया था जिसमें इसके सिवा कोई दूसरी संभावना ही नहीं हो सकती, लेकिन अन्जामकार नतीजा इस रणनीति का यही था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का बरी होना साबित हो।

पाँचवाँ मसला इसमें यह है कि मुकद्दिमों और विवादों के फैसलों में हालात, इशारात और निशानात से काम लिया जा सकता है जैसा कि उस शाहिद (गवाह) ने कुर्ते के पीछे से फटने की इसकी निशानी और पहचान करार दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भग रहे थे, जुलैखा पकड़ रही थी। इस मामले में इतनी बात पर तो सब फुकहा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) का इत्तिफाक है कि मामलात की हकीकत पहचानने में निशानियों और हालात व इशारात से जरूर काम लिया जाये जैसा कि यहाँ किया गया, लेकिन सिर्फ निशानात और हालात व अन्दाजों को काफी सुबूत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकिए में भी दर हकीकत बराअत का सुबूत तो उस बच्चे का चमत्कारिक अन्दाज से बोल उठना है, निशानियों और हालात व इशारात जिनका जिक्र किया गया है उनसे इस मामले की ताईद हो गई।

बहरहाल यहाँ तक यह साबित हुआ कि जब जुलैखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत व इल्जाम लगाया तो अल्लाह तआला ने एक छोटे बच्चे को खिलाफे आदत बोलने की ताकत देकर उसकी ज़बान से यह बुद्धिमानी भरा फैसला सादिर फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखो अगर वह पीछे से फटा है तो यह इसकी साफ निशानी है कि वह भाग रहे थे और जुलैखा पकड़ रही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं।

जिक्र हुई आयतों में से आखिरी दो आयतों में यह बयान हुआ है कि अजीजे मिस्र बच्चे के इस तरह बोलने ही से यह समझ चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत जाहिर करने के लिये यह असाधारण और आम दस्तूर के खिलाफ सूरत पेश आई है, फिर उसके कहने के मुताबिक यह देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता भी पीछे से ही फटा है तो यकीन हो गया कि कसूर जुलैखा का है, यूसुफ बरी हैं, तो उसने पहले तो जुलैखा को खिताब करके कहा:

إِنَّ مِنْ كَيْدِكُنَّ

यानी यह तुम्हारा फरेब व हीला है कि अपनी खता दूसरे के सर डालना चाहती हो। फिर कहा कि औरतों का फरेब व हीला बहुत बड़ा है कि उसको समझना और उससे निकलना आसान नहीं होता। क्योंकि उनका जाहिर नर्म व नाजुक और कमजोर होता है, देखने वाले को उनकी बात का यकीन जल्द आ जाता है, मगर अक्ल व दीनदारी की कमी के सबब कई बार

वह फरेब होता है। (तफसीरे मजहरी)

तफसीरे कुर्तुबी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि औरतों का जाल और मक्र शैतान के जाल व फरेब से बड़ा हुआ है, क्योंकि हक़ तआला ने शैतान के जाल व फरेब के मुताल्लिक तो यह फरमाया है कि वह जईफ़ (कमजोर) है:

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

और औरतों के मक्र व फरेब के मुताल्लिक यह फरमाया है कि:

إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمًا

यानी तुम्हारा जाल और फरेब बहुत बड़ा है। और यह ज़ाहिर है कि इससे मुराद सब औरतें नहीं बल्कि वही हैं जो इस तरह के मक्र व हीले में मुब्तला हों। अजीजे मिस्र ने जुलैखा को उसकी ख़ता बतलाने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा:

يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا

यानी ऐ यूसुफ़! तुम इस वाकिए को नज़र-अन्दाज़ करो और किसी से न कहो ताकि रुस्वाई न हो। फिर जुलैखा को खिताब करके कहा:

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ

यानी ख़ता सरासर तुम्हारी है, तुम अपनी ग़लती की माफ़ी माँगो। इससे बज़ाहिर यह मुराद है कि वह अपने शौहर से माफ़ी माँगे, और यह मायने भी हो सकते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से माफ़ी माँगे कि खुद ख़ता की और तोहमत उनके सर डाली।

फ़ायदा: यहाँ यह बात ग़ौर करने के क़ाबिल है कि शौहर के सामने अपनी बीवी की ऐसी ख़ियानत और बेहयाई साबित हो जाने पर उसका उत्तेजित न होना और पूरे सुकून व इत्मीनान से बातें करना इनसानी फ़ितरत से बहुत क़ाबिले ताज्जुब है। इमाम कुर्तुबी रह. ने फरमाया कि यह वजह भी हो सकती है कि अजीजे मिस्र कोई बेग़ैरत आदमी हो, और यह भी मुम्किन है कि हक़ तआला ने जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह से फिर रुस्वाई से बचाने का एक असाधारण और आदत से ऊपर इन्तिज़ाम फरमाया उसी इन्तिज़ाम का एक हिस्सा यह भी था कि अजीजे मिस्र को गुस्से से आग बगूला नहीं होने दिया, वरना आम आदत के मुताबिक़ ऐसे मौक़े पर इनसान तहकीक़ व तफ़तीश के बग़ैर ही हाथ छोड़ बैठता है और ज़बान से गाली-ग़लौज़ तो मामूली बात है, अगर आम इनसानी आदत के मुताबिक़ अजीजे मिस्र को गुस्सा आ जाता तो मुम्किन है कि उसके हाथ से या ज़बान से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ़ कोई बात निकल जाती। यह कुदरते हक़ के करिश्मे हैं कि हक़ की इताअत पर कायम रहने वाले की क़दम क़दम पर किस तरह हिफ़ाज़त की जाती है।

बाद की आयतों में एक और वाक़िआं ज़िक़्र किया गया है जो पिछले किस्से से ही संबन्धित है, वह यह कि यह वाक़िआं छुपाने के बावजूद दरबारी लोगों की औरतों में फैल गया, उन

औरतों ने अजीज की बीवी को लान-तान करना (बुरा-भला कहना) शुरू किया। कुछ मुफ़स्सरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) ने फ़रमाया कि ये पाँच औरतें अजीजे मिस्र के करीबी अफ़सरों की बीवियाँ थीं। (तफ़सीरे कुर्तुबी, मज़हरी)

ये औरतें आपस में कहने लगीं कि देखो कैसी हैरत और अफ़सोस की बात है कि अजीजे मिस्र की बीवी इतने बड़े मतबे पर होते हुए अपने नौजवान गुलाम पर फ़िदा होकर उससे अपना मतलब निकालना चाहती है, हम तो उसको बड़ी गुमराही पर समझते हैं। आयत में लफ़्ज़ 'फ़ताहा' फ़रमाया है। फ़ता के मायने नौजवान के हैं, उर्फ़ में मसलूक गुलाम जब छोटा हो तो उसको गुलाम कहते हैं, जवान हो तो लड़के को फ़ता और लड़की को फ़तात कहा जाता है। इसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जुलैखा का गुलाम या तो इस वजह से कहा गया कि शौहर की चीज़ को भी आदतन बीवी की चीज़ कहा जाता है, और या इसलिये कि जुलैखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने शौहर से हिबा और तोहफ़े के तौर पर ले लिया था। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّارَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمَثُنِي بِهِنَّ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيُبَيِّنَنَّ وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۝ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ بَدَأَ بِمَا رَأَوُا الْآيَةَ لِيَجْزِيََنَّهُمْ حَسَبَ جِئَانِهِ ۝

व का-ल निस्वतुन् फ़िल्-मदीनति-
-मूर-अतुल्-अजीजि तुराविदु फ़ताहा
अन्-नफ़िसही कद् श-ग-फहा हुब्बन्,
इन्ना ल-नराहा फी ज़लालिम्-मुबीन
(30) फ-लम्मा समिअत् बिमकिरहिन्-न
अर-सलत् इलैहिन्-न व अज़-तदत्
लहुन्-न मुत्त-कअव्-व आतत् कुल्-ल

और कहने लगीं औरतें उस शहर में-
अजीज की औरत इच्छा करती है अपने
गुलाम से उसके जी की, आशिक हो गया
उसका दिल उसकी मुहब्बत में, हम तो
देखते हैं उसको खुली ख़ता पर। (30)
फिर जब सुना उसने उनका फ़रेब बुलवा
भेजा उनको और तैयार की उनके वास्ते
एक मजलिस और दी उनको हर एक के

वाहि-दतिम् मिन्हुन्-न सिक्कीगंव-व
 कालतिखरुज् अलैहिन्-न फ-लम्मा
 रए-नहू अक्वर-नहू व कत्तअ-न
 ऐदियहुन्-न व कुल्-न हा-श लिल्लाहि
 मा हाजा ब-शरन्, इन् हाजा इल्ला
 म-लकुन् करीम (31) कालत्
 फजालिकुन्नल्लजी लुम्तुन्ननी फीहि,
 व ल-कद् रावत्तुहू अन् नफिसही
 फस्तअ-स-म, व ल-इल्लम् यफअल्
 मा आमुरुहू लयुस्ज-नन्-न व
 ल-यकूनम् मिनस्तागिरीन (32) का-ल
 रब्बिस्सिजनु अहब्बु इलय-य मिम्मा
 यद्अ-ननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ्
 अन्नी कैदहुन्-न अस्वु इलैहिन्-न व
 अकुम् मिनल्-जाहिलीन (33)
 फस्तजा-ब लहू रब्बुहू फ-स-र-फ
 अन्हु कैदहुन्-न, इन्नहू हुवस्समीजुल्-
 अलीम (34) सुम्-म बदा लहुम्
 मिम्-बअदि मा र-अवुल्-आयाति
 ल-यस्जुनुन्नहू हत्ता हीन (35) ❀

हाथ में एक छुरी और बोली- यूसुफ
 निकल इनके सामने, पस जब देखा उनको
 अर्चभित रह गई और काट डाले अपने
 हाथ और कहने लगीं हाशा! नहीं यह
 शख्स आदमी यह तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता
 है। (31) बोली यह वही है कि ताना
 दिया था तुमने मुझको इसके वास्ते, और
 मैंने लेना चाहा था इससे इसका जी, फिर
 इसने थाम रखा, और बेशक अगर न
 करेगा जो मैं इसको कहती हूँ तो कैद में
 पड़ेगा और होगा बेइज्जत। (32) यूसुफ
 बोला ऐ रब! मुझको कैद पसन्द है उस
 बात से जिसकी तरफ मुझको बुलाती हैं,
 और अगर तू दूर न करेगा मुझसे इनका
 फरेब तो माईल हो जाऊँगा मैं उनकी
 तरफ और हो जाऊँगा बेअक्ल। (33) सो
 कुबूल कर ली उसकी दुआ उसके रब ने
 फिर दफा किया उससे उनका फरेब,
 अलबत्ता वही है सुनने वाला खबरदार।
 (34) फिर यूँ सपझ में आया लोगों की
 इन निशानियों के देखने पर कि कैद रखें
 उसको एक मुद्दत तक। (35) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और कुछ औरतों ने जो कि शहर में रहती थीं यह बात कही कि अंजीज की बीवी अपने
 गुलाम को उससे अपना (नाजायज) मतलब हासिल करने के वास्ते फुसलाती है (कैसी कमीनी
 हरकत है कि गुलाम पर गिरती है)। उस गुलाम का इश्क उसके दिल में जगह पकड़ गया है, हम
 तो उसको खुली गलती में देखते हैं। सो जब उस औरत ने उन औरतों की यह बदगोई (की
 खबर) सुनी तो किसी के हाथ उनको बुला भेजा (कि तुम्हारी दावत है) और उनके वास्ते मसन्द

तक्रिया लगाया, और (जब वे आई और उनके सामने विभिन्न प्रकार के खाने और फल हाज़िर किये जिनमें कुछ चीज़ें चाकू से तराशकर खाने की थीं इसलिये) हर एक को उनमें से एक-एक चाकू (भी) दे दिया (जो ज़ाहिर में तो फल तराशने का बहाना था और असल मक़सद वह था जो आगे आता है कि ये अपने होश खोकर अपने हाथों को ज़ख्मी कर लेंगी) और (यह सब सामान दुरुस्त करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो किसी दूसरे मकान में थे) कहा कि ज़रा इनके सामने तो आ जाओ। (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यह समझकर कि कोई जायज़ और सही ज़रूरत होगी बाहर आ गये) सो औरतों ने जो उनको देखा तो (उनके हुस्न व खूबसूरती से) हैरान रह गईं और (इस हैरत में) अपने हाथ काट लिये (चाकू से फल तराश रही थीं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसी बदहवासी छाई कि चाकू हाथ पर चल गया) और कहने लगीं- खुदा की पनाह! यह शख्स आदमी हरगिज़ नहीं, यह तो कोई बुजुर्ग़ फ़रिश्ता है। वह औरत बोली तो (देख लो) वह शख्स यही है जिसके बारे में तुम मुझको बुरा-भला कहती थीं (कि अपने गुलाम को चाहती हैं) और वाक़ई मैंने इससे अपना मतलब हासिल करने की इच्छा की थी मगर यह पाक-साफ़ रहा, और (फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के धमकाने और सुनाने को कहा कि) अगर आईन्दा (भी) मेरा कहना नहीं करेगा (जैसा कि अब तक न माना) तो बेशक जेलखाने भेज दिया जायेगा और बेइज़्जत भी होगा। (वे औरतें भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहने लगीं कि तुमको अपनी मोहसिन औरत से ऐसी बेतवज्जोही मुनासिब नहीं, जो यह कहे उसको मानना चाहिये)। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने (ये बातें सुनीं कि ये तो सब की सब उसी की मुवाफ़क़त करने लगीं तो हक़ तआला से) दुआ की कि ऐ मेरे रब! जिस (नाजायज़) काम की तरफ़ ये औरतें मुझको बुला रही हैं उससे तो जेल में जाना ही मुझको ज़्यादा पसन्द है। और अगर आप इनके दाव-पेच को मुझसे दूर न करेंगे तो मैं इनकी तरफ़ माईल हो जाऊँगा और नादानी का काम कर बैठूँगा। सो उनके रब ने उनकी दुआ कुबूल की और उन औरतों के दाव-पेच को उनसे दूर रखा, बेशक वह (दुआओं का) बड़ा सुनने वाला (और उनके अहवाल का) बड़ा जानने वाला है। (फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की) बहुत-सी निशानियाँ देखने के बाद (जिनसे खुद तो इसका पूरा यकीन हो गया मगर अ़वाम में चर्चा हो गया था उसको ख़त्म करने की गर्ज़ से) उन लोगों को (यानी अज़ीज़ और उसके मिलने-जुलने वालों को) यही बेहतर मालूम हुआ कि उनको एक वक़्त तक कैद में रखें।

मआरिफ़ व मसाईल

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ

“यानी जब जुलैखा ने उन औरतों के मक्र (फ़रेब) का हाल सुना तो उनको एक खाने की दावत पर बुला भेजा।”

यहाँ उन औरतों के तज़क़िरा करने को जुलैखा ने मक्र कहा है, हालाँकि बज़ाहिर उन्होंने कोई मक्र नहीं किया था, मगर चूँकि छुपे तौर पर उसकी बुराई करती थीं इसलिये इसको मक्र से

तावीर किया।

وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً

यानी उनके लिये मसनद तकियों से मज्लिस सजाई।

وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا

यानी जब वे औरतें आ गईं और इनके सामने विभिन्न और अनेक किस्म के खाने और फल हाज़िर किये, जिनमें कुछ चीजें चाकू से तराश (छील) कर खाने की थीं इसलिये हर एक को एक एक तेज़ चाकू भी दे दिया, जिसका ज़हिरी मक़सद तो फल तराशना था मगर दिल में वह बात छुपी थी जो आगे आती है कि ये औरतें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने होश खो बैठेंगी और चाकू से अपने हाथ ज़ख्मी कर लेंगी।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْنَ

यानी यह सब सामान दुरुस्त करने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जो किसी दूसरे मकान में थे ज़ुलैखा ने कहा कि ज़रा बाहर आ जाओ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को चूँकि उसकी बुरी गर्ज मालूम न थी इसलिये बाहर उस मज्लिस में तशरीफ़ ले आये।

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

यानी उन औरतों ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न व सुन्दरता से हैरान रह गईं और अपने हाथ काट लिये, यानी फल तराशते वक़्त जब यह हैरत-अंगेज़ वाक़िआ सामने आया तो चाकू हाथ पर चल गया जैसा कि दूसरी तरफ़ ख़्याल बट जाने से अक्सर ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो जाता है, और कहने लगीं कि खुदा की पनाह यह शख्स आदमी हरगिज़ नहीं, यह तो कोई बुजुर्ग़ फ़रिश्ता है। मतलब यह था कि ऐसा नूरानी तो फ़रिश्ता ही हो सकता है।

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاَمْتَعَصَمَ، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا امْرَأَةٌ يُسَيِّئُ لِكُرْبَانَا

مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝

वह औरत बोली कि देख लो वह शख्स यही है जिसके बारे में तुम मुझे बुरा-भला कहती थीं और वाक़ई मैंने इससे अपना मतलब हासिल करने की इच्छा और तलब की थी मगर यह पाक साफ़ रहा और आईन्दा यह मेरा कहना न मानेगा तो बेशक जेलखाने भेजा जायेगा और बेइज़्ज़त भी होगा।

उस औरत ने जब यह देखा कि मेरा राज़ इन औरतों पर खुल तो चुका ही है इसलिये उनके सामने ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को डराने धमकाने लगी। बाज़ मुफ़स्सरीन ने बयान किया है कि उस वक़्त ये सब औरतें भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहने लगीं कि यह औरत तुम्हारी मोहसिन है, इसकी मुख़ालफ़त नहीं करनी चाहिये।

और क़ुरआने करीम के कुछ अलफ़ाज़ जो आगे आते हैं उनसे भी इसकी ताईद होती है जैसे 'यदक़-ननी' और 'कैदहुन-न' जिनमें चन्द औरतों का कौल जमा (बहुवचन) के कलिमे के साथ जिक़्र किया गया है।

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि ये औरतें भी इसकी मुवाफ़क़त और ताइद कर रही हैं और इनके फ़रेब व जाल से बचने की जाहिरी कोई तदबीर नहीं रही तो अल्लाह तआला की तरफ़ ही रुजू फ़रमाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया:

رَبِّ السَّجُنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَالْأَنْصَرِفَ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكْرَمَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

“यानी ऐ मेरे पालने वाले! ये औरतें मुझे जिस काम की तरफ़ दावत देती हैं उससे तो मुझे जेलख़ाना ज़्यादा पसन्द है, और अगर आप ही उनके दाव-पेच को मुझसे दूर न करें तो मुम्किन है कि मैं उनकी तरफ़ माईल हो जाऊँ और नादानी का काम कर बैठूँ।”

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का यह फ़रमाना कि जेलख़ाना मुझे पसन्द है, कैद व बन्द की कोई तलब या इच्छा नहीं बल्कि गुनाह के मुक़ाबले में इस दुनियावी मुसीबत को आसान समझने का इज़हार है। और कुछ रिवायतों में है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद में डाले गये तो अल्लाह तआला की तरफ़ से वही आई कि आपने कैद में अपने आपको खुद डाला है क्योंकि आपने कहा था:

السَّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ

यानी इसके मुक़ाबले में मुझको जेलख़ाना ज़्यादा पसन्द है। और अगर आप आफ़ियत माँगते तो आपको मुकम्मल आफ़ियत (सुकून व हिफ़ाज़त) मिल जाती। इससे मालूम हुआ कि किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिये दुआ में यह कहना कि इससे तो यह बेहतर है कि फुल्लों छोटी मुसीबत में मुझे मुब्तला कर दे, मुनासिब नहीं, बल्कि अल्लाह तआला से हर मुसीबत और बला के वक़्त आफ़ियत (सुकून व बेहतरी) ही माँगनी चाहिये। इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने सब्र की दुआ माँगने से एक शख्स को मना फ़रमाया कि सब्र तो बला और मुसीबत पर होता है, इसलिये अल्लाह से सब्र की दुआ माँगने के बजाय आफ़ियत (चैन व सुकून) की दुआ माँगें। (तिर्मिज़ी)

और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि मुझे कोई दुआ तालीम फ़रमा दीजिये तो आपने फ़रमाया कि अपने रब से आफ़ियत (चैन व सुकून) की दुआ माँगा करो। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद फिर मैंने आपसे दुआ की तालीम का सवाल किया तो फ़रमाया कि अल्लाह तआला से दुनिया व आख़िरत की आफ़ियत माँगा करें। (मज़हरी, तबरानी के हवाले से)

और यह फ़रमाना कि अगर आप उनके फ़रेब व जाल को दूर न करेंगे तो मुम्किन है कि मैं उनकी तरफ़ माईल हो जाऊँ, यह नुबुव्वत की हिफ़ाज़त व सुरक्षा के खिलाफ़ नहीं, क्योंकि हिफ़ाज़त व बचाव का तो हासिल ही यह है कि अल्लाह तआला किसी शख्स को गुनाह से बचाने का ग़ैबी तौर पर बिना असबाब के इन्तिज़ाम फ़रमाकर उसको गुनाह से बचा लें। और अगरचे नुबुव्वत के तकाज़े के तहत यह मक़सद पहले ही से हासिल था मगर फिर भी ख़ौफ़ की ज़्यादती के सबब अदब से इसकी दुआ करने पर मजबूर हो गये। इससे यह भी मालूम हुआ कि हर गुनाह का काम जहलत से होता है, इल्म का तकाज़ा गुनाहों से परहेज़ करना है। (कुर्तुबी)

فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

“यानी उनकी दुआ उनके रब ने कुबूल फरमा ली, और उन औरतों के मक़द व हीले को उनसे दूर रखा, बेशक वह बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है।”

अल्लाह तआला ने उन औरतों के जाल से बचाने के लिये यह सामान फरमा दिया कि अज़ीज़े मिस्र और उसके दोस्तों को अगरचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और पवित्रता व परहेज़गारी की खुली निशानियाँ देखकर उनकी पाकी का यकीन हो चुका था मगर शहर में इस वाकिए का चर्चा होने लगा उसको ख़त्म करने के लिये उनको बेहतरी इसमें नज़र आई कि कुछ अरसे के लिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में बन्द कर दिया जाये, ताकि अपने घर में इन शुब्हात का कोई मौका भी बाकी न रहे, और लोगों की ज़बानों से इसका चर्चा भी ख़त्म हो जाये।

ثُمَّ بَدَأَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَجْنَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

यानी फिर अज़ीज़ और उसके सलाहकारों ने बेहतरी और भलाई इसमें समझी कि कुछ अरसे के लिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद में रखा जाये, चुनाँचे आप जेलखाने में भेज दिये गये।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ

فَتَيْنٍ ۚ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْآخَرَانِي أَنِّي أَرَانِي أُجْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْتَنَا بِنَآئِيلِهِ ۚ إِنَّا نَارِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِنَآئِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَتَّشِرَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ يَصَاحِبِ السِّجْنَ ۚ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ الْأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَصَاحِبِ السِّجْنَ ۚ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۚ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاقٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝

व द-ख-ल म-अहुस्सिज-न फ-तयानि,
का-ल अ-हदुहमा इन्नी अरानी

और दाखिल हुए कैदखाने में उसके साथ
दो जवान, कहने लगा उनमें में एक में

अअसिरु खमरन् व कालल्-आखरु
 इन्नी अरानी अस्मिलु फ़ौ-क़ रअसी
 ख़ुबज़न् तअकुलुत्तैरु मिन्हु,
 नब्बिअना बितअवीलिही इन्ना नरा-क
 मिनल्मुहिसनीन (36) का-ल ला
 यअतीकुमा तअामुन् तुरजक़ानिही
 इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही
 कब्-ल अय्यअति-यकुमा, ज़ालिकुमा
 मिम्मा अल्ल-मनी रब्बी, इन्नी तरक्तु
 मिल्ल-त कौमिल् ला युअमिन्-न
 बिल्लाहि व हुम् बिल्आख़िरति हुम्
 काफ़िरुन (37) वत्तवअतु मिल्ल-त
 आबाई इब्राही-म व इस्हा-क़ व
 यअकू-ब, मा का-न लना अन्
 नुशिर-क बिल्लाहि मिन् शैइन्,
 ज़ालि-क मिन् फ़ज़िलल्लाहि अलैना
 व अलन्नासि व लाकिन्-न
 अक्सरन्नासि ला यश्कुरुन (38) या
 साहि-बयिरिसिज्जिन अ-अर्बामुम्
 मु-तफ़रिक्-न ख़ैरुन् अमिल्लाहुल्-
 वाहिदुल्-कह्हार (39) मा तअबुदू-न
 मिन् दूनिही इल्ला अस्माअन्
 सम्मैतुमूहा अन्तुम् व आबाउकुम् मा
 अन्ज़लल्लाहु बिहा मिन् सुल्लानिन्,
 इनिल्हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, अ-म-र

देखता हूँ कि मैं निचोड़ता हूँ शराब और
 दूसरे ने कहा कि मैं देखता हूँ कि उठा
 रहा हूँ अपने सर पर रोटी कि जानवर
 खाते हैं उसमें से, बतला हमको इसकी
 ताबीर, हम देखते हैं तुझको नेकी वाला।
 (36) बोला न आने पायेगा तुमको खाना
 जो हर दिन तुमको मिलता है मगर बता
 चुकूँगा तुमको इसकी ताबीर उसके आने
 से पहले, यह इल्म है जो कि मुझको
 सिखाया मेरे रब ने, मैंने छोड़ा दीन उस
 कौम का कि ईमान नहीं लाते अल्लाह पर
 और आख़िरत से वे लोग इनकारी हैं।
 (37) और पकड़ा मैंने दीन अपने बाप
 और दादाओं का इब्राहीम और इस्हाक़
 और याक़ूब का, हमारा काम नहीं कि
 शरीक करें अल्लाह का किसी चीज़ को,
 यह फ़ज़ल है अल्लाह का हम पर और
 सब लोगों पर लेकिन बहुत लोग एहसान
 नहीं मानते। (38) ऐ कैदख़ाने के साथियो!
 भला कई माबूद जुदा-जुदा बेहतर या
 अल्लाह अकेला ज़बरदस्त? (39) कुछ
 नहीं पूजते हो तुम सिवाय इसके मगर नाम
 हैं जो रख लिये हैं तुमने और तुम्हारे
 बाप दादाओं ने, नहीं उतारी अल्लाह ने
 उनकी कोई सनद, हुकूमत नहीं है किसी
 की सिवाय अल्लाह के, उसने फ़रमा दिया

अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु,
 जालिकद्-दीनुल्-क़दियमु व
 लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअलमून
 (40) या साहि-बयिस्सिज्नि अम्मा
 अ-हदुकुमा फ-यस्की रब्बहू ख्रम्रन्
 व अम्मल्-आख़ारु फ़युस्-लबु
 फ़-तअकुलुत्-तैरु मिर्रअसिही,
 कुजियल्-अम्रुल्लज़ी फ़ीहि
 तस्तफ़ितयान (41) व का-ल तिल्लज़ी
 जन्-न अन्नहू नाजिम्-मिन्हुमज़्कुरनी
 अिन्-द रब्बि-क, फ़अन्साहुशैतानु
 जिक्-र रब्बिही फ़-लबि-स फ़िस्सिज्नि
 बिज़्-अ सिनीन (42) ❀

कि न पूजो मगर उसी को, यही है रास्ता
 सीधा, पर बहुत लोग नहीं जानते। (40)
 ऐ कैदखाने के साथियो! एक जो है तुम
 दोनों में सो पिलायेगा अपने मालिक को
 शराब और दूसरा जो है सो सूली दिया
 जायेगा, फिर खायेंगे जानवर उसके सर में
 से, फ़ैसल (तय) हुआ वह काम जिसकी
 तहकीक़ तुम चाहते थे। (41) और कह
 दिया यूसुफ़ ने उसको जिसको गुमान
 किया था कि बचेगा उन दोनों में से कि
 मेरा जिक्र करना अपने मालिक के पास,
 सो भुला दिया उसको शैतान ने जिक्र
 करना अपने मालिक से, फिर रहा कैद में
 कई साल। (42) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के साथ (यानी उसी ज़माने में) और भी दो गुलाम (बादशाह के) कैदखाने में दाखिल हुए (जिनमें एक साकी यानी शराब पिलाने वाला था, दूसरा रोटी पकाने वाला बावर्ची, और उनकी कैद का सबब यह शुब्हा था कि उन्होंने खाने में और शराब में ज़हर मिलाकर बादशाह को दिया है। उनके मुक़द्दमे की तफ़्तीश चल रही थी, इसलिये कैद कर दिये गये। उन्होंने जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में बुजुर्गी के आसार पाये तो) उनमें से एक ने (हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से) कहा कि मैं अपने आपको सपने में देखता हूँ कि (जैसे) शराब (बनाने के लिये अंगूर का शीरा) निचोड़ रहा हूँ (और बादशाह को वह शराब पिला रहा हूँ), और दूसरे ने कहा कि मैं अपने आप को इस तरह देखता हूँ कि (जैसे) मैं अपने सर पर रोटियाँ लिये जाता हूँ (और) उनमें से परिन्दे (नोच-नोचकर) खाते हैं। हमको इस ख़्याब की (जो हम दोनों ने देखा है) ताबीर बतलाईये, आप हमको नेक आदमी मालूम होते हैं।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने (जब यह देखा कि ये लोग यकीन व एतिकाद के साथ मेरी तरफ़ माईल हुए हैं तो चाहा कि उनको सबसे पहले ईमान की दावत दी जाये इसलिये पहले अपना नबी होना एक मोजिजे से साबित करने के लिये) फ़रमाया कि: (देखो) जो खाना तुम्हारे पास आता है जो कि तुमको खाने के लिये (जेलखाने में) मिलता है, मैं उसके आने से पहले उसकी

हकीकत तुम्हको बतला दिया करता हूँ (कि फुल्लों चीज़ आयेगी और ऐसी-ऐसी होगी और) यह बतला देना उस इल्म की बदौलत है जो मुझको मेरे रब ने तालीम फ़रमाया है (यानी मुझको वही से मालूम हो जाता है, तो यह एक मोजिज़ा है जो नुबुव्वत की दलील है, और इस वक़्त यह मोजिज़ा खास तौर पर इसलिये मुनासिब था कि जिस वाक़िए में कैदियों ने ताबीर के लिये उनकी तरफ़ रुजू किया वह वाक़िआ भी खाने ही से मुताल्लिक़ था, नुबुव्वत के साबित करने के बाद आगे तौहीद को साबित करने का मज़मून बयान फ़रमाया कि) मैंने तो उन लोगों का मज़हब (पहले ही से) छोड़ रखा है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, और वे लोग आख़िरत के भी इनकारी हैं। और मैंने अपने इन (बुजुर्गवार) बाप-दादों का मज़हब इख़्तियार कर रखा है- इब्राहीम का और इस्हाक़ का और याक़ूब का (और इस मज़हब का मुख्य अंग यह है कि) हमको किसी तरह मुनासिब नहीं कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को (इबादत में) शरीक करार दें। यह (तौहीद का अक़ीदा) हम पर और (दूसरे) लोगों पर (भी) खुदा तआला का एक फ़ज़ल है (कि इसकी बदौलत दुनिया व आख़िरत की कामयाबी है) लेकिन अक्सर लोग (इस नेमत का) शुक्र (अदा) नहीं करते (यानी तौहीद को इख़्तियार नहीं करते)।

ऐ कैदख़ाने के साथियो! (ज़रा सोचकर बतलाओ कि इबादत के वास्ते) मुतफ़रिफ़ "यानी अलग-अलग" माबूद अच्छे या एक माबूदे बरहक़, जो सबसे ज़बरदस्त है वह अच्छा। तुम लोग तो खुदा को छोड़कर सिर्फ़ चन्द बेहकीकत नामों की इबादत करते हो, जिनको तुमने और तुम्हारे बाप-दादाओं ने (खुद ही) मुकरर कर लिया है। खुदा तआला ने तो उन (के माबूद होने) की कोई दलील (अक़ली या किताबी व रिवायती) भेजी नहीं (और) हुक्म खुदा ही का है, उसने यह हुक्म दिया है कि सिवाय उसके और किसी की इबादत मत करो, यही (तौहीद और इबादत सिर्फ़ हक़ तआला के लिये मख़्सूस करना) सीधा तरीका है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। (ईमान की दावत व तक्लीफ़ के बाद अब उनके ख़्याब की ताबीर बताते हैं कि) ऐ कैदख़ाने के दोनों साथियो! तुममें एक तो (जुर्म से बरी होकर) अपने आका को (बदस्तूर) शराब पिलाया करेगा और दूसरा (मुजरिम करार पाकर) सूली दिया जायेगा, और उसके सर को परिन्दे (नोच-नोचकर) खाएँगे, और जिस बारे में तुम पूछते थे वह इसी तरह मुक़द्दर हो चुका (चुनाँचे मुक़द्दिमे की छानबीन और हकीकत खुल जाने के बाद इसी तरह हुआ कि एक बरी साबित हुआ और दूसरा मुजरिम, दोनों जेलख़ाने से बुलाये गये, एक रिहाई के लिये दूसरा सज़ा के लिये)। और (जब वे लोग जेलख़ाने से जाने लगे तो) जिस शख़्स की रिहाई का गुमान था उससे यूसुफ़ ने फ़रमाया कि अपने आका के सामने मेरा भी ज़िक़र करना (कि एक शख़्स बेक़सूर कैद में है। उसने वायदा कर लिया) फिर उसको अपने आका से (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का) ज़िक़र करना शैतान ने भुला दिया तो (इस वजह से) कैदख़ाने में और भी चन्द साल उनका रहना हुआ।

मज़ारिफ़ व मसाईल

उपर्युक्त आयतों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में पेश आने वाले दूसरे वाक़िए

का बयान है। यह बात आप बार-बार मालूम कर चुके हैं कि कुरआने करीम न कोई तारीखी किताब है न किसी कहानी की, इसमें जो तारीखी वाक़िआ या किस्सा ज़िक्र किया जाता है उससे मकसूद सिर्फ़ इनसान को इबत व नसीहत और ज़िन्दगी के विभिन्न पहलुओं के मुताल्लिक़ अहम हिदायतें होती हैं। पूरे कुरआन और बेशुमार अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़िआत में सिर्फ़ एक ही किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ऐसा है जिसको कुरआने करीम ने लागातार बयान किया है वरना हर स्थान के मुनासिब तारीखी वाक़िआ का कोई ज़रूरी हिस्सा ज़िक्र करने पर इक्तिफ़ा किया गया है।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को अब्बल से आख़िर तक देखिये तो इसमें सैंकड़ों इबत व नसीहत के मौक़े और इनसानी ज़िन्दगी के विभिन्न चरणों के लिये अहम हिदायतें हैं। आगे आ रहा यह किस्सा भी बहुत सी हिदायतें अपने दामन में लिये हुए है।

वाक़िआ यह हुआ कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बराअत और पाकी बिल्कुल वाज़ेह हो जाने के बावजूद अज़ीज़े मिस्र और उसकी बीवी ने बदनामी का चर्चा ख़त्म करने के लिये कुछ अरसे के लिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में भेज देने का फैसला कर लिया, जो दर हकीक़त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ और इच्छा की पूर्ति थी क्योंकि अज़ीज़े मिस्र के घर में रहकर आबरू बचाना एक सख़्त मुश्किल मामला हो गया था।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में पहुँचे तो साथ में दो मुजरिम कैदी और भी दाख़िल हुए उनमें से एक बादशाह का साकी (शराब पिलाने वाला) और दूसरा बावर्ची था। इमाम इब्ने कसीर ने तफ़सीर के उलेमा के हवालों से लिखा है कि ये दोनों इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए थे कि इन्होंने बादशाह को खाने वग़ैरह में ज़हर देने को कोशिश की थी, मुक़द्दिमे की छानबीन चल रही थी इसलिये इन दोनों को जेल में रखा गया।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में दाख़िल हुए तो अपने पैग़म्बराना अख़्लाक़ और रहमत व शफ़क़त के सबब सब कैदियों की दिलदारी और ख़बरगीरी करते थे, जो बीमार हो गया उसकी बीमार पुरसी और ख़िदमत करते, जिसको ग़मगीन व परेशान पाते उसको तसल्ली देते, सब्र की तल्कीन और रिहाई की उम्मीद से उसका दिल बढ़ाते थे, खुद तकलीफ़ उठाकर दूसरों को आराम देने की फ़िक्र करते, और रात भर अल्लाह तआला की इबादत में मशगूल रहते थे। आपके ये हालात देखकर जेल के सब कैदी आपकी बुजुर्गी के मोतकिद हो गये, जेल का अफ़सर भी मुतास्सिर हुआ, उसने कहा कि अगर मेरे इख़्तियार में होता तो मैं आपको छोड़ देता, अब इतना ही कर सकता हूँ कि आपको यहाँ कोई तकलीफ़ न पहुँचे।

एक अजीब फ़ायदा

जेल के अफ़सर ने या कैदियों में से कुछ लोगों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपनी अक़ीदत व मुहब्बत का इज़हार किया कि हमें आपसे बहुत मुहब्बत है, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि खुदा के लिये मुझसे मुहब्बत न करो, क्योंकि जब किसी ने मुझसे मुहब्बत की है

तो मुझ पर आफत आई है। बचपन में मेरी फूफ़ी को गुझसे मुहब्बत थी उसके नतीजे में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा, फिर मेरे वालिद ने मुझसे मुहब्बत की तो भाईयों के हाथों कुएं की कैद फिर गुलामी और देस निकाले में मुब्तला हुआ, अजीज की बीबी ने मुझसे मुहब्बत की तो इस जेल में पहुँचा। (तफ़सीर इब्ने कसीर, मजहरी)

ये दो कैदी जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में गये थे एक दिन इन्होंने कहा कि आप हमें नेक बुजुर्ग मालूम होते हैं इसलिये आपसे हम अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और तफ़सीर के कुछ दूसरे इमामों ने फ़रमाया कि यह ख्वाब उन्होंने वास्तव में देखे थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि ख्वाब कुछ न था केवल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और सच्चाई की आजमाईश के लिये ख्वाब बनाया था।

बहरहाल! उनमें से एक यानी शाही साकी ने तो यह कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अंगूर से शराब निकाल रहा हूँ और दूसरे यानी बावर्ची ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियों का कोई टोकरा है उसमें से जानवर नोच-नोचकर खा रहे हैं, और दरख्वास्त की कि हमें इन दोनों ख्वाबों की ताबीरें बतलाईये।

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ख्वाबों की ताबीर पूछी जाती है, मगर वह पैग़म्बराना अन्दाज़ पर इस सवाल के जवाब से पहले तब्लीग़ और ईमान की दावत का काम शुरू फ़रमाते हैं और दावत के उसूलों के मातहत हिक्मत व समझदारी से काम लेकर सब से पहले उन लोगों के दिलों में अपना एतिमाद पैदा करने के लिये अपने इस मोजिज़े का जिक्र किया कि तुम्हारे लिये जो खाना तुम्हारे घरों से या किसी दूसरी जगह से आता है उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किस किस का खाना, कैसा, कितना और किस वक़्त आयेगा, और वह ठीक उसी तरह निकलता है।

ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي

और यह कोई रमल, जफ़र का फ़न या कहानत वगैरह का करतब नहीं बल्कि मेरा रब वही (अपनी तरफ़ से भेजे गये पैग़ाम) के ज़रिये मुझे बतला देता है, मैं उसकी इत्तिला दे देता हूँ और यह एक खुला मोजिज़ा था जो नुबुव्वत की दलील और एतिमाद का बहुत बड़ा सबब है। इसके बाद पहले कुफ़्र की बुराई और कुफ़्र की जमाअत से अपनी बेज़ारी बयान की और फिर यह भी जतला दिया कि मैं नुबुव्वत के ख़ानदान ही का एक फ़र्द और उन्हीं के हक़ रास्ते का पाबन्द हूँ। मेरे बाप-दादा इब्राहीम, इस्हाक़ और याक़ूब अलैहिमुस्सलाम हैं, यह ख़ानदानी शराफ़त भी आदतन इनसान का एतिमाद पैदा करने का सबब होती है। इसके बाद बतलाया कि हमारे लिये किसी तरह जायज़ नहीं कि हम अल्लाह तआला के साथ किसी को उसकी खुदाई सिफ़ात में शरीक समझें। फिर फ़रमाया कि यह दीने हक़ की तौफ़ीक़ हम पर और सब लोगों पर अल्लाह तआला ही का फ़ज़ल है कि उसने सही समय अता फ़रमाकर हक़ को कुबूल करना हमारे लिये आसान कर दिया, मगर बहुत-से लोग इस नेमत की कद्र और शुक्र नहीं करते।

फिर उन्हीं कैंदियों से सवाल किया— अच्छा तुम ही बतलाओ कि इनसान बहुत-से परवर्दिगारों का परस्तार हो यह बेहतर है या यह कि सिर्फ एक अल्लाह का बन्दा बने, जिसका कहर व ताकत सब पर गालिब है। फिर बुतपरस्ती की बुराई एक दूसरे तरीके से यह बतलाई कि तुमने और तुम्हारे बाप-दादों ने कुछ बुतों को अपना परवर्दिगार समझा हुआ है, ये तो सिर्फ नाम ही नाम के हैं, जो तुमने गढ़ लिये हैं, न इनमें जाती सिफात इस काबिल हैं कि इनको किसी मामूली-सी भी कुव्वत व ताकत का गालिब समझा जाये, क्योंकि वे सब बेहिस व हरकत हैं। यह बात तो आँखों से दिखाई देती है। दूसरा रास्ता उनके सच्चे माबूद होने का यह हो सकता था कि अल्लाह तआला उनकी पूजा के लिये अहकाम नाजिल फरमाये, तो अगरचे खुले तौर पर देखने और अक्ल की रहनुमाई से उनकी खुदाई को तस्लीम न करते, मगर हुक्मे खुदावन्दी की वजह से हम अपने देखे और अनुभव को छोड़कर अल्लाह तआला के हुक्म की इताअत करते, मगर यहाँ वह थी नहीं, क्योंकि हक तआला ने इनकी इबादत के लिये कोई हुज्जत व दलील नाजिल नहीं फरमाई बल्कि उसने यही बतलाया कि हुक्म और हुकूमत सिवाय अल्लाह तआला के किसी का हक नहीं, और यह हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो। यह वह भजबूत दीन है जो मेरे बाप-दादा को अल्लाह तआला की तरफ से अता हुआ, मगर अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं समझते।

यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी तब्लीग व दावत के बाद उन लोगों के ख्वाबों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि तुम में से एक तो रिहा हो जायेगा और फिर अपनी नौकरी पर भी बरकरार रहकर बादशाह को शराब पिलायेगा, और दूसरे पर जुर्म साबित होकर उसको सूली दी जायेगी और जानवर उसका गोश्त नोच-नोचकर खायेंगे।

पैगम्बराना शफकत की अजीब मिसाल

इमाम इब्ने कसीर रह. ने फरमाया कि अगरचे उन दोनों के ख्वाब अलग-अलग थे और हर एक की ताबीर मुतैयन थी, और यह भी मुतैयन था कि शाही साकी बरी होकर अपनी नौकरी और इयूटी पर फिर बहाल होगा और चावर्ची को सूली दी जायेगी, मगर पैगम्बराना शफकत व मेहरबानी की वजह से मुतैयन करके नहीं बतलाया कि तुम में से फुल्लों को सूली दी जायेगी ताकि वह अभी से गुम में न घुले, बल्कि सक्षिप्त रूप से यूँ फरमाया कि तुम में से एक रिहा हो जायेगा और दूसरे को सूली दी जायेगी।

आखिर में फरमाया कि मैंने तुम्हारे ख्वाबों की जो ताबीर दी है यह सहज अटकल और अन्दाजे से नहीं दी बल्कि यह खुदाई फैसला है जो दल नहीं सकता। जिन मुफस्सरीन हज़रत ने उन लोगों के ख्वाबों को ग़लत और बनावटी कहा है उन्होंने यह भी फरमाया है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों की ताबीर बतलाई तो ये दोनों बोल उठे कि हमने तो कोई ख्वाब देखा ही नहीं, सहज बात बनाई थी। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया:

لَقَضَى الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝

नाम तुमने यह ख़्वाब देखा या नहीं देखा अब वाक़िआ बू ही होगा जो बयान किया गया है। नक़्सद यह है कि झूठा ख़्वाब बनाने का गुनाह का जो अपराध तुमने किया था अब उसकी सज़ा यही है जो ख़्वाब की ताबीर में बयान हुई।

फिर जिस शख्स के मुताल्लिक़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख़्वाब की ताबीर के ज़रिये यह समझते थे कि वह रिहा होगा उससे कहा कि जब तुम आज़ाद होकर जेल से बाहर जाओ और शाही दरबार में तुम्हारी पहुँच हो तो अपने बादशाह से मेरा भी ज़िक्र कर देना कि वह बेगुनाह कैद में पड़ा हुआ है, मगर उस शख्स को आज़ाद होने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की यह बात याद न रही जिसका नतीजा यह हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आज़ादी को और देर लगी और इतना वाक़िआ के बाद चन्द साल और कैद में रहे। यहाँ क़ुरआने करीम में लफ़्ज़ 'बिज़-अ सिनीन' आया है। यह लफ़्ज़ तीन से लेकर नौ तक सादिक़ आता है। कुछ मुफ़रिसरीन ने फ़रमाया कि इस वाक़िआ के बाद सात साल और कैद में रहने का इत्तिफ़ाक़ हुआ।

अहकाम व मसाईल

उपर्युक्त आयतों से बहुत-से अहकाम व मसाईल और फ़ायदे व हिदायतें हासिल होते हैं इनमें गौर कीजिये:

पहला मसला यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में भेजे गये जो मुजरिमों और बदमाशों की बस्ती होती है, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ भी अच्छे अख़्लाक़, अच्छे रहन-सहन और बर्ताव का वह मामला किया जिससे ये सब मुरीद हो गये, जिससे मालूम हुआ कि सुधारकों के लिये लाज़िम है कि मुजरिमों ख़ताकारों से शफ़क़त व हमदर्दी का मामला करके उनको अपने से जोड़ने और पास लगाने का काम करें, किसी क़दम पर नफ़रत व नापसन्दीदगी का इज़हार न होने दें।

दूसरा मसला आयत के जुमले 'इन्ना नरा-क मिनल्-मुहसिनीन' से यह मालूम हुआ कि ख़्वाब की ताबीर ऐसे ही लोगों से मालूम करनी चाहिये जिनके नेक, सालेह और हमदर्द होने पर भरोसा हो।

तीसरा मसला यह मालूम हुआ कि हक़ की दावत देने वालों और मख़्लूक़ की इस्लाह (सुधार) की ख़िदमत करने वालों का तरीक़ा-ए-अमल यह होना चाहिये कि पहले अपने अच्छे अख़्लाक़ और अमली व इल्मी कमालों के ज़रिये अल्लाह की मख़्लूक़ पर अपना विश्वास कायम करें, चाहे इसमें उनको कुछ अपने कमालात का इज़हार भी करना पड़े, जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस मौक़े पर अपना मोजिज़ा भी ज़िक्र किया और अपना नुबुव्वत के ख़ानदान का एक फ़र्द होना भी ज़ाहिर किया। यह कमाल का इज़हार अगर मख़्लूक़ की इस्लाह (सुधार) की नीयत से हो, अपनी ज़ाती बड़ाई साबित करने के लिये न हो तो वह यह अपनी पाकीज़गी बयान करना नहीं जिसकी मनाही क़ुरआने करीम में आई है 'फ़ला तुज़क्कू अन्फु-सकुम' यानी अपनी पाक-नफ़्सी का इज़हार न करो। (तफ़्सीरे मज़हरी)

चौथा मसला तब्लीग व दावत का एक अहम उजूल यह बतलाया गया है कि दाओ (दावत का काम करने वाले) और सुधारक का फर्ज है कि हर वक्त हर हाल में अपने दावत व तब्लीग के काम को सब कामों से आगे और ऊपर रखे, कोई उसके पास किसी काम के लिये आये वह अपने असली काम को न भूले, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास ये कैदी ख़्वाब की ताबीर पूछने के लिये आये तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़्वाब की ताबीर के जवाब से पहले दावत व तब्लीग के ज़रिये उनको हिदायत व रहनुमाई का तोहफ़ा अता फ़रमाया। यह न समझे कि दावत व तब्लीग किसी जलसे, किसी मिम्बर या स्टेज पर ही हुआ करती है, व्यक्तिगत मुलाकातों और निजी बातचीत के ज़रिये यह काम इससे ज़्यादा असरदार (प्रभावी) होता है।

पाँचवाँ मसला भी इसी दावत व इस्लाह से मुताल्लिक है कि हिक्मत के साथ वह बात कही जाये जो मुखातब के दिल में जगह बना सके। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको यह दिखाया कि मुझे जो कोई कमाल हासिल हुआ वह इसका नतीजा है कि मैंने कुफ़्र के रास्ते और मज़हब को छोड़कर इस्लाम मज़हब को इख्तियार किया और फिर कुफ़्र व शिर्क की ख़राबियाँ दिल में बैठ जाने वाले अन्दाज़ में बयान फ़रमाई।

छठा मसला इससे यह साबित हुआ कि जो मामला मुखातब (संबोधित व्यक्ति) के लिये तकलीफ़देह और नागवार हो उसका इज़हार ज़रूरी हो तो मुखातब के सामने जहाँ तक मुम्किन हो ऐसे अन्दाज़ से किया जाये कि उसको तकलीफ़ कम से कम पहुँचे, जैसे ख़्वाब की ताबीर में एक शख्स की हलाकत मुतैयन थी मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको अस्पष्ट रखा, यह मुतैयन करके नहीं कहा कि तुम सूली पर चढ़ाये जाओगे। (तफ़सीर इब्ने कसीर, मज़हरी)

सातवाँ मसला यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल से रिहाई के लिये उस कैदी से कहा कि जब बादशाह के पास जाओ तो मेरा भी ज़िक्र करना कि यह बेकसूर जेल में है। इससे मालूम हुआ कि किसी मुसीबत से छुटकारे के लिये किसी शख्स को कोशिश का माध्यम और ज़रिया बनाना तवक्कुल के खिलाफ़ नहीं।

आठवाँ मसला यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहू को अपने ख़ास और चुने हुए पैग़म्बरों के लिये हर जायज़ कोशिश भी पसन्द नहीं कि किसी इनसान को अपने छुटकारे का ज़रिया बनायें, उनके और हक़ तआला के बीच कोई वास्ता न होना ही अम्बिया का असली मक़ाम है, शायद इसी लिये यह कैदी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस कहने को भूल गया और उनको मज़ीद कई साल जेल में रहना पड़ा। एक हदीस में भी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस तरह इशारा फ़रमाया है।

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرِي سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَمَا
نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ۖ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْتِكُمْ بِتَأْوِيلِهِ

فَارْسَلُونِ يُوْسُفَ اِيْهَا الصِّدِيْقُ افْتَدِيَا فِى سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عَشْرَ اَشْهُارٍ وَسَبْعِ
 سُنْبُلَاتٍ خَضْرًا وَاخْرِيْءٍ اَعْلَى اَرْجَعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابًا
 فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِى سُنْبُلِهِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ۝ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا
 يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَحْصِنُوْنَ ۝ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِىْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ
 فِىْهِ يَعْصِرُوْنَ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُّونِيْ بِهٖ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ
 النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۝ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۝

व कालल्-मलिकु इन्नी अरा सब्-अ
 व-करातिन् सिमानिय्यअकुलुहुन्-न
 सब्अन् अिजाफुव्-व सब्-अ
 सुम्बुलातिन् खुजिरिव्-व उ-खर-र
 याबिसातिन्, या अय्युहल् म-लउ
 अफ्तूनी फी रुअ्या-य इन् कुन्तुम्
 लिर्हअ्या तअ्बुरून (43) कालू
 अज्गासु अस्तामिन् व मा नहनु
 बितअ्वीलिल्-अस्तामि बिअलिमीन
 (44) व कालल्लजी नजा मिन्हुमा
 वद्द-क-र बअ्-द उम्पतिन् अ-न
 उनब्बिउकुम् बितअ्वीलिही
 फ-अरसिलून (45) यूसुफु
 अय्युहस्सिद्दीकु अफित्ना फी सब्अि
 व-करातिन् सिमानिय्यअकुलुहुन्-न
 सब्अन् अिजाफुव्-व सब्अि सुम्बुलातिन्
 खुजिरिव्-व उ-खर-र याबिसातिल्-
 लअल्ली अर्जिअु इलन्नासि लअल्लहुम्

और कहा बादशाह ने मैं ख्वाब में देखता
 हूँ सात गायें मोटी उनको खाती हैं सात
 गायें दुबली, और सात बालें हरी और
 दूसरी सूखी, ऐ दरबार वालों! ताबीर कहो
 मुझसे मेरे ख्वाब की अगर हो तुम ख्वाब
 की ताबीर देने वाले। (43) बोले ये
 ख्याली ख्वाब हैं, और हमको ऐसे ख्वाबों
 की ताबीर मालूम नहीं। (44) और बोला
 वह जो बचा था उन दोनों में से और
 याद आ गया उसको मुद्दत के बाद, मैं
 बताऊँ तुमको इसकी ताबीर सो तुम
 मुझको भेजो। (45) जाकर कहा ऐ सच्चे
 यूसुफ़! हुक्म दे हमको इस ख्वाब में,
 सात गायें मोटी उनको खायें सात दुबली
 और सात बालें हरी और दूसरी सूखी,
 ताकि ले जाऊँ मैं लोगों के पास शायद

यअलमून (46) का लं तज्-रअून
 सब्-अ सिनी-न द-अबन् फ़मा
 हसत्तुम् फ़-जरूहु फ़ी सुम्बुलिही
 इल्ला क़लीलम्-मिम्मा तअकुलून (47)
 सुम्-म यअती मिम्-बअदि ज़ालि-क
 सबअन् शिदादुं यअकुलून मा
 क़द्दम्तुम् लहुन्-न इल्ला क़लीलम्
 मिम्मा तुस्सिनून (48) सुम्-म
 यअती मिम्-बअदि ज़ालि-क आमुन्
 फ़ीहि युगासुन्नासु व फ़ीहि
 यअसिरून (49) ❀

व क़ालल्-गलिकुअतूनी बिही
 फ़-लम्मा जा-अहुरसूलु क़ालर्जिअ् इला
 रब्बि-क फ़सअल्हु मा बालुन्निस्वतिल्-
 लाती क़त्तअ्-न ऐदियहुन्-न, इन्-न
 रब्बी बिकैदिहिन्-न अलीम (50)

उनको मालूम हो। (46) कहा तुम खेती
 करोगे सात साल जमकर, सो जो काटो
 उसको छोड़ दो उसकी बाल में मगर
 थोड़ा सा जो तुम खाओ। (47)
 फिर आर्येंगे उसके बाद सात साल सख्ती
 के, खा जायेंगे जो रखा तुमने उनके
 वास्ते मगर थोड़ा सा जो रोक रखोगे बीज
 के वास्ते। (48) फिर आयेगा उसके बाद
 एक बरस उसमें पीह बरसेगा लोगों पर
 उसमें रस निचोड़ेंगे। (49) ❀

और कहा बादशाह ने ले आओ उसको
 मेरे पास, फिर जब पहुँचा उसके पास
 भेजा हुआ आदमी कहा लौट जा अपने
 आका के पास और पूछ उससे क्या
 हकीकत है उन औरतों की जिन्होंने काटे
 थे अपने हाथ, मेरा रब तो उनका सब
 फ़रेब जानता है। (50)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और मिस्र के बादशाह ने (भी एक ख़्वाब देखा और हुकूमत के ख़ास लोगों को जमा करके
 उनसे) कहा कि मैं (ख़्वाब में क्या) देखता हूँ कि सात गायें मोटी-ताज़ी हैं जिनको सात कमज़ोर
 और दुबली गायें खा गईं, और सात बालें हरी हैं और उनके अलावा सात और हैं जो कि सूखी हैं
 (और सूखी बालों ने इसी तरह उन सात हरी बालियों पर लिपट कर उनको खुश्क कर दिया)। ऐ
 दरबार बालो! अगर तुम (ख़्वाब को) ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख़्वाब के बारे में मुझको
 जवाब दो। वे लोग कहने लगे कि (अब्वल तो यह कोई ख़्वाब ही नहीं जिससे आप फ़िक्र में पड़ें)
 यूँ ही परेशान ख़्यालान हैं, और (दूसरे) हम लोग (जो कि हुकूमत के मामलात में माहिर हैं)
 ख़्वाबों की ताबीर का इल्म भी नहीं रखते। (दो जवाब इसलिये दिये कि पहले जवाब से बादशाह
 के दिल से परेशानी और बुरे ख़्यालात को दूर करना है और दूसरे जवाब से अपना उज़्र ज़ाहिर

करना है। खुलासा यह है कि अब्बल तो ऐसे ख़्वाब क़विले नावीर नहीं, दूसरे हम इस फ़न से वाकिफ़ नहीं)।

और उन (ज़िक्र हुए) दो कैदियों में से जो रिहा हो गया था (वह मज्लिस में हाज़िर था) उसने कहा, और मुदत के बाद उसको (हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वसीयत का) ख़्याल आया कि मैं इसकी ताबीर की ख़बर लाये देता हूँ, आप लोग मुझको ज़रा जाने की इजाज़त दीजिये। (चुनाँचे दरबार से इजाज़त हुई और वह कैदख़ाने में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और जाकर कहा) ऐ यूसुफ़! ऐ सच्चवाई के पैकर! आप हम लोगों को इस (ख़्वाब) का जवाब (यानी ताबीर) दीजिये कि सात गायें मोटी हैं उनको सात दुबली गायें खा गई, और सात बालें हरी हैं और उसके अलावा (सात) सूखी भी हैं (कि उन खुश्क के लिपटने से वे हरी भी सूख गई आप ताबीर बतलाईये) ताकि मैं (जिन्होंने मुझको भेजा है) उन लोगों के पास लौटकर जाऊँ (और बयान करूँ) ताकि (इसकी ताबीर और इससे आपका हाल) उनको भी मालूम हो जाये (ताबीर के मुवाफ़िक़ अमल करें और आपके छूटने की कोई सूरत निकले)।

आपने फ़रमाया कि (उन सात मोटी-ताज़ी गायों और सात सब्ज़ बालों से मुराद पैदावार और बारिश के साल हैं, पस) तुम सात साल लगातार (ख़ूब) ग़ल्ला बोना, फिर जो फ़सल काटो उसको बालों ही में रहने देना (ताकि घुन न लग जाये) हाँ मगर थोड़ा-सा जो तुम्हारे खाने में आये (वह बालों में से निकाला ही जायेगा)। फिर उन (सात बरस) के बाद सात साल ऐसे सख़्त (और सूखे के) आँगे जो कि उस (सारे के सारे) ज़ख़ीरे को खा जाएँगे जिसको तुमने उन सालों के वास्ते जमा कर रखा होगा, हाँ मगर थोड़ा-सा जो (बीज के लिये) रख छोड़ोगे (वह अलबत्ता बच जायेगा)। और उन सूखी बालों और दुबली गायों से इशारा उन सात साल की तरफ़ है)। फिर उस (सात बरस) के बाद एक साल ऐसा आयेगा जिसमें लोगों के लिये ख़ूब बारिश होगी और उसमें (बारिश की वजह से अंगूर कसरत से फलेगे) शीरा भी निचोड़ेंगे (और शराबें पियेंगे, ग़र्ज़ कि वह शख़्त ताबीर लेकर दरबार में पहुँचा) और (जाकर बयान किया) बादशाह ने (जो सुना तो आपके इल्म व फ़ज़ल का मोतक़िद हुआ और) हुक्म दिया कि उनको मेरे पास लाओ (चुनाँचे यहाँ से कासिद चला) फिर जब उनके पास कासिद पहुँचा (और पैग़ाम दिया तो) आपने फ़रमाया कि (जब तक मेरा इस तोहमत से बरी और बेक़सूर होना साबित न हो जायेगा मैं न आऊँगा) तू अपनी सरकार के पास लौट जा, फिर उनसे पूछ कि (कुछ तुमको ख़बर है) उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे। (मतलब यह था कि उनको बुलाकर उस वाकिए की जिसमें मुझको कैद की गई तफ़्तीश व तहकीक़ की जाये और औरतों के हाल से मुराद उनका वाकिफ़ या नावाकिफ़ होना है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हाल से, और उन औरतों को ख़ास तौर पर शायद इसलिये कहा हो कि उनके सामने जुलैखा ने इक़रार किया था कि हाँ मैंने इसको फुसलाया था मगर यह बच निकला। मेरा रब उन औरतों के फ़रेब को ख़ूब जानता है (यानी अल्लाह को तो मालूम ही है कि जुलैखा का मुझ पर तोहमत लगाना एक जाल था मगर लोगों के बीच भी उसकी तस्वीर साफ़ और असलियत सामने आ जाना मुनासिब है। चुनाँचे बादशाह ने

उन औरतों को हाज़िर किया)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में यह बयान है कि फिर हक़ तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रिहाई के लिये पर्दा-ए-ग़ैब से एक सूत यह पैदा फ़रमाई कि मिस्र के बादशाह ने एक ख़्वाब देखा जिससे वह परेशान हुआ, अपनी हुकूमत के ताबीर देने वाले ज्ञानियों और ग़ैब की बातें बताने वालों को जमा करके ख़्वाब की ताबीर मालूम की, वह ख़्वाब किसी की समझ में न आया सब ने यह जवाब दे दिया कि:

أَضْفَاتُ أَحْلَامٍ وَمَنْحَرٌ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَلَمِينَ ۝

अजग़ास, जिग़स की जमा (बहुवचन) है जो ऐसी गठरी को कहा जाता है जिसमें मुक़्तलिफ़ किस्म के सूखे पत्ते और घास-फूस जमा हों। मायने यह थे कि यह ख़्वाब कुछ मिला-जुला है जिसमें ख़्यालात वगैरह शामिल हैं और हम ऐसे ख़्वाबों की ताबीर नहीं जानते, कोई सही ख़्वाब होता तो ताबीर बयान कर देते।

इस वाक़िए को देखकर उस रिहा होने वाले कैदी को लम्बी मुद्दत के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात याद आई और उसने आगे बढ़कर कहा कि मैं आपको इस ख़्वाब की ताबीर बतला सकूँगा। उस वक़्त उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कमालात और ख़्वाब की ताबीर में महारत और फिर मज़लूम होकर कैद में गिरफ़्तार होने का ज़िक्र करके यह चाहा कि मुझे जेलखाने में उनसे मिलने की इजाज़त दी जाये, बादशाह ने इसका इन्तिज़ाम किया, वह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुआ। कुरआने करीम ने इस तमाम वाक़िए की सिर्फ़ एक लफ़ज़ 'फ़अरसिलून' फ़रमाकर बयान किया है, जिसके मायने हैं मुझे भेज दो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़क़िरा फिर सरकारी मन्ज़ूरी और फिर जेलखाने तक पहुँचना ये वाक़िआत खुद ज़िमनी तौर पर समझ में आ जाते हैं, इसलिये इनकी वज़ाहत की ज़रूरत नहीं समझी बल्कि यह बयान शुरू किया:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ

यानी उस शख्स ने जेल पहुँचकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वाक़िए का इज़हार इस तरह किया कि पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सिद्दीक़ यानी कौल व फ़ेल में सच्चा होने का इफ़रार किया फिर दरख़्वास्त की कि मुझे एक ख़्वाब की ताबीर बतलाईये। ख़्वाब यह है कि बादशाह ने यह देखा है कि सात बैल मोटे-ताज़े तन्दुरुस्त हैं जिनको दूसरे सात बैल खा रहे हैं, और यह खाने वाले बैल कमज़ोर और दुबले हैं, साथ ही यह देखा कि सात गेहूँ के सात गुच्छे सरसब्ज़ हरे भरे हैं और सात खुश्क़ हैं।

उस शख्स ने ख़्वाब बयान करने के बाद कहा:

لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْنَمُونَ ۝

यानी आप ताबीर बतला देंगे तो मुश्किल है कि मैं उन लोगों के पास जाऊँ और उनको ताबीर बतलाऊँ, और मुश्किल है कि वे इस तरह आपकी खूबी व कमाल से वाकिफ़ हो जायें।

तफ़सीरे मज़हरी में है कि वाकिफ़ात की जो सूरतें गिसाली आलम में होती हैं वही इनसान को ख़्वाब में नज़र आती हैं। इस आलम में उन सूरतों के ख़ास मायने होते हैं, ख़्वाब की ताबीर के फ़न का सारा मदार इसके जानने पर है कि फुलों गिसाली सूरत से इस आलम में क्या मुराद होती है। अल्लाह तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह फ़न मुकम्मल अला फ़रमाया था, आपने ख़्वाब सुनकर समझ लिया कि सात बैल मोटे-ताज़े और सात गुच्छे हरे-भरे से मुराद सात साल हैं जिनमें पैदावार दस्तूर के मुताबिक़ ख़ूब होगी, क्योंकि बैल को अमीन के हमवार करने और ग़ल्ला उगाने में ख़ास दख़ल है, इसी तरह सात बैल कमज़ोर व दुबले और सात सूखे गुच्छों से मुराद यह है कि पहले सात साल के बाद सात साल सख़्त कहत (सूखे और अकाल) के आयेंगे और कमज़ोर सात बैलों के मोटे बैलों के खा लेने से यह मुराद है कि पिछले सात साल में जो ज़ख़ीरा ग़ल्ले वग़ैरह का जमा होगा वह सब उन कहत (सूखे और अकाल) के सालों में खर्च हो जायेगा, सिर्फ़ बीज के लिये कुछ ग़ल्ला बचेगा।

बादशाह के ख़्वाब में तो बज़ाहिर इतना ही मालूम हुआ था कि सात साल अच्छी पैदावार के होंगे फिर सात साल कहत के, मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस पर एक इज़ाफ़ा यह भी बयान फ़रमाया कि कहत के साल के बाद फिर एक साल ख़ूब बारिश और पैदावार होगी, इसका इल्म यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को या तो इससे हुआ कि जब कहत के साल कुल सात हैं तो अल्लाह की आदत और दस्तूर के मुताबिक़ आठवाँ साल बारिश और पैदावार का होगा। और हज़रत क़तादा रह. ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने वही के ज़रिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस पर बाख़बर कर दिया ताकि ख़्वाब की ताबीर से भी कुछ ज़्यादा ख़बर उनको पहुँचे, जिससे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की यह खूबी व कमाल ज़ाहिर होकर उनकी रिहाई का सबब बने और इस पर मज़ीद यह हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ ख़्वाब की ताबीर बताने ही पर बस नहीं फ़रमाया बल्कि इसके साथ एक समझदारी और हमदर्दी भरा मशिवरा भी दिया, वह यह कि पहले सात साल में जो ज़्यादा पैदावार हो उसको गेहूँ के खोशों (गुच्छों और बालों) ही में महफूज़ रखना ताकि गेहूँ को पुराना होने के बाद कीड़ा न लग जाये। यह तजुर्बे की बात है कि जब तक ग़ल्ला खोशे के अन्दर रहता है ग़ल्ले को कीड़ा नहीं लगता।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ

यानी पहले सात साल के बाद फिर सात साल सख़्त-खुश्कसाली और कहत (सूखे और अकाल) के आयेंगे जो पिछले जमा किये हुए ज़ख़ीरों को खा जायेंगे। ख़्वाब में चूँकि यह देखा था कि ज़ईफ़ कमज़ोर बैलों ने मोटे-ताज़े और ताक़तवर बैलों को खा लिया। इसलिये ख़्वाब की ताबीर में इसके मुनासिब यही फ़रमाया कि कहत के साल पिछले सालों के जमा किये हुए ज़ख़ीरे को खा जायेंगे, अगरचे साल तो कोई खाने वाली चीज़ नहीं, मुराद यही है कि इनसान और जानवर कहत (सूखे) के सालों में पिछले ज़ख़ीरे को खा लेंगे।

किस्से के आगे-पीछे के मज़मून से ज़ाहिर है कि वह शख्स ख़्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मालूम करके लौटा और बादशाह को ख़बर दी, वह इससे मुत्मईन और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कमाल व ख़ूबी का मोतकिद हो गया, मगर कुरआने करीम ने इन सब चीज़ों के ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि ये खुद-ब-खुद समझी जा सकती हैं। इसके बाद का वाकिआ इस तरह बयान फ़रमाया:

وَقَالَ الْمَلِكُ اَنْوَيْ بِه

यानी बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेलख़ाने से निकाला जाये और दरबार में लाया जाये। चुनाँचे बादशाह का कोई कासिद बादशाह का वह पैग़ाम लेकर जेलख़ाने पहुँचा।

मौका बज़ाहिर इसका था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेलख़ाने की लम्बी मुदत से अजिज़ आ रहे थे और छुटकारा व रिहाई चाहते थे, जब बादशाह का पैग़ाम बुलाने के लिये पहुँचा तो फ़ौरन तैयार होकर साथ चल देते, मगर अल्लाह तआला अपने रसूलों को जो बुलन्द मक़ाम अता फ़रमाते हैं उसको दूसरे लोग समझ भी नहीं सकते। इस कासिद को जवाब यह दिया:

قَالَ اَرْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝

यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कासिद से कहा कि तुम अपने बादशाह के पास वापस जाकर पहले यह पूछो कि आपके नज़दीक उन औरतों का मामला किस तरह का है जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे, क्या उस वाकिए में वह मुझे संदिग्ध समझते और मेरा कोई कसूर करार देते हैं?

यहाँ यह बात भी ग़ौर करने के लायक है कि उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन औरतों का ज़िक्र फ़रमाया जिन्होंने हाथ काट लिये थे, अज़ीज़ की बीवी का नाम नहीं लिया जो असल सबब थी। इसमें उस हक़ की रियायत थी जो अज़ीज़ के घर में परवरिश पाने से फ़ितरी तौर पर शरीफ़ इनसान के लिये काबिले लिहाज़ होता है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

और एक बात यह भी है कि असल मक़सद अपनी बराअत का सुबूत था वह उन औरतों से भी हो सकता था और इसमें औरतों की भी कोई ज़्यादा रुस्वाई न थी, अगर वे सच्ची बात का इक़रार कर लेतीं तो सिर्फ़ मशिवरे ही की मुजरिम ठहरतीं, बख़िलाफ़ अज़ीज़ की बीवी के कि उसको तहकीक़ात का निशाना बनाया जाता तो उसकी रुस्वाई ज़्यादा थी। और इसके साथ ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝

यानी मेरा परवर्दिगार तो उनके झूठ और मक्र व फ़रेब को जानता ही है, मैं चाहता हूँ कि बादशाह भी असल हकीक़त से वाकिफ़ हो जायें जिसमें एक बारीक अन्दाज़ से अपनी बराअत का इज़हार भी है।

इस मौक़े पर सही बुख़ारी और ज़ाबे तिमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम का यह इरशाद मन्कूल है कि

अगर मैं इतनी मुद्दत जेलखाने में रहता जितनी यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे हैं और फिर मुझे रिहाई के लिये बुलाया जाता तो फौरन क़बूल कर लेता।

और इमामे तबरी रह. की रिवायत में ये अलफ़ाज़ हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र व तहम्मूल और बुलन्द अख़्लाकी काबिले ताज्जुब हैं, जब उनसे जेलखाने में बादशाह के ख़्वाब की ताबीर मालूम की गई अगर मैं उनकी जगह होता तो ताबीर बतलाने में यह शर्त लगाता कि पहले जेल से निकालो फिर ताबीर बतलाऊंगा। फिर जब कासिद रिहाई का पैग़ाम लाया अगर मैं उनकी जगह होता तो फौरन जेल के दरवाज़े की तरफ़ चल देता। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

इस हदीस में यह बात काबिले गौर है कि हदीस का मंशा यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र व संयम और बुलन्द अख़्लाक की तारीफ़ व प्रशंसा करना है, मगर इसके मुक़ाबले में जिस सूरतेहाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी तरफ़ मन्सूब करके फ़रमाया कि मैं होता तो देर न करता, अगर इसका मतलब यह है कि आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस व्यवहार को अफ़ज़ल फ़रमा रहे हैं और अपनी शान में फ़रमाते हैं कि मैं होता तो इस अफ़ज़ल पर अमल न कर पाता बल्कि इसके मुक़ाबले में जो दूसरा दर्जा है उसको इख़्तियार कर लेता जो बज़ाहिर तमाम अम्बिया से अफ़ज़ल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान से मेल नहीं खाता, तो इसके जवाब में यह भी कहा जा सकता है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिला शुब्हा तमाम अम्बिया में अफ़ज़ल हैं मगर किसी आंशिक अमल में किसी दूसरे पैग़म्बर की अफ़ज़लियत (श्रेष्ठता) इसके विरुद्ध नहीं।

इसके अलावा जैसा कि तफ़सीरे कुर्तुबी में फ़रमाया गया है, यह भी हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के काम के तरीक़े में उनके सब्र व संयम और बुलन्द अख़्लाकी का अज़ीमुशान सुबूत है और वह अपनी जगह काबिले तारीफ़ है लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अमल के जिस तरीक़े को अपनी तरफ़ मन्सूब फ़रमाया उम्मत की तालीम और अंदाज की ख़ैरख़्वाही के लिये वही मुनासिब और अफ़ज़ल है, क्योंकि बादशाहों के मिज़ाज का कोई एतिबार नहीं होता, ऐसे मौक़े पर शर्तें लगाना या देर करना आम लोगों के लिये मुनासिब नहीं होता, संदेह व संभावना है कि बादशाह की राय बदल जाये और फिर यह जेल की मुसीबत बदस्तूर कायम रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह का रसूल होने की वजह से अल्लाह तआला की तरफ़ से यह इल्म भी हो सकता है कि इस ताख़ीर (देरी) से कुछ नुक़सान नहीं होगा, लेकिन दूसरों को तो यह दर्जा हासिल नहीं, रहमतुल-लिल्आलमीन के मिज़ाज व भज़ाक में आम मख़्लूक के कल्याण और बेहतरी की अहमियत ज़्यादा थी, इसलिये फ़रमाया कि मुझे यह मौक़ा मिलता तो मैं देर न करता। वल्लाहु आलम

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِي يَوْسُفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ إِنَّنِي خَصَمْتُ الْحَقَّ أَنَا وَرَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنّٰی لَمْ اَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی الْكٰفِرِیْنَ ۝

का-ल मा ख़त्बुकुन्-न इज़् रावत्तुन्-न
 यूसु-फ़ अन् नफ़िसही, कुल्-न हा-श
 लिल्लाहि मा अलिम्ना अलैहि मिन्
 सूइन्, कालतिमूर-अतुल्-अज़ीज़िल्-
 आ-न हस्ह-सल्-हक्कु, अ-न रावत्तुहू
 अन् नफ़िसही व इन्नहू लमिनस्-
 सादिकीन (51) ज़ालि-क लि-यज़्ल-म
 अन्नी लम् अख़ुन्हु बिल्गै बि व
 अन्नल्ला-ह ला यस्दी कैदल्-
 ख़ाइनीन (52)

कहा बादशाह ने औरतों को- क्या
 हकीकत है तुम्हारी जब तुमने फुसलाया
 यूसुफ़ को उसके नफ़स की हिफ़ाज़त से?
 बोलीं हाशा लिल्लाह हमको मालूम नहीं
 उस पर कुछ बुराई, बोली औरत अज़ीज़
 की- अब खुल गई सच्ची बात, मैंने
 फुसलाया था उसको उसके जी से और
 वह सच्चा है। (51) यूसुफ़ ने कहा यह
 इस वास्ते कि अज़ीज़ मालूम कर ले कि
 मैंने उसकी चोरी नहीं की छुपकर, और
 यह कि अल्लाह नहीं चलाता फ़रेब
 दगाबाज़ों का। (52)

खुलासा-ए-तफ़सीर

कहा कि तुम्हारा क्या वाकिआ है जब तुमने यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) से अपने मतलब की इच्छा की (यानी एक ने इच्छा की और बाकियों ने उसकी मदद की, क्योंकि किसी काम पर मदद करना भी उस काम को करने जैसा है। उस वक़्त तुमको क्या पता चला? शायद बादशाह ने इस तरीके से इसलिये पूछा हो कि मुजरिम सुन ले कि बादशाह को इतनी बात मालूम है कि किसी औरत ने इनसे अपना मतलब पूरा करने की बात की थी, शायद उसका नाम भी मालूम हो, इस हालत में इनकार न चल सकेगा। पस इस तरह शायद खुद इक़रार कर ले। औरतों ने जवाब दिया कि अल्लाह की पनाह! हमको उनमें ज़रा भी बुराई की बात मालूम नहीं हुई (वह बिल्कुल पाक साफ़ हैं। शायद औरतों ने जुलैखा का वह इक़रार इसलिये ज़ाहिर न किया हो कि मकसूद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी का सुबूत था और वह हासिल हो गया, या जुलैखा के सामने होने से शर्म रोक बनी कि उसका नाम लें। अज़ीज़ की बीवी (जो कि हाज़िर थी) कहने लगी कि अब तो हक़ बात (सब पर) ज़ाहिर हो ही गई (अब छुपाना बेकार है, सच यही है कि) मैंने ही उनसे अपने मतलब की इच्छा और तलब की थी (न कि उन्होंने जैसा कि मैंने इल्ज़ाम लगा दिया था) और बेशक वही सच्चे हैं (और ग़ालिबन ऐसे मामले का इक़रार कर लेना मजबूरी की हालत में जुलैखा को पेश आया। गर्ज कि गुफ़्तगू की पूरी सूरतेहाल, तमाम बयानात, इक़रारों और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बराअत का सुबूत उनके पास कहलाकर भेजा, उस वक़्त) यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह एहतिमाम (जो मैंने किया) सिर्फ़ इस वजह से था ताकि अज़ीज़ को (ज्यादा) यक़ीन के साथ मालूम हो जाये कि मैंने उनकी ग़ैर-मौजूदगी में उनकी

आबरू पर हाथ नहीं डाला, और यह (भी मालूम हो जाये) कि अल्लाह तआला खियानत करने वालों के फरेब को चलने नहीं देता (चुनाँचे जुलैखा ने अजीज की आबरू में खियानत की थी कि दूसरे पर निगाह की, खुदा ने उसकी कलाई खोल दी, पस मेरी गर्ज यह थी)।

मआरिफ व मसाईल

हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब शाही कासिद रिहाई का पैगाम देकर बुलाने के लिये आया और उन्होंने कासिद को यह जवाब दिया कि पहले उन औरतों से मेरे मामले की तहकीक़ कर लो जिन्होंने हाथ काट लिये थे। इसमें बहुत सी हिक्मतें छुपी थीं, अल्लाह तआला अपने अम्बिया को जैसे कामिल दीन अता फरमाते हैं ऐसे ही कामिल अक्ल और मामलात व हालात की पूरी समझ भी अता फरमाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शाही पैगाम से यह अन्दाज़ा कर लिया कि अब जेल से रिहाई के बाद मिस्र के बादशाह मुझे कोई सम्मान देंगे, उस वक़्त अक्लमन्दी का तकाज़ा यह था कि जिस ऐब की तोहमत उन पर लगाई गई थी और जिसकी वजह से जेल में डाला गया था उसकी हकीक़त बादशाह और सब लोगों पर पूरी तरह खुल जाये और उनकी बराअत (बरी और पाक होने) में किसी को शुब्हा न रहे, वरना इसका अन्जाम यह होगा कि शाही सम्मान से लोगों की ज़बानें तो बन्द हो जायेंगी मगर उनके दिलों में ये ख्यालात खटकते रहेंगे कि यह वही शख्स है जिसने अपने आका की बीवी पर हाथ डाला था और ऐसे हालात का पैदा हो जाना भी शाही दरबारों में कुछ बर्द नहीं कि किसी वक़्त बादशाह भी लोगों के ऐसे ख्यालात से प्रभावित हो जाये, इसलिये रिहाई से पहले इस मामले की सफ़ाई और तहकीक़ को ज़रूरी समझा और उपर्युक्त दो आयतों में से दूसरी आयत में खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने इस अमल और रिहाई में देरी करने की दो हिक्मतें बयान फरमाई हैं:

अव्वल यह कि:

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ

यानी यह ताख़ीर (विलम्ब और देरी) मैंने इस लिये की कि अजीजे मिस्र को यकीन हो जाये कि मैंने उसकी गैर-मौजूदगी में उसके हक़ में कोई खियानत (बददियानती) नहीं की।

अजीजे मिस्र को यकीन दिलाने की ज़्यादा फिक्र इसलिये हुई कि यह बहुत बुरी सूरत होगी कि अजीजे मिस्र के दिल में मेरी तरफ़ से शुब्हात रहें और फिर शाही सम्मान की वजह से वह कुछ न कह सकें, तो उनको मेरा सम्मान भी सख्त नागवार होगा, और उस पर ख़ामोशी उनके लिये और ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली होगी। वह चूँकि एक ज़माने तक आका की हैसियत से रह चुका था इसलिये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शराफ़त और दिल ने उसको तकलीफ़ पहुँचने को ग़वार न किया, और यह भी जाहिर था कि जब अजीजे मिस्र को बराअत का यकीन हो जायेगा तो दूसरे लोगों की ज़बानें खुद-ब-खुद बन्द हो जायेंगी।

दूसरी हिक्मत यह इरशाद फरमाई:

“यानी वह तहकीकात इसलिये कराई कि लोगों को मालूम हो जाये कि अल्लाह तआला खियानत करने वालों के फरेब (मक्कारी) को चलाने नहीं देता।”

इसके दो मतलब हो सकते हैं एक यह कि तहकीकात के जरिये खियानत करने वालों की खियानत जाहिर होकर सब लोग आगाह व सचेत हो जायें कि खियानत करने वालों का अन्जाम आखिरकार रुस्वाई होता है ताकि आईन्दा सब लोग ऐसे कामों से बचने की पाबन्दी करें, दूसरे यह मानने भी हो सकते हैं कि अगर इसी संदिग्ध हालत में यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाही सम्मान मिल जाता तो देखने वालों को यह ख्याल हो सकता था कि ऐसी खियानत करने वालों को बड़े-बड़े कतबे मिल सकते हैं, इससे उनके एतिक्राद में फर्क आता और खियानत की बुराई दिलों से निकल जाती। बहरहाल ऊपर जिक्र हुई हिक्मतों को सामने रखते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहाई का प्यगाम पाते ही फौरन निकल जाना पसन्द नहीं किया बल्कि शाही स्तर से तहकीकात का मुतालबा किया।

ऊपर बयान हुई पहली आयत में इस तहकीकात का खुलासा जिक्र हुआ है:

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْنَكَ بِرُؤُفٍ عَنْ نَفْسِهِ

“यानी बादशाह ने उन औरतों को जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे हाजिर करके सवाल किया कि क्या बाकिआ है जब तुमने यूसुफ से अपने मतलब की इच्छा की।” बादशाह के इस सवाल से मालूम हुआ कि उसको अपनी जगह यह यकीन हो गया था कि कसूर यूसुफ का नहीं इन औरतों ही का है, इसलिये यह कहा कि तुमने उनसे अपने मतलब की इच्छा की, इसके बाद औरतों का जवाब यह बयान हुआ है:

قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ مَوْرٍ، قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ إِنَّ الْحَقَّ آتَاكِ وَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا وَإِنَّ

لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٥

“यानी सब औरतों ने कहा कि अल्लाह की पनाह! हमें उनमें ज़रा भी कोई बुराई की बात मालूम नहीं हुई। अज़ीज़ की बीबी कहने लगी कि अब तो हक बात जाहिर हो ही गई, मैंने उनसे अपने मतलब की इच्छा की थी और बेशक वही सच्चे हैं।”

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तहकीकात में अज़ीज़े पिस्र की बीबी का नाम न लिया था मगर अल्लाह जल्ल शानुहू जब किसी को इज़्ज़त अता फरमाते हैं तो खुद-ब-खुद लोगों की जबानें उसकी सच्चाई व सफ़ाई के लिये खुल जाती हैं, उस मौक़े पर अज़ीज़ की बीबी ने हिम्मत करके हक के इज़हार का ऐतान खुद कर दिया। यहाँ तक जो हालात व बाकिआत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आपने सुने हैं उनमें बहुत से फायदे व मसाईल और इन्सानी जिन्दगी के लिये अहम हिदायतें पाई जाती हैं।

उनमें से आठ मसाईल पहले बयान हो चुके हैं, उपर्युक्त आयतों से संबन्धित मज़ीद मसाईल और हिदायतें ये हैं:

सवाँ मसला यह है कि अल्लाह तज़ाबा अपने मख़सूस और मज़हूब बंधों से मज़हूब तुम करने के लिये खुद गैबो तदबीरों से इन्तज़ाम फ़रमाते हैं, उनका किसी मख़सूस का इहसास न करना परान्द नहीं फ़रमाते। वही वजह हुई कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जं रिहा होने वाले कैदी से कहा था कि बादशाह से मेरा जिक्र करना उबधो तो भुला दिया गया और फिर पर्दा-ए-एज़ब से एक तदबीर ऐसी की गई जिसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किसी के आभारे भी न हों और पूरी इज़्ज़त व शान के साथ जेल की रिहाई का फ़क़सद भी पूरा हो जाये।

इसका यह सामान किया कि मिला के बादशाह को एक परेशान करने वाला ख़्याब दिखलाया जिसको ताबीर से उसके दरबार के इल्म व फ़न वाले आजिज हुए, इस तरह ज़रूरतमन्द होकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ़ रुजू करना पड़ा। (तफ़सीर इब्ने करीर)

दसवाँ मसला इसमें अच्छे अख़लाक़ की तालीम है कि रिहा होने वाले कैदी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इतना काम न किया कि बादशाह से जिक्र कर देता और उनको मज़ीद सात साल कैद की मुसीबत में गुज़ारने पड़े। जब सात साल के बाद जब वह अपना मतलब यानी ख़्याब की ताबीर पूछने हाज़िर हुआ तो आप इनसानी आदत का तकाज़ा था कि उसको मलापत करते, उस पर ख़फ़ा होते कि तुझसे इतना काम न हो सका, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने पैग़म्बराना अख़लाक़ का इज़हार फ़रमाया कि उसको मलापत तो क्या करते उस क़िरसे का जिक्र तक भी नहीं किया। (तफ़सीर इब्ने करीर व कुतुबी)

ग्यारहवाँ मसला इसमें यह है कि जिस तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम और उम्मत के उलेमा का यह फ़रीज़ा है कि वे लोगों की आख़िरत दुरुस्त करने की फ़िक्र करें, उनको ऐसे कामों से बचायें जो आख़िरत में अज़ाब का सबब बनेंगे, इसी तरह उनको मुसलमानों के आर्थिक हालात पर नज़र रखना चाहिये कि वे परेशान न हों, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस मौक़े पर सिर्फ़ ख़्याब की ताबीर बता देने को काफी नहीं समझा बल्कि यह अक्लमन्दी और ख़ैरख़्याही वाला मश्विरा भी दिया कि पैदावार के तमाम गेहूँ को गुच्छों और बालों के अन्दर रहने दें और ज़रूरत के मुताबिक़ साफ़ करके गुल्ला निकालें, ताकि आख़िर सालों तक ख़राब न हो जाये।

बारहवाँ मसला यह है कि मुक़तदा (जिसकी लोग पैरवी करते हों ऐसे) अज़लिम को इसकी भी फ़िक्र रहनी चाहिये कि उसकी तरफ़ से लोगों में बदगुमानी पैदा न हो, अगरचे वह बदगुमानी सरासर ग़लत ही क्यों न हो, उससे भी बचने की तदबीर करनी चाहिये, क्योंकि बदगुमानी चाहे किसी जहालत या कम-समझी ही के सबब से हो बहरहाल उनके दावत व तालीम के काम में ख़लल डालने वाली होती है, लोगों में उसकी बात का वज़न नहीं रहता। (तफ़सीर कुतुबी)

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि तोहमत के मौक़ों से भी बचो। यानी ऐसे हालात और मौक़ों से भी अपने आपको बचाओ जिनमें किसी को आप पर तोहमत लगाने का मौक़ा हाथ आवे, यह हुक्म तो आग़ मुसलमानों के लिये है खास लोगों और उलेमा के इसमें दोहरी एहतियात लाज़िम है, खुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो तमाम ऐबों और गुनाहों से मासूम हैं आपने भी इसका एहतियाम फ़रमाया। एक मर्तबा आपकी प्राक

वो वियों में से एक बीबी अफक साथ मदीने की एक गली से गुजर रही थी, कोई सहाबो सामने आ गये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दूर ही से बतला दिया कि मेरे साथ फुल्लों बीबी हैं, यह इसलिये किया कि कहीं देखने वाले को किसी अजनबी औरत का शुब्हा न हो जाये। इस मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से रिहाई और शाही दावत का पैगाम मिलने के बावजूद रिहाई से पहले इसकी कोशिश फरमाई कि लोगों के शुब्हात दूर हो जायें।

तेरहवाँ मसला इसमें यह है कि जिस शख्स के हुक्कू किसी के जिम्मे हों और इस हैसियत से वह सम्मान का हकदार हो, अगर हालात की मजबूरी में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी भी पड़े तो उसमें भी जहाँ तक हो सके हुक्कू व एहतियाम की रियायत करना शराफत का तकाजा है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बराअत के लिये मामले की तहकीकात के वास्ते अजीज़ या उसकी बीबी का नाम लेने के बजाय उन औरतों का जिक्र किया जिन्होंने हाथ काट लिये थे। (तफसीरे कुर्तुबी) क्योंकि मकसद इससे भी हासिल हो सकता था।

चौदहवाँ मसला ऊँचे और अच्छे अख्लाक की तालीम है, कि जिन लोगों के हाथों सात साल या बारह साल जेलखाने की तकलीफ़ बरदाश्त करनी पड़ी थी, रिहाई के वक़्त उनसे कोई इन्तिकाम (बदला) लेना तो क्या इसको भी बरदाश्त न किया कि उनको कोई मामूली-सी तकलीफ़ उनसे पहुँचे। जैसे आयत:

لَعَلَّمَنِي لَمَ أَخَاهُ بِالْغَيْبِ

(ताकि अजीज़ को अच्छी तरह यकीन हो जाये कि मैंने उसकी गैर-मौजूदगी में उसकी आबरू में कोई दाग़ नहीं लगाया) में इसका एहतिमाम किया गया है।

पारा (13) व मा उबरिउ

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُوتَنِي بِهِ ۚ اسْتَحْلَصُهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلِمَةٌ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ۗ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ۚ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

व मा उबरिउ नफसी इन्नन्नफू-स
ल-अम्मारतुम्-बिस्सू-इ इल्ला मा रहि-म
रब्बी, इन्-न रब्बी गफूररहीम (53)

और मैं पाक नहीं कहता अपने जी को, बेशक जी तो सिखलाता है बुराई मगर जो रहम कर दिया मेरे रब ने, बेशक मेरा रब बख़्शने वाला है मेहरबान। (53) और कहा

व कालल्-मलिकु अतूनी बिही
 अस्तखिलसहु लिनफ़सी फ़-लम्मा
 कल्ल-महू का-ल इन्नकल्-यौ-म
 लदैना मकीनुन् अमीन (54)
 कालजूअल्नी अला खज़ाइनिल्-अर्जि
 इन्नी हफ़ीज़ुन् अलीम (55) व
 कज़ालि-क मक्कन्ना लियूसु-फ़
 फ़िल्अर्जि य-तबव्वउ मिन्हा हैसु
 यशा-उ, नुसीबु विरहमतिना
 मन्-नशा-उ व ला नुज़ीअु
 अजरल्-मुस्सिनीन (56) व ल-अज़रल्-
 आख़िरति ख़ैरुल्-लिल्लज़ी-न आमनू
 व कानू यत्कून (57) ❀

बादशाह ने ले आओ उसको मेरे पास में
 ख़ालिस कर रखूँ उसको अपने काम में,
 फिर जब बातचीत की उससे कहा वाकई
 तूने आज से हमारे पास जगह पाई मोतबर
 होकर। (54) यूसुफ़ ने कहा मुझको मुकर्रर
 कर मुल्क के खज़ानों पर मैं निगहबान हूँ
 ख़ूब जानने वाला। (55) और यूँ कुदरत
 दी हमने यूसुफ़ को उस ज़मीन में, जगह
 पकड़ता था उसमें जहाँ चाहता, पहुँचा
 देते हैं हम रहमत अपनी जिसको चाहें,
 और जाया नहीं करते हम बदला भलाई
 वालों का। (56) और सवाब आख़िरत
 का बेहतर है उनको जो ईमान लाये और
 रहे परहेज़गारी में। (57) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और मैं अपने नफ़्स को (भी ज़ात के एतबार से) बरी (और पाक) नहीं बतलाता (क्योंकि)
 नफ़्स तो (हर एक का) बुरी ही बात बतलाता है, सिवाय उस (नफ़्स) के जिस पर मेरा रब रहम
 करे (और उसमें बुराई का मादा न रखे जैसा कि अम्बिया अल्लैहिमुस्सलाम के नफ़्स होते हैं,
 मुत्मइन्ना, जिनमें यूसुफ़ अल्लैहिस्सलाम का नफ़्स भी दाख़िल है। मतलब का खुलासा यह हुआ
 कि मेरी पाकीज़गी और बचाव मेरे नफ़्स का ज़ाती कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत व
 इनायत का असर है इसलिये मेरा नफ़्स बुराई का हुक्म नहीं करता, वरना जैसे औरों के नफ़्स हैं
 वैसा ही मेरा होता), बेशक मेरा रब बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है (यानी ऊपर जो
 नफ़्स की दो किस्में मालूम हुईं- अम्मारा और मुत्मइन्ना, सो अम्मारा अगर तौबा करले तो
 उसकी मग़फ़िरत फ़रमाई जाती है और तौबा के दर्जे में वह लव्वामा कहलाता है, और जो
 मुत्मइन्ना है उसका कमाल इसकी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ नहीं बल्कि अल्लाह की इनायत वह
 रहमत का असर है, पस अम्मारा के लव्वामा होने पर अल्लाह के ग़फ़ूर होने की सिफ़त का ज़हूर
 होता है और मुत्मइन्ना में उसके रहीम होने की सिफ़त का।

यह कुल मज़मून हुआ यूसुफ़ अल्लैहिस्सलाम की तक़रीर का, बाकी रहा यह मामला कि

अपने आपको पाक साफ करने की यह सूरत रिहाई के बाद भी तो मुश्किल थी फिर रिहाई पर इसको आगे क्यों रखा, इसकी वजह यह हो सकती है कि जितना यकीन इस तरीक़े में हो सकता है इसके खिलाफ़ में नहीं हो सकता, क्योंकि इस सूरत में जो इख्तियार की गयी है आपकी बराबत पूरी तरह स्पष्ट और बेगुबार हो जाती है इसलिये कि बादशाह और अजीज समझ सकते हैं कि जब बिना अपनी पोजीशन साफ़ किये यह रिहा होना नहीं चाहते हालाँकि ऐसी हालत में रिहाई कैदी की इन्तिहाई तमन्ना होती है, तो मालूम होता है कि इनको अपनी पाकीजगी और बेकसूर होने का पूरा यकीन है, इसलिये इसके साबित हो जाने का पूरा इत्मीनान है, और जाहिर है कि ऐसा कामिल यकीन बरी ही को हो सकता है न कि मुलव्यस को, ये सारी बातें बादशाह ने सुनीं)।

और (यह सुनकर उस) बादशाह ने कहा कि उनको मेरे पास लाओ, मैं उनको खास अपने (काम के) लिये रखूँगा (और अजीज से उनको ले लूँगा कि उसके मातहत न रहेंगे। चुनाँचे लोग उनको बादशाह के पास लाये)। पस जब उसने यानी बादशाह ने उनसे बातें कीं (और बातों से ज्यादा उनकी खूबी व कमाल और काबलियत जाहिर हुई) तो बादशाह ने (उनसे) कहा कि तुम हमारे नज़दीक आज (से) बड़े इज्जत व सम्मान वाले और मोतबर हो (इसके बाद उस ख़्वाब की ताबीर का जिक्र आया और बादशाह ने कहा कि इतने बड़े सूखे के अकाल का एहतियाम बड़ा भारी काम है, यह इन्तिजाम किसके सुपुर्द किया जाये)। यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि मुल्की खज़ानों पर मुझको लगा दो, मैं (उनकी) हिफ़ाज़त (भी) रखूँगा और (आमद व खर्च के इन्तिजाम और उसके हिसाब किताब के तरीक़े से) ख़ूब वाकिफ़ (भी) हूँ (चुनाँचे बजाय इसके कि उनको कोई खास पद देता अपनी तरह हर किस्म के पूरे अधिकार दे दिये, गोया हकीकत में बादशाह यही हो गये अगरचे नाम का वह बादशाह रहा, और यह अजीज के ओहदे से मशहूर हो गये। चुनाँचे इरशाद है)। और हमने ऐसे (अजीब) अन्दाज़ पर यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) को (मिस्र) मुल्क में इख्तियार वाला बना दिया कि उसमें जहाँ चाहें रहें-सहें (जैसा कि बादशाहों को आज़ादी होती है, यानी या तो वह वक़्त था कि कुएँ में बन्दी थे फिर अजीज की मातहती में बन्द रहे और या आज यह खुदमुख्तारी और आज़ादी इनायत हुई। बात यह है कि) हम जिस पर चाहें अपनी इनायत मुतवज्जह कर दें और हम नेकी करने वालों का अज़्र ज़ाया नहीं करते (यानी दुनिया में भी नेकी का अज़्र मिलता है कि अच्छी ज़िन्दगी अता फ़रमाते हैं चाहे मालदार बनाकर जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिये था और चाहे बग़ैर मालदारी के क़नाअत व रज़ा अता करके जिससे सुकून व ऐश मयूससर होता है, यह तो आज दुनिया में हुआ) और आख़िरत का अज़्र कहीं ज्यादा बढ़कर है, ईमान और परहेज़गारी वालों के लिये।

मज़ारिफ़ व मसाईल

अपनी पाकबाज़ी बयान करना दुरुस्त नहीं, मगर खास हालात में इससे पहली आयत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का यह कौल जिक्र हुआ था कि जो

इल्जाम मुझ पर लगाया गया था उसकी सफ़ाई और गामल की मुकम्मल तहकीक़ से पहले कैद से रिहाई को इसलिये पसन्द नहीं करता कि अज़ीज़ और बादशाहे मिस्र को पूरा यकीन हो जाये कि मैंने कोई ख़ियानत नहीं की थी बल्कि इल्जाम सरासर झूठा था। इसमें चूँकि अपनी बराअत और पाकबाज़ी का ज़िक्र एक मजबूरी की और लाज़िमी ज़रूरत से हो रहा था जो बज़ाहिर अपने नफ़्स को पाक-साफ़ बताने का इज़हार है और यह अल्लाह तआला के नज़दीक पसन्द नहीं, जैसा कि क़ुरआन मजीद में इरशाद है:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ.

“यानी क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने आपको पाकीज़ा कहते हैं, बल्कि अल्लाह तआला ही का हक़ है कि वह जिसको चाहें पाक करार दें।” और सूरा: नजम में भी इसी मज़मून की एक आयत है:

فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ۝

“यानी तुम अपने नफ़्स की पाकी के दावेदार न बनो अल्लाह तआला ही ख़ूब जानते हैं कि कौन वाकई परहेज़गार व मुत्तकी है।”

इसलिये उक्त आयत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी बराअत के इज़हार के साथ ही इस हकीक़त का भी इज़हार कर दिया कि मेरा यह कहना कुछ अपने तक़वे और पाकबाज़ी को जतलाने के लिये नहीं बल्कि हकीक़त यह है कि हर इन्सान का नफ़्स जिसका ख़मीर चार तत्वों आग, पानी, मिट्टी और हवा से बना है वह तो अपनी फ़ितरत से हर शख्स को बुरे ही कामों की तरफ़ माईल करता रहता है, सिवाय उसके जिस पर मेरा रब अपनी रहमत फ़रमाकर उसके नफ़्स को बुरे तक़ाज़ों से पाक कर दे, जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के नफ़्स होते हैं, और ऐसे ही नफ़्सों को क़ुरआन में नफ़्स-ए-मुत्मइन्ना का लक़ब दिया गया है। हासिल यह है कि ऐसी ज़बरदस्त परीक्षा के वक़्त मेरा गुनाह से बच जाना यह कोई मेरा ज़ाती कमाल नहीं था बल्कि अल्लाह तआला ही की रहमत और मदद का नतीजा था, अगर वह मेरे नफ़्स से घटिया इच्छाओं को न निकाल देते तो मैं भी ऐसा ही हो जाता जैसे आम इन्सान होते हैं कि नफ़्सानी इच्छाओं के आगे खुद को झुका देते हैं।

कुछ रिवायतों में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह जुमला इसलिये फ़रमाया कि एक किस्म का ख़्याल तो बहरहाल उनके दिल में भी पैदा हो ही गया था, अगरचे वह ग़ैर-इख़्तियारी वस्वसे की हद तक़ था, मगर नुबुव्वत की शान के सामने वह भी एक चूक और बुराई ही थी इसलिये इसका इज़हार फ़रमाया कि मैं अपने नफ़्स को भी बिल्कुल बरी और पाक नहीं समझता।

इनसानी नफ़्स की तीन हालतें

इस आयत में यह मसला ध्यान देने के क़ाबिल है कि इसमें हर इन्सानी नफ़्स को ‘अम्मारतुम् बिस्तू-इ’ यानी बुरे कामों का हुक्म करने वाला फ़रमाया है, जैसा कि एक हदीस में है

किं रसूलुल्लाह रसूलुल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम रो एक सवाल फरमाया कि ऐसे साथी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका हाल यह हो कि अगर तुम उसका सम्मान व इज्जत करो, खाना खिलाओ, कपड़े पहनाओ तो वह तुम्हें बला और मुसीबत में डाल दे, और अगर तुम उसकी तौहीन करो भूखा नंगा रखो तो तुम्हारे साथ भलाई का मामला करे? सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह! उससे ज्यादा बुरा तो दुनिया में कोई साथी हो ही नहीं सकता। आपने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि तुम्हारा नफस जो तुम्हारे पहलू में है वह ऐसा ही साथी है। (तफसीरे कुतुबी)

और एक हदीस में है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद तुम्हारा नफस है जो तुम्हें बुरे कामों में मुब्तला करके जलील व रुस्वा भी करता है और तरह-तरह की मुसीबतों में भी गिरफ्तार कर देता है।

बहरहाल उक्त आयत और हदीस की इन रिवायतों से मालूम होता है कि इनसानी नफस बुरे कामों का तकाजा करता है लेकिन सूर: कियामत में इसी इनसानी नफस को लव्वामा का लकब देकर इसको यह इज्जत बख्शी है कि रब्बुल-इज्जत ने इसकी कसम खाई है:

لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ۝

और सूर: वल्-फज्र में इसी इनसानी नफस को नफसे-मुत्मइन्ना का लकब देकर जन्नत की खुशखबरी दी है। फरमाया:

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أَرْجَعِي إِلَىٰ رَبِّكَ

इस तरह इनसानी नफस को एक जगह 'अम्मारतुम् बिस्सू-इ' कहा गया, दूसरी जगह लव्वामा, तीसरी जगह मुत्मइन्ना।

बजाहत इसकी यह है कि हर इनसानी नफस अपनी जात में तो 'अम्मारतुम् बिस्सू-इ' यानी बुरे कामों का तकाजा करने वाला है, लेकिन जब इनसान खुदा व आखिरत के खौफ से उसके तकाजे को पूरा न करे तो उसका नफस लव्वामा बन जाता है, यानी बुरे कामों पर भलामत करने वाला और उनसे तौबा करने वाला। जैसे उम्मत के आम नेक हजरात के नफस हैं। और जब कोई इनसान नफस के खिलाफ मुजाहदा (कोशिश व संघर्ष) करते-करते अपने नफस को इस हालत में पहुँचा दे कि बुरे कामों का तकाजा ही उसमें न रहे, तो वह नफसे-मुत्मइन्ना हो जाता है। उम्मत के नेक हजरात को यह हाल मुजाहदे और कड़ी मेहनत से हासिल हो सकता है और फिर भी इस हालत का हमेशा कायम रहना यकीनी नहीं होता, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को खुद-ब-खुद अल्लाह की अता से ऐसा ही नफसे-मुत्मइन्ना बगैर किसी पहले मुजाहदे के नसीब होता है और वह हमेशा उसी हालत पर रहता है। इस तरह नफस की तीन हालतों के एतिबार से तीन तरह के काम उसकी तरफ मन्सूब किये गये हैं।

إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

आयत के आखिर में फरमाया कि मेरा रब बड़ा मगफिरत करने वाला और रहमत करने

जाना है। नफ़्थ गुफ़ूर में इस तरह इशारा है कि नफ़्से-अम्पारा जब अपनी ख़ता पर शर्मिन्द होकर तौबा करे और नफ़्से-लख्वामा बन जाये तो अल्लाह तआला की मर्ज़फ़रत बड़ी है, वह साफ़ फ़रमा देंगे। और लफ़ज़ रहीम में यह इशारा पाया जाता है कि जिस शख्स को नफ़्से-मुत्मइन्ना नसीब हो वह भी अल्लाह की रहमत ही का नतीजा है।

وَقَالَ الْمَلِكُ التُّوْنِي..... الخ

यानी मिस्र के बादशाह ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़रमाने के मुताबिक़ औरतों से वाक़िफ़ की तहकीक़ फ़रमाई और ज़ुलैखा और दूसरी सब औरतों ने असल हकीक़त का इक़्रार कर लिया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ़ को मेरे पास लाया जाये ताकि मैं उनकी अज्नाहास सलाहकार बना लूँ। हुक्म के मुताबिक़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सम्मान के साथ जेलखाने से दरबार में लाया गया और आपसी गुफ़्तगू से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सलाहियतों का पूरा अन्दाज़ा हो गया तो बादशाह ने कहा कि आप आज हमारे नज़दीक़ बड़े इज़्ज़त वाले और एतबार वाले हैं।

इमाम बग़वी रह. ने नक़ल किया है कि जब बादशाह का कासिद जेल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास दोबारा पहुँचा और बादशाह की दावत पहुँचाई तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब जेल वालों के लिये दुआ की और गुस्ल करके नये कपड़े पहने, जब शाही दरबार पर पहुँचे तो यह दुआ की:

حَسْبِي رَبِّي مِنْ دُنْيَايَ وَحَسْبِي رَبِّي مِنْ خَلْقِهِ عَزَّجَارَهُ وَجَلَّ ثَنَائُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.

“यानी मेरी दुनिया के लिये मेरा रब मुझे काफी है और सारी मख़्लूक़ के बदले मेरा रब मेरे लिये काफी है, जो उसकी पनाह में आ गया वह बिल्कुल महफ़ूज़ है। और उसकी बड़ी तारीफ़ है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं।”

जब दरबार में पहुँचे तो फिर अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू होकर इसी तरह दुआ की और अरबी भाषा में सलाम किया:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

अस्सलामु अलैकुम् व रहमतुल्लाहि

और बादशाह के लिये दुआ इबरानी भाषा में की। बादशाह अगरचे बहुत सी भाषायें जानता था मगर अरबी और इबरानी भाषाओं से वाक़िफ़ नहीं था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि सलाम तो अरबी भाषा में किया गया है और दुआ इबरानी भाषा में।

इस रिवायत में यह भी है कि बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से विभिन्न भाषाओं में बातें कीं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको उसी भाषा में जवाब दिया और अरबी और इबरानी की दो भाषायें अलग से सुनाईं जिनसे बादशाह वाक़िफ़ न था। इस वाक़िफ़ ने बादशाह के दिल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हद से ज़्यादा इज़्ज़त व वक़अत कायम कर दी।

फिर मिस्र के बादशाह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अपने ख़्वाब की ताबीर

अप्रत्यक्ष रूप से सुन लूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहले उसके ख्वाब की ऐसी तफ़सीलात बतवाई जो अब तक बादशाह ने भी किसी से जिक्र नहीं की थीं, फिर ताबीर बतलाई।

मिस्र के बादशाह ने कहा कि मुझे ताबीर से ज्यादा इस पर हैरत है कि ये तफ़सीलात आपको कैसे मालूम हुई, उसके बाद बादशाह ने मशिवरा तलब किया कि अब मुझे क्या करना चाहिये तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मशिवरा दिया कि पहले सात साल जिनमें ख़ूब बारिशें होने वाली हैं उनमें आप ज्यादा से ज्यादा काशत कराकर ग़ल्ला उगाने का इन्तिज़ाम करें और सब लोगों को हिदायत करें कि अपनी-अपनी ज़मीनों में ज्यादा से ज्यादा काशत करें, और जितना ग़ल्ला हासिल हो उसमें से पाँचवाँ हिस्सा अपने पास भण्डार करते रहें।

इस तरह मिस्र वालों के पास कहत (सूखे) के सात साल के लिये भी ज़ख़ीरा जमा हो जायेगा और आप उनकी तरफ़ से बेफ़िक्र होंगे, हुकूमत को जिस क़द्र ग़ल्ला सरकारी टैक्सों या सरकारी ज़मीनों से हासिल हो उसको बाहरी लोगों के लिये जमा रखें, क्योंकि यह कहत दूर दराज़ तक फैलेगा, बाहर के लोग उस वक़्त आपके मोहताज होंगे, उस वक़्त आप ग़ल्ला देकर अल्लाह की मख़्लूक की इमदाद करें और मामूली कीमत भी रखेंगे तो सरकारी ख़ज़ाने में इतना माल जमा हो जायेगा जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। मिस्र का बादशाह इस मशिवरे से बहुत खुश और संतुष्ट हुआ मगर कहने लगा कि इस ज़बरदस्त योजना का इन्तिज़ाम कैसे हो और कौन करे, इस पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝

यानी मुल्क के ख़ज़ाने (जिनमें ज़मीन की पैदावार भी शामिल है) आप मेरे सुपुर्द कर दें मैं उनकी हिफ़ाज़त भी पूरी कर सकता हूँ और खर्च करने के मौकों और खर्च की मात्रा के अन्दाज़े से भी पूरा वाकिफ़ हूँ। (तफ़सीरे कुर्तुबी व मजहरी)

इन दो लफ़्ज़ों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन तमाम गुणों को जता दिया जो एक वित्त मंत्री में होणे चाहियें। क्योंकि पहली ज़रूरत तो ख़ज़ाने के अमीन के लिये इसकी है कि वह सरकारी मालों को जाया न होगे दे बल्कि पूरी हिफ़ाज़त से जमा करे, फिर ग़ैर-मुस्तहिक (अपात्र) लोगों और ग़लत किस्म के मौकों में खर्च न होने दे। और दूसरी ज़रूरत इसकी है कि जहाँ जिस क़द्र खर्च करना ज़रूरी है उसमें न कोताही करे और न ज़रूरत की मात्रा से ज्यादा खर्च करे। लफ़्ज़ "हफ़ीज़" पहली ज़रूरत की पूरी ज़मानत है और लफ़्ज़ "अलीम" दूसरी ज़रूरत की।

मिस्र का बादशाह अगरचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कमालात का मुरीद और उनकी "दियानत" (ईमानदारी) और कामिल अक़ल का पूरा मोतकिद हो चुका था मगर फ़ौरी तौर पर वित्त मंत्रालय का पद उनको सुपुर्द न किया बल्कि एक साल तक एक सम्मानित मेहमान की तरह रखा।

साल भर पूरा होने के बाद न सिर्फ़ वित्त मंत्रालय बल्कि हुकूमत के पूरे गामलात उनके सुपुर्द कर दिये, शायद यह मक़सद था कि जब तक घर में रखकर उनके अख़लाक व आदतों का पूरा तजुर्बा न हो जाये इतना बड़ा ओहदा सुपुर्द करना मुनासिब नहीं, जैसा कि शैख़ सअदी

शीराजी रह. ने फरमाया है:

चू यूसुफ कसे दर सलाह व तमीज़ ☉ ब-यक साल बायद कि गर्द अज़ीज़ कुछ मुफ़्तिरीन ने लिखा है कि उसी ज़माने में जुलैखा के शौहर क़तफ़ीर का इन्तिक़ाल हो गया तो मिस्र के बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उनकी शादी कर दी। उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे फ़रमाया कि यह सूरत उससे बेहतर नहीं है जो तुम चाहती थीं, जुलैखा ने अपनी ग़लती को मानने के साथ अपना उज़्र बयान किया।

अल्लाह तआला जल्ल शानुहू ने बड़ी इज़्ज़त व शान के साथ उनकी मुराद पूरी फ़रमाई और ऐश व आराम के साथ ज़िन्दगी गुज़री। तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक़ दो लड़के भी पैदा हुए जिनका नाम इफ़राईम और मंशा था।

कुछ रिवायतों में है कि अल्लाह तआला ने शादी के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में जुलैखा की मुहब्बत उससे ज़्यादा पैदा कर दी थी जितनी जुलैखा को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से थी, यहाँ तक कि एक मर्तबा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे शिकायत की कि इसकी क्या वजह है कि तुम मुझसे अब उतनी मुहब्बत नहीं रखती जितनी पहले थी। जुलैखा ने अज़र किया कि आपके माध्यम से मुझे अल्लाह तआला की मुहब्बत हासिल हो गई, उसके सामने सब ताल्लुक़ात और ख़्यालात कमज़ोर हो गये। यह वाक़िआ कुछ दूसरी तफ़सीलात के साथ तफ़सीरे कुर्तुबी और मज़हरी में बयान हुआ है।

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के तहत में आम इनसानों की बेहतरी व कामयाबी के लिये जो बहुत-सी हिदायतें और तालीमात आई हैं उनमें कुछ का ज़िक्र पहले हो चुका है, ऊपर बयान हुई आयतों में मज़ीद मसाल्ल और हिदायतें इस प्रकार हैं:

पहला मसला: हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कौल 'व मा उबरिउ नफ़्सी.....' (यानी आयत नम्बर 53) में नेक और परहेज़गार बन्दों के लिये यह हिदायत है कि जब उनकी किसी गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ हो जाये तो उस पर नाज़ न करें, और उसके मुक़ाबले में गुनाहगारों को हकीर न समझें, बल्कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक़ इस बात को अपने दिल में जमायें कि यह हमारा कोई ज़ाती कमाल नहीं बल्कि अल्लाह तआला का फ़ज़ल है कि उसने नफ़्से अम्मारा को हम पर ग़ालिब नहीं आने दिया, वरना हर इनसान का नफ़्स उसको तबई तौर पर बुरे ही कामों की तरफ़ खींचता है।

हुकूमत का कोई पद खुद तलब करना जायज़ नहीं,

मगर चन्द शर्तों के साथ इजाज़त है

दूसरा मसला: 'इज़्ज़ल्लनी अला ख़ज़ाइनिल् अरज़ि' (यानी आयत नम्बर 55) से यह मालूम हुआ कि किसी सरकारी ओहदे और पद को तलब करना ख़ास सूरतों में जायज़ है, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मुल्क के माली मामलात का इन्तिज़ाम और ज़िम्मेदारी तलबें फ़रमाई।

मगर इसमें यह तफ़रील है कि जब किसी खास ओहदे के मुताल्लिक यह मालूम हो कि कोई दूसरा आदमी उसका अच्छा इन्तिज़ाम नहीं कर सकेगा और अपने बारे में यह अन्दाज़ा हो कि ओहदे के काम को अच्छा अन्जाम दे सकेगा और किसी गुनाह में मुब्तला होने का ख़तरा न हो, ऐसी हालत में ओहदे का खुद तलब कर लेना भी जायज़ है, बशर्तेकि माल व रतने की मुहब्बत उसका सबब न हो, बल्कि अल्लाह की मख़्लूक की सही ख़िदमत और इन्साफ़ के साथ उनके हुक्म पहुँचाना मक़सद हो, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सिर्फ़ यही मक़सद था और जहाँ यह सूरत न हो तो हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुक्म का कोई ओहदा खुद तलब करने से मना फ़रमाया है, और जिसने खुद किसी ओहदे की दरख़्वास्त की उसको ओहदा नहीं दिया।

सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि कभी कोई सरदारी (यानी पद वगैरह) तलब न करो, क्योंकि तुमने खुद सवाल करके सरदारी का ओहदा हासिल भी कर लिया तो अल्लाह तआला की ताईद नहीं होगी, जिसके ज़रिये तुम ग़लती और ख़ताओं से बच सको, और अगर बग़ैर दरख़्वास्त और तलब के तुम्हें कोई ओहदा मिल गया तो अल्लाह तआला की तरफ़ से ताईद व मदद होगी जिसकी वजह से तुम उस ओहदे के पूरे हुक्म अदा कर सकोगे।

इसी तरह सही मुस्लिम की एक दूसरी हदीस में है कि एक शख्स ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किसी ओहदे की दरख़्वास्त की तो आपने फ़रमाया:

إِنَّا لَنُتَعَمِلُ عَلَىٰ عَمَلِنَا مِنْ أَرَادَةٍ.

“यानी हम अपना ओहदा किसी ऐसे शख्स को नहीं दिया करते जो खुद उसका इच्छुक व तलबगार हो।”

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ओहदा तलब करना

खास हिक्मत पर आधारित था

मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मामला इससे भिन्न और अलग है क्योंकि वह जानते थे कि मिस्र का बादशाह काफ़िर है, उसका अमल भी ऐसा ही है और मुल्क पर एक तूफ़ानी सूखा पड़ने वाला है, उस वक़्त खुदगर्ज लोग अल्लाह की आम मख़्लूक पर रहम न खायेंगे और लाखों इन्सान भूख से पर जायेंगे, कोई दूसरा आदमी ऐसा मौजूद न था जो ग़रीबों के हुक्म में इन्साफ़ कर सके, इसलिये खुद इस ओहदे की दरख़्वास्त की, अगरचे इसके साथ कुछ अपने कमालात का इज़हार भी ज़रूरत के सबब करना पड़ा, ताकि बादशाह मुत्मईन होकर ओहदा उनको सुपर्द कर दे।

अगर आज भी कोई शख्स यह महसूस करे कि हुक्म का कोई ओहदा ऐसा है जिसके फ़रईज़ को दूसरा आदमी सही तौर पर अन्जाम देने वाला मौजूद नहीं और खुद उसको यह

अन्जाम दे सकता है तो उसके लिये जायज़ है बल्कि जायज़ है कि उसे ओहदा की दरख्वास्त करें, मगर अपने हस्तों व माल के लिये नहीं बल्कि बिल्कूल की खिलाफत के लिये जिसका ताल्लुक दिल की नीयत और इरादे से है जो अल्लाह तआला पर पूरी तरह स्पष्ट है। (तफसीर कुर्तबी)

हज़रते खुलफ़ा-ए-राशिदीन का ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी उठा लेना इसी वजह से था कि वे जानते थे कि कोई दूसरा इस वक़्त इस ज़िम्मेदारी को सही अन्जाम न दे सकेगा। तहाबा किराम हज़रत अली और हज़रत मुआविया व हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम और अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह के जो मतभेद पेश आये वे सब इसी पर आधारित थे कि उनमें से हर एक यह ख़्याल करता था कि इस वक़्त ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी को मैं अपने नुक़ाबिल से ज़्यादा समझदारी व ताक़त के साथ पेश कर सकूँगा, हस्तों व माल की तलब किसी का असली मक़सद न था।

क्या किसी काफ़िर हुकूमत में ओहदा कुबूल करना जायज़ है

तीसरा मसला यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह की नौकरी कुबूल फ़रमाई हालाँकि वह काफ़िर था जिससे मालूम हुआ कि काफ़िर या फ़ासिक हुकूमतों की हुकूमत का ओहदा कुबूल करना ख़ास हालात में जायज़ है।

लेकिन इमाम जस्सास रह. ने आयते करीमा:

فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝

के तहत लिखा है कि इस आयत के एतिबार से ज़ालिमों काफ़िरों की मदद व सहयोग करना जायज़ नहीं, और ज़ाहिर है कि उनकी हुकूमत का ओहदा कुबूल करना उनके काम में शरीक होना और मदद करना है, और ऐसी मदद को कुरआने करीम की बहुत-सी आयतों में ह़राम करार दिया गया है।

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो इस नौकरी को न सिर्फ़ कुबूल फ़रमाया बल्कि दरख्वास्त करके हासिल किया, इसकी ख़ास वजह इमामे तफ़सीर मुजाहिद रह. ने तो यह करार दी है कि मिस्र का बादशाह उस वक़्त मुसलमान हो चुका था मगर चूँकि कुरआन व सुन्नत में इसकी कोई दलील मौजूद नहीं इसलिये आ़म मुफ़सिरीन ने इसकी वजह यह करार दी है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह के मामले से यह मालूम कर चुके थे कि वह उनके काम में दख़ल न देगा, और किसी ख़िलाफ़े शरीअत क़ानून जारी करने पर उनको मजबूर न करेगा बल्कि उनको मुकम्मल इख़्तियारात देगा जिसके ज़रिये वह अपनी मर्जी से और सही क़ानून पर अमल कर सकेंगे। ऐसे मुकम्मल इख़्तियार के साथ कि किसी ख़िलाफ़े शरीअत क़ानून पर मजबूर न हो

कोई काफिर या ज़ालिम की नौकरी इख्तियार कर ले अगरचे उस काफिर ज़ालिम के साथ सहयोग करने की वुराई फिर भी मौजूद है मगर जिन हालात में उसको सत्ता व हुकूमत से हटाना कुदरत में न हो और उसका ओहदा कुबूल न करने की सूरत में अल्लाह की मख़्लूक के हुक्क बरबाद होने या जुल्म व ज्यादती का प्रबल अन्देशा हो तो मजबूरी में इतने सहयोग की गुन्जाईश हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अमल से साबित हो जाती है जिसमें खुद किसी खिलाफ़े शरीअत काम को न करना पड़े, क्योंकि दर हकीकत यह उसके गुनाह में मदद नहीं होगी अगरचे एक दूर के सबब के तौर पर इससे भी उसकी मदद और सहयोग का फ़ायदा हासिल हो जाये। सहयोग व मदद के ऐसे दूर के असबाब के धारे में उक्त हालात में शरई तौर पर गुन्जाईश है जिसकी तफ़सील दीनी मसाईल के माहिर उलेमा ने बयान फ़रमाई है। पहले बुजुर्गों, सहाबा व ताबिईन में बहुत से हज़रत का ऐसे ही हालात में ज़ालिम व जाबिर हुक्मरानों का ओहदा कुबूल कर लेना साबित है। (तफ़सीरे कुर्तुबी व मजहरी)

अल्लामा मावरदी ने शरई सियासत के बारे में अपनी किताब में नक़ल किया है कि कुछ हज़रत ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस अमल की बिना पर काफिर और ज़ालिम हुक्मरानों का ओहदा कुबूल करना इस शर्त के साथ जायज़ रखा है कि खुद उसको कोई काम खिलाफ़े शरीअत न करना पड़े। और कुछ हज़रत ने इस शर्त के साथ भी इसको इसलिये जायज़ नहीं रखा कि इसमें भी ज़ालिमों को मजबूत करना और उनकी ताईद होती है। ये हज़रत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अमल की विभिन्न वुजूहात बयान करते हैं जिनका हासिल यह है कि यह अमल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जात या उनकी शरीअत के साथ मख़सूस था, अब दूसरों के लिये जायज़ नहीं। मगर उलेमा व फ़ुक़हा की अक्सरियत ने पहले ही कौल को इख्तियार फ़रमाकर जायज़ करार दे दिया है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

तफ़सीर बहर-ए-मुहीत में है कि जहाँ यह मालूम हो कि उलेमा और नेक लोग अगर यह ओहदा कुबूल न करेंगे तो लोगों के हुक्क ज़ाया हो जायेंगे, इन्साफ़ न हो सकेगा, वहाँ ऐसा ओहदा कुबूल कर लेना जायज़ बल्कि सबाब है, बशर्तेकि उस ओहदे में खुद उसको शरीअत के खिलाफ़ बातों के करने पर मजबूरी पेश न आये।

चौथा मसला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कौल 'इन्नी हफ़ीजुन अलीम' से यह साबित हुआ कि ज़रूरत के मौके पर अपने किसी कमाँल या खूबी व श्रेष्ठता का ज़िक्र कर देना अपनी पाकबाज़ी जतलाने में दाख़िल नहीं, जिसकी कुरआने करीम में मनाही आई है, बशर्तेकि उसका ज़िक्र करना तकब्बुर व गुरूर और अपनी शान जतलाने और फ़ख़ की वजह से न हो।

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا أَمْرًا حَيْثُ يَشَاءُ نَبِئْ بِرَحْمَتِنَا مِنْ نَشْأَةٍ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٥

“यानी जिस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह के दरबार में इज़्ज़त व रुतबा अता किया उसी तरह हमने उनको पूरे मुल्के मिस्र पर पूरा इख्तियार व हुकूमत अता कर दी कि उसकी ज़मीन में जिस क़द्र चाहें अहकाम जारी करें, हम जिसको चाहते हैं अपनी रहमत

व नेमत से यूँ ही नवाजा करते हैं और हम नेक काम करने वालों का अज़्र (बदला) कभी ज़ाया नहीं करते।”

तफ़सील इसकी यह है कि मिस्र के बादशाह ने एक साल तजुर्बा करने के बाद दरबार में एक जश्न मनाया जिसमें तमाम हुकूमत के काम करने वालों और सम्मानित लोगों को जमा किया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सर पर ताज रखकर उस मजलिस में लाया गया और सिर्फ़ खज़ाने की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हुकूमत के तमाम मामलात को अमलन् उनके सुपुर्द करके खुद तन्हाई इख़्तियार कर ली। (तफ़सीरे कुर्तुबी व मजहरी वगैरह)

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत के मामलात को ऐसा संभाला कि किसी को कोई शिकायत बाकी न रही, सारा मुल्क आपका मुरीद हो गया और पूरे मुल्क में अमन व खुशहाली आम हो गई, खुद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी हुकूमत की इस तमाम जिम्मेदारी में कोई दुश्वारी या रंज व तकलीफ़ पेश न आई।

इमामे तफ़सीर मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने चूँकि इस सारे रूतबे व जलाल से सिर्फ़ अल्लाह तआला के अहकाम को फैलाना और उसके दीन को कायम करना था, इसलिये वह किसी वक़्त भी इससे गाफ़िल न हुए कि मिस्र के बादशाह को इस्लाम व ईमान की दावत दें, यहाँ तक कि निरन्तर दावत व कोशिश का यह नतीजा जाहिर हुआ कि मिस्र का बादशाह भी मुसलमान हो गया।

وَلَا جُرْأَاحِرَةَ خَيْرٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

यानी “और आख़िरत का अज़्र व सवाब इस दुनिया की नेमत से कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिये जो मोमिन हुए और जिन्होंने तक्वा और परहेज़गारी इख़्तियार की।”

मतलब यह है कि दुनिया की दौलत व बादशाही और मिसाली हुकूमत तो अता हुई ही थी इसके साथ आख़िरत के बुलन्द दर्जे भी उनके लिये तैयार हैं। इसके साथ यह भी बतला दिया कि ये दुनिया व आख़िरत के दर्जे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की विशेषता नहीं बल्कि आम ऐतान है हर उस शख्स के लिये जो ईमान, तक्वा और परहेज़गारी इख़्तियार कर ले।

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत के ज़माने में अ़वाम को राहत पहुँचाने के वे काम किये जिनकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। जब ख़्याब की ताबीर के मुताबिक़ सात साल खुशहाली के गुज़र गये और क़हत (सूखा पड़ना) शुरू हुआ तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पेट भरकर खाना छोड़ दिया, लोगों ने कहा कि मुल्के मिस्र के सारे खज़ाने आपके कब्ज़े में हैं और आप भूखे रहते हैं? तो फ़रमाया कि मैं यह इसलिये करता हूँ ताकि आम लोगों की भूख का एहसास मेरे दिल से ग़ायब न हो, और शाही बावर्चियों को भी हुक़्म दे दिया कि दिन में सिर्फ़ एक मर्तबा दोपहर को खाना पका करे, ताकि शाही महल के सब अफ़राद भी अ़वाम की भूख में कुछ हिस्सा ले सकें।

وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفْتَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۖ وَلَمَّا
 جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِّنْ أَيْمَانِكُمْ أَكْتُرُونَ إِنِّي أَوْفَى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ
 الْمُنْزِلِينَ ۖ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ ۗ قَالُوا سَأُرَاوِدُ عَنْهُ
 أَبَاؤَ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۖ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا
 إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۖ

व जा-अ इख्वतु यूसु-फ़ फ़-द-खलू
 अलैहि फ़-अ-र-फ़हुम् व हुम् लहू
 मुन्किरून (58) व लम्मा जहह-जहुम्
 बि-जहाजि हिम् क़ाल अतूनी
 बि-अख़िल्-लकुम् मिन् अबीकुम्
 अला तरौ-न अन्नी ऊफ़िल्-कै-ल व
 अ-न खौरुल्-मुन्जितीन (59)
 फ़-इल्लम् तअतूनी बिही फ़ला कै-ल
 लकुम् अिन्दी व ला तक़्रबून (60)
 क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व
 इन्ना लफ़ाजिलून (61) व क़ा-ल
 लिफ़ित्यानिहिज्-अलू बिजा-अ-तहुम्
 फ़ी रिहालिहिम् लअल्लहुम्
 यअरिफ़ूनहा इज़न्क-लबू इला
 अस्लिहिम् लअल्लहुम् यजिअून (62)

और आये भाई यूसुफ़ के फिर दाखिल
 हुए उसके पास तो उसने पहचान लिया
 उनको और वे नहीं पहचानते। (58) और
 जब तैयार कर दिया उनके लिये उनका
 असबाब, कहा ले आईयो मेरे पास एक
 भाई जो तुम्हारा है बाप की तरफ़ से, तुम
 नहीं देखते हो कि मैं पूरा देता हूँ नाप
 और अच्छी तरह उतारता हूँ मेहमानों
 को। (59) फिर अगर उसको न लाये मेरे
 पास तो तुम्हारे लिये भरती नहीं मेरे
 नज़दीक और मेरे पास न आईयो। (60)
 बोले हम ख़्वाहिश करेंगे उसके बाप से
 और हमको यह काम करना है। (61)
 और कह दिया अपने ख़ादिमों से कि रख
 दो उनकी पूँजी उनके असबाब (सामान) में
 शायद उसको पहचानें जब फिरकर पहुँचें
 अपने घर, शायद वे फिर आ जायें। (62)

खुलासा-ए-तफसीर

(गर्ज कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इख़्तियार वाला होकर ग़ल्ला काश्त कराना और जमा
 कराना शुरू किया और सात साल के बाद क़हत शुरू हुआ, यहाँ तक कि दूर-दूर से यह ख़बर
 सुनकर कि मिस्र में हुकूमत की तरफ़ से ग़ल्ला फ़रोख़्त होता है समूह के समूह लोग आना शुरू

हुए) और (किनआन में भी अकाल पड़ा तो) यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के भाई (भी सिवाय बिनयामीन के ग़ल्ला लेने मिस्र में) आये, फिर उनके (यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के) पास पहुँचे, सो हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने (तो) उनको पहचान लिया और उन्होंने यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) को नहीं पहचाना (क्योंकि उनमें बदलाव कम हुआ था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके आने का ख़्याल और पूरा गुमान व अन्दाज़ा भी था, फिर नये आने वाले पूछ भी लेते हैं कि आप कौन हैं? कहाँ से आये हैं? और पहचान के लोगों को थोड़े-से पते से अक्सर पहचान भी लेते हैं, बख़िलाफ़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कि उनमें चूँकि जुदा होने के वक़्त बहुत कम-उम्र थे) बदलाव भी ज़्यादा हो गया था और उनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के होने का गुमान व शुब्हा भी न था। फिर हाकिमों से कोई पूछ भी नहीं सकता कि आप कौन हैं? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मामूल था कि हर शख्स को उसकी ज़रूरत के मुताबिक़ ग़ल्ला फ़रोख़्त करते थे, चुनाँचे उनको भी जब प्रति व्यक्ति एक-एक ऊँट ग़ल्ला कीमत देकर मिलने लगा तो इन्होंने कहा कि हमारा एक बाप-शरीक भाई और है, उसको हमारे बाप ने इस वजह से कि उनका एक बेटा गुम हो गया था अपनी तसल्ली के लिये अपने पास रख लिया है, उसके हिस्से का भी एक ऊँट ग़ल्ला ज़्यादा दे दिया जाये। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह क़ानून के खिलाफ़ है, अगर उसका हिस्सा लेना है तो वह खुद आकर ले जाये। गर्ज़ कि उनके हिस्से का ग़ल्ला उनको दिलवा दिया। और जब उन्होंने यानी यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने उनके (ग़ल्ले का) सामान तैयार कर दिया तो (चलते वक़्त) फ़रमा दिया कि (अगर यह ग़ल्ला ख़र्च करके अब के आने का इरादा करो तो) अपने बाप-शरीक भाई को भी (साथ) लाना (ताकि उसका हिस्सा भी दिया जा सके), तुम देखते नहीं हो कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज़ी करता हूँ (पस अगर तुम्हारा वह भाई आयेगा उसको भी पूरा हिस्सा दूँगा और उसकी ख़ूब ख़ातिर पुदारात करूँगा जैसा कि तुमने अपने साथ देखा। गर्ज़ कि आने में तो नफ़ा ही नफ़ा है)। और अगर तुम (दोबारा आये और) उसको मेरे पास न लाये तो (मैं समझूँगा कि तुम मुझको धोखा देकर ग़ल्ला ज़्यादा लेना चाहते थे तो इसकी सज़ा में) न मेरे पास तुम्हारे नाम का ग़ल्ला होगा और न तुम मेरे पास आना (पस उसके न लाने में यह नुक़सान होगा कि तुम्हारे हिस्से का ग़ल्ला भी ख़त्म हो जायेगा)।

वे बोले (देखिए) हम (अपनी कोशिश भर तो) उसके बाप से उसको माँगेंगे और हम इस काम को (यानी कोशिश और दरख़्वास्त को) ज़रूर करेंगे (आगे बाप के इख़्तियार में है)। और (जब वहाँ से बिल्कुल चलने लगे तो) यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने अपने नौकरों से कह दिया कि इनकी जमा-पूँजी (जिसके बदले में इन्होंने ग़ल्ला मोल लिया है) इन (ही) के सामान में (छुपाकर) रख दो, ताकि जब घर जाएँ तो उसको (जब वह सामान में से निकले) पहचानें, शायद (यह एहसान व करम देखकर) फिर दोबारा आएँ (चूँकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनका दोबारा आना और उनके भाई का लाना मन्ज़ूर था इसलिये किसी तरह से इसकी तदबीर की, पहले वादा किया कि अगर उसको लाओगे तो उसका भी हिस्सा मिलेगा, दूसरे धमकी सुना दी कि अगर न

लाओगे तो अपना हिस्सा भी न पाओगे, तीसरे दाम जो कि नक़द के अलावा कोई और चीज़ था वापस कर दी, दो ख़्वाल से एक यह कि इससे एहसान व करम पर निगाह करके फिर आयेंगे दूसरे इसलिये कि शायद इनके पास और दाम न हों इसलिये फिर न आ सकें। और जब यह दाम होंगे तो इन्हीं को लेकर फिर आ सकते हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र देश का कामिल इक्तिदार (सत्ता) अल्लाह तआला के फज़ल से हासिल हो जाने का बयान था, उपर्युक्त आयतों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों का गुल्ला लेने के लिये मिस्र आना बयान हुआ है, और यह भी जिमनी तौर पर आ गया कि दस भाई मिस्र आये थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे छोटे भाई साथ न थे।

बीच के किस्से की तफ़सील कुरआन ने इसलिये नहीं दी कि पिछले वाकिआत से वह अपने आप समझ में आ जाती है।

इमाम इब्ने कसीर रह. ने तफ़सीर के इमामों में से सुदूदी और मुहम्मद बिन इस्हाक़ वगैरह के हवाले से जो तफ़सील बयान की है वह अगर तारीख़ी और इस्वाइली रिवायतों से भी ली गई हो तो इसलिये कुछ काबिले कुबूल है कि कुरआनी बयान में खुद उसकी तरफ़ इशारे मौजूद हैं।

इन हज़रात ने फ़रमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र देश का मंत्री पद हासिल होने के बाद ख़्वाब की ताबीर के मुताबिक़ शुरु के सात साल पूरे मुल्क के लिये बड़ी खुशहाली और बेहतरी के आये, पैदावार ख़ूब हुई और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने और जमा करने की कोशिश की। उसके बाद इसी ख़्वाब का दूसरा हिस्सा सामने आया कि बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ा, जो सात साल तक जारी रहा। उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि पहले से बाख़बर थे कि यह क़हत (सूखा) सात साल तक लगातार रहेगा इसलिये क़हत के शुरु के साल में मुल्क के मौजूदा ज़ख़ीरे को बड़ी एहतियात से जमा कर लिया और पूरी हिफ़ाज़त से रखा।

मिस्र के बाशिन्दों के पास उनकी ज़रूरत की मात्रा में पहले से जमा करा दिया गया, अब क़हत आम हुआ और आस-पास से लोग सिमट कर मिस्र आने लगे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख़ास अन्दाज़ से गुल्ला फ़रोख़्त करना शुरु किया कि एक शख़्स को एक ऊँट के बोझ से ज़्यादा न देते थे, जिसकी मात्रा इमाम कुर्तुबी ने एक वसक़ यानी साठ साअ लिखी है जो हमारे वज़न के एतिबार से दो सौ दस सैर यानी पाँच मन से कुछ ज़्यादा होती है।

और इस काम का इतना ध्यान रखा कि गुल्ले की फ़रोख़्त खुद अपनी निगरानी में कराते थे। यह क़हत (सूखा और अक़ाल) सिर्फ़ मुल्के मिस्र ही में न था बल्कि दूर-दूर के इलाकों तक फैला हुआ था। किनआन का इलाका जो फ़िलिस्तीन का एक हिस्सा है और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का वतन है और आज भी उसका शहर ख़लील के नाम से एक रौनकदार शहर की सूरत में मौजूद है, यहीं हज़रत इब्राहीम व इस्हाक़ और याक़ूब व यूसुफ़ अलैहिमुस्सलाम के मज़ार परिचित हैं, यह ख़िल्ला भी उस क़हत की मार से न बचा, और याक़ूब अलैहिस्सलाम के

खानदान में बेचनी पैदा हुई। साथ ही साथ मिस्र की यह शोहरत आम हो गई थी कि वहाँ ग़ल्ला कीमत के बदले मिल जाता है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम तक भी यह ख़बर पहुँची कि मिस्र का बादशाह कोई नेक रहमदिल आदमी है वह अल्लाह की तमाम मख़्लूक को ग़ल्ला देता है, तो अपने बेटों से कहा कि तुम भी जाओ मिस्र से ग़ल्ला लेकर आओ।

और चूँकि यह भी मालूम हो चुका था कि एक आदमी को एक ऊँट के भार से ज्यादा ग़ल्ला नहीं दिया जाता, इसलिये सब ही बेटों को भेजने की तजवीज़ हुई, मगर सबसे छोटे भाई बिनयामीन जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गुम हो जाने के बाद से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की मुहब्बत व शफ़क़त उनके साथ ज्यादा हो गई थी, उनको अपने पास अपनी तसल्ली और ख़बरगीरी के लिये रोक लिया।

दस भाई किनआन से सफ़र करके मिस्र पहुँचे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शाही लिबास में शाहाना तख़्त व ताज के मालिक होने की हैसियत में सामने आये, और भाईयों ने उनको बचपन की सात साल की उम्र में काफ़िले वालों के हाथ बेचा था जिसको उस वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक़ 40 साल हो चुके थे। (कुर्तुबी, मज़हरी)

ज़ाहिर है कि इतने अरसे में इनसान का हुलिया भी कुछ का कुछ हो जाता है, और उनका यह वहम व ख़्याल भी न हो सकता था कि जिस बच्चे को गुलाम बनाकर बेचा गया था वह किसी मुल्क का वज़ीर या बादशाह हो सकता है, इसलिये भाईयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को न पहचाना मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया। उक्त आयत में:

فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

के यही मायने हैं। अरबी भाषा में इनकार के असली मायने अजनबी समझने ही के आते हैं, इसलिये मुन्किरीन के मायने नावाक़िफ़ और अन्जान के हो गये।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पहचान लेने के बारे में इमाम इब्ने कसीर ने सुद्दी के हवाले से यह भी बयान किया है कि जब ये दस भाई दरबार में पहुँचे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इस्मीनान के लिये इनसे ऐसे सवालात किये जैसे संदिग्ध लोगों से किये जाते हैं ताकि वे पूरी हकीक़त वाज़ेह करके बयान कर दें। अब्बल तो इनसे पूछा कि आप लोग मिस्र के रहने वाले नहीं आपकी भाषा भी इबरानी है, आप यहाँ कैसे पहुँचे? इन्होंने अर्ज़ किया कि हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ा है, और हमने आपकी तारीफ़ सुनी इसलिये ग़ल्ला हासिल करने के लिये आये हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि हमें यह कैसे इस्मीनान हो कि तुम सच कह रहे हो, और तुम किसी दुश्मन के जासूस नहीं हो? तो इन सब भाईयों ने अर्ज़ किया कि मअज़ल्लाह हम से ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, हम तो अल्लाह के रसूल याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो किनआन में रहते हैं।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इन सवालात से मक़सद ही यह था कि ये ज़रा खुलकर पूरे वाक़िआत बयान कर दें, तब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि तुम्हारे वालिद के और भी

कांड आलाद तुम्हारे अलावा है? तो इन्होंने बतलाया कि हम बारह भाई थे जिनमें से एक छोटे भाई जंगल में गुम हो गया और हमारे वालिद को सबसे ज्यादा उसी को मुहब्बत थी, उसके बाद से उसके सगे छोटे भाई के साथ ज्यादा मुहब्बत करने लगे और इसी लिये इस वक़्त भी उसका सफ़र में हमारे साथ नहीं भेजा ताकि वह उसकी तसल्ली का सबब बने।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये सब बातें सुनकर हुक्म दिया कि इनको शाही मेहमान की हैसियत से ठहरायें और नियम के मुताबिक़ ग़ल्ला दें।

ग़ल्ले के बंटवारे में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह उसूल बनाया था कि एक मर्तबा में किसी एक शख्स को एक ऊँट के बोझ से ज्यादा न देते, मगर जब हिसाब के मुवाफ़िक़ वह ख़त्म हो जाये तो फिर दोबारा दे देते थे।

भाईयों से सारी तफ़सीलात मालूम कर लेने के बाद उनके दिल में यह ख़्याल आना तबई चीज़ थी कि वे फिर दोबारा आवें, इसके लिये एक इन्तिज़ाम तो जाहिर में यह किया कि खुद इन भाईयों से कहा:

أَتَوْنِي بِأَخْ لَكُمْ مِنْ أَيْكُمْ إِلَّا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۝

“यानी जब तुम दोबारा आओ तो अपने सौतेले भाई (बाप शरीक) को भी ले आना, तुम देख रहे हो कि मैं किस तरह पूरा-पूरा ग़ल्ला देता हूँ और किस तरह मेहमान-नवाज़ी करता हूँ।”

और फिर एक धमकी भी दे दी कि:

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون ۝

“यानी अगर तुम अपने उस भाई को साथ न लाये तो फिर मैं तुम में से किसी को भी ग़ल्ला न दूँगा (क्योंकि मैं समझूँगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है) इस तरह तुम मेरे पास न आना।

दूसरा इन्तिज़ाम यह किया कि जो नक़दी या ज़ेवर वगैरह उन भाईयों ने ग़ल्ले की कीमत के तौर पर अदा किया था उसके बारे में कारिन्दों को हुक्म दे दिया कि उसको छुपाकर उन्हीं के सामान में इस तरह बाँध दो कि उनको इस वक़्त पता न लगे ताकि आईन्दा जब ये घर पहुँचकर सामान खोलें और अपनी नक़दी व ज़ेवर भी इनको वापस मिले तो फिर ये दोबारा ग़ल्ला लेने के लिये आ सकें।

इमाम इब्ने कसीर ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस अमल में कई एहतिमाल (संभावनायें) बयान किये हैं- एक यह कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह ख़्याल आया कि शायद इनके पास इस नक़दी व ज़ेवर वगैरह के सिवा और कुछ मौजूद न हो तो फिर दोबारा ग़ल्ला लेने के लिये नहीं आ सकेंगे। दूसरे यह भी हो सकता है कि अपने वालिद और भाईयों से खाने को कीमत लेना ग़वारा न हो, इसलिये शाही खज़ाने में अपने पास से जमा कर दिया, उनकी रक़म उनको वापस कर दी। और एक संभावना यह भी है कि वह जानते थे कि जब उनका सामान उनके पास वापस पहुँच जायेगा और वालिद साहिब को इल्म होगा तो वह अल्लाह के रसूल हैं, इस वापस

हुए सामान को गिरवी ख़ज़ाने की ज़मानत समझकर ज़ूमर बापल भेजेंगे, उरालिये भाईयों को दोबारा आना और बकीनी हो जायेंगा।

बहरहाल! यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये सब इन्तिज़ामात इसलिये किये कि आईन्दा भी भाईयों के आने का सिलसिला जारी रहे और छोटे सगे भाई से मुलाक़ात भी हो जाये।

मसाईल व फ़ायदे

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस वाकिए से इसका जवाज़ (आयज़ व दुरुस्त होना) मालूम हुआ कि जब किसी मुल्क में आर्थिक हालात ऐसे ख़राब हो जायें कि अगर हुकूमत व्यवस्था कायम न करे तो बहुत-से लोग अपनी ज़िन्दगी की ज़रूरतों से मेहरूम हो जायें तो हुकूमत ऐसी चीज़ों को अपने कन्ट्रोल और कब्ज़े में ले सकती है और ग़ल्ले की मुनासिब कीमत मुक़रर कर सकती है, कुरआन व हदीस के माहिर उलेमा ने इसको स्पष्ट तौर पर बयान फ़रमाया है।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अपने हालात से वालिद को इत्तिला न देना अल्लाह के हुक्म से था

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस वाकिए में एक बात इन्तिहाई हैरत-अंगेज़ है कि एक तरफ़ तो उनके वालिद माजिद पैग़म्बरे खुदा याक़ूब अलैहिस्सलाम उनकी जुदाई से इतने प्रभावित कि रोते-रोते अंधे हो गये, और दूसरी तरफ़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो खुद भी नबी व रसूल हैं बाप से फ़ितरी और तबई मुहब्बत के अलावा उनके हुकूक से भी पूरी तरह बाख़बर हैं, लेकिन चालीस साल के लम्बे ज़माने में एक मर्तबा भी कभी यह ख़्याल न आया कि मेरे वालिद मेरी जुदाई से बेचैन हैं, अपनी ख़ैरियत की ख़बर किसी माध्यम से उन तक पहुँचवा दूँ। ख़बर पहुँचवा देना तो उस हालत में भी कुछ मुश्किल न था जब वह गुलामी की सूरत में मिस्र पहुँच गये थे, फिर अज़ीज़े मिस्र के घर में तो हर तरह की आज़ादी और सहूलत के सामान भी थे, उस वक़्त किसी ज़रिये से घर तक ख़त या ख़बर पहुँचवा देना कुछ मुश्किल न था, इसी तरह जेल की ज़िन्दगी में दुनिया जानती है कि सब ख़बरें इधर की उधर पहुँचती ही रहती हैं, ख़ुसूसन जब अल्लाह तआला ने इज़ज़त के साथ जेल से रिहा फ़रमाया और मुल्क मिस्र की हुकूमत हाथ में आई उस वक़्त तो खुद चलकर वालिद की ख़िदमत में हाज़िर होना सबसे पहला काम होना चाहिये था, और यह किसी वजह से मस्लेहत के खिलाफ़ होता तो कम से कम कासिद भेजकर वालिद को मुल्मईन कर देना तो मामूली बात थी।

लेकिन पैग़म्बरे खुदा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहीं मन्कूल नहीं कि इसका इरादा भी किया हो, और खुद क्या इरादा करते जब भाई ग़ल्ला लेने के लिये आये तो उनको भी असल वाकिए के इज़हार के बग़ैर रुख़स्त कर दिया।

इन तमाम हालात की किसी मामूली से इन्सान से भी कल्पना नहीं की जा सकती, अल्लाह

के मकबूल व खास रतूल से यह सूत कैसे बरदाश्त हुई?

इस हैरत-अंगेज (आश्चर्यजनक) खामोशी का हमेशा यही जवाब दिल में आया करता था कि ग़ालिबन अल्लाह तआला ने अपनी कामिल हिक्मत के मातहत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खुद के ज़ाहिर करने से रोक दिया होगा, तफ़सीरे कुर्तुबी में इसकी वज़ाहत मिल गई कि अल्लाह तआला ने वही के ज़रिये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रोक दिया था कि अपने घर अपने मुताल्लिक कोई ख़बर न भेजे।

अल्लाह तआला की हिक्मतों को वही जानते हैं इनसान उनका क्या इहाता कर सकता है। कभी कोई चीज़ किसी की समझ में भी आ जाती है, यहाँ बज़ाहिर इसकी असल हिक्मत उस परीक्षा को पूरा करना था जो याक़ूब अलैहिस्सलाम की ली जा रही थी और यही वजह थी कि इस वाक़िए के शुरू ही में जब याक़ूब अलैहिस्सलाम को यह अन्दाज़ा हो चुका था कि यूसुफ़ को भेड़िये ने नहीं खाया बल्कि भाइयों की कोई शरारत है, तो इसका तबई तकाज़ा यह था कि उसी वक़्त जगह पर पहुँचते, तहकीक़ करते, मगर अल्लाह तआला ने उनका ध्यान इस तरफ़ न जाने दिया और फिर मुद्दतों के बाद उन्होंने भाइयों से यह भी फ़रमाया कि “जाओ यूसुफ़ और उसके भाई को तलाश करो।” जब अल्लाह तआला कोई काम करना चाहते हैं तो उसके सब असबाब इसी तरह जमा फ़रमा देते हैं।

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ

مَعَنَا آخَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ قَالَ هَلْ أَمْنَكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنَتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۝

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۝ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝ وَكَلَّمَا فَتَحُوا مُتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۝

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَسِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفُظُ آخَانًا وَنَزِدُكَ كَيْلًا بَعِيرٌ

ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۝ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ

يُحَاطَ بِكُمْ ۝ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

फ़-लम्मा र-जअू इला अबीहिम्

कालू या अबाना मुनि-अ मिन्नल्कैलु

फ़-अर्सिल् म-अना अख़ाना नक्तल्

व इन्ना लहू लहाफिज़ून (63) का-ल

हल् आमनुकुम् अलैहि इल्ला कमा

अमिन्तुकुम् अला अख़ीहि मिन् कब्लु,

फिर जब पहुँचे अपने बाप के पास बोले

ऐ बाप! रोक दी गई हमसे भरती, सो

भेज हमारे साथ हमारे भाई को कि भरती

ले आयेँ और हम उसके निगहवान हैं।

(63) कहा मैं क्या एतिबार करूँ तुम्हारा

उस पर मगर वही जैसा एतिबार किया था

उसके भाई पर इससे पहले, सो अल्लाह

फ़ल्लाहु ख़ौरुन् हाफिज़ं व-व हु-व
 अर्हमूर्-राहिमीन (64) व लम्मा
 फ़-तहू मता-अ हुम् व-जदू
 बिज़ाअ-तहुम् रुद्दत् इलैहिम्, कालू
 या अबाना मा नब्गी, हाज़िही
 बिज़ा-अतुना रुद्दत् इलैना व नमीरु
 अह्लना व नस्फ़जु अख़ाना व नज़्दादु
 कै-ल बअीरिन्, ज़ालि-क कैलुंघ्यसीर
 (65) का-ल लन् उर्सि-लहू म-अकुम्
 हत्ता तुअ्तूनि मौसिकम्-मिनल्लाहि
 ल-तअ्तुन्ननी बिही इल्ला अय्युहा-त
 बिकुम् फ़-लम्मा आतौहु मौसि-कहुम्
 कालल्लाहु अला मा नक्रूणु
 वकील (66)

बेहतर है निगहबान और वही है सब
 मेहरबानों से मेहरबान। (64) और जब
 खोली अपनी बंधी हुई चीज़ पाई अपनी
 पूँजी कि फेर दी गई उनकी तरफ़, बोले
 ऐ बाप! हमको और क्या चाहिए यह पूँजी
 हमारी फेर दी है हमको, अब जायें तो
 रसद लायें हम अपने घर को और
 ख़बरदारी करेंगे अपने भाई की, और
 ज़्यादा लें भरती एक ऊँट की, वह भरती
 आसान है। (65) कहा हरगिज़ न भेजूँगा
 इसको तुम्हारे साथ यहाँ तक कि दो
 मुझको अहद खुदा का कि यकीनन पहुँचा
 दोगे इसको मेरे पास मगर यह कि घरे
 जाओ तुम सब, फिर जब दिया उसको
 सब ने अहद, बोला अल्लाह हमारी बातों
 पर निगहबान है। (66)

खुलासा-ए-तफसीर

गर्ज कि जब लौटकर अपने बाप (याक़ूब अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचे, कहने लगे ऐ
 अब्बा! (हमारी बड़ी ख़ातिर हुई और ग़ुल्ला भी मिला मगर बिनयामीन का हिस्सा नहीं मिला,
 बल्कि बिना बिनयामीन को साथ ले जाये हुए आईन्दा भी) हमारे लिये (क़तई तौर पर) ग़ुल्ले की
 बन्दिश कर दी गई, सो (इस सूरत में ज़रूरी है कि) आप हमारे भाई (बिनयामीन) को हमारे साथ
 भेज दीजिये ताकि (दोबारा ग़ुल्ला लाने से जो बात रुकावट है वह ख़त्म हो जाये और) हम
 (फिर) ग़ुल्ला ला सकें। और (अगर इनके भेजने से आपको कोई अन्देशा ही रुकावट है तो
 उसके बारे में यह अर्ज है कि) हम इनकी पूरी हिफ़ाज़त रखेंगे। याक़ूब (अलैहिस्सलाम) ने
 फ़रमाया कि बस (रहने दो) मैं इसके बारे में भी तुम्हारा वैसा ही एतिबार करता हूँ जैसा इससे
 पहले इसके भाई (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम) के बारे में तुम्हारा एतिबार कर चुका हूँ (यानी दिल तो
 मेरा गवाही देता नहीं कि मगर तुम कहते हो कि बिना इसके गये आईन्दा ग़ुल्ला न मिलेगा, और
 आदतन जिन्दगी का मदार ग़ुल्ले ही पर है और जान बचाना फ़र्ज़ है) सो (ख़ैर अगर ले ही
 जाओगे तो) अल्लाह (के सुपर्द, वही) सबसे बढ़कर निगहबान है (मेरी निगहबानी से क्या होता

है) और वह सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है (मेरी मुहब्बत और शफकत से क्या होता है)।

और (इस गुफ्तगू के बाद) जब उन्होंने अपना सामान खोला तो (उसमें) उनको उनकी जमा-पूँजी (भी) मिली कि उन्हीं को वापस कर दी गई। कहने लगे कि ऐ अब्बा! (लीजिये) और हमको क्या चाहिए, यह हमारी जमा-पूँजी भी तो हम ही को लौटा दी गई है (ऐसा करीम बादशाह, और इससे ज्यादा किस इनायत का इन्तिज़ार करें, यह इनायत काफी है, इसका तकाज़ा भी यही है कि ऐसे करीम बादशाह के पास फिर जायें और वह निर्भर है भाई के साथ ले जाने पर, इसलिये इजाज़त ही दे दीजिये इनको साथ ले जायेंगे) और अपने घर वालों के वास्ते (और) रसद लाएँगे और अपने भाई की ख़ूब हिफ़ाज़त रखेंगे, और एक ऊँट का बोझ ग़ुल्ला और ज्यादा लाएँगे (क्योंकि जिस क़द्र इस वक़्त लाये हैं) यह तो थोड़ा-सा ग़ुल्ला है (जल्दी ख़त्म हो जायेगा फिर और ज़रूरत होगी और उसका मिलना मौक़ूफ़ है इनके लेजाने पर)।

याक़ूब (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि (ख़ैर इस हालत में भेजने से इनकार नहीं लेकिन) उस वक़्त तक हरगिज़ इसको तुम्हारे साथ न भेजूँगा जब तक कि अल्लाह की क़सम खाकर मुझको पक्का कौल न दोगे कि तुम इसको ज़रूर ले ही आओगे, हाँ अगर कहीं घिर ही जाओ तो मजबूरी है। (चुनाँचे सब ने इस पर क़सम खा ली) सो जब वे क़सम खाकर अपने बाप को कौल दे चुके तो उन्होंने फ़रमाया कि हम लोग जो कुछ बातचीत कर रहे हैं यह सब अल्लाह ही के हवाले है (यानी वही हमारे कौल व इक़रार का गवाह है कि सुन रहा है और वही इस कौल को पूरा कर सकता है, पस इस कहने से दो गर्ज़ हुई- अब्बल उनको अपने कौल के ख़्याल रखने का ध्यान रखने की ताक़ीद और तंबीह कि अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर समझने से यह बात होती है, और दूसरे इस तदबीर को पूरा करने वाला तक्दीर को क़रार देना जो कि तवक्कुल का हासिल है, और इसके बाद बिनयामीन को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। गर्ज़ कि दोबारा मिस्र के सफ़र को मय बिनयामीन के सब तैयार हो गये)।

मआरिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में वाक़िए का बाकी हिस्सा इस तरह बयान हुआ है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र से ग़ुल्ला लेकर वापस घर आये तो मिस्र के मामले का तज़क़िरा वालिद माजिद से करते हुए यह भी बतलाया कि अज़ीज़े मिस्र ने आईन्दा के लिये हमें ग़ुल्ला देने के लिये यह शर्त रख दी है कि अपने छोटे भाई को साथ लाओगे तो मिलेगा वरना नहीं, इसलिये आप आईन्दा बिनयामीन को भी हमारे साथ भेज दें ताकि हमें आईन्दा भी ग़ुल्ला मिल सके, और हम इस भाई की तो पूरी हिफ़ाज़त करने वाले हैं इनको किसी किस्म की तकलीफ़ न-होगी।

वालिद माजिद ने फ़रमाया कि क्या इनके बारे में तुम पर ऐसा ही इत्मीनान करूँ जैसा इससे पहले इनके भाई यूसुफ़ के बारे में किया था? मतलब ज़ाहिर है कि अब तुम्हारी बात का एतिबार क्या है, एक मर्तबा तुम पस इत्मीनान करके मुरीबत उठा चुका हूँ, तुमने यही अलफ़ाज़ हिफ़ाज़त करने के उस वक़्त भी बोले थे।

यह तो उनकी बात का जवाब था मगर फिर खानदान की जखरल को देखते हुए पैगम्बराना तवक्कुल और इस हकीकत को असल करार दिया कि कोई नफा नुकसान किसी बन्दे के हाथ में नहीं जब तक अल्लाह तआला ही की मर्जी व इरादा न हो, और जब उनका इरादा हो जाये तो फिर उसको कोई टाल नहीं सकता, इसलिये मख़्लूक पर भरोसा भी ग़लत है और उनकी शिकायत पर मामले का मदार रखना भी मुनासिब नहीं है। इसलिये फ़रमाया:

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا

यानी तुम्हारी हिफ़ाज़त का नतीजा तो पहले देख चुका हूँ अब तो मैं अल्लाह तआला ही की हिफ़ाज़त पर भरोसा करता हूँ।

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ०

और वह सबसे ज्यादा रहमत करने वाला है। उसी से उम्मीद है कि वह मेरी ज़ईफ़ी (बुढ़ापे व कमजोरी) और मौजूदा ग़म व परेशानी पर नज़र फ़रमाकर मुझ पर दोहरे सदमे न डालेगा।

खुलासा यह है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी हालात और अपनी औलाद के अहद व पैमान पर भरोसा न किया मगर अल्लाह तआला के भरोसे पर छोटे बेटे को भी साथ भेजने के लिये तैयार हो गये।

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا مَآئِنَا مَا نَبِغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَ

نَحْفِظُ أَخَانَنَا وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ०

यानी अब तक तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों की यह प्रारम्भिक गुफ्तगू सफ़र के हालात बयान करने के दौरान में हो रही थी, अभी सामान खोला न था, इसके बाद जब सामान खोला और देखा कि उनकी वह पूँजी जो ग़ल्ले की कीमत में अदा करके आये थे, वह भी सामान के अन्दर मौजूद है, तो उस वक़्त उन्होंने यह महसूस किया कि यह काम भूल से नहीं बल्कि जान-बूझकर हमारी पूँजी हमें वापस कर दी गई है। इसी लिये 'रुद्दतु इलैना' कहा, यानी यह पूँजी हमें वापस कर दी गई है। और फिर वालिद मोहतरम से अर्ज़ किया 'मा नब्गी' यानी हमें और क्या चाहिये कि ग़ल्ला भी आ गया और उसकी कीमत भी वापस मिल गई। अब तो हमें ज़रूर दोबारा अपने भाई को साथ लेकर इत्मीनान से जाना चाहिये, क्योंकि इस मामले से मालूम हुआ कि अज़ीजे मिस्र हम पर बहुत मेहरबान है, इसलिये कोई अन्देशा नहीं, हम अपने खानदान के लिये ग़ल्ला लायें और भाई को भी हिफ़ाज़त से रखें, और भाई के हिस्से का ग़ल्ला अतिरिक्त मिल जाये, क्योंकि हम जो लाये हैं यह तो हमारे खर्च के मुक़ाबले में बहुत थोड़ा है, चन्द दिन में ख़त्म हो जायेगा।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने जो यह जुमला 'मा नब्गी' कहा इसका एक मफ़हूम तो वही है जो अभी बतलाया गया कि हमें और इससे ज्यादा क्या चाहिये, और इस जुमले में हफ़ 'मा' को नफी के मायने में लिया जाये तो यह मतलब भी हो सकता है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने अपने वालिद से अर्ज़ किया कि अब तो हमारे पास ग़ल्ला लाने के लिये कीमत

मौजूद है, इन आपसे कुछ नहीं मंगते, अब सिर्फ भाई को हमारे साथ भेज दें।

वालिद साहिब ने ये सब बातें सुनकर जवाब दिया:

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ

“यानी मैं बिनयामीन को तुम्हारे साथ उस वक्त तक न भेजूँगा जब तक तुम अल्लाह की कसम और यह अहद व पैमान मुझे न दे दो कि तुम इसको जरूर अपने साथ वापस लाओगे।” मगर चूँकि हकीकत को देखने वाली नज़रों से यह बात किसी वक्त ग़ायब नहीं होती कि इनसान बेचास जाहिरी कुव्वत व कुदरत कितनी ही रखता हो फिर भी हर चीज़ में मजबूर और हक़ तआला की कुदरत के सामने आजिज़ है, वह किसी शख्स को हिफ़ाज़त के साथ वापस लाने का अहद व पैमान ही क्या कर सकता है, क्योंकि वह इस पर मुकम्मल कुदरत नहीं रखता। इतलिये इस अहद व पैमान के साथ एक सूरत इस्तते अलग भी रखी:

إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ

यानी सिवाय उस सूरत के कि तुम सब किसी घरे में आ जाओ। इमामे तफ़सीर मुजाहिद रह. ने इसका मतलब यह बयान किया कि तुम सब हलाक हो जाओ, और क़तादा रह. ने फ़रमाया कि मतलब यह है कि तुम बिल्कुल आजिज़ और मग़लूब हो जाओ।

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْتَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

यानी जब बेटों ने मतलूबा तरीक़े पर अहद व पैमान कर लिया यानी सब ने क़समें खाई और वालिद को इत्मीनान दिलाने के लिये बड़ी सख़्ती से हलफ़ किये, तो वाक़ूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि बिनयामीन की हिफ़ाज़त के लिये हलफ़ देने और हलफ़ उठाने का जो काम हम कर रहे हैं इस सारे मामले का भरोसा अल्लाह तआला ही पर है, उसी की तौफ़ीक़ से कोई किसी की हिफ़ाज़त कर सकता और अपने अहद को पूरा कर सकता है, वरना इनसान बेबस है उसके जाती क़ब्ज़ा-ए-कुदरत में कुछ नहीं।

हिदायात व मसाईल

उक्त आयतों में इनसान के लिये बहुत-सी हिदायतें और अहकाम हैं उनको याद रखिये:

औलाद से गुनाह व ख़ता हो जाये तो ताल्लुक़ तोड़ने

के बजाय उनके सुधार की फ़िक्र करनी चाहिये

पहली हिदायत: यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों से जो ख़ता इससे पहले हुई वह बहुत-से बड़े और सख़्त गुनाहों को शामिल थी, जैसे:

अव्वल: झूठ बोलकर वालिद को इस पर तैयार करना कि वह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके साथ तफ़रीह के लिये भेज दें।

दूसरे: वालिद से अहद करके उसकी खिलाफत (या तो उल्लंघन करना)।

तीसरे: छोटे मासूम भाई से बेरहमी और हिंसा व ज्यादती का बर्ताव करना।

चौथे: जईफ़ वालिद को हद से ज्यादा तकलीफ़ पहुँचने की परवाह न करना।

पाँचवे: एक बेगुनाह इन्सान को क़त्ल करने की योजना बनाना।

छठे: एक आज़ाद इन्सान को ज़बरदस्ती और जुल्म से फ़रोख़्त कर देना।

ये ऐसे इन्तिहाई और सख़्त जुर्म थे कि जब याक़ूब अलैहिस्सलाम पर बाजेह हो गया कि इन्होंने झूठ बोला है और जान-बूझकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़ाया किया है तो इसका तकाज़ा बज़ाहिर तो यह था कि वह इन बेटों से ताल्लुक़ तोड़ लेते या इनको निकाल देते, मगर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वे बदस्तूर वालिद की ख़िदमत में रहे यहाँ तक कि उन्हीं को मिस्र से गुल्ला लाने के लिये भेजा, और इस पर मज़ीद यह कि दोबारा फिर उनको छोटे भाई के मुताल्लिक़ वालिद से दरख़्वास्त करने का मौक़ा मिला और आख़िरकार उनकी बात मानकर छोटे बेटे को भी उनके हवाले कर दिया।

इससे मालूम हुआ कि औलाद से कोई गुनाह व ख़ता हो जाये तो बाप को चाहिये कि तरबियत करके उनकी इस्लाह (सुधारने) की फ़िक्र करे और जब तक इस्लाह की उम्मीद हो ताल्लुक़ ख़त्म न करे, जैसा कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, और आख़िरकार वे सब अपनी ख़ताओं पर शर्मिन्दा और गुनाहों से तौबा करने वाले हुए। हाँ अगर इस्लाह से मायूसी हो जाये और उनके साथ ताल्लुक़ कायम रखने में दूसरों के दीन का नुक़सान महसूस हो तो फिर ताल्लुक़ तोड़ लेना ज़्यादा मुनासिब है।

दूसरी हिदायत उस अच्छे बर्ताव और अच्छे अख़्लाक़ की है जो यहाँ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर हुआ, कि बेटों के इतने सख़्त और बड़े अपराधों के बावजूद उनका मामला ऐसा रहा कि दोबारा छोटे भाई को साथ लेजाने की दरख़्वास्त करने की जुरत कर सके।

तीसरी हिदायत यह भी है कि ऐसी सूरत में इस्लाह करने की ग़र्ज से ख़ताकार को जतला देना भी मुनासिब है कि तुम्हारे मामले का तकाज़ा तो यह था कि तुम्हारी बात न मानी जाती मगर हम उससे माफ़ी देते हैं ताकि वह आईन्दा शर्मिन्दा होकर उससे पूरी तरह तौबा करने वाला हो जाये जैसा कि याक़ूब अलैहिस्सलाम ने पहले जतलाया कि क्या बिनयामीन के मामले में भी तुम पर ऐसा ही इत्मीनान कर लूँ जैसा यूसुफ़ के मामले में किया था? मगर जतलाने के बाद हालात को देखने से उनका तौबा करने वाला होना मालूम करके अल्लाह तआला पर तवक्कूल (भरोसा) किया और छोटे बेटे को उनके हवाले कर दिया।

चौथी हिदायत यह है कि किसी इन्सान के वायदे और हिफ़ाज़त पर असली तौर से भरोसा करना ग़लती है, असल भरोसा सिर्फ़ अल्लाह तआला पर होना चाहिये, वही वास्तविक तौर पर कारसाज़ और तमाम असबाब को बनाने वाला है, असबाब को मुहैया करना फिर उनमें तासीर पैदा करना सब अल्लाह की कुदरत में है, इसी लिये याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا

(कि अल्लाह ही है सबसे बड़ा निर्गन्वान) हज़रत कअद जहबरी का ज़ैल है कि इस मर्तबा चूँकि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ औलाद के कहने पर भरोसा नहीं किया बल्कि मामले को अल्लाह तआला के सुपुर्द किया इसलिये अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि क़सम है मेरी इज़्ज़त व जलाल की कि अब मैं आपके दोनों बेटों को आपके पास वापस भेजूँगा।

पाँचवाँ मसला इसमें यह है कि अगर दूसरे शख्स का माल या कोई चीज़ अपने सामान में निकले और अन्दाज़े व इशारे इस पर गवाह हों कि उसने जान-बूझकर हमें देने ही के लिये हमारे सामान में बाँध दिया है तो उसको अपने लिये रखना और उसका इस्तेमाल व खर्च करना जायज़ है। जैसे यह पूँजी जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों के सामान से बराभद हुई और प्रबल इशारों और अन्दाज़ों से स्पष्ट रूप से यह मालूम हुआ कि किसी भूल या धोखे से ऐसा नहीं हुआ बल्कि इरादे से इसको वापस दे दिया गया है, इसलिये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उस रक़म की वापसी की हिदायत नहीं फ़रमाई, लेकिन जहाँ यह संदेह व गुमान मौजूद हो कि शायद भूले से हमारे पास आ गई वहाँ मालिक से तहकीक़ और मालूम किये बग़ैर उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं।

छठा मसला इसमें यह है कि किसी शख्स को ऐसी क़सम नहीं देनी चाहिये जिसका पूरा करना बिल्कुल उसके कब्ज़े में न हो, जैसे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बिनयामीन को सही व सालिम वापस लाने को क़सम दी तो इसमें से उस हालत को अलग रखा कि वे बिल्कुल अज़िज़ व मजबूर हो जायें या खुद भी सब हलाकत में पड़ जायें।

इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से अपनी इताअत (पैरवी व फ़रमाँबरदारी) का अहद लिया तो खुद उसमें ताक़त व गुंजाईश की क़ैद लगा दी, यानी जहाँ तक हमारी कुदरत व गुंजाईश में दाख़िल है हम आपकी पूरी इताअत करेंगे।

सातवाँ मसला इसमें यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों से अहद व पैमान लेना कि वे बिनयामीन को वापस लायेंगे, इससे मालूम होता है कि क़िफ़ालत बिनफ़स जायज़ है, यानी किसी मुक़दिमे में पकड़े गये इनसान को मुक़दिमे की तारीख़ पर हाज़िर करने की ज़मानत को लेना दुरुस्त है।

इस मसले में इमाम मालिक रह. का इख़िलाफ़ (मतभेद) है, वह सिर्फ़ माली ज़मानत को जायज़ रखते हैं, इनसानी नफ़स (जान) की ज़मानत को जायज़ नहीं रखते।

وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ①
وَلَبَّادْخُلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي
نَفْسٍ يَعْتَوِبُ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ② وَلَبَّادْخُلُوا

عَلَىٰ يُوْسُفَ اَوْتِيَ الْبَيْتَ اَخَاهُ قَالَ اِنِّي اَنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتِغِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾

व का-ल या बनिय-य ला तदखुलू
मिम्बाबिन्-वाहिदिन्-वदखुलू मिन्
अब्बाबिम् मु-तफरिन्-कतिन्, व मा
उग्नी अन्कुम् मिनल्लाहि मिन् शैइन्,
इनिल्हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, अलैहि
तवक्कल्लु व अलैहि फल्य-तवक्कलिल्-
मु-तवक्कलून (67) व लम्मा द-खलू
मिन् हैसु अ-म-रहुम् अबूहुम्, मा
का-न युग्नी अन्हुम् मिनल्लाहि मिन्
शैइन् इल्ला हा-जतन् फी नफिस
यअकू-ब कज़ाहा, व इन्नहू लज़ू
अिल्मिल्-लिमा अल्लम्नाहु व
लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला
यअलमून (68) ❀

व लम्मा द-खलू अला यूसु-फ आवा
इलैहि अद्दाहु का-ल इन्नी अ-न
अखू-क फला तब्तइस् बिमा कानू
यअमलून (69)

और कहा ऐ बेटो! न दाखिल होना एक
दरवाजे से, और दाखिल होना कई
दरवाजों से अलग-अलग, और मैं नहीं
बचा सकता तुमको अल्लाह की किसी
बात से, हुक्म किसी का नहीं सिवाय
अल्लाह के, उसी पर मुझको भरोसा है
और उसी पर भरोसा करना चाहिये भरोसा
करने वालों को। (67) और जब दाखिल
हुए जहाँ से कहा था उनके बाप ने, कुछ
नहीं बचा सकता था उनको अल्लाह की
किसी बात से मगर एक इच्छा थी याकूब
के जी में सो पूरी कर चुका, और वह तो
खाबरदार था जो कुछ हमने सिखाया
उसको लेकिन बहुत लोगों को खाबर
नहीं। (68) ❀

और जब दाखिल हुए यूसुफ़ के पास
अपने पास रखा अपने भाई को, बेशक मैं
हूँ तेरा भाई, सो गुमगीन मत हो उन
कामों से जो उन्होंने किये हैं। (69)

खुलासा-ए-तफ्सीर

और (चलते वक़्त) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने (उनसे) फ़रमाया कि ऐ मेरे बेटो! (जब मिस्र
में पहुँचो तो) सब-के-सब एक ही दरवाजे से मत जाना, बल्कि अलग-अलग दरवाजों से जाना,
और (यह महज़ एक जाहिरी तदबीर है बुरी नज़र वगैरह के असरात से बचने की, बाकी) मैं खुदा
के हुक्म को तुम पर से टाल नहीं सकता। हुक्म तो बस अल्लाह ही का (चलता) है, (बावजूद
इस जाहिरी तदबीर के दिल से) उसी पर भरोसा-रखता हूँ और भरोसा करने वालों को उसी पर
भरोसा करना चाहिए (यानी तुम भी उसी पर भरोसा रखना, तदबीर पर नज़र मत करना। गुर्ज

कि सब रुखसत होकर चले) और जब (मिस्र पहुँचकर) जिस तरह उनके बाप ने कहा था (उसी तरह शहर के) अन्दर दाखिल हुए तो बाप का अरमान पूरा हो गया, (बाकी) उनके बाप को (यह तदबीर बतलाकर) उनसे खुदा का हुक्म टालना मफ़सूद न था (ताकि उन पर कितनी किस्म का एतियाज या इस तदबीर के लाभदायक न होने से उन पर शुब्हा लाज़िम आये, चुनाँचे खुद उन्होंने ही फ़रमा दिया था 'मा उगनी अन्कुम् मिनल्लाहि मिन् शैइन्।

लेकिन याक़ूब (अलैहिस्सलाम) के जी में (तदबीर के दर्जे में) एक अरमान (आया) था जिसको उन्होंने जाहिर कर दिया, और वह बेशक बड़े आलिम थे, इस वजह से कि हमने उनको इल्म दिया था (और वह इल्म के खिलाफ़ तदबीर को एतिकादी तौर पर असल प्रभावी कब समझ सकते थे, सिर्फ़ उनके इस कौल की वजह से वही अमली तौर पर एक तदबीर का इख्तियार करना था जो कि जायज़ व पसन्दीदा है) लेकिन अक्सर लोग इसका इल्म नहीं रखते (बल्कि जहालत के सबब तदबीर को असल प्रभावी एतिकाद कर लेते हैं)।

और जब ये लोग (यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई) यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचे (और बिनयामीन को पेश करके कहा कि हम आपके हुक्म के मुताबिक़ इनको लाये हैं) तो उन्होंने अपने भाई को अपने साथ मिला लिया (और तन्हाई में उनसे) कहा कि मैं तेरा भाई (यूसुफ़) हूँ, सो ये लोग जो कुछ (बद-सुलूकी) करते रहे हैं उसका रंज मत करना (क्योंकि अब तो अल्लाह ने हमको मिला दिया, अब सब ग़म भुला देना चाहिये। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ बदसुलूकी तो जाहिर और मशहूर है, रहा बिनयामीन के साथ सो या तो उनको भी कुछ तकलीफ़ दी हो वरना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई क्या उनके हक़ में कुछ कम तकलीफ़ थी। फिर दोनों भाईयों ने मश्वरा किया कि कोई ऐसी सूरत हो कि बिनयामीन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास रहें, क्योंकि वैसे रहने में तो और भाईयों का अहद व क़सम खाने के सबब इसरार होगा, बिना वजह का झगड़ा होगा, और फिर वजह भी जाहिर हो गई तो राज़ खुला, और अगर गुप्त रही तो याक़ूब अलैहिस्सलाम का रंज बढ़ेगा कि बिना सबब बिनयामीन को क्यों रोक लिया गया, या वह खुद क्यों रहे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि तदबीर तो है मगर ज़रा तुम्हारी बदनामी है, बिनयामीन ने कहा कुछ परवाह नहीं। ग़ज़ कि उनमें यह बात तय पा गयी और उधर सब को गुल्ला देकर उनके रुख़सत करने का सामान दुरुस्त किया गया)।

मआरिफ़ व मसाइल

ऊपर बयान हुई आयतों में भाईयों का यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई को साथ लेकर दूसरी मर्तबा मिस्र के सफ़र का ज़िक्र है। उस वक़्त हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनको मिस्र शहर में दाख़िल होने के लिये एक खास हिदायत यह फ़रमाई कि अब तुम ग्यारह भाई वहाँ जा रहे हो, तो शहर के एक ही दरवाज़े से सब दाख़िल न होना बल्कि शहरे-पनाह के पास पहुँचकर अलग-अलग हो जाना और शहर के अलग-अलग दरवाज़ों से दाख़िल होना।

सबब इस हिदायत का यह अन्देशा था कि ये सब माशा-अल्लाह नौजवान, सेहतमन्द,

कदावर, हसीन व खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हैं, ऐसा न हो कि जब लोगों को यह मालूम हो कि ये सब एक ही बाप की औलाद और भाई-भाई हैं तो किसी बुरी नज़र वाले की नज़र लग जाये, जिससे इनको कोई तकलीफ़ पहुँचे, या सामूहिक तौर से दाख़िल होने की वजह से कुछ लोग हसद करने (जलने) लगें और तकलीफ़ पहुँचायें।

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनको यह वसीयत पहली मर्तबा नहीं की, इस दूसरे सफ़र के मौके पर फ़रमाई। इसकी वजह ग़ालिबन यह है कि पहली मर्तबा तो ये लोग मिस्र में मुसाफ़िरो की और शिकस्ता हालत में दाख़िल हुए थे, न कोई इनको पहचानता था न किसी से इनके हाल पर ज़्यादा तवज्जोह देने का ख़तरा था, मगर पहले ही सफ़र में मिस्र के बादशाह ने इनका असाधारण सम्मान किया जिससे हुकूमत के आम कारिन्दों और शहर के लोगों में परिचय हो गया तो अब यह ख़तरा प्रबल ही गया कि किसी की नज़र लग जाये, या सब को एक शान व शौकत वाली जमाअत समझकर कुछ लोग हसद करने लगें, और इस मर्तबा बिनयामीन छोटे बेटे का साथ होना भी वालिद के लिये और ज़्यादा तवज्जोह देने का सबब हुआ।

बुरी नज़र का असर होना हक़ है

इससे मालूम हुआ कि इनसान की नज़र लग जाना और उससे किसी दूसरे इनसान या जानवर वगैरह को तकलीफ़ ही जाना या नुक़सान पहुँच जाना हक़ (सही और वास्तविक) है, महज़ जाहिलाना वहम व ख़्याल नहीं। इसी लिये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को इसकी फ़िक्र हुई। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी इसकी तस्दीक़ फ़रमाई है। एक हदीस में है कि बुरी नज़र एक इनसान को क़ब्र में और ऊँट को हण्डिया में दाख़िल कर देती है, इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन चीज़ों से पनाह माँगी और उम्मत की पनाह माँगने की तालीम व हिदायत फ़रमाई है उनमें 'मिन् कुल्लि अैनिल्-लामतिन्' भी मज़कूर है, यानी मैं पनाह माँगता हूँ बुरी नज़र से। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में सहल बिन हुनैफ़ का वाकिआ मशहूर है कि उन्होंने एक मौके पर नहाने के लिये कपड़े उतारे तो उनके सफ़ेद रंग तन्दुरुस्त बदन पर आमिर बिन रबीआ की नज़र पड़ गई और उनकी ज़बान से निकला कि मैंने तो आज तक इतना हसीन बदन किसी का नहीं देखा, यह कहना था कि फ़ौरन सहल बिन हुनैफ़ को तेज़ बुखार चढ़ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब इसकी इत्तिला हुई तो आपने यह इलाज तजवीज़ किया कि आमिर बिन रबीआ को हुक्म दिया कि वह वुजू करें और वुजू का पानी किसी बरतन में जमा करें, यह पानी सहल बिन हुनैफ़ के बदन पर डाला जाये, ऐसा ही किया गया तो फ़ौरन बुखार उतर गया और वह बिल्कुल तन्दुरुस्त होकर जिस मुहिम पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ जा रहे थे उस पर खाना हो गये। इस वाकिए में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आमिर बिन रबीआ को यह तंबीह भी फ़रमाई:

علام يقتل احدكم اخاه الا برکت ان العين حق

“कोई शख्स अपने भाई को क्यों कल्ला करता है? तुमने ऐसा क्यों न किया कि जब उनका बदन तुम्हें अच्छा नज़र आया तो बस्कत की दुआ कर लेते, नज़र का असर हो जाना हक़ है।”

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि जब किसी शख्स को किसी दूसरे की जान व माल में कोई अच्छी बात ताज्जुब में डालने वाली नज़र आये तो उसको चाहिये कि उसके वास्ते यह दुआ करे कि अल्लाह तआला उसमें बरकत अता फ़रमा दें। कुछ रिवायतों में है कि:

عَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

माशा-अल्लाहु ता कुव्व-त इल्ला बिल्लाह

कहे। इससे बुरी नज़र का असर जाता रहता है। और यह भी मालूम हुआ कि किसी की बुरी नज़र किसी को लग जाये तो नज़र लगाने वाले के हाथ-पाँव और चेहरे का धुलने वाला पानी उसके बदन पर डालना बुरी नज़र के असर को दूर कर देता है।

इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि उम्मत के तमाम उलेमा-ए-अहले सुन्नत वल्-जमाअत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि बुरी नज़र लग जाना और उससे नुक़सान पहुँच जाना हक़ है।

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने एक तरफ़ तो बुरी नज़र या हसद (दूसरों के जलने) के अन्देशे से औलाद को यह वसीयत फ़रमाई कि सब मिलकर एक दरवाज़े से शहर में दाख़िल न हों, दूसरी तरफ़ एक हकीक़त का इज़हार भी ज़रूरी समझा जिससे ग़फ़लत की बिना पर ऐसे मामलों में बहुत-से अ़वाम जाहिलाना ख़्यालात और वहमों के शिकार हो जाते हैं, वह यह कि बुरी नज़र की तासीर (प्रभाव) किसी इनसान के जान व माल में एक किस्म का मिस्मरेज़म है और वह ऐसा ही है जैसे नुक़सानदेह दवा या ग़िज़ा इनसान को बीमार कर देती है, गर्मी-सर्दी की शिद्दत से रोग पैदा हो जाते हैं, इसी तरह बुरी नज़र या मिस्मरेज़म के तसरूफ़ात भी उन्हीं आदी असबाब में से हैं कि नज़र या ख़्याल की कुव्वत से उसके आसार जाहिर हो जाते हैं, उनमें खुद कोई वास्तविक तासीर नहीं होती बल्कि सब असबाब अल्लाह तआला की कामिल कुदरत और चाहत व इरादे के ताबे हैं, अल्लाह की तफ़दीर के मुक़ाबले में न कोई मुफ़ीद तदबीर मुफ़ीद हो सकती है न नुक़सान देने वाली तदबीर का नुक़सान असर डालने वाला हो सकता है। इसलिये इरशाद फ़रमाया:

وَمَا أَعْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

यानी बुरी नज़र से बचने की जो तदबीर मैंने बतलाई है मैं जानता हूँ कि वह अल्लाह तआला की मर्ज़ी व इरादे को नहीं टाल सकती, हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह ही का चलता है, अलबत्ता इनसान को जाहिरी तदबीर करने का हुक्म है, इसलिये यह वसीयत की गई। मगर मेरा भरोसा इस तदबीर पर नहीं बल्कि अल्लाह ही पर है और हर शख्स को यही लाज़िम है कि उसी पर एतमाद और भरोसा करे, जाहिरी और मादी तदबीरों पर भरोसा न करे।

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने जिस हकीक़त का इज़हार फ़रमाया इत्तिफ़ाक़न हुआ भी कुछ ऐसा ही कि उस सफ़र में बिनयामीन को हिफ़ाज़त के साथ वापस लाने की सारी तदबीरों

मुकम्मल कर लेने के बावजूद सब चीजें नाकाम रह गईं, और बिनयामीन को मिस्र में लेक़ लिया गया, जिसके नतीजे में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को एक दूसरा सख्त सदमा पहुँचा, उनकी तदबीर का नाकाम होना जो अगली आयत में बयान हुआ है उसका मकसद यही है कि असल मकसद के लिहाज़ से तदबीर नाकाम हो गई अगरचे बुरी नज़र या हसद (दूसरों के जलने) वगैरह से बचने की तदबीर कामयाब हुई। क्योंकि इस सफ़र में ऐसा वाकिआ पेश नहीं आया मगर अल्लाह की तक्दीर से जो हादसा पेश आने वाला था उस तरफ़ याक़ूब अलैहिस्सलाम की नज़र नहीं गई, और न उसके लिये कोई तदबीर कर सके, मगर इस ज़ाहिरी नाकामी के बावजूद उनके तवक्कुल की बरकत से यह दूसरा सदमा पहले सदमे का भी इलाज़ साबित हुआ, और अंततः बड़ी आफ़ियत व इज़्ज़त के साथ यूसुफ़ और बिनयामीन दोनों से मुलाक़ात नसीब हुई।

इसी मज़मून का बयान इसके बाद की आयत में इस तरह आया कि बेटों ने बालिद के हुक्म की तामील की, शहर के अलग-अलग दरवाज़ों से मिस्र में दाख़िल हुए तो बाप का अरमान पूरा हो गया। उनकी यह तदबीर अल्लाह के किसी हुक्म को टाल न सकती थी मगर याक़ूब अलैहिस्सलाम की एक बाप होने की शफ़क़त व पुहब्बत का तकाज़ा था जो उन्होंने पूरा कर लिया।

इस आयत के आख़िर में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ इन अलफ़ाज़ में की गई है:

وَأَنَّهُ لَدُوْعِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

यानी याक़ूब अलैहिस्सलाम बड़े इल्म वाले थे, क्योंकि उनको हमने इल्म दिया था। मतलब यह है कि आम लोगों की तरह उनका इल्म किताबी और हासिल किया हुआ नहीं बल्कि बिना वास्ते के अल्लाह तआला का बख़्शा हुआ और उसकी अता था, इसी लिये उन्होंने ज़ाहिरी तदबीर जो शरई तौर पर जायज़ और अच्छी है वह तो कर ली मगर उस पर भरोसा नहीं किया, मगर बहुत से लोग इस बात की हकीक़त को नहीं जानते और नावाक़फ़ियत (अज्ञानता) से याक़ूब अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे शुब्हात में मुत्तला हो जाते हैं कि ये तदबीरें पैग़म्बर की शान के लायक़ नहीं।

कुरआने पाक के कुछ व्याख्यापकों (मुफ़सिरीन) ने फ़रमाया कि पहले लफ़्ज़े इल्म से मुराद इल्म के तकाज़े पर अमल करना है, और मतलब यह है कि हमने जो इल्म उनको अता किया वह उस पर आमित और उसके पाबन्द थे, इसी लिये ज़ाहिरी तदबीरों पर भरोसा नहीं फ़रमाया बल्कि एतिमाद और भरोसा सिर्फ़ अल्लाह तआला ही पर फ़रमाया:

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئَسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

यानी जब मिस्र शहर पहुँचने के बाद ये सब भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर हुए और इन्होंने देखा कि ये वायदे के मुताबिक़ उनके सगे भाई को भी साथ ले आये हैं तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बिनयामीन को खास अपने साथ ठहराया। इमामे तफ़सीर क़तादा रह. ने फ़रमाया कि उन सब भाईयों के ठहरने का यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह इन्तिज़ाम

फरमाया था कि दो-दो को एक कमरे में ठहराया तो बिनयामीन अकेले रह गये, उनको अपने साथ ठहरने के लिये फरमाया। जब तन्हाई का मौका आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई पर रज़ खोल दिया और बतला दिया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ अब तुम कोई फिक्र न करो और जो कुछ इन भाईयों ने अब तक किया है उससे परेशान न हो।

अहकाम व मसाईल

ऊपर बयान हुई दो आयतों से चन्द मसाईल और अहकाम मालूम हुए:

अव्वल यह कि बुरी नज़र का लग जाना हक़ है, उससे बचने की तदबीर करना उसी तरह जायज़ व पसन्दीदा है जिस तरह नुक़सानदेह गिज़ाओं और कामों से बचने की तदबीर करना।

दूसरे यह कि लोगों के हसद (जलने) से बचने के लिये अपनी मख़सूस नेमतों और कमालात का लोगों से छुपाना दुरुस्त है।

तीसरे यह कि नुक़सानदेह आसार से बचने के लिये जाहिरी और मादी तदबीरें करना तवक्कुल और नबियों की शान के खिलाफ़ नहीं।

चौथे यह कि जब एक शख्स को किसी दूसरे शख्स के बारे में किसी तकलीफ़ के पहुँच जाने का अन्देशा हो तो बेहतर यह है कि उसको आगाह कर दे, और अन्देशे से बचने की मुम्किन तदबीर बतला दे, जैसे याक़ूब अलैहिस्सलाम ने किया।

पाँचवे यह कि जब किसी शख्स को दूसरे शख्स का कोई कमाल (ख़ूबी व हुनर) या नेमत ताज्जुब में डालने वाला मालूम हो और ख़तरा हो कि उसको बुरी नज़र लग जायेगी तो उस पर वाजिब है कि उसको देखकर 'बारकल्लाह' या 'माशा-अल्लाह' कह ले, ताकि दूसरे को कोई तकलीफ़ न पहुँचे।

छठे यह कि बुरी नज़र से बचने के लिये हर मुम्किन तदबीर करना जायज़ है, उनमें से एक यह भी है कि किसी दुआ और तावीज़ वगैरह से इलाज किया जाये जैसा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के दो लड़कों को कमज़ोर देखकर इसकी इजाज़त दी कि तावीज़ वगैरह के ज़रिये इनका इलाज किया जाये।

सातवें यह कि अक्लमन्द मुसलमान का काम यह है कि हर काम में असल भरोसा तो अल्लाह तआला पर रखे मगर जाहिरी और मादी असबाब को भी नज़र-अन्दाज़ न करे, जिस क़द्र जायज़ असबाब (साधन और तरीक़े) अपने मक़सद के हासिल करने के लिये उसके इख़्तियार में हों उनको अमल में लाने में कोताही न करे, जैसे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने किया, और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी इसकी तालीम फ़रमाई है। मौलाना रूमी रह. ने फ़रमाया: "बर तवक्कुल ज़ानू-ए-उशतुर ब-बन्द।"

यानी अल्लाह तआला पर भरोसा करो मगर ऊँट के पैर में रस्सी भी बाँध दो। मतलब यह है अपने इख़्तियार में जो तदबीर व कोशिश है उसे भी अमल में लाओ और फिर अल्लाह पर भरोसा करो। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

यही गेगम्बराना तबकहूँ और सुन्नते रसूल है :

आठवें यह कि यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को तो बुलाने के लिये भी कोशिश और ताकीद की, और फिर जब वह आ गये तो उन पर अपना राज भी जाहिर कर दिया, मगर वालिदे मोहतरम के न बुलाने की फिक्र फरमाई और न उनको अपनी खैरियत से बाखबर करने के लिये कोई कदम उठाया, इसकी वजह वही है जो पहले बयान की गई है कि इस पूरे चालीस साल के अरसे में बहुत से मौके थे कि वालिद को अपने हाल और खैरियत की इत्तिला दे देते लेकिन यह जो कुछ हुआ वह अल्लाह के हुक्म और तक्दीरी फैसले के मुताबिक हुआ, अभी तक अल्लाह तआला की तरफ से इसको इजाजत न मिली होगी कि वालिदे मोहतरम को हालात से बाखबर किया जाये, क्योंकि अभी उनका एक और इम्तिहान बिनयामीन की जुदाई के जरिये भी होने वाला था, उसके पूरा करने ही के लिये ये सब सूरतें पैदा की गईं।

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ۝ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ۝ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ يَعِيرٍ وَأَنَّا بِهِ لَعَلِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ تَابًا جُنًّا يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ۝ قَالُوا فَمَا جزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ۝ قَالُوا جزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

रहल अखिह् थम अडन मुडिन अयुहा अलैरु इन्नकम लसरिकुन ॥ कालुवा अकबलु अलैहिम् माजा तफिकदून ॥ कालुवा नफिकदु सुवाअलु-मलिकि व लिमनु जा-अ बिही हिम्लु बअीरिबु-व अ-न बिही

फ-लम्मा जहह-जहुम् बि-जहाज़िहिम्
ज-अलसिकाय-त फी रस्लि अख्रीहि
सुम्-म अज़ज़-न मुअज़िजनुन्
अय्यतुहल्-अीरु इन्नकुम् लसारिकून
(70) कालू व अकबलू अलैहिम् माजा
तफिकदून (71) कालू नफिकदु
सुवाअलू-मलिकि व लिमनु जा-अ
बिही हिम्लु बअीरिबु-व अ-न बिही

फिर जब तैयार कर दिया उनके वास्ते असबाब उनका, रख दिया पीने का प्याला असबाब में अपने भाई के, फिर पुकारा पुकारने वाले ने ऐ काफिले वालो! तुम तो यकीनन चोर हो। (70) कहने लगे, मुँह करके उनकी तरफ तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है? (71) बोले हम नहीं पाते बादशाह का पैमाना, और जो कोई उसको लाये उसको मिले एक बोझ ऊँट का और

ज़मीम (72) कालू तल्लाहि ल-क़द्
 अलिम्तुम् मा जिअना लिनुफ़िस-द
 फ़िल्अर्जि व मा कुन्ना सारिकीन
 (73) कालू फ़मा जज़ाउहू इन्
 कुन्तुम् काजिबीन (74) कालू
 जज़ाउहू मंत्वुजि-द फ़ी रहिलही
 फ़हु-व जज़ाउहू कज़ालि-क नज़्जिज़-
 ज़ालिमीन (75) फ़-ब-द-अ
 बिऔज़ि-यतिहिम् कब्-ल विआ-इ
 अख़ीहि सुम्मस्तख़-जहा मिंविआ-इ
 अख़ीहि, कज़ालि-क किद्ना
 लियूसु-फ़, मा का-न लियअख़ु-ज़
 अख़ाहु फ़ी दीनिल्-मलिकि इल्ला
 अय्यशाअल्लाहु, नरफ़अु द-रजातिम्
 मन्-नशा-उ, व फ़ौ-क़ कुल्लि जी
 अ़िल्मिन् अ़लीम (76)

मैं हूँ उसका ज़मानती। (72) बोले क़सम
 अल्लाह की तुमको मालूम है हम शरास्त
 करने को नहीं आये मुल्क में, और न हम
 कभी चोर थे। (73) बोले फिर क्या सज़ा
 है उसकी अगर तुम निकले झूठे। (74)
 कहने लगे उसकी सज़ा यह है कि जिसके
 सामान में से हाथ आये वही उसके
 बदले में जाये, हम यही सज़ा देते हैं
 ज़ालिमों को। (75) फिर शुरू की यूसुफ़
 ने उनकी खुरजियाँ देखनी अपने भाई की
 खुरजी से पहले, आख़िर में वह बरतन
 निकाला अपने भाई की खुरजी से, यूँ
 दाव बताया हमने यूसुफ़ को, वह हरगिज़
 न ले सकता था अपने भाई को दीन में
 उस बादशाह के, मगर जो चाहे अल्लाह,
 हम दर्जे बुलन्द करते हैं जिसके चाहें और
 हर जानने वाले से ऊपर है एक जानने
 वाला। (76)

खुलासा-ए-तफ़सीर

फिर जब यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने उनका सामान (ग़ल्ला और ख़ानगी का) तैयार कर दिया
 तो (खुद या किसी भरोसेमन्द के ज़रिये) पानी पीने का बरतन (कि वही पैमाना ग़ल्ला देने का
 भी था) अपने भाई के सामान में रख दिया। फिर (जब ये लादकर चले तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम
 के हुक्म से पीछे से) एक पुकारने वाले ने पुकारा कि ऐ काफ़िले वालो! तुम ज़रूर चोर हो। ये
 उन (तलाश करने वालों) की तरफ़ मुतवज्जह होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई
 है (जिसकी चोरी का हम पर शुब्हा हुआ)? उन्होंने कहा कि हमको बादशाही पैमाना नहीं मिलता
 (वह ग़ायब है) और जो शख़्स उसको (लाकर) हाज़िर करे उसको एक ऊँट के बोझ के बराबर
 ग़ल्ला (बतौर इनाम के ख़जाने से) मिलेगा (और या यह मतलब हो कि अगर खुद चोर भी माल
 दे दे तो माफ़ी के बाद इनाम पायेगा), और मैं उस (के दिलवाने) का ज़िम्मेदार हूँ (ग़ालिबन यह
 पुकार और यह इनाम का वादा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुक्म से हुआ होगा)। ये लोग कहने लगे

कि खुदा की कसम तुमको खूब मालूम है कि हम लोग मुल्क में फ़तवा फैलाने (जिसमें चोरी भी दाखिल है) नहीं आये, और हम लोग चोरी करने वाले नहीं (यानी हमारा यह तरीका नहीं है)। उन (ढूँढ़ने वाले) लोगों ने कहा अच्छा अगर तुम झूठे निकले (और तुम में से किसी पर चोरी साबित हो गयी) तो उस (चोर) की क्या सज़ा? उन्होंने (याकूब अलैहिस्सलाम की शरीअत के मुताबिक) जवाब दिया कि उसकी सज़ा यह है कि वह जिस शख़्त के सामान में मिले बस वही अपनी सज़ा है (यानी चोरी के बदले में खुद उसकी जात को माल वाला अपना गुलाम बना ले), हम लोग ज़ालिमों (यानी चोरों) को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं (यानी हमारी शरीअत में यही मसला और अमल है)।

(ग़र्ज़ कि आपस में ये बातें तय होने के बाद सामान उतरवा दिया गया)। फिर (तलाशी के वक़्त) यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने (खुद या किसी भरोसेमन्द के ज़रिये) अपने भाई के (सामान के) धेले से पहले तलाशी की शुरुआत दूसरे भाईयों के (सामान के) धेलों से की, फिर (आखिर में) उस (बरतन) को अपने भाई के (सामान के) धेले से बरामद कर लिया। हमने यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) की खातिर इस तरह (बिनयामीन के रखने की) तदबीर फ़रमाई (वजह इस तदबीर की यह हुई कि) यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) अपने भाई को उस (मिस्र के) बादशाह के क़ानून के एतिबार से नहीं ले सकते थे (क्योंकि उसके क़ानून में कुछ सज़ा व जुर्माना था जैसा कि तबरानी रुहुल-मआनी में इसकी वज़ाहत है) मगर यह कि अल्लाह ही को मन्ज़ूर था (इसलिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में यह तदबीर आई और उन लोगों के मुँह से यह फ़तवा निकला और इस तरीके से तदबीर फिट बैठ गई, और चूँकि यह हकीकत में गुलाम बनाना न था बल्कि बिनयामीन की खुशी से गुलामी की सूरत इख़्तियार की थी, इसलिये किसी आज़ाद को गुलाम बनाने का शुब्हा लाज़िम नहीं आया, और अगरचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े आंलिम व अक्लमन्द थे मगर फिर भी हमारे तदबीर सिखाने के मोहताज थे, बल्कि) हम जिसको चाहते हैं (इल्म में) ख़ास दर्जों तक बढ़ा देते हैं, और तमाम इल्म वालों से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है (यानी अल्लाह तआला। जब मख़्नूक का इल्म नाकिस ठहरा और ख़ालिक का इल्म कामिल तो लाज़िमी तौर पर हर मख़्नूक अपने इल्म और तदबीर में मोहताज होगी ख़ालिक की, इसलिये 'किदना' और 'इल्ला अय्यशा-अल्लाहु' कहा गया। हासिल यह है कि जब उनके सामान से वह बरतन बरामद हो गया और बिनयामीन रोक लिये गये तो वे सब बड़े शर्मिन्दा हुए)।

मअारिफ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में इसका बयान है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बिनयामीन को अपने पास रोक लेने के लिये यह बहाना और तदबीर इख़्तियार की कि जब सब भाईयों को नियम के अनुसार गुल्ला दिया गया तो हर भाई का गुल्ला एक मुस्तकिल ऊँट पर अलग-अलग नाम-बनाम लादा गया।

बिनयामीन के लिये जो गुल्ला ऊँट पर लादा गया उसमें एक बरतन छुपा दिया गया, उस

बरतन को कुरआने कंरीम ने एक जगह "सिकाया" के लफ्ज से और दूसरी जगह "सुवाअल्-मलिकि" के अलफाज़ से ताबीर किया है। सिकाया के पायने पानी पीने का बरतन और सुवाअ भी इसी तरह के बरतन को कहते हैं। इसको बादशाह की तरफ मन्सूब करने से इतनी बात और मालूम हुई कि यह बरतन कोई खास कीमत और हैसियत रखता था। कुछ रिवायतों में है कि ज़बरजंद का बना हुआ था। कुछ हज़रात ने सोने का कुछ ने चाँदी का बतलाया है। बहरहाल यह बरतन जो बिनयामीन के सामान में छुपा दिया गया था अच्छा-खासा कीमती बरतन होने के अलावा मिस्र देश से कोई विशेषता भी रखता था, चाहे यह कि वह खुद उसको इस्तेमाल करते थे या यह कि बादशाह ने खुद अपने हुक्म से उस बरतन को गुल्ला मापने का पैमाना बना दिया था।

ثُمَّ آدَّنْ مُرَذَّنْ أَبْتَهَا الْعِيرَانَكُمْ لَسْرِقُونَ ۝

“यानी कुछ देर के बाद एक मुनादी करने वाले ने पुकारा कि ऐ काफ़िले वालो! तुम चोर हो।”

यहाँ लफ्ज 'सुम्-म' से मालूम होता है कि यह मुनादी फौरन ही नहीं की गई बल्कि कुछ मोहलत दी गई, यहाँ तक कि काफ़िला खाना हो गया, उसके बाद यह मुनादी की गई ताकि किसी को जालसाज़ी का शुब्हा न हो जाये। बहरहाल! उस मुनादी करने वाले ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों को चोर करार दे दिया।

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ۝

“यानी यूसुफ़ के भाई मुनादी करने वालों की तरफ़ भुतवज्जह होकर कहने लगे कि तुम हमें चोर बना रहे हो, यह तो कहो कि तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है।”

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۝

“मुनादी करने वालों ने कहा कि बादशाह का सुवाअ यानी बरतन गुम हो गया है और जो शख्स उसको कहीं से बरामद करेगा उसको एक ऊँट भर गुल्ला इनाम में मिलेगा, और मैं उसका जिम्मेदार हूँ।”

यहाँ एक सवाल तो यह पैदा होता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिनयामीन को अपने पास रोकने का यह बहाना क्यों किया, जबकि उनको मालूम था कि वालिद माजिद पर खुद उनकी जुदाई का सदमा नाक़बिले बरदाश्त था, अब दूसरे भाई को रोककर उनको दूसरा सदमा देना कैसे गवारा किया?

दूसरा सवाल इससे ज्यादा अहम यह है कि बेगुनाह भाईयों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना और उसके लिये यह जालसाज़ी कि उनके सामान में खुफिया तौर से कोई चीज़ रख दी और फिर सरेआम उनकी रुस्वाई ज़ाहिर हो, ये सब काम नाजायज़ हैं, अल्लाह के नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनको कैसे गवारा किया?

कुछ मुफ़सिरीन इमाम कुर्तुबी वगैरह ने बयान किया है कि जब बिनयामीन ने यूसुफ़

अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और वह मुन्मईन हो गये तो भाई से यह दरख्वास्त की कि अब आप मुझे इन भाईयों के साथ वापस न भेजिये, मुझे अपने पास रखिये। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले यही उज़्र किया कि अगर तुम यहाँ रुक गये तो वालिद साहिब को सख्त सदमा होगा, दूसरे तुम्हें अपने पास रोकने की इसके सिवा कोई सूरत नहीं कि मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाऊँ, और उस इल्जाम में गिरफ्तार करके अपने पास रख लूँ। बिनयामीन उन भाईयों के मामले व बर्ताव से कुछ ऐसे तंगदिल थे कि इन सब बातों के लिये तैयार हो गये।

लेकिन यह वाक़िआ सही भी हो तो वालिद साहिब का दिल दुखाना और सब भाईयों की रुस्वाई और उनको चोर कहना सिर्फ़ बिनयामीन के राज़ी हो जाने से जायज़ तो नहीं हो सकता। और कुछ हज़रत का यह वजह बयान करना कि ऐलान करने वाले का उनको चोर कहना यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म व इजाज़त से न होगा एक बिना दलील का दावा और वाक़िए की सूरत के लिहाज़ से बेजोड़ बात है। इसी तरह यह कहना कि उन भाईयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से चुराया और फ़रोख्त किया था इसलिये उनको चोर कहा गया, यह भी एक दूर की बात कहना है, इसलिये इन सब सवालियों का सही जवाब वही है जो अल्लामा कुर्तुबी और मज़हरी के लेखक वगैरह ने दिया है कि इस वाक़िए में जो कुछ किया गया है और कहा गया है वह न बिनयामीन की इच्छा का नतीजा था न यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपनी तजवीज़ का, बल्कि ये सब काम अल्लाह के हुक्म से उसी की कामिल हिक्मत को ज़ाहिर करने वाले थे, जिनमें हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की आजमाईश व इम्तिहान की तकमील हो रही थी, इस जवाब की तरफ़ खुद कुरआन की इस आयत में इशारा मौजूद है:

كَذَلِكَ كَذَبْنَا يُوسُفَ

यानी हमने इसी तरह तदबीर की यूसुफ के लिये अपने भाई को रोकने की।

इस आयत में स्पष्ट तौर पर इस हीले व तदबीर को हक़ तअ़ाला ने अपनी तरफ़ मन्सूब किया है कि ये सब काम जबकि अल्लाह तअ़ाला के हुक्म से हुए तो इनको नाजायज़ कहने के कोई मायने नहीं रहते। इनकी मिसाल ऐसी ही होगी जैसे हज़रत मूसा और ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के वाक़िए में कश्ती तोड़ना, लड़के को क़त्ल करना वगैरह, जो बज़ाहिर गुनाह थे, इसलिये मूसा अलैहिस्सलाम ने उन पर एतिराज़ किया मगर ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ये सब काम अल्लाह की मर्ज़ी पर ख़ास मस्लेहत के तहत कर रहे थे, इसलिये उनका कोई गुनाह न था।

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفِذَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا مُتَرَفِّينَ ۝

यानी जब शाही ऐलान करने वाले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों पर चोरी का इल्जाम लगाया तो “उन्होंने कहा कि हुक्मत के अरकान (सदस्य और दरबारी लोग) भी खुद हमारे हालात से वाक़िफ़ हैं कि हम कोई फ़साद करने यहाँ नहीं आये, और न हम चोर हैं।”

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝

“यानी शाही नौकरों ने कहा कि अगर तुम्हारा झूठ साबित हो जाये तो बतलाओ कि चोर

की क्या सज़ा है।”

قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ قَهْرَ جَزَاءِ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝

“यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने कहा कि जिस शख्स के सामान में चोरी का माल बरामद हो वह शख्स खुद ही उसकी जज़ा है, हम चोरों को इसी तरह सज़ा दिया करते हैं।”

मतलब यह है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम की शरीअत में चोर की सज़ा यह है कि जिस शख्स का माल चुराया है वह शख्स उस चोर को अपना गुलाम बनाकर रखे। सरकारी मुलाज़िमों ने इस तरह खुद यूसुफ़ के भाईयों से चोर की सज़ा याक़ूबी शरीअत के मुताबिक़ मालूम करके उनको इसका पाबन्द कर दिया कि बिनयामीन के सामान में चोरी का माल बरामद हो तो वे अपने ही फैसले के मुताबिक़ बिनयामीन को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करने पर मजबूर हो जायें।

فَدَاؤُا وَعَيْتِهِمْ قَبْلَ وَعَاؤِا

“यानी सरकारी तफ़्तीश करने वालों ने असल साज़िश पर पर्दा डालने के लिये पहले सब भाईयों के सामान की तलाशी ली, पहले ही बिनयामीन का सामान नहीं खोला ताकि उनको शुब्हा न हो जाये।”

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاؤِا

“यानी आख़िर में बिनयामीन का सामान खोला गया तो उसमें से सुवाअल्-मलिक को बरामद कर लिया।” उस वक़्त तो सब भाईयों की गर्दन शर्म से झुक गई और बिनयामीन को बुरा-भला कहने लगे कि तूने हमारा मुँह काला कर दिया।

كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

यानी इसी तरह हमने तंदबीर की यूसुफ़ के लिये, वह अपने भाई को मिस्र के बादशाह के क़ानून के मातहत गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि मिस्र का क़ानून चोर के मुताबिक़ यह था कि चोर को मार-पीट की सज़ा दी जाये और चोरी के माल से दोगुनी कीमत वसूल करके छोड़ दिया जाये, मगर उन्होंने यहाँ यूसुफ़ के भाईयों ही से चोर का हुक्म शरीअत याक़ूबी के मुताबिक़ पूछ लिया था, उसके एतिबार से बिनयामीन को अपने पास रोक लेना सही हो गया इस तरह अल्लाह तआला की हिक्मत व मर्ज़ी से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की यह मुराद पूरी हो गई।

رَفَعَ دَرَجَتٍ مِّنْ نُّشَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

“यानी हम जिसके चाहते हैं उसके बुलन्द दर्जे कर देते हैं, जैसा कि इस वाक़िए में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दर्जे उनके भाईयों के मुक़ाबले में बुलन्द कर दिये गये, और हर इल्म वाले के ऊपर उससे ज़्यादा इल्म वाला मौजूद है।”

मतलब यह है कि मख़्लूक में हमने इल्म के एतिबार से बाजे को बाजे पर बरतरी दी है, बड़े से बड़े आलिम के मुक़ाबले में कोई उससे ज़्यादा इल्म रखने वाला होता है, और अगर कोई शख्स ऐसा है कि पूरी मख़्लूक़ात में कोई उससे ज़्यादा इल्म नहीं रखता तो फिर रब्बुल-इज्ज़त जल्ल शानुहू का इल्म तो सबसे बालातर (ज़्यादा और बढ़कर) है ही।

अहकाम व मसाईल

मजकूरा आयतों से चन्द अहकाम व मसाईल हासिल हुए:
अव्वल आयत:

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جِمْلٌ بَعِيرٌ

(यानी आयत नम्बर 72) से साबित हुआ कि किसी निर्धारित काम के करने पर कोई उजरत या इनाम मुकर्रर करके सार्वजनिक ऐलान कर देना कि जो शख्स यह काम करेगा उसको इस कद्र इनाम या उजरत मिलेगी, जैसे इश्तिहारी मुजरिमों के गिरफ्तार करने पर या गुमशुदा चीजों की वापसी पर इस तरह के इनामी ऐलानात का आम तौर पर रिवाज है, अगरचे मामले की इस सूरत पर फिक्ही इजारे की तारीफ सादिक नहीं आती, मगर इस आयत के एतिबार से इसका भी जायज होना साबित हो गया। (तफसीरे कुर्तुबी)

दूसरे 'अ-न बिही ज़मीम' (मैं इसका जिम्मेदार हूँ) से मालूम हुआ कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की तरफ से माली हक का ज़मानती बन सकता है, और इस सूरत का हुक्म उम्मत के फुकहा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) के नज़दीक यह है कि हक वाले को इख्तियार होता है कि वह अपना माल असल कर्ज़दार से या ज़मानती से जिससे भी चाहे वसूल कर सकता है, हाँ! अगर ज़मानती से वसूल किया गया तो ज़मानती को हक होगा कि जिस कद्र माल उससे लिया गया है वह असल कर्ज़दार से वसूल करे। (तफसीरे कुर्तुबी, इसमें इमाम मालिक की राय अलग है)

तीसरे 'कज़ालि-क किद्रना लियूसु-फ.....' से मालूम हुआ कि किसी शरई मस्लेहत की बिना पर मामले की सूरत में कोई ऐसी तब्दीली इख्तियार करना जिससे अहकाम बदल जायें, जिसको फुकहा की इस्तिलाह (परिभाषा) में हीला-ए-शरई कहा जाता है, यह शरई तौर पर जायज है, शर्त यह है कि उससे शरई अहकाम का बातिल और कण्डम करना लाज़िम न आता हो, वरना ऐसे बहाने तमाम फुकहा (कुरआन व हदीस और मसाईल के माहिर उलेमा) की सर्वसम्पति से हराम हैं। जैसे ज़कात से बचने के लिये कोई हीला करना या रमज़ान से पहले कोई गैर-ज़रूरी सफ़र सिर्फ इसलिये इख्तियार करना कि रोजे न रखने की गुन्जाईश निकल आये, यह सब हज़रात के नज़दीक हराम है। ऐसे ही बहाने करने पर पहली कौमों पर अल्लाह का अज़ाब आया है, और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे बहानों से मना फुरमाया है, और पूरी उम्मत इस पर सहमत है कि ऐसे बहाने हराम हैं, उन पर अमल करने से कोई काम जायज नहीं हो जाता बल्कि दोहरा गुनाह लाज़िम आता है; एक तो असल नाजायज़ काम का दूसरे यह नाजायज़ बहाना जो एक हैसियत से अल्लाह और उसके रसूल के साथ चालबाज़ी के बराबर है। इसी तरह के हीलों के नाजायज़ होने को इमाम बुखारी रह. ने किताबुल-हियल में साबित किया है।

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِهِ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ

فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝ قَالُوا يَا أَيُّهَا
 الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَنزِرُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ مَعَاذَ
 اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا ظَالِمُونَ ۝ فَلَمَّا اسْتَيْسَوُا مِنْهُ خَلَصُوا
 نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ
 مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ أُنزِلَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ
 الْحَاكِمِينَ ۝ ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَا نَارٍ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا
 وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۝ وَسئِلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا
 لَصَادِقُونَ ۝

कालू इन्व्यस्सिक् फ-कद् स-र-क
 अखुल्लहू मिन् कब्लु, फ-असरहा
 यूसुफु फी नफिसही व लम् युब्दिहा
 लहुम् का-ल अन्तुम् शरुम्-मकानन्
 वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफून (77)
 कालू या अय्युहल्-अजीजु इन्-न
 लहू अबन् शैखन् कबीरन् फखुज्
 अ-ह-दना मकानहू इन्ना नरा-क
 मिनल्-मुहिसनीन (78) का-ल
 मआजल्लाहि अन् नअखु-ज इल्ला
 मव्वजदना मता-अना अिन्दहू इन्ना
 इजल्-लजालिमून (79) ॐ
 फलम्मस्तै-असू मिन्हु खा-लसू
 नजिय्यन्, का-ल कबीरुहुम् अलम्

कहने लगे अगर इसने चुराया तो चोरी
 की थी इसके भाई ने भी इससे पहले,
 तब आहिस्ता से कहा यूसुफ ने अपने जी
 में और उनको न जताया, कहा जी में कि
 तुम बदतर ही दर्जे में, और अल्लाह खूब
 जानता है जो तुम बयान करते हो। (77)
 कहने लगे ऐ अजीज! इसका एक बाप है
 बहुत बूढ़ा बड़ी उम्र का, सो रख ले एक
 को हम में से इसकी जगह, हम देखते हैं
 तू है एहसान करने वाला। (78) बोला
 अल्लाह पनाह दे कि हम किसी को पकड़ें
 मगर जिसके पास पाई हमने अपनी चीज,
 तो तो हम जरूर बेइन्साफ हुए। (79) ॐ
 फिर जब नाउम्मीद हुए उससे अकेले ही
 बैठे मश्वरा करने को, बोला उनका बड़ा

तअलमू अन्-न अबाकुम् कद्
 अ-छा-ज अलैकुम् मौसिकम्-
 मिनल्लाहि व मिन् कब्लु मा फरत्तुम्
 फी यूसु-फ़ फ-लन् अब्रहल्-अर्-ज़
 हत्ता यअज़-न ती अबी औ
 यस्कुमल्लाहु ती व हु-व खैरुल्-
 हाकिमीन (80) इर्जिअू इला अबीकुम्
 फ़कूलू या अबाना इन्नब्न-क स-र-क,
 व मा शहिदना इल्ला बिमा अलिम्ना
 व मा कुन्ना लिल्गैबि हाफिज़ीन (81)
 वसअलिल्-करय-तल्लती कुन्ना फीहा
 वल्अीरल्लती अकबल्ला फीहा, व
 इन्ना लसादिकून (82)

क्या तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप
 ने लिया है तुमसे अहद अल्लाह का और
 पहले जो कसूर कर चुके हो यूसुफ़ के
 हक में, सो मैं तो हरगिज़ न सरकूंगा इस
 मुल्क से जब तक कि हुक्म दे मुझको
 मेरा बाप या कज़िया चुका दे अल्लाह
 मेरी तरफ़, और वह है सबसे बेहतर
 चुकाने वाला। (80) फिर जाओ अपने
 बाप के पास और कहो ऐ बाप! तेरे बेटे
 ने तो चोरी की, और हमने वही कहा था
 जो हमको ख़बर थी और हमको ग़ैब की
 बात का ध्यान न था। (81) और पूछ ले
 उस बस्ती से जिसमें हम थे और उस
 काफ़िले से जिसमें हम आये हैं; और हम
 बेशक सच कहते हैं। (82)

खुलासा-ए-तफसीर

कहने लगे (साहिब) अगर इसने चोरी की तो (ताज्जुब नहीं, क्योंकि) इसका एक भाई (या वह)
 भी (इसी तरह) इससे पहले चोरी कर चुका है (जिसका किस्सा दुर्-मन्सूर में इस तरह लिखा है कि
 यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उनकी फूफी परवरिश करती थीं, जब होशियार हुए तो याक़ूब अलैहिस्सलाम
 ने लेना चाहा, वह उनको चाहती बहुत थीं, उन्होंने उनको रखना चाहा इसलिये उन्होंने उनकी कमर पर
 एक पटका कपड़ों के अन्दर बाँधकर मशहूर कर दिया कि पटका गुम हो गया और सब की तलाशी
 ली तो उनकी कमर में निकला, और उस शरीअत के कानून के मुवाफ़िक़ उनकी फूफी के कब्जे में
 रहना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी फूफी ने वफ़ात पाई। फिर याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास आ गये।
 और मुम्किन है कि गुलाम बनाने की वह सूरत की भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रज़ामन्दी से हुई हो,
 इसलिये यहाँ भी आज़ाद को गुलाम बनाना लाज़िम नहीं आया, और हर चन्द कि इशारात व
 परिस्थितियों और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अज़्लाक में ज़रा से विचार करने से आपकी बराअत इस
 फ़ैल से यकीनन मालूम थी मगर विनयामीन पर जो भाईयों को गुस्सा था उसमें यह बात भी कह दी)।

पस यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने इस बात को (जो आगे आती है) अपने दिल में छुपा रखा और
 इसको उनके सामने (ज़बान से) जाहिर नहीं किया, यानी (दिल में) यूँ कहा कि इस (चोरी) के मामले

में तुम तो और भी ज्यादा बुरे हो (यानी हम दोनों भाईयों से तो हकीकत में चोरी का काम नहीं हुआ और तुमने तो इतना बड़ा काम किया कि कोई माल गायब करता है तुमने आदमी गायब कर दिया कि मुझको बाप से बिछड़ा दिया, और जाहिर है कि आदमी की चोरी माल की चोरी से ज्यादा सख्त जुर्म है) और जो कुछ तुम (हम दोनों भाईयों के बारे में) बयान कर रहे हो (कि हम चोर हैं) इस (की हकीकत) का अल्लाह ही को खूब इल्म है (कि हम चोर नहीं हैं। जब भाईयों ने देखा कि इन्होंने बिनयामीन को गिरफ्तार कर लिया और उस पर काबिज हो गये तो खुशामद के तौर पर) कहने लगे कि ऐ अज़ीज़! इस (बिनयामीन) का एक बहुत बूढ़ा बाप है (और इसको बहुत चाहता है इसको मृत्यु में खुदा जाने क्या हाल हो, और हम से इस कद्र मुहब्बत नहीं) सो आप (ऐसा कीजिए कि) इसकी जगह हम में से एक को रख लीजिये (और अपना गुलाम बना लीजिये), हम आपको नेक-मिज़ाज देखते हैं (उम्मीद है कि इस दरख्वास्त को मन्ज़ूर फ़रमा लेंगे)। यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐसी (बेइन्साफी की) बात से खुदा बचाये कि जिसके पास हमने अपनी चीज़ पाई है उसके सिवा दूसरे शख्स को पकड़ कर रख लें (अगर हम ऐसा करें तो) इस हालत में तो हम बड़े बेइन्साफ़ समझे जाएँगे (किसी आज़ाद आदमी को गुलाम बना लेना और गुलामों का मामला करना उसकी रज़ामन्दी से भी हराम है)।

फिर जब उनको यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) से तो (उनके साफ़ जवाब के सबब) बिल्कुल उम्मीद न रही (कि बिनयामीन को देंगे) तो (उस जगह से) अलग होकर आपस में मश्विरा करने लगे (कि क्या करना चाहिये, फिर अक्सर की यह राय हुई कि मजबूरी है सब को वापस चलना चाहिये, मगर) उन सब में जो बड़ा धा उसने कहा कि (तुम जो सब के सब वापस चलने की सलाह कर रहे हो तो) क्या तुमको मालूम नहीं तुम्हारे बाप तुमसे खुदा की कसम खिलाकर पक्का कौल ले चुके हैं (कि तुम इसको अपने साथ लाना, लेकिन अगर घिर जाओ तो मजबूरी है। सो हम सब के सब तो घिरे नहीं कि तदबीर की गुंजाईश न रहती, इसलिये जहाँ तक मुम्किन हो कुछ तदबीर करनी चाहिये) और इससे पहले यूसुफ़ के बारे में तुम किस कद्र कोताही कर ही चुके हो (कि उनके साथ जो कुछ बर्ताव हुआ उससे बाप के हुक्म बिल्कुल जाया हुआ। सो वह पुरानी शर्मिन्दगी क्या कम है जो एक नई शर्मिन्दगी लेकर जायें) सो मैं तो इस ज़मीन से टलता नहीं जब तक कि मेरे बाप मुझको (हाज़िरी की) इजाज़त न दें, या अल्लाह तआला मेरे लिये इस मुश्किल को सुलझा दे, और वही खूब सुलझाने वाला है (यानी किसी तदबीर से बिनयामीन छूट जाये। गर्ज़ कि मैं या तो इसको लेकर जाऊँगा या बुलाया हुआ जाऊँगा, सो मुझको तो यहाँ छोड़ो और) तुम वापस अपने बाप के पास जाओ, और (जाकर उनसे) कहो कि ऐ अब्बा! आपके बेटे (बिनयामीन) ने चोरी की, (इसलिये गिरफ्तार हुए) और हम तो वही बयान करते हैं जो हमको (देखने से) मालूम हुआ है, और हम (कौल व करार देने के वक़्त) ग़ैब की बातों के तो हाफ़िज़ नहीं थे (कि यह चोरी करेगा वरना हम कभी कौल न देते)। और (अगर हमारे कहने का यकीन न हो तो) उस बस्ती (यानी मिस्र) वालों से (किसी अपने भरोसेमन्द के जरिये) पूछ लीजिये जहाँ हम (उस वक़्त) मौजूद थे (जब चोरी बरामद हुई है) और उस काफ़िले वालों से पूछ

जिनमें हम शामिल होकर (वहाँ) आये हैं। (मालूम होता है कि और भी किनआन के या आस पास के लोग गुल्ला लेने गये होंगे) और यकीन जानिये कि हम बिल्कुल सच कहते हैं (चुनाँचे सब ने बड़े को वहाँ छोड़ा और खुद आकर सारा माजरा बयान किया)।

मआरिफ़ व मसाईल

इनसे पहली आयतों में जिक्र हुआ था कि पित्त में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई बिनयामीन के सामान में एक शाही बरतन छुपाकर और फिर उनके सामान से तदबीर के साथ बरामद करके उन पर चोरी का जुर्म आयद कर दिया गया था।

उक्त आयतों में सै पहली आयत में यह है कि जब यूसुफ़ के भाईयों के सामने बिनयामीन के सामान से चोरी का माल बरामद हो गया और शर्म से उनकी आँखें झुक गईं तो झुंझलाकर कहने लगे:

إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ

यानी “अगर इसने चोरी कर ली तो कुछ ज्यादा ताज्जुब नहीं, इसका एक भाई था उसने भी इसी तरह इससे पहले चोरी की थी।” मतलब यह था कि यह हमारा सगा भाई नहीं, बाप-शरीक है, इसका एक सगा भाई था उसने भी चोरी की थी।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने उस वक़्त खुद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर भी चोरी का इल्जाम लगा दिया जिसमें एक वाकिए की तरफ़ इशारा है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बचपन में पेश आया था, जिसमें ठीक इसी तरह जैसे यहाँ बिनयामीन पर चोरी का इल्जाम लगाने की साज़िश की गई है, उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर उनकी बेख़बरी में ऐसी ही साज़िश की गई थी, और यह सब भाईयों को पूरी तरह मालूम था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस इल्जाम से बिल्कुल बरी हैं मगर इस वक़्त बिनयामीन पर गुस्से की वजह से उस वाकिए को भी चोरी करार देकर उसका इल्जाम उनके भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया।

वह वाक़िआ क्या था, इसमें रिवायतें अलग-अलग हैं। इमाम इब्ने कसीर रह. ने मुहम्मद बिन इस्हाक़, इमाम मुजाहिद रह. इमामे तफ़सीर के हवाले से नक़ल किया है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाईश के थोड़े ही अरसे बाद बिनयामीन पैदा हुए तो यह पैदाईश ही वालिदा की मौत का सबब बन गई, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिनयामीन दोनों भाई बगैर माँ के रह गये तो उनका पालन-पोषण उनकी फूफी की गोद में हुआ, अल्लाह तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचपन ही से कुछ ऐसी शान अता फ़रमाई थी कि जो देखता उनसे बेहद मुहब्बत करने लगता था, फूफी का भी यही हाल था कि किसी वक़्त उनको नज़रों से ग़ायब करने पर कादिर न थीं। दूसरी तरफ़ वालिदे बुजुर्गवार हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का भी कुछ ऐसा ही हाल था मगर बहुत छोटा होने की वजह से इसकी ज़रूरत थी कि किसी औरत की निगरानी में रखा जाये, इसलिये फूफी के हवाले कर दिया था। अब जबकि वह चलने फिरने के काबिल हो गये तो

यूसुफ अलैहिस्सलाम का इरादा हुआ कि यूसुफ को अपने साथ रखें, फूफी से कहा तो उज्र किया, फिर ज्यादा जोर देने पर मजबूर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके बाले हवाले तो कर दिया मगर एक तदबीर उनकी वापस लेने की यह कर दी कि फूफी के पास पटका था जो हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम की तरफ से उनकी पहुँचा था और उसकी बड़ी व कीमत समझी जाती थी, यह पटका फूफी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़ों के नीचे कम्ब बँध दिया।

यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद यह शोहरत कर दी कि मेरा पटका चोरी हो गया, तलाशी ली गई तो यह यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास निकला, याकूब अलैहिस्सलाम की शरी के हुक्म के मुताबिक अब फूफी को यह हक हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना गु बनाकर रखें। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि शरई हुक्म के इख्तियार करने से यूसुफ अलैहिस्सलाम की मालिक बन गई तो उनके हवाले कर दिया, और जब तक फूफी जि रहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हीं की तरबियत में रहे।

यह बाकिआ था जिसमें चोरी का इल्जाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा और फिर शरूख पर असल हकीकत खुल गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चोरी के मामूली शुब्हे से भी बरी फूफी की मुहब्बत ने उनसे यह साक्षि का जाल फैलवाया था, भाईयों को भी यह हकीक मालूम थी इसकी बिना पर किसी तरह मुनासिब न था कि उनकी तरफ चोरी को मन्सूब का मगर उनके हक में भाईयों की जो ज्यादाती और ग़लत रविश अब तक होती चली आई थी य भी उसी का एक आखिरी हिस्सा था।

فَأَسْرَاهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَدَّهَا لَهُمْ

यानी "यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाईयों की यह बात सुनकर अपने दिल में रखी कि ये लो अब तक भी मेरी मुझालफत पर लगे हैं कि चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, मगर इसका इज़हा भाईयों पर नहीं होने दिया कि यूसुफ ने उनकी यह बात सुनी है और इससे कुछ असर लिया है।

قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَّانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝

"यूसुफ अलैहिस्सलाम ने (अपने दिल में) कहा कि तुम लोग ही बुरे दर्जे और बुरे हाल में हो कि भाई पर चोरी की तोहमत जान-बूझकर लगाते हो, और फरमाया कि अल्लाह तआला ही ज्यादा जानने वाले हैं कि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सही है या ग़लत।" पहला जुमला तो दिल में कहा गया है यह दूसरा जुमला मुम्किन है कि भाईयों के जवाब में ऐलानिया कह दिया हो।

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَنَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ. إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

यूसुफ के भाईयों ने जब देखा कि कोई बात चलती नहीं और बिनयामीन को यहाँ छोड़ने के सिवा चारा नहीं तो अजीजे मिस्र की खुशामद की और यह दरख्वास्त की कि इसके बालिद बहुत बूढ़े और जईफ हैं (इसकी जुदाई उनसे बरदाश्त न होगी) इसलिये आप इसके बदले में हममें से किसी को गिरफ्तार कर लें, यह दरख्वास्त आपसे हम इस उम्मीद पर कर रहे हैं कि हम यह महसूस करते हैं कि

आप बहुत गुस्खान करने वाले हैं या वह कि आपने इससे पहले भी हमारे साथ एहदान के सुलूक फरमाया है।

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ۝

यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की दरख्वास्त का जवाब कानून के मुताबिक यह दिया कि वह बात तो हमारे इख्तियार में नहीं कि जिसको चाहें पकड़ लें, बल्कि जिसके पास चोरी का माल बरामद हुआ अगर उसके सिवा किसी दूसरे को पकड़ लें तो हम तुम्हारे ही फतवे और फैसले के मुताबिक ज़ालिम हो जायेंगे, क्योंकि तुमने ही यह कहा है कि जिसके पास चोरी का माल बरामद हो वही उसका जजा है।

فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا.

यानी जब यूसुफ के भाई बिनयामीन की रिहाई से मायूस हो गये तो आपस में मशिवरे के लिये अलग जगह में जमा हो गये।

قَالَ كَبِيرُهُمْ.....الخ

उनके बड़े भाई ने कहा कि तुम्हें यह मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे बिनयामीन के वापस लाने का पुख्ता अहद लिया था, और यह कि तुम इससे पहले भी यूसुफ के मामले में एक कोताही और ग़लती कर चुके हो, इसलिये मैं तो अब मिस्र की ज़मीन को उस वक़्त तक न छोड़ूंगा जब तक मेरे वालिद खुद ही मुझे यहाँ से वापस आने का हुक्म न दें, या अल्लाह तआला की तरफ़ से वही के जरिये मुझे यहाँ से निकलने का हुक्म हो और अल्लाह तआला ही बेहतरीन हुक्म करने वाले हैं।

यह बड़े भाई जिनका कलाम बयान हुआ है कुछ हज़रात ने फरमाया कि यहूदा हैं, और यह अगरचे उम्र में सबसे बड़े नहीं मगर इल्म व फज़ल में बड़े थे। और कुछ मुफ़स्सरीन ने कहा कि रोबील हैं जो उम्र में सबसे बड़े हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़त्ल न करने का मशिवरा इन्होंने ही दिया था। और कुछ ने कहा कि यह बड़े भाई शमऊन हैं जो रुतबे व मक़ाम के एतिबार से सब भाइयों में बड़े समझे जाते थे।

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ

यानी बड़े भाई ने कहा कि मैं तो यहीं रहूँगा, आप सब लोग अपने वालिद के पास वापस जायें और उनको बतलायें कि आपके बेटे ने चोरी की, और हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपने चश्मदीद हालात हैं कि चोरी का माल उनके सामान से हमारे सामने बरामद हुआ है।

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ۝

यानी हमने जो आप से अहद किया था कि हम बिनयामीन को ज़रूर वापस लायेंगे यह अहद ग़ाहिरी हालात के एतिबार से था, ग़ैब का हाल तो हम न जानते थे कि यह चोरी करके गिरफ़्तार और हम मजबूर हो जायेंगे। और इस जुमले के यह मायने भी हो सकते हैं कि हमने अपने भाई बिनयामीन की पूरी हिफ़ाज़त की कि कोई ऐसा काम उनसे न हो जाये जिसके सबब वह तकलीफ़ में

पड़ें, मगर हमारी यह कांशिश जाहिरी हालात ही को हद तक हो सकती थी, हमारी नज़रों से गुप्त ना-जानकारी में उनसे यह काम हो जायेगा इसका हमको कोई इल्म न था।

चूँकि यूसुफ़ के भाई इससे पहले एक फरेब अपने वालिद को दे चुके थे और वह जानते थे कि हमारे ऊपर वाले बयान से वालिद की हरगिज़ इत्मीनान न होगा और यह हमारी बात पर यकीन न करेंगे इसलिये मज़ीद ताकीद के लिखे कहा कि आपको हमारा यकीन न आये तो आप उस शहर के लोगों से तहकीक़ कर लें जिसमें हम थे, यानी मिस्र शहर, और आप उस काफ़िले से भी तहकीक़ कर लें जो हमारे साथ ही मिस्र से किनआन आया है, और हम इस बात में बिल्कुल सच्चे हैं।

तफ़सीरे मज़हरी में इस जगह इस सवाल को दोहराया गया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वालिद के साथ इस क़द्र बेरहमी का मामला कैसे ग़ारा कर लिया कि खुद अपने हालात से भी इत्तिला नहीं दी, फिर छोटे भाई को भी रोक लिया जबकि बार-बार ये भाई मिस्र आते रहे, न उनका अपना राज़ बताया न वालिद के पास इत्तिला भेजी। इन सब बातों का जवाब तफ़सीरे मज़हरी ने यही दिया है:

إِنَّهُ عَمِلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِيُرِيدَ فِي بَلَاءٍ يَعْطُوبُ

“यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये सारे काम अल्लाह तआला के हुक्म से किये जिनका मंशा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान और आजग़ाईश को पूरा करना था।

अहकाम व मसाईल

وَمَا هَذَا إِلَّا بِمَاعِلًا

(और हमने यही कहा जिसकी हमको ख़बर थी.....) से साबित हुआ कि इन्सान जब किसी से कोई मामला और अहद व इक़्रार करता है तो वह जाहिरी हालात ही पर महमूल होता है, ऐसी चीज़ों पर हावी नहीं होता जो किसी के इल्म में नहीं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने वालिद से जो भाई की हिफ़ाज़त का वायदा किया था वह अपने इख़्तियारी मामलात के बारे में था और यह मामला कि उन घर चोरी का इल्ज़ाम आ गया और उसमें पकड़े गये इससे मुआहदे पर कुछ असर नहीं पड़ता।

दूसरा मसला तफ़सीरे क़ुर्तुबी में इस आयत से यह निकाला गया है कि इस जुमले से यह साबित हुआ कि शहादत (गवाही) का मदार इल्म पर है, इल्म चाहे किसी तरीके से हासिल हो उसके मुताबिक़ शहादत दी जा सकती है। इसलिये किसी वाकिए की शहादत जिस तरह उसको अपनी आँख से देखकर दी जा सकती है इसी तरह किसी मौतबर से सुनकर भी दी जा सकती है। शर्त यह है कि असल मामले को छुपाये नहीं, बयान कर दे कि यह वाकियाँ खुद नहीं देखा, फुलों मौतबर आदमी से सुना है, इसी उसूल की बिना पर मालिकी फ़ुक़हा ने अंधे की गवाही को भी जायज़ करार दिया है।

मसला: उक्त आयतों से यह भी साबित हुआ कि अगर कोई शख्स हक़ और सही रास्ते पर है मगर मौक़ा ऐसा है कि देखने वालों को नाहक़ या गुनाह का शुक़ा हो सकता है तो उसको चाहिये कि इस सदेह व धोखे में पड़ने को दूर कर दे ताकि देखने वाले बदगुमानी के गुनाह में मुक्तला न हों। जैसे

बिनयामीन के इस वाकिए में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पिछले वाकिए की बिना पर तोहमत और शुब्ह का मौका पैदा हो गया था इसलिये इसकी सफाई के लिये बस्ती वालों की गवाही और काफिले वालों की गवाही पेश की गई।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने अमल से भी इसकी ताकीद फरमाई है, जबकि आप उम्मुल-पोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मस्जिद से एक गली में तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उस गली के सिरे पर दो शख्स नज़र पड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दूर ही से फरमा दिया कि मेरे साथ सफ़िया बिनते हुय्यि हैं। उन दोनों हज़रत ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! क्या आपके बारे में किसी-को कोई बदगुमानी हो सकती है? तो फरमाया कि हाँ शैतान इनसान की रग-रग में घुस जाता है, हो सकता है कि किसी के दिल में शुब्हा डाल दे। (बुख़ारी, मुस्लिम व कुर्तुबी)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا

قَصَبٌ جَبِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى عَلَى يُونُسَ وَأَبِصَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرُ يُونُسَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَبْنِي إِذْهَبُوا فَتَحَسَبُوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ۝

का-ल बल् सव्वलत् लकुम्
अन्फुसुकुम् अमन्, फ-सब्रुन्
जमीलुन्, असल्लाहु अंग्यअति-यनी
बिहिम् जमीअन्, इन्नहू हुवल-
अलीमुल्-हकीम (83) व तवल्ला
अन्दुम् व का-ल या अ-सफ़ा अला
यूसु-फ़ वब्यज्जत् अनाहु मिनल्-हुज़्जि
फ़हु-व कज़ीम (84) कालू तल्लाहि
तफ्तउ तफ़्कुरु यूसु-फ़ हत्ता तकू-न
ह-रज़न् औ तकू-न मिनल्-हालिकीन
(85) का-ल इन्नमा अश्कू बस्ती व

बोला कोई नहीं, बना ली है तुम्हारे जी ने
एक बात, अब सब ही बेहतर है, शायद
अल्लाह ले आये मेरे पास उन सब को,
वही है ख़बरदार हिक्मतों वाला। (83)
और उल्टा फिरा उनके पास से और बोला
ऐ अफ़सोस! यूसुफ़ पर, और सफ़ेद हो
गई आँखें उसकी ग़म से, सो वह खुद
को घोंट रहा था। (84) कहने लगे कसम
है अल्लाह की तू न छोड़ेगा यूसुफ़ की
याद को जब तक कि घुल जाये या हो
जाये मुर्दा। (85) बोला मैं तो खोलता हूँ
अपनी बेकरारी और ग़म अल्लाह के

हुज़्नी इलल्लाहि व अज़्लमु मिनल्लाहि
 मा ला तज़्लमून (86) या बनिय्यज़्हबू
 फ-तहस्ससू मिंय्यूसु-फ़ व अख़ीहि व
 ला तै-असू मिर्रौहिल्लाहि, इन्नहू ला
 यै-असु मिर्रौहिल्लाहि इल्लल्
 कौमुल्-काफ़िरून (87)

सामने और जानता हूँ अल्लाह की तरफ
 से जो तुम नहीं जानते। (86) ऐ बेटो!
 जाओ और तलाश करो यूसुफ़ की, और
 उसके भाई की और नाउम्मीद मत हो
 अल्लाह के फ़ैज़ से, बेशक नाउम्मीद नहीं
 होते अल्लाह के फ़ैज़ से मगर वही लोग
 जो काफ़िर हैं। (87)

खुलासा-ए-तफ़सीर

याक़ूब (अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में उन सबसे असंतुष्ट हो चुके थे तो उनके पहले मामले पर अन्दाज़ा करके) फ़रमाने लगे (कि बिनयामीन चोरी में गिरफ़्तार नहीं हुआ) बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है, सो (ख़ैर पहले की तरह) सब ही करूँगा, जिसमें शिकायत का नाम न होगा (मुझको) अल्लाह से उम्मीद है कि उन सब को (यानी यूसुफ़ और बिनयामीन और जो बड़ा भाई अब मिस्र में रह गया है उन तीनों को) मुझ तक पहुँचा देगा, (क्योंकि) वह (असल हकीकत से) ख़ूब दाकिफ़ है (इसलिये उसको सब की ख़बर है कि कहाँ-कहाँ और किस-किस हाल में हैं, और यह) बड़ी हिक्मत वाला है (जब मिलाना चाहेगा तो हज़ारों असबाब व तदबीरें दुरुस्त कर देगा)। और (यह जवाब देकर इस वजह से कि उनसे रंज पहुँचा था) उनसे दूसरी तरफ़ रुख़ कर लिया और (इस वजह से कि इस नये ग़म से वह पुराना ग़म और ताज़ा हो गया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याद करके) कहने लगे कि हाय यूसुफ़ अफ़सोस! और ग़म से (रोते-रोते) उनकी आँखें सफ़ेद पड़ गईं (क्योंकि ज़्यादा रोने से आँखों की सियाही कम हो जाती है और आँखें बेरौनक़ या बिल्कुल बेनूर हो जाती हैं)। और वह (ग़म से जी ही जी में) घुटा करते थे (क्योंकि ग़म की ज़्यादती के साथ जब बरदाश्त में बहुत ज़्यादा होगी जैसा कि साबिर लोगों की शान है तो घुटने की कैफ़ियत पैदा होगी)।

बेटे कहने लगे- खुदा की कसम (मालूम होता है) तुम हमेशा-हमेशा यूसुफ़ की यादगारी में लगे रहोगे, यहाँ तक कि घुल-घुलकर जान होंठों पर आ जायेगी या यह कि बिल्कुल मर ही जाओगे (तो इतने ग़म से फ़ायदा क्या)। याक़ूब (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि (तुमको मेरे रोने से क्या बहस) मैं तो अपने रंज व ग़म की सिर्फ़ अल्लाह से शिकायत करता हूँ (तुमसे तो कुछ नहीं कहता) और अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते (बातों से मुराद या तो लुफ़ व करम व कामिल रहमत है और या मुराद उन सबसे मिलने का इल्हाम है जो बिना किसी माध्यम के हो या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़्वाब के द्वारा हो, जिसकी ताबीर अब तक ज़ाहिर नहीं हुई थी, और उसका ज़ाहिर होना और सामने आना ज़रूरी है)। ऐ मेरे बेटो! (मैं अपने ग़म का इज़हार सिर्फ़ अल्लाह की जनाब में करता हूँ, वही तमाम असबाब को पैदा करने और बनाने वाला है लेकिन ज़ाहिरी तदबीर तुम

भी करो कि एक बार फिर सफ़र में) जाओ और यूसुफ़ और उसके भाई की तलाश करो (यानी उस फ़िक्र व तदबीर की जुस्तजू करो जिससे यूसुफ़ का निशान मिले और बिनयामीन को रिहाई हो) और अल्लाह तआला की रहमत से नाउम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो काफ़िर हैं।

मअरिफ़ व मसाईल

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे बिनयामीन की मिस्र में गिरफ्तारी के बाद उनके भाई वतन वापस आये और याक़ूब अलैहिस्सलाम को यह माजरा सुनाया, और यकीन दिलाना चाहा कि हम इस वाकिए में बिल्कुल सच्चे हैं आप इस बात की तस्दीक़ मिस्र के लोगों से भी कर सकते हैं, और जो काफ़िला हमारे साथ मिस्र से किनआन आया है उससे भी मालूम कर सकते हैं कि बिनयामीन की चोरी पकड़ी गई इसलिये वह गिरफ्तार हो गये। याक़ूब अलैहिस्सलाम को चूँकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में इन बेटों का झूठ साबित हो चुका था इसलिये इस मर्तबा भी यकीन नहीं आया, अगरचे वास्तव में इस वक़्त उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला था, इसलिये इस मौक़े पर भी वही कलिमात फ़रमाये जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गुमशुदगी के वक़्त फ़रमाये थे:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُكُمْ أَمْرًا، فَصَبِّرْ جَمِيلًا

यानी यह बात जो तुम कह रहे हो सही नहीं, तुमने खुद बात बनाई है, मगर मैं अब भी सब्र ही करता हूँ, वही मेरे लिये बेहतर है।

इमाम कुर्तुबी ने इसी से यह नतीजा निकाला है कि मुज्ताहिद जो बात अपने इज्तिहाद से कहता है उसमें ग़लती भी हो सकती है यहाँ तक कि पैग़म्बर भी जो बात अपने इज्तिहाद से कहें उसमें शुरू में ग़लती हो जाना मुम्किन है, जैसे इस मामले में पेश आया कि बेटों के सच को झूठ करार दे दिया मगर अम्बिया की खुसूसियत यह है कि उनको अल्लाह की तरफ़ से ग़लती पर आगाह करके उससे हटा दिया जाता है और अन्जामकार वे हक़ को पा लेते हैं।

यहाँ यह भी मुम्किन है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के ज़ेहन में बात बनाने से मुराद वह बात बनाना हो जो मिस्र में बनाई गई कि एक खास गर्ज के मातहत जालसाज़ी चोरी दिखलाकर बिनयामीन को गिरफ्तार किया गया, जिसका अन्जाम आईन्दा बेहतरीन सूरत में खुलकर सामने आने वाला था, इस आयत के अगले जुमले से इस तरफ़ इशारा भी हो सकता है जिसमें फ़रमाया:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا

यानी करीब है कि अल्लाह तआला उन सब को मुझसे मिला देगा।

खुलासा यह है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इस मर्तबा जो बेटों की बात को तस्लीम नहीं किया इसका हासिल यह था कि दर हकीकत न कोई चोरी हुई है और न बिनयामीन गिरफ्तार हुए हैं, बात कुछ और है, यह अपनी जगह सही था मगर बेटों ने अपनी जानकारी के मुताबिक़ जो कुछ कहा था वह भी ग़लत न था।

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَقِي عَلَى يَوْسُفَ وَأَبْيَضْتُ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝

यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इस दूसरे सदमे के बाद बेटों से इस मामले में बातचीत को छोड़कर अपने रब के सामने फरियाद शुरू की, और फरमाया कि मुझे सख्त रंज व ग़म है यूसुफ़ पर, और इस रंज व ग़म में रोते-रोते उनकी आँखें सफ़ेद हो गई यानी बीनाई जाती रही या बहुत कमजोर हो गई। इमाम मुक़ातल ने फरमाया कि यह कैफ़ियत याक़ूब अलैहिस्सलाम की छह साल रही कि बीनाई (आँखों की रोशनी) तक़रीबन जाती रही थी। 'फ़हु-व कज़ीम' यानी फिर वह ख़ामोश हो गये, किसी से अपना दुख न कहते थे। 'कज़ीम', कज़्म से बना है, जिसके मायने बन्द हो जाने और भर जाने के हैं। मुराद यह है कि रंज व ग़म से उनका दिल भर गया और ज़बान बन्द हो गई कि किसी से अपना रंज व ग़म बयान न करते थे।

इसलिये कज़्म के मायने गुस्सा पी जाने के आते हैं कि गुस्सा दिल में भरा हुआ होने के बावजूद ज़बान या हाथ से कोई चीज़ गुस्से के तकाज़े के मुताबिक़ ज़ाहिर न हुई, हदीस में है:

وَمَنْ يَكْظِمُ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ.

“यानी जो शख्स अपने गुस्से को पी जाये और उसके तकाज़े पर बावजूद ताक़त के अमल न करे, अल्लाह तआला उसको बड़ा अज़्र देंगे।”

एक हदीस में है कि हशर के दिन अल्लाह तआला ऐसे लोगों को आम मजमे के सामने लाकर जन्नत की नेमतों में इख़्तियार देंगे कि जो चाहें ले लें।

इमाम इब्ने जरीर रह. ने इस जगह एक हदीस नक़ल की है कि मुसीबत के वक़्त 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिज़ुन' पढ़ने की तालीम इस उम्मत की खुसूसियात में से है, और यह कलिमा इनसान को रंज व ग़म की तकलीफ़ से निजात देने में बड़ा असरदार है। उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत इससे मालूम हुई कि इस सख्त ग़म व सदमे के वक़्त हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इस कलिमे के बजाय 'या अ-सफ़ा अला यूसु-फ़' फरमाया। इमाम बैहकी ने शअबुल-ईमान में भी यह हदीस इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल की है।

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के

साथ हृद से ज़्यादा मुहब्बत क्यों थी?

इस मक़ाम पर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ ग़ैर-मामूली (बहुत ज़्यादा) मुहब्बत और उनके गुम होने पर इतना असर कि उस जुदाई की सारी मुद्दत में जो कुछ रिवायतों की बिना पर चालीस साल और कुछ की बिना पर अस्सी साल बतलाई जाती है मुसलसल रोते रहना, यहाँ तक कि बीनाई जाती रही, बज़ाहिर उनकी पैग़म्बराना शान के सायक़ नहीं कि औलाद से इतनी मुहब्बत करें जबकि कुरआने करीम ने औलाद को फ़ितना करार दिया है। इरशाद है:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

“यानी तुम्हारे माल और औलाद फितने और आजमाईश हैं।” और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शान कुरआने करीम ने यह बतलाई है कि:

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝

यानी “हमने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को एक खास सिफत का मालिक बना दिया है, वह सिफत है आखिरत के जहान की याद।” मालिक बिन दीनार रह. ने इसके मायने यह बयान फरमाये हैं कि हमने उनके दिलों से दुनिया की मुहब्बत निकाल दी और सिर्फ आखिरत की मुहब्बत से उनके दिलों को भर दिया, किसी चीज़ के लेने या छोड़ने में उनकी निगाह और मकसद सिर्फ आखिरत होती है।

इस मजमूए से यह इश्काल मज़बूत होकर सामने आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का औलाद की मुहब्बत में ऐसा मशगूल होना किस तरह सही हुआ?

हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने तफसीर-ए-मज़हरी में इस इश्काल को जिक्र करके हज़रत मुजदिद अल्फे सानी रह. की एक खास तहकीक नकल फरमाई है, जिसका खुलासा यह है कि बेशक दुनिया और दुनिया से संबन्धित चीज़ों की मुहब्बत बुरी और नापसन्दीदा है, कुरआन व हदीस की बेशुमार वज़ाहतें इस पर गवाह और सुबूत हैं मगर दुनिया में जो चीज़ें आखिरत से मुताल्लिक हैं उनकी मुहब्बत दर हकीकत आखिरत ही की मुहब्बत में दाखिल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमालात सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न ही नहीं बल्कि पैगम्बराना पाकदामनी और सीरत का हुस्न भी हैं, इस मजमूए की वजह से उनकी मुहब्बत किसी दुनियावी सामान की मुहब्बत न थी बल्कि दर हकीकत आखिरत ही की मुहब्बत थी।

यहाँ यह बात भी ध्यान देने के काबिल है कि यह मुहब्बत अगरचे हकीकत में दुनिया की मुहब्बत न थी मगर बहरहाल इसमें एक हैसियत दुनियावी भी थी, इसी वजह से यह मुहब्बत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान का ज़रिया बनी, और चालीस साल की जुदाई का नाकाबिले बरदाश्त सदमा सहन करना पड़ा। और इस वाकिए के पहले हिस्सों से लेकर आखिर तक इस पर सुबूत हैं कि अल्लाह तआला ही की तरफ़ से कुछ ऐसी सूरतें बनती चली गई कि यह सदमा लम्बे से लम्बा होता चला गया, वरना वाकिए के शुरू में इतनी ज़्यादा मुहब्बत वाले बाप से यह मुम्किन न होता कि वह बेटों की बात सुनकर घर में बैठे रहते, बल्कि मौके पर पहुँचकर तफ़्तीश व तलाश करते तो उसी वक़्त मरता चल जाता, मगर अल्लाह तआला ही की तरफ़ से ऐसी सूरतें बन गई कि उस वक़्त यह ध्यान न आया, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिये इससे रोक दिया गया कि वह अपने हाल की अपने वालिद को ख़बर भेजें, यहाँ तक कि मिस्र की हुकूमत व सत्ता मिलने के बाद भी उन्होंने कोई ऐसा क़दम नहीं उठाया।

और इससे भी ज़्यादा सब्र की आजमाईश करने वाले वे वाक़िआत थे जो बार-बार उनके भाईयों के मिस्र जाने के मुताल्लिक पेश आते रहे, उस वक़्त भी न भाईयों पर इज़हार फ़रमाया

न वालिद को खबर भेजने की कोशिश फ़रमाई बल्कि दूसरे भाई को भी अपने पास एक तदबीर के जरिये रोककर वालिद के सदमे को दोहरा कर दिया। ये सब चीज़ें यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे मक़बूल व खास पैग़म्बर से उस वक़्त तक मुम्किन नहीं जब तक उनको वही (अल्लाह की तरफ से पैग़ाम) के जरिये इससे न रोक दिया गया हो, इसी लिये इमाम कुर्तुबी वगैरह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस सारे अमल को अल्लाह की वही की हिदायत करार दिया है और 'कज़ालि-क किदना लियूसु-फ.....' के कुरआनी इरशाद में भी इस तरफ़ इशारा मौजूद है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम।

यानी बेटे वालिद साहिब के इस सख़्त रंज व ग़म, परेशानी व बेकरारी उस पर सब्र-जमील को देखकर कहने लगे कि खुदा की कसम आप तो यूसुफ़ को हमेशा याद ही करते रहेंगे यहाँ तक कि आप बीमार पड़ जायें और हलाक होने वालों में दाख़िल हो जायें (आख़िर हर सदमे और ग़म की कोई इन्तिहा होती है, वक़्त गुज़रने से इन्सान उसको भूल जाता है, मगर आप इतना लम्बा अरसा गुज़र जाने के बाद भी उसी पहले दिन में हैं, और आपका ग़म उसी तरह ताज़ा है)।

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَوٰۤا تَذَكَّرُ يُوْسُفَ .

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बेटों की बात सुनकर फ़रमाया:

यानी मैं तो अपनी फ़रियाद और रंज व ग़म का इज़हार तुम से या किसी दूसरे से नहीं करता, बल्कि अल्लाह जल्ल शानुहू की ज़ात से करता हूँ इसलिये मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, और साथ ही यह भी ज़ाहिर फ़रमाया कि मेरा यह याद करना ख़ाली न जायेगा, मैं अपने अल्लाह तआला की तरफ़ से वह चीज़ जानता हूँ जिसकी तुमको ख़बर नहीं। यानी अल्लाह तआला ने मुझसे वायदा फ़रमाया हुआ है कि वह फिर मुझे उन सब से मिलायेंगे।

اِنَّمَا اَشْكُوْا بِنِيّ وَحَزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ .

“यानी ऐ मेरे बेटो! जाओ, यूसुफ़ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह तआला की रहमत से मायूस न हो क्योंकि उसकी रहमत से सिवाय काफ़िरों के कोई मायूस नहीं होता।”

يٰۤاِبْنِيْ اذْهَبُوْا فَتَحَسُّوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاٰخِيْهِ

हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इतने समय के बाद बेटों को यह हुक्म दिया कि जाओ यूसुफ़ और उनके भाई को तलाश करो, और उनके मिलने से मायूस न हो। इससे पहले कभी इस तरह का हुक्म न दिया था, ये सब चीज़ें अल्लाह की तक्दीर व फैसले के ताबे थीं, इससे पहले मिलना मुक़द्दर में न था, इसलिये ऐसा कोई काम भी नहीं किया गया, और अब मुलाक़ात का वक़्त आ चुका था इसलिये अल्लाह तआला ने उसके मुनासिब तदबीर दिल में डाली।

और दोनों की तलाश का रुख़ मिस्र ही की तरफ़ करार दिया, जो बिनयामीन के हक़ में तो मालूम और मुतयन था मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र में तलाश करने की ज़ाहिरी हालात के एतिबार से कोई वजह न थी, लेकिन अल्लाह तआला जब किसी काम का इरादा फ़रमाते हैं

तो उसके मुनासिब अराबाब जमा ज़रमा देते हैं, इसलिये इस मर्तबा तलाश व तज़्ज़ीश के लिये फेर बेटों को मिस्र जाने की हिदायत फ़रमाई।

कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि याक़ूब अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा अज़ीज़े मिस्र के इस मामले से कि उनकी पूँजी भी उनके सामान में वापस कर दी, इस तरफ़ ख़्याल हो गया था कि वह अज़ीज़ कोई बहुत ही शरीफ़ व करीम है, शायद यूसुफ़ ही हों।

अहकाम व मसाईल

इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि याक़ूब अलैहिस्सलाम के वाक़िए से साबित हुआ कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि जब उसको कोई मुसीबत और तकलीफ़ अपनी जान या औलाद या माल के बारे में पेश आये तो उसका इलाज सब्रे-जमील (यानी अच्छे सब्र से करे जिसमें न तो शिकवा शिकायत हो और न नाशुक्री व नाफ़रमानी) और अल्लाह तआला की तक़दीर व फैसले पर राज़ी होने से करे, और याक़ूब अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया की पैरवी करे।

हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि इनसान जिस क़द्र घूँट पीता है उन सब में अल्लाह तआला के नज़दीक दो घूँट ज़्यादा महबूब हैं एक मुसीबत पर सब्र और दूसरे गुस्से को पी जाना।

और हदीस में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

مَنْ بَثَّ لَمْ يَضُرِّ

यानी जो शख्स अपनी मुसीबत सब के सामने बयान करता फिरे उसने सब्र नहीं किया।

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को इस सब्र पर शहीदों का सवाब अता फ़रमाया, और इस उम्मत में भी जो शख्स मुसीबत पर सब्र करेगा उसको ऐसा ही अज़्र मिलेगा।

इमाम कुर्तुबी ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के इस सख्त इम्तिहान व आजमाईश की एक वजह यह बयान की है जो कुछ रिवायतों में आई है कि एक दिन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके सामने सो रहे थे, अचानक यूसुफ़ से कुछ खरटि की आवाज़ निकली तो उनकी तवज्जोह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ़ चली गई। फिर दूसरी और तीसरी मर्तबा ऐसा ही हुआ तो अल्लाह तआला ने अपने फ़रिश्तों से फ़रमाया देखो यह मेरा दोस्त और मक़बूल बन्दा मुझसे ख़िताब और अर्ज़-मारूज़ करने के बीच मेरे ग़ैर की तरफ़ तवज्जोह करता है, क़सम है मेरी इज़्ज़त व जलाल की कि मैं इनकी यह दोनों आँखें निकाल लूँगा जिनसे मेरे ग़ैर की तरफ़ तवज्जोह की है, और जिसकी तरफ़ तवज्जोह की है उसको इनसे लम्बी मुद्दत के लिये जुदा कर दूँगा।

इसी लिये बुख़ारी की हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से आया है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि नमाज़ में किसी दूसरी तरफ़

देखना कैसा है? तो आपने फरमाया कि इस जरिये से शैतान बन्दे की नमाज़ को उधक लेता है। अल्लाह तआला हमें इस शैतानी दस्ते से अपनी पनाह में रखे।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا

الضَّرُّ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾
 قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا آءَأَنْتَ يَا يُوسُفَ قَالَ أَنَا
 يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَشَقِّ وَيَصِيرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾
 قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ تَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
 وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٩٢﴾

फ-लम्मा द-खलू अलैहि कालू या
 अय्युहल्-अजीज़ु मस्सना व
 अहल-नज़्ज़ुरु व जिअना
 विविज़ा-अतिम्-मुज़्जातिन् फऔफि
 लनल्कै-ल व तसद्क अलैना,
 इन्नल्ला-ह यज्जिल् मु-तसद्दीन
 (88) का-ल हल् अलिम्तुम् मा
 फअल्लुम् वियूसु-फ व अख्रीहि इज़्
 अन्तुम् जाहिलून (89) कालू
 अ-इन्न-क ल-अन्-त यूसुफु, का-ल
 अ-न यूसुफु व हाज़ा अख्री, कद्
 मन्नल्लाहु अलैना, इन्नहू मय्यत्तकि
 व यस्बिर्-फ-इन्नल्ला-ह ला युज़ीअु
 अज़रल्-मुत्सिनीन (90) कालू तल्लाहि
 ल-कद् आस-रकल्लाहु अलैना व इन्
 कुन्ना लख्रातिईन (91) का-ल ला

फिर जब दाखिल हुए उसके पास बोले ऐ
 अजीज़! पड़ी हम पर और हमारे घर पर
 सख्ती और लाये हैं हम पूँजी नाकिस, सो
 पूरी दे हमको भरती और ख़ैरात कर हम
 पर, अल्लाह बदला देता है ख़ैरात करने
 वालों को। (88) कहा कुछ तुमको ख़बर
 है कि क्या किया तुमने यूसुफ़ से और
 उसके भाई से जब तुमको समझ न थी।
 (89) बोले क्या सच में तू ही है यूसुफ़?
 कहा मैं यूसुफ़ हूँ और यह है मेरा भाई,
 अल्लाह ने एहसान किया हम पर यकीनन
 जो कोई डरता है और सब्र करता है तो
 अल्लाह ज़ाया नहीं करता हक़ नेकी वालों
 का। (90) बोले कसम अल्लाह की ज़रूर
 परान्द कर लिया तुझको अल्लाह ने हमसे
 और हम थे चूकने वाले। (91) कहा कुछ

तसरी-ब अलै कुमुल्-यौ-म,
 यग्फिरुल्लाहु लकुम् व हु-व
 अर्हमुर्-राहिमीन (92)

इल्जाम नहीं तुम पर आज, बख्शो अल्लाह
 तुमको और वह है सब मेहरबानों से
 ज्यादा मेहरबान। (92)

खुलासा-ए-तफसीर

फिर (हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुवाफ़िक़ जो कि उन्होंने फ़रमाया था:

نَحْسُوا مِن يُونُسَ وَأَخِيهِ.

“तलाश करो यूसुफ़ की और उसके भाई की” मिस्र को चले, क्योंकि बिनयामीन को मिस्र ही में छोड़ा था, यह ख़्याल हुआ होगा कि जिसका निशान मालूम है पहले उसके लाने की तदबीर करनी चाहिये कि बादशाह से माँगें, फिर यूसुफ़ के निशान को ढूँढ़ेंगे। गर्ज कि मिस्र पहुँचकर) जब वे यूसुफ़ के पास (जिसको अज़ीज़ समझ रहे थे) पहुँचे (और ग़ल्ले की भी ज़रूरत थी, पस यह ख़्याल हुआ कि ग़ल्ले के वहाने से अज़ीज़ के पास चलेंगे और उसकी ख़रीद के ज़िमन में खुशामद की बातें करेंगे। जब उसकी तबीयत में नर्मी देखेंगे और मिज़ाज खुश पायेंगे तो बिनयामीन की दरख़्वास्त करेंगे, इसलिये पहले ग़ल्ला लेने के बारे में बातचीत शुरू की और) कहने लगे ऐ अज़ीज़! हमको और हमारे घर वालों की (सूखे की वजह से) बड़ी तकलीफ़ पहुँच रही है, और (चूँकि हमको ग़रीबी ने घेर रखा है इसलिये ग़ल्ला ख़रीदने के लिये खरे दाम भी मयस्सर नहीं हुए) हम कुछ यह निकम्मी “यानी बेकार-सी और मायूली” चीज़ लाये हैं, सो आप (इसके निकम्मे होने को अनदेखा करके) पूरा ग़ल्ला दे दीजिए (और इस निकम्मे होने से ग़ल्ले की मात्रा में कमी न कीजिये) और (हमारा कुछ हक़ नहीं) हमको ख़ैरात (समझकर) दे दीजिये, बेशक अल्लाह तआला ख़ैरात देने वालों को (चाहे हकीकत में ख़ैरात दें चाहे सहूलत व रियायत करें कि वह भी ख़ैरात करने के जैसा ही है, बेहतरीन) बदला देता है (अगर मोमिन है तो आख़िरत में भी वरना दुनिया ही में)।

यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने (जो उनके ये अज़ीज़ाना और गुर्बत को दर्शाने वाले अलफ़ाज़ सुने तो रहा न गया और बेइख़्तियार चाहा कि उनसे खुल जाऊँ, और अज़ब नहीं कि दिल के नूर से मालूम हो गया हो कि अब की बार उनको तलाश और तफ़्तीश भी मकसूद है, और यह भी खुल गया हो कि अब जुदाई का ज़माना ख़त्म हो चुका, पस परिचय की शुरुआत के तौर पर) फ़रमाया- (कहो) वह भी तुमको याद है जो कुछ तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ (बर्ताव) किया था? जबकि तुम्हारी जहालत का ज़माना था (और बुरे-भले की समझ न थी। यह सुनकर पहले तो चकराये कि अज़ीज़े मिस्र को यूसुफ़ के किस्से से क्या वास्ता, उधर उस शुरु ज़माने के ख़्वाब से ग़ालिब गुमान था ही कि शायद यूसुफ़ किसी बड़े रतबे को पहुँचें कि हम सब को उनके सामने गर्दन झुकानी पड़े, इसलिये इस कलाम से शक़ हुआ और गौर किया तो कुछ-कुछ पहचाना और मज़ीद तहकीक़ के लिये) कहने लगे- क्या सचमुच तुम ही यूसुफ़ हो? उन्होंने फ़रमाया- (हाँ) मैं यूसुफ़ हूँ और यह (बिनयामीन) मेरा (सगा)

भाई है (यह इसलिये बड़ा दिया कि अपने यूसुफ होने की और ताकीद हो जाये, वा उनका तलाश खोज की कामयाबी की खुशखबरी है कि जिनको तुम ढूँढ़ते निकले हो हम दोनों एक जगह जमा है हम पर अल्लाह तआला ने बड़ा एहसान किया (कि हम दोनों को पहले सब व तकवे की तौफी अता फरमाई फिर उसकी बरकत से हमारी तकलीफ को राहत से और जुदाई को मिलन से और माल व रुतबे की कमी को माल व इज्जत की ज्यादाती से बदल दिया), वाकई जो शख्स गुनाहों से बचता है और (तकलीफों व मुसीबतों पर) सब्र करता है तो अल्लाह ऐसे नेक काम करने वालों का अज्र ज़ार नहीं किया करता। वे (पिछले तमाम किस्सों को याद करके शर्मिन्दा हुए और खेद जताने के तौर पर कहने लगे कि खुदा की कसम कुछ शक नहीं कि तुमको अल्लाह तआला ने हम पर फज़ीलत अता फरमाई (और तुम इसी लायक थे), और (हमने जो कुछ किया) बेशक हम (उसमें) ख़तावार हैं (अल्लाह के लिये माफ़ कर दो)। यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया कि नहीं! तुम पर आज (मेरी तरफ़ से) कोई इल्जाम नहीं (बेफ़िक्र रहो, मेरा दिल साफ़ हो गया), अल्लाह तआला तुम्हारा क़सूर माफ़ करे, और वह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है (तौबा करने वाले का क़सूर माफ़ कर ही देता है) इसी दुआ से यह भी समझ में आ गया कि मैंने भी माफ़ कर दिया)।

मअरिफ़ व मसाईल

ऊपर बयान हुई आयतों में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाईयों का बाकी किस्सा जिक्र हुआ है कि उनके वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनको यह हुक्म दिया कि जाओ यूसुफ़ और उसके भाई को तलाश करो तो उन्होंने तीसरी मर्तबा मिस्र का सफ़र किया, क्योंकि बिनयामीन का तो वहाँ होना मालूम था, पहली कोशिश उसके रिहा होने की करनी थी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वजूद अगरचे मिस्र में मालूम न था मगर जब किसी काम का वक़्त आ जाता है तो इनसान की तदबीरें ग़ैर-महसूस तौर पर भी दुरुस्त होती चली जाती हैं, जैसा कि एक हदीस में है कि जब अल्लाह तआला किसी काम का इरादा फरमा लेते हैं तो उसके असबाब खुद-ब-खुद जमा कर देते हैं, इसलिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तलाश के लिये भी ग़ैर-शक़री तौर पर मिस्र ही का सफ़र मुनासिब था, और ग़ल्ले की ज़रूरत भी थी और यह बात भी थी कि ग़ल्ला तलब करने के बहाने से अज़ीजे मिस्र से मुलाक़ात होगी और उनसे अपने भाई बिनयामीन की रिहाई के बारे में दरख़्वास्त कर सकेंगे।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا..... الآية

यानी जब यूसुफ़ के भाई वालिद के हुक्म के मुताबिक़ मिस्र पहुँचे और अज़ीजे मिस्र से मिले तो खुशामद की गुफ़्तगू शुरू की, अपनी मोहताजी और बेकसी का इज़हार किया कि अज़ीज! हमको और हमारे घर वालों को कहत (सूखा पड़ने) की वजह से सख़्त तकलीफ़ पहुँच रही है, यहाँ तक कि अब हमारे पास ग़ल्ला ख़रीदने के लिये भी कोई मुनासिब कीमत मौजूद नहीं है, हम मजबूर होकर कुछ निकम्मी (बिकार-सी) चीज़ें ग़ल्ला ख़रीदने के लिये ले आये हैं आप अपने करीमाना अख़्लाक़ से उन्हीं बेकार चीज़ों को कुबूल कर लें और उनके बदले में ग़ल्ला

यह उतना ही दे दें जितना अच्छे कीमती चीजों के मुक़ाबले में दिया जाना दे। यह ज़ाहिर है कि हमारे कोई हक़ नहीं आप हमको ख़ैरत समझकर दे दोज़िये, बेशक़ अल्लाह तआला ख़ैरत देने वालों को जज़ा-ए-ख़ैर (बेहतरीन बदला) देता है।

ये निकम्पी चीज़ें क्या थीं? क़ुरआन व हदीस में इनकी कोई वज़ाहत नहीं। मुफ़स्सरीन के अक़वाल अलग-अलग हैं, कुछ ने कहा कि छोटे दिरहम थे जो बाज़ार में न चल सकते थे, कुछ ने कहा कि कुछ घरेलू सामान था। यह लफ़ज़ 'मुज़जातिन्' का तर्जुमा है, इसके असल मायने ऐसी चीज़ के हैं जो खुद न चले बल्कि उसको ज़बरदस्ती चलाया जाये।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब भाईयों के ये अज़ीज़ी व लाचारी भरे अलफ़ाज़ सुने और शिक़स्ता हालत देखी तो तबई तौर पर अब असल हकीक़त ज़ाहिर कर देने पर मजबूर हो गये और वाकिआत की रफ़्तार का अन्दाज़ यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर जो अपने हाल के इज़हार की पाबन्दी अल्लाह की तरफ़ से थी अब उसके ख़ात्मे का वक़्त भी आ चुका था, और तफ़सीरे कुर्तुबी व मज़हरी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि उस मौक़े पर याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अज़ीजे मिस्र के नाम एक ख़त लिखकर दिया था जिसका मज़मून यह था:

“याक़ूब सफ़ीयुल्लाह पुत्र इस्हाक़ ज़बीहुल्लाह (1) पुत्र इब्राहीम ख़लीलुल्लाह की ओर से, अज़ीजे मिस्र की ख़िदमत में! अम्मा बाद। हमारा पूरा ख़ानदान बलाओं और आज़माइशों में परिचित है, मेरे दादा इब्राहीम ख़लीलुल्लाह का नमरूद की आग़ से इम्तिहान लिया गया, फिर मेरे वालिद इस्हाक़ का सख़्त इम्तिहान लिया गया, फिर मेरे एक लड़के के ज़रिये मेरा इम्तिहान लिया गया जो मुझको सबसे ज़्यादा प्यारा था, यहाँ तक कि उसकी जुदाई में मेरी बीनाई (आँखों की रेशनी) जाती रही। उसके बाद उसका एक छोटा भाई मुझ ग़मज़दा की तसल्ली का सामान था जिसको आपने चोरी के इल्जाम में गिरफ़्तार कर लिया और मैं बतलाता हूँ कि हम नबियों की औलाद हैं, न हमने कभी चोरी की है न हमारी औलाद में कोई चोर पैदा हुआ। वस्सलाम ”

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब यह ख़त पढ़ा तो कांपें गये और बेइख़्तियार रौने लगे, और अपने राज़ को ज़ाहिर कर दिया, और परिचय की भूमिका के तौर पर भाईयों से यह सवाल किया कि तुमको कुछ यह भी याद है कि तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ क्या बर्ताव किया था जबकि तुम्हारी जहालत का ज़माना था, कि भले-बुरे की सोच और अन्जाम पर नज़र करने की फ़िक्र से ग़ाफ़िल थे।

भाईयों ने जब यह सवाल सुना तो चकरा गये कि अज़ीजे मिस्र की यूसुफ़ के किस्से से क्या वास्ता? फिर उधर भी ध्यान गया कि यूसुफ़ ने जो बचपन में ख़्वाब देखा था उसकी ताबीर यही थी कि उनको कोई बुलन्द मर्तबा हासिल होगा कि हम सब को उसके सामने झुकना पड़ेगा, कहीं यह अज़ीजे मिस्र खुद यूसुफ़ ही न हों। फिर जब ग़ौर व ध्यान किया तो कुछ निशानियों से

(1) ज़बीह कौन हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम थे या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इसकी पूरी तहकीक़ सातवीं जिल्द सूर: ताफ़ात की आयत नम्बर 107 की तफ़सीर में देखिये। प्रकाशक

पहचान लिया और मज़ीद तहकीक के लिये उनसे कहा:

إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ.

“क्या सचमुच तुम ही यूसुफ़ हो?” तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि हाँ! मैं ही यूसुफ़ हूँ, और यह बिनयामीन मेरा सगा भाई है। भाई का जिक्र इसलिये बढ़ा दिया कि उनको अच्छी तरह यकीन आ जाये, साथ ही इसलिये भी कि उन पर उस वक़्त अपने मक़सद की मुकम्मल कामयाबी वाज़ेह हो जाये कि जिन दो की तलाश में तुम निकले थे वे दोनों एक जगह तुम्हें मिल गये। फिर फ़रमाया:

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

“यानी अल्लाह तआला ने हम पर एहसान व करम फ़रमाया कि पहले हम दोनों को सब्र व परहेज़गारी की दो सिफ़तें अता फ़रमाई जो कामयाबी की कुन्जी और हर मुसीबत से अमान हैं, फिर हमारी तकलीफ़ को राहत से, जुदाई को मिलन से, माल व रुतबे की कमी को इन सब की कसरत (अधिकता) से तब्दील फ़रमा दिया, बेशक जो शख्स गुनाहों से बचता और मुसीबतों पर सब्र करता है तो अल्लाह तआला ऐसे नेक काम करने वालों का अज़्र ज़ाया नहीं किया करते हैं।

अब तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों के पास सिवाय जुर्म व ख़ता के इक़रार और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फज़ल व कमाल के मान लेने के चारा न था, सब ने एक ज़बान होकर कहा:

تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ ۝

“खुदा की क़सम! अल्लाह तआला ने आपको हम सब पर फज़ीलत और बरतरी अता फ़रमाई और आप इसी के हक़दार थे, और हमने जो कुछ किया बेशक हम उसमें ख़तावार थे, अल्लाह के लिये माफ़ कर दीजिये।” यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जवाब में अपनी पैग़म्बराना शान के मुताबिक़ फ़रमाया:

لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

“यानी मैं तुमसे तुम्हारे जुल्मों का बदला तो क्या लेता, आज तुम पर कोई मलामत भी नहीं करता।” यह तो अपनी तरफ़ से माफ़ी की खुशख़बरी सुना दी फिर अल्लाह तआला से दुआ की:

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

“यानी अल्लाह तआला तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमा दें, वह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान हैं।”

फिर फ़रमाया:

اذهبوا بِقَمِيصِي هٰذَا فَالْقَوَّةُ عَلٰى وَجْهِ اَبِي يٰتَ بَصِيْرًا، وَاْتُونِيْ بِاَهْلِكُمْ اٰجْمَعِيْنَ ۝

“यानी मेरा यह कुर्ता ले जाओ और इसको मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, इससे उनकी आँखें रोशन हो जायेंगी, जिससे वह यहाँ तशरीफ़ ला सकेंगे और अपने बाकी घर वालों को भी सब को मेरे पास ले आओ ताकि सब मिलें और खुश हों, और अल्लाह तआला की दी हुई

नेमतों से फायदा उठावें और शुक्रगुज़ार हों।"

अहकाम व हिदायतें

उक्त आयतों से बहुत से अहकाम व मसाल और इनसानी ज़िन्दगी के लिये अहम हिदायतें हासिल हुईं:

अव्वल लफ़ज़ 'तसद्दक् अलैना' से यह सवाल पैदा होता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई नबियों की औलाद हैं, उनके लिये सदका ख़ैरात कैसे हलाल था? दूसरे अगर सदका हलाल भी हो तो सवाल करना कैसे जायज़ था? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अगर नबी भी न हों तो भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो पैग़म्बर थे, उन्होंने इस ग़लती पर क्यों सचेत नहीं फ़रमाया?

इसका एक स्पष्ट जवाब तो यह है कि यहाँ लफ़ज़ सदके से असली सदका मुराद नहीं बल्कि मामले में रियायत करने की सदका ख़ैरात करने से ताबीर कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल मुफ़्त ग़ले का सवाल तो उन्होंने किया ही नहीं था, बल्कि कुछ निकम्मी चीज़ें पेश की थीं और दरख़्वास्त का हासिल यह था कि इन कम-कीमत चीज़ों को रियायत करके कुबूल फ़रमा लें। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि नबियों की औलाद के लिये सदका व ख़ैरात का हराम होना सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया के साथ मख़सूस हो, जैसा कि तफ़सीर के इमामों में से इमाम मुजाहिद रह. का यही कौल है। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝

से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला सदका ख़ैरात करने वालों को जज़ा-ए-ख़ैर (बेहतरीन बदला) देते हैं, मगर इसमें तफ़सील यह है कि सदका व ख़ैरात की एक जज़ा तो आम है जो हर मोमिन काफ़िर को दुनिया में मिलती है, वह है बलाओं और मुसीबतों का दूर होना, और एक जज़ा आख़िरत के साथ मख़सूस है यानी जन्नत, वह सिर्फ़ इमान वालों का हिस्सा है। यहाँ चूँकि मुखातब अज़ीजे मित्त है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों को अभी तक यह मालूम नहीं था कि यह मोमिन है या नहीं, इसलिये ऐसा आम जुमला इख़्तियार किया जिसमें दुनिया व आख़िरत दोनों की जज़ा (बदला) शामिल है। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

इसके अलावा बज़ाहिर मौका तो इस जगह इसका था कि चूँकि अज़ीजे मित्त से ख़िताब था इसलिये इस जुमले में भी ख़िताब ही के लफ़ज़ से यह कहा जाता कि तुमको अल्लाह तआला जज़ा-ए-ख़ैर देंगे, लेकिन चूँकि उनका तो मोमिन होना मालूम न था इसलिये आम उनवान इख़्तियार किया और खुसूसी तौर पर उनको जज़ा मिलने का ज़िक्र नहीं किया। (तफ़सीर कुर्तबी)

قَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا

से साबित हुआ कि जब इनसान किसी तकलीफ़ व मुसीबत में गिरफ़्तार हो और फिर अल्लाह तआला उससे निजात अता फ़रमाकर अपनी नेमत से नवाज़ें तो अब उसको पिछली मुसीबतों का ज़िक्र करने के बजाय अल्लाह तआला के उस इनाम व एहसान ही का ज़िक्र करना

चाहिये जो अब हासिल हुआ हो, मुसीबत से निजात और अल्लाह के इनाम के हासिल होने में बाँद भी पिछली तकलीफ़ व मुसीबत को रोते रहना नाशुक्री है, ऐसे ही नाशुक्री को कुरआन करीम में 'कनूद' कहा गया है:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

कनूद कहते हैं, उस शख्स को जो एहसानात को याद न रखे सिर्फ़ तकलीफ़ों और मुसीबतों को याद रखे।

इसी लिये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाईयों के अमल से लम्बे समय तक जिन मुसीबतों से साबक़ा पड़ा था उनका इस वक़्त कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह जल्ल शानुहू के इनामात ही का जिक्र फ़रमाया।

सब्र व परहेज़गारी हर मुसीबत का इलाज है

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ

से मालूम हुआ कि तक्वा यानी गुनाहों से बचना और तकलीफ़ों पर सब्र व साबित-कदमी ये दो सिफ़तें ऐसी हैं जो इनसान को हर बला व मुसीबत से निकाल देती हैं। कुरआने करीम में बहुत से मौकों पर इन्हीं दो सिफ़तों पर इनसान की फ़लाह व कामयाबी का मदार रखा है। इरशाद है:

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

“यानी अगर तुमने सब्र व तक्वा इख़्तियार कर लिया तो दुश्मनों की मुखालिफ़ाना तदबीहों तुम्हें कोई तकलीफ़ और नुक़सान न पहुँचा सकेंगी।”

यहाँ बज़ाहिर यह दावा मालूम होता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने मुत्तकी और साबित होने का दावा कर रहे हैं कि हमारे सब्र व तक्वे की वजह से हमें मुश्किलों से निजात और बुलन्द दर्जे नसीब हुए मगर किसी को खुद अपने तक्वे का दावा करना कुरआनी हिदायत के अनुसार वर्जित और मना है:

فَلَا تَرْكَبُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى

“यानी अपनी पाकी न जतलाओ, अल्लाह ही ज़्यादा जानता है कि कौन मुत्तकी है।”

मगर यहाँ दर हकीकत दावा नहीं बल्कि अल्लाह तआला की नेमत व एहसानात का जिक्र है कि उसने अब्बल हमको सब्र व तक्वे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई फिर उसके ज़रिये तमाम नेमतें अता फ़रमाई।

لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

“यानी आज तुम पर कोई मलामत नहीं।” यह उम्दा और बेहतरीन अख़्लाक़ का आला मक़ाम है कि ज़ालिम को सिर्फ़ माफ़ ही नहीं कर दिया बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब तुम पर कोई मलामत भी नहीं।

اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم

اجبعين ﴿ ولما فصلت العير قال ابوهم ائني لا جد ريب يوسف لولا ان تفقدون ﴿ قالوا تالله انك لفي ضلالتك القديم ﴿ فلما ان جاء البشير القمه على وجهه فارتد بصيرا ﴿ قال الم اقل لكم ائني اعلم من الله ما لا تعلمون ﴿ قالوا يا ابا ناس استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خطيين ﴿ قال سوف استغفر لكم ربي اِنَّه هو الغفور الرحيم ﴿ فلما دخلوا على يوسف اوتى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ﴿ ورفع ابويه على العرش وخرؤا له سجدا ﴿ وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلنا ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي اِنَّ ربي لطيف لما يشاء اِنَّه هو العليم الحكيم ﴿

الرابع

इन्हू बि-कमीसी हाजा फअल्कूह
अला वजिह-अबी यअति
बसीरन् वअतूनी बिअह्लिकुम्
अज्मअीन (93) ❀
व लम्मा फ-स-लतिल्-अीरु का-ल
अबूहुम् इन्नी ल-अजिदु री-ह यूसु-फ
लौ ला अन् तुफन्निदून (94) कालू
तल्लाहि इन्न-क लफी जलालिकल्-
कदीम (95) ❀ फ-लम्मा अन्
जाअल्-बशीरु अल्काहु अला वजिहही
फरतद्-द बसीरन्, का-ल अलम्
अकुल् लकुम् इन्नी अअ्लमु
मिनल्लाहि मा ला तअ्लमून (96)
कालू या अबानस्तगफिरु लना

ले जाओ यह कुर्ता मेरा और डालो इसको
मुँह पर मेरे बाप के कि चला आये आँखों
से देखता हुआ, और ले आओ मेरे पास
घर अपना सारा। (93) ❀
और जब जुदा हुआ काफिला कहा उनके
बाप ने मैं पाता हूँ बू (गंध) यूसुफ की
अगर न कहो मुझको कि बूढ़ा बहक गया।
(94) लोग बोले कसम अल्लाह की तू तो
अपनी उसी पुरानी ग़लती में है। (95) ❀
फिर जब पहुँचा खुशख़बरी वाला डाला
उसने वह कुर्ता उसके मुँह पर फिर लौट
कर हो गया देखने वाला, बोला मैंने यह न
कहा था तुमको कि मैं जानता हूँ अल्लाह
की तरफ़ से जो तुम नहीं जानते। (96)
बोले ऐ बाप! बख़्शवा हमारे गुनाहों को

जुनूबना इन्ना कुन्ना ख्रातिईन (97)
 का-ल सौ-फ़ अस्तग़िफ़रु लकुम् रब्बी,
 इन्नहू हुवलू ग़फ़ूररहीम (98)
 फ़-लम्मा द-ख़लू अला यूसु-फ़ आवा
 इलैहि अ-बवैहि व कालदख़ुलू
 मिस्र-र इन्शा-अल्लाहु आमिनीन (99)
 व र-फ़-अ अ-बवैहि अललू-अर्शि व
 ख़ारू लहू सुज्जदन् व का-ल या
 अ-बति हाज़ा तअवीलु रुअ्या-य
 मिन् क़ब्लु, क़द् ज-अ-लहा रब्बी
 हक्कन्, व क़द् अहस-न बी इज़्
 अख़र-जनी मिनस्सिज्नि व जा-अ
 बिकुम् मिनल्बद्वि मिम्-बअदि अन्
 न-जग़शशैतानु बैनी व बै-न इख़्वती,
 इन्-न रब्बी लतीफ़ुल्लिमा यशा-उ,
 इन्नहू हुवलू अलीमुल्-हकीम (100)

बेशक हम थे चूकने वाले। (97) कहा दम
 लो बख़्शवाऊंगा तुमको अपने रब से,
 वही है बख़्शने वाला मेहरबान। (98) फिर
 जब दाख़िल हुए यूसुफ़ के पास जगह दी
 अपने पास अपने माँ-बाप को और कहा
 दाख़िल होओ मिस्र में अल्लाह ने चाहा
 तो दिल के सुकून के साथ। (99) और
 ऊँचा बिठाया अपने माँ बाप को तख़्त पर
 और सब गिरे उसके आगे सज्दे में और
 कहा- ऐ बाप! यह बयान है मेरे उस
 पहले ख़्वाब का, उसको मेरे रब ने सच
 कर दिया और उसने इनाम किया मुझ पर
 जब मुझको निकाला कैदख़ाने से और
 तुमको ले आया गाँव से इसके बाद कि
 झगड़ा डाल चुका था शैतान मुझ में और
 मेरे भाईयों में, मेरा रब तदबीर से करता
 है जो चाहता है, बेशक वही है ख़बरदार
 हिक्मत वाला। (100)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अब तुम (मेरे बाप को जाकर खुशख़बरी दो और खुशख़बरी के साथ) मेरा यह कुर्ता (भी)
 लेते जाओ और इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो (इससे) उनकी आँखें रोशन हो जाएँगी
 (और यहाँ तशरीफ़ ले आयेँगे), और अपने (बाकी) घर वालों को (भी) सब को मेरे पास ले
 आओ (कि सब मिलें और खुश हों; क्योंकि मौजूदा हालत में मेरा जाना मुश्किल है, इसलिये घर
 वाले ही चले आयेँ)।

और जब (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बातचीत हो चुकी और आपके फ़रमाने के मुताबिक़ कुर्ता
 लेकर चलने की तैयारी की और) काफ़िला (मिस्र शहर से) चला (जिसमें ये लोग भी थे) तो
 उनके बाप ने (अपने पास वालों से) कहना शुरू किया कि अगर तुम मुझको बुढ़ापे में बहकी
 बातें करने वाला न समझो तो एक बात कहूँ कि मुझको तो यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) की खुशबू

आ रही है (मोजिजा इख्तियारी नहीं होता इसलिये इससे पहले यह एहसास व इल्म न हुआ)। वे (पास वाले) कहने लगे कि खुदा की कसम! आप तो अपने उसी पुराने ग़लत ख़्याल में मुब्तला हैं (कि यूसुफ़ जिन्दा हैं और मिलेंगे, उसी ख़्याल के ग़लबे से अब खुशबू का वहम हो गया और वास्तव में न खुशबू है न कुछ और है। याक़ूब अलैहिस्सलाम ख़ामोश हो गये)। पस जब (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सही सलामत होने की) खुशख़बरी लाने वाला (मय कुर्ते के यहाँ) आ पहुँचा तो (आते ही) उसने वह कुर्ता उनके मुँह पर लाकर डाल दिया। पस (आँखों को लगना था और दिमाग़ में खुशबू पहुँचना कि) फ़ौरन ही उनकी आँखें खुल गईं (और उन्होंने सारा माजरा आप से बयान किया) आपने (बेटों से) फ़रमाया, क्यों! मैंने तुमसे कहा न था कि अल्लाह तआला की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते (और इसलिये मैंने तुमको यूसुफ़ की तलाश के लिये भेजा था, देखो आख़िर अल्लाह तआला ने मेरी उम्मीद पूरी की। उनका यह कौल इससे ऊपर के रुकूअ में आ चुका है, उस वक़्त) सब बेटों ने कहा कि ऐ हमारे बाप! हमारे लिये (खुदा से) हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए (हमने जो कुछ आपको यूसुफ़ के मामले में तकलीफ़ दी) हम बेशक ख़तावार थे (मतलब यह है कि आप भी माफ़ कर दीजिये क्योंकि आदतन किसी के लिये इस्तिग़फ़ार वही करता है जो खुद भी पकड़ करना नहीं चाहता)।

याक़ूब (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया जल्द ही तुम्हारे लिये अपने रब से मग़फ़िरत की दुआ करूँगा, बेशक वह बख़ाने वाला, रहम करने वाला है (और इसी से उनका माफ़ कर देना भी मालूम हो गया और जल्द ही का मतलब यह है कि तहज़ुद का वक़्त आने दो जो कि कुबूलियत की घड़ी है, जैसा कि किताब दुर्रे मन्सूर में मरफ़ूअन नक़ल किया गया है)।

(ग़र्ज़ कि सब मिस्र को तैयार होकर चल दिये और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख़बर सुनकर स्वागत के लिये मिस्र से बाहर तशरीफ़ लाये और बाहर ही मुलाक़ात का सामान किया गया) फिर जब ये सब-के-सब यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचे तो उन्होंने (सबसे मिल-मिलाकर) अपने माँ-बाप को (अदब के तौर पर) अपने पास जगह दी, और (बातचीत से फ़ारिग़ होकर) कहा कि सब मिस्र में चलिये (और) खुदा को मन्ज़ूर है तो (वहाँ) अमन-चैन से रहिये (जुदाई का ग़म और सूखा पड़ने की परेशानी सब दूर हो गये। ग़र्ज़ कि सब मिस्र में पहुँचे) और (वहाँ पहुँचकर अदब के तौर पर) अपने माँ-बाप को (शाही) तख़्त पर ऊँचा बिठाया, और (उस वक़्त सब के दिलों पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बड़ाई ऐसी ग़ालिब हुई कि) सब-के-सब उनके आगे सज़्दे में गिर गये, और (यह हालत देखकर) वह कहने लगे कि ऐ अब्बा! यह है मेरे ख़्वाब की ताबीर जो पहले ज़माने में देखा था (कि सूरज व चाँद और ग्यारह सितारों मुझको सज़्दा करते हैं), मेरे रब ने उस (ख़्वाब) को सच्चा कर दिया (यानी उसकी सच्चाई का ज़हूर कर दिया) और (इस सम्मान के सिवा मेरे रब ने मुझ पर और इनामात भी फ़रमाये, चुनाँचे) मेरे साथ (एक) उस वक़्त एहसान फ़रमाया जिस वक़्त मुझको क़ैद से निकाला (और इस बादशाहत के मर्तबे तक पहुँचाया) और (दूसरा यह इनाम फ़रमाया कि) इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाईयों के बीच फ़साद डलवा दिया था (जिसका तकाज़ा तो यह था कि उम्र भर भी इकट्ठे और मुत्तफ़िक़ न होते

मगर अल्लाह तआला की इनायत है कि वह) तुम सब को (जिनमें मेरे भाई भी हैं) बहर से (यहाँ) ले आया (और सब को मिला दिया)। बेशक मेरा रब जो चाहता है उसकी उम्दा तदबीर कर देता है, बेशक वह बड़ा इल्म वाला और हिक्मत वाला है (अपने इल्म व हिक्मत से सब मामलात की तदबीर दुरुस्त कर देता है)।

मआरिफ़ व मसाइल

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से से मुताल्लिक़ पहले गुज़री आयतों में यह मालूम हो चुका है कि जब अल्लाह की मंशा के मुताबिक़ इसका वक़््त आ गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना राज़ भाईयों पर जाहिर कर दें तो उन्होंने हकीकत जाहिर कर दी, भाईयों ने माफी माँगी, उन्होंने न सिर्फ़ यह कि माफ़ कर दिया बल्कि पिछले चाकिआत पर कोई मलामत करना भी पसन्द नहीं किया। उनके लिये अल्लाह तआला से दुआ की और अब वालिद से मुलाक़ात की फ़िक्र हुई। हालात के लिहाज़ से मुनासिब यह समझा कि वालिद साहिब ही मय ख़ानदान के यहाँ तशरीफ़ लायें, मगर मालूम हो चुका था कि उनकी बीनाई (आँखों की रोशनी) इस जुदाई में जाती रही, इसलिये सबसे पहले इसकी फ़िक्र हुई और भाईयों से कहा:

اذهبوا بيضي هذا فالقوة على وجه ابي يات بصيرا.

“यानी तुम मेरा यह कुर्ता ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो तो उनकी बीनाई वापस आ जायेगी।” यह जाहिर है कि किसी के कुर्ते का चेहरे पर डाल देना बीनाई के वापस आने का कोई माद्दी सबब नहीं हो सकता, बल्कि यह एक मौजिज़ा था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि उनको अल्लाह के हुक्म से मालूम हो गया कि जब उनका कुर्ता वालिद के चेहरे पर डाला जायेगा तो अल्लाह तआला उनकी बीनाई बहाल फ़रमा देंगे।

और इमाम ज़ह्राक और इमाम मुजाहिद शगैरह तफ़सीर के इमामों ने फ़रमाया कि यह उस कुर्ते की खुसूसियत थी, क्योंकि यह आम कपड़ों की तरह न था बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिये जन्नत से उस वक़््त लाया गया था जब उनको नंगा करके नमस्द ने आग में डाला था, फिर यह जन्नत का लिबास हमेशा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास महफूज़ रहा और उनकी वफ़ात के बाद हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम के पास रहा, उनकी वफ़ात के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को मिला, आपने इसको एक बड़ी तबरूक (बरकत) वाली चीज़ की हैसियत से एक नुल्की में बन्दू करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गले में तावीज़ के तौर पर डाल दिया था ताकि बुरी-नज़र से महफूज़ रहें, और उनके भाईयों ने जब उनका कुर्ता वालिद को धोखा देने के लिये उतार लिया और वह नंगा बदन करके कुएँ में डाल दिये गये तो जिब्रीले अमीन तशरीफ़ लाये और गले में पड़ी हुई नुल्की खोलकर उससे यह कुर्ता बरामद किया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहना दिया, और यह उनके पास बराबर महफूज़ बला आया, इस वक़््त भी जिब्रीले अमीन ही ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह मशिवरा दिया कि यह जन्नत का लिबास

है इसकी खासियत यह है कि नाबीना के चेहरे पर डाल दो तो वह बीना (देखने वाला) हो जाता है, और फरमाया कि इसको अपने वालिद के पास भेज दीजिये तो वह बीना हो जायेंगे।

और हज़रत मुजदिद अल्फे सानी रह. की तहकीक यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल (सुन्दरता) और उनका वजूद खुद जन्नत ही की एक चीज़ थी इसलिये उनके जिस्म से लग जाने की वजह से हर कुर्ते में यह खासियत हो सकती है। (तफ्सीरे मज़हरी)

وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

“यानी तुम सब भाई अपने सब बाल-बच्चों और घर वालों को मेरे पास मिस्र ले आओ।”

असल मक़सद तो वालिद मोहतरम को बुलाने का था मगर यहाँ स्पष्ट रूप से वालिद के बजाय खानदान को लाने का ज़िक्र किया, शायद इसलिये कि वालिद को यहाँ लाने के लिये कहना अदब के खिलाफ़ समझा, और यह यकीन था ही कि जब वालिद की बीनाई वापस आ जायेगी और यहाँ आने से कोई उज़्र (मजबूरी) रुकावट नहीं रहेगा तो वह खुद ही ज़रूर तशरीफ़ लायेंगे। इमाम कुर्तुबी ने एक रिवायत नक़ल की है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों में से यहूदा ने कहा कि यह कुर्ता मैं ले जाऊँगा, क्योंकि इनके कुर्ते पर झूठा खून लगाकर भी मैं ही ले गया था जिससे वालिद को सदमे पहुँचे, अब उसकी तलाफ़ी भी मेरे ही हाथ से होना चाहिये।

وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيرُ

“यानी जब क़फ़िला शहर से बाहर निकला ही था” तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने पास वालों से कहा कि अगर तुम मुझे बेवकूफ़ न कहो तो मैं तुम्हें बतलाऊँ कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक़ शहर मिस्र से किनज़ान तक आठ दिन के सफ़र का रास्ता था, और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अस्सी फ़र्सख़ यानी तकरीबन अढ़ाई सौ मील का फ़ासला था, अल्लाह तआला ने इतनी दूर से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़मीज़ के ज़रिये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू याक़ूब अलैहिस्सलाम के दिमाग़ तक पहुँचा दी, और यह अजीब बातों में से है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वतन किनज़ान ही के एक कुएँ में तीन दिन तक पड़े रहे तो उस वक़्त यह खुशबू महसूस नहीं हुई। यहीं से मालूम होता है कि कोई मोज़िज़ा पैग़म्बर के इख़्तियार में नहीं होता, बल्कि दर हकीकत मोज़िज़ा पैग़म्बर का अपना फ़ैल व अमल भी नहीं होता, वह डायरेक्ट अल्लाह तआला का फ़ैल होता है, जब अल्लाह तआला इरादा फरमाते हैं तो मोज़िज़ा ज़ाहिर कर देते हैं और जब अल्लाह की इजाज़त नहीं होती तो करीब से करीब भी दूर हो जाता है।

قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝

“यानी मज्लिस में मौजूद लोगों ने याक़ूब अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा कि बखुदा! आप तो अपने उसी पुराने ख़्याल में मुझला हैं” कि यूसुफ़ ज़िन्दा हैं और वह फिर मिलेंगे।

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ

“यानी जब यह खुशखबरी देने वाला किनआन पहुँचा” और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को याक़ूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया तो फ़ौरन उनकी बीनाई वापस आ गई। खुशखबरी देने वाला वही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भाई यहूदा था जो उनका कुर्ता मिस्र से लाया था।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي آتٍ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

“यानी क्या मैं न कह रहा था कि मुझे अल्लाह तआला की तरफ़ से वह इल्म हासिल है जिसकी आप लोगों को ख़बर नहीं, कि यूसुफ़ जिन्दा हैं और वह फिर मिलेंगे।”

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝

अब जबकि असल हकीकत स्पष्ट होकर सामने आ गई तो यूसुफ़ के भाईयों ने वालिद से अपनी ख़ताओं की माफ़ी इस शान से माँगी कि वालिद से दरख़्वास्त की कि हमारे लिये अल्लाह तआला से मग़फ़िरत की दुआ करें, और यह ज़ाहिर है कि जो शख्स अल्लाह तआला से उनकी ख़ता माफ़ करने की दुआ करेगा वह खुद भी उनकी ख़ता माफ़ कर देगा।

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۝

यानी याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं जल्द ही तुम्हारे लिये अल्लाह तआला से माफ़ी की दुआ करूँगा।

यहाँ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ही दुआ करने के बजाय वादा किया कि जल्द ही दुआ करूँगा। इसकी वजह आम मुफ़स्सिरीन ने यह लिखी है कि इससे मक़सद यह था कि एहतिमाम के साथ रात के आखिरी हिस्से में दुआ करें, क्योंकि उस वक़्त की दुआ खुसूसियत से कुबूल की जाती है, जैसा कि सही बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह तआला हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब आसमान पर अपनी तबज्जोह नाज़िल फ़रमाते हैं और यह ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ माँगे तो मैं उसको कुबूल कर लूँ। कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे और मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ ۝

कुछ रिवायतों में है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस मर्तबा अपने भाईयों के साथ दो सौ ऊँटों पर लदा हुआ बहुत-सा सामान कपड़ों और दूसरी ज़रूरतों का भेजा था, ताकि पूरा ख़ानदान मिस्र आने के लिये उम्दा तैयारी कर सके, उसके मुताबिक़ याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद और तमाम मुताल्लिकीन मिस्र के लिये तैयार होकर निकले, तो एक रिवायत में उनकी संख्या 72 और दूसरी में 93 मर्द व औरत आदमियों पर मुश्तमिल थी।

दूसरी तरफ़ जब मिस्र पहुँचने का वक़्त करीब आया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और मिस्र मुल्क के लोग स्वागत के लिये शहर से बाहर तशरीफ़ लाये, और चार हज़ार सिपाही उनके साथ सलामी देने के लिये निकले। जब ये हज़रत मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मकान में दाख़िल हुए तो उन्होंने अपने माँ-बाप को अपने पास ठहराया।

यहाँ ज़िक्र माँ-बाप का है, हालाँकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा का इत्तिकाल बचपन ही में हो चुका था, मगर उनके बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम ने मरहूमा की बहन लय्या से निकाह कर लिया था जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खाला होने की हैसियत से भी माँ के जैसी थीं, और वालिदा के निकाह में होने की हैसियत भी वालिदा ही कहलाने की हकदार थीं। (1)

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَانَ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ ۝

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने खानदान के सब लोगों से कहा कि आप सब अल्लाह की इजाज़त से मिस्र में बिना किसी खौफ़ व ख़तरे और बिना किसी पाबन्दी के दाख़िल हो जायें। मतलब यह था कि दूसरे मुल्क में दाख़िल होने वाले मुसाफ़िरोँ पर जो पाबन्दियाँ आदतन हुआ करती हैं आप उन सब पाबन्दियों से आज़ाद हैं।

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ-बाप को अपने शाही तख़्त पर बैठाया।

وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا

यानी माँ-बाप और सब भाईयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सज्दा किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि यह सज्दा-ए-शुक्र अल्लाह तआला के लिये किया गया था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं था। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इबादत का सज्दा तो हर पैग़म्बर की शरीअत में ग़ैरुल्लाह के लिये हराम था लेकिन ताज़ीम (सम्मान) के तौर पर सज्दा पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शरीअतों में जायज़ था जो इस्तामी शरीअत में शिर्क का ज़रिया होने की वजह से ममनू (वर्जित) हो गया है, जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में ज़िक्र किया गया है कि किसी ग़ैरुल्लाह के लिये सज्दा हलाल नहीं।

وَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ تُكَذِّبُونَ ۝

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने जब दोनों माँ-बाप और ग्यारह भाईयों ने एक साथ सज्दा किया तो उनको अपना वह बचपन का ख़्वाब याद आ गया और फ़रमाया कि ऐ अब्बा जान!

(1) यह स्पष्टता उस रिवायत के मुताबिक़ है जिसमें कहा गया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा बिनयामीन की विलादत के वक़्त वफ़ात पा गई थीं, इस बिना पर यहाँ हज़रत मुसन्निफ़ रह. की यह इबारत पहले गुज़री (आयत नम्बर 7-20 की तफ़सीर में) इबारत से टकराने वाली मालूम होती है, जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील को करार दिया गया है, लेकिन दर असल इस मामले में कोई मोतबर रिवायत तो है नहीं, इस्त्राईली रिवायतें हैं और उनमें भी विरोधाभास है, खुद तफ़सीर रुहुल-मआनी के लेखक ने लिखा है कि यहूदी हज़रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा के बिनयामीन की विलादत के वक़्त इत्तिकाल के कायल नहीं हैं, अगर इस रिवायत को लिया जाये तो कोई इश्क़ाल बाकी नहीं रहता। इस सूरत में शाही तख़्त पर माँ-बाप को बैठाने में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सगी वालिदा भुराद होंगी। इमाम इब्ने जरीर और इब्ने कसीर रह. ने इसी को ज़्यादा सही करार दिया है। चुनाँचे इमाम इब्ने कसीर रह. इस पर बहस करते हुए फ़रमाते हैं:

قال ابن جرير ولم يبق دليل على موت امه (ای ام یوسف علیہ السلام) وظاهر القرآن يدل علی حیاتها.

मुहम्मद तक़ी उस्मानी।

वह मते उस ख्याब की तावीर है जो बचपन में देखा था कि सूरज व चाँद और ग्यारह सितारा मुझे सज्दा कर रहे हैं, अल्लाह तआला का शुक्र है जिसने उस ख्याब की सच्चाई को आँखों से दिखला दिया।

अहकाम व मसाईल

1. हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बेटों की माफ़ी व दुआ-ए-इस्तिग़फ़ार की दरख़्वास्त पर जो यह फ़रमाया कि “जल्द ही तुम्हारे लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत करूँगा” और फ़ौरन दुआ नहीं की, इस देरी की एक वजह कुछ हज़रत ने यह भी बयान की है कि मन्ज़ूर यह था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलकर पहले यह तहकीक़ हो जाये कि उन्होंने इनकी ख़ता माफ़ कर दी है या नहीं, क्योंकि जब तक मज़लूम माफ़ी न दे अल्लाह के नज़दीक भी माफ़ी नहीं होती, ऐसी हालत में दुआ-ए-मग़फ़िरत भी मुनासिब न थी।

यह बात अपनी जगह बिल्कुल सही और उसूली है कि बन्दों के हुक्क की तौबा बग़ैर इसके माफ़ नहीं होती कि हक़ वाला अपना हक़ वसूल कर ले या माफ़ कर दे, महज़ ज़बानी तौबा व इस्तिग़फ़ार काफी नहीं।

2. हज़रत सुफ़ियान सौरी रह. की रिवायत है कि जब यहूदा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ लेकर आये और याक़ूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो पूछा कि यूसुफ़ कैसे हैं? उन्होंने बतलाया कि वह मिस्र के बादशाह हैं। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं इसको नहीं पूछता कि वह बादशाह हैं या फ़कीर, पूछना यह है कि ईमान और अमल के एतिबार से क्या हाल है? तब उन्होंने उनके तक़वे व पाकीज़गी के हालात बतलाये। यह है नबियों की मुहब्बत और ताल्लुक़ कि औलाद की जिस्मानी राहत से ज़्यादा उनकी रूहानी हालत की फ़िक़र करते हैं, हर मुसलमान को इसी की पैरवी करनी चाहिये।

3. हज़रत हसन रह. से रिवायत है कि जब खुशख़बरी देने वाला यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर पहुँचा तो याक़ूब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उसको कुछ इनाम दें मगर हालात साज़गार न थे, इसलिये उज़्र किया कि सात दिन से हमारे घर में रोटी नहीं पकी, इसलिये मैं कुछ माद्दी इनाम तो नहीं दे सकता, मगर यह दुआ देता हूँ कि अल्लाह तआला तुम पर मौत की सख़्ती को आसान कर दें। इमाम कुर्तुबी रह. ने फ़रमाया कि यह दुआ उनके लिये सबसे बेहतर इनाम था।

4. इस वाक़िए से यह भी मालूम हुआ कि खुशख़बरी देने वाले को इनाम देना नबियों की सुन्नत है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में हज़रत क़अब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़िआ मशहूर है कि ग़ज़वां-ए-तबूक में शिक़त न करने पर जब उन पर नाराज़गी पड़ी और बाद में तौबा कुबूल की गई तो जो शख़्स तौबा कुबूल होने की खुशख़बरी लाया था आपने अपना जोड़ा कपड़ों का उतार कर उसको पहना दिया।

और इससे यह भी साबित हुआ कि खुशी के मौक़े पर खुशी के इज़हार के लिये दोस्तों

जंगल को खाने की शक्ति देना भी सुन्नत है। हज़रत फ़ारुक आज्ञा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उर-सूर: ब-करह पढ़कर ख़त्म की तो खुशी में एक ऊंट जिबह करके लोगों को खिलाया :

5. हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने वाक़िए की हकीकत ज़ाहिर हो जाने के बाद अपने वालिद और भाई से माफ़ी माँगी। इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स के हाथ या ज़बान से किसी शख्स को तकलीफ़ पहुँची या उसका कोई हक़ उसके जिम्मे रहा तो उक्त पर लाज़िम है कि फ़ौरन उस हक़ को अदा कर दे या उससे माफ़ करा ले।

बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अबू हरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स के जिम्मे दूसरे का कोई माली हक़ वाजिब हो या उसको कोई तकलीफ़ हाथ या ज़बान से पहुँचाई हो तो उसको चाहिये कि आज उसको अदा कर दे, या माफ़ी माँगकर उससे छुटकारा हासिल कर ले, इससे पहले कि क़ियामत का दिन आ जाये जहाँ किसी के पास कोई माल हक़ अदा करने के लिये न होगा, इसलिये उसके नेक आमाल मज़लूम को दे दिये जायेंगे, यह ख़ाली रह जायेगा, और अगर उसके आमाल भी नेक नहीं तो दूसरे के जो गुनाह हैं उसके सर पर डाल दिये जायेंगे। अल्लाह तआला हमें इससे अपनी पनाह में रखे।

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सब्र व शुक्र

इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने माँ-बाप के सामने कुछ अपनी आप बीती बयान करनी शुरू की। यहाँ एक मिनट ठहरकर ग़ौर कीजिये कि आज अगर किसी को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़े जितनी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर गुज़री और माँ-बाप से इतनी लम्बी जुदाई और मायूसी के बाद मिलने का इत्तिफ़ाक़ हो तो वह माँ-बाप के सामने अपनी आप बीती क्या बयान करेगा, कितना रोयेगा और रुलायेगा, और कितने दिन रात मुसीबतों की दास्तान सुनाने में ख़र्च करेगा, मगर यहाँ दोनों तरफ़ अल्लाह तआला के रसूल और पैग़म्बर हैं, उनका तर्ज़ अमल देखिये। याक़ूब अलैहिस्सलाम के बिछड़े हुए बेटे हज़ारों मुसीबतों के दौर से गुज़रने के बाद जब वालिद से मिलते हैं तो क्या फ़रमाते हैं:

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَرَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي.

“यानी अल्लाह तआला ने मुझ पर एहसान फ़रमाया जबकि मुझे कैदख़ाने से निकाल दिया, और आपको बाहर से यहाँ ले आया, इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाईयों के बीच फ़साद डलवा दिया था।”

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुसीबतें तरतीबवार तीन हिस्सों में तक़सीम होती हैं- अब्वल भाईयों का जुल्म व ज़्यादती, दूसरे माँ-बाप से लम्बी जुदाई, तीसरे कैदख़ाने की तकलीफ़ें। खुदा तआला के इस मक़बूल पैग़म्बर ने अपने बयान में पहले तो वाक़िआत की तरतीब को बदलकर कैद से बात शुरू की और इसमें कैदख़ाने में दाख़िल होने और वहाँ की तकलीफ़ों का नाम नहीं

लिया बल्कि कैदखाने से निकलने का जिक्र अल्लाह तआला के शुक्र के साथ बयान किया। कैदखाने से निजात और उस पर अल्लाह का शुक्र के ज़िम्न में यह भी बतला दिया कि मैं किसी वक़्त कैदखाने में भी रहा हूँ।

यहाँ यह बात भी काबिले गौर है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेलखाने से निकलने का जिक्र किया, भाईयों ने जिस कुएँ में डाला था उसका इस हैसियत से भी जिक्र नहीं किया कि अल्लाह तआला ने मुझे उस कुएँ से निकाला, वजह यह है कि भाईयों की ख़ता पहले पाफ़ कर चुके थे, और फ़रमा चुके थे 'आज तुम पर कोई मलामत नहीं' इसलिये मुनासिब न समझा कि अब उस कुएँ का किसी तरह से भी जिक्र आये, ताकि भाई शर्गिन्दा न हों। (तफ़सीरी क़ुर्तुबी)

उसके बाद माँ-बाप की लम्बी और सब्र का इन्तिहान लेने वाली जुदाई और उसके अनुभवों और पेश आने वाले हालात को जिक्र करना था तो इन सब बातों को छोड़कर उसके आखिरी अन्जाम और माँ-बाप से मुलाक़ात का जिक्र अल्लाह तआला के शुक्र के साथ किया कि आपकी देहात से मिस्र शहर में पहुँचा दिया। इसमें इस नेमत की तरफ़ भी इशारा है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम का वतन देहात में था, जहाँ रोज़गार की सहूलतें और आसानियाँ कम होती हैं अल्लाह तआला ने शहर में शाही सम्मान के साथ अन्दर पहुँचा दिया।

अब पहली बात रह गई 'भाईयों का जुल्म व ज्यादती' तो उसको भी शैतान के हवाले करके इस तरह बेयाफ़ कर दिया कि मेरे भाई तो ऐसे न थे जो यह काम करते, शैतान ने उनको धोखे में डालकर यह फ़साद करा दिया।

यह है नुबुव्वत की शान कि मुसीबतों और तकलीफों पर सिर्फ़ सब्र ही नहीं बल्कि हर जगह शुक्र का पहलू निकाल लेते हैं, इसी लिये उनका कोई हाल ऐसा नहीं होता जिसमें वे अल्लाह तआला के शुक्रगुज़ार न हों, बख़िलाफ़ आम इनसानों के कि उनका यह हाल होता है कि अल्लाह तआला की हज़ारों नेमतें बरसती रहें तो भी किसी का जिक्र न करें और किसी वक़्त कोई मुसीबत पड़ जाये तो उसको उग्र भर गाते रहें। कुरआन में इसी की शिकायत की गई है:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

"यानी इनसान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है।"

यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मुसीबतों की दास्तान को तीन लफ़्ज़ों में मुक़्तसर करने के बाद फ़रमाया:

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

"यानी मेरा परवर्दिगार जो चाहता है उसकी धारीक तदबीर कर देता है, विला शक़ यह बड़ा इल्म वाला हिक्मत धाला है।"

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

रखि कद् अतैतनी मिनल्मुल्कि व
अल्लमन्तनी मिन् तअवीलिल्-
अहादीसि फ़ातिरस्समावाति वल्अर्जि,
अन्-त वलिययी फिद्दुन्या
वल्आखिरति तवफ्फनी मुस्लिमंव्-व
अल्हिकनी बिस्सालिहीन (101)

ऐ रब! तूने दी मुझको कुछ हुकूमत और
सिखाया मुझको कुछ फेरना बातों का, ऐ
पैदा करने वाले आसमान और ज़मीन के
तू ही मेरा कारसाज़ है दुनिया में और
आखिरत में, मौत दे मुझको इस्लाम पर
और मिला मुझको नेकबख्तों में। (101)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(इसके बाद सब हंसी-खुशी रहते रहे यहाँ तक कि याक़ूब अलैहिस्सलाम की उम्र ख़त्म पर
पहुँची और वफ़ात के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक़ मुल्के शाम में लेजाकर अपने बुजुर्गों के
पास दफ़न किये गये। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी आखिरत का शौक बढ़ा और दुआ की
कि) ऐ मेरे परवर्दिगार! आपने मुझको (हर तरह की नेमतें दीं, ज़ाहिरी भी बातिनी भी, ज़ाहिरी
यह कि जैसे) सल्तनत का बड़ा हिस्सा दिया, और (बातिनी यह कि जैसे) मुझको ख़्वाबों की
ताबीर देना तालीम फ़रमाया (जो कि एक बड़ा इल्म है, खुसूसन जबकि वह यकीनी हो जो
मौक़ूफ़ है वही पर, पस उसका वजूद जुड़ा होगा नुबुव्वत के अता करने को) ऐ आसमान व
ज़मीन के पैदा करने वाले! आप मेरे कारसाज़ हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी (पस जिस
तरह दुनिया में मेरे सारे काम बना दिये कि सल्तनत दी, इल्म दिया, उसी तरह आखिरत के काम
भी बना दीजिये कि) मुझको फ़रमाँबरदारी की हालत में दुनिया से उठा लीजिये और ख़ास नेक
बन्दों में शामिल कर दीजिये (यानी मेरे बुजुर्गों में जो बड़े-बड़े नबी हुए हैं उनमें मुझको भी पहुँचा
दीजिये)।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में तो वालिदे बुजुर्गवार से ख़िताब था, उसके बाद जबकि माँ-बाप और
भाईयों की मुलाक़ात से एक अहम मक़सद हासिल होकर सुकून मिला तो डायरेक्ट हक़ तआला
की तारीफ़ व सना और दुआ में मशगूल हो गये। फ़रमाया:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْإِحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ. تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

“यानी ऐ मेरे परवर्दिगार! आपने ही मुझको सल्तनत का बड़ा हिस्सा दिया, और मुझको
ख़्वाबों की ताबीर देना तालीम फ़रमाया। ऐ आसमान व ज़मीन के ख़ालिक! आप ही दुनिया व
आखिरत में मेरे कारसाज़ हैं, मुझको पूरी फ़रमाँबरदारी की हालत में दुनिया से उठा लीजिये, और

मुझको कामिल नेक बन्दों में शामिल रखिये।" कामिल नेक बन्दे अम्बिया अलैहिस्सलाम हो सकते हैं जो हर गुनाह से मासूम (सुरक्षित) हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस दुआ में अच्छे ख़ात्मे की दुआ ख़ास तौर पर गौर करने के काबिल है कि अल्लाह तआला के मक़बूल बन्दों का रंग यह होता है कि कितने ही बुलन्द दर्जे दुनिया व आख़िरत के उनको नसीब हों और कितने ही रुतबे व पद उनके क़दमों में हों वे किसी वक़्त उन पर भग़र (इतराने वाले) नहीं होते, बल्कि हर वक़्त इसका ख़टका लगा रहता है कि कहीं वे हालात छिन न जायें या कम न हों जायें। इसकी दुआयें माँगते रहते हैं कि अल्लाह तआला की दी हुई जाहिरी और बातिनी नेमतें मौत तक बरकरार रहें, बल्कि उनमें इज़ाफ़ा होता रहे।

यहाँ तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अजीब व ग़रीब किस्सा और इसके ज़िम्न में आई हुई हिदायतों का सिलसिला जो कुरआने करीम में बयान हुआ है पूरा हो गया, इसके बाद का किस्सा कुरआने करीम या किसी मरफ़ूअ हदीस में मन्कूल नहीं, तफ़सीर के अक्सर उलेमा ने तारीख़ी या इस्त्राईली रिवायतों के हवाले से नक़ल किया है।

तफ़सीर इब्ने कसीर में हज़रत हसन रह. की रिवायत से नक़ल किया है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिस वक़्त भाईयों ने कुएँ में डाला था तो उनकी उम्र सत्रह साल की थी, फिर अस्सी साल वालिद से ग़ायब रहे और माँ-बाप की मुलाक़ात के बाद तेईस साल ज़िन्दा रहे, और एक सौ बीस साल की उम्र में वफ़ात पाई।

और मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने फ़रमाया कि अहले किताब की रिवायत में है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम की जुदाई का ज़माना चालीस साल का था, फिर याक़ूब अलैहिस्सलाम मिस्र में तशरीफ़ लाने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ सत्रह साल ज़िन्दा रहे, इसके बाद उनकी वफ़ात हो गई।

तफ़सीरे कुर्तुबी में इतिहासकारों के हवाले से मज़कूर है कि मिस्र में चौबीस साल रहने के बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, और वफ़ात से पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह वसीयत फ़रमाई थी कि मेरी लाश को मेरे वतन भेजकर मेरे वालिद इस्हाक़ अलैहिस्सलाम के पास दफ़न किया जाये।

सईद बिन जुबैर रह. ने फ़रमाया कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को साल की लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल-मुक़द़स की तरफ़ मुन्तक़िल किया गया, इसी वजह से आम यहूदियों में यह रस्म चल गई कि अपने मुर्दों को दूर-दूर से बैतुल-मुक़द़स में लेजाकर दफ़न करते हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की उम्र वफ़ात के वक़्त एक सौ सैंतालीस साल थी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि याक़ूब अलैहिस्सलाम मिस्र अपनी औलाद के जब मिस्र में दाख़िल हुए तो उनकी तादाद तिरानवे मर्द व औरत पर-मुश्तमिल थी, और जब याक़ूब की यह औलाद यानी बनी इस्त्राईल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो इनकी तादाद छह लाख सत्तर हज़ार थी। (तफ़सीरे कुर्तुबी व इब्ने कसीर)

यह पहले ज़िक्र हो चुका है कि पूर्व अज़ीजे मिस्र के इन्तिक़ाल के बाद मिस्र के बादशाह ने

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आँखें जुलैखा के साथ कस गी थीं।

जैरात और जहले किताब की तारीख़ में है कि उनसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दो लड़के इफ़राईम और मंशा और एक लड़की रहमत बिनते यूसुफ़ पैदा हुए। रहमत का निकाह हज़रत ज़क़्यूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, और इफ़राईम की औलाद में यूशा बिन नून पैदा हुए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इन्तिक़ाल एक सौ बीस साल की उम्र में हुआ और दरिया-ए-नील के किनारे पर दफ़न किये गये।

इब्ने इस्हाक़ ने हज़रत उरवा इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान किया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इस्राईल को साथ लेकर मिस्र से निकल जायें, तो वही के द्वारा अल्लाह तआला ने उनको हुक्म दे दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की लाश को मिस्र में न छोड़ें, उसको अपने साथ लेकर मुल्के शाम चले जायें, और उनके बाप दादा के पास दफ़न करें। इस हुक्म के मुताबिक़ मूसा अलैहिस्सलाम ने तलाश करके उनकी कब्र खोजी जो एक सगे मरमर के ताबूत में थी, उसको अपने साथ किनआन की ज़मीन फ़िलिस्तीन में ले गये और हज़रत इस्हाक़ और याक़ूब अलैहिस्सलाम के बराबर में दफ़न कर दिया। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद अमालिक़ कौम के फिरऔन मिस्र पर क़ाबिज़ हो गये और बनी इस्राईल उनकी हुकूमत में रहते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम रहे, मगर इनको विदेशी समझकर तरह-तरह की तकलीफ़ें दी जाने लगीं, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिये अल्लाह तआला ने इनको इस अज़ाब से निकाला। (तफ़सीरे मज़हरी)

हिदायतें व अहकाम

बयान हुई आयतों में एक मसला तो यह मालूम हुआ कि माँ-बाप का अदब व सम्मान वाजिब है जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़िए से साबित हुआ। दूसरा मसला यह मालूम हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शरीअत में अदब व सम्मान का सज़्दा जायज़ था, इसी लिये माँ-बाप और भाईयों ने सज़्दा किया, मगर शरीअते मुहम्मदिया में सज़्दे को ख़ास इबादत की निशानी क़रार देकर ग़ैरुल्लाह के लिये हराम क़रार दिया गया। क़ुरआन मजीद में फ़रमाया:

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

(कि सूरज को सज़्दा न करो और न चाँद को) और हदीस में है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुल्के शाम गये और वहाँ देखा कि ईसाई लोग अपने बुजुर्गों को सज़्दा करते हैं तो वापस आकर-रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने सज़्दा करने लगे, आपने मना फ़रमाया और फ़रमाया कि अगर मैं किसी को सज़्दा करना जायज़ समझता तो औरत को कहता कि अपने शौहर को सज़्दा किया करे। इसी तरह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सज़्दा करना चाहा तो आपने मना

फरमाया:

لَا تَسْجُدْ لِي يَا سَلْمَانَ وَاسْجُدْ لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

“यानी ऐ सलमान! मुझे सज्दा न करो, बल्कि सज्दा सिर्फ उस ज़ात को करो जो हमेशा ज़िन्दा व कायम रहने वाली है, जिसको कभी फना नहीं।” (इब्ने कसीर)

इससे मालूम हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये अदब व सम्मान का सज्दा जायज़ नहीं तो और किसी बुजुर्ग या पीर के लिये कैसे जायज़ हो सकता है।

هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ

से मालूम हुआ कि कई बार ख़्वाब की ताबीर लम्बे ज़माने के बाद ज़ाहिर होती है, जैसे इस वाकिए में चालीस या अस्सी साल के बाद ज़हूर हुआ। (इब्ने जरीर व इब्ने कसीर)

قَدْ أَحْسَنَ بِي

(और उसने मुझ पर इनाम फरमाया) से साबित हुआ कि जो शख्स किसी बीमारी व मुसीबत में मुब्तला हो फिर उससे निजात हो जाये तो पैग़म्बरों वाली सुन्नत यह है कि निजात पर शुक्र अदा करे और बीमारी व मुसीबत के ज़िक्र को भूल जायें।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ

से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला जिस काम का इरादा फरमाते हैं उसकी ऐसी लतीफ और छुपी तदबीरें और सामान कर देते हैं कि किसी को उसका वहम व गुमान भी नहीं हो सकता।

تَوَلَّيْتُ مُسْلِمًا

(मौत दे मुझको इस्लाम पर) में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ईमान व इस्लाम पर मौत की दुआ माँगी है। इससे मालूम हुआ कि ख़ास हालात में मौत की दुआ करना मना नहीं, और सही हदीसों में जो मौत की तमन्ना को मना फरमाया है उसका हासिल यह है कि दुनिया की तकलीफों से घबराकर बेसब्री से मौत माँगने लगे, यह दुरुस्त नहीं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी मुसीबत की वजह से मौत की तमन्ना न करे, अगर कहना ही है तो यूँ कहे कि या अल्लाह! मुझे जब तक मेरे लिये ज़िन्दगी बेहतर है उस वक्त तक ज़िन्दा रख और जब मौत बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे।

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ

وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۝ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَكَانَ مِنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ

عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ
عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا
رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمُ مِنَ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٤﴾

जालि-क मिन् अम्बाइल्गैबि नूहीहि
इलै-क व मा कुन्-त लदैहिम् इज़्
अज्मज़् अमरहुम् व हुम् यम्कुरुन
(102) व मा अक्सरुन्नासि व लौ
हरस्-त बिमुअ्मिनीन (103) व मा
तस्अलुहुम् अलैहि मिन् अज्जिन्,
इन् हु-व इल्ला जिक्रुल्-लिक्-
आलमीन (104) ❀

व क-अटियम्-मिन् आयतिन्
फिस्समावाति वल्अर्जि यमूर्स-न
अलैहा व हुम् अन्हा मुअ्रिज़्ज़ून
(105) व मा युअ्मिनु अक्सरुहुम्
बिल्लाहि इल्ला व हुम् मुशिरकून
(106) अ-फ-अमिनु अन् तअ्ति-यहुम्
माशि-यतुम् मिन् अज़ाबिल्लाहि औ
तअ्ति-यहुमुस्साअतु बग्त्-तव्-व हुम्
ला यश्अुरुन (107) कुल् हाजिही
सबीली अद्ज़् इलल्लाहि, अला
बसीरतिन् अ-न द मनित्त-ब-अनी, व

ये खबरें हैं ग़ैब की हम भेजते हैं तेरे
पास और तू नहीं था उनके पास जब वे
ठहराने लगे अपना काम और फ़रेब करने
लगे। (102) और अक्सर लोग नहीं हैं
यकीन करने वाले अगरचे तू कितना ही
चाहे। (103) और तू माँगता नहीं उनसे
इस पर कुछ बदला, यह तो और कुछ
नहीं मगर नसीहत है सारे आलम के
लिये। (104) ❀

और बहुत निशानियाँ हैं आसमान और
ज़मीन में जिन पर गुज़र होता रहता है
उनका और वे उन पर ध्यान नहीं करते।
(105) और नहीं ईमान लाते बहुत लोग
अल्लाह पर मगर साथ ही शरीक भी
करते हैं। (106) क्या निडर हो गये इससे
कि आ ढाँके उनको एक आफत अल्लाह
के अज़ाब की, या आ पहुँचे क़ियामत
अचानक और उनको ख़बर न हो। (107)
कह दे यह मेरी राह है, बुलाता हूँ अल्लाह
की तरफ़, समझ बूझकर मैं और जो मेरे

सुब्हानल्लाहि व मा अ-न मिनल्-
 मुशिरकीन (108) व मा अर्सल्ला
 मिन् क़ब्लि-क इल्ला रिजालन् नूही
 इलैहिम् मिन् अहलिल्फुरा, अ-फलम्
 यसीरु फ़िल्अर्जि फ़-यन्ज़ुरू कै-फ़
 का-न अकि-बतुल्लजी-न मिन्
 क़ब्लिहिम्, व लदारुल्-आख़िरति
 ख़ौरुल्-लिल्लजीनत्तकौ, अ-फ़ला
 तअक़िलून (109)

साथ है, और अल्लाह पाक है, और मैं
 नहीं शरीक बनाने वालों में। (108) और
 जितने भेजे हमने तुझसे पहले वे सब मर्द
 ही थे कि वही भेजते थे हम उनको
 बस्तियों के रहने वाले, सो क्या उन लोगों
 ने नहीं सैर की मुल्क की कि देख लेते
 कैसा हुआ अन्जाम उन लोगों का जो
 उनसे पहले थे, और आख़िरत का घर तो
 बेहतर है परहेज़ करने वालों को, क्या
 अब भी नहीं समझते? (109)

खुलासा-ए-तफ़सीर

यह किस्सा (जो ऊपर बयान किया गया आपके एतिबार से) ग़ैब की ख़बरों में से है
 (क्योंकि आपके पास कोई ज़ाहिरी ज़रिया और माध्यम इसके जानने का नहीं था सिर्फ़) हम (ही)
 वही के ज़रिये से आपको यह किस्सा बतलाते हैं, और (यह ज़ाहिर है कि) आप उन (यूसुफ़ के
 भाईयों) के पास उस वक़्त मौजूद न थे जबकि उन्होंने अपना इरादा (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को
 कुएँ में डालने का) पुख़्ता कर लिया था और वे (उसके मुताल्लिक) तदबीरें कर रहे थे (कि आप
 से यूँ कहें कि आप उनको ले जायें, इसी तरह और दूसरी बातें। और इस तरह यह मामला
 यकीनी है कि आपने किसी से यह किस्सा सुना सुनाया भी नहीं पस यह साफ़ दलील है नुबुव्वत
 की और वही वाला होने की)। और (बावजूद नुबुव्वत पर दलीलें कायम होने के) अक्सर लोग
 ईमान नहीं लाते चाहे आपका कैसा ही जी चाहता हो। और (उनके ईमान न लाने से आपका तो
 कोई नुक़सान ही नहीं, क्योंकि) आप उनसे इस (कुरआन) पर कुछ मुआवज़ा तो चाहते नहीं
 (जिसमें यह शुब्हा व गुमान हो कि अगर ये कुरआन को कुबूल न करेंगे तो आपका मुआवज़ा
 जाता रहेगा)। यह (कुरआन) तो तमाम जहान वालों के लिये सिर्फ़ एक नसीहत है (जो न मानेगा
 उसी का नुक़सान होगा)।

और (जैसे ये लोग नुबुव्वत के इनकारी हैं इसी तरह दलीलों के बावजूद तौहीद के भी
 इनकारी हैं चुनाँचे) बहुत-सी निशानियाँ हैं (कि तौहीद पर दलालत करने वाली) आसमानों में
 (जैसा कि सितारे वगैरह) और ज़मीन में (जैसे तत्व और मख़्लूक़ात) जिन पर उनका गुज़र होता
 रहता है (यानी उनको देखते रहते हैं), और वे उनकी तरफ़ (ज़रा) तवज्जोह नहीं करते (यानी
 उनसे दलील हासिल नहीं करते)। और अक्सर लोग जो खुदा को मानते भी हैं तो इस तरह कि

शिरक भी करते जाते हैं (पस बिना तौहीद खुदा का मानना न मानने के जैसा है, पस ये लोग अल्लाह के साथ भी कुफ़र करते हैं और नुबुव्वत के साथ भी कुफ़र करते हैं)। सो क्या (अल्लाह व रसूल के इनकारी होकर) फिर भी इस बात से मुल्मईन हुए बैठे हैं कि उन पर खुदा के अज़ाब की कोई ऐसी आफ़त आ पड़े जो उनको घेर ले या उन पर अचानक क़ियामत आ जाये और उनको (पहले से) ख़बर भी न हो (मतलब यह है कि कुफ़र का नतीजा सज़ा व अज़ाब है चाहे दुनिया में नाज़िल हो जाये या क़ियामत के दिन वाक़े हो, उनको डरना और कुफ़र को छोड़ देना चाहिये)।

आप फ़रमा दीजिये कि मैं खुदा की तरफ़ इस अन्दाज़ से बुलाता हूँ कि मैं (तौहीद की और अपने अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाला होने की) दलील पर कायम हूँ, मैं भी और मेरे साथ वाले भी (यानी मेरे पास भी दलील है तौहीद व रिसालत की और मेरे साथ वाले भी दलील से संतुष्ट होकर मुझ पर ईमान लाये हैं, मैं बिना दलील की बात की तरफ़ किसी को नहीं बुलाता, दलील सुनो और समझो। पस रास्ते का हासिल यह हुआ कि खुदा एक है और मैं उसकी तरफ़ दावत देने वाला हूँ), और अल्लाह (शिरक से) पाक है और मैं (इस तरीक़े को कुबूल करता हूँ और) मुश्रिकों में से नहीं हूँ।

और (ये जो नुबुव्वत पर शक करते हैं कि नबी फ़रिश्ता होना चाहिये यह बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि) हमने आप से पहले अनेक बस्ती वालों में से जितने (रसूल) भेजे सब आदमी ही थे जिनके पास हम वही भेजते थे (कोई भी फ़रिश्ता न था, जिन्होंने उनको न माना और ऐसे ही बेकार के शुक़्ात करते रहे उनको सज़ायें दी गईं, इसी तरह इनको भी सज़ा होगी चाहे दुनिया में चाहे आख़िरत में। और ये लोग जो बेफ़िक़र हैं) तो क्या ये लोग मुल्क में (कहीं) चले-फिरे नहीं कि (अपनी आँखों से) देख लेते कि उन लोगों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ जो इनसे पहले (काफ़िर) हो गुज़रे हैं, और (याद रखो कि जिस दुनिया की भुहब्वत में मदहोश होकर तुमने कुफ़र इख़्तियार किया है यह दुनिया फ़ानी और बेहकीक़त है) अलबत्ता आख़िरत की दुनिया उन लोगों के लिये बहुत ही बेहतरी व कामयाबी की चीज़ है जो (शिरक वग़ैरह से) एहतियात रखते हैं (और तौहीद व इताअत इख़्तियार करते हैं) सो क्या तुम इतना भी नहीं समझते (कि फ़ानी और बेहकीक़त चीज़ अच्छी है या बाकी और हमेशा रहने वाली)।

मआरिफ़ व मसाईल

इन आयतों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरा बयान फ़रमाने के बाद पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब है:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

“यानी यह किस्सा ग़ैब की उन ख़बरों में से है जो हमने वही के ज़रिये आपको बताया है।”
आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाईयों के पास मौजूद न थे, जबकि वे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को

कुएँ में डालना तय कर चुके थे और उनके लिये तदवीरें कर रहे थे।

इस इजहार का मक़सद यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस किस्से को पूरी तफ़्सील के साथ सही-सही बयान कर देना आपकी नुबुव्वत और वही (अल्लाह की तरफ़ से आप पर उसका पैग़ाम व हिदायत उतरने) की स्पष्ट दलील है, क्योंकि यह किस्सा आपके ज़माने से हजारों साल पहले का है, न आप वहाँ मौजूद थे कि देखकर बयान फ़रमा दिया हो और न आपने कहीं किसी से तालीम हासिल की कि इतिहास की किताबें देखकर या किसी से सुनकर बयान फ़रमा दिया हो, इसलिये सिवाय अल्लाह की वही होने के और कोई रास्ता इसके इल्म का नहीं।

कुरआने करीम ने इस जगह सिर्फ़ इतनी बात पर बस फ़रमाया है कि आप वहाँ मौजूद न थे, किसी दूसरे शख्स या किताब से इसका इल्म हासिल न होने का ज़िक्र इसलिये ज़रूरी नहीं समझा कि पूरा अरब जानता था कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मी (बिना पढ़े-लिखे) हैं, आपने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। और यह भी सब को मालूम था कि आपकी पूरी उम्र मक्का में गुज़री है, मुल्के शाम का एक सफ़र तो अपने चचा अबू तालिब के साथ किया था, जिसमें रास्ते ही से वापस तशरीफ़ ले आये, दूसरा सफ़र तिजारत के लिये किया चन्द दिनों में काम करके वापस तशरीफ़ ले आये, उस सफ़र में भी किसी आलिम से मुलाकात या किसी इल्मी संस्था से ताल्लुक का कोई गुमान नहीं था, इसलिये इस जगह इसके ज़िक्र करने की ज़रूरत न समझी गई और कुरआने करीम में दूसरी जगह इसका भी ज़िक्र फ़रमा दिया है:

مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا.

“यानी कुरआन नाज़िल होने से पहले इन वाकिआत को न आप जानते थे और न आपकी कौम।”

इमाम बग़वी रह. ने फ़रमाया कि यहूद और कुरैश ने मिलकर आजमाईश और इम्तिहान के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह सवाल किया था कि अगर आप अपने नुबुव्वत के दावे में सच्चे हैं तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाकिआ बतलाईये कि क्या और किस तरह हुआ? जब आपने वही की मदद से यह सब बतला दिया और वे फिर भी अपने कुफ़्र व इनकार पर जमे रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सदमा पहुँचा, इस पर अगली आयत में फ़रमाया गया कि आपकी नुबुव्वत व रिसालत की निशानियाँ स्पष्ट होने के बावजूद बहुत-से लोग ईमान लाने वाले नहीं, आप कितनी ही कोशिश करें। मतलब यह है कि आपका काम तब्तीग़ और इस्लाम की कोशिश है, उसका कामयाब बनाना न आपके इख्तियार में है न आपके जिम्मे है, न आपको इसका कोई रंज होना चाहिये। इसके बाद फ़रमाया:

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

यानी आप जो कुछ इनको तब्तीग़ करने और सही रास्ते पर लाने के लिये कोशिश करते हैं उस पर इन लोगों से कुछ मुआवज़ा तो नहीं माँगते, जिसकी वजह से इनको उसके सुनने या मानने में कोई दुश्चारी हो, बल्कि आपका काम तो ख़ालिस हम्ददी, नसीहत और उनकी भलाई

है, तमाम जहान वालों के लिये इसमें इस तरफ़ भी इशारा पाया जाता है कि जब इस कोशिश से आपका मक़सद कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं, बल्कि आख़िरत के सवाब और क़ौम की ख़ैरख़्वाही (हमदर्दी) है तो वह मक़सद आपका हासिल हो चुका फिर आप क्यों ग़मगीन होते हैं।

وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝

“यानी ये लोग सिर्फ़ यही नहीं कि किसी नसीहत करने वाले की नसीहत ज़िद और हठधर्मी से नहीं सुनते, बल्कि इनका तो हाल यह है कि अल्लाह तआला की क़ामिल क़ुदरत की जो खुली खुली निशानियाँ आसमान व ज़मीन में हर वक़्त सामने रहती हैं उन पर भी ये ग़फलत व हठधर्मी से गुज़रे चले जाते हैं, ज़रा भी ध्यान नहीं देते कि यह किसकी क़ुदरत व बड़ाई की निशानियाँ हैं, आसमान व ज़मीन में हक़ तआला शानुहू की खुदाई और हिक्मत व क़ुदरत की निशानियाँ बेशुमार हैं उनमें से यह भी है कि पिछली क़ौमों पर जो अज़ाब आये और उनकी उल्टी हुई या बरबाद की हुई बस्तियाँ इनकी नज़रों से गुज़रती हैं मगर उनसे भी कोई नसीहत नहीं पकड़ते।

यह बयान तो ऐसे लोगों का था जो खुदा तआला के वजूद और उसकी हिक्मत व क़ुदरत ही के कायल नहीं थे, आगे उनका बयान है जो अल्लाह तआला के वजूद के तो कायल हैं मगर उसकी खुदाई में दूसरी चीज़ों को शरीक करार देते हैं। फ़रमाया:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝

“यानी उनमें जो लोग अल्लाह तआला पर इमّान लाते हैं तो वे भी शिर्क के साथ, यानी अल्लाह तआला के इल्म व क़ुदरत वग़ैरह सिफ़तों में दूसरों को शरीक ठहराते हैं जो सरासर जुल्म और जहालत है।

अल्लामा इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि इस आयत के मफ़हूम में वे मुसलमान भी दाख़िल हैं जो इमّान के बावजूद विभिन्न किस्म के शिर्क में मुत्तला हैं। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे तुम पर जिस चीज़ का ख़तरा है उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक छोटा शिर्क है। सहाबा के पूछने पर फ़रमाया कि रिया (दिखावा) छोटा शिर्क है। इसी तरह एक हदीस में ग़ैरुल्लाह (अल्लाह के अलावा किसी) की क़सम खाने को शिर्क फ़रमाया है। (इब्ने कसीर-तिर्मिज़ी के हवाले से)

अल्लाह तआला के सिवा किसी दूसरे के नाम की मन्नत और नियाज़ मानना भी तमाम फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) के नज़दीक इसमें दाख़िल है।

इसके बाद उनकी ग़फलत व जहालत पर अफ़सोस और ताज्जुब का इज़हार है कि ये लोग अपने इन्कार व सरकशी के बावजूद इस बात से कैसे बेफ़िक़्र हो गये कि इन पर अल्लाह तआला की तरफ़ से अज़ाब कोई हादसा आ पड़े, या अचानक उन पर क़ियामत आ जाये और वे उसके लिये तैयार न हों।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

“यानी आप उन लोगों से कह दें कि (तुम मानो या न मानो) मेरा तो यही तरीका और मस्तक है कि लोगों को समझ और यकीन-के साथ अल्लाह की तरफ़ दावत देता रहूँ, मैं भी और वे लोग भी जो मेरी पैरवी करने वाले हैं।”

मतलब यह है कि मेरी यह दावत किसी सरसरी नज़र पर आधारित नहीं बल्कि पूरी बसीरत (दिली तसल्ली, इत्मीनान) और अक्ल व हिक्मत का नतीजा है। इस दावत व दीनी समझ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने मानने वालों और पैरोकारों को भी शामिल फ़रमाया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इससे मुराद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुग हैं जो रिसालत के उलूय के ख़जाने और अल्लाह तआला के सिपाही हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा इस तमाम उम्मत के बेहतरीन अफ़राद हैं जिनके दिल पाक और इल्म गहरा है, तकल्लुफ़ का उनमें नाम नहीं, अल्लाह तआला ने उनको अपने रसूल की सोहबत व ख़िदमत के लिये चुन लिया है, तुम उन्हीं के अख़्लाक, आदतों और तरीकों को सीखो, क्योंकि वही सीधे रास्ते पर हैं।

और यह भी मायने हो सकते हैं कि ‘गनित्त-ब-अनी’ (जो मेरी पैरवी करे) आप हो हर उस शख्स के लिये जो क़ियामत तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत को उम्मत तक पहुँचाने की ख़िदमत में यशगूल हो। इमाम कलबी और इब्ने ज़ैद ने फ़रमाया कि इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी का दावा करे उस पर लाज़िम है कि आपकी दावत को लोगों में फैलाये और कुरआन की तालीम को आभ करे। (तफ़सीरे भज़हरी)

وَسَخَّرَ اللَّهُ وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

“यानी शिर्क से पाक है अल्लाह, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं।” ऊपर चूँकि यह ज़िक्र आया था कि अक्सर लोग जब अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं तो उसके साथ खुला या छुपा शिर्क मिला देते हैं इसलिये पूर्ण रूप से शिर्क से अपनी बराअत का ऐलान फ़रमाया। खुलासा यह है कि मेरी दावत का यह मतलब नहीं कि मैं लोगों को अपना बन्दा बनाऊँ बल्कि मैं खुद भी अल्लाह का बन्दा हूँ और लोगों को भी उसी की बन्दगी की तरफ़ दावत देता हूँ, अलबत्ता दाअी (अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाला) होने की हैसियत से मुझ पर ईमान लाना फ़र्ज़ है।

इस पर जो मक्का के मुश्रिक यह शुब्हा पेश किया करते थे कि अल्लाह तआला का रसूल और कासिद तो इनसान नहीं बल्कि फ़रिश्ता होना चाहिये, इसका जवाब अगली आयत में इस तरह इरशाद फ़रमाया:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُرِجِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ.

यानी उनका यह ख़्याल बेबुनियाद और बेहूदा है कि अल्लाह का रसूल और पैग़म्बर फ़रिश्ता

होना चाहिये, इनसान नहीं हं राकना, बल्कि मानला उल्दा है कि इनसानों के लिये अल्लाह का रसूल हमेशा इनसान ही होता चला आया है, अलबत्ता आम इनसानों से उसको यह विशेषता हासिल होती है कि उसकी तरफ़ डायरेक्ट हक़ तअ़ाला की वही और पैग़ाम आता है और वह किसी की कोशिश व अमल का नतीजा नहीं होता, अल्लाह तअ़ाला खुद ही अपने बन्दों में से जिसको मुनासिब समझते हैं इस काम के लिये चुन लेते हैं, और यह चयन कमाल की ऐसी खास त्तिफ़ात की बिना पर होता है जो आम इनसानों में नहीं होतीं।

आगे उन लोगों को तंबीह है जो अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाले और रसूल की हिदायतों की खिलाफ़वर्ज़ी करके अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हैं, फ़रमाया:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“यानी क्या ये लोग ज़मीन में चलते फिरते नहीं कि इनको पिछली कौमों के हातात का इल्म हो कि रसूलों के इनकार ने उनको कैसे बुरे अन्जाम में मुब्तला किया, मगर ये लोग दुनिया की ज़ाहिरी ज़ीनत व राहत में मस्त होकर आख़िरत को भुला बैठे हैं हालाँकि परहेज़गारों के लिये आख़िरत इस दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्या उन लोगों को इतनी भी अक़ल नहीं कि दुनिया की चन्द दिन की राहत को आख़िरत की हमेशा वाली और मुकम्मल नेमतों और राहतों पर तरजीह (वरीयता) देते हैं।

अहकाम व हिदायते

ग़ैब की ख़बर देने और ग़ैब के इल्म में फ़र्क

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ.

“यह सब कुछ ग़ैब की ख़बरों में से है जो हम आपको वही के ज़रिये बतलाते हैं।”

यही मज़मून तकरीबन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ सूर: आले इमरान आयत 44 में हज़रत मरियम के किस्से में आया है:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ.

और सूर: हूद आयत नम्बर 49 में नूह अलैहिस्सलाम के वाकिए के बारे में आया है:

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ.

इन आयतों से एक तो यह बात मालूम हुई कि हक़ तअ़ाला अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को बहुत-सी ग़ैब की ख़बरों पर वही के ज़रिये बाख़बर कर देते हैं, खुसूसन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उन ग़ैब की ख़बरों का खास हिस्सा अता फ़रमाया है जो तमाम पिछले नबियों से ज़्यादा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उम्मत को कियामत तक होने वाले बहुत-से वाक़िअत का विस्तार से या संक्षिप्त रूप से पता दिया है, हदीस की किताबों में ‘किताबुल-फ़ितन’ की तमाम हदीसों इससे भरी हुई हैं।

आम लोग चूँकि इल्म-गैब सिर्फ़ इसी को जानते हैं कि कोई शख्स गैब को ख़बरों में किसी तरह बाकिफ़ हो जाये, और यह बसफ़-रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में मुकम्मल हैसियत से मौजूद है, इसलिये ख्याल करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आलिमुल-गैब (गैब के जानने वाले) थे, मगर कुरआने करीम ने साफ़ लफ़्जों में ऐतान फ़रमा दिया है कि:

لَا يَعْزُبُ عَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ

जिससे मालूम होता है कि आलिमुल-गैब सिवाय खुदा तआला के और कोई नहीं हो सकता, इल्मे-गैब अल्लाह जल्ल शानुहु की खास सिफ़त है, उसमें किसी रसूल या फ़रिश्ते को शरीक समझना उनको अल्लाह के बराबर बनाने के जैसा और ईसाइयों का अमल है जो रसूल को खुदा का बेटा और खुदाई का शरीक करार देते हैं। कुरआने करीम की उक्त आयतों से मामले की पूरी हकीकत खुलकर सामने आ गई कि इल्मे-गैब तो सिर्फ़ अल्लाह तआला की खास सिफ़त है और आलिमुल-गैब सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहु ही हैं, अलबत्ता गैब की बहुत-सी ख़बरें अल्लाह तआला अपने रसूलों को वही के ज़रिये से बतला देते हैं। यह कुरआने करीम की इस्तिलाह (परिभाषा) में इल्मे गैब नहीं कहलाता, और अय्याम चूँकि इस बारीक फ़र्क को नहीं समझते तो गैब की ख़बरों ही को इल्मे गैब कह देते हैं, और जब कुरआनी इस्तिलाह के मुताबिक़ गैरुल्लाह से इल्मे-गैब की नफ़ी का जिक्र किया जाता है तो उससे इख़िलाफ़ (मतभेद और विवाद) करने लगते हैं जिसकी हकीकत इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि यह अलफ़ाज़ का फेर है जब हकीकत में ग़ौर करेंगे तो मालूम होगा कि इख़िलाफ़ व विवाद की तो कोई बात ही नहीं।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

इस आयत में अल्लाह तआला के रसूलों के बारे में लफ़ज़ 'रिजालन' से मालूम हुआ कि रसूल हमेशा मर्द ही होते हैं औरत नबी या रसूल नहीं हो सकती।

इमाम इब्ने कसीर ने उलेमा की अक्सरियत का यही कौल नक़ल किया है कि अल्लाह तआला ने किसी औरत को नबी या रसूल नहीं बनाया। कुछ उलेमा ने चन्द औरतों के बारे में नबी होने का इफ़रार किया है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, क्योंकि इन तीनों औरतों के बारे में कुरआने करीम में ऐसे अलफ़ाज़ मौजूद हैं जिनसे समझा जाता है कि अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने इनसे कलाम किया और खुशख़बरी सुनाई या खुद इनको अल्लाह की वही से कोई बात मालूम हुई, मगर उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक इन आयतों से इन तीनों औरतों की बुजुर्गी और अल्लाह तआला के नज़दीक इनका बड़ा दर्जा होना तो साबित होता है, मगर वे फ़रमाते हैं कि सिर्फ़ ये अलफ़ाज़ इनकी नुबुव्वत व रिसालत के सबूत के लिये काफी नहीं।

और इसी आयत में लफ़ज़ 'अहलिल्ल-कुरा' से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला अपने रसूल

उम्मान शहरों और कसबों के रहने वालों में से भजते हैं, देहात और जंगल के वाशिनदों में से
 रसूल नहीं होते। क्योंकि देहात और जंगल के वाशिनदे आम तौर पर सख्त मिजाज वाले होते हैं
 और अक़ल व समझ में कामिल (पूरे) नहीं होते। (इब्ने कसीर, कुतुबी वगैरह)

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ۖ فَنُجِّيَ
 مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ
 مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرُ ۖ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَ
 رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

हत्ता इजस्तै-असर-रुसुलु व जन्नू
 अन्नहुम् कद् कुजिबू जा-अहुम्
 नस्कना फनुज्जि-य मन् नशा-उ, व
 ला युरददु बअसुना अनिल् कौमिल्-
 मुज्जिमीन (110) ल-कद् का-न फी
 क-ससिहिम् अिब्तुल्-लिउलिल्-
 अल्बाबि, मा का-न हदीसंय्युफतरा
 व लाकिन् तस्दीकल्लजी बै-न यदैहि
 व तफ्सी-ल कुल्लि शैइव्-व हुदव्-व
 रस्मतल् लिक्ौमिय्युअ्मिनून (111) ❀

यहाँ तक कि जब नाउम्मीद होने लगे
 रसूल और खयाल करने लगे कि उनसे
 झूठ कहा गया था, पहुँची उनको हमारी
 मदद, फिर बचा दिया जिनको हमने चाहा
 और फिरता नहीं हमारा अज़ाब गुनाहगार
 कौम से। (110) अलबत्ता उनके अहवाल
 से अपना हाल कियास करना है अक़ल
 वालों को, कुछ बनाई हुई बात नहीं
 लेकिन मुवाफ़िक है उस कलाम के जो
 इससे पहले है, और बयान हर चीज़ का
 और हिदायत और रहमत उन लोगों के
 लिये जो ईमान लाते हैं। (111) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

(अगर तुमको काफ़िरों पर अज़ाब आने में देरी से शुब्हा इसका हो कि उन पर अज़ाब ही न
 आयेगा तो तुम्हारी ग़लती है, इसलिये कि पिछली उम्मतों के काफ़िरों को भी बड़ी-बड़ी मोहलतें
 दी गई थीं) यहाँ तक कि (मोहलत की मुद्दत लम्बी होने की वजह से) जब पैग़म्बर (इस बात से)
 मायूस हो गये (कि हमने अल्लाह की तरफ़ से काफ़िरों पर अज़ाब आने के वायदे का जो वक़्त
 अपने कियास और अन्दाजे से मुक़रर कर लिया था कि "उस वक़्त में काफ़िरों पर अज़ाब आकर
 हमारा ग़लबा और हक़ पर होना वाजेह हो जायेगा) और उन (पैग़म्बरों) को ग़ालिब गुमान हो
 गया कि (अल्लाह के वायदे का वक़्त मुक़रर करने में) हमारी समझ ने ग़लती की (कि बिना
 स्पष्ट हुक्म के सिर्फ़ हालात व अन्दाजों या अल्लाह की मदद के जल्द आने की इच्छा से करीब

का वक्ष मुतैयन कर लिया हालाँकि वायदा आम था जिसमें कोई कैंद व शर्त नहीं है, गेसी मायूसी की हालत में) उनको हमारी मदद पहुँची (वह मदद यह कि काफ़िरों पर अज़ाब आया), फिर (उस अज़ाब से) हमने जिसको चाहा वह बचा लिया गया (मुराद इससे मोमिन लोग हैं), और (उस अज़ाब में काफ़िर हलाक किये गये, क्योंकि) हमारा अज़ाब मुजरिम लोगों से नहीं हटता (बल्कि उन पर ज़रूर पड़कर रहता है चाहे देर से ही सही। पस ये मक्का के काफ़िर भी इस धोखे में न रहें)। इन (नबियों और पहली उम्मतों) के किस्से में समझदार लोगों के लिये (बड़ी) इबत है (जो इससे इबत हासिल करते हैं कि इताअत का यह अन्जाम है और नाफरमानी का यह अन्जाम है)। यह कुरआन (जिसमें किस्से हैं) कोई गढ़ी हुई बात तो है नहीं (कि इससे इबत और नसीहत न होती) बल्कि इससे पहले जो आसमानी किताबें (नाज़िल) हो चुकी हैं यह उनकी तस्दीक करने वाला है और हर (ज़रूरी) बात का खुलासा करने वाला है, और ईमान वालों के लिये हिदायत व रहमत का ज़रिया है (पस ऐसी किताब में जो इबत व सबक लेने वाले मज़ामीन होंगे उनसे तो इबत हासिल करनी लाज़िम ही है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के भेजने और हक़ की दावत देने का ज़िक्र और नबियों के मुताल्लिक़ कुछ शुब्हात का जवाब दिया गया था। इन ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में से पहली आयत में इस पर तंबीह है कि ये लोग अम्बिया की मुखालफ़त के बुरे अन्जाम पर नज़र नहीं करते, अगर ये ज़रा भी गौर करें और अपने आस-पास के शहरों और स्थानों की तारीख़ पर नज़र डालें तो इन्हें मालूम हो जायेगा कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मुखालफ़त करने वालों का बुरा अन्जाम इस दुनिया में भी किस क़द्र सख़्त हुआ है। कौमे लूत की बस्ती उलट दी गई, कौमे आद व समूद को तरह-तरह के अज़ाबों से नेस्त व नाबूद कर दिया गया, और आख़िरत का अज़ाब इससे ज़्यादा सख़्त है।

दूसरी आयत में हिदायत की गई कि दुनिया की तकलीफ़ व राहत तो बहरहाल चन्द दिन की है असल फ़िक्र आख़िरत की होनी चाहिये, जहाँ का रहना हमेशा के लिये और रंज या राहत भी हमेशा वाली है, और फ़रमा दिया कि आख़िरत की दुरुस्ती (सही होना) तक़वे पर मौक़ूफ़ है जिसके मायने शरीअत के तमाम अहक़ाम की पाबन्दी करने के हैं।

इस आयत में पिछले रसूलों और उनकी उम्मतों के हालात से मौजूदा लोगों को वेताना था इसलिये अगली आयत में उनके एक शुब्हे को दूर किया गया, वह यह कि अक्सर लोग रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अल्लाह के अज़ाब से डराने का ज़िक्र अरसे से सुन रहे थे और कोई अज़ाब आता नज़र नहीं आता था, इससे उनकी हिम्मतें बढ़ रही थीं कि कोई अज़ाब आना होता तो अब तक आ चुका होता, इसलिये फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी रहमत और कामिल हिक्मत से कई बार मुजरिमों को मोहलत देते रहते हैं, और यह मोहलत कई बार बड़ी लम्बी भी हो जाती है, जिसकी वजह से नाफ़रमानों की जुरत बढ़ जाती है और पैग़म्बरों

को एक दर्जे में परेशानी पेश आती है। इरशाद फ़रमाया:

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يَرُدُّ بَأْسًا عَنِ الْقَوْمِ

المُجْرِمِينَ ۝

“यानी पिछली उम्मतों के नाफ़रमानों को बड़ी-बड़ी मोहलतें दी गईं, यहाँ तक कि लम्बी मुद्दत तक उन पर अज़ाब न आने से पैग़म्बर यह ख़्याल करके मायूस हो गये कि अल्लाह तआला के मुख़्तसर और संक्षिप्त अज़ाब के वादे का जो वक़्त हमने अपने अन्दाज़े से अपने ज़ेहनों में मुक़रर कर रखा था उस वक़्त में काफ़िरों पर अज़ाब न आयेगा और हक़ का ग़लबा ज़ाहिर न होगा, और उन पैग़म्बरों को ग़ालिब गुमान हो गया कि अल्लाह के वादे का अपने अन्दाज़ से वक़्त मुक़रर करने में हमारी समझ ने ग़लती की है कि अल्लाह तआला ने तो कोई निर्धारित वक़्त बतलाया नहीं था, हमने कुछ ख़ास कारणों, हालात और इशारों से एक मुद्दत मुतैयन कर ली थी, इसी मायूसी की हालत में उनको हमारी मदद पहुँची, वह यह कि वायदे के मुताबिक़ काफ़िरों पर अज़ाब आया। फिर उस अज़ाब से हमने जिसको चाहा उसको बचा लिया गया। मुराद इससे यह है कि नबियों के मानने वाले मोमिनों को बचा लिया गया और काफ़िरों को हलाक किया गया, क्योंकि हमारा अज़ाब मुजरिम लोगों से नहीं हटता, बल्कि ज़रूर आकर रहता है इसलिये मक्का के काफ़िर लोगों को चाहिये कि अज़ाब में देर होने से धोखे में न रहें।

इस आयत में लफ़्ज़ ‘कुज़िबू’ मशहूर क़िराअत के मुताबिक़ पढ़ा गया है और इसकी जो तफ़सीर हमने इख़्तियार की है वह सबसे ज़्यादा मानी हुई और बेगुबार है कि लफ़्ज़ कुज़िबू का हासिल अपने अन्दाज़े और ख़्याल का ग़लत होना है जो एक किस्म की वैचारिक ग़लती है और अम्बिया अलैहिस्सलाम से कोई ऐसी इज्तिहादी (वैचारिक) ग़लती हो सकती है, अलबत्ता अम्बिया और दूसरे मुज्ताहिदीन (दीनी मामलात में ग़ौर व फ़िक्र करने वालों) में यह फ़र्क़ है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से जब कोई इज्तिहादी ग़लती (वैचारिक चूक) हो जाती है तो अल्लाह तआला उनको उस ग़लती पर कायम नहीं रहते देते, बल्कि उनको बाख़बर करके हकीकत खोल देते हैं, दूसरे मुज्ताहिदीन का यह मक़ाम नहीं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सुलह हुदैबिया का वाक़िआ इस मज़मून के लिये काफ़ी सुबूत है, क्योंकि कुरआने करीम में बयान हुआ है कि इस वाक़िआ की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वह ख़्वाब है जो आपने देखा कि आप सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ख़्वाब भी वही के हुक्म में होता है इसलिये इस वाक़िआ का होना यकीनी हो गया, मगर ख़्वाब में उसका कोई ख़ास वक़्त और मुद्दत नहीं बतलाई गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने अन्दाज़े से यह ख़्याल फ़रमाया कि इसी साल ऐसा होगा, इसलिये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में यह ऐलान करके उनकी अच्छी-खासी तादाद को साथ लेकर उमरे के लिये मक्का मुअज़्ज़मा को ख़ाना हो गये, मगर मक्का के कुरैश ने रुकावट डाली और उस वक़्त तवाफ़ व उमरे की नौबत न आई बल्कि उसका मुक़म्मल ज़हूर दो साल

वाक्य तन् 8 हिजरी में मक्का फतह होने की सूरात से हुआ। और इस वाकिए से मालूम हो गया कि जो ख़ाव आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देखा था वह हक़ और यकीनी था, मगर उसका वक़्त जो हालात व इशारात या अन्दाजे से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुकर्रर फ़रमा लिया था उसमें ग़लती हुई, मगर उस ग़लती को दूर उसी वक़्त कर दिया गया।

इसी तरह उक्त आयत में 'क़द् कुज़िबू' का भी यही मतलब है कि काफ़िरों पर अज़ाब आने में देर हुई, और जो वक़्त अन्दाजे से अम्बिया ने अपने ज़ेहन में मुकर्रर किया था उस वक़्त अज़ाब न आया तो उनको यह गुमान हुआ कि हमने वक़्त तय करने में ग़लती की है। यह तफ़सीर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल की गयी है और अल्लामा तख़्वीबी ने कहा कि यह रिवायत सही है क्योंकि सही बुख़ारी में ज़िक्र की गई है। (मज़हरी)

और कुछ क़िराअतों में यह लफ़ज़ ज़ाल की तशदीद के साथ 'क़द् कुज़िबू' भी आया है जो तकज़ीब से निकला है। इस सूरात में मायने यह होगा कि नबियों ने जो अन्दाजे से अज़ाब का वक़्त मुकर्रर कर दिया था उस वक़्त पर अज़ाब न आने से उनको यह ख़तरा हो गया कि अब जो मुसलमान हैं वे भी हमको झुठलाने न लगे कि जो कुछ हमने कहा था वह पूरा नहीं हुआ, ऐसी हालत में अल्लाह तआला ने अपना वादा पूरा कर दिखाया, इनकारियों पर अज़ाब आ पड़ा और मोमिनों को उससे निजात मिली। इस तरह उनका ग़लबा ज़ाहिर हो गया।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

“यानी इन हज़रात के किस्सों में अक़ल वालों के लिये बड़ी इब्रत है।”

इससे मुराद तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से जो कुरआन में बयान हुए हैं वो भी हो सकते हैं और ख़ास हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो इस सूरात में बयान हुआ है वह भी, क्योंकि इस वाकिए में यह बात पूरी तरह खुलकर सामने आ गई कि अल्लाह तआला के फ़रमाँबरदार बन्दों की किस-किस तरह से ताईद व मदद होती है कि कुएँ से निकालकर बादशाहत की कुर्सी पर और बदनामी से निकाल कर नेकनामी की इन्तिहा (बुलन्दी) पर पहुँचा दिये जाते हैं, और मक़ व फ़रेब करने वालों का अन्जाम ज़िल्लत व रुस्वाई होता है।

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

“यानी नहीं है यह किस्सा कोई गढ़ी हुई बात, बल्कि तस्दीक (पुष्टि) है उन किताबों की जो इससे पहले नाज़िल हो चुकी हैं।” क्योंकि तौरात व इन्जील में भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का यह किस्सा बयान हुआ है, और हज़रत वहब बिन मुनब्बेह फ़रमाते हैं कि जितनी आसमानी किताबें और सहीफ़े नाज़िल हुए हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से से कोई ख़ाली नहीं। (तफ़सीर मज़हरी)

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“यानी यह कुरआन तफ़सील (खुलासा और स्पष्ट बयान) है हर चीज़ की। मुराद यह है कि कुरआने करीम में हर उस चीज़ की तफ़सील मौजूद है जिसकी दीन में इनसान को ज़रूरत है इबादतें, मामलात, अख़लाक़, सामाजिक ज़िन्दगी, हुकूमत, सियासत वगैरह इनसानी ज़िन्दगी के हर

व्यक्तिगत और सामूहिक हल से संबन्धित अहकाम व हिदायतें इतमें मौजूद हैं और फरमाया कि "यह कुरआन हिदायत और रहमत है ईमान लाने वालों के लिये।" इसमें इमान लाने वालों की विशेषता इसलिये की गई कि इसका नफा ईमान वालों ही को पहुँच सकता है, काफ़िरोँ के लिये भी अगरचे कुरआन रहमत और हिदायत ही है मगर उनकी अपनी बद-अमली और नाफरमानी के सबब यह रहमत व हिदायत उनके लिये बबाल बन गई।

शैख अबू मन्सूर ने फरमाया कि पूरी सूरः यूसुफ़ और इसमें दर्ज हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के बयान से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली देना मकसूद है कि आपको जो कुछ तकलीफें अपनी कौम के हाथों पहुँच रही हैं पिछले नदियों को भी पहुँचती रहीं, मगर अन्जामकार (अंततः) अल्लाह तआला ने अपने पैगम्बरों को गालिब फरमाया आपका मामला भी ऐसा ही होने वाला है।

(अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि सूरः यूसुफ़ की तफ़सीर पूरी हुई।)



* सूरः रअद *

यह सूरत मक्की है। इसमें 43 आयतें
और 6 रुकूअ हैं।

सूर: रअद

सूर: रअद मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 43 आयतें और 6 रुकूअ हैं।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (13) سُورَةُ الرَّعْدِ مَدِينَةٌ (14) رَبُّهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ آيَاتٍ الْكِتَابَ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
 اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَعَدَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝
 كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي
 مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى
 اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَّحِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَ
 زُرُوعٌ وَخَيْلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لِبَعْضِهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۝
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

आलिफ्-लाम्-मीम्-रा। तिल्-क
 आयातुल्-किताबि, वल्लज़ी उन्ज़ि-ल
 इलै-क मिर्बिबकल्-हक्कु व लाकिन्-न
 अक्सरन्नासि ला युअ्मिन्नुन (1)
 अल्लाहुल्लज़ी र-फअस्समावाति बिगैरि
 अ-मदिन् तरौनहा सुम्मस्तवा अलल्-
 अर्शि व सख़्ख़रश्शम्-स वल्क-म-र,
 कुल्लुंय्यज़ी लि-अ-जलिम्-मुसम्मन्,
 युदब्बिरुल्-अम्-र युफ़रिसलुल्-आयाति

अलिफ्-लाम्-मीम्-रा। ये आयतें हैं
 किताब की, और जो कुछ उतरा तुझ पर
 तेरे रब से सो हक़ है लेकिन बहुत लोग
 नहीं मानते। (1) अल्लाह वह है जिसने
 ऊँचे बनाये आसमान बगैर सुतून के
 देखते हो तुम-उनको, फिर कायम हुआ
 अर्श पर और काम में लगा दिया सूरज
 और चाँद को, हर एक चलता है मुकर्रर
 वक़्त पर, तदबीर करता है काम की
 जाहिर करता है निशानियाँ कि शायद तुम

तअल्लकुम् बिलिका-इ रब्बिकुम्
 तूकिनून (2) व हुवल्लजी मदल्अर्-ज
 व ज-अ-ल फीहा रवासि-य व
 अन्हारन्, व मिन् कुल्लिस्स-मराति
 ज-अ-ल फीहा जौजैनिस्नैनि युगिशल्-
 -लैलन्नहा-र, इन्-न फी जालि-क
 तआयातिल्-लिकौमियु-य-तफक्करून
 (3) व फिल्अर्जि कि-तअुम्
 मु-तजाविरातुं-व जन्नातुम्-मिन्
 अअनाबिं-व जर्अुं-व नखीलुन्
 सिन्वानुं-व गैरु सिन्वानियुस्का
 बिमाइंवाहिदिन्, व नुफजिजलु
 बअजहा अला बअजिन् फिल्उकुलि,
 इन्-न फी जालि-क तआयातिल्-
 लिकौमियुअकिलून (4)

अपने रब से मिलने का यकीन करो। (2)
 और वही है जिसने फैलाई जमीन और
 रखे उसमें बोज़ और नदियाँ और हर मेवे
 के रखे उसमें जोड़े दो-दो किस्म, ढाँकता
 है दिन पर रात को, इसमें निशानियाँ हैं
 उनके वास्ते जो कि ध्यान करते हैं। (3)
 और जमीन में खेत हैं मुख़लिफ़ एक दूसरे
 से मिले हुए और बाग़ हैं अंगूर के और
 खेतियाँ और खजूरें हैं एक की जड़ दूसरी
 से मिली हुई, और बाज़ी बिन मिली, उन
 को पानी भी एक ही दिया जाता है, और
 हम हैं कि बढ़ा देते हैं उनमें से एक को
 एक से मेवों में, इन चीज़ों में निशानियाँ
 हैं उनके लिये जो गौर करते हैं। (4)

खुलासा-ए-तफ़सीर

अलिफ़-लाम्-मीम्-रा (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। यह (जो आप सल्ल. सुन रहे हैं) आयतें हैं एक बड़ी किताब (यानी कुरआन) की, और जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ़ से नाज़िल किया जाता है यह बिल्कुल सच है, और (इसका तकाज़ा तो यह था कि सब ईमान लाते) लेकिन बहुत-से आदमी ईमान नहीं लाते (इस आयत में तो कुरआन की हकीकत का मज़मून था, आगे-तौहीद का मज़मून है जो कि कुरआन के मक़सिद में से सबसे बड़ा मक़सद है)। अल्लाह ऐसा (कादिर) है कि उसने आसमानों को बिना सुतून के ऊँचा खड़ा कर दिया, चुनाँचे तुम इन (आसमानों) को (इसी तरह) देख रहे हो, फिर अर्श पर (जो बादशाही तख़्त के जैसा है, इस तरह) कायम (और जलवा-फ़रमा) हुआ (जो कि उसकी शान के लायक है) और सूरज व चाँद को काम में लगा दिया (इन दोनों में से) हर एक (अपने चलने के दायरे पर) तयशुदा वक़्त पर चलता रहता है (चुनाँचे सूरज अपने मदार को साल भर में पूरा कर लेता है और चाँद महीने भर में) वही (अल्लाह) हर काम की (जो कुछ आलम में जाहिर व उत्पन्न होता

हैं) तदबीर करता है, (और कानूनी व क़ुदरती) दलीलों को साफ-साफ़ बयान करता है ताकि तुम्हें अपने ख़ब के पास जाने का (यानी क़ियामत का) यक़ीन कर लो (उसके मुम्किन होने का तो इस तरह कि जब अल्लाह तआला ऐसी बड़ी और विशाल चीज़ों के बनाने पर क़ादिर है तो मुर्दों को ज़िन्दा करने पर क्यों नहीं क़ादिर होगा? और इसके वाक़े और ज़ाहिर होने का यक़ीन इस तरह कि सच्चे ख़बर देने वाले ने एक संभव मामले के वाक़े होने की ख़बर दी, ताज़िमी तौर पर वह सच्ची और सही है)। और वह ऐसा है कि उसने ज़मीन को फैलाया और उस (ज़मीन) में पहाड़ और नहरें पैदा कीं, और उसमें हर किस्म के फलों से दो-दो किस्म के पैदा किये (जैसे खट्टे और मीठे या छोटे और बड़े। कोई किसी रंग का और किसी रंग का और) रात (की अंधेरी) से दिन (की रोशनी) को छुपा देता है (यानी रात की अंधेरी से दिन की रोशनी छुप जाती और ख़त्म हो जाती है)। इन (ज़िक्र हुए) मामलों में सोचने वालों के (समझने के) वास्ते (तौहीद पर) दलीलें (मौजूद) हैं (जिसकी तक़रीर दूसरे पारे के चौथे रुकूअ के शुरू में गुज़री है)। और (इसी तरह और भी दलीलें हैं तौहीद की, चुनाँचे) ज़मीन में पास-पास (और फिर) मुख़लिफ़ टुकड़े हैं (जिनमें बावजूद एक-दूसरे से मिला हुआ होने के विभिन्न असर होना अजीब बात है) और अंगूरों के बाग़ हैं और (विभिन्न प्रकार की) खेतियाँ हैं और ख़जूर (के पेड़) हैं, जिनमें बाज़े तो ऐसे हैं कि एक तने से ऊपर जाकर दो तने हो जाते हैं और बाज़ों में दो तने नहीं होते (बल्कि जड़ से शाख़ों तक एक ही तना चला जाता है और) सब को एक ही तरह का पानी दिया जाता है, और (बावजूद इसके फिर भी) हम एक को दूसरे पर फलों में फ़ौक़ियत “यानी बरतरी” देते हैं। इन (ज़िक्र हुई) चीज़ों में (भी) समझदारों के (समझने के) वास्ते (तौहीद यानी अल्लाह के एक होने और उसी के लायक़े इबादत होने की) दलीलें (मौजूद) हैं।

मअरिफ़ व मसाईल

यह सूरात मक्की है और इसकी कुल आयतें 43 हैं। इस सूरात में भी कुरआन मजीद का सच्चा कलाम होना, और तौहीद व रिसालत का बयान और शुब्हात के जवाबत बयान हुए हैं।

अलिफ़-ताम्-मीम्-रा। यह हुरूफ़-ए-मुक़त्तआ हैं जिनके मायने अल्लाह तआला ही जानते हैं उम्मत को इनके मायने नहीं बतलाये गये, आम उम्मत को इसकी तहक़ीक़ (खोजबीन) में पड़ना भी मुनासिब नहीं।

रसूल की हदीस भी कुरआन की तरह अल्लाह की वही है

पहली आयत में कुरआने करीम के अल्लाह का कलाम और हक़ होने का बयान है, किताब से मुराद कुरआन है और:

وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

(जो कुछ उतरा है तेरी तरफ़ तेरे ख़ब की तरफ़) से भी हो सकता है कि कुरआन ही मुराद हो, लेकिन हर्फ़-ए-अत्फ़ वाव बज़ाहिर यह चाहता है कि किताब और:

الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ

(जो कुछ उतरा है तेरी तरफ़) दो चीज़ें अलग-अलग हों। इस सूरत में किताब से मुराद कुरआन और:

الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ

(जो कुछ उतरा है तेरी तरफ़) से मुराद वह वही होगी जो कुरआने करीम के अलावा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर आई है, क्योंकि इसमें तो कोई कलाम नहीं हो सकता कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर आने वाली वही सिर्फ़ कुरआन में सीमित नहीं, खुद कुरआने करीम में है:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो कुछ कहते हैं वह किसी अपनी ग़र्ज़ से नहीं कहते बल्कि एक वही (अल्लाह की तरफ़ से आया हुआ पैग़ाम व हिदायत) होती है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से उनको भेजी जाती है। इससे साबित हुआ कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो कुरआन के अलावा दूसरे अहकाम देते हैं वो भी अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल होने वाले अहकाम ही हैं, फ़र्क सिर्फ़ यह है कि कुरआन की तिलावत की जाती है और उसकी तिलावत नहीं की जाती, और इस फ़र्क की वजह यह है कि कुरआन के पायने और अलफ़ाज़ दोनों अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ़ से होते हैं, और कुरआन के अलावा हदीस में जो अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम देते हैं उनके भी पायने अगरचे अल्लाह तआला की तरफ़ से ही नाज़िल होते हैं मगर अलफ़ाज़ अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हुए नहीं होते। इसी लिये नमाज़ में उनकी तिलावत नहीं की जा सकती।

आयत के पायने यह हो गये कि यह कुरआन और जो कुछ अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाज़िल किये जाते हैं वो सब हक़ हैं जिनमें किसी शक व शुब्हे की गुन्जाईश नहीं, लेकिन अक्सर लोग ग़ौर व फ़िक्र (सोच-विचार) न करने की वजह से इस पर ईमान नहीं लाते।

दूसरी आयत में अल्लाह तआला के वजूद और उसकी तौहीद की दलीलें बयान हुई हैं कि उसकी मख़्लूक़ात और बनाई हुई चीज़ों को ज़रा ग़ौर से देखो तो यह यकीन करना पड़ेगा कि इनको बनाने वाली कोई ऐसी हस्ती है जो पूरी कुदरत रखने वाली है और तमाम मख़्लूक़ात व कायनात उसके कब्ज़े में हैं।

इरशाद फरमाया:

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

“यानी अल्लाह ऐसा है जिसने आसमानों के इतने बड़े, फैले हुए और बुलन्द कुब्बे (गुंबद) को बग़ैर किसी सुतून के ऊँचा खड़ा कर दिया, जैसा कि तुम इन आसमानों को इसी हालत में देख रहे हो।”

क्या आसमान का जिस्म आँखों से नज़र आता है?

आम तौर से यह कहा जाता है कि यह नीला रंग जो हमें ऊपर नज़र आता है आसमान का रंग है, मगर फ़िल्सफी हज़रात कहते हैं कि यह रंग रोशनी और अंधेरे की मिलावट से महसूस होता है, क्योंकि नीचे सितारों की रोशनी और उसके ऊपर अंधेरा है, तो बाहर से नीला रंग महसूस होता है। जैसे गहरे पानी पर रोशनी पड़ती है तो वह नीला नज़र आता है। कुरआने करीम की चन्द आयतें ऐसी हैं जिनमें आसमान के देखने का जिक्र है जैसे इसी ऊपर बयान हुई आयत में 'तरौनहा' (तुम उसको देखते हो) के अलफ़ाज़ हैं और दूसरी आयत में:

إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

के अलफ़ाज़ हैं। फ़िल्सफी हज़रात की यह तहकीक़ (शोध) अब्बल तो इस के विरुद्ध नहीं, क्योंकि ऐसा मुम्किन है कि आसमान का रंग भी नीलेपन पर हो या कोई दूसरा रंग हो मगर बीच की रोशनी और अंधेरी की मिलावट से नीला नज़र आता हो। इससे इनकार की कोई दलील नहीं कि इस फ़िज़ा के रंग में आसमान का रंग भी शामिल हो, और यह भी मुम्किन है कि कुरआने करीम में जहाँ आसमान के देखने का जिक्र है, वह ज़ाहिरी नहीं बल्कि हुक्मी और इस मायने में हो कि आसमान का वजूद ऐसे यकीनी दलाईल से साबित है गोया उसको देख ही लिया। (तफ़सीर रुहुल-मआनी)

इसके बाद फ़रमाया:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

“यानी फिर अर्श पर जो एक तरह से बादशाही तख़्त है कायम और उस तरह जलवा-फ़रमा हुआ जो उसकी शान के लायक है। इस जलवा फ़रमाने की कैफ़ियत को कोई नहीं समझ सकता, इतना एतिकाद व यकीन रखना काफी है कि जिस तरह का कायम होना अल्लाह की शान के लायक व मुनासिब है वही मुराद है।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

“यानी अल्लाह तआला ने सूरज और चाँद को कब्ज़े में और हुक्म के ताबे किया हुआ है, इनमें से हर एक, एक निर्धारित रफ़्तार से चलता है।”

मुसख़्खर करने (कब्ज़े में करने और हुक्म के ताबे होने) से मुराद यह है कि दोनों को जिस जिस काम पर लगा दिया गया है बराबर लगे हुए हैं। हज़ारों साल गुज़र गये हैं लेकिन न कभी इनकी रफ़्तार में कमी-बेशी होती है, न थकते हैं, न कभी अपने तयशुदा काम के खिलाफ किसी दूसरे काम में लगते हैं। और निर्धारित मुद्दत की तरफ़ चलने के यह मायने भी हो सकते हैं कि पूरे आलम दुनिया के लिये जो क़ियामत की आखिरी मुद्दत मुतैयन है, सब उसी की तरफ़ चल रहे हैं, उस मन्ज़िल पर पहुँचकर इनका यह सारा निज़ाम ख़त्म हो जायेगा।

और यह मायने भी हो सकते हैं कि अल्लाह तआला ने हर एक सय्यारे (चलने वाले तारे

और ग्रह) के लिये एक खास रफ़्तार और खास मदार (चलने का दायरा) मुक़रर कर दिया है, वह हमेशा अपने मदार पर अपनी निर्धारित रफ़्तार के साथ चलता रहता है। चाँद अपने मदार को एक माह में पूरा कर लेता है और सूरज साल भर में पूरा करता है।

इन सय्यारों का अज़ीमुश्शान और विशाल वजूद फिर एक खास मदार पर खास रफ़्तार के साथ हजारों साल से बराबर अन्दाज़ में इसी तरह चलते रहना कि न कभी इनकी मशीन घिसती है न टूटती है, न उसको ग़िसींग की ज़रूरत होती है, इनसान की बनाई हुई चीज़ों में साईस की इस इन्तिहाई तरक्की के बाद भी इसकी नज़ीर तो क्या इसका हजारवाँ हिस्सा भी मिलना नामुम्किन है। कुदरत का यह निज़ाम बुलन्द आवाज़ से पुकार रहा है कि इसको बनाने और चलाने वाली कोई ऐसी हस्ती ज़रूर है जो इनसान के इल्म व शऊर से ऊपर है।

हर चीज़ की तदबीर दर हकीक़त अल्लाह तआला ही का काम है, इनसानी तदबीर नाम के लिये है

يَتَّبِعُ الْأَمْرَ

“यानी अल्लाह तआला ही हर काम की तदबीर करता है।” इनसान जो अपनी तदबीरों पर नाज़ व घमंड करता है, ज़रा आँख खोलकर देखे तो मालूम होगा कि इसकी तदबीर किसी चीज़ को न पैदा कर सकती है न बना सकती है, इसकी सारी तदबीरों का हासिल इससे ज़्यादा नहीं कि अल्लाह तआला की पैदा की हुई चीज़ों का सही इस्तेमाल समझ ले। दुनिया की तमाम चीज़ों के इस्तेमाल का निज़ाम भी इसकी ताकत से बाहर की चीज़ है, क्योंकि इनसान अपने हर काम में दूसरे हजारों इनसानों, जानवरों और दूसरी मख़्लूक़ात का मोहताज है, जिनको अपनी तदबीर से अपने काम में नहीं लगा सकता, अल्लाह की कुदरत ही ने हर चीज़ की कड़ी दूसरी चीज़ से इस तरह जोड़ी है कि हर चीज़ खिंची चली आती है। आपको मकान बनाने की ज़रूरत पेश आती है नुक़शा बनाने वाले आर्किटेक्ट से लेकर रंग व रोगन करने वालों तक सैकड़ों इनसान अपनी जान और अपना हुनर लिये हुए आपकी ख़िदमत को तैयार नज़र आते हैं, तामीर का सामान जो बहुत सी दुकानों में बिखरा हुआ है सब आपको तैयार मिल जाता है, क्या आपकी ताकत में था कि अपने माल या तदबीर के जोर से ये सारी चीज़ें मुहैया और सारे इनसानों को अपनी ख़िदमत के लिये हाज़िर कर लेते? आप तो क्या बड़ी से बड़ी हुकूमत भी कानून के जोर से यह निज़ाम कायम नहीं कर सकती, बिला शुक्ल यह तदबीर और दुनिया के निज़ाम को कायम रखना सिर्फ़ हय्यु व कय्यूम (यानी अल्लाह तआला) ही का काम है, इनसान अगर इसको अपनी तदबीर फ़रार दे तो जहालत के सिवा क्या है।

بَقِصَلِ الْآيَاتِ

यानी वह अपनी आयतों को तफ़सील के साथ बयान करता है। इससे मुराद कुरआनी

आयतें भी हो सकती हैं जिनको हक़ तआला ने तफ़सील के साथ नाज़िल फ़रमाया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिये और ज़्यादा उनका बयान और तफ़सीर फ़रमाई।

और आयात से पुराद कुदरत की आयतें यानी अल्लाह जल्ल शानुहू की कामिल कुदरत की निशानियाँ जो आसमान और ज़मीन और खुद इनसान के वजूद में मौजूद हैं, वो भी हो सकती हैं, जो बड़ी तफ़सील के साथ हर वक़्त हर जगह इनसान की नज़र के सामने हैं।

لَكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تَوْفِيقًا ۝

यानी यह सब कायनात और इनका अजीब व ग़रीब निज़ाम व तदबीर अल्लाह तआला ने इसलिये कायम फ़रमाये हैं कि तुम इसमें ग़ौर करो तो तुम्हें आख़िरत और क़ियामत का यकीन हो जाये, क्योंकि इस अजीब निज़ाम और दुनिया के बनाने पर नज़र करने के बाद यह शक़ व शुब्हा तो रह नहीं सकता कि आख़िरत में इनसान के दोबारा पैदा करने को अल्लाह तआला की कुदरत से ख़ारिज समझें, और जब कुदरत में दाख़िल और मुम्किन होना मालूम हो गया, और एक ऐसी हस्ती ने इसकी ख़बर दी जिसकी ज़बान पूरी उम्र में कभी झूठ पर नहीं चली, तो इसके ज़ाहिर व मौजूद और साबित होने में क्या शक़ रह सकता है।

وَهُرَّالَّذِي مَدَّالْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا

और वही वह ज़ात है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें बोझल पहाड़ और नहरें बनाई।”

ज़मीन का फैलाना इसके कुर्रा और गोल होने के विरुद्ध नहीं, क्योंकि गोल चीज़ जब बहुत बड़ी हो तो उसका हर हिस्सा अलग-अलग फैली हुई सतह ही नज़र आता है, और क़ुरआन करीम का ख़िताब आम लोगों से उन्हीं की नज़रों के मुताबिक़ होता है। ज़ाहिर देखने वाला इसको एक फैली हुई सतह देखता है इसलिये इसको फैलाने से ताबीर कर दिया गया, फिर इसका सन्तुलन कायम रखने के लिये साथ ही और बहुत-से दूसरे फ़ायदों के लिये इस पर ऊँचे-ऊँचे भारी पहाड़ कायम फ़रमा दिये, जो एक तरफ़ ज़मीन का सन्तुलन कायम रखते हैं दूसरी तरफ़ सारी मख़्तूक को पानी पहुँचाने का इन्तिज़ाम करते हैं। पानी का बहुत बड़ा भण्डार उनकी चोटियों पर जमे हुए समन्दर (बर्फ़) की शक़्त में रख दिया जाता है जिसके लिये न कोई ख़ौज़ और न टंकी बनाने की ज़रूरत है, न नापाकी होने का शुब्हा व गुमान, न सड़ने की संभावना, फिर उसको ज़मीन के नीचे मौजूद एक कुदरती पाईप लाइन के ज़रिये सारी दुनिया में फैलाया जाता है, उससे कहीं तो खुली हुई नदियाँ और नहरें निकलती हैं और कहीं ज़मीन के नीचे छुपे रहकर कुँओं के ज़रिये इस पाईप लाइन का सुराग़ लगाया और पानी हासिल किया जाता है।

وَمِنْ كُلِّ السَّمَوَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْحًا نَّازِلًا

यानी फिर इस ज़मीन से तरह-तरह के फल निकाले और हर एक फल दो-दो किस्म के पैदा किये- छोटे-बड़े, सुर्ख-सफ़ेद, खट्टे-मीठे। और यह भी मुम्किन है कि ज़ौजैन (जोड़ों) से मुराद सिर्फ़ दो न हों बल्कि अनेक प्रजातियाँ व किस्में मुराद हों जिनकी तादाद कम से कम दो होती

हो, इसलिये ज़ौजैनिस्नैनि से ताबीर कर दिया गया। और कुछ बर्द नहीं कि ज़ौजैन से मुराद नर व मादा हों जैसा कि बहुत-से दरख्तों के बारे में तो तजुर्बा गवाह हो चुका है कि उनमें नर व मादा होते हैं, जैसे खजूर, पपीता वगैरह, दूसरे दरख्तों में भी इसकी संभावना है अगरचे अभी तक तहकीकात वहाँ तक न पहुँची हों।

يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ

यानी अल्लाह तआला ही ढाँप देता है रात को दिन पर। मुराद यह है कि दिन की रोशनी के बाद रात ले आता है। जैसे किसी रोशन चीज़ को किसी पर्दे पर ढाँप दिया जाये।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

इसमें कोई शुब्हा नहीं कि इस तमाम कायनात की तख़लीक़ (पैदाईश) और इसकी तदबीर व निज़ाम में ग़ौर व फ़िक्क़ करने वालों के लिये अल्लाह तआला शानुहू की कामिल कुदरत की बहुत-सी निशानियाँ मौजूद हैं।

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ

وَنُفُضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ

यानी फिर ज़मीन में बहुत से टुकड़े आपस में मिले हुए होने के बावजूद मिज़ाज और ख़ासियत में भिन्न और अलग हैं, कोई अच्छी ज़मीन है कोई खारी, कोई नर्म कोई सख़्त, कोई खेती के काबिल कोई बाग़ के काबिल, और इन टुकड़ों में बायात हैं अंगूर के और खेती है और खजूर के पेड़ हैं, जिनमें बाजे ऐसे हैं कि एक तने से ऊपर जाकर दो तने हो जाते हैं, और बाजों में एक ही तना रहता है।

और ये सारे फल अगरचे एक ही ज़मीन से पैदा होते हैं, एक ही पानी से सैराब किये जाते हैं, और सूरज व चाँद की किरणों और विभिन्न प्रकार की हवायें भी इन सब को एक ही तरह की पहुँचती हैं मगर फिर भी इनके रंग और जायके अलग-अलग और छोटे-बड़े का स्पष्ट और ख़ासा फ़र्क़ होता है।

आपस में मिले हुए होने के बावजूद फिर ये तरह-तरह के इख़िलाफ़ात (विविधतायें) इस बात की मज़बूत और स्पष्ट दलील है कि यह सब कारोबार किसी हकीम व मुद्बिर के फ़रमान के ताबे चल रहा है, महज़ मादे की तब्दीलियाँ नहीं, जैसा कि कुछ जाहिल लोग समझते हैं। क्योंकि मादे के बदलाव होते तो सब मवाद के साझा होने के बावजूद यह भिन्नतायें कैसे होती, एक ही ज़मीन से एक फल एक मौसम में निकलता है दूसरा दूसरे मौसम में एक ही दरख्त की एक ही शाख़ पर विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े और अलग-अलग जायके के फल पैदा होते हैं।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

“इसमें कोई शुब्हा नहीं कि अल्लाह तआला की कुदरत व बड़ाई और उसके वाहिद व अकेला होने पर दलालत करने वाली बहुत सी निशानियाँ हैं अक़ल वालों के लिये।” इसमें इशारा

है कि जो लोग इन चीजों में गौर नहीं करते वे अक्ल वाले नहीं चाहे दुनिया में उनको कैसा ही अक्लमन्द समझा और कहा जाता हो।

وَأِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا لَفِي خَلْقٍ

جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَى فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِلَّا نَسْمًا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِإِقْدَارٍ ۝

व इन् तअजब् फ-अ-जबुन् कौलुहुम्
अ-इजा कुन्ना तुराबन् अ-इन्ना लफी
खल्किन् जदीदिन्, उलाइ-कल्लजी-न
क-फरु बिरब्बिहिम् व उलाइकल्-
अ-लालु फी अज्नाकिहिम् व
उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फीहा
खालिदून (5) व यस्तज्जिलून-क
बिस्सय्यि-अति कब्लल्-ह-सनति व
कद् खलत् मिन् कब्लिहिमुल्-मसुलातु,
व इन्-न रब्ब-क लजू मग्फि-रतिल्
लिन्नासि अला जुल्मिहिम् व इन्-न
रब्ब-क ल-शदीदुल्-अिकाब (6) व
यकूलुल्लजी-न क-फरु लौ ला
उन्जि-ल अलैहि आयतुम्-मिर्बिहि,
इन्नमा अन्-त मुन्जिरुव्-व लिक्ुल्लि
कौमिन् हाद (7) ❀

और अगर तू अजीब बात चाहे तो अजब है उनका कहना कि क्या जब हो गये हम मिट्टी क्या नये सिरे से बनाये जायेंगे? वही हैं जो इनकारी हो गये अपने रब से और वही हैं कि तौक हैं उनकी गर्दनो में, और वे हैं दोखड़ा वाले वे उसी में रहेंगे बराबर। (5) और जल्द माँगते हैं तुझसे बुराई को पहले भलाई से, और गुजर चुके हैं उनसे पहले बहुत से अजाब और तेरा रब माफ भी करता है लोगों को बावजूद उनके जुल्म के, और तेरे रब का अजाब भी सख्त है। (6) और कहते हैं काफिर क्यों न उतरी उस पर कोई निशानी उसके रब (की तरफ) से, तेरा काम तो डर सुना देना है, और हर कौम के लिये हुआ है राह बताने वाला। (7) ❀

अल्लाहु यअलमु मा तस्मिलु कुल्लु
उन्सा व मा तगीजुल्-अरहामु व मा
तज़दादु, व कुल्लु शौइन् अिन्दहू
बिभिक़दार (8)

अल्लाह जानता है जो पेट में रखती है
हर मादा और जो सिकुड़ते हैं पेट और
बढ़ते हैं, और हर चीज़ का उसके यहाँ
अन्दाज़ा है। (8)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) अगर आपको (उन लोगों के क़ियामत के इनकार से) ताज्जुब हो तो (वाक़ई) उनका यह क़ौल ताज्जुब के लायक़ है कि जब हम (मरकर) छाक़ हो गये तो क्या (खाक़ होकर) हम फिर (क़ियामत के दिन) नये सिरे से पैदा होंगे? (ताज्जुब के लायक़ इसलिये कि जो ज़ात ऐसी ज़िक़्र हुई चीज़ों के पैदा करने पर पहले यानी शुरू में कादिर है उसको दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। और इसी से जवाब हो गया मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने को मुहाल समझने का और नुबुव्वत का इनकार करने का भी, जिसका आधार वही मुहाल व नामुम्किन समझना था। एक के जवाब से दूसरे का जवाब हो गया। आगे उनके लिये वईद और धमकी है कि) ये वे लोग हैं कि उन्होंने अपने रब के साथ कुफ़्र किया (क्योंकि मरने के बाद ज़िन्दा होने के इनकार से उसकी क़ुदरत का इनकार किया और क़ियामत के इनकार से नुबुव्वत का इनकार लाज़िम आता है) और ऐसे लोगों की गर्दनो में (दोज़ख़ में) तौक़ डाले जाएँगे, और ऐसे लोग दोज़ख़ी हैं (और) वे उसमें हमेशा रहेंगे। और ये लोग आफ़ियत (की मियाद ख़त्म होने) से पहले आप से मुसीबत (के नाज़िल होने) का तकाज़ा करते हैं (कि अगर आप नबी हैं तो जाइये अज़ाब मंगा दीजिये, जिससे मालूम होता है कि ये अज़ाब के पड़ने और होने को बहुत ही दूर की बात समझते हैं) हालाँकि इनसे पहले (और काफ़िरों पर सज़ाओं के) वाक़िआत गुज़र चुके हैं (तो इन पर आ जाना क्या मुहाल और दूर की बात है)। और (अल्लाह तआला के ग़फ़ूर व रहीम होने को सुनकर ये लोग घमंडी न हो जायें कि अब हमको अज़ाब न होगा, क्योंकि वह सिर्फ़ ग़फ़ूर व रहीम ही नहीं है और फिर सब के लिये ग़फ़ूर व रहीम नहीं है बल्कि दोनों बातें अपने-अपने मौक़े पर ज़ाहिर होती हैं यानी) यह बात भी यकीनी है कि आपका रब लोगों की ख़ताएँ बावजूद उनकी (एक खास़ दर्जे की) बेजा हरकतों के माफ़ कर देता है, और यह बात भी यकीनी है कि आपका रब सख़्त सज़ा देता है (यानी उसमें दोनों सिफ़तें हैं और हर एक के ज़ाहिर होने की शर्तें और असबाब हैं। परन्तु उन्होंने बिना सबब के अपने को रहमत व मग़फ़िरत का हक़दार कैसे समझ लिया, बल्कि कुफ़्र की वजह से उनके लिये तो अल्लाह तआला सख़्त अज़ाब देने वाला है)। और ये काफ़िर लोग (नुबुव्वत का इनकार करने की गर्ज़ से) यूँ (भी) कहते हैं कि उन पर वह खास़ मोज़िज़ा (जो हम चाहते हैं) क्यों नाज़िल नहीं किया गया (और यह एतिराज़ कोरी बेवक़ूफ़ी है क्योंकि आप मोज़िज़ों के मालिक नहीं

बल्कि) आप सिर्फ (अल्लाह के अजाब से काफिरों को) डराने वाले (यानी नबी) हैं (और नबी के लिये सिर्फ मोजिजे की जरूरत है जो कि ज़ाहिर हो चुका है न कि किसी खास मोजिजे की) और (कोई आप अनोखे नबी नहीं हुए बल्कि पहले गुजरी हुई कौमों में) हर कौम के लिये हादी (सही राह बताने वाले यानी पैगम्बर) होते चले आये हैं (उनमें भी यही कायदा चला आया है कि नुबुव्वत के दावे के लिये आम दलील को काफी करार दिया गया, खास दलील की याबन्दी नहीं की गयी)।

अल्लाह तआला को सब खबर रहती है जो कुछ किसी औरत को हमल "यानी गर्भ" रहता है, और जो कुछ रहम "यानी बच्चेदानी" में कभी ब बेशी होती है। और हर चीज अल्लाह के नज़दीक एक खास अन्दाजे से (मुकरर) है।

मआरिफ़ व मसाईल

ऊपर जिक्र हुई आयतों की पहली तीन आयतों में काफिरों के शुब्हात का जवाब है जो नुबुव्वत के बारे में थे और इसके साथ इनकार करने वालों के लिये अजाब की बर्दा (डॉट और धमकी) बयान हुई है।

उनके शुब्हात तीन थे- एक यह कि वे लोग मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने और मेहशर के हिसाब व किताब को मुहाल व ख़िलाफ़े अक़्ल समझते थे, इसी बिना पर आखिरत की खबर देने वाले नबियों को झुठलाते और उनकी नुबुव्वत का इनकार करते थे, जैसा कि कुरआने करीम ने उनके शुब्हे का बयान इस आयत में फ़रमाया है:

هَلْ نُنَدِّكُمْ عَلَىٰ وَجْهِ بُنْيَانِكُمْ إِذَا مُرِّتُمْ كُلَّ مَرِّقٍ إِنَّكُمْ لَعِیُّ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

इसमें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का मज़ाक उड़ाने के लिये कहते हैं कि आओ हम तुम्हें एक ऐसा आदमी बतायें जो तुम्हें यह बतलाता है कि जब तुम मरने के बाद रेज़ा-रेज़ा हो जाओगे और तुम्हारी मिट्टी के ज़र्रे भी सारे जहान में फैल जायेंगे तुम उस वक्त फिर दोबारा ज़िन्दा किये जाओगे।

मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने का सुबूत

وَإِنْ لَعَجَبٌ لِّمَنْ قَوْلُهُمْ ءِإِنَّا لَأَنفُسٌ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब है कि अगर आपको इस पर ताज्जुब है कि ये काफिर लोग आपके लिये खुले हुए मोजिजे और आपकी नुबुव्वत पर अल्लाह तआला की खुली निशानियाँ देखने के बावजूद आपकी नुबुव्वत का इनकार करते हैं, और मानते हैं तो ऐसे बेजान पत्थरों को मानते हैं जिनमें न एहसास है न शऊर, खुद अपने नफे व नुकसान पर भी कादिर नहीं, दूसरों को क्या नफ़ा पहुँचा सकते हैं।

लेकिन इससे ज़्यादा ताज्जुब के काबिल उनकी यह बात है कि वह कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जायेंगे तो हमें दोबारा पैदा किया जायेगा? कुरआन

ने इस ताज्जुब की स्पष्ट तौर पर ब्रह्म बयान नहीं की, क्योंकि पिल्ली आचलें में अल्लाह जल्ल शानुहू की कामिल कुदरत के अजीब अजीब नमूने बयान करके यह साबित कर दिया गया है कि वह ऐसा कादिर मुतलक है जो सारी मख्लूक को अदम से बजूद में लाया, और फिर हर चीज के बजूद में कैसी-कैसी हिक्मतें रखीं कि इनसान उनका इल्म व इहाता भी नहीं कर सकता, और यह जाहिर है कि जो ज्ञात पहली मर्तबा बिल्कुल अदम से एक चीज को मौजूद कर सकती है उसको दोबारा मौजूद करना क्या मुश्किल है। इनसान भी जब कोई नई चीज बनाना चाहता है तो पहली मर्तबा उसको मुश्किल पेश आती है और उसी को दोबारा बनाना चाहता है तो आसान हो जाता है।

तो ताज्जुब की बात यह है कि ये लोग इसके तो कायल हैं कि पहली मर्तबा तमाम कायनात को बेशुमार हिक्मतों के साथ उसी ने पैदा फरमाया है, फिर दोबारा पैदा करने को कैसे मुहाल और खिलाफे अकल समझते हैं।

शायद उन इनकार करने वालों के नजदीक बड़ा इश्काल (शुद्धे का कारण) यह है कि मरने और खाक हो जाने के बाद इनसान के अंग्र और ज़र्रे दुनिया भर में बिखर जाते हैं, हवायें उनको कहीं से कहीं ले जाती हैं, और दूसरे असबाब व माध्यमों से भी ये ज़र्रे सारे जहान में फैल जाते हैं, फिर कियामत के दिन उन तमाम ज़र्रों को जमा किस तरह किया जायेगा और फिर उनको जमा करके दोबारा जिन्दा कैसे किया जायेगा?

मगर वे नहीं देखते कि इस वक़्त जो बजूद उनको हासिल है उसमें क्या सारे जहान के ज़र्रे जमा नहीं, दुनिया के पूरब व पश्चिम की चीजें पानी हवा और उनके लाये हुए ज़र्रे इनसान की गिज़ा में शामिल होकर उसके बदन का हिस्सा बनते हैं। इस ग़रीब को कई बार ख़बर भी नहीं होती कि एक लुक़मा जो मुँह तक लेजा रहा है उसमें कितने ज़र्रे अफ़्रीका के कितने अमेरिका के और कितने पूर्वी मुल्कों के हैं। तो जिस ज्ञात ने अपनी कामिल हिक्मत और मामलात की व्यवस्था के ज़रिये इस वक़्त एक-एक इनसान और जानवर के बजूद को सारे जहान के बिखरे हुए ज़र्रे जमा करके खड़ा कर दिया है, कल उसके लिये यह क्यों मुश्किल हो जायेगा कि इन सब ज़र्रों को जमा कर डाले, जबकि दुनिया की सारी ताकतें हवा और पानी और दूसरी कुव्वतें सब उसके हुक्म के ताबे और अधीन हैं, उसके इशारों पर हवा अपने अन्दर के, और पानी अपने अन्दर के और फ़िज़ा अपने अन्दर के सब ज़र्रों को जमा कर दें इसमें क्या शक व शुब्हा है?

हकीकत यह है कि उन्होंने अल्लाह तआला की कुदरत और क़द्र को पहचाना ही नहीं, उसकी कुदरत को अपनी कुदरत पर गुमान व अन्दाज़ा करते हैं, हालाँकि आसमान व ज़मीन और इनके बीच की सब चीजें अपनी-अपनी हैसियत का इल्म व शऊर रखते हैं, और अल्लाह के हुक्म के ताबे चलते हैं:

खाक व बाद व आब व आतिश बन्दा अन्द
बा-मन व तू मुर्दा बा-हक़ जिन्दा अन्द

“यानी मिट्टी, हवा, पानी और आग फरमांबरदार हैं। अगरचे हमें तुम्हें ये बेजान और मुर्दा मालूम होते हैं मगर अल्लाह तआला के साथ इनका जो पामला है वह जिन्दों की तरह है, कि जिन्दों की तरह उसके हुक्म की तामील करते हैं।” मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

खुलासा यह है कि खुली हुई निशानियों को देखने के बावजूद जिस तरह उनका बुध्द्वत से इनकार काबिले ताज्जुब है इससे ज्यादा कियामत में दोबारा जिन्दा होने और हशर के दिन से इनकार ताज्जुब की चीज है।

इसके बाद उन विरोधी इनकारियों की सजा का जिक्र किया गया है कि ये लोग सिर्फ आप ही का इनकार नहीं करते बल्कि दर हकीकत अपने रब का इनकार करते हैं। इनकी सजा यह होगी कि इनकी गर्दनों में तौक डाले जायेंगे और हमेशा-हमेशा दोज़ख में रहेंगे।

इनकार करने वाले लोगों का दूसरा शुब्हा यह था कि अगर वास्तव में आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं तो नबी की मुखालफत पर जो अज़ाब की वईदें (वायदे और धमकियाँ) आप सुनाते हैं वह अज़ाब आता क्यों नहीं। इसका जवाब दूसरी आयत में यह दिया गया:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

“यानी ये लोग हमेशा आफियत (चैन व सुकून) की मियाद खत्म होने से पहले आप से मुसीबत के नाज़िल होने का तकाज़ा करते हैं (कि अगर आप नबी हैं तो फ़ैरी अज़ाब मंगा दीजिये, जिससे मालूम होता है कि ये लोग अज़ाब के आने को बहुत ही दूर की या नामुम्किन बात समझते हैं, हालाँकि इनसे पहले दूसरे काफ़िरों पर अज़ाब के बहुत से वाकिआत गुज़र चुके हैं जिनकी सब लोगों ने देखा और मालूम किया है, तो इन पर अज़ाब आ जाना क्या मुहाल और नामुम्किन चीज़ है? यहाँ लफज़ ‘मसुलात’ ‘मसुला’ की जगह (बहुवचन) है जिसके मायने हैं ऐसी सजा जो इनसान को सब के सामने रुखा कर दे, और दूसरों के लिये इख़त का सबब बने।

फिर फ़रमाया कि बेशक आपका रब लोगों के गुनाहों और नाफ़रमानियों के बावजूद बड़ी मरफ़िरत व रहमत वाला भी है और जो लोग इस मरफ़िरत व रहमत से फ़ायदा न उठायें, अपनी सरकशी व नाफ़रमानी पर जमे रहें, उनके लिये सख्त अज़ाब देने वाला भी है। इसलिये अल्लाह तआला के ग़फ़ूर व रहीम होने से किसी ग़लत-फ़हमी में न पड़ें कि हम पर अज़ाब आ ही नहीं सकता।

तीसरा शुब्हा उन काफ़िरों का यह था कि अगरचे रसूल के बहुत से मोज़िजे हम देख चुके हैं लेकिन जिन खास-खास किस्म के मोज़िजों का हमने मुतालबा किया है^१ तो क्यों जाहिर नहीं करते? इसका जवाब तीसरी आयत में यह दिया गया है:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا نُؤْتِرُكَ عَلَيْهِ مِن رَّبِّهِ، إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

“यानी ये काफ़िर लोग आप पर एतिराज़ करने के लिये यह कहते हैं कि इन पर खास मोज़िजा जिसको हम तलब करते हैं वह क्यों नाज़िल नहीं किया गया।” सो इसका जवाब स्पष्ट

है कि भोजिजा जाहिर करना पैगम्बर और नबी के इख्तियार में नहीं होता, बल्कि वह अथरुह हक तआला का काम होता है, वह अपनी हिक्मत से जिस शक्त जिस तरह का भोजिजा जाहिर करना पसन्द फरमाते हैं उसको जाहिर कर देते हैं, वह किसी के मुतालबे और इच्छा के पाबन्द नहीं, इसी लिये फरमाया:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

यानी आप काफिरों को खुदा के अज़ाब से सिर्फ डराने वाले हैं, भोजिजा जाहिर करना आपका काम नहीं।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

यानी हर कौम के लिये पिछली उम्मतों में हादी होते चले आये हैं, आप कोई अनाखे नबी नहीं, सब ही नबियों का काम और फरीजा यह था कि वे कौम को हिदायत करें, अल्लाह के अज़ाब से डरायें, भोजिजों का जाहिर करना किसी के इख्तियार में नहीं दिया गया, अल्लाह तआला जब और जिस तरह का भोजिजा जाहिर करना पसन्द फरमाते हैं जाहिर कर देते हैं।

क्या हर कौम और हर मुल्क में नबी आना ज़रूरी है?

इस आयत में जो यह इरशाद है कि हर कौम के लिये एक हादी है। इससे साबित हुआ कि कोई कौम और किसी मुल्क का कोई इलाका अल्लाह तआला की तरफ़ दावत देने और हिदायत करने वालों से खाली नहीं हो सकता, चाहे वह कोई नबी हो या उसके कायम-मकाम नबी की दावत को फैलाने वाला हो जैसा कि सूर: यासीन में नबी की तरफ़ से किसी कौम की तरफ़ पहले दो शख्सों को दावत व हिदायत के लिये भेजने का ज़िक्र है जो खुद नबी नहीं थे, और फिर तीसरे आदमी को उनकी ताईद व मदद के लिये भेजने का ज़िक्र है।

इसलिये इस आयत से यह लाज़िम नहीं आता कि हिन्दुस्तान में भी कोई नबी व रसूल पैदा हुआ हो, अलबत्ता रसूल की दावत पहुँचाने और फैलाने वाले उलेमा का कसरत से यहाँ आना भी साबित है, और फिर यहाँ बेशुमार ऐसे हादियों का पैदा होना भी हर शख्स को मालूम है।

यहाँ तक तीन आयतों में नुबुव्वत का इनकार करने वालों के शुब्हों का जवाब था। चौथी आयत में फिर वही तौहीद का असल मज़मून बयान हुआ है जिसका ज़िक्र इस सूरत के शुरूआत से चला आ रहा है। इरशाद है:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

यानी अल्लाह को सब ख़बर रहती है जो कुछ किसी औरत की हमल (गर्भ) रहता है लड़का है या लड़की, हसीन या बद-शकल, नेक है या बद, और जो कुछ उन औरतों के रहम (गर्भ) में कभी-बेशी होती है, कि कभी एक बच्चा पैदा होता है कभी ज्यादा और कभी जल्दी पैदा होता है कभी देर में।

इस आयत में हक़ तआला की एक मख्सूस सिफ़त का बयान है कि वह अलिमुत्त-ग़ैब हैं

तमाम कायनात व मख्लूक़ात के ज़र्रे-ज़र्रे से वाक़िफ़ और हर ज़र्रे के बदलते हुए हालात में बाख़बर हैं। इसके साथ ही इनसान की पैदाईश के हर दौर और हर तब्दीली और हर सिफ़्त में पूरी तरह वाक़िफ़ होने का ज़िक्र है, कि हमल (गर्भ) का यकीनी और सही इल्म सिर्फ़ उसी को होता है कि लड़का है या लड़की, या दोनों या कुछ भी नहीं सिर्फ़ पानी या हवा है। हालात, इशारात और अन्दाज़ों से कोई हकीम या डॉक्टर जो कुछ इस मामले में राय देता है उसकी हैसियत एक गुमान और अन्दाज़े से ज़्यादा नहीं होती, कई बार हकीक़त उसके खिलाफ़ निकलती है। एक्सरे की नई मशीन भी इस हकीक़त को खोलने से मजबूर है। इसका वास्तविक और यकीनी इल्म सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को हो सकता है, इसी का बयान एक दूसरी आयत में है:

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

यानी अल्लाह तआला ही जानता है जो कुछ रहमों (गर्भों) में है।

लफ़ज़ 'तंगीज़' अरबी भाषा में कम होने और खुश्क होने के मायने में आता है। उक्त आयत में इसके मुक़ाबिल 'तज़दादु' के लफ़ज़ ने मुतैयन कर दिया कि इस जगह मायने कम होने के हैं। मतलब यह है कि माँ के पेट में जो कुछ कमी या बेशी होती है उसका सही इल्म भी सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को है। इस कमी और बेशी से मुराद यह भी हो सकता है कि पैदा होने वाले बच्चे की संख्या में कमी-बेशी हो कि गर्भ में सिर्फ़ एक बच्चा है या ज़्यादा, और यह भी हो सकता है कि पैदाईश के समय की कमी-बेशी मुराद हो कि यह हमल (गर्भ) कितने महीने कितने दिन और कितने घंटों में पैदा होकर एक इनसान को जाहिरी वजूद देगा, इसका यकीनी इल्म भी सिवाय अल्लाह तआला के किसी को नहीं हो सकता।

तफ़सीर के इमाम मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि गर्भ के समय में जो खून औरत को आ जाता है वह गर्भ के आकार (बनावट) व सेहत के एतिबार से कमी का सबब होता है।

نَقِصُ الْأَرْحَامِ

(और जो सिकुड़ते हैं पेट) से मुराद यह कमी है, और हकीक़त यह है कि कमी होने की जितनी किस्में हैं आयत के अलफ़ाज़ उन सब को शामिल हैं, इसलिये कोई इख़िलाफ़ नहीं।

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝

यानी अल्लाह तआला के पास हर चीज़ का एक खास अन्दाज़ा और पैमाना मुकरर है, न उससे कम हो सकती है न ज़्यादा। बच्चे के तमाम हालात भी इसमें दाख़िल हैं कि उसकी हर चीज़ अल्लाह के नज़दीक मुतैयन है, कि कितने दिन हमल में रहेगा, फिर कितने ज़माने तक दुनिया में जिन्दा रहेगा, कितना रिज़क़ उसको हासिल होगा, अल्लाह जल्ल शानुहू का यह बेमिसाल इल्म उसकी तौहीद (तन्हा और अकेला माबूद होने) की स्पष्ट दलील है।

-सहाबस्-सिकाल (12) व युसब्बिहुर-
 -रअदु बिहम्दिही वल्मलाइ-कतु मिन्
 खीफतिही व युसिलुस्सवाअि-क
 फयुसीबु बिहा मय्यशा-उ व हुम्
 युजादिलू-नः फिल्लाहि व हु-व
 शदीदुल्-मिहाल (13) लहू दअवतुल्-
 हक्कि, वल्लजी-न यदअू-न मिन्
 दूनिही ला यस्तजीबू-न लहुम् विशैइन्
 इल्ला कवासिति कप्फैहि इलल्-मा-इ
 लियब्लु-ग फाहु व मा हु-व
 बिबालिगिही, व मा दुआउल्-काफिरी-न
 इल्ला फी जलाल (14) व लिल्लाहि
 यस्जुदु मन् फिस्समावाति वल्अर्जि
 तौअ्व-व कर्हंव-व जिलालुहुम्
 बिल्गुदुव्वि वल्आसाल। (15) ❁

उठाता है बादल भारी। (12) और पढ़ता
 है गरजने वाला खूबियाँ उसकी और सब
 फरिश्ते उसके डर से और भोजता है
 कड़क बिजलियाँ फिर डालता है जिस पर
 चाहे, और ये लोग झगड़ते हैं अल्लाह की
 बात में और उसकी आन सख्त है। (13)
 उसी का पुकारना सच है, और जिन
 लोगों को कि पुकारते हैं उसके सिवा वे
 नहीं काम आते उनके कुछ भी मगर जैसे
 किसी ने फैला दिये दोनों हाथ पानी की
 तरफ कि आ पहुँचे उसके मुँह तक, और
 वह कभी न पहुँचेगा उस तक, और
 जितनी पुकार है काफिरों की सब गुमराही
 है। (14) और अल्लाह को सज्दा करता
 है जो कोई है आसमान और ज़मीन में
 खुशी से और जोर से, और उनकी
 परछाईयाँ सुबह और शाम। (15) ❁

खुलासा-ए-तफ़सीर

वह तमाम छुपी और ज़ाहिर चीज़ों का जानने वाला है, सबसे बड़ा (और) आलीशान है। तुम
 में से जो शख्स कोई बात चुपके से कहे और जो पुकारकर कहे, और जो शख्स रात में कहीं छुप
 जाये और जो दिन में चले-फिरे, ये सब (खुदा के इल्म में) बराबर हैं (यानी सब को बराबर
 जानता है, और जैसे तुम में से हर शख्स को जानता है इसी तरह हर एक की हिफाज़त भी
 करता है। चुनाँचे तुम में से) हर शख्स (की हिफाज़त) के लिये कुछ फरिश्ते (मुकरर) हैं जिनकी
 बदली होती-रहती है, कुछ उसके आगे और कुछ उसके पीछे कि वे अल्लाह के हुक्म से (बहुत
 बलाओं से) उसकी हिफाज़त करते हैं (और इससे कोई यूँ न समझ जाये कि जब फरिश्ते हमारे
 मुहाफिज़ हैं फिर जो चाहो करो नाफरमानी चाहे कुफ्र, किसी तरह अज़ाब नाज़िल ही न होगा,
 यह समझना बिल्कुल ग़लत है, क्योंकि) वाकई अल्लाह तआला (शुरूआत में तो किसी को
 अज़ाब देता नहीं, चुनाँचे उसकी आदत यह है कि वह) किसी कौम की (अच्छी) हालत में

बदलाव नहीं करता जब तक कि वे लोग खुद अपनी (सलाहियत की) हालत को नहीं बदल दें (मगर इसके साथ यह भी है कि जब वे अपनी सलाहियत में खलल डालने लगते हैं तो फिर अल्लाह तआला की तरफ से उन पर मुसीबत व सजा तजवीज़ की जाती है)। और जब अल्लाह किसी कौम पर मुसीबत डालना तजवीज़ कर लेता है तो फिर उसके हटने की कोई सूरत ही नहीं (वह उन पर पड़ जाती है), और (ऐसे वक़्त में) कोई खुदा के सिवा (जिनकी हिफ़ाज़त का उनको नाज़ है) उनका मददगार नहीं रहता है (यहाँ तक कि फ़रिश्ते भी उनकी हिफ़ाज़त नहीं करते, और अगर करते भी तो हिफ़ाज़त उनके काम न आ सकती)।

वह ऐसा (बड़ी शान वाला) है कि तुमको (बारिश के वक़्त) बिजली (घमकती हुई) दिखलाता है जिससे (उसके गिरने का) डर भी होता है और (उससे बारिश की) उम्मीद भी होती है, और वह बादलों को (भी) ऊँचा करता है जो पानी से भरे होते हैं। और रअद (फ़रिश्ता) उसकी तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान करता है और (दूसरे) फ़रिश्ते भी उसके ख़ौफ़ से (उसकी तारीफ़ व पाकी बयान करते हैं) और वह (ज़मीन की तरफ़) बिजलियाँ भेजता है, फिर जिस पर चाहे उन्हें गिरा देता है। और वे लोग अल्लाह के बारे में (यानी उसकी तौहीद में बावजूद उसके ऐसे अज़ीमुश्शान होने के) झगड़ते हैं, हालाँकि वह बड़ा ज़बरदस्त कुव्वत वाला है (कि जिससे डरना चाहिये मगर ये लोग डरते नहीं और उसके साथ शरीक ठहराते हैं। और वह ऐसा दुआओं का कुबूल करने वाला है) कि सच्चा पुकारना उसी के लिये खास है (क्योंकि उसको कुबूल करने की कुदरत है) और खुदा के सिवा जिनको ये लोग (अपनी ज़रूरतों व मुसीबतों में) पुकारते हैं वे (कुदरत न होने की वजह से) इनकी दरख़्वास्त की उससे ज़्यादा मन्ज़ूर नहीं कर सकते जितना पानी उस शख्स की दरख़्वास्त को मन्ज़ूर करता है जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ़ फैलाए हुए हो (और उसको इशारे से अपनी तरफ़ बुला रहा हो) ताकि वह (पानी) उसके मुँह तक (उड़कर) आ जाये, और वह (अपने आप) उसके मुँह तक (किसी तरह) आने वाला नहीं (पस जिस तरह पानी उनकी दरख़्वास्त कुबूल करने से आजिज़ है इसी तरह उनके माबूद आजिज़ हैं, इसलिये) काफ़िरों का (उनसे) दरख़्वास्त करना बिल्कुल बेअसर है।

और अल्लाह ही (ऐसा मुक़म्मल कुदरत का मालिक है कि उसी) के सामने सब सूर झुकाये हुए हैं जितने आसमानों में हैं और जितने ज़मीन में हैं, (बाज़े) खुशी से और (बाज़े) मजबूरी से (खुशी से यह कि अपने इख़्तियार से इबादत करते हैं, और मजबूरी के यह मायने हैं कि अल्लाह तआला जिस मख़्लूक में जो इख़्तियार चलाना चाहते हैं वह उसका विरोध नहीं कर सकता) और उन (ज़मीन वालों) के साये भी (सर झुकाये हुए हैं) सुबह और शाम के वक़्तों में (यानी साये को जितना चाहें बढ़ायें जितना चाहें घटायें, और सुबह व शाम के वक़्त चूँकि लम्बा होने और घटने का ज़्यादा ज़हूर होता है इसलिये इन वक़्तों को विशेष तौर पर बयान किया वरना मतलब यह है कि साया भी हर तरह उसका फ़रमाँबरदार है)।

मआरिफ व मसाईल

ऊपर जिक्र हुई आयतों से पहले अल्लाह जल्ल शानुहू की विशेष कामिल सिफतों के बयान का सिलसिला चल रहा है जो हकीकत में तौहीद (अल्लाह के एक होने और उसी के साथके इबादत होने) की दलीलें हैं। इस आयत में फरमाया:

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمَعَالِ ۝

गैब से मुराद वह चीज है जो इनसानी हवास से गायब हो यानी न आँखों से उसको देखा जा सके, न कानों से सुना जा सके, न नाक से सूँघा जा सके, न ज़बान से चखा जा सके, न हाथों से छूकर मालूम किया जा सके।

शहादत इसके मुकाबले में दो चीजें हैं जिनको उक्त इनसानी हवास के जरिये मालूम किया जा सके। मायने यह है कि अल्लाह तआला ही की खास सिफते कमाल यह है कि वह हर गैब को इसी तरह जानता है जिस तरह हाज़िर व मौजूद को जानता है।

अल्-कबीर के मायने बड़ा और मुत्तआल के मायने बाला व बुलन्द। मुराद इन दोनों लफ्जों से यह है कि वह मख्लूक़ात की सिफ़ात से बाला व बुलन्द और बड़ा है। काफ़िर व मुश्रिक लोग संक्षिप्त तौर पर अल्लाह तआला की बड़ाई और किब्रियाई का तो इफ़रार करते थे मगर अपनी कफ-समझी से अल्लाह तआला की भी आप इनसानों पर कियास करके अल्लाह के लिये ऐसी सिफ़ात साबित करते थे जो उसकी शान से बहुत दूर हैं। जैसे यहूदियों व ईसाईयों ने अल्लाह के लिये बेटा साबित किया, किसी ने अल्लाह के लिये इनसान की तरह जिस्म और अंग साबित किये, किसी ने रुख और दिशा को साबित किया, हालाँकि वह इन तमाम हालात व सिफ़ात से बाला व बुलन्द और पाक है। कुरआने करीम ने उनकी बयान की हुई इन सिफ़ात से बराअत के लिये बार-बार फरमाया:

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

“यानी पाक है अल्लाह उन सिफ़ात से जो ये लोग बयान करते हैं।”

पहले जुमले:

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

में तथा, इससे पहली आयत:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ

में अल्लाह जल्ल शानुहू के इल्मी कपाल का बयान था, इस दूसरे जुमले:

الْكَبِيرِ الْمَعَالِ ۝

में कुदरत व बड़ाई के कमाल का जिक्र है कि उसकी ताक़त व कुदरत इनसानी तसव्वुरात (सोच और कल्पनाओं) से बालातर है। इसके बाद की आयत में भी इसी इल्मी कमाल और

क़ुदरत को एक खास अन्दाज़ से बयान करमाया है:

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

‘असररल्-कौल’ असरार से बना है जिसके मायने खुफ़िया कलाम और जहर के मायने ऐलानिया कलाम के हैं। जो कलाम इनसान किसी दूसरे को सुनाने के लिये करता है उसे जहर कहते हैं, और जो खुद अपने आपको सुनाने के लिये करता है उसको सिर कहा जाता है। मुस्तख़फ़ के मायने छुपने वाला, सारिब के मायने आज़ादी और बेफ़िक्री से रास्ते पर चलने वाला।

आयत के मायने यह हैं कि अल्लाह तआला शानुहू के कामिल इल्म की वजह से उसके नज़दीक खुफ़िया कलाम करने वाला और बुलन्द आवाज़ से कलाम करने वाला दोनों बराबर हैं, वह दोनों के कलाम को बराबर तौर पर सुनता और जानता है। इसी तरह जो शख्स रात की अंधेरी में छुपा हुआ है और जो दिन के उजाले में खुले रास्ते पर चल रहा है, ये दोनों उसके इल्म और क़ुदरत के एतिबार से बराबर हैं, कि दोनों के अन्दरूनी और ज़ाहिरी सब हालात उसको बराबर मालूम हैं, और दोनों पर उसकी क़ुदरत बराबर हावी है, कोई उसकी क़ुदरत से बाहर नहीं। इसी का और अधिक बयान अगली आयत में इस तरह है:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

‘मुअक्किबातुन’ मुअक्किबा की जमा (बहुवचन) है, उस जमाअत को जो दूसरी जमाअत के पीछे साथ लगकर आये उसको मुअक्किबा या मुतअक्किबा कहा जाता है।

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

के लफ़्ज़ी मायने हैं दोनों हाथों के दरमियान। मुराद इनसान के सामने की दिशा है।

وَمِنْ خَلْفِهِ

पीछे की जानिब।

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

में ‘मिन्’ सबब के मायने बयान करने के लिये है और ‘बिअम्रिल्लाहि’ के मायने में आया है। कुछ क़िराअतों में यह लफ़्ज़ बिअम्रिल्लाहि मन्कूल भी है। (रूहुल-मआनी)

आयत के मायने यह हैं कि हर शख्स चाहे अपने कलाम को छुपाता है या ज़ाहिर करना चाहता है, इसी तरह अपने चलने फिरने को रात की अंधेरियों के ज़रिये छुपाना चाहता है या खुलेआम सड़कों पर फिरे, इन सब इनसानों के लिये अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़रिश्तों की जमाअतें मुकरर हैं, जो उनके आगे और पीछे से घेरा डाले हुए हैं, जिनकी खिंदमत और ड्यूटी बदलती रहती है और वे एक के बाद एक आती रहती हैं। उनके जिम्मे यह काम है कि वे अल्लाह के हुक्म से इनसानों की हिफ़ाज़त करें।

सही बुख़ारी की हदीस में है कि फ़रिश्तों की दो जमाअतें हिफ़ाज़त के लिये मुकरर हैं- एक

रात के लिये, दूसरी दिन के लिये। और ये दोनों जमाअतें सुबह और असर की नमाजों में जमा होती हैं, सुबह की नमाज के बाद रात के मुहाफिज़ (निगराँ) रुख़्त हो जाते हैं, दिन के मुहाफिज़ काम संभाल लेते हैं, और असर की नमाज के बाद ये रुख़्त हो जाते हैं, रात के फ़रिश्ते इयूरी पर आ जाते हैं।

हदीस शरीफ़ की किताब अबू दाऊद की एक हदीस में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि हर इनसान के साथ कुछ हिफ़ाज़त करने वाले फ़रिश्ते मुकरर हैं जो उसकी हिफ़ाज़त करते रहते हैं कि उसके ऊपर कोई दीवार वगैरह न गिर जाये, या किसी गढ़े और ग़ार में न गिर जाये, या कोई जानवर या इनसान उसको तकलीफ़ न पहुँचाये, अलबत्ता जब अल्लाह का हुक्म किसी इनसान को बला व मुसीबत में मुब्तला करने के लिये नाफ़िज़ हो जाता है तो मुहाफिज़ फ़रिश्ते वहाँ से हट जाते हैं। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

इब्ने जरीर की एक हदीस से जो हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से है यह भी मालूम होता है कि उन मुहाफिज़ फ़रिश्तों का काम सिर्फ़ दुनियावी मुसीबतों और तकलीफ़ों ही से हिफ़ाज़त नहीं बल्कि वे इनसान को गुनाहों से बचाने और महफूज़ रखने की भी कोशिश करते हैं। इनसान के दिल में नेकी और ख़ौफ़े खुदा का जज़्बा जगाते रहते हैं, जिसके ज़रिये वह गुनाह से बचे। और अगर फिर भी वह फ़रिश्तों के इल्हाम (दिल में बात डालने) से ग़फलत बरत कर गुनाह में मुब्तला ही हो जाये तो वे इसकी दुआ और कोशिश करते हैं कि यह जल्द तौबा करके गुनाह से पाक हो जाये, फिर अगर वह किसी तरह सचेत नहीं होता तब वे उसके नामा-ए-आमाल में गुनाह का काम लिख देते हैं।

खुलासा यह है कि ये मुहाफिज़ फ़रिश्ते दीन व दुनिया दोनों की मुसीबतों और आफ़तों से इनसान की सोते जागते हिफ़ाज़त करते रहते हैं। हज़रत कअबे अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अगर इनसान से अल्लाह की हिफ़ाज़त का यह पहरा हटा दिया जाये तो जिन्नात इनकी ज़िन्दगी वबाल कर दें, लेकिन ये सब हिफ़ाज़ती पहरे उसी वक़्त तक काम करते हैं जब तक अल्लाह की लिखी हुई तकदीर उनकी हिफ़ाज़त की इजाज़त देती है, और जब अल्लाह तआला ही किसी बन्दे को मुब्तला करना चाहें तो यह हिफ़ाज़ती पहरा हटा दिया जाता है।

इसी का बयान अग़ली आयत में इस तरह किया गया है:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذْ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلَاحٍ مَّرَدُّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝

“यानी अल्लाह तआला किसी कौम की अमन व आफ़ियत की हालत को आफ़त व मुसीबत में उस वक़्त तक तब्दील नहीं करते जब तक वह कौम खुद ही अपने आमाल व हालत को बुराई और फ़साद में तब्दील न कर ले। और जब वह अपने हालात को सरकशी और नाफ़रमानी से बदलती है तो अल्लाह तआला भी अपना तरीका बदल देते हैं। और यह ज़ाहिर है कि जब अल्लाह तआला ही किसी का बुरा चाहें और अज़ाब देना चाहें तो न फिर कोई उसको टाल सकता है और न कोई अल्लाह के हुक्म के खिलाफ़ उनकी मदद को पहुँच सकता है।

वर्षा-काल का है कि अल्लाह जेबल शानुदू की तरफ से इनसानों की हिफाज़त के लिये फ़रिश्तों का पहरा लगा रहता है, लेकिन जब कोई कौम अल्लाह तआला की नेमतों का शुक्र और उसकी इताअत छोड़कर बुरे आमाल, ग़लत किरदार और सरकशी ही इख़्तियार कर ले तो अल्लाह तआला भी अपना हिफाज़ती पहरा उठा लेते हैं, फिर खुदा तआला का क़हर व अज़ाब उन पर आता है, जिससे बचने की कोई सूरत नहीं रहती।

इस वज़ाहत व तफ़सील से मालूम हुआ कि उक्त आयत में हालात के बदलने से पुराद यह है कि जब कोई कौम इताअत और शुक्रगुज़ारी छोड़कर अपने हालात में बुरी तब्दीली पैदा करे तो अल्लाह तआला भी अपना रहमत व हिफाज़त का मामला बदल देते हैं।

इस आयत का जो आम तौर पर वह मफ़हूम (मतलब) बयान किया जाता है कि किन्ती कौम में अच्छा इन्क़िलाब उस वक़्त तक नहीं आता जब तक वह खुद उस अच्छे इन्क़िलाब के लिये अपने हालात को दुरुस्त न कर ले, इसी मफ़हूम में यह शेर मशहूर है:

खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली
न हो जिसको ख़्याल खुद अपनी हालत के बदलने का

यह बात अगरचे एक हद तक सही है मगर इस आयत का यह मफ़हूम नहीं, और इसका सही होना भी एक आम क़ानून की हैसियत से है कि जो शख्स खुद अपने हालात की इस्लाह (सुधार) का इरादा नहीं करता अल्लाह तआला की तरफ से भी उसकी इमदाद व नुसरत का वादा नहीं, बल्कि यह वादा उसी हालत में है जब कोई खुद भी इस्लाह की फ़िक्र करे जैसा कि आयते करीमा:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

से मालूम होता है कि अल्लाह तआला की तरफ से भी हिदायत के रास्ते तब ही खुलते हैं जब खुद हिदायत की तलब मौजूद हो, लेकिन अल्लाह के इनामात इस क़ानून के पाबन्द नहीं, कई बार इसके बग़ैर भी अता हो जाते हैं:

दादे हक़ रा काबलियत शर्त नेस्त

बल्कि शर्ते काबलियत दाद हस्त

खुद हमारा वजूद और इसमें बेशुमार नेमतें न हमारी कोशिश का नतीजा हैं न हमने कभी इसके लिये दुआ माँगी थी कि हमें ऐसा वजूद अता किया जाये जिसकी आँख, नाक, कान और सब कुव्वतें व अंग दुरुस्त हों, ये सब नेमतें बिना माँगे ही मिली हैं:

मा नबूदेम व तकाज़ा-ए-मा न बूद

लुत्फ़े तू नागुफ़ता-ए-मा मी शनवद

न हमारा कोई वजूद था और न हमारी कुछ माँग और तकाज़ा था। यह तेरा लुत्फ़ व करम है कि तू हमारी बिना माँगी ज़रूरत व तकाज़े सुन लेता और अपनी रहमत से उसे कुबूल फ़रमाता है। मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

अलबत्ता इनामात का हकदार बनना और उनका वायदा बगैर अपनी कोशिश के हासिल नहीं होता, और किसी कौम का बगैर कोशिश व अमल के इनामात का इन्तिज़ार करते रहना अपने आपको धोखा देने के बराबर है।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبُرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ السَّحَابَ الْبِقَالِ ۝

यानी अल्लाह तआला ही की ज़ात पाक है, जो तुम्हें बर्फ व बिजली दिखलाता है, जो इन्सान के लिये खौफ भी बन सकती है कि जिस जगह गिर पड़े सब को खाक कर डाले, और उम्मीद व इच्छा भी होती है कि बिजली की चमक के बाद बारिश आयेगी जो इन्सान और हैवानात की जिन्दगी का सहारा है। और वही पाक ज़ात है जो बड़े-बड़े भारी बादल समन्दर से पानसून बनाकर उठाता है और फिर उन पानी से भरे हुए बादलों को फिज़ा में बड़ी तेज़ी के साथ कहीं से कहीं ले जाता है, और अपने तयशुदा हुक्म के मुताबिक जिस ज़मीन पर चाहता है बरसाता है।

وَيَسِّعُ الرُّعْدَ بِحَمَلِهِ وَالْمَلِكَةَ مِنْ حَيْثُهَا.

यानी तस्बीह पढ़ता है रज़द अल्लाह तआला की तारीफ व शुक की, और तस्बीह पढ़ते हैं फ़रिश्ते उसके खौफ की। रज़द उर्फ व मुहाबरे में बादल की आवाज़ को कहा जाता है जो बादलों के आपसी टकराव से पैदा होती है। उसके तस्बीह पढ़ने से पुराद वही तस्बीह है जिसके बारे में कुरआने करीम की एक दूसरी आयत में आया है कि ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह न करती हो, लेकिन यह तस्बीह आम लोग सुन नहीं सकते।

और हदीस की कुछ रिवायतों में है कि रज़द उस फ़रिश्ते का नाम है जो बारिश बरसाने पर मुसल्लत और लगाया हुआ है। इस मायने के एतिबार से तस्बीह पढ़ना ज़ाहिर है।

وَيُرِي السَّوَاقِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ.

सवाज़िक साज़िका की जप्पा (बहुवचन) है, ज़मीन पर गिरने वाली बिजली को साज़िका कहा जाता है। आयत का मतलब यह है कि अल्लाह तआला ही ये बिजलियाँ ज़मीन पर भेजता है जिनके ज़रिये जिसको चाहता है जला देता है।

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ ۝

तफ़ज़ मिहाल हीला व तदबीर के मायने में है, और अज़ाब व सज़ा के मायने में भी, और कुदरत के मायने में भी। आयत के भायने यह है कि ये लोग अल्लाह तआला की तौहीद के मामले में आपसी झगड़े और विवाद में मुस्तला हैं, हालाँकि अल्लाह तआला बड़ी मज़बूत तदबीर करने वाले हैं, जिनके सामने किसी की चाल नहीं चलती।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ

دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي
الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
زَبَدًا زَابِيًا وَمَتَّابُ يُوْقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَرَدٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

وَمَا يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

कुल् मर्बुस्समावाति वल् अर्जि,
कुलिल्लाहु, कुल् अ-फत्तख्रज्जुम् मिन्
दूनिही औलिया-अ ला यम्लिकू-न
लिअन्फुसिहिम् नफअं-व ला जर्न,
कुल् हल् यस्तविल्-अअमा धल्बसीरु
अम् हल् तस्तविज्जुलुमातु वन्नूरु,
अम् ज-अलू लिल्लाहि शु-रका-अ
ख-लकू क-खल्किही फ-तशाबहल्-
खल्कु अलैहिम्, कुलिल्लाहु खालिकु
कुल्लि शैइव्-व हुवल् वाहिदुल्-
कहहार (16) अन्ज-ल मिनस्समा-इ
माअन् फ सालत् औ दि-यतुम्
बि-क-दरिहा फह्त-मलस्सैलु ज-बदर-
राबियन्, व मिम्मा यूकिदू-न अलैहि
फिन्नारिब्लिगा-अ हिल्यतिन् औ
मताअिन् ज-बदुम्-मिस्तुह, कजालि-क
यजिरबुल्लाहुल्-हक्-क वल्बाति-ल,

पूछ कौन है रब आसमान और जमीन
का, कह दे अल्लाह। कह फिर क्या तुमने
पकड़े हैं उसके सिवा ऐसे हिमायती जो
मालिक नहीं अपने भले और बुरे के। कह
क्या बराबर होता है अंधा और देखने
वाला? या कहीं बराबर है अंधेरा और
उजाला? क्या ठहराये हैं उन्होंने अल्लाह
के लिये शरीक कि उन्होंने कुछ पैदा
किया है जैसे पैदा किया अल्लाह ने, फिर
संदिग्ध हो गई पैदाईश उनकी नजर में,
कह अल्लाह है पैदा करने वाला हर चीज
का, और वही है अकेला जबरदस्त। (16)
उतारा उसने आसमान से पानी, फिर
बहने लगे नाले अपनी-अपनी मात्रा के
मुवाफिक, फिर ऊपर ले आया वह नाला
झाग फूला हुआ, और जिस चीज को
घोंकते हैं आग में जेवर के या असबाब
के वास्ते, उसमें भी झाग है वैसा ही, यूँ
वयान करता है अल्लाह हक और बातिल
को, सो वह झाग तो जाता रहता है सूख

फ-अम्मज्ज-बदु फ-यज़्हबु जुफ़ा-अन्
 व अम्मा मा यन्फ़अुन्ना-स फ़यम्कुसु
 फ़िल्अज़ि, कज़ालि-क यज़िर्बुल्लाहुल्
 -अम्साल (17)

कर और वह जो काम आता है लोगों के
 सो बाकी रहता है ज़मीन में, इस तरह
 बयान करता है अल्लाह मिसालें। (17)

खुलासा-ए-तफ़सीर

आप (उनसे यूँ) कहिये कि आसमानों और ज़मीन का परबर्दिगार (यानी बनाने और बाकी रखने वाला अर्थात् ख़ालिक व हाफ़िज़) कौन है? (और यूँके इसका जवाब मुतैयन है इसलिये जवाब भी) आप (ही) कह दीजिये कि अल्लाह है। (फिर) आप यह कहिये कि क्या (ये तौहीद की दलीलें सुनकर) फिर भी तुमने खुदा के लिवा दूसरे मददगार (यानी माबूद) करार दे रखे हैं जो (पूरी तरह बेबस होने की वजह से) खुद अपनी ज़ात के नफ़े-नुक़सान का भी इख़्तियार नहीं रखते (और फिर शिर्क के रद्द और तौहीद के साबित करने के बाद ईमान वालों और शिर्क वालों और खुद ईमान व शिर्क के दरमियान फ़र्क के इज़हार के लिये) आप यह (भी) कहिये कि क्या अन्धा और आँखों वाला बराबर हो सकता है? (यह मिसाल है मुशिरक और ईमान वाले की) या कहीं अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकती है? (यह मिसाल है शिर्क और तौहीद की), या उन्होंने अल्लाह के ऐसे शरीक करार दे रखे हैं कि उन्होंने भी (किसी चीज़ को) पैदा किया हो जैसे कि खुदा (उनके मानने के मुवाफ़िक़ भी) पैदा करता है, फिर (इस वजह से) उनको (दोनों का) पैदा करना एक सा मालूम हुआ हो (और उससे दलील पकड़ी हो कि जब दोनों बराबर तौर पर ख़ालिक हैं तो दोनों बराबर तौर पर माबूद भी होंगे। इसके मुताल्लिक़ भी) आप (ही) कह दीजिये कि अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही (अपनी ज़ात और कामिल सिफ़ात में) वाहिद है (और सब मख़्लूक़ात पर) ग़ालिब है।

अल्लाह तआला ने आसमानों से पानी नाज़िल फ़रमाया, फिर (उस पानी से) नाले (भरकर) अपनी भिख़दार "यानी मात्रा" के मुवाफ़िक़ चलने लगे (यानी छोटे नाले में थोड़ा पानी और बड़े नाले में ज्यादा पानी) फिर वह सैलाब (का पानी) कूड़े-कबाड़ को बहा लाया जो उस (पानी) की (सतह) के ऊपर (आ रहा) है। (एक कूड़ा करकट तो यह है) और जिन चीज़ों को आग के अन्दर (रखकर) ज़ेहर और असबाब (बरतन वगैरह) बनाने की गर्ज से तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही मैल-कुचैल (ऊपर आ जाता) है (पस इन दो मिसालों में दो चीज़ें हैं, एक कारामद चीज़ कि असल पानी और असल माल है और एक नाकारा चीज़ कि कूड़ा-करकट मैल-कुचैल है। गर्ज कि) अल्लाह तआला हक़ (यानी तौहीद व ईमान वगैरह) और धातिल (यानी कुफ़ व शिर्क वगैरह) की इसी तरह की-मिसाल बयान कर रहा है (जिसकी तकमील अगले मज़मून से होती है) सो (इन दोनों ज़िक्र हुई मिसालों में) जो मैल-कुचैल था वह तो फेंक दिया जाता है और जो चीज़

लोगों के लिये कारामद है वह दुनिया में (नफ़ा पहुँचाने के साथ) रहती है (और जिस तरह हक़ व बातिल की मिसाल बयान की गई) अल्लाह तआला इसी तरह (हर ज़रूरी मज़मून में) मिसालें बयान किया करते हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

हासिल दोनों मिसालों का यह है कि जैसे इन मिसालों में मैल-कुचैल कुछ ही वक़्त के लिये असली चीज़ के ऊपर नज़र आता है लेकिन अन्जामकार वह फेंक दिया जाता है और असली चीज़ रह जाती है, इसी तरह बातिल (गैर-हक़) अगरचे चन्द दिन हक़ के ऊपर ग़ालिब नज़र आये, लेकिन आखिरकार बातिल मिट जाता और झुक जाता है, और हक़ बाकी और साबित रहता है। यही मज़मून तफ़सीरे जलालैन में बयान किया गया है।

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۗ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۗ أَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْيٰ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَكْبَابِ ۗ الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ الْبَيْثَاقَ ۗ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۗ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۗ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۗ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۗ

लिल्लज़ीनस्तजाबू लिरब्बिहिमुल्-
हुस्ना, वल्लज़ी-न लम् यस्तजीबू लहू
लौ अन्-न लहुम् मा फ़िल्अर्जि
जमीअव्-व मिस्लहू म-अहू लफ्तदौ
बिही, उलाइ-क लहुम् सूउल्-हिसाबि
व मअ्वाहुम् ज-हन्नमु, व बिअ्सल्-
मिहाद। (18) ● ●

जिन्होंने माना अपने रब का हुक्म उनके वास्ते भलाई है, और जिन्होंने उसका हुक्म न माना अगर उनके पास हो जो कुछ कि जमीन में है सारा और इतना ही उसके साथ और तो सब देवों अपने बदले में, उन लोगों के लिये है बुरा हिसाब, और ठिकाना उनका दोज़ख़ है, और वह बुरी आराम की जगह है। (18) ● ●

अ-फ़मंय्यअलमु अन्नमा उन्जि-ल
 इलै-क मिरबिबकल्-हक्कु क-मन्
 हु-व अअमा, इन्नमा य-तजक्करु
 उलुल्-अल्बाब (19) अल्लजी-न
 यूफू-न बिअहिदल्लाहि व ला
 यन्कुज़ूनल्-भीसाक (20) वल्लजी-न
 यसिलू-न मा अ-भरल्लाहु बिही
 अयूस-ल व यखशौ-न रब्बहुम् व
 यख्राफू-न सूअल्-हिसाब (21)
 वल्लजी-न स-वरुब्तिगा-अ वज्हि
 रबिबहिम् व अकामुस्सला-त व
 अन्फक्कू मिम्मा रज़फ़नाहुम् सिररं-व
 अ लानि-यतं व-व यद रऊ-न
 बिल्ह-स-नतिस्सय्यि-अ-त उलाइ-क
 लहुम् अुकवद्दार (22) जन्नातु
 अदनिंयू-यदखुलू-नहा व मन् स-ल-ह
 मिन् आवइहिम् व अज़्वाजिहिम् व
 ज़ुरिध्यातिहिम् वल्मलाइ-कतु
 यदखुलू-न अलैहिम् मिन् कुल्लि बाब
 (23) सलामुन् अलैकुम् बिमा
 सबरतुम् फनिज़-म अुकवद्दार (24)

भला जो शख़्रा जानता है कि जो कुछ
 उतरा तुझ पर तेरे रब से हक्क है, बराबर
 हो सकता है उसके जो कि अंधा हो,
 समझते वही हैं जिनको अक्ल है। (19)
 वे लोग जो पूरा करते हैं अल्लाह के
 अहद को और नहीं तोड़ते उस अहद
 को। (20) और वे लोग जो मिलाते हैं
 जिसको अल्लाह ने फ़रमाया मिलाना और
 डरते हैं अपने रब से, और अन्देशा रखते
 हैं बुरे हिसाब का। (21) और वे लोग
 जिन्होंने सब किया अपने रब की रज़ा के
 लिये और कायम रखी नमाज़ और खर्च
 किया हमारे दिये में से छुपे और ज़ाहिर,
 और करते हैं बुराई के मुकाबले में भलाई,
 उन लोगों के लिये है आख़िरत का घर।
 (22) याग हैं रहने के दाख़िल होंगे उनमें,
 और जो नेक हुए उनके बाप-दादाओं में
 और बीवियों में और औलाद में, और
 फ़रिश्ते आयेंगे उनके पास हर दरवाज़े
 से। (23) कहेंगे सलामती तुम पर बदले
 में इसके कि तुमने सब किया, सो ख़ूब
 मिला आक़िबत का घर। (24)

खुलासा-ए-तफ़सीर

जिन लोगों ने अपने रब का कहना मान लिया (और ईमान और फ़रमाँवरदारी को इख़्तियार कर लिया) उनके वास्ते अच्छा बदला (यानी जन्नत मुकरर) है, और जिन लोगों ने उसका कहना न माना (और कुफ़्र व नाफ़रमानी पर कायम रहे) उनके पास (कियामत के दिन) अगर लमाम

दुनिया नर की चीजें (मांजूद) में और (यल्कि: उसके साथ उर्रा के नगर आर मो (मान ३ दैन्नत) हो, तो वह सब अपनी रिहाई के लिये दे डालें। उन लोगों का सख्त हिसाब होगा (जितको दूसरी आयत में 'हिसाब-ए-असीर' फरमाया है) और उनका ठिकाना (हमेशा के लिये) दोज़ख है, और वह बुरा ठिकाना है।

जो शख्स यह यकीन रखता हो कि जो कुछ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम) के रब की तरफ़ से आप पर नाज़िल हुआ है वह सब हक़ है, क्या ऐसा शख्स उसकी तरह हो सकता है जो कि (इत इल्म से विल्कुल) अन्धा है (यानी काफ़िर व मोमिन बराबर नहीं), पर नसीहत को समझदार लोग ही कुबूल करते हैं। (और) ये (समझदार) लोग ऐसे हैं कि अल्लाह से जो कुछ इन्होंने अहद किया है उसको पूरा करते हैं और (उस) अहद को तोड़ते नहीं। और ये ऐसे हैं कि अल्लाह तआला ने जिन ताल्लुफ़ात के कायम रखने का हुक्म किया है उनको कायम रखते हैं, और अपने रब से डरते रहते हैं, और सख्त अज़ाब का अन्देशा रखते हैं (जो काफ़िरों के साथ खास होगा, इसलिये कुफ़्र से बचते हैं)। और ये लोग ऐसे हैं कि अपने रब की रज़ामन्दी को ढूँढते हुए (दीने हक़ पर) मज़बूत रहते हैं, और नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं, और जो कुछ हमने उनको रोज़ी दी है उसमें से चुपके से भी और ज़ाहिर करके भी (जैसा मौक़ा होता है) खर्च करते हैं। और (लोगों के) बुरे व्यवहार को (जो उनके साथ किया जाये) अच्छे सुलूक से टाल देते हैं (यानी कोई उनके साथ बुरा बर्ताव करे तो कुछ ख़याल नहीं करते बल्कि उसके साथ अच्छा सुलूक करते हैं), उस जहान में (यानी आख़िरत में) नेक अन्जाम उन्हीं लोगों के वास्ते है, यानी हमेशा रहने की जन्नतें जिनमें वे लोग भी दाख़िल होंगे और उनके माँ-बाप और वीवियाँ और औलाद में से जो (जन्नत के) लायक़ (यानी मोमिन) होंगे (अगरचे वे उनके दर्जे के न हों) वे भी (जन्नत में उनकी बरकत से उन्हीं के दर्जों में) दाख़िल होंगे, और फ़रिश्ते उनके पास हर (तरफ़ के) दरवाज़े से आते होंगे (और यह कहते होंगे) कि तुम (हर आफ़त और ख़तरे से) सही-सलामत रहोगे इसकी बदौलत कि तुम (दीने हक़ पर) मज़बूत रहे थे, सो इस जहान में तुम्हारा अन्जाम बहुत अच्छा है।

मअरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में हक़ व बातिल को मिसालों के ज़रिये वाज़ेह किया गया था। इन आयतों में हक़ वालों और ग़ैर-हक़ वालों की निशानियों व सिफ़ात और उनके अच्छे और बुरे आमाल और उनकी जज़ा व सज़ा का बयान है।

पहली आयत में अल्लाह के अहक़ाम की तांमील व इताअत करने वालों के लिये अच्छे बदले का और नाफ़रमानी करने वालों के लिये सख्त अज़ाब का ज़िक़्र है।

दूसरी आयत में इन दोनों की मिसाल दीना (देखने वाले) और नाबीना (अंधे) से दी गई है, और इसके आख़िर में फ़रमाया:

यानी अगरचे बात स्पष्ट है मगर इसको वही समझ सकते हैं जो अकल वाले हैं, जिनका अकल तोपरवाही और नाफरमानी ने बेकार कर रखी है वे इतने बड़े स्पष्ट फर्क को भी नहीं समझते।

तीसरी आयत से इन दोनों फ़रीकों के खास-खास आमात्र और निशानियों का बयान शुरू हुआ है। पहले अल्लाह के अहकाम के मानने वालों की सिफ़ात यह जिक्र फ़रमाई है:

الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

यानी वे वे लोग हैं जो अल्लाह तआला से किये हुए अहद को पूरा करते हैं। इससे मुराद वो तमाम अहद व पैमान हैं जो अल्लाह तआला ने अपने बन्दों से लिये हैं, जिनमें सबसे पहला अपने रब होने का वह अहद है जो कारनात के पहले दिन में तमाम रूहों को हाज़िर करके लिया गया था:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ

यानी "क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?" जिसके जवाब में सब ने एक ज़बान होकर कहा था:

بلى

यानी "क्यों नहीं" आप ज़रूर हमारे रब हैं। इसी तरह तमाम अल्लाह के तमाम अहकाम को इताअत, तमाम फ़राईज़ की अदायेगी और नाजायज़ चीज़ों से बचने की अल्लाह की तरफ़ से वसीयत और बन्दों की तरफ़ से उसका इकरार कुरआन की अनेक आयतों में बयान हुआ है।

दूसरी सिफ़त:

وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ

है। यानी वे किसी अहद व पैमान की खिलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) नहीं करते। इसमें वो अहद व पैमान भी दाख़िल हैं जो बन्दे और अल्लाह तआला के बीच हैं, जिनका जिक्र अभी पहले ज़ुमले में 'अहदुल्लाहि' के अलफ़ाज़ से किया गया है, और वो अहद भी जो उम्मत के लोग अपने रबी व रसूल से करते हैं, और वे मुज़ाहदे भी जो एक इन्सान दूसरे इन्सान के साथ करता है।

इमाम अबू दाऊद ने हज़रत अीफ़ इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से यह हदीस नक़ल की है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने सहाबा किराम से इस पर अहद और बैअत ली कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगे और पाँच वक़्त नमाज़ को पाबन्दी से अदा करेंगे, और अपने अमीनों की इताअत करेंगे और किसी इन्सान से किसी चीज़ का सवाल न करेंगे।

जो लोग इस बैअत में शरीक थे उनका हाल अहद की पाबन्दी में यह था कि अगर घोड़े पर सवारी के वक़्त उनके हाथ से कौड़ा गिर जाता तो किसी इन्सान से न कहते कि यह कौड़ा उठा दो, बल्कि खुद सवारी से उतरकर उठाते थे।

यह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत व अज़मत और फ़रमाँबरदारी के जज़्बे का असर था, वरना यह ज़ाहिर था कि इस तरह के सवाल से मना फ़रमाना मकसूद न था। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा मस्जिद में दाख़िल हो रहे थे देखा कि आप सल्ल. खुतबा दे रहे हैं और इतिफ़ाक़ से उनके मस्जिद में दाख़िल होने के वक़्त आपकी ज़बाने मुबारक से यह कलिमा निकला कि “बैठ जाओ” अब्दुल्लाह बिन मसऊद जानते थे कि इसका यह मतलब नहीं कि सड़क पर या बेमौका किसी जगह कोई है तो वहीं बैठ जाये, मगर फ़रमाँबरदारी और हुक्म मानने के जज़्बे ने उनको आगे क़दम बढ़ाने न दिया, दरवाज़े से बाहर ही जहाँ यह आवाज़ कानों में पड़ी उसी जगह बैठ गये।

तीसरी सिफ़त अल्लाह तआला के फ़रमाँबरदारों की यह बतलाई गई:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

“यानी ये लोग ऐसे हैं कि अल्लाह तआला ने जिन ताल्लुकात के कायम रखने का हुक्म दिया है उनको कायम रखते हैं।” इसकी मशहूर तफ़्सीर तौ यही है कि रिश्तेदारी के ताल्लुकात कायम रखने और उनके तकाज़ों पर अमल करने का अल्लाह तआला ने जो हुक्म दिया है ये लोग उन ताल्लुकात को कायम रखते हैं। कुछ मुफ़स्सरीन हज़रात ने फ़रमाया कि इससे मुराद यह है कि ये लोग ईमान के साथ नेक अमल को या आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और कुरआने करीम पर ईमान के साथ पिछले नबियों और उनकी किताबों पर ईमान को मिला देते हैं।

चौथी सिफ़त यह बयान फ़रमाई:

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

यानी ये लोग अपने रब से डरते हैं। यहाँ लफ़्ज़ ख़ौफ़ के बजाय ख़शियत का लफ़्ज़ इस्तेमाल करने में इस तरफ़ इशारा है कि अल्लाह तआला से उनका ख़ौफ़ इस तरह का नहीं जैसे फाड़ खाने वाले जानवर या तकलीफ़ देने वाले इन्सान से तबई तौर पर ख़ौफ़ हुआ करता है, बल्कि ऐसा ख़ौफ़ है जैसे औलाद को माँ-बाप का, शागिर्द को उस्ताद का ख़ौफ़ आदतन होता है, कि उसका मंशा किसी तकलीफ़ पहुँचाने का ख़ौफ़ नहीं होता बल्कि सम्मान व मुहब्बत की वजह से ख़ौफ़ इसका होता है कि कहीं हमारा कोई कौल व फ़ैल अल्लाह तआला के नज़दीक नापसन्द और मक्रूह न हो जाये। इसी लिये तारीफ़ के मक़ाम में जहाँ कहीं अल्लाह तआला के ख़ौफ़ का ज़िक्र है उमूमन वहाँ यही लफ़्ज़ यानी ख़शियत इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ख़शियत उसी ख़ौफ़ को कहा जाता है जो बड़ाई व मुहब्बत की वजह से पैदा होता है। इसी लिये अगले जुमले में जहाँ हिसाब की सख़्ती का ख़ौफ़ बयान किया गया है वहाँ ख़शियत का लफ़्ज़ नहीं बल्कि ख़ौफ़ ही का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इरशाद फ़रमाया:

وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

“यानी ये लोग बुरे हिसाब से डरते हैं।” बुरे हिसाब से मुराद हिसाब में सख़्ती और गहन

पूछताछ है। हज़रत आबू शासिद की रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि इनसान को निजास में अल्लाह की रहमत से हो सकती है, कि आमत के हिसाब के वक़्त सरसरी तौर पर और माफ़ी व दरगुज़र से काम लिया जाये, वरना जिस शख्स से भी पूरा-पूरा ज़र्रे-ज़र्रे का हिसाब ले लिया जाये उसका अजायब से बचना मुम्किन नहीं। क्योंकि ऐसा कौन है जिससे कोई गुनाह व ख़ता कभी न हुआ हो? यह हिसाब की सख़्ती का ख़ौफ़ नेक व फ़र्माँबरदार लोगों की पाँचवीं सिफ़त है।

छठी सिफ़त यह बयान फ़रमाई:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِالْبَغَاءِ وَجْهٍ رَبِّهِمْ

“यानी वे लोग जो ख़ालिस अल्लाह तआला की रज़ा तलब करने के लिये सब्र करते हैं।”

सब्र के मायने अरबी भाषा में उस मफ़हूम से बहुत आम हैं जो उर्दू भाषा में समझा जाता है कि किसी मुसीबत और तकलीफ़ पर सब्र करें। क्योंकि इसके असली मायने ख़िलाफ़े तबीयत चीज़ों से परेशान न होना, बल्कि साबित-क़दयी के साथ अपने काम पर लगे रहना है, इसी लिये इसकी दो किस्में बयान की जाती हैं- एक ‘सब्र अलल-इताअत’ यानी अल्लाह तआला के अहकाम की तामील पर जमे रहना, दूसरे ‘सब्र अनिल-मासियत’ यानी गुनाहों से बचने पर साबित-क़दम रहना।

सब्र के साथ ‘इब्तिगा-अ वजिह रब्बिहिम’ की क़ैद (शर्त) ने यह बतलाया कि आम सब्र कोई फ़ज़ीलत की चीज़ नहीं, क्योंकि कभी न कभी तो बेसब्रे इनसान को भी अन्जामकार एक मुद्दत के बाद सब्र आ ही जाता है, जो सब्र ग़ैर-इख़्तियारी हो उसकी कोई खास फ़ज़ीलत नहीं, न ऐसी ग़ैर-इख़्तियारी क़ैफ़ियत का अल्लाह तआला किसी को हुक्म देते हैं। इसी लिये हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

“यानी असली और मोतबर सब्र तो वही है जो सदमे की शुरुआत के वक़्त इख़्तियार का लिया जाये, वरना बाद में तो कभी न कभी जबरी (ग़ैर-इख़्तियारी) तौर पर इनसान को सब्र आ ही जाता है। बल्कि काबिले तारीफ़ व प्रशंसा वह सब्र है कि अपने इख़्तियार से ख़िलाफ़े तबीयत चीज़ को धरदाश्त करे, चाहे वह फ़राईज़ व वाजिबात की अदायेगी हो या हराभ व भापसन्दीदा चीज़ों से बचना हो।

इसी लिये अगर कोई शख्स चोरी की नीयत से किसी मकान में दाख़िल हो गया मगर वहाँ चोरी का मौक़ा न मिला, सब्र करके वापस आ गया तो यह ग़ैर-इख़्तियारी सब्र कोई तारीफ़ व सवाब की चीज़ नहीं, सवाब जब है कि गुनाह से बचना खुदा के ख़ौफ़ और उसकी रज़ा चाहने के सबब से हो।

सातवीं सिफ़त है:

أَقَامُوا الصَّلَاةَ

‘इक़ामत-ए-सल्लात’ के मायने नमाज़ को उसके पूरे आदाब व शर्तों और दिली तदज्जोह के

साथ अदा करना है, सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं। इसी लिये कुरआने करीम में उमूमन नमाज़ का हुक्म 'इक़ामत-ए-सलात' के अलफ़ाज़ से दिया गया है।

आठवीं सिफ़त है:

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

“यानी वे लोग जो अल्लाह के दिये हुए रिज़क में से कुछ अल्लाह के नाम पर भी खर्च करते हैं।” इसमें इशारा किया गया कि तुम से ज़कात वगैरह के जिस माल का मुतालबा अल्लाह तआला करता है वह कुछ तुम से नहीं माँगता बल्कि अपने ही दिये हुए रिज़क का कुछ हिस्सा वह भी सिर्फ़ अढ़ाई फ़ीसद जैसी मामूली व हकीर मात्रा में आप से माँगा जाता है, जिसके देने में आपको तबई तौर पर कोई पसोपेश (संकोच और दुविधा) न होनी चाहिये।

माल को अल्लाह की राह में खर्च करने के साथ 'सिर्रव-व अलानियतन्' (चुपके से और खुलेआम) की क़ैद से मालूम हुआ कि सद्का व ख़ैरात में हर जगह छुपाकर देना ही मुराद नहीं बल्कि कई बार इसका इज़हार भी दुरुस्त और सही होता है। इसीलिये उलेमा ने फ़रमाया कि ज़कात और वाजिब सद्कों का ऐलान व इज़हार ही अफ़ज़ल व बेहतर है, उसका छुपाना मुनासिब नहीं, ताकि दूसरे लोगों को भी शौक व दिलचस्पी और तालीम व हिदायत हो, अलबत्ता नफ़ली सद्कों का ख़ुफ़िया देना अफ़ज़ल व बेहतर है। जिन हदीसों में छुपाकर देने की फ़ज़ीलत आई है वो नफ़ली सद्कों ही के बारे में हैं।

नववीं सिफ़त है:

يَدْرَأُ وَنَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

यानी ये लोग बुराई को भलाई से, दुश्मनी को दोस्ती से, जुल्म को माफ़ी व दरगुज़र से दूर करते हैं। बुराई के जवाब में बुराई से नहीं पेश आते। और कुछ हज़रात ने इसके यह मायने बयान फ़रमाये हैं कि गुनाह को नेकी से दूर करते हैं, यानी अगर किसी वक़्त कोई ख़ता व गुनाह हो जाता है तो उसके बाद नेकी व इबादत की कसरत और एहतिमाम इतना करते हैं कि उससे पिछला गुनाह मिट जाता है। हदीस में है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रात मुअज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत फ़रमाई कि “बदी के बाद नेकी कर लो तो वह बदी को मिटा देगी।” मुराद यह है कि जब उस बदी और गुनाह पर नादिम होकर तौबा कर ली और उसके बाद नेक अमल किया तो यह नेक अमल पिछले गुनाह को मिटा देगा, बगैर शर्मिन्दगी और तौबा के गुनाह के बाद कोई नेक अमल कर लेना गुनाह की माफ़ी के लिये काफ़ी नहीं होता।

अल्लाह तआला के फ़रमाँबरदारों की ये नौ सिफ़तें बयान करने के बाद उनकी जज़ा यह बयान फ़रमाई:

أُولَئِكَ لَهُمْ عِنْدَ الدَّارِ

दार से मुराद आख़िरत का घर है। यानी उन्हीं लोगों के लिये आख़िरत के घर की फ़लाह है। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इरा जगह दार से मुराद दुनिया का घर है, और मुराद यह

है कि नैक लोगों को अगरबंद इस दुनिया में तकलीफें भी पेश आती हैं मगर अन्जामकार दुनिया में भी फलाह व कामयाबी उन्हीं का हिस्सा होता है।

आगे इसी 'उक्बददारि' यानी आखिरत के घर की फलाह का बयान है कि वो 'जन्नत अद्दून' होगी जिनमें वे दाखिल होंगे। अद्दून के मायने ठहरने और करार पकड़ने के हैं, पुराद यह है कि उन जन्नतों से किसी वक़्त उनको निकाला न जायेगा बल्कि उनमें उनका रहना और बसना हगेशा के लिये होगा। और कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि अद्दून जन्नत के बीच के हिस्से का नाम है जो जन्नत के मक़ामात में भी आला मक़ाम है।

इसके बाद उन हज़रत के लिये एक और इनाम यह ज़िक्र फ़रमाया गया कि अल्लाह का यह इनाम सिर्फ़ उन लोगों की जात तक सीमित नहीं होगा बल्कि उनके बाप-दादा और उनकी बीवियों और औलाद को भी उसमें हिस्सा मिलेगा, शर्त यह है कि वे नैक हों, जिसका अद्दून दर्जा यह है कि मुसलमान हों, और पुराद यह है कि उन लोगों के बाप-दादा और उनकी बीवियों का अपना अमल अगरचे इस मक़ाम पर पहुँचने के काबिल न था मगर अल्लाह के मक़बूल बन्दों की रियायत और बरकत से उनको भी इसी ऊँचे मक़ाम पर पहुँचा दिया जायेगा।

इसके बाद आखिरत के जहान में उनकी फ़लाह व कामयाबी का मज़ीद बयान यह है कि फ़रिश्ते हर दरवाजे से उनको सलाम करते हुए दाखिल होते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारे सब की वजह से तमाम तकलीफों से सलामती है, और यह कैसा अच्छा अन्जाम है आखिरत के घर का।

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُورُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يَبْطِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُهُ وَ فَرِحُوا بِأَحْبَابِهِ الدُّنْيَا وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝ وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نُرِيدُ عَالِيَهُ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۝ قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِيْ إِلَى يَوْمِئِذٍ مَنْ أَرَادَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۝ أَلَا يَذَكِّرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَ حَسُنَ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ ۝ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتُكَلِّمَهُمُ الْكَلِمَ الْأَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝ بِالرَّحْمَنِ ۝ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَهُهُ

مَتَاب ۝

वल्लजी-न यन्कुजू-न अहदल्लाहि
मिम्-बजूदि मीसाकिही व यक्तजू-न
मा अ-मरल्लाहु बिही अय्यूस-ल व

और जो लोग तोड़ते हैं अहद अल्लाह का मजबूत करने के बाद और काटते हैं उस चीज को जिसको फ़रमाया अल्लाह ने जोड़ना, और फ़साद उठाते हैं मुल्क में,

युफिसदू-न फिल्अर्जि उलाइ-क
 लहुमुल्लअ-नतु व लहुम् सूउद्दार
 (25) अल्लाहु यब्सुतुरिज़्-क
 लिमंय्यशा-उ व यक्दरु, व फ़रिहू
 बिल्हयातिदुदुन्या, व मल्हयातुदुदुन्या
 फिल्-आख़िरति इल्ला मताअ (26) ❀

व यकूलुल्लज़ी-न क-फ़रू लौ ला
 उन्ज़ि-ल अलैहि आयतुम् मिरिब्बिही,
 कुल् इन्नल्ला-ह युज़िल्लु मंय्यशा-उ
 व यहदी इलैहि मन् अनाब (27)
 अल्लज़ी-न आमनू व तत्मइन्नु
 कुलूबुहुम् बिज़िकिरल्लाहि, अला
 बिज़िकिरल्लाहि तत्मइन्नुल्-कुलूब
 (28) अल्लज़ी-न आमनू व
 अमितुस्सालिहाति तूबा लहुम् व
 हुस्नु मआब (29) कजालि-क
 अर्सल्ला-क फी उम्मतिन् कद् ख़लत्
 मिन् कब्लिहा उ-ममुल्-लिततलु-व
 अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलै-क व हुम्
 यक्फ़ुरू-न बिररह्मानि, कुल् हु-व
 रब्बी ला इला-ह इल्ला हु-व अलैहि
 तवक्कल्लु व इलैहि मताब (30)

ऐसे लोग उनके वास्ते हैं लानत और
 उनके लिये है बुरा घर। (25) और
 अल्लाह कुशादा करता है रोज़ी जिसको
 चाहे और तंग करता है, और फ़िदा हैं
 दुनिया की ज़िन्दगी पर, और दुनिया की
 ज़िन्दगी कुछ नहीं आख़िरत के आगे मगर
 मामूली से फ़ायदे की चीज़। (26) ❀

और कहते हैं काफ़िर- क्यों न उतरी उस
 पर कोई निशानी उसके रब से? कह दे
 अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहे,
 और राह दिखलाता है अपनी तरफ़
 उसको जो रुजू हुआ। (27) वे लोग जो
 ईमान लाये और चैन पाते हैं उनके दिल
 अल्लाह की याद से। सुनता है! अल्लाह
 की याद ही से चैन पाते हैं दिल। (28)
 जो लोग ईमान लाये और काम किये
 अच्छे, खुशहाली है उनके वास्ते और
 अच्छा ठिकाना। (29) इसी तरह तुझको
 भेजा हमने एक उम्मत में कि गुज़र चुकी
 उससे पहले बहुत उम्मतें ताकि सुना दे तू
 उनको जो हुक्म भेजा हमने तेरी तरफ़,
 और वे इनकारी होते हैं रहमान से, तू
 कह दे वही मेरा रब है, किसी की बन्दगी
 नहीं उसके सिवा, उसी पर मैंने भरोसा
 किया है और उसी की तरफ़ आता हूँ
 रुजू करके। (30)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग खुदा तआला के मुआहदों को उनकी मज़बूती के बाद तोड़ते हैं, और खुदा

तअला ने जिन ताल्लुकात "और रिश्तों" के कायम रखने का हुक्म फरमाया है-उनको तोड़ते हैं, और दुनिया में फसाद करते हैं, ऐसे लोगों पर तानत होगी, और उनके लिये उस जहान में खराबी होगी (यानी जाहिरी माल व दौलत को देखकर यह धोखा न खाना चाहिये कि इन लोगों पर रहमत बरस रही है, क्योंकि रिज्क की तो यह कैफियत है कि) अल्लाह जिसको चाहे रिज्क ज्यादा देता है (और जिसके लिये चाहता है) तंगी कर देता है (और रहमत व गुज़ब का यह मेयार नहीं)। और-ये (काफिर) लोग दुनियावी जिन्दगी पर (और इसके ऐश व आराम पर) इतराते हैं, और (इनका इतराना बिल्कुल फुज़ूल और ग़लती है, क्योंकि) यह दुनियावी जिन्दगी (और इसकी ऐश व मस्ती) आखिरत के मुकाबले में सिवाय एक मामूली फ़ायदे के और कुछ भी नहीं।

और ये काफिर लोग (आपकी नुबुव्वत में ताने देने और एतिराज करने के लिये यूँ) कहते हैं कि उन (पैग़म्बर) पर कोई मोजिज़ा (हमारे फरमाईशी मोजिज़ों में से) उनके रब की तरफ से क्यों नाज़िल नहीं किया गया? आप कह दीजिये कि वाकई (तुम्हारी इन बेहूदा फरमाईशों से साफ़ मालूम होता है कि) अल्लाह तअला जिसको चाहें गुमराह कर देते हैं (मालूम होने की वजह जाहिर है कि बावजूद काफ़ी मोजिज़ों के जिनमें सबसे अज़ीम कुरआन है फिर फुज़ूल बातें करते हैं, जिससे मालूम होता है कि किस्मत ही में गुमराही लिखी है) और (जिस तरह उन इनकार करने वालों को कुरआन जो अज़ीम मोजिज़ों में से है हिदायत के लिये काफ़ी न हुआ और गुमराही उनका नसीब बनी, इसी तरह) जो शख्स उनकी तरफ़ मुतवज्जह होता है (और हक़ रास्ते का तालिब होता है जिसका ज़िक्र अभी आगे आयत 28 व 29 में आता है) उसको अपनी तरफ़ (रसाई देने के लिये) हिदायत कर देते हैं (और गुमराही से बचा लेते हैं)। इससे मुराद वे लोग हैं जो ईमान लाये और अल्लाह के ज़िक्र से (जिस ज़िक्र में कुरआन अहम मक़ाम रखता है) उनके दिलों को इत्मीनान होता है (जिसकी बड़ी फ़र्द ईमान है, यानी वे कुरआन के बेमिसाल होने को नुबुव्वत के लिये काफ़ी दलील समझते हैं और उल्टी-सीधी फरमाईश नहीं करते। फिर खुदा की याद और उसकी फरमाँबरदारी में उनको ऐसी रुचि होती है कि काफ़िरों की तरह दुनियावी जिन्दगी के मामूली फ़ायदे और बेहकीक़त चीज़ों की तरफ़ उन्हें दिलचस्पी और मैलान नहीं होता। और) ख़ूब समझ लो कि अल्लाह के ज़िक्र (की ऐसी ही खासियत है कि इस) से दिलों को इत्मीनान हो जाता है (यानी जिस दर्जे का ज़िक्र हो उसी दर्जे का इत्मीनान। चुनौचे कुरआन से ईमान और नेक आमाल से नेकी करने का गहरा ताल्लुक और अल्लाह की तरफ़ तवज्जोह मयस्सर होती है। गुर्ज़ कि) जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये (जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ) उनके लिये (दुनिया में) खुशहाली और (आखिरत में) नेक अन्जाम होना है (जिसको दूसरी आयत में 'उम्दा और बेहतरीन जिन्दगी और उनके बेहतरीन अज़्र' से ताबीर फरमाया है)।

(इसी तरह) हमने आपको एक ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है कि उस (उम्मत) से पहले और बहुत-सी उम्मतें गुज़र चुकी हैं (और आपको उनकी तरफ़ इसलिये रसूल बनाकर भेजा है) ताकि आप उनको वह किताब पढ़कर सुना दें जो हमने आपके पास वही के ज़रिये भेजी है,

और (उनको चाहिये था कि इस ज़बरदस्त नेमत की कद्र करते और इस किताब पर जो कि मोजिज़ा भी है ईमान ले आते, मगर) वे लोग ऐसे बड़े रहमत वाले की नाशुकी करते हैं (और कुरआन पर ईमान नहीं लाते)। आप फ़रमा दीजिये कि (तुम्हारे ईमान न लाने से मेरा कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मुख़ालफ़त करोगे, सो इससे मुझको इसलिये अन्देशा नहीं कि) वह मेरा पालने वाला (और निगहबान) है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं (पस लाज़िमी तौर पर वह कामिल सिफ़तों वाला होगा और हिफ़ाज़त के लिये काफी होगा इसलिये) मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और उसी के पास मुझको जाना है (ख़ुलासा यह कि मेरी हिफ़ाज़त के लिये तो अल्लाह तआला ही काफी है तुम मुख़ालफ़त करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर यकीनन तुम्हारा ही नुक़सान है)।

मज़ारिफ़ व मसाल

हकूज़ के शुरू में तमाम इनसानों की दो किस्म करके बतलाया गया था कि उनमें कुछ लोग अल्लाह तआला के फ़रमाँबरदार हैं कुछ नाफ़रमान। फिर फ़रमाँबरदार बन्दों की चन्द सिफ़तें व निशानियाँ बयान की गईं और आख़िरत में उनके लिये बेहतरीन जज़ा का ज़िक्र किया गया।

अब दूसरी किस्म के लोगों की निशानियाँ और सिफ़तें और उनकी सज़ा का बयान इन आयतों में है। इसमें उन सरकश और नाफ़रमान बन्दों की एक ख़स्तत तो यह बतलाई गई:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

“यानी ये लोग अल्लाह तआला के अहद को पुख़्ता करने के बाद तोड़ देते हैं।” अल्लाह तआला के अहद में वह अहद भी दाख़िल है जो अज़ल (कायनात के पहले दिन) में हक़ तआला के रब और अकेला माबूद होने के मुताल्लिक तमाम पैदा होने वाली रूहों से लिया गया था, जिसको काफ़िरों व मुश्रिकों ने दुनिया में आकर तोड़ डाला और अल्लाह के साथ सैकड़ों हज़ारों रब और माबूद बना बैठे।

और वो तमाम अहद भी इसमें दाख़िल हैं जिनकी पाबन्दी ‘ला इला-ह इल्लल्लाहु’ के अहद के सबब इनसान पर लाज़िम हो जाती है। क्योंकि कलिमा-ए-तय्यिबा ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि दर असल एक ज़बरदस्त मुआहदे (इक़रार) का उनवान है, जिसके तहत अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बतलाये हुए तमाम अहक़ाम की पाबन्दी और जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे परहेज़ का अहद भी आ जाता है। इसलिये जब कोई इनसान अल्लाह के किसी हुक्म या रसूल के किसी हुक्म से मुँह मोड़ता है तो इस ईमान वाले अहद को तोड़ता है।

दूसरी ख़स्तत उन नाफ़रमान बन्दों की यह बतलाई गई:

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

“यानी ये लोग उन ताल्लुकात को काट देते और तोड़ देते हैं जिनको कायम रखने का

अल्लाह तआला ने हुक्म दिया था। इनमें इन्सान का वह ताल्लुक भी शामिल है जो उसको अल्लाह जल्ल शानुहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से है। इस ताल्लुक का तोड़ना यही है कि उनके अहकाम की खिलाफवर्जी की जाये, और रिश्तेदारी के वो ताल्लुकात भी इसमें शामिल हैं जिनको कायम रखने और उनके हुक्क अदा करने की कुरआने करीम में जगह जगह हिदायत की गई है।

अल्लाह तआला की नाफरमानी करने वाले इन हुक्क व ताल्लुकात को भी तोड़ डालते हैं जैसे माँ-बाप, भाई-बहन, पड़ोसी और दूसरे संबन्धियों के जो हुक्क अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन्सान पर लागू किये हैं, ये लोग उनको अदा नहीं करते।

तीसरी खस्तत यह बतलाई है:

وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

“यानी ये लोग जमीन में फसाद मचाते हैं।” और यह तीसरी खस्तत दर हकीकत पहली ही दो खस्ततों का नतीजा है, कि जो लोग अल्लाह तआला और बन्दों के अहद की परवाह नहीं करते और किसी के हुक्क व ताल्लुकात की रियायत नहीं करते, जाहिर है कि उनके आमतौर और काम दूसरे लोगों के लिये नुकसान और तकलीफ का सबब बनेंगे, लड़ाई झगड़े, कत्ल व किताल के बाजार गर्म होंगे, यही जमीन का सबसे बड़ा फसाद है।

विमुख और नाफरमान बन्दों की ये तीन खस्ततें बतलाने के बाद उनकी सज़ा यह बतलाई गई है:

أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

“यानी उनके लिये लानत है और बुरा ठिकाना है।”

लानत के मायने अल्लाह की रहमत से दूर और मेहरूम होने के हैं, और जाहिर है कि उसकी रहमत से दूर होना सब अज़ाबों से बड़ा अज़ाब और सारी मुसीबतों से बड़ी मुसीबत है।

अहकाम व हिदायतें

ऊपर जिक्र हुई आयतों में इन्सानी जिन्दगी के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में खास-खास अहकाम व हिदायतें आई हैं। कुछ स्पष्ट रूप से और कुछ इशारे से। जैसे:

(1) الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ الْبَيْتَاقِ

से साबित हुआ कि जो मुआहदा किसी से लिया जाये उसकी पाबन्दी फर्ज और उसकी खिलाफवर्जी (उल्लंघन करना) हराम है, चाहे वह मुआहदा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हो जैसे ईमान का अहद, या पख्लूकात में से किसी से हो, चाहे मुसलमान से या काफिर से, अहद का तोड़ना बधरहाल हराम है।

(2) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

से मालूम हुआ कि इस्लाम की तालीम दुनिया से बिल्कुल कट जाने और तमाम ताल्लुकात को खत्म करने की नहीं, बल्कि ज़रूरी ताल्लुकात को कायम रखने और उनके हक अदा करने को ज़रूरी करार दिया गया है। माँ-बाप के हुक्क, औलाद, बीवी और बहन-भाईयों के हुक्क, दूसरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हुक्क अल्लाह तआला ने हर इनसान पर लाज़िम किये हैं, इनको नज़र-अन्दाज़ करके नफ़ली इबादत में या किसी दीनी खिदमत में लग जाना भी जायज़ नहीं, दूसरे कामों में लगकर इनको भुला देना तो कैसे जायज़ होता।

सिला-रहमी और रिश्तेदारी के ताल्लुकात को कायम रखने और उनकी ख़बरगीरी और हक अदा करने की ताकीद क़ुरआने करीम की बेशुमार आयतों में बयान हुई है।

और बुखारी व मुस्लिम की हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स यह चाहता है कि अल्लाह तआला उसके रिज़्क में वुस्अत (ज्यादती) और कामों में बरकत अता फ़रमा दें तो उसको चाहिये कि सिला-रहमी करे, सिला-रहमी के मायने यही हैं कि जिनसे रिश्तेदारी के खुसूसी ताल्लुकात हैं उनकी ख़बरगीरी और गुन्जाईश के मुताबिक़ इमदाद व सहयोग करे।

और हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि एक गाँव वाला देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मकान पर हाज़िर हुआ और सवाल किया कि मुझे यह बतला दीजिये कि वह अमल कौनसा है जो मुझे जन्नत से करीब और जहन्नम से दूर कर दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और नमाज़ कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला-रहमी करो। (तफ़सीरे बग़वी)

और सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सिला-रहमी (रिश्तों का जोड़ना और उनका ख़्याल रखना) इतनी बात का नाम नहीं कि तुम दूसरे रिश्तेदार के एहसान का बदला अदा करो और उसने तुम्हारे साथ कोई एहसान किया है तो तुम उस पर एहसान कर दो, बल्कि असल सिला-रहमी (रिश्ता जोड़ना) यह है कि तुम्हारा रिश्तेदार अज़ीज़ तुम्हारे हुक्क में कोताही करे, तुम से ताल्लुक न रखे, तुम फिर भी महज़ अल्लाह के लिये उससे ताल्लुक को कायम रखो और उस पर एहसान करो।

रिश्तेदारों के हुक्क अदा करने और उनके ताल्लुकात को निभाने ही के ख़्याल से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अपने नसब नामों (ख़ानदानी शजरो) को महफूज़ रखो, जिनके ज़रिये तुम्हें अपनी रिश्तेदारियाँ याद रह सकें, और तुम उनके हुक्क अदा कर सको। फिर इरशाद फ़रमाया कि सिला-रहमी के फ़ायदे ये हैं कि इससे आपस में मुहब्बत पैदा होती है और माल में बरकत और ज्यादती होती है, और उम्र में बरकत होती है (यह हदीस इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत की है)।

और सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फरमाया- बड़ी सिला-रहमी यह है कि आदमी अपने बाप के इन्तिकाल के बाद उनके दोस्तों से वही ताल्लुक़ात कायम रखे जो बाप के सामने थे।

(२) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

से मालूम हुआ कि सब्र के जो फ़ज़ाईल कुरआन व हदीस में आये हैं कि सब्र करने वाले को अल्लाह जल्ल शानुहू का साथ और मदद व हिमायत हासिल होती है, और बेहिसाब अज़्र व सवाब मिलता है, वह सब उसी वक़्त है जबकि अल्लाह तआला की रज़ा को तलब करने के लिये सब्र इख़्तियार किया हो, वरना यूँ तो हर शख़्स को कभी न कभी सब्र आ ही जाता है।

सब्र के असली मायने अपने नफ़्स को काबू में रखने और साबित-क़दम रहने के हैं। जिसकी विभिन्न और अनेक सूरतें हैं। एक यह कि मुसीबत और तकलीफ़ पर सब्र करे घबराये नहीं और मायूस न हो, अल्लाह तआला पर नज़र रखे और उसी से उम्मीदवार रहे। दूसरे यह कि नेकी पर सब्र करे कि अल्लाह के अहकाम की पाबन्दी अगरचे नफ़्स को दुश्वार मालूम हो उस पर कायम रहे। तीसरे यह कि नाफ़रमानी और बुराईयों से सब्र करे कि अगरचे नफ़्स का तकाज़ा बुराई की तरफ़ चलने का हो लेकिन खुदा तआला के ख़ौफ़ से उस तरफ़ न चले।

(३) وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की राह में खर्च करना छुपे और खुले तौर पर दोनों तरह से दुरुस्त है. अलबत्ता बेहतर और अच्छा यह है कि वाजिब सदक़ात जैसे ज़कात और फ़ित्रा वगैरह को ऐलानिया अदा करे ताकि दूसरे मुसलमानों को भी अदायेगी की तरगीब हो, और नफ़ली सदके जो वाजिब नहीं उनको गोपनीय अदा करे, ताकि रियाकारी और दिखावे व नाम के शुब्हे से निजात हो।

(५) يَذَرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

से मालूम हुआ कि हर बुराई को दूर करना जो अक्ली और तबई तकाज़ा है इस्लाम में उसका तरीका यह नहीं कि बुराई का जवाब बुराई से देकर दूर किया जाये, बल्कि इस्लामी तालीम यह है कि बुराई को भलाई के ज़रिये दूर करो। जिसने तुम पर जुल्म किया है तुम उसके साथ इन्साफ़ का मामला करो, जिसने तुम्हारे ताल्लुक़ का हक़ अदा नहीं किया तुम उसका हक़ अदा करो, जिसने तुम पर गुस्सा किया तुम उसका जवाब हिल्म व बुर्दबारी से दो, जिसका लाज़िमी नतीजा यह होगा कि दुश्मन भी दोस्त हो जायेगा, और शरीर भी आपके सामने नेक बन जायेगा।

और इस जुमले के एक मायने यह भी हैं कि गुनाह का बदला ताअत (नेकी) से अदा करो कि अगर कभी कोई गुनाह हो जाये तो फ़ौरन तौबा करो और उसके बाद अल्लाह तआला की इबादत में लग जाओ, तो इससे तुम्हारा पिछला गुनाह भी माफ़ हो जायेगा।

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जब तुम से कोई बुराई या गुनाह हो जाये तो उसके बाद तुम नेक

अमल कर लो, इससे वह गुनाह मिट जायेगा। (अहमद सही सनद से, तफसीरे मजहरी)

इस नेक अमल की शर्त यह है कि पिछले गुनाह से तौबा करके नेक अमल इख्तियार करे।

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ

इससे मुराद यह है कि अल्लाह तआला के मकबूल और नेक बन्दों को खुद भी जन्नत में मकाम मिलेगा और उनकी रियायत से उनके माँ-बाप, बीवी और औलाद को भी, शर्त यह है कि ये लोग नेक यानी मोमिन और मुसलमान हों, काफिर न हों। अगरचे नेक आमाल में अपने उस बुजुर्ग के बराबर न हों, मगर अल्लाह तआला उस बुजुर्ग की बरकत से इन लोगों को भी जन्नत के उसी मकाम में पहुँचा देंगे जो उस बुजुर्ग का मकाम है। जैसे एक दूसरी आयत में मजकूर है:

الْحَقَائِبِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ

यानी हम अपने नेक बन्दों की नस्ल और औलाद को भी उन्हीं के साथ कर देंगे।

इससे मालूम हुआ कि बुजुर्गों के साथ ताल्लुक चाहे नसब और रिश्तेदारी का हो या दोस्ती का वह आखिरत में भी नफा देने वाला होगा शर्त यह है उसके साथ ईमान भी हो।

(٦) سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

से मालूम हुआ कि आखिरत की निजात और बुलन्द दर्जे सब इसका नतीजा होते हैं कि इनसान दुनिया में सब्र से काम ले, अल्लाह तआला और बन्दों के हुक्क को अदा करने और उसकी नाफरमानियों से बचने पर अपने नफ्स को मजबूर करता रहे।

أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

जिस तरह पहली आयतों में अल्लाह के फरमाँबरदार बन्दों की जजा यह जिक्र फरमाई है कि उनका मकाम जन्नत में बुलन्द है, फरिश्ते उनको सलाम करेंगे और बतलायेंगे कि ये जन्नत की हमेशा वाली नेमते सब तुम्हारे सब्र व जमाव और फरमाँबरदारी का नतीजा हैं, इसी तरह इस आयत में नाफरमान व सरकश लोगों का बुरा अन्जाम यह बतलाया है कि उन पर अल्लाह की लानत है, यानी वे रहमत से दूर हैं और उनके लिये जहन्नम का ठिकाना मुकरर है। इससे यह मालूम हुआ कि अहद का तोड़ना और रिश्तेदारों व अजीजों से ताल्लुक खत्म करना लानत और जहन्नम का सबब है। नऊजु बिल्लाह

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتُ مَبْلُغٌ لِلَّهِ

الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ

الَّذِينَ كَفَرُوا تَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَاْمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ

كَانَ عِقَابِ ۝ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُل سَبُّوهُمْ أَمْ

تَذِيُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَطَّاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ لَرَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا
عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

व लौ अन्-न कुरआनन् सुय्यिरत्
बिहिल्-जिबालु औ कुत्तिअत् बिहिल्-
अर-जु औ कुल्लि-म बिहिल्-मौता,
बल् लिल्लाहिल्-अम्फु जमीअन्,
अ-फलम् यै-असिल्लजी-न आमन्
अल्-लौ यशाउल्लाहु ल-हदन्ना-स
जमीअन्, व ला यज़ालुल्लजी-न
क-फरू तुसीबुहुम् बिमा स-नज़ू
कारि-अतुन् औ तहुल्लु करीबम् मिन्
दारिहिम् हत्ता यअत्ति-य वज़दुल्लाहि,
इन्नल्ला-ह ला युख़िलफुल्-
मीअद (31) ❀

व ल-कदिस्तुहिज-अ बिरुसुलिम् मिन्
कब्लि-क फ-अम्लैतु लिल्लजी-न
क-फरू सुम्-म अख़ज़्तुहूम्, फकै-फ
का-न अिकाब (32) अ-फ-मन् हु-व
काइमुन् अला कुल्लि नफिसम्-बिमा
क-सबत् व ज-अल् लिल्लाहि
शु-रका-अ, कुल् सम्मूहुम् अम्
तुनब्बिऊनहू बिमा ला यअल्मु
फिल्अर्जि अम् बिज़ाहिरिम्-मिनल्-
कौलि, बल् जुय्यि-न लिल्लजी-न

और अगर कोई कुरआन हुआ होता कि
चलें उससे पहाड़ या टुकड़े हो उससे
ज़मीन या बोलें उससे मुर्दे तो क्या होता,
बल्कि सब काम तो अल्लाह के हाथ में
हैं, सो क्या दिली तसल्ली नहीं ईमान
वालों को इस पर कि अगर चाहे अल्लाह
तो राह पर लाये सब लोगों को, और
बराबर पहुँचता रहेगा मुन्किरों को उनके
करतूत पर सदमा, या उतरेगा उनके घर
से नज़दीक, जब तक कि पहुँचे वादा
अल्लाह का, बेशक अल्लाह ख़िलाफ़ नहीं
करता अपने वादे के। (31) ❀

और ठड़ा कर चुके (यानी मज़ाक़ उड़ा
चुके) हैं कितने रसूलों से तुझसे पहले, सो
ठील दी मैंने इनकारियों को, फिर उनको
पकड़ लिया, सो कैसा था मेरा बदला।
(32) भला जो लिये खड़ा है हर किसी के
सर पर जो कुछ उसने किया है, और
मुकर्रर करते हैं अल्लाह के लिये शरीक,
कह कि उनका नाम लौ, या अल्लाह को
बतलाते हो जो वह नहीं जानता ज़मीन
में? या करते हो ऊपर ही ऊपर बातें?
यह नहीं बल्कि भले सुझा दिये हैं
इनकारियों को उनके फ़रेब और वे रोक

क-फ़रू मकरुहुम् व सुदू
अनिस्सबीलि, व मंयुज़िलिल्लाहु
फ़मा लहू मिन् हाद (33)

दिये गये हैं राह से, और जिसको गुमराह
करे अल्लाह सो कोई नहीं उसको राह
बतलाने वाला। (33)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ पैग़म्बर और ऐ मुसलमानो! इन काफ़िरोँ की दुश्मनी व मुख़ालफ़त की यह कैफ़ियत है कि क़ुरआन की जो मौजूदा हालत है कि इसका मोजिज़ा होना ग़ौर व फ़िक्र पर मौकूफ़ है, बजाय इसके) अगर कोई ऐसा क़ुरआन होता जिसके ज़रिये से पहाड़ (अपनी जगह से) हटा दिये जाते या उसके ज़रिये से ज़मीन जल्दी-जल्दी तय हो जाती, या उसके ज़रिये से मुर्दों के साथ किसी को बातें करा दी जातीं (यानी मुर्दा ज़िन्दा हो जाता और कोई उससे बातें कर लेता, और ये वो मोजिज़े हैं जिनकी फ़रमाईश अक्सर काफ़िर लोग किया करते थे। बाज़े तो उमूमी तौर पर और बाज़े इस तरह से कि क़ुरआन को मौजूदा हालत में तो हम मोजिज़ा मानते नहीं, अलबत्ता अगर क़ुरआन से इन असाधारण और चमत्कारिक चीज़ों का ज़हूर हो तो हम इसको मोजिज़ा (बेमिसाल और दूसरों को अज़िज़ कर देने वाला) मान लें। मतलब यह है कि क़ुरआन से ऐसे मोजिज़ों का भी ज़हूर होता जिससे दोनों तरह के लोगों की फ़रमाईशें पूरी हो जातीं, यानी जो उक्त चमत्कारिक बातों का मुतालबा करने वाले थे और जो इनका ज़हूर क़ुरआन से चाहते थे) तब भी ये लोग ईमान न लाते (क्योंकि वास्तव में ये चीज़ें प्रभावी नहीं) बल्कि सारा इख़्तियार खास अल्लाह ही को है (वह जिसको तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं वही ईमान लाता है और उनकी आदत है कि तालिब को तौफ़ीक़ देते हैं और इनकार करने वालों को मेहरूम रखते हैं। और चूँकि बाज़े मुसलमानों का जी चाहता था कि इन मोजिज़ों का ज़हूर हो जाये तो शायद ईमान ले आयेँ, इसलिये आगे उनका जवाब है कि) क्या (यह सुनकर ये इनकार करने वाले ईमान ले आयेँगे और यह कि सब इख़्तियार खुदा ही को है और यह कि असबाब अपनी ज़ात के एतिबार से अपने अन्दर असर रखने वाले नहीं हैं, क्या यह सुनकर) फिर भी ईमान वालों को इस बात में तसल्ली नहीं हुई कि अगर खुदा तआला चाहता तो तमाम (दुनिया भर के) आदमियों को हिदायत कर देता (मगर कुछ हिक्मतों के सबब उसकी मर्ज़ी व चाहत नहीं हुई, तो सब ईमान ले आयेँगे जिसकी बड़ी वजह दुश्मनी व बैर है, फिर उन विरोधियों और दुश्मनी रखने वालों के ईमान लाने की फ़िक्र में क्यों लगे हैं)।

और (जब यह साबित हो गया कि ये लोग ईमान न लायेँगे तो इस बात का ख़्याल आ सकता है कि फिर इनको सज़ा क्यों नहीं दी जाती, इसके बारे में इरशाद है कि) ये (मक्का के) काफ़िर तो हमेशा (हर दिन) इस हालत में रहते हैं कि इनके (बुरे) किरदारों के सबब इन पर कोई न कोई हादसा पड़ता रहता है (कहीं क़त्ल, कहीं कैद, कहीं पराजय व शिकस्त), या (बाज़ा

हादसा अगर इन पर नहीं भी पड़ता मगर) इनकी बस्ती के करीब नाजिल होता रहता है (जैसा किसी कौम पर आफत आई और इनको खौफ पैदा हो गया कि कहीं हम पर भी बला न आवे) यहाँ तक कि (उसी हालत में) अल्लाह का वायदा आ जायेगा (यानी आखिरत के अज़ाब का सामना हो जायेगा, जो कि मरने के बाद शुरू हो जायेगा और) यकीनन अल्लाह तआला वायदे के खिलाफ नहीं करते (पस इन पर अज़ाब का पड़ना यकीनी है अगरचे कई बार कुछ देर से सही)।

और (उन लोगों का यह झुठलाने और मज़ाक उड़ाने का मामला कुछ आपके साथ खास नहीं बल्कि पहले रसूलों और उनकी उम्मतों के साथ भी ऐसा हो चुका है। चुनाँचे) बहुत-से पैगम्बरों के साथ जो आप से पहले हो चुके हैं (काफ़िरों की तरफ से) हंसी-ठट्टा हो चुका है, फिर मैं उन काफ़िरों को मोहलत देता रहा, फिर मैंने उन पर पकड़ की, सो (समझने की बात है कि) मेरी सज़ा किस तरह की थी (यानी निहायत सख्त थी। जब अल्लाह तआला की शान मालूम हो गई कि वही मुख्तार कुल हैं तो इसके मालूम और साबित होने के बाद), फिर (भी) क्या जो (खुदा) हर शख्स के आमाल पर बाख़बर हो और उन लोगों के शरीक करार दिए हुए बराबर हो सकते हैं? और (बावजूद इसके) उन लोगों ने खुदा के लिये शरीक तजवीज़ किए हैं। आप कहिये कि (ज़रा) उन (शरीकों) का नाम तो लो (मैं भी सुनूँ कौन हैं और कैसे हैं), क्या (तुम हकीकत में उनको खुदा का शरीक समझकर दावा करते हो? तब तो यह लाज़िम आता है कि) तुम अल्लाह तआला को ऐसी बात की ख़बर देते हो कि दुनिया (भर) में उस (के वजूद) की ख़बर अल्लाह तआला को न हो (क्योंकि अल्लाह तआला उसी को मौजूद जानते हैं जो वास्तव में मौजूद हो, और जो मौजूद ही न हो उसको मौजूद नहीं जानते, क्योंकि इससे इल्म का ग़लत होना लाज़िम आता है अगरचे खुलकर सामने आने में दोनों बराबर हैं। गर्ज़ कि उनको वास्तविक शरीक कहने से यह नामुम्किन बात लाज़िम आती है, पस उनका शरीक होना भी नामुम्किन है), या (यह कि उनको वास्तव में शरीक नहीं कहते बल्कि) ख़ाली ज़ाहिरी लफ़्ज़ के एतिबार से उनको शरीक कहते हो (और हकीकत में उसका मिस्दाक कहीं नहीं है। अगर यह दूसरी सूरत है तो उनके शरीक न होने को खुद ही मानते हो, पस मतलूब यानी खुदा की खुदाई में किसी का शरीक होने का बातिल और बेबुनियाद होना दोनों सूरतों में साबित हो गया, पहली सूरत में दलील से, दूसरी सूरत में तुम्हारे मान लेने से। और यह तक़रीर इसके बावजूद कि हर तरह मुकम्मल और काफ़ी है मगर ये लोग न मानेंगे) बल्कि इन काफ़िरों को अपनी धोखे भरी बातें (जिनको अपनाकर ये शिक में मुब्तला हैं) पसन्दीदा मालूम होती हैं, और (इसी वजह से) ये लोग (हक) रास्ते से मेहरूम रह गये हैं। और (असल वही बात है जो ऊपर बताई जा चुकी कि सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है यानी) जिसको खुदा तआला गुमराही में रखे उसको कोई राह पर लाने वाला नहीं (अलबत्ता वह उसी को गुमराह रखता है जो बावजूद हक के खुल जाने और स्पष्ट होने के दुश्मनी व मुखालफ़त करता है)।

मअरिफ़ व मसाइल

मक्का के मुशिरक लोगों के सामने इस्लाम का सच्चा और हक़ होना स्पष्ट दलीलों और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सच्चे रसूल होने की खुली हुई निशानियाँ आपकी जिन्दगी के हर हिस्से और शोबे से, फिर हैरत-अंगेज़ मोजिज़ों से पूरी तरह रोशन हो चुकी थीं, और उनका सरदार अबू जहल यह कह चुका था कि बनू हाशिम (हाशिम की औलाद) से हमारा खानदानी मुकाबला है, हम उनकी इस बरतरी को कैसे कुबूल कर लें कि खुदा का रसूल उनमें से आया, इसलिये वे कुछ भी कहें और कैसी ही निशानियाँ दिखलायें हम उन पर किसी हाल में ईमान नहीं लायेंगे। इसी लिये वे हर मौके पर इस जिद का प्रदर्शन बेहूदा किस्म के सवालात और फरमाइशों के ज़रिये किया करते थे। ऊपर जिक्र हुई आयतों भी अबू जहल और उसके साथियों के एक सवाल के जवाब में नाज़िल हुई हैं।

तफ़सीर-ए-बग़वी में है कि मक्का के मुशिरक लोग जिनमें अबू जहल बिन हिशाम और अब्दुल्लाह इब्ने उमैया खुसूसियत से काबिले जिक्र हैं, एक दिन बैतुल्लाह के पीछे जाकर बैठ गये और अब्दुल्लाह इब्ने उमैया को रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास भेजा, उसने कहा कि अगर आप यह चाहते हैं कि आपकी कौम और हम सब आपको रसूल तस्लीम कर लें और आपकी पैरवी करें, तो हमारे चन्द मुतालबे हैं, अपने कुरआन के ज़रिये उनको पूरा कर दीजिये तो हम सब इस्लाम कुबूल कर लेंगे।

मुतालबों में एक तो यह था कि मक्का शहर की ज़मीन बड़ी तंग है, सब तरफ़ पहाड़ों से घिरा एक लम्बा ज़मीनी टुकड़ा है जिसमें न काश्तकारी व खेती की गुन्जाईश है न बाग़ों और दूसरी ज़रूरतों की, आप मोजिज़े (खुदाई चमत्कार) के ज़रिये इन पहाड़ों को दूर हटा दीजिये ताकि मक्का की ज़मीन खुल जाये, आखिर आप ही के कहने के मुताबिक़ दाऊद अलैहिस्सलाम के लिये पहाड़ उनके ताबे कर दिये गये थे, जब वह तस्बीह पढ़ते तो पहाड़ भी साथ-साथ तस्बीह करते थे, आप अपने कौल के मुताबिक़ अल्लाह के नज़दीक दाऊद अलैहिस्सलाम से कमतर तो नहीं हैं।

दूसरा मुतालबा यह था कि जिस तरह सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये आपके कौल के मुताबिक़ अल्लाह तआला ने हवा को ताबेदार करके ज़मीन के बड़े-बड़े फासलों को मुख़्तसर कर दिया था, आप भी हमारे लिये ऐसा ही कर दें कि हमें शाम व यमन वगैरह के सफ़र आसान हो जायें।

तीसरा मुतालबा यह था कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिन्दा कर देते थे आप उनसे कुछ कम तो नहीं, आप भी हमारे लिये हमारे दादा कुसई को जिन्दा कर दीजिये, ताकि हम उनसे यह मालूम कर सकें कि आपका दीन सच्चा है या नहीं। (तफ़सीरे मज़हरी, बग़वी व इब्ने अबी हातिम और इब्ने मरदूया के हवाले से)

उपरोक्त आयतों में इन मुख़ालफ़त भरे मुतालबों का यह जवाब दिया गया:

وَلَوْ أَنَّ قُرَآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى، بَلْ لَئِنَّ الْأَمْرَ لَخَبِيرًا.

इसमें पहाड़ों को अपनी जगह से हटाने और मुख्तसर वक़्त में बड़ी दूरी और फ़ासले को तय करने और मुर्दों को ज़िन्दा करके कलाम करने के बारे में बयान हुआ है। और यह बताया गया है कि ये लोग ईमान लाने के लिये ये मुतालबे नहीं कर रहे हैं। बल्कि यह इनका मुखालफ़त भरा कलाम है। जैसा कि कुरआन मजीद में एक दूसरी जगह ऐसा ही मज़मून और उसका यही जवाब बयान हुआ है:

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا إِلَّا يُؤْمِنُونَ.

और मायने यह है कि अगर कुरआन के जरिये मोजिज़े के तौर पर उनके ये मुतालबे पूरे कर दिये जायें तब भी वे ईमान लाने वाले नहीं, क्योंकि वे इन मुतालबों से पहले ऐसे मोजिज़ों को देख चुके हैं जो उनके मतलूबा मोजिज़ों से बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इशारे से चाँद के दो टुकड़े हो जाना पहाड़ों के अपनी जगह से हट जाने से और हवा के आपके ताबे होने से कहीं ज्यादा हैरत-अंगेज़ है। इसी तरह बेजान कंकरियों का आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ मुबारक में बोलना और तस्बीह करना किसी मुर्दा इन्सान के दोबारा ज़िन्दा होकर बोलने से कहीं ज्यादा बड़ा मोजिज़ा है। मेराज की रात में मस्जिदे-अक़सा और फिर वहाँ से आसमानों का सफ़र और बहुत मुख्तसर वक़्त में वापसी हवा के ताबे होने और तख़्ते सुलैमानी के चमत्कार से कितना ज्यादा अज़ीम है, मगर ये ज़ालिम यह सब कुछ देखने के बाद भी जब ईमान न लाये तो अब इन मुतालबों से भी इनकी नीयत मालूम है कि सिर्फ़ वक़्ती तौर पर बात को टालना है, कुछ मानना और करना नहीं है।

मुशिरकों के इन मुतालबों का मक़सद चूँकि यही था कि हमारे मुतालबे पूरे न किये जायेंगे तो हम कहेंगे कि मअज़ल्लाह, अल्लाह तआला ही को इन कामों पर कुदरत नहीं, या फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात अल्लाह तआला के यहाँ सुनी नहीं जाती और न मक़बूल होती है, जिससे समझा जाता है कि वह अल्लाह के रसूल नहीं। इसलिये इसके बाद इरशाद फ़रमाया:

بَلْ لَئِنَّ الْأَمْرَ لَخَبِيرًا

यानी अल्लाह ही के लिये है इख़्तियार सब का सब। मतलब यह है कि उक्त मुतालबों का पूरा न करना इस वजह से नहीं कि वो अल्लाह की कुदरत से ख़ारिज़ हैं, बल्कि हकीक़त यह है कि इस ज़हान की मस्तेहतों को वही जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी हिक्मत से इन मुतालबों को पूरा करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुतालबा करने वालों की हठधर्मी और बुरी नीयत उनको मालूम है। वह जानते हैं कि ये सब मुतालबे पूरे कर दिये जायेंगे तब भी ये ईमान न लायेंगे।

أَفَلَمْ يَأْتِسْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا.

इमान आयेगी रहे, ने सकल किया है कि तहावा किराम रजियल्लाहु अन्हु ने जब मक्का के मुशिकों के ये गुतालबे सुने तो यह तमन्ना करने लगे कि मोजिजे के तीर पर ये गुतालबे पूरे कर दिये जायें तो बेहतर है, सारे मक्के वाले मुसलमान हो जायेंगे और इस्लाम को बड़ी ताकत हासिल हो जायेगी। इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिसके मायने यह है कि क्या इमान वाले उन मुशिकों की बहानेबाजी और दुश्मनी भरी बहसों को देखने और जानने के बावजूद अब तक उनके इमान लाने से मायूस नहीं हुए कि ऐसी तमन्नायें करने लगे, जबकि वे यह भी जानते हैं कि अगर अल्लाह तआला चाहता तो सब ही इनसानों को ऐसी हिदायत दे देता कि वे मुस्तमान बने वगैर न रह सकते थे, मगर हिक्मत का तकाज़ा यह न था कि सब को इस्लाम व इमान पर मजबूर कर दिया जाये, बल्कि हिक्मत यही थी कि हर शख्स का अपना इख्तियार बाकी रहे अपने इख्तियार से इस्लाम को कुबूल करे या कफ़र को।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि 'कारिआ' के मायने मुसीबत और आफ़त के हैं। आयत के मायने यह है कि इन मुशिकों के गुतालबे तो इसलिये मन्ज़ूर नहीं किये गये कि इनकी बद-नीयती और हठधर्मी मालूम थी कि गुतालबे पूरे करने पर भी ये इमान लाने वाले नहीं, ये तो अल्लाह के नज़दीक इसी के मुस्तहिक हैं कि इन पर दुनिया में भी आफ़तें और मुसीबतें आयें जैसा कि मक्का वालों पर कभी कहत (सूखे) की मुसीबत आई, कभी इस्लामी जंगों बदर व उहुद वगैरह में उन पर क़त्ल और कैद होने की आफ़त नाज़िल हुई, किसी पर बिजली गिर गई, कोई और किसी बला में मुब्तला हुआ।

أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

यानी कभी ऐसा भी होगा कि मुसीबत डायरेक्ट उन पर नहीं आयेगी बल्कि उनके करीब वाली बस्तियों पर आयेगी जिससे उनको इबत (सबक) हासिल हो और उनको अपना बुरा अन्जाम भी नज़र आने लगे।

حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

यानी इन मुसीबतों व आफ़तों का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि अल्लाह तआला का वादा पूरा न हो जाये, क्योंकि अल्लाह तआला का वादा कभी टल नहीं सकता। मुसद इस वादे से मक्का के फ़तह हो जाने का वादा है। मतलब यह है कि उन लोगों पर विभिन्न प्रकार की आफ़तें आती रहेंगी यहाँ तक कि आख़िर में मक्का मुकर्रमा फ़तह होगा, और ये सब लोग पराजित व पस्त और मातहत हो जायेंगे।

उक्त आयत में:

أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

से मालूम हुआ कि जिस क़ौम और बस्ती के आस-पास कोई अज़ाब या आफ़त व मुसीबत आती है तो उसमें हक़ तआला शानुहु की यह हिक्मत भी छुपी होती है कि आस-पास की

बस्तियों को भी तंबीह (चेतावनी) हो जाये और वे दूसरों से इब्रत हासिल करके अपने आमाल दुरुस्त कर लें तो यह दूसरों का अज़ाब उनके लिये रहमत बन जाये, वरना फिर एक दिन उनका भी वही अन्जाम होना है जो दूसरों का देखने में आया है।

आज हमारे मुल्क में हमारे आस-पास में रोज-रोज़ किसी जमाअत, किसी बस्ती पर विभिन्न किस्म की आफतें आती रहती हैं, कहीं सैलाब की तबाहकारी, कहीं हवा के तूफ़ान, कहीं जलजले का अज़ाब, कहीं कोई और आफत, कुरआने करीम के इस इरशाद के मुताबिक यह सिर्फ़ उन बस्तियों और कौमों ही की सज़ा नहीं होती बल्कि आस-पास के लोगों को चेतावनी भी होती है। पिछले ज़माने में अगरचे इल्म व फ़न की इतनी धूमधाम न थी मगर लोगों के दिलों में खुदा का खौफ़ था, किसी जगह इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाता तो वे लोग भी और उसके आस-पास वाले भी सहम जाते, अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू करते, अपने गुनाहों की तौबा करते, और इस्तिग़फ़ार सदका व ख़ैरात को निजात का ज़रिया समझते थे, और आँखों से देखने में आता था कि उनकी मुसीबतें बड़ी आसानी से टल जाती थीं। आज हमारी ग़फ़लत का यह आलम है कि मुसीबत के वक़्त भी खुदा ही याद नहीं आता और सब कुछ याद आता है, दुनिया के आम पैर-मुस्तिमों की तरह हमारी नज़रें भी सिर्फ़ मादी असबाब पर जमकर रह जाती हैं, असबाब के बनाने वाले मुख्तार-कुल की तरफ़ तवज्जोह की उस वक़्त भी तौफ़ीक़ कम लोगों को होती है। इसी का नतीजा इस तरह के लगातार हादसे हैं जिनसे दुनिया हमेशा दोचार रहती है।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

यानी उन काफ़िरों व मुशिरकों पर दुनिया में भी मुख्तलिफ़ अज़ाबों और आफतों का यह सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह तआला का वादा आ पहुँचे, क्योंकि अल्लाह तआला अपने वादे के कभी खिलाफ़ नहीं करते।

वादे से मुराद इस जगह मक्के का फ़तह होना है जिसका वादा हक़ तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया हुआ था। और आयत का मतलब यह हुआ कि आख़िर में तो मक्का फ़तह होकर इन सब मुशिरकों को तबाह व पस्त और ताबेदार होना ही है, उससे पहले भी इनके जुर्मों की कुछ-कुछ सज़ा इनको मिलती रहेगी, और यह भी हो सकता है कि 'अल्लाह के वादे' से मुराद इस जगह क़ियामत का दिन हो, जिसका वादा सब पैग़म्बरों से किया हुआ है, और हमेशा से किया हुआ है, उस दिन तो हर काफ़िर मुजरिम अपने किये की पूरी-पूरी सज़ा भुगतेगा।

उपर्युक्त वाक़िए में मुशिरकों के दुश्मनी व मुखालफ़त भरे सवालात और उनकी हठधर्मी से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रंज व तकलीफ़ पहुँचने का अन्देशा था, इसलिये अगली आयत में आपकी तसल्ली के लिये फ़रमाया गया:

وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَاَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا انَّهُمْ اخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

ये हालात जो आपको पेश आ रहे हैं कुछ आप ही को पेश नहीं आये, आप से पहले नबियों

को भी इसी तरह के हालात से साबका पड़ता रहा है, कि मुजरिमों और मुन्क़िरों को उनके जुम पर फ़ौरन नहीं पकड़ा गया और वे नबियों के साथ हंसी-ठट्टा करते रहे, जब वे इन्तिहा को पहुँच गये तो फिर उनको अल्लाह के अज़ाब ने पकड़ लिया और कैसा पकड़ा कि किसी को मुक़ाबले की ताकत न रही।

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ

इस आयत में मुश्रिक लोगों की जहालत और बेअक्ली को इस तरह वाज़ेह फ़रमाया है कि वे कैसे बेवक़ूफ़ हैं कि बेजान व बेशक़र बुत्तों को उस ज़ाते पाक के बराबर ठहराते हैं जो हर नफ़्स पर निगराँ और उनके आमाल व कामों का हिसाब लेने वाली है। फिर फ़रमाया कि असल सबब इसका यह है कि शैतान ने इनकी इस जहालत ही को इनकी नज़र में सजाया हुआ और अच्छा बना रखा है, वे इसी को बड़ा कमाल और कामयाबी समझते हैं।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ

وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبٍ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ وَلَا وَاقٍ ۝

५६

तहुम् अज़ाबुन् फिल्हयातिदुदुन्या व
 ल-अज़ाबुल्-आख़िरति अशक्कु व
 मा लहुम् मिनल्लाहि मिन्वाक (34)
 म-सलुल्-जन्नतिल्लती वुअ़िदल्-
 मुत्तकू-न, तजरी मिन् तस्तिहल्-अन्हारु,
 उकुलुहा दाइमुं-व ज़िल्लुहा, तिल्-क
 अु व बल्लजीनत्तकौ व उक् बल्
 काफ़िरीनन्नार (35) वल्लजी-न
 आतैनाहुमुल्-किता-ब यफरहू-न बिमा
 उन्ज़ि-ल इलै-क व मिनल्-अहज़ाबि

उनको मार पड़ती है दुनिया की ज़िन्दगी में और आख़िरत की मार तो बहुत ही सख्त है, और कोई नहीं उनको अल्लाह से बचाने वाला। (34) हाल जन्नत का जिसका वादा है परहेज़गारों से, बहती हैं उसके नीचे नहरें, मेवा उसका हमेशा है और साया भी, यह बदला है उनका जो डरते रहे, और बदला इनकारियों का आग है। (35) और वे लोग जिनको हमने दी है किताब खुश होते हैं उससे जो नाज़िल हुआ तुझ पर और वाज़े फ़िक्रें नहीं मानते

मध्युन्निकरु बअज़हू कुलू इन्नमा
उमिरतु अन् अअबुदल्ला-ह व ला
उशिर-क बिही, इलैहि अदज़ू व इलैहि
मआब (36) व कज़ालि-क अन्ज़ल्लाहु
हुक्मन् अ-रबिय्यन्, व ल-इनित्तबअ-त
अहवा-अहुम् बअ-द मा जाअ-क
मिनल्-अिल्मि मा ल-क मिनल्लाहि
मिंव्यलिखियं-व ला वाक़ (37) ❀

उसकी बाजी बात, कह मुझको यही हुक्म
हुआ है कि बन्दगी करूँ अल्लाह की और
शरीक न करूँ उसका, उसी की तरफ़
बुलाता हूँ और उसी की तरफ़ है मेरा
ठिकाना। (36) और इसी तरह उतारा
हमने यह कलाम हुक्म अरबी भाषा में,
और अगर तू चले उनकी इच्छा के
मुवाफ़िक़ बाद उस इल्म के जो तुझको
पहुँच चुका (तो) कोई नहीं तेरा अल्लाह से
हिमायती और न बचाने वाला। (37) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

उन काफ़िरों के लिये दुनियावी ज़िन्दगी में (थी) अज़ाब है (यह कत्ल व कैद, ज़िल्लत व
बीमारियाँ और मुसीबतें हैं), और आख़िरत का अज़ाब इससे कई दर्जे ज़्यादा सख्त है (क्योंकि
सख्त भी है और हमेशा रहने वाला भी है) और अल्लाह (के अज़ाब) से उनको कोई बचाने वाला
नहीं होगा। (और) जिस जन्नत का मुत्तकियों से (यानी शिर्क व कुफ़्र से बचने वालों से) वायदा
किया गया है उसकी कैफ़ियत यह है कि उस (की इमारतों व पेड़ों) के नीचे से नहरें जारी होंगी,
उसका फल और उसका साया हमेशा रहने वाला रहेगा। यह तो अन्जाम होगा मुत्तकियों का
और काफ़िरों का अन्जाम दोज़ख़ होगा। और जिन लोगों को हमने (आसमानी) किताब (यानी
तौरात व इन्ज़ील) दी है (और वे उसको पूरे तौर से मानते थे) वे इस (किताब) से खुश होते हैं
जो आप पर नाज़िल की गई है (क्योंकि इसकी ख़बर अपनी किताबों में पाते हैं और खुश होकर
पान लेते हैं और इमान ले आते हैं, जैसे यहूदियों में अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु और
उनके साथी और ईसाईयों में नजाशी रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके भेजे हुए हज़रत, जिनका जिक्र
दूसरी आयतों में भी है) और उन्हीं के ग़िरोह में बाज़े ऐसे हैं कि इस (किताब) के कुछ हिस्से का
(जिसमें उनकी किताब के खिलाफ़ अहकाम हैं) इनकार करते हैं (और कुफ़्र करते हैं)। आप
(उनसे) फरमाइये कि (अहकाम दो किस्म के हैं- बुनियादी और ऊपर के, अगर तुम उसूलों और
बुनियादी चीज़ों में मुख़ालिफ़ हो तो वो सब शरीअतों में साझा हैं, चुनाँचे) मुझको (तौहीद के
मुताल्लिक) सिर्फ़ यह हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह तआला की इबादत करूँ और किसी को
उसका शरीक न ठहराऊँ (और नुबुव्वत के मुताल्लिक यह बात है कि) मैं (लोगों को) अल्लाह की
की तरफ़ बुलाता हूँ (यानी नुबुव्वत का हासिल यह है कि मैं अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाला
हूँ) और (आख़िरत के मुताल्लिक मेरा यह अक़ीदा है कि) उसी की तरफ़ मुझको (दुनिया के

कह मुझको यही जाना है (यानी उसूल ये तीन हैं सो इनमें से एक बात भी क़विले इनकार नहीं, चुनौचे करूँ अल्लाह के नज़दीक मानी हुई है, जैसा कि यही मज़मून एक दूसरी आयत में है:

सका, उसी की

تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَاللَّهِ

सी की तरफ़ है (नी सूर: आले इमरान की आयत 64) और नुबुव्वत में अपने लिये माल व रुतबा नहीं और इसी तरह जिस पर इनकार की गुन्जाईश हो, महज़ अल्लाह की तरफ़ दावत देता हूँ, सो ऐसे लोग हुक्म अरबी भाषा हुए हैं जिसको तुम भी मानते हो। जैसा यही मज़मून एक दूसरी जगह भी है:

ले उनकी इच्छा

مَا كَانَ لِشِرْكَائِكُمْ شَيْءٌ مِّنْ عِزِّ اللَّهِ الْكَرِيمِ

इल्म के जो (नी सूर: आले इमरान की आयत 79) इसी तरह आख़िरत का अक़ीदा साझा, माना हुआ ई नहीं तेरा अल्लाहविले इनकार है। और अगर ऊपर के अहकाम में मुखालिफ़ हो तो इसका जवाब बचाने वाला। (अल्लाह यँ देते हैं कि हमने जिस तरह और रसूलों को खास-खास भाषाओं में खास

दिये) और इसी तरह हमने इस (कुरआन) को इस तौर पर नाज़िल किया कि वह एक भाषा है अरबी भाषा में (अरबी की वज़ाहत से इशारा हो गया दूसरे नबियों की दूसरी भाषाओं की तरफ़, और भाषाओं की भिन्नता और विविधता से इशारा हो गया उम्मतों के भिन्न-भिन्न होने की तरफ़, तो हासिल जवाब का यह हुआ कि ऊपर के अहकाम में उम्मतों के भिन्न और अलग-अलग होने से हुआ, क्योंकि उम्मतों की मस्लेहतें हर उम्मत अलग-अलग हैं, पस शरीअतों का यह इख़िलाफ़ (भिन्न और कुछ अलग होना) को नहीं चाहता, चुनौचे खुद तुम्हारी मानी हुई शरीअत में भी ऊपर के अहकाम में मुखालिफ़ हुआ है, फिर तुम्हारी मुखालिफ़त व इनकार की क्या गुन्जाईश है।

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) अगर आप (मान लो, अगरचे ऐसा होना है) उनके नफ़्सानी ख़्यालात की (यानी निरस्त व रद्द हुए या परिवर्तित अहकाम की) लगे इसके बाद कि आपके पास (ज़रूरी और मतलूब अहकाम का सही) इल्म पहुँच तो अल्लाह के मुक़ाबले में न कोई आपका मददगार होगा और न कोई बचाने वाला नबी की ऐसा ख़िताब किया जा रहा है तो और लोग इनकार करके कहाँ रहेंगे, सो और कटाक्ष है अहले किताब पर। पस दोनों सूरतों पर इनकार करने वाले और लोगों का जवाब हो गया।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا

لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ فِي الْأَرْضِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ فِي السُّرَّتِّ مِنْ قِبَلِكُمْ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعْنًا إِذْ سَأَلُوهُم بِرُءُوسِهِمْ هَلْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ الْحَبَشِيُّونَ وَرَأْسُ الْيَهُودِ يُخَذُّونَ بِالْحَقِّ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا لَأَكْفُرْنَا بِكُمْ فَتَلَاؤُكُمْ هُوَ يَخْتَفُونَ فِي الْأَرْضِ يَخْتَفُونَ فِي الْأَرْضِ يَخْتَفُونَ فِي الْأَرْضِ
 مِنْ أَضْرَافِهَا وَاللَّهُ يَخْتَفِي لَمُعَقَّبٍ مُّخْتَفٍ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ

فَبَيْنَهُمْ قَبْلَ اللَّهِ كَفَرُوا كَمَا كَفَرُوا قَبْلَ رَسُولِهِمْ وَكُلُّ قَوْمٍ يَكْفُرُ إِلَّا ذُرِّيَّةً شَرِيحًا ۚ
 الَّذِينَ كَفَرُوا كَانُوا شُرَكَاءَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَ رَسُولِهِمْ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأَمْرٌ عِنْدَ اللَّهِ عِلْمُ الْكِتَابِ ۚ

व ल-कद् अरसल्ला रुसुलम् मिन्
 कबिल-क व जअल्ला लहुम् अज्वाज्व
 -व जुरिय्य-तन्, व मा का-न
 लि-रसूलिन् अय्यअति-य विआयतिन्
 इल्ला बि-इज़िनल्लाहि, लि कुल्लि
 अ-जलिन् किताब (38) यम्हुल्लाहु
 मा यशा-उ व युस्बतु व अिन्दहू
 उम्मुल्-किताब (39) व इम्मा
 नुरियन्न-क बअजल्लजी नअिदुहुम्
 औ न-तवफ़यन्न-क फ़-इन्नमा
 अलैकल्-बलागु व अलैनल्-हिसाब
 (40) अ-व लम् यरौ अन्ना नअतिल्
 -अर्-ज नन्कुसुहा मिन् अत्ताफ़िहा,
 वल्लाहु यस्कुमु ला मुअविकु-ब
 लिहुक्मिही, व हु-व सरीअुल्-हिसाब
 (41) व कद् ग-करल्लजी-न मिन्
 कबिलहिम् फ़ लिल्लाहिल्-मकरु
 जमीअन्, यअलमु मा तविसबु कुल्लु
 मफ़िसन्, व स-यअलमुल्-कुफ़ारु
 लिमन् अुखबद्दार (42) व
 यकूलुल्लजी-न क-फ़रु लस्-त
 मुसलन्, कुलु कफ़ा विल्लाहि

और भेज चुके हैं हम कितने रसूल तुझसे
 पहले और हमने दी थीं उनकी बीवियाँ
 और औलाद, और नहीं हुआ किसी रसूल
 से कि वह ले आये कोई निशानी भग
 अल्लाह की इज़ाजत से, हर एक वादा है
 लिखा हुआ। (38) मिटाता है अल्लाह जो
 चाहे और बाकी रखता है, और उसी के
 पास है असल किताब। (39) और अगर
 दिखलायें हम तुझको कोई वादा जो हमने
 किया उनसे, या तुझको उठा लें सो तेरे
 जिम्मे तो पहुँचा देना है और हमारे जिम्मे
 है हिसाब लेना। (40) क्या वे नहीं देखते
 कि हम चले आते हैं ज़मीन को घटाते
 उसके किनारों से, और अल्लाह हुक्म
 करता है, कोई नहीं कि पीछे डाले उसका
 हुक्म, और वह जल्द लेता है हिसाब।
 (41) और फ़रेब कर चुके हैं जो उनसे
 पहले थे, सो अल्लाह के हाथ में है सब
 फ़रेब, जानता है जो कुछ कमाता है हर
 एक जी, और अब मालूम किये लेते हैं
 काफ़िर कि किसका होता है पिछला घर।
 (42) और कहते हैं काफ़िर कि तू भेजा
 हुआ नहीं आया। कह दे अल्लाह काफ़ी

शहीदम्-बैनी व बैनकुम् व मन्

है गवाह मेरे और तुम्हारे बीच में, और

अिन्दहू अिल्मुल्-किताब (43) ❀

जिसको खबर है किताब की। (43) ❀

खुलासा-ए-तफ्सीर

और (अहले किताब में से बाजों का जो नुबुव्वत पर यह ताना है कि उनके पास कई बीवियाँ हैं सो इसका जवाब यह है कि) हमने यकीनन आप से पहले बहुत-से रसूल भेजे, और हमने उनको बीवियाँ और बच्चे भी दिये (यह रसूल होने के विरुद्ध कौनसी बात है। ऐसा ही मजमून दूसरी आयत यानी सूर: निसा की आयत 54 में है) और (चूँकि शरीअतों के मुख्तलिफ़ और भिन्न होने का शुब्हा दूसरे शुब्हात से ज्यादा मशहूर और ऊपर की आयतों में बहुत संक्षिप्त रूप में जिक्र हुआ था इसलिये इसको आगे दोबारा और विस्तार से इरशाद फरमाते हैं, कि जो शख्स नबी पर शरीअतों के अलग-अलग और भिन्न होने का शुब्हा करता है वह दर पर्दा नबी को अहकाम का मालिक समझता है, हालाँकि) किसी पैगम्बर के इख्तियार में यह बात नहीं कि एक आयत (यानी एक हुक्म) भी बिना खुदा तआला के हुक्म के (अपनी तरफ से) ला सके (बल्कि अहकाम का मुकरर होना अल्लाह की इजाजत व इख्तियार पर मौकूफ़ है, और खुदा तआला की हिक्मत व मस्लेहत के एतिबार से यह मामूल मुकरर है कि) हर ज़माने के मुनासिब खास-खास अहकाम होते हैं (फिर दूसरे ज़माने में कुछ मामलात में दूसरे अहकाम आते हैं और पहले अहकाम खत्म हो जाते हैं और बाज़े अपने हाल पर बाकी रहते हैं। पस) खुदा तआला (ही) जिस हुक्म को चाहें मौकूफ़ कर देते हैं और जिस हुक्म को चाहें कायम रखते हैं, और असल किताब (यानी लौह-ए-महफूज़) उन्हीं के पास (रहती) है (और ये सब अहकाम एक-दूसरे को निरस्त करने वाले, निरस्त होने वाले और कायम व बाकी रहने वाले उसमें दर्ज हैं, वह सब की जामे और गोया मीज़ानुल-कुल है, यानी जहाँ से ये अहकाम आते हैं वह अल्लाह ही के कब्जे में है, पस पहले अहकाम के मुवाफ़िक़ या उनके विपरीत अहकाम लाने की किसी को गुन्जाईश और हिम्मत ही नहीं हो सकती)।

और (ये लोग जो इस बिना पर नुबुव्वत का इनकार करते हैं कि अगर आप नबी हैं तो नुबुव्वत के इनकार पर जिस अज़ाब का वादा किया जाता है वह अज़ाब क्यों नाज़िल नहीं होता, इसके बारे में सुन लीजिये कि) जिस बात का (यानी अज़ाब का) हम उनसे (नुबुव्वत का इनकार करने पर) वायदा कर रहे हैं उसमें का वाज़ा वाफ़िअ अगर हम आपको दिखला दें (यानी आपकी जिन्दगी में कोई अज़ाब उन पर नाज़िल हो जाये) चाहे (उस अज़ाब के नाज़िल होने से पहले) हम आपको वफ़ात दे दें (फिर बाद में वह अज़ाब आये चाहे दुनिया में या आख़िरत में दोनों हालतों में, आप फ़िक्र व एहतिमाम न करें क्योंकि) बस आपके जिम्मे तो सिर्फ़ (अहकाम का) पहुँचा देना है और दारोगीर "यानी पूछताछ और पकड़" करना तो हगारा काम है (आप इस

फिर मैं क्या पढ़ें कि अगर धाके हो जाये तो बेहतर है, शायद ईमान ले आयें। और उन लोगों पर भी ताज्जुब है कि कुफ़र पर अज़ाब के आने का एक दम से कैसे इनकार कर रहे हैं। क्या (अज़ाब आने की निशानियों और शुरूआती चीज़ों में से) इस बात को नहीं देख रहे हैं कि हम (इस्लाम की फ़तह के ज़रिये से उनकी) ज़मीन को चारों तरफ़ से लगातार क़म करते चले आते हैं (यानी इस्लामी फ़तूहात के सबब उनकी हुकूमत व सरदारी दिन-ब-दिन घटती जा रही है, सो यह भी तो एक किस्म का अज़ाब है जो असली अज़ाब आने से पहले का एक नमूना और निशानी है जैसा कि एक दूसरी आयत यानी सूर: सज्दा आयत 21 में है) और अल्लाह (जो चाहता है) हुक्म करता है, उसके हुक्म को कोई हटाने वाला नहीं (पस छोटा अज़ाब हो या बड़ा अज़ाब जो भी हो उसको कोई उसके शरीकों या ग़ैर-शरीकों में से रद्द नहीं कर सकता)। और (अगर उनको थोड़ी मोहलत भी हो गई तो क्या है) वह बड़ी जल्दी हिसाब लेने वाला है (वक़्त की देर है, फिर फ़ौरन ही वायदा की गयी सज़ा शुरू हो जायेगी)।

और (ये लोग जो रसूल को तकलीफ़ पहुँचाने या इस्लाम में कमी व ऐब निकालने में तरह तरह की तदबीरें करते हैं तो इनसे कुछ नहीं होता। चुनाँचे) इनसे पहले जो (काफ़िर) लोग हो चुके हैं उन्होंने (भी इन ही उद्देश्यों के लिये बड़ी-बड़ी) तदबीरें कीं, सो (कुछ भी न हुआ क्योंकि) असल तदबीर तो खुदा ही की है (उसके सामने किसी की नहीं चलती, सो अल्लाह ने उनकी वो तदबीरें चलने न दीं और) उसको सब ख़बर रहती है जो शख्स जो कुछ भी करता है (फिर उसको वक़्त पर सज़ा देता है)। और (इसी तरह) इन काफ़िरों (के आमाल की भी उसको सब ख़बर है सो इन) को (भी) अभी मालूम हुआ जाता है कि उस आलम "यानी आख़िरत" में नेक अन्जामी किसके हिस्से में है (आया इनके या मुसलमानों के, जल्द ही इनको अपने बुरे अन्जाम और आमाल की सज़ा मालूम हो जायेगी)।

और ये काफ़िर लोग (सज़ाओं को भूले हुए) यूँ कह रहे हैं कि (नऊज़ु बिल्लाह) आप पैग़म्बर नहीं। आप फ़रमा दीजिये कि (तुम्हारे बेमायने इनकार से क्या होता है) मेरे और तुम्हारे दरमियान (मेरी नुबुव्वत पर) अल्लाह तआला और वह शख्स जिसके पास (आसमानी) किताब का इल्म है (जिसमें मेरी नुबुव्वत की तस्दीक़ है) काफ़ी गवाह हैं (इससे मुराद अहले किताब के वे इन्साफ़-पसन्द उलेमा हैं जो नुबुव्वत की भविष्यवाणी देखकर ईमान ले आये थे)। मतलब यह हुआ कि मेरी नुबुव्वत की दो दलीलें हैं- अक्ली और किताबी। अक्ली तो यह कि हक़ तआला ने मुझको मौजिज़े अता फ़रमाये जो नुबुव्वत की दलील हैं, और अल्लाह तआला के गवाह होने के यही मायने हैं। और किताबी यह है कि पिछली आसमानी किताबों में इसकी ख़बर मौजूद है अगर यकीन न आये तो इन्साफ़-पसन्द और सही उलेमा से पूछ लो वे ज़ाहिर कर देंगे। पस अक्ली व नक्ली (किताबी व रिवायती) दलीलों के होते हुए नुबुव्वत का इनकार करना सिवाय बदबख़्ती के और क्या है, किसी अक्ल रखने वाले को इससे शुक्ल न होना चाहिये)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

काफ़िरों व मुशिरकों की रसूल व नबी के मुताल्लिक एक आम धारणा यह थी कि वह बशर और इनसान के अलावा कोई मख़्लूक जैसे फ़रिश्ते होनी चाहियें, जिसकी वजह से आम इनसानों से उनकी बरतरी स्पष्ट हो जाये। क़ुरआने करीम ने उनके इस ग़लत ख़्याल का जवाब कई आयतों में दिया है कि तुमने नुबुव्वत व रिसालत की हकीकत और हिक्मत ही को नहीं पहचाना, इसलिये ऐसे ख़्यालों और धारणाओं के शिकार हुए। क्योंकि रसूल को हक़ तआला एक नमूना बनाकर भेजते हैं कि उम्मत के सारे इनसान उनकी पैरवी करें, उन्हीं जैसे आमाल व अख़्लाक सीखें, और जाहिर है कि कोई इनसान अपने हमजिन्स इनसान ही की पैरवी और इत्तिबा कर सकता है, जो उसकी जिन्स का न हो उसकी पैरवी इनसान से नामुम्किन है। जैसे फ़रिश्ते को न भूख लगे न प्यास न नफ़्तानी इच्छाओं से उसको कोई वास्ता, न उसको नींद आये न थकान हो, अब अगर इनसानों को उनके इत्तिबा और पैरवी का हुक्म दिया जाता तो उनके लिये उनकी कुदरत से ज्यादा तकलीफ़ हो जाती। इस जगह भी मुशिरकों का यही एतिराज़ पेश हुआ, खुसूसन रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के कई बीवियाँ रखने से उनका यह शुब्हा और बढ़ा, इसका जवाब पहली आयत के शुरूआती जुमलों में यह दिया गया कि एक या एक से ज्यादा निकाह करने और बीवी बच्चों वाला होने को तुमने किस दलील से नुबुव्वत व रिसालत के ख़िलाफ़ समझ लिया? अल्लाह तआला की तो दुनिया की शुरूआत ही से यही सुन्नत (तरीका) रही है कि वह अपने पैग़म्बरों को बीवी-बच्चों वाले बनाते हैं, जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पहले गुज़रे हैं और उनमें से कुछ की नुबुव्वत के तुम भी कायल हो, वे सब अनेक बीवियाँ रखते थे, और औलाद वाले थे। इसको नुबुव्वत व रिसालत या बुज़ुर्गी और विलायत के ख़िलाफ़ समझना नादानी है।

सही बुख़ारी व मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फ़रमाया कि मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और इफ़्तार भी करता हूँ (यानी ऐसा नहीं कि हमेशा रोज़े ही रखा करूँ) और फ़रमाया कि मैं रात में सोता भी हूँ और नमाज़ के लिये खड़ा भी होता हूँ (यानी ऐसा नहीं कि सारी रात इबादत ही करूँ) और गोश्त भी खाता हूँ, औरतों से निकाह भी करता हूँ। जो शख्स मेरी इस सुन्नत को काबिले एतिराज़ समझे वह मुसलमान नहीं।

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

यानी किसी रसूल को इख़्तियार नहीं कि वह एक आयत भी खुदा तआला के हुक्म के बग़ैर खुद ला सके।

काफ़िर व मुशिरक लोग जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सामने मुख़ालफ़त व दुश्मनी भरे सवालात पेश करते आये हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के सामने भी उस ज़माने के मुशिरकों ने पेश किये, उनमें दो सवाल बहुत आम हैं- एक यह कि अल्लाह की किताब

में हमारी इच्छा व मर्जी के मुताबिक अहकाम नाज़िल हुआ करें, जैसे सूर: यूनुस में उनकी यह दरख्वास्त बयान हुई है कि:

إِنِّي بَقْرَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلَهُ

यानी या तो आप इस मौजूदा कुरआन के बजाय बिल्कुल ही कोई दूसरा कुरआन ले आईये जिसमें हमारे बुतों की इबादत को मना न किया गया हो, या फिर आप खुद ही इसके लाये हुए अहकाम को बदल दीजिये, अज़ाब की जगह रहमत और हराम की जगह हलाल कर दीजिये।

दूसरा सवाल अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के खुले मोजिजे देखने के बावजूद नये-नये मोजिजों का मुतालबा करना कि फुलॉ किस्म का मोजिजा दिखाईये तो हम मुसलमान हों। कुरआने करीम के इस जुमले में लफ़्ज़ आयत से दोनों चीज़ें मुराद हो सकती हैं, क्योंकि कुरआनी परिभाषा में कुरआनी आयतों को भी आयत कहा जाता है, और मोजिजे को भी। इसी लिये इस आयत की तफ़सीर में मुफ़स्सरीन हज़रात में से कुछ ने कुरआनी आयत मुराद लेकर यह मतलब बयान किया कि किसी पैग़म्बर को यह इख़्तियार नहीं होता कि अपनी तरफ़ से अपनी किताब में कोई आयत बना ले, और कुछ ने इस आयत से मुराद मोजिजा लेकर यह मायने करार दिये कि किसी रसूल व नबी को अल्लाह ने यह इख़्तियार नहीं दिया कि जिस वक़्त चाहे और जिस तरह का चाहे मोजिजा ज़ाहिर कर दे। तफ़सीर रूहुल-मआनी में फ़रमाया कि यहाँ कायदे के मुताबिक़ गुंजाईश होने के सबब ये दोनों मुराद हो सकते हैं और दोनों तफ़सीरें सही हो सकती हैं।

इस लिहाज़ से इस आयत के मज़मून का खुलासा यह हुआ कि हमारे रसूल से कुरआनी आयतों के बदलने का मुतालबा बेजा और ग़लत है, हमने ऐसा इख़्तियार किसी रसूल को नहीं दिया। इसी तरह यह मुतालबा कि फुलॉ किस्म का मोजिजा (करिश्मा और असाधारण काम) दिखलाईये, यह भी नुबुव्वत की हकीक़त से अज्ञानता की दलील है। क्योंकि किसी नबी व रसूल के इख़्तियार में नहीं होता कि लोगों की इच्छा के मुताबिक़ जो वे चाहें मोजिजा ज़ाहिर कर दें।

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

अजल के मायने निर्धारित मुदत और मुक़रर मियाद के आते हैं, और किताब इस जगह मस्दर के मायने में है यानी तहरीर। मायने यह है कि हर चीज़ की मियाद और मात्रा अल्लाह तआला के पास लिखी हुई है, उसने कायनात के पहले दिन में लिख दिया है कि फुलॉ शख़्स फुलॉ वक़्त पैदा होगा और इतने दिन ज़िन्दा रहेगा, कहाँ-कहाँ जायेगा, क्या-क्या करेगा, किस वक़्त और कहाँ मरेगा।

इसी तरह यह भी लिखा हुआ है कि फुलॉ ज़माने में फुलॉ पैग़म्बर पर क्या वही और अहकाम नाज़िल होंगे, क्योंकि अहकाम हर ज़माने और हर कौम के हाल के मुनासिब आते रहना ही अक्ल व इन्साफ़ का तकाज़ा है, और यह भी लिखा हुआ है कि फुलॉ पैग़म्बर से फुलॉ वक़्त किस-किस मोजिजे का ज़हूर होगा।

इसलिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह मुतालबा कि फुलॉ किस्म के

कुरआनी अहकाम में तब्दीली करायें व यह मुतालवा कि फुल्लो खास माजिज़ा दिखलायें एक मुखालफ़त भरा और ग़लत मुतालवा है जो रिहायत व नुवुव्यत की हकीकत से बेख़बर होने पर आधारित है।

بِمَا نَشَاءُ وَيُشِئُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝

उम्मुल-किताब के लफ़्ज़ी मायने असल किताब के हैं। इससे पुराद वह लौह-ए-महफूज़ है जिसमें कोई हेर-फेर और तब्दीली नहीं हो सकती।

आयत के मायने यह हैं कि हक़ तआला अपनी कामिल कुदरत और पूर्ण हिक्मत से जिस चीज़ को चाहता है मिटा देता है, और जिस चीज़ को चाहता है साबित और बाक़ी रखता है। और इस मिटाने व बाक़ी रखने के बाद जो हुक्म बाक़ी होता है वह अल्लाह तआला के पास महफूज़ है, जिस पर न किसी की पहुँच है न उसमें कोई कमी-बेशी हो सकती है।

तफ़्सीर के इमामों में से हज़रत सईद बिन जुबैर और क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हुमा वग़ैरह ने इस आयत को भी शरीअतों और अहकाम के मिटाने व साबित रखने यानी नसख़ (अहकाम में तब्दीली, उनके पूरी तरह समाप्त हो जाने या निरस्त व रद्द होने) के मसले के मुताल्लिक़ क़रार दिया है, और आयत का मतलब यह बयान फ़रमाया कि अल्लाह तआला जो हर ज़माने और हर क़ौम के लिये मुख़लिफ़ रसूलों के ज़रिये अपनी किताबें भेजते हैं, जिनमें शरीअत के अहकाम और फ़राईज़ का बयान होता है, यह ज़रूरी नहीं है कि ये सब अहकाम हमेशा के लिये हों और हमेशा बाक़ी रहें, बल्कि क़ौमों के हालात और ज़माने के बदलाव के अनुकूल अपनी हिक्मत के ज़रिये जिस हुक्म को चाहते हैं मिटा देते हैं और जिसको चाहते हैं साबित और बाक़ी रखते हैं, और असल किताब बहरहाल उनके पास महफूज़ है जिसमें पहले ही से यह लिखा हुआ है कि फुल्लो हुक्म जो फुल्लो क़ौम के लिये नाज़िल किया गया है यह एक खास मियाद के लिये या खास हालात की बिना पर है, जब वह मियाद गुज़र जायेगी या वो हालात बदल जायेंगे तो यह हुक्म भी बदल जायेगा। उस उम्मुल-किताब में उसकी मियाद और निर्धारित वक़्त भी पूरी निश्चितता के साथ दर्ज है, और यह भी कि इस हुक्म को बदलकर कौनसा हुक्म लाया जायेगा।

इससे यह शुब्हा भी जाता रहा कि अल्लाह के अहकाम कभी मन्सूख़ (निरस्त व रद्द) न होने चाहियें, क्योंकि कोई हुक्म जारी करने के बाद मन्सूख़ करना इसकी निशानी है कि हुक्म जारी करने वाले को हालात का अन्दाज़ा न था, इसलिये हालात देखने के बाद उसको मन्सूख़ (निरस्त व रद्द) करना पड़ा, और ज़ाहिर है कि हक़ तआला की शान इससे बुलन्द व बाला है कि कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर हो, क्योंकि ऊपर बयान हुई इबारत से मालूम हो गया कि जिस हुक्म को मन्सूख़ किया जाता है अल्लाह तआला के इल्म में पहले से होता है कि यह हुक्म सिर्फ़ इतनी मुद्दत के लिये जारी किया गया है, उसके बाद बदला जायेगा। इसकी मिसाल ऐसी होती है जैसे किसी मरीज़ का हाल देखकर कोई हकीम या डॉक्टर एक दवा उस वक़्त के मुनासिबे हाल तजवीज़ करता है और वह जानता है कि इस दवा का असर यह होगा, उसके बाद

इस दवा को बदलकर फूलों दवा दी जायेगी। खुलासा यह है कि इस तफ़सीर के मुताबिक़ आयत में मिटाने और साबित व कायम रखने से मुराद अहकाम का मन्सूख़ होना और बाकी रहना है।

और तफ़सीर के इमामों की एक जमाअत- हज़रत सुफ़ियान सौरी इमाम वकीअ रह. वगैरह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की दूसरी तफ़सीर नक़ल की है जिसमें आयत के मज़मून को तक़दीर के लिखे से संबन्धित करार दिया है और आयत के मायने यह बयान किये गये हैं कि क़ुरआन व हदीस की वज़ाहतों के मुताबिक़ मख़्लूक़ात की तक़दीरें और हर शख़्स की उम्र और जिन्दगी भर में मिलने वाला रिज़्क और पेश आने वाली राहत व मुसीबत और इन सब चीज़ों की मिक्दारे (मात्रायें और अन्दाजे) अल्लाह तआला ने कायनात के पहले दिन में मख़्लूक़ात की पैदाईश से भी पहले लिखी हुई हैं, फिर बच्चे की पैदाईश के वक़्त फ़रिश्तों को भी लिखवा दिया जाता है और हर साल शबे-क़द्र में उस साल के अन्दर पेश आने वाले मामलात का चिह्ना फ़रिश्तों के सुफ़ुर्द कर दिया जाता है।

खुलासा यह है कि मख़्लूक़ के हर फ़र्द की उम्र, रिज़्क और उसके तमाम काम मुतैयन और लिखे हुए हैं, मगर अल्लाह तआला तक़दीर के उस लिखे में से जिसको चाहते हैं मिटा देते हैं और जिसको चाहते हैं बाकी रखते हैं।

وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝

यानी असल किताब जिसके मुताबिक़ मिटाने और साबित व बाकी रखने के बाद अंततः अमल होना है वह अल्लाह के पास है, उसमें कोई तब्दीली व बदलाव नहीं हो सकता।

इसकी तफ़सील यह है कि बहुत-सी सही हदीसों से मालूम होता है कि कुछ आमाल से इनसान की उम्र और रिज़्क बढ़ जाते हैं, कुछ से घट जाते हैं। सही बुख़ारी में है कि सिला-रहमी उम्र में ज़्यादाती का सबब बनती है, और मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि कई बार आदमी कोई ऐसा गुनाह करता है कि उसके सबब रिज़्क से मेहरूम कर दिया जाता है, और माँ-बाप की ख़िदमत व इताअत से उम्र बढ़ जाती है, और अल्लाह की तक़दीर की कोई चीज़ सिवाय दुआ के टाल नहीं सकती।

इन तमाम रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह तआला ने जो उम्र या रिज़्क वगैरह किसी की तक़दीर में लिख दिये हैं वो बाज़े आमाल की वजह से कम या ज़्यादा हो सकते हैं और दुआ की वजह से भी तक़दीर बदली जा सकती है।


इस आयत में इसी मज़मून का बयान इस तरह किया गया कि तक़दीर की किताब में लिखी हुई उम्र या रिज़्क या मुसीबत या राहत वगैरह में जो तब्दीली या बदलाव किसी अमल या दुआ की वजह से होता है उससे मुराद तक़दीर की वह किताब है जो फ़रिश्तों के हाथ में या उनके इल्म में है, उसमें कई बार कोई हुक्म किसी खास शर्त पर लटका होता है, जब वह शर्त न पाई जाये तो यह हुक्म भी नहीं रहता, और फिर यह शर्त कई बार तो तहरीर में लिखी हुई फ़रिश्तों के इल्म में होती है, कई बार लिखी हुई नहीं होती सिर्फ़ अल्लाह तआला के इल्म में होती है।

जब वह हुक्म बदला जाता है तो सब हैरत में रह जाते हैं, इस तरह की तकदीर मुअल्लक कहलाती है जिसमें इस आयत की वजाहत के मुताबिक मिटाने या बाकी व साबित रखने का अमल होता रहता है, लेकिन आयत के आखिरी जुमले 'व अिन्दहू उम्मुल-किताबि' ने बतला दिया कि इस मुअल्लक तकदीर के ऊपर एक मुब्रम तकदीर है जो उम्मुल-किताब में लिखी हुई अल्लाह तआला के पास है, वह सिर्फ अल्लाह के इल्म के लिये मख्सूस है, उसमें वो अहकाम लिखे जाते हैं तो आमाल या दुआ की शर्तों के बाद आखिरी नतीजे के तौर पर होते हैं, इसी लिये वह मिटाने व साबित रखने और कमी-बेशी से बिल्कुल बरी है। (तफसीर इब्ने कसीर)

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّئِكَ

इस आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली देने और मुत्मईन रखने के लिये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआला ने जो वायदे आप से किये हैं कि इस्लाम की मुकम्मल फतह होगी, और कुफ़ व काफिर जलील व रुस्वा होंगे, तो यह होकर रहेगा, मगर आप इस फिक्र में न पड़ें कि यह मुकम्मल फतह कब होगी, मुम्किन है कि आपकी जिन्दगी में हो जाये और यह भी मुम्किन है कि वफ़ात के बाद हो। और आपके इत्मीनान के लिये तो यह भी काफ़ी है कि आप बराबर देख रहे हैं कि हम काफ़िरो की ज़मीनों को उनके किनारों से घटाते चले जाते हैं, यानी ज़मीन के वो किनारे (या इलाके व हिस्से) मुसलमानों के कब्जे में आ जाते हैं, इस तरह उनके कब्जे वाली ज़मीन घटती जा रही है और मुसलमानों के लिये कुशादगी व आसानी होती जाती है। इस तरह एक दिन उस फतह की तकमील भी हो जायेगी। हुक्म अल्लाह तआला ही के हाथ में है, उसके हुक्म को कोई टालने वाला नहीं, वह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है।

(अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि सूर: रज़द की तफसीर पूरी हुई।)



* सूरः इब्राहीम *

यह सूरत मक्की है। इसमें 52 आयतें
और 7 रुकूअ हैं।

सूर: इब्राहीम

सूर: इब्राहीम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 52 आयतें और 7 रुकूअ हैं।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ (2) وَكَرِيْمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّسْمِ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ أَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ ۝ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُوَوِّئُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝
الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأُولَئِكَ
فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ्-लाम्-स। किताबुन् अन्जल्लाहु
इलै-क लितुख्रिजन्ना-स मिनज्जुलुमाति
इलन्नूरि बि-इज़िन रब्बिहिम् इला
सिरातिल्-अजीज़िल्-हमीद (1)
अल्लाहिल्लजी लहू मा फिस्समावाति
व मा फिलुअर्ज़ि, व वैलुल्-
लिल्-काफिरी-न गिन् अज़ाबिन्
शदीद (2) अल्लजी-न यस्तहिब्बूनल्-
हयातदुन्या अलल्-आख़िरति व
यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि व
यब्गूनहा जि-वजन्, उलाइ-क फी
ज़लालिम्-बअीद (3)

यह एक किताब है कि हमने उतारी तेरी
तरफ कि तू निकाले लोगों को अंधेरो से
उजाले की तरफ, उनके रब के हुक्म से
रस्ते पर उस जबरदस्त खूबियों वाले (1)
अल्लाह के, जिसका है जो कुछ कि मौजूद
है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन
में, और मुसीबत है काफिरों को एक
सख्त अज़ाब से (2) जो कि पसन्द रखते
हैं ज़िन्दगी दुनिया की आख़िरत से, और
रोकते हैं अल्लाह की राह से, और तलाश
करते हैं उसमें कमी (ऐब और कमी), व
रास्ता भूलकर जा पड़े हैं दूर। (3)

खुलासा-ए-तफ़सीर

अलिफ़-लाम्-रा (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। यह (कुरआन) एक किताब है जिसको हमने आप पर नाज़िल फ़रमाया है ताकि आप (इसके ज़रिये से) तमाम लोगों को उनके परवर्दिगार के हुक्म से (तब्लीग़ के दर्जे में क़ुफ़्र के) अंधकार से निकालकर (ईमान व हिदायत की) रोशनी की तरफ़ यानी खुदा-ए-ग़ालिब तारीफ़ वाले की राह की तरफ़ लाएँ (रोशनी में लाने का मतलब यह है कि वह राह बतला दें)। जो ऐसा खुदा है कि उसी की मिल्क है जो कुछ कि आसमानों में है और जो कुछ कि ज़मीन में है, और (जब यह किताब खुदा का रास्ता बतलाती है तो) बड़ी ख़राबी यानी बड़ा सख्त अज़ाब है उन काफ़िरों को जो (इस राह को न तो खुद कुबूल करते हैं बल्कि) दुनियावी ज़िन्दगानी को आख़िरत पर तरज़ीह देते हैं (इसलिये दीन की गुस्तजू व तहक़ीक़ नहीं करते) और (न दूसरों को यह राह इख़्तियार करने देते हैं बल्कि) अल्लाह की (ज़िक्र हुई) इस राह से रोकते हैं और उसमें टेढ़ (यानी शुब्हात) को ढूँढते रहते हैं (जिनके ज़रिये से दूसरों को गुमराह कर सकें) ऐसे लोग बड़ी दूर की गुमराही में हैं (यानी वह गुमराही हक़ से बड़ी दूर है)।

मअरिफ़ व मसाईल

सूरत और इसके मज़ामीन

यह कुरआने करीम की चौदहवीं सूरत सूर: इब्राहीम शुरू होती है। यह सूरत मक्की है, हिजरत से पहले नाज़िल हुई, सिवाय चन्द आयतों के जिनके बारे में मतभेद है कि मदनी हैं या मक्की।

इस सूरत के शुरू में रिसालत व नुबुव्वत और उनकी कुछ विशेषताओं का बयान है, फिर तौहीद का मज़मून और उसके सुबूतों का ज़िक्र है, इसी सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िक्र किया गया है और इसी की मुनासबत से सूरत का नाम सूर: इब्राहीम रखा गया है।

الرّٰفِ كَتَبَ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ. بِاِذْنِ رَبِّهِمْ.

'अलिफ़-लाम्-रा' उन हुरूफ़े मुक़त्ताआत में से हैं जिनके बारे में बार-बार ज़िक्र किया जा चुका है कि इसमें ज़्यादा बेहतर और बेगुबार तरीक़ा पहले बुजुर्गों का है कि इस पर ईमान व यक़ीन रखें कि जो कुछ इसकी मुराद है वह हक़ है, लेकिन इसके मायने की तहक़ीक़ व तफ़तीश के पीछे न पड़ें।

كَتَبَ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ.

में नहवी तरकीब के लिहाज़ से ज़्यादा स्पष्ट और साफ़ बात यह है कि इसको तफ़ज़ हाज़ा के यहाँ पोशीदा है की ख़बर क़रार दी जाये, और जुमले के मायने यह हों कि यह वह किताब है

जिसको हमने आपकी तरफ नाज़िल किया है। इसमें नाज़िल करने की निस्वत हक तआला शानुह की तरफ और ख़िताब की निस्वत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ करने में दो चीज़ों की तरफ इशारा पाया गया- एक यह कि यह किताब बहुत ही ऊँचे मक़ाम व मर्तबे वाली है, कि इसको खुद ज़ाले हक़ तआला ने नाज़िल फ़रमाया है। दूसरे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बुलन्द मक़ाम व मर्तबे वाला होने की तरफ इशारा है कि आपको इसका पहला मुख़ातब बनाया है।

لُخْرِجَ النَّاسُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

लफ़्ज़ 'नास' आम इनसानों के लिये बोला जाता है। इससे मुराद तमाम आलम के मौजूद और आईन्दा आने वाले इनसान हैं। 'जुलुमात' जुल्मत की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने अंधेरे के परिचित व पशहूर हैं। यहाँ 'जुलुमात' से मुराद कुफ़ व शिर्क और बुरे आपाल की जुल्मत है, और नूर से मुराद ईमान की रोशनी है। इसलिये लफ़्ज़ जुलुमात को बहुवचन के लफ़्ज़ के साथ लाया गया, क्योंकि कुफ़ व शिर्क की बहुत-सी किस्में हैं इसी तरह बुरे आपाल भी बेशुमार हैं, और लफ़्ज़ नूर को एक वचन के कलिमे से लाया गया क्योंकि ईमान और हक़ वाहिद (सिर्फ़ एक ही) है। आयत के मायने यह है कि यह किताब हमने इसलिये आपकी तरफ़ नाज़िल की है कि आप इसके ज़रिये तमाम आलम के इनसानों को कुफ़ व शिर्क और बुरे कार्यों की अंधेरियों से निजात दिलाकर ईमान और हक़ की रोशनी में ले आयें उनके रब की इजाज़त से। यहाँ लफ़्ज़ 'रब' लाने में इस तरफ़ इशारा पाया जाता है कि अल्लाह तआला का आम इनसानों पर यह इनाम कि अपनी किताब और पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिये उनको अंधेरियों से निजात दिलायें, इसका सबब और मंशा सिवाय उस लुत्फ़ और मेहरबानी के और कुछ नहीं, जो तमाम इनसानों के ख़ालिक व मालिक ने अपनी शाने रबूबियत से उन पर मुतयज्जह कर रखी है, वरना अल्लाह तआला के जिम्मे न किसी का कोई हक़ लाज़िम है न किसी का जोर उस पर चलता है।

हिदायत सिर्फ़ खुदा का फ़ेल है

इस आयत में अंधेरी से निजात देकर रोशनी में लाने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़ेल (काम) करार दिया गया है, हालाँकि हिदायत देना हक़ीक़त में हक़ तआला ही का फ़ेल है, जैसा कि एक दूसरी आयत में इरशाद है:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي عَنْ أٰخِثٍ وَّلٰكِنْ اللّٰهُ يَهْدِي مَن يَّشَاءُ

“यानी आप अपने इख़्तियार से किसी को हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह तआला ही जिसको चाहता है हिदायत देता है।” इसी लिये इस आयत में:

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

का लफ़्ज़ बढ़ाकर यह शुब्हा ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि आयत के मायने यह हो गये कि

यह कुफ़ व शिर्क की अंधेरियों से निकालकर ईमान व नेक अमल की रोशनी में लाना, अगरचे असल हकीकत के एतिबार से आपके हाथ में नहीं मगर अल्लाह तआला के हुक्म व इजाजत से आप कर सकते हैं।

अहकाम व हिदायतें

इस आयत से मालूम हुआ कि आदम की तमाम औलाद और तमाम इनसानी नस्ल को बुराईयों की अंधेरियों से निकालने और रोशनी में लाने का एकमात्र जरिया और इनसान व इनसानियत को दुनिया व आखिरत की बरबादी और हलाकत से निजात दिलाने का वाहिद रास्ता कुरआने करीम है, जितना जितना लोग इसके करीब आयेंगे उसी अन्दाज़ से उनको दुनिया में भी अमन व अमान और आफियत व इत्मीनान नसीब होगा और आखिरत में भी फ़लाह व कामयाबी हासिल होगी, और जितना इसरो दूर होंगे उतना ही दोनों जहान की खराबियों, बरबादियों, मुसीबतों और परेशानियों के गड्ढे में गिरेंगे।

आयत के अलफ़ाज़ में यह नहीं खोला गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुरआन के जरिये किस तरह लोगों को अंधेरियों से निजात देकर रोशनी में लायेंगे, लेकिन इतनी बात ज़ाहिर है कि किसी किताब के जरिये किसी कौम को दुरुस्त करने का तरीका यही होता है कि उस किताब की तालीमात व हिदायात को उस कौम में फैलाया जाये और उनको उसका पाबन्द किया जाये।

कुरआने करीम की तिलावत भी मुस्तक़िल मक़सद है

मगर कुरआने करीम की एक अतिरिक्त ख़ुसूसियत यह भी है कि उसकी तिलावत और बग़ैर समझे हुए उसके अलफ़ाज़ का पढ़ना भी ख़ुसूसियत से इनसान के नफ़स पर असर डालता है और उराको बुराईयों से बचने में मदद देता है। कम से कम कुफ़ व शिर्क के कैसे ही ख़ूबसूरत जाल हों कुरआन पढ़ने वाला अगरचे बेसमझे ही पढ़ता हो उनके फन्दे में नहीं आ सकता। हिन्दुओं के आंदोलन शुद्धि संगठन के ज़माने में इसको देखा जा चुका है कि उनके जाल में सिर्फ़ कुछ वे लोग आये जो कुरआन की तिलावत से भी बेगाने थे, आज ईसाई मिशनरियाँ मुसलमानों के हर ख़िल्ले में तरह-तरह के सब्ज़ बाग़ और सुनहरे जाल लिये फिरती हैं, लेकिन उनका अगर कोई असर पड़ता है तो सिर्फ़ उन घरानों पर जो कुरआन की तिलावत से भी ग़ाफ़िल हैं, चाहे जाहिल होने की वजह से या नई तालीम के ग़लत असर से।

शायद इसी अन्दरूनी असर की तरफ़ इशारा करने के लिये कुरआने करीम में जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने के मक़ासिद बतलाये गये हैं वहाँ मायनों की तालीम से पहले तिलावत का अलग से ज़िक्र किया गया है:

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

यानी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तीन कार्यों के लिये भेजा गया है- पहला काम कुरआने मजीद की तिलावत है, और ज़ाहिर है कि तिलावत का शल्लुक अलफ़ाज़ से है, पायने समझे जाते हैं उनकी तिलावत नहीं होती। दूसरा काम लोगों को बुराईयों से पाक करना, और तीसरा काम कुरआने करीम और हिक्मत यानी सुन्नते रसूल की तालीम देना है।

खुलासा यह है कि कुरआने करीम एक ऐसा हिदायत नामा है जिसके पायने समझकर उस पर अमल करना तो असल मक़सद ही है, और इसका इनसानी जिन्दगी की इस्लाह (सुधार) में ज़रूरतदार होना भी बाज़ेह है। इसके साथ इसके अलफ़ाज़ की तिलावत करना भी ग़ैर-शक़री तौर पर इनसान के नफ़्स की इस्लाह में स्पष्ट असर रखता है।

इस आयत में 'अल्लाह के हुक्म से' अंधेरियों से निकालकर रोशनी में लाने की निस्वत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ करके यह भी बतला दिया गया है कि अगरचे हिदायत का पैदा करना हकीकत में हक़ तआला का काम है मगर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वास्ते के बग़ैर इसको हासिल नहीं किया जा सकता। कुरआने करीम का मफ़हूम (मतलब और पायने) और ताबीर भी वही मोतबर है जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कौल या अमल से बतला दी है, उसके खिलाफ़ कोई ताबीर मोतबर नहीं।

الى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ الْدَيُّ لَمْ يَأْتِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.

इस आयत के शुरू में जो जुम्लत व नूर (अंधेरी व रोशनी) का जिक्र आया है, ज़ाहिर है कि यह वह अंधेरी और रोशनी नहीं जो आम आँखों से नज़र आ जाये, इसलिये इसको स्पष्ट करने के लिये इस जुम्ले में इरशाद फ़रमाया कि वह रोशनी अल्लाह का रास्ता है जिस पर अग्रसर होने वाला न अंधेरे में चलने वाले की तरह भटकता है न उसको ठोकर लगती है, न वह मक़सद तक पहुँचने में नाकाम होता है। अल्लाह के रास्ते से मुसद वह रास्ता है जिस पर चलकर इनसान खुदा तक पहुँच सके, और उसकी रज़ा का दर्जा हासिल कर सके।

इस जगह लफ़ज़ अल्लाह तो बाद में लाया गया, इससे पहले उसकी दो सिफ़तें अज़ीज़ और हमीद जिक्र की गई हैं। अज़ीज़ के पायने अरबी लुग़त के एतिबार से ताक़तवर और ग़ालिब के हैं, और हमीद के पायने वह ज़ात जो तारीफ़ की हक़दार हो। इन दो सिफ़तों को असल नाग (यानी अल्लाह) से पहले लाने में इस तरफ़ इशारा है कि यह रास्ता जिस पवित्र ज़ात की तरफ़ ले जाने वाला है वह ताक़तवर और ग़ालिब भी है और हर तारीफ़ की पात्र भी, इसलिये इस पर चलने वाला न कहीं ठोकर खायेगा न उसकी कोशिश बेकार होगी, बल्कि उसका मन्ज़िले-मक़सूद पर पहुँचना यकीनी है, शर्त यह है कि इस रास्ते को न छोड़े।

अल्लाह तआला की ये दो सिफ़तें पहले बयान करने के बाद फ़रमाया:

اللَّهُ الْدَيُّ لَمْ يَأْتِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.

यानी यह वह ज़ात है कि जो-कुछ आसमानों और ज़मीन में है वह सब उसी का पैदा किया हुआ और उसी की खास्त मिल्क है, जिसमें कोई उसका शरीक नहीं।

लफ़्ज़ 'वैल' सख़्त अज़ाब और हलाकत के मायने में आता है। मायने यह हैं कि जो लोग कुरआन की इस नेमत के इनकारी हैं और कुफ़्र व शिर्क के अंधेरे ही में रहने को पसन्द करते हैं, उनके लिये बड़ी बरबादी और हलाकत है उस सख़्त अज़ाब से जो उन पर आने वाला है।

मज़मून का खुलासा

आयत का खुलासा यह है कि कुरआने करीम इसलिये नाज़िल किया गया है कि सब इनसानों को अंधेरे से निकालकर अल्लाह के रास्ते की रोशनी में ले आये, मगर जो बदनसीब कुरआन ही के मुन्किर हो जायें तो वे अपने हाथों अपने आपको अज़ाब में डाल रहे हैं। जो लोग कुरआन के अल्लाह का कलाम होने ही के मुन्किर (इनकारी) हैं वे तो इस अज़ाब के पात्र बनने के मुराद हैं ही, मगर जो एतिकाद व यकीन के तौर पर मुन्किर नहीं मगर अमली तौर पर कुरआन को छोड़े हुए हैं, न तिलावत से कोई वास्ता है न इसके समझने और अमल करने की तरफ़ कोई तवज्जोह है वे बदनसीब भी मुसलमान होने के बावजूद इस सख़्त धमकी से बिल्कुल बरी नहीं।

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

इस आयत में कुरआन के मुन्किरों काफ़िरों के तीन जाल (फन्दे) बतलाये गये हैं- एक यह कि वे दुनिया की जिन्दगी को आख़िरत के मुक़ाबले में ज्यादा पसन्द करते और वरीयता देते हैं, इसी लिये दुनिया के नफ़े या आराम की खातिर आख़िरत का नुक़सान करना ग़वारा कर लेते हैं। इसमें उनके रोग की पहचान की तरफ़ इशारा है, कि ये लोग कुरआने करीम के स्पष्ट मोजिज़ों (निशानियों और करिश्मों) की देखने के बावजूद उससे मुन्किर (इनकार करने वाले) क्यों हैं। वजह यह है कि उनको दुनिया की मौजूदा जिन्दगी की मुहब्बत ने आख़िरत के मामलात से अंधा कर रखा है, इसलिये उनको अपनी अंधेरी ही पसन्द है, रोशनी की तरफ़ आने से कोई रग़बत (दिलचस्पी) नहीं।

दूसरी ख़स्तत उनकी यह बयान फ़रमाई है कि वे खुद तो अंधेरियों में रहने को पसन्द करते ही हैं, ऊपर से जुल्म यह है कि वे अपनी ग़लती पर पर्दा डालने के लिये दूसरों को भी रोशनी के रास्ते यानी अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं।

कुरआन समझने में कुछ ग़लतियों की निशानदेही

तीसरी ख़स्तत 'यबूनुहज़ जि-वजन्' में बयान की गई है। इसके दो मायने हो सकते हैं- एक यह कि ये लोग अपनी बुरी फ़ितरत और बद-अमली के सबब इस फ़िक्र में लगे रहते हैं कि अल्लाह तआला के रोशन और सीधे रास्ते में कोई टेढ़ और ख़राबी नज़र आये तो उनको एतिराज़ और ताना देने का मौक़ा मिले। इमाम इब्ने कसीर ने यही मायने बयान फ़रमाये हैं।

और इस जुमले के यह मायने भी हो सकते हैं कि ये लोग इस फ़िक्र में लगे रहते हैं कि

अल्लाह के रास्ते यानी कुरआन व सुन्नत में कोई चीज़ उनके ख्यालात और इच्छाओं के मुवाफ़िक़ मिल जाये तो उसको अपने सही और हक़ राह पर होने की दलील में पेश करें, तफ़सीर-ए-क़ुर्तुबी में इसी मायने को इख़्तियार किया गया है। जैसे आजकल बेशुमार इल्म रखने वाले इसमें मुब्तला हैं कि अपने दिल में एक ख़्याल कभी ग़लती से कभी दूसरी कौम से प्रभावित होकर गढ़ लेते हैं, फिर कुरआन व हदीस में उसकी ताईद करने वाले मज़मून तलाश करते हैं और कहीं कोई लफ़ज़ उस ख़्याल की मुवाफ़क़त में नज़र पड़ गया तो उसको अपने हक़ में कुरआनी दलील समझते हैं, हालाँकि यह तरीका और चलन उसूली तौर पर ही ग़लत है, क्योंकि मोमिन का काम यह है कि अपने ख़्यालात व इच्छाओं से ख़ाली ज़ेहन होकर किताब व सुन्नत को देखे, जो कुछ उनसे स्पष्ट तौर पर साबित हो जाये उसी को अपना मस्लक (तरीका और ज़िन्दगी गुज़ारने का रास्ता) करार दे।

أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدَةٍ

इस जुमले में उन काफ़िरों के बुरे अन्जाम का ज़िक्र है जिनकी तीन सिफ़तें ऊपर बयान हुई हैं, और हासिल इसका यह है कि ये लोग अपनी गुमराही में बड़ी दूर जा पहुँचे हैं, कि अब इनका सही राह पर आना मुश्किल है।

अहकाम व मसाईल

तफ़सीर-ए-क़ुर्तुबी में है कि अगरचे इस आयत में स्पष्ट तौर पर ये तीन ख़स्लतें काफ़िरों की बयान की गई हैं और इन्हीं का यह अन्जाम ज़िक्र किया गया है कि वे गुमराही में दूर चले गये हैं, लेकिन उसूल के एतिबार से जिस मुसलमान में भी ये तीन ख़स्लतें मौजूद हों वह भी इस वर्ग (सज़ा के वायदे) का हक़दार है। इन तीन ख़स्लतों का खुलासा यह है:

1. दुनिया की मुहब्बत को आख़िरत पर ग़ालिब रखें, यहाँ तक कि दीन की रेशनी में न आर्यें।
 2. दूसरों को भी अपने साथ शरीक रखने के लिये अल्लाह तआला के रास्ते से रोकें।
 3. कुरआन व सुन्नत को हेरफेर करके अपने ख़्यालात पर फिट करने की कोशिश करें।
- अल्लाह तआला हमें इससे अपनी पनाह में रखे।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

व मा अर्सलना मिरसूलिन् इल्ला
बिलिसानि-कौमिही लियुबय्यि-न
लहुम्, फयुजिल्लुल्लाहु मय्यशा-उ व

और कोई रसूल नहीं भेजा हमने मगर
बोली बोलने वाला अपनी कौम की, ताकि
उनको समझाये, फिर रास्ता भुलाता है

यहदी मय्यशा-उ, व हुवल अजीजुल्-
हकीम (4)

अल्लाह जिसको चाहे और रास्ता दिखला
देता है जिसको चाहे, और वह है जबरदस्त
हिक्मतों वाला। (4)

खुलासा-ए-तफसीर

और (इस किताब के अल्लाह की तरफ से उतरी हुई होने में कुछ काफ़िरों को जो यह शुब्हा है कि यह अरबी क्यों है, जिससे शुब्हा व गुमान होता है कि खुद पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी तरफ से तैयार कर लिया होगा, ग़ैर-अरबी भाषा में क्यों नहीं ताकि यह शुब्हा ही न होता, और कुरआन दूसरी आसमानी किताबों से ग़ैर-अरबी होने में समान भी होता, तो यह शुब्हा बिल्कुल बेहूदा है, क्योंकि) हमने (पहले) तमाम पैग़म्बरों को (भी) उन्हीं की कौम की भाषा में पैग़म्बर बनाकर भेजा है ताकि (उनकी भाषा में) उनसे (अल्लाह के अहकाम को) बयान करें (क्योंकि असल मक़सद बात का स्पष्ट तौर पर बयान करना है, तो सब किताबों का एक भाषा में होना कोई मक़सद नहीं)। फिर (बयान करने के बाद) जिसको अल्लाह तआला चाहें गुमराह करते हैं (कि वह उन अहकाम को क़बूल नहीं करता) और जिसको चाहें हिदायत करते हैं (कि वह उन अहकाम को क़बूल कर लेता है), और वही (सब मामलात पर) ग़ालिब है (और) हिक्मत वाला है (पस ग़ालिब होने के सबब सब को हिदायत कर सकता था मगर बहुत-सी हिक्मतों के सबब ऐसा न हुआ)।

मअरिफ व मसाईल

पहली आयत में अल्लाह तआला की इस नेमत और सहूलत का जिक्र किया गया है कि अल्लाह तआला ने जब भी कोई रसूल किसी कौम की तरफ भेजा है तो उस कौम की भाषा वाला ही भेजा है, ताकि वह अल्लाह के अहकाम उन्हीं की भाषा और उन्हीं के मुहावरों में बतलाये और उनको उसका समझना आसान हो। अगर रसूल की भाषा उम्मत की भाषा से अलग और भिन्न होती तो ज़ाहिर है कि उसके अहकाम समझने में उम्मत को अनुवाद करने कराने की मशक़त भी उठानी पड़ती, और फिर भी अहकाम को सही समझना संदिग्ध रहता, इसलिये अगर इबरानी भाषा बोलने वालों की तरफ कोई रसूल भेजा तो रसूल की भाषा भी इबरानी ही थी, फ़ारसियों के रसूल की भाषा भी फ़ारसी, बरबरियों के रसूल की भाषा बरबरी रखी गई, चाहे इस सूरत से कि जिस शख्स को रसूल बनाया गया वह खुद उसी कौम का फ़र्द (सदस्य) हो और मातृभाषा उसी कौम की भाषा हो, या यह कि उसकी पैदाईशी और मादरी भाषा अगरचे कुछ और हो मगर अल्लाह तआला ने ऐसे असबाब पैदा फ़रमाये कि उसने उस कौम की भाषा सीख ली, जैसे हज़रत तूत अलैहिस्सलाम अगरचे असल बाशिन्दे इराक़ के थे, जहाँ की भाषा फ़ारसी थी लेकिन गुल्के शाम की तरफ हिज़रत करने के बाद उन्हीं लोगों में

शादी की और शादियों की भाषा ही उनकी भाषा बन गई, तब अल्लाह तआला ने उनको शम के एक इलाके का नबी बनाया।

और हमारे रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिनकी नुबुव्वत जगह और स्थान के एतिबार से पूरी दुनिया के लिये और ज़माने के एतिबार से कियामत तक के लिये आम है, दुनिया की कोई क़ौम किसी मुल्क की रहने वाली, किसी भाषा की बोलने वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दायरा-ए-रिसालत व नुबुव्वत से बाहर नहीं, और कियामत तक जितनी क़ौमें और भाषायें नई पैदा होंगी वो भी सब की सब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत दावत में दाखिल होंगी, जैसा कि कुरआने करीम में इरशाद है:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

“यानी ऐ लोगो! मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम सब की तरफ़।”

और सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तमाम अम्बिया के दरमियान अपनी पाँच विशेष खुसूसियत का जिक्र करते हुए फ़रमाया कि मुझसे पहले हर रसूल व नबी खास अपनी क़ौम व बिरादरी की तरफ़ भेजा जाता था, अल्लाह तआला ने मुझे आदम की औलाद की तमाम क़ौमों की तरफ़ नबी व रसूल बनाकर भेजा।

हक़ तआला ने इस आलम में इनसानी आबादी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फ़रमाया और उन्हीं को इनसानों का सबसे पहला नबी और पैग़म्बर बनाया। फिर इनसानी आबादी जिस तरह अपने बसने और आर्थिक हैसियत से फैलती और तरक्की करती रही, उसी की मुनासबत से हिदायत व रहनुमाई के इन्तिज़ामात भी अल्लाह तआला की तरफ़ से मुख़लिफ़ रसूलों पैग़म्बरों के ज़रिये होते रहे। ज़माने के हर दौर और हर क़ौम के हाल के मुनासिब अहक़ाम और शरीअतें नाज़िल होती रहीं, यहाँ तक कि इनसानी दुनिया की तरक्की व बढ़ोतरी अपने कमाल (शिखर) को पहुँची तो अल्लाह तआला ने तमाम अगले-पिछलों के सरदार, नबियों और रसूलों के इमाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस पूरी दुनिया का रसूल बनाकर भेजा, और जो किताब व शरीअत आपको दी वह पूरे आलम और कियामत तक के पूरे ज़माने के लिये कामिल व मुकम्मल कर दी, और इरशाद फ़रमाया:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

“यानी मैंने आज तुम्हारे लिये दीन को मुकम्मल कर दिया, और अपनी नेमत तुम्हारे लिये पूरी कर दी।”

पिछले नबियों की शरीअतें भी अपने वक़्त और अपने इलाके के एतिबार से कामिल व मुकम्मल थीं, उनको भी नाक़िस नहीं कहा जा सकता, लेकिन शरीअत-ए-मुहम्मदिया का कमाल किसी खास वक़्त और खास ख़िल्ले (इलाके व क्षेत्र) के साथ मख़सूस नहीं, यह उमूमी और सार्वजनिक रूप से कामिल है, इसी हैसियत से दीन को कामिल करना इस शरीअत के साथ

मख्सूस है, और इसी वजह से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नुबुव्वत का सिलसिला खत्म कर दिया गया।

कुरआने करीम अरबी भाषा में क्यों है?

यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह पिछली उम्मतों के रसूल उनके हम-जुबान (उन्हीं की भाषा वाले) भेजे गये, उनको अनुवाद करने की मेहनत की ज़रूरत न रही, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिर्फ अरब में अरबी भाषा के साथ क्यों भेजे गये? और आपकी किताब कुरआन भी अरबी भाषा ही में क्यों नाज़िल हुई? लेकिन ग़ौर व फ़िक्र से काम लिया जाये तो जवाब साफ़ है, हर शख्स समझ सकता है कि जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत और दावत दुनिया की तमाम कौमों के लिये आम हुई जिनमें सैकड़ों भाषायें प्रचलित हैं तो उन सब की हिदायत के लिये दो ही सूरतें मुम्किन थीं- एक यह कि कुरआन हर कौम की भाषा में अलग-अलग नाज़िल होता और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीमात व हिदायत भी हर कौम की भाषा में अलग-अलग होतीं, अल्लाह तआला की कामिल कुदरत के सामने इसका इन्तिज़ाम कोई दुश्वार न था, लेकिन दुनिया की तमाम कौमों के लिये एक रसूल एक किताब एक शरीअत भेजने का जो एक अज़ीम मक़सद दुनिया की इन तमाम कौमों में हज़ारों तरह के मतभेदों के बावजूद दीनी, अख़लाकी, सामाजिक एकता और एकजुटता पैदा करना है, वह इस सूरत से हासिल न होता।

इसके अलावा जब हर कौम और हर मुल्क का कुरआन व हदीस अलग भाषा में होते तो इसमें कुरआन के अलफ़ाज़ या मायनों में रद्दोबदल और कमी-बेशी के बेशुमार रास्ते खुल जाते और कुरआने करीम के कलाम का महफूज़ होना जो इसकी ऐसी खुसूसियत है कि ग़ैर और कुरआन का इनकार करने वाले भी इसको मानने से गुरेज़ नहीं कर सकते, यह मोजिज़ाना खुसूसियत (चमत्कारी और बेमिसाल विशेषता) कायम न रहती, और एक ही दीन एक ही किताब के होते हुए इसके मानने वालों की इतनी अलग-अलग और भिन्न राहें हो जातीं कि कोई एकता का बिन्दू ही बाकी न रहता। इसका अन्दाज़ा इससे हो सकता है कि कुरआने करीम के एक अरबी भाषा में नाज़िल होने के बावजूद इसकी ताबीर व तफ़सीर (मतलब व मायने बयान करने) में किस कदम मतभेद और विविधतायें जायज़ हदों में पेश आईं और नाजायज़ व बातिल तरीकों से इख़िलाफ़ (मतभेद) की तो कोई हद नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमानों की कौमी एकता और अलग पहचान व विशेषता उन सब लोगों में मौजूद है जो कुरआन पर किसी दर्जे में भी अमल करने वाले हों।

खुलासा यह है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत व नुबुव्वत का दुनिया की पूरी कौमों के लिये आम होने की सूरत में उन सब की तालीम व हिदायत की यह सूरत कि कुरआन हर कौम की भाषा में अलग-अलग होता, इसको तो कोई मामूली समझ का आदमी भी दुरुस्त नहीं समझ सकता, इसलिये ज़रूरी हुआ कि कुरआन किसी एक ही भाषा में

आये और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भाषा भी वही कुरआन की भाषा हो। फिर दूसरी मुल्की और क्षेत्रीय भाषाओं में उसके तर्जुमे पहुँचाये और फैलाये जायें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नायब उलेमा हर कौम हर मुल्क में आपकी दी हुई हिदायतों को अपनी-अपनी कौम व मुल्क की भाषा में समझायें और फैलायें। इसके लिये हक तआला ने तमाम दुनिया की भाषाओं में से अरबी भाषा का चयन फरमाया जिसकी बहुत-सी युजूहात हैं।

अरबी भाषा की विशेषता और खूबी

अव्वल यह कि अरबी भाषा आसमान की दफ्तरी भाषा है, फ़रिश्तों की भाषा अरबी है, लौहे महफूज़ की भाषा अरबी है जैसा कि कुरआन की आयत:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لُوحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

(यानी सूर: बरूज की आखिरी दो आयतों) से मालूम होता है। और जन्नत, जो इनसान का असली वतन है और जहाँ इसको लौटकर जाना है उसकी भाषा भी अरबी है। तबरानी, पुस्तदरक हाकिम, शुअबुल-ईमान और बैहकी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

أَجْرُ الْعَرَبِ ثَلَاثٌ: لِأَنِّي عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ.

(इस रिवायत को हाकिम ने मुस्तदरक में सही कहा है। जामे सगीर में भी सही की निशानी बताई है। कुछ गुहहिसीन ने इसको कमज़ोर व फज़ूह कहा है) हाफिज़े हदीस इब्ने तैमिया रह. ने कहा है कि इस हदीस का मज़मून साबित है, हसन के दर्जे से कम नहीं।

(फैज़ुल-कदीर शरह जामे सगीर पेज 179 जिल्द 1)

हदीस के मायने यह हैं कि "तुम लोग तीन वजह से अरब से मुहब्बत करो, एक यह कि मैं अरबी हूँ, दूसरे यह कि कुरआन अरबी है, तीसरे यह कि जन्नत वालों की भाषा अरबी है।"

तफसीरे कुर्तुबी वगैरह में यह रिवायत भी नकल की गयी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भाषा जन्नत में अरबी थी, ज़मीन पर नाज़िल होने और तौबा कुबूल होने के बाद अरबी भाषा ही में कुछ बदलाव होकर सुरयानी भाषा पैदा हो गई।

इससे उन रिवायतों की भी पुष्टि होती और उनको मज़बूती मिलती है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह से मन्कूल हैं कि अल्लाह तआला ने जितनी किताबें नबियों पर नाज़िल फरमाई हैं उनकी असली भाषा अरबी ही थी, जिब्रीले अमीन ने कौमी भाषा में तर्जुमा करके पैगम्बरों को बतलाया, और उन्होंने अपनी कौमी भाषा में उम्मतों को पहुँचाया। ये रिवायतें अल्लामा सुयूती रह. ने इत्क़ान में और उक्त आयत के सहत में अक्सर मुफ़स्सरीन ने नकल की हैं। उसका खुलासा यह है कि सब आसमानी किताबों की असल भाषा अरबी है मगर कुरआने करीम के सिवा दूसरी किताबें मुल्की और कौमी भाषाओं में तर्जुमा करके दी गई हैं इसलिये उनके मायने तो सब अल्लाह तआला की तरफ से हैं मगर अलफ़ाज़ बदले हुए हैं। यह सिर्फ़ कुरआन की खुसूसियत है कि इसके मायने की तरह अलफ़ाज़ भी हक़ तआला ही की तरफ

से आये हैं, और शायद यही वजह है कि कुरआने करीम ने यह दावा किया कि इनसानों और जिन्नात का सारा जहान जमा होकर भी कुरआन की एक छोटी सूरात बल्कि एक आयत की मिसाल नहीं बना सकता। क्योंकि वह मानवी और लफ़्ज़ी हैसियत से अल्लाह का कलाम और अल्लाह की एक सिफ़त है, जिसकी कोई नक़ल नहीं उतार सकता। मानवी हैसियत से तो दूसरी आसमानी किताबें भी अल्लाह का कलाम हैं, मगर उनमें शायद असल अरबी अलफ़ाज़ के बजाय तर्जुमा होने ही की वजह से यह दावा किसी दूसरी आसमानी किताब ने नहीं किया, वरना कुरआन की तरह अल्लाह का कलाम होने की हैसियत से हर किताब का बेमिसाल व बेनज़ीर होना यकीनी था।

अरबी भाषा के चयन की एक वजह खुद इस भाषा की ज़ाती सलाहियतें भी हैं कि एक मफ़हूम (मतलब व मायने) की अदायेगी के लिये इसमें बेशुमार अन्दाज़ और तरीक़े हैं।

और एक वजह यह भी है कि मुसलमान की अल्लाह तआला ने फ़ितरी तौर पर अरबी भाषा से एक ताल्लुक व मुनासबत अता फ़रमाई है, जिसकी वजह से हर शख्स आसानी से अरबी भाषा ज़रूरत के मुताबिक़ सीख लेता है। यही वजह है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जिस मुल्क में पहुँचे थोड़े ही अरसे में बग़ैर किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के पूरे मुल्क की भाषा अरबी हो गई। मिस्र, शाम, इराक़ सब में किसी की भाषा अरबी न थी जो आज अरब देश कहलाते हैं।

एक वजह यह भी है कि अरब लोग अगरचे इस्लाम से पहले सख़्त बुरे आभाल के शिकार थे मगर इस कौम की सलाहियतें, खूबियाँ और ज़ब्बात उन हालतों में भी बेनज़ीर थे, यही वजह थी कि हक़ तआला ने अपने सबसे बड़े और आख़िरी रसूल को उनमें पैदा फ़रमाया और उनकी भाषा की कुरआन के लिये इख़्तियार फ़रमाया, और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सबसे पहले उन्हीं की हिदायत व तालीम का हुक्म दिया:

وَالَّذِ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ ۝

और सबसे पहले इसी कौम के ऐसे अफ़सद अपने रसूल के आस-पास जमा फ़रमा दिये जिन्होंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अपनी जान, माल, औलाद सब कुछ कुरबान किया और आपकी तालीमात को जानों से ज़्यादा प्यारा समझा, और इस तरह उन पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सोहबत व तालीम का वह गहरा रंग चढ़ा कि पूरी दुनिया में एक ऐसा मिसाली समाज पैदा हो गया जिसकी नज़ीर उससे पहले आसमान व ज़मीन में नहीं देखी गई थी। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस बेमिसाल जमाअत को कुरआनी तालीमात के फैलाने के लिये खड़ा कर दिया और फ़रमाया:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً.

“यानी मुझसे सुनी हुई हर बात को उम्मत तक पहुँचा दो।” जान कुरबान करने वाले सहाबा ने इस हिदायत को पल्ले बाँधा और दुनिया के चप्पे-चप्पे में पहुँचकर कुरआन और इसकी

तालीमात को जहान में फैला दिया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात पर पच्चीस साल गुजरने न पाये थे कि कुरआन की आवाज़ पूरब व पश्चिम में गूँजने लगी।

दूसरी तरफ़ हक़ तआला ने अपने हुक्म से दफ़दीरी तौर पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मेते दावत जिसमें दुनिया के मुशिक और अहले किताब यहूदी व ईसाई सब दाख़िल हैं, उनमें एक खास महारत व ख़ूबी और सीखने-सिखाने और किताबें लिखने व पुरतत्व करने, तब्लीग़ व प्रसार का ऐसा ज़ज्बा पैदा फ़रमा दिया कि उसकी नज़ीर दुनिया की पिछली तारीख़ में नहीं मिलती। इसके नतीजे में अज़मी (ग़ैर-अरबी) क़ौमों में न सिर्फ़ कुरआन व सुन्नत के उलूम हासिल करने का मज़बूत ज़ज्बा पैदा हुआ बल्कि अरबी भाषा को हासिल करने और उसको रियाज देने व फैलाने में अज़मियों का क़दम अरब वालों से पीछे नहीं रहा।

यह एक हैरत-अंगेज़ हकीक़त है कि इस वक़्त अरबी लुग़त, मुहावरों और उसके क़वाइद नस्य-सर्फ़ (ग्रामर) पर जितनी किताबें दुनिया में मौजूद हैं वो ज़्यादातर अज़मियों (ग़ैर-अरबियों) की लिखी हुई हैं। कुरआन व हदीस के जमा करने, तरतीब देने, फिर तफ़सीर व ब्याख्या में भी उनका हिस्सा अरब वालों से कम नहीं रहा।

इस तरह रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भाषा और आपकी किताब अरबी होने के बावजूद पूरी दुनिया पर छा गयी और दावत व तब्लीग़ की हद तक अरब व अज़म का फ़र्क़ मिट गया। हर मुल्क व क़ौम और हर अज़मी भाषा के लोगों में ऐसे उलेमा पैदा ही गये जिन्होंने कुरआन व हदीस की तालीमात को अपनी क़ौमी भाषाओं में निहायत आसानी के साथ पहुँचा दिया और रसूल को क़ौम की भाषा में भेजने की जो हिक्मत थी वह हासिल हो गई।

आयत के आख़िर में फ़रमाया कि हमने लोगों की आसानी के लिये अपने रसूलों को उनकी भाषा में इसलिये भेजा कि वे हमारे अहक़ाम उनकी अच्छी तरह समझा दें, लेकिन हिदायत और गुमराही फिर भी किसी इनसान के बस में नहीं, अल्लाह तआला ही की क़ुदरत में है, वह जिसको चाहते हैं गुमराही में रखते हैं और जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं, यही बड़ी कुव्वत व हिक्मत वाले हैं।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّورِ وَذَكَرْنَاهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
أذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَّبِكُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَتَحَيَّوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

व ल-कद् अरसल्ला मूसा बिआयातिना
 अन् अख्रिज् कौम-क मिनज्जुलुमाति
 इलन्नूरि व ज़ विकरहुम्
 बिअय्यामिल्लाहि, इन्-न फी
 ज़ालि-क लआयातिल् तिकुल्लि
 सब्बारिन् शकूर (5) व इज् का-ल
 मूसा लिकौमिहिज्कुरू निअमतल्लाहि
 अलैकुम् इज् अन्जाकुम् मिन् आलि
 फिरअौ-न यसूमूनकुम् सूअल्-
 अज़ाबि व युज़ब्बिहू-न अब्ना-अकुम्
 व यस्तस्यू-न निसा-अकुम्, व फी
 ज़ालिकुम् बलाउम्-मिररब्बिकुम्
 अज़ीम (6) ❀

व इज् तअज़्ज-न रब्बुकुम् ल-इन्
 श-करतुम् ल-अज़ीदन्नकुम् व ल-इन्
 क-फरतुम् इन्-न अज़ाबी ल-शदीद
 (7) व का-ल मूसा इन् तक्फुरू
 अन्तुम् व मन् फिलअर्जि जमीअन्
 फ-इन्नल्ला-ह ल-गनिय्युन् हमीद (8)

और भेजा था हमने मूसा को अपनी
 निशानियाँ देकर कि निकाल अपनी कौम
 को अंधेरो से उजाले की तरफ़ और याद
 दिला उनको दिन अल्लाह के, अलबत्ता
 इसमें निशानियाँ हैं उसके लिये जो सब
 करने वाला है, शुक्रगुज़ार। (5) और जब
 कहा मूसा ने अपनी कौम को याद करो
 अल्लाह का एहसान अपने ऊपर जब छुड़ा
 दिया तुमको फिरअौन की कौम से, वे
 पहुँचाते थे तुमको बुरा अज़ाब, और
 ज़िबह करते तुम्हारे बेटों को और ज़िन्दा
 रखते तुम्हारी औरतों को, और इसमें मदद
 हुई तुम्हारे रब की तरफ़ से बड़ी। (6) ❀
 और जब सुना दिया तुम्हारे रब ने अगर
 एहसान मानोगे तो और भी दूँगा तुमको
 और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब
 यकीनन सख्त है। (7) और कहा मूसा ने
 अगर कुफ़्र करोगे तुम और जो लोग
 ज़मीन में हैं सारे, तो अल्लाह बेपरवाह है
 सब खूबियों वाला। (8)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपनी निशानियाँ देकर भेजा कि अपनी कौम को
 (कुफ़्र व नाफ़रमानी की) अंधेरियों से (निकाल कर ईमान व फ़रमाँबरदारी की) रोशनी की तरफ़
 लाओ, और उनको अल्लाह तआला की (नेमत और सज़ा के) मामलात याद दिलाओ, बेशक उन
 मामलात में इबतें हैं हर सब करने वाले और शुक्र करने वाले के लिये (क्योंकि नेमत को याद
 करके शुक्र करेगा और अज़ाब व नाराज़गी को फिर उसके ज़वाल को याद करके आईन्दा हादसों

में सब करोगा)। और उस वक़्त को याद कीजिये कि जब (हमारे इस ऊपर वाले इरशाद के मुवाफ़िक) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम से फ़रमाया कि तुम अल्लाह तआला का इनाम अपने ऊपर याद करो, जबकि तुमको फिराउन वालों से निजात दी, जो तुमको सख़्त तकलीफ़ें पहुँचाते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िबह करते थे-और तुम्हारी औरतों को (यानी लड़कियों को जो कि बड़ी होकर औरतें हो जाती थीं) जिन्दा छोड़ देते थे (ताकि उनसे काम और ख़िदमत लें, सो यह भी ज़िबह करने ही की तरह एक सज़ा थी), और इस (मुसीबत और निजात दोनों) में तुम्हारे रब की तरफ़ से एक बड़ा इम्तिहान है (यानी मुसीबत में बला थी और निजात में नेमत थी, और बला और नेमत दोनों बन्दे के लिये इम्तिहान हैं, पर इसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने 'अल्लाह के दिनों' यानी नेमत व अज़ाब दोनों की याददेहानी फ़रमा दी)।

और मूसा (अलैहिस्सलाम ने यह भी फ़रमाया कि ऐ मेरी कौम!) वह वक़्त याद करो जबकि तुम्हारे रब ने (मेरे ज़रिये से) तुमको इतिला फ़रमा दी कि अगर (मेरी नेमतों को सुनकर) तुम शुक्र करोगे तो तुमको (चाहे दुनिया में भी या आख़िरत में-तो ज़रूर) ज़्यादा नेमत दूँगा और अगर तुम (इन नेमतों को सुनकर) नाशुक्री करोगे तो (यह अच्छी तरह समझ लो कि) मेरा अज़ाब बड़ा सख़्त है (नाशुक्री में उसका अन्देशा है)। और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (यह भी) फ़रमाया कि अगर तुम और दुनिया भर के आदमी सब-के-सब मिलकर भी नाशुक्री करने लगे तो अल्लाह तआला (का कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि यह) बिल्कुल बेज़रूरत (और अपनी ज़ात में) तारीफ़ वाले हैं (दूसरों के ज़रिये कायित होने का वहाँ शुब्हा व गुमान ही नहीं, इसलिये अल्लाह तआला का नुक़सान होने के बारे में सोचने वाली चीज़ ही नहीं, और तुम अपना नुक़सान सुन चुके हो कि 'बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख़्त है' इसलिये शुक्र करना, नाशुक्री मत करना)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पहली आयत में यह ज़िक्र हुआ है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयतें देकर भेजा कि वह अपनी कौम को कुफ़्र व नाफ़रमानी की अंधेरियों से ईमान व फ़रमाँबरदारी की रोशनी में ले आयें।

लफ़ज़ आयात से तौरात की आयतें भी पुराद हो सकती हैं कि उनके नाज़िल करने का मक़सद ही हक़ की रोशनी फैलाना था, और आयात के दूसरे मायने मोज़िज़ों के भी आते हैं, वो भी इस जगह पुराद हो सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने नौ मोज़िजे खास तौर से अता फ़रमाये थे जिनमें लाठी का साँप बन जाना और हाथ का रोशन हो जाना कई जगह कुरआन में बयान हुआ है। आयात को मोज़िज़ों के मायने में लिया जाये तो मतलब यह होगा कि इज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे खुले हुए मोज़िजे देकर भेजा गया जिनको देखने के बाद कोई शरीफ़ समझदार इन्सान अपने इन्कार और नाफ़रमानी पर कायम नहीं रह सकता।

एक नुक्ता

इस आयत में लफ़्ज़ कौम आया है कि अपनी कौम को अंधेरी से रोशनी में लायें, लेकिन यही मज़मून इसी सूरत की पहली आयत में जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब करके बयान किया गया तो वहाँ कौम के बजाय लफ़्ज़ नास इस्तेमाल किया गया:

لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

इसमें इशारा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नुबुव्वत व रिसालत सिर्फ़ अपनी कौम बनी इस्राईल और मिस्री कौमों की तरफ़ थी और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत और भेजा जाना तमाम जहान के इंसानों के लिये है।

फिर इरशाद फ़रमाया:

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ

यानी हक़ तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को अय्यामुल्लाह याद दिलाओ।

अय्यामुल्लाह

अय्याम 'यौम' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने दिन के मशहूर हैं। लफ़्ज़ अय्यामुल्लाहि दो मायने के लिये बोला जाता है और वे दोनों यहाँ मुराद हो सकते हैं- अब्वल वो खास दिन जिनमें कोई जंग या इन्क़िलाब आया है, जैसे ग़ज़वा-ए-बदर व उहुद और अहज़ाब व हुनैन वगैरह के वाकिआत, या पिछली उम्मतों पर अज़ाब नाज़िल होने के वाकिआत हैं जिनमें बड़ी-बड़ी कौमों अस्त-ब्यस्त या नेस्त व नाबूद हो गईं। इस सूरत में अय्यामुल्लाह याद दिलाने से उन कौमों को कुफ़्र के बुरे अन्जाम से डराना और सचेत करना मक़सूद होगा।

दूसरे मायने अय्यामुल्लाह के अल्लाह तआला की नेमतों और एहसानात के भी आते हैं, तो उनको याद दिलाने का मक़सद यह होगा कि शरीफ़ इन्सान को जब किसी मोहसिन का एहसान याद दिलाया जाये तो वह उसकी मुख़ालफ़त और नाफ़रमानी से शर्मा जाता है।

क़ुरआन मजीद का अन्दाज़ और इस्लाह का तरीक़ा उमूमन यह है कि जब कोई हुक्म दिया जाता है तो साथ ही उस हुक्म पर अमल आसान करने की तदबीरें भी बतलाई जाती हैं, यहाँ पहले जुमले में मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की आयतें सुनाकर या मोजिजे दिखाकर अपनी कौम को कुफ़्र की अंधेरी से निकालो, और ईमान की रोशनी में लाओ। इसकी तदवीर इस जुमले में यह इरशाद फ़रमाई कि नाफ़रमानों को सही रास्ते पर लाने की दो तदबीरें हैं- एक सज़ा से डराना, दूसरे नेमतों और एहसानात को याद दिलाकर फ़रमाँबरदारी की तरफ़ बुलाना। 'ज़िक़रहुम् बिअय्यामिल्लाहि' में ये दोनों चीज़ें मुराद हो सकती हैं कि पिछली उम्मतों के नाफ़रमानों का बुरा अन्जाम, उन पर आने वाले अज़ाब और जिहाद में उनका मक़तूल या ज़लील व रुस्वा होना उनको याद दिलायें ताकि वे इब्रत हासिल करके उससे

बच जायें। इसी तरह उस कौन पर जो अल्लाह तआला की आम नेमतें दिन रात बरसती हैं और जो खास नेमतें हर मौके पर उनके लिये नाज़िल हुई हैं, जैसे तीह की घाटी में उनके सरों पर बादल का साया, खुराक के लिये पन्न व सलवा का उतरना, पानी की ज़रूरत हुई तो पत्थर से घशमों का बह निकलना वगैरह, उनको याद दिलाकर खुदा तआला की फरमाँबरदारी और तौहीद की तरफ बुलाया जाये।

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَابِرٍ شَكُورٍ ۝

इसमें आयात से मुराद निशानियाँ और दलीलें हैं, और सब्बार सब्र से मुबालगे का कलिमा है जिसके भायने हैं बहुत सब्र करने वाला और शकूर शुक्र से मुबालगे का सीगा है, जिसके भायने हैं बहुत शुक्रगुज़ार। जुमले के भायने यह हैं कि अय्यामुल्लाह यानी पिछले वाकिआत चाहे वो जो इनकार करने वालों की सज़ा और अज़ाब से संबन्धित हों या अल्लाह तआला के इनामात व एहसानात से संबन्धित बहरहाल अतीत के वाकिआत में अल्लाह तआला की कामिल कुदरत और आला हिक्मत की बड़ी निशानियाँ और दलीलें मौजूद हैं उस शख्स के लिये जो बहुत सब्र करने वाला और बहुत शुक्र करने वाला हो।

मतलब यह है कि ये खुली हुई निशानियाँ और दलीलें अगरचे हर गौर करने वाले की हिदायतों के लिये हैं मगर बदनसीब काफ़िर लोग इनमें गौर व फ़िक्र ही नहीं करते, इनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाते, फ़ायदा सिर्फ़ वे लोग उठाते हैं जो सब्र व शुक्र करने वाले हैं। मुराद इससे मोमिन हैं क्योंकि इमाम बैहकी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ईमान के दो हिस्से हैं- आधा सब्र और आधा शुक्र। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि सब्र आधा ईमान है और सही गुरिलम और मुरनद अहमद में हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन का हर हाल ख़ैर ही ख़ैर और भला ही भला है, और यह बात सिवाय मोमिन के और किसी को नसीब नहीं। क्योंकि मोमिन को अगर कोई राहत, नेमत या इज़्ज़त मिलती है तो यह उस पर अल्लाह तआला का शुक्रगुज़ार होता है जो उसके लिये दीन व दुनिया में ख़ैर और भलाई का सामान हो जाता है (दुनिया में तो अल्लाह के वायदे के अनुसार नेमत और ज़्यादा बढ़ जाती और कायम रहती है, और आख़िरत में उसके शुक्र का बड़ा बदला उसको मिलता है) और अगर मोमिन को कोई तकलीफ़ या मुसीबत पेश आ जाये तो वह उस पर सब्र करता है, उसके सब्र की वजह से "वह" मुसीबत भी उसके लिये नेमत व राहत का सामान हो जाती है (दुनिया में इस तरह कि सब्र करने वालों को अल्लाह तआला का साथ नसीब होता है, कुरआन का इशारा है 'इन्नुल्ला-ह मअस्ताबिरीन' और अल्लाह जिसके साथ हो अन्जागकार उसकी मुसीबत राहत से बदल जाती है और आख़िरत में इस तरह कि सब्र का बड़ा अज़्र और बदला अल्लाह तआला के नज़दीक बेहिसाब है जैसा कि कुरआने

करीम का इरशाद है:

إِنَّمَا يُوقَى الصَّبْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

खुलासा यह है कि मोमिन का कोई हाल बुरा नहीं होता, अच्छा ही अच्छा है, वह गिरने में भी उभरता है और बिगड़ने में भी बनता है।

न शोखी चल सकी बादे सबा की

बिगड़ने में भी जुल्फ़ उसकी बना की

ईमान वह दौलत है जो मुसीबत व तकलीफ़ को भी राहत व नेमत में तब्दील कर देती है। हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम से सुना है कि अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मैं आपके बाद एक ऐसी उम्मत पैदा करने वाला हूँ कि अगर उनकी दिली मुराद पूरी हो और काम उनकी मंशा के मुताबिक़ हो जाये तो वे शुक्र अदा करेंगे, और अगर उनकी इच्छा और मर्जी के खिलाफ़ नागवार और नापसन्दीदा सूरतेहाल पेश आ जाये तो वे उसको सबाब का ज़रिया समझकर सब्र करेंगे और यह अक्लमन्दी और बुर्दबारी उनकी अपनी जाती अक्ल व बरदाश्त का नतीजा नहीं बल्कि हम उनको अपने इल्म व बरदाश्त का एक हिस्सा अता फ़रमायेंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

शुक्र की हकीकत का खुलासा यह है कि अल्लाह तआला की दी हुई नेमतों को उसकी नाफ़रमानी और हराम व नाजायज़ कामों में खर्च न करे, और ज़बान से भी अल्लाह तआला का शुक्र अदा करे और अपने कामों व आमाल को भी उसकी मर्जी के मुताबिक़ बनाये।

और सब्र का खुलासा यह है कि खिलाफ़े तबीयत कामों पर परेशान न हो, अपने कौल व फ़ैल में नाशुक्री से बचे और अल्लाह तआला की रहमत का दुनिया में भी उम्मीदवार रहे और आख़िरत में सब्र के बड़े अज़्र का यकीन रखे।

दूसरी आयत में पहले गुज़रे मज़मून की और अधिक तफ़सील है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह अपनी कौम बनी इस्राईल को अल्लाह तआला की यह खास नेमत याद दिलायें कि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले फिरऔन ने उनको नाजायज़ तौर पर गुलाम बनाया हुआ था, और फिर उन गुलामों के साथ भी इनसानियत का सुलूक न था, उनके लड़कों को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता था, और सिर्फ़ लड़कियों को अपनी ख़िदमत के लिये पाला जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नबी बनने के बाद उनकी बरकत से अल्लाह तआला ने उनको इस फिरऔनी अज़ाब से निजात दे दी।

शुक्र और नाशुक्री के नतीजे

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

लफ़ज़ तअज़ज़-न इत्तिला देने और ऐलान करने के मायने में है। मतलब आयत का यह है

कि यह बात याद रखने की है कि अल्लाह तआला ने यह ऐलान फरमा दिया कि अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया कि उनको मेरी नाफरमानियों और नाजायज़ कामों में खर्च न किया और अपने आमाल व कामों को मेरी मर्जी के मुताबिक बनाने की कोशिश की तो मैं उन नेमतों को और ज्यादा कर दूँगा। यह ज्यादाती नेमतों की पात्रा में भी हो सकती है और उनके बाकी और हमेशा के लिये रहने में भी। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को शुक्र अदा करने की तौफ़ीक हो गई वह कभी नेमतों में बरकत और ज्यादाती से मेहसूस न होगा। (इब्ने मरदूया, इब्ने अब्बास की रिवायत से, मज़हरी)

और फरमाया कि अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब भी सख्त है। नाशुक्री का हासिल यही है कि अल्लाह तआला की नेमतों को उसकी नाफरमानी और नाजायज़ कामों में खर्च करे, या उसके फ़राईज़ व वाजिबात की अदायगी में सुस्ती करे, और नेमत की नाशुक्री का सख्त अज़ाब दुनिया में भी यह हो सकता है कि वह नेमत छीन ली जाये, या ऐसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाये कि नेमत का फ़ायदा न उठा सके, और आख़िरत में भी अज़ाब में गिरफ़्तार हो।

यहाँ यह बात याद रखने के काबिल है कि इस आयत में हक़ तआला ने शुक्रगुज़ारों के लिये तो अज़्र व सबाब और नेमत की ज्यादाती का वादा और वह भी ताकीद के लफ़्ज़ के साथ वादा फरमाया है 'ल-अज़ीदन्नकुम' (यानी मैं जरूर और भी दूँगा) लेकिन इसके मुकाबिल नाशुक्री करने वालों के लिये वह नहीं फरमाया कि 'ल-उज़ि़्ज़बन्नकुम' यानी मैं तुम्हें जरूर अज़ाब दूँगा, बल्कि सिर्फ़ इतना फरमाकर डराया है कि मेरा अज़ाब भी जिसको पहुँचे वह बड़ा सख्त होता है। इस खास अन्दाज़ में इशारा है कि हर नाशुक्रे का अज़ाब में गिरफ़्तार होना कुछ जरूरी नहीं, माफ़ी की भी संभावना है।

قَالَ مُوسَىٰ إِنَّ نَكَفَرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ीम से फरमाया कि अगर तुम सब और जितने आदमी ज़मीन पर आबाद हैं वे सब के सब अल्लाह तआला की नेमतों की नाशुक्री करने लगे तो याद रखो कि इसमें अल्लाह तआला का कोई नुक़सान नहीं, वह तो सब की तारीफ़ व सना और शुक्री व नाशुक्री से बेनियाज़ (बिपरवाह) और ऊपर है, और वह अपनी ज़ात में हमीद यानी तारीफ़ का हक़दार है, और उसकी तारीफ़ तुम न करो तो अल्लाह के सारे फ़रिश्ते और कायनात का ज़र्ज़र्रा कर रहा है।

शुक्र का फ़ायदा जो कुछ है वह तुम्हारे ही लिये है, इसलिये शुक्रगुज़ारी की ताकीद अल्लाह तआला की तरफ़ से कुछ अपने फ़ायदे के लिये नहीं, बल्कि रहमत के सबब से तुम्हें ही फ़ायदा पहुँचाने के लिये है।

المریاتکم نبوا الذین من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود

و الذین من بعدهم الا الله جاءتهم رسالهم بالبینة فردوا ایدیهم فی افواههم وقالوا اننا کفرنا بما ارسلتم به و اننا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب ۝ قالت رسالهم انی الله شک فاطر السموت و الارض ۝ یدعونکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ۝ قالوا ان انکم الا بشر مثلنا ۝ یریدون ان تصدونا عما کان یعبد اباؤنا فانونا بسطین مبین ۝ قالت لهم رسالهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده ۝ وما کان لنا ان ناتیکم بسطین الا باذن الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون ۝ وما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبیلنا ۝ وکنصبرن علی ما اذینتمونا ۝ وعلی الله فلیتوکل المتوکلون ۝ وقال الذین کفروا لرسالهم کنزجناکم من ارضنا اذ لتعودن فی ملتنا ۝ فاولت الیهم ربهم لنهیکن الظالمین ۝ وکنسکتکم الارض من بعدهم ۝ ذلک لمن خاف مقامی و خافی وعبید ۝ واستفتوا وخاب کل جبار عنید ۝

توبه

ع ۱۳

अलम् यअतिकुम् न-बउल्लजी-न
मिन् कब्लिकुम् कौमि नूहिव्-व
आदिव्-व समू-द, वल्लजी-न
मिम्-बअदिहिम्, ला यअलमुहुम्
इल्लल्लाहु, जाअल्हुम् रुसुलुहुम्
बिलुबय्यिनाति फ-रद्दू ऐदि-वहुम्
फी अफ्रवाहिहिम् व कालू इन्ना
क-फरना विमा उर्सिल्लुम् बिही व
इन्ना लफी शक्किम् सिस्मा तदअलना
इल्लैहि मुरीब (9) ▲ कालत् रुसुलुहुम्
अफिल्लाहि शक्कुन् फातिरिस्समावाति
वलअर्जि, यदअूकुम् लियगुफि-र

क्या नहीं पहुँची तुमको खबर उन लोगों की जो पहले थे तुमसे कौम नूह की और आद और समूद और जो उनके बाद हुए, किसी को उनकी खबर नहीं मगर अल्लाह को, आये उनके पास उनके रसूल निशानियाँ लेकर फिर लौटायें उन्होंने अपने हाथ अपने मुँह में और बोले हम नहीं मानते जो तुमको देकर भेजा गया, और हमको तो शुब्हा है उस राह में जिस की तरफ तुम हमको बुलाते हो शक व दुविधा में डालने वाला। (9) ▲ बोले उनके रसूल क्या अल्लाह में शुब्हा है जिसने बनाये आसमान और जमीन, वह तुमको बुलाता है ताकि बख़्शो तुमको कुछ

लकुम् मिन् जुनूबिकुम् व
 यु-अख़िब-रकुम् इला अ-जलिम्-
 मुसम्मन्, कालू इन् अन्तुम् इल्ला
 ब-शरुम्-मिस्तुना, तुरीदू-न अन्
 तसुद्दूना अम्मा का-न यअबुदु
 आवाउना फ़अतूना विसुल्लानिम्-
 मुदीन (10) कालत् लहुम् रुसुलुहुम्
 इन् नहनु इल्ला ब-शरुम्-मिस्तुकुम् व
 लाकिन्नल्ला-ह यमुन्नु अला मय्यशा-उ
 मिन् अिबादिही, व मा का-न लना
 अन् नअतियकुम् विसुल्लानिन् इल्ला
 बिइज़िन्नल्लाहि, व अलल्लाहि
 फ़ल्य-तवक्कलिल्- मुअभिनून (11)
 व मा लना अल्ला न-तवक्क-ल
 अलल्लाहि व कद् हदाना सुबु-लना,
 व लनस्बिरन्-न अला मा आफैतुमूना,
 व अलल्लाहि फ़ल्य-तवक्कलिल्
 मु-तवक्कलून (12) ❀
 व कालल्लजी-न क-फ़ रु
 लिरुसुलिहिम् लनुख़िजन्नकुम् मिन्
 अरज़िना औ ल-तअदुन्-न फ़ी
 मिल्लतिना, फ़-औहा इलैहिम्
 रब्बुहुम् लनुहिलकन्नज़्-ज़ालिमीन
 (13) व लनुस्किनन्न-कुमुल्-अर-ज़

गुनाह तुम्हारे और ढील दे तुमको एक
 वायदे तक जो ठहर चुका है, कहने लगे
 तुम तो यही आदमी हो हम जैसे, तुम
 चाहते हो कि रोक दो हमको उन चीज़ों
 से जिनको पूजते रहे हमारे बाप-दादा, सो
 लाओ कोई सनद खुली हुई। (10) उनको
 कहा उनके रसूलों ने कि हम तो यही
 आदमी हैं जैसे तुम लेकिन अल्लाह
 एहसान करता है अपने बन्दों में जिस पर
 चाहे, और हमारा काम नहीं कि ले आयें
 तुम्हारे पास सनद मगर अल्लाह के हुक्म
 से, और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए
 ईमान वालों को। (11) और हमको क्या
 हुआ कि भरोसा न करें अल्लाह पर और
 यह सुझा चुका हमको हमारी सहेँ, और
 हम सब करेंगे तकलीफ़ पर जो तुम
 हमको देते हो और अल्लाह पर भरोसा
 चाहिए भरोसा करने वालों को। (12) ❀
 और कहा काफ़िरों ने अपने रसूलों को
 कि हम निकाल देंगे तुमको अपनी ज़मीन
 से या लौट आओ हमारे दीन में, तब
 हुक्म भेजा उनको उनके रब ने- हम
 मारत करेंगे उन ज़ालिमों को। (13) और
 आबाद करेंगे तुमको उस ज़मीन में उनके

मिम्-बअदिहिम्, जालि-क लिमन्
 खा-फ़ मकामी व खा-फ़ वअदीद
 (14) वस्तफ़तहू व खा-ब कुल्लु
 जब्बारिन् अनीद (15)

बाद, यह मिलता है उसको जो डरता है
 खड़े होने से मेरे सामने, और डरता है
 मेरे अज़ाब के वायदे से। (14) और
 फैसला लगे माँगने पैग़म्बर और नामुराद
 हुआ हर एक सरकश जिदी। (15)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मक्का के काफ़िरो!) क्या तुमको उन लोगों (के वाकिआत की) ख़बर (अगरचे संक्षिप्त ही में सही) नहीं पहुँची जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, यानी नूह की कौम, और (हूद की कौम) आद, और (सालेह की कौम) समूद, और जो लोग उनके बाद हुए हैं जिन (की तफ़सीली हालत) को सिवाय अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता (क्योंकि उनके हालात और तफ़सीलात लिखे नहीं गये और न मन्कूल हुए, और वो वाकिआत ये हैं कि) उनके पैग़म्बर उनके पास दलीलें लेकर आये, सो उन कौमों (में जो काफ़िर लोग थे उन्हीं) ने अपने हाथ उन पैग़म्बरों के मुँह में दे दिये (यानी मानते तो क्या यह कोशिश करते थे कि उनको बात तक न करने दें), और कहने लगे कि जो हुक्म तुमको (तुम्हारे गुमान के मुताबिक) देकर भेजा गया है (यानी तौहीद व ईमान) हम उसके इनकारी हैं, और जिस चीज़ की तरफ़ तुम हमको बुलाते हो (यानी वही तौहीद व ईमान) हम उसकी तरफ़ से बहुत बड़े शुब्हे में हैं जो (हमको) शक व दुविधा में डाले हुए है (मक़सद इससे तौहीद व रिसालत दोनों का इनकार है। तौहीद का तो ज़ाहिर है और रिसालत का 'जिसकी तरफ़ तुम हमें बुलाते हो.....' में। जिसका हासिल यह है कि तुम खुद अपनी राय से तौहीद यानी एक खुदा को मानने की दावत दे रहे हो, अल्लाह की तरफ़ से भेजे हुए और उसके पाबन्द नहीं हो)।

उनके पैग़म्बरों ने (इस बात के जवाब में) कहा, क्या तुमको अल्लाह तआला के बारे में (यानी उसकी तौहीद में) शक (व इनकार) है जो कि आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है (यानी उसका इन चीज़ों को पैदा करना खुद दलील उसकी हस्ती और अकेला माबूद होने की है फिर इस दलील के होते हुए शक करना बड़े ताज़्जुब की बात है। और तुम जो तौहीद की दावत को मुस्तक़िल तौर पर हमारी तरफ़ मन्सूब करते हो यह भी बिल्कुल ग़लत है, अगरचे तौहीद हक़ होने की वजह से इस काबिल है कि अगर कोई अपनी राय से भी उसकी दावत दे तो भी मुनासिब है, लेकिन इस विवादित मौक़े में तो हमारी दावत अल्लाह तआला के हुक्म से है पस) वह (ही) तुमको (तौहीद की तरफ़) बुला रहा है ताकि (उसके कुबूल करने की बरकत से) तुम्हारे (पिछले) गुनाह माफ़ कर दे, और (तुम्हारी उम्र की) मुक़ररा मुदत तक तुमको (ख़ैर व

खूबी के साथ) जिन्दगी दे (मतलब यह है कि तौहीद अलावा इसके कि अपने आप में हक है तुम्हारे लिये दोनों जहान में फायदेमन्द भी है। और इस जवाब में दोनों मामलों के मुताल्लिक जवाब हो गया है, तौहीद के मुताल्लिक भी 'क्या अल्लाह के बारे में शुद्धा है.....' और रिसालत के बारे में भी 'वह तुमको बुलाता है ताकि तुमको बख़्शो.....' में जैसा कि तर्जुमे की इबारत से जाहिर है)। फिर उन्होंने (फिर दोनों मामलों के बारे में गुफ्तगू शुरू की और) कहा कि तुम (पैग़म्बर नहीं हो बल्कि) सिर्फ एक आदमी हो जैसे हम हैं (और इनसान होना रसूल बनने के विरुद्ध है, तुम जो कहते हो वह अल्लाह की तरफ से नहीं है बल्कि) तुम (अपनी राय ही से) यूँ चाहते हो कि हमारे बाप और दादा जिस चीज़ की इबादत करते थे (यानी बुत) उससे हमको रोक दो, सो (अगर रसूल होने के दावेदार हो तो इन दलीलों व निशानियों के अलावा और) कोई साफ़ मौजिजा दिखलाओ (जो इन सबसे ज्यादा स्पष्ट हो। इसमें नुबुव्वत पर तो कलाम "यानी शुद्धा व एतिराज़" जाहिर है और 'यअबुदु आबाउना' में तौहीद पर कलाम की तरफ़ इशारा है जिसका हासिल यह है कि शिर्क के हक़ होने की दलील यह है कि हमारे बुजुर्ग इसको करते थे)। उनके रसूलों ने (इसके जवाब में) कहा कि (तुम्हारी तक़रीर के कई भाग हैं, तौहीद का इनकार इस दलील से कि हमारे बाप-दादा इसको करते थे, नुबुव्वत का इनकार इस तरह कि उस पर मौजूदा और पहले से मौजूद खुली निशानियों व मौजिजों के अलावा किसी और ज्यादा स्पष्ट मौजिजे व निशानी का मुताल्लिक करके, सो पहले मामले के मुताल्लिक 'फ़ातिरिस्समावाति वल्-अर्जि' में जवाब हो गया, क्योंकि अक्ली दलील के सामने रस्म व रिवाज और उर्फ़ कोई चीज़ नहीं। दूसरे मामले के मुताल्लिक यह कि हम अपने बशर और इनसान होने को मानते हैं कि वाकई हम भी तुम्हारे जैसे आदमी ही हैं, लेकिन (बशर होने और नुबुव्वत में कोई ज़िद और टकराव नहीं, क्योंकि नुबुव्वत अल्लाह तआला का एक आला दर्जे का एहसान है और) अल्लाह (को इख़्तियार है कि) अपने बन्दों में से जिस पर चाहे (वह) एहसान फ़रमा दे (और एहसान के ग़ैर-बशर के साथ खास होने की कोई दलील नहीं), और (तीसरे मामले के मुताल्लिक यह है कि दावे के लिये जिसमें नुबुव्वत का दावा भी दाख़िल है सिर्फ़ दलील और बिना किसी शर्त के कोई भी निशानी जो नुबुव्वत के दावे की सूरत में मौजिजा होगा लाज़िमी है, जो कि पेश की जा चुकी है, रहा कोई खास और विशेष दलील व मौजिजा पेश करना जिसको साफ़ दलील से ताबीर कर रहे हो, सो अब्बल तो मुनाज़रे के उसूल के एतिबार से यह ज़रूरी नहीं, दूसरे) यह बात हमारे कब्ज़े की नहीं कि हम तुमको बिना खुदा के हुक्म के कोई मौजिजा दिखला सकें (पस तुम्हारे सारे के सारे शुद्धात का जवाब हो गया। फिर अगर इस पर भी तुम न मानो और मुख़ालफ़त किये जाओ तो ख़ैर हम तुम्हारी मुख़ालफ़त से नहीं डरते बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते हैं), और अल्लाह ही पर सब ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए (चूँकि हम भी ईमान वाले हैं और ईमान का तकाज़ा है भरोसा करना इसलिये हम भी इसको इख़्तियार करते हैं)।

और हमको अल्लाह पर भरोसा न करने का कौनसी चीज़ सबब हो सकती है, हालाँकि उसने (हमारे हाल पर बड़ा फज़ल किया कि) हमको हमारे (दोनों जहान के फ़ायदों के) रास्ते बतला दिये (जिसका इतना बड़ा फज़ल हो उस पर तो ज़रूर भरोसा करना चाहिये), और (बाहरी नुक़सान से तो यूँ बेफ़िक्र हो गये, रहा अन्दरूनी नुक़सान कि तुम्हारी मुख़ालफ़त का रंज व ग़म होता हो) तुमने (इनकार व मुख़ालफ़त करके) जो कुछ हमको तकलीफ़ पहुँचाई है हम उस पर सब्र करेंगे (पस इससे भी हमको नुक़सान न रहा, और हासिल इस सब्र का भी वही अल्लाह पर भरोसा है) और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर (हमेशा) भरोसा रखना चाहिए।

और (इस मुकम्मल तौर पर हुज्जत पूरी करने के बाद भी काफ़िर गर्म न हुए बल्कि) काफ़िरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुमको अपनी सरज़मीन से निकाल देंगे, या यह हो कि तुम हमारे मज़हब में फिर लौट आओ (फिर आना इसलिये कहा कि नबी बनाये जाने से पहले उनकी हालत पर ख़ामोश रहने से वे भी यही समझते थे कि इनका एतिकाद भी हम ही जैसा होगा)। पस उन रसूलों पर उनके रब ने (तसल्ली के लिये) वही नाज़िल फ़रमाई कि (ये बेचारे तुमको क्या निकालेंगे) हम (ही) इन ज़ालिमों को ज़रूर हलाक कर देंगे। और इनके (हलाक करने के) बाद तुमको इस सरज़मीन में आबाद रखेंगे। (और) यह (आबाद रखने का वायदा कुछ तुम्हारे साथ ख़ास नहीं बल्कि) हर उस शख़्स के लिये (आम) है जो मेरे सामने खड़ा होने से डरे और मेरी वईद "यानी सज़ा के वायदे और धमकी" से डरे (मुराद यह कि जो मुसलमान हो, जिसकी निशानी क़ियामत और सज़ा की धमकी का ख़ौफ़ है, सब के लिये अज़ाब से निजात देने का यह वायदा आम है)।

और (पैग़म्बरों ने जो यह भज़पून काफ़िरों को सुनाया कि तुमने दलीलों के फ़ैसले को न माना, अब अज़ाब से फ़ैसला होने वाला है, यानी अज़ाब आने वाला है तो) काफ़िर लोग (चूँकि अपनी हद दर्जा जहालत और दुश्मनी में डूबे हुए थे, इससे भी न डरे बल्कि बिल्कुल निडर होकर वह) फ़ैसला चाहने लगे (जैसा कि उनके इस कौल से मालूम होता है कि ले आओ जिसका तुम हमसे वायदा करते हो.....) और (जब वह फ़ैसला आया तो) जितने नाफ़रमान (और) जिद्दी लोग थे वे सब (उस फ़ैसले में) नाक़ाम हुए (यानी हलाक हो गये और जो उनकी मुराद थी कि अपने को हक़ वाला समझकर फ़तह व कामयाबी चाहते थे वह हासिल न हुई)।

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِغُهُ وَيَأْتِيهِ
 الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝

मिंव्वराइही जहन्नमु व युस्का

पीछे उसके दोजखा है, और पिलायेंगे

मिम्-माइन् सदीद (16) य-तजर्रजुहू

उसको पानी पीप का। (16) घूँट घूँट

व ला यकादु युसीगुहू व यअतीहिल्-
मौतु मिन् कुल्लि मकानिन्-व मा
हु-व वि-मय्यतिन्, व मिंव्वराइही
अज़ाबुन् ग़लीज़ (17)

पीता है उसको और गले से नहीं उतार
सकता, और चली आती है उस पर मौत
हर तरफ़ से और वह नहीं मरता, और
उसके पीछे अज़ाब है सख्त। (17)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(जिस सरकश व जिद्दी का ऊपर आयत नम्बर 15 में जिक्र हुआ है दुनियावी अज़ाब के अलावा) उसके आगे दोज़ख़ (का अज़ाब आने वाला) है और उसको (दोज़ख़ में) ऐसा पानी पीने को दिया जायेगा जो कि पीप-लहू (के जैसा) होगा। जिसको (हृद से ज्यादा प्यास की वजह से) घूँट-घूँट करके पियेगा और (उसके हृद से ज्यादा गर्म व नापसन्दीदा होने की वजह से) गले से आसानी के साथ उतारने की कोई सूरत न होगी, और हर (चारों) तरफ़ से उस पर मौत (के सामान) की आमद होगी और वह किसी तरह से मरेगा नहीं (बल्कि यूँ ही सिसकता रहेगा), और (फिर यह भी नहीं कि यही उक्त अज़ाब एक हालत पर रहे बल्कि) उस (शख्स) को और (ज्यादा) सख्त अज़ाब का सामना (बराबर) हुआ करेगा (जिससे आदत पड़ने का शुद्धा व गुमान ही नहीं हो सकता, जैसा कि अल्लाह तआला का कौल है (आयत नम्बर 56 सूर: मिसा):

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا.

कि 'जिस वक्त जल जायेगी खाल उनकी तो हम बदल देंगे उनको और (दूसरी) खाल।

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي
يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ الْأَمْثَرَانِ ۗ اللَّهُ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ يَئِشًا يَدُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ
بِعَزِيزٍ ۝ وَيَرْزُقُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ
عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا
لَنَا مِنْ مَّحِصِينَ ۝ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْثَرَانِ اللَّهُ وَعْدَاكُمْ وَعَدَاكُمْ وَأَنْتُمْ
فَأَخْلَفْتُمُومًا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۗ فَلَا تَلُمُونِي وَلَا تَلُمُوا
أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

म-सलुल्लजी-न क-फरू बिरब्बिहिम्
 अज़्मालुहुम् क-रमादि-निश्तदत्
 बिहिरीहु फी यौमिन् आसिफिन्, ला
 यकिदरू-न मिम्मा क-सबू अला
 शैइन्, ज़ालि-क हुवज़्जलालुल्-बज़ीद
 (18) अलम् त-र अन्नल्ला-ह
 खा-लकस्-समावाति वल्-अर्-ज
 बिल्-हक्कि, इय्यशअ् युज़्हिब्कुम् व
 यअ्ति बिखाल्किन् जदीद (19) व
 मा ज़ालि-क अलल्लाहि बि-अज़ीज़
 (20) व ब-रज़ू लिल्लाहि जमीअन्
 फकालज़्जु-अफा-उ लिल्लजीनस्-
 तक्बरू इन्ना कुन्ना लकुम् त-बअन्
 फ-हल् अन्तुम् मुग्नू-न अन्ना मिन्
 अज़ाबिल्लाहि मिन् शैइन्, कालू लौ
 हदानल्लाहु ल-हदैनाकुम्, सवाउन्
 अलैना अ-जजिअ्ना अम् सबर्ना
 मा लना मिम्-महीस (21) ❀
 व कालशैतानु लम्मा कुज़ियल्-अम्रू
 इन्नल्ला-ह व-अ-दकुम् वअ्दल्-
 हक्कि व व-अत्तुकुम् फ-अख्लफ्तुकुम्,
 व मा का-न लि-य अलैकुम् मिन्
 सुल्लानिन् इल्ला अन् दअौतुकुम्
 फस्त-जब्तुम् ली फला तलूमूनी

हाल उन लोगों का जो मुन्किर हुए अपने
 रब से, उनके अमल हैं जैसे वह राख कि
 जोर की चले उस पर हवा आँधी के दिन,
 कुछ उनके हाथ में न होगा अपनी कमाई
 में से, यही है बहक कर दूर जा पड़ना।
 (18) क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने
 बनाये आसमान और ज़मीन जैसी चाहिए,
 अगर चाहे तुमको ले जाये और लाये
 कोई नई पैदाईश। (19) और यह अल्लाह
 को कुछ मुश्किल नहीं। (20) और सामने
 खड़े होंगे अल्लाह के सारे फिर कहेंगे
 कमजोर बड़ाई वालों को- हम तो तुम्हारे
 ताबे थे, सो क्या बचाओगे हमको अल्लाह
 के किसी अज़ाब से कुछ, वे कहेंगे अगर
 हिदायत करता हमको अल्लाह तो अलबत्ता
 हम तुमको हिदायत करते, अब बराबर है
 हमारे हक में कि हम बेकरारी करें या
 सब करें, हमको नहीं छुटकारा। (21) ❀
 और बोला शैतान जब फैसल हो चुका
 सब काम बेशक अल्लाह ने तुमको दिया
 था सच्चा वायदा और मैंने तुमसे वायदा
 किया फिर झूठा किया, मेरी तुम पर कुछ
 हुकूमत न थी मगर यह कि मैंने बुलाया
 तुमको फिर तुमने मान लिया मेरी बात
 को, सो इल्ज़ाम न दो मुझको और

व लूमू अन्फु-राकुम्, मा अ-न	इल्जाम दो अपने आपको, न मैं तुम्हारी
बिमुस्रिखिकुम् व मा अन्तुम्	फरियाद को पहुँचूँ और न तुम मेरी
बिमुस्रिखिय-य, इन्नी क-फरतु बिमा	फरियाद को पहुँचो, मैं इनकारी हूँ जो
अशरक्तु मूनी मिन् क बलु,	तुमने मुझको शरीक बनाया था इससे
इन्नज्जालिमी-न लहुम् अज़ाबुन्	पहले, अलबत्ता जो ज़ालिम हैं उनके लिये
अलीम (22)	है दर्दनाक अज़ाब। (22)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(इन काफ़िरों को अगर अपनी निजात के बारे में यह ख़्याल व गुमान हो कि हमारे आमाल हमको फ़ायदेमन्द होंगे तो इसका मुस्तफ़िल उसूल तो यह सुन लो कि) जो लोग अपने परवर्दिगार के साथ कुफ़्र करते हैं उनकी हालत अमल के एतिबार से यह है (यानी उनके आमाल की ऐसी मिसाल है) कि जैसे कुछ राख हो (जो उड़ने में बहुत हल्की होती है) जिसको तेज़ आँधी के दिन में तेज़ी के साथ हवा उड़ा ले जाये (कि इस सूरात में उस राख का नाम व निशान भी न रहेगा, इसी तरह) इन लोगों ने जो कुछ अमल किये थे उनका कोई हिस्सा (यानी असर व फ़ायदा) इनको हासिल न होगा (उस राख की तरह जाया व बरबाद हो जायेगा), यह भी बड़ी दूर-दराज़ की गुमराही है (कि गुमान तो हो कि हमारे अमल नेक और नाफ़ा देने वाले हैं और फिर ज़ाहिर हों बुरे और नुक़सान देने वाले, जैसे बुतों की पूजा या नाफ़ा न देने वाले आमाल जैसे किसी को आज़ाद करना या सिला-रहमी करना, और चूँकि हक़ से इसको बहुत दूरी है इसलिये कहा गया पस इस तरीक़े से तो निजात का गुमान व संभावना न रही, और अगर उनका यह गुमान हो कि कियामत ही का वजूद मुहाल है और इस सूरात में अज़ाब की संभावना व संदेह नहीं, तो इसका जवाब यह है कि) क्या (ऐ मुखातब!) तुझको यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह तआला ने आसमानों को और ज़मीन को बिल्कुल ठीक-ठीक (यानी फ़ायदों और मस्तेहतों पर आधारित) पैदा किया है (और इससे उसका क़ादिर होना भी मालूम हो गया! पस जब वह मुकम्मल कुदरत वाला है तो) अगर वह चाहे तो तुम सब को फ़ना कर दे और एक दूसरी नई मख़्लूक को पैदा कर दे। और यह खुदा को कुछ भी मुश्किल नहीं (पस जब नई मख़्लूक पैदा करना आसान है तो तुमको दोबारा पैदा कर देना क्या मुश्किल है)।

और (अगर यह ख़्याल व गुमान हो कि हमारे बड़े हमको बचा लेंगे तो इसकी हकीक़त सुन लो कि कियामत के दिन) खुदा के सामने सब पेश होंगे, फिर छोटे दर्जे के लोग (यानी अ़वाम और पैरवी करने वाले) बड़े दर्जे के लोगों से (यानी ख़ास लोगों और मुक़तदाओं से मत्मात व

नासजगी के तौर पर) कहेंगे कि हम (दुनिया में) तुम्हारे ताबे थे (यहाँ तक कि दीन की जाँ राह तुमने हमको बतलाई हम उसी पर हो लिये, और आज हम पर मुसीबत है) तो क्या तुम खुदा के अज़ाब का कुछ हिस्सा हम से हटा सकते हो (यानी अगर बिल्कुल न बचा सको तो क्या थोड़ा-बहुत भी बचा सकते हो)। वे (जवाब में) कहेंगे कि (हम तुमको क्या बचाते खुद ही नहीं बच सकते हैं, अलबत्ता) अगर अल्लाह हमको (कोई) राह (बचने की) बतलाता तो हम तुमको भी (वह) राह बतला देते, (और अब तो) हम सब के हक में दोनों सूरतें बराबर हैं, चाहे हम परेशान हों (जैसा कि तुम्हारी परेशानी 'तो क्या तुम हमको अल्लाह के किसी अज़ाब से बचा सकते हो' से ज़ाहिर है और हमारी परेशानी तो 'अगर अल्लाह हमको बचने की कोई राह बतलाता तो हम तुमको भी वह राह बतला देते' से ज़ाहिर ही है) चाहे संयम से काम लें (दोनों हालतों में) हमारे बचने की कोई सूरत नहीं (पस इस सवाल व जवाब से यह मालूम हो गया कि कुफ़्र के रास्ते के बड़े भी अपने पैरोकारों के कुछ काम न आयेंगे, निजात व छुटकारे के इस रास्ते की भी उम्मीद व गुंजाईश न रही)।

और (अगर इसका भरोसा हो कि अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की है वे काम आयेंगे तो इसका हाल इस गुफ्तगू से मालूम हो जायेगा कि) जब (क़ियामत में) तमाम मुक़द्दमों का फैसला हो चुकेगा (यानी ईमान वाले जन्नत और काफ़िर दोज़ख़ में भेज दिये जायेंगे) तो (तमाम दोज़ख़ वाले शैतान के पास कि वह भी वहाँ होगा जाकर मलामत करेंगे कि कमबख़्त तू तो डूबा ही था हमको भी अपने साथ डुबो दिया। उस वक़्त) शैतान (जवाब में) कहेगा कि (मुझ पर तुम्हारी मलामत अनुचित है, क्योंकि) अल्लाह तअ़ला ने तुमसे (जितने वायदे किये थे सब) सच्चे वायदे किए थे (कि क़ियामत होगी और कुफ़्र से हलाकत होगी और ईमान से निजात होगी) और मैंने भी तुमसे कुछ वायदे किए थे (कि क़ियामत न होगी और तुम्हारा तरीक़ा कुफ़्र का भी निजात का तरीक़ा है) सो मैंने वे वायदे तुमसे खिलाफ़ किये थे (और अल्लाह तअ़ला के वायदों के हक़ होने पर और मेरे वायदों के बातिल व झूठ होने पर मज़बूत और न कटने वाली दलीलें कायम थीं, सो बावजूद इसके तुमने मेरे वायदों को सही और खुदा तअ़ला के वायदों को ग़लत समझा, तो अपने हाथों तुम डूबे) और (अगर तुम यूँ कहो कि आख़िर सच्चे वायदों को झूठ समझने और झूठे वायदों की सच्चा समझने का सबब भी तो मैं ही हूँ तो यह बात है कि वाकई मैं बहकाने के दर्जे में सबब ज़रूर हुआ लेकिन यह देखो कि मेरे बहकाने के बाद तुम इख़्तियार रखते थे या मजबूर व बेइख़्तियार थे, सो ज़ाहिर है कि) मेरा तुम पर और तो कुछ जोर चलता न था, सिवाय इसके कि मैंने तुमको (गुमराही की तरफ़) बुलाया था। सो तुमने (अपने इख़्तियार से) मेरा कहना मान लिया (अगर न मानते तो मैं ज़बरदस्ती तुमको गुमराह न कर सकता था। जब यह बात साबित है) तो मुझ पर (सारी) मलामत मत करो (इस तरह से कि अपने को बिल्कुल बरी समझने लगे) और (ज्यादा) मलामत अपने आपको करो (क्योंकि अज़ाब का असल सबब

और कारण तुम्हारा ही अमल है, और मेरा फल तो केवल सबब है जो दूर की चीज और उससे हटकर एक चीज है, पस मलामत का तो यह जवाब है।)

(और अगर तुम्हारे इस कहने से मकसद मदद तलब करना और फरियाद करना है तो मैं किसी की क्या मदद करूँगा, खुद ही मुसीबत में मुब्तला और इमदाद का मोहताज हो रहा हूँ, लेकिन जानता हूँ कि कोई मेरी मदद न करेगा, वरना मैं भी तुमसे अपने लिये मदद चाहता, क्योंकि ज्यादा मुनासबत तुम से है, बस अब तो) न मैं तुम्हारा मददगार (हो सकता) हूँ और न तुम मेरे मददगार (हो सकते) हो, (अलबत्ता अगर मैं तुम्हारे शिर्क वाले तरीके को हक समझता तो भी इस ताल्लुक की वजह से मदद का मुतालबा करने की गुंजाईश थी, लेकिन) मैं खुद तुम्हारे इस काम से बेज़ार हूँ (और इसको बतिल समझता हूँ) कि तुम इससे पहले (दुनिया में) मुझको (खुदा का) शरीक करार देते थे (यानी बुतों की इबादत वगैरह के मामले में मेरी ऐसी इताअत करते थे जो इताअत कि हक तआला के लिये खास है, पस बुतों और मूर्तियों को शरीक ठहराना इस मायने में शैतान को शरीक ठहराना है, पस मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, न तुमको मुझसे मदद तलब करने का कोई हक है। पस) यकीनन जालिमों के लिये दर्दनाक अज़ाब (पुकरर) है (पस अज़ाब में पड़े रहो न मुझ पर मलामत करने से फायदे की उम्मीद रखो और न मदद चाहने से, जो तुमने जुल्म किया था तुम भुगतो जो मैंने किया था मैं भुगतूँगा। पस बातचीत खत्म करो। यह हासिल हुआ शैतान के जवाब का। पस इससे अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की थी उनसे भी भरोसा और उम्मीद खत्म हुई क्योंकि जो इन माबूदों की इबादत का असल संस्थापक और प्रेरक है और दर हकीकत गैरुल्लाह की इबादत से ज्यादा राजी वही होता है, चुनाँचे इसी वजह से कियामत के दिन दोज़ख में दोज़ख वाले उसी से कहें-सुनेंगे और अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की थी उनमें से किसी से कुछ भी न कहेंगे, जब उसने साफ़ जवाब दे दिया तो औरों से क्या उम्मीद हो सकती है, पस काफ़िरों की निजात और अज़ाब से फुटकारे के सब रास्ते बन्द हो गये और यही मजमून उद्देश्य था)।

وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ

व उद्खिलललजीन्न आमनु व
अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तजरी
मिन् तस्तिहल्-अन्हारु खालिदी-न
फीहा बि-इज्नि रब्बिहिम्, तहिय्यतुहुम्
फीहा सलाम (२३)

और दाखिल किये गये जो लोग ईमान
लाये थे और काम किये थे नेक, बागों में
जिनके नीचे बहती हैं नहरें, हमेशा रहें
उनमें अपने रख के हुकम से, उनकी
मुलाकात है वहाँ सलाम। (२३)

खुलासा-ए-तफसीर

और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये वे ऐसे बागों में दाखिल किये जाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, (और) वे उनमें अपने परवरिगार के हुक्म से हमेशा-हमेशा रहेंगे, (और) वहाँ उनको सलाम इस लफ्ज से किया जायेगा- अस्सलामु अलैकुम (यानी आपस में भी और फरिश्तों की तरफ से भी। जैसा कि कुरआन पाक की कई आयतों में इसका बयान है कि आपस में वहाँ वे सलाम करेंगे, फरिश्ते जिस दरवाजे से भी उन पर दाखिल होंगे तो सलाम करेंगे, अल्लाह तआला की तरफ से भी उन पर सलाम पेश किया जायेगा और कहा जायेगा कि यह तुम्हारे सब्र के नतीजे में है)।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ

طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أَكْثَرًا كُلِّ بَلَدٍ بَادِنٍ رَّبِّهَا وَيُضْرَبُ اللَّهُ

الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

अलम् त-र कै-फ़ ज-रबल्लाहु
म-सलन् कलि-मतन् तय्यि-बतन्
क-श-ज-रतिन् तय्यि-बतिन् अस्तुहा
सावितुंव-व फरअुहा फिस्समा-इ
(24) तुअती उकु-लहा कुल्-ल
हीनिम्-बि-इज़िन रब्बिहा, व
यज़िरबुल्लाहुल्-अम्सा-ल लिन्नासि
लअल्लहुम् य-तज़क्कलून (25)

तूने न देखा कैसी बयान की अल्लाह ने एक मिसाल बात सुधरी जैसे एक दरख्त सुधरा उसकी जड़ मजबूत है और टहनी है आसमान में। (24) लाता है फल अपना हर वक्त पर अपने रब के हुक्म से, और बयान करता है अल्लाह मिसालें लोगों के वास्ते ताकि वे फिक्र करें। (25)

खुलासा-ए-तफसीर

क्या आपको मालूम नहीं (यानी अब मालूम हो गया), कि अल्लाह तआला ने कैसी (अच्छी और मौके की) मिसाल बयान फरमाई है, कलिमा-ए-तय्यिबा (यानी कलिमा-ए-तौहीद व ईमान की) कि वह एक पाकीजा दरख्त के जैसा है (पुराद खजूर का दरख्त है), जिसकी जड़ (जमीन के अन्दर) खूब गड़ी हुई हो और उसकी शाखें "यानी टहनियाँ" ऊँचाई में जा रही हों। (और) वह (दरख्त) खुदा के हुक्म से हर फसल में (यानी जब उसकी फसल आ जाये) अपना फल देता हो (यानी खूब फलता हो, कोई फसल मारी न जाती हो। इसी तरह कलिमा-ए-तौहीद-यानी ला

इला-ह इल्लाहा को एक जड़ है यानी एतिकाद जो मोमिन के दिल में मजबूती के साथ जड़ पकड़े हुए है, और उसकी कुछ शाखें हैं यानी नेक आमाल जो इमान पर मुत्तब होते हैं जो कुबूलियत की बारगाह में आसमान की तरफ ले जाये जाते हैं, फिर उन पर हमेशा की रज़ा का फल मुत्तब होता है), और अल्लाह तआला (इस किस्म की) मिसालें लोगों (को बतलाने) के वास्ते इसलिये बयान फरमाते हैं ताकि वे (लोग मायने-मक़सद को) ख़ूब समझ लें (क्योंकि मिसाल से मक़सद की ख़ूब वज़ाहत हो जाती है)।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ

فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۖ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا
وَاحْتَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَبِئْسَ الْقَرَارُ ۗ

व म-सलु कलि-मतिन् ख़बिसतिन्
क-श-ज-रतिन् ख़बीसति-निज्तुस्सत्
मिन् फ़ौकिल्-अर्जि मा लहा मिन्
करार (26) युसब्बितुल्लाहुल्लज़ी-न
आमनू विल्क़ौलिसू-साबिति
फ़िल्हयातिदुदुन्या व फ़िल्-आख़िरति
व युजिल्लुल्लाहुज़ज़ालिमी-न व
यफ़अलुल्लाहु मा यशा-उ (27) ❀
अलम् त-र इलल्लज़ी-न बद्दलू
निअ्मतल्लाहि कुफ़रं-व अ-हल्लू
कौमहुम् दारल्-बवार (28) जहन्न-म
यस्तौनहा, व बिअ्सल्-करार (29)

और मिसाल गन्दी बात की जैसे दरख़्त
गन्दा उखाड़ लिया उसको ज़मीन के ऊपर
से, कुछ नहीं उसको ठहराव। (26)
मजबूत करता है अल्लाह इमान वालों को
मजबूत बात से दुनिया की जिन्दगी में
और आख़िरत में, और बिचला देता है
अल्लाह बेइन्साफ़ों को, और करता है
अल्लाह जो चाहे। (27) ❀
तूने न देखा उनको जिन्होंने बदला किया
अल्लाह के एहसान का नाशुक्री, और
उतारा अपनी कौम को तबाही के घर में।
(28) जो दोख़ है, दाख़िल होंगे उसमें,
और वह बुरा ठिकाना है। (29)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और गन्दे कलिमे की (यानी कुफ़ व शिर्क के कलिमे की) मिसाल ऐसी है जैसे एक ख़राब
दरख़्त हो (मुराद इद्राणी का पेड़ है) कि वह ज़मीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाये और
उसको (ज़मीन में) कुछ जमाव "और मजबूती" न हो (ख़राब फ़रमाया उसकी गंध, मज़े और रंग

के एतबार से, या उसके फल की वृ और मजे और गंग के एतबार से, यह सिफत पहले बयान हुए अच्छे और पाक कलिमे की तय्यिबा के मुकाबिल हुई, और ऊपर से उखाड़ने का मतलब यह है कि उसकी जड़ दूर तक नहीं होती, ऊपर ही रखी होती है, यह 'जड़ जमी हुई और गहरी' के मुकाबिल फरमाया, और 'उसको कुछ ठहराव और मजबूती नहीं' इसी की ताकीद के लिये फरमाया। और उसकी शाखों का ऊँचा न जाना और उसके फल का 'फल के तौर पर' मतलूब न होना जाहिर है, यही हाल कलिमा-ए-कुफ़्र का है कि अगरचे काफ़िर के दिल में उसकी जड़ है मगर हक के सामने उसका कमजोर व पस्त हो जाना ऐसा ही है जैसे उसकी जड़ ही नहीं। जैसा कि अल्लाह तआला ने एक दूसरी जगह पर काफ़िरों की दलील को बेजान व बातिल करार दिया है। और शायद 'मा लहा मिन् करार' की स्पष्टता से कुफ़्र का यही कमजोर व पस्त होना बतलाना मकसद हो। और चूँकि उसके आमाल मक़बूल नहीं होते, इसलिये गोया उस दरख्त की शाखें भी फिजा में नहीं फैलती, और चूँकि उसके आमाल पर अल्लाह की रज़ा मुरत्तब नहीं होती इसलिये फल की नफ़ी भी जाहिर है, और चूँकि आमाल के कुबूल और अल्लाह की रज़ा हासिल होने का काफ़िर में बिल्कुल शुब्हा व गुंजाईश ही नहीं, इसी लिये जिस चीज़ से उसको तशबीह व मिसाल दी गयी है उस चीज़ की शाखों और फल का जिक्र बिल्कुल ही छोड़ दिया है। बख़िलाफ़ कुफ़्र की ज़ात के कि इसका जिक्र इसलिये किया गया कि इसका वजूद महसूस भी है और जिहाद वगैरह के अहकाम में मोतबर भी है, यह तो दोनों की मिसाल हो गई आगे असर का बयान है कि) अल्लाह तआला ईमान वालों को इस पक्की बात (यानी कलिमा-ए-तय्यिबा की बरकत) से दुनिया और आख़िरत (दोनों जगहों) में (दीन में और इम्तिहान में) मजबूत रखता है, और (इस बुरे कलिमे की नहूसत से) ज़ालिमों (यानी काफ़िरों) को (दोनों जगह दीन में और इम्तिहान में) बिचला देता है, और (किसी को जमाव वाला रखने और किसी को बिचला देने में हजारों हिक्मतें हैं पस) अल्लाह तआला (अपनी हिक्मत से) जो चाहता है करता है।

क्या आपने उन लोगों (मक्का वालों) को नहीं देखा (यानी उनका अजीब हाल है) जिन्होंने अल्लाह की नेमत पर बजाय (शुक्र करने के) कुफ़्र किया (मुराद इससे मक्का के काफ़िर हैं, जैसा कि दुर्रे-मन्सूर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया गया है) और जिन्होंने अपनी कौम को तबाही के घर यानी जहन्नम में पहुँचा दिया (यानी उनको भी कुफ़्र की तालीम की जिससे) वे उस (जहन्नम) में दाख़िल होंगे, और वह रहने की बुरी जगह है (इसमें इशारा हो गया कि उनका दाख़िल होना वहाँ ठहरने और हमेशा रहने के लिये होगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

इन ऊपर बयान हुई आयतों से पहले एक आयत में हक़ तआला ने काफ़िरों के आमाल की यह मिसाल बयान फरमाई है कि वो राख की मानिंद हैं, जिस पर तेज़ और सख्त हवा चल जाये तो उसका ज़रा-ज़रा हवा में बिखरकर बेनिशान हो जाये। फिर कोई उसको जमा करके उससे

कोई काम लेना चाहे तो नापुष्कन है:

مَنْ أَلْدِينُ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ

मतलब यह है कि काफिर के आमाल जो बज़ाहिर अच्छे भी हों वो भी अल्लाह तआला के नज़दीक मकबूल नहीं, इसलिये सब जाया और बेकार हैं।

इसके बाद यहाँ बयान हुई आयतों में पहले मोमिन और उसके आमाल की एक मिसाल दी गई है फिर काफिरों व पुनाफिकों के आमाल की। पहली आयत में मोमिन और उसके आमाल की मिसाल एक ऐसे दरख्त (पेड़) से दी गई है जिसका तना मज़बूत और ऊँचा हो और उसकी जड़ें ज़मीन में गहरी गई हुई हों, और ज़मीन के नीचे पानी के चश्मों से सैराब होती हों। गहरी जड़ों की वजह से उस पेड़ को मज़बूती व स्थिरता भी हासिल हो कि हवा के झोंके से गिर न जाये, और ज़मीन की सतह से दूर होने की वजह से उसका फल गन्दगी से पाक-साफ़ रहे। दूसरी सिफ़त उस पेड़ की यह है कि उसकी शाखें ऊँचाई पर आसमान की तरफ़ हों। तीसरी सिफ़त उस पेड़ की यह है कि उसका फल हर वक़्त हर हाल में खाया जाता हो।

यह पेड़ कौनसा और कहाँ है? इसके बारे में मुफ़स्सिरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) के अक़वाल मुख़लिफ़ हैं, मगर ज़्यादा करीब यह है कि वह ख़जूर का पेड़ है। इसकी ताईद तजुर्वे और देखने से भी होती है और हदीस की रिवायतों से भी। ख़जूर के पेड़ के तने का बुलन्द और मज़बूत होना तो देखने की चीज़ है, सब ही जानते हैं कि उसकी जड़ों का ज़मीन की दूर गहराई तक पहुँचना भी परिचित व मालूम है, और उसका फल भी हर वक़्त और हर हाल में खाया जाता है, जिस वक़्त से उसका फल पेड़ पर जाहिर होता है उस वक़्त से पकने के ज़माने तक हर हाल और हर सूरत में उसका फल विभिन्न तरीकों से बटनी व अचार के तरीके से या दूसरे तरीके से खाया जाता है, फिर फल पक जाने के बाद उसका ज़ख़ीरा भी पूरे साल बाक़ी रहता है सुबह व शाम, रात और दिन, गर्मी और सर्दी, गर्ज़ कि हर मौसम और हर वक़्त में काम देता है। इस पेड़ का गूदा भी खाया जाता है, उससे पीठा रस निकाला जाता है, उसके पत्तों से बहुत-सी मुफ़ीद चीज़ें चटाईयाँ वगैरह बनती हैं, उसकी गुठली जानवरों का चारा है, बख़िलाफ़ दूसरे पेड़ों के फलों कि ये खास मौसम में आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उनको ज़ख़ीरा करके नहीं रखा जाता है और न उनकी हर चीज़ से फ़ायदा उठाया जाता है।

और तिमिज़ी, नसाई, इब्ने हिथ्बान और हाकिम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि शजरा-ए-तथियबा (जिसका जिक्र कुरआने करीम में है) ख़जूर का पेड़ है और शजरा-ए-ख़बीसा हन्ज़ल (इन्द्राणी) का पेड़ है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और मुस्नद अहमद में हज़रत मुजाहिद रह. की रिवायत से बयान हुआ है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उगर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि एक दिन हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे, कोई सज्जन आपके पास ख़जूर के पेड़ का गूदा लाये

उस वक़्त आपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से एक सवाल किया कि पेड़ों में से एक ऐसा पेड़ भी है जो मोमिन आदमी की मिसाल है। (और बुखारी की रिवायत में इस जगह यह भी ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उस पेड़ के पत्ते किसी मौसम में झड़ते नहीं) बतलाओ वह पेड़ कौनसा है? हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मेरे दिल में आया कि कह दूँ वह खजूर का पेड़ है, मगर मज्लिस में अबू बक्र व उमर और दूसरे बड़े सहाबा मौजूद थे उनको ख़ामोश देखकर मुझे बोलने की हिम्मत न हुई, फिर खुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वह खजूर का पेड़ है।

मोमिन की मिसाल इस पेड़ से देने की एक वजह यह है कि कलिमा-ए-तय्यिबा में इमाम उसकी जड़ है जो बहुत स्थिर और मज़बूत है। दुनिया के हादसे उसको हिला नहीं सकते। कामिल मोमिनों, सहाबा व ताबिईन बल्कि हर ज़माने के पक्के मुसलमानों की ऐसी मिसालें कुछ कम नहीं कि इमाम के मुक़ाबले में न जान की परवाह की, न माल की और न किसी दूसरी चीज़ की। दूसरी वजह उनकी पाकीज़गी और सफ़ाई है कि दुनिया की गन्दगियों से मुतास्सिर नहीं होते, जैसे ऊँचे पेड़ पर ज़मीन की सतह से गन्दगी का कोई असर नहीं होता, ये दो वस्फ़ (ख़ूबी और गुण) तो 'अस्तुहा साबितुन' की मिसाल हैं। तीसरी वजह यह है कि जिस तरह खजूर के पेड़ की शाखें (टहनियाँ) ऊँची आसमान की तरफ़ होती हैं, मोमिन के इमाम के फल यानी आमाल भी आसमान की तरफ़ उठाने जाते हैं। कुरआने करीम में है:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

यानी अल्लाह तआला की तरफ़ उठाने जाते हैं पाकीज़ा कलिमे। मतलब यह है कि मोमिन जो अल्लाह तआला का ज़िक्र तस्बीह, तहलील, कुरआन की क़िराअत वगैरह करता है ये सुबह व शाम अल्लाह तआला के पास पहुँचते रहते हैं।

चौथी वजह यह है कि जिस तरह खजूर का फल हर वक़्त, हर हाल, हर मौसम में रात-दिन खाया जाता है, मोमिन के नेक आमाल भी हर वक़्त, हर मौसम और हर हाल में सुबह व शाम जारी हैं। और जिस तरह खजूर के पेड़ की हर चीज़ कारामद है, मोमिन का हर कौल व फ़ैल और हरकत व सुकून और उससे पैदा होने वाले आसार पूरी दुनिया के लिये नफ़ा देने वाले और मुफ़ीद होते हैं, बशर्ते कि वह मोमिन कामिल और खुदा व रसूल की तालीमात का पाबन्द हो।

ऊपर बयान हुई तक़रीर से मालूम हुआ कि उपर्युक्त आयत नम्बर 25 में उकुल से मुराद फल और खाने के लायक चीज़ें हैं और ही-न से मुराद हर वक़्त हर हाल है, अक्सर मुफ़त्सिरीन ने इसी की तरजीह दी है, कुछ हज़रात के दूसरे अक़वाल भी हैं।

काफ़िरों की मिसाल

इसके मुक़ाबले में दूसरी मिसाल काफ़िरों की 'गन्दे और ख़राब पेड़' से दी गई। जिस तरह 'कलिमा-ए-तय्यिबा से मुराद 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' का कौल यानी इमाम है, इसी तरह 'बुरे और

गन्दे कलिमे' से मुराद कुफ़्र के कलिमत और कुफ़्र के आमाल हैं। शजर-ए-खबीसा (पन्डे अंग खराब पेड़) से मुराद मजकूर हदीस में हज़ल (इन्द्राणी) को करार दिया गया है, और कुछ हज़रात ने लहसुन वगैरह कहा है।

इस खबीस पेड़ का हाल कुरआन ने यह बयान किया है कि उसकी जड़ें ज़मीन के अन्दर ज्यादा नहीं होतीं इसलिये जब कोई चाहे उस दरख्त के पूरे वजूद को ज़मीन से उखाड़ सकता है।

أَجْتَثَّ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ

के वही मायने हैं। क्योंकि "उज्तुस्त" के असल मायने यह हैं कि किसी चीज़ के वजूद को पूरा-पूरा उठा लिया जाये।

काफ़िर के आमाल को इस पेड़ से तशबीह (मिसाल) देने की वजह ज़ाहिर है कि अब्बल तो उसके अक़ीदों की कोई जड़ बुनियाद नहीं, ज़रा देर में लड़खड़ा जाता है, दूसरे दुनिया की गन्दगी से प्रभावित होते हैं, तीसरे उनके पेड़ के फल-फूल यानी आमाल और काम अल्लाह के नज़दीक कारामद नहीं।

ईमान का खास असर

इसके बाद मोमिन के ईमान और कलिमा-ए-तय्यिबा का एक खास असर दूसरी आयत में बयान फ़रमाया है:

ثَبَّتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

यानी मोमिन का कलिमा-ए-तय्यिबा मजबूत व स्थिर पेड़ की तरह एक जमाव वाला कौल है जिसको अल्लाह तआला हमेशा कायम व बरकरार रखते हैं, दुनिया में भी और आख़िरत में भी, बशर्तेकि यह कलिमा इस्लाम के साथ कहा जाये, और ला इला-ह इल्लल्लाहु के मफ़हूम (मायने व मतलब) को पूरी तरह समझकर इख़्तियार किया जाये।

मतलब यह है कि इस कलिमा-ए-तय्यिबा पर ईमान रखने वाले की दुनिया में भी अल्लाह तआला की तरफ़ से ताईद होती है जिसकी वजह से वह मरते दम तक इस कलिमे पर कायम रहता है, चाहे उसके खिलाफ़ कितने ही हादसों से मुक़ाबला करना पड़े, और आख़िरत में इस कलिमे को कायम व बरकरार रखकर उसकी मदद की जाती है। सही बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि आख़िरत से मुराद इस आयत में बर्ज़ख़ यानी क़ब्र का जहान है।

क़ब्र का अज़ाब व सवाब कुरआन व हदीस से साबित है

हदीस यह है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब क़ब्र में मोमिन से सवाल किया जायेगा तो ऐसे हौलनाक मक़ाम और सख्त हाल में भी वह अल्लाह की मदद व ताईद से इस कलिमे पर कायम रहेगा, और ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुरसूलुल्लाहि की गवाही देगा। और फिर फ़रमाया कि कुरआन के इरशाद:

بَيَّنَّ اللَّهُ الَّذِينَ هُوَ بِالنُّقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 27) का वही मतलब है (यह रिवायत हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नक़ल फ़रमाई)। इसी तरह तक़रीबन चालीस सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोतबर सनदों के साथ इसी मज़मून की हदीसों नक़ल की गयी हैं जिनको इमाम इब्ने कसीर ने इस जगह अपनी तफ़सीर में जमा किया है। और शैख़ जलालुद्दीन सुयूती रह. ने अपने रिसाले 'अल्लसबीत इन्दत-तबयीत' में और 'शरहुस्तुदूर' में सत्तर हदीसों का हवाला नक़ल करके उन रिवायतों को मुतवातिर (यानी एक जमाअत से लगातार नक़ल होने वाली) फ़रमाया है। इन सब हज़राते सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इसी आयत में आख़िरत से मुराद क़ब्र और इस आयत को क़ब्र के अज़ाब व सवाब से संबन्धित करार दिया है।

मरने और दफ़न होने के बाद क़ब्र में इनसान का दोबारा ज़िन्दा होकर फ़रिश्तों के सवालात का जवाब देना, फिर उस इम्तिहान में कामयाबी और नाकामी पर सवाब या अज़ाब होना क़ुरआन मजीद की तक़रीबन दस आयतों में इशारे के तौर पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सत्तर मुतवातिर हदीसों में बड़ी स्पष्टता और वज़ाहत के साथ बयान हुआ है, जिसमें मुसलमान को शक व शुब्हे की गुन्जाईश नहीं। रहे वो आम दर्जे के शुब्हात कि दुनिया में देखने वालों को ये सवाब व अज़ाब नज़र नहीं आते, सो इसके तफ़सीली जवाबात की तो यहाँ गुन्जाईश नहीं, मुक़्तसर तौर पर इतना समझ लेना काफी है कि किसी चीज़ का नज़र न आना उसके मौजूद न होने की दलील नहीं, जिन्नात और फ़रिश्ते भी किसी को नज़र नहीं आते मगर मौजूद हैं, हवा नज़र नहीं आती मगर मौजूद है, जिस कायनाती फ़िज़ा को इस ज़माने में रॉकेटों के ज़रिये देखा जा रहा है वह अब से पहले किसी को नज़र न आती थी, मगर मौजूद थी। सपना देखने वाला सपने में किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होकर सख़्त अज़ाब में बेचैन होता है मगर पास बैठने वालों को उसकी कुछ ख़बर नहीं होती।

उसूल की बात यह है कि एक आलम (जहान) को दूसरे आलम के हालात पर अन्दाज़ा करना खुद ग़लत है। जब कायनात के पैदा करने वाले ने अपने रसूल के ज़रिये दूसरे आलम में पहुँचने के बाद इस अज़ाब व सवाब की ख़बर दे दी तो इस पर ईमान व यकीन रखना लाज़िम है। आयत के आख़िर में फ़रमाया:

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ.

यानी अल्लाह तआला मोमिनों को तो कलिमा-ए-तय्यिबा और मज़बूत कौल पर साबित-क़दम (जमे रहने वाला) रखते हैं और इसके नतीजे में क़ब्र ही से उनके लिये राहत के सामान जमा हो जाते हैं, मगर ज़ालिमों यानी काफ़िरों व मुश्रिकों को यह खुदाई मदद नहीं मिलती, मुन्कर-नकीर के सवालों का सही जवाब नहीं दे सकते और अन्जामकार अभी से एक किस्म के अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं।

“यानी अल्लाह तआला करता है जो चाहता है।” कोई ताकत नहीं जो उसके इरादे और मर्जी को रोक सके। हज़रत उबई इब्ने कअब, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह सहाबा हज़रात ने फ़रमाया है कि मोमिन को इसका एतिकाद (यानी इरा पर यकीन व ईमान लाना) लाज़िम है कि उसको जो-जो चीज़ हासिल हुई वह अल्लाह की मर्जी और इरादे से हासिल हुई, उसका टलना नामुम्किन था। इसी तरह जो चीज़ हासिल नहीं हुई उसका हासिल होना भी नामुम्किन था। और फ़रमाया कि अगर तुम्हें इस पर यकीन व भरोसा न हो तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝

“यानी क्या आप उन लोगों को नहीं देखते जिन्होंने अल्लाह तआला की नेमतों के बदले में कुफ़ इख़्तियार कर लिया, और अपनी क़ौम को जो उनके कहने पर चलती थी तबाही व बरबादी के मक़ाम में उतार दिया, वे जहन्नम में जलेंगे और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है।”

यहाँ ‘निअमतल्लाहि’ से अल्लाह तआला की आम नेमतें भी मुराद हो सकती हैं, जो देखी और महसूस की जाती हैं, और जिनका ताल्लुक इन्सान के ज़ाहिरी फ़ायदों से है जैसे खाने-पीने पहनने की चीज़ें, ज़मीन और मकान वगैरह, और वो ख़ास मानवी नेमतें भी हो सकती हैं जो इन्सान की रहनुमाई व हिदायत के लिये हक़ तआला की तरफ़ से आई हैं, जैसे नबी व रसूल और आसमानी किताबें, और जो निशानियाँ अल्लाह तआला की कुदरत व हिक्मत की अपने वजूद के हर जोड़ में फिर ज़मीन और उसकी बेशुमार मख़्लूक़ात में, आसमान और उसकी रसाई न होने वाली कायनात में इन्सान की हिदायत का सामान हैं।

इन दोनों किस्म की नेमतों का तकाज़ा यह था कि इन्सान अल्लाह तआला की बड़ाई व कुदरत को पहचानता, उसकी नेमतों का शुक्रगुज़ार होकर उसकी फ़रमाँबरदारी में लग जाता, मगर काफ़िरों व मुशिरकों ने नेमतों का मुकाबला शुक्र के बजाय नेमत की नाशुक़ी व इनकार और सरकशी व नाफ़रमानी से किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपनी क़ौम को तबाही व बरबादी के मक़ाम में डाल दिया और खुद भी हलाक हुए।

अहक़ाम व हिदायतें

इन तीनों आयतों में तौहीद (अल्लाह के अकेला और तन्हा माबूद होने को मानने) और कलिमा-ए-तय्यिबा ला इला-ह इल्लल्लाहु की अज़मत व फ़ज़ीलत और इसकी बरकतें व फल और इससे इनकार की नहूसत और बुरे अन्जाम का बयान हुआ है, कि तौहीद ऐसी हमेशा कायम रहने वाली दौलत है जिसकी बरकत से दुनिया में अल्लाह की मदद व ताईद साथ होती है, और आख़िरत और क़ब्र में भी, और इससे इनकार अल्लाह तआला की नेमतों को अज़ाब से बदल डालने के बराबर है।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرِكُمْ إِلَى النَّارِ ۗ قُلْ

لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ
يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ ۗ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۗ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَايِبِينَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَأَنْتُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن
تَعَدَّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفَّارٌ ۗ

व ज-अलू लिल्लाहि अन्दादल्-
लियुजिल्लू अन् सबीलिही, कुल्
त-मत्तअू फ-इन्-न मसीरकुम् इलन्नार
(30) कुल् लिअिबादियल्लज़ी-न
आमनू युकीमुस्सला-त व युन्फिकू
मिम्मा रजकनाहुम् सिररंव-व
अ लानि-यतम् मिन् क विल
अय्यअति-य यौमुल्-ला वैअुन् फीहि
व ला ख़िलाल (31) अल्लाहुल्लज़ी
छा-लकस्समावाति वल्अर्-ज़ व
अन्ज़-ल मिनस्समा-इ माअन्
फ-अख़र-ज बिही मिनस्स-मराति
रिज़कल्-लकुम् व सख़्ख़ा-र
लकुमुल्फुल्-क लितज़ि-य फिल-बहिर
बि-अमिही व सख़्ख़-र लकुमुल्-
अन्हार (32) व सख़्ख़-र लकुमुश्-
-शम्-स वल्क-म-र दाइबैनि व

और ठहराये अल्लाह के लिये मुक़ाबिल
कि बहकायें लोगों को उसकी राह से, तू
कह- मज़ा उड़ा लो फिर तुमको लौटना है
आग की तरफ़। (30) कह दे मेरे बन्दों
को कि जो ईमान लाये हैं कायम रखें
नमाज़ और खर्च करें हमारी दी हुई रोज़ी
में से छुपे और ज़ाहिर करके इससे पहले
कि आये वह दिन जिसमें न सौदा है न
दोस्ती। (31) अल्लाह वह है जिसने
बनाये आसमान और ज़मीन और उतारा
आसमान से पानी, फिर उससे निकाली
रोज़ी तुम्हारे भेदे, और तुम्हारे कहने में
किया कशती को कि चले दरिया में उसके
हुक्म से, और तुम्हारे काम में लगा दिया
नदियों को। (32) और तुम्हारे काम में
लगा दिया सूरज और चाँद को एक दस्तूर
पर बराबर, और तुम्हारे काम में लगा दिया

सख्ख-र लकुमुल्लै-ल वन्नहार (33) व
 आत्ताकुम् मिन् कुल्लि गा स-अल्लुमूह,
 व इन् तअुद्दू निअूमतल्लाहि ला
 तुस्सूहा, इन्नल-इन्सा-न ल-जलूमुन्
 कफफार (34) ❀

रात और दिन को। (33) और दिया
 तुमको हर चीज में से जो तुमने माँगी,
 और अगर गिनो एहसान अल्लाह के (तो)
 न पूरे कर सको, बेशक आदमी बड़ा
 बेइन्साफ है, नाशुक्र। (34) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और (ऊपर जो कहा गया है कि उन लोगों ने नेमत के शुक्र की जगह कुफ्र किया और अपनी कौम को जहन्नम में पहुँचाया, इस कुफ्र और पहुँचाने का बयान यह है कि) उन लोगों ने अल्लाह के साज़ी करार दिये ताकि (दूसरों को भी) उसके दीन से गुमराह करें (पस साज़ी करार देना कुफ्र है और दूसरों को गुमराह करना जहन्नम में पहुँचाना है)। आप (इन सबसे) कह दीजिये कि थोड़ी और ऐश कर लो, क्योंकि तुम्हारा अखीर अन्जाम दोज़ख में जाना है (ऐश से मुराद कुफ्र की हालत में रहना है, क्योंकि हर शख्स को अपने मजहब में लज्जत होती है, यानी और चन्द दिन कुफ्र कर लो यह धमकी है, और मतलब "क्योंकि" का यह है कि चूँकि जहन्नम में जाना तो तुम्हारा ज़रूरी है इस वास्ते कुफ्र से बाज़ आना तुम्हारा मुश्किल है, खैर और थोड़ा वक्त गुज़ार लो, फिर तो उस मुसीबत का सामना ही होगा। और) जो मेरे खास ईमान वाले बन्दे हैं (उनको इस नेमत की नाशुकी के बबाल पर सचेत करके उससे महफूज़ रखने के लिये) उनसे कह दीजिये कि वे (अल्लाह की नेमत के इस तरह शुक्रगुज़ार रहें कि) नमाज़ की पाबन्दी रखें और हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से (शरीअत के क़ानून के मुताबिक) छुपे और खुले तौर पर (जैसा मौक़ा हो) खर्च किया करें, ऐसे दिन के आने से पहले-पहले कि जिसमें न ख़रीद व बेच होगी और न दोस्ती (मतलब यह कि बदनी और माली इबादतों को अदा करते रहें कि यही शुक्र है नेमत का)।

अल्लाह ऐसा है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से पानी (यानी बारिश को) बरसाया, फिर उस पानी से फलों की किस्म से तुम्हारे लिये रिज़क पैदा किया और तुम्हारे फायदे के वास्ते कश्ती (और जहाज़) को (अपनी क़ुदरत व हुक्म के) ताबे बनाया ताकि वह खुदा के हुक्म (व क़ुदरत) से दरिया में चले (और तुम्हारी तिजारात और सफरों की गर्ज हासिल हो), और तुम्हारे फायदे के वास्ते नहरों को (अपनी क़ुदरत व हुक्म के) ताबे बनाया (ताकि उसी से पानी पियो और सिंचाई करो, और उसमें कश्ती चलाओ)। और तुम्हारे फायदे के वास्ते सूरज और चाँद को (अपनी क़ुदरत व हुक्म के) ताबे बनाया जो हमेशा चलने ही में रहते हैं (ताकि तुमको रोशनी और गर्मी वगैरह का फायदा हो) और तुम्हारे फायदे के वास्ते रात और दिन को (अपनी क़ुदरत व हुक्म के) ताबे बनाया (ताकि तुमको रोज़ी और राहत व आराम का

नफ़ा हासिल हो)। और जो-जो चीज़ तुमने माँगी (और वह तुम्हारे हाल के मुनासिब हुई) तुमको हर चीज़ दी और (ज़िक्र हुई चीज़ों ही तक यह सिलसिला ख़त्म नहीं होता) अल्लाह तआला की नेमतें (तो इस क़द्र बेशुमार हैं कि) अगर (उनको) शुमार करने लगे तो शुमार में नहीं ला सकते, (मगर) सच यह है कि आदमी बहुत ही बेइन्साफ़, बड़ा ही नाशुक्रा है (अल्लाह तआला की नेमतों की क़द्र और शुक्र नहीं करता, बल्कि और इसके उलट कुफ़्र व नाफ़रमानी करने लगता है, जैसा कि ऊपर आयत नम्बर 28 में आया है)।

मज़ारिफ़ व मसाइल

सूर: इब्राहीम के शुरू में रिसालत व नुबुव्वत और अन्जाम व आख़िरत के बारे में मज़ामीन थे, इसके बाद तौहीद (अल्लाह को एक और अकेला लायक़े इबादत मानने) की फ़ज़ीलत और कलिमा-ए-कुफ़्र व शिर्क की बुराई का बयान मिसालों के ज़रिये किया गया। फिर मुशिरकों की बुराई और निंदा इस बात पर की गई कि उन्होंने अल्लाह तआला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्रा और कुफ़्र का रास्ता इख़्तियार किया।

ऊपर बयान हुई आयतों में से पहली आयत में काफ़िरों व मुशिरकों की बुराई और उनके बुरे अन्जाम का ज़िक्र है। दूसरी आयत में मोमिनों की फ़ज़ीलत और उनको शुक्र अदा करने के लिये अल्लाह के कुछ अहक़ाम की ताकीद की गई है। तीसरी, चौथी और पाँचवीं आयतों में अल्लाह जल्ल शानुहू की अज़ीम नेमतों का ज़िक्र फ़रमाकर इस पर आमादा किया गया कि वे इन नेमतों को अल्लाह तआला की नाफ़रमानी में ख़र्च न करें।

तफ़सीर व खुलासा

अन्दाद निद्द की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने मिस्ल और बराबर के हैं। बुतों को अन्दाद इसलिये कहा जाता है कि मुशिरकों ने उनको अपने अमल में खुदा की मिस्ल (जैसा) या बराबर करार दे रखा था। तमत्तो के मायने किसी चीज़ से चन्द दिन का वक़्ती फ़ायदा हासिल करने के हैं। इस आयत में मुशिरकों के इस ग़लत नज़रिये पर नकीर है कि उन्होंने बुतों को खुदा के मिस्ल (जैसा) और उसका शरीक ठहरा दिया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हुक्म दिया गया कि उन लोगों को जतला दें कि उनका अन्जाम क्या होने वाला है। फ़रमाया कि दुनिया की चन्द दिन की नेमतों से फ़ायदा उठा लो, मगर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम की आग है।

दूसरी आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इरशाद है कि (मक्का के काफ़िरों ने तो अल्लाह की नेमत को कुफ़्र से बदल डाला अब) "आप मेरे मोमिन बन्दों से फ़रमा दें कि नमाज़ की पाबन्दी रखें और हमने जो रिज़्क उनको दिया है उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च किया करें, छुपे और खुले तौर पर!" इस आयत में मोमिन बन्दों के लिये ख़ड़ी खुशख़बरी और सम्मान है, अब्बत तो अल्लाह तआला ने उनको अपना बन्दा कहकर पुकारा, फिर ईमान की सिफ़त के साथ जोड़ा, फिर उनको हमेशा की राहत और सम्मान देने की तरकीब बतलाई कि

नमाज़ की पाबन्दी करें, न उसके वक्तों में तुस्ती करें, न आदाब में कोताही, और अल्लाह ही के दिये हुए रिज़्क में से कुछ उसकी राह में भी खर्च किया करें। खर्च करने की दोनों सूरतों का जायज़ करार दिया कि छुपे तौर पर सदका ख़ैरात करें या ऐलान व इज़हार के साथ करें।

कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि फ़र्ज़ ज़कात और सदका-ए-फ़ित्र वग़ैरह ऐलानिया होने चाहिये ताकि दूसरों को भी शोक व दिलचस्पी और तवज्जोह हो और नफ़ली सदक़े ख़ैरात को छुपाकर देना बेहतर है ताकि नाम व नमूद का ख़तरा न रहे। और असल मद्दार नीयत और हालात पर है, अगर ऐलान व इज़हार में नाम व नमूद का शुब्हा आ जाये तो सदक़े की फ़ज़ीलत ख़त्म हो जाती है चाहे फ़र्ज़ हो या नफ़िल, और अगर नीयत यह हो कि दूसरों को भी तवज्जोह व दिलचस्पी हो तो फ़र्ज़ और नफ़िल दोनों में ऐलान व इज़हार जायज़ है।

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا عِلَالٍ

लफ़्ज़ ख़िलाल खुल्लतुन की ज़मा (बहुवचन) भी हो सकती है जिसके मायने बेग़र्ज़ दोस्ती के हैं, और इस लफ़्ज़ को बाय-ए-मुफ़ाअलत का मस्दर भी कह सकते हैं जैसे क़िताल, दिफ़ाअ वग़ैरह, इस सूरत में इसके मायने दो शख्सों के आपस में दोनों तरफ़ से राच्चे दिल से बिना किसी ग़र्ज़ के दोस्ती करने के होंगे। इस जुमले का ताल्लुक़ ऊपर बयान किये हुए दोनों हुक्म यानी नमाज़ और सदक़े के साथ है।

मतलब यह है कि आज तो अल्लाह तआला ने फ़ुर्सत व ताक़त अता फ़रमा रखी है कि नमाज़ अदा करें, और पिछली उग्र में ग़फ़लत से कोई नमाज़ रह गई हो तो उसकी क़ज़ा करें। इसी तरह आज माल तुम्हारी मिल्क और कब्ज़े में है उसको अल्लाह के लिये खर्च करके हमेशा की जिन्दगी का काम बना सकते हो, लेकिन वह दिन करीब आने वाला है जबकि ये दोनों ताक़तें और कुदरतें तुम से ले ली जायेंगी, न तुम्हारे बदन नमाज़ पढ़ने के काबिल रहेंगे, न तुम्हारी मिल्क और कब्ज़े में कोई माल रहेगा, जिरासे जाया हुए हुक्क की अदायेगी कर सको, और उस दिन में ख़रीद व बेच (यानी किसी तरह की सीदेबाज़ी) भी न हो सकेगी कि आप कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लें जिसके ज़रिये अपनी कोताहियों और गुनाहों का कफ़फ़ारा (बदला) कर सकें, और उस दिन में आपस की दोस्तियाँ और ताल्लुकात भी काम न आ सकेंगे, कोई अज़ीज़ दोस्त किसी के गुनाहों का बोझ न उठा सकेगा, और न उसके अज़ाब को किसी तरह हटा सकेगा।

"उस दिन" से मुराद बज़ाहिर हशर व क़ियामत का दिन है, और यह भी कहा जा सकता है कि मौत का दिन हो, क्योंकि ये सब आसार मौत ही के वक़्त से ज़ाहिर हो जाते हैं, न बदन में किसी अमल की सलाहियत रहती है न माल ही उसकी मिल्क में रहता है।

अहकाम व हिदायतें

इस आयत में जो यह इशाराद है कि क़ियामत के दिन किसी की दोस्ती किसी के काम न आयेगी, इसका मतलब यह है कि महज़ दुनियावी दोस्तियाँ उस दिन काम न आयेंगी, लेकिन

जिन लोगों की दोस्ती और ताल्लुक़ात अल्लाह के लिये और उसके दीन के कामों के लिये हों उनकी दोस्ती उस वक़्त भी काम आयेगी, कि अल्लाह के नेक और मक़बूल बन्दे दूसरों की शफ़ाअत करेंगे जैसा कि बहुत-सी हदीसों में इसका बयान है, और क़ुरआने पाक में इरशाद है:

الْإِحْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝

“यानी वे लोग जो दुनिया में आपस में दोस्त थे, उस दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जायेंगे कि यह चाहेंगे कि दोस्त पर अपना गुनाह डालकर खुद बरी हो जायें, मगर वे लोग जो तक़वे वाले हैं।” क्योंकि तक़वे वाले वहाँ भी एक दूसरे की मदद सिफ़ारिश के रास्ते से कर सकेंगे।

तीसरी, चौथी और पाँचवीं आयतों में अल्लाह तआला की बड़ी-बड़ी नेमतों की याददेहानी कराकर इनसान को उसकी इबादत व इताअत की तरफ़ दावत दी गई है। इरशाद है कि अल्लाह तआला ही की ज़ात है जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किये जिस पर इनसानी वजूद की शुरूआत और बाक़ी रहना मौक़ूफ़ है। फिर आसमान से पानी उतारा जिसके ज़रिये तरह-तरह के फल पैदा किये ताकि वो तुम्हारा रिज़्क बन सकें। लफ़ज़ समरात समर की जमा (बहुवचन) है, हर चीज़ से हासिल होने वाले नतीजे को उसका समरा कहा जाता है, इसलिये लफ़ज़ समरात में वो तमाम चीज़ें भी शामिल हैं जो इनसान की ग़िज़ा बनती हैं, और वो चीज़ें भी जो उसका लिबास बनती हैं, और वो चीज़ें भी जो उसके रहने-सहने का मकान बनती हैं, क्योंकि लफ़ज़ रिज़्क जो इस आयत में बयान हुआ है वह इन तमाम इनसानी ज़रूरतों पर छाया हुआ और शामिल है। (तफ़सीरे पज़हरी)

फिर फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने ही कश्तियों और जहाज़ों को तुम्हारे काम में लगा दिया कि वो अल्लाह के हुक्म से दरियाओं में चलते फिरते हैं। लफ़ज़ सख़ख़-र जो इस आयत में आया है इससे मुराद यही है कि अल्लाह तआला ने इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम्हारे लिये आसान कर दिया है। लकड़ी लोहा और उनसे कश्ती जहाज़ बनाने के औज़ार व उपकरण और उनसे सही काम लेने की अक़्ल व समझ ये सब चीज़ें उसी की दी हुई हैं, इसलिये इन चीज़ों के आविष्कारक इस पर नाज़ न करें कि यह हमने ईजाद की या बनाई है, क्योंकि जिन चीज़ों से इनमें काम लिया गया है उनमें से कोई चीज़ भी न तुमने पैदा की है, न कर सकते हो, कायनात के पैदा करने वाले की बनाई हुई लकड़ी लोहे, ताँबे और पीतल ही में उलट-पुलट करके यह ईजाद (किसी नई चीज़ के बनाने) का सेहरा आपने अपने सर ले लिया है। वरना हकीकत देखो तो खुद आपका अपना वजूद अपने हाथ पाँव, अपना दिमाग़ और अक़्ल भी तो आपकी बनाई हुई नहीं।

इसके बाद फ़रमाया कि हमने तुम्हारे लिये सूरज और चाँद को ताबे कर दिया कि ये दोनों हमेशा एक हालत पर चलते ही रहते हैं। यानी हर वक़्त और हर हाल में चलना इन दोनों सय्यारों (ग्रहों) की आदत बना दी गई कि कभी इसके खिलाफ़ नहीं होता। ताबे करने के यह

मायने नहीं कि वो तुम्हारे हुक्म और इशारों पर चला धरें, क्योंकि अगर सूरज व चँद को इस तरह इनसान के इख्तियार में और हुक्म के ताबे कर दिया जाता कि वो इनसानी हुक्म के ताबे चला करते तो इनसानों के आपसी झगड़ों और विवादों का यह नतीजा होता कि एक इनसान कहता कि आज सूरज दो घन्टे बाद निकले, क्योंकि रात में काम ज्यादा है, दूसरा चाहता कि दो घन्टे पहले निकले कि दिन के काम ज्यादा हैं। इसलिये रब्बुल-इज्जत ने आसमान और सितारों को इनसान का ताबेदार तो बनाया मगर इस मायने में ताबेदार बनाया कि वो हर वक्त हर हाल में अल्लाह की हिक्मत के मातहत इनसान के काम में लगे हुए हैं, यह नहीं कि उनका निकलना और छुपना और रफ्तार इनसान की मर्जी के ताबे हो जाये।

इसी तरह यह इरशाद कि हमने रात और दिन को तुम्हारे लिये ताबेदार कर दिया। इसका मतलब भी यही है कि इन दोनों को इनसान की खिदमत और राहत के काम में लगा दिया।

وَأَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

“यानी अल्लाह तआला ने दिया तुमको हर उस चीज़ में से जो तुमने माँगी।” अगरचे अल्लाह तआला की अज़ा और बख़्शिश किसी के माँगने पर निर्भर नहीं, हमने तो अपना बजूद भी नहीं माँगा था, उसी ने अपने फ़ज़ल से बिना माँगे अज़ा फ़रमाया:

مَا نَبْؤَدُكَ وَتَكْفُرَآ-ए-مَا نَبْؤَدُ

لُتْفِكَ تُو نَاغُفُرَتَا-ए-مَا مِي شَانِوَد

न हमारा कोई बजूद था और न हमारी कुछ माँग और तकाज़ा था। यह तेरा लुत्फ व करम है कि तू हमारी बिना माँगी ज़रूरत व तकाज़े सुन लेता और अपनी रहमत से उसे कुबूल फ़रमाता है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

इसी तरह आसमान, ज़मीन, चँद, सूरज वगैरह पैदा करने की दुआ किसने माँगी थी? यह सब कुछ मालिक ने बिना माँगे ही दिया है। इसी लिये काज़ी बैज़ावी रह. ने इस लफ़्ज़ के यह मायने बयान किये हैं कि अगर अलफ़ाज़ के ज़ाहिरी मायने ही पुराद हों तो इनमें भी कुछ शुद्धे वाली बात नहीं क्योंकि अपूमन इनसान जो कुछ माँगता और तलब करता है अक्सर तो उसको दे ही दिया जाता है, और जहाँ कहीं उसका सवाल अपनी ज़ाहिरी सूरत में पूरा नहीं किया जाता उसमें उस शख्स के लिये या पूरे ज़ालम के लिये कोई मस्लेहत होती है जिसका उसको इल्म नहीं होता मगर अलीम व ख़बीर (यानी अल्लाह तआला) जानते हैं कि अगर इसका यह सवाल पूरा कर दिया गया तो खुद इसके लिये या इसके ख़ानदान के लिये या पूरे ज़ालम के लिये बबाले जान बन जायेगा। ऐसी सूरत में सवाल का पूरा न करना ही बड़ी नेमत होती है, मगर इनसान अपनी कम-इल्मी (अधूरे ज्ञान) की वजह से इसको नहीं जानता इसलिये गुमगीन होता है।

وَإِنْ نَعُدُّ وَإِن نَعُدُّ اللَّهُ لَا تَحْصُوهُآ

“यानी अल्लाह तआला की नेमते इनसान पर इस कदर हैं कि सब इन्तान मिलकर उनकी

शुमार करना (गिनना) चाहें तो शुमार में भी नहीं आ सकती। इनसान का अपना वजूद खुद एक छोटी-सी दुनिया है। इसकी आँख, नाक, कान और हाथ-पाँव और बदन के हर जोड़ बल्कि हर रंग व रेशे में अल्लाह रब्बुल-इज्जत की बेशुमार नेमतें छुपी हैं, जिनसे यह चलती फिरती सैंकड़ों नाजुक मशीनों की अजीब व गरीब फैक्ट्री हर वक्त अपने काम में मशगूल है। फिर आसमान व ज़मीन और दोनों की मख़्लूक़ात, समन्दरों पहाड़ों की मख़्लूक़ात कि आजकी नई तहकीक़ात (तलाश व खोज और शोध) और इसमें उम्रें खपाने वाले हज़ारों विशेषज्ञ भी उनको नहीं घेर सके। फिर नेमतें सिर्फ़ वही नहीं जो सकारात्मक सूरत में आम तौर पर नेमत समझी जाती हैं, बल्कि हर बीमारी, हर तकलीफ़, हर मुसीबत हर रंज व ग़म से महफूज़ रहना अलग-अलग मुस्तक़िल नेमत है। एक इनसान को कितनी किस्म की बीमारियाँ और कितने प्रकार की बदनी और मानसिक तकलीफ़ें दुनिया में पेश आ सकती हैं, उन्हीं की गिनती एक इनसान से नहीं हो सकती, इससे अन्दाज़ा हो सकता है कि अल्लाह तआला की दी हुई पूरी चीज़ों और नेमतों का शुमार (गिनती) किस तरह हो सकता है।

इन्साफ़ का तकाज़ा यह था कि बेशुमार नेमतों के बदले में बेशुमार इबादत और बेशुमार शुक्र लाज़िम् होता, मगर अल्लाह तआला ने कमज़ोर व ज़ईफ़ बुनियाद और वजूद वाले इनसान की रियायत फ़रमाई। जब वह हकीक़त पर नज़र करके यह स्वीकार कर ले कि वाजिब शुक्र से भारमुक्त होना उसकी कुदरत में नहीं तो इसी स्वीकार करने को शुक्र अदा करने के कायम-मक़ाम (बराबर) फ़रार दिया है, जैसा कि हक़ तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऐसे ही इकरार पर इरशाद फ़रमाया कि:

الآن قَدْ شَكَرْتَ يَا دَاوُدَ.

यानी ऐ दाऊद! यह इकरार और मान लेना ही शुक्र अदा करने के लिये काफी है।
आयत के आख़िर में फ़रमाया:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.

“यानी इनसान बहुत बेइन्साफ़ और बड़ा नाशुक्रा है।” यानी इन्साफ़ का तकाज़ा तो यह था कि कोई तकलीफ़ व मुसीबत पेश आये तो सब्र व सुकून से काम ले, ज़बान और दिल को शिकायत से पाक रखे, और समझे कि यह जो कुछ पेश आया है एक हाकिम व हकीम की तरफ़ से आया है, वह भी हिक्मत के तकाज़े के तहत होने की बिना पर एक नेमत ही है, और जब कोई राहत व नेमत मिले तो दिल और ज़बान हर अमल से उसका शुक्रगुज़ार हो, मगर आम इनसानों की आदत इससे अलग और भिन्न है कि ज़रा-सी मुसीबत व तकलीफ़ पेश आ जाये तो बेसब्री में मुब्तला हो जायें, और कहते फिरें, और ज़रा-सी नेमत व दौलत मिल जाये तो उसमें मस्त होकर खुदा तआला को भुला दें। इसी लिये सच्चे और मुख़्लिस मोमिनों की सिफ़त पिछली आयत (यानी इसी सूरत की आयत नम्बर 5) में ‘सब्बार’ और ‘शकूर’ (बहुत ज्यादा सब्र करने वाला और बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला) बतलाई गई है।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ
 إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝
 رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ أَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
 فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا
 نَحْفَىٰ وَمَا نَعْلُنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي لَكَبِيرُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ
 ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

व इज़् का-ल इब्राहीमु रब्बिज्जल्
 हाज़ल्-ब-ल-द आमिनव्-वज्नुब्नी व
 बनिय्-य अन् नज़् बुदल्-अस्नाम
 (35) रब्बि इन्नहुन्-न अज़ल्-न
 कसीरम्-मिनन्नासि फ-मन् तबि-अनी
 फ-इन्नहू मिन्नी व मन् असानी
 फइन्न-क गफूरु-रहीम (36) रब्बना
 इन्नी अस्कन्तु मिन् ज़ुरिय्यती
 बिवादिन् गैरि जी ज़रिज़् अिन्-द
 बैतिकल्-मुहरमि रब्बना लियुकीमुस्-
 सला-त फज्जल् अफ़इ-दतम्
 मिनन्नासि तस्वी इलैहिम् वरज़ुकहुम्
 मिनस्स-मराति लज़ल्लहुम् यश्कुरुन
 (37) रब्बना इन्न-क तज़ल्मु मा
 नुख्फ़ी व मा नुज़्लिनु, व मा यख्फ़ा
 अलल्लाहि मिन् शैइन् फ़िल्अर्जि व
 ला फ़िस्समा-इ (38) अल्हम्दु

और जिस वक़्त कहा इब्राहीम ने ऐ रब!
 कर दे इस शहर को अमन वाला और दूर
 रख मुझको और मेरी औलाद को इस
 बात से कि हम पूजें मूरतों को। (35) ऐ
 रब! उन्होंने गुमराह किया बहुत लोगों को
 सो जिसने पैरवी की मेरी सो वह तो मेरा
 है और जिसने मेरा कहना न माना सो तू
 बख़्शने वाला मेहरबान है। (36) ऐ रब!
 मैंने बसाया है अपनी एक औलाद को
 पैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे इज़्जत
 वाले (सम्मानित) घर के पास, ऐ हमारे
 रब! ताकि कायम रखें नमाज़ को, सो
 रख बाजे लोगों के दिल कि माईल हों
 इनकी तरफ़ और रोज़ी दे इनको मेवों से,
 शायद वे शुक़ करें। (37) ऐ हमारे रब!
 तू तो जानता है जो कुछ हम करते हैं
 छुपाकर और जो कुछ करते हैं दिखाकर,
 और छुपी नहीं अल्लाह पर कोई चीज़
 ज़मीन में और न आसमान में। (38) शुक़

लिल्लाहिललजी व-ह-ब ली अलल्-
 कि-वरि इस्माज़ी-ल व इस्हा-क,
 इन्-न रब्बी ल-समीअुद्-दुआ-इ
 (39) रब्बिज्जअल्नी मुकीमस्सलाति व
 मिन् जुर्रिय्यती रब्बना व तकब्बल्
 दुआ-इ (40) रब्बनगुफ़िरु ली व
 लिवालिदयू-य व लिल्-मुअ्मिनी-न
 यौ-म यकूमुल्-हिसाब (41) ❀

है अल्लाह का जिसने बख़्शा मुझको इतनी
 बड़ी उम्र में इस्माइल और इस्हाक, बेशक
 मेरा रब सुनता है दुआ को। (39) ऐ मेरे
 रब! कर मुझको कि कायम रखूँ नमाज़
 और मेरी औलाद में से भी, ऐ मेरे रब!
 और कुबूल कर मेरी दुआ। (40) ऐ हमारे
 रब! बख़्श मुझको और मेरे माँ-बाप को
 और सब ईमान वालों को जिस दिन कायम
 हो हिसाब। (41) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (वह वक़्त भी याद करने के क़ाबिल है) जबकि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (हज़रत
 इस्माइल और हज़रत हाजरा को अल्लाह के हुक्म से मक्का के मैदान में लाकर रखने के वक़्त
 दुआ के तौर पर) कहा कि ऐ मेरे रब! इस शहर (यानी मक्का) को अमन वाला बना दीजिये
 (कि इसके रहने वाले अमन के हक़दार रहें, यानी हरम बना दीजिये) और मुझको और मेरे खास
 फ़रज़न्दों को बुतों की इबादत से (जो कि इस वक़्त जाहिल लोगों में प्रचलित है) बचाये रखिये
 (जैसा कि अब तक बचाये रखा)। ऐ मेरे परवर्दिगार! (मैं बुतों की इबादत से बचने की दुआ
 इसलिये करता हूँ कि) उन बुतों ने बहुत-से आदमियों को गुमराह कर दिया (यानी उनकी गुमराही
 का सबब हो गये, इसलिये डरकर आपकी पनाह चाहता हूँ और मैं जिस तरह औलाद के बचने
 की दुआ करता हूँ इसी तरह उनको भी कहता सुनता रहूँगा), फिर (मेरे कहने सुनने के बाद) जो
 शख्स मेरी राह पर चलेगा वह तो मेरा है (और उसके लिये मग़फ़िरत का वायदा है ही) और जो
 शख्स (इस बारे में) मेरा कहना न माने (सो उसको आप हिदायत फ़रमाइये क्योंकि) आप तो
 बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाले (और) बहुत ज़्यादा रहमत फ़रमाने वाले हैं (उनकी मग़फ़िरत
 और रहमत का सामान भी कर सकते हैं कि उनको हिदायत दें। इस दुआ से मक़सद मोमिनों के
 लिये शफ़ाअत और ग़ैर-मोमिनों के लिये हिदायत को तलब करना है)।

ऐ हमारे रब! मैं अपनी औलाद को (यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को और उनके वास्ते से
 उनकी नस्ल को) आपके अज़मत वाले "यानी सम्मानित" घर (यानी ख़ाना काबा) के क़रीब (जो
 कि पहले से यहाँ बना हुआ था और हमेशा से लोग उसका अदब करते थे) एक (छोटे से) मैदान
 में जो (पथरीला होने की वजह से) काश्तकारी के क़ाबिल (भी) नहीं, आबाद करता हूँ। ऐ हमारे
 रब (बैतुल-हराम के पास इसलिये आबाद करता हूँ) ताकि वे लोग नमाज़ का (खास) एहतिमाम
 "यानी पाबन्दी" रखें (और चूँकि यह इस वक़्त छोटा सा मैदान है) तो आप कुछ लोगों के दिल

इनको लस्क मालूम कर दीजिये (कि यहाँ आकर रहें-राहें, ताकि रोनाक वाली आत्मादी हो जायें) और (चूँकि यहाँ काश्तकारी बगैरह नहीं है इसलिये) इनको (महज अपनी कुदरत से) फल खाने को दीजिये ताकि ये लोग (इन नेमतों का) शुक्र करें।

ऐं हमारे रब! (ये दुआयें महज अपनी बन्दगी और आवश्यकता के इज़हार के लिये हैं आपको अपनी जरूरत की इत्तिहा के लिये नहीं, क्योंकि) आपको तो सब कुछ मालूम है जो हम अपने दिल में रखें और जो ज़ाहिर कर दें। और (हमारे ज़ाहिर व बालिन ही का क्या जिक्र है) अल्लाह तआला से (तो) कोई चीज़ भी छुपी नहीं, न ज़मीन में और न आसमान में (कुछ दुआयें आगे आयेंगी और बीच में कुछ पहले से हासिल नेमतों पर तारीफ़ व शुक्र किया ताकि शुक्र की बरकत से ये दुआयें कुबूल होने के ज्यादा निकट हो जायें। चुनाँचे फरमाया) तमाम तारीफ़ (और प्रशंसा) खुदा के लिये (लायक) है जिसने मुझको बुढ़ापे में इस्माईल और इस्हाक (दो बेटे) अता फरमाये। हकीकत में मेरा रब दुआ का बड़ा सुनने वाला (यानी कुबूल करने वाला) है (कि औलाद अता करने के बारे में मेरी यह दुआ 'रब्बि हब् ली मिनस्सालिहीन' कुबूल कर ली। फिर इस नेमत का शुक्र अदा करके आगे बाकी की दुआयें पेश करते हैं कि) ऐ मेरे रब! (जो मेरी सीयल है अपनी औलाद को सम्मानित घर "काबा शरीफ़" के पास बसाने से कि वे नमाज़ों की याबन्दी रखें इसको पूरा कर दीजिये, और जैसे उनके लिये नमाज़ की याबन्दी मेरा मकसद व चाहत है इसी तरह अपने लिये भी मैं यही चाहता हूँ, इसलिये अपने और उनके दोनों के लिये दुआ करता हूँ। और चूँकि मुझको वही से मालूम हो गया है कि उनमें बाजे गैर-मोमिन भी हो जायेंगे इसलिये दुआ सब के लिये नहीं कर सकता हूँ। पस इन मज़ामीन पर नज़र करके यह दुआ करता हूँ कि) मुझको भी नमाज़ का (स्वास) एहतियाम करने वाला रखिये और मेरी औलाद में भी बाजों को (नमाज़ का एहतियाम करने वाला कीजिये)। ऐ हमारे रब! और मेरी (यह) दुआ कुबूल कीजिये। (और) ऐ हमारे रब! मेरी मग़फ़िरत कर दीजिये और मेरे माँ-बाप की भी और तमाम मोमिनों की भी हिसाब के कायम होने के दिन (यानी क़ियामत के दिन इन सब जिक्र हुए लोगों की मग़फ़िरत कर दीजिये)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में तौहीद के अक़ीदे की मक़बूलियत व अहमियत का और शिर्क की जहालत और बुराई का बयान था। तौहीद के मामले में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की जमाअत में सबसे ज्यादा कामयाब जिहाद हज़रत ख़लीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिहाद था, इसी लिये दीन-ए-इब्राहीमी को खास तौर पर दीन-ए-हनीफ़ का नाम दिया जाता है।

इसी मुनासबत से यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से का जिक्र उक्त आयतों में किया गया है। एक वजह यह भी है कि पिछली एक आयत यानी आयत नम्बर 28 में मक्का के क़ुरैश के उन लोगों की बुराई बयान की गई थी जिन्होंने बाप-दादा की पैरवी की बिना पर ईसान को क़फ़्र से और तौहीद को शिर्क से बदल डाला था। इन आयतों में उनको बतलाया गया कि

तुम्हारे पूर्वज इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अर्कीदा और अमल क्या था, ताकि बाप-दादा की पैरवी के आदो इसी पर नज़र करके अपने कुफ़्र से बाज़ आ जायें। (तफ़सीर बहर-ए-मुहीत)

और यह ज़ाहिर है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्सों और हालात के बयान करने से कुरआने करीम का मक़सद सिर्फ़ उनका इतिहास बयान करना नहीं होता, बल्कि उनमें इंसानी जिन्दगी के हर क्षेत्र के मुताल्लिक़ हिदायती उज़ूल होते हैं, उन्हीं को जारी रखने के लिये ये वाकिआत कुरआन में बार-बार दोहराये जाते हैं।

इस जगह पहली आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो दुआयें बयान हुई हैं। पहली:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا

“धानी ऐ मेरे परवर्दिगार! इस (मक्का) शहर को अमन की जगह बना दीजिये।”

सूर: ब-करह में भी यही दुआ जिक्र हुई है, मगर उसमें लफ़ज़ बलद् बग़ैर अलिफ़-लाम के ‘ब-लदनू’ फ़रमाया है जिसके मायने ग़ैर-निर्धारित शहर के हैं। वजह यह है कि यह दुआ उस वक़्त की थी जबकि मक्का शहर की बस्ती आबाद न थी, इसलिये आम अलफ़ाज़ में यह दुआ की कि इस जगह को एक अमन वाला शहर बना दीजिये।

और दूसरी दुआ उस वक़्त की है जबकि मक्का की बस्ती बस चुकी थी तो मक्का शहर को मुतयन करके दुआ फ़रमाई कि इसको अमन की जगह बना दीजिये। दूसरी दुआ यह फ़रमाई कि मुझको और मेरी औलाद को बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा) से बचाईये।

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अगरचे पासूम (गुनाहों से सुरक्षित) होते हैं, उनसे शिर्क व बुत-परस्ती बल्कि कोई गुनाह नहीं ही सकता, मगर यहाँ हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में अपने आपको भी शामिल फ़रमाया है। इसकी वजह या तो यह है कि तबई ख़ौफ़ के असर से नबी व रसूल भी हर वक़्त अपने को ख़तरे में महसूस करते रहते हैं, या यह कि असल मक़सद अपनी औलाद को शिर्क व बुत-परस्ती से बचाने की दुआ करना था, औलाद को इसकी अहमियत समझाने के लिये अपने आपको भी दुआ में शामिल फ़रमा लिया।

अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने ख़लील (दोस्त) की दुआ कुबूल फ़रमाई, उनकी औलाद शिर्क व बुत-परस्ती से महफ़ूज़ रही। इस पर यह सवाल हो सकता है कि मक्का वाले तो उमूमन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, उनमें तो बुत-परस्ती मौजूद थी। तफ़सीर बहर-ए-मुहीत में इसका जवाब हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना के हवाले से यह दिया है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में किसी ने दर हकीकत बुत-परस्ती नहीं की, बल्कि जिस वक़्त मक्का पर जुहुम कौम के लोगों ने कब्ज़ा करके इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद को हरम से निकाल दिया तो ये लोग हरम से बेइन्तिहा मुहब्बत और उसकी अज़मत की बिना पर यहाँ के कुछ पत्थर अपने साथ उठा ले गये थे, उनको सम्मानित हरम और बैतुल्लाह की यादगार के तौर पर सामने रखकर इबादत और उसके गिर्द तवाफ़ किया करते थे, जिसमें किसी ग़ैरल्लाह की तरफ़ कोई रुख़ न था, बल्कि जिस तरह बैतुल्लाह की तरफ़ रुख़ करके नभाज़ पढ़ना या

बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ करना अल्लाह तआला ही की इबादत है, इसी तरह वे उन पत्थरों की तरफ़ रुख़ और उनके गिर्द तवाफ़ को अल्लाह तआला की इबादत के खिलाफ़ न समझते थे, इसके बाद यही तरीका-ए-कार बुत-परस्ती का सबब बन गया।

दूसरी आयत में अपनी इस दुआ की यह वजह बयान फ़रमाई कि बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा) से हम इसलिये पनाह माँगते हैं कि इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराही में डाल दिया है, यह इसलिये फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद और कौम का तजुर्बा कर चुके थे कि बुत-परस्ती की रस्म ने उनको हर ख़ैर व बेहतरी से मेहरूम कर दिया।

आयत के आख़िर में फ़रमाया:

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

“यानी उनमें से जो शख़्स मेरी पैरवी करे यानी ईमान और नेक अमल का पाबन्द हो जाये वह तो मेरा ही है। मतलब यह है कि उस पर फज़ल व करम की उम्मीद तो जाहिर है, और जो शख़्स मेरी नाफ़रमानी करे तो आप बहुत मग़फ़िरत करने वाले, बड़ी रहमत करने वाले हैं।”

इसमें नाफ़रमानी से अगर सिर्फ़ अमली नाफ़रमानी यानी बुरे आमाल में मुब्तला होना मुराद ली जाये तो मायने जाहिर हैं कि आप के फज़ल से उनकी भी मग़फ़िरत की उम्मीद है, और अगर नाफ़रमानी से मुराद कुफ़्र व इनकार लिया जाये तो यह जाहिर है कि काफ़िर व मुशिरक की मग़फ़िरत न होने और उनकी शफ़ाअत न करने का हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले हो चुका था, फिर उनकी मग़फ़िरत की उम्मीद का इज़हार करना दुरुस्त नहीं हो सकता। इसलिये तफ़सीर बहर-ए-मुहीत में फ़रमाया कि इस जगह हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनकी सिफ़ारिश या दुआ के अलफ़ाज़ नहीं इख़्तियार किये, यह नहीं फ़रमाया कि आप उनकी मग़फ़िरत कर दें, अलबत्ता पैग़म्बराना शफ़क़त जिसके दामन में काफ़िर भी रहते हैं और हर पैग़म्बर की दिली इच्छा यही होती है कि कोई काफ़िर भी अज़ाब में मुब्तला न हो, अपनी इसी तबई इच्छा का इज़हार इस उनवान से कर दिया कि “आप तो बड़े ग़फ़ूर व रहीम हैं।” यूँ नहीं फ़रमाया कि उनके साथ मग़फ़िरत व रहमत का मामला फ़रमायें, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के काफ़िरों के बारे में फ़रमाया:

وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

“यानी अगर आप उनकी मग़फ़िरत फ़रमायें तो आप ग़ालिब और हिक़मत वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं।”

इन दोनों बुजुर्गों ने काफ़िरों के मामले में सिफ़ारिश के लिये कदम तो इसलिये नहीं बढ़ाया कि वह हक़ के अदब के खिलाफ़ था, मगर यह भी नहीं फ़रमाया कि उन काफ़िरों पर आप अज़ाब नाज़िल कर दें, बल्कि अदब के साथ एक खास उनवान से उनके भी बख़्शे जाने की तबई इच्छा का इज़हार कर दिया।

अहकाम व हिदायतें

दुआ तो हर इनसान माँगता है मगर माँगने का सलीका हर एक को नहीं जाता। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दुआयें सबक लेने वाली होती हैं, उनसे जन्दाजा होता है कि क्या चीज माँगने की है। इस दुआ-ए-इब्राहीमी के दो भाग हैं- एक मक्का शहर को खौफ व खतरे से आज़ाद अमन की जगह बना देना, दूसरे अपनी औलाद को बुत-परस्ती से हमेशा के लिये निजात दिलाना।

ग़ौर से काम लिखा जाये तो इनसान की बेहतरी व कामयाबी के यही दो बुनियादी ज़रूरत हैं, क्योंकि इनसानों को अगर अपने रहने-सहने की जगह में खौफ व खतरा और दुश्मनों के हमलों से अमन व इत्मीनान न हो तो न दुनियावी और माही एतिबार से उनकी जिन्दगी खुशगवार हो सकती है और न दीनी और रूहानी एतिबार से। दुनिया के सारे कामों और राहतों का मदार तो अमन व इत्मीनान पर होगा ज़रूरी ही है। जो शरूख दुश्मनों के घेरे, हमलों और विभिन्न प्रकार के खतरों में घिरा हुआ हो उसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत, खाने पीने, सोने जागने की बेहतरीन आसानियाँ, आला किस्म के महल और बंगले, माल व दौलत की अधिकता सब बेमज़ा हो जाती हैं।

दीनी एतिबार से भी हर नैकी व इबादत और अल्लाह के अहकाम की तामील इनसान उसी वक़्त कर सकता है जब उसको कुछ सुकून व इत्मीनान नसीब हो।

इसलिये हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पहली दुआ में इनसानी कामयाबी की तमाम ज़रूरतें आर्थिक व माली और दीनी व आख़िरत की सब दाख़िल हो गईं। इस एक जुमले से हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिये दुनिया की तमाम अहम चीज़ें माँग ली हैं।

इस दुआ से यह भी मालूम हुआ कि औलाद की हमदर्दी और उनकी आर्थिक व माली राहत का इन्तिज़ाम भी अपनी ताकत व हिम्मत के मुताबिक़ बाप की जिम्मेदारियों में से है, इसकी कोशिश बुजुर्गों और दुनिया से ताल्लुक तोड़ने के विरुद्ध नहीं।

दूसरी दुआ भी बड़ी कामिल व जाये है, क्योंकि वह गुनाह जिसकी मग़फ़िरत (माफ़ी होने) की संभावना नहीं वह शिर्क व बुत-परस्ती है, उससे महफूज़ रहने की दुआ फ़रमा दी। इसके बाद अगर कोई गुनाह हो भी जाये तो उसका कफ़ारा दूसरे आमाल से भी हो सकता है, और किसी की शफ़ाअत से भी माफ़ किये जा सकते हैं, और बुतों की पूजा व इबादत का लफ़्ज़ सूफ़िया किराम (बुजुर्गों) के अक़वाल के मुताबिक़ अपने विस्तृत मफ़हूम में लिया जाये कि हर वह चीज़ जो इनसान को अल्लाह से ग़ाफ़िल करे वह उसका बुत है, और उसकी मुहब्बत से मग़लूब होकर खुदा तआला की नाफ़रमानी की तरफ़ क़दम बढ़ा लेना एक तरह से उसकी इबादत है, तो इस दुआ यानी बुतों की इबादत व पूजा से महफूज़ रहने में तमाम गुनाहों से हिफ़ाज़त का मज़मून आ जाता है। कुछ बुजुर्गों ने इसी मायने में अपने नफ़्स को ख़िताब करके ग़फ़लत व नाफ़रमानी

पर सत्तामत की है।

(उन्होंने अश्आर में अपने इस मफहूम को अदा किया है। जिनका हासिल यही है जो ऊपर के मज़यून में बयान हुआ कि जो चीज़ इन्सान को अल्लाह से गाफिल कर दे और उसकी वजह से वह गुनाह में मुब्तला हो जाये, या नेकी और अल्लाह की फरमाँबरदारी में कोताही करे तो वह चीज़ एक तरह से उसका बुत है जिसका वह कहना पान रहा है, और यह कहना पानना एक तरह से उसकी इबादत करना है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

तीसरी आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और हकीमाना दुआ इस तरह बयान हुई है कि:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكُتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ..... الآية

ऐ मेरे परवादिगार! मैंने अपनी कुछ नस्ल यानी अहल व अयाल को पहाड़ के दामन में एक ऐसे मक़ाम में ठहरा दिया है जिसमें कोई खेती वगैरह नहीं हो सकती (और बजाहिर यहाँ जिन्दगी का कोई सामान नहीं) यह पहाड़ी मक़ाम आपके सम्मानित घर के पास है, ताकि ये लोग नमाज़ कायम करें, इसलिये आप कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ़ माईल कर दें, कि उनके दिल लगने और आबाद होने का सामान हो जाये, और उनको फल अता फरमाइये ताकि ये लोग शुक्रगुज़ार हों।

हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इस दुआ का वाकिआ यह है कि बैतुल्लाह शरीफ़ की तामीर जो तूफ़ाने नूह में बेनिशान हो गई थी, जब अल्लाह तआला ने उसकी दोबारा तामीर का इरादा फरमाया तो अपने ख़लील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसके लिये चुनकर उनको मुल्क शाम से हिजरत करके हज़रत हाजरा अलैहस्सलाम और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ इस बिना पानी वाले गैर-आबाद मक़ाम को ठिकाना बनाने के लिये मामूर फरमाया।

सही बुख़ारी में है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक़्त दूध पीते बच्चे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक़ उनको और उनकी बालिदा हाजरा को गौजूदा बैतुल्लाह और ज़मज़म के कुएँ के करीब ठहरा दिया। उस वक़्त यह जगह पहाड़ों से घिरी हुई एक चटियल मैदान थी, दूर-दूर तक न पानी न आबादी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिये एक तोशेदान में कुछ खाना और एक मश्कीज़े में पानी रख दिया था।

इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम की तरफ़ वापस होने का हुक्म मिला। जिस जगह हुक्म मिला था वहीं से हुक्म के पालन के लिये रवाना हो गये। बीवी और दूध पीते बच्चे को उस सुनसान जगह और जंगल में छोड़ने का जो तबई और फितरी असर था उसका इज़हार तो उस दुआ से होगा जो बाद में की गई, मगर अल्लाह के हुक्म की सामील में इतनी देर भी गवारा नहीं फरमाई कि हज़रत हाजरा को ख़बर दे दें और कुछ तसल्ली के अलफ़ाज़ कह दें।

नतीजा यह हुआ कि जब हज़रत हाजरा ने उनको जाते हुए देखा तो बार-बार आवाज़ें दीं

कि इस जंगल में आप हमें किस पर छोड़कर जा रहे हैं? जहाँ न कोई इन्सान है न जिन्दगी का सामान, मगर खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मुड़कर नहीं देखा। तब हज़रत हाजरा को ख्याल आया कि अल्लाह का खलील ऐसी बेवफ़ाई नहीं कर सकता, शायद अल्लाह तआला ही का हुक्म मिला है, तो आवाज़ देकर पूछा कि क्या आपको अल्लाह तआला ने यहाँ से चले जाने का हुक्म दिया है? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर जवाब दिया कि हाँ। हज़रत हाजरा ने यह सुनकर फरमाया:

إِذَا لَا يَضِيْعُنَا

“घानी अब कोई परवाह नहीं, जिस मालिक ने आपको यहाँ से चले जाने का हुक्म दिया है वह हमें भी जाया न करेगा।”

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि एक पहाड़ी के पीछे पहुँच गये जहाँ हाजरा व इस्माईल अलैहिमस्सलाम आँखों से ओझल हो गये तो उस वक्त बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होकर यह दुआ माँगी जो इस आयत में जिक्र हुई है। हज़रत इब्राहीम की उक्त दुआ के तहत में बहुत-सी हिदायतें और मसाईल हैं, उनका बयान यह है:

दुआ-ए-इब्राहीमी के भेद और हिक्मत

1. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तरफ़ तो अपने बुलन्द मक़ाम का हक़ अदा किया कि जिस वक्त और जिस जगह उनको यह हुक्म मिला कि आप मुझे शाम वापस चले जायें, उस ग़ैर-आबाद मक़ाम, सुनसान जंगल और चटियल मैदान में बीवी और दूध पीते बच्चे को छोड़कर चले जाने और अल्लाह के हुक्म के पालन में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं फ़रमाई, उसकी तामील में इतनी देर लगाना भी ग़बारा नहीं फ़रमाया कि बीवी मोहतरमा के पास जाकर तसल्ली कर दें, और कह दें कि मुझे यह हुक्म मिला है, आप घबरायें नहीं, बल्कि जिस वक्त जिस जगह हुक्म मिला फ़ौरन हुक़्म रब्बानी की तामील के लिये चल खड़े हुए।

दूसरी तरफ़ बीवी-बच्चों के हुक़ूफ़ और उनकी मुहब्बत का यह हक़ अदा किया कि पहाड़ी के पीछे उनसे ओझल होते ही हक़ तआला की बारगाह में उनकी हिफ़ाज़त और अमन व इत्मीनान के साथ रहने की दुआ फ़रमाई। उनकी राहत का सामान कर दिया क्योंकि वह अपनी जगह मुत्मईन थे कि अल्लाह के हुक्म की तामील के साथ जो दुआ की जायेगी वह उसकी बारगाह से हरगिज़ रह न होगी, और ऐसा ही हुआ कि यह बेसहारा व बेबस औरत और बच्चा न सिर्फ़ खुद आबाद हुए बल्कि इनके तुफ़ैल में एक शहर आबाद हो गया, और न सिर्फ़ यह कि इनको जिन्दगी की ज़रूरतें इत्मीनान के साथ नसीब हुईं बल्कि इनके तुफ़ैल में आज तक मक्का वालों पर हर तरह की नेमतों के दरवाज़े खुले हुए हैं।

यह है पैग़म्बराना साबित-क़यमी और बेहतरीन इन्तिज़ाम कि एक पहलू की रियायत के वक्त दूसरा पहलू कभी नज़र-अन्दाज़ नहीं होता। वे आम सूफ़िया-ए-किराम की तरह अपनी हालत से मग़लूब नहीं होते, और यही वह तालीम है जिसके जरिये एक इन्सान का मिल इन्सान

बनता है।

2. 'गैरि जी ज़रअिन्' (बिना खेती वाले मक़ाम)। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हक़ तआला की तरफ़ से यह हुक्म मिला कि दूध पीते बच्चे और उसकी बालिदा को इस सूखे मैदान में छोड़कर पुल्के शाम बले जायें तो इस हुक्म से इतना तो यक़ीन हो चुका था कि अल्लाह तआला इनको ज़ाया न फ़रमायेंगे, बल्कि इनके लिये पानी ज़रूर मुहैया किया जायेगा, इसलिये 'बियादिन् गैरि जी माइन्' (बिना पानी वाली वादी में) नहीं कहा, बल्कि 'गैरि जी ज़रअिन्' फ़रमाकर दरख़्यास्त यह की कि इनको फल और मेवे अता हों, चाहे किसी दूसरी जगह ही से लाये जायें। यही वजह यह है कि मक्का मुकर्रमा में आज तक भी काश्त का कोई खास इन्तिज़ाम नहीं, मगर दुनिया भर के फल और हर चीज़ के मेवे यहाँ इतने पहुँचते हैं कि दूसरे बहुत से शहरों में उनका मिलना मुश्किल है। (तफ़सीर बहर-ए-मुहीत)

3. 'अिन्-द बैतिकल्-मुहर्रभि' (तेरे सम्मानित घर के पास) से साबित हुआ कि बैतुल्लाह शरीफ़ की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हो चुकी थी, जैसा कि इमाम कुर्तुबी रह. ने तफ़सीर सूर: ब-करह में कई रिवायतों से साबित किया है कि सबसे पहले बैतुल्लाह की तामीर आदम अलैहिस्सलाम ने की है, जब उनको ज़मीन पर उतारा गया तो गोजिजे के तौर पर सरान्दीप पहाड़ से इस जगह तक उनको पहुँचाया गया, और जिब्रीले अमीन ने बैतुल्लाह की जगह की निशानदेही भी की, उसके मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की, यह खुद और उनकी औलाद इसके गिर्द तयाफ़ करते थे, यहाँ तक कि तूफ़ाने नूह में बैतुल्लाह को उठा लिया गया और उसकी बुनियादें ज़मीन में मौजूद रहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्हीं बुनियादों पर बैतुल्लाह की नई तामीर का हुक्म मिला। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पुरानी बुनियादों की निशानदेही की, फिर यह इब्राहीमी बुनियाद अरब के जाहिली दौर में गिर गई तो कुरैश ने नये सिरे से तामीर की, जिसकी तामीर में अबू तालिब के साथ रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी नुबुव्वत से पहले हिस्सा लिया।

इसमें बैतुल्लाह की सिफ़त मुहर्रभ जिफ़्र की गई है। मुहर्रभ के मायने इज़्ज़त व सम्मान वाले के भी हो सकते हैं और सुरक्षित के भी। बैतुल्लाह शरीफ़ में ये दोनों सिफ़तें मौजूद हैं कि हमेशा सम्मानित व एहतिराम वाला रहा है, और हमेशा दुश्मनों से महाफूज़ भी रहा है।

4. 'लियुकीमुस्सला-त'। हज़रत खलील अलैहिस्सलाम ने दुआ के शुरू में अपने बच्चे और उसकी बालिदा की बेबसी और ख़स्ता हालत का जिफ़्र करने के बाद सबसे पहले जो दुआ की यह यह कि 'उनको नमाज़ का पाबन्द बना दे, क्योंकि नमाज़ दुनिया व आख़िरत की तमाम भलाईयों और बरकतों के लिये जामे है। इससे मालूम हुआ कि औलाद के हक़ में इससे बड़ी कोई हमदर्दी और ख़ैरख़वाही नहीं कि उनको नमाज़ का पाबन्द बना दिया जाये, और अगरचे यहाँ उस वक़्त सिर्फ़ एक औरत और बच्चे को छोड़ा था मगर दुआ में बहुयचन का कलिमा इस्तेमाल फ़रमाया, जिससे मालूम हुआ कि हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो चुका था कि यहाँ शहर आबाद होगा और इस बच्चे की नस्ल चलेगी, इसलिये दुआ में उन सब को शरीक

कर लिया।

5. 'अफ़इ-दतिम् मिनन्नासि'। 'अफ़इदा' फ़ुवाद को जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने दिल के हैं। मायने यह हैं कि कुछ लोगों के दिल इनकी तरफ़ माईल कर दीजिये। इमामे तफ़सीर हज़रत मुज्जाहिद रह. फ़रमाते हैं कि अगर इस दुआ में 'कुछ' के मायने वाला हर्फ़ न होता बल्कि यह कह दिया जाता कि लोगों के दिल इनकी तरफ़ माईल कर दीजिये तो सारी दुनिया के मुस्लिम व ग़ैर-मुस्लिम, यहूदी व ईसाई और पूरब व पश्चिम के सब आदमी मक्का पर टूट पड़ते, जो मक्का वालों के लिये परेशानी और मुसीबतों का सबब हो जाता। इस हकीकत को सामने रखते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ में ये अलफ़ज़ फ़रमाये कि कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ़ माईल कर दीजिये।

6. 'वरजुक्हुम मिनस्स-मराति'। 'समरात' समस्तुन की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं फल। और आदतन यह उन फलों को कहा जाता है जो खाये जाते हैं। इस एतिबार से दुआ का हासिल यह होगा कि इन लोगों को खाने के लिये हर तरह के फल अता फ़रमाईये।

और कभी लफ़ज़ समरा नतीजे और पैदावार के मायने में भी आता है जो खाने की चीज़ों से ज्यादा आम है। हर नफ़ा पहुँचाने वाली चीज़ के नतीजे और निचोड़ को उसका समरा कहा जा सकता है। मशीनों और उद्योगिक कारख़ानों के फल उनकी बनाई हुई चीज़ें कहलायेंगे, नौकरी और मज़दूरी का समरा वह उजरत और तन्ख्याह कहलायेगी जो उसके नतीजे में हासिल हुई। कुरआने करीम की एक आयत में इस दुआ में 'स-मरातु कुल्लि शैइन्' का लफ़ज़ भी आया है, इसमें लफ़ज़ 'शजर' (पेड़) के बजाय लफ़ज़ 'शैइन्' (चीज़) लाया गया है, जिससे इस तरफ़ इशारा हो सकता है कि हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के लिये सिर्फ़ खाने के फलों ही की दुआ नहीं फ़रमाई बल्कि हर चीज़ के समरात और हासिल होने वाले नतीजों की दुआ माँगी है, जिसमें दुनिया भर की बनी हुई चीज़ें और हर तरह की फायदा उठाने के क़ाबिल चीज़ें सब दाख़िल हैं। शायद इस दुआ का यह असर है कि मक्का मुकर्रमा इसके बावजूद कि न कोई खेती-बाड़ी वाला मुल्क है न तिजारती न औद्योगिक, लेकिन दुनिया भर की सारी चीज़ें पूरब व पश्चिम से पहुँचकर मक्का मुकर्रमा में आती हैं, जो ग़ालिबन दुनिया के किसी बड़े से बड़े शहर को भी नसीब नहीं।

7. हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिये यह दुआ नहीं फ़रमाई कि मक्का की ज़मीन को खेती-बाड़ी के क़ाबिल बना दें, वरना कुछ मुश्किल न था कि मक्का की घाटी और सारे पहाड़ सरसब्ज़ (हरेभरे) कर दिये जाते, जिनमें बागात और खेत होते। मगर ख़लीलुल्लाह ने अपनी औलाद के लिये यह खेती-बाड़ी का काम पसन्द न किया, इसलिये दुआ फ़रमाई कि कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ़ माईल कर दिये जायें जो पूरब व पश्चिम और दुनिया के कोने-कोने से यहाँ आया करें। उनका यह जमा होना पूरी दुनिया के लिये हिदायत व रहनुमाई का और मक्का वालों की खुशहाली का ज़रिया बने। दुनिया के हर इलाक़े की चीज़ें भी यहाँ पहुँच जायें और मक्का वालों को माल कमाने के साधन भी हाथ आ जायें। अल्लाह तआला

ने यह दुआ कुबूल फरमाई और आज तक मक्का वाले खेती-बाड़ी और काश्त से बेनियाज होकर जिन्दगी की तमाम जरूरतों से मालामाल हैं।

8. 'लअल्लहुम् यश्कुरून' में इशारा कर दिया कि औलाद के लिये आर्थिक राहत व सुकून की दुआ भी इसलिये की गई कि ये शुक्रगुजार बनकर उस पर भी अज्र हासिल करें। इस तरह दुआ की शुरूआत नमाज की पाबन्दी से हुई और अंत शुक्रगुजारी पर। बीच में आर्थिक राहत व सुकून का जिक्र आया। इसमें यह तालीम है कि मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिये कि उसके आमाल व हालात, ख्यालात व विचार पर आखिरत की फलाह व कामयाबी का ग़ुलबा हो, और दुनिया का काम जरूरत के अनुसार हो।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

इस आयत में अल्लाह जल्ल शानुहू के कामिल और हर चीज़ पर हावी इल्म का हवाला देकर दुआ को पूरी की गयी है और अपने अजिजी बरतने और गिड़गिड़ाने को ज़ाहिर करने के लिये लफ़्ज़ रब्बना को दोबारा लाया गया है। मायने यह है कि आप हमारे हर हाल से वाकिफ़ और हमारी दिली व अन्दरूनी हालतों और ज़ाहिरी फरियाद व अज़्र सबसे बाख़बर हैं।

अन्दरूनी हालतों से मुराद वह रंज व ग़म और फ़िक्र है जो दूध पीते बच्चे और उसकी वालिदा को एक खुले मैदान में बे-सर व सामान फरियाद करते हुए छोड़ने और उनकी जुदाई से फ़ितरी तौर पर लगा हुआ था, और ज़ाहिरी अज़्र व फरियाद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत हाजरा के वो कलिमात मुराद हैं जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म की ख़बर सुनकर कहे कि जब अल्लाह तअ़ाला ने आपको हुक्म किया है तो वह हमारे लिये भी काफ़ी है, वह हमें भी ज़ाया नहीं करेगा। आयत के आखिर में अल्लाह के इल्म की इसी वुस्तअत (बेपनाह होने) का मज़ीद बयान है कि हमारा ज़ाहिर व बातिन ही क्या, तमाम ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ अल्लाह तअ़ाला पर छुपी नहीं।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

इस आयत का मज़मून भी इस दुआ का पूरक है, क्योंकि यह दुआ के आदाब में से है कि उसके साथ अल्लाह तअ़ाला की तारीफ़ व सना की जाये। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने विशेष तौर पर इस जगह अल्लाह तअ़ाला की इस नेमत का शुक्र अदा किया कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह तअ़ाला ने उनकी दुआ कुबूल फरमाकर नेक औलाद हज़रत इस्माईल व इस्हाक़ अलैहिमस्सलाम अता फरमाये।

इस तारीफ़ व सना में इस तरफ़ भी इशारा है कि यह बच्चा जो बेसहारा व बेमददगार चटियल मैदान में छोड़ा है, आप ही का दिया हुआ है, आप ही इसकी हिफ़ाज़त फरमायेंगे। आखिर में तारीफ़ व सना को 'इन्-न रब्बी ल-समीउदुआ-इ' से किया गया। यानी बेशक मेरा परवर्दिगार दुआओं का सुनने वाला और कुबूल करने वाला है।

इस तारीफ़ व सना के बाद फिर दुआ में मशगूल हो गये और फरमाया:

رَبِّ اجْعَلْنِي مِمَّنِ الصَّالُونَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَلْ دُعَائِي ۝

जिसमें अपने लिये और अपनी औलाद के लिये नमाज़ की पावन्दी पर क़ायम रहने की दुआ की और आखिर में फिर गिड़गिड़ाये और फ़रियाद की कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी यह दुआ कुबूल फ़रमाइये।

आखिर में एक जामे दुआ (यानी मुकम्मल जिसमें कई बातों को शामिल किया) फ़रमाई:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

“यानी ऐ हमारे परवर्दिगार! मेरी और मेरे माँ-बाप की और तमाम मोमिनों की मग़फ़िरत फ़रमा, उस दिन जबकि मेहशर में तमाम ज़िन्दगी के आमाल का हिसाब लिया जायेगा।”

इसमें माँ-बाप के लिये भी मग़फ़िरत की दुआ फ़रमाई, हालाँकि वालिद यानी आजर का काफ़िर होना क़ुरआन में बयान हुआ है, हो सकता है कि यह दुआ उस वक़्त की हो जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काफ़िरों की सिफ़ारिश और दुआ-ए-मग़फ़िरत से मना नहीं किया गया था। जैसे एक दूसरी जगह क़ुरआने करीम में है:

وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝

(कि माफ़ कर दीजिये मेरे बाप को बेशक वह गुमराहों में था।)

ज़रूरी बात

ऊपर बयान हुई आयतों से दुआ के आदाब यह मालूम हुए कि बार-बार रोने-गिड़गिड़ाने आह व फ़रियाद करने के साथ दुआ की जाये और उसके साथ अल्लाह तआला की तारीफ़ व सना भी की जाये, इस तरह दुआ के कुबूल होने की बड़ी उम्मीद हो जाती है।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ؕ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مُهْطِعِينَ
مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۝ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَا تَبِيتُهُمْ
الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ نُنَجِّبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ؕ أَوَلَمْ تَكُونُوا
أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ
فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۝ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ
لِيَتَزَوَّلَ مِنهُ الْجِبَالُ ۝ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِيفًا وَعْدِهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝ يَوْمَ
تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قِطْرَانٍ وَتَلْغَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا
هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

व ला तहस-बन्नल्ला-ह गाफिलन्
 अम्मा यअमलुज्जालिमु-न, इन्नमा
 युअख़िख़ारुहुम् लियौमिन् तशख़ासु
 फीहिल्-अब्सार (42) मुस्तिअी-न
 मुक्निअी रुऊसिहिम् ला यरतददु
 इलैहिम् तरफ़ुहुम् व अफ़इ-दतुहुम्
 हवा-अ (43) व अन्ज़रिन्ना-स
 यौ-म यअतीहिमुल्-अज़ाबु
 फ़-यकूलुल्लज़ी-न ज़-लमू रब्बना
 अख़िख़रना इला अ-जलिन् करीबिन्
 नुजिब् दअव-त-क व नत्तबिअिरूसु-ल,
 अ-व लम् तकूनू अक्सम्तुम् मिन्
 कब्बु मा लकुम् मिन् ज़वाल (44)
 व सकन्तुम् फी मसाकिनिल्लज़ी-न
 ज़-लमू अन्फु-सहुम् व तबय्य-न लकुम्
 कै-फ़ फ़अल्ला बिहिम् व ज़रब्ना
 लकुमुल्-अम्साल (45) व कद् म-करु
 मकरहुम् व अिन्दल्लाहि मकरहुम्, व
 इन् का-न मकरहुम् लि-तजू-ल मिन्हुल्-
 जिवाल (46) फ़ला तहस-बन्नल्ला-ह
 मुख़िल-फ़ वअदिही रुसु-लहू,
 इन्नल्ला-ह अज़ीजुन् जुन्तिकाम (47)
 यौ-म तुबदलुल्-अरज़ु ग़ैरल्-अजि
 वस्समावातु व ब-रजू लिल्लाहितु

और हरगिज़ मत ख़्याल कर कि अल्लाह
 बेख़ाबर है उन कामों से जो करते हैं
 बेइन्साफ़, उनको तो ढील दे रखी है उस
 दिन के लिये कि पथरा जायेंगी आँखें।
 (42) दौड़ते होंगे ऊपर उठाये अपने सर,
 फिरकर नहीं आयेंगी उनकी तरफ़ उनकी
 आँखें, और दिल उनके उड़ गये होंगे।
 (43) और डरा दे लोगों को उस दिन से
 कि आयेगा उन पर अज़ाब, तब कहेंगे
 ज़ालिम ऐ हमारे रब! मोहलत दे हमको
 थोड़ी मुदत तक, कि हम कुबूल कर लें
 तेरे बुलाने को और पैरवी कर लें रसूलों
 की, क्या तुम पहले क़सम न खाते थे कि
 तुमको नहीं दुनिया से टलना। (44) और
 आबाद थे तुम बस्तियों में उन्हीं लोगों
 की जिन्होंने जुल्म किया अपनी जान पर
 और खुल चुका था तुमको कि कैसा
 किया हमने उनसे और बतलाये हमने
 तुमको सब किस्से। (45) और ये बना
 चुके हैं अपने दाव और अल्लाह के आगे
 है उनका दाव, और न होगा उनका दाव
 कि टल जायें उससे पहाड़। (46) सो
 ख़्याल मत कर कि अल्लाह खिलाफ़ कर
 लेगा अपना वादा अपने रसूलों से, बेशक
 अल्लाह ज़बरदस्त है बदला लेने वाला।
 (47) जिस दिन बदली जाये इस ज़मीन से
 और ज़मीन और बदले जायें आसमान
 और लोग निकल खड़े हों अल्लाह अकेले

वाहदिल्-कहहार (48) व तरल्-
मुज़िमी-न यौ-मइज़िम् मुकरनी-न
फ़िल्-अस्फ़ाद (49) सराबीलुहुम् मिन्
क़तिरानिन्व-व तग़शा वुजू-हहुमुन्नार
(50) लियज़्जियल्लाहु कुल्-ल
नफ़िसम् मा क-सबत्, इन्नल्ला-ह
सरीअुल्-हिसाब (51) हाजा
बलागुल्-लिन्नासि व लियुन्ज़रु बिही
व लि-यअूलमू अन्नमा हु-व इलाहुव्-
वाहिदुव्-व लि-यज़्ज़क्क-र उलुल्-
अल्बाब (52) ❀

ज़बरदस्त के सामने। (48) और देखे तू
गुनाहगारों को उस दिन आपस में जकड़े
हुए ज़न्जीरों में। (49) कुर्ते उनके हैं
गंधक के और ढाँके लेती है आग उनके
मुँह को। (50) ताकि बदला दे अल्लाह
हर एक जी को उसकी कमाई का, बेशक
अल्लाह ज़ल्द करने वाला है हिसाब। (51)
यह ख़बर पहुँचा देनी है लोगों को और
ताकि चौंक जायें इससे, और ताकि जान
लें कि भाबूद वही एक है, और ताकि
सोच लें अक्ल वाले। (52) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुखातब!) जो कुछ ये ज़ालिम (काफ़िर) लोग कर रहे हैं उससे खुदा तआला को (जल्दी अज़ाब न देने की बिना पर) बेख़बर मत समझ (क्योंकि) इनको सिर्फ़ उस दिन तक मोहलत दे रखी है जिसमें उन लोगों की निगाहें (हैरत व दहशत के मारे) फटी रह जाएँगी (और वे बुलाये जाने के मुताबिक़ हिसाब की जगह की तरफ़) दौड़ते होंगे (और बहुत ज़्यादा हैरानी व परेशानी से) अपने सर ऊपर उठा रखे होंगे, (और) उनकी नज़र उनकी तरफ़ हटकर न आएगी (यानी ऐसी टिकटिकी बंधेगी कि आँख न झपकेंगे) और उनके दिल (बहुत ज़्यादा घबराहट के सबब) बिल्कुल बदहवास होंगे। और (जब वह दिन आ जायेगा फिर मोहलत न होगी। पस) आप इन लोगों को उस दिन (के आने) से डराइये जिस दिन इन पर अज़ाब आ पड़ेगा। फिर ये ज़ालिम लोग कहेंगे कि-ऐ हमारे रब! एक थोड़ी-सी मुद्दत तक हमको (और) मोहलत दे दीजिये (और दुनिया में फिर भेज दीजिये) हम (उस वक़्त में) आपका सब कहना मान लेंगे और पैग़म्बरों की इत्तिबा "यानी पैरवी" करेंगे। (जवाब में इरशाद होगा कि क्या हमने दुनिया में तुमको एक लम्बी मोहलत न दी थी और) क्या तुमने (उस मोहलत के लम्बा होने ही के सबब) इससे पहले (दुनिया में) कसमें न खाई थीं कि तुमको (दुनिया से) कहीं जाना ही नहीं है (यानी कियामत के इनकारी थे, और इस पर कसम खाते थे। जैसा कि कुरआन में खुद उनके इस कौल का जिक़्र आया है, देखिये सूर: नहल की आयत नम्बर 38) हालाँकि (इनकार से बाज़ आ जाने के असबाब सब जमा थे, चुनाँचे) तुम उन (पहले) लोगों के रहने की जगहों में रहते थे जिन्होंने (कुफ़्र और

क़ियामत का इनकार करके) अपनी जात का नुकरान किया था, और तुमको (निरंतर ख़बरों से) यह भी मालूम हो गया था कि हमने उनके साथ किस तरह का मामला किया था (कि उनके कुफ़ व इनकार पर उनको सज़ायें दीं। इससे तुमको मालूम हो सकता था कि इनकार करना ग़ज़ब का सबब है; पस तस्दीक़ "य ईमान" वाजिब है। और उनके रहने की जगहों में रहना हर वक़्त उनके हालात की याद दिलाने का सबब हो सकता था, पस इनकार की किसी वक़्त गुंजाईश न थी)।

और (उन वाकिआत के सुनने के अलावा जो कि इधर के लिये काफी थे) हमने (भी) तुमसे मिसालें बयान कीं (यानी आसमानी किताबों में हमने भी उन वाकिआत को मिसाल के तौर पर बयान किया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी ऐसे ही ग़ज़ब व अज़ाब के मुस्तहिक़ होगे, पस वाकिआत का पहले ख़बरों से सुनना फिर हमारा उनको बयान करना, फिर उनके जैसी हालात पेश आना फिर चेतावनी देना, इन सब असबाब का तकाज़ा तो यह था कि क़ियामत का इनकार न करते)।

और (हमने जिन पहले लोगों को उनके कुफ़ व इनकार पर सज़ायें दीं) उन लोगों ने (सच्चे दीन के भिटाने में) अपनी-सी बहुत ही बड़ी-बड़ी तदबीरें की थीं, और उनकी (ये सब) तदबीरें अल्लाह के सामने थीं (उसके इत्म से छुपी न रह सकती थीं)। और बाक़ई उनकी तदबीरें ऐसी थीं कि (अज़ब नहीं) उनसे पहाड़ भी (अपनी जगह से) टल जायें (मगर फिर भी हक़ ही ग़ालिब रहा और उनकी तारी तदबीरें बेकार हो गईं और वे हलाक़ किये गये। इससे भी मालूम हो गया कि हक़ वही है जो पैग़म्बर फ़रमाते थे और उसका इनकार ग़ज़ब व अज़ाब का सबब है। जब क़ियामत में उनका मग़लूब होना मालूम हो गया) पस (ऐं मुखातब!) अल्लाह तआला को अपने रसूलों से वायदा-ख़िलाफ़ी करने वाला न समझना (चुनाँचे क़ियामत के दिन उनके इनकार करने वालों के अज़ाब का वादा था सो वह पूरा होगा, जैसा कि ऊपर बयान हुआ), येशक़ अल्लाह तआला बड़ा ज़बरदस्त (और) पूरा बदला लेने वाला है (कि उसको कोई बदला लेने से नहीं रोक सकता। पस कुदरत भी कामिल फिर मर्ज़ी का ताएल्लुक ऊपर मालूम हुआ, फिर वादे के ख़िलाफ़ होने का क्या शुक्ल रहा)।

(और यह बदला उस दिन होगा) जिस दिन दूसरी ज़मीन बदल दी जायेगी इस ज़मीन के अलावा, और आसमान भी (दूसरे बदल दिये जायेंगे इन आसमानों के अलावा, क्योंकि पहली बार के सूर फूँकने से सब ज़मीन व आसमान टूट-फूट जायेंगे, फिर दूसरी बार में नये सिरे से ज़मीन व आसमान बनेंगे), और सब-के-सब एक (और) ज़बरदस्त अल्लाह के सामने पेश होंगे (मुदाह इससे क़ियामत का दिन है। यानी क़ियामत में बदला लिया जायेगा)। और (उस रोज़ ऐं मुखातब!) तू मुजरिमों को (यानी काफ़िरों को) ज़न्जीरों में जकड़े हुए देखेगा। (और) उनके कुतों क़तिरान के होंगे (यानी सारे बदन को क़तिरान लिपटी होगी कि उसमें आग जल्दी और तेज़ी के साथ लगे, और क़तिरान चीड़ के पेड़ का रोगन होता है जैसा कि लुगात व तिब की किताबों में इसकी यज़ाहस है) और आग उनके चेहरों पर (भी) लिपटी होगी (यह सब कुछ इसलिये होगा)

ताकि अल्लाह तआला हर (मुजरिम) शख्स को उसके किये की सज़ा दे (और अगरचे ऐसे मुजरिम बेइन्तिहा होंगे मगर) यकीनन अल्लाह तआला (को उनका हिसाब व किताब कुछ दुश्वार नहीं, क्योंकि वह) बड़ी जल्दी हिसाब लेने वाला है (सब का फैसला शुरू करके फौरन ही खत्म कर देगा)। यह (कुरआन) लोगों के लिये अहकाम का पहुँचाना है (ताकि पहुँचाने वाले यानी रसूल की तस्दीक करें) और ताकि इसके ज़रिये से (अज़ाब से) डराये जाएँ, और ताकि इस बात का यकीन कर लें कि वही एक सच्चा माबूद है, और ताकि समझदार लोग नसीहत हासिल करें।

मआरिफ व मसाइल

सूर: इब्राहीम में नबियों व रसूलों और उनकी कौमों के कुछ हालात व मामलात की तफ़्सील और अल्लाह के अहकाम की मुखालफ़त करने वालों के बुरे अन्जाम और आखिर में हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़क़िरा था जिन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की, और जिनकी औलाद के लिये अल्लाह तआला ने मक्का-मुकर्रमा की बस्ती बसाई, और उसमें बसने वालों को हर तरह का अमन व अमान और ग़ैर-मामूली (असाधारण) तौर पर आर्थिक सहूलतें अता फ़रमाई, उन्हीं की औलाद 'बनी इस्माइल' कुरआने अज़ीम और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पहले मुख़ातब हैं।

सूर: इब्राहीम के इस आखिरी रुकूअ में खुलासे के तौर पर उन्हीं मक्का वालों को पिछली कौमों के हालात से इब्त हासिल करने की हिदायत और अब भी होश में न आने की सूरत में कियामत के हौलनाक अज़ाबों से डराया गया है।

पहली आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हर मज़लूम की तसल्ली और ज़ालिम के लिये सख़्त अज़ाब की धमकी है कि ज़ालिम और मुजरिम लोग अल्लाह तआला की ढील देने से बेफ़िक्र न हो जायें और यह न समझ लें कि अल्लाह तआला को उनके जुर्मों की खबर नहीं, इसलिये बावजूद जुर्मों के वे फल-फूल रहे हैं, कोई अज़ाब व मुसीबत उन पर नहीं आती, बल्कि वे जो कुछ कर रहे हैं सब अल्लाह तआला की नज़र में है मगर वह अपनी रहमत और हिक्मत के तकाज़े से ढील दे रहे हैं।

لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا

यानी न-समझो अल्लाह तआला को ग़ाफ़िल। यह ख़िताब बज़ाहिर हर उस शख्स के लिये है जिसको उसकी ग़फ़लत और शैतान ने इस घोखे में डाला हुआ है। और अगर इसके मुख़ातब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हों तो भी मक़सद इससे उम्मत के ग़ाफ़िलों को सुनाना और चेताना है, क्योंकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसकी संभावना ही नहीं कि वह मआज़ल्लाह अल्लाह तआला को हालात से बेखबर या ग़ाफ़िल समझें।

दूसरी आयत में बतलाया कि उन ज़ालिमों पर फ़ौरी तौर पर अज़ाब न आना उनके लिये कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि इसका अन्जाम यह है कि ये लोग अचानक कियामत और आखिरत के

अज्ञाब में एकड़ लिये जायेंगे। आगे सूरः के खत्म तक आखिरत के उस अज्ञाब की तफ्सीर और हीलनाक वाकिआत का बयान है।

لَيَوْمٍ نَّشْخُصُ فِيهِ الْبَصَارَ

“यानी उस दिन जबकि फटी रह जायेंगी आँखें।”

مُهْطِعِينَ طُغْيَى رُءُوسِهِمْ

“यानी खौफ व हैरत के सबब सर ऊपर उठाये हुए तेजी से बदहवासी की हालत में दौड़ रहे होंगे।”

لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ

“उनकी पलकें न झपकेंगी।”

وَأَفْبَتَتْهُمْ هَرَأَسُهُمْ

“उनके दिल खाली बदहवास होंगे।”

ये हालात बयान करने के बाद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब है कि आप अपनी कौम को उस दिन के अज्ञाब से डराइये जिसमें जालिम और गुजरिम लोग मजबूर होकर पुकारेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमें कुछ और मोहलत दे दीजिये। यानी फिर दुनिया में चन्द दिन के लिये भेज दीजिये ताकि हम आपकी दावत कुबूल कर लें और आपके रसूलों की पैरवी करके इस अज्ञाब से निजात हासिल कर सकें। अल्लाह तआला की तरफ से उनकी दाख्यास्त का यह जवाब होगा कि अब तुम यह कह रहे हो, क्या तुमने इससे पहले कसमें नहीं खाई थीं कि हमारी दौलत और शान व शौकत को ज्वाल (खाल्वा और पतन) न होगा, हम हमेशा दुनिया में यूँ ही ऐश व मस्ती में रहेंगे और दोबारा जिन्दा होने और आखिरत के जहान का इनकार किया था।

وَمَكَتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ

जाहिर यह है कि यह खिताब अरब के मुशिरकों को है जिनके लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म हुआ है:

أَلْبَسِ النَّاسَ

“यानी डराओ उन लोगों को।”

इस खिताब में उनको चेताया गया है कि पहली कौमों के हालात व इन्किलाबों तुम्हारे लिये बेहतरीन नसीहत हैं, ताज्जुब है कि तुम उनसे इबत हासिल नहीं करते, हालाँकि तुम उन्हीं हलाक होने वाली कौमों के घरों में बसते और चलते फिरते हो, और तुम्हें कुछ हालात के देखने, अनुभव से और कुछ लगातार खबरों से यह भी मालूम हो चुका है कि अल्लाह तआला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से उन पर कैसा सख्त अज्ञाब नाज़िल किया, और हमने भी तुम्हारे राह पर लाने के लिये बहुत-सी मिसालें बयान कीं, फिर भी तुम होश में नहीं आते।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

“यानी उन लोगों ने सच्चा दीन पिटाने और हक की दावत कुबूल करने वाले मुसलमानों को सताने और तकलीफ पहुँचाने के लिये भरपूर तदबीरें कीं और अल्लाह तआला के पास उनकी सब खुली और छुपी हुई तदबीरें सामने मौजूद हैं। यह सबसे बाकिफ और उनको नाकाम बना देने पर कादिर हैं। अगरचे उनकी तदबीरें ऐसी जबरदस्त और सख्त थीं कि उनके मुकाबले पर पहाड़ भी अपनी जगह से हट जायें, मगर अल्लाह तआला की कामिल कुदरत के सामने ये सारी तदबीरें गर्द और नाकाम होकर रह गईं।

जिन विरोधी तदबीरों का इस आयत में जिक्र किया गया है उसमें यह भी गुमान व संभावना है कि इससे मुराद पिछली हलाक होने वाली कौमों की तदबीरें हों जैसे नमरुद, फिरऔन, आद व समूद कौमों वगैरह, और यह भी मुम्किन है कि इसमें अरब के मौजूदा मुशिरक लोगों का हाल बयान किया गया हो, कि उन्होंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के मुकाबले में बड़ी गहरी और दूर तक असर करने वाली साजिशें और तदबीरें कीं, मगर अल्लाह तआला ने उन सब को नाकाम बना दिया।

और कुरआन पाक के अक्सर मुफस्सरीन (व्याख्यापकों) ने ‘व इन् का-न मकरहुम’ में लफ्ज ‘इन्’ को हर्फे नफी करार देकर यह मायने बयान किये हैं कि अगरचे उन्होंने बहुत-सी तदबीरें कीं और घालें चलीं, लेकिन उनकी तदबीरों और चालों से यह मुम्किन न था कि पहाड़ अपनी जगह से टल जायें, और पहाड़ से मुराद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम और उनका इरादा व हिम्मत और जमाव है, कि काफिरों की कोई चाल उस पर असर-अन्दाज नहीं हो सकी।

इसके बाद उम्मत मुहम्मदिया को सुनाने के लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को या हर मुख़ातब को यह तर्बीह की गई:

فَلَا تُحَسِبَنَّ اللَّهُ مُخْلِيفًا وَعْدِهِ رُؤْمُلَهُ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

“यानी कोई यह न समझे कि अल्लाह तआला ने अपने रसूलों से जो वायदे फतह व मदद और कामयाबी के किये हैं वह उनके खिलाफ करेगा, बेशक अल्लाह तआला जबरदस्त और इन्तिकाम (बदला) लेने वाला है, यह जरूर अपने पैगम्बरों के दुश्मनों से इन्तिकाम लेगा और पैगम्बरों से जो वायदे किये उनको पूरा करेगा।

इसके बाद की आयतों में फिर कियामत के होलनाक हालात व बाकिआत का जिक्र है। इरशाद फरमाया:

يَوْمَ يَكْفُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

“यानी कियामत का दिन ऐसा होगा कि उसमें मौजूदा जमीन भी बदल दी जायेगी और आसमान भी, और सब के सब अल्लाह वाहिद व ग़ुलबे वाले के सामने हाजिर होंगे।”

जमीन व आसमान के बदल देने के यह मायने भी हो सकते हैं कि उनकी सिफ़ात और शक्त व सूरत बदल दी जायेगी, जैसा कि कुरआने करीम की दूसरी आयतों और हदीस की

रिवायतों में है कि पूरी ज़मीन एक बराबर सतह की बना दी जायेगी, जिसमें न किसी मकान की आड़ होगी न पेड़ वगैरह की, न कोई पहाड़ और टीला रहेगा न गड्ढा और गहराई। कुरआन करीम में इसी हाल का जिक्र इस तरह फरमाया है:

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

यानी इमारतों और पहाड़ों की वजह से जो आजकल रास्ते और सड़कें मुड़कर गुज़रती हैं और कहीं ऊँचाई है कहीं गहराई, यह सूरत न रहेगी, बल्कि सब साफ़ मैदान हो जायेगा।

और ज़मीन व आसमान की तब्दीली के यह पायने भी हो सकते हैं कि बिल्कुल ही इस ज़मीन के बदले में दूसरी ज़मीन और इस आसमान की जगह दूसरे आसमान बना दिये जायें। हदीस की रिवायतें जो इसके बारे में बयान हुई हैं उनमें भी कुछ से सिर्फ़ सिफ़त की तब्दीली मालूम होती है, कुछ से ज़ात की तब्दीली।

इमाम-ए-हदीस बैहकी ने सही सनद से हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत के बारे में यह नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मेहशर की ज़मीन बिल्कुल नई ज़मीन चाँदी की तरह सफ़ेद होगी, और यह ज़मीन ऐसी होगी जिस पर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया होगा, जिस पर किसी का नाहक खून नहीं गिराया गया होगा। इसी तरह मुस्नद अहमद और तफ़सीर इब्ने जरीर की हदीस में यही मज़मून हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है। (तफ़सीरे मज़हरी)

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन लोग एक ऐसी ज़मीन पर उठाये जायेंगे जो ऐसी साफ़ व सफ़ेद होगी जैसे मेदे की रोटी, उसमें किसी की कोई अलामत (मकान, बाग़, पेड़, पहाड़, टीला वगैरह की) कुछ न होगी। यही मज़मून इमाम बैहकी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफ़सीर में नक़ल किया है।

और हाकिम ने मज़बूत सनद के साथ हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन यह ज़मीन इस तरह खींची जायेगी जैसे चमड़े को खींचा जाये, जिससे इसकी सलवटें और शिकन निकल जायें (इसकी वजह से ज़मीन के ग़ार (खोह और गड्ढे) और पहाड़ सब बराबर होकर एक बराबर की सतह बन जायेगी और उस वक़्त आदम की तमाम औलाद उस ज़मीन पर जमा होगी। इस हुजूम की वजह से एक इन्सान के हिस्से में सिर्फ़ उतनी ही ज़मीन होगी जिस पर वह खड़ा हो सके। फिर मेहशर में सबसे पहले मुझे बुलाया जायेगा, मैं रब्बुल-इज़्ज़त के सामने सज्दे में गिर पड़ूंगा, फिर मुझे शफ़ाअत की इजाज़त दी जायेगी तो मैं तमाम मख़्लूक के लिये शफ़ाअत करूँगा कि उनका हिसाब-किताब जल्द ही जाये।

इस आख़िरी रिवायत से तो बज़ाहिर यह मालूम होता है कि ज़मीन में तब्दीली सिर्फ़ सिफ़त की होगी कि ग़ार और पहाड़ और इमारत और पेड़ न रहेंगे, मगर ज़मीन की ज़ात (वजूद) यही

बाकी रहेगी, और पहली सब रिवायतों से मालूम होता है कि मेहशर की ज़मीन इस मौजूदा ज़मीन के अलावा कोई और होगी, और जिस तब्दीली का जिक्र इस आयत में है उससे ज़ात (वजूद) की तब्दीली मुराद है।

तफ़सीर बयानुल-कुरआन में हज़रत हकीमुल-उम्पत (पौलाना अशरफ़ अली थानवी) रस्मतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि इन दोनों बातों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं, हो सकता है कि पहले सूर फूँकने के वक़्त इसी मौजूदा ज़मीन की सिफ़ात तब्दील की जायें और फिर हिसाब-किताब के लिये उनको किसी दूसरी ज़मीन की तरफ़ मुत्तकिल किया जाये।

तफ़सीरे मज़हरी में मुस्नद अब्द इब्ने हुमैद से हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक क़ील नक़ल किया है जिससे इसकी ताईद होती है। उसके अलाफ़ाज़ का तर्जुमा यह है कि यह ज़मीन सिमट जायेगी और इसके पहलू (बराबर) में एक दूसरी ज़मीन होगी जिस पर लोगों को हिसाब किताब के लिये खड़ा किया जायेगा।

सही मुस्लिम में हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया गया है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एक यहूदी आलिय आया और यह सवाल किया कि जिस दिन यह ज़मीन बदली जायेगी तो आदमी कहाँ होंगे? आपने इरशाद फ़रमाया कि पुलसिरात के पास एक अंधेरे में होंगे।

इससे यह भी मालूम होता है कि मौजूदा ज़मीन से पुल-सिरात के ज़रिये दूसरी तरफ़ मुत्तकिल किये जायेंगे। और इब्ने जरीर ने अपनी तफ़सीर में अनेक सहाबा व ताबिईन के ये अक़वाल नक़ल किये हैं कि उस वक़्त मौजूदा ज़मीन और इसके सब दरिया आग हो जायेंगे, गोया यह सारा इलाक़ा जिसमें अब दुनिया आबाद है उस वक़्त जहन्नम का इलाक़ा हो जायेगा, और असल हकीक़त अल्लाह तआला ही को मालूम है, बन्दे के लिये इसके सिवा चारा नहीं:

जुबाँ ताज़ा करदन् ब-इकरारे तू ☆ न-यंगख़तन इल्लत अज़ कारे तू

यानी जिस चीज़ का हुक्म हो उसका इकरार करे और सर झुकाकर दिल व जान से मान ले, उसके सबब और इल्लत की खोज में न पड़े। मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

आख़िरी आयतों में जन्नत वालों का यह हाल बतलाया गया है कि मुजरिम लोगों को एक ज़न्जीर में बाँध दिया जायेगा। यानी हर जुर्म के मुजरिम अलग-अलग जमा-करके एक साथ बाँध दिये जायेंगे और उनको जो लिबास पहनाया जायेगा वह क़तिरान का होगा जिसको तारकूल कहा जाता है, और वह एक आग पकड़ने वाला मादा है कि आग फ़ौरन पकड़ लेता है।

आख़िरी आयत में इरशाद फ़रमाया कि क़ियामत के हालात का यह सब बयान करना लोगों को तंबीह करने के लिये है ताकि वे अब भी समझ लें कि इबादत व फ़रमाँबरदारी के क़ाबिल सिर्फ़ एक ज़ात अल्लाह तआला की है, और ताकि जिनमें कुछ भी अक़ल व होश है वे शिक़ से बाज़ आ जायें।

(अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि सूर: इब्राहीम की तफ़सीर पूरी हुई।)

एक याददाश्त और इत्तिला

अहंकर नाकारा न इसका अहल था कि कुरआन की तफसीर लिखने की जुरत करे, न कभी इस ख्याल की हिम्मत करता था, अलबत्ता अपने मुशिद हज़रत हकीमुल-उम्मत धानवी रहमतुल्लाहि अलैहि की तफसीर बयानुल-कुरआन को जो इस ज़माने की बेनज़ीर दरमियानी तफसीर है, न बहुत मुज़्तसर कि कुरआन के मज़मून को समझना मुश्किल हो, न बहुत विस्तृत कि पढ़ना मुश्किल हो। फिर अल्लाह तआला के अता किये हुए इल्म व ज़हानत और तक्वा व तहारत की बरकत से विभिन्न अक़वाल में से एक को तरज़ीह देकर लिख देने का जो खास जौक हक़ तआला ने आपको अता फ़रमाया था वह बड़ी तफसीरों से भी हासिल होना मुश्किल था, अगर यह तफसीर हज़रत-ए-वाला रह. ने अहले इल्म के लिये उन्हीं की ज़बान और इल्मी परिभाषाओं में लिखी है, अ़वाम और खुसूसन इस ज़माने के अ़वाम जो अरबी भाषा और उसकी इस्तिलाहों (परिभाषाओं) से बहुत दूर हो चुके हैं उनको इस तफसीर से लाभ उठाना मुश्किल था।

इसलिये यह ख्याल अक्सर रहा करता था कि इसके उम्दा मज़ामीन को आजकल की आसान ज़बान में लिखा जाये, मगर यह भी कोई आसान काम न था।

अल्लाह का हुक्म और तक्दीर का फ़ैसला कि इसकी शुरूआत इस तरह हो गई कि रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर साहिब ने मुझ पर जोर डाला कि रेडियो पर एक सिलसिला कुरआन की ख़ास-ख़ास आयतों का "मआरिफ़ुल-कुरआन" के उनधान से जारी किया जाये। उनका तकाज़ा व इसरार इस काम के आगाज़ का सबब बन गया और रेडियो पाकिस्तान पर हर जुमे के दिन, जुमा 8 शब्याल सन् 1373 हिजरी मुताबिक 2 जौलाई सन् 1954 ई. से शुरू होकर 15 सफ़र सन् 1384 हिजरी मुताबिक 25 जून सन् 1964 ई. तक जारी रहा, जो सूर: इब्राहीम के समापन पर रेडियो पाकिस्तान के महकमे की तरफ़ से ख़त्म कर दिया गया।

हक़ तआला ने इसको भेरे वहम व गुमान से ज़्यादा मक़बूलियत अता फ़रमाई, और दुनिया के कोने-कोने से इसको किताबी सूरत में छापने का तकाज़ा हुआ। इसका इरादा किया तो जितना काम उस वक़्त हो चुका था वह भी इस लिहाज़ से नामुकम्मल था कि यह सिलसिला ख़ास-ख़ास और चुनिन्दा आयतों का था, बीच की आयतों को जो ख़ालिस इल्मी थीं रेडियो पर अ़वाम को उनकी तफसीर समझाना आसान न था, वो रह गई थीं। किताबी शक़ल में छापने के लिये उनका सिलसिला भी पूरा करना था जो वक़्ती कामों की वजह से पूरा करना मुश्किल था।

कुदरत की अज़ीब कार्रवाई और निशानियों में से है कि रमज़ान सन् 1388 हिजरी में अहंकर सख़्त बीमार होकर चलने-फिरने से माज़ूर होकर बिस्तर का हो रहा, और मौत सामने महसूस होने लगी, तो इसका अफ़सोस सताने लगा कि ये मुसौदे यूँ ही भुजाया हो जायेंगे। हक़ तआला ने दिल में यह ज़ब्बा व तकाज़ा पैदा फ़रमा दिया कि लेटे-बैठे "मआरिफ़ुल-कुरआन" के मसौदों पर नज़र-ए-सानी और बीच की जो आयतें रह गई हैं उनकी तकमील किसी तरह इसी हालत में कर दी जाये।


उधर बीमारी का सिलसिला लम्बा होता चला गया, बीमारी ने समाप्त दूसरे काम तो पहले ही छोड़ा दिये थे अब सिर्फ यही मशगला रह गया, इसलिये कुदरत के अजीब व गरीब इन्तिजाम ने इसी बीमारी में अल्लाह के फज़ल से यह काम 29 रजब सन् 1390 हिजरी तक पूरा करा दिया। यहाँ तक कि सूरः इब्राहीम का समाप्त और कुरआन पाक के तेरह पारे उसी रेडियो से प्रसारित सबकों के जरिये पूरे हो गये।

अब अल्लाह तआला ने अगले हिस्से के लिखने की तौफ़ीक़ व हिम्मत भी अता फ़रमा दी। चलने-फिरने से माजुरी की तकलीफ़ भी दूर फ़रमा दी, अगरचे विभिन्न और अनेक बीमारियों का सिलसिला तकरीबन लगातार रहा और कमजोरी भी बढ़ती रही मगर अल्लाह तआला के फज़ल व करम और उसी की इमदाद से 30 शाबान सन् 1390 हिजरी से कुरआन के अगले पारों की तफ़सीर का लिखना शुरू होकर इस वक़्त जबकि "मआरिफ़ुल-कुरआन" की तीन जिल्दें छपकर प्रकाशित हो चुकी हैं, यानी 25 सफ़र सन् 1391 हिजरी में इस तफ़सीर का मुसौदा कुरआने करीम की चौथी मन्ज़िल सूरः फ़ुरक़ान उन्नवीसवें पारे तक अल्लाह तआला की मदद से मुकम्मल हो चुका है।

इस वक़्त भी अनेक बीमारियों और कमजोरी का सिलसिला है और अल्लाह का शुक्र है कि यह काम भी जारी है, कुछ बर्इद नहीं कि अल्लाह तआला अपने फज़ल व करम से इसकी तकमील (पूरा करने) की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है उसके लिये कोई काम मुश्किल नहीं।

बन्दा मुहम्मद शफी

25 सफ़र सन् 1391 हिजरी



* सूरः हिज्र *

यह सूरत मक्की है। इसमें 99 आयतें
और 6 रुकूअ हैं।

सूर: हिज्र

सूर: हिज्र पक्का में नाज़िल हुई। इसमें 99 आयतें और 6 रुकूअ हैं।

أَيَّانَهَا ٩٩ سُورَةُ الْحَجْرِ مَكِّيَّةٌ (١٥٦) ذِكْرُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّامِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ۝

رَبِّمَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝ ذُرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيُمْتَعُوا وَيَلْبَسُهُمُ الْإِمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۝ مَا تَسِبُّ مِنْ أُمَّةٍ آجَاهَا وَمَا يَتَأَخَّرُونَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ्-लाम्-रा। तिल्-क आयातुल्-किताबि व कुरआनिम्-मुबीन। (1)

ये आयतें हैं किताब की और स्पष्ट कुरआन की। (1)

पारा (14) रु-बमा

रु-बमा यवददुल्लजी-न क-फरू ली कानू मुस्लिमीन (2) ज़रहुम् यअकुलू व य-तमत्तअू व युल्हिहिमुल्-अ-मलु फसौ-फ यअलमून (3) व मा अह्लकना मिन् करयतिन् इल्ला व लहा किताबुम्-मअलूम (4) मा तस्बिक्हु मिन् उम्मातिन् अ-ज-लहा व मा यस्तअखिरून (5)

किसी वक़्त आरजू करेंगे ये लोग जो मुन्किर हैं- क्या अच्छा होता जो होते मुसलमान। (2) छोड़ दे इनको खा लें और वस्त लें और उम्मीद में लगे रहें, सो आईन्दा सालूम कर लेंगे। (3) और कोई बस्ती हमने ग़ारत नहीं की मगर उसका वक़्त लिखा हुआ था मुकरर। (4) न आगे बढ़ता है कोई फ़िर्का अपने निर्धारित वक़्त से और न पीछे रहता है। (5)

खुलासा-ए-तफ़सीर

अलिफ़-लाम्-रा (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। ये आयतें हैं एक कामिल किताब और स्पष्ट कुरआन की (यानी इसकी दोनों सिफ़तें हैं- कामिल किताब होना भी और स्पष्ट कुरआन होना भी)। इन कलिमात से कुरआने करीम का सच्चा कलाम होना बाजेह करने के बाद उन लोगों की मायूसी व हसरत और अज़ाब का बयान है जो कुरआन पर ईमान नहीं लाते, या इसके अहकाम की तामील नहीं करते। फ़रमाया:

رَبَّمَايُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَكَاوُ امْلِمِينَ ۝

(यानी जब कियामत के हशर व नशर के मैदान में काफ़िरों पर तरह-तरह का अज़ाब होगा तो) काफ़िर लोग बार-बार तमन्ना करेंगे कि क्या अच्छा होता अगर वे (यानी हम दुनिया में) मुसलमान होते। (बार-बार इसलिये कि जब कोई नई सख़्ती और मुसीबत देखेंगे तो हर मर्तबा अपने इस्लाम न लाने पर अफ़सोस व हसरत ताज़ा होती रहेगी)। आप (दुनिया में उनके कुफ़्र पर ग़म न कीजिये और) उनको उनके हाल पर रहने दीजिये कि वे (ख़ूब) खा लें और चैन उड़ा लें और ख़्याली मन्सूबे उनको ग़फलत में डाले रखें, उनको अभी (मरने के साथ ही) हकीकत मालूम हुई जाती है (और दुनिया में जो उनको उनके कुफ़्र और बुरे आमाल की फ़ौरन सज़ा नहीं मिलती इसकी वजह यह है कि अल्लाह तआला ने सज़ा का वक़्त मुक़र्र कर रखा है, अभी वह वक़्त नहीं आया)। और हमने जितनी बस्तियाँ (कुफ़्र की वजह से) हलाक की हैं उन सब के लिये एक निर्धारित वक़्त लिखा हुआ होता रहा है। और (हमारा उसूल है कि) कोई उम्मत अपनी तयशुदा मियाद से न पहले हलाक हुई है और न पीछे रही है (बल्कि तयशुदा वक़्त पर हलाक हुई है। इसी तरह जब इनका वक़्त आ जायेगा उनको भी सज़ा दी जायेगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا..... الخ

(यानी इस सूरात की आयत नम्बर 3) से मालूम हुआ कि खाने-पीने को मक़सद और असली धंधा बना लेना और दुनियावी ऐश व आराम के सामान में मौत से बेफ़िक्र होकर लम्बी-लम्बी योजनाओं में लगे रहना काफ़िरों ही से हो सकता है, जिनका आख़िरत और उसके हिसाब व किताब और जज़ा व सज़ा पर ईमान नहीं। मोमिन भी खाता-पीता है, और ज़रूरत के मुताबिक़ ज़िंजी कमाने का सामान करता है, और आईन्दा के कारीबार की योजनायें भी बनाता है, मगर मौत और आख़िरत की फ़िक्र से शफ़िल होकर यह काम नहीं करता। इसी लिये हर काम में हलाल व हराम की फ़िक्र रहती है और बेकार की योजनायें बनाने को अपना मशग़ला (धंधा और व्यस्तता) नहीं बनाता। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि चार चीज़ें बुराई और बदनसीबी की निशानियाँ हैं- आँखों से आँसू जारी न होना (यानी अपने गुनाहों

और गफलतों पर शर्मिन्दा होकर न रोना), दिल का सख्त होना, उम्मीदों का लम्बा होना और दुनिया की हिंस। (तफसीरे कुर्तुबी, मुस्नद बज़्ज़ार के हवाले और हज़रत अनस रज़ि. की रियायत से)

और उम्मीदों के लम्बा होने का मतलब यह है कि दुनिया की मुहब्बत और हिंस में खोकर और मौत व आखिरत से बेफिक्री के साथ दूर-दराज़ की योजनायें बनाई जायें। (तफसीरे कुर्तुबी)

जो योजनायें दीनी मक़ासिद के लिये या किसी कौम व मुल्क के आइन्दा के फ़ायदे के लिये बनाई जाती हैं वे इसमें दाखिल नहीं, क्योंकि वो आखिरत की फिक्र ही की एक सूरत है।

और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इस उम्मत के पहले तब्के की निजात कामिल ईमान और दुनिया से मुँह मोड़ लेने की वजह से होगी, और इस उम्मत के आखिरी तब्के के लोग कन्जूसी और लम्बी उम्मीद की वजह से हलाक होंगे।

और हज़रत अबूदुर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है कि वह जामा मस्जिद दमिश्क के भिन्वर पर खड़े हुए और फ़रमाया- ऐ दमिश्क वालो! क्या तुम अपने एक हमदर्द भला चाहने वाले भाई की बात सुनोगे? सुन लो! कि तुम से पहले बहुत बड़े-बड़े लोग गुज़रे हैं जिन्होंने माल व मत्ता बहुत जपा किया और बड़े-बड़े शानदार महल तामीर किये और दूर-दराज़ के लम्बे मन्सूबे बनाये, आज वे सब हलाक हो चुके हैं, उनके मकानात उनकी कब्रें हैं, और उनकी लम्बी उम्मीदें सब धोखा और फ़रेब साबित हुई। आद कौम तुम्हारे करीब थी जिसने अपने आदमियों से और हर तरह के माल व असबाब और हथियारों व घोड़ों से मुल्क को भर दिया था, आज कोई है जो उनकी विरासत मुझसे दो दिरहम में ख़रीदने को तैयार हो जाये।

हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि जो शख्स अपनी जिन्दगी में लम्बी उम्मीदें बाँधता है उसका अमल ज़रूर ख़राब हो जाता है। (तफसीरे कुर्तुबी)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْبَلَاغَةِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ مَا نُزِّلَ إِلَیْكَ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِیْنَ ۝

व कालू या अय्युहल्लज़ी नुज़िज़-त
अलैहिज़िज़कुरु इन्न-क ल-मज़ून
(6) लौ मा तअतीना बिल्मलाइ-कति
इन् कुन्-त मिनस्सादिकीन (7) मा
नुनज़िज़लुल्-मलाइ-क-त इल्ला बिल्-
हक्क व मा कानू इज़म्-मुज़रीन (8)

और लोग कहते हैं- ऐ वह शख्स कि तुझ
पर उतरा है कुरआन, तू बेशक दीवाना
है। (6) क्यों नहीं ले आता हमारे पास
फ़रिश्तों को अगर तू सच्चा है। (7) हम
नहीं उतारते फ़रिश्तों को मगर काम पूरा
करके, और उस वक़्त न मिलेगी उनको
मोहलत। (8)

खुलासा-ए-तफसीर

('इल्ला बिल्हक्क' में लफज़ हक्क से मुराद अज़ाब का फैसला है और कुछ मुफ़स्सरीन ने

कुरआन या रिसालत का इसमें मुराद लिया है। तफसीर बयानुल-कुरआन में पहले मायने का तरजीह दी है, यह मायने हज़रत हसन बसरी रह. से मन्कूल हैं। आयतों को तफसीर यह है:

और उन (मक्का के) काफ़िरो ने (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम से) यूँ कहा कि ऐ वह शख्स! जिस पर (उसके दावे के मुताबिक) कुरआन नाज़िल किया गया है, तुम (नऊजु बिल्लाह) मजनुँ हो (और नुबुव्वत का ग़लत दावा करते हो, धरना) अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो तो हमारे पास फ़रिश्तों को क्यों नहीं लाते (जो हमारे सामने तुम्हारे सच्चा होने की गवाही दें जैसा कि उनकी इस बात को सूर: फ़ुरक़ान की आयत नम्बर 7 में भी बयान किया है। अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि) हम फ़रिश्तों को (जिस अन्दाज़ से वे दरख़्वास्त करते हैं) सिर्फ़ फ़ैसले ही के लिये नाज़िल किया करते हैं, और (अगर ऐसा होता तो) उस वक़्त उनको मोहलत भी न दी जाती (बल्कि जब उनके आने पर भी ईमान न लाते जैसा कि उनके हालात से यही यकीनी है तो फ़ौरन हलाक कर दिये जाते, जैसा कि सूर: अन्आम के पहले रुकूअ की आख़िर की आयतों में इसकी वजह बयान हो चुकी है)।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

इन्ना नहनु नज़ज़लूनज़िज़्क-र व इन्ना
लहू लहाफिज़ून (9)

हमने आप उतारी है यह नसीहत और हम
आप इसके निगहबान हैं। (9)

खुलासा-ए-तफसीर

हमने कुरआन को नाज़िल किया है और (यह दावा बिना दलील के नहीं बल्कि इसका मोजिज़ा होना इस पर दलील है। और कुरआन के एक कमाल व करिशमे का बयान तो दूसरी सूक्तों में बयान हुआ है कि कोई इनसान इसकी एक सूक्त के जैसी नहीं बना सकता, दूसरा बेमिसाल कमाल यह है कि) हम इस (कुरआन) के मुहाफिज़ (और निगहबान) हैं (इसमें कोई कमी-बेशी नहीं कर सकता, जैसा कि और किताबों में होता है। यह ऐसा खुला मोजिज़ा है जिसको हर आम व खास समझ सकता है। पहला मोजिज़ा कि कुरआन की भाषा और अन्दाज़े बयान की खूबी और जामे होने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसको तो इल्म वाले ही समझ सकते हैं मगर कमी-बेशी न होने को एक अनपढ़ जाहिल भी देख सकता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

मामून के दरबार का एक वाकिआ

इमाम कुर्तुबी रह. ने इस जगह निरंतर सनद के साथ एक वाकिआ अमीरुल-मोमिनीन मामून के दरबार का नक़ल किया है, कि मामून की आदत थी कि कभी-कभी उसके दरबार में इल्मी विषयों पर बहस व मुबाहसे और मुज़ाकरे हुआ करते थे, जिसमें हर आलिम को आने की

इजाजत थी। ऐसे ही एक मुजाकरे में एक यहूदी भी आ गया जो सूरत शक्ल और लिबास वगैरह के एतिबार से भी एक नुमायाँ आदमी मालूम होता था। फिर बातचीत की तो वह भी आला दर्जे की और अक्ल व बुद्धि वाली बातचीत थी। जब मज्लिस खत्म हो गई तो मामून ने उसको बुलाकर पूछा कि तुम इस्राईली हो? उसने इकरार किया। मामून ने (इम्तिहान लेने के लिये) कहा कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सुलूक करेंगे।

उसने जवाब दिया कि मैं तो अपने और अपने बाप-दादा के दीन को नहीं छोड़ता। बात खत्म हो गई, यह शख्स चला गया। फिर एक साल के बाद यही शख्स मुसलमान होकर आया और मुजाकरे की मज्लिस में इस्लामी फिके (इस्लामी कानून) के विषय पर बेहतरीन तकरीर और उम्दा तहकीकाल पेश कीं। मज्लिस खत्म होने के बाद मामून ने उसको बुलाकर कहा कि तुम वही शख्स हो जो पिछले साल आये थे? उसने जवाब दिया हाँ मैं वही हूँ। मामून ने पूछा कि उस वक्त तो तुमने इस्लाम कुबूल करने से इनकार कर दिया था, फिर अब मुसलमान होने का क्या सबब हुआ?

उसने कहा मैं यहाँ से लौटा तो मैंने मौजूदा धर्मों की तहकीक करने का इरादा किया। मैं एक कातिब और लिखने के फ़न में आर्टिस्ट आदमी हूँ, किताबें लिखकर फरोख्त करता हूँ तो अच्छी कीमत से बिक जाती हैं। मैंने आजमाने के लिये तौरात के तीन नुस्खे (प्रतियाँ) लिखे जिनमें बहुत जगह अपनी तरफ से कमी-बेशी कर दी और वो नुस्खे (प्रतियाँ) लेकर मैं कनीसा में पहुँचा, यहूदियों ने बड़ी दिलचस्पी से उनको खरीद लिया। फिर इसी तरह इन्जील के तीन नुस्खे कमी-बेशी के साथ लिख करके ईसाईयों के इबादत खाने में ले गया वहाँ भी ईसाईयों ने बड़ी कद्र व सम्मान के साथ वो नुस्खे मुझसे खरीद लिये। फिर यही काम मैंने कुरआन के साथ किया, उसके भी तीन नुस्खे उम्दा लिखाई के तैयार किये जिनमें अपनी तरफ से कमी-बेशी की थी, उनको लेकर जब मैं फरोख्त करने के लिये निकला तो जिसके पास ले गया उसने देखा कि सही भी है या नहीं, जब कमी-बेशी नज़र आई तो उसने मुझे वापस कर दिया।

इस वाकिए से मैंने यह सबक लिया कि यह किताब महफूज़ (सुरक्षित) है और अल्लाह तआला ही ने इसकी हिफाज़त की हुई है, इसलिये मैं मुसलमान हो गया। काज़ी यहया बिन अक्सम इस वाकिए के रिवायत करने वाले कहते हैं कि इत्तिफ़ाक से उसी साल मुझे हज की तौफ़ीक हुई, वहाँ सुफियान बिन उयैना से मुलाकात हुई तो मैंने यह किस्सा उनको सुनाया, उन्होंने फ़रमाया कि बेशक ऐसा ही होना चाहिये, क्योंकि इसकी तस्दीक कुरआन में मौजूद है।

यहया बिन अक्सम ने पूछा कि कुरआन की कौनसी आयत में? तो फ़रमाया कि कुरआन अज़ीम ने जहाँ तौरात व इन्जील का जिक्र किया है उसमें तो फ़रमाया:

بِمَا تَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

यानी यहूदियों व ईसाईयों को अल्लाह की किताब तौरात व इन्जील की हिफाज़त की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यही वजह हुई कि जब यहूदियों व ईसाईयों ने हिफाज़त की जिम्मेदारी को अदा न किया तो ये किताबें अपनी असली हालत से बदल कर जाया हो गई, बख़िलाफ़ कुरआने करीम के कि इसके बारे में हक़ तआला ने फ़रमाया:

إِنَّمَا لِحَفِظِهِ ۝

यानी हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। इसलिये इसकी हिफ़ाज़त हक़ तआला ने खुद फ़रमाई तो दुश्मनों की हजारों कोशिशों के बावजूद इसके एक नुक्ते (बिन्दू) और एक ज़ेर व ज़बर (मात्रा) में फ़र्क़ न आ सका। आज हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दौर को भी तक़रीबन चौदह सौ बरस हो चुके हैं, तमाम दीनी और इस्लामी मामलात में मुसलमानों की कोताही और ग़फलत के बावजूद क़ुरआने करीम के हिफ़ज़ करने का सिलसिला तमाम दुनिया के पूरब व पश्चिम में इसी तरह कायम है। हर ज़माने में लाखों बल्कि करोड़ों मुसलमान जवान, बूढ़े, लड़के और लड़कियाँ ऐसे मौजूद रहते हैं जिनके सीनों में पूरा क़ुरआन महफूज़ है, किसी बड़े से बड़े आलिम की भी मजाल नहीं कि एक हर्फ़ ग़लत पढ़ दे, उसी वक़्त बहुत से बड़े और बच्चे उसकी ग़लती पकड़ लेंगे।

क़ुरआन की हिफ़ाज़त के वायदे में हदीस शरीफ़ की हिफ़ाज़त भी दाख़िल है

तमाम उलेमा इस पर एक-राय हैं कि क़ुरआन न सिर्फ़ क़ुरआनी अलफ़ाज़ का नाम है न सिर्फ़ क़ुरआन मायनों का, बल्कि दोनों के मजमूए को क़ुरआन कहा जाता है। वजह यह है कि क़ुरआन के मायने और मज़ामीन तो दूसरी किताबों में भी मौजूद हैं और इस्लामी किताबों में तो उमूमन क़ुरआनी मज़ामीन ही होते हैं, मगर उनको क़ुरआन नहीं कहा जाता, क्योंकि अलफ़ाज़ क़ुरआन के नहीं हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स क़ुरआने करीम के अलग-अलग जगह के अलफ़ाज़ और जुमले लेकर एक मज़मून या किताब लिख दे तो उसको भी कोई क़ुरआन नहीं कहेगा अगरचे उसमें एक लफ़ज़ भी क़ुरआन से बाहर का न हो। इससे मालूम हुआ कि क़ुरआन सिर्फ़ उस मुस्हफ़े रब्बानी का नाम है जिसके अलफ़ाज़ और मायने साथ-साथ महफूज़ हैं।

इसी से यह मसला भी मालूम हो गया कि किसी भाषा उर्दू या अंग्रेज़ी वगैरह में जो सिर्फ़ क़ुरआन का तर्जुमा प्रकाशित करके लोग उसको उर्दू या अंग्रेज़ी क़ुरआन का नाम देते हैं यह हरगिज़ जायज़ नहीं, क्योंकि वह क़ुरआन नहीं। और जब यह मालूम हुआ कि क़ुरआन सिर्फ़ क़ुरआन के अलफ़ाज़ का नाम नहीं बल्कि मायने भी उसका एक हिस्सा हैं, तो क़ुरआन की हिफ़ाज़त की जो ज़िम्मेदारी इस आयत में हक़ तआला ने खुद अपने ज़िम्मे करार दी है उसमें जिस तरह क़ुरआनी अलफ़ाज़ की हिफ़ाज़त का वायदा और ज़िम्मेदारी है इसी तरह क़ुरआन के मायनों और मज़ामीन की हिफ़ाज़त और मानवी रद्दोबदल से इसके महफूज़ रहने की भी ज़िम्मेदारी अल्लाह तआला ही ने ले ली है।

और यह ज़ाहिर है कि क़ुरआन के मायने वही हैं जिनके तालीम देने के लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजा गया जैसा कि क़ुरआने करीम में फ़रमाया है:

لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

“यानी आपको इसलिये भेजा गया है कि आप बतला दें लोगों को मतलब उस कलाम का जो उनके लिये नाज़िल किया गया है।” और यही मायने इस आयत के हैं:

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

और इसी लिये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

أَنَا بَعِثْتُ مُعَلِّمًا

यानी मैं तो मुअल्लिम (सिखाने वाला अर्थात् शिक्षक) बनाकर भेजा गया हूँ। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कुरआन के मायनों को बयान करने और उनकी तालीम के लिये भेजा गया तो आपने उम्मत को जिन बातों और कामों के जरिये तालीम दी उन्हीं बातों और कामों का नाम हदीस है।

रसूले पाक की हदीसों को उम्मी तौर पर गैर-महफूज़ कहने

वाला दर हकीकत कुरआन को गैर-महफूज़ कहता है

जो लोग आजकल दुनिया को इस मुग़ालते (धोखे) में डालना चाहते हैं कि हदीसों का जखीरा जो काबिले एतिमाद किताबों में मौजूद है वह इसलिये काबिले एतिबार नहीं कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने से बहुत बाद में जमा किया गया और तरतीब दिया गया है।

अव्वल तो उनका यह कहना भी सही नहीं, क्योंकि हदीस की हिफ़ाज़त व लिखाई खुद रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दौर में शुरू हो चुकी थी, बाद में उसकी तकमील हुई। इसके अलावा हदीसे रसूल दर हकीकत कुरआन की तफसीर और उसके मायने हैं। उनकी हिफ़ाज़त अल्लाह तआला ने अपने जिम्मे ली है। फिर यह कैसे हो सकता है कि कुरआन के सिर्फ़ अलफ़ज़ महफूज़ रह जायें मायने (यानी रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों) ज़ाया हो जायें?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْرِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْجَرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ
سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ
أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۝

व ल-कद् अर्सलना मिन् कब्लि-क	और हम भेज चुके हैं रसूल तुझसे पहले
फी शि-यअिल्-अव्वलीन (10) व मा	अगले फ़िक्रों में। (10) और नहीं आता

यअत्तीहिम् मिरसूलिन् इल्ला कानू
 बिही यस्तहिजऊन (11) कज़ालि-क
 नस्तुकुहू फी कुलूबिल्-मुज़िमीन
 (12) ला युअमिनु-न बिही व कद्
 ख़लत् सुन्नतुल्-अव्वलीन (13) व
 लौ फ़तह्ना अलैहिम् बाबम्-
 मिनस्समा-इ फ़ज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून
 (14) लक़ालू इन्नमा सुक्किरत्
 अब्सारुना बल् नस्तु कौमुम्-
 मसहूरून (15) ❀

उनके पास कोई रसूल मगर करते रहे हैं
 उससे हंसी। (11) इसी तरह बिठा देते हैं
 हम उसको दिल में गुनाहगारों के। (12)
 यकीन न लायेंगे इस पर और होती आई
 है रस्म पहलों की। (13) और अगर हम
 खोल दें उन पर-दरवाज़ा आसमान से
 और सारे दिन उसमें चढ़ते रहें (14) तो
 भी यही कहेंगे कि बाँध दिया है हमारी
 निगाह को, नहीं! बल्कि हम लोगों पर
 जादू हुआ है। (15) ❀

लुगात

‘शियअ’ जमा (बहुवचन) है शीआ की, जिसके मायने किसी शख्स के पैरोकार व मददगार
 के भी आते हैं और ऐसे फ़िर्के को भी शीआ (शिया) कहा जाता है जो विशेष अक्दीदों व
 नज़रियात पर इत्तिफ़ाक रखते हों। मुराद यह है कि हमने हर फ़िर्के और हर गिरोह के अन्दर
 रसूल भेजे हैं, इसमें लफ़ज़ इला (तरफ़) के बजाय ‘फी शि-यअिल् अव्वलीन’ फ़रमाकर इस तरफ़
 भी इशारा कर दिया कि हर गिरोह का रसूल उसी गिरोह के लोगों में से भेजा गया ताकि लोगों
 को उस पर एतिमाद (भरोसा व यकीन) करना आसान हो, और वह भी उनकी तबीयतों और
 मिज़ाज से वाकिफ़ होकर उनकी इस्लाह (सुधार) के लिये मुनासिब प्रोग्राम बना सके।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप उनके झुठलाने से ग़म न कीजिये,
 क्योंकि यह मामला नबियों के साथ हमेशा से होता चला आया है। चुनाँचे) हमने आप से पहले
 भी पैग़म्बरों को पहले लोगों के गिरोहों में भेजा था (और उनकी हालत यह थी कि) कोई रसूल
 उनके पास ऐसा नहीं आया जिसके साथ उन्होंने हंसी-ठट्टा न किया हो (जो कि झुठलाने ही की
 बहुत बुरी किस्म है। पस जिस तरह उन लोगों के दिलों में यह हंसी-मज़ाक पैदा हुआ था) इसी
 तरह हम यह हंसी और मज़ाक उड़ाना इन मुजरिमों (यानी मक्का के काफ़िरो) के दिलों में डाल
 देते हैं (जिसकी वजह से) ये लोग इस कुरआन पर इमान नहीं लाते, और यह दस्तूर पहलों ही से
 होता आया है (कि नबियों को झुठलाते रहे हैं, पस आप ग़मगीन न हों) और (इनकी दुश्मनी व
 मुख़ालफ़त की यह कैफ़ियत है कि फ़रिश्तों का आसमान से आना तो दरकिनार इससे बढ़कर)

अगर (खुद इनको आसमान पर भेज दिया जाये इस तरह से कि) हम इनके लिये आसमान में कोई दरवाजा खोल दें फिर ये दिन के वक्त (जिसमें नींद और ऊँघ वगैरह का भी शुब्हा न हो) उस (दरवाजे) में (से आसमान को) चढ़ जाएँ। तब भी यूँ कह दें कि हमारी नज़रबन्दी कर दी गई थी (जिससे हम अपने को आसमान पर चढ़ता हुआ देख रहे हैं और वास्तव में चढ़ नहीं रहे हैं, और नज़रबन्दी कुछ इसी वाकिए की विशेषता नहीं) बल्कि हम लोगों पर तो बिल्कुल जादू कर रखा है (अगर हमको इससे बढ़कर भी कोई मोजिजा दिखलाया जायेगा वह भी हकीकत में मोजिजा न होगा)।

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَازِبَاتٍ لِّلنَّظِيرِينَ ۝

व ल-क़द् जअल्ना फिस्समा-इ बुरूजं-व-
व जय्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन (16)

और हमने बनाये हैं आसमानों में बुर्ज
और रौनक दी उसको देखने वालों की
नज़र में। (16)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(पिछली आयतों में इनकार करने वालों की हठधर्मी और दुश्मनी का जिक्र था, इन आयतों में जो आगे आ रही हैं अल्लाह जल्ल शानुहू के वजूद, तौहीद, इल्म और कुदरत की स्पष्ट दलीलें, आसमान और ज़मीन और इनके बीच की मख़्लूक़ात के हालात और दिखाई देने वाली चीज़ों का बयान किया गया है, जिनमें ज़रा भी ग़ौर किया जाये तो किसी अक्लमन्द को इनकार की मजाल नहीं रहती। इरशाद फरमायाः)

और बेशक हमने आसमान में बड़े-बड़े सितारे पैदा किये, और देखने वालों के लिये आसमान को (सितारों से) सजाया।

मअरिफ़ व मसाईल

'बुरूजन' बुर्ज की जमा (बहुवचन) है, जो बड़े महल और किले वगैरह के लिये बोला जाता है। तफ़सीर के इमामों मुजाहिद, क़तादा और अबू सालेह रह. वगैरह ने इस जगह बुरूज की तफ़सीर बड़े सितारों से की है। और इस आयत में जो उन बड़े सितारों का आसमान में पैदा करना इरशाद है, यहाँ आसमान से मुराद आसमानी फ़िज़ा है, जिसको आजकल की परिभाषा में ख़ला (SPACE) कहा जाता है। और लफ़्ज़ समा (आसमान) को दोनों मायने में बोला और इस्तेमाल किया जाना आम और परिचित है। आसमान के ज़िर्म (जिस्म व पदार्थ) को भी समा कहा जाता है और आसमान से बहुत नीचे जो आसमानी फ़िज़ा है उसको भी कुरआने करीम में जगह-जगह लफ़्ज़ समा से ताबीर किया गया है। और सध्वारों और सितारों का आसमानों के अन्दर नहीं बल्कि आसमानी फ़िज़ा (आसमान व ज़मीन के बीच के ख़ाली हिस्से) में होना इसकी

मुकम्मल तहकीक कुरआने करीम की आयतों से तथा पुराने व नये आसमान व फ़िज़ा के इल्म की तहकीक से इन्शा-अल्लाह सूरः फ़ुरक़ान की आयत 61:

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝

की तफ़सीर में आयेगी।

وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ۝

व हफ़िज़्नाहा मिन् कुल्लि शैतानिर्-
रजीम (17) इल्ला मनिस्त-रक़्साम्-अ
फ़अत्व-अहू शिहाबुम्-मुबीन (18)

और महफ़ूज़ रखा हमने उसको हर शैतान
मरदूद से। (17) मगर जो चोरी से सुन
भागा उसके पीछे पड़ा अंगारा चमकता
हुआ। (18)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आसमान को (सितारों के ज़रिये) हर शैतान मरदूद से महफ़ूज़ फ़रमा दिया (कि वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होने पाती) हाँ मगर कोई बात (फ़रिश्तों की) चोरी-छुपे सुन भागे तो उसके पीछे एक चमकता हुआ शोला होता है (और उसके असर से वह शैतान हलाक या बदहवास हो जाता है)।

मअरिफ़ व मसाइल

शिहाब-ए-साकिब

इन आयतों से एक तो यह साबित हुआ कि शैतानों की पहुँच आसमानों तक नहीं हो सकती। इब्लीस मरदूद का आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश के वक़्त आसमानों में होना और आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम को धोखे में मुक्ताला करना वगैरह यह सब आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरने से पहले के वाकिआत हैं, उस वक़्त जिन्नात व शैतानों का दाख़िला आसमान में वर्जित और प्रतिबन्धित नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में उतरने और शैतान के निकाले जाने के बाद से यह दाख़िला वर्जित हुआ। सूरः जिन्न की आयतों में जो यह बयान हुआ है:

إِنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا ۝

इससे यह मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के नबी बनाकर भेजे जाने से पहले तक शैतान आसमानों की ख़बरें फ़रिश्तों की आपसी बातचीत से सुन लिया करते थे, इससे यह लाज़िम नहीं आता कि शैतान आसमानों में दाख़िल होकर सुनते थे।

نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ

के अलफाज़ से भी यह मालूम होता है कि चोरों की तरह आसमानी फ़िज़ा में जहाँ-जहाँ बादल होते हैं छुपकर बैठ जाते और सुन लिया करते थे। इन अलफाज़ से खुद भी यही अन्दाज़ होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नुबुव्वत से पहले भी जिन्नात व शयतान का दाख़िला आसमानों में वर्जित ही था मगर आसमानी फ़िज़ा तक पहुँचकर चोरी से कुछ सुन लिया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनने के बाद वही (अल्लाह के तरफ़ से आने वाले पैग़ाम) की हिफ़ाज़त का यह अतिरिक्त सामान हुआ कि शैतानों को इस चोरी से भी शिहाब-साकिब के ज़रिये से रोक-दिया गया।

रहा यह सवाल कि आसमानों के अन्दर फ़रिश्तों की बातचीत को आसमानों से बाहर शैतान किस तरह सुन सकते थे? सो यह कोई नागुम्किन चीज़ नहीं, बहुत मुम्किन है कि आसमानी अजराय (आकाशीय जिस्म व पदार्थ) आवाज़ों के सुनने से रुकावट न हों, और यह भी कोई दूर की बात नहीं कि फ़रिश्ते किसी वक़्त आसमानों से नीचे उतरकर आपस में ऐसी गुप्तगू करते हों जिसको शैतान सुन भागते थे। सही बुख़ारी में हज़रत सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस से इसी की ताईद होती है कि फ़रिश्ते आसमान से नीचे जहाँ बादल होते हैं, कभी किसी वक़्त यहाँ उतरते हैं, और आसमानी ख़बरों का आपस में तज़क़िरा करते हैं, शैतान उसी आसमानी फ़िज़ा में छुपकर ये ख़बरें सुनते थे जिनको शिहाबे-साकिब के ज़रिये बन्द किया गया। इसकी पूरी तफ़सील इन्शा-अल्लाह सूर: जिन्न में:

إِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ

(सूर: जिन्न आयत 9) की तफ़सीर में आयेगी।

दूसरा मसला इन आयतों में शिहाबे-साकिब का है। कुरआने करीम के इरशादात से मालूम होता है कि ये शिहाबे-साकिब वही की हिफ़ाज़त के लिये शैतानों को मारने के वास्ते पैदा होते हैं, इनके ज़रिये शैतानों की दफ़ा किया जाता है ताकि वे फ़रिश्तों की बातें न सुन सकें।

इसमें एक मज़बूत इश्काल यह है कि आसमानी फ़िज़ा में शिहाबों का वजूद कोई नई चीज़ नहीं, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के भेजे जाने से पहले भी सितारे टूटने को देखा जाता था, और बाद में भी यह सिलसिला जारी है, तो यह कैसे हो सकता है कि शिहाबे साकिब शैतानों को दफ़ा करने के लिये पैदा होते हैं, जो कि हुज़ूरे पाक के दौर की खुसूसियत है। इससे तो बज़ाहिर उसी बात को मज़बूती मिलती है जो फ़िल्सफ़ी लोगों का ख़्याल है कि शिहाबे-साकिब की हकीकत इतनी है कि सूरज की गर्मी से जो बुख़ारात (भाप) ज़मीन से उठते हैं उनमें कुछ आग पकड़ने वाले मादे भी होते हैं, ऊपर जाकर जब उनको सूरज या किसी दूसरी वजह से और अधिक गर्मी पहुँचती है तो वो सुलग उठते हैं और देखने वालों को यह महसूस होता है कि कोई सितारा टूटा है। इसी लिये मुहावरों में इसको सितारा टूटने ही से ताबीर किया जाता है। अरबी भाषा में भी इसके लिये 'इन्किज़ाज़-ए-कौकब' (सितारा टूटने) का लफ़ज़ इस्तेमाल होता है जो इसी के जैसे मायनों वाला है।

जवाब यह है कि इन दोनों बातों में कोई टकराव व इखिलाफ नहीं, जमीन से उठने वाले बुखारात सुलग जायें यह भी मुम्किन है और यह भी कोई दूर की बात नहीं कि किसी सितारे या सय्यारे से कोई शोला निकल कर गिरे, और ऐसा होना आम आदात के मुताबिक हमेशा से जारी हो, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के भेजे जाने से पहले उन शोलों से कोई खास काम नहीं लिया जाता था, आपकी नुबुव्वत के बाद इन शिहाबी शोलों से यह काम लिया गया कि शैतान जो फ़रिश्तों की बातें चोरी से सुनना चाहें उनको उस शोले से मारा जाये।

अल्लामा आलूसी रह. ने तफ़सीर रूहुल-मआनी में यही वज़ाहत बयान फ़रमाई है और नक़ल किया है कि इमामे हदीस जोहरी रह. से किसी ने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रसूल बनाकर भेजे जाने से पहले भी सितारे टूटते थे? फ़रमाया कि हाँ। इस पर उसने सूर: जिन्न की ऊपर ज़िक्र हुई आयत इसकी काट के लिये पेश की तो फ़रमाया कि शिहाबे साकिब तो पहले भी थे मगर हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद जब शैतानों पर सख़्ती की गयी तो उनसे शैतानों के दफ़ा करने का काम लिया गया।

सही मुस्लिम की एक हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद मौजूद है कि आप सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के एक मजमे में तशरीफ़ रखते थे कि सितारा टूटा, आपने लोगों से पूछा कि तुम जाहिलीयत के ज़माने में यानी इस्लाम से पहले इस सितारा टूटने को क्या समझा करते थे? लोगों ने कहा कि हम यह समझा करते थे कि दुनिया में कोई बड़ा हादसा पैदा होना वाला है या कोई बड़ा आदमी मरेगा, या पैदा होगा। आपने फ़रमाया कि यह ग़लत ख़्याल है, इसका किसी के मरने जीने से कोई ताल्लुक नहीं, ये शोले तो शैतानों को दफ़ा करने के लिये फेंके जाते हैं।

कलाम का खुलासा यह है कि शिहाबे साकिब के बारे में जो कुछ फ़ल्सफ़ी हज़रत ने कहा है वह भी क़ुरआन के ख़िलाफ़ नहीं, और यह भी कुछ बईद नहीं कि ये शोले डायरेक्ट कुछ सितारों से टूटकर गिराये जाते हैं। क़ुरआन का मक़सद दोनों सूरतों में साबित और स्पष्ट है।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مُوزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ۝ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا

خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ

وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَيْرِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا

الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

वल अर-ज़ मददनाहा व अल्कैना
फीहा रवासि-य व अम्बला फीहा

और ज़मीन को हमने फैलाया और रख
दिये उस पर बोझ और उगाई उसमें हर

मिन् कुल्लि शैइम्-मौज़ून (19) व
जअल्ना लकुम् फीहा मआयि-श व
मल्लस्तुम् लहू विराज़िकीन (20) व
इम्मिन् शैइन् इल्ला अिन्दना
खज़ाइनुहू व मा नुनज़िलुहू इल्ला
बि-क-दरिम्-मअल्म (21) व
अरसल्लरिया-ह लवाकि-ह फ-अज़ल्ना
मिनस्समा-इ माअन् फ-अस्कैनाकुमूह
व मा अन्तुम् लहू बिखाज़िनीन (22)
व इन्ना ल-नह्नु नुस्यी व नुमीतु व
नह्नुल्-वारिसून (23) व ल-कद्
अलिम्नल्-मुस्तक्रिदमी-न मिन्कुम् व
ल-कद् अलिम्नल्-मुस्तअख़िरीन (24)
व इन्-न रब्ब-क हु-व यहशुरुहुम्,
इन्नहू हकीमुन् अलीम (25) ❀

चीज़ अन्दाज़े से। (19) और बना दिये
तुम्हारे वास्ते उसमें गुज़ारे के असबाब
और वो चीज़ें जिनको तुम रोज़ी नहीं
देते। (20) और हर चीज़ के हमारे पास
ख़ज़ाने हैं, और उतारते हैं हम निर्धारित
अन्दाज़े पर। (21) और चलाई हमने हवायें
रस भरी, फिर उतारा हमने आसमान से
पानी फिर तुमको वह पिलाया और तुम्हारे
पास नहीं उसका ख़ज़ाना। (22) और हम
ही हैं ज़िलाने वाले और मारने वाले और
हम ही हैं पीछे रहने वाले। (23) और
हमने जान रखा है आगे बढ़ने वालों को
तुम में से और जान रखा है पीछे रहने
वालों को। (24) और तेरा रब वही इक़द्द
कर लायेगा उनको, बेशक वही है हिक्मतों
वाला ख़बरदार। (25) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने ज़मीन को फैलाया और उस (ज़मीन) में भारी-भारी पहाड़ डाल दिये और उसमें
हर किस्म की (ज़रूरत की पैदावार) एक निर्धारित मिक़दार "मात्रा" से उगाई है। और हमने
तुम्हारे वास्ते उस (ज़मीन) में रोज़ी के सामान बनाये (जिसमें ज़िन्दगी की ज़रूरतों की तमाम
चीज़ें दाख़िल हैं जो खाने-पीने, पहनने और रहने-सहने से संबन्धित हैं) और (यह रोज़ी हासिल
करने और गुज़ारे का सामान और ज़िन्दगी की ज़रूरतें सिर्फ़ तुमको ही नहीं दी बल्कि) उनको भी
दिया जिनको तुम रोज़ी नहीं देते (यानी वो तमाम मख़्लूक़ात जो ज़ाहिर में भी तुम्हारे हाथ से
खाने-पीने और ज़िन्दगी गुज़ारने का सामान नहीं पाते। ज़ाहिर इसलिये कहा गया कि घर के
पालतू जानवर बकरी, गाय, बैल, घोड़ा, गधा वगैरह भी अगरचे हकीकत के एतिबार से अपनी
रोज़ी और गुज़ारे की ज़रूरतें हकीकत में अल्लाह तआला ही की तरफ़ से पाते हैं मगर ज़ाहिरी
तौर पर उनके खाने-पीने और रिहाईश का इन्तिज़ाम इनसानों के हाथों होता है। इनके अलावा
तमाम दुनिया के खुशकी और पानी के जानवर, परिन्दे और दरिन्दे ऐसे हैं जिनके गुज़ारे और

रोजी के सामान में किसी इनसानो इरादे और अमल का कोई दखल और शुब्हा भी नहीं पाया जाता, और ये जानवर इतने बेहद व बेशुमार हैं कि इनसान न उन सब को पहचान सकता है न गिन सकता है।

और जितनी चीजें (जिन्दगी की जरूरतों से संबन्धित) हैं हमारे पास सब खजाने के खजाने (भरे पड़े) हैं। और हम (अपनी खास हिक्मत के मुताबिक) उस (चीज) को एक निर्धारित मिकदार "यानी मात्रा" से उतारते रहते हैं। और हम ही हवाओं को भेजते रहते हैं जो कि बादलों को पानी से भर देती हैं, फिर हम ही आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर वह पानी तुमको पीने को देते हैं, और तुम उसको ज़खीरा करके रखने वाले न थे (कि अगली बारिश तक उस ज़खीरे को इस्तेमाल करते रहते)। और हम ही हैं कि जिन्दा करते हैं और मारते हैं, और (सब के भरने के बाद) हम ही बाकी रह जाएँगे। और हम ही जानते हैं तुम में से आगे बढ़ जाने वालों को और हम जानते हैं पीछे रह जाने वालों को, और बेशक आपका रब ही उन सब को (कियामत में) जमा फरमायेगा (यह इसलिये फरमाया कि ऊपर तौहीद साबित हुई है, इसमें तौहीद के इनकार की सज़ा की तरफ इशारा कर दिया) बेशक वह हिक्मत वाला है (हर शख्स को उसके मुनासिब बदला देगा और) इल्म वाला है (सब के आमाल की उसको पूरी खबर है)।

मअरिफ़ व मसाईल

अल्लाह की हिक्मत, गुज़ारे की जरूरतों में संतुलन व उचितता

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونًا

(हर चीज उसके निर्धारित अन्दाज़े से) का एक मतलब तो वही है जो तर्जुमे में लिया गया है, कि हिक्मत के तकाज़े के तहत हर उगने वाली चीज की एक निर्धारित मात्रा उगाई, जिससे कम हो जाती तो जिन्दगी में दुश्वारियाँ पैदा हो जातीं और ज्यादा हो जाती तो भी मुश्किलें पैदा करती। इनसानी जरूरत के गेहूँ और चावल वगैरह और बेहतर से बेहतर उम्दा फल अगर इतने ज्यादा पैदा हो जायें जो इनसानों और जानवरों से खाने-पीने के बाद भी बहुत बचे रहें तो ज़ाहिर है कि वो सड़ेंगे, उनका रखना भी मुश्किल होगा और फेंकने के लिये जगह भी न रहेगी।

इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की कुदरत में तो यह भी था कि जिन दानों और फलों पर इनसान की जिन्दगी मौकूफ़ (टिकी हुई) है उनको इतना ज्यादा पैदा कर देते कि हर शख्स को हर जगह मुफ्त मिल जाया करते, और बेफिक्री से इस्तेमाल करने के बाद भी उनके बड़े ज़खीरे पड़े रहते, लेकिन यह इनसान के लिये अज़ाब हो जाता, इसलिये एक खास मात्रा में नाज़िल किये गये कि उनकी कद्र व कीमत भी बाकी रहे और बेकार भी न बचें।

और 'मिन् कुल्लि शैइम् मौजून' का एक मतलब यह भी हो सकता है कि तमाम उगने वाली चीजों को अल्लाह तआला ने एक खास मात्रा और संतुलन के साथ पैदा किया है जिससे उसमें हुस्न और दिलकशी पैदा होती है। विभिन्न पेड़ों के तने, शाखें, पत्ते, फूल और फल, विभिन्न

साईज और विभिन्न शक्त, विभिन्न रंग और जायके के पैदा किये गये जिसके संतुलन और हसीन मन्ज़र से तो इन्सान फ़ायदा उठाता है मगर उनकी तफ़्सीली हिक्मतों को जानना किसी इन्सान के बस की बात नहीं।

तमाम मख़्लूक के लिये पानी पहुँचाने और सिंचाई का अल्लाह का अजीब व ग़रीब निज़ाम

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ..... مَا تَتَمَنَّوْنَ لَهُ بِغُرَبٍ ۝

(यानी आयत नम्बर २२ में) अल्लाह की क़ुदरत के उस हकीमाना निज़ाम की तरफ़ इशारा है जिसके ज़रिये स-ए-ज़मीन पर बसने वाले तमाम इन्सान और जानवर, चरिन्दों, परिन्दों, दरिन्दों के लिये ज़रूरत के मुताबिक़ पानी पहुँचाने का ऐसा स्थिर निज़ाम किया गया है कि हर शख्स को हर जगह हर हाल में अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ पीने, नहाने, धोने और खेतियों, दरख़्तों को सींचने के लिये पानी बिना किसी कीमत के मिल जाता है, और जो कुछ किसी को कुओं बनाने या पाईप लगाने पर खर्च करना पड़ता है वह अपनी सहूलतें हासिल करने की कीमत है, पानी के एक कतरे की कीमत भी कोई अदा नहीं कर सकता, न किसी से माँगी जाती है।

इस आयत में पहले तो इसका जिक्र किया गया कि किस तरह अल्लाह की क़ुदरत ने समन्दर के पानी को पूरी ज़मीन पर पहुँचाने का अजीब व ग़रीब निज़ाम बनाया है कि समन्दर में बुख़ारात (भाप व वादल) पैदा फ़रमाये जिनसे बारिश का मवाद (मानसून) पैदा हुआ, ऊपर से हवायें चलाई, फिर पानी से भरे हुए उन हवाई जहाज़ों (यानी बादलों) को दुनिया के हर گوشे में जहाँ-वहाँ पहुँचाना है पहुँचा दें। फिर अल्लाह के फ़रमान के ताबे जिस ज़मीन पर जितना पानी डालने का हुक्म है उसके मुताबिक़ यह अपने आप काम करने वाले हवाई जहाज़ (बादल) वहाँ पानी धरता दें।

इस तरह यह समन्दर का पानी ज़मीन के हर گوشे (कोने और इलाक़े) में बसने वाले इन्सानों और जानवरों को घर बैठे मिल जाये। इसी निज़ाम (व्यवस्था) में एक अजीब व ग़रीब तब्दीली पानी के जायके और दूसरी कैफ़ियतों में पैदा कर दी जाती है, क्योंकि समन्दर के पानी को अल्लाह तआला ने अपनी कामिल हिक्मत से इन्तिहाई खारा और ऐसा नमकीन बनाया है कि हज़ारों टन नमक उससे निकाला और इस्तेमाल किया जाता है। हिक्मत इसमें यह है कि यह अजीमुश्शान पानी का कुरा जिसमें करोड़ों किस्म के जानवर रहते हैं और उसी में मरते और सड़ते हैं और सारी ज़मीन का गन्दा पानी आख़िरकार उसी में जाकर पड़ता है, अगर यह पानी मीठा होता तो एक दिन में सड़ जाता, और इसकी बदबू इतनी ज़्यादा होती कि खुशकी में रहने वालों की तन्दुरुस्ती और ज़िन्दगी भी मुश्किल हो जाती। इसलिये क़ुदरत ने इसको ऐसा तेज़ाबी खारा बना दिया कि दुनिया भर की ग़िलाज़तें (गंदगियाँ और कूड़ा-करकट) उसमें पहुँचकर भस्म हो जाती हैं। यज़ कि इस हिक्मत की बिना पर समन्दर का पानी खारा बल्कि कड़वा बनाया

गया जो न पिया जा सकता है और न उसने प्यास बुझ सकता है। कुदरत के निज़ाम ने जो पानी के हवाई जहाज़ बादलों को शक्ति में तैयार किये उनको सिर्फ़ समन्दरी पानी का ख़ज़ाना ही नहीं बनाया बल्कि मानूसन उठने से लेकर ज़मीन पर बरसने तक उसमें ऐसे बदलाव बग़ैर किसी ज़ाहिरी मशीन के पैदा कर दिये कि उस पानी का नमक अलग होकर मीठा पानी बन गया। सूर: मुर्सलात में इसकी तरफ़ इशारा फ़रमाया है:

وَإِنَّمَا مَاءٌ قَرَأْنَا

इसमें लफ़्ज़ फ़ुरात के मायने हैं ऐसा मीठा पानी जिससे प्यास बुझे। मायने यह हैं कि हम ने बादलों को कुदरती मशीनों से गुज़ार कर समन्दर के खारे और कड़वे पानी को तुम्हारे पीने के लिये शीरीं (मीठा) बना दिया।

सूर: वाकिआ में इसी मज़मून को इरशाद फ़रमाया है:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا

تَشْكُرُونَ

“भला देखो तो पानी को जो तुम पीते हो। क्या तुमने उतारा उसको बादल से या हम हैं उतारने वाले। अगर हम चाहें कर दें उसको खारा फिर क्यों नहीं एहसान मानते।”

यहाँ तक तो अल्लाह की कुदरत की यह करिश्मा साज़ी देखी कि समन्दर के पानी को मीठे पानी में तब्दील करके पूरे रू-ए-जमीन पर बादलों के ज़रिये किस बेहतरीन व्यवस्था के साथ पहुँचाया कि हर खिल्ले के न सिर्फ़ इनसानों को बल्कि उन जानवरों को भी जो इनसानों की मालूमात व खोज से बाहर हैं घर बैठे पानी पहुँचा दिया, और बिल्कुल मुफ़्त बल्कि मजबूर करके ज़बरदस्ती के साथ पहुँचा।

लेकिन इनसान और जानवरों का मसला सिर्फ़ इतनी बात से हल नहीं हो जाता, क्योंकि पानी उनकी ऐसी ज़रूरत है जिसकी आवश्यकता हर दिन बल्कि हर वक़्त है, इसलिये उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने का एक तरीका तो यह था कि हर जगह साल के बारह महीने हर दिन बारिश हुआ करती, लेकिन इस सूरत में उनकी पानी की ज़रूरत तो दूर हो जाती मगर दूसरी आर्थिक ज़रूरतों में कितना ख़लल आता, इसका अन्दाज़ा किसी तजुर्बेकार के लिये मुश्किल नहीं। साल भर के हर दिन की बारिश तन्दुरुस्ती पर क्या असर डालती और कारोबार और चलने-फिरने व सफ़र करने में क्या बाधा पैदा करती।

दूसरा तरीका यह था कि साल भर के ख़ास-ख़ास महीनों में इतनी बारिश हो जाये कि उसका पानी बाकी महीनों के लिये काफ़ी हो जाये, मगर इसके लिये ज़रूरत होती कि हर शख्स का एक कोटा मुक़रर करके उसके सुपुर्द किया जाये कि वह अपने कोटे और हिस्से का पानी खुद अपनी हिफ़ाज़त में रखे।

अन्दाज़ा लगाईये कि अगर ऐसा किया जाता तो हर इनसान इतनी टोकियाँ या बरतन बग़ैरह कहाँ से लाता जिनमें तीन या छह महीने की ज़रूरत का पानी जमा करके रख ले। और अगर

वह किसी तरह ऐसा कर भी लेता तो जाहिर है कि चन्द दिन के बाद यह पानी सड़ जाता और पीने बल्कि इस्तेमाल करने के भी काबिल न रहता, इसलिये अल्लाह की कुदरत ने इसके बाकी रखने और ज़रूरत के वक़्त हर जगह मिल जाने का एक दूसरा अजीब व ग़रीब निज़ाम बनाया कि जो पानी बरसाया जाता है उसका कुछ हिस्सा तो फ़ौरी तौर पर पेड़-पौधों, खेतियों और इनसानों व जानवरों को सैराब करने में काम आ ही जाता है, कुछ खुले तालाबों, झीलों में महफूज़ हो जाता है, और उसके बहुत बड़े हिस्से को बर्फ़ की शकल में जमा हुआ समन्दर बनाकर पहाड़ों की चोटियों पर लाद दिया जाता है, जहाँ तक न गर्द व गुबार की पहुँच है न किसी गन्दगी की। फिर अगर वह पानी बहने वाला होने की सूरत में रहता तो हवा के ज़रिये कुछ गर्द व गुबार या दूसरी ख़राब चीज़ें उसमें पहुँच जाने का ख़तरा रहता, मगर कुदरत ने उस पानी के बड़े और विशाल भण्डार को एक जमा हुआ समन्दर (बर्फ़) बनाकर पहाड़ों पर लाद दिया जहाँ से थोड़ा-थोड़ा रिस कर वह पहाड़ों की रंगों में जम जाता है, और फिर चश्मों की सूरत में हर जगह पहुँच जाता है और जहाँ ये चश्मे भी नहीं हैं तो वहाँ ज़मीन की तह में यह पानी इनसानी रंगों की तरह ज़मीन के हर खिल्ले पर बहता है और कुआँ खोदने से बरामद होने लगता है।

खुलासा यह है कि पानी पहुँचाने का यह कुदरती निज़ाम हज़ारों नेमतें अपने अन्दर लिये हुए है। अब्बल तो पानी को पैदा करना एक बड़ी नेमत है, फिर बादलों के ज़रिये उसको ज़मीन के हर खिल्ले पर पहुँचाना दूसरी नेमत है, फिर उसको इनसान के पीने के काबिल बना देना तीसरी नेमत है, फिर इनसान को उसके पीने का मौका देना चौथी नेमत है, फिर उस पानी को ज़रूरत के मुताबिक़ जमा और महफूज़ रखने की स्थिर व्यवस्था पाँचवीं नेमत है, फिर इनसान को उससे पीने और सैराब होने का मौका देना छठी नेमत है, क्योंकि पानी के मौजूद होते हुए भी ऐसी आफ़तें हो सकती हैं कि उनकी वजह से आदमी पीने पर कादिर न हो। कुरआने करीम की आयत:

فَأَنْقِصْكُمْ مَوَدَّاتِهِ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝

में अल्लाह की इन्हीं नेमतों की तरफ़ इशारा और तंबीह की गई है। वाकई अल्लाह तज़ाला क्या ही उम्दा पैदा करने और बनाने वाला है।

नेक कामों में आगे बढ़ने और पीछे रहने में दर्जों का फ़र्क

وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝

(यानी आयत नम्बर 24) के बारे में मुस्तक्दिमीन (आगे बढ़ने वालों) और मुस्तअख़िरीन (पीछे रहने वालों) की चन्द तफ़्सीरें सहाबा व ताबिईन और तफ़्सीर के इमामों से अलग-अलग मन्कूल हैं:

1. मुस्तक्दिमीन (आगे बढ़ने वाले) वे लोग हैं जो अब तक पैदा हो चुके हैं और

मुस्तअख़िरीन (पीछे रहने वाले) वे जो अभी पैदा नहीं हुए। (कतादा व इक्रिमा)

2. मुस्तकिदमीन से मुराद मौत पा जाने वाले हैं और मुस्तअख़िरीन से वे लोग जो अब जिन्दा हैं। (इब्ने अब्बास, जह्शाक)

3. मुस्तकिदमीन से मुराद उम्मत मुहम्मदिया से पहले हज़रात हैं और मुस्तअख़िरीन से उम्मत मुहम्मदिया। (मुजाहिद)

4. मुस्तकिदमीन से मुराद नेकी व भलाई करने वाले हैं और मुस्तअख़िरीन से नाफ़रमान व गाफ़िल लोग। (हसन व कतादा)

5. मुस्तकिदमीन वे लोग हैं जो नमाज़ की सफ़ों या जिहाद की सफ़ों और दूसरों नेक कामों में आगे रहने वाले हैं, और मुस्तअख़िरीन वे जो इन चीज़ों में पिछली सफ़ों में रहने वाले और देर करने वाले हैं। हसन बसरी, सईद बिन मुसैयब, कुर्तुबी, शअबी वगैरह तफ़्सीर के इमामों की यही तफ़्सीर है। और यह जाहिर है कि दर हक्कीकत इब अक़वाल में कोई ख़ास भिन्नता और टकराव नहीं, सब जमा हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानुहु का कामिल और हर चीज़ को घेरने वाला इल्म इन तमाम किस्मों के 'मुस्तकिदमीन' व 'मुस्तअख़िरीन' पर हावी है।

इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफ़्सीर में फ़रमाया कि इसी आयत से नमाज़ में पहली सफ़ और शुरू वक़्त में नमाज़ अदा करने की फ़ज़ीलत साबित होती है, जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाता कि अज़ान कहने और नमाज़ की पहली सफ़ में खड़े होने की कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है तो तमाम आदमी इसकी कोशिश में लग जाते कि पहली ही सफ़ में खड़े हों और सब के लिये जगह न होती तो कुरा-अन्दाज़ी करना (यानी पर्ची निकालनी) पड़ती।

इमाम कुर्तुबी ने इसके साथ हज़रत कअब का यह क़ौल भी नक़ल किया है कि इस उम्मत में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब वे सज्दे में जाते हैं तो जितने आदमी उनके पीछे हैं सब की मग़फ़िरत हो जाती है। इसी लिये हज़रत कअब रज़ियल्लाहु अन्हु आख़िरी सफ़ में रहना पसन्द करते थे कि शायद अगली सफ़ों में अल्लाह का कोई बन्द्या इस शान का हो तो उसकी बरकत से मेरी मग़फ़िरत भी हो जाये।

और जाहिर यह है कि असल फ़ज़ीलत तो पहली सफ़ ही में है, जैसा कि कुरआन की आयत और हदीस की बज़ाहतों से साबित हुआ, लेकिन जिस शख्स को किसी वजह से पहली सफ़ में जगह न मिली तो उसको भी एक दर्जे में फ़ज़ीलत यह हासिल रहेगी कि शायद अगली सफ़ों के किसी नेक बन्दे की बदौलत उसकी भी मग़फ़िरत हो जाये, और इस जिक्र हुई आयत में जैसे नमाज़ की पहली सफ़ की फ़ज़ीलत साबित हुई इसी तरह जिहाद की पहली सफ़ की अफ़ज़लियत भी साबित हो गई।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝

وَالجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ نَّارِ السَّمُومِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَسْبُغُونَ ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ دَابَّ أَلَّا يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ لَوْ كُنْتُ إِسْجُودًا لَأَسْجُدَ لَبِئْسَ خَلْقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝ قَالَ فَأَخْرِجْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِبِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْجِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝

व ल-कद् खालवनल्-इन्सा-न मिन्
सल्सालिम् मिन् ह-मइम्-मसून
(26) वल्जान्-न खालवनाहु मिन्
कब्लु मिन्-नारिस्समूम (27) व इज्ज
का-ल रब्बु-क लिम्पलाइ-कति इन्नी
खालिकुम् व-शरम्-मिन् सल्सालिम्
मिन् ह-मइम्-मसून (28) फ-इजा
सव्वैतुहू व नफख्तु फीहि मिरूसी
फ-कअ लहू साजिदीन (29)
फ-स-जदल्-मलाइ-कतु फुल्लुहुम्
अज्मअून (30) इल्ला इब्ली-स, अब्बा
अंध्यकू-न मअस्साजिदीन (31) का-ल
या इब्लीसु मा ल-क अल्ला तकू-न

और बनाया हमने आदमी को खनखनाते
सने हुए गारे से। (26) और जिन्न को
बनाया हमने उससे पहले लू की आग से।
(27) और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों
को मैं बनाऊँगा एक बशर खनखनाते सने
हुए गारे से। (28) फिर जब ठीक करूँ
उसको और फूँक दूँ उसमें अपनी जान से
तो गिर पड़ो उसके आगे सज्दा करते
हुए। (29) तब सज्दा किया उन फरिश्तों
ने सब ने मिलकर (30) मगर इब्लीस ने
न माना कि साथ हो सज्दा करने वालों
के। (31) फरमाया- ऐ इब्लीस! क्या हुआ
तुझको कि साथ न हुआ सज्दा करने

मअस्ताजिदीन (32) का-ल लम्
 अकुल्-लिअस्जु-द लि-ब-शरिन्
 खालकतहू मिन् सल्सालिम्-मिन्
 ह-मइम्-मसून (33) का-ल फ़ख़्ज
 मिन्हा फ़-इन्न-क रजीम (34) व
 इन्-न अलैकल्लअन-त इला यौमिदीन
 (35) का-ल रब्बि फ़-अन्ज़िरनी इला
 यौमि युब्असून (36) का-ल
 फ़-इन्न-क मिनल्-मुन्ज़रीन (37)
 इला यौमिल् वक़ितल्-मअलूम (38)
 का-ल रब्बि बिमा अग् वैतनी
 ल-उजय्यिनन्-न लहुम् फिल्अर्जि व
 ल-उरिवयन्नहुम् अज्मअीन (39)
 इल्ला अ़िबाद-क मिन्हुमुल्-मुख़्लसीन
 (40) का-ल हाज़ा सिरातुन् अलय-य
 मुस्तकीम (41) इन्-न अ़िबादी लै-स
 ल-क अ़लैहिम् सुल्लानुन् इल्ला
 मनित्त-ब-अ-क मिनल्-गावीन (42)
 व इन्-न जहन्न-म लमौअिदुहुम्
 अज्मअीन (43) लहा सब्-अ-तु
 अब्बाबिन्, लिकुल्लि बाबिम् मिन्हुम्
 जुज्जुम्-मक्सूम (44) ❀

वालों के? (32) बोला मैं वह नहीं कि
 सज़्दा करूँ एक बशर को जिसको तूने
 बनाया खनखनाते सने हुए गारे से। (33)
 फरमाया तो तू निकल यहाँ से तुझ पर
 मार है। (34) और तुझ पर फटकार है
 उस दिन तक कि इन्साफ़ हो। (35)
 बोला ऐ रब! तू मुझको ढील दे उस दिन
 तक कि मुर्दे जिन्द हों। (36) फरमाया
 तो तुझको ढील दी (37) उसी मुकररा
 वक़्त के दिन तक। (38) बोला ऐ रब!
 जैसा कि तूने मुझको राह से खो दिया मैं
 भी उन सब को बहारें दिखलाऊँगा ज़मीन
 में, और राह से खो दूँगा उन सब को
 (39) मगर जो तेरे चुने हुए बन्दे हैं।
 (40) फरमाया यह राह है मुझ तक
 सीधी। (41) जो मेरे बन्दे हैं तेरा उन पर
 कुछ ज़ोर नहीं, मगर जो तेरी राह चला
 बहके हुआं में। (42) और दोज़ख़ पर
 वादा है उन सब का। (43) उसके सात
 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े के वास्ते उनमें से
 एक फिर्का है बाँटा हुआ। (44) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

और हमने इनसान को (यानी इस नस्ल की जड़ आदम अ़लैहिस्सलाम को) बजती हुई मिट्टी

से जो कि सड़े हुए गारे की बनी हुई थी, पैदा किया (यानी पहले गारे को खूब खमीर किया कि उसमें बू आने लगी, फिर वह खुश्क हो गया कि वह खुश्क होने से खन-खन बोलने लगा जैसा कि मिट्टी के बरतन चुटकी मारने से बजा करते हैं, फिर उस खुश्क गारे से आदम का पुतला बनाया जो बड़ी कुदरत की निशानी है)। और जिन्न को (यानी इस नस्ल की असल जिन्नों के बाप को) उसरो पहले (यानी आदम अलैहिस्सलाम से पहले) आग से कि वह (अपनी बहुत ज्यादा नमी व बारीकी की वजह से) एक गर्म हवा थी, पैदा कर चुके थे (मतलब यह कि चूँकि उस आग में धुएँ के अंश और हिस्से न थे इसलिये वह हवा की तरह नज़र न आती थी, क्योंकि आग का नज़र आना गाढ़े और भारी अंगों के उसमें मिलने से होता है, इसको दूसरी आयत में इस तरह फरमाया है 'व ख-लकल् जान्-न मिम्-मारिजिम् मिन्-नार')।

और वह वक्त याद करने के काविल है जब आपके रब ने फ़रिश्तों से (इरशाद) फ़रमाया कि मैं एक बशर को (यानी उसके पुतले को) बजती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे से बनी होगी, पैदा करने वाला हूँ। सो जब मैं उसको (यानी उसके बदन की हिस्सों को) पूरा बना चुकूँ और उसमें अपनी (तरफ़ से) जान डाल दूँ तो तुम सब उसके सामने सज़दे में गिर पड़ना। सो (जब अल्लाह तआला ने उसको बना लिया तो) सारे के सारे फ़रिश्तों ने (आदम अलैहिस्सलाम को) सज़दा किया, मगर इब्लीस ने, कि उसने इस बात को कुबूल नहीं किया कि सज़दा करने वालों में शामिल हो (यानी सज़दा न किया)। अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि ऐ इब्लीस! तुझको कौनसी बात इसका कारण घनी कि तू सज़दा करने वालों में शामिल न हुआ? कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कि बशर "आदमी" को सज़दा करूँ जिसको आपने बजती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की बनी है, पैदा किया है (यानी ऐसे हकीर व जलील मादे से बनाया गया है क्योंकि मैं आग के नूरानी मादे से पैदा हुआ हूँ तो नूरानी होकर अंधेरे वाली बीज को कैसे सज़दा करूँ)। इरशाद हुआ कि तो (अच्छा फिर) आसमान से निकल, क्योंकि बेशक तू (इस हरकत से) मरदूद हो गया। और बेशक तुझ पर (मेरी) लानत क़ियामत तक रहेगी (जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'अलै-क लअनती' यानी क़ियामत तक तू मेरी रहमत से दूर रहेगा, तौबा की तौफीक़ न होगी और मकबूल व मरहूम न होगा)। और जाहिर है कि क़ियामत तक जो रहमत का हक़दार न हो तो फिर क़ियामत में तो रहम व करम को पाने वाला होने का गुमान व संभावना ही नहीं। पर जिस वक्त तक गुंजाईश व संभावना थी उसकी नफ़ी कर दी, और इसमें यह शुब्हा न किया जाये कि इसमें तो मोहलत माँगने से पहले ही मोहलत देने का वायदा हो गया, बात यह है कि मकसद क़ियामत तक उम्र देना नहीं है कि यह शुब्हा हो, बल्कि मतलब यह है कि दुनिया की जिन्दगी में तो मसऊन है अगरचे यह क़ियामत तक न खिंचे।

कहने लगा (कि अगर मुझको आदम की वजह से मरदूद किया है) तो फिर मुझको (मरने से) मोहलत दीजिये क़ियामत के दिन तक (ताकि उनसे और उनकी औलाद से खूब बदला लूँ)। इरशाद हुआ (जब तू मोहलत माँगता है) तो (जा) तुझको निर्धारित वक्त की तारीख़ तक मोहलत दी गई। कहने लगा कि ऐ मेरे रब! इस सबब से कि आपने मुझको (एक तकदीरी हुक्म

के तहत) गुमराह किया है मैं कसम खाता हूँ कि मैं दुनिया में उनकी (यानी आदम और औलादे आदम की) नज़र में गुनाहों को पसन्दीदा और अच्छा करके दिखलाऊँगा, और उन सब को गुमराह करूँगा, सिवाय आपके उन बन्दों के जो उनमें से चुन लिये गये हैं (यानी आपने उनको मेरे असर से महफूज़ कर रखा है)। इरशाद हुआ कि (हाँ) यह (चुना जाना जिसका तरीका नेक आमाँल और अल्लाह की कामिल फ़रमाँबरदारी है) एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुँचता है (यानी इस पर चलकर हमारा ख़ास और नज़दीकी हो जाता है)। वाकई मेरे इन (ज़िक्र हुए) बन्दों पर तेरा ज़रा भी बस न चलेगा, हाँ मगर जो गुमराह लोगों में से तेरी राह पर चलने लगे (तो चले)। और (जो लोग तेरी राह पर चलेंगे) उन सब का ठिकाना जहन्नम है। जिसके सात दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े (में से जाने) के लिये उन लोगों के अलग-अलग हिस्से हैं (कि कोई किसी दरवाज़े से जायेगा कोई किसी दरवाज़े से)।

मज़ारिफ़ व मसाइल

इनसानी बदन में रूह का फूँकना और उसको फ़रिश्तों के लिये

काबिले सज्दा बनाने की मुख़्तसर तहकीक़

रूह कोई जिस्म है या जौहर-ए-मुजर्रद (सिर्फ़ माददा) इसमें उलेमा व फ़ल्सफ़ी हज़रात का मतभेद पुराने ज़माने से चला आता है। शैख़ अब्दुरज़ज़्ज़ाज़्ज़ मुनावी ने फ़रमाया कि इसमें विद्वानों, विज्ञानियों और फ़ल्सफ़ी हज़रात के अक़वाल एक हज़ार तक पहुँचते हैं, मगर सब अन्दाज़े और क़ियास ही हैं, किसी को यकीनी नहीं कहा जा सकता। इमाम ग़ज़ाली, इमाम राज़ी और उमूमन सूफ़िया और फ़ल्सफ़ी हज़रात का कौल यह है कि वह जिस्म नहीं बल्कि जौहर-ए-मुजर्रद है। इमाम राज़ी ने इसकी बारह दलीलें पेश की हैं।

मगर उम्मत के उलेमा की अक्सरियत और बड़ी जमाअत रूह को एक लतीफ़ जिस्म क़रार देती है। नफ़ख़ के मायने फूँक मारने के हैं अगर अक्सर उलेमा के कौल को लिया जाये और रूह को एक लतीफ़ जिस्म क़रार दिया जाये तो उसको फूँकना ज़ाहिर है, और जौहर-ए-मुजर्रद मान लिया जाये तो फूँकने के मायने उसका बदन से ताल्लुक़ पैदा कर देना होगा।

(तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

रूह और नफ़स के मुताल्लिक़ हज़रत काज़ी

सनाउल्लाह रूह की तहकीक़

यहाँ इस लम्बी-चौड़ी बहस को छोड़कर एक ख़ास तहकीक़ को काफ़ी सपझा जाता है जो तफ़सीर-ए-मज़हरी में काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने तहरीर फ़रमाई है।

हज़रत काज़ी साहिब फ़रमाते हैं कि रूह की दो क़िस्म हैं- उलवी और सिफ़ली। उलवी रूह

मादे से मुजरद (खाली) अल्लाह तआला की एक मख्लूक है क्योंकि वह अर्श से ज्यादा लतीफ है और उलवी रूह कश्फी नजर से ऊपर नीचे पाँच दर्जों में महरूस की जाती है, वो पाँच ये हैं: दिल, रूह, सिर, खफी, अख्फा और ये सब आलम-ए-अमर के लताईफ में से हैं, जिसकी तरफ कुरआने करीम ने इशारा फरमाया है:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

(कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। सूर: बनी इस्राईल आयत 85)

और सिफली रूह यह लतीफ बुखार है जो इनसानी बदन के चारों तत्व आग, पानी, मिट्टी, हवा से पैदा होता है, और इसी सिफली रूह को नफ्स कहा जाता है।

अल्लाह तआला ने इस सिफली रूह को जिसे नफ्स कहा जाता है ऊपर जिक्र हुई उलवी रूहों का आईना बना दिया है। जिस तरह आईना जघ सूरज के सामने किया जाये तो सूरज के बहुत दूर होने के बावजूद उसमें सूरज का अक्स आ जाता है और रोशनी की वजह से वह भी सूरज की तरह चमक उठता है और सूरज की हारत भी उसमें आ जाती है जो कपड़े को जला सकती है। इसी तरह उलवी रूहें अगरचे अपने तजरुद (पादूदे से खाली होने) की वजह से बहुत बुलन्द व बाला और बहुत दूरी पर हैं मगर उनका अक्स इस सिफली रूह के आईने में आकर उलवी रूहों की कैफियतों व आसार इसमें मुत्तफिल कर देता है और यही आसार जो नफ्सों में पैदा हो जाते हैं हर-हर फ़र्द के लिये रूहों के अंश और हिस्से कहलाते हैं।

फिर यह सिफली रूह जिसको नफ्स कहते हैं अपनी उन कैफियतों व आसार के साथ जिनको उलवी रूहों से हासिल किया है, इसका ताल्लुक इनसानी बदन में सबसे पहले गोश्त के लोथड़े दिल से होता है और इस ताल्लुक ही का नाम हयात और जिन्दगी है। सिफली रूह के ताल्लुक से सबसे पहले इनसान के दिल में जिन्दगी और वे उलूम व एहसासात पैदा होते हैं जिनको नफ्स ने उलवी रूहों से हासिल किया है। यह सिफली रूह पूरे बदन में फैली हुई बारीक रगों में घुस जाती है, जिनको शराईन कहा जाता है, और इस तरह वह पूरे इनसानी बदन के हर हिस्से में पहुँच जाती है।

सिफली रूह के इनसानी बदन में समा जाने ही को रूह फूँकने से ताबीर किया गया है क्योंकि यह किसी घीज़ में फूँक भरने से बहुत मुशाबा (मिलती-जुलती) है।

और ऊपर बयान हुई इस आयत में अल्लाह तआला ने रूह को अपनी तरफ मन्सूब करके 'मिरूही' इसलिये फरमाया है कि तमाम मख्लूक़ात में इनसानी रूह का सम्मानित व आला रुतबे वाला होना वाज़ेह हो जाये। क्योंकि यह बग़ैर मादे के सिर्फ अल्लाह के हुक्म से पैदा हुई है, तथा इसमें अल्लाह की तजल्लियात (नूरानी किरनों) को कुबूल करने की ऐसी काबलियत है जो इनसान के अलावा किसी दूसरे जानदार की रूह में नहीं है।

और इनसान की पैदाईश में अगरचे ग़ालिब तत्व मिट्टी का है और इसी लिये कुरआने करीम में इनसान की पैदाईश को मिट्टी की तरफ मन्सूब किया गया है, लेकिन हकीकत में वह दस चीज़ों का जाये है, जिनमें पाँच आलम-ए-खल्क की हैं और पाँच आलम-ए-अमर की। आलम-ए-

खल्क के चार तत्व आग, पानी, मिट्टी, हवा और पाँचवाँ इन चारों से पैदा होने वाला लतीफ़ बुखार जिसको सिफ़ली रूह या नफ़्स कहा जाता है, और आलम-ए-अमूर की पाँच चीज़ें वो हैं जिनका जिक्र ऊपर किया गया है यानी दिल, रूह, सिर, ख़फ़ी, अख़फ़ा।

इसी पूर्णता के सबब इनसान अल्लाह की ख़िलाफ़त का पात्र बना, और मारिफ़त के नूर और इश्क़ व मुहब्बत की आग का बरदाश्त करने वाला हुआ, जिसका नतीजा बिना कैफ़ियत के अल्लाह के साथ (यानी ताईद व मदद) का हासिल होना है, क्योंकि रसूले-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम का इरशाद है:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

“यानी हर इनसान उस फ़र्द के साथ होगा जिससे उसको मुहब्बत है।”

और इनसान में अल्लाह की तजल्लियों (मारिफ़त व नूर) की क़ाबलियत और अल्लाह का साथ (यानी उसकी मदद व ताईद) नसीब होने का जो दर्जा इसको हासिल है उसी की वजह से अल्लाह की हिक्मत का तकाज़ा यह हुआ कि इसको फ़रिश्तों से सज्दा कराया जाये। चुनाँचे इरशाद हुआ:

فَقَعُوا لَهُ السَّجْدَ

सज्दे का हुक्म फ़रिश्तों को हुआ था इब्लीस उनके साथ होने की वजह से उसमें शामिल करार दिया गया

सूर: आराफ़ में इब्लीस को ख़िताब करके इरशाद फ़रमाया है:

مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

इससे मालूम होता है कि सज्दे का हुक्म फ़रिश्तों के साथ इब्लीस को भी दिया गया था, इसी लिये इस सूरत की जो आयतें अभी आपने पढ़ी हैं जिनसे बज़ाहिर इस हुक्म का फ़रिश्तों के लिये खास होना मालूम होता है, इसका मतलब यह हो सकता है कि डायरेक्ट तौर पर यह हुक्म फ़रिश्तों को दिया गया है मगर इब्लीस भी चूँकि फ़रिश्तों के अन्दर मौजूद था इसलिये उन्हीं के ताबे करार देकर वह भी इस हुक्म में शामिल था। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के सम्मान व इकराम के लिये जब अल्लाह तआला की इतनी बड़ी बुज़ुर्ग मख़्लूक फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया तो दूसरी मख़्लूक का उनके ताबे होकर उस हुक्म में दाख़िल होना बिल्कुल ज़ाहिर था, इसी लिये इब्लीस ने ज़वाब में यह नहीं कहा कि मुझे सज्दे का हुक्म दिया ही नहीं गया तो तामील न करने का जुर्म मुझ पर आयद नहीं होता। और शायद कुरआने-करीम के अलफ़ाज़:

أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ

(कि सज्दा करने वालों के साथ सज्दा करने से मना कर दिया) में भी इसकी तरफ़ इशारा हो कि यह नहीं फ़रमाया कि उसने सज्दा नहीं किया, बल्कि यह फ़रमाया कि सज्दा करने वालों

के साथ रहने और हुक्म की तामील करने से उसने इन्कार कर दिया।

जिससे इसकी तरफ इशारा पाया जाता है कि असल सज्दा करने वाले तो फ़रिश्ते ही थे, मगर अक्ली तौर पर लाज़िम था कि इब्लीस भी जब उनमें मौजूद था तो वह भी सज्दा करने वाले फ़रिश्तों के साथ शामिल हो जाता, उसके शामिल न होने पर नाराज़गी व गुस्से का इज़हार फ़रमाया गया।

अल्लाह तआला के ख़ास बन्दों पर शैतान का बस न चलने के मायने

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ

(यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 42) से मालूम होता है कि अल्लाह तआला के मख्सूस और चुनिन्दा बन्दों पर शैतानी फ़रेब का असर नहीं होता, मगर आदम अल्लैहिस्सलाम के इसी वाकिए में यह भी बयान हुआ है कि आदम व हव्वा पर उसका फ़रेब चल गया। इसी तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में कुरआने करीम का इरशाद है:

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بَعْضَ مَا كَسَبُوا. (آل عمران)

जिससे मालूम होता है कि सहाबा पर भी शैतान का फ़रेब उस मौके पर चल गया।

इसलिये उक्त आयत में अल्लाह के मख्सूस बन्दों पर शैतान का कब्ज़ा व इख़्तियार न होने का मतलब यह है कि उनके दिलों व अक्लों पर शैतान का ऐसा कब्ज़ा नहीं होता कि वे अपनी ग़लती पर किसी वक़्त सचेत व आगाह ही न हों, जिसकी वजह से उनको तौबा नसीब न हो, या कोई ऐसा गुनाह कर बैठें जिसकी मग़फ़िरत न हो सके।

और ऊपर बयान हुए वाक़िआत इसके विरुद्ध नहीं, क्योंकि आदम व हव्वा अल्लैहिस्सलाम ने तौबा की और यह तौबा कुबूल हुई। इसी तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी तौबा कर ली थी और शैतान के फ़रेब से जिस गुनाह में मुक्तला हुए वह माफ़ कर दिया गया।

जहन्नम के सात दरवाज़े

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ

इमाम अहमद, इब्ने जरीर तबरी और इमाम बैहकी ने हज़रत अली करमल्लाहु वज्हू की रिवायत से लिखा है कि जहन्नम के सात दरवाज़े ऊपर नीचे सात तब्कों (दर्जों) के एतिबार से हैं, और कुछ हज़रत ने उनको आम दरवाज़ों की तरह करार दिया है, हर दरवाज़ा ख़ास किस्म के मुजरिमों के लिये रिज़र्व होगा। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ أَدْخُلُوهَا لَيْسَ فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ فِيهَا يَمُوتُونَ ۖ وَيُزَعْنَ مَا فِي صُدُورِهِمْ
 مِنْ عِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۖ لَا يُسْمِعُ فِيهَا النَّصَبُ ۖ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ ۖ تَبَىٰ عِبَادِي
 أَيُّ أَتَا الْعَفْوَ الرَّحِيمِ ۖ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۖ

इन्नलू-मुत्तकी-न फी जन्नातिंव-व
 अयून (45) उदखुलूहा बि-सलामिन्
 आमिनीन (46) व नज़अना मा फी
 सुदूरिहिम् मिन् गिल्लिन् इख्वानन्
 अला सुरुरिम् मु-तकाबिलीन (47)
 ता यमस्सुहुम् फीहा न-सबुव-व मा
 हुम् मिन्हा बिमुख्रजीन (48) नब्बिअ
 अबादी अन्नी अनलू-गफूरुर-रहीम
 (49) व अन-न अजाबी हुवल-
 अजाबुल् अलीम (50)

परहेजगार हैं बागों में और चश्मों में ।
 (45) कहेंगे उनको जाओ उनमें सलामती
 से दिल के इत्मीनान के साथ । (46) और
 निकाल डाली हमने जो उनके जियों में
 थी नाराज़गी, भाई हो गये तख्तों पर बैठे
 आमने सामने । (47) न पहुँचेगी उनको
 यहाँ कुछ तकलीफ और न उनको वहाँ से
 कोई निकाले । (48) खबर सुना दे मेरे
 बन्दों को कि मैं हूँ असल बख़्शने वाला
 मेहरवान । (49) और यह भी कि मेरा
 अज़ाब वही अज़ाब है दर्दनाक । (50)

खुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक खुदा से डरने वाले (यानी ईमान वाले) बागों और चश्मों में (बसते) होंगे (चाहे शुरू
 ही से अगर नाफरमानी न हो, या माफ हो गई हो, और चाहे नाफरमानी की सज़ा भुगतने के
 बाद । उनसे कहा जायेगा कि) तुम इन (बागों और चश्मों) में सलामती और अमन के साथ
 दाखिल हो (यानी इस वक़्त भी हर नापसन्द चीज़ से सलामती है और आईन्दा भी कभी किसी
 तर का अन्देशा नहीं) । और (दुनिया में तबई तक्ज़े से) उनके दिलों में जो कीना था हम वह
 सब (उनके दिलों से जन्नत में दाखिल होने के पहले ही) दूर कर देंगे कि सब भाई-भाई की तरह
 (सलामत व मुहब्बत से) रहेंगे, तख्तों पर आमने-सामने बैठा करेंगे । वहाँ उनको ज़रा भी तकलीफ
 न पहुँचेगी और न वे वहाँ से निकाले जाएँगे । (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) आप
 से बन्दों को इत्तिला दे दीजिये कि मैं बड़ा मग़फ़िरत और रहमत वाला भी हूँ और (साथ ही)
 यह कि मेरी सज़ा (भी) दर्दनाक सज़ा है (ताकि इससे अवगत होकर ईमान और तक्वे की तरफ
 धिक्के लें और कुफ़ व नाफरमानी से ख़ौफ पैदा हो) ।

मअरिफ व मसाईल

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जन्नत वाले जब जन्नत में दाख़िल होंगे तो सबसे पहले उनके सामने पानी के दो चश्मे पेश किये जायेंगे। पहले चश्मे से वे पानी पियेंगे तो उन सब के दिलों से आपसी रंजिश जो कभी दुनिया में पेश आई थी और तबई तौर पर उसका असर आख़िर तक मौजूद रहा, वह सब धुल जायेगा और सब के दिलों में आपसी मुहब्बत व उलफ़त पैदा हो जायेगी, क्योंकि आपसी रंजिश भी एक तकलीफ़ व अज़ाब है और जन्नत हर तकलीफ़ से پاک है।

और सही हदीस में जो यह आया है कि जिस शख्स के दिल में ज़रा बराबर भी कीना किसी मुसलमान से होगा वह जन्नत में न जायेगा, इससे पुराद वह कीना और बुग़ज़ है जो दुनियावी गुर्ज़ से और अपने इरादे व इख़्तियार से हो, और इसकी वजह से यह शख्स उसके पीछे लगा रहे कि जब मौका पाये अपने दुश्मन को तकलीफ़ और नुक़सान पहुँचाये, तबई नागवारी जो इन्सानी ख़ासियत में से और ग़ैर-इख़्तियारी है वह इसमें दाख़िल नहीं। इसी तरह जो किसी शरई बुनियाद पर आधारित हो ऐसे ही बुग़ज़ व दिली नागवारी का ज़िक्र इस आयत में है कि जन्नत वालों के दिलों से हर तरह का आपसी मनमुटाव और रंजिश दूर कर दी जायेगी।

इसी के बारे में हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू ने फ़रमाया कि "मुझे उम्मीद है कि मैं और तल्हा और जुबैर उन्हीं लोगों में से होंगे जिनके दिलों का गुबार जन्नत में दाख़िले के धक्ते दूर कर दिया जायेगा।"

इशारा उन मतभेदों और आपसी विवादों की तरफ़ है जो इन हज़रात और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच पेश आये थे।

لَا يَتَسَاءَلُونَ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ بِمِنهَا بِمُخْرَجِينَ ۝

इस आयत से जन्नत की दो विशेषतायें मालूम हुईं- अक्वल यह कि किसी को कभी थकान और कमज़ोरी महसूस न होगी, बख़िलाफ़ दुनिया के कि यहाँ मेहनत व मशक्कत के कामों से तो कमज़ोरी व थकान होती ही है ख़ालिस आराम और तफ़रीह से भी किसी न किराी वक़्त आदमी थक जाता है और कमज़ोरी महसूस करने लगता है, चाहे वह कितना ही लज़ीज़ (मज़ेदार) काम और मशग़ला हो।

दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो आराम व राहत और नेमतें वहाँ किसी को मिल जायेंगी फिर वो हमेशा के लिये होंगी, न वे नेमतें कभी कम होंगी और न उनमें से उस शख्स को निकाला जायेगा। सूरः सौद में इरशाद है:

إِنَّ هَذَا كَرْرٌ لَّنَا مَالَهُ مِنْ تَفَادٍ ۝

यानी यह हमारा रिज़क है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और इस आयत में फ़रमाया:

وَمَا هُمْ بِمِنهَا بِمُخْرَجِينَ ۝

यानी उनको कभी उन नेमतों व राहतों से निकाला नहीं जायेगा। बखिलाफ़ दुनियावी मामलात के कि यहाँ अगर कोई किसी को बड़े से बड़ा इनाम व राहत दे भी दे तो यह खतरा हर वक्त लगा रहता है कि जिसने ये इनामात दिये हैं वह किसी वक्त नाराज़ होकर यहाँ से निकाल देगा।

एक तीसरा शुब्हा व गुमान जो यह था कि न जन्नत की नेमतें खत्म हों और न उसको वहाँ से निकाला जाये मगर वह खुद ही वहाँ रहते-रहते उकता जाये और बाहर जाना चाहे, कुरआने करीम ने इस शुब्हे व संभावना को भी एक जुमले में इन अलफ़ाज़ से खत्म कर दिया है कि:

لَا يَغْوَنَ عَنْهَا جَوْلًا ۝

यानी ये लोग भी वहाँ से पलट कर आने की कभी इच्छा न करेंगे।

وَبَدَّيْنَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۝ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝ قَالَ أَبَشْرُ تُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمِ تَبَشِّرُونِ ۝ قَالُوا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَاطِئِينَ ۝ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ إِلَّا آلَ لُوطٍ مَّا نَاكُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا مِنَ الْغَائِبِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۝ قَالُوا بَلْ جُنُنُكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۝ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوْلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۝ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ۝ قَالُوا أَوَلَمْ نُنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ ۝ كَعَصْرِكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ۝ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّئِينَ ۝ وَإِنَّهَا لِبَسْبِيلٍ مُّقِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

व नब्बिअहुम् अन् ज़ैफि इब्राहीम।
(51) इज़् द-ख़ालू अलैहि फ़क़ालू
सलामन्, क़ा-ल इन्ना मिन्कुम्
वजिलून (52) क़ालू ला तौजल् इन्ना

और हाल सुना दे उनको इब्राहीम के
मेहमानों का। (51) जब चले आये उसके
घर में और बोले सलाम, वह बोला हमको
तुमसे डर मालूम होता है। (52) बोले डर

वक्त लाज़

१५

नबुशिशरु-क विगुलामिन् अलीम
 (53) का-ल अ-वशशरुतुमूनी अला
 अम्पस्सन्नियत्-कि-वरु फ़वि-म
 तुबशिशरुन (54) कालू वशशरुना-क
 बिल्हक्कि फ़ला तकुम् मिनल्-
 कानितीन (55) का-ल व मय्यक्नतु
 मिर्रह्मति रब्बिही इल्लज्जाल्लून
 (56) का-ल फ़मा छात्बुकुम्
 अव्युहल्-मुसलून (57) कालू इन्ना
 उर्सिल्ला इला कौमिम्-मुज्जिमीन
 (58) इल्ला आ-ल लूतिन्, इन्ना
 लमुनज्जूहुम् अज्मज़ीन (59)
 इल्लम्-र-अ-लहू क़दरना इन्नहा
 लमिनल्-गाबिरीन (60) ❀
 फ़-लम्मा जा-अ आ-ल लूति-निल्-
 -मुसलून (61) का-ल इन्नकुम्
 कौमुम्-मुन्करून (62) कालू बल्
 जिअना-क विमा कानू फ़ीहि यम्तरून
 (63) व अतैना-क बिल्हक्कि व इन्ना
 लसादिकून (64) फ़-अस्ति विअस्ति-क
 बिकित्तिअम् मिनल्लैलि वत्तबिअ
 अद्बारहुम् व ला यत्तफ़ित् मिन्कुम्
 अ-हदुव्यज़ू हैसु तुअपरून (65) व
 कज़ैना इल्लैहि ज़ालिकल्-अम्-र

मत हम तुझको खुशखबरी सुनाते हैं एक
 होशियार लड़के की। (53) बोला क्या
 खुशखबरी सुनाते हो मुझको जब पहुँच
 चुका मुझको बुढ़ाया, अब किस चीज़ पर
 खुशखबरी सुनाते हो? (54) बोले हमने
 तुझको खुशखबरी सुनाई सच्ची, सी मत
 हो तू नाउम्मीदों में। (55) बोला और
 कौन आस तोड़े अपने रब की रहमत से
 मगर जो गुमराह हैं। (56) बोला फिर क्या
 मुहिम है तुम्हारी ऐ अल्लाह के भेजे हुआ।
 (57) बोले हम भेजे हुए आये हैं एक
 गुनाहगार कौम पर। (58) मगर लूत के
 घर वाले, हम उनको बचा लेंगे सब को
 (59) मगर एक उसकी औरत, हमने उहरा
 लिया, वह है रह जाने वालों में। (60) ❀
 फिर जब पहुँचे लूत के घर वे भेजे हुए।
 (61) बोला तुम लोग हो ओपरे
 (अजनबी)। (62) बोले नहीं! पर हम
 लेकर आये हैं तेरे पास वह चीज़ जिरामें
 वे झगड़ते थे। (63) और हम लाये हैं तेरे
 पास पक्की-बात और हम सच कहते हैं।
 (64) *सो ले निकल अपने घर वालों को
 कुछ रात रहे से, और तू चल उनके पीछे
 और मुड़कर न देखे तुममें से कोई, और
 चले जाओ जहाँ तुम्हको हुक्म है। (65)
 और मुक़रर कर दी हमने उसको यह बात

अन्-न दाबि-र हाउला-इ मक्तूअुम्-
 मुस्बिहीन (66) व जा-अ अस्तुल्-
 मदीनति यस्तब्शिरून (67) का-ल
 इन्-न हाउला-इ जैफी फ़ला तफ़्जहून
 (68) वक्तकुल्ला-ह व ला तुख़्ज़ून
 (69) कालू अ-व लम् नन्ह-क अनिल्-
 आलमीन (70) का-ल हाउला-इ
 बनाती इन् कुन्तुम् फ़ाअिलीन (71)
 ल-अम्क-क इन्नहुम् लफी सक्कतिहिम्
 यअूमहून (72) फ-अ-ख़ज़त्हुमुस्सैहतु
 मुशिकीन (73) फ-जअल्ना आलि-यहा
 साफ़ि-लहा व अम्तरना अलैहिम्
 हिजा-रतम् मिन् सिज्जील (74)
 इन्-न फी ज़ालि-क लआयातिल्
 लिल्-मु-तवस्सिमीन (75) व इन्नहा
 लबि-सबीलिम् मुक़ीम (76) इन्-न
 फी ज़ालि-क लआ-यतल् लिल्-
 मुअ्मिनीन (77)

कि उनकी जड़ कटेगी सुबह होते। (66)
 और आये शहर के लोग खुशियाँ करते।
 (67) लूत ने कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं
 सो मुझको रुस्वा मत करो। (68) और
 डरो अल्लाह से और मेरी आबरू मत
 खोओ। (69) बोले क्या हमने तुझको
 मना नहीं किया जहान की हिमायत से।
 (70) बोला ये हाज़िर हैं मेरी बेटियाँ
 अगर तुमको करना है। (71) कसम है
 तेरी जान की वे अपनी मस्ती में मदहोश
 हैं। (72) फिर आ पकड़ा उनको चिंघाड़
 ने सूरज निकलते वक़्त। (73) फिर कर
 डाली हमने वह बस्ती ऊपर तले और
 बरसाये उन पर पत्थर खिंगर के। (74)
 बेशक इसमें निशानियाँ हैं ध्यान करने
 वालों को। (75) और वह बस्ती स्थित है
 सीधी राह पर। (76) यकीनन उसमें
 निशानी है ईमान वालों के लिये। (77)

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) आप उन (लोगों) को इब्राहीम (अलैहिस्सलाम)
 के मेहमानों (के किस्से) की भी इत्तिला दीजिये (वह किस्सा उस वक़्त पेश आया था) जबकि वे
 (मेहमान जो कि हकीकत में फ़रिश्ते थे और इंसानी शक्ल में होने की वजह से हज़रत इब्राहीम
 अलैहिस्सलाम ने उनको मेहमान समझा) उनके (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के) पास आये।
 फिर (आकर) उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा, (इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको मेहमान समझकर
 फौरन उनके लिये खाना तैयार कर लाये, मगर चूँकि वे फ़रिश्ते थे, उन्होंने खाया नहीं, तब)

इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) दिल में डरे कि ये लोग खाना क्यों नहीं खाते। क्योंकि वे फ़रिश्ते इनसानी शक्ल में थे, उनको इनसान ही समझा और खाना न खाने से शुक्ल हुआ कि ये लोग कहीं गुलामिफ न हों, और) कहने लगे कि हम तो तुम से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप डर नहीं, हम (फ़रिश्ते हैं, अल्लाह की तरफ से एक खुशख़बरी लेकर आये हैं और) आपको एक फ़रज़न्द "थानी लड़के" की खुशख़बरी देते हैं जो बड़ा अलिम होगा (मतलब यह कि नबी होगा, क्योंकि आदमियों में सबसे ज्यादा इल्म अम्बिया को होता है। मुराद उस बेटे से इस्हाक अलैहिस्सलाम हैं और दूसरी आयतों में हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम के साथ याक़ूब अलैहिस्सलाम की खुशख़बरी भी जिक्र हुई है)।

इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) कहने लगे कि क्या तुम मुझको इस हालत में (बेटे) की खुशख़बरी देते हो कि मुझ पर बुढ़ापा आ गया। सो (ऐसी हालत में मुझको) किस चीज़ की खुशख़बरी देते हो (मतलब यह कि यह बात अपने आप में अजीब है, न यह कि कुदरत से दूर है)। वे (फ़रिश्ते) बोले कि हम आपको एक चीज़ की खुशख़बरी देते हैं (यानी बेटे का पैदा होना यकीनन होने वाला है) सो आप नाउम्मीद न हों (यानी अपने बुढ़ापे पर नज़र न कीजिये कि ऐसे आदी असबाब पर नज़र करने से नाउम्मीदी के वस्वसे ग़ालिब होते हैं)। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि भला अपने रब की रहमत से कौन नाउम्मीद होता है सिवाय गुमराह लोगों के (यानी मैं नबी होकर गुमराहों की सिफ़त अपने अन्दर कैसे रख सकता हूँ। मक़सद सिर्फ़ इस मामले के अजीब होने को बयान करना है, बाकी अल्लाह का वायदा सच्चा और मुझको उम्मीद से बढ़कर उसका काफ़िल यकीन है। उसके बाद नुबुव्वत की समझ से आपको मालूम हुआ कि इन फ़रिश्तों के आने से खुशख़बरी के अलावा और भी कोई बड़ी मुहिम मक़सद है, इसलिये) फ़रमाने लगे कि (जब हालत य अन्दाज़े और इशारात से मुझको यह मालूम हो गया कि तुम्हारे आने का कुछ और भी मक़सद है) तो (यह बतलाओ कि) अब तुमको क्या मुहिम पेश आई है ऐ फ़रिश्तो! फ़रिश्तों ने कहा कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ़ (उनको सज़ा देने के लिये) भेजे गये हैं (इससे मुराद कौम-ए-लूत है)। मगर लूत (अलैहिस्सलाम) का ख़ानदान, कि हम उन सब को (अज़ाब से) बचा लेंगे (यानी उनको बचने का तरीका बतला देंगे कि उन मुजरिमों से अलग हो जायें) सिवाय उनकी (थानी लूत अलैहिस्सलाम की) बीवी के कि हमने उसके बारे में तय कर रखा है कि वह ज़रूर उसी मुजरिम कौम में रह जायेगी (और उनके साथ अज़ाब में गिरफ़्तार और मुब्तला होगी)।

फिर जब वे फ़रिश्ते लूत (अलैहिस्सलाम) के ख़ानदान के पास आये (तो चूँकि इनसानी शक्ल में थे इसलिये) कहने लगे, तुम तो अजनबी आदमी (मालूम होते) हो (देखिये शहर वाले तुम्हारे साथ क्या सुलूक करते हैं, क्योंकि ये अजनबी लोगों को परेशान किया करते हैं)। उन्होंने कहा, नहीं! (हम आदमी नहीं) बल्कि हम (फ़रिश्ते हैं) आपके पास यह चीज़ (यानी वह अज़ाब) लेकर आये हैं जिसमें ये लोग शक़ किया करते थे। और हम आपके पास यकीनी होने वाली

घोड़ (यानी अज़ाब) लेकर आये हैं और हम (इस ख़बर देने में) बिल्कुल सच्चे हैं। सो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर (यहाँ से) चले-जाइये, और आप सब कं पीछे हो लीजिये (ताकि कोई रह न जाये, या लौट न जाये। और आपके रौब और डर की वजह से कोई पीछे मुड़कर न देखे जिसकी मनाही कर दी गई है), और तुम में से कोई पीछे फिरकर भी न देखे (यानी सब जल्दी चले जायें) और जिस जगह (जाने का) तुमको हुक्म हुआ है उस तरफ़ सब चले जाओ। (तफ़सीर दुर्रे-मन्सूर में सुद्दी के हवाले से नक़ल किया है कि वह जगह मुल्के शाम है, जिसकी तरफ़ हिजरत करने का उन हज़रात को हुक्म दिया गया था)।

और हमने (उन फ़रिश्तों के वास्ते से) लूत (अलैहिस्सलाम) के पास यह हुक्म भेजा कि सुबह होते ही उनकी बिल्कुल जड़ ही कट जाएगी (यानी बिल्कुल हलाक व बरबाद हो जायेंगे। फ़रिश्तों की यह बातचीत तरतीब के एतिबार से उस किस्से के बाद हुई है जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है, लेकिन इसको ज़िक्र करने में इसलिये पहले लाया गया कि किस्सा बयान करने से जो बात मक़सद है यानी नाफ़रमानों पर अज़ाब और फ़रमाँबरदारों की निजात व कामयाबी, वह पहले ही एहतिमाम के साथ मालूम हो जाये। अगला किस्सा यह है)।

और शहर के लोग (यह ख़बर सुनकर कि लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ हसीन लड़के आये हैं) ख़ूब खुशियाँ करते हुए (अपनी बुरी नीयत और बुरे इरादे के साथ लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचें)। लूत (अलैहिस्सलाम) ने (जो अब तक उनको आदमी और अपना मेहमान ही समझ रहे थे उनके बुरे इरादों का एहसास करके) फ़रमाया कि ये लोग मेरे मेहमान हैं (इनको परेशान करके) मुझको (आप लोगों में) रुस्वा न करो (क्योंकि मेहमान की तौहीन मेज़बान की तौहीन होती है, अगर तुम्हें इन परदेसियों पर रहम नहीं आता तो कम से कम मेरा ख़्याल करो कि मैं तुम्हारी बस्ती का रहने वाला हूँ। इसके अलावा जो इरादा तुम कर रहे हो वह अल्लाह तआला के क़हर व ग़ज़ब का सबब है)। तुम अल्लाह तआला से डरो और मुझको (इन मेहमानों की नज़र में) रुस्वा मत करो (कि मेहमान यह समझेंगे कि अपनी बस्ती के लोगों में भी इनकी कोई वक़अत नहीं)। वे कहने लगे (कि यह रुस्वाई हमारी तरफ़ से नहीं आपने खुद अपने हाथों ख़रीदी है कि इनको मेहमान बनाया) क्या हम आपको दुनिया भर के लोगों (को अपना मेहमान बनाने) से (कई बार) मना नहीं कर चुके (न आप इनको मेहमान बनाते न इस रुस्वाई की नौबत आती)। लूत (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि (यह बतलाओ कि इस बेहूदा हरकत की क्या ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें किसी को मेहमान बनाने की भी इजाज़त नहीं दी जाती, जिन्सी इच्छा को पूरी करने के तबई तकाज़े के लिये) ये मेरी (बहू-) बेटियाँ (जो तुम्हारे घरों में) मौजूद हैं, अगर तुम मेरा कहना करो (तो शरीफ़ाना तौर पर अपनी औरतों से अपना मतलब पूरा करो मगर वे किसकी सुनते थीं)। आपकी जान की क़सम! वे अपनी मस्ती में मदहोश थे। पस सूरज निकलते-निकलते उनको सख़्त आवाज़ ने आ दबाया (यह तर्जुमा मुश्किन का है, इससे पहले जो मुस्विहीन का तफ़ज़ आया है जिसके मायने सुबह होते-होते के हैं, इन दोनों को इस तरह जमा किया जाना मुम्किन है कि सुबह से शुरूआत हुई और इश्राक तक खात्मा हुआ)।

फिर (जब साख्त आवाज़ के बाद) हमने उन बातियों (की ज़मीन को उलट कर उन) को ऊपर का तख़्ता (तो) नीचे कर दिया (और नीचे का तख़्ता ऊपर कर दिया) और उन लोगों पर कंकड़ के पत्थर बरसाने शुरू किये। इस बाकिए में कई निशानियाँ हैं अक्ल रखने वालों के लिये (जैसे एक तो यह कि बुरे फल का नतीजा आखिरकार बुरा होता है, अगर कुछ दिन मोहलत और ढील मिल जाये तो उससे थोखा न खाना चाहिये। दूसरे यह कि हमेशा की और बाकी रहने वाली राहत व इज़्जत सिर्फ़ अल्लाह तआला पर ईमान और उसकी फरमाँबरदारी पर मौकूफ़ है। तीसरे यह कि अल्लाह तआला की कुदरत को इन्तानी कुदरत पर अन्दाज़ा व गुमान करके धोखे में मुस्तला न हों, अल्लाह तआला के कब्ज़ा-ए-कुदरत में सब कुछ है, वह ज़ाहिरी असबाब के खिलाफ़ भी जो चाहे कर सकता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का विशेष सम्मान व इकराम

अल्लाह तआला ने फरमाया- 'ल-अमूरु-क'। तफ़सीर रुहुत-मआनी में मुफ़त्सरीन की अक्सरियत का कौल यह नक़ल किया है कि 'ल-अमूरु-क' के मुखातब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। अल्लाह तआला ने आपकी ज़िन्दगी की क़सम खाई है। इमाम बैहकी ने 'दलाईलुन्नुबुव्वत' में और अबू नुऐम व इब्ने मरदूया वगैरह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह तआला ने तमाम मख़्लूक़ात व कायनात में किसी को मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा इज़्जत व मर्तबा अता नहीं फरमाया, यही वजह है कि अल्लाह तआला ने किसी पैग़म्बर या किसी फ़रिश्ते की ज़िन्दगी पर कभी क़सम नहीं खाई और इस आयत में रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्र व ज़िन्दगी की क़सम खाई है जो आप सल्ल. का इन्तिहाई सम्मान व इकराम है।

गैरुल्लाह की क़सम खाना

किसी इन्सान के लिये जायज़ नहीं कि अल्लाह तआला के नामों और सिफ़ात के अलावा किसी और चीज़ की क़सम ख़ाये। क्योंकि क़सम उसकी खाई जाती है जिसको सबसे ज़्यादा बड़ा सम्प्रसा जाये, और ज़ाहिर है कि सब से ज़्यादा बड़ा सिर्फ़ अल्लाह तआला ही हो सकता है।

हदीस में है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अपनी माँओं और बापों की और बुतों की क़सम न खाओ, और अल्लाह के सिवा किसी की क़सम न खाओ, और अल्लाह की क़सम भी सिर्फ़ उस वक़्त ख़ाओ जब तुम अपने कौल में सच्चे हो।

(अबू दाऊद व नसाई, हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत से)

और बुखारी व मुस्लिम में है कि एक मर्तबा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़ात उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि अपने बाप की कसम खा रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पुकारकर फ़रमाया कि “ख़बरदार रहो अल्लाह तआला बापों की कसम खाने से मना फ़रमाता है, जिसको हलफ़ करना हो अल्लाह के नाम का हलफ़ करे वरना ख़ामोश रहे। (तफ़सीरे कुर्तुबी, मायदा)

लेकिन यह हुक्म आम मख़्लूक़ात के लिये है, अल्लाह जल्ल शानुहू खुद अपनी मख़्लूक़ात में से विभिन्न चीज़ों की कसम खाते हैं, यह उनके लिये मख़सूस है, जिसका मक़सद किसी ख़ास एतिबार से उस चीज़ का सम्मानित और ज़्यादा लाभदायक होना बयान करना है। और आम मख़्लूक़ को ग़ैरुल्लाह की कसम खाने से रोकने का जो सबब है वह यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला के कलाम में इसकी कोई संभावना नहीं कि वह अपनी किसी मख़्लूक़ को सबसे बड़ा और अफ़ज़ल समझें, क्योंकि बड़ाई तो मुकम्मल तौर पर सिर्फ़ अल्लाह तआला की ज़ात के साथ ख़ास है।

जिन बस्तियों पर अज़ाब नाज़िल हुआ उनसे इब्रत हासिल करनी चाहिये

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ۝ وَإِنَّهَا لَبَسِيلٌ مَّقِيمَةٌ ۝

इसमें हक़ तआला ने उन बस्तियों का स्थान बयान फ़रमाया जो अरब से शाम तक जाने वाले रास्ते पर हैं, और साथ ही इरशाद फ़रमाया कि उनमें अक्ल व समझ रखने वालों के लिये अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत की बड़ी निशानियाँ हैं।

एक दूसरी आयत में उनके बारे में यह भी इरशाद हुआ है:

لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

“यानी ये बस्तियाँ अल्लाह के अज़ाब के ज़रिये वीरान होने के बाद फिर दोबारा आबाद नहीं हुई सिवाय चन्द बस्तियों के।”

इस मजमूए से मालूम होता है कि हक़ तआला ने उन बस्तियों और उनके मकानात की आने वाली नस्लों के लिये इब्रत (सीख) का सामान बनाया है।

उही वज़ह है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब उन मकामात से गुज़रे हैं तो आप पर अल्लाह के डर और हैबत का एक ख़ास हाल होता था जिससे सर मुबारक झुक जाता था और आप अपनी सवारी को उन मकामात में तेज़ करके जल्द पार करने की कोशिश फ़रमाते। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस अमल ने यह सुन्नत कायम कर दी कि जिन मकामात पर अल्लाह तआला का अज़ाब आया है उनको तमाशे की जगह बनाना बड़ी सज़ा-दिली है बल्कि उनसे इब्रत हासिल करने का तरीका यही है कि यहाँ पहुँचकर अल्लाह

तआला की कामिल कुदरत को ध्यान में रखें और उसके अजाब का खौफ तारी हो।

हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियाँ जिनका तख्ता उलटा गया है, कुरआने करीम के इरशाद के मुताबिक अरब से शाम को जाने वाले रास्ते पर उर्दुन के इलाके में आज भी यह स्थान समन्दर की सतह से काफी गहराई में एक विशाल जंगल और वीराने की सूरत में मौजूद है। इसके एक बहुत बड़े रकबे पर एक खास किस्म का पानी दरिया की सूरत इख्तियार किये हुए है, उस पानी में कोई मछली मेंढक वगैरह जानवर जिन्दा नहीं रह सकता, इसी लिये उस दरिया को 'बहर-ए-मय्यित' और 'बहर-ए-लूत' के नाम से जाना जाता है, और तहकीक से मालूम हुआ कि दर हकीकत उसमें पानी के अजजा (हिस्से व अंश) बहुत कम और तेल की किस्म के अजजा ज्यादा हैं, इसलिये उसमें कोई दरियाई जानवर जिन्दा नहीं रह सकता।

आजकल आसार-ए-कदीमा के महकमे (पुरातत्व विभाग) ने कुछ रिहाईशी इमारतें होटल वगैरह भी बना दिये हैं और आखिरत से ग़ाफ़िल मादापरस्त तबीयतों ने आजकल उसको एक सैरगाह बनाया हुआ है, लोग तमाशे के तौर पर उसे देखने जाते हैं। कुरआने करीम ने इसी ग़फलत बरतने के चलन पर तंबीह के लिये आखिर में फ़रमाया:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

यानी हकीकत में तो ये वाकिआत व मक़ामात हर अक्ल व समझ रखने वाले के लिये इबत लेने और सीख लेने के लिये हैं लेकिन इस इबत से फ़ायदा उठाने वाले मोमिन ही होते हैं, दूसरे लोग उन मक़ामात को एक तमाशाई की हैसियत से देखकर खाना हो जाते हैं।

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ ۝ فَانظُرْنَا

مِنْهُمْ ۝ وَانظُرْنَا لِبِأَمَامِ مُبِينٍ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَآتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُصِيبِينَ ۝ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۝ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ ۝ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝

व इन् का-न अस्हाबुल्-ऐ-कति लज़मलिमीन (78) फन्त-कम्ना मिन्दुम। व इन्नहुमा लबि-इमामिम्-मुबीन (79) ●

व ल-कद् कज़्ज-ब अस्हाबुल्-हिज़िल्-मुर्सलीन (80) व आतैनाहुम्

और तहकीक कि थे वन के रहने वाले गुनाहगार। (78) सो हमने बदला लिया उनसे और ये दोनों बस्तियाँ स्थित हैं खुले रास्ते पर। (79) ●

और बेशक झुठलाया हिज़्र वालों ने रसूलों को। (80) और दीं हमने उनको अपनी

आयातिना फकानू अन्हा मुअ्रिजीन
 (81) व कानू यन्हितू-न मिनल्-
 जिबालि बुयूतन् आमिनीन (82)
 फ-अ-ख्रज़ल्हुमुस्सैहतु मुस्बिहीन (83)
 फमा अग्ना अन्हुम् मा कानू यक्सिबून
 (84) व मा खालक्नस्समावाति
 वल्अर-ज़ व मा बैनहुमा इल्ला
 विल्हकिक्, व इन्नस्सा-अ-त
 लआति-यतुन् फस्फहिस्सफहल्-जमील
 (85) इन्-न रब्ब-क हुवल्ल
 खल्लाकुल्-अलीम (86)

निशानियाँ, सो रहे उनसे मुँह फेरते।
 (81) और थे कि तराशते थे पहाड़ों के
 पर इत्मीनान के साथ। (82) फिर पकड़ा
 उनको चिंघाड़ ने सुबह होने के वक्त।
 (83) फिर काम न आया उनके जो कुछ
 कमाया था। (84) और हमने बनाये नहीं
 आसमान और ज़मीन और जो उनके बीच
 में है बगैर हिक्मत, और कियामत बेशक
 आने वाली है सो किनारा कर अच्छी तरह
 किनारा। (85) तेरा रब जो है वही है
 पैदा करने वाला ख़बर रखने वाला। (86)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐका वालों और हिज़्र वालों का किस्सा

और वन वाले (यानी शुऐब अलैहिस्सलाम की उम्मत भी) बड़े ज़ालिम थे। हमने उनसे (भी) बदला लिया (और उनको अज़ाब से हलाक किया), और दोनों (क़ौम की) बस्तियाँ साफ़ सड़क पर (स्थित) हैं (और मुल्क शाम को जाते हुए राह में नज़र आती हैं)।

और हिज़्र वालों ने (भी) पैग़म्बरों को झूठा बतलाया (क्योंकि जब सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा कहा और सब पैग़म्बरों का असल दीन एक ही है तो गोया सब को झूठा बतलाया)। और हमने उनको अपनी (तरफ़ से) निशानियाँ दीं (जिससे अल्लाह तआला की तौहीद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नुबुव्वत साबित होती थी जैसे तौहीद की दलीलें और ऊँटनी जो कि सालेह अलैहिस्सलाम का मोजिजा था) सो वे लोग उन (निशानियों) से मुँह (ही) मोड़ते रहे। और वे लोग पहाड़ों को तराश-तराशकर उनमें घर बनाते थे कि (उनमें सब आफ़तों से) अमन में रहें। सो उनको सुबह के वक्त (चाहे सुबह ही सुबह या दिन चढ़े, दोनों सूरतें हो सकती हैं) सख़्त आवाज़ ने आन पकड़ा। सो उनके (दुनियावी) हुनर उनके कुछ भी काम न आये (उन्हीं मज़बूत घरों में अज़ाब से काम तमाम हो गया। इस आफ़त से उनके घरों ने न बचाया बल्कि इस आफ़त का गुमान व ख़्याल भी न था, और अगर होता भी तो क्या करते)।

मआरिफ़ व मसाईल

ऐका वन यानी घने जंगल को कहते हैं। कुछ हज़रत कहते हैं कि मद्यन के पास एक वन था इसलिये ऐका मद्यन वालों ही का लक़ब है। कुछ ने कहा है कि ऐका वाले और मद्यन वाले दो अलग-अलग क़ौमों थीं, एक क़ौम की हलाकत के बाद शुएब अलैहिस्सलाम दूसरी क़ौम की तरफ़ भेजे गये।

तफ़सीर रुहुल-मआनी में इब्ने असाकिर के हवाले से यह परफूअ हदीस नक़ल की गई है:

إِنَّ مَدْيَنَ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُمَّتَانِ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا شُعَيْبًا.

(कि मद्यन वाले और ऐका वाले दो अलग-अलग उम्मतें हैं, इन दोनों की तरफ़ अल्लाह तआला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी)

और असल व सही इल्म अल्लाह ही को है।

और हिज़्र एक वादी (घाटी) है जो हिजाज़ व शाम के बीच स्थित है, उसमें समूद क़ौम आबाद थी।

सूरत के शुरू में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मक्का के काफ़िरों को जो सख़्त दुश्मनी व मुख़ालफ़त थी उसका बयान था, उसके साथ संक्षिप्त तौर पर आपकी तसल्ली का मज़मून भी ज़िक्र किया था, अब सूरत के ख़त्म पर उसी दुश्मनी व मुख़ालफ़त के बारे में आपकी तसल्ली के लिये तफ़सीली मज़मून बयान किया जा रहा है। चुनाँचे इरशाद होता है:

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर का बाकी हिस्सा

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप उन लोगों की दुश्मनी व मुख़ालफ़त से ग़म न कीजिये क्योंकि उसका एक दिन फैसला होने वाला है, और वह क़ियामत का दिन है, जिसके आने के बारे में हम आप से तज़क़िरा करते हैं कि) हमने आसमानों को और ज़मीन को और इनके बीच की चीज़ों को बग़ैर मस्लेहत के पैदा नहीं किया (बल्कि इस मस्लेहत से पैदा किया कि इनको देखकर इनके बनाने और पैदा करने वाले के वजूद और उसके अकेला व अज़ीम होने पर दलील कायम करके उसके अहक़ाम की फ़रमाँबरदारी करें, और इस हुज़्जत को कायम करने के बाद जो ऐसा न करे वह अज़ाब का शिकार हो), और (दुनिया में पूरा अज़ाब होता नहीं तो और कहीं होना चाहिये, इसके लिये क़ियामत मुकरर है। पस) ज़रूर क़ियामत आने वाली है (वहाँ सब को भुगताया जायेगा)। सो आप (कुछ ग़म न कीजिये बल्कि) ख़ूबी के साथ (उनकी शरारतों से) दरगुज़र कीजिये (दरगुज़र का मतलब यह है कि इस ग़म में न पड़िये इसका ख़्याल न कीजिये, और ख़ूबी यह कि शिकवा-शिकायत भी न कीजिये, क्योंकि) बेशक आपका रब (चूँकि) बड़ा ख़ालिक (यानी पैदा करने वाला है, इससे साबित हुआ कि) बड़ा अ़ालिम (भी) है (सब का हाल उसको मालूम है, आपके सब्र का भी, उनकी शरारत का भी, इसलिये उनसे पूरा-पूरा बदला ले लेगा)।

ल-क़द नज़्ज़लमु अन्न-क यजीकु
 सदरु-क बिमा यकूलून (97)
 फ-सब्बिह बिहम्दि रब्बि-क व कुम्
 मिनस्साजिदीन (98) वज़्ज़ुद् रब्ब-क
 हता यज़्ज़ति-यकल्-यकीन (99) ❀

जानते हैं कि तेरा जी रुकता है उनकी
 बातों से। (97) तो तू याद कर खूबियाँ
 अपने रब की और हो सच्चा करने वालों
 में से। (98) और बन्दगी किये जा अपने
 रब की जब तक आये तेरे पास यकीनी
 बात। (99) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (आप उनके मामले को न देखिये कि गुम का सबब होता है, हमारा मामला अपने
 साथ देखिये कि हमारी तरफ़ से आपके साथ किस क़द्र लुफ़ व इनायत है चुनाँचे) हमने आपको
 (एक बड़ी भारी नेमत यानी) सात आयतें दीं जो (नमाज़ में) बार-बार पढ़ी जाती हैं और वह
 (अज़ीम मज़ामीन की ज़ामे होने के वजह से इस क़ाबिल है कि उसके देने को यूँ कहा जाये कि)
 क़ुरआन-ए-अज़ीम दिया (मुराद इससे सूरः फ़ातिहा है, जिसकी बड़ाई की वजह से उसका नाम
 उम्मुल-क़ुरआन भी है। पर इस नेमत और नेमत देने वाले की तरफ़ निगाह रखिये ताकि आपका
 दिल खुश और मुल्मईन हो। उन लोगों की दुश्मनी व मुद्दालफ़त की तरफ़ तवज्जोह न कीजिये
 और) आप अपनी आँख उठाकर उस चीज़ को न देखिए (न अफ़सोस करने के लिहाज़ से न
 नाराज़गी के लिहाज़ से) जो कि हमने उन विभिन्न किस्म के काफ़िरों को (जैसे यहूदियों व
 ईसाईयों, आग के पुजारियों और मुश्रिकों को) बरतने के लिये दे रखी है (और बहुत जल्द उनसे
 अलग हो जायेगी), और उन (की कुफ़ की हालत) पर (कुछ) गुम न कीजिये (नाराज़गी के
 लिहाज़ से नज़र करने से यह मुराद है कि चूँकि वे अल्लाह के दुश्मन हैं इसलिये अल्लाह के लिये
 गुस्सा आये कि ऐसी नेमतें उनके पास न होतीं, इसके जवाब की तरफ़ मत्तज़ून में इशारा है
 कि यह कोई बड़ी भारी दौलत नहीं कि उन नाराज़गी का शिकार और नापसन्दीदा लोगों के पास
 न होतीं, यह तो फ़ना होने वाली दौलत है, बहुत जल्द जाती रहेगी। और अफ़सोस के लिहाज़ से
 नज़र करने का मतलब यह होगा कि अफ़सोस ये चीज़ें उनको इमान से रुकावट और बाधा हो
 रही हैं, अगर ये न हों तो ग़ालिबन इमान ले आयेँ। इसका जवाब ला तहज़नू में है, जिसकी
 तफ़सील यह है कि उनकी फ़िलरत में हद दर्जे का बैर व दुश्मनी है, उनसे किसी तरह अपेक्षा
 नहीं, और रंज व गुम होता है अपेक्षा और उम्मीद के खिलाफ़ होने पर, जब उम्मीद नहीं तो फिर
 रंज व गुम बे-वजह है। और हिर्स के लिहाज़ से नज़र करने का तो आपकी तरफ़ से गुमान व
 शुब्हा ही नहीं।

(ग़ज़ यह कि आप किसी भी तरह उन काफ़िरों के फ़िक्र व गुम में न पड़िये) और
 मुसलमानों पर शफ़क़त रखिये (यानी मस्लेहत व शफ़क़त की फ़िक्र के लिये मुसलमान काफ़ी हैं
 कि उनको इससे नफ़ा भी है)। और (काफ़िरों के लिये चूँकि मस्लेहत की फ़िक्र का कोई नतीजा

नहीं इसलिये उनकी तरफ तबज्जोह भी न कीजिये। अलबत्ता तबतीग जो आपका फज़ और जिम्मेदारी है उसको अदा करते रहिये, और इतना) कह दीजिये कि मैं खुल्लम-खुल्ला (तुमको खुदा के अज़ाब से) डराने वाला हूँ (और खुदा की तरफ से तुमको यह मजमून पहुँचाता हूँ कि वह अज़ाब जिससे हमारा नबी डराता है हम तुम पर किसी वक़्त जरूर नाज़िल करेंगे) जैसा कि हमने (वह अज़ाब) उन लोगों पर (गुज़रे हुए मुख़लिफ़ वक्तों में) नाज़िल किया है जिन्होंने (अल्लाह के अहक़ाम को) हिस्से कर रखे थे, यानी आसमानी किताब के मुख़लिफ़ हिस्से करार दिये थे (उनमें जो मज़ी के मुवाफ़िक़ हुआ मान लिया जो मज़ी के ख़िलाफ़ हुआ उससे इनकार कर दिया। इससे मुराद पहले के यहूदी व ईसाई हैं जिन पर नबियों की मुख़ालफ़त की वजह से अज़ाबों का होना जैसे शक्ल बदलकर बन्दर व खिन्ज़ीर बन जाना, कैद, क़त्ल और जिल्लत मशहूर व परिचित था। मतलब यह कि अज़ाब का नाज़िल होना कोई दूर की बात नहीं, पहले हो चुका है, अगर तुम पर भी हो जाये तो ताज्जुब की कौनसी बात है, चाहे वह अज़ाब दुनिया में हो या आख़िरत में। और जब ऊपर की तक़रीर से यह बात स्पष्ट हो गई कि जिस तरह पिछले लोग नबियों की मुख़ालफ़त की वजह से अज़ाब के हक़दार थे इसी तरह मौजूदा लोग भी अज़ाब के हक़दार हो गये हैं)।

सो (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हमको) आपके परवर्दिगार की (यानी अपनी) कसम! हम उन सब (अगलों और पिछलों) से उनके आमाल की (कियामत के दिन) जरूर पूछताछ करेंगे (फिर हर एक को उसके मुनासिब सज़ा देंगे)। गर्ज़ (कलाम का हासिल यह है कि) आपको जिस बात (के पहुँचाने) का हुक्म किया गया है उसको (तो) साफ़-साफ़ सुना दीजिये और (अगर ये न मानें तो) इन मुशिरकों (के न मानने) की (बिल्कुल भी) परवाह न कीजिए (यानी ग़म न कीजिये जैसा कि ऊपर आया है 'ला तहज़न' और न तबई तौर पर ख़ौफ़ कीजिये कि ये मुख़लिफ़ बहुत सारे हैं क्योंकि) ये लोग जो (आपके और खुदा के मुख़ालिफ़ हैं, चुनाँचे आप पर तो) हंसते हैं (और) अल्लाह के साथ दूसरा भाबूद करार देते हैं, उन (की बुराई और तकलीफ़ पहुँचाने) से आप (को महफ़ूज़ रखने) के लिये (और उनसे बदला लेने के लिये) हम काफी हैं, सो उनको अभी मालूम हुआ जाता है (कि उनके मज़ाक उड़ाने और शिर्क का क्या अन्जाम होता है। गर्ज़ कि जब हम काफी हैं फिर किस चीज़ का डर है)।

और वाकई हमको मालूम है कि ये लोग जो (कुफ़्र व मज़ाक उड़ाने की) बातें करते हैं इनसे आप तंगदिल होते हैं (कि यह तबई बात है)। सो (इसका इलाज़ यह है कि) आप अपने परवर्दिगार की तस्बीह व तारीफ़ करते रहिये, और नमाज़ें पढ़ने वालों में रहिये। और अपने स्व की इबादत करते रहिये यहाँ तक कि (उसी हालत में) आपको मौत आ जाये (यानी मरते दम तक ज़िक्र व इबादत में मशगूल रहिये, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में आख़िरत के अज़्र व सवाब के अलावा यह खासियत भी है कि दुनिया में जब इनसान इस तरफ़ लग जाता है तो दुनिया के रंज़ व ग़म और तकलीफ़ व मुसीबत हल्की हो जाती है)।

मआरिफ़ व मसाईल

सूरः फ़ातिहा पूरे कुरआन का मतन और खुलासा है

इन आयतों में सूरः फ़ातिहा को कुरआने करीम कहने में इस तरफ़ इशारा है कि सूरः फ़ातिहा एक हैसियत से पूरा कुरआन है, क्योंकि इस्लाम के सब उसूल उसमें समोये हुए हैं।

मेहशर में सवाल किस चीज़ का होगा?

ऊपर जिक्र हुई आयत में हक़ तआला ने अपनी पाक ज़ात की कसम खाकर फ़रमाया है कि इन सब अगलों-पिछलों से ज़रूर सवाल और पूछगछ होगी।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि यह सवाल किस मामले के मुताल्लिक़ होगा? तो आपने फ़रमाया कौल ला इला-ह इल्लल्लाहु के मुताल्लिक़। तफ़सीरे कुर्तुबी में इस रिवायत को नक़ल करके फ़रमाया है कि हमारे नज़दीक़ इससे मुराद उस अहद को अमली तौर पर पूरा करना है जिसकी अतामत कलिमा तय्यिबा ला इला-ह इल्लल्लाहु है, महज़ ज़बानी कौल मकसूद नहीं। क्योंकि ज़बान से इक़रार तो मुनाफ़िक़ लोग भी करते थे। हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि ईमान किसी ख़ास शक़्ल व सूरत बनाने से और दीन महज़ तमन्नायें करने से नहीं बनता, बल्कि ईमान उस यकीन का नाम है जो दिल में डाल दिया गया हो, और आमाल ने उसकी तस्दीक़ की हो जैसा कि एक हदीस में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स इख़्लास के साथ ला इला-ह इल्लल्लाहु कहेगा वह ज़रूर जन्नत में जायेगा। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह! इस कलिमे में इख़्लास का क्या मतलब है? आपने फ़रमाया कि जब यह कलिमा इनसान को अल्लाह के हराम किये हुए और नाजायज़ कामों से रोक दे तो वह इख़्लास के साथ है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

तब्लीग़ व दावत में गुंजाईश के मुताबिक़ चरणबद्धता हो

فَاذْعُ بِمَا تَوَمَّرُ

इस आयत के नाज़िल होने से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम छुप-छुपकर इबादत और तिलावत करते थे और तब्लीग़ व रहनुमाई का सिलसिला भी खुफ़िया ही एक-एक दो-दो फ़र्द के साथ जारी था, क्योंकि इज़हार व ऐलान में काफ़िरों की तरफ़ से तकलीफ़ पहुँचाने का ख़तरा था। इस आयत में हक़ तआला ने मज़ाक़ करने वालों और तकलीफ़ देने वाले काफ़िरों की तकलीफ़ से महफ़ूज़ रखने की खुद जिम्मेदारी ले ली, इसलिये उस वक़्त बेफ़िक़्री के साथ ऐलान व इज़हार के ज़रिये तिलावत व इबादत और तब्लीग़ व दावत का सिलसिला शुरू हुआ।

إِنَّا كَفَيْكَ الْمُتَهَرِّجِينَ ۝


(यानी आयत नम्बर 95) में जिन लोगों का जिक्र है उनके लीडर पाँच आदमी थे, आस बिन वाईल, अस्वद बिन अल्-मुत्तलिब, अस्वद बिन अब्दे यगूस, वलीद बिन मुगीरा, हरिस बिन अत्तुलातिला। ये पाँचों चमत्कारी तौर पर एक ही वक़्त में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इशारे से हलाक कर दिये गये। इस वाकिए से तब्लीग़ व दावत के मामले में यह हासिल हुआ कि अगर इनसान किसी ऐसे मक़ाम या ऐसे हाल में मुक्त्ला हो जाये कि वहाँ हक़ बात को खुल्लम खुल्ला कहने से उन लोगों को तो कोई फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद न हो और अपने आपको नुक़सान व तकलीफ़ पहुँचने का अन्देशा हो तो ऐसी हालत में यह काम ख़ुफ़िया तौर पर करना भी दुरुस्त और जायज़ है, अलबत्ता जब इज़हार व ऐलान की कुदरत हो जाये तो फिर ऐलान में कोताही न की जाये।

दुश्मनों के सताने से तंगदिली का इलाज

وَلَقَدْ نَعْلَمُ.....حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

(यानी आयत नम्बर 97-99) से मालूम होता है कि जब इनसान को दुश्मनों की बातों से रंज पहुँचे और तंगदिली पेश आये तो उसका रूहानी इलाज यह है कि अल्लाह तआला की तस्बीह व इबादत में मशगूल हो जाये, अल्लाह तआला खुद उसकी तकलीफ़ को दूर फ़रमा देंगे।

(अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि सूर: हिज्र की तफ़सीर पूरी हुई।)



* सूरः नहल *

यह सूरत मक्की है। इसमें 128 आयतें
और 16 रुकूअ हैं।

सूर: नहल

सूर: नहल मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 128 आयतें और 16 रुकूज़ हैं।

أَيَّاتُهَا ۱۲۸ (۱۶) سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ (۷۰) رُكُوعَاتُهَا ۱۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَنزَلَ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ يُنزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝

बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अता अम्ल्लाहि फला तस्तअजिलूहु,
सुब्हानहू व तअला अम्मा युशिरकून
(1) युनज़िलुल्-मलाइ-क-त बिरुहि
मिन् अमिही अला मय्यशा-उ मिन्
अिबादिही अन् अन्जिरू अन्नहू ला
इला-ह इल्ला अ-न फत्तकून (2)

आ पहुँचा हुक्म अल्लाह का सो उसकी जल्दी मत करो, वह पाक है और बरतार है उनके शरीक बतलाने से। (1) उतारता है फ़रिश्तों को धेद देकर अपने हुक्म से जिस पर चाहे अपने बन्दों में कि ख़बरदार कर दो कि किसी की बन्दगी नहीं सिवाय मेरे, सो मुझसे डरो। (2)

इस सूत का नाम 'नहल' होने की वजह

इस सूत का नाम सूर: नहल इस मुनासबत से रखा गया है कि इसमें नहल यानी शहद की मक्खियों का जिक्र कुदरत की अजीब व ग़रीब कारीगरी के बयान के सिलसिले में हुआ है। इस का दूसरा नाम सूर: निअम् भी है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

निअम् नेमत की जमा (बहुवचन) है। इसलिये कि इस सूत में ख़ास तौर पर अल्लाह जल्ल शानुहू की बड़ी नेमतों का जिक्र है।

खुलासा-ए-तफ़सीर

खुदा तअला का हुक्म (यानी कुफ़ की सज़ा का वक़्त) आ पहुँचा, सो तुम उसमें (इनकार

करने वाली) जल्दी मत मचाओ (बल्कि तौहीद इख़्तियार करो और उसको हकीकत सुनो कि) वह लोगों के शिर्क से पाक और बस्तर है। वह अल्लाह तआला फ़रिश्तों (की जिन्नस यानी जिब्रील) को वही यानी अपना हुक्म देकर अपने बन्दों में से जिस पर चाहें (यानी नबियों पर) नाज़िल फ़रमाते हैं (और वह हुक्म) यह (है) कि लोगों को ख़बरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सो मुझसे डरते रहो (यानी मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ वरना सज़ा होगी)।

मज़ारिफ़ व मसाइल

इस सूरत को बग़ैर किसी ख़ास प्रारंभिक के एक सख़्त सज़ा की धमकी और डरावने उनयान से शुरू किया गया, जिसकी वजह से मुश्रिकों का कहना यह था कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हमें क़ियामत से और अल्लाह के अज़ाब से डराते रहते हैं और बतलाते हैं कि अल्लाह तआला ने उनको ग़ालिब करने और मुख़ालिफ़ों को सज़ा देने का वायदा किया है, हमें तो यह कुछ भी होता नज़र नहीं आता। इसके जवाब में इरशाद फ़रमाया कि "आ पहुँचा हुक्म अल्लाह का, तुम जल्दबाज़ी न करो।"

अल्लाह के हुक्म से इस जगह मुराद वह वायदा है जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया है कि उनके दुश्मनों को पस्त व पराजित किया जायेगा और मुसलमानों को फ़तह व मदद और इज़्ज़त व दबदबा हासिल होगा। इस आयत में हक़ तआला ने डरावने और ख़ौफ़ दिलाने के लहजे में इरशाद फ़रमाया कि हुक्म अल्लाह का आ पहुँचा, यानी पहुँचने ही वाला है, जिसको तुम बहुत जल्द देख लोगे।

और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इसमें अल्लाह के हुक्म से मुराद क़ियामत है, उसके आ पहुँचने का मतलब भी यही है कि वह जल्द ही कायम होगी और पूरी दुनिया की उम्र के एतिबार से देखा जाये तो क़ियामत का करीब होना या आ पहुँचना भी कुछ दूर नहीं रहता। (बहरे-मुहीत)

इसके बाद एक जुमले में जो यह इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला शिर्क से पाक है, इससे मुराद यह है कि ये लोग जो हक़ तआला के वायदे को ग़लत करार दे रहे हैं यह कुफ़्र व शिर्क है, अल्लाह तआला उससे पाक हैं। (बहरे-मुहीत)

इस आयत का खुलासा एक सख़्त वईद (सज़ा के वायदे और धमकी) के ज़रिये तौहीद की दावत देना है। दूसरी आयत में रिवायती व नक़ली दलील से तौहीद की साबित करना है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक दुनिया के विभिन्न ख़िल्तों, विभिन्न ज़मानों में जो भी रसूल आया है उसने यही तौहीद का अक़ीदा पेश किया है, हालाँकि एक को दूसरे के हाल और तालीम की ज़ाहिरी असबाब के दर्जे में कोई इत्तिला भी न थी। ग़ौर करो कि कम से कम एक लाख चौबीस हज़ार अक़्लमन्द हज़रात (यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम) जो विभिन्न वक्तों, विभिन्न मुल्कों, विभिन्न ख़िल्तों में पैदा हों और वे सब एक ही बात के कायल हों तो फ़ितरी तौर पर इनसान यह समझने पर मजबूर हो जाता है

कि यह बात गलत नहीं हो सकती, ईमान लाने के लिये अकेली यह इतना भी काफी है।

लफ़्ज़ सूह से पुराद इस आयत में बकौल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वही और बकौल कुछ दूसरे मुफ़्स्सिरीन हिदायत है। (बहरे-मुहीत) इस आयत में तौहीद का रिवायती और नकली सुबूत पेश करने के बाद अगली आयतों में इसी तौहीद के अकीदे को अकली तौर से हक़ तआला की नेपते सामने पेश करके साबित किया जाता है। इरशाद है:

خَالِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ خَلَقَ

الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ۝ والأنعام خلقها لكم فيها دنيا ومآخرة
ومنها تأكلون ۝ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ۝ وتحمل أثقالكم إلى بلد
لتمكثوا بليغيه إلا نفس من إن ربكم لرؤوف رحيم ۝ والخيل والبغال والحمير
لتركبوها وزينة ۝ ويخلق ما لا تعلمون ۝

खा-लक़स्समावाति वल् अर्-ज
विल्हकिक, तआला अम्मा युशिरकून
(3) ख-लक़ल्-इन्सा-न मिन् नुत्फतिन्
फ-इजा हु-व ख़सीमुम्-मुबीन (4)
वल्-अन्आ-म ख़ा-ल-क़हा लकुम्
फीहा दिफउव्-व मनाफिअु व मिन्हा
तअकुलून (5) व लकुम् फीहा
जमालुन् ही-न तुरीहू-ग व ही-न
तस्रहून (6) व तस्मिलु अस्का-लकुम्
इला व-लदिल्-लम् तकूनू बालिगीहि
इल्ला बिशिकिल्-अन्फुसि, इन्-अ
ख्बकुम् ल-रऊफुर-रहीम (7) वल्ख़ै-ल
वल्बिगा-ल वल्हमी-र लिक्कवूहा व
ज़ी-नतन्, व यख़्लुकु मा ला
तअल्मून (8)

बनाये आसमान और ज़मीन ठीक-ठीक,
वह बरतर है उनके शरीक बतलाने से।
(3) बनाया आदमी को एक बूँद से फिर
जब ही हो गया झगड़ा करने वाला बोलने
वाला। (4) और चौपाये बना दिये तुम्हारे
वास्ते उनमें जड़ावल है और कितने
फायदे, और बाजों को खाते हो। (5)
और तुमको उनसे इज़्ज़त है जब शाम को
चराकर लाते हो और जय चराने ले जाते
हो। (6) और उठा ले चलते हैं तुम्हारे
बोझ उन शहरों तक कि तुम न पहुँचते
वहाँ मगर जान मारकर। बेशक तुम्हारा
रब बड़ा शफ़क़्त करने वाला मेहरबान
है। (7) और घोड़े पैदा किये और ख़च्चर
और गधे कि उन पर सवार हो और
ज़ीनत के लिये, और पैदा करता है जो
तुम नहीं जानते। (8)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

(अल्लाह तआला ने) आसमानों को और ज़मीन को हिक्मत से बनाया, वह उनके शिर्क से पाक है। (और) इनसान को नुत्फ़े से बनाया फिर वह अचानक खुल्लम-खुल्ला (खुदा ही की ज़ात व सिफ़ात में) झगड़ने लगा (यानी बाज़े ऐसे भी हुए। मतलब यह है कि हमारी ये नेमतें और इनसान की तरफ़ से नाशुक़ी)। और उसी ने चौपायों को बनाया, उनमें तुम्हारे जाड़े का भी सामान है (जानवरों के बाल और खाल से इनसान के पोस्तीन और कपड़े बनते हैं) और भी बहुत-से फ़ायदे हैं (दूध, सवारी, बोझ लेजाना वगैरह) और उनमें (जो खाने के काबिल हैं उनको) खाते भी हो। और उनकी वजह से तुम्हारी रैनक़ भी है, जबकि शाम के वक़्त (जंगल से घर) लाते हो और जबकि सुबह के वक़्त (घर से जंगल को) छोड़ देते हो। और वे तुम्हारे बोझ भी (लादकर) ऐसे शहर को लेजाते हैं जहाँ तुम जान को मेहनत में डाले बिना नहीं पहुँच सकते थे, वाकई तुम्हारा रब बड़ी शफ़क़त वाला, बड़ी रहमत वाला है (कि तुम्हारे आराम के लिये क्या-क्या सामान पैदा किये)। और घोड़े और खच्चर और गधे भी पैदा किये ताकि तुम उन पर सवार हो और यह कि जीनत (रैनक़ व सजावट) के लिये भी, और वह ऐसी-ऐसी चीज़ें (तुम्हारी सवारी वगैरह के लिये) बनाता है जिनकी तुमको ख़बर भी नहीं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन आयतों में कायनात की पैदाईश की अज़ीम निशानियों से हक़ तआला की तौहीद (एक और तन्हा लख्यके इबादत होने) को साबित करना है। अब्बल तो आसमान व ज़मीन की सबसे पहली मख़्लूक का ज़िक्र फ़रमाया, उसके बाद इनसान की पैदाईश का ज़िक्र फ़रमाया, जिसको अल्लाह तआला ने कायनात का मख़दूम (सेव्य) बनाया है। इनसान की शुरूआत एक हकीर नुत्फ़े से होना बयान करके फ़रमाया:

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝

यानी जब इस पैदाईशी कमज़ोर इनसान को ताक़त और बोलने की कुव्वत अता हुई तो खुदा ही की ज़ात व सिफ़ात में झगड़े निकालने लगा।

इनसान के बाद उन चीज़ों की पैदाईश और बनाने का ज़िक्र फ़रमाया जो इनसान के फ़ायदे के लिये खुसूसी तौर पर बनाई गई हैं, और क़ुरआन के सबसे पहले मुख़ातब चूँकि अरब वाले थे और अरब वालों की रोज़ी-रोटी और गुज़ारे का बड़ा मदार पालतू चौपायों ऊँट, गाय, बकरी पर था इसलिये पहले उनका ज़िक्र फ़रमाया:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا

फिर मवेशी जानवरों से जो फ़ायदे इनसान को हासिल होते हैं उनमें से दो फ़ायदे खास तौर से बयान कर दिये, एक—

لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ

यानी उन जानवरों की ऊन से इन्सान अपने कपड़े और खाल से पोस्तीन और टोपियाँ वगैरह तैयार करके जाड़े के मौसम में गरमाई हासिल करता है।

दूसरा फायदा—

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

यानी इन्सान उन जानवरों को जिबह करके अपनी खुराक भी बना सकता है, और जब तक जिन्दा है उनके दूध से अपनी बेहतरीन मिजा पैदा करता है। दूध, दही, मक्खन, घी और इनसे बनने वाली तमाम चीजें इसमें शामिल हैं।

और बाकी आम फायदों के लिये फरमा दिया 'व मनाफिअु' यानी बेशुमार नफे व फायदे इन्सान के जानवरों के गोشت, चमड़े, हड्डी और बालों से जुड़े हुए हैं, इस संक्षिप्तता और अस्पष्ट बयान में उन सब नई से नई ईजादात (आधिषकारों) की तरफ भी इशारा है जो जानवरों के अंगों से इन्सान की मिजा, लिबास, दवा और इस्तेमाली चीजों के लिये अब तक ईजाद हो चुकी हैं, या आगे कियामत तक होंगी।

इसके बाद उन चौपाये जानवरों का एक और फायदा अरब वालों के मिजाज व पसन्द के मुताबिक यह बयान किया गया कि ये तुम्हारे लिये खूबसूरती और रौनक का जरिया हैं। खूसूसन जब वे शाम को चरागाहों से तुम्हारे मवेशी खानों (बाड़ों) की तरफ आते हैं या सुबह को घरों से चरागाहों की तरफ जाते हैं, क्योंकि उस वक़्त मवेशी से उनके मालिकों की खास शान व शौकत का इज़हार व प्रदर्शन होता है।

आखिर में इन जानवरों का एक और अहम फायदा यह बयान किया कि ये जानवर तुम्हारे बोझल सामान दूर-दराज़ शहरों तक पहुँचा देते हैं, जहाँ तुम्हारी और तुम्हारे सामान की रसाई जान जोखिम में डाले बगैर मुश्किल न थी। ऊँट और बैल खास तौर से इन्सान की यह खिदमत बड़े पैमाने पर अन्जाम देते हैं। आज रेल गाड़ियों, ट्रकों, हवाई जहाज़ों के ज़माने में भी इन्सान जानवरों से बेपरवाह नहीं, कितने मकागात दुनिया में ऐसे हैं जहाँ ये तमाम नई ईजाद होने वाली सवारियाँ बोझ ढोने का काम नहीं दे सकतीं, वहाँ फिर इन्हीं की सेवार्यें हासिल करने पर इन्सान मजबूर होता है।

चौपाये जानवरों यानी ऊँट और बैल वगैरह के बोझ उठाने का जिक्र आया तो इसके बाद उन चौपाये जानवरों का जिक्र थी मुनासिब मालूम हुआ जिनकी पैदाईश ही सवारी और बोझ ढोने के लिये है, उनके दूध या गोشت से इन्सान का फायदा जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि शरीअत के हुक्म के मुताबिक ये अस्ल्लाकी बीमारियों का सबब होने की वजह से वर्जित और मना है। फरमाया—

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَرِثَةً

“यानी हमने घोड़े, खच्चर, गधे पैदा किये ताकि तुम उन पर सवार हो सको, इसमें बोझ

उठाना भी जिम्मी तौर पर आ गया और उनको इसलिये भी पैदा किया कि वे तुम्हारे लिये जीनत बनें।" जीनत से यही शान व शौकत मुराद है जो उर्फ में इन जानवरों के मालिकों को दुनिया में हासिल होती है।

कुरआन में रेल, मोटर, हवाई जहाज़ का ज़िक्र

आखिर में सवारी के तीन जानवर घोड़े, खच्चर, गधे का खास तौर से बयान करने के बाद दूसरी किस्म की सवारियों के बारे में भविष्यकाल का कलिमा फ़रमाया:

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“यानी अल्लाह तआला पैदा करेगा वो चीज़ें जिनको तुम नहीं जानते।”

इसमें वो तमाम नई ईजाद होने वाली सवारी गाड़ियाँ भी दाख़िल हैं जिनका पुराने ज़माने में न वजूद था न कोई कल्पना, जैसे रेल, मोटर, हवाई जहाज़ वगैरह जो अब तक ईजाद हो चुके हैं, और वो तमाम चीज़ें भी इसमें दाख़िल हैं जो आने वाले ज़माने में ईजाद होंगी, क्योंकि उन सब चीज़ों की पैदाईश और ईजाद दर हकीकत अल्लाह तआला ही का फ़ैसल है, नये व पुराने विज्ञान का इसमें सिर्फ़ इतना ही काम है कि कुदरत की पैदा की हुई धातुओं में कुदरत ही की दी हुई अक़ल व समझ के ज़रिये जोड़-तोड़ करके उनके विभिन्न कल-पुर्जे बना ले, और फिर उसमें अल्लाह की कुदरत की बख़्शी हुई हवा, पानी, आग वगैरह से ऊर्जा पैदा कर ले, या कुदरत ही के दिये हुए ख़जानों में से पेट्रोल निकालकर उन सवारियों में इस्तेमाल कर ले। पुराना और नया विज्ञान मिलकर भी न कोई लोहा पैदा कर सकता है न एल्यूमिनियम किस्म की हल्की धातें बना सकता है, न लकड़ी पैदा कर सकता है, न हवा और पानी पैदा करना उसके बस में है, उसका काम इससे ज़्यादा नहीं कि अल्लाह की कुदरत की पैदा की हुई कुच्चतों का इस्तेमाल सीख ले, दुनिया की सारी ईजादात सिर्फ़ इसी इस्तेमाल की तफ़्सील हैं, इसलिये जब ज़रा भी कोई ग़ौर व फ़िक्र से काम ले तो इन सब नई ईजादों को अल्लाह पैदा करने वाले की कारीगरी कहने और तस्लीम करने के सिवा चारा नहीं।

यहाँ यह बात खास तौर से ध्यान देने के काबिल है कि पिछली तमाम चीज़ों की तख़्तीक़ (बनाने) में भूतकाल का तफ़्ज़ ख़-ल-क़ इस्तेमाल फ़रमाया गया है, और परिचित सवारियों का ज़िक्र करने के बाद भविष्यकाल का तफ़्ज़ यख़्लुक़ इरशाद हुआ है। उनवान की इस तब्दीली से बाज़ेह हो गया कि यह तफ़्ज़ उन सवारियों और चीज़ों के बारे में है जो अभी वजूद में नहीं आई, और अल्लाह तआला के इल्म में है कि आने वाले ज़माने में क्या-क्या सवारियाँ और दूसरी चीज़ें पैदा करनी हैं, उनका इज़हार इस मुख़्तसर जुमले में फ़रमा दिया।

हक़ तआला शानुहू यह भी कर सकते थे कि आगे चलकर वजूद में आने वाली तमाम नई ईजादों का नाम लेकर ज़िक्र फ़रमा देते, मगर उस ज़माने में अगर रेल, मोटर, जहाज़ वगैरह के अलफ़ाज़ ज़िक्र भी कर दिये जाते तो इससे सिवाय ज़ेहनी परेशानी के कोई फ़ायदा न होता क्योंकि इन चीज़ों का उस वक़्त तसव्युर (कल्पना) करना भी लोगों के लिये आसान न था और

न ये अलफ़ाज़ इन चीज़ों के लिये किसी वक़्त कहीं इस्तेमाल में आते थे कि इससे कुछ मलतल समझा जा सके।

मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुहम्मद यासीन साहिब रस्मतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना मुहम्मद याक़ूब साहिब नानौतवी रस्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाया करते थे कि कुरआने करीम में रेल का ज़िक्र मौजूद है और इसी आयत से दलील दिया करते थे। उस वक़्त तक मोटरों आम न हुई थीं और हवाई जहाज़ ईजाद न हुए थे, इसलिये रेल के ज़िक्र पर बस फ़रमाया।

मसला: कुरआने करीम ने पहले अम्भाम यानी ऊँट, गाय, बकरी का ज़िक्र फ़रमाया और उनके फ़ायदों में से एक अहम फ़ायदा उनका गोश्त खाना भी करार दिया, फिर इससे अलग करके फ़रमाया:

وَالْحَيْلُ وَالْبِقَالُ وَالْحَمِيرُ

उनके फ़ायदों में सवारी लेने और उनसे अपनी ज़िन्त हासिल करने का तो ज़िक्र किया मगर गोश्त खाने का यहाँ ज़िक्र नहीं किया। इसमें यह दलालत पाई जाती है कि घोड़े, ख़च्चर, गधे का गोश्त हलाल नहीं, ख़च्चर और गधे का गोश्त हराम होने पर तो फ़ुक़हा की अक्सरियत का इत्तिफ़ाक़ है और एक मुस्तक़िल हदीस में इनके हराम होने का खुलकर भी ज़िक्र आया है, मगर घोड़े के मामले में हदीस की दो रियायतें एक दूसरे से टकराने वाली आर्द हैं, एक से हलाल और दूसरी से हराम होना मालूम होता है, इसी लिये उम्मत के फ़ुक़हा (मसाईल के माहिर उलेमा) के अक़वाल इस मसले में भिन्न और अलग-अलग हो गये, कुछ ने हलाल करार दिया कुछ ने हराम। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रस्मतुल्लाहि अलैहि ने दलीलों के इसी टकराने की वजह से घोड़े के गोश्त को गधे और ख़च्चर की तरह हराम तो नहीं कहा मगर मक्रूह करार दिया।

(अहकामुल-कुरआन जस्तास)

मसला: इस आयत से जमाल और ज़ीनत (बनाव-सिंघार) का जायज़ होना मालूम होता है अगरचे इतराना और तकब्बुर हराम हैं, फ़र्क़ यह है कि जमाल और ज़ीनत का हासिल अपने दिल की खुशी या अल्लाह तआला की नेमत का इज़हार होता है, न दिल में अपने को उस नेमत का मुस्तहिक़ समझता है और न दूसरों को हकीर जानता है, बल्कि हक़ तआला का अतीया और इनाम होना उसके सामते होता है। और तकब्बुर व बड़ाई में अपने आपको उस नेमत का मुस्तहिक़ समझना, दूसरों को हकीर समझना पाया जाता है, वह हराम है। (वयानुल-कुरआन)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايْزٌ وَمَوْلَىٰ ذَٰلِكَ اللَّهُ لَهْدِكُمْ أَجْمَعِينَ

व अलल्लाहि कस्दुस्सबीलि व मिन्हा जा-इरुन्, व लौ शा-अ ल-हदाकुम् अज्यजीन (9) ❁

और अल्लाह तक पहुँचती है सीधी राह और बाज़ी राह टेढ़ी भी है, और अगर वह वाहे तो सीधी राह दे तुम सब को। (9) ❁

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (पीछे बयान हुए और आगे आने वाले दलाईल से जो) सीधा रास्ता (दीन का साबित होता है वह खास) अल्लाह तआला तक पहुँचता है, और बाज़े रास्ते (जो कि दीन के खिलाफ़ हैं) टेढ़े भी हैं (कि उनसे अल्लाह तक रसाई मुश्किल नहीं। पस बाज़े तो सीधे रास्ते पर चलते हैं और बाज़े टेढ़े पर) और अगर खुदा तआला चाहता तो तुम सब को (मन्ज़िले) मक़सूद तक पहुँचा देता (मगर वह उसी को पहुँचाते हैं जो सही राह का तालिब भी हो जैसा कि कुरआन पाक में एक जगह फ़रमाया है— 'वल्लज़ी-न जाहदू फ़ीना ल-नह्दीयन्नहुम् सुबु-लना' इसलिये तुमको चाहिये कि दलीलों में ग़ौर करो और उनसे हक़ को तलब करो, ताकि तुमको मन्ज़िले मक़सूद तक रसाई और पहुँच अता हो)।

मअरिफ़ व मसाईल

इन आयतों में अल्लाह तआला शानुहू की अज़ीमुश्शान नेमतों का ज़िक्र फ़रमाकर तौहीद की अक्ली दलीलें जमा की गयी हैं, आगे भी उन्हीं नेमतों का ज़िक्र है, बीच में यह आयत बयान हो रहे मज़मून से हटकर एक दूसरा मज़मून बयान करने के लिये इस बात पर तंबीह के लिये लाई गई है कि अल्लाह तआला ने अपने पुराने वायदे की बिना पर अपने ज़िम्मे ले लिया है कि लोगों के लिये वह सिरात-ए-मुस्तक़ीम (सीधा रास्ता) स्पष्ट कर दे जो अल्लाह तआला तक पहुँचाने वाला है, इसी लिये अल्लाह की नेमतों को पेश करके अल्लाह तआला के वजूद और तौहीद की दलीलें जमा की जा रही हैं।

लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों ने दूसरे टेढ़े रास्ते भी इख़्तियार कर रखे हैं, वे इन तमाम स्पष्ट आयतों और दलीलों से कुछ फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि गुमराही में भटकते रहते हैं।

फिर इरशाद फ़रमाया कि अगर अल्लाह तआला चाहते कि सब को सीधे रास्ते पर मजबूर करके डाल दें तो उनके इख़्तियार में था, मगर हिक्मत व मस्तेहत का तकाज़ा यह था कि ज़बरदस्ती न की जाये, दोनों रास्ते सामने कर दिये जायें, चलने वाला जिस रास्ते पर चलना चाहे चला जाये, सिरात-ए-मुस्तक़ीम अल्लाह तआला और जन्नत तक पहुँचायेगा और टेढ़े रास्ते जहन्नम पर पहुँचायेगा। इनसान की इख़्तियार दे दिया कि जिसको चाहे चुन ले।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْخُورَاتٍ ۝ بِأَمْرِ رَبِّكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ

لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً ثَلَبُونَهَا، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ
وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَالْقَلْبُ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تَعْبُدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا
لِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَعَلَّمَتِ، وَيَا النَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝

हुवल्लजी अन्ज-ल मिनस्समा-इ
माअल्लकुम् मिन्हु शराबुव्-व मिन्हु
श-जरुन् फीहि तुसीमून (10) युम्बितु
लकुम् बिहिज्जर-अ वज्जैतू-न
वन्नखी-ल वल्-अअना-ब व मिन्
कुल्लिस्स-मराति, इन्-न फी जालि-क
लआ-यतल्-लिकौमिंय्य-तफक्करून
(11) व सख्खार लकुमुल्लै-ल
वन्नहा-र वशशम्-स वल्क-म-र,
वन्नुजूमु मुसख्खारातुम्-बिअमूरिही,
इन्-न फी जालि-क लआयातिल्
-लिकौमिंय्यअकिलून (12) व मा
ज-र-अ लकुम् फिल्अर्जि मुख्तलिफन्
अल्वानुहू, इन्-न फी जालि-क
लआ-यतल् लिकौमिंय्य-यज्जक्करून
(13) व हुवल्लजी सख्खारल्-बह-र
लितअकुलू मिन्हु लस्मन् तरिय्यव्-व
तस्तख्रिजू मिन्हु हिल्य-तन् तल्बसूनहा
व तरल्फुल्-क मवाखिर-र फीहि व
लितब्लगू मिन् फज्जिही व लअल्लकुम्
तश्कुरून (14) व अल्का फिल्अर्जि

वही है जिसने उतारा आसमान से तुम्हारे
लिये पानी, उससे पीते हो और उसी से
पेड़ होते हैं जिसमें चराते हो। (10)
उगाता है तुम्हारे वास्ते उससे खेती और
जैतून और खजूरें और अंगूर और हर
किस्म के मेवे, इसमें यकीनन निशानी है
उन लोगों के लिये जो गौर करते हैं।
(11) और तुम्हारे काम में लगा दिया रात
और दिन और सूरज और चाँद को, और
सितारे काम में लगे हैं उसके हुक्म से,
इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये
जो समझ रखते हैं। (12) और जो चीजें
फैलाई तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रंग-बिरंग
की, इसमें निशानी है उन लोगों के लिये
जो सोचते हैं। (13) और वही है जिसने
काम में लगा दिया दरिया को कि खाओ
उसमें से गोश्त ताज़ा और निकालो उसमें
से गहना जो पहनते हो, और देखता है तू
कशितयों को चलती हैं पानी फाड़कर उसमें
और इस वास्ते कि तलाश करो उसके
फज्ल से और ताकि एहसान मानो। (14)

रवासि-य अन् तमी-द विकुम् व
अन्हारन्-व सुबुलल्-लअल्लकुम्
तस्तदून (15) व अलामातिन्, व
बिन्नज्मि हुम् यस्तदून (16)

और रख दिये ज़मीन पर बोझ कि कमी
झुक पड़े तुमको लेकर और बनाई नदियाँ
और रास्ते ताकि तुम राह पाओ। (15)
और बनाई निशानियाँ, और सितारों से
लोग राह पाते हैं। (16)

खुलासा-ए-तफ़सीर

वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम्हारे (फ़ायदे के) वास्ते आसमान से पानी बरसाया, जिससे तुमको पीने को मिलता है और जिस (के सबब) से पेड़ (पैदा होते) हैं जिनमें तुम (अपने मवेशियों को) चरने छोड़ देते हो। (और) उस (पानी) से तुम्हारे (फ़ायदे के) लिये खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल (ज़मीन से) उगाता है, बेशक इस (ज़िक्र हुई बात) में सोचने वालों के लिये (तौहीद की) दलील (मौजूद) है। और उस (अल्लाह) ने तुम्हारे (फ़ायदे के) लिये रात और दिन और सूरज और चाँद को (अपनी क़ुदरत के) ताबे बनाया, और (इसी तरह और) सितारे (भी) उसके हुक्म से (उसकी क़ुदरत के) ताबे हैं। बेशक इस (ज़िक्र हुई बात) में (भी) अक्ल रखने वाले लोगों के लिये (तौहीद की) चन्व दलीलें (मौजूद) हैं।

और (इसी तरह) उन चीज़ों को भी (अपनी क़ुदरत के) ताबे बनाया जिनको तुम्हारे (फ़ायदे के लिये) इस तौर पर पैदा किया कि उनकी किस्में (यानी जिनसे, प्रजातियाँ और वर्ग) मुख़लिफ़ "यानी अलग-अलग और विविध" हैं (इसमें तमाम जानवर, पेड़-पौधे, बेजान चीज़ें, मुफ़रदात व मुरक्कबात दाख़िल हो गये) बेशक इस (ज़िक्र हुए) में (भी) समझदार लोगों के लिये (तौहीद की) दलील (मौजूद) है। और वह (अल्लाह) ऐसा है कि उसने दरिया को (भी अपनी क़ुदरत के) ताबे बनाया ताकि उसमें से ताज़ा-ताज़ा गोश्त (यानी भछली निकाल-निकालकर) लाओ, और (ताकि) उसमें से (मोतियों का) गहना निकालो जिसको तुम (मर्द व औरत सब) पहनते हो। और (ऐ मुख़ातब! इस दरिया का एक यह भी फ़ायदा है कि) तू कश्तियों को (चाहे छोटी हों या बड़ी जैसे बड़े जहाज़, तू उनको) देखता है कि उस (दरिया) में (उसका) पानी चीरती हुई चली जा रही है। और (इसलिये भी दरिया को अपनी क़ुदरत के ताबे बनाया) ताकि तुम (उसमें व्यापार का माल लेकर सफ़र करो और उसके ज़रिये से) खुदा की रोज़ी तलाश करो और ताकि (इन सब फ़ायदों को देखकर उसका) शुक्र (अदा) करो।

और उसने ज़मीन में पहाड़ रख दिये ताकि वह (ज़मीन) तुमको लेकर डगमगाने (और हिलने) न लगे, और उसने (छोटी-छोटी) नहरें और रास्ते बनाये ताकि (उन रास्तों के ज़रिये से अपनी) मन्जिले-मक़सूद तक पहुँच सको। और (उन रास्तों की पहचान के लिये) बहुत-सी निशानियाँ बनाई (जैसे पहाड़, पेड़, इमारतें वगैरह जिनसे रास्ता पहचाना जाता है, वरना अगर तमाम ज़मीन की सतह एक जैसी और बराबर हालात पर होती तो रास्ता हरगिज़ न पहचाना

जाता), और सितारों से भी लोग रास्ता मालूम करते हैं (चुनाँचे यह बात ज़ाहिर और मालूम है)।

मअरिफ़ व मसाईल

مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

लफ़्ज़ शजर अक्सर उस दरख़्त के लिये बोला जाता है जो तने पर खड़ा होता है और कभी बिना खास किये ज़मीन से उगने वाली हर चीज़ को भी शजर कहते हैं। घास और बेल वगैरह भी इसमें दाख़िल होती हैं। इस आयत में यही मायने मुराद हैं, क्योंकि आगे जानवरों के चराने का ज़िक्र है, इसका ताल्लुक़ ज़्यादातर घास ही से है।

तुसीमून के मायने हैं जानवर को चरागाह में चरने के लिये छोड़ना।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

इन तमाम आयतों में अल्लाह तआला की नेमतों और अजीब व ग़रीब हिक्मत के साथ कायनात के पैदा करने और बनाने का ज़िक्र है, जिसमें ग़ौर व फ़िक्र करने वालों को ऐसी दलीलें और सुबूत मिलते हैं कि उनसे हक़ तआला की तौहीद (एक और तन्हा लायक़े इबादत होने) का गोया मुशाहदा होने लगता है। इसी लिये इन नेमतों का ज़िक्र करते-करते बार-बार इस पर सचेत किया गया है। इस आयत के आख़िर में फ़रमाया कि इसमें सोचने वालों के लिये दलील है क्योंकि खेती और दरख़्त और उनके फल-फूल वगैरह का ताल्लुक़ अल्लाह जल्ल शानुहू की कारीगरी व हिक्मत के साथ किसी क़द्र ग़ौर व फ़िक्र चाहता है, कि आदमी यह सोचे कि दाना या गुठली ज़मीन के अन्दर डालने से और पानी देने से तो खुद-ब-खुद यह नहीं हो सकता कि उसमें एक विशाल दरख़्त (पेड़) निकल आये और उस पर रंग-बिरंगे फूल लगने लगें, इसमें किसी काश्तकार ज़मीनदार के अमल का कोई दख़ल नहीं, यह सब मुकम्मल इख़्तियार रखने वाले यानी अल्लाह तआला की कारीगरी व हिक्मत से वाबस्ता है, और इसके बाद रात, दिन और सितारों का अल्लाह तआला के हुक्म के ताबे चलने का ज़िक्र आया तो आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

यानी “इन चीज़ों में चन्द दलीलें हैं अक्ल वालों के लिये।”

इसमें इशारा इसकी तरफ़ है कि इन चीज़ों का अल्लाह के हुक्म के ताबे होना ऐसा ज़ाहिर है कि इसमें बहुत कुछ ग़ौर व फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, जिसको ज़रा भी अक्ल होगी वह समझ लेगा। क्योंकि पेड़-पौधों और दरख़्तों से उगाने में तो बज़ाहिर कुछ न कुछ इनुसानी अमल का दख़ल था भी, यहाँ वह भी नहीं।

इसके बाद ज़मीन की दूसरी विभिन्न प्रकार की पैदावार की किस्मों का ज़िक्र फ़रमाकर फ़रमाया:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

“कि इसमें दलील है उन लोगों के लिये जो नसीहत पकड़ते हैं।”

मुराद यह है कि यहाँ भी बहुत गहरे फिक्र व नज़र (अध्ययन और गहन विचार) की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी दलालत बिल्कुल खुली हुई है, मगर शर्त यह है कि कोई उसकी तरफ़ तबज़्जोह से देखे और नसीहत हासिल करे, वरना बेवकूफ़ बेफ़िक्र आदमी जो इधर ध्यान ही न दे उसको इससे क्या फायदा हो सकता है।

سَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

रात और दिन को ताबे बनाने का मतलब यह है कि उनको इन्सान के काम में लगाने के लिये अपनी कुदरत का ताबे बना दिया कि रात इन्सान को आराम के सामान मुहैया करती है और दिन उसके काम के रास्ते हपवार करता है। इनके ताबे करने के यह मायने नहीं कि रात और दिन इन्सान के हुक्म के ताबे चलें।

هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كَلْوًا

आसमान व ज़मीन की मज़्लूक़ात और उनमें इन्सान के पुनाफे और फायदे बयान करने के बाद बहरे-मुहीत (यानी समन्दर) के अन्दर हक़ तआला की आला हिक्मत से इन्सान के लिये क्या-क्या फायदे हैं उनका बयान है कि दरिया में इन्सान की खुराक का कैसा अच्छा इन्तिज़ाम किया गया है कि मछली का ताज़ा गोश्त उसको मिलता है।

لِنَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

के अलफ़ाज़ में मछली को ताज़ा गोश्त करार देने से इस तरफ़ भी इशारा पाया जाता है कि दूसरे जानवरों की तरह उसमें ज़िबह करने की शर्त नहीं, वह गोया बना बनाया गोश्त है।

وَنَسَخَّرُ جَوَابًا جَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا.

यह दरिया का दूसरा फायदा बतलाया गया है कि उसमें गोता लगाकर इन्सान अपने लिये हिल्या निकाल लेता है। हिल्या के लफ़्ज़ी मायने जीनत के हैं, मुराद वो मोती, मूंगा और ज़वाहिरात हैं जो समन्दर से निकलते हैं, और औरतें उनके हार बनाकर गले में या दूसरे तरीकों से कानों में पहनती हैं। ये ज़ेवर अगरचे औरतें पहनती हैं लेकिन कुरआन ने मुजक्कर (पुल्लिंग) का लफ़्ज़ इस्तेमाल फरमाया है 'तल्बसूनहा' यानी तुम लोग पहनते हो। इशारा इस बात की तरफ़ है कि औरतों का ज़ेवर पहनना दर हकीकत मर्दों ही के फायदे के लिये है, औरत की जीनत (बनाव-सिंघार) दर हकीकत मर्द का हक़ है, वह अपनी बीवी को जीनत का लिबास और ज़ेवर पहनने पर मजबूर भी कर सकता है, इसके अलावा ज़वाहिरात का इस्तेमाल मर्द भी अंगूठी वगैरह में कर सकते हैं।

وَرَأَى الْمَلَأَكُ مَا أَعْرَابُهُمْ وَابْتَدَأُوا مِنْ لَحْمِهِ

यह तीसरा फायदा दरिया का बतलाया गया है। 'फुल्क' के मायने कश्ती और मवाखिर, भाखिरा की जमा (बहुवचन) है, मख़ के मायने पानी को चीरने के हैं, मुराद वो कश्तियाँ और

समुद्री जहाज़ हैं जो पानी की मौजों को चीरते हुए रास्ता तय करते हैं।

आयत का मतलब यह है कि दरिया को अल्लाह तआला ने दूर-दराज़ के शहरों के सफ़र का रास्ता बनाया है। दूर-दराज़ के मुल्कों में दरिया ही के ज़रिये सफ़र करना और तिजारती माल का मंगाना व भेजना आसान फ़रमा दिया है, और इसको रोज़ी के हासिल करने का उम्दा माध्यम करार दिया, क्योंकि दरिया के रास्ते से तिजारत सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाली होती है।

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ

रवासिया, रासिया की जमा (बहुवचन) है, भारी पहाड़ को कहा जाता है। तमीद मेद मस्दर से निकला है जिसके मायने डगमगाना या बेचैनी के अन्दाज़ की हरकत करना है।

आयत के मायने यह हैं कि ज़मीन के कुरे को हक़ तआला ने बहुत-सी हिक्मतों के सबब ठोस और संतुलित हिस्सों से नहीं बनाया इसलिये वह किसी तरफ़ से भारी किसी तरफ़ से हल्की वाके हुई है, इसका लाज़िमी नतीजा यह था कि ज़मीन को आम फ़लॉस्फ़रों की तरह साकिन (अपनी जगह ठहरी हुई) माना जाये या कुछ पुराने व नये फ़लॉस्फ़रों (वैज्ञानिकों) की तरह गोल घूमने वाली करार दिया जाये, दोनों हाल में ज़मीन के अन्दर एक इज़्तिराबी हरकत होती जिसको उर्दू हिन्दी में काँपने या डगमगाने से ताबीर किया जाता है। इस इज़्तिराबी हरकत को रोकने और ज़मीनी हिस्सों (भागों) को संतुलन में रखने के लिये हक़ तआला ने ज़मीन पर पहाड़ों का बज़न रख दिया ताकि वह इज़्तिराबी (डगमगाने वाली) हरकत न कर सके, बाक़ी रहा मसला इसके गोल घूमने का जैसे कि तमाम सय्यारे (ग्रह) करते हैं और पुराने फ़लॉस्फ़रों में से फ़ीसा गौरस की यही तहकीक़ थी, और नये फ़लॉस्फ़र सब इस पर एकमत हैं और नये अनुभवों व तहकीक़ात ने इसको और भी ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है, कुरआने करीम में न कहीं इसको साबित किया गया है न इसकी नफ़ी की गयी है, बल्कि यह काँपने और डोलने की हरकत जिसको पहाड़ों के ज़रिये बन्द किया गया है उस गोल घूमने वाली हरकत के लिये और ज़्यादा सहयोगी होगी जो सय्यारों (ग्रहों) की तरह ज़मीन के लिये साबित की जाती है। वल्लाहु आलम

وَعَلِمْتَ. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

ऊपर चूँकि व्यापारिक सफ़र का ज़िक्र आया है तो मुनासिब हुआ कि उन आसानियों का भी ज़िक्र किया जाये जो हक़ तआला ने मुसाफ़िरों के लिये रास्ता तय करने और मन्ज़िले मक़सूद तक पहुँचाने के लिये ज़मीन व आसमान में पैदा फ़रमाई हैं। इसलिये फ़रमाया 'व अलामातिन्' यानी हमने ज़मीन में रास्ते पहचानने के लिये बहुत सी निशानियाँ पहाड़ों, दरियाओं, दरख़्तों, मकानों वगैरह के ज़रिये कायम कर दी हैं। जाहिर है कि अगर ज़मीन एक सपाट कुरा होती तो इनसान किसी मन्ज़िल तक पहुँचने के लिये किस तरह रास्ते में भटकता।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

यानी सफ़र करने वाले जैसे ज़मीनी निशानियों से रास्ता पहचानते हैं इसी तरह सितारों के ज़रिये भी दिशा व रुख़ मालूम करके रास्ता पहचान लेते हैं। इस उनवान में इस तरफ़ भी इशारा

मालूम होता है कि सितारों की तस्वीर (बनाने) का अराल पकसद तो कुछ और है, उसके साथ एक यह भी फायदा है कि इनसे रास्ते भी पहचाने जाते हैं।

أَفَسِنَّ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَمَنْ تَعُدُّوهُ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَهَا

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاءُ ۝ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۝ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ لَا جَرَمَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

अ-फमंयख्लुकु कमल्-ला यख्लुकु,
अ-फला तजक्करुन (17) व इन्
तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा,
इन्नल्ला-ह ल-गफूरु-रहीम (18)
वल्लाहु यअलमु मा तुसिरु-न व मा
तुअलिनून (19) वल्लजी-न यदअ-न
मिन् दूनिल्लाहि ला यख्लुकू-न
शैअव्-व हुम् युख्लकून (20)
अम्वातुन् गैरु अह्याइन्, वमा
यअरु-न अय्या-न युअसून (21) ●
इलाहुकुम् इलाहुव्वाहिदुन् फल्लजी-न
ला युअमिन्-न बिल्आखिरति
कुलूबुहुम् मुन्कि-रतुव्-व हुम्
मुस्तक्बिरुन (22) ला ज-र-म
अन्नल्ला-ह यअलमु मा युसिरु-न व
मा युअलिनून, इन्नहू ला युहिबुल्-
मुस्तक्बरीन (23)

भला जो पैदा करे बराबर है उसके जो
कुछ न पैदा करे? क्या तुम सोचते नहीं।
(17) और अगर शुमार करो अल्लाह की
नेमतों को न पूरा कर सकोगे उनको।
(18) बेशक अल्लाह बख्शाने वाला मेहरबान
है। (19) और अल्लाह तजाला जानता है
जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते
हो, और जिनको पुकारते हैं अल्लाह के
सिवाय कुछ पैदा नहीं करते, और वे खुद
पैदा किए हुए हैं। (20) मुर्दे हैं जिनमें
जान नहीं, और नहीं जानते कि कब
उठाये जायेंगे। (21) ●
माबूद तुम्हारा माबूद है अकेला, सो
जिनको यकीन नहीं आखिरत की जिन्दगी
का उनके दिल नहीं मानते और वे
घमण्डी हैं। (22) ठीक बात है कि अल्लाह
जानता है जो कुछ छुपाते हैं और जो
कुछ जाहिर करते हैं, बेशक वह नहीं
पसन्द करता गुरुर करने वालों को। (23)

खुलासा-ए-तफसीर

तो (जब अल्लाह तआला का उक्त चीजों का बनाने वाला और पैदा करने वाला होना और इसमें उसका अकेला व तन्हा होना साबित हो चुका तो) क्या जो शख्स पैदा करता हो (यानी अल्लाह तआला) वह उस जैसा हो जायेगा, जो पैदा नहीं कर सकता (कि तुम दोनों को माबूद समझने लगे, तो इसमें अल्लाह तआला का अपमान है कि उसको बुतों के बराबर कर दिया) फिर क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते। और (अल्लाह तआला ने जो ऊपर तौहीद की दलीलों में अपनी नेमतें बतलाई हैं उन्हीं में क्या सीमित है वे तो इस कसरत से हैं कि) अगर तुम अल्लाह तआला की (उन) नेमतों को गिनने लगे तो (कभी) न गिन सको (मगर मुश्रिक लोग शुक्र और कद्र नहीं करते, और यह जुर्म इतना बड़ा था कि न माफ कराने से माफ होता और न इस पर अड़े और जमे रहने से आगे को ये नेमतें भिलतीं, लेकिन) वाकई अल्लाह तआला बड़ी मगफिरत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं (कि कोई शिर्क से तौबा करे तो मगफिरत हो जाती है, और न करे तब भी तमाप नेमतें जिन्दगी रहने तक खत्म नहीं होतीं) और (हैं नेमतों के मिलने और जारी रहने से कोई यह न समझे कि कभी सज़ा न होगी, बल्कि आखिरत में सज़ा होगी क्योंकि) अल्लाह तआला तुम्हारे छुपे और जाहिरी हालात सब जानते हैं (पस उनके मुवाफिक सज़ा देंगे। यह तो हक तआला के खालिक और नेगत देने वाला होने का बयान था)। और जिनकी ये लोग खुदा को छोड़कर इबादत करते हैं वे किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते और वे खुद ही मख्तूक "यानी पैदा किये हुए" हैं (और ऊपर कायदा-ए-कुल्लिया साबित हो चुका है कि गैर-खालिक और खालिक "यानी पैदा न करने वाला और पैदा करने वाला" बराबर नहीं, पस ये जिनकी इबादत की जा रही है कैसे इबादत के हकदार हो सकते हैं, और) वे (जिनकी इबादत की जा रही है) मुर्दे (वेजान) हैं (चाहे मुस्तफिल तौर पर जैसे बुत, या फिलहाल जैसे वे लोग जो मर चुके हैं, या नतीजे और आईन्दा के एतिबार से जो मरेंगे जैसे जिन्नात और ईसा अलीहिस्सलाम वगैरह) जिन्दा (रहने वाले) नहीं (पस खालिक तो क्या होते) और उन (माबूदों) को (इतनी भी) खबर नहीं कि (कियागत में) मुर्दे कब उठाये जाएंगे (यानी कुछ को तो इल्म ही नहीं और कुछ को उसका निर्धारित वक्त मालूम नहीं, और माबूद के लिये इल्म तो हर चीज का पूरा चाहिये, खास तौर से कियापत्त का कि उस पर बदला मिलेगा इबादत करने और न करने का तो उसका इल्म तो माबूद के लिये बहुत ही मुनासिब है। पस खुदा के बराबर तो इल्म में क्या होंगे इस तक्वीर से साबित हुआ कि) तुम्हारा सच्चा माबूद एक ही माबूद है, तो (इस हक के स्पष्ट होने पर भी) जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते (और इसी लिये उनको डर नहीं कि तौहीद को कुबूल करें मालूम हुआ कि) उनके दिल (ही ऐसे नाकाबिल हैं कि माफूल बात को) भुन्कर हो रहे हैं और (मालूम हुआ कि) वे हक के कुबूल करने से तकब्बुर करते हैं। (और) ज़रूरी बात है कि अल्लाह तआला उनके छुपे व जाहिरी सब हालात जानते हैं (और यह भी) यकीनी बात है कि अल्लाह तआला तकब्बुर करने वालों को पसन्द नहीं करते (पस जब उनका तकब्बुर मालूम है तो उनको

भी नापसन्द करेंगे और सजा देंगे)।

मजारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में अल्लाह जल्ल शानुहू की नेमतों का और कायनात की पैदाईश का जिक्र करने के बाद उस बात पर तंबीह फ़रमाई जिसके लिये इन सब नेमतों की तफ़सील बयान की गई है, और वह है हक़ तज़ाला की तौहीद, कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसलिये फ़रमाया कि जब यह साबित हो गया कि अकेले और तन्हा अल्लाह तज़ाला ने ही ज़मीन व आसमान बनाये, पहाड़ व दरिया बनाये, पेड़-पौधे और हैवानात बनाये, दरख़्त और उनके फूल-फल बनाये, तो क्या वह पाक ज़ात जो इन सब चीज़ों की ख़ालिफ़ (बनाने और पैदा करने वाली) है उन बुतों के जैसी और उनके बराबर हो जावेगी जो कुछ पैदा नहीं कर सकते? तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا سَابِطُوا الْأَوَّلِينَ ۖ لِيُحْبِلُوا

أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِهِمُ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ الْأَسَاءَ مَا يَشْرُونَ ۗ
 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَلَى اللَّهِ يُثِيَابُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ ۖ وَخَرَّ عَلَيْهِمُ الشَّقَقُ مِنْ قَوْقِهِمْ ۖ
 أَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۗ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْرَجُونَ ۖ وَيَقُولُ آئِن شُرَكَائِي الَّذِينَ
 كُنتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ ۖ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۗ
 الَّذِينَ تَتَوَلَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَالِعَىٰ أَنفُسِهِمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ وَالسُّوءَ ۖ يَلَا
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَيْسَ مَثْوًى
 الْمُنْكَرِينَ ۗ

व इज़ा की-ल लहुम् माज़ा अन्ज़-ल
 रब्बुकुम् कालू असातीरुल्-अव्वलीन्
 (24) लियहिमलू औ ज़भरहुम्
 कामि-लतय्-यौमल्-कियामति व भिन्
 औज़ारिल्लज़ी-न युज़िल्लूनहुम् बिगैरि
 लिन्पिन्, अला सा-अ पा
 यज़िरून (25) ❀

और जब कहे उनसे कि क्या उतारा है
 तुम्हारे रब ने तो कहे कहानियाँ हैं पहलों
 की। (24) ताकि उठायें बोझ अपने पूरे
 दिन कियामत के, और कुछ बोझ उनके
 जिनको बड़काते हैं बिना तहकीक़। सुन्ता
 है! बुरा बोझ है जो उठाते हैं। (25) ❀

कद् म-करल्लजी-न मिन् कब्लिहिम्
 फ-अतल्लाहु बुन्यानुहुम् मिन्ल्-
 कवाजिदि फ-खर्-र अलैहिमुस्सक्फु
 मिन् फौकिहिम् व अताहुमुल्-अजाबु
 मिन् हैसु ता यश्जुरुन (26) सुम्-म
 यौमल्-कियागति युब्जीहिम् व यकूलु
 ऐ-न शु-रकाइ-यल्लजी-न कुन्तुम्
 तुशाक्कू-न फीहिम्, कालल्लजी-न
 ऊतुल्-जिल्-म इन्नल् खिज्यल्-यो-म
 वस्सू-अ अलल्-काफिरीन (27)
 अल्लजी-न त-तवफ़ाहुमुल्-मलाइ-कतु
 जालिमी अन्फ़ुसिहिम् फ-अल्कयुस्-
 स-ल-म मा कुन्ना नज़्-मलु मिन्
 सूइन्, बला इन्नल्ला-ह अलीमुम्-
 बिमा कुन्तुम् तअमलून (28)
 फद्ख़ुल् अब्बा-व जहन्न-म
 ख़ालिदी-न फीहा, फ-लबिअ-स
 मस्वल-मु-तकब्बिरीन (29)

अलबल्ला दगाबाजी कर चुके हैं जो थं
 इग़री पहले, फिर पहुँचा हुक्म अल्लाह का
 उनकी इमारत पर बुनियादों से, फिर गिर
 पड़ी उन पर छस ऊपर से और आया उन
 पर अजाबे जहाँ से उनको ख़बर न थी।
 (26) फिर कियागत के दिन रुखा करेगा
 उनको और कहेगा कहाँ हैं मेरे शरीक
 जिन पर तुमको दड़ी जिद थी, बोलेगे
 जिनको दी गई थी ख़बर, बेशक रुखाई
 आज के दिन और बुराई पुन्कियों पर है।
 (27) जिनकी जान निकालते हैं फ़रिश्ते
 और वे बुरा कर रहे हैं अपने हक़ में, तब
 जाहिर करेंगे फ़रमाँवरदारी कि हम तो
 करते न थे कुछ बुराई, क्यों नहीं! अल्लाह
 ख़ूब जानता है जो तुम करते थे। (28)
 सो दाख़िल हो दरवाज़ों में दोज़ख़ के, रह
 करो सदा उसी में, सो क्या बुरा ठिकाना
 है घमण्ड काने वालों का। (29)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जब उनसे कहा जाता है (यानी कोई नावाक़िफ़ शख्स तहकीफ़ के लिये या कोई
 वाक़िफ़ शख्स इम्तिहान के लिये उनसे पूछता है) कि तुम्हारे रब ने क्या चीज़ नाज़िल फ़रमाई है
 (यानी कुरआन जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह तआला का नाज़िल
 किया हुआ फ़रमाते हैं, आयाश्यह सही है) तो कहते हैं कि (साहिब वह रब का नाज़िल किया
 हुआ कहाँ है) वो तो बिल्कुल बेसनद बातें हैं जो पहलों से (मन्कूल) चली आ रही हैं (यानी
 दूसरी मिल्लतों वाले पहले से तौहीद व नुबुव्वत और आख़िरत के मुद्दई होते चले आये हैं उन्हीं से
 यह भी नक़ल करने लगे, बाकी ये दावे खुदा के तालीम दिये हुए नहीं)। नतीजा इस (कहने) का

होगा कि जब लोगों की कियामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बोझ और जिम्मेदारी लोग
 बहानी से गुमराह कर रहे थे उनके गुनाहों का भी कुछ बोझ अपने ऊपर उठाना पड़ेगा (गुमराह
 करने से मुराद यही कहना है कि वे तो पहले लोगों की बेसनद बातें हैं, क्योंकि इससे दूसरे
 आदमी का एतिक्रम खराब होता है, और जो शख्स किसी को गुमराह किया करता है उस
 गुमराह को तो गुमराही का गुनाह होता है और उस गुमराह करने वाले को उसको गुमराही का
 तदब बन जाने का, इस सबब बनने में जो हिस्सा उसको मिलेगा उसको 'कूछ बोझ' फरमाया
 गया, और अपने गुनाह का पूरा बोझ उठाना चाहिए)। खूब याद रखो कि जिस गुनाह को वे
 अपने ऊपर लाद रहे हैं वह बुरा बोझ है।

(और इन्होंने जो गुमराह करने की यह तदबीर निकाली है कि दूसरों को ऐसी बातें करके
 बहकाते हैं, सो ये तदबीरें हक के मुक़ाबले में न चलेंगी, बल्कि खुद इन्हीं पर उनका बधाल व
 मुतीबत पड़ेगी, चुनाँचे) जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं उन्होंने (अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के
 मुक़ाबले और मुखालफत में) बड़ी-बड़ी तदबीरें कीं, सो अल्लाह तआला ने उन (की तदबीरों) का
 बना-बनाया घर जड़-बुनियाद से ढहा दिया, फिर (वे ऐसे नाकाम हुए जैसे गोया) ऊपर से उन पर
 (उस घर की) छत आ पड़ी (हो, यानी जिस तरह छत आ पड़ने से सब दबकर रह जाते हैं इसी
 तरह वे लोग बिल्कुल नाकाम व घाटा उठाने वाले हुए) और (नाकामी के अलावा) उन पर (खुदा
 का) अज़ाब ऐसी तरह आया कि उनको ख़्याल भी न था (क्योंकि उम्मीद तो उस तदबीर में
 कामयाबी की थी, खिलाफ़ उम्मीद उन पर नाकामी से बढ़कर अज़ाब आ गया जो कोसों भी
 उनके जेहन में न था। पिछले काफ़िरों पर अज़ाबों का आना मालूम व जाना-पहचाना है, वह
 हालत तो उनकी दुनिया में हुई)। फिर कियामत के दिन (उनके वास्ते यह होगा कि) अल्लाह
 तआला उनको रुस्वा करेगा और (उसमें से एक रुस्वाई यह होगी कि उम्मेद) यह कहेगा कि
 (तुमने जो) मेरे शरीक (बना रखे थे) जिनके बारे में तुम (नबियों और ईमान वालों से) लड़ाई
 झगड़ा करते थे (वे अब) कहाँ हैं (उस हालत को देखकर हक के) जानने वाले कहेंगे कि आज
 काफ़िरों पर पूरी रुस्वाई और अज़ाब है। जिनकी जान फरिश्तों ने कुफ़ की हालत में निकाली थी
 (यानी आख़िर वक़्त तक काफ़िर रहे। शायद उन इल्म रखने वालों का कौल बीच में इसलिये
 बयान हो कि काफ़िरों की रुस्वाई का आग और ऐलानिया होना मालूम हो जाये) फिर वे काफ़िर
 लोग (अपने शरीकों के जवाब में) सुलह का पैग़ाम डालेंगे (और कहेंगे) कि (शिरक जो आला दर्जे
 की बुराई और हक तआला की मुखालफत है हमारी क्या मजाल थी कि हम उसके करने वाले
 होते) हम तो कोई बुरा काम (जिसमें हक तआला की मामूली-सी मुखालफत भी हो) न करते थे
 (इसको सुलह का मज़मून इसलिये कहा गया कि दुनिया में शिरक का जो कि यकीनी मुखालफत
 है बड़े जोश व ख़रोश से इकरार था जैसा कि अल्लाह तआला के कौल में इसका जिक्र है 'तौ
 शाअल्लाहु मा अशरकना' और शिरक का इकरार मुखालफत का इकरार था, ख़ुसूसन अम्बिया
 अलैहिमुस्सलाम के साथ, तो खुद खुली मुखालफत के दायेंदार थे वहाँ उस शिरक के इनकार से
 मुखालफत का इनकार करेंगे, इसलिये इसको सुलह फरमाया और यह इनकार ऐसा है जैसा कि

एक दूसरी आयत में है:

وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۝

हक़ तआला उनके इस कौल को रद्द न फ़रमायेंगे कि) क्यों नहीं? (बल्कि वाकई तुमने बड़े काम मुखालफ़त के किये) बेशक अल्लाह को तुम्हारे सब आपाल की पूरी ख़बर है। सो (अन्ज़ा) जहन्नम के दरवाज़ों में (से जहन्नम में) दाख़िल हो जाओ, (और) उसमें हमेशा-हमेशा को रहो। गर्ज़ (हक़ से) तकब्बुर (और मुखालफ़त व मुकाबला) करने वालों का वह बुरा ठिकाना है (यह आख़िरत के अज़ाब का ज़िक्र हो गया। पस आयतों का खुलासा यह हुआ कि तुमने अपने से पहले काफ़िरों का हाल घाटे में रहने और दुनिया व आख़िरत के अज़ाब का सुन लिया, इसी तरह जो तदबीर व फ़रेब दीन-ए-हक़ के मुकाबले में तुम कर रहे हो और मख़्लूक को गुमराह करना चाहते हो, यही अन्जाम तुम्हारा होगा)।

मअरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में अल्लाह तआला की नेमतें और कायनात के बनाने में तन्हा व अकेला होने का ज़िक्र करके मुशिरकों की अपनी गुमराही का बयान था, इन आयतों में दूसरों को गुमराह करने और उसके अज़ाब का बयान है। और इससे पहले एक सवाल कुरआने करीम के बारे में है, और उस सवाल के मुखातब यहाँ तो मुशिरक लोग हैं और उन्हीं का जाहिलाना जवाब यहाँ ज़िक्र करके उन पर वर्ईद (डॉट और सज़ा का वायदा) बयान की गई है, और पाँच आयतों के बाद यही सवाल नेक व परहेज़गार मोमिनों को ख़िताब करके किया गया और उनका जवाब और उस पर इनामात के वायदे का ज़िक्र है।

कुरआने करीम ने यह नहीं खोला कि सवाल करने वाला कौन था, इसलिये मुफ़स्सरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) के इसमें विभिन्न अक़वाल हैं, किसी ने काफ़िरों को सवाल करने वाला करार दिया, किसी ने मुसलमानों को, किसी ने एक सवाल मुशिरकों का और दूसरा मोमिनों का करार दिया, लेकिन कुरआने करीम ने इसको अस्पष्ट और गुप्त रखकर इस तरफ़ इशारा कर दिया है कि इस बहस में जाने की ज़रूरत ही क्या है कि सवाल किसकी तरफ़ से था, देखना तो जवाब और उसके नतीजे का है जिनका कुरआन ने खुद बयान कर दिया है।

मुशिरकों की तरफ़ से जवाब का खुलासा यह है कि उन्होंने इसी को तस्लीम नहीं किया कि कोई कलाम अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िल हुआ भी है, बल्कि कुरआन को पिछले लोगों की कहानियाँ करार दिया। कुरआने करीम ने इस पर यह वर्ईद (सज़ा की धमकी) सुनाई कि ये ज़ालिम कुरआन को कहानियाँ बतलाकर दूसरों को भी गुमराह करते हैं, इसका यह नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा कि क़ियामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बवाल तो उन पर पड़ना ही है, जिनको ये गुमराह कर रहे हैं उनका भी कुछ बवाल इन पर पड़ेगा। और फिर फ़रमाया कि गुनाहों के जिस बोझ को ये लोग अपने ऊपर लाद रहे हैं वह बहुत बुरा बोझ है।

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

۲
ع
۱۰

व की-ल लिल्लज़ीनत्तकौ माज़ा
अन्ज़-ल रब्बुकुम्, कालू ख़ैरन्,
लिल्लज़ी-न अह्सनु फी हाज़िहिदुन्या
ह-स-नतुन्, व लदारुल्-आख़िरति
ख़ैरुन्, व लनिज़्-म दारुल्-मुत्तकीन
(30) जन्नातु अदनि्य्-यदख़ुलूनहा
तजरी मिन् तस्तिहल्-अन्हारु लहुम्
फीहा मा यशाऊ-न, कज़ालि-क
यज़्जिल्लाहुल्-मुत्तकीन (31)
अल्लज़ी-न त-तवफ़ाहुमुल्-मलाइ-कतु
तरियबी-न यकूलू-न सलामुन्
अलैकुमुदख़ुलुल्-जन्न-त बिमा
कुन्तुम् तअमलून (32) हल् यन्ज़ुरू-न
इल्ला अन् तअति-यहुमुल्-मलाइ-कतु
औ यअति-य अम्रु रब्बि-क,
कज़ालि-क फ-अल्लज़ी-न मिन्
कब्तिहिम्, व मा ज़-ल-महुमुल्लाहु

और कहा परहेज़गारों को— क्या उतारा
तुम्हारे रब ने, बोले नेक बात, जिन्होंने
भलाई की इस दुनिया में उनको भलाई है
और आख़िरत का घर बेहतर है, और
क्या ख़ूब घर है परहेज़गारों का। (30)
बाग़ हैं हमेशा रहने के जिनमें वे जायेंगे,
बहती हैं उनके नीचे से नहरें, उनके वास्ते
वहाँ है जो चाहें, ऐसा बदला देगा अल्लाह
परहेज़गारों को। (31) जिनकी जान कब्ज़
करते हैं फ़रिश्ते और वे सुथरी हैं, कहते
हैं फ़रिश्ते सलामती तुम पर, जाओ
जन्नत में, बदला है उसका जो तुम करते
थे। (32) क्या काफ़िर अब इसके मुत्तज़िर
हैं कि आयें उन पर फ़रिश्ते या पहुँचे हुक्म
तेरे रब का, इसी तरह किया था इनसे
अगलों ने, और अल्लाह ने जुल्म न किया

व लाकिनू कानू अन्फु-सहुम् यज़िलमून
 (33) फ़-असाबहुम् सय्यिआतु मा
 अमिलू व हा-क़ विहिम् मा कानू
 विही यस्तस्जिऊन (34) ❀

उन पर लेकिन वे खुद अपना बुरा करते
 रहे। (33) फिर पड़े उनके सर उनके बुरे
 काम और उलट पड़ा उन पर जो ठट्टा
 करते थे। (34) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग शिर्क से बचते हैं उनसे (जो कुरआन के बारे में) कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या चीज़ नाज़िल फ़रमाई है, वे कहते हैं कि बड़ी ख़ैर (और बरकत की चीज़) नाज़िल फ़रमाई है। जिन लोगों ने नेक काम किये हैं (जिसमें यह ऊपर कही हुई बात और तमाम नेक आमाल आ गये) उनके लिये इस दुनिया में भी भलाई है (वह भलाई सवाब का वायदा व खुशख़बरी है) और आख़िरत की दुनिया तो (इस वजह से कि वहाँ इस वायदे का ज़हूर हो जायेगा) और ज्यादा बेहतर (और खुशी का सबब) है, और वाक़ई वह शिर्क से बचने वालों का अच्छा घर है। वह घर (क्या है) हमेशा रहने के बाग़ हैं जिनमें ये दाख़िल होंगे, उन बाग़ों के (पेड़ और इमारतों के) नीचे से नहरें जारी होंगी। जिस चीज़ को उनका जी जाहेगा वहाँ उनको मिलेगी (और ख़ास उन्हीं की क्या विशेषता है जिनका क़ौल इस मक़ाम पर बयान हुआ है बल्कि) इसी तरह का बदला अल्लाह सब शिर्क से बचने वालों को देगा। जिनकी रूह फ़रिश्ते इस हालत में निकालते हैं कि वे (शिर्क से) पाक (साफ़) होते हैं (मतलब यह कि मरते दम तक तौहीद पर कायम रहते हैं और) वह (फ़रिश्ते) कहते जाते हैं— अस्सलामु अलैकुम, तुम (रूह कब्ज़ होने के बाद) जन्नत में चले जाना अपने आमाल के सबब।

ये लोग (जो अपने कुफ़्र व दुश्मनी और जहालत पर अड़े हुए हैं और बावजूद हक़ की दलीलें और निशानियाँ वाज़ेह होने के बावजूद इमान नहीं लाते, तो मालूम होता है कि ये सिर्फ़) इसी बात के मुन्तज़िर हैं कि इनके पास (मौत के) फ़रिश्ते आ जाएँ या आपके परवर्दिगार का हुक्म (यानी क़ियामत) आ जाये (यानी क्या मौत के वक़्त या क़ियामत में इमान लायेंगे जबकि इमान कुबूल न होगा, अगरचे उस वक़्त तमाम काफ़िर लोग हकीकत का पर्दा उठने की वजह से तौबा करेंगे, जैसी हठधर्मी और अड़नां कुफ़्र पर ये लोग कर रहे हैं) ऐसा ही इनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी (कुफ़्र पर अड़े रहना) किया था, और (अड़ने व हठधर्मी की बदौलत सज़ा पाने वाले हुए। सो) उन पर अल्लाह ने ज़रा भी जुल्म न किया लेकिन वे आप ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे (कि सज़ा के काम जान-जानकर करते थे)। आख़िर उनको उनके बुरे आमाल की सज़ाएँ मिलीं, और जिस अज़ाब (की ख़बर पाने) पर वे हंसते थे उनको उसी (अज़ाब) ने आन घेरा (पस ऐसा ही तुम्हारा हाल होगा)।

विल्लाहि जह-द ऐमानिहिम् ला
 यब्असुल्लाहु मय्यमूतु, बला वअदनु
 अलैहि हक्क-व-व लाकिन्-न
 अक्सरन्नासि ला यज्जलमून (38)
 लियुबथिय-न लहुमुल्लजी यख्तलिफू-न
 फीहि व लियअ-लमल्लजी-न क-फरू
 अन्नहुम् कानू काजिबीन (39) इन्नमा
 कौलुना लिशैइन् इजा अरदनाहु अन्-
 नकू-ल लहू कुन् फ-यकून (40) ❀

खाते हैं अल्लाह की सख्त कसमें कि न
 उठायेगा अल्लाह जो कोई पर जाये, क्यों
 नहीं! वादा हो चुका है इस पर पक्का
 लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। (38)
 उठायेगा ताकि जाहिर कर दे उन पर
 जिस बात में झगड़ते हैं और ताकि मालूम
 कर लें काफिर कि वे झूठे थे। (39) हमारा
 कहना किसी चीज को जब हम उसको
 करना चाहें यही है कि कहें उसको हो जा
 तो वह हो जाये। (40) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और मुशिक लोग यूँ कहते हैं कि अगर अल्लाह तआला को (बतौर रजा के यह मामला)
 मन्जूर होता (कि हम गैरुल्लाह की इबादत न करें जो हमारे तरीके के असूल यानी बुनियादी बातों
 में से है, और बाज़ी चीज़ों को हराम फ़रार न दें जो हमारे तरीकों के ऊपर की चीज़ों में से है।
 मतलब यह कि अगर अल्लाह तआला हमारे मौजूदा अक़ीदों व आमाल को नापसन्द करते) तो
 खुदा के सिवा किसी चीज़ की न हम इबादत करते और न हमारे बाप-दादा, और न हम उसके
 (हुक्म के) बग़ैर किसी चीज़ को हराम कह सकते (इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला को
 हमारा तरीका पसन्द है वरना हमको क्यों करने देते। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!
 आप उनसे ग़मगीन न हों, क्योंकि यह बेहूदा बहस व झगड़ा कोई नई बात नहीं, बल्कि) जो
 (काफ़िर) लोग इनसे पहले हुए हैं ऐसी ही हरकत उन्होंने भी की थी (यानी बेहूदा झगड़े और
 बहसों अपने पैग़म्बरों से की थी) जो पैग़म्बरों (का उसरो क्या बिगड़ा और वे जिस तरीके की
 तरफ़ बुलाते हैं उसको क्या नुक़सान पहुँचा, उन) के जिम्मे तो (अहक़ाम का) सिर्फ़ साफ़-साफ़
 पहुँचा देना है (साफ़-साफ़ यह कि दावा स्पष्ट हो और सही दलील उस पर कायम हो, इसी तरह
 आपके जिम्मे भी यही काम था जो आप कर रहे हैं, फिर अगर दुश्मनी व मुख़ालफ़त के दौर पर
 दावे और दलील में ग़ौर न करें तो आपकी बला से)। और (जिस तरह उनका मायला आपके
 साथ यानी यह झगड़ना और बहस करना कोई नई बात नहीं इसी तरह आपका मामला उनके
 साथ यानी तौहीद व दीने हक़ की तरफ़ बुलाना कोई नई बात नहीं, बल्कि इसकी तालीम भी
 पहले से चली आई है, चुनाँचे पहली उम्मतों में से) हम हर उम्मत में कोई न कोई पैग़म्बर (इस
 बात की तालीम के लिये) भेजते रहे हैं कि तुम (खास) अल्लाह तआला की इबादत करो और

शैतान (कं रास्ते) से (कि वह शिर्क व कुफ़्र है) दबत रहो (इसमें चीजों का वह हराम ठहरा लेना भी आ गया जो मुश्रिक लोग अपनी राय से किया करते थे, क्योंकि वह शिर्क व कुफ़्र का एक हिस्सा था)। सो उनमें बाज़े वे हुए हैं कि जिनको अल्लाह तआला ने हिदायत दी (कि उन्होंने हक़ को कुबूल कर लिया) और बाज़े उनमें वे हुए जिन पर गुमराही साबित हो गई।

(मतलब यह कि काफ़िरों और अम्बिया में यह मामला इसी तरह चला आ रहा है और हिदायत देने व गुमराह करने के बारे में अल्लाह तआला का मामला भी हमेशा से यूँ ही जारी है कि झगड़ना व बहस करना काफ़िरों का भी पुराने ज़माने से और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तालीम करना भी पुराने ज़माने से, और सब का हिदायत न पाना भी पुराने ज़माने से, फिर आपको क्यों ग़म हो? यहाँ तक तसल्ली फ़रमाई गई जिसमें आख़िर के मज़मून में उनके शुब्हे का मुख़्तसर जवाब भी हो गया कि ऐसी बातें करना गुमराही है जिसके गुमराही होने की आगे ताईद और जवाब की ज़्यादा स्पष्टता है, यानी अगर रसूल के साथ झगड़ने और बेकार की बहस करने का गुमराही होना तुमको मालूम न हो) तो (अच्छा) ज़मीन में चलो-फ़िरो (निशानात से) देखो कि (पैग़म्बरों के) झुठलाने वालों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ (पस अगर वे गुमराह न थे तो उन पर अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ और इत्तिफ़ाकी वांकिआत उनको इसलिये कह सकते कि खिलाफ़े आदत हुए और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की भविष्यवाणी के बाद हुए और मोमिन हज़रात उससे बचे रहे, फिर उसके अज़ाब होने में क्या शक़ है)।

(और चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उम्मत के किसी फ़र्द की गुमराही से भी सख़्त सदमा पहुँचता था इसलिये आगे फिर आपको ख़िताब है कि जैसे पहले बाज़े लोग हुए हैं जिन पर गुमराही कायम हो चुकी थी इसी तरह ये लोग भी हैं सो) इनके सही रास्ते पर आने की अगर आपको तमन्ना हो तो (कुछ नतीजा नहीं, क्योंकि) अल्लाह तआला ऐसे शख़्स को हिदायत नहीं किया करता जिसको (उस शख़्स के मुँह फेरने और दुश्मनी के सबब) गुमराह करता है (अलबत्ता अगर वह दुश्मनी व मुख़ालफ़त को छोड़ दे तो हिदायत कर देता है, लेकिन ये दुश्मनी व मुख़ालफ़त को छोड़ेंगे नहीं इसलिये इनको हिदायत भी न होगी)।

और (गुमराही व अज़ाब के बारे में अगर इनका यह गुमान हो कि हमारे माबूद इस हालत में भी अज़ाब से बचा लेंगे तो वे समझ लें कि खुदा तआला के मुक़ाबले में) उनका कोई हिमायती न होगा (यहाँ तक उनके पहले शुब्हे के जवाब की तक़रीर थी, आगे दूसरे शुब्हे के बारे में कलाम है)। और ये लोग बड़े जोर लगा-लगाकर अल्लाह की क़समें खाते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह उसे दोबारा ज़िन्दा न करेगा (और क़ियामत न आयेगी, आगे जवाब है) क्यों नहीं ज़िन्दा करेगा! (ज़रूर ज़िन्दा करेगा) इस वायदे को तो अल्लाह तआला ने अपने ज़िम्मे लाज़िम कर रखा है, लेकिन अक्सर लोग (बावजूद सही दलील कायम होने के इस पर) यकीन नहीं लाते (और यह दोबारा ज़िन्दा करना इसलिये होगा) ताकि (दीन के बारे में) जिस चीज़ में ये लोग (दुनिया में) झगड़ा किया करते थे (और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के फैसले से रास्ते पर न आते थे) उनके सामने उस (की हकीक़त) का (आँखों से दिखाकर) इज़हार कर दे, और ताकि (इस

हकीकत के इजाजत के बरत) काफिर लोग (पूरा) धकीन कर लें कि बाकई वही झूठ थे- जिन्हें नहीं व मोमिन हज़रात सच्चे थे। पर कियामत का आना यकीनी और अज़ाब से फ़ैतला होना ज़रूरी है, यह जवाब हो गया उनकी इस बात का कि अल्लाह तआला मरने के बाद जिन्दा न करेगा, चूँकि वे लोग कियामत का इसलिये इनकार करते थे कि मरकर जिन्दा होना उनके ख्याल में किसी के बस में न था, इसलिये आगे अपनी कामिल कुदरत को साबित करके उनके इस शुब्हे को दूर फ़रमाते हैं कि हमारी कुदरत ऐसी अज़ीम है कि हम जिस चीज़ को (पैदा करना) चाहते हैं (हमें उसमें कुछ मेहनत मशक्कत करनी नहीं पड़ती) बस हमारा उससे इतना ही कहना (काफ़ी) होता है कि तू (पैदा) हो जा, पर वह (मौजूद) हो जाती है (तो इतनी बड़ी कामिल कुदरत के सामने बेजान चीज़ों में दोबारा जान का पड़ जाना कौनसा दुश्वार है, जैसे पहली बार उनमें जान डाल चुके हैं। अब दोनों शुब्हों का पूरा जवाब हो चुका। अल्लह्मु रिल्लाह)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

उन काफ़िरोँ का पहला शुब्हा (या एतिराज़) तो यह था कि अल्लाह तआला को अगर हमारा कुफ़ व शिर्क और नाजायज़ काम करना पसन्द नहीं तो यह हमें ज़बरदस्ती इससे रोक क्यों नहीं देते।

इस शुब्हे का बेहूदा होना तो स्पष्ट था इसलिये इसका जवाब देने के बजाय सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तसल्ली पर बस किया गया कि ऐसे बेहूदा सवालालत से आप ग़मगीन न हों, और शुब्हे के बेहूदा होने की वजह ज़ाहिर है कि अल्लाह तआला ने दुनिया के इस आत्म का निज़ाम ही इस बुनियाद पर कायम फ़रमाया है कि इनसान को बिल्कुल मजबूर नहीं रखा गया, एक क़िस्म का इख़्तियार इसको दिया गया है, उसी इख़्तियार को वह अल्लाह की इताअत (फ़रमाँबरदारी) में इस्तेमाल करे तो सवाब और नाफ़रमानी में इस्तेमाल करे तो अज़ाब के वायदे और वईद फ़रमाई, इसी के नतीजे में कियामत और हश्र व नश्र के सारे हंगामे हैं। अगर अल्लाह तआला चाहते कि सब को मजबूर करके अपनी इताअत करायें तो किसकी मजाल थी कि इताअत से बाहर जाता, मगर हिक्मत के तकाज़े के तहत मजबूर कर देना दुरुस्त न था इसलिये इनसान को इख़्तियार दिया गया। तो अब काफ़िरोँ का यह कहना कि अगर अल्लाह को हमारा तरीका पसन्द न होता तो हमें मजबूर क्यों न कर देते, एक अहगकाना और दुश्मनी भरा सवाल है।

क्या हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में भी अल्लाह का

कोई रसूल आया है?

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

इस आयत (यानी आयत 36) से तथा दूसरी आयत:

وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

(सूर: फ़ातिर आयत 24) से ज़ाहिर में यही मालूम होता है कि हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के इलाकों में भी अल्लाह के पैग़म्बर ज़रूर आये होंगे, चाहे वे यहीं के बाशिन्दे हों या किसी दूसरे मुल्क में हों, और उनके नायब और प्रचारक यहाँ पहुँचें हों, और आयत:

لِنَذِرْكُمْ مِمَّا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ

से जो यह समझ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस उम्मत की तरफ़ भेजे गये हैं उनकी तरफ़ आप से पहले कोई रसूल नहीं आया, इसका जवाब यह हो सकता है कि इससे मुराद बज़ाहिर अरब की वह क़ौम है जो आपकी बेसत व नुबुव्वत की सबसे पहले मुखातब हुई कि उनमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद से कोई रसूल नहीं आया था, इसी लिये उन लोगों का लक़ब कुरआने करीम में 'उम्मिय्यीन' रखा गया है। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि बाकी दुनिया में भी आप से पहले कोई रसूल न आया हो। वल्लाहु आलम

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

<p>वल्लज़ी-न हाज़रू फ़िल्लाहि मिप्- बज़्दि मा जुलिमू लनुबव्विअन्नहुम् फिदुदुन्या ह-स-नतन्, व लअज़्कल्- आख़िरति अक्बरु। लौ कानू यज़्लमून (41) अल्लज़ी-न स-बरू व अला रब्बिहिम् य-तवक्कलून (42)</p>	<p>और जिन्होंने घर छोड़ा अल्लाह के वास्ते बाद इसके कि जुल्म उठाया ज़रूर उनको हम ठिकाना देंगे दुनिया में अच्छा और आख़िरत का सवाब तो बहुत बड़ा है अगर उनको मालूम होता (41) जो साबित-क़दम रहे और अपने रब पर भरोसा किया। (42)</p>
--	---

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जिन लोगों ने अल्लाह के वास्ते अपना वतन (मक्का) छोड़ दिया (और हब्शा चले गये) उसके बाद कि उन पर (काफ़िरों की तरफ़ से) जुल्म किया गया (क्योंकि ऐसी मजबूरी में वतन छोड़ना बड़ा भारी गुज़रता है), हम उनको दुनिया में ज़रूर अच्छा ठिकाना देंगे (यानी उनको मदीना पहुँचाकर खूब अमन व राहत देंगे, चुनाँचे कुछ ही समय के बाद मदीना में अल्लाह तआला ने पहुँचा दिया और उसको असली वतन करार दिया गया, इसलिये उसको ठिकाना कहा और हर तरह की वहाँ तरक्की हुई, इसलिये हसना "अच्छा" कहा गया और हब्शा का क़ियाम

वक्तों और अस्थायी था इसलिए उसको ठिकाना नहीं फरमाया), और आखिरत का सवाब (इससे) तो कई दर्जे बड़ा है (कि खैर भी है और हमेशा बाकी रहने वाला भी) काश (उस आखिरत के अज़्र की) इन (बेखबर काफ़िरों) को (भी) ख़बर होती (और उसके हासिल करने की दिलचस्पी व चाहत से मुसलमान हो जाते)। वे ऐसे हैं जो (नागवार वाकिआत पर) सब्र करते हैं (चुनाँचे वतन का छोड़ना अगरचे उनको नागवार है लेकिन बगैर इसके दीन पर अमल नहीं कर सकते थे, दीन के लिये वतन छोड़ा और सब्र किया) और (वह हर हाल में) अपने सब पर भरोसा रखते हैं (वतन छोड़ने के वक्त यह ख़्याल नहीं करते कि खायें पियेंगे कहाँ से)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا

हिजरत से बना है, हिजरत के लुगवी मायने वतन को छोड़ने के हैं। वतन का छोड़ना जो अल्लाह के लिये किया जाता है वह इस्लाम में बड़ी नेकी व इबादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

الْهَجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا

यानी हिजरत उन तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देती है जो इनसान ने हिजरत से पहले किये हों।

यह हिजरत कुछ सूरतों में फ़र्ज व वाजिब और कुछ सूरतों में मुस्तहब व अफ़जल (पसन्दीदा और बेहतर) होती है, इसके तफ़सीली अहकाम तो सूर: निसा की आयत नम्बर 97:

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَأَسِعَتْ فَنَهَا جُرُؤًا فِيهَا

के तहत में बयान हो चुके हैं, इस जगह सिर्फ़ उन वायदों का बयान है जो अल्लाह तआला ने मुहाजिरों (अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों) से किये हैं।

क्या हिजरत दुनिया में भी आसानी व ऐश का सबब होती है?

उक्त आयतों में चन्द शर्तों के साथ मुहाजिरों के लिये दो अज़ीमुशशान वायदे किये गये हैं- अब्बल तो दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देने का, दूसरे आखिरत के बेहिसाब बड़े सवाब का। “दुनिया में अच्छा ठिकाना” एक निहायत जामे लफ़्ज़ है, इसमें यह भी दाख़िल है कि मुहाजिर को रहने के लिये मकान और पड़ोसी अच्छे मिलें, यह भी दाख़िल है कि उसको रिज़्क अच्छा मिले, दुश्मनों पर फ़तह व ग़लबा नसीब हो, आम लोगों की ज़बान पर उनकी तारीफ़ और थलाई हो, इज़्ज़त व सम्मान मिले, जो उनके ख़ानदान और औलाद तक चले। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

आयत का शाने नुज़ूल (उतरने का मौक़ा और सबब) असल में वह पहली हिजरत है जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हब्शा की तरफ़ की, और यह भी हो सकता है कि हब्शा

शाली हिजरत और उसके बाद का मदीना वाला हिजरत दोनों इसमें दाखिल हैं। आयत में यहाँ हब्शा के उन्हीं मुहाजिरों या मदीना के मुहाजिरों का जिक्र है, इसलिये कुछ उलेमा ने फरमाया कि यह वायदा उन्हीं हजराते सहाबा के लिये था, जिन्होंने हब्शा की तरफ या फिर मदीना की तरफ हिजरत की थी, और अल्लाह तआला का यह वायदा दुनिया में पूरा हो चुका जिसको सब ने अपनी आँखों से देखा और उसका अनुभव कर लिया कि अल्लाह तआला ने मदीना मुन्बरा को उनका कैसा अच्छा ठिकाना बना दिया, तकलीफ़ देने वाले पड़ोसियों के बजाय गुमख़्बार, हमदर्द व जान कुरबान कर देने वाले पड़ोसी मिले, दुश्मनों पर फ़तह व ग़लबा नसीब हुआ, हिजरत के धोड़े ही अरसा गुज़रने के बाद उन पर रिज़क के दरवाज़े खोल दिये गये, फ़कीर व मिस्कीन मालदार हो गये, दुनिया के मुल्क फ़तह हुए, उनके अच्छे अख़लाक, अच्छे अमल के कारनामे रहती दुनिया तक हर गुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ की जुबान पर हैं, उनको और उनकी नस्लों को अल्लाह तआला ने बड़ी इज़्ज़त व सम्मान बख़्शा। ये तो दुनिया में होने वाली चीज़ें थीं जो हो चुकीं, और आख़िरत का वायदा पूरा होना भी यकीनी है, लेकिन तफ़सीर बहरे मुहीत में अबू हव्व्यान कहते हैं:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا عَامًّا فِي الْمُهَاجِرِينَ كَاتِبًا كَانُوا فَيشْمَلُ أَوْلَهُمْ وَأَحْرَهُمْ. (س ۴۹۲، ۵۷)

“अल्लज़ी-न हाज़रू का लफ़ज़ दुनिया के तमाम मुहाजिरीन के लिये आम और सब को शामिल है, किसी भी इलाके और ज़माने के मुहाजिर हों, इसलिये यह लफ़ज़ शुरू के मुहाजिरीन को भी शामिल है और क़ियामत तक अल्लाह के लिये हिजरत करने वाला इसमें दाख़िल है।”

आम तफ़सीरी क़ानून का तकाज़ा भी यही है कि आयत का उतरने का मौक़ा और सबब अगरचे कोई ख़ास वाक़िआ और ख़ास ज़माज़त हो मगर एतिबार लफ़ज़ों के आम होने का होता है, इसलिये इस वायदे में तमाम दुनिया के और हर ज़माने के मुहाजिरीन भी शामिल हैं, और ये दोनों वायदे तमाम मुहाजिरों के लिये पूरा होना यकीनी बात है।

इसी तरह का एक वायदा मुहाजिरों के लिये सूः निसा की इस आयत में किया गया है:

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِعًا كَثِيرًا وَسَعَةً.

जिसमें ठिकाने की आसानी व सहूलत और चैन सुकून की ज़िन्दगी ख़ास तौर से वायदा की गयी हैं, मगर कुरआने करीम ने इन वायदों के साथ मुहाजिरों के कुछ औसाफ़ (ख़ूबी व गुण) और हिजरत की कुछ शर्तें भी बयान फ़रमाई हैं, इसलिये उन वायदों के मुस्तहिक़ वही मुहाजिर लोग हो सकते हैं जो उन गुणों व सिफ़तों वाले हों, और जिन्होंने मत्लूबा शर्तें पूरी कर दी हों।

उनमें सबसे पहली शर्त तो फ़िल्लाहि की है, यानी हिजरत करने का मक़सद सिर्फ़ अल्लाह तआला को राज़ी करना हो, उसमें दुनियावी फ़ायदे तिज़ारत, नौकरी वग़ैरह और नफ़्सानी फ़ायदे पेशे नज़र (उद्देश्य) न हों।

दूसरी शर्त उन मुहाजिरों का मज़लूम होना है जैसा कि फ़रमाया ‘मिम्बअदि मा जुलिमू’।

तीसरा गुण व सिफ़त शुरू की तकलीफ़ों व मुसीबतों पर सब्र और साबित-क़दम रहना है

जैसा कि फ़रमाया 'अल्लाजी-न स-वह'।

सौधा गुण व खूबी तमाम मादी तदबीरों का एहतिमाम करते हुए भी भरोसा सिर्फ़ अल्लाह पर रखना है, कि फ़तह व मदद और हर कामयाबी सिर्फ़ उसी के हाथ में है जैसा कि फ़रमाया 'व अला रब्बिहिम् य-तवक्कलून'।

इससे मालूम हुआ कि शुरू की मुश्किलें व तकलीफें तो हर काम में हुआ ही करती हैं उनको सहन करने के बाद भी अगर किसी मुहाजिर को अच्छा ठिकाना और अच्छे हालात नहीं मिलते तो क़ुरआन के वायदे में शुब्हा करने के बजाय अपनी नीयत व इख़्लास और अमल की अच्छाई का जायज़ा ले, जिस पर ये वायदे किये गये हैं, तो उसको मालूम होगा कि कसूर अपना ही था, कहीं नीयत में ख़ोट होता है कहीं सब्र व जमाव और तवक्कुल (अल्लाह पर भरोसे) की कमी होती है।

वतन छोड़ने और हिजरत की विभिन्न किस्में और उनके अहकाम

इमाम कुर्तुबी ने इस जगह हिजरत और वतन छोड़ने की किस्में और उनके कुछ अहकाम पर एक मुफ़ीद भजमून तहरीर फ़रमाया है, फ़ायदे को पूर्ण करने के लिये उसको नक़ल करता हूँ।

इमाम कुर्तुबी ने इब्ने अरबी के हवाले से लिखा है कि वतन से निकलना और ज़मीन में सफ़र करना कभी तो किसी चीज़ से भागने और बचने के लिये होता है, और कभी किसी चीज़ की तलब व जुस्तजू के लिये, पहली किस्म का सफ़र जो किसी चीज़ से भागने और बचने के लिये हो उसको हिजरत कहते हैं, और उसकी छह किस्में हैं:

अव्वल: यानी दारुल-कुफ़्र (कुफ़्र के मक़ाम) से दारुल-इस्लाम (इस्लामी हुक्ूमत) की तरफ़ जाना। सफ़र की यह किस्म रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में भी फ़र्ज़ थी और क़ियामत तक अपनी हिम्मत व ताक़त के अनुसार फ़र्ज़ है (जबकि दारुल-कुफ़्र में अपने जान व माल और आबरू का अमन न हो, या दीनी फ़राईज़ की अदायेगी मुम्किन न हो), इसके बावजूद दारुल-हरब (मुसलमानों से लड़ने वालों और दुश्मनों) में मुक़ीम रहा तो गुनाहगार होगा।

दूसरा: दारुल-बिदअत (दीन के नाम पर ग़लत रस्मों और ख़ुराफ़ात के मक़ाम) से निकल जाना। इब्ने कासिम कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि से सुना है कि किसी मुसलमान के लिये उस जगह में रहना और ठहरना हलाल नहीं जिसमें पहले बुजुर्गों और ज़ेक़ लोगों पर तान-तान और बुरा-भला कहने का अमल किया जाता हो। इब्ने अरबी यह कौल नक़ल करके लिखते हैं कि यह विल्कुल सही है क्योंकि अगर तुम किसी मुन्कर (बुराई) को दूर नहीं कर सकते तो तुम पर लाज़िम है कि खुद वहाँ से अलग हो जाओ, जैसा कि अल्लाह का इरशाद है:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

तीसरा सफ़र यह है कि जिस जगह पर खरबूट का गुलदा हो, वहाँ से निजत न जाये। क्योंकि हजाल का तालब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है।

चौथा सफ़र जिस्मानी तकलीफों से बचने के लिये। यह सफ़र जायज़ और अब्बाह तआला की तरफ़ से इनाम है कि इनसान जिस जगह दुश्मनों से जिस्मानी तकलीफ़ व ख़तरों का ख़तरा महसूस करे वहाँ से निकल जाये, ताकि उस ख़तरों से निजात हो। यह चौथी किस्म का सफ़र सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, जबकि कौम की तकलीफ़ों से निजात हासिल करने के लिये इराक़ से मुल्के शाम की तरफ़ खाना हुए और फ़रमाया 'इन्नी मुहाजिरुन् इला रबी'। उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही एक सफ़र मिस्र से मदनन की तरफ़ किया जैसा कि कुरआन पाक में है:

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا تَرَافًا.

पाँचवाँ सफ़र हवा पानी की ख़राबी और रोगों के ख़तरों से बचने के लिये है। इस्लामी शरीअत ने इसकी भी इजाज़त दी है जैसा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ चरवाहों को मदीने से बाहर जंगल में ठहरने के लिये इरशाद फ़रमाया, क्योंकि शहरी हवा पानी उनकी मुवाफ़िक़ न था। इसी तरह हज़रत फारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू ज़बैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म भेजा था कि दाऊल-ख़िलाफ़ा (राजधानी) उर्दुन से मुत्तकिल करके किसी ऊँचे मक़ाम पर ले जायें जहाँ हवा पानी ख़राब न हो।

लेकिन यह उस वक़्त में है जब किसी मक़ाम पर ताऊन या बवाई बीमारियाँ फैली हुई न हों, और जिस जगह कोई बवा (महापारी) फैल जाये उसके लिये हुक्म यह है कि जो लोग उस जगह पहले से मौजूद हैं वे तो वहाँ से भागें नहीं, और जो बाहर हैं वे उसके अन्दर न जायें, जैसा कि हज़रत फारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को मुल्क शाम के सफ़र के वक़्त पेश आया कि शाम की सरहद पर पहुँचकर मालूम हुआ कि मुल्के शाम में ताऊन फैला हुआ है, तो आपकी उस मुल्क में दाख़िल होने में पसोपेश हुआ, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से निरंतर मशिवरों के बाद आख़िर में जब हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको यह हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَلْبِطُوا عَلَيْهَا.

(رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح)

“जब किसी ख़िलते में ताऊन फैल जाये और तुम वहाँ मौजूद हो तो अब वहाँ से न निकलो और जहाँ तुम पहले से मौजूद नहीं वहाँ ताऊन फैलने की ख़बर सुनो तो उसमें दाख़िल न हो।”

उस वक़्त फारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस के हुक्म पर अमल करते हुए पूरे काफ़िले को लेकर वापसी का ऐलान कर दिया।

कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि हदीस शरीफ़ के इस हुक्म में एक खास हिक्मत यह भी है कि जो लोग उस जगह मुक़ीम हैं जहाँ कोई बवा फैल चुकी है वहाँ के लोगों में बवा के जरासीम का

मौजूद होने का ग़ालिब गुमान है, वे अगर वहाँ से भागेंगे तो जिसमें यह बधा का माहा दाखिला हो चुका है वह तो बचेगा नहीं, और जहाँ यह जायेगा वहाँ के लोग उससे ग्रस्त व प्रभावित होंगे, इसलिये यह हकीमाना (समझदारी का) फैसला फ़रमाया।

छठा सफ़र अपने माल की हिफ़ाज़त के लिये है। जब कोई शख्स किसी मक़ाम में चोरों, डाकुओं का ख़तरा महसूस करे तो वहाँ से मुन्तक़िल हो जाये। इस्लामी शरीअत ने इसकी भी इजाज़त दी है, क्योंकि मुसलमान के माल का भी ऐसा ही एहतियाम है जैसा उसकी जान का है।

ये छह किस्में तो वतन को छोड़ने और उससे सफ़र करने की वो हैं जो किसी चीज़ से भागने और बचने के लिये किया गया हो, और जो सफ़र किसी चीज़ की तलब व जुस्तजू के लिये किया जाये उसकी नौ किस्में हैं:

1. इब्रत लेने के लिये सफ़र: यानी दुनिया की सैर व सफ़र इस काम के लिये करना कि अल्लाह तआला की मख़्लूक़ात और कामिल क़ुदरत और पहली क़ौमों को देख करके इब्रत (सबक़ व नसीहत) हासिल करे। कुरआने करीम ने ऐसे सफ़र की तरफ़ तवज्जोह दिलाई है:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

हज़रत जुल्क़रनैन के सफ़र को भी कुछ उलेमा ने इसी किस्म का सफ़र क़रार दिया है और कुछ ने फ़रमाया कि उनका सफ़र ज़मीन पर अल्लाह का क़ानून नाफ़िज़ करने के लिये था।

2. हज का सफ़र: इसका चन्द शर्तों के साथ इस्लामी फ़रीज़ा होना सब को मालूम है।

3. जिहाद का सफ़र: इसका फ़र्ज़ या वाजिब या मुस्तहब होना भी सब मुसलमानों को मालूम है।

4. रोज़गार के लिये सफ़र: जब किसी शख्स को अपने वतन में ज़रूरत के मुताबिक़ रोज़ी कमाने का मौक़ा हासिल न हो सके तो उस पर लाज़िम है कि वहाँ से सफ़र करके दूसरी जगह रोज़गार की तलाश करे।

5. व्यापारिक सफ़र: यानी ज़रूरत की मात्रा से ज़्यादा माल हासिल करने के लिये सफ़र करना यह भी शरई तौर पर जायज़ है। हक़ तआला का इरशाद है:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने से मुराद इस आयत में तिजारत है, अल्लाह तआला ने हज के सफ़र में भी तिजारत की इजाज़त दे दी है, तो तिजारत के लिये ही सफ़र करना कहीं बढ़कर जायज़ हुआ।

6. इल्म हासिल करने के लिये सफ़र: इसका दीन के ज़रूरत के मुताबिक़ फ़र्ज़-ए-ऐन (हर एक के लिये लाज़िमी फ़र्ज़) होना, और ज़रूरत से ज़्यादा का फ़र्ज़-ए-किफ़ाय़ा होना मालूम व परिचित है।

7. किसी मक़ाम को पवित्र और बरक़त वाला समझकर उसकी तरफ़ सफ़र करना: यह सिवाय तीन मस्जिदों के दुरुस्त नहीं—

(1) मस्जिद-ए-हराम (मक्का मुकर्रमा)।

(2) मस्जिद-ए-नबवी (मदीना तय्यिबा)।

(3) मस्जिद-ए-अक्सा (बैतुल-मुकद्दस)।

(यह अल्लामा कुर्तुबी और इब्ने अरबी की राय है, दूसरे पहले और बाद के महान उलेमा ने आम पवित्र और बरकत वाले मकामात की तरफ सफर करने को भी जायज़ करार दिया है। मुहम्मद शफी)

8. इस्लामीं सरहदों की हिफ़ाज़त के लिये सफ़र: जिसको रबात कहा जाता है, बहुत हदीसों में इसकी बड़ी फ़ज़ीलत बयान हुई है।

9. रिश्तेदारों, प्यारों और दोस्तों से मुलाक़ात के लिये सफ़र: हदीस में इसको भी अज़ व सदाब का ज़रिया करार दिया गया है, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में करीबी लोगों और दोस्तों की मुलाक़ात के लिये सफ़र करने वाले के लिये फ़रिश्तों की दुआ का ज़िक्र फ़रमाया गया है (यह जब है कि उनकी मुलाक़ात से अल्लाह तआला की रज़ा मकसूद हो, कोई माही गर्ज न हो) वल्लाहु आलम। (तफ़सीरे कुर्तुबी, पेज 349 से 351 जिल्द 5, सूर: निसा)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝
بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

व मा अरसल्ला मिन् क़ब्लि-क इल्ला
रिजालन्-नूही इलैहिम् फ़सअलू
अहलज़िज़िक् इन् कुन्तुम् ला तअलमून
(43) बिल्-बय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि, व
अन्ज़ल्ला इलैकज़िक्-र लितुबय्यि-न
लिन्नासि मा नुज़िज़-ल इलैहिम् व
लअल्लहुम् य-तफक्कुरुन् (44) ●

और तुझसे पहले भी हमने यही मर्द भेजे थे कि हुक्म भेजते थे हम उनकी तरफ़ से पूछो याद रखने वालों से अगर तुमको मालूम नहीं। (43) भेजा था उनको निशानियाँ देकर और पन्ने, और उतारी हमने तुझ पर यह याददाश्त कि तू खोल दे लोगों के सामने वह चीज़ जो उतरी उनके वास्ते ताकि वे गौर करें। (44) ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ये मुन्किर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत व नुबुव्वत का इस बुनियाद पर इनकार कर रहे हैं कि आप बशर और इन्सान हैं, और नबी व रसूल उनके नज़दीक कोई इन्सान व बशर न होना चाहिये, यह उनका जाहिलाना ख़्याल है क्योंकि) हमने आप से पहले सिर्फ़ आदमी ही रसूल बनाकर मोजिज़े और किताबें देकर भेजे हैं, कि हम उन पर वही भेजा करते थे (तो ऐ मक्का वालो इनकारियो!) अगर तुमको इल्म नहीं तो दूसरे जानने वालों से पूछ लो (जिनको पिछले नबियों के हालात का इल्म हो और वे तुम्हारे ख़्याल में भी मुसलमानों

की तर्फदारी न करें, और इसी तरह आपको भी रसूल बनाकर) आप पर भी वह कुरआन उतारा है, ताकि जो हिदायतें (आपके पाध्यग से) लोगों के पास भेजी गई हैं वो हिदायतें आप उनको स्पष्ट करके समझा दें, और ताकि वे गौर व फिक्र (सोच-विचार) किया करें।

मआरिफ़ व मसाईल

तफ़सीर रूहूल-मआनी में है कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद मक्का के मुशिरकों ने अपने कासिद (प्रतिनिधि) मदीना तय्यिबा के यहूदियों के पास असल बात मालूम करने के लिये भेजे कि क्या वाकई यह बात है कि पहले भी तमाम नबी इनसानी नस्त से ही होते आये हैं।

अगरचे लफ़्ज़ अह्ले जिब्र (यहूदी व ईसाई) और मौमिन हज़रात सब दाख़िल थे मगर यह ज़ाहिर है कि मुशिरकों का इत्मीनान गैर-मुस्लिमों ही के बयान से हो सकता था क्योंकि वे खुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात पर मुत्मइन नहीं थे तो दूसरे पुसलमानों की बात कैसे भान सकते थे।

अह्ले जिब्र: लफ़्ज़ जिब्र चन्द मायनों के लिये इस्तेमाल होता है, उनमें से एक मायने इल्म के भी हैं, इसी मुनासबत से कुरआने करीम में तौरात को भी जिब्र फरमाया है:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ

और कुरआने करीम को भी जिब्र के लफ़्ज़ से ताबीर फरमाया है जैसा कि इसके बाद वाली आयत 'अन्ज़ल्ला इलैक़ जिब्र' में कुरआन मुराद है। इसलिये अह्ले जिब्र के लफ़्ज़ी मायने इल्म वालों के हुए, और यहाँ इल्म वालों से कौन लोग मुराद हैं इसमें ज़ाहिर यह है कि अह्ले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) के उलेमा मुराद हैं। यह कौल हज़रात इब्ने अब्बास, हसन वसरी, सुदूदी वगैरह का है, और कुछ हज़रात ने इस जगह भी जिब्र से कुरआन मुराद लेकर अह्ले जिब्र की तफ़सीर अह्ले कुरआन (कुरआन वालों) से की है। इसमें ज़्यादा स्पष्ट बात रमानी, जुजाज, अज़हरी की है, वे कहते हैं:

المراد بامل الذکر علماء اخبار الامم السابقة كانوا من كان فالذکر بمعنى الحفظ كان لیل اسألوا

المطلعین علی اخبار الامم یعلموكم بذلك.

तर्जुमा: अह्ले जिब्र से मुराद पहले गुज़री उम्मतों और कौमों के हालात से वाकिफ़ लोग हैं, वह कोई भी हो, तो यहाँ जिब्र याददाश्त और जानकारी के मायने में है और गोया यह कहा गया है कि पहली उम्मतों के हालात के जानकारों से मालूम कर लो वे तुमको इसके बारे में यतला देंगे। मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

इस तहर्क़ीक़ की बिना पर इसमें अह्ले किताब भी दाख़िल हैं और कुरआन वाले भी। वय्यिनात के मायने मारूफ़ व परिचित के हैं और यहाँ इससे मुराद मौजिजे हैं, ज़ुबुर दा असल ज़-बरह की जमा (बहुवचन) है जो लोहे के बड़े टुकड़ों के लिये बोला जाता है जैसा कि कुरआन पाक में फरमाया:

टुकड़ों को जोड़ने की मुनासबत से लिखने को ज़बर कहा जाता है और लिखी हुई किताब को जिब्र और ज़बूर बोलते हैं। यहाँ इससे मुराद अल्लाह तआला की किताब है, जिसमें तौरात, इन्जील, ज़बूर, कुरआन सब दाखिल हैं।

गैर-मुज्ताहिद पर मुज्ताहिद इमामों की पैरवी वाजिब है

उक्त आयत का यह जुमला:

فَلَوْلَا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(जानने वालों से मालूम कर लो अगर तुमको इल्म न हो) इस जगह अगरचे एक खास मज़मून के बारे में आया है मगर अलफ़ाज़ आम हैं जो तमाम मामलात को शामिल हैं। इसलिये कुरआनी अन्दाज़ के एतिबार से दर हकीकत यह एक अहम उसूल व नियम है जो अक्ली भी है और रिवायती व किताबी भी, कि जो लोग अहकाम को नहीं जानते वे जानने वालों से पूछकर अमल करें, और न जानने वालों पर फ़र्ज़ है कि जानने वालों के बतलाने पर अमल करें, इसी का नाम तकलीद (पैरवी और अनुसरण) है, यह कुरआन का स्पष्ट हुक्म भी है और अक्ली तौर पर भी इसके सिवा अमल को आम करने की कोई सूरत नहीं हो सकती।

उम्मत में सहाबा के दौर से लेकर आज तक बिना मतभेद इसी उसूल व नियम पर अमल होता आया है, जो तकलीद (पैरवी) के इनकारी हैं वे भी इस तकलीद का इनकार नहीं करते कि जो लोग अलिम नहीं वे उलेमा से फ़तवा लेकर अमल करें, और यह ज़ाहिर है कि नावाकिफ़ अ़वाम को उलेमा अगर कुरआन व हदीस की दलीलें बतला भी दें तो वे उन दलीलों को भी उन्हीं उलेमा के भरोसे और विश्वास पर कुबूल करेंगे, उनमें खुद दलीलों को समझने और परखने की काबलियत तो है नहीं, और तकलीद इसी का नाम है कि न जानने वाला किसी जानने वाले के एतिमाद (भरोसे) पर किसी हुक्म को शरीअत का हुक्म करार देकर अमल करे, यह तकलीद वह है जिसके जायज़ होने बल्कि वाजिब होने में किसी मतभेद की गुन्जाईश नहीं, अलबत्ता वे उलेमा जो खुद कुरआन व हदीस को और इजमा के मौकों को समझने की काबलियत रखते हैं उनको ऐसे अहकाम में जो कुरआन व हदीस में स्पष्ट और खुले तौर पर बयान हुए हैं और सहाबा व ताबिईन में के उलेमा के बीच उन मसाल्ल में कोई मतभेद भी नहीं, उन अहकाम में वे उलेमा डायरेक्ट कुरआन व हदीस और इजमा पर अमल करें, उनमें उलेमा को किसी मुज्ताहिद की पैरवी की ज़रूरत नहीं लेकिन वे अहकाम व मसाल्ल जो कुरआन व सुन्नत में स्पष्ट तौर पर बयान नहीं या जिनमें कुरआनी आयतों और हदीस की रिवायतों में बज़ाहिर कोई टकराव नज़र आता है, या जिनमें सहाबा व ताबिईन के बीच कुरआन व सुन्नत के मायने मुतययन करने में मतभेद पेश आया है, ये मसाल्ल व अहकाम इज्तिहाद और ग़रहे ग़ौर व फ़िक्र के मोहताज होते हैं, उनको इस्तिलाह (परिभाषा) में मुज्ताहद् फ़ीह मसाल्ल कहा जाता है। उनका हुक्म यह

है कि जिस आलिम को दर्जा-ए-इज्तिहाद (कुरआन व हदीस से मसाईल व अहकाम निकालने की पहारत व सलाहियत) हासिल नहीं उसको भी उन मसाईल में किसी मुज्ताहिद इمام की पैरवी करना जरूरी है, सिर्फ अपनी जाती राय के भरोसे पर एक आयत या रिवायत को तरजीह देकर अपना लेना और दूसरी आयत या रिवायत को गैर-वरीयता प्राप्त करार देकर छोड़ देना उसके लिये जायज़ नहीं।

इसी तरह जो अहकाम कुरआन व सुन्नत में स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किये गये उनको कुरआन व सुन्नत के बयान किये हुए उसूल के मुताबिक निकालना और उनका शरई हुक्म मुतयन करना यह भी उन्हीं उम्मत के मुज्ताहिदों का काम है जिनको अरबी भाषा, अरबी लुगत और मुहावरों और इस्तेमाल के तरीकों का तथा कुरआन व सुन्नत से संबन्धित तमाम उलूम का मेयारी इल्म और तक़वा व परहेज़गारी का ऊँचा मक़ाम हासिल हो, जैसे इमाम-ए-आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम मालिक, रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि या इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि अलैहि, फकीह अबुल्लैस रहमतुल्लाहि अलैहि वगैरह, जिनमें हक़ तआला ने नुबुव्वत के ज़माने की निकटता और सहाबा व ताबिईन की सोहबत की बरकत से शरीअत के उसूल व मक़ासिद समझने का खास ज़ौक़ (तबई सलाहियत और महारत) और स्पष्ट तौर पर बयान हुए अहकाम से गैर-स्पष्ट अहकाम को क़ियास करके हुक्म निकालने का खास सलीक़ा अता फरमाया था, ऐसे इज्तिहादी मसाईल में आम उलेमा को भी मुज्ताहिद इमामों में से किसी की पैरवी करना लाज़िम है, मुज्ताहिद इमामों के खिलाफ़ कोई नई राय इख़्तियार करना ख़ता (ग़लती और चूक) है।

यही वज़ाह है कि उम्मत के बड़े उलेमा, मुहदिसीन और फ़ुक़हा इमाम गज़ाली, इमाम लिर्मिज़ी, इमाम तहावी, इमाम मुज़नी, इमाम इब्ने हम्माम, इमाम इब्ने किदामा और इसी मेयार के लाखों पहले और बाद के उलेमा बावजूद अरबी और शरई उलूम की अज़ा पहारत हासिल होने के ऐसे इज्तिहादी मसाईल पर हमेशा मुज्ताहिद इमामों की पैरवी ही के पाबन्द रहे हैं, सब मुज्ताहिदों के खिलाफ़ अपनी राय से कोई फ़तवा देना जायज़ नहीं समझा।

अलबत्ता इन हज़रात को इल्म व तक़वे का वह मेयारी दर्जा हासिल था कि मुज्ताहिदों के अक़वाल और रायों को कुरआन व सुन्नत की दलीलों से जाँचते और परखते थे, फिर मुज्ताहिद इमामों में से जिस इमाम के कौल को वे किताब व सुन्नत के क़रीब पाते उसको इख़्तियार का लेते थे, मगर मुज्ताहिद इमामों के मसलक से बाहर निकलना और उन सब के खिलाफ़ कोई राय क़ायम करना हरगिज़ जायज़ न जानते थे, तक़लीद (पैरवी) की असल हकीकत इतनी ही है।

उसके बाद दिन-ब-दिन इल्म का मेयार घटता गया और तक़वा व खुदातसी के बलानुस नफ़्सानी स्वार्थ ग़ालिब आने लगे, ऐसी हालत में अगर यह आज़ादी दी जाये कि जिस मसले में चाहें किसी दूसरे का कौल ले लें तो इसका लाज़िमी असर यह होना था कि लोग शरीअत की पैरवी का नाम लेकर अपनी इच्छा की पैरवी में मुब्तला हो जायें, कि जिस इमाम के कौल में अपनी नफ़्सानी गर्ज़ पूरी होती नज़र आवे उसको इख़्तियार कर लें, और यह जाहिर है कि ऐसा

करना कोई दीन व शरीअत की पैरवी नहीं होगी बल्कि अपनी इच्छा और ग़र्जों की पैरवी होगी जो उम्मत की सर्वसम्मति से हराम है। अल्लामा शातबी ने मुवाफ़क़ात में इस पर बड़ी तफ़्सील से कलाम किया है, और इमाम इब्ने तैमिया ने भी आम तकलीद की मुख़ालफ़त के बावजूद इस तरह के इत्तिबा (पैरवी) को अपने फ़तावा में तमाम उम्मत की सर्वसम्मति से हराम कहा है, इसलिये बाद के फ़ुक़हा (मसाईल और कुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) ने यह ज़रूरी समझा कि अमल करने वालों को किसी एक ही मुज्ताहिद इमाम की पैरवी का पाबन्द करना चाहिये, यहीं से व्यक्तिगत पैरवी का आगाज़ हुआ जो दर हकीक़त एक इन्तिज़ामी हुक्म है, जिससे दीन का इन्तिज़ाम कायम रहे और लोग दीन की आड़ में नफ़्स व इच्छा की पैरवी के शिकार न हो जायें। इसकी मिसाल बिल्कुल वही है जो हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम सहाबा की सर्वसम्मति से कुरआन के सात लुग़ात में से सिर्फ़ एक लुग़ात की ख़ास कर देने में किया, कि अगरचे सातों लुग़ात कुरआन ही के लुग़ात थे, जिब्रीले अमीन के ज़रिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इच्छा के अनुसार नाज़िल हुए मगर जब कुरआने करीम अज़म (अरब से बाहर के इलाकों) में फैला और विभिन्न लुग़ात में पढ़ने से कुरआन में रद्दोबदल का ख़तरा महसूस किया गया तो तमाम सहाबा की राय से मुसलमानों पर लाज़िम कर दिया गया कि सिर्फ़ एक ही लुग़ात में कुरआन लिखा और पढ़ा जाये। हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी एक लुग़ात के मुताबिक़ तमाम मुसाहिफ़ (कुरआन की प्रतियाँ) लिखवाकर दुनिया के कोने-कोने में भिजवा दिये, और आज तक पूरी उम्मत उसी की पाबन्द है। इसके यह मायने नहीं कि दूसरे लुग़ात हक़ नहीं थे, बल्कि दीन के इन्तिज़ाम और कुरआन की रद्दोबदल से हिफ़ाज़त की बिना पर सिर्फ़ एक लुग़ात इख़्तियार कर लिया गया। इसी तरह मुज्ताहिद इमाम सब हक़ पर हैं उनमें से किसी एक को तकलीद (पैरवी) के लिये मुक़रर करने का यह मतलब हरगिज़ नहीं कि जिस मुक़ररा इमाम की पैरवी किसी ने इख़्तियार की है उसके नज़दीक़ दूसरे इमाम पैरवी के क़ाबिल नहीं, बल्कि अपनी बेहतरी व आसानी जिस इमाम की पैरवी में देखी उसी को इख़्तियार कर लिया और दूसरे इमामों को भी इसी तरह वाजिबुल-एहतिराम (सम्माननीय) समझा।

और यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बीमार आदमी को शहर के हकीम और डॉक्टरों में से किसी एक ही को अपने इलाज के लिये मुतैयन करना ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि बीमार अपनी राय से कभी किसी डॉक्टर से पूछकर दवा इस्तेमाल करे कभी किसी दूसरे से पूछकर यह उसकी हलाक़त का सबब होता है। वह जब किसी डॉक्टर का चयन अपने इलाज के लिये करता है तो उसका यह मतलब हरगिज़ नहीं होता कि दूसरे डॉक्टर माहिर नहीं, या उनमें इलाज की सलाहियत नहीं।

हन्फ़ी, शाफ़ई, मालिकी, हंबली की जो तकसीम उम्मत में कायम हुई इसकी हकीक़त इससे ज्यादा कुछ न थी। इसमें फ़िर्का बन्दी और ग़िरोह बन्दी का रंग और आपसी झगड़े व बिख़राव को गर्म बाज़ारी न कोई दीन का काम है न कभी दीनी समझ रखने वाले और हक़ परस्त उलेमा ने इसे अच्छा समझा है। कुछ उलेमा के कलाम में इल्मी बहस व तहकीक़ ने मुनाज़रे का रंग

इच्छियार कर लिया, और बाद में ताने व कटाक्ष तक की नौबत आ गई, फिर जाहिलाना लड़ाई व झगड़े ने वह नौबत पहुँचा दी जो आज उमूमन दीनदारी और मजहब पसन्दी का विशान बन गया। अब किस से शिकायत की जाये बस अल्लाह ही की तरफ़ फ़रियाद के हाथ उठाये जा सकते हैं और तमाम ताकत व कुव्वत उसी बुलन्द व अजीम जात के हाथ में है।

तंबीह: तकलीद व इज्तिहाद (किसी दूसरे इमाम व आलिम की पैरवी या खुद कुरआन व हदीस में गहरे गौर व फ़िक्र करके मसाईल व अहकाम निकालने) के बारे में जो कुछ यहाँ लिखा गया वह इस मसले का बहुत पुख्तसर खुलासा है जो आम मुसलमानों के समझने के लिये काफी है, आलिमाना तहकीकात व तफ़सीलात उसूले फ़िक्हा (मसाईल) की किताबों में विस्तृत मौजूद हैं, खुसूसन 'किताबुल-मुवाफ़कात' अल्लामा शातबी जिल्द चार बाबुल-इज्तिहाद, और अल्लामा सैफुद्दीन आमदी की किताब 'अहकामुल-अहकाम' जिल्द तीन, मुत्ताहिदीन के बारे में तीसरा कायदा, हज़रत शाह वलीयुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि की किताबें 'हुज्जतुल्लाहिल-बालिगा' और 'रिसाला अब्दुल-जीद' और आख़िर में हज़रत हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अली धानवी रहमतुल्लाहि अलैहि की 'किताबुल-इज्तिहाद फ़िल्लकलीद वल-इज्तिहाद' इस मसले में खास तौर से पढ़ने के फ़ायिल हैं, उल्लेमा इनकी तरफ़ रुजू फरमायें।

कुरआन समझने के लिये हदीसे रसूल ज़रूरी है, हदीस का इनकार दर हकीकत कुरआन का इनकार है

وَأَنذَرْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِيُنذِرَ النَّاسَ

इस आयत में ज़िक्र से मुराद सबके नज़दीक कुरआने करीम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस आयत में पाबन्द फरमाया है कि आप कुरआन की नाज़िल हुई आयतों का बयान और वज़ाहत (व्याख्या) लोगों के सामने कर दें। इसमें इस बात का खुला सुबूत है कि कुरआने करीम के मायनों, मतलब, तथ्यों और अहकाम का सही समझना रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बयान पर मौकूफ़ है, अगर हर इनसान सिर्फ़ अरबी भाषा और अरबी साहित्य से वाकिफ़ होकर कुरआन के अहकाम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक़ समझने पर कादिर होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बयान व खुलासे की ख़िदमत सुपुर्द करने के कोई मायने नहीं रहते।

अल्लामा शातबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुवाफ़कात में पूरी तफ़सील से साबित किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पूरी की पूरी अल्लाह की किताब का बयान (तफ़सीर व व्याख्या) है, क्योंकि कुरआने करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में फरमाया है:

وَأَنَّكَ أَعْلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

और हजरत सिद्दीका आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने इस खुलुक-ए-अजीम की तफसीर यह फरमाई 'कान-खुलुकुहुल-कुरआनु'। इसका मसिल यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जो भी कोई कौल व फेल साबित है वो सब कुरआन ही के इरशादात हैं। कुछ तो जाहिरी तौर पर किसी आयत की तफसीर ब वजाहत होते हैं, जिनको आम इल्म वाले जानते हैं और कुछ जगह बजाहिर कुरआन में उसका कोई जिक्र नहीं होता मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल मुबारक में वही (अल्लाह के पैगाम) के तौर पर उसको डाला जाता है, वह भी एक हैसियत से कुरआन ही के हुक्म में होता है, क्योंकि कुरआन के बयान के अनुसार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कोई बात अपनी इच्छा से नहीं होती बल्कि हक तआला की तरफ से वही होती है, जैसा कि कुरआने पाक में फरमाया:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तमाम इबादतें, मामलात, अरज़ाक, आदतें सब की सब अल्लाह की वही और कुरआन के हुक्म में हैं, और जहाँ कहीं आपने अपने इज्तिहाद (गौर व फिक्र, जेहनी कोशिश) से कोई काम किया है तो आखिरकार अल्लाह की वही (पैगाम) से या तो उस पर कोई नकीर न करने से उसको सही करार दिया और उसकी ताईद कर दी जाती है, इसलिये वह भी अल्लाह की वही के हुक्म में हो जाता है।

खुलासा यह है कि इस आयत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ लाने का मकसद कुरआन की तफसीर व बयान को करार दिया है, जैसा कि सूर: जुसुअ व गौरह की अनेक आयतों में किताब की तालीम के अलफाज़ से नुबुव्वत के इस मकसद को जिक्र किया गया है। अब हदीस का वह ज़खीरा जिसको सहाबा व तब्दीन से लेकर बाद के उलेमा व बुजुर्गों और मुहद्दीसीन तक उम्मत के वा-कमाल अफराद ने अपनी जानों से ज्यादा हिफाज़त करके उम्मत तक पहुँचाया है, और उसकी छान-बीन में उन्हें खर्च करके हदीस की रिवायतों के दर्जे कायम कर दिये हैं, और जिस रिवायत को सनद की हैसियत से इस दर्जे का नहीं पाया कि उस पर शरीअत के अहकाम की बुनियाद रखी जाये उसको हदीस के ज़खीरे से अलग करके सिर्फ़ उन रिवायतों पर मुस्तकिल किताबें लिख दी हैं जो उम्र भर की तन्कीदों (छान-बीन, आलोचनाओं) और तहकीक़ात के बाद सही और काबिले एतिमाद साबित हुई हैं।

अगर आज कोई शख्स हदीस के इस ज़खीरे को किसी हीले-बहाने से नाकाबिले विश्वास कहती है तो इसका साफ़ मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कुरआन के इस हुक्म की खिलाफ़वर्जी (उल्लंघन) की कि कुरआन के मजामीन को बयान नहीं किया, या यह कि आपने तो बयान किया था मगर वह कायम व महफूज़ नहीं रहा, दोनों सूरतों में कुरआन बहैसियत मायने के महफूज़ न रहा, जिसकी हिफाज़त की जिम्मेदारी खुद हक तआला ने अपने जिम्मे रखी है, जैसा कि फरमाया:

وَأَنذَرْتُ لَكُمْ عَذَابًا ۖ

उसका यह दावा इस कुरआनी बयान व अज़ाहत के खिलाफ़ है। इससे साबित हुआ कि जो शख्स सुन्नते रसूल (यानी हदीसे पाक) को इस्ताम की हुज्जत मानने से इनकार करता है वह दर हकीकत कुरआन ही का इनकारी है। नऊज़ु बिल्लाह।

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْبِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ۚ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝

अ-फ़-अमिनल्लज़ी-न म-करुरा-
सयियआति अ-ययख़िसफ़ ल्लाहु
बिहिमुल्-अर-ज औ यअति-यहुमुल्-
अज़ाबु भिन् हैसु ला यशअुरून (45)
औ यअख़ु-ज़हुम् फी तकल्लुबिहिम्
फ़मा हुम् बिमुअज़िज़ीन (46) औ
यअख़ु-ज़हुम् अला तख़ाव्वुफ़िन्
फ़इन्-न रब्बकुम् ल-रऊफ़ुरहीम (47)

सो क्या निडर हो गये वे लोग जो घुरे
फरब करते हैं इससे कि धंसा देवे
अल्लाह उनको ज़मीन में या आ पहुँचे
उनपर अज़ाब जहाँ से ख़बर न रखते हों।
(45) या पकड़ ले उनको चलते फिरते सो
वे नहीं हैं अज़िज़ करने वाले। (46) या
पकड़ ले उनको डराने के बाद, सो
तुम्हारा रब बड़ा नर्म है, मेहरबान। (47)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जो लोग (दीने हक़ के बातिल करने को) बुरी-बुरी तदबीरें करते हैं (कि कहीं इसमें शुब्हे व एतिराज़ निकालते हैं और हक़ का इनकार करते हैं जो कि गुमराह होना है, कहीं दूसरों को रोकते हैं जो कि गुमराह करना है) क्या ऐसे लोग (ये कारवाइयाँ करके) फिर भी इस बात से बेफ़िक्र (बैठे हुए) हैं कि अल्लाह तआला उनको (उनके कुफ़्र के बबाल में) ज़मीन में धंसा दे, या उन पर ऐसी जगह से अज़ाब आ पड़े जहाँ से उनको गुमान भी न हो (जैसे जंगे-बंदर में ऐसे बिना हथियार व सामान वाले मुसलमानों के हाथ से उनको सज़ा मिली कि कभी उनके दिमाग़ व अक़ल में भी इसका गुमान न होता कि ये हम पर ग़ालिब आ सकेंगे)। या उनको चलते-फिरते (किसी आफ़त में) पकड़ ले (जैसे कोई बीमारी ही अचानक आ खड़ी हो) सो (अगर इन बातों में से कोई बात हो जाये तो) ये लोग खुदा की हरा (भी) नहीं सकते। या उनको घटाते-घटाते पकड़ ले (जैसे सूखा और महामारी का शिकार होकर धीरे-धीरे ख़ाल्ता हो जाये। यानी निडर होना नहीं चाहिये, खुदा को सब कुदरत है, मगर मोहलत जो दे रखी है) सो (इसकी वजह यह है कि) तुम्हारा रब बड़ा शफ़ीक़ व मेहरबान है (इसलिये मोहलत दी है कि अब भी समझ जाओ और

कामयाबी और निजात का तरीका इस्तिथार कर लो)।

मअरिफ़ व मसाईल

इससे पहली आयतों में काफ़िरों को आख़िरत के अज़ाब से डराया गया था:

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ

इन आयतों में उनको इससे डराया गया है कि यह भी हो सकता है कि आख़िरत के अज़ाब से पहले दुनिया में भी अल्लाह के अज़ाब में पकड़े जाओ, जिस ज़मीन पर बैठे हो उसी के अन्दर धंसा दिये जाओ, या और किसी बेगुमान रास्ते से अल्लाह के अज़ाब में पकड़े जाओ, जैसे जंगे बदर में एक हजार हथियार बन्द बहादुर नौजवानों को चन्द बिना सामान व हथियार के मुसलमानों के हाथ से ऐसी सज़ा मिली जिसका उनको कभी वहम व गुमान भी न हो सकता था, या यह भी हो सकता है कि चलते-फिरते अल्लाह के किसी अज़ाब में पकड़े जाओ कि कोई जानलेवा बीमारी आ खड़ी हो या किसी ऊँची जगह से गिरकर या किसी सख्त चीज़ से टकराकर हलाक हो जाओ, और अज़ाब की यह सूरत भी हो सकती है कि अचानक अज़ाब न आये मगर माल व सेहत, तन्दुरुस्ती और राहत व सुकून के सामान घटते चले जायें, इसी तरह घटाते-घटाते उस कौम का खात्मा हो जाये।

लफ़्ज़ तख़व्वुफ़ जो इस आयत में आया है बज़ाहिर ख़ौफ़ से निकला है, और कुछ हज़रते मुफ़स्सरीन ने इसी भायने के एतिबार से यह तफ़सीर की है कि एक जमाअत की अज़ाब में पकड़ा जाये ताकि दूसरी जमाअत डर जाये, इसी तरह दूसरी जमाअत को अज़ाब में पकड़ा जाये जिससे तीसरी जमाअत डर जाये, यूँ ही डराते-डराते सब का खात्मा हो जाये।

मगर मुफ़स्सिर-ए-कुरआन हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और मुजाहिद रस्मतुल्लाहि अलैहि वगैरह तफ़सीर के इमामों ने यहाँ लफ़्ज़ तख़व्वुफ़ को तन्क्कुस के भायने में लिया है और इसी भायने के एतिबार से तर्जुमा घटाते-घटाते किया गया है।

हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इस लफ़्ज़ के भायने में दुविधा पेश आई तो आपने मिम्बर पर खड़े होकर सहाबा की खिताब करके फ़रमाया कि लफ़्ज़ तख़व्वुफ़ के आप क्या भायने समझते हैं? आम मजमा ख़ामोश रहा मगर कबीला हुज़ैल के एक शख्स ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन! यह हमारे कबीले का ख़ास लुगत है, हमारे यहाँ यह लफ़्ज़ तन्क्कुस (घटाने और कमी करने) के भायने में इस्तेमाल होता है, यानी धीरे-धीरे घटाना। फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कि क्या अरब के लोग अपनी कविताओं में यह लफ़्ज़ तन्क्कुस के भायने में इस्तेमाल करते हैं, उसने अर्ज किया कि हाँ, और अपने कबीले के शायर अबू कबीर हज़ली का एक शेर पेश किया, जिसमें यह लफ़्ज़ आहिस्ता-आहिस्ता घटाने के भायने में लिया गया है। इस पर हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि लोगो! तुम जाहिलीयत के दौर का

इल्म हासिल करो क्योंकि उसमें तुम्हारी किताब की तफसीर और तुम्हारे कलाम के मायने का फैसला होता है।

कुरआन समझने के लिये मामूली अरबी जानना काफी नहीं

इससे एक बात तो यह साबित हुई कि मामूली तौर पर अरबी भाषा बोलने लिखने की काबिलियत कुरआन समझने के लिये काफी नहीं, बल्कि उसमें इतनी महारत और वाकफियत जरूरी है जिससे पुराने अरब जाहिलीयत के कलाम को पूरा समझा जा सके, क्योंकि कुरआने करीम उसी भाषा और उन्हीं के मुहावरों में नाज़िल हुआ है। इस दर्जे का अरबी अदब (साहित्य) सीखना मुसलमानों पर लाज़िम है।

अरबी अदब सीखने के लिये जाहिलीयत के शायरों का कलाम

पढ़ना जायज़ है अगरचे वह खुराफ़ात पर आधारित हो

इससे यह भी मालूम हुआ कि कुरआने करीम को समझने के लिये ज़माना-ए-जाहिलीयत (इस्लाम से पहले दौर) की अरबी भाषा और उसका लुग़त व मुहावरे समझने के लिये जाहिलीयत के शायरों का कलाम पढ़ना जायज़ है, अगरचे यह जाहिर है कि जाहिलीयत के शायरों का कलाम जाहिलाना रस्मों और ख़िलाफ़े इस्लाग़ जाहिलाना कामों व आभाल को शामिल होगा मगर कुरआन समझने की ज़रूरत से उसको पढ़ना-पढ़ाना जायज़ करार दिया गया।

दुनिया का अज़ाब भी एक तरह की रहमत है

उक्त आयतों में दुनिया के विभिन्न प्रकार के अज़ाबों का जिक्र करने के बाद आयत के समापन पर फ़रमाया:

فَأَنْرِكُمْ لِرَبِّكُمْ رَحِيمًا

इसमें अव्वल तो लफ़ज़ रब से इस तरफ़ इशारा किया गया है कि दुनिया के अज़ाब इनसान को सचेत करने के लिये रब होने की शान के तकाज़े से हैं, फिर लामे ताकीद के साथ हक़ तआला का मेहरबान होना बतलाकर इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि दुनिया की चेतावनियाँ दर हकीकत शफ़क़त ही के तकाज़े से हैं ताकि ग़ाफ़िल इनसान सचेत होकर अपने आभाल की इस्लाह (सुधार) कर ले।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَّةً عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ مُجْتَذًا ۖ وَتَلْوَاهُ
وَهُمْ دَخِرُونَ ۗ وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۗ
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا لِلْهَيْنِ الْهَيْنِ ۗ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ

وَاحِدًا، فَإِنِّي أَنَا رَبُّكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ وَالصَّبَاةَ أَغْيَرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ ۖ وَمَا
 بِكُمْ مِنَ تَعْبَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ۖ ثُمَّ إِذَا كُفِّ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا
 فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۖ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۖ فَتَسْتَعِزُّوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ وَيَجْعَلُونَ
 لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۖ تَاللَّهِ لَئِن لَّمْ يَکُفِّرُوا بِنِيعَتِهِمْ لَآتَيْنَهُم مِّنَّا كِتَابًا فَتَعْلَمُونَ ۖ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَدَنَ
 سُبْحَانَهُ ۖ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۖ

अ-व लम् यरौ इला मा ख-लकल्लाहु
 मिन् शौ इंध्य-तफय्यउ जिलालुहू
 अनिल्-यमीनि वशमाइलि सुज्जदल्-
 लिल्लाहि व हुम् दाखिरून (48) व
 लिल्लाहि यस्जुदु मा फिस्समावाति व
 मा फिल्अर्जि मिन् दाब्बतिंव-
 वल्-मलाइ-कतु व हुम् ला
 यस्तक्बिरून (49) यखाफू-न रब्बहुम्
 मिन् फौकिहिम् व यफ़अलू-न मा
 युअूमरून (50) ❀ ❀

व कालल्लाहु ला तत्तद्धिज्जू
 इलाहैनिस-नैनि इन्नमा हु-व इलाहुंव-
 वाहिदुन् फ-इय्या-य फ़रहबून (51)
 व लहू मा फिस्समावाति वल्अर्जि
 व लहुद्दीनु वासिबन् अ-फ़गैरल्लाहि
 तत्तकून (52) व मा बिकुम् मिन्
 निअमतिन् फमिनल्लाहि सुम्-म इज़ा
 मस्सकुमुज़-जुररु फ-इलैहि तज्जअरून
 (53) सुम्-म इज़ा क-शफज़्जुर-र

क्या नहीं देखते वे जो कि अल्लाह ने पैदा
 की है कोई चीज़ कि ढलते हैं साये उसके
 दाहिनी तरफ़ से और बाई तरफ़ से-सज्दा
 करते हुए अल्लाह को और वे आजिजी में
 हैं। (48) और अल्लाह को सज्दा करता
 है जो आसमान में है और जो ज़मीन में
 है जानदारों में से और फरिश्ते और वे
 तकब्बुर नहीं करते। (49) डर रखते हैं
 अपने रब का अपने ऊपर से और करते
 हैं जो हुक्म पाते हैं। (50) ❀ ❀

और कहा है अल्लाह ने मत पकड़ो दो
 माबूद, वह माबूद एक ही है, सो मुझसे
 डरो। (51) और उसी का है जो कुछ है
 आसमानों में और ज़मीन में और उसी
 की इबादत है हमेशा, सो क्या सिवाय
 अल्लाह के किसी से डरते हो? (52) और
 जो कुछ तुम्हारे पास है नेमत सो अल्लाह
 की तरफ़ से, फिर जब पहुँचती है तुम्हारी
 सख्ती तो उसी की तरफ़ चिल्लाते हो।
 (53) फिर जब खोल देता है सख्ती तुमसे

अन्कुम् इजा फरीकुम्-मिन्कुम्
 बिरब्बिहिम् युशिरकून (54) लियक्फुरु
 बिमा आतैनाहुम्, फ़-तमत्तअ
 फ़सौ-फ़ तअलमून् (55) व
 यजअलू-न लिमा ला यअलमू-न
 नसीबम् मिम्मा रजकनाहुम्, तल्लाहि
 लतुस्अलुन्-न अम्मा कुन्तुम् तफ़तरून
 (56) व यजअलू-न लिल्लाहिल-
 बनाति सुब्हानहू व लहुम् मा
 यशतहून (57)

उसी वक्त एक फ़िर्का तुम में से अपने
 ख के साथ लगता है शरीक बतलाने।
 (54) ताकि इनकारी हो जायें उस चीज़
 से जो कि उनको दी है, सो मजे उड़ा लो
 आख़िर मालूम कर लोगे। (55) और
 ठहराते हैं उनके लिये जिनकी ख़बर नहीं
 रखते एक हिस्सा हमारी दी हुई रोज़ी में
 से, कसम अल्लाह की तुमसे पूछना है जो
 तुम बोहतान बाँधते हो। (56) और
 ठहराते हैं अल्लाह के लिये बेटियाँ वह
 इससे पाक है, और अपने लिये जो दिल
 चाहता है। (57)

खुलासा-ए-तफ़सीर

क्या (उन) लोगों ने अल्लाह की उन पैदा की हुई चीज़ों को नहीं देखा (और देखकर तौहीद
 पर दलील नहीं पकड़ी) जिनके साये कभी एक तरफ़ को कभी दूसरी तरफ़ को इस अन्दाज़ से
 झुक जाते हैं कि (बिल्कुल) खुदा के (हुक्म के) ताबे "अधीन" हैं (यानी साये के असबाब जो
 कि सूरज का नूरानी होना और सायेदार जिस्म का कसीफ़ होना है और साये की हरकत का
 सबब जो कि सूरज की हरकत है, फिर साये की विशेषतायें, यह सब अल्लाह के हुक्म से हैं),
 और वो (सायेदार) चीज़ें भी (अल्लाह के रु-ब-रु) अजिज़ (और हुक्म के ताबे) हैं। और (जिस
 तरह ये ज़िक्र हुई चीज़ें जिनमें इरादी हरकत नहीं जैसा कि 'ढलने' की निस्बत साये की तरफ़
 इसका इशारा है, क्योंकि इरादी हरकत में साये की हरकत खुद उस इरादे से हरकत करने वाले
 की हरकत से होती है, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, इसी तरह) अल्लाह तआला ही के (हुक्म के)
 ताबे हैं जितनी चीज़ें (अपने इरादे से) चलने वाली आसमानों में (जैसे फ़रिश्ते) और ज़मीन में
 (जैसे जानदार) मौजूद हैं, और (खास तौर पर) फ़रिश्ते (भी), और वे (फ़रिश्ते बावजूद अपने
 रुतबे और मक़ाम की बुलन्दी के अल्लाह की फ़रमाँबरदारी से) तकब्बुर नहीं करते (और इसी
 लिये खास तौर पर उनका ज़िक्र किया गया जबकि वे 'मा फ़िस्समावाति' "यानी जो कुछ
 आसमानों में है" में दाख़िल थे)। वे अपने ख के डरते हैं जो कि उन पर हाकिम है, और उनको
 जो कुछ (खुदा की तरफ़ से) हुक्म किया जाता है वे उसको करते हैं।

और अल्लाह ने (शरई क़ानून के पाबन्द तमाम लोगों को रसूलों के वास्ते से) फ़रमाया है कि दो (या ज़्यादा) माबूद मत बनाओ, पस एक माबूद ही है (और जब यह बात है) तो तुम लोग खास मुझ ही से डरा करो (क्योंकि जब माबूद होना मेरे साथ खास है तो जो-जो उससे जुड़ी चीज़ें हैं जैसे काभिल कुदरत वाला होना वगैरह वो भी मेरे ही साथ खास होंगी, तो इन्तिक़ाम वगैरह का ख़ौफ़ मुझ ही से होना चाहिये, और शिर्क इन्तिक़ाम को दावत देने वाली चीज़ है, पस शिर्क न करना चाहिये)। और उसी की (मिल्क) हैं सब चीज़ें जो कुछ कि आसमानों और ज़मीन में हैं, और लाज़िमी तौर पर इताअत बजा लाना उसी का हक़ है (यानी वही इस बात का मुस्तहिक़ है कि सब उसकी इताअत बजा लायें, जब यह बात साबित है) तो क्या फिर भी अल्लाह के सिवा औरों से डरते हो (और उनसे डरकर उनको पूजते हो)?

और (जैसे कि डरने के काबिल सिवाय खुदा के कोई नहीं ऐसे ही नेमत देने वाला और उम्मीद के काबिल सिवाय खुदा के कोई नहीं, चुनाँचे) तुम्हारे पास जो कुछ (किसी किस्म की) भी नेमत है वह सब अल्लाह ही की तरफ़ से है, फिर जब तुमको (ज़रा भी) तकलीफ़ पहुँचती है तो (उसके दूर होने के लिये) उसी (अल्लाह) से फ़रियाद करते हो (और कोई बुत वगैरह उस वक़्त याद नहीं रहता जिससे तौहीद (अल्लाह के एक और तन्हा हाकिम व माबूद होने) का हक़ होना उस वक़्त तुम्हारी हालत के इफ़रार से भी मालूम हो जाता है लेकिन) फिर जब (अल्लाह तआला) तुमसे उस तकलीफ़ को हटा देता है तो तुम में की एक जमाअत (और वही बड़ी जमाअत है) अपने रब के साथ (पहले की तरह) शिर्क करने लगती है। जिसका हासिल यह है कि हमारी दी हुई नेमत की (कि वह तकलीफ़ को दूर करना है) नाशुक्री करते हैं (जो कि अक्ली तौर पर भी बुरा है)। ख़ैर कुछ दिन ऐश उड़ा लो (दिखो) अब जल्दी (मरते ही) तुमको ख़बर हुई जाती है (और एक जमाअत इसलिये कहा गया कि बाज़े उस हालत को याद रखकर तौहीद व ईमान पर कायम हो जाते हैं जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ

और (उनके जो अनेक शिर्क हैं उनमें से एक यह है कि) ये लोग हमारी दी हुई चीज़ों में से उन (माबूदों) का हिस्सा लगाते हैं जिनके (माबूद होने के) मुताल्लिक़ उनको कुछ इल्म (और उनके माबूद होने की कोई दलील व सनद) नहीं (जैसा कि इसकी तफ़सील आठवें पारे के रुकूअ नम्बर तीन की आयत 137 में गुज़री है)।

क़सम है खुदा की! तुमसे तुम्हारी इन बोहतान-बाज़ियों की (कियामत में) ज़रूर बाज़पुर्स "यानी पूछताछ" होगी। (और एक शिर्क उनका यह है कि) अल्लाह तआला के लिये बेटियाँ तजवीज़ करते हैं, सुब्हानल्लाह! (कैसी बेकार की बात है) और (इससे बढ़कर यह कि) अपने लिये पसन्दीदा चीज़ (यानी बेटे पसन्द करते हैं)।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ سُودًا ۖ وَهُوَ كَذِبٌ ۝

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۖ أَيَسْكَبُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

व इजा बुशिश-र अ-हदुहुम् विल्उन्सा
जल्-ल वण्डुहू मुस्वददं-व हु-व
कजीम (58) य-तवारा मिनल्-कौमि
मिन् सू-इ मा बुशिश-र विही,
अयुम्सिकुहू अला हूनिन् अम्
यदुस्सुहू फिल्लुराबि, अला सा-अ मा
यहकुमून (59) लिल्लजी-न ला
युअमिन्-न विल्आखिरति म-सलुस्सौइ
व लिल्लाहिल् म-सलुल्-अअला व
हुवल अजीजुल् हकीम (60) ❀

और जब खूशख़बरी मिले उनमें किसी को बेटे की, सारे दिन रहे मुँह उसका सियाह और जी में घुटता रहे। (58) छुपता फिर लोगों से मारे बुराई उस खूशख़बरी के जो सुनी, उसको रहने दे जिल्लत कुबूल करके या उसको दाब दे मिट्टी में। सुनता है! बुरा फैसला करते हैं। (59) जो नहीं मानते आखिरत को उनकी बुरी मिसाल है, और अल्लाह की मिसाल है सब से ऊपर, और वही है ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (60) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जब उनमें से किसी को (बेटी पैदा होने की) ख़बर दी जाये (जिसको अल्लाह के लिये तजवीज़ करते हैं) तो (इस क़द्र नाराज़ हो कि) सारे दिन उसका चेहरा बेरौनक़ रहे, और वह दिल ही दिल में घुटता रहे। (और) जिस चीज़ की उसको ख़बर दी गई है (यानी बेटी पैदा होने की) उसकी शर्म से लोगों से छुपा-छुपा फिरे (और दिल में उतार-चढ़ाव करे) कि आया उस (नवजात) को जिल्लत (की हालत) पर लिये रहे या उसको (ज़िन्दा या मारकर) मिट्टी में गाड़ दे। ख़ूब सुन लो! उनकी यह तजवीज़ बहुत ही बुरी है (कि अब्बल तो खुदा के लिये औलाद साबित करना यही किस क़द्र बुरी बात है, फिर औलाद भी वह जिसको खुदा इस क़द्र ज़लील व शर्मिन्दगी का सबब समझे, पस) जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनकी बुरी हालत है (दुनिया में भी कि ऐसी जहालत में मुक्तला हैं, और आखिरत में भी कि सज़ा व जिल्लत में मुक्तला होंगी), और अल्लाह तआला के लिये तो बड़े आला दर्जे की सिफ़तें साबित हैं (न कि वो जो ये मुशिरक लोग बकते हैं) और वह बड़े ज़बरदस्त हैं—(अगर इनकी दुनिया में शिर्क की सज़ा देना चाहें तो कुछ

मुश्किल नहीं, लेकिन साथ ही) बड़ी हिम्मत वाले (भी हैं, हिम्मत के तकाज़े के तहत पौत के बाद तक सज़ा को टाल दिया है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन आयतों में अरब के काफ़िरों की दो ख़स्तों की निंदा की गई है कि अब्बल तो वे अपने घर में लड़की पैदा होने को इतना बुरा समझते हैं कि शर्मिन्दगी के सबब लोगों से छुपते फिरें और इस सोच में पड़ जायें कि लड़की पैदा होने से जो मेरी ज़िल्लत हो चुकी है उस पर सब करूँ या उसको ज़िन्दा दफ़न करके पीछा छुड़ाऊँ, और इस से आगे बढ़कर जहालत यह है कि जिस औलाद को अपने लिये पसन्द न करें अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ उसी को मन्सूब करें, कि फ़रिश्तों को अल्लाह तआला की बेटियाँ करार दें।

दूसरी आयत के आख़िर में 'अला सा-अ मा यहकुमून' का मफ़हूम तफ़सीर बहरे-मुहीत में इब्ने अतीया के हवाले से यही दोनों ख़स्तें करार दी हैं कि अब्बल तो उनका यह फैसला ही बुरा फैसला है कि लड़कियों को एक अज़ाब और ज़िल्लत समझें, दूसरे फिर जिस चीज़ को अपने लिये ज़िल्लत समझें उसी को अल्लाह तआला की तरफ़ मन्सूब करें।

तीसरी आयत के आख़िर में 'व हुवल-अज़ीजुल-हकीम' में भी इसकी तरफ़ इशारा है कि लड़की पैदा होने को मुसीबत व ज़िल्लत समझना और छुपते फिरना अल्लाह की हिक्मत का मुकाबला करना है, क्योंकि मख़्लूक में नर व मादा की पैदाईश हिक्मत के क़ानून के पूरी तरह मुताबिक़ है। (तफ़सीर रूहुल-बयान)

मसला: इन आयतों में स्पष्ट इशारा पाया गया कि घर में लड़की पैदा होने को मुसीबत व ज़िल्लत समझना जायज़ नहीं, यह काफ़िरों का काम है। तफ़सीर रूहुल-बयान में शिरआ के हवाले से लिखा है कि मुसलमान को चाहिये कि लड़की पैदा होने से ज़्यादा खुशी का इज़हार करे ताकि जाहिलीयत के लोगों के फ़ेल पर रद्द हो जाये। और एक हदीस में है कि वह औरत मुबारक होती है जिसके पहले पेट से लड़की पैदा हो। कुरआने करीम की आयत:

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ ۝

में भी इनास (औरत) को पहले बयान करने से इसकी तरफ़ इशारा पाया जाता है कि पहले पेट से लड़की पैदा होना अफ़ज़ल है।

और एक हदीस में इरशाद है कि जिसको इन लड़कियों में से किसी के साथ साबक़ पड़े और फिर वह इनके साथ एहसान का बर्ताव करे तो ये लड़कियाँ उसके लिये जहन्नम के बीच पर्दा (आड़) बनकर रोक हो जायेंगी। (रूहुल-बयान)

खुलासा यह है कि लड़की के पैदा होने को बुरा समझना जाहिलीयत की बुरी रस्म है मुसलमानों को इससे परहेज़ करना चाहिये और इसके मुकाबले में जो अल्लाह का वायदा है उस पर संतुष्ट और खुश होना चाहिये। वल्लाहु आलम

وَلَوْ يُوَاجِدُ اللَّهُ النَّاسَ يُظَاهِرُونَ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَاتِكِ وَتَكُنْ يُؤَخِّرُهُمْ
 إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ
 لِلَّهِ مَا يَكْفُرُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جرمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ
 مُفْرَضُونَ ۝ تَاللَّهِ لَقَدْ أَمْرَسْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ
 وَآلِيَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي
 اخْتَلَفُوا فِيهِ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

व लौ युआस्त्रिजुल्लाहुन्ना-स
 बिजुल्मिहिम् मा त-र-क अलैहा मिन्
 दाब्बतिंव-व लाकिंव्युअद्विद्धारुहुग्
 इला अ-जलिम्-मुसम्मन् फ-इजा
 जा-अ अ-जलुहुम् ला यस्तअस्त्रिरु-न
 सा-अतंव-व ला यस्तकिदमून (61) व
 यज्अलू-न लिल्लाहि मा यकरहू-न व
 तसिफु अल्लिनतुहुमुल्-कजि-व अन्-न
 लहुमुल्-हुस्ना, ला ज-र-म अन्-न
 लहुमुन्ना-र व अन्नहुम् मुफरतून (62)
 तल्लाहि ल-कद् अर्सलना इला
 उ-ममिम् मिन् कबिल-क फ-जय्य-न
 लहुमुश्शैतानु अज्मालहुग् फहु-व
 वलियुहुमुल्-यौ-म व लहुम् अजाबुन्
 अलीम (63) व मा अन्जलना
 अलैकल्-किता-व इल्ला लितुबय्यि-न

और अगर पकड़े अल्लाह लोगों को
 उनकी बेइन्साफी पर न छोड़े ज़मीन पर
 एक चलने वाला, लेकिन ढील देता है
 उनको एक निर्धारित वक़्त तक, फिर जब
 आ पहुँचेगा उनका वायदा न पीछे सरक
 सकेंगे एक घड़ी और न आगे सरक
 सकेंगे। (61) और करते हैं अल्लाह के
 वास्ते जिसको अपना जी न चाहे, और
 बयान करती हैं जुबानें उनकी झूठ कि
 उनके वास्ते ख़ूबी है, खुद साबित है कि
 उनके वास्ते आग है और वे बढ़ाये जा
 रहे हैं। (62) क़सम अल्लाह की हमने
 रसूल भेजे विभिन्न फ़िक्रों में तुझसे पहले,
 फिर अच्छे करके दिखा लाये उनको शैतान
 ने उनके काम, सो वही है उनका साथी
 आज, और उनके वास्ते दर्दनाक अज़ाब
 है। (63) और हमने उतारी तुझ पर
 किताब इसी वास्ते कि खोलकर सुना दे

लहुमुल्लजिख्त-लफू फीहि व हुदंब-व
 रम्म-तल् लिकौमिंयुअ्मिनून (64)
 वल्लाहु अन्ज-ल मिनस्समा-इ मा-अन्
 फ-अस्या बिहिलुअर्-ज बअ-द मौतिहा,
 इन्-न फी ज़ालि-क लआ-यतल्
 लिकौमिंयु-यस्मअून (65) ❀

तू उनको वह चीज़ कि जिसमें झगड़ रहे
 हैं, और सीधी राह सुझाने को और वास्ते
 बख्शिश ईमान लाने वालों को। (64)
 और अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी
 फिर उससे जिन्दा किया ज़मीन को उसके
 मरने के बाद, इसमें निशानी है उन लोगों
 के लिये जो सुनते हैं। (65) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और अगर अल्लाह तआला (ज़ालिम) लोगों पर उनके जुल्म (यानी शिर्क व कुफ़) के सबब (फ़ौरी तौर पर दुनिया में पूरी) दारोगीर "यानी पकड़" फ़रमाते तो ज़मीन के ऊपर कोई (हिस व) हरकत करने वाला न छोड़ते (बल्कि सब को हलाक कर देते), लेकिन (फ़ौरी तौर पर पकड़ नहीं फ़रमाते बल्कि) एक मुक़ररा वक़्त तक मोहलत दे रहे हैं (ताकि अगर कोई तौबा करना चाहे तो गुंजाईश हो)। फिर जब उनका (वह) मुक़ररा वक़्त (नज़दीक) आ पहुँचेगा उस वक़्त एक घड़ी न (उससे) पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे (बल्कि फ़ौरन सज़ा हो जायेगी)। और अल्लाह तआला के लिये वे चीज़ें तजवीज़ करते हैं जिनको खुद (अपने लिये) नापसन्द करते हैं (जैसा कि ऊपर आया है कि अल्लाह के लिये बेटियाँ होना तजवीज़ करते हैं) और (फिर) उस पर अपनी जुबान से झूठे दावे करते जाते हैं कि उनके (यानी हमारे) लिये (अगर मान लो क़ियामत कायम भी हुई तो) हर तरह की भलाई है (अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि भलाई कहाँ से आई थी, बल्कि) लाज़िमी बात है कि उनके लिये (क़ियामत के दिन) दोज़ख़ है, और बेशक वे लोग (दोज़ख़ में) सबसे पहले भेजे जाएँगे।

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप उनके कुफ़ व जहालत पर कुछ ग़म न कीजिये क्योंकि) खुदा तआला की क़सम! आप (के ज़माने) से पहले जो उम्मतें हो गुज़री हैं उनके पास भी हमने रसूलों को भेजा था (जैसा कि आपको इनके पास भेजा है) सो (जिस तरह ये लोग अपनी कुफ़्रिया बातें और आमाल को पसन्द करते हैं और उस पर कायम हैं, इसी तरह) उनको भी शैतान ने उनके (कुफ़्रिया) आमाल को अच्छे बना करके दिखलाये, पस वह (शैतान) आज (यानी दुनिया में) उनका रफ़ीक़ है (यानी साथी था कि उनको बहकाता सिखाता था, पस दुनिया में तो उनको यह ख़सारा हुआ) और (फिर क़ियामत में) उनके वास्ते दर्दनाक सज़ा (मुक़रर) है (ग़ज़ कि यह बाद वाले भी उन पहलों की तरह कुफ़ कर रहे हैं और उन्हीं की तरह इनको सज़ा भी होगी। आप क्यों ग़म में पड़े)।

और हमने आप पर यह क़िताब (जिसका नाम क़ुरआन है इस वास्ते नाज़िल नहीं की कि

सब को हिदायत पर लाना आपके जिम्मे होता कि कुछ के हिदायत पर न आने से आप दुखी व रंजोदा हों, बल्कि) सिर्फ इसलिये नाज़िल की है कि (दीन की) जिन बातों में लोग इख़िलाफ़ (झगड़ा व मतभेद) कर रहे हैं (जैसे तौहीद व आख़िरत और हलाल व हराम के अहकाम) आप (आम) लोगों पर उसको ज़ाहिर फ़रमा दें (यह फ़ायदा तो क़ुरआन का आम है) और ईमान वालों की (विशेष व खुसूसी) हिदायत और रहमत की गर्ज से (नाज़िल फ़रमाया है, सो ये बातें अल्लाह तआला के फ़ज़ल से हासिल हैं)। और अल्लाह तआला ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद ज़िन्दा किया (यानी उसकी उपज व बढ़ोतरी की कुव्वत को इसके बाद कि खुश्क हो जाने से कमज़ोर हो गई थी मज़बूती व ताक़त दी), इस (उक्त मामले) में ऐसे लोगों के लिये (अल्लाह के एक होने और असल नेमतें देने वाला होने की) बड़ी दलील है जो (दिल से इन बातों को) सुनते हैं।

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ

تَسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَ دَرِيئَتَا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّرِيبِينَ ۝

<p>व इन्-न लकुम् फ़िल्-अन्-आमि लअ़िब-तन् नुस्कीकुम् मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिम्-बैनि फ़र्सिन्-व दमित्-ल-वनन् ख़ालिसन् साइगल्- लिश्शारिबीन (66)</p>	<p>और तुम्हारे वास्ते चौपायों में सोचने की जगह है, पिताते हैं हम तुमको उसके पेट की चीज़ों में से गोबर और खून के बीच में से सुधरा खुशगवार दूध, पीने वालों के लिये। (66)</p>
---	--

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (साथ ही) तुम्हारे लिये मवेशियों में गौर करने का मक़ाम है (देखो) उनके पेट में जो गोबर और खून (का मादा) है उसके बीच में से (दूध का माददा जो कि खून का एक हिस्सा है, हज़म के बाद अलग करके धन के मिज़ाज से उनका रंग बदलकर उसको) साफ़ और गले में आसानी से उतारने वाला दूध (बनाकर) हम तुमको पीने को देते हैं।

मअरिफ़ व मसाईल

गोबर और खून के बीच से साफ़ दूध निकालने के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जानवर जो घास खाता है जब वह उसके मेदे में जमा हो जाती है तो भेदा उसको पकाता है, मेदे के इस अमल से ग़िज़ा का फ़ुज़ला (बेकार हिस्सा) नीचे बैठ जाता है, ऊपर दूध हो जाता है, और उसके ऊपर खून। फिर क़ुदरत ने यह काम जिगर के सुपुर्द

किया कि इन तीनों द्रव्यों को अलग-अलग उनके स्थानों में तक़सीम कर देता है, खून को अलग करके रगों में मुक्तकिल कर देता है, दूध को अलग करके जानवर के धनों में पहुँचा देता है और अब मेदे में सिर्फ फ़ुज़ला (मल और विष्ठा) बाकी रह जाता है जो गोबर की सुरत में निकलता है।

मसला: इस आयत से मालूम हुआ कि मजेदार, उमदा और मीठे खाने का इस्तेमाल जुहुद (बुजुर्ग और दुनिया से ताल्लुक तोड़ने) के खिलाफ नहीं है जबकि उसको हलाक तरीक़े से हासिल किया गया हो और इसमें फ़ुज़ूलखर्ची न की गई हो। हज़रत हसन बसरी ने ऐसा ही फ़रमाया है।
(तफ़सीरे कुतुबी)

मसला: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम कोई खाना खाओ तो यह कहो:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرَ مَا تَنَاهَى

अल्लाहुम्-म बारिक् लना फ़ीहि व अतुइमना खैरम् मिन्दु

(यानी या अल्लाह! इसमें हमारे लिये बरकत अता फ़रमा और आईन्दा इससे अच्छा खाना नसीब फ़रमा) और फ़रमाया कि जब दूध पियो तो यह कहो:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

अल्लाहुम्-म बारिक् लना फ़ीहि व जिदना मिन्दु

(यानी या अल्लाह! हमारे लिये इसमें बरकत दीजिये और ज़्यादा अता फ़रमाइये।)

इससे बेहतर का सवाल इसलिये नहीं किया कि इनसानी ग़िज़ा में दूध से बेहतर कोई दूसरी ग़िज़ा नहीं है, इसीलिये क़ुदरत ने हर इनसान व हैवान की पहली ग़िज़ा दूध ही बनाई है जो माँ की छातियों से उसे मिलती है। (तफ़सीरे कुतुबी)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرُزُقًا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ ۝

रुज़ा क़ा क़ा अरान् फ़ी ड़िक़ लायैहू ल़ुक्मू यैक्लून् ॥

व मिन् स-मरातिन्नख़ीलि वल्लअअनाबि
तत्तख़िज़ू-न मिन्दु स-करब्-व रिज़्कन्
ह-सनन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क
लआ-यतल्-लिक़ौमिंय्यअक़िलून् (67)

और भेवों से खजूर के और अंगूर के
बनाते हो-उससे नशा और रोज़ी खासी,
इसमें निशानी है उन लोगों के वास्ते जो
समझते हैं। (67)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (साथ ही) खजूर और अंगूरों (की हालत में ग़ौर करना चाहिये कि) के फलों से तुम

लोग नशे की चीज और उम्दा खाने की चीजें (जैसे छुहारा, किशमिश, शबंत और सिरका) बनाते हो। बेशक इसमें (भी अल्लाह की तौहीद और उसके नेमतें देने वाला होने की) उन लोगों के लिये बड़ी दलील है जो (सही) अक़ल रखते हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में हक़ तआला की उन नेमतों का जिक्र था जो इनसानी गिज़ायें पैदा करने में अजीब व ग़रीब कारीगरी व कुदरत का प्रतीक हैं। इसमें पहले दूध का जिक्र किया जिसको कुदरत ने हैवान के पेट में खून और गोबर की गंदगियों से अलग करके साफ़-सुथरी इनसान की गिज़ा के लिये अता कर दी जिसमें इनसान को किसी और हुनर मन्दी और काम करने की ज़रूरत नहीं, इसी लिये यहाँ लफज़ 'नुस्कीकुम' इस्तेमाल फ़रमाया कि हमने पिलाया तुमको दूध।

इसके बाद फ़रमाया कि ख़जूर और अंगूर के कुछ फलों में से भी इनसान अपनी गिज़ा और नफे की चीजें बनाता है। इसमें इशारा इस तरफ़ है कि ख़जूर और अंगूर के फलों से अपनी गिज़ा और फ़ायदे की चीजें बनाने में इनसानी हुनर व कारीगरी का भी कुछ दख़ल है और उसी दख़ल के नतीजे में दो तरह की चीजें बनाई गई— एक नशा लाने वाली चीज़ जिसको ख़मूर या शराब कहा जाता है, दूसरी उम्दा रिज़क कि ख़जूर और अंगूर को तोरोताज़ा खाने में इस्तेमाल करें या सुश्क करके भण्डार कर लें। मक़सद यह है कि अल्लाह तआला ने अपनी कामिल कुदरत से ख़जूर और अंगूर के फल इनसान को दे दिये, और इससे अपनी गिज़ा वगैरह बनाने का इख़्तियार भी दे दिया, अब यह उसका चयन है कि उससे क्या बनाये, नशे वाली चीज़ बनाकर अक़ल को ख़राब करे या गिज़ा बनाकर कुव्वत हासिल करे।

इस तफ़सीर के मुताबिक़ इस आयत से नशा लाने वाली चीज़ यानी शराब के हलाल होने पर कोई दलील नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ मक़सद कुदरत की दी हुई चीजें और उनके इस्तेमाल की विभिन्न सूरतों का बयान है, जो हर हाल में अल्लाह की नेमत है, जैसे तमाम गिज़ायें और इनसानी फ़ायदे की चीजें कि उनको बहुत से लोग नाजायज़ तरीक़ों पर भी इस्तेमाल करते हैं मगर किसी के गुलत इस्तेमाल से असल नेमत तो नेमत होने से नहीं निकल जाती, इसलिये यहाँ यह तफ़सील बतलाने की ज़रूरत नहीं कि उनमें कौनसा इस्तेमाल हलाल है कौनसा हराम, लेकिन एक बारीक इशारा इसमें भी इस तरफ़ कर दिया गया कि "सकर" के मुकाबिल "रिज़के हसन" रखा, जिससे मालूम हुआ कि "सकर" अच्छा रिज़क नहीं है, "सकर" के मायने मुफ़सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक नशा लाने वाली चीज़ के हैं। (1)

(तफ़सीर रुहुल-मआनी, क़ुर्तुबी, जस्सास)

उम्मत की इत्तिफ़ाकी राय यह है कि ये आयतें मक्की हैं और शराब की हुर्मत (हराम होने का हुक्म) इसके बाद मदीना तय्यिबा में नाज़िल हुई, आयत के नाज़िल होने के वक़्त अगर

(1) कुछ उलेया ने इसके मायने सिरका या बगैर नशे वाली नबीज़ के भी लिये हैं (तफ़सीरे जस्सास व क़ुर्तुबी) मगर इस जगह इस इख़्तिलाफ़ (मतभेद) के नक़ल करने की ज़रूरत नहीं। गुहम्गद शफ़ी

शराब हलाल थी और मुसलमान आम तौर पर पीते थे, मगर उस वक़्त भी इस आयत में इशारा इस तरफ़ कर दिया गया कि इसका पीना अच्छा नहीं, बाद में खुलकर शराब को सख़्ती के साथ हराम करने के लिये कुरआनी अहक़ाम नाज़िल हो गये (यह मज़मून तफ़सील से तफ़सीरे जस्तास और तफ़सीरे कुर्तुबी में बयान किया गया है)।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّحْلِ أَمْرًا أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝
ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

व औहा रब्बु-क इलन्नहिल
अनित्ताख़िाज़ी मिनल्-जिबालि
बुयूतंव्-व मिनश्श-जरि व मिम्मा
यज़रिशून (68) सुम्-म कुली मिन्
कुल्लिस्स-मराति फ़स्तुकी सुबु-ल
रब्बिकि ज़ुलुलन्, यख़रुजु मिम्-
बुतूनिहा शराबुम्-मुख्तलिफुन्
अल्वानुहू फ़ीहि शिफ़ाउल्-लिन्नासि,
इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल्
लिकौमिंय्य-तफ़क्करून (69)

और हुक्म दिया तेरे रब ने शहद की मक्खी को कि बनाये पहाड़ों में घर और दरख़्तों में और जहाँ टटियाँ बाँधते हैं। (68) फिर खा हर तरह के मेवों से, फिर चल रास्तों में अपने रब के साफ़ पड़े हैं, निकलती है उनके पेट में से पीने की चीज़ जिसके मुख्तलिफ़ रंग हैं उसमें रोग अच्छे होते हैं लोगों के, इसमें निशानी है उन लोगों के लिये जो ध्यान करते हैं। (69)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (यह बात भी गौर करने के काबिल है कि) आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में यह बात डाली की तू पहाड़ों में घर (यानी छत्ता) बना ले और दरख़्तों में (भी) और जो लोग इमारतें बनाते हैं उनमें (भी) छत्ता लगा ले, चुनाँचे इन सब जगहों पर वह छत्ता लगाती है। फिर हर किस्म के (विभिन्न और अनेक) फूलों से (जो तुझको पसन्द हों) चूसती फिर, फिर (चूसकर छत्ते की तरफ़ वापस आने के लिये) अपने रब के रास्तों में चल जो (तेरे लिये चलने के और याद रहने के एतिबार से) आसान हैं (चुनाँचे बड़ी-बड़ी दूर से बिना रास्ता भूले हुए अपने छत्ते में लौट आती हैं। फिर जब चूसकर अपने छत्ते की तरफ़ लौटती है तो) उसके पेट में से पीने की एक चीज़ निकलती है (यानी शहद) जिसकी रंगतें विभिन्न होती हैं, कि उसमें लोगों (की बहुत-सी बीमारियों) के लिये शिफ़ा है, इसमें (भी) उन लोगों के लिये (अल्लाह के एक होने और उसी

के नेमते देने वाला होने की) बड़ी दलील है जो सोचते हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

और। वही यहाँ अपने इस्तिलाही मायने में नहीं, बल्कि लुगवी मायने में है। वह यह कि कलाम करने वाला मुख़ातब को कोई खास बात छुपे तौर पर और धीरे से इस तरह समझा दे कि दूसरा शख्स उस बात को न समझ सके।

अन्नहल: शहद की मक्खी अपनी अक्ल व होशियारी और उन्दा तदबीर के लिहाज से तमाम जानवरों में नुमायों और अलग जानवर है, इसी लिये अल्लाह तआला ने उसको खिताब भी विशेष और अलग अन्दाज़ का किया है। बाकी हैवानों के बारे में तो कुल्ली क़ानून के तरीक़े पर:

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ثُمَّ هَدَى

(हमारा रब वह है जिसने) “हर चीज़ को वह बनावट (शक्ल व सूत और हालत) अता की जो उसके मुनासिब थी, फिर (उसकी) रहनुमाई भी फ़रमाई।” फ़रमाया लेकिन इस नन्ही-सी मख़्लूक के बारे में खास करके:

أَرْحَى رَبُّكَ

फ़रमाया, जिससे इशारा इस बात की तरफ़ कर दिया कि यह दूसरे हैवानों से अक्ल व शकर और सूझ-बूझ के मामले में एक अलग और नुमायों हैसियत रखती है।

शहद की मक्खियों की समझ व शकर का अन्दाज़ा उनकी व्यवस्था और निज़ामे हुकूमत से बख़ूबी होता है। इस कमज़ोर जानवर का जिन्दगी गुज़ारने का तरीक़ा इन्सानी सियासत व हुकमरानी के उसूल पर चलता है, तमाम व्यवस्था एक बड़ी मक्खी के हाथ में होती है, जो तमाम मक्खियों की हाकिम होती है। उसके प्रबंधन और कार्यों की तक़सीम की वजह से पूरा निज़ाम सही सालिम चलता रहता है। उसके अजीब व ग़रीब सिस्टम और स्थिर क़ानून व नियमों को देखकर इन्सानी अक्ल दंग रह जाती है। खुद यह “मलिका” तीन हफ़्तों के समय में छह हज़ार से बारह हज़ार तक अण्डे देती है, यह अपने वजूद, रंग-रङ्ग और जाहिरी रख-रखाव के लिहाज से दूसरी मक्खियों से अलग और नुमायों होती है। यह मलिका (रानी) कार्यों के बंटवारे के उसूल पर अपनी रियासत (प्रजा) को विभिन्न कार्यों पर लगाती है, उनमें से कुछ दरबानी के फ़राईज़ अन्जाम देती हैं और किसी नामालूम और बाहरी फ़र्द को अन्दर दाख़िल होने नहीं देती, कुछ अण्डों की टिफ़ाज़त करती हैं, कुछ नाबालिग़ बच्चों का पालन-पोषण करती हैं, कुछ छत्तों के निर्माण और इन्जीनियरिंग के फ़राईज़ अदा करती हैं, उनके तैयार किये हुए अक्सर छत्तों के खाने बीस हज़ार से तीस हज़ार तक होते हैं, कुछ मोम जगा करके निर्माण का कार्य करने वालों के पास पहुँचाती रहती हैं जिससे वे अपने मकानात तामीर करते हैं। यह मोम पेड़-पौधों पर जमे हुए सफ़ेद किस्म के सफ़ूफ़ (पावडर) से हासिल करती हैं। गन्ने पर यह मादा बहुत नज़र आता

है। उनमें से कुछ विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों पर बैठकर उसको चूसती हैं जो उनके पेट में शहद में तब्दील हो जाता है, यह शहद उनकी और उनके बच्चों की गिजा है और यही हम सब के लिये भी लज्जत व गिजा का जौहर (सत) और दवा व शिफा का नुस्खा है, यह विभिन्न और अनेक टुकड़ियाँ निहायत सक्रियता से अपने-अपने फराईज़ (इयूटियाँ) अच्छी तरह अन्जाम देती हैं और अपनी "मलिका" (रानी) के हुक्म को दिल व जान से झुबूल करती हैं। उनमें से अगर कोई गन्दगी पर बैठ जाये तो छत्ते के दरबान उसको बाहर रोक लेते हैं और रानी उसको कुत्ल कर देती है, उनके इस हैरत-अंगेज़ सिस्टम और काम की उम्दगी को देखकर इन्सान हैरत में पड़ जाता है। (अज़ जवाहिर)

बुयूतनु: रब्बे करीम की तरफ से जो हिदायतें दी गई हैं उनमें से यह पहली हिदायत है जिसमें घर बनाने का जिक्र है। यहाँ यह बात ध्यान देने के काबिल है कि हर जानवर अपने रहने सहने के लिये घर तो बनाता ही है फिर इस विशेषता से "घरों" के निर्माण का हुक्म मक्खियों को देने में क्या खास बात है। फिर यहाँ लफ्ज़ भी "बुयूत" का इस्तेमाल फरमाया जो उमूयन इन्सानी रहने की जगहों के लिये बोला जाता है। इसमें एक इशारा तो इस तरफ कर दिया कि मक्खियों को चूँकि शहद तैयार करना है, उसके लिये पहले से एक सुरक्षित घर बना लें, दूसरा इस तरफ इशारा कर दिया कि जो घर ये बनायेंगी वो आम जानवरों के घरों की तरह नहीं होंगे, बल्कि उनकी साख्त व बनावट असाधारण किस्म की होगी, चुनाँचे उनके घर आम जानवरों के घरों से अलग और नुमायाँ होते हैं, जिनको देखकर इन्सानी अक्ल भी हैरान रह जाती है। उनके घर छह खानों वाले होते हैं, परकार और मिस्तर से भी अगर उनकी पैमाइश की जाये तो बाल बराबर भी फर्क नहीं रहता। छह खानों वाली शक्ल के अलावा वो दूसरी किसी शक्ल जैसे चार खानों और पाँच खानों वगैरह की शक्ल को इसलिये नहीं अपनातीं कि उनके कुछ कोने बेकार रह जाते हैं।

अल्लाह तआला ने मक्खियों को केवल घर बनाने का हुक्म नहीं दिया बल्कि उसका स्थान भी बतला दिया कि वह किसी घुलन्दी पर होना चाहिये, क्योंकि ऐसे मकामात पर शहद को ताज़ा और साफ़ छनी हुई हवा पहुँचती रहती है, वह गंदी हवा से बचा रहता है, और तोड़-फोड़ से भी सुरक्षित रहता है। चुनाँचे फरमाया:

مِنَ الْجِبَالِ يَوْتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ 00

यानी उन घरों की ताभीर पहाड़ों, दरख्तों और बुलन्द इमारतों पर होनी चाहिये ताकि शहद बिल्कुल सुरक्षित तरीके से तैयार हो सके।

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ

यह दूसरी हिदायत है जिसमें मक्खी को हुक्म दिया जा रहा है कि अपनी रुचि और पसन्द के मुताबिक फल-फूल से रस चूसे, यहाँ 'मिन् कुल्लिस्स-मराति' फरमाया, लेकिन बजाहिर यहाँ लफ्ज़ 'कुल' से दुनिया भर के फल-फूल मुताद नहीं हैं बल्कि जिन तक आसानी से उसकी पहुँच

हो सके और मतलब हासिल हो सके। "कुल" का यह लफ्ज मुल्क सबा की रानी के वाकिए में भी आया है, जैसा कि फरमाया:

وَأَرْبَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

और ज़ाहिर है कि वहाँ भी हर चीज़ मुराद नहीं है कि सबा की रानी के पास हवाई जहाज़ और रेल मोटर होना भी लाज़िम आये, बल्कि उस वक़्त की तमाम ज़रूरी और मुनासिब चीज़ें मुराद हैं। यहाँ भी "मिन् कुल्लिस्स-मराति" से यही मुराद है। यह मक्खी ऐसे-ऐसे लतीफ़ और कीमती हिस्से चूसती है कि आज के वैज्ञानिक दौर में मशीनों से भी वह जीहर नहीं निकाला जा सकता।

فَأَسْلَىٰ سَكِرَاتِكَ ذُلًّا

यह मक्खी को तीसरी हिदायत दी जा रही है कि अपने रब के हमवार किये हुए रास्तों पर चल पड़। यह जब घर से दूर-दराज़ मक़ामात पर फल-फूल का रस चूसने के लिये कहीं जाती है तो बज़ाहिर इसका अपने घर में वापस आना मुश्किल होना चाहिये, था लेकिन अल्लाह तआला ने इसके लिये राहों को आसान बना दिया है, चुनाँचे वह मीलों दूर जाती है और बग़ैर थूले-भटकने अपने घर वापस पहुँच जाती है, अल्लाह तआला ने फिज़ा में उसके लिये रास्ते बना दिये हैं क्योंकि ज़मीन के पैघदार रास्तों में भटकने का ख़तरा होता है, अल्लाह तआला ने फिज़ा को उस हकीर व नातवाँ मक्खी के लिये तावेदार कर दिया ताकि वह किसी रोक-टोक के बग़ैर अपने घर आसानी से आ-जा सके।

इसके बाद वही के इस हुक्म का जो असली फल और नतीजा था उसको बयान फरमाया:

يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

"कि उसके पेट में से विभिन्न रंग का मशरूब (पय पदार्थ) निकलता है, जिसमें तुम्हारे लिये शिफ़ा है।"

रंग का भिन्न होना और विविधता गिज़ा और मौसम की भिन्नता की बिना पर होता है, यही वजह है कि अगर किसी खास इलाक़े में किसी खास फल-फूल की अधिकता हो तो उस इलाक़े के शहद में उसका असर व जायका ज़रूर होता है, शहद उमूमन घूँके बहने वाले मादे की शक्त में होता है इसलिये उसको शराब (पीने की चीज़) फरमाया। इस जुमले में भी अल्लाह तआला की वहदानियत (एक और तन्हा माबूद होने) और कामिल क़ुदरत की न कटने वाली दलील मौजूद है कि एक छोटे से जानवर के पेट से कैसा लाभदायक और मजेदार मशरूब (पीने की चीज़) निकलता है, हालाँकि वह जानवर खुद ज़हरीला है, ज़हर में से यह तिरयाक वाकई अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत की अजीब मिसाल है, फिर क़ुदरत की यह भी अजीब कारीगरी है कि दूध देने वाले हैवानों का दूध मौसम और गिज़ा के इख़्तलाफ़ (भिन्नता) से सुर्ख़ व ज़र्द (लाल और पीला) नहीं होता और मक्खी का शहद विभिन्न रंगों का होता है।

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

शहद जहाँ कुब्वत देने वाला, गिज़ा व लज़ज़त और खाने का ज़रिया है वहाँ रोगों के लिये नुस्खा-ए-शिफ़ा भी है, और क्यों न हो ख़ालिके कायनात की यह लतीफ़ धूमती-फिरती मशीन जो हर किस्म के फल-फूल से ताक़त देने वाला अर्क और पाकीज़ा जौहर (सत) खींच करके अपने महफूज़ घरों में ज़खीरा करती है, अगर जड़ी-बूटियों में शिफ़ा व दवा का सामान है तो उनके जौहर में क्यों न होगा, बलगामी रोगों में डायरेक्ट और दूसरे रोगों में दूसरे अजज़ा के साथ मिलकर बतौर दवा शहद का इस्तेमाल होता है। भाजूनों में ख़ास तौर पर इसको शामिल करते हैं, इसकी एक ख़ासियत यह भी है कि खुद भी ख़राब नहीं होता और दूसरी चीज़ों की भी लम्बे समय तक हिफ़ाज़त करता है। यही वजह है कि हज़ारों साल से तबीब व हकीम हज़रत इसको अल्कोहल की जगह इस्तेमाल करते आये हैं, शहद दस्त लाने वाला है और पेट से फ़ासिद व ख़राब मादा निकालने में बहुत मुफ़ीद है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एक तहाबी ने अपने भाई की बीमारी का हाल बयान किया तो आपने उसको शहद पिलाने का मश्विरा दिया, दूसरे दिन फिर आकर बतलाया कि यह बीमारी बदस्तूर है, आपने फिर वही मश्विरा दिया, तीसरे दिन जब उसने कहा कि अब भी कोई फ़र्क नहीं है तो आपने फ़रमाया:

صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ

“यानी अल्लाह का कौल बेशक सच्चा है और तेरे भाई का पेट झूठा है।”

मुराद यह है कि दवा का क़सूर नहीं मरीज़ के ख़ास मिज़ाज की वजह से जल्दी असर ज़ाहिर नहीं हुआ, उसके बाद फिर पिलाया तो बीमार तन्दुरुस्त हो गया।

यहाँ क़ुरआने करीम में लफ़ज़ ‘शिफ़ाउन’ जिस अन्दाज़ से आया है अरबी भाषा के ग्रामर के मुताबिक़ इसका हर मर्ज़ के लिये तो शिफ़ा होना मालूम नहीं होता लेकिन इस बात का इशारा ज़रूर मिलता है कि शहद की शिफ़ा अज़ीम और विशेष किस्म की है, और अल्लाह तआला के कुछ अहले दिल बन्दे वे भी हैं जिनको शहद के किसी भी मर्ज़ के लिये शिफ़ा होने में कोई शुब्हा नहीं, उनको अपने रब के कौल के इस ज़ाहिर ही पर इस क़द्र मज़बूत यक़ीन और पक्का एतिकाद है कि वे फोड़े और आँख का इलाज भी शहद से करते हैं और जिस्म के दूसरे रोगों का भी। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ रिवायतों में है कि उनके बदन पर अगर फोड़ा भी निकल आता तो उस पर शहद का लेप करके इलाज करते, कुछ लोगों ने उनसे इसकी वजह पूछी तो जवाब में फ़रमाया कि क्या अल्लाह तआला ने क़ुरआने करीम में इसके बारे में यह नहीं फ़रमाया कि:

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ (قرطبي)

अल्लाह तआला अपने बन्दों के साथ वैसा ही मामला करते हैं जैसा उन बन्दों का अपने रब के मुताल्लिक़ एतिकाद होता है। हदीस-ए-कुदसी में फ़रमाया:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

यानी हक़ तआला ने फ़रमाया कि बन्दा जो कुछ मुझसे गुमान रखता है मैं उसके पास होता

हैं (यानी उसी के मुताबिक कर देता हूँ)।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ

अल्लाह तआला ने अपनी कामिल कुदरत की उक्त मिसालें बयान फरमाने के बाद इनसान को फिर गौर व फिक्र की दावत दी है कि कुदरत की इन मिसालों में गौर व फिक्र करके तो देख लो, अल्लाह तआला पुरा जमीन को पानी बरसाकर जिन्दा कर देता है, वह गन्दगी व नापाकी के दरमियान तुम्हारे लिये साफ व सुथरी और खुशगवार दूध की नालियाँ बहाता है, वह अंगूर के दरख्तों पर भीठे फल पैदा करता है, जिनसे तुम मजेदार शरबतें और मजेदार मुरब्बे बनाते हो। वह एक छोटे से जहरीले जानदार के जरिये तुम्हारे लिये लज्जत व खाने और गिजा व शिफा का बेहतरीन सामान मुहैया करता है, क्या अब भी तुम देवी-देवताओं को पुकारोगे? क्या अब भी तुम्हारी इबादत व वफा अपने खालिक व मालिक के बजाय पत्थर और लकड़ी की बेजान मूर्तियों के लिये होगी? और खूब समझ लो! क्या यह भी तुम्हारी अक्ल में आ सकता है कि यह सब कुछ अंधे, बहरे और बेशऊर माद्रे की करिश्मा साजी हो? कारीगरी व कमात के ये बेशुमार नमूने, हिक्मत व तदबीर के ये हैरतअंगेज कारनामे और अक्ल व समझ के ये बेहतरीन फैसेले अपनी जुबाने हाल से पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि हमारा एक खालिक है, बेमिसाल व हिक्मत वाला खालिक, वही इबादत व वफा का हक्दार है, वही मुश्किलों को दूर करने वाला है और शुक्र व तारीफ का पात्र वही है।

फायदे

1. आयत से मालूम हुआ कि अक्ल व शऊर इनसानों के अलावा दूसरे जानदारों में भी है, जैसा कि कुरआन पाक में फरमाया है:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

अलबत्ता अक्ल के दर्जे अलग-अलग हैं, इनसानों की अक्ल तमाम जानदार चीजों की अक्लों से ज्यादा कामिल है, इसी वजह से वह शरीअत के अहकाम का पाबन्द है। यही वजह है कि अगर जुनून (पागलपन) की वजह से इनसान की अक्ल में फतूर आ जाये तो दूसरी मद्दुकात की तरह यह भी शरई अहकाम का पाबन्द नहीं रहता।

2. शहद की मक्खी की एक खुसूसियत यह भी है कि उसकी फजीलत में हदीस बयान हुई है, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फरमाया:

الدَّهَانُ كُلُّهَا فِي النَّارِ يَجْعَلُهَا عَذَابًا لِلْأَهْلِ النَّارِ إِلَّا السَّحْلُ. (نَوَادِرُ الْأَصُولِ بِحِوَالِهِ قَرَطَبِي)

“यानी दूसरे तकलीफ देने वाले जानदारों की तरह मक्खियों की भी तमाम किस्में जहन्नम में जायेंगी जो वहाँ जहन्नमियों पर मुसल्लत कर दी जायेंगी मगर शहद की मक्खी जहन्नम में नहीं जायेगी।” (नवादिरुल-उसूल, कुरतुबी के हवाले से)

साथ ही यह कि एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने इसको मारने से

मना फ़रमाया है। (अबू दाऊद)

3. हकीमों और तबीबों का इसमें कलाम है कि शहद मक्खी का फ़ुज़ला (मल और विष्ठा) है या उसका लुआब (मुखस्राव) है। अरस्ता तालीस ने शीशे का एक उम्दा छल्ला बनाकर मक्खियों को उसमें बन्द कर दिया था, वह उनके काम करने के तरीके को जानना चाहता था लेकिन उन मक्खियों ने सबसे पहले बर्तन के अन्दरूनी हिस्से पर मोम और कीचड़ का पर्दा चढ़ा दिया और जब तक पूरी तरह वो पर्दे में नहीं हो गई उस वक़्त तक अपना काम शुरू नहीं किया।

हज़रत अली करमल्लाहु वज़्हू ने दुनिया के बेहकीक़त व ज़लील होने की मिसाल देते हुए फ़रमाया:

أَشْرَفُ لِبَاسِ بَنِي آدَمَ فِيهِ لَعَابُ ذُوذَةِ وَأَشْرَفُ شَرَابِهِ رَجِيعُ نَحْلَةٍ

“इन्सान का बेहतरीन रेशमी लिबास इस कायनात के एक छोटे से कीड़े का लुआब है और उसका नफ़ीस मजेदार मशरूब (पीने की चीज़) मक्खी का फ़ुज़ला (मल व विष्ठा) है।”

4. ‘फीहि शिफ़ाउल्-लिन्नासि’ से यह भी मालूम हुआ कि दवा से रोग का इलाज करना जायज़ है इसलिये कि अल्लाह तआला ने इसे इनाम के तौर पर ज़िक्र किया है।

दूसरी जगह इरशाद है:

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

हदीस में दवा इस्तेमाल करने और इलाज करने की तरफ़ रुचि दिलाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुछ हज़रत ने सवाल किया कि क्या हम दवा इस्तेमाल करें? आपने फ़रमाया क्यों नहीं! इलाज कर लिया करो, इसलिये कि अल्लाह तआला ने जो भी मर्ज़ पैदा किया है उसके लिये दवा भी पैदा फ़रमाई है, मगर एक मर्ज़ का इलाज नहीं। उन्होंने सवाल किया कि वह मर्ज़ कौनसा है? आपने फ़रमाया बुढ़ापा। (अबू दाऊद व तिर्मिज़ी, कुर्तुबी के हवाले से)

हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी एक रिवायत है, वह फ़रमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि यह जो हम झाड़-फूँक का अमल करते हैं या दवा से अपना इलाज करते हैं, इसी तरह बचाव और हिफ़ाज़त के जो इन्तिज़ामात करते हैं क्या ये अल्लाह तआला की तक़दीर को बदल सकते हैं? आपने फ़रमाया ये भी तो अल्लाह की तक़दीर ही की सूरतें हैं।

ग़र्ज़ यह कि इलाज करने और दवा इस्तेमाल करने के जायज़ होने पर तमाम उलेमा एकमत हैं और इस सिलसिले में बेशुमार हदीसें व अक़वाल बयान हुए हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में अगर किसी को बिच्छू काट लेता था तो उसे तिरयाक पिलाते थे, और झाड़-फूँक से उसका इलाज फ़रमाते। आपने लक़वे के रोगी पर दाग़ लगाकर उसका इलाज किया।

(तफ़सीरे कुर्तुबी)

कुछ बुजुर्गों के वारे में नक़ल किया गया है कि वे इलाज को पसन्द नहीं करते थे और हज़रत सहाबा में से भी कुछ के अमल से यह ज़ाहिर होता है जैसे रिवायत है कि हज़रत इब्ने

मसऊद रजियल्लाहु अन्हु बीमार हो गये, हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु उनकी इयादत (बीमारी का हाल पूछने) के लिये तशरीफ़ लाये और उनसे पूछा— आपको क्या शिकायत है? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अपने गुनाहों की फिक्र है। हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया फिर किस चीज़ की इच्छा है? फरमाया मैं अपने रब की रहमत का सलबगार हूँ। हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आय पसन्द करें तो मैं तबीब (इलाज करने वाले) को बुलवा लेता हूँ? उन्होंने जवाब दिया तबीब ही ने तो मुझे लिटाया है (यहाँ इशारे के तौर पर तबीब से पुराद अल्लाह तआला शानुह हैं)।

लेकिन इस किस्म के वाकिआत इस बात की दलील नहीं कि ये हज़रत इलाज को मक्रूह (बुरा और नापसन्दीदा) समझते थे, हो सकता है कि उस वक़्त उनके ज़िक्र को ग़वारा नहीं था इसलिये तबीयत के कुबूल न करने की वजह से उन्होंने पसन्द न किया हो, यह वक़्ती तौर पर हालत के गुलबे की एक कैफियत होती है जिसको इलाज के नाजायज़ या मक्रूह होने की दलील नहीं बनाया जा सकता। हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु का हज़रत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से दरख़्वास्त करना कि मैं आपके लिये तबीब ले आता हूँ खुद इस बात की दलील है कि इलाज जायज़ है, बल्कि कुछ सूत्रों में यह वाज़िब भी हो जाता है।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّيْكُمْ

وَمِنْكُمْ مَنْ يَّرُدُّ إِلَىٰ الرُّدْلِ الْعُمُرِ لِكَلَّا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

वल्लाहु छा-ल-ककुम् सुम्-म
य-तवफ़ाकुम् व मिन्कुम् मय्युरददु
इला अर्जलिल्-अमुरि लिक्कै ला
यज़ल्-म बज़्-द अिल्मिन् शैअन्,
इन्नल्ला-ह अलीमुन् कदीर (70) ❁

और अल्लाह ने तुमको पैदा किया फिर तुमको मीत देता है, और कोई तुम में से पहुँच जाता है निकम्पी उम्र को ताकि समझने के बाद अब कुछ न समझे, अल्लाह खबरदार है, कुदरत वाला। (70) ❁

ख़ुलासा-ए-तफसीर

और (अपनी हालत भी सोचने के काबिल है कि) अल्लाह तआला ने तुमको (पहले) पैदा किया, फिर (उम्र ख़त्म होने पर) तुम्हारी जान निकालता है (जिनमें कुछ तो होश व हवास में चलते हाथ-पैव उठ जाते हैं) और बाज़े तुम में वे हैं जो नाकारा उम्र तक पहुँचाए जाते हैं (जिनमें न जिस्मानी कुव्वत रहे न अक्ली कुव्वत रहे), जिसका यह असर होता है कि एक चीज़ से बाख़बर होकर फिर बेख़बर हो जाता है (जैसा कि अक्सर ऐसे बूढ़ों को देखा जाता है कि अभी उनको एक बात बतलाई और अभी भूल गये और फिर उसको पूछ रहे हैं) बेशक अल्लाह तआला बड़े इल्म वाले, बड़ी कुदरत वाले हैं (इल्म से हर एक मस्लेहत जानते हैं, और कुदरत से

वैसा ही कर देते हैं, इसलिये जिन्दगी व वफ़ात की हालतें अलग-अलग कर दीं, पस यह भी दलील है तौहीद की)।

मअरिफ़ व मसाईल

इससे पहले अल्लाह तआला ने पानी, पेड़-पौधों, चौपायों और शहद की मक्खी के विभिन्न अहवाल बयान फ़रमाकर इनसान को अपनी कामिल कुदरत और मख़्लूक के लिये अपने इनामों पर आगाह किया, अब इन आयतों से उसको अपने अन्दरूनी हालतों पर गौर व फ़िक्र की दावत देते हैं कि इनसान कुछ न था अल्लाह तआला ने इसको वजूद की दौलत से नवाज़ा, फिर जब चाहा मौत भेजकर वह नेमत ख़त्म कर दी, और बाज़ों को तो मौत से पहले ही बुढ़ापे के ऐसे दर्जे में पहुँचा देते हैं कि उनके होश व हवास ठिकाने नहीं रहते, उनके हाथ-पाँव की ताक़त ख़त्म हो जाती है, न वे कोई बात समझ सकते हैं और न समझी हुई बात याद रख सकते हैं। यह उमूमी और व्यक्तिगत बदलाव और उलट-फेर इस बात पर दलालत करता है कि इल्म व कुदरत उसी ज़ात के ख़ज़ाने में है जो ख़ालिक व मालिक है।

وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ

मंय्यरदुदु के लफ़ज़ से इशारा इस बात की तरफ़ है कि इनसान पर पहले भी एक कमज़ोरी का वक़्त गुज़र चुका है, यह उसके बचपन का शुरूआती दौर था जिसमें यह किसी सूज़-बूज़ का मालिक न था, इसकी कुव्वतें बिल्कुल कमज़ोर व नातवाँ थीं, यह अपनी भूख-प्यास को दूर करने और अपने उठने-बैठने में ग़ैरों का मोहताज था। फिर अल्लाह तआला ने इसको जवानी अ़ता की यह इसकी तरक्की का ज़माना है, फिर धीरे-धीरे इसको बुढ़ापे के ऐसे दर्जे में पहुँचा देते हैं जिसमें यह बिल्कुल उसी तरह कमज़ोरी और मोहताजी की तरफ़ लौटा दिया जाता है जैसा कि बचपन में था।

أَرْدَلِ الْعُمْرِ

(उम्र के निकम्मे हिस्से) इससे मुराद बुढ़ापे की वह उम्र है जिसमें इनसान की तमाम जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों में ख़लल और बेतरतीबी आ जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस उम्र से पनाह माँगते थे। इरशाद है:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمْرِ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ

“यानी या अल्लाह! मैं आपकी पनाह माँगता हूँ बुरी उम्र से, और एक रिवायत में है कि पनाह माँगता हूँ उम्र के निकम्मे दौर से।”

उम्र के घटिया और निकम्मे हिस्से की परिभाषा में कोई निर्धारण नहीं है, अलबत्ता उक्त परिभाषा ज़्यादा बेहतर मालूम होती है जिसकी तरफ़ क़ुरआन ने भी:

لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا

से इशारा किया है, कि वह ऐसी उम्र है जिसमें होश व हवास बाकी नहीं रहते, जिसका नतीजा यह होता है कि वह अपनी तमाम मालूमात भूल जाता है।

‘निकम्मी उम्र’ की परिभाषा में और भी कौल है, कुछ हज़रत ने अस्सी साल की उम्र को उम्र का निकम्मा हिस्सा करार दिया है, और कुछ ने नब्बे साल को। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी पछत्तर साल का कौल मन्कूल है। (बुखारी व मुस्लिम, तफसीरे मज़हरी)

لَكَيْلًا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا.

उम्र के ज्यादा होने की आखिरी हद को पहुँचने के बाद आदमी में न जिस्मानी ताकत रहती है और न ही अक्ली, जिसका असर यह होता है कि एक चीज़ से बाख़बर होकर फिर बेख़बर हो जाता है, वह तमाम मालूमात भूलकर बिल्कुल कल के बच्चे की तरह हो जाता है, जिसको न इल्म व ख़बर है और न ही समझ व शऊर। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि कुरआन पढ़ने वाले की यह हालत नहीं होगी।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

बेशक अल्लाह तआला बड़े इल्म वाले, बड़ी कुदरत वाले हैं। (इल्म से हर शख्स की उम्र को जानते हैं और कुदरत से जो चाहते हैं करते हैं। अगर चाहें तो ताक़तवर नौजवान पर बुढ़ापे के आसार तारी कर देते हैं और चाहें तो सौ साल का उम्र रसीदा इनसान भी ताक़तवर जवान रहे, यह सब कुछ उसी ज़ात के हाथ और इख्तियार में है जिसका कोई शरीक नहीं)।

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّشْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

वल्लाहु फज़ज़-ल बज़ज़कुम् अला
बज़ज़िन् फ़िरिज़िक् फ़-मल्लज़ी-न
फ़ुज़्ज़लू बिराददी रिज़्किहिम् अला
मा म-लकत् ऐमानुहुम् फ़हुम् फ़ीहि
सवाउन्, अ-फ़बिनिज़्-मतिल्लाहि
यज़्हदून् (71)

और अल्लाह ने बड़ाई दी तुम में एक को
एक पर रोज़ी में, सो जिनको बड़ाई दी वे
नहीं पहुँचा देते अपनी रोज़ी उनको
जिनके मालिक उनके हाथ हैं, कि वे सब
उसमें बराबर हो जायें। क्या अल्लाह की
नेमत के इनकारी हैं? (71)

खुलासा-ए-तफसीर

और (तौहीद के साबित करने के साथ शिर्क की बुराई एक आपसी मामले के तहत में सुनो कि) अल्लाह तआला ने तुम में बाज़ों को बाज़ों पर रिज़्क (के मामले) में फ़ज़ीलत दी है (जैसे किसी को मालदार और गुलामों का मालिक बनाया कि उनके हाथ से उन गुलामों को भी रिज़्क

पहुँचता है, और किसी को गुलाम बना दिया कि उसको मालिक ही के हाथ से रिज़क पहुँचता है और किसी को न ऐसा मालदार बनाया कि दूसरे गुलामों को दे न गुलाम बनाया कि उसको किसी मालिक के हाथ से पहुँचे। सो जिन लोगों को (रिज़क में ख़ास) फ़ज़ीलत दी गई है (कि उनके पास माल भी है और गुलाम भी है) वे (लोग) अपने हिस्से का माल अपने गुलामों को इस तरह कभी देने वाले नहीं कि वे (मालिक व मम्लूक) सब उसमें बराबर हो जाएँ। (क्योंकि अगर गुलाम होने की हालत में दिया तो माल उनकी मिल्क ही न होगा, बल्कि बदस्तूर यही मालिक रहेंगे, और अगर आज़ाद करके दिया तो बराबरी मुम्किन है मगर वे गुलाम न रहेंगे। फंस गुलामी और बराबरी मुम्किन नहीं। इसी तरह ये बात बग़ैरह जब मुशिरक लोगों के इकरार के अनुसार खुदा तआला के मम्लूक “बन्दे व गुलाम” हैं तो बावजूद मम्लूक होने के माबूद होने में खुदा के जैसे और बराबर कैसे हो जायेंगे? इसमें शिरक की बुराई को बिल्कुल स्पष्ट अन्दाज़ में बयान करना है कि जब तुम्हारे गुलाम तुम्हारी रोज़ी व माल में शरीक नहीं हो सकते तो अल्लाह तआला के गुलाम उसकी खुदाई व इबादत में कैसे शरीक हो सकते हैं) क्या (ये मज़ामीन सुनकर) फिर भी (खुदा तआला के साथ शिरक करते हैं? जिससे अक्ली तौर पर यह लाज़िम आता है कि) खुदा तआला की नेमत का (यानी इस बात का कि खुदा ने नेमत दी है) इनकार करते हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

इससे पहली आयतों में हक़ तआला ने अपने इल्म व कुदरत की अहम निशानियों और इनसान पर होने वाली नेमतों का तज़क़िरा फ़रमाकर अपनी तौहीद (एक तन्हा माबूद होने) की फ़ितरी दलीलें बयान फ़रमाई हैं, जिनको देखकर मामूली समझ-बूझ वाला आदमी भी किसी मम्लूक को हक़ तआला के साथ उसकी इल्म व कुदरत बग़ैरह की सिफ़ात में शरीक नहीं मान सकता। इस आयत में इसी तौहीद के मज़मून की एक आपसी मामले की मिसाल से वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह तआला ने अपनी कामिल हिक़मत से इनसानी मस्तेहतों को देखते हुए रिज़क में सब इनसानों को बराबर नहीं किया, बल्कि कुछ को कुछ पर फ़ज़ीलत (बरतरी) दी है और विभिन्न दर्जे कायम फ़रमाये। किसी की ऐसा मालदार बना दिया जो साज़ व सामान का मालिक है, नौकर-चाकर, गुलाम व ख़िदमतगार रखता है, वह खुद भी अपनी मंशा के मुताबिक़ खर्च करता है और गुलामों, ख़िदमतगारों को भी उसके हाथ से रिज़क पहुँचता है, और किसी को गुलाम व ख़िदमतगार बना दिया कि वे दूसरों पर तो क्या खर्च करते उनका खर्च भी दूसरों के ज़रिये पहुँचता है, और किसी को दरमियानी हालत वाला बनाया, न इतना मालदार कि दूसरों पर खर्च करे न इतना फ़कीर व मोहताज कि अपनी ज़रूरतों में भी दूसरों का मोहताज हो।

इसी कुदरती तक़सीम का यह असर सब के सामने है कि जिसको रिज़क में फ़ज़ीलत दी गई और मालदार बनाया गया वह कभी इसको ग़वारा नहीं करता कि अपने माल को अपने गुलामों और ख़ादिमों में इस तरह तक़सीम कर दे कि वे भी माल में उसके बराबर हो जायें।

इस मिसाल से समझो कि जब मुश्रिक लोग भी यह तस्लीम करते हैं कि वे बुत और दुखी मख्लूक़ात जिनकी वे पूजा करते हैं सब अल्लाह तआला की मख्लूक़ व मम्लूक हैं, तो यह कैसे तजवीज़ करते हैं कि ये मख्लूक़ व मम्लूक़ अपने ख़ालिक़ व मालिक़ के बराबर हो जायें? क्या ये लोग ये सब निशानियाँ देखकर और ये मज़ामीन सुनकर फिर भी खुदा तआला के साथ किसी को शरीक और बराबर करार देते हैं, जिसका लाज़िमी नतीजा यह है कि वे खुदा तआला की नेमतों का इनकार करते हैं, क्योंकि अगर यह इकरार होता कि ये सब नेमतें सिर्फ़ अल्लाह तआला की दी हुई हैं, इनमें किसी खुद बनाये और तैयार किये हुए बुत का या किसी इनसान और जिन्न का कोई दख़ल नहीं है तो फिर इन चीज़ों को अल्लाह तआला के बराबर कैसे करार देते? यही मज़मून सूर: रूम की इस आयत में भी इरशाद हुआ है:

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ

“तुम्हारे लिये तुम ही में से एक मिसाल दी है जो लोग तुम्हारे हाथ के नीचे (यानी तुम्हारे मातहत) हैं, क्या वे हमारे दिये हुए रिज़क़ में तुम्हारे शरीक हैं कि तुम उसमें बराबर हो गये हो।”

(सूर: रूम आयत 28)

इसका हासिल भी यही है कि तुम अपने मम्लूक (मिल्कियत वाले) गुलामों और ख़िदमतगारों को अपने बराबर करना पसन्द नहीं करते, तो अल्लाह के लिये यह कैसे पसन्द करते हो कि वह और उसकी मख्लूक़ व मम्लूक (मिल्कियत वाली) चीज़ें उसके बराबर हो जायें।

रोज़ी व रोज़गार में दर्जों की भिन्नता इनसानों के लिये रहमत है

इस आयत में स्पष्ट तौर पर यह भी बतलाया गया है कि ग़रीबी व अमीरी और रोज़ी कमाने में इनसानों के विभिन्न दर्जे होना, कि कोई ग़रीब है कोई अमीर कोई दरमियानी दर्जे का यह कोई इत्तिफ़ाक़िया घटना नहीं, हक़ तआला की कामिल हिक्मत (आला दर्जे की दानिशमन्दी) का तकाज़ा है और इनसानी मस्लेहतों का तकाज़ा और इनसानों के लिये रहमत है, अगर यह सूरत न रहे और माल व सामान में सब इनसान बराबर हो जायें तो दुनिया के सिस्टम में ख़लल और ख़राबी पैदा हो जायेगी, इसी लिये जब से दुनिया आबाद हुई किसी दौर और किसी ज़माने में सब इनसान माल व मत्ता के एतिबार से बराबर नहीं हुए और न हो सकते हैं, अगर कहीं ज़बरदस्ती ऐसी बराबरी पैदा कर भी दी जाये तो चन्द ही दिन में तमाम इनसानी कारोबार में ख़लल और फ़साद जाहिर हो जायेगा। हक़ तआला ने जैसे तमाम इनसानों को अक्ल व दिमाग़, कुव्वत व ताक़त और काम करने की सलाहियत में मुख़्तलिफ़ मिज़ाजों पर तक्सीम किया है और उनमें अदना, आला, दरमियानी की किस्में हैं जिसका कोई अक्ल वाला इनकार नहीं कर सकता, इसी तरह यह भी लाज़िमी है कि माल व मत्ता में भी ये मुख़्तलिफ़ दर्जे कायम हों कि हर शख़्स

अपनी-अपनी सलाहियत के एतिबार से उसका सिला पावे, और अगर सलाहियत वाले और ना-अहल (यानी काबिल व नाकाबिल) को बराबर कर दिया गया तो वह कौनसा जज्बा है जो उसे मेहनत व काशिश और फ़िक्र व अमल पर मजबूर करे, इसका लाजिमी नतीजा काम करने की सलाहियत (कार्यक्षमता) को बरबाद करना होगा।

दौलत को कुछ हाथों में समेटने और इकट्ठा करने के

ख़िलाफ़ कुरआनी अहकाम

अलबत्ता कायनात के पैदा करने वाले ने जहाँ अक्ली और जिस्मानी ताकतों में कुछ लोगों को कुछ पर फ़ज़ीलत दी और उसके ताबे रिज़्क और माल में फ़र्क कायम फ़रमाया, वहीं रोज़ी कमाने का यह स्थिर निज़ाम भी कायम फ़रमाया कि ऐसा न होने पाये कि दौलत के खज़ानों और रोज़ी कमाने के मर्कज़ों पर चन्द अफ़राद या कोई खास जमाअत कब्ज़ा कर ले, दूसरे काबिल व सलाहियत वालों के काम करने का मैदान ही बाकी न रहे, कि वे अपनी अक्ली और जिस्मानी सलाहियतों से काम लेकर रोज़गार में तरक्की कर सकें, इसके लिये कुरआने करीम ने सूर: हशर में इरशाद फ़रमाया:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً مِّنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

“यानी हमने दौलत की तक़सीम (बंटवारे) का क़ानून इसलिये बनाया कि दौलत सिर्फ़ सरमायेदारों (पूँजीपतियों) में सीमित होकर न रह जाये।”

आजकल दुनिया के आर्थिक सिस्टमों में जो अफ़रा-तफ़री फैली हुई है वह इस खुदाई क़ानून हिक्मत को नज़र-अन्दाज़ करने ही का नतीजा है। एक तरफ़ सरमायेदारी का निज़ाम है जिसमें दौलत के मर्कज़ों पर सूद व जुए के रास्ते से चन्द अफ़राद या जमाअतें काबिज़ होकर बाकी सारी मख़्लूक को अपना आर्थिक गुलाम बनाने पर मजबूर कर देती हैं, उनके लिये सिवाय गुलामी और मजदूरी के कोई रास्ता अपनी ज़रूरतें हासिल करने के लिये नहीं रह जाता। वे अपनी आला सलाहियतों के बावजूद उद्योग व तिजारात के मैदान में क़दम नहीं रख सकते।

पूँजीपतियों के इस जुल्म व ज़्यादती के रद्दे-अमल (प्रतिक्रिया) के तौर पर एक विपरीत व्यवस्था कम्युनिज़म या सोशलिज़म के नाम से वजूद में आती है, जिसका नारा अमीर व ग़रीब के फ़र्क को ख़त्म करना और सब में बराबरी पैदा करना है, ज़ालिमाना सरमायेदारी के अत्याचारों से तंग आये हुए अ़वाम इस नारे के पीछे लग जाते हैं, मगर चन्द ही दिन में वे देख लेते हैं कि यह नारा महज़ फ़रेब था, आर्थिक बराबरी का ख़ाब कभी शर्मिन्दा-ए-ताबीर न हुआ, और ग़रीब अपनी गुर्बत और फ़क़ व फ़ाके के साथ भी जो एक इनसानी इज़्ज़त रखता था, अपनी मर्जी का मालिक था, यह मानवीय सम्मान भी हाथ से जाता रहा, कम्युनिज़म सिस्टम में इनसान की कोई क़द्र व कीमत मशीन के एक पुर्जे से ज़्यादा नहीं, किसी जायदाद की मिल्कियत की तो वहाँ

कल्पना ही नहीं हो सकती, और जो मामला वहाँ एक मजदूर के साथ किया जाता है उस पर गौर करें तो वह किसी चीज का मालिक नहीं, उसकी औलाद और बीवी भी उसकी नहीं, बल्कि सब हुकूमत की मशीन के कलपुर्जे हैं जिनको मशीन स्टार्ट होते ही अपने काम पर लग जाने के सिवा कोई चारा नहीं। हुकूमत व रियासत के तय किये उद्देश्यों के सिवा न उसका कोई जमीर (अन्तरात्मा) है न आवाज़, हुकूमत व रियासत के दबाव व सख्ती और नाक़बिले बरदाश्त मेहनत से कराहना एक बगावत शुमार होता है, जिसकी सज़ा मौत है। खुदा तआला और धर्म की मुख़ालफ़त और ख़ालिस मादा परस्ती कम्यूनियम सिस्टम का बुनियादी उसूल हैं।

ये वो तथ्य हैं जिनसे कोई कम्यूनिस्ट इनकार नहीं कर सकता। उनके पेशवाओं (लीडरों और विचारकों) की किताबें और आमाल नामे इसके गवाह हैं कि उनके हवालों को जमा करना भी एक मुस्तक़िल किताब बनाने के बराबर है।

कुरआने हकीम ने ज़ालिमाना सरमायेदारी और अहमक़ाना कम्यूनियम की दोनों हदों के बीच कमी-ज्यादती से पाक एक ऐसा निज़ाम (सिस्टम) बनाया है कि रिज़क और दौलत में प्राकृतिक फ़र्क और भेद के बावजूद कोई फ़र्द या जमाअत आम मख़्लूक को अपना गुलाम न बना सके, और बनावटी महंगई और सूखे व महामारी में मुब्तला न कर सके। सूद और जुए को हाराम करार देकर नाजायज़ सरमायेदारी की बुनियादी गिरा दी, फिर हर मुसलमान के माल में ग़रीबों का हक़ मुतैयन करके शरीक कर दिया, जो ग़रीबों पर एहसान नहीं बल्कि फ़र्ज की अदायेगी है, कुरआन की आयत:

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلنَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

इस पर सुबूत व गवाह है। फिर मरने के बाद मरने वाले की तमाम मिल्कियत को ख़ानदान के अफ़राद में तकसीम करके दौलत को जमा करने और रोक कर रखने का ख़ात्मा कर दिया। कुदरती चश्मों, समन्दरों और पहाड़ी जंगलों की अपने आप होने वाली पैदावार को अल्लाह की तमाम मख़्लूक का साझा सरमाया करार दे दिया, जिस पर किसी फ़र्द या जमाअत का मालिक बनकर कब्ज़ा जायज़ नहीं, जबकि सरमायेदारी के निज़ाम में ये सब चीज़ें सिर्फ़ सरमायेदारों की मिल्कियत करार दी गई हैं।

चूँकि इल्मी और अमली सलाहियतों का एक दूसरे से अलग और भिन्न होना एक फ़ितरी चीज़ है, और रोज़ी व माल कमाना भी इन्हीं सलाहियतों के ताबे है, इसलिये माल व दौलत की मिल्कियत का कम ज्यादा होना भी ऐन तकाज़ा-ए-हिक्मत है, जिसको दुनिया का कुछ भी अक्ल व शऊर है वह इसका इनकार नहीं कर सकता और बराबरी का नारा लगाने वाले भी चन्द कदम चलने के बाद इस बराबरी के दावे को छोड़ने और आर्थिक हालत में भेद व फ़र्क और कमी-ज्यादती पैदा करने पर मजबूर हो गये।

खुर्द शैफ़ ने 5 मई सन् 1960 ई. को सुप्रीम स्वीट के सामने तकरीर करते हुए कहा: "हम उजरतों में फ़र्क मिटाने की तहरीक (आंदोलन) के सख्ती से मुख़ालिफ़ हैं, हम उजरतों

में बराबरी कायम करने और उनके एक स्तर पर लाने के खुलेबन्दों मुखालिफ़ हैं, यह लेनन की तालीम है, उसकी तालीम यह थी कि सोशलिस्ट समाज में माही तकाज़ों का पूरा लिहाज़ रखा जायेगा।" (स्वीट वर्ल्ड, पेज 346)

आर्थिक बराबरी के सपने की नाबराबरी वाली यह ताबीर तो शुरू ही से सामने आ गई थी, मगर देखते ही देखते यह नाबराबरी और अमीर व ग़रीब का फ़र्क कम्युनिस्ट हुकूमत रूस में आम सरमायेदार मुल्कों से भी आगे बढ़ गया है।

ल्योन शेडो लिखता है:

“शायद ही कोई विकसित सरमायेदार मुल्क ऐसा हो जहाँ मजदूरों की उजरतों में इतना फ़र्क और भेद हो जितना रूस में है।”

वाकिआत की इन चन्द मिसालों ने उक्त आयत:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

की लाज़िमी और कुदरती तस्दीक़ इनकारियों की जुबानों से करा दी। बेशक अल्लाह तआला जो चाहता है वह करता है।

यहाँ इस आयत के तहत तो सिर्फ़ इतना ही बयान करना था कि रिज़क़ व माल में फ़र्क़ और कमी-बेशी कुदरती, प्राकृतिक और इनसानी मस्लेहतों के पूरी तरह मुताबिक़ है, बाकी दौलत की तक़सीम (बंटवारे) के इस्लामी उसूल और सरमायेदारी और कम्युनिज़म दोनों से इसका अलग और नुमायाँ होना, तो यह इन्शा-अल्लाह तआला सूर: जुक्रफ़ पारा नम्बर 25 आयत 32 के तहत में आयेगा, और इस विषय पर मेरा का एक मुस्तक़िल रिसाला “इस्लाम का निज़ामे तक़सीमे दौलत” के नाम से छप चुका है उसका पढ़ लेना भी काफी है।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا
 مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝ فَلَا تَضْرِبُوا اللّٰهَ الْاَمْثَالَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
 اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ
 رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوِى الْاَكْمَدُ لِلّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ ۗ اَيْنَمَا
 يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ ۗ وَمَنْ يَّامُرْ بِالْعَدْلِ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

वल्लाहु ज-अ-ल लकुम् मिन्
 अन्फुसिकुम् अज्वाजं-व ज-अ-ल
 लकुम् मिन् अज्वाजिकुम् बनी-न व
 ह-फ-दतं-व र-ज-क कुम्
 मिनत्तयिबाति, अ-फ बिल्बातिलि
 युअ्मिन्-न व बिनिअ्-मतिल्लाहि
 हुम् यक्फुरून (72) व यअ्बुदू-न
 मिन् दूनिल्लाहि मा ला यम्लिकु
 रिज्कम्-मिनस्समावाति वल्अर्जि
 शैअं-व ला यस्ततीअून (73) फला
 तजिरबू लिल्लाहिल्-अम्सा-ल,
 इन्नल्ला-ह यअ्लमु व अन्तुम् ला
 तअ्लमून (74) ज-रबल्लाहु म-सलन्
 अब्दम्-मम्लूकल्-ला यक्दिरु अला
 शैअं-व मरजकनाहु मिन्ना रिज्कन्
 ह-सनन् फहु-व युन्फिक् मिन्हु
 सिररं-व जहरन्, हल् यस्तवू-न,
 अल्हम्दु लिल्लाहि, बल् अक्सरुहुम्
 ला यअ्लमून (75) व ज-रबल्लाहु
 म-सलरजुलैनि अ-हदुहुमा अब्कमु ला
 यक्दिरु अला शैअं-व हु-व कल्लुन्
 अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिह्हु ला
 यअ्ति बिखैरिन्, हल् यस्तवी हु-व
 व मय्यअ्मुरु बिल्-अदलि व हु-व
 अला सिरातिम्-मुस्तकीम (76) ❀

और अल्लाह ने पैदा कीं तुम्हारे वास्ते
 तुम्हारी ही किस्म से औरतें और दिये
 तुमको तुम्हारी औरतों से बेटे और पोते
 और खाने को दीं तुमको सुधरी चीजें, सो
 क्या झूठी बातें मानते हैं और अल्लाह के
 फज़ल को नहीं मानते। (72) और पूजते
 हैं अल्लाह के सिवाय ऐसों को जो मुख्तार
 नहीं उनकी रोजी के आसमान और
 ज़मीन से कुछ भी, और न कुदरत रखते
 हैं। (73) सो मत फिट करो अल्लाह पर
 मिसलें, बेशक अल्लाह जानता है और तुम
 नहीं जानते। (74) अल्लाह ने बतलाई
 एक मिसाल एक बन्दा पराया माल नहीं
 कुदरत रखता किसी चीज़ पर, और एक
 जिसको हमने रोजी दी अपनी तरफ़ से
 खासी रोजी, सो वह खर्च करता है उसमें
 से छुपाकर और सब के सामने, कहीं
 बराबर होते हैं? सब तारीफ़ अल्लाह को
 है, पर बहुत लोग नहीं जानते। (75) और
 बताई अल्लाह ने एक दूसरी मिसाल- दो
 मर्द हैं एक गूँगा कुछ काम नहीं कर
 सकता, और वह भारी है अपने साहिब
 पर, जिस तरफ़ उसको भेजे न करके लाये
 कुछ भलाई, कहीं बराबर है वह और एक
 वह शख्स जो हुक्म करता है इन्साफ़ से
 और है सीधी राह पर। (76) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (अल्लाह की क़ुदरत की दलीलों और नेमतों में से एक बड़ी नेमत और दलील खुद तुम्हारा वजूद और नस्ली व जाती बका है कि) अल्लाह तआला ने तुम ही में से (यानी तुम्हारी जिन्स और नस्ल से) तुम्हारे लिये बीवियाँ बनाई, और (फिर) तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किये (कि यह नस्ल की बका है) और तुमको अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने (पीने) को दीं (कि यह शख़्सी और जाती बका है, और चूँकि बका "बाकी रहना" मौक़ूफ़ है वजूद पर तो इसमें उसकी तरफ़ भी इशारा हो गया), क्या (ये सब दलीलें व नेमतें सुनकर) फिर भी बेबुनियाद चीज़ पर (यानी बुतों वग़ैरह पर जिनके माबूद होने की कोई दलील नहीं, बल्कि खिलाफ़े दलील है) ईमान रखेंगे और अल्लाह तआला की नेमत की नाशुक़ी (बेक़द्री) करते रहेंगे। और (मतलब इस नाशुक़ी का यह है कि) अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते रहेंगे जो उनको न आसमान में से रिज़क़ पहुँचाने का इख़्तियार रखती हैं और न ज़मीन में से (यानी न बारिश बरसाने का उनको इख़्तियार है न ज़मीन से कुछ पैदा करने का) और न (इख़्तियार हासिल करने की) क़ुदरत रखते हैं (इसकी नफ़ी से और ज़्यादा मुबालगा हो गया, क्योंकि बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि एक शख़्स मौजूदा हालत में तो इख़्तियार वाला नहीं है लेकिन जिदोज़हद से वह इख़्तियारात हासिल कर लेता है, इसलिये इसकी भी नफ़ी फ़रमा दी)। सो (जब शिर्क का बातिल होना साबित हो गया तो) तुम अल्लाह तआला के लिये मिसालें मत गढ़ो (कि अल्लाह तआला की मिसाल दुनिया के बादशाहों के जैसी है कि हर शख़्स उनसे अपनी ज़रूरत व हाजत पेश नहीं कर सकता, इसलिये उसके नायब होते हैं कि अ़वाम उनसे अपनी हाजत बताते हैं, फिर वे बादशाहों से अर्ज़ करते हैं। जैसा कि यही वज़ाहत 'तफ़सीर-ए-कबीर' में काफ़िरों के इस कौल की बुनियाद पर की गयी है कि हम तो उनको सिर्फ़ इसलिये पूजते हैं ताकि वे हमें अल्लाह के यहाँ खास और क़रीबी बना दें और उसके दरबार में हमारी सिफ़ारिश करें) अल्लाह तआला (ख़ूब) जानते हैं (कि ऐसी मिसालें बिल्कुल बेकार और बकवास हैं) और तुम (सोच-विचार न करने के सबब) नहीं जानते (इसलिये जो चाहते हो बक डालते हो)।

(और) अल्लाह तआला (शिर्क के बातिल होने को ज़ाहिर करने के लिये) एक मिसाल बयान फ़रमाते हैं कि (फ़र्ज़ करो) एक (तो) गुलाम है (किसी का) जो दूसरे की मिल्क में है कि (माल और अपनी मर्जी चलाने में से) किसी चीज़ का (आका की इजाज़त के बग़ैर) इख़्तियार नहीं रखता। और (दूसरा) एक शख़्स है जिसको हमने अपने पास से ख़ूब रोज़ी दी है तो वह उससे से छुपे और खुले तौर पर (जिस तरह चाहता है जहाँ चाहता है) खर्च करता है (उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं) क्या इस किस्म के शख़्स आपस में बराबर हो सकते हैं? (बस जब ग़ैर-असली मालिक व मम्लूक बराबर नहीं हो सकते, तो असली और वास्तविक मालिक व मम्लूक तो कब बराबर हो सकते हैं, और इबादत का हक़दार होना मौक़ूफ़ है बराबरी पर, और वह है नहीं) सारी तारीफ़ें अल्लाह तआला ही के लिये लायक़ हैं (क्योंकि ज़ात व सिफ़ात में

कामिल वही है, पस माबूद भी वही हो सकता है मगर फिर भी मुश्रिक लोग गैरुल्लाह की इबादत नहीं छोड़ते), बल्कि उनमें से अक्सर तो (सोच-समझ से काम न लेने की वजह से) जानते ही नहीं (और चूँकि इल्म व जानकारी न होने का सबब खुद उनका सोच-समझ और गौर व फिक्र से काम न लेना है इसलिये माज़ूर न होंगे)।

और अल्लाह तआला (इसकी वज़ाहत के लिये) एक और मिसाल बयान फरमाते हैं कि (फर्ज करो) दो शख्स हैं जिनमें एक तो (गुलाम होने के साथ-साथ) गूंगा (बहरा भी) है, (और अंधा, बहरा और बेअक्ल होने की वजह से) कोई काम नहीं कर सकता और (इस वजह से) वह अपने मालिक पर एक बबाले जान है (कि वह मालिक ही उसके सारे काम करता है और) वह (मालिक) उसको जहाँ भेजता है कोई काम दुरुस्त करके नहीं लाता (खुद तो क्या करता दूसरों की तालीम से भी उससे कोई काम दुरुस्त नहीं होता, सो) क्या यह शख्स और ऐसा शख्स आपस में बराबर हो सकते हैं जो अच्छी बातों की तालीम करता हो (जिससे उसका बोलने वाला, अक्ल मन्द, इल्म रखने वाला होना मालूम होता है) और खुद भी (हर मामले में) एक सही तरीके पर (चलता) हो (जिससे उसकी इन्तिज़ामी और अमली कुव्वत मालूम होती है। जब मख्लूक में हकीकत व सिफ़ात के साझा होने के बावजूद यह फर्क व भेद है तो कहाँ मख्लूक व ख़ालिक। और 'ला यक्दिरु' के तर्जुमे में 'आका की इजाज़त के बग़ैर' की कैद लगाने से जो पहले बयान हुई आयतों में फ़िक्ही शुब्हात थे वे दूर हो गये। और कोई इस ख़्याल और ज़ेहनी दुविधा में न पड़े कि शायद अल्लाह के अलावा जो माबूद है उसको भी इजाज़त हो गयी हो, जवाब यह है कि ख़ब होने के लिये किसी को इजाज़त नहीं हुई और न हो सकती है)।

मअरिफ़ व मसाईल

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا.

(अल्लाह ने पैदा कीं तुम्हारे लिये तुम्हारी जिन्स से बीवियाँ) इस आयत में एक अहम नेमत का जिक्र फरमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारी ही जिन्स और कौम में तुम्हारी बीवियाँ बनाई, ताकि आपसी ताल्लुक व लगाव भी पूरा हो और इनसानो नस्ल की शराफ़त व बड़ाई भी कायम रहे।

दूसरा इशारा इस तरफ़ भी हो सकता है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी ही जिन्स की हैं, उनकी जरूरतें और ज़बात भी तुम्हारे ही जैसे हैं, उनकी रियायत तुम पर लाज़िम है।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا إِلَيْكُمْ وَرَبُّكُمْ يَخْتَارُ.

‘यानी तुम्हारी बीवियों से हमने तुम्हारे बेटे पोते पैदा किये।’

यहाँ यह बात गौर करने के काबिल है कि औलाद तो माँ-बाप दोनों ही से मिलकर पैदा होती है, इस आयत में इसको सिर्फ़ माँओं से पैदा करने का जिक्र फरमाया है। इसमें इशारा है कि बच्चे की पैदाईश और बनावट में बाप की तुलना में माँ का दखल ज़्यादा है, बाप से तो

सिर्फ एक बेजान कतरा निकलता है, उस कतरे पर विभिन्न प्रकार के दौर गुजरते हुए इनसानी शक्ल में तब्दील होना और उसमें जान पड़ना कुदरत के इन सारे तख्लीकी कारनामों का स्थान तो माँ का पेट ही है, इसी लिये हदीस में माँ के हक को बाप के हक पर आगे रखा गया है।

इस जुमले में बेटों के साथ पोतों का जिक्र फ़रमाने में इस तरफ़ भी इशारा पाया जाता है कि इस जोड़े बनाने का असल मक़सद इनसानी नस्ल को बाकी रखना है कि औलाद फिर औलाद की औलाद होती रहे, तो यह इनसान की नस्ली बका का सामान हुआ।

फिर 'र-ज़-ककुम् मिनल्लय्यिबाति' में इसकी व्यक्तिगत और जाती बका के सामान का जिक्र फ़रमा दिया, कि इनसान पैदा हो जाये तो फिर उसकी जात की बका के लिये गिज़ा की ज़रूरत है वह भी हक़ तआला ने मुहैया फ़रमा दी। आयत में लफ़ज़ 'ह-फ-दतन्' के असल मायने मददगार और खिदमतगार के हैं, औलाद के लिये यह लफ़ज़ इस्तेमाल करने में इस तरफ़ इशारा है कि औलाद को अपने माँ-बाप का खादिम होना चाहिये। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

में एक अहम हकीकत की स्पष्ट फ़रमाया है, जिससे ग़फ़लत बरतना ही तमाम काफ़िराना शुकूफ़ व शुब्हात को जन्म देता है। वह यह है कि आम तौर पर लोग हक़ तआला को अपनी इनसानी नस्ल पर क़ियास करके उनमें से उच्च स्तरीय इनसान जैसे बादशाह व हाकिम को अल्लाह तआला की मिसाल क़रार देते हैं, और फिर इस ग़लत बुनियाद पर अल्लाह तआला के कुदरती निज़ाम की भी इनसानी बादशाहों के निज़ाम (सिस्टम) पर क़ियास (अन्दाज़ा और तुलना) करके यह कहने लगते हैं कि जिस तरह किसी सल्तनत व हुकूमत में अकेला बादशाह सारे मुल्क का इन्तिज़ाम नहीं कर सकता, बल्कि अपने मातहत वज़ीरों और दूसरे अफ़सरों को अधिकार सुपुर्द करके उनके ज़रिये हुकूमत का निज़ाम चलाया जाता है, इसी तरह यह भी होना चाहिये कि खुदा तआला के मातहत कुछ और माबूद भी हों जो अल्लाह तआला के कारनामों में उसका हाथ बटायें, यही तमाम बुत परस्त और मुश्रिकों का आम नज़रिया है। इस जुमले ने उनके शुब्हात (शंकाओं और एतिराज़ों) की जड़ काट दी कि अल्लाह तआला के लिये मख़्लूक की मिसालें पेश करना खुद बेअक्ली है, उसकी जात मिसाल व नज़ीर और हमारे वहम व गुमान से ऊँची व बरतर है।

आख़िरी दो आयतों में इन्सान की जो दो मिसालें दी गई हैं, उनमें से पहली मिसाल में तो आका और गुलाम, यानी मालिक और मम्लूक की मिसाल देकर बतलाया कि जब ये दोनों एक ही ज़िन्स, एक ही नस्ल व प्रजाति के होते हुए आपस में बराबर नहीं हो सकते तो किसी मख़्लूक को खुदा तआला के साथ कैसे बराबर ठहराते हो।

और दूसरी मिसाल में एक तरफ़ एक इन्सान है जो लोगों की अदल व इन्साफ़ और अच्छी बातें सिखाता है, जो उसकी इल्मी काबलियत व कुव्वत का कमाल है, और खुद भी सही दरमियानी और सीधे रास्ते पर चलता है जो उसकी अमली कुव्वत का कमाल है, इस इल्मी और

अमली ताकत में मुकम्मल इन्सान के मुकाबले में वह इन्सान है जो न खुद अपना काम कर सकता है न किसी दूसरे का कोई काम ठीक से कर सकता है, ये दोनों किस्म के इन्सान एक ही जिन्स, एक ही नस्ल, एक ही विरादरी के होने के बावजूद आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो कायनात का खालिक व मालिक जो मुकम्मल इख्तियार व कुदरत और कामिल हिक्मत वाला और हर चीज को कामिल व मुकम्मल जानने और खबर रखने वाला है उसके साथ कोई मख्लूक कैसे बराबर हो सकती है।

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا

كَلِمَةٍ الْبَصِيرُ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يَبْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ الْأَنْبَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا عَلَيْكَ بَلَدٌ مُبِينٌ ۝ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

व लिल्लाहि गैबुस्समावाति वल्अर्जि
 व मा अम्रुस्सा-अति इल्ला
 क-लम्हिल्-ब-सरि औ हु-व अदरबु,
 इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् कदीर
 (77) वल्लाहु अख्र-जकुम् मिम्-बुतूनि
 उम्महातिकुम् ला तअलमू-न शैअंव-व
 ज-अल-लकुमुस्सम्-अ वल्अब्सा-र
 वल्अफ्इ-द-त लअल्लकुम् तश्कुरून
 (78) अलम् यरौ इलतौरि
 मुसख्ररातिन् फी जव्विस्सामा-इ, मा

और अल्लाह ही के पास हैं भेद आसमानों
 और ज़मीन के, और कियामत का काम
 तो ऐसा है जैसे लपक निगाह की या
 उससे भी करीब, अल्लाह हर चीज पर
 कादिर है। (77) और अल्लाह ने तुमको
 निकाला तुम्हारी माँ के पेट से, न जानते
 थे तुम किसी चीज को, और दिये तुमको
 कान और आँखें और दिल, ताकि तुम
 एहसान मानो। (78) क्या नहीं देखे उड़ते
 जानवर हुक्म के बाँधे हुए आसमान की

युम्सिकुहुन्-न इल्लल्लाहु, इन्-न फी
 ज़ालि-क लआयातिल्-लिकौमिंय्-
 युअ्मिनून (79) वल्लाहु ज-अ-ल
 लकुम् मिम्-बुयूतिकुम् स-कनंव्-व
 ज-अ-ल लकुम् मिन् जुलूदिल्-
 अन्आमि बुयूतन् तस्तख़िफ़ूनहा
 यौ-म जअ्निकुम् व यौ-म
 इक़ामतिकुम् व मिन् अस्वाफ़िहा व
 औबारिहा व अशआरिहा असासंव्-व
 मताअन् इला हीन (80) वल्लाहु
 ज-अ-ल लकुम् मिम्मा ख़ा-ल-क
 ज़िलालंव्-व ज-अ-ल लकुम् मिनल्
 जिबालि अक्नानंव्-व ज-अ-ल लकुम्
 सराबी-ल तक़ीकुमुल्हर्-र व सराबी-ल
 तक़ीकुम् बअ्सकुम्, कज़ालि-क
 युतिम्मु निअ्-मतहू अलैकुम्
 लअल्लकुम् तुस्लिमून (81) फ़-इन्
 तवल्लौ फ़-इन्नमा अलैकल्-
 बलाग़ुल्-मुबीन (82) यअ्रिफ़ू-न
 निअ्-मतल्लाहि सुम्-म युन्किरूनहा
 व अक्सरुहुमुल्-काफ़िरून (83)

हवा में, कोई नहीं धाम रहा उनको सिवाय
 अल्लाह के, इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों
 के लिये जो यकीन लाते हैं। (79) और
 अल्लाह ने बना दिये तुमको तुम्हारे घर
 बसने की जगह, और बना दिये तुमको
 चौपायों की खाल से डेरे, जो हल्के रहते
 हैं तुम पर जिस दिन सफ़र में हो और
 जिस दिन घर में हो, और भेड़ों की ऊन
 से और ऊँटों की बबरियों (रुओं, बालों)
 से और बकरियों के बालों से कितने
 असबाब और इस्तेमाल की चीज़ें एक
 मुक़र्ररा वक़्त तक। (80) और अल्लाह ने
 बना दिये तुम्हारे वास्ते अपनी बनाई हुई
 चीज़ों के साये, और बना दीं तुम्हारे
 वास्ते पहाड़ों में छुपने की जगहें, और
 बना दिये तुमको कुर्ते जो बचाव हैं गर्मी
 में और कुर्ते जो बचाव हैं लड़ाई में, इसी
 तरह पूरा करता है अपना एहसान तुम पर
 ताकि तुम हुक्म मानो। (81) फिर अगर
 फिर जायें तो तेरा काम तो यही है खोल
 कर सुना देना। (82) पहचानते हैं अल्लाह
 का एहसान फिर मुन्किर हो जाते हैं और
 बहुत उज़्रमें नाशुक्रे हैं। (83)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और आसमानों और ज़मीन की तमाम छुपी बातें (जो किसी को मालूम नहीं इल्म के
 एतिबार से) अल्लाह ही के साथ खास हैं (तो इल्म की सिफ़त में वह कामिल हैं) और (कुदरत में

ऐसे कामिल हैं कि उन गैबों में से जो एक बड़ा मामला है यानी) कियामत (उस) का मामला बस ऐसा (झटपट) होगा जैसे आँख झपकना, बल्कि इससे भी जल्दी। (कियामत के मामले से गुसद है मुर्दों में जान पड़ना और इसका आँख झपकने के मुकाबले में जल्दी होना ज़ाहिर है क्योंकि आँख झपकना हरकत है और हरकत ज़मानी "वक़्त से संबन्धित" होती है और जान पड़ना आनी "लम्हे और क्षण से संबन्धित" है, और आनी ज़ाहिर है कि ज़मानी से ज़्यादा तेज़ है, और इस पर ताज्जुब न किया जाये क्योंकि) यकीनन अल्लाह तआला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं (और कुदरत को साबित करने के लिये कियामत की विशेषता शायद इस वजह से की हो कि वह गैब की तमाम बातों में से भी ख़ास है इसलिये वह इल्म और कुदरत दोनों की दलील है, वाक़े व ज़ाहिर होने से पहले तो इल्म की और ज़ाहिर होने के बाद कुदरत की)।

और (अल्लाह की कुदरत की दलीलों और नेमत की बुजूहात में से यह चीज़ है कि) अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेट से इस हालत में निकाला कि तुम कुछ भी न जानते थे (इस दर्जे का नाम फ़लॉस्फ़ा की परिभाषा में अक़ले हयूलानी है), और उसने तुमको कान दिये और आँख और दिल ताकि तुम शुक्र करो। (कुदरत पर दलील के लिये) क्या लोगों ने परिन्दों को नहीं देखा कि आसमान के (नीचे) फ़िज़ा में (कुदरत को) ताने हो रहे हैं (यानी) उनको (इस जगह) सिवाय अल्लाह के कोई नहीं धामता (वरना उनके जिस्म का भारी होना और हवा के मादे का लतीफ़ व पसला होने का तर्बई तौर पर तफ़ाज़ा यह है कि नीचे गिर पड़े, इसलिये इस बात में) इमान वाले लोगों के लिये (अल्लाह की कुदरत की) कई दलीलें (यानी निशानियाँ मौजूद) हैं (कई निशानियाँ इसलिये फ़रमाया कि परिन्दों को ख़ास हालत व सूरत पर पैदा करना जिससे उड़ना मुम्किन हो एक दलील है, फिर फ़िज़ा को ऐसे अन्दाज़ पर पैदा करना जिसमें उड़ना मुम्किन हो दूसरी दलील है, फिर मौजूदा हालत में इस उड़ने का वाक़े होना तीसरी दलील है, और जिन असबाब को उड़ने में दख़ल है वो सब अल्लाह ही के पैदा किये हुए हैं, फिर उन असबाब पर मुसबब यानी उड़ान का मुस्तबब हो जाना यह भी अल्लाह की मर्ज़ी व चाहत है वरना अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ के असबाब मौजूद होते हुए भी वह वजूद में नहीं आती, इसलिये 'मा युम्सिकुहुन्-न.....' फ़रमाया गया)।

(और नेमत की बुजूहात और कुदरत की दलीलों में से यह चीज़ है कि) अल्लाह तआला ने तुम्हारे वास्ते (बतन में रहने की हालत में) तुम्हारे घरों में रहने की जगह बनाई (और सफ़र की हालत में) तुम्हारे लिये जानवरों की ख़ाल के पर (यानी खेमे) बनाये जिसको तुम अपने कुछ के दिन और ठहरने के दिन हल्का (फुल्का) पाते हो (और इस वजह से उसका लादना और गाड़ना सब आसान मालूम होता है) और उन (जानवरों) को उन और उनके रुओ और उनके बालों से (तुम्हारे) घर का सामान और फ़ायदे की चीज़ें एक मुदत तक के लिये बनाई (मुदत तक इसलिये फ़रमाया कि आदतन यह सामान रूई के कपड़ों के मुकाबले में देर तक रहने वाला होता है)।

(और नेमत की बुजूहात और कुदरत की दलीलों में से यह चीज़ है कि) अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये अपनी कुछ मख़्लूक़ात के साये बनाये (जैसे दरख़्त व मकानात वगैरह) और तुम्हारे

लिये पहाड़ों में पनाह की जगहों बनाई (यानी गुफा वगैरह, जिसमें गर्मी सर्दी, बारिश, तकलीफ देने वाले दुश्मन जानवर व आदमी से महफूज़ रह सकते हो) और तुम्हारे लिये ऐसे कुर्ते बनाये जो गर्मी से तुम्हारी हिफाज़त करें, और ऐसे कुर्ते (भी) बनाये जो तुम्हारी आपस की लड़ाई (में ज़ख्म लगने) से तुम्हारी हिफाज़त करें (इससे मुराद लोहे की जैकेट और लिबास हैं)। अल्लाह तुम पर इसी तरह अपनी नेमतें पूरी करता है ताकि तुम (उन नेमतों के शुक्रिये में) फ़रमाँबरदार रहो (और अगरचे इन ज़िक्र हुई नेमतों में कुछ बन्दों की बनाई हुई भी हैं मगर उनका माद्दा और उनके बनाने का सलीका तो अल्लाह ही का पैदा किया हुआ है, इसलिये असल नेमत देने वाले वही हैं, फिर इन नेमतों के बाद भी) अगर ये लोग इमान से मुँह मोड़ें (तो आप ग़म न करें आपका कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि) आपके ज़िम्मे तो साफ़-साफ़ पहुँचा देना है (और उनके मुँह मोड़ने की वजह यह नहीं कि वे इन नेमतों को पहचानते नहीं बल्कि वे लोग) खुदा की नेमत को पहचानते हैं मगर पहचान कर फिर (बर्ताव में) उसके इनकारी होते हैं (कि जो बर्ताव नेमत देने वाले के साथ होना चाहिये था यानी इबादत व फ़रमाँबरदारी वह दूसरे के साथ करते हैं) और ज्यादा उनमें ऐसे ही नाशुक्रे हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

अल्लाह तआला का कौल है:

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

(कि तुम किसी चीज़ को न जानते थे) इसमें इशारा है कि इल्म इनसान का ज़ाती हुनर नहीं, पैदाईश के वक़्त वह कोई इल्म व हुनर नहीं रखता, फिर इनसानी ज़रूरत के मुताबिक़ उसको कुछ-कुछ इल्म अल्लाह तआला की तरफ़ से बिना वास्ते के सिखाया जाता है जिसमें न माँ-बाप का दख़ल है न किसी शिक्षक का। सबसे पहले उसको रोना सिखाया, उसकी यही सिफ़त उस वक़्त उसकी तमाम ज़रूरतें मुहैया करती है। भूख-प्यास लगे तो वह रोता है, सर्दी-गर्मी लगे तो रो देता है, कोई और तकलीफ़ पहुँचे तो रो देता है, कुदरत ने उसकी ज़रूरतों के लिये माँ-बाप के दिलों में ख़ास उलफ़त डाल दी कि जब बच्चे की आवाज़ सुनें तो वे उसकी तकलीफ़ के पहचानने और उसके दूर करने के लिये तैयार हो जाते हैं। अगर बच्चे को अल्लाह की तरफ़ से यह रोने की तालीम न दी जाती तो उसको कौन यह काम सिखा सकता कि जब कोई ज़रूरत पेश आये तो इस तरह चिल्लाया करे। इसके साथ ही उसको अल्लाह तआला ने इल्हामी तौर पर यह भी सिखा दिया कि अपनी गिज़ा को माँ की छाती से हासिल करने के लिये अपने मसूढ़ों और होठों से काम लें, अगर यह तालीम फितरी और बिना वास्ते के न होती तो किस सिखाने वाले की मजाल थी जो उस नवजात को मुँह चलाना और छाती को चूसना सिखा देता। इसी तरह जैसे-जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई कुदरत ने उसको माँ-बाप के वास्ते के बग़ैर खुद-ब-खुद सिखा दिया, कुछ अरसे के बाद उसमें यह सलीका पैदा होने लगता है कि माँ-बाप और दूसरे

आस-पास के आदमियों की बात सुनकर या कुछ चीजें देखकर कुछ सीखने लगता है और फिर उन सुनी हुई आवाजों और देखी हुई चीजों को सोचने-समझने का सलीका पैदा होता है।

इसी लिये उक्त आयत में 'ला तज़ल्लमू-न शैअन्' के बाद फ़रमाया:

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

यानी अगरचे पैदाईश की शुरुआत में इनसान को किसी चीज़ का इल्म नहीं था, मगर कुदरत ने उसके वजूद में इल्म हासिल करने के अजीब व ग़रीब किस्म के माध्यम और मशीनें फिट कर दी थीं, उन माध्यमों में सबसे पहले सुनने की ताक़त का जिक्र फ़रमाया जिसको पहले लाने की वजह शायद यह है कि इनसान का सबसे पहला इल्म और सबसे ज़्यादा इल्म कानों ही के रास्ते से आता है, शुरू में आँख तो बन्द होती है मगर कान सुनते हैं, और इसके बाद भी अगर गौर किया जाये तो इनसान को अपनी पूरी उम्र में जिस क़द्र मालूमात हासिल होती है उनमें सबसे ज़्यादा कानों से सुनी हुई होती है, आँख से देखी हुई मालूमात उसकी तुलना में बहुत कम होती है।

इन दोनों के बाद नम्बर उन मालूमात का है जिनको इनसान अपनी सुनी और देखी हुई चीज़ों में गौर व फिक्र (सोच-विचार) करके मालूम करता है और यह काम कुरआनी इरशादात के मुताबिक़ इनसान के दिल का है, इसलिये तीसरे नम्बर में 'अफ़्इ-द-त्त' फ़रमाया, जो फ़ुआद की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने दिल के हैं। फ़ल्सफ़ियों ने आम तौर पर समझ-बूझ और एहसास व इल्म का मर्कज़ इनसान के दिमाग़ को करार दिया है, मगर कुरआनी इरशाद से मालूम हुआ कि दिमाग़ को अगरचे इस इल्म व एहसास में दख़ल ज़रूर है मगर इल्म व समझ का असली मर्कज़ दिल है।

इस मौक़े पर हक़ तज़ाल्ला ने सुनने, देखने और समझने की ताक़तों का जिक्र फ़रमाया है, बोलने की ताक़त और ज़बान का जिक्र नहीं फ़रमाया, क्योंकि बोलने को इल्म हासिल करने में दख़ल नहीं, बल्कि वह इल्म के इज़हार का ज़रिया है, इसके अलावा इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि सुनने के लफ़्ज़ के साथ बोलना भी एक तरह से इसके अन्दर ही आ गया, क्योंकि तज़ुर्बा ग़वाह है कि जो शख्स सुनता है वह बोलता भी है, गूँगा जो बोलने पर क़ादिर नहीं वह कानों से भी बहरा होता है, शायद उसके न बोलने का सबब ही यह होता है कि वह कोई आवाज़ सुनता नहीं जिसको सुनकर बोलना सीखे। वल्लाहु आलम

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

बुयूत-बैत की जमा (बहुवचन) है, जिस मकान में रात गुज़ारी जा सके उसको बैत कहते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी तफ़सीर में फ़रमाया:

كُلُّ مَا عَلَكَ فَاطْلِكَ فَهُوَ سَقْفٌ وَسَمَاءٌ، وَكُلُّ مَا أَفْلَكَ فَهُوَ أَرْضٌ وَكُلُّ مَا سَتَرَكَ مِنْ جِهَاتِكَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ جِدَارٌ فَإِذَا انْتَضَمَتْ وَاتَّصَلَتْ فَهُوَ بَيْتٌ.

“जो चीज़ तुम्हारे सर से ऊँची हो और तुम पर साया करे वह छत या समा कहलाती है, और जो चीज़ तुम्हारे वजूद को अपने ऊपर उठाये वह ज़मीन है और जो चीज़ चारों तरफ़ से तुम्हारा पर्दा कर दे वो दीवारें हैं, और जब ये सब चीज़ें जमा हो जायें तो वह बैत है।”

घर बनाने का असल मक़सद दिल व जिस्म का सुकून है

इसमें हक़ तआला ने इनसान के बैत यानी घर को सकन् फ़रमाकर घर बनाने का फ़ल्सफ़ा और वजह स्पष्ट फ़रमा दी, कि उसका असल मक़सद जिस्म और दिल का सुकून है, आदतन इनसान का काम-धंधा घर से बाहर होता है जो उसकी हरकत से वजूद में आता है, उसके घर का असली मंशा यह है कि जब काम-धंधे और भाग-दौड़ से थक जाये तो उसमें जाकर आराम करे और सुकून हासिल करे, अगरचे कई बार इनसान अपने घर में भी हरकत व अमल में मशगूल रहता है मगर यह आदतन कम है।

इसके अलावा सुकून असल में दिल व दिमाग़ का सुकून है, वह इनसान को अपने घर में ही हासिल होता है। इससे यह भी मालूम हो गया कि इनसान के मकान की सबसे बड़ी सिफ़त यह है कि उसमें सुकून मिले, आजकी दुनिया में तामीरों का सिलसिला अपने शिखर पर है और उनमें ज़ाहिरी टिप-टॉप पर बेहद खर्च भी किया जाता है लेकिन उनमें ऐसे मकानात बहुत कम हैं जिनमें दिल और जिस्म का सुकून हासिल हो। कई बार तो बनावटी और दिखावे के तकल्लुफ़ात खुद ही आराम व सुकून को बरबाद कर देते हैं, और वह भी न हो तो घर में जिन लोगों से वास्ता पड़ता है वे उस सुकून को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे आलीशान मकानात से वह झुग्गी और झोंपड़ी अच्छी है जिसके रहने वाले के दिल व जिस्म को सुकून हासिल रहा हो।

कुरआने करीम हर चीज़ की रूह और असल को बयान करता है, इनसान के घर का असली मक़सद और सबसे बड़ी गर्ज़ व उद्देश्य सुकून को करार दिया, इसी तरह दाम्पत्य जीवन का असल मक़सद भी सुकून करार दिया है, फ़रमाया— ‘लितस्कुनू इलैहा’, जिस दाम्पत्य जीवन और घरेलू जिन्दगी से यह मक़सद हासिल न हो वह उसके असल फ़ायदे से मेहरूम है, आजकी दुनिया में इन चीज़ों में रस्मी और ग़ैर-रस्मी तकल्लुफ़ात और ज़ाहिरी टिप-टॉप की हद नहीं रही, और पश्चिमी संस्कृति व रहन-सहन ने इन चीज़ों में ज़ाहिरी टिप-टॉप के सारे सामान जमा कर दिये, मगर दिल व जिस्म के सुकून से बिल्कुल मेहरूम कर डाला।

अल्लाह तआला के कौल ‘मिन् जुलुदिल अन्आमि’ और ‘मिन् अस्वाफ़िहा व औ बारिहा’ से साबित हुआ कि जानवरों की खाल और बाल और उन सब का इस्तेमाल इनसान के लिये हलाल है। इसमें यह भी कैद नहीं कि जानवर जिबह किया हुआ हो या मुर्दार, और न यह कैद है कि उसका गोश्त हलाल है या हराम, इन सब किस्म के जानवरों की खाल दबागत देकर (यानी उसको परिचित तरीके से तैयार करके) इस्तेमाल करना हलाल है, और बाल और ऊत पर तो जानवर की मौत का कोई असर ही नहीं होता, वह बग़ैर किसी खास कारीगरी के हलाल और जायज़ है। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि का यही मज़हब है, अलबत्ता खिन्ज़ीर

(सुअर) की खाल और उसके तमाम बदनी हिस्से (अंग) हर हाल में नापाक हैं उनसे किसी हाल में फायदा नहीं उठाया जा सकता।

سَرَابِيلُ تَفِيكُمُ الْحَرَّ

यहाँ इनसान को कुर्ते की गर्ज (मकसद व उद्देश्य) गर्मी से बचाने को फरमाया है, हालाँकि कुर्ता इनसान को गर्मी और सर्दी दोनों से बचाता है। इसका एक जवाब तो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि और दूसरे मुफ़स्सरीन ने यह दिया है कि कुरआने हकीम अरबी भाषा में आया है, इसके सबसे पहले मुखातब अरब के लोग हैं, इसलिये इसमें अरब वालों की आदतों व जरूरतों का लिहाज़ रखकर कलाम किया गया है। अरब एक गर्म मुल्क है वहाँ बर्फ़बारी और सर्दी का तसव्वुर ही मुश्किल है, इसलिये गर्मी से बचाने के ज़िक्र को काफी समझा गया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तफ़सीर बयानुल-कुरआन में फरमाया कि कुरआने करीम ने इसी सूरत के शुरू में 'लकुम् फीहा दिफ़उन्' फरमाकर लिबास के जरिये सर्दी से बचने और गर्मी हासिल करने का ज़िक्र पहले कर दिया था, इसलिये यहाँ सिर्फ गर्मी से बचाव का ज़िक्र किया गया है।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ

كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝
 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكًا هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ
 فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ وَالْقَوَائِمُ لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
 يَفْتَرُونَ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
 يُفْسِدُونَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى
 هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ۝

व यौ-म नब्असु मिन् कुल्लि उम्मतिन्
 शहीदन् सुम्-म ला युअज़नु
 लिल्लज़ी-न क-फरु व ला हुम्
 युस्तअ्तबून (84) व इज़ा
 रअल्लज़ी-न ज़-लमुल्-अज़ा-ब फला
 युख्रफ़फ़ु अन्हुम् व ला हुम् युन्ज़रुन
 (85) व इज़ा रअल्लज़ी-न अशरकू

और जिस दिन खड़ा करेंगे हम हर फिके
 में एक बतलाने वाला, फिर हुक्म न मिले
 मुन्करो को और न उनसे तौबा ली
 जाये (84) और जब देखेंगे ज़ालिम
 अज़ाब को फिर हल्का न होगा उनसे
 और न उनको ढील मिले। (85) और जब
 देखें मुशिरक अपने शरीकों को बोलें— ऐ

शु-रका-अहुम् कालू रब्बना हाउला-इ
 शु-रकाउनल्लजी-न कुन्ना नद्अ
 मिन् दूनि-क फ़अल्कौ इलैहिमुल्-
 कौ-ल इन्नकुम् लकाज़िबून (86) ▲
 व अल्कौ इलल्लाहि यौमइज़ि-
 -निस्स-ल-म व ज़ल्-ल अन्हुम् मा
 कानू यफ़तरून (87) अल्लजी-न
 क-फ़रू व सददू अन् सबीलिल्लाहि
 ज़िद्नाहुम् अज़ाबन् फ़ौकल्-
 अज़ाबि बिमा कानू युफ़िसदून (88)
 व यौ-म नब्असु फी कुल्लि उम्मतिन्
 शहीदन् अलैहिम् मिन् अन्फुसिहिम्
 व जिअना बि-क शहीदन् अला
 हाउला-इ, व नज़ज़ल्ला अलैकल्-
 किता-ब तिब्यानल्-लिकुल्लि शैइव्-
 व हुदव्-व रस्मतव्-व बुशरा लिल्-
 मुस्लिमीन (89) ❀

हमारे रब! ये शरीक हैं जिनको हम
 पुकारते थे तेरे सिवा, तब वे उन पर
 डालेंगे बात कि तुम झूठे हो। (86) ▲
 और आ पड़ें अल्लाह के आगे उस दिन
 आजिज़ होकर और भूल जायें जो झूठ
 बाँधते थे। (87) जो लोग मुन्किर हुए हैं
 और रोकते रहे हैं अल्लाह की राह से
 उनको हम बढ़ा देंगे अज़ाब पर अज़ाब,
 बदला उसका जो शरारत करते थे। (88)
 और जिस दिन खड़ा करेंगे हम हर फ़िक्र
 में एक बतलाने वाला उन पर उन्हीं में
 का और तुझको लायें बतलाने को उन
 लोगों पर, और उतारी हमने तुझ पर
 किताब खुला बयान हर चीज़ का, और
 हिदायत और रहमत और खुशख़बरी हुक्म
 मानने वालों के लिये। (89) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (वह दिन याद करने के काबिल है) जिस दिन हम हर-हर उम्मत में से एक-एक गवाह
 (जो कि उस उम्मत का पैगम्बर होगा) खड़ा करेंगे (जो उनके बुरे आमाल की गवाही देंगे), फिर
 उन काफ़िरों को (उज़्र व माजिरत करने की) इजाज़त न दी जायेगी और न उनसे हक़ तआला के
 राजी करने की फ़रमाईश की जायेगी (यानी उनसे यूँ न कहा जायेगा कि तुम तो बाय्या कोई
 अमल करके अल्लाह को खुश कर लो, वजह इसकी जाहिर है कि आख़िरत बदले की जगह है
 अमल की जगह नहीं)। और जब जालिम (यानी काफ़िर) लोग अज़ाब को देखेंगे (यानी उसमें
 पड़ेंगे) तो वह अज़ाब न उनसे कुछ हल्का किया जायेगा और न वे (उसमें) कुछ मोहलत दिये
 जाएँगे (कि चन्द दिन के बाद वह अज़ाब जारी किया जाये)। और जब वे मुशिरक लोग अपने

शरीकों को (जिनको खुदा के सिवा पूजते थे) देखेंगे तो (जुर्म के इकरार के तौर पर) कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! वे हमारे शरीक यही हैं कि आपकी छोड़कर हम इनको पूजा करते थे। सो वे (शरीक डरेंगे कि कहीं हमारी कमबख्ती न आ जाये इसलिये) वे उनकी तरफ़ बात को मुतवज्जह करेंगे "यानी फेर देंगे" कि तुम झूठे हो (असल मतलब उनका यह होगा कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं जिससे मकराद अपना बचाव है, अब चाहे यह मतलब उनका सही हो जैसा कि अगर मकबूल हज़रात जैसे फ़रिश्ते व अम्बिया अलैहिमुस्सलाम यह बात कहें तो सही है जैसा कि अल्लाह तआला का कौल है:

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ

"कि बल्कि वे शैतान की इबादत करते थे" और चाहे यह ग़लत हो जैसे खुद शैतान कहने लगे और चाहे उनको सही ग़लत होने की ख़बर ही न हो जैसे बुत व पेड़-पौधे वगैरह कहने लगे। और ये मुशिक और काफ़िर लोग उस दिन अल्लाह के सामने इत्ताअत की बातें करने लगेगे और जो कुछ (दुनिया में) बोहतान बाज़ियाँ करते थे (उस वक़्त) वे सब गुम हो जाएँगी (और उनमें) जो लोग (खुद भी) कुफ़र करते थे और (दूसरों को भी) अल्लाह की राह (यानी दीन) से रोकते थे उनके लिये हम एक सज़ा पर (जो कि कुफ़र के मुक़ाबले में होगी) दूसरी सज़ा उनके फ़साद के मुक़ाबले में (कि अल्लाह की राह से रोकते थे) बढ़ा देंगे।

और (वह दिन भी याद करने और लोगों के डरने का है) जिस दिन हम हर-हर उम्मत में से एक-एक गवाह जो उन्हीं में का होगा, उनके मुक़ाबले में खड़ा करेंगे (मुराद उस उम्मत का नबी है, और उन्हीं में का होना आम है चाहे ख़ानदान में शरीक होने के एतिबार से हो चाहे साथ रहने में शरीक होने के एतिबार से हो), और उन लोगों के मुक़ाबले में आपको गवाह बनाकर लाएँगे (और इस गवाही की ख़बर देने से जो आपकी रिसालत का ख़बर देना समझ में आता है उसकी दलील यह है कि) हमने आप पर कुरआन उतारा है जो (मोजिज़ा होने के अलावा रिसालत के सुयूत का मदार है, इन ख़ूबियों का जामे है) कि तमाग (दीन की) बातों का (प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों के लिये) बयान करने वाला है, और (खास) मुसलमानों के यास्ते बड़ी हिदायत और बड़ी रहमत और (ईमान पर) खुशख़बरी सुनाने वाला है।

मआरिफ व मसाईल

وَرَوَى عَنْكَ الْكِتَابَ تِلْكَ الْأَمْثِلُ

इसमें किताब यानी कुरआने करीम को हर चीज़ का बयान फ़रमाया गया है। मुराद इससे दीन की सब चीज़ें और बातें हैं, क्योंकि वही और नुब्वत का मक़सद इन्हीं चीज़ों से संबन्धित है, इसलिये आर्थिक और रोज़गार से मुताल्लिक फ़ुनून और उनके मसाईल को कुरआने करीम में ढूँढना ही ग़लत है, अगर कहीं कोई ज़िमती इशारा आ जाये तो वह इसके खिलाफ़ नहीं। रहा यह सवाल कि कुरआने करीम में दीन के भी तो तमाम मसाईल जिक्र नहीं हुए हैं तो 'तिब्यानल

लिकुल्लि शैइन्' (यानी हर चीज़ का बयान फरमाना) कहना कैसे दुरुस्त होगा? इसका जवाब यह है कि कुरआने करीम में उसूल (बुनियादी बातें) तो तमाम मसाईल के मौजूद हैं उन्हीं की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों उन मसाईल का बयान करती हैं और कुछ तफसीलात को इजमा व शरई क़ियास के सुपर्द कर दिया जाता है। इससे मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों और इजमा व क़ियास से जो मसाईल निकले हैं वो भी एक हैसियत से कुरआन ही के बयान किये हुए हैं।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

इन्नल्ला-ह यअमुरु बिल्-अद्लि
वल्-इहसानि व ईता-इ ज़िल्कुरबा व
यन्हा अनिल्-फहशा-इ वल्मुन्करि
वल्बाग़ि यअज़ुकुम् लअल्लकुम्
तज़क्कुरुन (90)

अल्लाह हुक्म करता है इन्साफ़ करने का
और भलाई करने का और रिश्तेदारों को
देने का, और मना करता है बेहयाई से
और नामाकूल काम से और सरकशी से,
और तुमको समझाता है ताकि तुम याद
रखो। (90)

खुलासा-ए-तफसीर

बेशक अल्लाह तआला (कुरआन में) एतिदाल "इन्साफ़ करने" और एहसान "भलाई करने" और कराबत वालों "रिश्तेदारों व संबन्धियों" को देने का हुक्म फरमाते हैं और खुली बुराई और हर तरह की बुराई और (किसी पर) जुल्म (और ज़्यादती) करने से मना फरमाते हैं (और इन हुक्म की गयी और मना की गयी चीज़ों में तमाम अच्छे-बुरे आमाल आ गये, इस पूर्णता व कामिल होने की वजह से कुरआन का खोलकर बयान करने वाला होना साफ़ ज़ाहिर है, और) अल्लाह तआला तुमको (उक्त बातों को) इसलिये नसीहत फरमाते हैं ताकि तुम नसीहत क़बूल करो (और अमल करो, क्योंकि हिदायत, रहमत और खुशख़बरी होना इसी पर मौकूफ है)।

मआरिफ व मसाईल

यह आयत कुरआने करीम की बहुत जामे (यानी जो अपने अन्दर बहुत उमदगी से कई बातों को समोने वाली है) आयत है, जिसमें पूरी इस्लामी तालीमात को चन्द अलफाज़ में समो दिया गया है, इसी लिये पहले बुजुर्गों के मुबारक दौर से आज तक दरतूर चला आ रहा है कि जुमा व ईदों के खुतबे के आखिर में यह आयत पढ़ी जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुरआने करीम की बहुत ही जामे आयत सूर: नहल में यह है:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ الخ. (ابن کثیر)

(यानी यही आयत नम्बर 90 जिसका बयान चल रहा है)।

और हजरत अक्सम बिन सैफी रज़ियल्लाहु अन्हु तो इसी आयत की विना पर इस्लाम में दाखिल हुए। इमाम इब्ने कसीर ने हाफिजे हदीस अबू यअली की किताब 'मारिफतुससहाबा' में सनद के साथ यह वाकिया नक़ल किया है कि अक्सम बिन सैफी अपनी कौम के सरदार थे, जब इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दाया-ए-नुबुव्वत और इस्लाम के प्रचार की खबर मिली तो इरादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर हों मगर कौम के लोगों ने कहा कि आप हम सब के बड़े हैं, आपका खुद जाना मुनासिब नहीं। हजरत अक्सम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अच्छा तो कबीले के दो आदमी चुनो जो वहाँ जायें और हालत का जायज़ा लेकर मुझे बतायें। ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि हम अक्सम बिन सैफी की तरफ से दो बातें पूछने के लिये आये हैं। अक्सम के दो सवाल ये हैं:

مَنْ أَنْتَ وَمَنْ أَنْتَ

“आप कौन हैं और क्या हैं?”

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि पहले सवाल का जवाब तो यह है कि मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ और दूसरे सवाल का जवाब यह है कि मैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूर: ग़हल की यह आयत तिलावत फ़रमाई:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ الآية

(यानी यही आयत नम्बर 90 जिसका बयान चल रहा है)।

उन दोनों कासिदों ने दरख़ास्त की कि ये जुमले हमें फिर सुनाइये। आप इस आयत की तिलावत करते रहे यहाँ तक कि उन कासिदों को आयत याद हो गई।

कासिद वापस अक्सम बिन सैफी के पास आये और बतलाया कि हमने पहले सवाल में यह चाहा था कि आपका नसब मालूम करें, मगर आपने इस पर ज्यादा तवज़्जोह नहीं दी सिर्फ़ बाप का नाम बयान कर देने पर बस किया, मगर जब हमने दूसरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नसब (खानदान) की तहकीक की तो मालूम हुआ कि वह बड़े ऊँचे खानदान वाले शरीफ़ हैं, और फिर बतलाया कि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें कुछ कलिमात भी सुनाये थे वो हम बयान करते हैं।

उन कासिदों ने यह ऊपर बयान हुई आयत अक्सम बिन सैफी को सुनाई। आयत सुनते ही अक्सम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इससे मालूम होता है कि वह उम्दा और ऊँचे अख़्लाक की हिदायत करते हैं और बुरे और घटिया अख़्लाक से रोकते हैं, तुम सब उनके दीन में अल्लद दाखिल

हो जाओ ताकि तुम दूसरे लोगों से मुक़द्दम और आगे रहो, पीछे ताबे बनकर न रहो।

(तफ़्सीर इब्ने कसीर)

इसी तरह हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि शुरू में मैंने लोगों के कहने सुनने से शर्मा शर्मा इस्लाम कुबूल कर लिया था, मगर मेरे दिल में इस्लाम जमा नहीं था यहाँ तक कि एक दिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर था अचानक आप पर वही नाज़िल होने के आसार (निशानियाँ) ज़ाहिर हुए और कुछ अज़ीब हालात के बाद आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआला का कासिद मेरे पास आया और यह आयत मुझ पर नाज़िल हुई। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि इस वाकिए को देखकर और आयत सुनकर मेरे दिल में ईमान मज़बूत व पुख़्ता हुआ और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत मेरे दिल में घर कर गई (इब्ने कसीर ने यह वाकिया नक़ल करके फ़रमाया कि इसकी सनद उम्दा है)।

और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयत वलीद बिन मुगीरा के सामने तिलावत फ़रमाई तो उसकी राय यह थी जो उसने अपनी कौम कुरैश के सामने बयान की:

وَاللّٰهُ اِنْ لَّهٗ لِحُلٰوَةٌ وَاِنْ عَلَيْهِ لَطٰوَةٌ وَاِنْ اَصْلُهٗ لَمُورِقٌ وَاِعْلٰاهٗ لَمُشْرُوْمًا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ

“खुदा की कसम! उसमें एक खास मिठास है और उसके ऊपर एक ख़स रौनक और नूर है, उसकी जड़ से शाखें और पत्ते निकलने वाले हैं और शाखों पर फल लगने वाला है, यह किसी इन्सान का कलाम हरगिज़ नहीं हो सकता।”

तीन चीज़ों का हुक्म और तीन चीज़ों से मनाही

इस आयत में हक़ तआला ने तीन चीज़ों का हुक्म दिया है— अदल, एहसान और रिश्तेदारों को बख़्शिश, और तीन चीज़ों से मना फ़रमाया है— बेहयाई और हर बुरा काम, और जुल्म व ज्यादती, इन छह अलफ़ाज़ के शरई मफ़हूम और उसकी हदों की वज़ाहत यह है:

अदल: इस लफ़ज़ के असली मायने और लुगवी मायने बराबर करने के हैं, इसी की मुनासबत से हाकिमों का लोगों के विवादित मुक़द्दमों में इन्साफ़ के साथ फैसला अदल कहलाता है। कुरआने करीम में अन् तस्कूमू बिल्अदलि इसी मायने के लिये आया है। और इसी लिहाज़ से लफ़ज़ अदल कमी व ज्यादती के बीच एतिदाल को भी कहा जाता है, और इसी की मुनासबत से तफ़्सीर के कुछ इमाओं ने इस जगह लफ़ज़ अदल की तफ़्सीर ज़ाहिर व बातिन की बराबरी से की है, यानी जो कौल या फ़ैल इन्सान के ज़ाहिरी बदनी अंगों से सजद हो और बातिन में भी उसका वही एतिक़ाद और हाल हो। और असल हकीकत यही है कि यहाँ लफ़ज़ अदल अपने आम मायने में है जो उन सब सूरतों को शामिल है जो तफ़्सीर के मुख़लिफ़ इमाओं से मन्कूल हैं, उनमें कोई टकराव या इख़िलाफ़ नहीं।

और अल्लामा इब्ने अरबी ने फ़रमाया कि लफ़ज़ अदल के असली मायने बराबरी करने के

हैं, फिर विभिन्न निस्वतों से इसका मफहूम मुख्तलिफ हो जाता है, जैसे एक मफहूम अदल का यह है कि इनसान अपने नफ्स और अपने रब के बीच अदल करे, तो इसके मायने यह होंगे कि अल्लाह तआला के हक को अपने नफ्स के हिस्से पर और उसकी रज़ा तलब करने को अपनी इच्छाओं पर आगे जाने और उसके अहकाम की तामील और उसकी भना और हराग की हुई बातों और चीजों से पूरी तरह परहेज़ करे।

दूसरा अदल यह है कि आदमी खुद अपने नफ्स के साथ अदल का मामला करे। वह यह है कि अपने नफ्स को ऐसी तमाम चीजों से बचाये जिसमें उसकी जिम्हानी या ल्हानी तबाही हो, उसकी ऐसी इच्छाओं को पूरा न करे जो उसके लिये अन्जाम के एतिबार से नुकसानदेह हों, और कनाअत व सब्र से काम ले, नफ्स पर बिना वजह ज्यादा बोझ न डाले।

तीसरा अदल अपने नफ्स और तमाम मख्लूक़ात के बीच है, इसकी हकीकत यह है कि तमाम मख्लूक़ात के साथ खैरख्वाही और हमदर्दी का मामला करे, और किसी छोटे बड़े के मामले में किसी से खियानत न करे, सब लोगों के लिये अपने नफ्स से इन्साफ़ का मुतालधा करे, किसी इनसान को उसके किसी कौल व फ़ेल से जाहिरी या बातिनी तौर पर कोई दुख और तकलीफ़ न पहुँचे।

इसी तरह एक अदल यह है कि जब दो फ़रीक़ अपने किसी मामले का फैसला कराने के लिये उसके पास लायें तो फैसले में किसी की तरफ़ मैलान (झुकाव और तरफ़दारी) के बग़ैर हक़ के मुताबिक़ फैसला करे। और एक अदल यह भी है कि हर मामले में कमी व ज्यादाती की राहों को छोड़कर दरमियानी राह इख़्तियार करे। अबू अब्दुल्लाह राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यही मायने इख़्तियार करके फ़रमाया है कि लफ़ज़ अदल में अकीदे का एतिदाल, अमल का एतिदाल, अख़्लाक़ का एतिदाल (दरमियानी और सही रास्ता) सब शामिल हैं। (बहरे मुहीत)

इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अदल के मफहूम में इस तफ़सील का ज़िक्र करके फ़रमाया कि यह तफ़सील बहुत बेहतर है। इससे यह भी मालूम हुआ कि इस आयत का सिर्फ़ लफ़ज़ अदल तमाम आमात व अच्छे अख़्लाक़ की पाबन्दी और बुरे आमात व अख़्लाक़ से बचने की हावी और अपने अन्दर समोने वाला है।

अल्-एहसान: इसके असल लुगयी मायने अच्छा करने के हैं, और इसकी दो किस्में हैं एक यह कि काम या अख़्लाक़ व आदात को अपनी ज़ात में अच्छा और मुकम्मल करे, दूसरे यह कि किसी दूसरे शख्स के साथ अच्छा सुलूक और बेहतरीन मामला करे। और दूसरे मायने के लिये अरबी भाषा में लफ़ज़ एहसान के साथ हक़ इला इस्तेमाल होता है, जैसे एक आयत में:

أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

फ़रमाया है।

इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि आयत में यह लफ़ज़ अपने आम मफहूम के लिये इस्तेमाल हुआ है, इसलिये एहसान की दोनों किस्मों को शामिल है। फिर पहली किस्म का

एहसान यानी किसी काम को अपनी जात में अच्छा करना यह भी आम है इबादतों को अच्छा करना, आमाल व अख्लाक को अच्छा करना, मामलात को अच्छा करना।

हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एहसान के जो मायने बयान फरमाये हैं वह एहसान इबादत के लिये है। उस इरशाद का खुलासा यह है कि अल्लाह तआला की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम खुदा तआला को देख रहे हो, और अगर ख्याल व ध्यान का यह दर्जा नसीब न हो तो इतनी बात का यकीन तो हर शख्स को होना ही चाहिये कि हक़ तआला उसके अमल को देख रहे हैं, क्योंकि यह तो इस्लामी अकीदे का अहम हिस्सा है कि हक़ तआला की जानकारी व देखने से कायनात का कोई ज़रा बाहर नहीं रह सकता।

खुलासा यह है कि दूसरा हुक्म इस आयत में एहसान का आया है, इसमें इबादत का एहसान हदीस की वज़ाहत के मुताबिक़ भी दाख़िल है, और तमाम आमाल, अख्लाक, आदतों का एहसान यानी उनको मतलूबा सूरत के मुताबिक़ बिल्कुल सही दुरुस्त करना भी दाख़िल है, और तमाम मख़्लूक़ात के साथ अच्छा सुलूक करना भी दाख़िल है चाहे वह मुसलमान हो या काफ़िर, इन्सान हों या जानवर।

इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि जिस शख्स के घर में उसकी बिल्ली को उसकी खुराक और ज़रूरतें न मिलें और जिसके पिंजरे में बन्द परिन्दों की पूरी देखभाल न होती हो वह कितनी ही इबादत करे मोहसिनों (अच्छा अमल करने वालों) में शुमार नहीं होगा।

इस आयत में पहले अदल का हुक्म दिया गया फिर एहसान का। तफ़सीर के कुछ इमामों ने फरमाया कि अदल तो यह है कि दूसरे का हक़ पूरा-पूरा उसको दे दे और अपना वसूल कर ले, न कम न ज्यादा और कोई तकलीफ़ तुम्हें पहुँचाये तो ठीक उतनी ही तकलीफ़ तुम उसको पहुँचाओ, न कम न ज्यादा, और एहसान यह है कि दूसरे को उसके असल हक़ से ज्यादा दो और खुद अपने हक़ से नज़र बचाने से काम लो, कि कुछ कम हो जाये तो खुशी से कुबूल कर लो, इसी तरह दूसरा कोई तुम्हें हाथ या ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाये तो तुम बराबर का इन्तिक़ाम (बदला) लेने के बजाय उसको माफ़ कर दो, बल्कि बुराई का बदला भलाई से दो। इसी तरह अदल का हुक्म तो फ़र्ज़ व वाजिब के दर्जे में हुआ और एहसान का हुक्म नफ़ली और एहसान के तौर पर हुआ।

إِنشَاءُ ذِي الْقُرْبَىٰ

तीसरा हुक्म जो इस आयत में दिया गया है वह 'ईता-इ ज़िल्कुर्बा' है। ईता के मायने अता यानी कोई चीज़ देने के हैं, और लफ़्ज़ कुर्बा के मायने करावत और रिश्तेदारी के हैं। जी कुर्बा के मायने रिश्तेदार, जी रहम। ईता-इ जी कुर्बा के मायने हुए रिश्तेदार को कुछ देना। यहाँ इसका खुलासा नहीं फरमाया कि क्या चीज़ देना, लेकिन एक दूसरी आयत में उस दी जाने वाली चीज़ का भी ज़िक्र है:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

"यानी रिश्तेदार को उसका हक" ज़ाहिर यही है कि यहाँ भी यही चीज़ मुसद है, कि रिश्तेदार को उसका हक दिया जाये। इस हक में रिश्तेदार को साल देकर माली खिदमत करना भी दाखिल है और जिसानी खिदमत भी, बीमार का हाल पूछना और खबरगीरी करना भी, जबानी तसल्ली व हमदर्दी का इज़हार भी। और अगरचे लफ़्ज़ एहसान में रिश्तेदारों का हक अदा करना भी दाखिल था मगर इसकी ज्यादा अहमियत बतलाने के लिये इसको अलग से बयान फ़रमाया गया।

ये तीन बातें यो थीं जिनका हुक्म किया गया था आगे तीन अहकाम वो हैं जिनसे मना किया गया और उनका हराम होना बताया गया है:

وَنَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

यानी अल्लाह तआला मना करता है फ़हशा और मुन्कर और बग़्य से। फ़हशा हर ऐसे बुरे काम या कौल को कहा जाता है जिसकी बुराई खुली हुई और स्पष्ट हो, हर शख्स उसको बुरा समझे। और मुन्कर वह कौल व फ़ेल है जिसके हराम व नाजायज़ होने पर शरीअत वालों का इत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्पति) हो, इसलिये वैचारिक और इज्तिहादी मतभेदों में किसी एक दिशा को मुन्कर नहीं कहा जा सकता, और लफ़्ज़ मुन्कर में तमाम गुनाह खुले और छुपे, अमली और अज़लाकी सब दाखिल हैं। और बग़्य के असली मायने हद से निकलने के हैं, मुसद इससे जुल्म व ज्यादाती है। यहाँ अगरचे लफ़्ज़ मुन्कर के मतलब में फ़हशा (बेहयाई) भी दाखिल है और बग़्य (नाफ़रमानी) भी, लेकिन फ़हशा को उसकी हद से ज्यादा बुराई और ख़राबी की वजह से अलग करके बयान फ़रमाया और पहले रखा। और बग़्य को इसलिये अलग बयान किया कि इसका असर दूसरों तक पहुँचाता है, और कई बार यह दूसरों तक पहुँचना आपसी लड़ाई झगड़े या उससे भी आगे वैश्विक फ़साद तक पहुँच जाती है।

हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम का इरशाद है कि जुल्म के सिवा कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसका बदला और अज़ाब जल्द दिया जाता हो। इससे मालूम हुआ कि जुल्म पर आखिरत का सख्त अज़ाब तो होना ही है उससे पहले दुनिया में भी अल्लाह तआला जालिम को सज़ा देते हैं, अगरचे वह यह न समझे कि यह फुल्लों जुल्म की सज़ा है और अल्लाह तआला ने मज़लूम की मदद करने का वायदा फ़रमाया है।

इस आयत ने जो छह हुक्म (तीन करने के और तीन न करने के) दिये हैं, अगर गौर किया जाये तो वो इनसान की व्यक्तिगत और सामूहिक जिन्दगी की मुकम्मल कामयाबी का अच्छूक नुस्खा हैं। अल्लाह तआला हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाये।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

إِنَّمَا يَبُوءُكُمْ اللَّهُ بِهِ، وَالْيَبِيتِينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٠﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَلَتُسْأَلُنَّ عَنَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَامُكُمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشَّوْمَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَلكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٢﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

व औफू बि-अस्दिल्लाहि इजा
 आहल्लुम् व ला तन्कुज़ुल्-ऐमा-न
 बअ-द तौकीदिहा व कद्
 जअल्लुमुल्ला-ह अलैकुम् कफीलन्,
 इन्नल्ला-ह यअलमु मा तप्रअलून
 (91) व ला तकूनू कल्लती न-कजुत्
 गज़ुलहा मिम्-बअदि कुव्वतिन्
 अन्कासन्, तत्तखिज़ू-न ऐमानकुम्
 द-ह्वालम्-बैनकुम् अन् तकू-न
 उम्मतुन् हि-य अरबा मिन् उम्मतिन्,
 इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु विही, व
 लयुबय्यिनन्-न लकुम् यौमल्-
 कियामति मा कुन्तुम् फीहि
 तख्तलिफून (92) व लौ शा-अल्लाहु
 ल-ज-अ-लकुम् उम्मतव्- वाहि-दतव्-
 व लाकिंय-युजिल्लु मय्यशा-उ व
 यस्दी मय्यशा-उ, व लतुस्अलुन्-न
 अम्मा कुन्तुम् तअमलून (93)

और पूरा करो अहद अल्लाह का जब
 आपस में अहद करो और न तोड़ो
 कसमों को पक्का करने के बाद, और तुम
 ने किया है अल्लाह को अपना जमानती,
 अल्लाह जानता है जो तुम करते हो।
 (91) और मत रहो जैसे वह औरत कि
 तोड़ा उसने अपना सूत काता हुआ मेहनत
 के बाद टुकड़े-टुकड़े, कि ठहराओ अपनी
 कसमों को दखल देने का बहाना एक
 दूसरे में, इस वास्ते कि एक फिर्का हो
 चढ़ा हुआ दूसरे से, यह तो अल्लाह
 परखता है तुमको उससे, और आईन्दा
 खोल देगा अल्लाह तुमको कियामत के
 दिन, जिस बात में तुम झगड़ रहे थे।
 (92) और अल्लाह चाहता तो सबको एक
 ही फिर्का कर देता लेकिन राह भुलाता है
 जिसको चाहे और सुझाता है जिसको
 चाहे, और तुमसे पूछ होगी जो काम तुम
 करते थे। (93)

व ला तत्तखिजु ऐमानकुम् द-खलम्
 बैनकुम् फ-तजित्-ल क-दमुम्-बअ-द
 सुवूतिहा व तजूकुस्तू-अ बिमा
 सदतुम् अन् सबीलिल्लाहि व लकुम्
 अज़ाबुन् अज़ीम (94) व ला तशतरु
 बि-अहिदल्लाहि स-मनन् कलीलन्,
 इन्नमा अिन्दल्लाहि हु-व खैरुल्लकुम्
 इन् कुन्तुम् तअ्तमून (95) या
 अिन्दकुम् यन्फदु व या अिन्दल्लाहि
 बाकिन्, व ल-नज्जियन्नल्लजी-न
 स-बरु अज़रहुम् बि-अह्सनि मा कानू
 यअ्मलून (96)

और न ठहराओ अपनी कसमों को धोखा
 आपस में कि डिग न जाये किसी का पाँव
 जमने के बाद, और तुम चखो सज़ा इस
 बात पर कि तुमने रोका अल्लाह की राह
 से, और तुमको बड़ा अज़ाब हो। (94)
 और न तो अल्लाह के अहद पर मोल
 थोड़ा सा, बेशक जो अल्लाह के यहाँ है
 वही बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम
 जानते हो। (95) जो तुम्हारे पास है खत्म
 हो जायेगा और जो अल्लाह के पास है
 कभी खत्म न होगा, और हम बदले में
 देंगे सब करने वालों को उनका हक अच्छे
 कामों पर जो करते थे। (96)

खुलासा-ए-तफसीर

अहद पूरा करने का हुक्म और अहद तोड़ने की निंदा

और तुम अल्लाह के अहद को (यानी जिस अहद के पूरा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको) पूरा करो (इससे वह निकल गया जो खिलाफे शरीअत अहद हो, और बाकी सब जायज़ और शरीअत के जरिये हुक्म किये गये अहद चाहे वो अल्लाह के हुक्म से संबन्धित हों या बन्दों के हुक्म से, वो इसमें दाखिल हो गये) जबकि तुम उसको (विशेष तौर पर या उम्मी तौर पर) अपने जिम्मे कर लो (विशेष तौर पर यह कि स्पष्ट रूप से किसी काम की जिम्मेदारी ली और उम्मी तौर पर यह कि ईमान लाये तो तमाम वाजिब अहकाम की जिम्मेदारी उसके जिम्मे में आ गयी) और (खासकर जिन अहदों में कसम भी खाई हो वे ज्यादा पाबन्दी और ध्यान करने के काबिल हैं, सो उनमें) कसमों को उनके मजबूत करने के बाद (यानी अल्लाह का नाम लेकर कसम खाने के बाद) मत तोड़ो, और तुम (उन कसमों की वजह से उन अहदों में) अल्लाह तआला को गवाह भी बना चुके हो (ये कैदें कि पक्का करने के बाद और अल्लाह को गवाह बनाने के बाद, अहद पर जोर डालने और उसकी पाबन्दी की तरफ खास तवज्जोह दिलाने के लिये हैं), बेशक अल्लाह तआला को मालूम है जो कुछ तुम करते हो (चाहे अहद पूरा करो या

उल्लको तोड़ो उसी के मुवाफिक तुमको जज़ा व सज़ा देगा)।

और तुम (अहद तोड़ करके) उस (मक्का में रहने वाली पागल) औरत के जैसे मत बनो जिसने अपना सूत कातने के बाद बोटी-बोटी करके नोच डाला, कि (उसकी तरह) तुम (भी) अपनी कसमों को (सही व दुरुस्त करने के बाद तोड़कर उनको) आपस में फ़साद डालने का ज़रिया बनाने लगे (क्योंकि कसम व अहद तोड़ने से मुवाफिक और समर्थकों में अविश्वास और मुखालिफ़ों व विरोधियों में उत्तेजना व आक्रोश पैदा होता है और यह जड़ है फ़साद की, और तोड़ना भी महज़ इस वजह से कि) एक गिरोह दूसरे गिरोह से (माल या संख्या में) बढ़ जाये (यानी जैसे काफ़िरों के दो गिरोहों में आपस में मुखालफ़त हो और तुम्हारी एक से सुलह हो जाये फिर दूसरी तरफ़ पल्ला झुकता हुआ देखकर जिस गिरोह से सुलह की थी उससे उज़्र करके दूसरे गिरोह से साज़िश कर ले। या जैसे कोई मुसलमान होकर मुसलमानों में शामिल हो और फिर काफ़िरों की तरफ़ जोर देखा तो इस्लाम के अहद को तोड़कर दीन इस्लाम से फिर जाये, और यह जो एक गिरोह दूसरे से बढ़ा हुआ होता है या दूसरी किसी जमाअत के शामिल हो जाने से बढ़ जाता है तो) बस इस (ज़्यादा होने) से अल्लाह तआला तुम्हारी आजमाईश करता है (कि देखें अहद को पूरा करते हो या झुकता पल्ला देखकर उधर ढल जाते हो), और जिन चीज़ों में तुम झगड़ा करते रहे (और विभिन्न राहें चलते रहे) क़ियामत के दिन उन सब (की हकीकत) को तुम्हारे सामने (अमली तौर पर) ज़ाहिर कर देगा (कि हक़ वालों को जज़ा और बातिल वालों को सज़ा हो जायेगी। आगे असल मज़मून को बीच में रोककर उस झगड़े की हिक्मत मुख़्तसर तौर पर बयान फ़रमाते हैं)।

और (अल्लाह तआला की अगरचे पूरी तरह यह भी कुदरत थी कि विवाद व झगड़ा न होने देते, चुनाँचे) अगर अल्लाह की मन्ज़ूर होता तो तुम सब को एक ही तरीके का बना देते, लेकिन (हिक्मत के तकाज़े के तहत जिसकी वज़ाहत और निर्धारण यहाँ ज़रूरी नहीं) जिसको चाहते हैं राह से हटा देते हैं और जिसको चाहते हैं राह पर डाल देते हैं (चुनाँचे हिदायत और राह पर डाल देने में से अहद का पूरा करना भी है और गुमराही और राह से हटा देने में दूसरी बातों के अलावा अहद का तोड़ना भी है। और यह न समझना चाहिये कि जैसे दुनिया में गुमराहों को पूरी सज़ा नहीं होती ऐसे ही आख़िरत में आज़ाद और खुले मुहार रहेंगे, हरगिज़ नहीं! बल्कि क़ियामत में) तुमसे तुम्हारे सब आमाल की ज़रूर पूछताछ और सवाल होगा। और (जैसा कि अहद व कसम के तोड़ने से महसूस नुक़सान होता है जिसका ऊपर बयान था इसी तरह इससे मानवी नुक़सान भी होता है। आगे उसी का ज़िक्र है, यानी) तुम अपनी कसमों को आपस में फ़साद डालने का ज़रिया मत बनाओ (यानी कसमों और अहदों को मत तोड़ो, कभी इसको देखकर और किसी का क़दम जमने के बाद न फिसल जाये, यानी दूसरे भी तुम्हारी पैरवी करें और अहद तोड़ने लगे) फिर तुमको इस सबब से कि तुम (दूसरों के लिये) अल्लाह की राह से रुकावट हुए, तकलीफ़ भुगतनी पड़े (क्योंकि अहद का पूरा करना अल्लाह की राह है, तुम उसके तोड़ने का सबब बन गये, और यही है वह मानवी नुक़सान कि दूसरों को भी अहद तोड़ने वाला बनाया

और तकलीफ़ यह होगी कि इस हालत में) तुमको बड़ा अज़ाब होगा।

और (जिस तरह ग़ालिब गिरोह में शामिल होकर रुतबा व इज़्ज़त हासिल करने की ग़र्ज़ से अहद का तोड़ना मना है जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ इसी तरह माल हासिल करने की ग़र्ज़ से जो अहद तोड़ा हो उसकी मनाही फ़रमाते हैं कि) तुम लोग अल्लाह के अहद के बदले में (दुनिया का) थोड़ा-सा फ़ायदा मत हासिल करो (अल्लाह के अहद के मायने तो आयत के शुरू में मालूम हुए और थोड़े फ़ायदे से मुराद दुनिया है, कि ज़्यादा होने के बावजूद भी कम ही है। इसकी हकीकत इस तरह बयान फ़रमाई कि) बस अल्लाह के पास की जो चीज़ है (यानी आख़िरत का ज़ख़ीरा) वह तुम्हारे लिये (दुनियावी फ़ायदे से) कई दर्जे और बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर तुम समझना चाहो (पस आख़िरत की दौलत ज़्यादा हुई और दुनियावी दौलत और फ़ायदा चाहे कितना भी हो कम हुआ)। और (कम ज़्यादा होने के फ़र्क के अलावा दूसरा फ़र्क यह भी है कि) जो कुछ तुम्हारे पास (दुनिया में) है वह (एक दिन) ख़त्म हो जायेगा (चाहे उसके हाथ से जाते रहने से या मौत से) और जो कुछ अल्लाह के पास है वह हमेशा रहेगा। और जो लोग (अहद पूरा करने वग़ैरह दीन के अहकाम पर) साबित-क़दम हैं हम उनके अच्छे कामों के बदले उनका अज़्र (यानी ऊपर बयान हुई हमेशा बाकी रहने वाली नेमत) उनको ज़रूर देंगे (पस अहद पूरा करके हमेशा बाकी रहने वाली ज़्यादा दौलत को हासिल करो और फ़ना होने वाली मामूली और कम दौलत और फ़ायदे के लिये अहद तोड़ने की हरकत मत करो)।

मअरिफ़ व मसाईल

अहद को तोड़ना हराम है

लफ़्ज़ अहद उन तमाम मामलों और समझौतों व संधियों को शामिल है जिनका ज़बान से इत्तिज़ाम किया जाये यानी उसकी ज़िम्मेदारी ली जाये, चाहे उस पर क़सम खाये या न खाये, चाहे वह किसी काम के करने से संबन्धित हो या न हो।

और ये आयतें दर हकीकत पहले बयान हुई आयत की वज़ाहत व पूरक हैं, पहले बयान हुई आयत में अदल व इन्साफ़ का हुक्म था, लफ़्ज़ अदल के भफ़्हूम में अहद का पूरा करना भी दाख़िल है। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

किसी से अहद व समझौता करने के बाद अहद तोड़ना बड़ा गुनाह है, मगर उसके तोड़ने पर कोई कफ़ारा मुकरर नहीं, बल्कि आख़िरत का अज़ाब है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि क़ियामत के दिन अहद तोड़ने और समझौते के खिलाफ़ करने वाले की पीठ पर एक झण्डा गाड़ दिया जायेगा जो मैदाने हश्र में उसकी रुस्वाई का सबब बनेगा।

इसी तरह जिस काम की क़सम खाई है उसके खिलाफ़ करना भी बड़ा गुनाह है, आख़िरत में उसका भारी वबाल है और दुनिया में भी उसकी कुछ ख़ास सूरतों में कफ़ारा (बदला) लाज़िम होता है। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

इस आयत में मुसलमानों को यह हिदायत की गई है कि जिस जमाअत से तुम्हारा समझौता व मुआहदा हो जाये उस मुआहदे को दुनियावी स्वार्थों व फायदों के लिये न तोड़ो, जैसे तुम्हें यह महसूस हो कि जिस जमाअत या पार्टी से समझौता हुआ है वह कमजोर और संख्या में थोड़ी है, या माल के एतिबार से गरीब व निर्धन है और उसके मुकाबले में दूसरी जमाअत ज्यादा भारी और ताकतवर है या माल व दौलत वाली है तो सिर्फ इस लालच से कि ताकतवर और मालदार पार्टी में शामिल हो जाने से ज्यादा फायदे होंगे पहली जमाअत का अहद तोड़ना जायज़ नहीं बल्कि अपने अहद पर कायम रहे और नफे व नुकसान को खुदा तआला के सुपर्द कर दे, अलबत्ता जिस जमाअत या पार्टी से अहद किया है वह अगर शरीअत के खिलाफ काम और बातें करे और कराये तो उसका अहद तोड़ देना वाजिब है, बशर्तेकि स्पष्ट तौर पर उनको जतला दिया जाये कि हम अब इस अहद के पाबन्द नहीं रहेंगे जैसा कि आयत 'फ़म्बिज़् इलैहिम् अला सवाइन्' में बयान हुआ है।

आयत के आखिर में उक्त स्थिति को मुसलमानों की आजमाईश का सबब बतलाया गया है कि हक़ तआला इसका इम्तिहान लेते हैं कि यह अपने नफ़्स के स्वार्थों व इच्छाओं का ताबे होकर अहद को तोड़ डालता है या अल्लाह तआला के हुक्म की तामील में नफ़्सानी ज़ुव्वात को क़ुरबान करता है।

किसी को धोखा देने के लिये क़सम खाने में ईमान के छिन जाने का ख़तरा है

وَلَا تَخْلُوا بِاٰیْمَانِكُمْ دَخَلًا.....الخ

इस आयत में एक और भारी गुनाह और वबाल से बचाने की हिदायत है, वह यह कि क़सम खाते वक़्त ही से उस क़सम के खिलाफ़ करने का इरादा हो, सामने वाले को सिर्फ़ फ़रेब देने के लिये क़सम खाई जाये तो यह आम क़सम तोड़ने से ज्यादा ख़तरनाक गुनाह है, जिसके नतीजे में यह ख़तरा है कि ईमान की दौलत ही से मेहरूम हो जाये, 'फ़-तज़िल्ल-ल क़-दमुम् बअ-द सुबूतिह' का यही मतलब है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

रिश्वत लेना सख़्त हराम और अल्लाह से किये अहद को तोड़ना है

وَلَا تَشْرَوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا

यानी अल्लाह के अहद को थोड़ी-सी कीमत के बदले में न तोड़ो। यहाँ थोड़ी-सी कीमत से

मुराद दुनिया और इसके फायदे हैं, बां नाश में कितने भी बड़े हों, आखिरत के नफों के तानने सारी दुनिया और इसकी सारी दौलतें भी थोड़ी ही हैं। जिसने आखिरत के बदले में दुनिया ले ली उसने बहुत ही घाटे का सौदा किया है क्योंकि हमेशा रहने वाली आला तरीन नेमत व दौलत को बहुत जल्द फना होने वाली घटिया किसम की चीज के बदले में बेच डालना कोई समझ-बूझ वाला इनसान गवारा नहीं कर सकता।

इन्ने अतीया ने फरमाया कि जिस काम का पूरा करना किसी शख्स के जिम्मे वाजिब हो वह अल्लाह का अहद उसके जिम्मे है, उसके पूरा करने पर किसी से मुआवजा लेना और बगैर लिये न करना अल्लाह का अहद तोड़ना है। इसी तरह जिस काम का न करना किसी के जिम्मे वाजिब है, किसी से मुआवजा लेकर उसको कर देना यह भी अल्लाह का अहद तोड़ना है।

इससे मालूम हुआ कि रिश्वत की प्रचलित किस्में सब हराम हैं, जैसे कोई सरकारी मुलाजिम किसी काम की तन्ख्याह हुक्मत से पाता है तो उसने अल्लाह से अहद कर लिया है कि यह तन्ख्याह लेकर सौंपी गयी खिदमत पूरी करूँगा, अब अगर वह उसके करने पर किसी से मुआवजा मँगे और बगैर मुआवजा लिये उसको टलाये तो यह अल्लाह के अहद को तोड़ रहा है। इसी तरह जिस काम का उसको महकमे की तरफ से इख्तियार नहीं उसको रिश्वत लेकर कर डालना भी अल्लाह से किये गये अहद को तोड़ना है। (तफसीर बहरे मुहीत)

रिश्वत की पूर्ण परिभाषा

इन्ने अतीया के इस कलाम में रिश्वत की पूर्ण परिभाषा भी आ गई जो तफसीर बहरे मुहीत के अलफाज में यह है:

اخذ الاموال على فعل ما يجب على الاخذ فعله او فعل ما يجب عليه تركه.

“यानी जिस काम का करना उसके जिम्मे वाजिब है उसके करने पर मुआवजा लेना या जिस काम का छोड़ना उसके जिम्मे लाजिम है उसके करने पर मुआवजा लेना रिश्वत है।

(तफसीर बहरे मुहीत पेज 533 जिल्द 5)

और पूरी दुनिया की सारी नेमतों का थोड़ा होना अगली आयत में इस तरह बयान फरमाया:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ.

यानी जो कुछ तुम्हारे पास है (मुराद इससे दुनियावी फायदे और मुनाफे हैं) वह सब खत्म और फना होने वाला है, और जो कुछ अल्लाह तआला के पास है (मुराद इससे आखिरत का सवाब व अजाब है) वह हमेशा बाकी रहने वाला है।

दुनिया की खत्म होने वाली और आखिरत की बाकी रहने वाली चीजें

दुनिया की राहत व तकलीफ, दोस्ती व दुश्मनी सब फना होने वाली हैं और उनके परिणाम

व फल जो अल्लाह के पास हैं वो बाकी रहने वाले हैं। 'मा अिन्दकुम्' के लफ़्ज़ से आम तौर पर ज़ेहन सिर्फ़ माल व मता की तरफ़ जाता है, मेरे उस्तादे मोहतरम मौलाना सैयद असगर हुसैन साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि लफ़्ज़ मा लुगत के एतिबार से आम है और आम होने के मायने मुराद लेने से कोई शर्ई हुक्म रुकावट नहीं, इसलिये इसमें दुनिया का माल व मता भी दाख़िल है और इसमें पेश आने वाले तमाम हालात व मामलात, खुशी व ग़म, रंज और राहत, बीमारी और सेहत, नफ़ा और नुक़सान, किसी की दोस्ती या दुश्मनी ये सब चीज़ें शामिल हैं कि सब की सब फ़ना होने वाली हैं, अलबत्ता इन हालात व मामलात पर जो परिणाम व असरात मुरत्तब होने वाले हैं और क़ियामत में उन पर अज़ाब व सवाब होने वाला है वो सब बाकी रहने वाले हैं। फ़ना हो जाने वाले हालात व मामलात की धुन में लगा रहना और अपनी ज़िन्दगी और इसकी ताक़त को उसी की फ़िक्र में लगाकर हमेशा के अज़ाब व सवाब से ग़फलत बरतना किसी अक्लमन्द का काम नहीं।

दौराने बका चू बादे सेहरा बगुज़िशत तल्ल्खी व ख़ुशी व ज़शत व ज़ेवा बगुज़िशत
 पिन्दाशत सितमगर कि जफ़ा बरमा कर्द बर गर्दने वे बमानद् व बरमा ब-गुज़िशत
 ज़िन्दगी का समय जंगल की हवा की तरह गुज़र गया, खुशी व नाखुशी, पसन्दीदा और नापसन्दीदा कुछ बाकी नहीं रहा। हम पर जुल्म करने वाले सितमगर अच्छी तरह जान ले कि तेरे सितम का वार हम पर से तो गुज़र गया मगर तेरी गर्दन पर उसका वार होना बाकी है।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
 حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

मन् अमि-ल सालिहम्-मिन् ज़-करिन्
 औ उन्सा व हु-व मुअ्मिनुन्
 फ़-लनु हिय-यन्नहू हयातन्
 तय्यि-बतन् व लनज़्ज़ियन्नहुम्
 अज़रहुम् बिअहसनि मा कानू
 यअ्मलून (97)

जिसने किया नेक काम मर्द हो या औरत
 और वह इमान पर है तो उसको हम
 ज़िन्दगी देंगे एक अच्छी ज़िन्दगी, और
 बदले में देंगे उनको हक़ उनका बेहतर
 कामों पर जो करते थे। (97)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

(इससे पहली आयतों में अहद के पूरा करने की ताकीद और अहद तोड़ने की निंदा का बयान था जो एक खास अमल है। इस आयत में तमाम नेक आमाज़ और नेक काम करने वालों

का उम्मी बयान है। आयत का मज़मून यह है कि आखिरत का अज़्र व सवाब और दुनिया की बरकतें सिर्फ़ अहद को पूरा करने में सीमित नहीं और न किसी अमल करने वाले की खुसूसियत है बल्कि एक आम कायदा यह है कि) जो शख्स कोई नेक काम करेगा चाहे वह मर्द हो या औरत हो, शर्त यह है कि ईमान वाला हो (क्योंकि काफ़िर के नेक आमाल मकबूल नहीं) तो हम उस शख्स को (दुनिया में तो) मज़ेदार ज़िन्दगी देंगे और (आखिरत में) उनके अच्छे कामों के बदले में उनका अज़्र देंगे।

मअरिफ़ व मसाइल

अच्छी और मज़ेदार ज़िन्दगी क्या चीज़ है ?

मुफ़्स्सरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) की बड़ी जमाअत के नज़दीक यहाँ 'हयात-ए-तय्यिबा' से मुराद दुनिया की पाकीज़ा और लुत्फ़ वाली ज़िन्दगी है, और तफ़्सीर के कुछ इमामों ने इससे आखिरत की ज़िन्दगी मुराद ली है, और जमहूर की तफ़्सीर के मुताबिक़ भी इससे यह मुराद नहीं कि उसको कभी फ़क्र व फ़ाक्का या बीमारी पेश न आयेगी, बल्कि मुराद यह है कि मोमिन को अगर कभी आर्थिक तंगी या कोई तकलीफ़ भी पेश आती है तो दो चीज़ें उसको परेशान नहीं होने देतीं— एक क़नाअत और सादा ज़िन्दगी की आदत जो तंगदस्ती में भी चल जाती है, दूसरे उसका यह अ़कीदा कि मुझे इस तंगी और बीमारी के बदले में आखिरत की अज़ीमुश्शान हमेशा की नेमतें मिलने वाली हैं, बख़िलाफ़ काफ़िर व बदकार के कि अगर उसको तंगदस्ती और बीमारी पेश आती है तो उसके लिये कोई तसल्ली का सामान नहीं होता, अ़द्ल व होश खो बैठता है, कई बार खुदकुशी की नौबत आ जाती है, और अगर उसको खुशहाली व ऐश भी नसीब हो तो उसको ज़्यादती की हिर्स किसी वक़्त चैन से नहीं बैठने देती, वह करोड़पति हो जाता है तो अरबपति बनने की फ़िक्र उसके ऐश (आराम और चैन-सुकून) को ख़राब करती रहती है।

इब्ने अतीया रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि नेक मोमिनों को हक़ तअ़ाला दुनिया में भी वह खुशी व सुख़ और लुत्फ़ भरी ज़िन्दगी अ़ता फ़रमाते हैं जो किसी हाल में तब्दील नहीं होती, तन्दुरुस्ती और खुशहाली के वक़्त तो उनकी ज़िन्दगी का लुत्फ़ भरा होना ज़ाहिर है ही, खुसूसन इस विना पर कि बिना ज़रूरत माल को बढ़ाने की हिर्स उनमें नहीं होती जो इनसान को हर हाल में परेशान रखती है, और अगर तंगदस्ती या बीमारी भी पेश आये तो अल्लाह तअ़ाला के वायदों पर उनका मुकम्मल यक़ीन और मुश्किल के बाद आसानी, परेशानी के बाद राहत मिलने की प्रबल उम्मीद उनकी ज़िन्दगी को बेलुत्फ़ नहीं होने देतीं। जैसे काश्तकार खेत बो ले और उसकी परवरिश के वक़्त उसको कितनी ही तकलीफ़ें पेश आ जायें सब को इसलिये राहत महसूस करता है कि चन्द दिन के बाद उसका बड़ा सिला उसको मिलने वाला है। ताजिर अपनी तिजारत में, मुलाज़िम अपनी ड्यूटी अदा करने में कैसी-कैसी मेहनत व मशक्कत बल्कि कभी-कभी ज़िल्लत भी बरदाश्त करता है मगर इसलिये खुश रहता है कि चन्द दिन के बाद उसको तिजारत का बड़ा

नफ़ा या मुलाजिमत की तन्ज़ाह मिलने का वकीन होता है। मोमिन का भी वह अकीदा होता है कि मुझे हर तकलीफ़ पर अज़्र मिल रहा है और आख़िरत में उसका बदला हमेशा बाकी रहने वाली अज़ीमुशशान नेमतों की सूरत में मिलेगा, और दुनिया की ज़िन्दगी आख़िरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिये यहाँ के रंज व राहत और सर्द व गर्म सब को आसानी से बरदाश्त कर लेता है, उसकी ज़िन्दगी ऐसे हालात में भी परेशानी वाली और बेमज़ा नहीं होती, यही वह 'ह्यात-ए-तय्यिबा' है जो मोमिन को दुनिया में नक़द मिलती है।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ

سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ

بِهِ مُشْرِكُونَ ۝

फ़-इज़ा करअतल्-कुरआ-न फ़स्तअिज़्
बिल्लाहि मिनशशैतानिर्रजीम (98)
इन्नहू लै-स लहू सुल्तानुन्
अलल्लज़ी-न आमनू व अला रब्बिहिम्
य-तवक्कलून (99) इन्नमा सुल्तानुहू
अलल्लज़ी-न य-तवल्लौनहू वल्लज़ी-न
हुम् बिही मुशिरकून (100) ❀

सो जब तू पढ़ने लगे कुरआन तो पनाह
ले अल्लाह की शैतान मरदूद से। (98)
उसका ज़ोर नहीं चलता उन पर जो ईमान
रखते हैं और अपने रब पर भरोसा करते
हैं। (99) उसका ज़ोर तो उन्हीं पर है जो
उसको रफ़ीक़ (साथी) समझते हैं और जो
उसको शरीक मानते हैं। (100) ❀

इन आयतों का पीछे के मज़मून से संबन्ध

पहले गुज़री आयतों में पहले अहद को पूरा करने की ताकीद और उमूमी तौर पर नेक आमाल की ताकीद व तरगीब का बयान आया है। इनसान को इन अहकाम में गुफ़लत शैतानी बहकावे से पैदा होती है, इसलिये इस आयत में शैतान मरदूद से पनाह माँगने की तालीम दी गई है, जिसकी ज़रूरत हर नेक अमल में है, मगर इस आयत में इसको खास तौर से कुरआन के पढ़ने के साथ ज़िक्र किया गया है, इस खास करने की वजह यह भी हो सकती है कि कुरआन की तिलावत (पढ़ना) एक ऐसा अमल है जिससे खुद शैतान भागता है:

देव बगुरेज़द अज़ाँ कौम कि कुरआँ ख़्वानंद

जिन्न (यानी शैतान) उस कौम से दूर रहता और भागता है जो कुरआन पढ़ते हैं।

गुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

और कुछ खास आयतें और सूरतें विशेष तौर पर शैतानी असरात को दूर करने के लिये मुजर्रब हैं जिनका असरदार व मुफ़ीद होना शरई वज़ाहतों से साबित है। (बयानुल-कुरआन)

इसके बावजूद जब कुरआन की तिलावत के साथ शैतान से पनाह माँगने का हुक्म दिया गया तो दूसरे आमाल के साथ और भी ज्यादा जरूरी हो गया।

इसके अलावा खुद कुरआन की तिलावत में शैतानी वस्वसों का भी खतरा रहता है कि तिलावत के आदाब में कमी हो जाये, उसमें सोचने-समझने और दिली ध्यान व आज़िज़ी न रहे, तो इसके लिये भी शैतानी वस्वसों (ख़्यालात दिल में आने) से पनाह माँगना जरूरी समझा गया।
(इब्ने कसीर, मज़हरी यगैरह)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(और जब नेक अमल की फज़ीलत मालूम हुई और कभी-कभी शैतान उसमें खलल डालता है, कभी अहद के पूरा करने में भी खलल डालता है और कभी दूसरे अमल जैसे कुरआन के पढ़ने में भी) तो (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप और आपके माध्यम से आपकी उम्मत सुन लें कि) जब आप (कैसा ही नेक काम करना चाहें यहाँ तक कि) कुरआन पढ़ना चाहें तो शैतान मरदूद (के शर) से अल्लाह की पनाह माँग लिया करें (असल में तो दिल से खुदा पर नज़र रखना है, और यही हकीकत पनाह माँगने की वाज़िब है, और कुरआन पढ़ने में अज़ज़ु बिल्लाह का पढ़ लेना ज़बान से भी मसून है और पनाह माँगने का हुक्म हम इसलिये देते हैं कि) यकीनन उसका काबू उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर (दिल से) भरोसा रखते हैं। यस उसका काबू तो सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर चलता है जो उससे ताल्लुक रखते हैं, और उन लोगों पर (चलता है) जो कि अल्लाह के साथ शिकर करते हैं।

मअरिफ़ व मसाईल

इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुक़दिमा-ए-तफ़सीर में फ़रमाया कि इनसान के दुश्मन दो किस्म के हैं— एक खुद इनसानी नस्ल में से जैसे आम काफ़िर लोग, दूसरे जिन्नात में से जो शैतान व नाफ़रमान हैं। पहली किस्म के दुश्मन के साथ इस्लाम ने जंग व जिहाद के ज़रिये अपनी रक्षा का हुक्म दिया है, मगर दूसरी किस्म के लिये सिर्फ़ अल्लाह से पनाह माँगने का हुक्म है। इसकी वजह यह है कि पहली किस्म का दुश्मन अपनी ही ज़िन्स व प्रजाति से है उसका हमला ज़ाहिर होकर होता है इसलिये उससे जंग व जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया, और शैतानी दुश्मन नज़र नहीं आता, उसका हमला भी इनसान पर आमने सामने नहीं होता, इसलिये उससे बचाव के लिये एक ऐसी जात की पनाह लेना वाज़िब किया गया जो न इनसान को नज़र आती है न शैतान को, और शैतान से बचाव को अल्लाह तआला के "हवाँले" करने में यह भी मस्तेहत है कि जो उससे मग़लूब (पराजित) हो जाये वह अल्लाह के नज़दीक मरदूद, ठुकराया हुआ और अज़ाब का मुस्तहिक् है, बख़िलाफ़ इनसानी दुश्मन यानी काफ़िरों के कि उनके मुकाबले में जो शख्स मग़लूब हो जाये या मारा जाये तो वह शहीद और सवाब का मुस्तहिक् है,

इसलिये इनसानी दुश्मन का मुक़ाबला हाथ-पैर और बदनी अंगों के साथ हर हाल में नफ़ा हो नफ़ा है, या तो दुश्मन पर ग़ालिब आकर उसकी ताक़त को ख़त्म कर देगा या फिर खुद शहीद होकर अल्लाह के यहाँ अज़्र व सवाब का हक़दार होगा।

मसला: क़ुरआन की तिलावत से पहले 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनशैतानिर्रजीम' का पढ़ना इस आयत के हुक्म पर अमल करने के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है मगर कभी-कभी इसका छोड़ देना भी सही हदीसों से साबित है, इसलिये उलेमा-ए-उम्मत की अक्सरियत ने इस हुक्म को वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत करार दिया है, और इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस पर उम्मत की सहमति नक़ल की है, इस मामले में कौली व अमली हदीस की रिवायतें तिलावत से पहले अक्सर हालात में अऊज़ु बिल्लाह..... पढ़ने की और कुछ हालात में न पढ़ने की ये सब इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफ़्सीर के शुरू में तफ़्सील के साथ जिक्र की हैं।

मसला: नमाज़ में तअव्वुज़ (यानी अऊज़ु बिल्लाह.....) सिर्फ़ पहली रक़अत के शुरू में पढ़ा जाये या हर रक़अत के शुरू में, इसमें फ़ुक़हा (दीनी मसाले के माहिर उलेमा) के अक़वाल अलग-अलग हैं, इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक सिर्फ़ पहली रक़अत में पढ़ना चाहिये, और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि हर रक़अत के शुरू में पढ़ने को मुस्तहब करार देते हैं, दोनों की दलीलें तफ़्सीरे मज़हरी में विस्तार से लिखी गयी हैं। (पेज 49 जिल्द 5)

मसला: क़ुरआन की तिलावत नमाज़ में हो या नमाज़ से बाहर दोनों सूरतों में तिलावत से पहले अऊज़ु बिल्लाह..... पढ़ना सुन्नत है, मगर एक दफ़ा पढ़ लिया तो आगे जितना पढ़ता रहे वही एक तअव्वुज़ काफ़ी है, अलबत्ता तिलावत को बीच में छोड़कर किसी दुनियावी काम में मशगूल हो गया और फिर दोबारा शुरू किया तो उस वक़्त दोबारा तअव्वुज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिये।

मसला: क़ुरआन की तिलावत के अलावा किसी दूसरे कलाम या किताब पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाह..... पढ़ना सुन्नत नहीं, वहाँ सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिये। (दुरै मुख्तार, शामी)

अलबत्ता मुख्तलिफ़ आमाल और हालात में तअव्वुज़ (अऊज़ु बिल्लाह..... पढ़ने) की तालीम हदीस में मन्कूल है, जैसे जब किसी को गुस्सा ज्यादा आये तो हदीस में है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनशैतानिर्रजीम पढ़ने से गुस्से का जोश ख़त्म हो जाता है। (इब्ने कसीर)

और हदीस में यह भी है कि बैतुलख़ला (लैट्रीन) में जाने से पहले:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَيْبِ وَالْخَبَائِثِ

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल् ख़ुन्सि वल्-ख़बाइसि'

पढ़ना मुस्तहब है। (शामी)

अल्लाह तआला पर ईमान व भरोसा शैतानी शिकंजे

और कब्जे से मुक्ति का रास्ता है

इस आयत में यह स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह तआला ने शैतान को ऐसी ताकत नहीं दी कि वह किसी भी इन्सान को बुराई पर मजबूर व बेइख्तियार कर दे, इन्सान खुद अपने इख्तियार व ताकत को गफलत या किसी नफ़्सानी गर्ज से इस्तेमाल न करे तो यह उसका कसूर है। इसी लिये फ़रमाया कि जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अपने हालात व आमाल में अपनी इरादी ताकत के बजाय अल्लाह तआला पर भरोसा करते हैं कि वही हर ख़ैर की तौफ़ीक़ देने वाला और हर शर (बुराई) से बचाने वाला है, ऐसे लोगों पर शैतान का कब्ज़ा नहीं होता, हाँ जो अपनी नफ़्सानी गर्जों के सबब शैतान ही से दोस्ती करते हैं, उसी की बातों को पसन्द करते हैं और अल्लाह तआला के साथ ग़ैरों को शरीक ठहराते हैं उन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है कि किसी ख़ैर की तरफ़ नहीं जाने देता, और हर बुराई में वे आगे-आगे होते हैं।

यही मज़मून सूर: हिज़्र की आयत का है जिसमें शैतान के दावे के मुक़ाबले में खुद हक़ तआला ने यह जवाब दे दिया है:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝

“यानी मेरे खास बन्दों पर तेरा तसल्लुत (कब्ज़ा व इख्तियार) नहीं हो सकता, हाँ! उस पर होगा जो खुद ही गुमराह हो और तेरी पैरवी करने लगे।”

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ ۗ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ ۙ

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَهُدًى ۙ وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَلَقَدْ نَعَلْمُ اَنْتُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِّسَانِ الَّذِي

يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَبِيْ ۙ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ

لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكٰذِبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

بِآيٰتِ اللّٰهِ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝

व इज़ा बदलना आ-यतम् मकान
आयतिं व-वत्लाहु अज़लमु बिमा
युनिज़ज़लु क़ालू इन्नमा अन्-त
मुफ़्तरिनु, बल् अक्सरुहुम् ला

और जब हम बदलते हैं एक आयत की जगह दूसरी आयत और अल्लाह ख़ूब जानता है जो उतारता है तो कहते हैं तू तो बना लाता है यह बात, नहीं! पर उनमें से अक्सरों को ख़बर नहीं। (101)

यअलमून (101) कुल् नज़्ज-लहू
 रुहुल्-कुदुसि मिररब्बि-क बिल्हक्कि
 लियुसब्बितल्लजी-न आमनू व हुदंक्-
 व बुशरा लिल्-मुस्लिमीन (102) व
 ल-कद् नअलमु अन्नहुम् यकूलू-न
 इन्नमा युअल्लिमुहू व-शरुन्,
 लिसानुल्लजी युल्हिदू-न इलैहि
 अअ-जमिय्युव-व हाजा लिसानुन्
 अ-रबिय्युम् मुबीन (103)
 इन्नल्लजी-न ला युअमिनु-न
 बिआयातिल्लाहि ला यस्दीहिमुल्लाहु
 व लहुम् अज़ाबुन् अलीम (104)
 इन्नमा यफ़तरिल्-कज़िबल्लजी-न ला
 युअमिनु-न बिआयातिल्लाहि व
 उलाइ-क हुमुल्-काज़िबून् (105)

तू कह-इसको उतारा है पाक फ़रिश्ते ने
 तेरे रब की तरफ़ से बेशक, ताकि साबित
 करे "जमाये" ईमान वालों को और
 हिदायत और खुशख़बरी मुसलमानों के
 वास्ते। (102) और हमको ख़ूब मालूम है
 कि वे कहते हैं— इसको सिखलाता है
 एक आदमी, जिसकी तरफ़ तारीज
 "इशारा और निस्वत" करते हैं उसकी
 भाषा है अज़मी और यह कुरआन अरबी
 भाषा है साफ़। (103) वे लोग जिनको
 अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं उनको
 अल्लाह राह नहीं देता और उनके लिये
 दर्दनाक अज़ाब है। (104) झूठ तो वे
 लोग बनाते हैं जिनको यकीन नहीं
 अल्लाह की बातों पर और वही लोग झूठे
 हैं। (105)

इन आयतों का पीछे के मज़मून से ताल्लुक़

इससे पहली आयत में कुरआन की तिलावत के वक़्त अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की हिदायत थी
 जिसमें इशारा है कि शैतान तिलावत के वक़्त इनसान के दिल में वस्यसे (बुरे ख़्यालात) डालता
 है, अब इन आयतों में इसी तरह के शैतानी वस्यसों का जवाब है।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

नुबुव्वत पर काफ़िरों के शुब्हात का जवाब मय डरावे के

और जब हम किसी आयत को दूसरी आयत की जगह बदलते हैं (यानी एक आयत को
 लफ़ज़ी या मानवी तौर पर निस्त करके उसकी जगह दूसरा हुक्म भेज देते हैं) और हालाँकि
 अल्लाह तआला जो हुक्म (पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा) भेजता है (उसकी मस्लेहत व हिक्मत
 को) वही ख़ूब जानता है (कि जिनको यह हुक्म दिया गया है उनके हालात के एतिवार से एक

वक्त में मस्लेहत कुछ थी, फिर हालत बदल जाने से मस्लेहत और हिक्मत दूसरी हो गई) तो ये लोग कहते हैं कि (मआज़ल्लाह) आप (खुदा पर) गढ़ने वाले हैं (कि अपने कलाम को अल्लाह की तरफ मन्सूब कर देते हैं, वरना अल्लाह का हुक्म होता तो उसके बदलने की क्या ज़रूरत थी, क्या अल्लाह तआला को पहले इल्म न था, और ये लोग इस पर गौर नहीं करते कि कई बार सब हालात का इल्म होने के बावजूद पहली हालत पेश आने पर पहला हुक्म दिया जाता है और दूसरी हालत पेश आने का अगरचे उस वक्त भी इल्म है मगर मस्लेहत के तकाज़े के तहत उस दूसरी हालत का हुक्म उस वक्त बयान नहीं किया जाता, बल्कि जब वह हालत पेश आ जाती है उस वक्त बयान किया जाता है। जैसे तबीब डॉक्टर एक दवा तजवीज़ करता है और वह जानता है कि इसके इस्तेमाल से हालत बदलेगी और फिर दूसरी दवा दी जायेगी, मगर मरीज़ को शुरू ही में सब तफ़्सील नहीं बताता, यही हकीकत अहकाम के बदलने और निरस्त होने की है जो कुरआन व सुन्नत में होता है, जो हकीकत से वाकिफ़ नहीं वह शैतानी बहकावे से अहकाम के बदलने और निरस्त होने का इनकार करने लगते हैं, इसी लिये इसके जवाब में हक तआला ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह की तरफ़ झूठी निस्बत करने वाले और कलाम को गढ़ने वाले नहीं) बल्कि उन्हीं में के अक्सर लोग जाहिल हैं (कि अहकाम में रद्दोबदल को बिना किसी दलील के अल्लाह का कलाम होने के खिलाफ़ समझते हैं)। आप (उनके जवाब में) फ़रमा दीजिये (कि यह कलाम मेरा बनाया हुआ नहीं बल्कि इसको) रुहुल-कुदुस (यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम) आपके ख़ब की तरफ़ से हिक्मत के मुवाफ़िक़ लाये हैं (इसलिये यह कलाम अल्लाह का कलाम है, और इसमें अहकाम की तब्दीली हिक्मत व मस्लेहत के तकाज़े के मुताबिक़ है, और यह कलाम इसलिये भेजा गया है) ताकि ईमान वालों को (ईमान पर) साबित-क़दम रखे और मुसलमानों के लिये हिदायत और खुशख़बरी (का ज़रिया) हो जाये।

(इसके बाद काफ़िरों के एक और बेहूदा शुद्धे का जवाब है) और हमको मालूम है कि ये लोग (एक दूसरी ग़लत बात) यह भी कहते हैं कि इनको तो आदमी सिखला जाता है (इससे मुराद एक अज़मी रूम का बाशिन्दा लुहार है, जिसका नाम बलआम या मकीस था, यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बातें जी लगाकर सुनता तो हुज़ूर पाक कभी उसके पास जा बैठते और वह कुछ इन्जील वगैरह को भी जानता था, इस पर काफ़िरों ने यह बात चलती की कि यही शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कुरआन का कलाम सिखाता है। इसका ज़िक्र किताब दुर्रे मन्सूर में है। अल्लाह तआला ने इसका जवाब दिया कि कुरआन मजीद तो अलफ़ाज़ व मायनों के मजमूए का नाम है, तुम लोग अगर कुरआने करीम के मायनों और उलूम को नहीं पहचान सकते तो कम से कम अरबी भाषा के मेयारी स्तर और आला ख़ूबी व कमाल से तो नावाकिफ़ नहीं हो, तो इतना तो तुम्हें समझना चाहिये कि अगर फ़र्ज़ करो कुरआन के मायने उस शख्स ने सिखला दिये हों तो कलाम के अलफ़ाज़ और उनकी ऐसी आला मेयारी जिसका मुकाबला करने से पूरा अरब अज़िज़ हो गया यह कहाँ से आ गई, क्योंकि जिस शख्स की तरफ़ उसकी निस्बत करते हैं उसकी भाषा तो अज़मी "यानी ग़ैर-अरबी" है, और यह

कुरआन साफ़ अरबी है (कोई अजमी बेचारा ऐसी इबास्त कैसे बना सकता है। और अगर कहा जाये कि इबास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनाई होगी तो इसका खुला जवाब उस चुनौती से पूरी तरह हो चुका है जो सूर: ब-करह में आ चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी नुबुव्वत और कुरआन की हक्कानियत का मेयार इसी को करार दिया था, कि अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक यह इनसान का कलाम है तो तुम भी इनसान हो और अरबी भाषा में आला महारत और बड़ी फसाहत व बलागत के दावेदार हो तो तुम इस जैसा कलाम ज्यादा नहीं तो एक आयत ही के बराबर लिख लाओ, मगर सारा अरब इसके बावजूद कि आपके मुकाबले में अपना सब कुछ जान व माल कुरबान करने को तैयार था मगर इस चेलेंज को कुबूल करने की किसी को हिम्मत न हुई। इसके बाद नुबुव्वत के इनकारियों और कुरआन पर ऐसे एतिराज करने वालों पर बईद और सज़ा की धमकी है कि) जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते उनको अल्लाह तआला कभी राह पर न लाएँगे, और उनके लिये दर्दनाक सज़ा होगी (और ये लोग जो नऊजु बिल्लाह आपको अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाला कहते हैं तो) झूठ गढ़ने वाले तो यही लोग हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, और ये लोग हैं पूरे झूठे।

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَآ مَنۢ اُكْرِهٖۙ وَ

قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِاِلَیْمَانٍۙ وَ لٰكِنۢ مِّنۡ شَرِّۙ بِالْكَفْرِۙ صَدَّۙ فَعَلَيْهِمْۙ غَضَبٌۢ مِّنَ اللّٰهِۙ وَ لَهُمْۙ عَذَابٌۢ عَظِيْمٌۙ ۝۱۰۶ ذٰلِكَۙ بِاَنَّهُمْۙ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَی الْاٰخِرَةِۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۱۰۷ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْۙ وَ سَمِعَتْهُمْۙ اَوْ اَبْصَرَتْهُمْۙۙ اَوْ اَوْلٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝۱۰۸ لَا جَرَمَ اِنَّهُمْۙ فِی الْاٰخِرَةِۙ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

मन् क-फ़-र बिल्लाहि मिम्-बअदि
ईमानिही इल्ला मन् उकिर-ह व
कल्बुहू मुत्माइन्नुम्-बिल्ईमानि व
लाकिम्-मन् श-र-ह बिल्कुफिर सदरन्
फ-अलैहिम् ग-ज़बुम्-मिनल्लाहि व
लहुम् अज़ाबुन् अज़ीम (106)
ज़ालि-क बिअन्नहुमुस्त-हब्बुल्-
हयातदुन्या अलल्-आखिरति व

जो कोई मुन्किर हुआ अल्लाह से यकीन लाने के बाद मगर वह नहीं जिस पर जबरदस्ती की गई और उसका दिल बरकरार है ईमान पर, व लेकिन जो कोई दिल खोल मुन्किर हुआ सो उन पर गुज़ब है अल्लाह का और उनको बड़ा अज़ाब है। (106) यह इस दास्ते कि उन्होंने अज़ीज "पसन्दीदा" रखा दुनिया की जिन्दगी को आखिरत से और अल्लाह

अन्नल्ला-ह ला यहिदल् कौमल्-
 काफिरीन (107) उलाइ-कल्लज़ी-न
 त-बअल्लाहु अला कुलूबिहिम् व
 सम्भिअहिम् व अब्सारिहिम् व उलाइ-क
 हुमुल्-गाफिलून (108) ला ज-र-म
 अन्नहुम् फिल्आखिरति हुमुल्-
 खासिरून (109)

रस्ता नहीं देता मुन्किर लोगों को। (107)
 ये वही हैं कि मुहर कर दी अल्लाह ने
 इनके दिलों पर और कानों पर और
 आँखों पर और यही हैं बेहोश। (108)
 खुद ज़ाहिर है कि आखिरत में यही लोग
 ख़राब हैं। (109)

खुलासा-ए-तफ़सीर

जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफ़्र करे (इसमें रसूल के साथ कुफ़्र करना और कियामत वगैरह का इनकार करना सब दाख़िल हैं) मगर जिस शख्स पर (काफ़िरी की तरफ़ से) ज़बरदस्ती की जाये (जैसे कि अगर तू कुफ़्र का फ़ुल्लौ कलाम या फ़ुल्लौ बात नहीं करेगा तो हम तुझको क़त्ल कर देंगे और हालात से इसका अन्दाज़ा भी हो कि वे ऐसा कर सकते हैं) शर्त यह है कि उसका दिल ईमान पर मुत्मईन हो (यानी अक़ीदे में कोई ख़राबी न आये और उस कौल व फ़ैल को सख़्त गुनाह और बुरा समझता हो तो वह इस हुक्म से बाहर है कि उसका ज़ाहिरी तौर पर कलिमा-ए-कुफ़्र या कुफ़्र के काम में मुब्तला हो जाना एक उज़्र की बिना पर है, इसलिये जो सज़ा की वईद इस्लाम से फिर जाने और विमुख हो जाने की आगे आ रही है वह ऐसे शख्स के लिये नहीं) लेकिन हाँ जो जी खोलकर (यानी उस कुफ़्र को सही और अच्छा समझकर) कुफ़्र करे तो ऐसे लोगों पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब होगा और उनको बड़ी सज़ा होगी। (और) यह (ग़ज़ब व अज़ाब) इस सबब से होगा कि उन्होंने दुनियावी ज़िन्दगी को आख़िरत के मुकाबले में अज़ीज़ "पसन्दीदा और प्यारा" रखा, और इस सबब से होगा कि अल्लाह ऐसे काफ़िरी को (जो दुनिया को हमेशा आख़िरत पर तरज़ीह दे) हिदायत नहीं किया करता (ये दो सबब अलग-अलग नहीं बल्कि सबब का मजमूआ है। हासिल इसका यह है कि किसी काम के इरादे के बाद अल्लाह की आदत यह है कि उस काम का वजूद में आना होता है जिस पर उस काम का सादिर व ज़ाहिर होना मुरत्तब होता है, यहाँ पर 'अज़ीज़ रखने' से इरादा और 'हिदायत नहीं करता' से उसके वजूद में आने की तरफ़ इशारा है, और इस मजमूए पर उस बुरे फ़ैल का सादिर व ज़ाहिर होना मुरत्तब है)। ये वे लोग हैं कि (दुनिया में इनके कुफ़्र पर अड़े और जमे रहने की हालत यह है कि) अल्लाह तआला ने इनके दिलों पर और कानों पर और आँखों पर मुहर लगा दी है, और ये लोग (अन्जाम से) बिल्कुल गाफ़िल हैं (इसलिये) लाज़िमी बात है कि आख़िरत में ये लोग बिल्कुल घाटे में रहेंगे।

मअरिफ व मसाइल

मसला: इस आयत से साबित हुआ कि जिस शख्स को कलिमा-ए-कुफ़ कहने पर इस तरह मजबूर कर दिया गया कि यह कलिमा न कहे तो उसको कत्ल कर दिया जाये, और यह भी गालिब गुमान से मालूम हो कि धमकी देने वाले को इस पर पूरी कुदरत हासिल है, तो ऐसे मजबूर करने की हालत में अगर वह ज़बान से कुफ़ का कलिमा कह दे मगर उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो और उस कलिमे को बातिल और बुरा जानता हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं और न उसकी बीवी उस पर हराम होगी। (तफसीरे कुर्तुबी व मज़हरी)

यह आयत उन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में नाज़िल हुई जिनको मुशिकों ने गिरफ़्तार कर लिया था और कहा था कि या तो वे कुफ़ इख़्तियार करें वरना कत्ल कर दिये जायेंगे।

ये गिरफ़्तार होने वाले हज़रात हज़रत अम्मार और उनके माँ-बाप यासिर और सुमैया और सुहैब और बिलाल और ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, जिनमें से हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुफ़ का कलिमा बोलने से क़तई इनकार किया, हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया गया और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को दो ऊँटों के बीच बाँधकर दौड़ाया गया जिससे उनके दो टुकड़े अलग-अलग होकर शहीद हुई, और यही दो बुजुर्ग हैं जिनको इस्लाम की ख़ातिर सबसे पहले शहादत नसीब हुई। इसी तरह हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुफ़ का कलिमा बोलने से क़तई इनकार करके बड़े इत्मीनान के साथ कत्ल किये जाने को कुबूल किया, उनमें से हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने जान के ख़ौफ़ से ज़बानी कुफ़ का इकरार कर लिया मगर दिल उनका ईमान पर मुत्मईन और जमा हुआ था। जब ये दुश्मनों से रिहाई पाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो बड़े रंज व ग़म के साथ इस वाकिए का इज़हार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे पूछा कि जब तुम यह कलिमा बोल रहे थे तो तुम्हारे दिल का क्या हाल था, उन्होंने अर्ज़ किया कि दिल तो ईमान पर मुत्मईन और जमा हुआ था, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको मुत्मईन किया कि तुम पर उसका कोई वबाल नहीं। आपके इस फैसले की तस्दीक में यह आयत नाज़िल हुई। (तफसीरे कुर्तुबी व मज़हरी)

मजबूर और ज़बरदस्ती करने का मतलब और उसकी हद

इकराह के लफ़्ज़ी मायने यह हैं कि किसी शख्स को ऐसे कौल व फ़ैल पर मजबूर किया जाये जिसके कहने या करने पर वह राज़ी नहीं। फिर उसके दो दर्जे हैं— एक दर्जा इकराह का यह है कि वह दिल से तो उस पर आमादा नहीं मगर ऐसा बेइख़्तियार व बेकाबू भी नहीं कि इनकार न कर सके, यह फ़ुक़हा की इस्तिलाह में 'इकराह ग़ैर-मुलजी' कहलाता है, ऐसे इकराह से कोई कुफ़ का कलिमा कहना या किसी हराम फ़ैल को करवा जायज़ नहीं होता, अलबत्ता कुछ

आंशिक अहकाम में इस पर भी कुछ आसार मुरल्लब होते हैं जो मत्साईल की किताबों में तफसीर से बयान हुए हैं।

दूसरा दर्जा इकराह (मजबूर करने) का यह है कि वह बिल्कुल बेइख्तियार कर दिया जाये कि अगर वह मजबूर करने वालों के कहने पर अमल न करे तो उसको कत्ल कर दिया जायेगा, या उसका कोई बदनी हिस्सा काट दिया जायेगा, यह फुकहा की इस्तिलाह में 'इकराह मुलजी' कहलाता है, जिसके माथने हैं ऐसा इकराह (मजबूर करना) जो इनसान को बेइख्तियार और पूरी तरह मजबूर कर दे, ऐसे इकराह (मजबूर करने) की हालत में कुफ्र का कलिमा ज़बान से कह देना बशर्तेकि दिल ईमान पर पुत्मईन हो जायज है। इसी तरह दूसरे इनसान को कत्ल करने के अलावा और कोई हराम फ़ैल करने पर मजबूर कर दिया जाये तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं।

मगर दोनों किस्म के इकराह (मजबूर करने) में शर्त यह है कि इकराह करने वाला जिल काम की धमकी दे रहा है वह उस पर कादिर भी हो, और जो शख्स फंसा हुआ है उसको गालिब गुमान यह हो कि अगर मैं इसकी बात न मानूंगा तो जिस चीज़ की धमकी दे रहा है वह उसको ज़रूर कर डालेगा। (तफसीरे मज़हरी)

मसला: मामलात दो किस्म के हैं— एक वो जिनमें दिल से रज़ामन्द होना ज़रूरी है, जैसे ख़रीद व फ़रोख़ और हिबा वग़ैरह कि उनमें दिल से रज़ामन्द होना मामले के लिये शर्त है कुरआन के हुक्म व बयान के मुताबिक़:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

“यानी किसी दूसरे शख्स का माल हलाल नहीं होता जब तक तिजारात वग़ैरह का मामला दोनों पक्षों की रज़ामन्दी से न हो।” और हदीस में है:

لَا يَجُلُّ مَالٌ أَمْرًا مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِبِّ نَفْسِ مَنَّهُ.

“यानी किसी मुसलमान का माल उस वक़्त तक हलाल नहीं जब तक वह दिल की खुशी से उसके देने पर राज़ी न हो।”

ऐसे मामलात अगर इकराह के साथ करा लिये जायें तो शरई तौर पर उनका कोई एतियार नहीं। इकराह (मजबूर करने) की हालत से निकलने के बाद उसको इख्तियार होगा कि मजबूर करने की हालत में जो ख़रीद व बेच या हिबा वग़ैरह किया था उसको अपनी रज़ा से वाकी रखे या ख़त्म कर दे।

और कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ़ ज़बान से अलफ़ाज़ कह देने पर पदार है, दिल का इरादा व क़स्द या रज़ा व खुशी शर्त नहीं, जैसे निकाह, तलाक़, रजई तलाक़ के बाद बीवी को वापस लौटा लेना, गुलाम-बाँदी वग़ैरह आज़ाद करना वग़ैरह, ऐसे मामलात के मुताबिक़ हदीस में इरशाद है:

ثَلَاثُ جُدْهَنْ جُدٌّ وَمَزْلَهِنْ جُدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ (رواه ابوداؤد والترمذى وحسنه)

(यानी अगर दो शख्स ज़बान से निकाह का इज़ाब व कुबूल शर्तों के मुताबिक़ कर लें वा

कोई शौहर अपनी बीवी को ज़बान से तलाक़ दे दे या तलाक़ के बाद ज़बान से रज़ूअत करे चाहे वह हंसी-मज़ाक़ के तौर पर हो दिल में इरादा निकाह या तलाक़ या रज़ूअत का न हो, फिर भी महज़ अलफ़ाज़ के कहने से निकाह आयोजित हो जायेगा और तलाक़ पड़ जायेगी, तथा रज़ूअत सही हो जायेगी। (तफ़सीरे मज़हरी)

इमामे आजम अबू हनीफ़ा, इमाम शअबी, इमाम ज़ोहरी, इमाम नख़ई और इमाम क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहिम के नज़दीक मजबूर किये गये शख्स की तलाक़ का भी यही हुक्म है कि इकराह (मजबूर करने) की हालत में अगरचे वह तलाक़ देने पर दिल से आमादा नहीं था, मजबूर होकर तलाक़ के अलफ़ाज़ कह दिये, और तलाक़ के वाक़े होने का ताल्लुक़ सिर्फ़ तलाक़ के अलफ़ाज़ अदा कर देने से है, दिल का क़स्द व इरादा शर्त नहीं, जैसा कि उक्त हदीस से साबित है, इसलिये यह तलाक़ वाक़े हो जायेगी।

मगर इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि और हज़रत अली और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नज़दीक मजबूर करने की हालत की तलाक़ वाक़े न होगी क्योंकि हदीस में है:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّيَانُ وَمَا سُكِرَ هُوَ عَلَيْهِ (رواه الطبرانی عن ثوبان)

“यानी मेरी उम्मत से ख़ता और भूल और जिस चीज़ पर उनको बेक़रार व मजबूर कर दिया जाये सब उठा दिये गये।”

इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक यह हदीस आख़िरत के अहक़ाम से संबन्धित है कि ख़ता या भूल से या इकराह (मजबूर करने) की हालत में जो कोई कौल व फ़ेल शरीअत के खिलाफ़ कर लिया उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, बाकी रहे दुनिया के अहक़ाम और वो परिणाम जो उस फ़ेल पर मुरत्तब हो सकते हैं उनका वाक़े व उत्पन्न होना तो महसूस और आँखों देखा है, और दुनिया में इस वाक़े होने पर जो आसार व अहक़ाम मुरत्तब होते हैं वो होकर रहेंगे। जैसे किसी ने किसी को ग़लती से क़त्ल कर दिया तो उसको क़त्ल का गुनाह और आख़िरत की सज़ा तो बेशक़ न होगी मगर जिस तरह क़त्ल का महसूस असर मक्तूल की जान का चला जाना वाक़े है इसी तरह उसका यह शरई असर भी साबित होगा कि उसकी बीवी इहत के बाद दूसरा निकाह कर सकेगी, उसका माल विरासत में तक़सीम हो जायेगा। इसी तरह जब तलाक़ या निकाह या रज़ूअत के अलफ़ाज़ ज़बान से अदा कर दिये तो उनका शरई असर भी साबित हो जायेगा। (तफ़सीरे मज़हरी व कुर्तुबी। वल्लाहु सुब्बानहू व तअ़ाला आलस)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا
رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا
كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَوَكَّدُوا لِيَوْمِهِمْ فَاتَّخَذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝

सुम्-म इन्-न रब्ब-क लिल्लज़ी-न
हाज़रु मिम्-बअदि मा फ़ुतिनू सुम्-म
जाहदू व स-बरु इन्-न रब्ब-क मिम्-
बअदिहा ल-गफ़ूररहीम (110) ❀

यौ-म तअती कुल्लु नफ़िसन् तुजादिलु
अन् नफ़िसहा व तुवफ़फ़ा कुल्लु
नफ़िसम्-मा अमिलत् व हुम् ला
युज़लमून (111) व ज़-रबल्लाहु
म-सलन् कर्-यतन् कानत्
आमि-नतम्-मुत्मइन्नतय्-यअतीहा
रिज़्कुहा र-गदम्-मिन् कुल्लि मकानिन्
फ़-क-फ़ रत् बिअन्-अुमिल्लाहि
फ़-अज़ा-कहल्लाहु लिबासल्-जूअि
वल्छौफ़ि बिमा कानू यस्नअून
(112) व ल-कद् जाअहुम् रसूलुम्-
मिन्हुम् फ़-कज़्ज़बूहु फ़-अ-ख़-ज़हुमुल्
-अज़ाबु व हुम् ज़ालिमून (113)

फिर बात यह है कि तेरा रब उन लोगों पर
कि उन्होंने वतन छोड़ा है बाद उसके कि
मुसीबत उठाई फिर जिहाद करते रहे और
कायम रहे, बेशक तेरा रब इन बातों के
बाद बख़्शने वाला मेहरबान है। (110) ❀

जिस दिन आयेगा हर जी जवाब-सवाल
करता अपनी तरफ़ से और पूरा मिलेगा
हर किसी को जो उसने कमाया और उन
पर जुल्म न होगा। (111) और बतलाई
अल्लाह ने एक मिसाल एक बस्ती थी,
वैन अमन से चली आती थी उसको रोज़ी
फरागत की हर जगह से, फिर नाशुक्ऱी
की अल्लाह के एहसानों की, फिर चखाया
उसको अल्लाह ने मज़ा कि उनके तन के
कपड़े हो गये भूख और डर, बदला उस
का जो वे करते थे। (112) और उनके
पास पहुँच चुका रसूल उन्हीं में का फिर
उसको झुठलाया, फिर आ. पकड़ा उनको
अज़ाब ने और वे गुनाहगार थे। (113)

इन आयतों का पीछे के मज़मून से संबन्ध

पिछली आयतों में कुफ़्र पर वईद (सज़ा के ऐलान) का ज़िक्र था, चाहे कुफ़्र असली हो या
दीन इस्लाम कुबूल कर लेने के बाद उससे फिर जाने का कुफ़्र। इसके बाद की ज़िक्र होने वाली
तीन आयतों में से पहली आयत में यह बतलाया गया है कि ईमान ऐसी दौलत है कि जो काफ़िर
या मुर्तद सच्चा ईमान ले आये उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं।

दूसरी आयत में कियामत का ज़िक्र इसलिये किया गया कि यह जज़ा व सज़ा सब कियामत
के बाद ही होने वाली है। तीसरी आयत में यह बतलाया गया कि कुफ़्र व नाफ़रमानी की असली
सज़ा तो कियामत के बाद ही मिलेगी मगर कुछ गुनाहों की सज़ा दुनिया में भी कुछ मिल जाती
है। तीनों आयतों की मुख़्तसर तफ़सीर यह है:

खुलासा-ए-तफ़सीर

फिर (अगर कुफ़्र के बाद ये लोग ईमान ले आये तो) बेशक आपका रब ऐसे लोगों के लिये कि जिन्होंने कुफ़्र में मुब्तला होने के बाद (ईमान लाकर) हिजरत की, फिर जिहाद किया और (ईमान पर) कायम रहे, तो आपका रब (ऐसे लोगों के लिये) इन (आमाल) के बाद बड़ी मग़फ़िरत करने वाला, बड़ी रहमत करने वाला है. (यानी ईमान और नेक आमाल की बरकत से सब पिछले गुनाह माफ़ हो जायेंगे और अल्लाह तआला की रहमत से उनको जन्नत में बड़े-बड़े दर्जे मिलेंगे। कुफ़्र से पहले के गुनाह तो सिर्फ़ ईमान से माफ़ हो जाते हैं, जिहाद वगैरह नेक आमाल माफ़ी की शर्त नहीं, लेकिन नेक आमाल जन्नत के दर्जे मिलने के असबाब हैं, इसलिये इसके साथ जिक्र कर दिया गया)।

(और यह उक्त जज़ा व सज़ा उस दिन वाक़े होगी) जिस दिन हर शख्स अपनी-अपनी तरफ़दारी में गुफ़्तगू करेगा (और दूसरों को न पूछेगा) और हर शख्स को उसके किये का पूरा बदला मिलेगा (यानी नेकी के बदले में कमी न होगी, अगरचे अल्लाह की रहमत से ज्यादाती हो जाने की संभावना है, और बदी के बदले में ज्यादाती न होगी हाँ यह मुम्किन है कि रहमत से उसमें कुछ कमी हो जाये। यही मतलब है इसका कि) उन पर जुल्म न किया जायेगा। (इसके बाद यह बतलाया गया है कि अगरचे कुफ़्र व नाफ़रमानी की पूरी सज़ा हशर के बाद होगी मगर कभी दुनिया में भी उसका बवाल अज़ाब की सूरत में आ जाता है)। और अल्लाह तआला एक बस्ती वालों की अज़ीब हालत बयान फ़रमाते हैं कि वे (बड़े) अमन व इत्मीनान में रहते थे (और) उनके खाने-पहनने की चीज़ें बड़ी फ़राग़त से चारों तरफ़ से उनके पास पहुँचा करती थीं (उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा न किया बल्कि) उन्होंने खुदा की नेमतों की बेकद्री की (यानी कुफ़्र व शिर्क और नाफ़रमानी में मुब्तला हो गये)। इस पर अल्लाह तआला ने उनको उनकी हरकतों के सबब एक घेरने वाले कहत और ख़ौफ़ का मज़ा चखाया (कि माल व दौलत की फ़रावानी छिनकर कहत "सूखे) और भूख में मुब्तला हो गये, और दुश्मनों का ख़ौफ़ मुसल्लत करके उनकी बस्तियों का अमन व इत्मीनान भी छिन लिया)। और (इस सज़ा में हक़ तआला की तरफ़ से कुछ जल्दी नहीं की गई बल्कि पहले इसकी चेतावनी व इस्लाह के वास्ते) उनके पास उन्हीं में का एक रसूल भी (अल्लाह की तरफ़ से) आया (जिसकी सच्चाई व ईमानदारी का हाल खुद अपनी क़ौम में होने की वजह से उनको पूरी तरह मालूम था)। सो उस (रसूल) को (भी) उन्होंने झूठा बतलाया तब उनको अज़ाब ने आन पकड़ा, जबकि वे बिल्कुल ही जुल्म पर कमर बाँधने लगे।

मआरिफ़ व मसाईल

आख़िरी आयत में भूख और ख़ौफ़ का मज़ा चखाने के लिये लफ़ज़ लिबास इस्तेमाल

फरमाया कि लिबास भूख और ख़ौफ़ का उनको चखाया गया, हालाँकि लिबास चखने की चीज़ नहीं, मगर यहाँ लिबास का लफ़्ज़ पूरी तरह घेरने और समेटने वाला होने के लिये तश्बीह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, कि यह भूख और ख़ौफ़ उन सब के सब पर ऐसा छा गया कि जिस तरह लिबास बदन के साथ एक अनिवार्य और लाज़िमी चीज़ बन जाता है, ये भूख और ख़ौफ़ भी उन पर इसी तरह मुसल्लत कर दिये गये।

यह मिसाल जो इस आयत में बयान की गई है तफ़्सीर के कुछ इमामों के नज़दीक तो आम मिसाल है, किसी खास बस्ती से इसका ताल्लुक नहीं, और अक्सर हज़रात ने इसको मक्का मुकर्रमा का वाकिआ करार दिया कि वे सात साल तक सख्त सूखे में मुब्तला रहे, कि मुर्दार जानवर और कुत्ते और गन्दगियाँ खाने पर मजबूर हो गये, और मुसलमानों का ख़ौफ़ उन पर मुसल्लत हो गया। फिर मक्का के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि कुफ़्र व नाफ़रमाची के क़सूरवार तो मर्द हैं औरतें, बच्चे तो बेक़सूर हैं, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके लिये मदीना तथ्यिबा से खाने वगैरह का सामान भिजवा दिया। (तफ़्सीरे मज़हरी)

और अबू सुफ़ियान ने कुफ़्र की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दरख़्वास्त की कि आप तो सिला-रहमी और माफी व दरगुज़र की तालीम देते हैं, यह आपकी कौम तबाह हुई जाती है, अल्लाह तआला से दुआ कीजिये कि यह क़हत (सूखा) हम से दूर हो जाये, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके लिये दुआ फ़रमाई और क़हत ख़त्म हुआ। (तफ़्सीरे कुतुबी)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ۖ إِنَّ كُنْتُمْ رِيبًا ۖ تَعْبُدُونَ ۗ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ۖ هَذَا حَلَالٌ ۖ وَ هَذَا حَرَامٌ ۖ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝ مَتَاءٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ۖ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

फ़कुलू मिम्मा र-ज़-क़ कुमुल्लाहु
हलालन् तथ्यिबव्-वशकुरु

सो खाओ जो रोज़ी दी तुमको अल्लाह ने
हलाल और पाक, और शुक्र करो अल्लाह

निअ-मतल्लाहि इन् कुन्तुम् इय्याहु
 तअबुदून (114) इन्नमा हर-म
 अलैकुमुल्-मैत-त वद्द-म व लह्मल्-
 खिन्जीरि व मा उहिल्-ल लिगैरिल्लाहि
 बिही फ-मनिज़्तुर-र गै-र बागिंव-व
 ला आदिन् फ-इन्नल्ला-ह गफूर्रहीम
 (115) व ला तकूलू लिमा तसिफु
 अल्लि-नतुकुमुल्-कज़ि-ब हाजा
 हलालुंव-व हाज़ा हरामुल्-लितफतरु
 अलल्लाहिल्-कज़ि-ब, इन्नल्लज़ी-न
 यफतरु-न अलल्लाहिल्-कज़ि-ब ला
 युफ्लिहून (116) मताअुन् कलीलुंव-व
 लहुम् अज़ाबुन् अलीम (117) व
 अलल्लज़ी-न हादू हरमूना मा
 कसस्ना अलै-क मिन् कब्लु व मा
 ज़लम्नाहुम् व लाकिन् कानू
 अन्फु-सहुम् यज़्लिमून (118) सुम्-म
 इन्-न रब्ब-क लिल्लज़ी-न अमिलुस्-
 -सू-अ बि-जहालतिन् सुम्-म ताबू
 मिम्-बअदि ज़ालि-क व अस्लहू
 इन्-न रब्ब-क मिम्-बअदिहा
 ल-गफूर्रहीम (119) ❀

के एहसान का अगर तुम उसी को पूजते
 हो। (114) अल्लाह ने तो यही हराम
 किया है तुम पर मुर्दार और लहू और
 सुअर का गोश्त और जिस पर नाम
 पुकारा अल्लाह के सिवा किसी और का,
 फिर जो कोई मजदूर हो जाये न जोर
 करता हो न ज्यादाती तो अल्लाह बख़्शने
 वाला मेहरबान है। (115) और मत कहो
 अपनी ज़बानों के झूठ बना लेने से कि
 यह हलाल है और यह हराम है कि
 अल्लाह पर बोहतान बाँधो, बेशक जो
 बोहतान बाँधते हैं अल्लाह पर उनका
 भला न होगा। (116) थोड़ा सा फायदा
 उठा लें, और उनके वास्ते दर्दनाक अज़ाब
 है। (117) और जो लोग यहूदी हैं उन
 पर हराम किया था जो तुझको पहले सुना
 चुके, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया
 पर वे अपने ऊपर आप जुल्म करते थे।
 (118) फिर बात यह है कि तेरा रब उन
 लोगों पर जिन्होंने बुराई की नादानी से
 फिर तौबा की उसके बाद और संवारा
 अपने आपको, सो तेरा रब इन बातों के
 बाद बख़्शने वाला मेहरबान है। (119) ❀

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

पिछली आयत में अल्लाह जल्ल शानुहू की नेमतों पर काफ़िरों की नाशुक्री और उसके

अज़ाब का जिक्र था, इन ऊपर जिक्र हुई आयतों में पहले तो मुसलमानों को इसकी हिदायत की गई कि वे नाशुकी न करें, अल्लाह तआला ने जो हलाल नेमतें उनको दी हैं उनको शुक्र के साथ इस्तेमाल करें, उसके बाद यह इरशाद फरमाया कि काफ़िरों व मुश्रिकों ने अल्लाह तआला की नेमतों की नाशुकी की एक खास शक्ल यह भी इख़्तियार कर रखी थी कि बहुत-सी चीज़ें जिनको अल्लाह तआला ने उनके लिये हलाल किया था अपनी तरफ़ से उनको हराम कहने लगे, और बहुत-सी चीज़ें जिनको अल्लाह ने हराम कहा था उनको हलाल कहने लगे, मुसलमानों को इस पर तंबीह फरमाई कि वे ऐसा न करें, किसी चीज़ का हलाल या हराम करना सिर्फ़ उस जात का हक़ है जिसने उनको पैदा किया है, अपनी तरफ़ से ऐसा करना खुदाई इख़्तियारात में दख़ल देना और अल्लाह तआला पर बोहतान बाँधना है।

आख़िर में यह भी इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने जहालत से इस तरह के अपराध किये हैं वे भी अल्लाह तआला की रहमत से मायूस न हों, अगर वे तौबा कर लें और सही इमान ले आयें तो अल्लाह तआला सब गुनाह वद़्खा देंगे। आयतों की मुख़्तसर तफ़सीर यह है:

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

सो जो चीज़ें अल्लाह तआला ने तुमको हलाल और पाक दी हैं उनको (हराम न समझो कि यह मुश्रिकों की जाहिलाना रस्म है, बल्कि) खाओ और अल्लाह तआला की नेमत का शुक्र करो अगर तुम (अपने दावे के मुताबिक़) उसी की इबादत करते हो। तुम पर तो (उन चीज़ों में से जिनको तुम हराम कहते हो, अल्लाह तआला ने) सिर्फ़ मुर्दार को हराम किया है, और खून को और सुअर के गोश्त (वग़ैरह) को, और जिस चीज़ को अल्लाह के अलावा किसी और के लिये नामज़द कर दिया गया हो। फिर जो शख्स कि (फाके के सबब) बिल्कुल बेकरार हो जाये, शर्त यह है कि लज़ज़त का तालिब न हो और न (ज़रूरत की) हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो अल्लाह तआला (उसके लिये अगर वह चीज़ों को खा ले) वद़्खा देने वाला, मेहरबानी करने वाला है। और जिन चीज़ों के बारे में तुम्हारा महज़ झूठा ज़बानी दावा है (और उस पर कोई सही दलील कायम नहीं) उनके बारे में यूँ मत कह दिया करो कि फुल्लौ चीज़ हलाल है और फुल्लौ चीज़ हराम है (जैसा कि पारा नम्बर आठ में सूर: अन्झाम के अन्दर आयत 136 में उनके ऐसे झूठे दावे आ चुके हैं) जिसका हासिल यह होगा कि अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाओगे (क्योंकि अल्लाह तआला ने तो ऐसा नहीं कहा, बल्कि इसके ख़िलाफ़ फरमाया है) बिला शुब्हा जो लोग अल्लाह पर झूठ तोहमत लगाते हैं वे फ़लाह न पाएँगे (चाहे दुनिया व आख़िरत दोनों में या सिर्फ़ आख़िरत में)।

यह (दुनिया में) कुछ दिन का ऐश है (और आगे मरने के बाद) उनके लिये दर्दनाक सज़ा है। और (ये मुश्रिक लोग इब्राहीमी शरीअत की पैरवी करने वाला होने का दावा करते हैं हालाँकि उनकी शरीअत में तो ये चीज़ें हराम न थीं जिनको इन्होंने हराम करार दे दिया है, अलबत्ता बहुत ज़माने के बाद इन चीज़ों में से) सिर्फ़ यहूदियों पर हमने ये चीज़ें हराम कर दी थीं

जिनका बयान हम इससे पहले (सूर: अन्आम में) आप से कर चुके हैं (और उनके हARAM करने में भी) हमने उन पर (बजाहिर भी) कोई ज्यादती नहीं की, लेकिन वे खुद ही अपने ऊपर (नबियों की मुखालफत करके) ज्यादती किया करते थे (तो मालूम हुआ कि हलाल चीजों को इरादतन् तो कभी हARAM नहीं किया गया और इब्राहीमी शरीअत में किसी वक्ती जरूरत की वजह से भी नहीं हुई, फिर यह तुमने कहाँ से गढ़ लिया)।

फिर आपका सब ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जहालत से बुरा काम (चाहे कुछ भी हो) कर लिया, फिर उसके बाद तौबा कर ली और (आईन्दा के लिये) अपने आमाल दुरुस्त कर लिये, तो आपका सब उसके बाद बड़ी मगफिरत करने वाला, बड़ी रहमत करने वाला है।

मआरिफ़ व मसाईल

हराम चीजों ऊपर बयान हुई चीजों के अलावा भी हैं

इस आयत में लफ़ज़ इन्नमा से मालूम होता है कि हARAM चीजें सिर्फ़ यही चार हैं जो आयत में बयान हुई हैं, और इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से आयत:

قُلْ لَا آجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَحْرُومًا..... الآية

(यानी सूर: अन्आम की आयत 145) से मालूम होता है कि इन चीजों के सिवा कोई चीज़ हARAM नहीं, हालाँकि कुरआन व सुन्नत की वजाहत व बयान के मुताबिक उम्मत की सर्वसम्मति से और भी बहुत-सी चीजें हARAM हैं। इस इश्काल का जवाब खुद इन्हीं आयतों के आगे-पीछे के मज़मून पर गौर करने से मालूम हो जाता है कि इस जगह आम हARAM व हलाल का बयान करना मकसद नहीं बल्कि इस्लाम से पहले ज़माने के मुशिरकों ने जो बहुत-सी चीजों को अपनी तरफ़ से हARAM कर लिया था हालाँकि अल्लाह तआला ने उनकी हुर्मत (हARAM होने) का हुक्म नहीं दिया था, उनका बयान करना मकसूद है, कि तुम्हारी हARAM की हुई चीजों में से अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ यही चीजें हARAM हैं, इस आयत की मुकम्मल तफ़सीर और इन चारों हARAM की गयी चीजों के अहकाम का विस्तृत बयान सूर: ब-क़रह की आयत नम्बर 173 में "मआरिफ़ुल-कुरआन" जिल्द अब्वल में आ चुका है, वहाँ देख लिया जाये।

तौबा से गुनाह का माफ़ होना आम है चाहे बेसमझी से करे

या जान-बूझकर

ऊपर बयान हुई आयत 119 में लफ़ज़ जहल नहीं बल्कि जहालत इस्तेमाल फरमाया है। जहल तो इल्म के मुक़ाबले में आता है और बेइल्मी बेसमझी के मायने में है, और जहालत का लफ़ज़ जहालत भरी हरकत के लिये बोला जाता है, अगरचे जान-बूझकर करे। इससे मालूम हो गया कि तौबा से गुनाह की माफ़ी बेसमझी या बेइख़्तियारी के साथ मुक़ैयद नहीं।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ شَاكِرًا
 لِنِعْمَةِ رَبِّهِ إِجْتِبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ
 لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
 إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا
 كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

इन्-न इब्राही-म का-न उम्म-तन्
 कानितल्-लिल्लाहि हनीफन्, व लम्
 यकु मिनल्-मुशिरकीन (120)
 शाकिरल्-लिअन्अुमिही, इज्जबाहु व
 हदाहु इला सिरातिम्-मुस्तकीम (121)
 व आतैनाहु फिद्दुन्या ह-स-नतन्, व
 इन्नहू फिल्-आखिरति लमिनस्-
 सालिहीन (122) सुम्-म औहैना
 इलै-क अनित्ताबिअ् मिल्ल-त
 इब्राही-म हनीफन्, व मा का-न
 मिनल्-मुशिरकीन (123) इन्नमा
 जुअिलस्सव्तु अलल्लज़ीनख़त-लफू
 फीहि, व इन्-न रब्ब-क ल-यहकुमु
 बैनहुम् यौमल्-कियामति फीमा कानू
 फीहि यख़तलिफून (124)

असल में इब्राहीम था राह डालने वाला
 फरमाँबरदार अल्लाह का सबसे एक तरफ़
 होकर, और न था शिर्क करने वालों में।
 (120) हक़ मानने वाला उसके एहसानों
 का, उसको अल्लाह ने चुन लिया और
 चलाया सीधी राह पर। (121) और दी
 हमने दुनिया में उसको ख़ूबी और वह
 आखिरत में अच्छे लोगों में है। (122)
 फिर हुक्म भेजा तुझको हमने कि चल
 देने इब्राहीम पर जो एक तरफ़ का था
 और न था वह शिर्क करने वालों में।
 (123) हफ़ते “शनिवार” का दिन जो
 मुकर्रर किया सो उन्हीं पर जो उसमें
 झगड़ते थे, और तेरा रब हुक्म करेगा
 उनमें कियामत के दिन जिस बात में
 झगड़ते थे। (124) ...

इन आयतों के मज़मून की पीछे से संबन्ध

पिछली आयतों में शिर्क व कुफ़्र के उसूल यानी तौहीद व रिसालत के इनकार पर रद्द और
 कुफ़्र व शिर्क के कुछ फुरूअ (अर्थात् ऊपर के अहकाम) यानी हराम को हलाल कर लेना और
 हलाल को हराम कर लेने पर रद्द और इसको बातिल करार देने की तफ़सील थी और मक्का

मुकर्रमा के मुशिक जो कुरआने करीम के पहले और डायरेक्ट मुखातब थे, अपने कुफ्र व बुत-परस्ती के बावजूद दावा यह करते थे कि हम इब्राहीमी तरीके और मजहब के पाबन्द हैं, और हम जो कुछ करते हैं यह सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। इसलिये उक्त चार आयतों में उनके इस दावे की तरदीद और उन्हीं की मानी हुई बातों से उनके जाहिलाना ख्यालात का रद्द और बातिल होना इस तरह बयान किया गया कि ऊपर बयान हुई पाँच आयतों में से पहली आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुनिया की तमाम कौमों का मुसल्लम मुक्त्तदा (माना हुआ धार्मिक पेशवा) होना बयान फरमाया, जो नुबुव्वत व रिसालत का ऊँचा मक़ाम है, इससे उनका अज़ीमुश्शान नबी व रसूल होना साबित हुआ। इसके साथ ही 'मा का-न मिनल् मुशिकीन' से उनका पूर्ण तौहीद पर होना बयान फरमाया।

और दूसरी आयत में उनका शुक्रगुज़ार और सिरात-ए-मुस्तकीम (सही और सीधे रास्ते) पर होना बयान फरमाकर उनको तंबीह की कि तुम अल्लाह तआला की नाशुक्री करते हुए अपने को उनका ताबेदार (पैरवी करने वाला) किस ज़बान से कहते हो?

तीसरी आयत में उनका दुनिया व आखिरत में कामयाब व बामुराद होना और चौथी आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत को साबित करने के साथ आपका सही इब्राहीमी तरीके का पाबन्द होना बयान फरमाकर यह हिदायत की गई कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर इमान लाने और आपकी इताअत के बग़ैर यह दावा सही नहीं हो सकता।

पाँचवीं आयत यानी आयत नम्बर 124 में इशारतन यह बयान फरमाया कि इब्राहीमी तरीके और मजहब में हलाल व पाक चीज़ें हराम नहीं थीं जिनको तुमने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया है। उक्त आयतों की मुख्तसर तफ़सीर यह है:

खुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक इब्राहीम (अलैहिस्सलाम जिनको तुम भी मानते हो) बड़े मुक्त्तदा "यानी पेशवा और रहनुमा" थे अल्लाह तआला के (पूरे) फ़रमाँबरदार थे (उनका कोई अज़ीदा या अमल अपनी नफ़्सानी इच्छा से न था, फिर तुम उसके खिलाफ़ महज़ अपने नफ़्स की पैरवी से अल्लाह के हराम को हलाल और हलाल को हराम क्यों ठहराते हो, और वह) बिल्कुल एक (खुदा) की तरफ़ के हो रहे थे (और मतलब एक तरफ़ होने का यह है कि) वह शिर्क करने वालों में से न थे (तो फिर तुम शिर्क कैसे करते हो, और वह) अल्लाह की नेमतों के (बड़े) शुक्रगुज़ार थे (फिर तुम शिर्क व कुफ़्र में मुब्तला होकर नाशुक्री क्यों करते हो। ग़र्ज़ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह शान और तरीका था और वह ऐसे मक़बूल थे कि) अल्लाह तआला ने उनको चुन लिया था और उनको सीधे रास्ते पर डाल दिया था। और हमने उनको दुनिया में भी ख़ूबियाँ (जैसे नुबुव्वत व रिसालत में चुनिन्दा होना और हिदायत पर होना वगैरह) दी थीं और वह आखिरत में भी (आला

दके के) अच्छे लोगों में होंगे (इसलिये तुम सब को उन्हीं का तरीका इख्तियार करना चाहिये और यह तरीका अब सीमित है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीके में जिसका क्यान यह है कि) फिर हमने आपके पास वही भेजी कि आप इब्राहीम के तरीके पर जो कि बिल्कुल एक (खुदा की) तरफ के हो रहे थे चलिये (और चूँकि इस जमाने के वे लोग जो मिल्लते इब्राहीमी के दावेदार थे कुछ न कुछ शिर्क में मुक्तला थे, इसलिये दोबारा फरमाया कि) वह शिर्क करने वालों में से न थे (ताकि बुत-परस्तों के साथ यहूदियों व ईसाईयों के मौजूदा तरीके पर रह हो जाये जो शिर्क से खाली नहीं, और चूँकि ये लोग हलात व पाक चीजों को हराम करने की जाहिलाना व मुशिरकाना रस्मों में मुक्तला थे, इसलिये फरमाया कि) बस हफते की ताज़ीम (यानी शनिवार के दिन मछली के शिकार की मनाही जो हलाल चीजों को हराम करने में से एक है वह तो) सिर्फ उन्हीं लोगों पर लाज़िम की गई थी जिन्होंने उसमें (अमलन) खिलाफ किया था (कि किसी ने माना और अमल किया और किसी ने उसके खिलाफ किया। मुराद इससे यहूदी हैं कि पाक व हलाल चीजों को हराम करने की यह सूरत दूसरी सूरतों की तरह सिर्फ यहूदियों के साथ मखसूस थी, मिल्लते इब्राहीमी में ये चीजें हराम नहीं थीं। आगे अल्लाह के अहकाम में झगड़ा करने के मुताल्लिक फरमाते हैं) बेशक आपका रब कियामत के दिन इनमें आपस में (अमली तौर पर) फैसला कर देगा जिस बात में ये (दुनिया में) झगड़े किया करते थे।

मआरिफ़ व मसाईल

लफ़्ज़ उम्मत कई मायनों के लिये इस्तेमाल होता है, मशहूर मायने जमाअत और कौम के हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस जगह यही मायने मन्कूल हैं, और मुराद यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा एक फ़र्द एक उम्मत और कौम के कमालात व फ़जाईल के मालिक हैं। और एक मायने लफ़्ज़ उम्मत के कौम के मुक्त्तदा (पिशवा और रहनुमा) और कमालात वाले के भी आते हैं, कुछ मुफ़त्सरीन ने इस जगह यही मायने लिये हैं, और क़ानित के मायने फ़रमान के ताबेदार के हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन दोनों गुणों में ख़ास विशेषता रखते हैं, मुक्त्तदा होने का तो यह आलम है कि पूरी दुनिया के तमाम मशहूर धर्मों के लोग सब आप पर एतिकाद रखते हैं, और आपकी मिल्लत की पैरवी को इज़्ज़त व फ़ख़्र जानते हैं। यहूद, ईसाई, मुसलमान तो उनका अदब व सम्मान करते ही हैं, अरब के मुशिरक लोग बुत-परस्ती के धावजूद बुतों को तोड़नी वाली इस हस्ती के मोतकिद और उनकी मिल्लत पर चलने को अपना फ़ख़्र जानते हैं। और क़ानित व फ़रमाँबरदार होने की ख़ास विशेषता उन इम्तिहानों और आजमाईशों से स्पष्ट हो जाती है जिनसे अल्लाह के यह ख़लील गुज़रे हैं। नमरूद की आग, घीवी-बच्चे को एक सुनसान बयाबान जंगल में छोड़कर चले जाने का हुक्म, फिर आरज़ुओं से हासिल होने वाले बेटे की क़ुरबानी पर तैयार हो जाना, ये सब वो ख़ुसूसियतें और विशेषतायें हैं जिनकी वजह से अल्लाह तआला ने उनको इन उपाधियों से सम्मानित फ़रमाया है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये

मिल्लते इब्राहीमी की पैरवी

हक तआला ने जो शरीअत व अहकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाये थे, खातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत भी कुछ खास अहकाम के अलावा उसके मुताबिक रखी गई, और अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तमाम अम्बिया व रसूलों से अफज़ल हैं मगर यहाँ अफज़ल (आला दर्जे वाले) को मफज़ूल (कम दर्जे वाले) की पैरवी का हुक्म देने में दो हिक्मतें हैं— अब्बल तो यह कि वह शरीअत पहले दुनिया में आ चुकी है और मालूम व मारूफ हो चुकी है, आखिरी शरीअत भी चूँकि उसके मुताबिक होने वाली थी इसलिये इसको इत्तिबा (पैरवी और अनुसरण) के लफज़ से ताबीर किया गया है। दूसरे अल्लामा ज़मख़शरी के कौल के मुताबिक यह कि यह हुक्म पैरवी का हुक्म भी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के सम्मानों में से एक खास सम्मान है और इसकी खुसूसियत की तरफ़ लफज़ सुमू-म से इशारा कर दिया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तमाम फ़ज़ाईल व कमालात एक तरफ़ और इन सब पर बढ़ा हुआ यह कमाल है कि अल्लाह तआला ने अपने सबसे अफज़ल रसूल व हबीब को उनकी मिल्लत की पैरवी का हुक्म फरमाया।

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ

فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۝ وَإِلَيْنَ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا

بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلُوقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا

وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

उद् अ इला सबील रब्बि-क
बिल् हिक्मति वल् मौज़ि-ज़ तिल्-
ह-स-नति व जादिल्हुम् बिल् लती
हि-य अह्सनु, इन्-न रब्ब-क हु-व
अज़्लमु विमन् ज़ल्-ल अन् सबीलही
व हु-व अज़्लमु बिल् मुस्तदीन (125)

बुला अपने रब की राह पर पक्की बातें
समझाकर और नसीहत सुनाकर भली तरह
और इल्ज़ाम दे उनको जिस तरह बेहतर
हो, तेरा रब ही बेहतर जानता है उसको
जो भूल गया उसकी राह से और वही
बेहतर जानता है उनको जो राह पर हैं।
(125) और अगर बदला तो तो बदला

14
69
17

व इन् आक़बुम् फ़आकिबू विमिस्लि
 मा अक़िबुम् विही, व ल-इन्
 सबरतुम् लहु-व ख़ैरुल्-लिस्साबिरीन
 (126) वस्बिर् व मा सब्क-क इल्ला
 बिल्लाहि व ला तहज़न् अलैहिम् व
 ला तकु फ़ी ज़ैकिम्-मिम्मा यम्कुरुन
 (127) इन्नल्ला-ह मज़लज़ीनत्तकौ
 वल्लज़ी-न हुम् मुस्सिनून (128) ❀

लो उसी क़द्र कि (जितनी) तुमको
 तकलीफ़ पहुँचाई जाये, और अगर सब्र
 करो तो यह बेहतर है सब्र करने वालों
 को। (126) और तू सब्र कर और तुझसे
 सब्र हो सके अल्लाह ही की मदद से,
 और न उन पर गुम खा, और तंग मत हो
 उनके फ़रेब से। (127) अल्लाह साथ है
 उनके जो परहेज़गार हैं और जो नेकी
 करते हैं। (128) ❀

इन आयतों के मज़मून का पीछे के मज़मून से संबन्ध

इनसे पहले की आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत
 के साबित करने से मक़सद यह था कि उम्मत आपके अहकाम की तामील करके रिसालत के
 हुक्कूफ़ अदा करें, अब इन ऊपर ज़िक्र की गयी आयतों में खुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व
 सल्लम की रिसालत के हुक्कूफ़ अदा करने और उसके आदाब की तालीम है, चूँकि हुक्म और
 ख़िताब आप है इसलिये इसमें तमाम मोमिन शरीक हैं। मुख़्तसर तफ़सीर यह है:

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप अपने रब की राह (यानी दीने इस्लाय) की तरफ़ (लोगों को) हिक्मत और अच्छी
 नसीहत के ज़रिये से बुलाईये (हिक्मत से दावत का वह तरीका मुराद है जिसमें मुख़ातब के
 हालात की रियायत से ऐसी तदबीर इख़्तियार की गई हो जो मुख़ातब के दिल पर असर डालने
 वाली हो सके, और नसीहत से मुराद यह है कि ख़ैरख़्वाही व हमदर्दी के ज़ब्बे से बात कही जाये,
 और अच्छी नसीहत से मुराद यह है कि अन्दाज़ व तरीका भी नर्म हो, दिल को दुखाने वाला
 अपमान भरा न हो) और उनके साथ अच्छे तरीके से बहस कीजिये... (यानी अगर बहस-मुबाहसे
 की नौबत आ जाये तो वह भी सख़्ती और अख़्खड़ मिज़ाजी और और मुख़ातब पर इल्ज़ाम
 लगाने और बेइन्साफ़ी से ख़ाली होना चाहिये। बस इतना काम आपका है, फिर इस तहकीक़ में
 न पड़िये कि किसने माना किसने नहीं माना, यह काम खुदा तज़ाला का है। पस) आपका रब
 ख़ूब जानता है उस शख़्स को भी जो उसके रास्ते से गुम हो गया और वही राह पर चलने वालों
 को भी ख़ूब जानता है। और (अगर कभी मुख़ातब इल्मी बहस व मुबाहसे की हद से आगे
 बढ़कर अम्ली झगड़े और हाथ या ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाने लगे तो इसमें आपको और आपके
 पैरोकारों को बदला लेना भी जायज़ है और सब्र करना भी। पस) अगर (पहली सूरत इख़्तियार

करो यानी) बदला लेने लगे तो उतना ही बदला लो जितना तुम्हारे साथ बर्ताव किया गया है (उससे ज्यादा न करो), और अगर (दूसरी सूरत यानी तकलीफों पर) सब्र करो तो वह (सब्र करना) सब्र करने वालों के हक में बहुत ही अच्छी बात है (कि मुखालिफ़ पर भी अच्छा असर पड़ता है और देखने वालों पर भी, और आखिरत में बड़े अज़्र का ज़रिया है)।

और (सब्र करना अगरचे सभी के लिये बेहतर है मगर आपकी बड़ी शान के लिहाज़ से आपको विशेष तौर पर हुक्म है कि आप बदला लेने की सूरत इस्तियार न करें बल्कि) आप सब्र कीजिए और आपका सब्र करना खुदा ही की खास तौफ़ीक़ से है (इसलिये आप इत्मीनान रखें कि सब्र में आपको दुश्वारी न होगी) और उन लोगों (यानी उनके ईमान न लाने पर या मुसलमानों को सताने) पर गुम न कीजिये। और जो कुछ ये तदबीरें किया करते हैं उससे तंगदिल न होइये (उनकी मुखालिफ़ तदबीरों से आपका कोई नुक़सान न होगा, क्योंकि आपको एहसान और तक़वे की सिफ़ात हासिल हैं, और) अल्लाह तअला ऐसे लोगों के साथ होता है (यानी उनका मददगार होता है) जो परहेज़गार होते हैं और जो नेक काम करने वाले होते हैं।

मअरिफ़ व मसाईल

दावत व तब्लीग़ के उसूल और मुकम्मल निसाब

इस आयत में दावत व तब्लीग़ का मुकम्मल निसाब, उसके उसूल और आदाब की पूरी तफ़सील चन्द कलिमात में समोई हुई है। तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि हज़रत हरम इब्ने हय्यान रहमतुल्लाहि अलैहि की मौत का वक़्त आया तो परिजनों ने दरख़ास्त की कि हमें कुछ वसीयत फ़रमाइये, तो फ़रमाया कि वसीयत तो लोग मालों की किया करते हैं वह मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं तुमको अल्लाह की आयतों विशेष तौर पर सूर: नहल की आखिरी आयतों की वसीयत करता हूँ कि उन पर मज़बूती से कायम रहो, वो आयतें यही हैं जो ऊपर बयान हुईं।

दावत के तफ़ज़ी मायने बुलाने के हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का पहला फ़र्ज मन्सबी (ज़िम्मेदारी और कर्तव्य) लोगों को अल्लाह की तरफ़ बुलाना है, फिर नुबुव्वत व रिसालत तमाम तालीमात इसी दावत की वज़ाहतें और व्याख्यायें हैं, कुरआने करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खास सिफ़त दाअी इलल्लाह (अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाला) होना है। जैसा कि इन आयतों में आया है:

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرًا جَاهِلِيًّا ۝ (الزّاب 21)

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ. (الصف 31)

(यानी सूर: अहज़ाब की आयत 46 और सूर: अहक़ाफ़ की आयत 31)

उम्मत पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नक़शे-क़दम पर दावत इलल्लाह (अल्लाह की तरफ़ बुलाने और दावत देने) को फ़र्ज किया गया है, सूर: आले इमरान में इरशाद है:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. (آل عمران: 104)

“तुम में से एक जमाअत ऐसी होनी चाहिये जो लोगों को खैर की तरफ दावत दे (यानी) नेक कामों का हुक्म करें और बुरे कामों से रोकें।” (सूर: आले इमरान आयत 104)

और एक आयत में इरशाद है:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ.

“बात कहने के एतिबार से उस शाख्स से अच्छा कौन हो सकता है जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया।”

ताबीर में कभी इस लफ्ज़ को दावत इलल्लाह का उदयान दिया जाता है और कभी दावत इलल-खैर का और कभी दावत इला सबीलिल्लाह का। हासिल सब का एक है, क्योंकि अल्लाह की तरफ बुलाने से उसके दीन और सिराते मुस्तफीम ही की तरफ बुलाना फकसूद है।

إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ

इसमें अल्लाह जल्ल शानुहू की खास सिफत रब होना, और फिर उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ निस्वत में इशारा है कि दावत का काम रबूबियत और तरबियत की सिफत से ताल्लुक रखता है, जिरा तरह इक तअला शानुहू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरबियत फरमाई, आपको भी तरबियत के अन्दाज़ से दावत देनी चाहिये जिसमें मुखातब के हालात की रियायत करके वह तरीका और अन्दाज़ इख्तियार किया जाये कि मुखातब पर बोझ न हो, और उसकी तासीर (प्रभाव और असर) ज्यादा से ज्यादा हो। खुद लफ्ज़ दावत भी इस मफहूम को अदा करता है कि पैगम्बर का काम सिर्फ अल्लाह के अहकाम पहुँचा देना और सुना देना नहीं बल्कि लोगों को उनकी तामील की तरफ दावत देना है, और जाहिर है कि किसी को दावत देने वाला उसके साथ ऐसा खिताब नहीं किया करता जिससे मुखातब का घबराहट व नफरत हो, या जिसमें उसके साथ मज़ाक व अपमान किया गया हो।

“बिल्-हिक्मत” लफ्ज़ हिक्मत कुरआने करीम में बहुत से भायने के लिये इस्तेमाल हुआ है, इस जगह तफसीर के कुछ इमामों ने हिक्मत से मुराद कुरआने करीम, कुछ ने कुरआन व सुन्नत, कुछ ने मज़बूत व कामिल दलील को फरार दिया है, और तफसीर रूहुल-मआनी ने बहरे-मुहीत के हवाले से हिक्मत की तफसीर यह की है:

إنها الكلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع. (روح)

“यानी हिक्मत उस दुरुस्त कलाम का नाम है जो इनसान के दिल में उतर जाये।”

इस तफसीर में तमाम अक़वाल जमा हो जाते हैं और रूहुल-बयान के लेखक ने भी तफरीखन यही मतलब इन अलफाज़ में बयान फरमाया है कि “हिक्मत से मुराद वह शऊर व समझ है जिसके जरिये इनसान हालात के तकाज़ों को मालूम करके उसके मुनासिब कलाम करे, वक़्त और मौका ऐसा तलाश करे कि मुखातब पर तागवार व बोझ न हो, नमी की जगह नमी

और सख्ती की जगह सख्ती इख्तियार करे, और जहाँ यह समझे कि खुलकर कहने में मुख़ातब को शर्मिन्दगी होगी वहाँ इशारों से कलाम करे, या कोई ऐसा उनवान इख्तियार करे कि मुख़ातब को न शर्मिन्दगी हो और न उसके दिल में अपने ख़्याल पर जमने की हठधर्मी पैदा हो।

“अल्-मौअिज़तु” मौअिज़त और वअज़ के लुगवी मायने यह हैं कि किसी ख़ैरख़्वाही (हमददी) की बात को इस तरह कहा जाये कि उससे मुख़ातब का दिल कुबूल करने के लिये नर्म हो जाये, मसलन उसके साथ कुबूल करने के सवाब व फ़ायदे और न करने के अज़ाब व ह़राबियाँ ज़िक्र की जायें। (कामूस व मुफ़रदात, राग़िब)

“अल्ह-स-नतु” के मायने यह हैं कि बयान और उनवान भी ऐसा हो जिससे मुख़ातब (जिससे संबोधन किया जा रहा है उस) का दिल मुल्मईन हो, उसके शुक्क व शुब्हात दूर हों और मुख़ातब यह महसूस कर ले कि आपकी इसमें कोई गर्ज़ नहीं सिर्फ़ उसकी ख़ैरख़्वाही (भलाई और हमददी) के लिये कह रहे हैं।

“मौअिज़तुन” के लफ़्ज़ से ख़ैरख़्वाही की बात असरदार अन्दाज़ में कहना तो स्पष्ट हो गया था, मगर ख़ैरख़्वाही (हमददी) की बात कई बार दिल दुखाने वाले उनवान से या इस तरह भी कही जाती है जिससे मुख़ातब अपनी बेइज़्ज़ती महसूस करे। (रुहुल-मअ़ानी) इस तरीक़े को छोड़ने के लिये लफ़्ज़ हसना का इज़ाफ़ा कर दिया गया।

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

लफ़्ज़ मुजादला के मायने अगरचे झगड़ने के भी आते हैं मगर इस जगह मुजादले से मुराद बहस व मुनाज़रा है, और ‘बिल्लती हि-य अहसनु’ से मुराद यह है कि अगर दावत में कहीं बहस व मुनाज़रे की सूरत पेश आ जाये तो वह मुबाहसा (बहस करना) भी अच्छे तरीक़े से होना चाहिये। तफ़्सीर रुहुल-मअ़ानी में है कि अच्छे तरीक़े से मुराद यह है कि बातचीत में लुत्फ़ और नमी इख्तियार की जाये, दलीलें ऐसे पेश की जायें जो मुख़ातब आसानी से समझ सके, दलील में वो तर्क दिये जायें जो मशहूर व परिचित हों ताकि मुख़ातब के शक दूर हों और हठधर्मी के रास्ते पर न पड़ जाये। और कुरआने करीम की दूसरी आयतें इस पर सुबूत हैं कि बहस व मुबाहसे में यह अच्छा तरीक़ा इख्तियार करना सिर्फ़ मुसलमानों के साथ मख़सूस नहीं अहले किताब (यानी जो किसी आसमानी मज़हब पर अमल करने के दावेदार हैं) के बारे में तो खुसूसियत के साथ कुरआन का इरशाद है:

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

और एक दूसरी आयत में हज़रत मूसा व हज़रत अलैहिमस्सलाम को नमी से बात करने की हिदायत देकर यह भी बतला दिया कि फिरऔन जैसे सरकश काफ़िर के साथ भी यही मामला करना है।

दावत के उसूल व आदाब

ऊपर बयान हुई आयत में दावत के लिये तीन चीज़ों का ज़िक्र है:

अव्वल हिक्मत (मुखातब के दिल में उतर जाने वाले तरीके से बात करना और हालात को रियायत करके कलाम करना) दूसरे मौज़िज़ते हसना (अच्छी नसीहत) तीसरे मुजादला बिल्लती हि-य अहसनु (यानी अगर दावत में कहीं बहस व मुबाहसे की नौबत आ जाये तो नमी और बेहतर अन्दाज़ में सामने वाले को समझाना और अपनी दलील रखना)।

कुरआन पाक के मुफ़्स्सिरीन में से कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि ये तीन चीज़ें मुखातबों (संबोधित लोगों) को तीन किस्मों की बिना पर हैं। हिक्मत के साथ दावत इल्म व समझ रखने वालों के लिये, मौज़िज़ते हसना यानी अच्छी बात के ज़रिये दावत अ़वाम के लिये, मुजादला (यानी बहस व मुनाज़रा) उन लोगों के लिये जिनके दिलों में शक व शुब्हात हों, या जो मुख़ालफ़त और हठधर्मी के सबब बात मानने से मुन्किर हों।

सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बयानुल-कुरआन में फ़रमाया कि इन तीन चीज़ों के मुखातब अलग-अलग तीन किस्म की जमाअतें होना आयत के मज़मून के लिहाज़ से दूर की बात मालूम होता है।

ज़ाहिर यह है कि दावत के ये आदाब हर एक के लिये इस्तेमाल करने हैं कि दावत में सबसे पहले हिक्मत से मुखातब के हालात का जायज़ा लेकर उसके मुनासिब कलाम तजवीज़ करना है, फिर उस कलाम में ख़ैरख़्वाही व हमदर्दी के ज़ब्बे के साथ ऐसे तथ्य और सुबूत सामने लाना है जिनसे मुखातब मुत्मईन हो सके और बयान व कलाम का अन्दाज़ ऐसा शफ़क़त भरा और नर्म रखना है कि मुखातब को इसका यकीन हो जाये कि यह जो कुछ कह रहे हैं मेरी ही मस्लेहत और हमदर्दी के लिये कह रहे हैं, मुझे शर्मिन्दा करना या मेरी हैसियत को कम करना इनका मक़सद नहीं।

अलबत्ता तफ़सीर रूहुल-मअ़ानी के लेखक ने इस जगह एक बहुत ही बारीक नुक्ता यह बयान फ़रमाया कि आयत के अन्दाज़ व तरतीब से मालूम होता है कि दावत के उसूल असल में दो ही चीज़ें हैं— हिक्मत और मौज़िज़त, तीसरी चीज़ मुजादला दावत के उसूल में दाख़िल नहीं, हौं दावत के तरीके में कभी इसकी भी ज़रूरत पेश आ जाती है।

रूहुल-मअ़ानी के लेखक का तर्क इस पर यह है कि अगर ये तीनों चीज़ें दावत के उसूल होतीं तो इस मक़ाम का तकाज़ा यह था कि तीनों चीज़ों को एक-दूसरे के साथ जोड़कर इस तरह बयान किया जाता:

بالحكمة والبراعة الحجة والجدال الاحسن.

मगर कुरआने करीम ने हिक्मत और मौज़िज़ते हसना की तो मिलाकर एक ही तरतीब में बयान फ़रमाया और मुजादले के लिये अलग जुमला:

جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

इख़्तियार किया। इससे मालूम होता है कि मुजादला (यानी बहस व मुनाज़रा करना) दर असल अल्लाह की तरफ़ दावत देने का रुक्न या शर्त नहीं बल्कि दावत के रास्ते में पेश आने

बाले मामलात से संबन्धित एक हिदायत है, जैसा कि इसके बाद की आयत में सब्र की तालीम फरमाई है, क्योंकि दावत के तरीके और रास्ते में लोगों के तकलीफ़ देने और सताने पर सब्र करना एक लाज़िमी चीज़ है।

खुलास़ यह है कि दावत के उसूल दो चीज़ें हैं— हिक्मत और मौअिज़त। जिनसे कोई दावत ख़ाली न होनी चाहिये, चाहे उलेमा व ख़ास लोगों को हो या आम लोगों को, अलाबत्ता दावत में किसी वक़्त ऐसे लोगों से भी सावका पड़ जाता है जो शक व शुबूके और गुलत फ़हमियों में मुब्तला और दावत देने वाले के साथ बहस-मुबाहसे पर आमादा हैं, तो ऐसी हालत में मुजादले (बहस-मुबाहसे) की तालीम दी गई मगर उसके साथ 'बिल्ली हि-य अहसनु' की कैद लगाकर बतला दिया कि जो मुजादला इस शर्त से ख़ाली हो इसकी शरीअत में कोई हैसियत नहीं।

अल्लाह की तरफ़ दावत देने के पैग़म्बराना आदाब

अल्लाह की तरफ़ दावत देना दर असल अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का मक़ाम व फ़रीज़ा है, उम्मत के उलेमा इस मन्सब को उनका नायब होने की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं तो लाज़िम यह है कि इसके आदाब और तरीके भी उन्हीं से सीखें, जो दावत उन तरीकों पर न रहे वह दावत के बजाय अ़दावत (दुश्मनी) और जंग व जदाल (झगड़ों) का कारण बन जाती है।

पैग़म्बराना दावत के उसूल में जो हिदायत कुरआने करीम में हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम के लिये नक़ल की गई है कि:

فَقُولَا لَنَا لَعَلَّ بَلَاغٌ أَوْ نَحْيٌ ۝

"यानी फिरऔन से नर्म बात करो शायद वह समझ ले या डर जाये।"

यह हर हक़ के दावत देने वाले को हर वक़्त सापने रखनी ज़रूरी है कि फिरऔन जैसा सरकश काफ़िर जिसकी मौत भी अल्लाह के इल्म में कुफ़ ही पर होने वाली थी उसकी तरफ़ भी जब अल्लाह तअ़ाला अपने दाअी को भेजते हैं तो जो नर्म गुफ़्तार की हिदायत के साथ भेजते हैं। आज हम जिन लोगों को दावत देते हैं वे फिरऔन से ज़्यादा गुमराह नहीं, और हम में से कोई मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम के बराबर हद्दी व दाअी नहीं, तो जो हक़ अल्लाह तअ़ाला ने अपने दोनों पैग़म्बरों को नहीं दिया कि मुख़ातब से सख़्त कलामी करें, उस पर फ़िकरे करें, उसकी तौहीन करें, वह हक़ हमें कहाँ से हासिल हो गया।

कुरआने करीम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दावत व तब्लीग़ और काफ़िरों के मुजादलों (बहस-मुबाहसों और झगड़ा करने) से भरा हुआ है, इसमें कहीं नज़र नहीं आता कि किसी अल्लाह के रसूल ने हक़ के खिलाफ़ उन पर ताने मारने वालों के जवाब में कोई सख़्त कलिमा भी बोला हो, इसकी घन्द मिसालें देखिये:

सूर: आराफ़ के सातवें रुकूअ में आयात 59 से 67 तक दो पैग़म्बर हज़रत नूह और हज़रत हूद अलैहिमस्सलाम के साथ उनकी क़ौम के झगड़ने और सख़्त-सुस्त इल्जामात के जवाब में इन

बुजुर्गों के कलिमात सुनने और ध्यान देने के काबिल हैं।

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला. के वह बुलन्द रुतबे वाले पैग़म्बर हैं जिनकी लम्बी उम्र दुनिया में मशहूर है, साढ़े नौ सौ बरस तक अपनी कौम की दावत व तब्लीग़, इस्लाह व इरशाद में दिन-रात मशगूल रहे, मगर इस बदबख्त कौम में से थोड़े से अफ़राद के अलावा किसी ने उनकी बात न मानी, और तो और खुद उनका एक लड़का और बीवी काफ़िरों के साथ लगे रहे। उनकी जगह आजका कोई दावत व इस्लाह का दावेदार होता तो उस कौम के साथ उसका बात करने का तरीका व रवैया कैसा होता अन्दाज़ा लगाइये, फिर देखिये कि उनकी तमाम हमदर्दी व ख़ैरख़्वाही की दावत के जवाब में कौम ने क्या कहा:

إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (अरफ)

“हम तो आपको खुली हुई गुमराही में पाते हैं।” (सूर: आरफ)

उधर से अल्लाह के पैग़म्बर बजाय इसके कि उस सरकश कौम की गुमराहियों, बदकारियों का पर्दा चाक करते जवाब में क्या फ़रमाते हैं:

يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

“मेरे भाईयो! मुझमें कोई गुमराही नहीं, मैं तो रब्बुल-आलमीन का रसूल और कासिद हूँ (तुम्हारे फ़ायदे की बातें बतलाता हूँ)।”

उनके बाद आने वाले दूसरे अल्लाह के रसूल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उनकी कौम ने मौजिज़े देखने के बावजूद दुश्मनी व मुख़ालफ़त के तौर पर कहा कि आपने अपने दावे पर कोई दलील पेश नहीं की और हम आपके कहने से अपने माबूदों (बुतों) को छोड़ने वाले नहीं, हम तो यही कहते हैं कि तुमने जो हमारे माबूदों की शान में बेअदबी की है उसकी वजह से तुम जुनून (पागलपन) में मुब्तला हो गये हो।

हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने यह सब कुछ सुनकर जवाब दिया:

إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ رَأْسِي بِرِيٍّ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ۝

“यानी मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं उन बुतों से बरी और बेज़ार हूँ जिनको तुम अल्लाह का शरीक मानते हो।” (सूर: हूद)

और सूर: आरफ़ में है कि उनकी कौम ने उनको कहा:

إِنَّا لَنَرُكَ فِي مَفَاهِدٍ ۝ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ (अरफ)

“हम तो आपको बेवकूफी में मुब्तला समझते हैं और हमारा ख़्याल यह है कि आप झूठ बोलने वालों में से हैं।”

कौम के इस दिल दुखाने वाले ख़िताब के जवाब में अल्लाह के रसूल हूद अलैहिस्सलाम न उन पर कोई फ़िक़रा कसते हैं, न उनको गुमराही और अल्लाह पर झूठ व बोहतान बाँधने की कोई बात कहते हैं, जवाब क्या है सिर्फ़ यह कि:

يَقَوْمَ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (اعراف)

“ऐ मेरी बिरादरी के लोगो! मुझ में कोई बेवकूफी या कम-अक्ली नहीं, मैं तो रब्बुल-आलमीन का रसूल हूँ।”

हजरत शूऐब अलैहिस्सलाम ने कौम को नबियों के दस्तूर के मुताबिक अल्लाह की तरफ दावत दी, उनमें जो बड़ा ऐब नाप-तौल में कमी करने का था उससे बाज आने की हिदायत फरमाई तो उनकी कौम ने मज़ाक उड़ाया और अपमान जनक अन्दाज़ में खिताब किया:

يَسْعَبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

“ऐ शूऐब! क्या तुम्हारी नमाज़ तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम अपने बाप-दादा के माबूदों को छोड़ दें और यह कि जिन मालों के हम मालिक हैं उनमें अपनी मर्जी के मुवाफिक जो चाहें न करें, याकई आप हैं बड़े अक्लमन्द दीन पर चलने वाले।”

उन्होंने एक तो यह ताना दिया कि तुम जो नमाज़ पढ़ते हो यही तुम्हें बेवकूफी के काम सिखाती है, दूसरे यह कि माल हमारे हैं, उनकी खरीद व फरोख्त के मामलात में तुम्हारा या खुदा का क्या दखल है, हम जिस तरह चाहें उनमें इख्तियार चलाने और खर्च करने का हक रखते हैं। तीसरा जुमला मज़ाक उड़ाने और अपमान करने का यह कहा कि आप हैं बड़े अक्लमन्द बहुत दीन पर चलने वाले।

मालूम हुआ कि ये अधर्मी और इस्लाम के खिलाफ आर्थिक निज़ाम के पुजारी सिर्फ आज नहीं पैदा हुए इनके भी कुछ पूर्वज हैं जिनका नज़रिया वही था जो आजके कुछ नाम के मुसलमान कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं, मगर कारोबारी और आर्थिक मामलात में हम सोशलिज़म को इख्तियार करते हैं, इसमें इस्लाम का क्या दखल है। बहरहाल! इस ज़ालिम कौम के इस मज़ाक उड़ाने और दिल दुखाने वाली गुफ्तगू का जवाब अल्लाह का रसूल क्या देता है, देखिये:

قَالَ يَقَوْمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَنبِئَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِّنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (سورة هود، آیت ۸۸)

“ऐ मेरी कौम! भला यह तो बतलाओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील पर कायम हूँ और उसने मुझको अपनी तरफ से उम्दा दौलत यानी नुबुव्वत दी हो तो फिर मैं कैसे उसकी तब्दील न करूँ, और मैं खुद भी तो उसके खिलाफ कोई अमल नहीं करता जो तुम्हें बतलाता हूँ, मैं तो सिर्फ इस्लाम चाहता हूँ जहाँ तक मेरी ताकत में है, और मुझको जो कुछ इस्लाम और अमल की तौफ़ीक हो जाती है वह सिर्फ अल्लाह ही की मदद से है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और तमाम मामलात में उसी की तरफ रुजू करता हूँ।”

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन की तरफ भेजने के वक्त जो नर्म गुफ्तार की हिदायत अल्लाह की तरफ से दी गई थी उसकी पूरी तामील करने के बावजूद फिरऔन का

खिलाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह धा:

فَإِنَّم تَرَبَّتْ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝ وَفَعَلْتَ فَعْلَكَ النَّبِيَّ فَغَنَّتْ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (سورة شعراء)

“फिरऔन कहने लगा (आहा! तुम हो) क्या हमने बचपन में तुमको परवरिश नहीं किया, और तुम उस उम्र में बरसों हमारे पास रहा सहा किये, और तुमने अपनी वह हरकत भी की थी जो की थी (क़िब्ती को क़त्ल किया था) और तुम बड़े नाशुक्रे हो।”

इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपना वह एहसान भी जतलाया कि बचपन में हमने तुझे पाला, फिर यह एहसान भी जतलाया कि बड़े होने के बाद भी काफी मुद्दत तक तुम हमारे पास रहे, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से जो एक क़िब्ती बग़ैर क़त्ल के इरादे के मारा गया था उस पर गुस्सा व नाराज़ी का इज़हार करके यह भी कहा कि तुम काफ़िरों में से हो गये।

यहाँ काफ़िरों में से होने के लुगवो मायने भी हो सकते हैं, यानी नाशुक्रा करने वाला, जिसका मतलब यह होगा कि हमने तो तुम पर एहसान किये और तुमने हमारे एक आदमी को मार डाला जो एहसान की नाशुक्रा थी, और इस्तिलाही मायने भी हो सकते हैं, क्योंकि फिरऔन खुद खुदाई का दावेदार था तो जो उसकी खुदाई का मुन्किर हुआ वह काफ़िर हुआ।

अब इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिये, जो पैग़म्बराना दावत के आदाब और पैग़म्बराना अज़्लाक़ का नमूना है कि इसमें सबसे पहले तो उस कमज़ोरी व कोताही का इकरार कर लिया जो उनसे सर्जद हो गई थी यानी एक इस्राईली आदमी से लड़ने वाले क़िब्ती को हटाने के लिये एक मुक्का उसके मारा था जिससे वह मर गया तो गोया क़त्ल जान-बूझकर और इरादतन नहीं था मगर कोई दीनी तकाज़ा भी नहीं था बल्कि हज़रत मूसा की शरीअत के लिहाज़ से भी वह शख्स क़त्ल का मुस्तहिक़ नहीं था, इसलिये पहले यह इकरार फ़रमाया:

فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝ (سورة شعراء)

“यानी मैंने यह काम उस वक़्त किया था जबकि मैं नावाक़िफ़ था।”

मुराद यह है कि यह फ़ेल नुबुव्वत मिलने से पहले सर्जद हो गया था जबकि मुझे इस बारे में अल्लाह का कोई हुक्म मालूम नहीं था। इसके बाद फ़रमाया:

فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَّكُمُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ (سورة شعراء)

“फिर मुझको डर लगा तो मैं तुम्हारे यहाँ से फ़रार हो गया, फिर मुझको मेरे रब ने दानाई अज़ता फ़रमाई, और मुझको अपने पैग़म्बरों में शामिल कर दिया।”

फिर उसके एहसान जतलाने का जवाब यह दिया कि तुम्हारा यह एहसान जतलाना सही नहीं, क्योंकि मेरी परवरिश का मामला तुम्हारे ही ज़ुल्म व ज़्यादती का नतीजा था, कि तुमने इस्राईली बच्चों के क़त्ल का हुक्म दे रखा था इसलिये वालिदा ने मजबूर होकर मुझे दरिया में डाला और तुम्हारे घर तक पहुँचने की नौबत आई। फ़रमाया:

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ (سورة شعراء)

“(रहा एहसान जतलाना परवरिश का) सो यह वह नेमत है जिसका तू मुझ पर एहसान रखता है कि तूने बनी इस्राईल को सख्त जिल्लत में डाल रखा था।”

इसके बाद फिरऔन ने जब सवाल किया:

وَمَارَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

यानी रब्बुल-आलमीन कौन है और क्या है? तो जवाब में फरमाया कि वह रब है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ इनके बीच है उस सब का। इस पर फिरऔन ने वहाँ मौजूद लोगों से बतौर मज़ाक़ के कहा:

أَلَا تَسْمَعُونَ ۝

यानी तुम सुन रहे हो कि यह कैसी बेअक्ली की बातें कह रहे हैं? इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया:

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ۝

“यानी तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादों का भी वही रब परवर्दिगार है।”

इस पर फिरऔन ने झुंझलाकर कहा:

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝

“यानी यह जो तुम्हारी तरफ़ अल्लाह के रसूल होने का दावेदार है यह दीवाना है।”

मजनों दीवाने का खिताब देने पर भी मूसा अलैहिस्सलाम बजाय इसके कि उनका दीवाना होना और अपना अक्लमन्द होना साबित करते इस तरफ़ कोई ध्यान ही नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल-आलमीन की एक और सिफ़त बयान फरमा दी:

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (شعراء)

“वह रब है पूरब व पश्चिम का और जो कुछ उनके बीच है अगर तुमको कुछ अक्ल हो।”

यह एक लम्बी गुफ्तगू है जो फिरऔन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन के दरमियान हो रही है, जो सूर: शु-अरा के तीन रुकूअ में बयान हुई है। अल्लाह के मकबूल रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस बातचीत को अव्वल से आखिर तक देखिये, न कहीं ज़वात का इज़हार है न उसकी बदगोई का जवाब है, न उसकी सख्त-कलामी के जवाब में कोई सख्त कलिमा है बल्कि बराबर अल्लाह जल्ल शानुहू की कमाल वाली सिफ़ात का बयान है, और तब्लीग़ का सिलसिला जारी है।

यह मुख़्तसर नमूना है अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुजादलों (बहस-मुबाहसों) का जो अपने दुश्मन और जिद्दी कौम के मुकाबले में किये गये हैं, और अच्छे अन्दाज़ से वहस-मुबाहसा और समझाना जो क़ुरआन की तालीम है उसकी अमली वज़ाहत है।

मुजादलों (बहस-मुबाहसों) के अलावा दावत व तब्लीग़ में हर मुख़ातब और हर मौके के

मुनाजिब कलाम करने में हथौथाना उसूल और उनवान व तबीर में हिक्मत व मुस्लिहत के रियायतें भी जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने इस्त्रियार फरमाई हैं, और अल्लाह की तरफ बुलाने को मकबूल व असरदार और पायेंदार बनाने के लिये जो तरीका और व्यवहार इस्त्रियार फरमाया है यही दर असल दावत की रूह है। इसकी तफसीहात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तमाम तालीमात में फैली हुई हैं। नमूने के तौर पर चन्द चीजें देखिये:

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दावत व तब्लीग और वअज़ व नसीहत में इसका बड़ा लिहाज़ रहता था कि मुखातब पर भार न होने पाये। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे आशिकाने रसूल जिनसे किसी वक़्त भी इसका शुब्हा व गुमान न था कि वे आपकी बातें सुनने से उकता जायेंगे उनके लिये भी आपकी आदत यह थी कि वअज़ व नसीहत रोज़ाना नहीं बल्कि हफ़्ते के कुछ दिनों में फ़रमाते थे ताकि लोगों के कारोबार का हर्ज और उनकी तबीयत पर बोझ न हो।

सही बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हफ़्ते के कुछ दिनों ही में वअज़ फ़रमाते थे ताकि हम उकता न जायें, और दूसरों को भी आपकी तरफ़ से यही हिदायत थी।

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

يَسْرُوا وَلَا تَعْمِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا. (صحيح بخارى، كتاب العلم)

“लोगों पर आसानी करो दुश्वारी पैदा न करो, और उनको अल्लाह की रहमत की खुशख़बरी सुनाओ, मायूस या नफ़रत करने वाला न बनाओ।”

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि तुम्हें चाहिये कि रब्बानी, अक्लमन्द, उलेमा और फ़ुकहा (दीनी मसाईल के माहिर) बनो। सही बुख़ारी में यह कौल नक़ल करके लफ़्ज़ रब्बानी की यह तफ़सीर फ़रमाई है कि जो शख्स दावत व तब्लीग़ और तालीम में तरबियत के उसूल को ध्यान में रखकर पहले आसान-आसान बातें बतलाये, जब लोग उसके आदी हो जायें तो उस वक़्त वो दूसरे अहकाम बतलाये जो शुरू के मरहले में मुश्किल होते, वह आलिमे रब्बानी है। आजकल जो वअज़ व तब्लीग़ का असर बहुत कम होता है इसकी बड़ी वजह यह है कि उमूमन इस काम के करने वाले इन उसूल व आदाब की रियायत नहीं करते। लम्बी तकरीरें, वक़्त बेवक़्त नसीहत; मुखातब के हालात को मालूम किये बग़ैर उसको किसी काम पर मजबूर करना उनकी आदत बन गई है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दावत व इस्लाह के काम में इसका भी बड़ा एहतिमाय था कि मुखातब का अपमान या रुस्वाई न हो, इसी लिये जब किसी शख्स को देखते कि किसी ग़लत और बुरे काम में मुक्ताला है तो उसको डायरेक्ट संबोधित करने के बजाय आम मजमे को मुखातब करके फ़रमाते थे:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُفْعَلُونَ كَذًا

“लोगों को क्या हो गया कि फुल्लों काम करते हैं।”

इस आम खिताब में जिसको सुनाना असल मकसद होता वह भी सुन लेता, और दिल में शर्मिन्दा होकर उसके छोड़ने की फिक्र में लग जाता था।

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की आम आदत यही थी कि मुख़ातब को शर्मिन्दगी से बचाते थे, इसी लिये कई बार जो काम मुख़ातब से सर्जद हुआ है उसको अपनी तरफ मन्सूब करके इस्लाह की कोशिश फ़रमाते। सूर: यासीन में है:

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي

“यानी मुझे क्या हो गया कि मैं अपने पैदा करने वाले की इबादत न करूँ।”

ज़ाहिर है कि रसूल के यह कासिद तो हर वक़्त इबादत में मशगूल थे, सुनाना उस मुख़ातब को था जो इबादत में मशगूल नहीं है, मगर इस काम को अपनी तरफ मन्सूब फ़रमाया।

और दावत के मायने दूसरे को अपने पास बुलाना है, महज़ उसके ऐब बयान करना नहीं, और यह बुलाना उसी वक़्त हो सकता है जबकि संबोधित करने वाले और मुख़ातब में कोई ताल्लुक और कुछ एक जैसा मामला हो। इसी लिये कुरआने करीम में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दावत का उनवान अक्सर “या क़ौमि” से शुरू होता है, जिसमें बिरादराना रिश्ते का साझा होना पहले जतलाकर आगे इस्लाही क़त्बाम किया जाता है कि हम तुम तो एक ही बिरादरी के आदमी हैं, कोई बेताल्लुकी या दूरी नहीं होनी चाहिये। यह कहकर उनकी इस्लाह का काम शुरू फ़रमाते हैं।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो दावत का ख़त रूम के बादशाह हिरक्ल के नाम भेजा उसमें पहले तो रूम के बादशाह को “रूम के महान” के लक़ब से याद फ़रमाया जिसमें उसका जायज़ सम्मान है, क्योंकि इसमें उसके महान होने का इक़्रार भी है, मगर रोमियों के लिये, अपने लिये नहीं। इसके बाद ईमान की दावत इस उनवान से दी गई:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَمُ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ. (سورة آل عمران)

“ऐ अहले किताब! उस कलिमे की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे बीच साझा है, यानी यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे।”

जिसमें पहले आपस का एक साझा एकता का बिन्दू जिक्र किया कि तौहीद का अक़ीदा हमारे और तुम्हारे बीच मुश्तरक (साझा) है, इसके बाद ईसाईयों की ग़लती पर चेताया।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीमात पर ध्यान दिया जाये तो हर तालीम व दावत में इसी तरह के आदाब व उसूल मिलेंगे, आजकल अब्बल तो दावत व इस्लाह और ‘अग्र बिल्-मारूफ़ व नही अनिल्-मुन्कर’ (यानी अच्छे कामों का हुक्म देने, उनकी तरफ तवज्जोह दिलाने और बुरे कामों से रोकने) की तरफ ध्यान ही न रहा, और जो इसमें मशगूल भी हैं उन्होंने सिर्फ़ बहस व मुवाहसे और मुख़ालिफ़ पर इल्ज़ाम लगाने, फिकरे कसने और उसका अपमान व

तौहीन करने को दावत व तब्लीग़ सभझ लिया है जो खिलाफ़े सुन्नत होने की वजह से कभी असरदार व मुफ़ीद नहीं होता। वे समझते रहते हैं कि हमने इस्लाम की बड़ी ख़िदमत की और हकीकत में वे लोगों की दीन से नफ़रत दिलाने और दूर करने का सबब बन रहे हैं।

प्रचलित और रिवाजी बहस-मुबाहसों के दीनी और दुनियावी नुक़सानात

ऊपर बयान हुई आयत की तफ़सीर में यह मालूम हो चुका है कि शरीअत का असल मक़सद अल्लाह तआला की तरफ़ दावत देना है, जिसके दो उसूल हैं— हिक्मत और मौअिज़ते हसना, मुजादले की सूरत कभी सर आ पड़े तो उसके लिये भी अहसन की क़ैद लगाकर इजाज़त दे दी गई है, मगर वह हकीकत में दावत का कोई हिस्सा और विभाग नहीं बल्कि उसके मनफ़ी (नकारात्मक) पहलू की एक तदबीर है, जिसमें क़ुरआने करीम ने 'बिल्लती हि-य अहसनु' की क़ैद लगाकर जिस तरह यह बतला दिया है कि वह नर्मी, ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी के ज़ब्बे से होना चाहिये और उसमें स्पष्ट दलीलें मुखातब के हाल की रियायत करते हुए बयान करना चाहिये, मुखातब की तौहीन व अपमान से पूरी तरह परहेज़ करना चाहिये। इसी तरह उसके अहसन होने के लिये यह भी ज़रूरी है कि वह खुद मुतकल्लिम (कलाम करने वाले) के लिये नुक़सानदेह न हो जाये, कि उसमें बुरे अख़्लाक़ हसद, बुग़ज़, तकब्बुर, बड़ाई चाहना वग़ैरह पैदा न हो जायें, जो अन्दर के बड़े गुनाह हैं और आजकल के बहस व मुबाहसे मुनाज़िरे, मुजादले में शायद ही कोई अल्लाह का बन्दा इनसे निजात पाये तो मुम्किन है वरना आदतन इनसे बचना सख़्त दुश्वार है।

इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि जिस तरह शराब तमाम ख़राबियों की जड़ है कि खुद भी बड़ा गुनाह है और दूसरे बड़े-बड़े जिस्मानी गुनाहों का ज़रिया भी है, इसी तरह बहस व मुबाहसे में जब उद्देश्य मुखातब पर ग़लबा पाना और अपनी इल्मी बरतरी लोगों पर ज़ाहिर करना हो जाये तो वह भी बातिन के लिये तमाम बुराईयों की जड़ है जिसके नतीजे में बहुत-से रूहानी रोग और बुराईयाँ पैदा होती हैं, जैसे हसद, बुग़ज़, तकब्बुर, ग़ीबत, दूसरे के ऐबों की तलाश, उसकी बुराई से खुश और भलाई से रंजीदा होना, हक़ के कुबूल करने से घमंड के तौर पर इनकार, दूसरे के कौल पर इन्साफ़ व एतिदाल के साथ ग़ौर करने के बजाय जवाब देने की फ़िक्र, चाहे उसमें क़ुरआन व सुन्नत में कैसी ही तावीलें (दूर का मतलब बयान) करना पड़ें।

ये तो वो हलाक़ करने वाली और घातक चीज़ें हैं जिनमें बा-वफ़ार व सन्जीदा उलेमा ही मुब्तला होते हैं और मामला जब उनके पैरोकारों में पहुँचता है तो हाथा-पाई और झगड़े व फ़साद के मैदान गर्म हो जाते हैं, इन्ना लिल्लाह। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया:

“इल्म तो इल्म व कमाल वालों के बीच भाईचारे और बिरादरी का रिश्ता है तो वे लोग जिन्होंने इल्म ही की दुश्मनी बना लिया है, वे दूसरों को अपने मज़हब की पैरवी की दावत

इस ज़माने में दावत व इस्लाह का काम पूरी तरह असरदार न होने के दो सबब हैं— एक तो यह कि ज़माने के बिगाड़ और हराम चीज़ों की अधिकता के सबब आम तौर पर लोगों के दिल सख्त और आखिरत से गाफ़िल हो गये हैं और हक़ के कुबूल करने की तौफ़ीक़ कम हो गई है। और बाज़ तो उस क़हर में मुब्तला हैं जिसकी ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने दी थी कि आखिरी ज़माने में बहुत-से लोगों के दिल औंधे हो जायेंगे, भले-बुरे की पहचान और जायज़ व नाजायज़ का फ़र्क़ उनके दिल से उठ जायेगा।

और दूसरा सबब यह कि 'अम्र बिल्-मारूफ़ और नही अनिल्-मुन्कर' (यानी अच्छे काम का हुक्म करना और बुरे काम से रोकना) और हक़ की दावत के फ़राईज़ से ग़फ़लत आम हो गई है, अ़वाम का तो क्या ज़िक्र ख़्यास उलेमा और नेक लोगों में इस ज़रूरत का एहसास बहुत कम है। यह समझ लिया गया है कि अपने आमाल दुरुस्त कर लिये जायें तो यह काफी है, चाहे उनकी औलाद, बीवी, भाई, दोस्त अहबाब कैसे ही गुनाहों में मुब्तला रहें, उनकी इस्लाह की फ़िक्र गोया इनके ज़िम्मे ही नहीं, हालाँकि कुरआन व हदीस के स्पष्ट बयानात हर शख्स के ज़िम्मे अपने अहल व अ़याल और संबन्धित अफ़राद की इस्लाह (सुधार) को फ़र्ज़ करार दे रहे हैं। जैसा कि कुरआन पाक का इरशाद है— 'कू अन्फुसकुम व अहलीकुम् नारन्' यानी अपने और अपने अहल को दोज़ख़ की आय से बचाओ।

और फिर अगर कुछ लोग दावत व इस्लाह के फ़रीज़े की तरफ़ तवज्जोह देते भी हैं तो वे कुरआनी तालीमात और पैग़म्बराना दावत के उसूल व आदाब से नावाक़िफ़ हैं, बिना सोचे समझे जिसको जिस वक़्त जो चाह कह डाला और यह समझ बैठे कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, हालाँकि यह तरीक़ा और अ़मल नबियों की सुन्नत के खिलाफ़ होने की वजह से लोगों को दीन और दीन के अहक़ाम पर अ़मल करने से और ज़्यादा दूर फेंक देता है।

ख़ास तौर पर जहाँ किसी दूसरे पर तन्कीद (आलोचना) की नौबत आये तो तन्कीद का नाम लेकर उसकी बुराई करने और अपमान करने व मज़ाक़ उड़ाने तक पहुँच जाते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया:

“जिस शख्स को किसी ग़लती पर आगाह व सचेत करना है अगर तुमने उसको तन्हाई में नमी के साथ समझाया तो यह नसीहत है और अगर ऐलानिया लोगों के सामने उसको रुस्वा किया तो यह फ़ज़ीहत है।”

आजकल तो एक दूसरे के ऐबों को अख़बारों, इश्तिहारों के ज़रिये सबके सामने लाने को दीन की ख़िदमत समझ लिया गया है, अल्लाह तआला हम सब को अपने दीन और उसकी दावत की सही समझ और आदाब के मुताबिक़ उसकी ख़िदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमायें।

यहाँ तक दावत के उसूल और आदाब का बयान हुआ इसके बाद फ़रमाया:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

यह जुमला दीन की दावत देने वालों की तसल्ली के लिये इरशाद फ़रमाया है, क्योंकि दावत

के उपरोक्त आदाब को इस्तेमाल करने के बावजूद जब मुखातब हक बात को कुबूल न करे तो तबई तीर पर इनसान को सख्त सदमा पहुँचता है और कई बार उसका यह असर भी हो सकता है कि दावत का फायदा न देखकर आदमी पर मायूसी तारी हो जाये और काम ही छोड़ बैठे, इसलिये इस जुमले में यह फरमाया कि आपका काम सिर्फ सही उसूलों के मुताबिक हक की दावत को अदा कर देना है, आगे उसको कुबूल करना या न करना इसमें न आपका कोई दखल है न आपकी जिम्मेदारी, वह सिर्फ अल्लाह तआला ही का काम है, वही जानता है कि कौन गुमराह रहेगा और कौन हिदायत पायेगा, आप इस फिक्र में न पड़ें, अपना काम करते रहें। इसमें हिम्मत न हारें, मायूस न हों। इससे मालूम हुआ कि वह जुमला भी दावत के आदाब ही का हिस्सा और पूरक है।

हक के दाजी को कोई तकलीफ पहुँचाये तो बदला लेना भी जायज है मगर सब्र बेहतर है

इसके बाद की तीन आयतों में हक के दावत देने वालों के लिये एक और अहम हिदायत है, वह यह कि कई बार ऐसे सख्त-दिल जाहिलों से साबका पड़ता है कि उनको कितनी ही नमी और खैरख्याही से बात समझाई जाये वे उस पर भी आग बगूला हो जाते हैं, बुरा-भला कहकर तकलीफ पहुँचाते हैं, और कभी-कभी इससे भी आगे बढ़कर उनको जिस्मानी तकलीफ पहुँचाते हैं बल्कि कत्ल तक से भी गुरेज नहीं करते, ऐसे हालात में हक की दावत देने वालों को क्या करना चाहिये।

इसके लिये 'य इन् आकबुम.....' (यानी आयत नम्बर 126) में एक तो उन हज़रात को कानूनी हक दिया गया कि जो आप पर जुल्म करे आपको भी उससे अपना बदला लेना जायज है मगर इस शर्त के साथ कि बदला लेने में जुल्म की मात्रा और हद से आगे बढ़ना न हो, जितना जुल्म उसने किया है उतना ही बदला लिया जाये, उसमें ज्यादाती न होने पाये।

और आयत के आखिर में मश्विरा दिया कि अगरचें आपको बदला लेने का हक है लेकिन सब्र करें और बदला न लें तो यह बेहतर है।

इन आयतों का शाने नुज़ूल और रसूले करीम सल्ल.

और सहाबा की तरफ से हुक्म की तामील

कुरआन के मुफ्तीसीरीन (व्याख्यापकों) की अक्सरियत और बड़ी जमाअत के नज़दीक यह आयत मदनी है, अंगे-उहुद में सत्तर सहाबा की शहादत और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करके मुसल्ला करने (नाक-कान वगैरह काटकर बेपहचान करने) के वक़िए में नाज़िल हुई। सही बुख़ारी की रिवायत इसी के मुताबिक है। इमाम दारे कुतनी ने हज़रत इब्ने अब्बास

रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि:

"उहद की जंग में जब मुशिरक लोग लौट गये तो सहाबा किराम में से सत्तर बड़े सहाबा की लाशें सामने आईं, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा मोहतरम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। चूँकि मुशिरकों को उन पर बहुत गुस्सा था इसलिये उनको क़त्ल करने के बाद उनकी लाश पर अपना गुस्सा इस तरह निकाला कि उनकी नाक, कान और दूसरे बदनी अंग काटे गये, पेट चाक किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस मन्ज़र से सख्त सदमा पहुँचा और आपने फ़रमाया कि मैं हमज़ा के बदले में मुशिरकों के सत्तर आदमियों का इसी तरह मुसला करूँगा जैसा उन्होंने हमज़ा को किया है। इस वाकिए में ये तीन आयतें नाज़िल हुईं, यानी आयत नम्बर 126 से 128 तक जिनकी यह तफ़्सीर बयान हो रही है। कुछ रिवायतों में है कि दूसरे हज़रते सहाबा के साथ भी इन ज़ालिमों ने इसी तरह का मामला मुसला करने का किया था। (जैसा कि इमाम तिमिज़ी, अहमद, इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने अपनी हदीस की किताबों में हज़रत उबैद बिन क़अब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है)

इसमें चूँकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ग़म की शिद्दत से संख्या का लिहाज़ किये बग़ैर उन सहाबा के बदले में सत्तर मुशिरकों के मुसला करने का इरादा फ़रमाया था जो अल्लाह के नज़दीक अदल व बराबरी के उस उसूल के मुताबिक़ न था जिसको आपके ज़रिये दुनिया में कायम करना मन्ज़ूर था, इसलिये एक तो इस पर सचेत फ़रमाया गया कि बदला लेने का हक़ तो है मगर उसी मात्रा और पैमाने पर जिस मात्रा का जुल्म है, संख्या का लिहाज़ किये बग़ैर सत्तर से बदला लेना दुरुस्त नहीं है। दूसरे आपको आला और उम्दा अख़्लाक़ का नमूना बनाना मक़सूद था इसलिये यह नसीहत की गई कि बराबर-सराबर बदला लेने की अगरचे इजाज़त है मगर वह भी छोड़ दो और मुजरिमों पर एहसान करो तो यह ज़्यादा बेहतर है।

इस पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अब हम सब्र ही करेंगे किसी एक से भी बदला नहीं लेंगे, और अपनी क़सम का कफ़ारा अदा कर दिया।

(तफ़्सीरे मज़हरी बग़वी के हवाले से)

मक्का फ़तह होने के मौक़े पर जब ये तमाम मुशिरक लोग पराजित होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के कब्ज़े में थे, यह मौक़ा था कि अपना वह इरादा पूरा कर लेते जो जंगे-उहद के वक़्त किया था, मगर ऊपर बयान हुई आयतों के नाज़िल होने के वक़्त ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने इरादे को छोड़कर सब्र करने का फैसला फ़रमा चुके थे, इसलिये मक्का फ़तह होने के वक़्त इन आयतों के मुताबिक़ सब्र का अमल इख़्तियार किया गया। शायद इसी बिना पर कुछ रिवायतों में यह नक़ल किया गया है कि ये आयतें मक्का फ़तह होने के वक़्त नाज़िल हुई थीं, और यह भी कुछ बर्द नहीं कि इन आयतों का नुज़ूल दोबारा हुआ हो, पहले जंगे-उहद में नाज़िल हुई और फिर मक्का फ़तह होने के वक़्त दोबारा नाज़िल हुई। (जैसा कि तफ़्सीरे मज़हरी में इब्ने हिस्तर से नक़ल किया गया है)

मसला: इस आयत ने बदला लेने में बराबरी का क़ानून बताया है, इसी लिये फ़ुक़हा (कुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) हज़रात ने फ़रमाया कि जो शख्स किसी को क़त्ल कर दे उसके बदले में क़ातिल को क़त्ल किया जायेगा, जो ज़ख्मी कर दे तो उतना ही ज़ख्म उस करने वाले को लगाया जायेगा, जो किसी का हाथ-पाँव काट डाले फिर क़त्ल कर डाले तो मक्तूल के वली को हक्क दिया जायेगा कि वह भी पहले क़ातिल का हाथ या पाँव काटे फिर क़त्ल कर दे।

अलबत्ता अगर किसी ने पत्थर मारकर किसी को क़त्ल किया या तीरों से ज़ख्मी करके क़त्ल किया तो इसमें क़त्ल के अन्दाज़ और तरीके की सही हालत व अन्दाज़ा मुतय्यन नहीं किया जा सकता कि कितनी चोटों से यह क़त्ल वाक़े हुआ है, और मक्तूल को कितनी तकलीफ़ पहुँची है, इस मामले में पूरी तरह बराबरी का कोई पैमाना नहीं है, इसलिये उसको तलवार ही से क़त्ल किया जायेगा। (तफ़सीरे जस्तास)

मसला: आयत का नुज़ूल (उतरना) अगरचे जिस्मानी तकलीफ़ और जिस्मानी नुक़सान पहुँचाने के संबन्ध में हुआ है मगर अलफ़ाज़ आम हैं, जिसमें माली नुक़सान पहुँचाना भी दाख़िल है, इसी लिये फ़ुक़हा हज़रात ने फ़रमाया कि जो शख्स किसी से उसका माल छीन ले तो उसको भी हक्क हासिल है कि अपने हक्क के मुताबिक़ उससे माल छीन ले, या चोरी करके ले ले, बशर्ते कि जो माल लिया है वह अपने हक्क की जिन्स से हो, जैसे नक़द रुपया लिया है तो उसके बदले में उतना ही नक़द रुपया उससे छीन ले या चोरी के ज़रिये ले सकता है, ग़ल्ला कपड़ा वगैरह लिया है तो उसी तरह का ग़ल्ला कपड़ा ले सकता है, मगर एक जिन्स के बदले में दूसरी जिन्स नहीं ले सकता, जैसे रुपये के बदले में कपड़ा या कोई दूसरी इस्तेमाल की चीज़ ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। और कुछ उलेमा ने उमूमी इजाज़त दी है कि चाहे हक्क वाली जिन्स से हो या किसी दूसरी जिन्स से, इस मसले की कुछ तफ़सील इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफ़सीर में लिखी है और तफ़सीली बहस मसाईल की किताबों में बयान हुई है।

आयत 'व इन् आक़बुम.....' (यानी आयत नम्बर 126) में आम क़ानून बयान हुआ था जिसमें सब मुसलमानों के लिये बराबर का बदला लेना जायज़ मगर सब्र करना अफ़ज़ल व बेहतर बतलाया गया है, इसके बाद की आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खुसूसी ख़िताब फ़रमाकर सब्र करने की हिदायत व तरगीब दी गई है, क्योंकि आपकी बड़ी शान और ऊँचे मक़ाम के लिये दूसरों के मुक़ाबले में वही ज़्यादा उचित व मुनासिब है इसलिये फ़रमाया:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

यानी आप तो इन्तिक़ाम (बदला लेने) का इरादा ही न करें, सब्र ही को इख़्तियार करें। और साथ ही यह भी बतला दिया कि आपका सब्र अल्लाह ही की मदद से होगा, यानी सब्र करना आपके लिये आसान कर दिया जायेगा।

आख़िरी आयत में फिर एक आम क़ायदा अल्लाह तआला की नुसरत व मदद हासिल होने का यह बतला दिया:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

जिसका हासिल यह है कि अल्लाह तआला की मदद उन लोगों के साथ होती है जो दो सिफ़्तों को अपने अन्दर रखते हों— एक तक्वा दूसरे एहसान। तक्वे का हासिल नेक अमल करना और एहसान का मफहूम इस जगह अल्लाह तआला की मख्लूक के साथ अच्छा सुलूक करना है, यानी जो लोग शरीअत के मुताबिक़ नेक आमाल के पाबन्द हों और दूसरों के साथ एहसान का मामला करते हों हक़ तआला उनके साथ है, और यह ज़ाहिर है कि जिसको अल्लाह तआला का साथ (मदद) हासिल हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है।

अल्हम्दु लिल्लाह सूर: नहल की तफ़सीर आज 25 शाबान सन् 1389 हिजरी शनिवार की रात में पूरी हुई।

* सूरः बनी इस्राईल *

यह सूरत मक्की है। इसमें 111 आयतें
और 12 रुकूअ हैं।

सूर: बनी इस्राईल (पारा 15)

सूर: बनी इस्राईल मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 111 आयतें और 12 रुकूअ हैं।

إِنَّا أَنزَلْنَاهَا ۖ (۱۴) سُوْرَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَكِّيَّةٌ (۵۰) رُكُوْعَاتُهَا ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْكَ مِنْ
اٰیٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

सुबहानल्लजी असूरा बिअब्दिही
लैलाम् मिनल्-मस्जिदिल्-हरामि इलल्
मस्जिदिल्-अक्सल्लजी वारक्ना
हौलहू लिनुरियहू मिन् आयातिना
इन्नहू हुवस्समीअुल्-बसीर (1)

पाक जात है जो ले गया अपने बन्दे को
रातों रात मस्जिद-ए-हराम से मस्जिद-ए-
अक्सा तक, जिसको घेर रखा है हमारी
बरकत ने ताकि दिखलायें. उसको कुछ
अपनी क़ुदरत के नमूने, वही है सुनने
वाला देखने वाला। (1)

खुलासा-ए-तफसीर

वह पाक जात है जो अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को रात के वक़्त
मस्जिदे हराम (यानी काबे की मस्जिद) से मस्जिदे अक्सा (यानी बैतुल-मुक़द्दस) तक, जिसके
जास-पास (कि मुल्के शाम है) हमने (दीनी और दुनियावी) बरकतें कर रखी हैं (दीनी बरकत यह
है कि वहाँ कसरत से अम्बिया हज़रात दफ़न हैं, और दुनियावी बरकत यह है कि वहाँ बाग़ों और
नहरों, चश्मों और पैदावार की अधिकता है, गर्ज़ कि उस मस्जिदे अक्सा तक अजीब तौर पर इस
वास्ते) ले गया ताकि हम उनको अपनी क़ुदरत के कुछ नमूने और करिश्मे दिखला दें (जिनमें
कुछ तो खुद वहाँ से संबन्धित हैं जैसे इतनी बड़ी दूरी को बहुत थोड़े से वक़्त में तय कर लेना
और तमाम नदियों से मुलाकात करना और उनकी बातें सुनना वगैरह, और कुछ आगे से
संबन्धित हैं जैसे आसमानों पर जाना और वहाँ की अजीब व ग़रीब चीज़ों को देखना) बेशक

अल्लाह तआला बड़े सुनने वाले, बड़े देखने वाले हैं (चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की बातों को सुनते और हालात को देखते थे उसके मुनासिब उनको यह खास विशेषता और सम्मान बख्शा और अपनी निकटता का वह खास मकाम अता किया जो किसी को नहीं मिला)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस आयत में मेराज के वाकिए का बयान है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एक खुसूसी सम्मान और इम्तियाज़ी मोजिज़ा है। लफ़्ज़ असूरा इसूरा से निकला है जिसके लुगवी मायने रात को लेजाना हैं, इसके बाद लैलन के लफ़्ज़ से स्पष्ट रूप से भी इस मफ़हूम को वाज़ेह कर दिया, और लफ़्ज़ लैलन से इस तरफ़ भी इशारा कर दिया कि इस तमाम वाकिए में पूरी रात भी खर्च नहीं हुई बल्कि रात का एक हिस्सा इस्तेमाल हुआ है। मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक का सफ़र जिसका जिक्र इस आयत में है इसको इसूरा कहते हैं, और यहाँ से जो सफ़र आसमानों की तरफ़ हुआ उसका नाम मेराज है। इसूरा इस आयत की क़तई दलील व स्पष्ट बयान से साबित है और मेराज का जिक्र सूर: नज्म की आयतों में है, और निरन्तर हदीसों से साबित है।

“बि-अब्दिही” इकराम व सम्मान के इस मकाम में लफ़्ज़ बि-अब्दिही एक खास महबूबियत की तरफ़ इशारा है, क्योंकि हक़ तआला किसी को खुद फ़रमा दें कि यह मेरा बन्दा है इससे बढ़कर किसी बशर का बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। हज़रत हसन देहलवी ने ख़ूब फ़रमाया:

बन्दा हसन ब-सद् जुबान गुफ़्त कि बन्दा-ए-तू अम्
तू ब-जुबाने खुद बगो बन्दा-नवाज़ कीस्ती

यह ऐसा ही है जैसे एक दूसरी आयत में “अिबादुर्रहमानिल्लज़ी-न.....” फ़रमाकर अपनी बारगाह के मक़बूल बन्दों का सम्मान व इज़्ज़त बढ़ाना मक़सूद है। इससे यह भी मालूम हुआ कि इनसान का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वह अल्लाह का कामिल बन्दा बन जाये, इसलिये कि खुसूसी सम्मान के मक़ाम पर आपकी बहुत सी कमाल वाली सिफ़ात में से बन्दगी की सिफ़त को इख़्तियार किया गया। और इस लफ़्ज़ से एक बड़ा फ़ायदा यह भी मक़सूद है कि इस हैरत-अंगेज़ सफ़र से जिसमें अव्वल से आख़िर तक सब आम इनसानी आदत व ताक़त से ऊपर की बातें यानी मोजिज़े ही हैं किसी को खुदाई का वहम न हो जाये, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाये जाने से ईसाईयों को “घोखा लगा है, इसलिये लफ़्ज़ अब्द कहकर यह बतला दिया कि इन तमाम सिफ़ात व कमालात और मोजिज़ों के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बन्दे ही हैं, खुदा नहीं।”

मेराज के जिस्मानी होने पर कुरआन व सुन्नत की

दलीलें और उम्मत का इजमा

कुरआन मजीद के इरशादात और मुतवातिर हदीसों से जिनका जिक्र आगे आता है साबित

है कि इस्रायल मेराज का तमाम सफर सिर्फ रूहानी नहीं था बल्कि जित्नाही था, उम्मे अरब इनसान सफर करते हैं। कुरआन करीम के पहले ही लफ्ज़ मुन्हा-न में इस तरह इशारा मौजूद है, क्योंकि यह लफ्ज़ ताज्जुब और किसी अजीबुगुशान काम के लिये इस्तेमाल होता है। अगर मेराज सिर्फ रूहानी ख्वाब के तौर पर होती तो इसमें कौनसी अजीब बात है, ख्वाब तो हर मुसलमान बल्कि हर इनसान देख सकता है कि मैं आसमान पर गया, फूलों-फूलों काम किये।

दूसरा इशारा लफ्ज़ अब्द से इसी तरह है, क्योंकि अब्द (बन्दा) सिर्फ रूह नहीं बल्कि जिस व रूह के मजमूए का नाम है। इसके अलावा मेराज का वाकिया आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा को बतलाया तो उन्होंने हुजुरे पाक को यह मशिवरा दिया कि आप इसका किसी से जिक्र न करें वरना लोग और ज्यादा आपको झुठलायेंगे, अगर मामला ख्वाब का होता तो इसमें झुठलाने की क्या बात थी।

फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों पर इसका इज़हार किया तो मक्का के काफ़िरों ने झुठलाया और मज़ाक उड़ाया, यहाँ तक कि कुछ नौमुस्लिम इस ख़बर को सुनकर भुर्तद हो गये (यानी इस्लाम से फिर गये) अगर मामला ख्वाब का होता तो इन मामलात की क्या संभावना थी और यह बात इसके विरुद्ध नहीं कि आपको इससे पहले और बाद में कोई रूहानी मेराज ख्वाब की सूरात में भी हुई हो, उम्मत के उलेमा की अक्सरियत के नजदीक कुरआन की आयत:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ

में 'अरैना-क' से मुराद 'रूयत' है मगर इसको 'रुअ्या' लफ्ज़ के साथ (जो अक्सर ख्वाब देखने के मायने में इस्तेमाल होता है) ताबीर करने की बजह यह हो सकती है कि इस मामले को तश्बीह (मिसाल देने) के तौर पर 'रुअ्या' कहा गया हो, कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ख्वाब देख ले। और अगर 'रुअ्या' के मायने ख्वाब ही के लिये जायें तो यह भी कुछ दूर की बात नहीं कि मेराज के जिस्माबी वाकिए के अलावा उससे पहले या बाद में यह रूहानी मेराज ख्वाब के तौर पर भी हुई हो, इसलिये हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मुल-मौपिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो इस वाकिए का ख्वाब होना मन्कूल है वह भी अपनी जगह सही है मगर इससे यह लाज़िम नहीं आता कि जिस्मानी मेराज न हुई हो।

तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि 'इस्रा' (यानी मेराज वाली) हदीसें मुतवातिर हैं और नयकाश ने बीस सहाबा किराम की रिवायतें इस बारे में नक़ल की हैं, और काज़ी अयाज़ ने शिफ़ा में और ज्यादा तफ़सील दी है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

और इमाम हब्ने कसीर ने अपनी तफ़सीर में इन तमाम रिवायतों को पूरी छान-पिछोड़ के साथ नक़ल किया है, फिर पच्चीस सहाबा किराम के नाम जिक्र किये हैं जिनसे ये रिवायतें मन्कूल हैं। उनके नाम ये हैं: 1. हजरत उमर इब्ने ख़त्ताब। 2. अली मुर्तज़ा। 3. इब्ने मसऊद। 4. अबूजर गिफ़ारी। 5. मालिक बिन सअसआ। 6. अबू हुदैरह। 7. अबू सईद। 8. इब्ने अब्बास।

9. शदाद बिन औस। 10. उबई बिन कअब। 11. अब्दुर्रहमान बिन करज़। 12. अबू हय्या। 13. अबू लैला। 14. अब्दुल्लाह बिन उमर। 15. जाबिर बिन अब्दुल्लाह। 16. हुज़ैफ़ा बिन यमान। 17. बरीदा। 18. अबू अय्यूब अन्सारी। 19. अबू उमामा। 20. समुरा बिन जुन्दुब। 21. अबू हमरा। 22. सुहैब रूमी। 23. उम्मे हानी। 24. उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा। 25. अस्मा बिनते अबी बक्र रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन। इसके बाद इमाम इब्ने कसीर ने फ़रमाया:

فَحَدِيثُ الْإِسْرَاءِ أَجْمَعِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمَلْحَدُونَ. (ابن كثير)

कि इस्रा के वाकिए की हदीस पर तमाम मुसलमानों का इजमा (एक राय) है, सिर्फ़ गुमराह व बेदीन लोगों ने इसको नहीं माना।

मेराज का मुख़्तसर वाक़िअ

इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत से

इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी तफ़्सीर में उपरोक्त आयत की तफ़्सीर और संबन्धित हदीसों की तफ़्सील बयान करने के बाद फ़रमाया कि हक़ बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस्रा का सफ़र जागने की हालत में पेश आया, ख़्वाब में नहीं। मक्का मुकर्रमा से बैतुल-मुक़द़स तक यह सफ़र बुराक़ पर हुआ। जब बैतुल-मुक़द़स के दरवाज़े पर पहुँचे तो बुराक़ को दरवाज़े के करीब बाँध दिया और आप मस्जिदे बैतुल-मुक़द़स में दाख़िल हुए और उसके किब्ले की तरफ़ तहिय्यतुल-मस्जिद की दो रकअतें अदा फ़रमाई, उसके बाद एक ज़ीना लाया गया जिसमें नीचे से ऊपर जाने के दर्जे बने हुए थे, उस ज़ीने के ज़रिये आप पहले आसमान पर तशरीफ़ ले गये। उसके बाद बाकी आसमानों पर तशरीफ़ ले गये (उस ज़ीने की हकीकत तो अल्लाह तआला को ही मालूम है कि क्या और कैसा था, आजकल भी ज़ीने की बहुत सी किस्में दुनिया में राइज हैं, ऐसे ज़ीने भी हैं जो खुद हरकत करने में लिफ़्ट की सूरत के हैं। इस मोजिज़े वाले ज़ीने के मुताल्लिक़ किसी शक व शुब्हे में पड़ने का कोई मक़ाम नहीं)। हर आसमान में वहाँ के फ़रिश्तों ने आपका स्वागत किया और हर आसमान में उन नबियों से मुलाक़ात हुई जिनका मक़ाम किसी निर्धारित आसमान में है, जैसे छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान में हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई, फिर आप उन तमाम नबियों के मक़ामात से भी आगे तशरीफ़ ले गये और एक ऐसे मैदान में पहुँचे जहाँ तकदीर के क़लम के लिखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और आपने सिद्रतुल-मुन्तहा को देखा जिस पर अल्लाह जल्ल शानुहू के हुक्म से सोने के परवाने और विभिन्न रंग के परवाने गिर रहे थे, और जिसको अल्लाह के फ़रिश्तों ने घेरा हुआ था, उसी जगह हज़रत जिब्रीले अमीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी असल शक़्त में देखा जिनके छह सौ बाज़ू (पंख) थे और वहीं पर एक रफ़रफ़ हरे रंग का देखा जिसने आसमान के किनारे को घेरे हुए था। रफ़रफ़ एक हरे रंग की पालकी के जैसा था।

और आपने बैतुल-मामूर को भी देखा जिसके पास काबे का निर्माण करने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार से कमर लगाये हुए बैठे थे। उस बैतुल-मामूर में रोज़ाना सत्तर हज़ार फ़रिश्ते दाख़िल होते हैं जिनकी बारी दीवार दाख़िल होने की क़ियामत तक नहीं आती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जन्नत और दोज़ख़ को खुद अपनी आँख से देखा, उस वक़्त आपकी उम्मत पर शुरु में पचास नमाज़ों के फ़र्ज़ होने का हुक्म मिला फिर कमी करके पाँच कर दी गई, इससे तमाम इबादतों के अन्दर नमाज़ की खास अहमियत और फ़ज़ीलत साबित होती है।

उसके बाद आप वापस बैतुल-मुक़द्दस में उतरे और जिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ मुक़्तलिफ़ आसमानों में मुलाक़ात हुई थी वे भी आपके साथ उतरे (गोया) आपको रुख़्सत करने के लिये बैतुल-मुक़द्दस तक साथ आये, उस वक़्त आपने नमाज़ का वक़्त हो जाने पर तमाम अम्बिया के साथ नमाज़ अदा फ़रमाई, यह भी हो सकता है कि यह नमाज़ उसी दिन की सुबह की नमाज़ हो। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि नबियों की इमामत का यह वाक़िआ कुछ हज़रत के नज़दीक आसमान पर जाने से पहले पेश आया है, लेकिन ज़ाहिर यह है कि यह वाक़िआ वापसी के बाद हुआ, क्योंकि आसमानों पर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाक़ात के वाक़िआ में यह नक़्त किया गया है कि सब अम्बिया से जिब्रीले अमीन ने आपका परिचय कराया। अगर इमामत का वाक़िआ पहले हो चुका होता तो यहाँ परिचय की ज़रूरत न होती, और यँ भी ज़ाहिर यही है कि इस सफ़र का असल मक़सद 'मला-ए-आला' में जाने का था, पहले उसी को पूरा करना ज़्यादा सही मालूम होता है, फिर जब इस असल काम से फ़राग़त हुई तो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आपके साथ रुख़्सत करने के लिये बैतुल-मुक़द्दस तक आये और आपको जिब्रीले अमीन के इशारे से सब का इमाम बनाकर आपकी सरदारी और सब पर फ़ज़ीलत का अमली सुबूत दिया गया।

इसके बाद आप बैतुल-मुक़द्दस से रुख़्सत हुए और बुराक़ पर सवार होकर अंधेरे वक़्त में मक्का मुकर्रमा पहुँच गये। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम।

मेराज के वाक़िआ के मुताल्लिक़ एक ग़ैर-मुस्लिम की गवाही

तफ़सीर इब्ने कसीर में है कि हाफ़िज़ अबू नुएम अस्वहानी ने अपनी किताब 'दलाईल-ए-नुबुव्वत' में मुहम्मद बिन उमर वाक़िदी (1) की सनद से मुहम्मद बिन क़अब क़रज़ी की रिवायत से यह वाक़िआ नक़्त किया है कि:

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रूम के बादशाह के पास अपना पत्र मुबारक देकर हज़रत दहया इब्ने ख़लीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, उसके बाद हज़रत दहया के ख़त

(1) वाक़िदी रहमतुल्लाहि अलैहि को हदीस की रिवायत में मुहम्मदीय ने ज़ईफ़ कहा है लेकिन इमाम इब्ने कसीर जैसे एहत्तियात-फ़सन्द मुहम्मदीय ने उनकी रिवायत को नक़्त किया है इसलिये कि इस मामले का साल्लुक़ अक़ाइद या हलाल व हराम से नहीं और ऐसे तारीख़ी मामलात में उनकी रिवायत मोतबर है।

पहुँचाने और रूम के बादशाह तक पहुँचने और उसके अक्ल व समझ वाला होने का तफ़्सीली वाकिआ बयान किया (जो सही बुखारी और हदीस की सब मोतबर किताबों में मौजूद है, जिसके आखिर में है कि रूम के बादशाह हिरक्ल ने ख़त मुबारक पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हालात की तहकीक़ करने के लिये अरब के उन लोगों को जमा किया जो उस वक़्त उनके मुल्क में तिजारत के मक़सद से आये हुए थे, शाही हुक्म के मुताबिक़ अबू सुफ़ियान इब्ने हरब और उनके साथी जो उस वक़्त मशहूर तिजारती काफ़िला लेकर शाम में आये हुए थे वे हाज़िर किये गये। बादशाह हिरक्ल ने उनसे वे सवालात किये जिनकी तफ़्सील सही बुखारी व मुस्लिम वगैरह में मौजूद है। अबू सुफ़ियान की दिली इच्छा यह थी कि वह इस मौक़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में कुछ ऐसी बातें बयान करें जिनसे आपका हकीर और बेहैसियत होना ज़ाहिर हो, मगर अबू सुफ़ियान कहते हैं कि मुझे अपने इस इरादे से कोई चीज़ इसके सिवा बाधा नहीं थी कि कहीं मेरी ज़बान से कोई ऐसी बात निकल जाये जिसका झूठ होना खुल जाये और मैं बादशाह की नज़र में गिर जाऊँ और मेरे साथी भी हमेशा मुझे झूठा होने का ताना दिया करें। अलवत्ता मुझे उस वक़्त ख़्याल आया कि इसके सामने मेराज का वाकिआ बयान करूँ जिसका झूठ होना बादशाह खुद समझ लेगा, तो मैंने कहा कि मैं उनका एक मामला आप से बयान करता हूँ जिसके मुताल्लिक़ आप खुद मालूम कर लेंगे कि वह झूठ है। हिरक्ल ने पूछा वह क्या वाकिआ है? अबू सुफ़ियान ने कहा कि वह नुबुव्वत के दावेदार कहते हैं कि वह एक रात में मक्का मुकर्रमा से निकले और आपकी इस मस्जिद बैतुल-मुक़द्दस में पहुँचे और फिर उसी रात में सुबह से पहले मक्का मुकर्रमा में हमारे पास पहुँच गये।

ईलिया (बैतुल-मुक़द्दस) का सबसे बड़ा आलिम उस वक़्त रूम के बादशाह हिरक्ल के सिरहाने पर करीब खड़ा हुआ था, उसने बयान किया कि मैं उस रात से वाकिफ़ हूँ। रूम का बादशाह उसकी तरफ़ मुतवज्जह हुआ और पूछा कि आपको उसका इल्म कैसे और क्योंकर हुआ? उसने अर्ज किया कि मेरी आदत थी कि मैं रात को उस वक़्त तक सोता नहीं था जब तक बैतुल-मुक़द्दस के तमाम दरवाज़े बन्द न कर दूँ। उस रात मैंने आदत के अनुसार तमाम दरवाज़े बन्द कर दिये मगर एक दरवाज़ा मुझसे बन्द न हो सका तो मैंने अपने अमले के लोगों को बुलाया, उन्होंने मिलकर कोशिश की मगर वह उनसे भी बन्द न हो सका। दरवाज़े के किवाड़ अपनी जगह से हरकत न कर सके, ऐसा मालूम होता था कि जैसे हम किसी पहाड़ को हिला रहे हैं। मैंने आजिज़ आकर कारीगरों और मिस्त्रियों को बुलवया, उन्होंने देखकर कहा कि इन किवाड़ों के ऊपर इमारत का बोझ पड़ गया है अब सुबह से पहले इसके बन्द होने की कोई तदबीर नहीं, सुबह को हम देखेंगे कि किस तरह किया जाये। मैं मजबूर होकर लौट आया और दोनों किवाड़ उस दरवाज़े के खुले रहे। सुबह होते ही मैं फिर उस दरवाज़े पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मस्जिद के दरवाज़े के पास एक पत्थर की चट्टान में सुराख़ किया हुआ है, और ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई जानवर बाँधा गया है। उस वक़्त मैंने अपने साथियों से कहा था कि आज इस दरवाज़े को अल्लाह तआला ने शायद इसलिये बन्द होने से रोका है कि कोई नबी यहाँ आने

वाले थे और फिर बयान किया कि उस रात आपने हमारी मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ी है, इसके बाद और तफ़्सीलात बयान की हैं। (तफ़्सीर इब्ने कसीर जिल्द 3)

इस्रा व मेराज की तारीख़

इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफ़्सीर में फ़रमाया कि मेराज की तारीख़ में रिवायतें बहुत मुख़ालिफ़ (भिन्न) हैं-- मूसा बिन उक्बा की रिवायत यह है कि यह वाकिआ मदीना की हिजरत से छह माह पहले पेश आया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि हज़रत ख़दीजा उम्मुल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात नमाज़ों के फ़र्ज़ होने से पहले हो चुकी थी, इमाम जोहरी फ़रमाते हैं कि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात का वाकिआ नुबुव्वत मिलने के सात साल बाद हुआ है।

कुछ रिवायतों में है कि मेराज का वाकिआ नुबुव्वत मिलने से पाँच साल बाद में हुआ है। इब्ने इस्हाक़ कहते हैं कि मेराज का वाकिआ उस वक़्त पेश आया जबकि इस्लाम अरब के आम कबीलों में फैल चुका था, इन तमाम रिवायतों का हासिल यह है कि मेराज का वाकिआ मदीने की हिजरत से कई साल पहले का है।

हरबी कहते हैं कि इस्रा व मेराज का वाकिआ रबीउस्सानी की सत्ताईसवीं रात में हिजरत से एक साल पहले हुआ है, और इब्ने कासिम ज़हबी कहते हैं कि नुबुव्वत मिलने से अठारह महीने के बाद यह वाकिआ पेश आया है। हज़रते मुहदिसीन ने विभिन्न और अनेक रिवायतें ज़िक्र करने के बाद कोई निर्णायक बात नहीं लिखी और मशहूर आम तौर पर यह है कि रजब के महीने की सत्ताईसवीं रात शब-ए-मेराज है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

मस्जिद-ए-हराम और मस्जिद-ए-अक्सा

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौनसी है? तो आपने फ़रमाया कि "मस्जिद-ए-हराम"। फिर मैंने अज़्र किया कि उसके बाद कौनसी? तो आपने फ़रमाया "मस्जिद-ए-अक्सा"। मैंने पूछा कि इन दोनों के बीच कितनी मुदत का फ़ासला है? तो आपने फ़रमाया चालीस साल। फिर फ़रमाया कि (मस्जिदों की तरतीब तो यह है) लेकिन अल्लाह तआला ने हमारे लिये सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है, जिस जगह नमाज़ का वक़्त हो जाये वहीं नमाज़ अदा कर लिया करो। (मुस्लिम शरीफ़)

इमामे तफ़्सीर मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने बैतुल्लाह की जगह को पूरी ज़मीन से दो हज़ार साल पहले बनाया है और इसकी बुनियादें सातवीं ज़मीन के अन्दर तक पहुँची हुई हैं, और मस्जिद-ए-अक्सा को हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने बनाया है।

(नसाई, सही सनद के साथ अबुल्लाह बिन उमर रज़ि. की रिवायत से, तफ़्सीरे कुर्तुबी पेज 137 जिल्द 4) और मस्जिद-ए-हराम उस मस्जिद का नाम है जो बैतुल्लाह के गिर्द बनी हुई है, और कई

बार पूरे हरम को भी मस्जिद-ए-हराम से ताबीर किया जाता है। इस दूसरे पायने के एतिबार से दो रिवायतों का यह टकराव भी खत्म हो जाता है कि कुछ रिवायतों में आपका इस्रा के लिये तशरीफ ले जाना हजरत उम्मे हानी के मकान से मन्कूल है और कुछ में बैतुल्लाह के हतीम से, अगर मस्जिद-ए-हराम के आम पायने लिये जायें तो हो सकता है कि पहले आप उम्मे हानी रजियल्लाहु अन्हा के मकान में हों, वहाँ से चलकर काबा के हतीम में तशरीफ लाये, फिर वहाँ से इस्रा के सफ़र की शुरुआत हुई। वल्लाहु आलम

मस्जिद-ए-अक्सा और मुल्के शाम की बरकतें

आयत में 'बारकना हौलहू' में हौल से मुराद मुल्क शाम की पूरी ज़मीन है। एक हदीस में है कि अल्लाह तआला ने अर्श से फुरसत के दरिया तक मुबारक ज़मीन बनाई है और उसमें से फिलिस्तीन की ज़मीन को खास पाकीज़गी अता फ़रमाई है। (तफसीर रूहुल-मआनी)

उसकी बरकतें दीनी थी हैं और दुनियावी भी। दीनी बरकतें तो ये हैं कि वह तमाम पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का क़िब्ला और तमाम नबियों का ठिकाना व मद्फन (दफन होने का स्थान) है, और दुनियावी बरकतें उसकी ज़मीन का सरसब्ज़ (हरा-धरा और उपजाऊ) होना और उसमें उम्दा चश्मे, नहरें बागात वगैरह का होना है।

हजरत मुअज़ बिन जबल रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया— ऐ मुल्के शाम! तू तमाम शहरों में से मेरा चुनिन्दा खिल्ला है, और मैं तेरी तरफ़ अपने चुने हुए और खास बन्दों को पहुँचाऊँगा। (कुर्तुबी)

और मुस्नद अहमद में हदीस है कि दज्जाल सारी ज़मीन में फिरेगा मगर चार मस्जिदों तक उसकी पहुँच न होगी— 1. मस्जिद-ए-मदीना। 2. मस्जिद-ए-मक्का मुकर्रमा। 3. मस्जिद-ए-अक्सा। 4. मस्जिद-ए-तूर।

وَأَنبَأْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَنخَبُدُوا مِنْ

دُونِي وَكَيْلًا ۖ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعْنُوهُمْ وَإِنَّكَ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

व आतै ना मूसल्-किता-ब व

जअल्लाहु हुदल् लि-बनी इस्राई-ल

अल्ला तत्तख्रिजू मिन् दूनी वकीला

(2) जुरिय्य-त मन् हमल्ना म-अ

नूहिन् इन्नहू का-न अब्दन् शकूरा (3)

और दी हमने मूसा को किताब और किया उसको हिदायत बनी इस्राईल के वास्ते, कि न ठहराओ मेरे सिवा किसी को कारसाज। (2) तुम जो औलाद हो उन लोगों की जिनको चढ़ाया हमने नूह के साथ, बेशक वह था बन्दा हक मानने वाला। (3)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को किताब (यानी तौरात) दी, और हमने उसको बनी इस्राईल के लिये हिदायत (का ज़रिया) बनाया (जिसमें और अहकाम के साथ यह तौहीद का अज़ीमुशान हुक्म भी था) कि तुम मेरे सिवा (अपना) कोई कारसाज़ मत करार दो। ऐ उन लोगों की नस्ल! जिनको हमने नूह (अलैहिस्सलाम) के साथ (कश्ती में) सवार किया था (हम तुम से खिताब कर रहे हैं ताकि इस नेमत को याद करो कि अगर हम उनको कश्ती पर सवार करके न बचाते तो आज तुम उनकी नस्ल कहाँ होते, और नेमत को याद करके उसका शुक्र करो जिसकी बड़ी इकाई तौहीद है और) वह नूह अलैहिस्सलाम बड़े शुक्रगुज़ार बन्दे थे (पस जब अम्बिया शुक्र करते रहे तो तुम कैसे उसके छोड़ने वाले हो सकते हो)।

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ
عُلُوًّا كَبِيرًا ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۖ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا لَكُمْ يَأْمُومًا بَيِّنًا وَجَعَلْنَا كَثْرَ نَفِيرًا ۖ
إِن أَحْسَنُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسُورًا وَأُجُوهُكُمْ وَايَدُكُمْ
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلْتُمْ أُوْلَىٰ مَرَّةٍ وَذُكِّرْتُمْ ۚ وَرَأَوْا مَا عُلُوًّا كَبِيرًا ۖ عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِن عُذْتُمْ
عَدَاؤَنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۖ

व क़ज़ैना इला बनी इस्राई-ल फ़िल्-
किताबि लतुफ़िसदुन्-न फ़िल्अज़ि
मरतैनि व ल-तअलुन्-न अलुव्वन्
कबीरा (4) फ़-इजा जा-अ वअदु
ऊलाहुमा बअस्ता अलैकुम् अिबादल्
-लना उली वअसिन् शदीदिन् फजासू
ख़िलालददियारि, व का-न वअदम्-
मफ़ज़ूला (5) सुम्-म रददना लकुमुल्-
क र-त अलैहिम् व अम्ददनाकुम्
बिअम्वालिव्-व बनी-न व जअल्लाकुम्

और साफ़ कह सुनाया हमने बनी इस्राईल
को किताब में कि तुम ख़राबी करोगे
मुल्क में दो बार और सरकशी करोगे
बड़ी सरकशी। (4) फिर जब आया पहला
वायदा भेजे हमने तुम पर अपने बन्दे
सख्त लड़ाई वाले, फिर फैल पड़े शहरों
के बीच और वह वायदा होना ही था।
(5) फिर हमने फेर दी तुम्हारी बारी उन
पर और कुव्वत दी तुमको माल से और
वेतों से और उससे ज़्यादा कर दिया

अक्स-र नफीरा (6) इन् अहसन्तुम्
 अहसन्तुम् लिअन्फुसिकुम्, व इन्
 अ-सअतुम् फ-लहा, फ-इज़ा जा-अ
 वअ् दुल्-आख़िरति लि-यसूऊ
 वुजू-हकुम् व लियदख़लुल्-मस्जि-द
 कमा द-ख़लूहु अक्व-ल मरतिंव-व
 लियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा (7)
 असा रब्बुकुम् अय्यरह-मकुम् व इन्
 अल्लुम् अदना। व जअल्ला जहन्न-म
 लिक्काफिरी-न हसीरा (8)

तुम्हारा लश्कर। (6) अगर भलाई की
 तुमने तो भला किया अपना, और अगर
 बुराई की तो अपने लिये, फिर जब पहुँचा
 वायदा दूसरा भेजे और बन्दे कि उदास
 कर दें तुम्हारे मुँह और घुस जायें मस्जिद
 में जैसे घुस गये थे पहली बार और
 ख़राब कर दें जिस जगह ग़ालिब हों पूरी
 ख़राबी। (7) बईद नहीं तुम्हारे ख़ब से कि
 रहम करे तुम पर और अगर फिर वही
 करोगे तो हम फिर वही करेंगे, और किया
 है हमने दोज़ख़ को कैदख़ाना काफ़िरो
 का। (8)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने बनी इस्राइल को किताब में (चाहे तौरात में या बनी इस्राइल के दूसरे नबियों के सहीफ़ों में) यह बात (भविष्यवाणी के तौर पर) बतला दी थी कि तुम (मुल्क शाम की) सरज़मीन में दो बार (गुनाहों की कसरत से) ख़राबी करोगे (एक मर्तबा मूसा की शरीअत की मुख़ालफ़त और दूसरी मर्तबा इसाई शरीअत की मुख़ालफ़त) और दूसरों पर भी बड़ा ज़ोर चलाने लगोगे (यानी जुल्म व ज़्यादती करोगे, इसी तरह ख़राबी करने में अल्लाह के हुक्क के ज़ाया करने की तरफ़ और सरकशी करने में बन्दों के हुक्क ज़ाया करने की तरफ़ इशारा है, और यह भी बतला दिया था कि दोनों मर्तबा सख़्त सज़ाओं में मुब्तला किये जाओगे)। फिर जब उन दो बार में से पहली बार की मियाद आएगी हम तुम पर अपने ऐसे बन्दों को मुसल्लत कर देंगे जो बड़े लड़ाकू होंगे, फिर वे (तुम्हारे) घरों में घुस पड़ेंगे (और तुमको क़त्ल व कैद और ग़ारत कर देंगे) और यह (सज़ा का वायदा) एक वायदा है जो ज़रूर होकर रहेगा। फिर (जब तुम अपने किये पर शर्मिन्दा और तौबा करने वाले हो जाओगे) तो फिर हम उन पर तुम्हारा ग़ुलबा कर देंगे (चाहे दूसरों के वास्ते ही सही, कि जो क़ौम उन पर ग़ालिब आयेगी वह तुम्हारी हिमायती होजायेगी। इसी तरह तुम्हारे दुश्मन उस क़ौम से और तुमसे दोनों से पराजित हो जायेंगे) और माल और बेटों से (जो कि बन्दी बनाये गये और ग़ारत किये गये थे) हम तुम्हारी मदद करेंगे (यानी ये चीज़ें तुमको वापस मिल जायेंगी जिनसे तुम्हें ताक़त पहुँचेगी) और हम तुम्हारी जमाअत (यानी तुम्हारे पैरोकारों) को बढ़ा देंगे (पस माल व इज़ज़त और औलाद व पैरोकारों सब में तरक्की होगी और उस किताब में नसीहत के तौर पर यह भी लिखा था कि) अगर (जब आइये) अपने काम करते

रहोगे तो अपने ही नफे के लिये अच्छे काम करोगे (यानी दुनिया व आखिरत में उसका नफा हासिल होगा) और अगर (फिर) तुम बुरे काम करोगे तो भी अपने ही लिये (बुराई करोगे, यानी फिर सज़ा होगी। चुनाँचे ऐसा ही हुआ जिसका आगे बयान है कि) फिर जब (ज़िक्र हुए दो मर्तबा के फ़साद में से) आखिरी मर्तबा का वक़्त आयेगा (और उस वक़्त तुम ईसाई दीन की मुखालफ़त करोगे) तो हम फिर दूसरों को मुसल्लत कर देंगे ताकि (वे मार-मारकर) तुम्हारे मुँह बिगाड़ दें, और जिस तरह वे (पहले) लोग मस्जिद (बैतुल-मुक़द्दस) में (लूट-मार के साथ) घुसे थे ये (पिछले) लोग भी उसमें घुस पड़ेंगे और जिस-जिस पर उनका जोर चले सब को (हलाक व) बरबाद कर डालें।

(और उस किताब में यह भी लिखा था कि अगर इस दूसरी मर्तबा के बाद जब शरीअते मुहम्मदिया का दौर हो तुम मुखालफ़त व नाफ़रमानी से बाज़ आकर शरीअते मुहम्मदिया की पैरवी कर लो तो) अज़ब नहीं (यानी उम्मीद वायदे के मायने में है) कि तुम्हारा रब तुम पर रहम फ़रमा दे (और तुमको ज़िल्लत व बरबादी से निकाल ले) और अगर फिर वही (शरारत) करोगे तो हम भी फिर वही (सज़ा का बर्ताव) करेंगे (चुनाँचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दौर में उन्होंने आपकी मुखालफ़त की तो फिर क़त्ल व कैद और ज़लील हुए। यह तो दुनिया की सज़ा हो गई) और (आखिरत में) हमने जहन्नम को (ऐसे) काफ़िरों का जेलख़ाना बना ही रखा है।

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

इनसे पहली आयतों यानी आयत नम्बर 2 और 3 में शरीअत के अहकाम और अल्लाह की हिदायतों के पालन और फ़रमाँबरदारी की तरगीब थी, और अब ऊपर बयान हुई इन आयतों में उनकी मुखालफ़त से डरावा और डाँट का मज़मून है। इन आयतों में बनी इस्राईल के दो वाकिफ़ इब्दत व नसीहत के लिये ज़िक्र किये गये कि वे एक मर्तबा गुनाहों और अल्लाह के हुक्म की मुखालफ़त में मशगूल हुए तो अल्लाह तआला ने उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया जिन्होंने उनको तबाह किया, फिर उनको कुछ तंबीह हो गई और शरारत कम कर दी तो संभल गये, मगर कुछ समय के बाद फिर वही शरारतें और बुरे आमाल उनमें फैल गये तो फिर अल्लाह तआला ने उनको उनके दुश्मन के हाथ से सज़ा दिलाई। कुरआने करीम में दो वाकिफ़ों का ज़िक्र है मगर तारीख़ (इतिहास) में इस तरह के छह वाकिफ़ात बयान हुए हैं।

पहला वाकिफ़ा

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम (संस्थापक मस्जिदे अक्सा) की वफ़ात के कुछ समय के बाद पेश आया कि बैतुल-मुक़द्दस के हाकिम ने बेदीनी और बुरे आमाल इख़्तियारें कर लिये तो मिस्र का एक बादशाह उस पर चढ़ आया और बैतुल-मुक़द्दस का सामान सोने-चाँदी का लूटकर ले गया मगर शहर और मस्जिद को गिराया नहीं।

दूसरा वाकिआ

इससे त्करीबन चार सौ साल बाद का है कि बैतुल-मुक़द्दस में बसने वाले कुछ यहूदियों ने बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा) शुरू कर दी और वाकियों में नाइतिफाकी और आपसी झगड़े होने लगे इसकी नहूसत से फिर मिस्र के किसी बादशाह ने उन पर चढ़ाई कर दी और किसी क़द्र शहर और मरिजाद की इमारत को भी मुक़सान पहुँचाया, फिर उनकी हालत कुछ संपन्न गई।

तीसरा वाकिआ

इसके चन्द साल बाद अब बुख़्ते नस्सर बाबिल के बादशाह ने बैतुल-मुक़द्दस पर चढ़ाई कर दी और शहर को फ़तह करके बहुत-सा माल लूट लिया और बहुत-से लोगों को कैदी बनाकर ले गया और पहले बादशाह के ख़ानदान के एक फ़र्द को अपने जानशीन और उत्तराधिकारी की हैसियत से उस शहर का हाकिम बना दिया।

चौथा वाकिआ

इस नये बादशाह ने जो बुत-परस्त और बुरे आमाल वाला था, बुख़्ते नस्सर से बगावत की तो बुख़्ते नस्सर दोबारा चढ़ आया और मार-काद और क़त्ल व ग़ारत की कोई हद न रही, शहर में आग लगाकर पैदान कर दिया, यह हादसा मस्जिद के निर्माण से त्करीबन चार सौ पन्द्रह साल के बाद पेश आया। इसके बाद यहूदी यहाँ से ज़िलावतन होकर बाबिल चले गये जहाँ बहुत ही ज़िल्लत व ख़्तारी से रहते हुए सत्तर साल गुज़र गये। इसके बाद ईरान के बादशाह ने बाबिल के बादशाह पर चढ़ाई करके बाबिल फ़तह कर लिया, फिर ईरान के बादशाह को उन ज़िलावतन यहूदियों पर रहम आया और उनको वापस मुल्के शाम में पहुँचा दिया और उनका लूटा हुआ सामान भी वापस कर दिया। अब यहूद अपने बुरे आमाल और गुनाहों से तौबा कर चुके थे यहाँ नये सिरे से आबाद हुए तो ईरान के बादशाह ने उनके सहयोग से फिर मस्जिदे अक्सा की पहले नमूने के तौर पर बना दिया।

पाँचवाँ वाकिआ

यह पेश आया कि जब यहूद को यहाँ इत्मीनान और खुशहाली दोबारा हासिल हो गई तो अपने अतीत को भूल गये और फिर बदकारी और बुरे आमाल में मशगूल हो गये, तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाईश से एक सौ सत्तर साल पहले यह वाकिआ पेश आया कि जिस बादशाह ने अन्ताकिया आबाद किया था उसने चढ़ाई कर दी और चालीस हजार यहूदियों को क़त्ल किया, चालीस हजार को कैदी और गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया और मस्जिद की भी बहुत बेहुर्मती की मगर मस्जिद की इमारत बच गई, लेकिन फिर उस बादशाह के जानशीनों ने शहर और मस्जिद को बिल्कुल पैदान कर दिया, उसके कुछ समय के बाद बैतुल-मुक़द्दस पर रूम के बादशाहों की हुकूमत हो गई उन्होंने मस्जिद को फिर दुस्त किया और उसके आठ साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए।

छठा वाकिआ

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिये जाने के चालीस बरस बाद यह वाकिआ पेश आया कि यहूदियों ने अपने हुक्मरानों के बादशाहों से बगावत इख्तियार कर ली। यहूदियों ने फिर शहर और मस्जिद को तबाह करके वही हालत बना दी जो पहले थी, उस वक़्त के बादशाह का नाम तीतस था जो न यहूदी था न ईसाई, क्योंकि उसके बहुत दिन के बाद कुस्तुनतीन पहले ईसाई हुआ है और उसके बाद से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक यह मस्जिद वीरान पड़ी रही, वहाँ तक कि आपने इसकी तामीर कराई। ये छह वाकिआत तफ़सीर बयानुल-कुरआन में तफ़सीरे हक्कानी के हवाले से लिखे गये हैं।

अब यह बात कि कुरआने करीम ने जिन दो वाकिआओं का ज़िक्र किया है वे इनमें से कौनसे हैं, इसका निश्चित तौर पर निर्धारण तो मुश्किल है लेकिन ज़ाहिर यह है कि इनमें से जो वाकिआत ज्यादा संगीन और बड़े हैं जिनमें यहूदियों की शरारतें भी ज्यादा हुईं और सज़ा भी सख्त मिली उन पर महमूल किया जाये और वह चौथा और छठा वाकिआ है। तफ़सीरे सुतुबी में यहाँ एक लम्बी भरफ़ूअ हदीस हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल की है, उससे भी इसका निर्धारण होता है कि इन दो वाकिआत से मुराद चौथा और छठा वाकिआ है। उस लम्बी हदीस का तर्जुमा यह है।

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि बैतुल-मुक़द्दस अल्लोह तआला के नज़दीक यड़ी शान व रुतबे वाली मस्जिद है। आपने फ़रमाया कि वह दुनिया के सब घरों में एक विशेष बड़ाई वाला घर है जिसको अल्लाह तआला ने सुलैमान बिन दाऊद अलैहिमस्सलाम के लिये सोने चाँदी और जवाहिरात याक़ूत व ज़फ़रूद से बनाया था, और यह इस तरह कि जब सुलैमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर शुरू की तो हक़ तआला ने जिन्नात को उनके ताबे कर दिया, जिन्नात ने ये तमाम जवाहिरात और सोना-चाँदी जमा करके उनसे मस्जिद बनाई। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि फिर बैतुल-मुक़द्दस से यह सोना-चाँदी और जवाहिरात कहीं और किस तरह गये? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब बनी इस्राईल ने अल्लाह तआला की नाफ़रगानी की और गुनाहों और बुरे आमाल में गुब्तला हो गये, नबियों को क़त्ल किया तो अल्लाह तआला ने उन पर बुख़्ते नस्सर को मुसल्लत कर दिया जो मजूसी (आग को पूजने वाला) था, उसने सात-सौ बरस बैतुल-मुक़द्दस पर हुक्ूमत की और कुरआने करीम में आयत:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 5) से यही वाकिआ मुराद है। बुख़्ते नस्सर का लश्कर मस्जिदे-अक्सा में दाख़िल हुआ, मर्दों को क़त्ल और औरतों व बच्चों को कैद किया और बैतुल-मुक़द्दस के तमाम माल और सोने-चाँदी जवाहिरात को एक लाख सत्तर हज़ार गाड़ियों में

भरकर ले गया, और अपने मुल्क बाबिल में रख लिया, और सौ बरस तक उन बनी इस्राईल को अपना गुलाम बनाकर तरह-तरह की मशक्कत भरी खिदमत ज़िल्लत के साथ उनसे लेता रहा।

फिर अल्लाह तआला ने फ़ारस (ईरान) के बादशाहों में से एक बादशाह को उसके मुक़ाबले के लिये खड़ा कर दिया जिसने बाबिल को फ़तह किया और बाकी बचे बनी इस्राईल को बुख़्त नस्सर की कैद से आज़ाद कराया और जितने माल वह बैतुल-मुक़द्दस से लाया था वो सब वापस बैतुल-मुक़द्दस में पहुँचा दिये और फिर बनी इस्राईल को हुक्म दिया कि अगर तुम फिर नाफ़रमानी और गुनाहों की तरफ़ लौट जाओगे तो हम भी फिर क़त्ल व कैद का अज़ाब तुम पर लौटा देंगे। कुरआन की आयत—

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا.

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 8) से यही मुराद है।

फिर जब बनी इस्राईल बैतुल-मुक़द्दस में लौट आये (और सब माल व सामान भी क़ब्ज़े में आ गया) तो फिर अल्लाह की नाफ़रमानी और बुरे आमाल की तरफ़ लौट गये, उस वक़्त अल्लाह तआला ने उन पर रूम के बादशाह कैसर को मुसल्लत कर दिया, आयत:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسُوءَ أَرْجُوهُمْ

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 7) से यही मुराद है। रूम के बादशाह ने उन लोगों से धूल और जल के दोनों रास्तों पर जंग की और बहुत-से लोगों को क़त्ल और कैद किया और फिर बैतुल-मुक़द्दस के उन तमाम मालों को एक लाख सत्तर हज़ार गाड़ियों पर लादकर ले गया और अपने 'कनीसतुज़्ज़हब' (धार्मिक स्थल) में रख दिया, ये सब माल अभी तक वही हैं और वहीं रहेंगे यहाँ तक कि हज़रत मेहदी रसमुल्लाहि अलैहि फिर इनको बैतुल-मुक़द्दस में एक लाख सत्तर हज़ार कश्तियों में वापस लायेंगे और उसी जगह अल्लाह तआला पहले और बाद के तमाम लोगों को जमा कर देंगे। (हदीस का मज़मून काफी लम्बा है जिसको इमाम क़ुर्तुबी ने अपनी तफ़सीर में नक़ल किया है)

तफ़सीर 'बयानुल-कुरआन' में है कि दो वाक़िए जिनका ज़िक्र कुरआन में आया है इससे मुराद दो शरीअतों की मुख़ालफ़त है, पहले मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत की मुख़ालफ़त और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने के बाद उनकी शरीअत की मुख़ालफ़त है। इसी तरह पहली मुख़ालफ़त में वे सब वाक़िआत दर्ज हो सकते हैं जो ऊपर बयान किये गये हैं, वाक़िआत की तफ़सील के बाद ऊपर दर्ज हुई आयतों की तफ़सीर देखिये।

मज़ारिफ़ व मसाईल

उपरोक्त वाक़िआत का हासिल यह है कि बनी इस्राईल के बारे में हक़ तआला ने यह फैसला फ़रमा दिया था कि वे जब तक अल्लाह तआला की इताअत करेंगे दीन व दुनिया में बामुराद और कामयाब रहेंगे, और जब कभी दीन से मुँह मोड़ेंगे तो ज़लील व ख़्यार किये जायेंगे।

और दुश्मनों काफ़िरों के हाथों उन पर मार डाली जायेगी, और सिर्फ़ यही नहीं कि दुश्मन उन पर गालिब होकर उनकी जान व माल को नुक़सान पहुँचाये बल्कि उनके साथ उनका क़िब्ला जो बैतुल-मुक़द़स है वह भी उस दुश्मन की ज़द से महफ़ूज़ नहीं रहेगा। उनके काफ़िर दुश्मन मस्जिद बैतुल-मुक़द़स में घुसकर उसकी बेहुर्मती और तोड़-फोड़ करेंगे, यह भी बनी इस्राईल की सज़ा ही का एक हिस्सा होगा। क़ुरआने करीम ने उनके दो वाक़िए बयान फ़रमाये— पहला वाक़िआ मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत के ज़माने का है दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम की शरीअत के ज़माने का, इन दोनों में बनी इस्राईल ने अपने वक़्त की खुदाई शरीअत से मुँह मोड़कर सरकशी इख़्तियार की तो पहले वाक़िए में एक मजूसी (आग को पूजने वाले) काफ़िर बादशाह को उन पर और बैतुल-मुक़द़स पर मुसल्लत कर दिया गया जिसने तबाही मचाई, और दूसरे वाक़िए में एक रूमी बादशाह को मुसल्लत किया जिसने उनको क़त्ल व ग़ारत किया और बैतुल-मुक़द़स को गिराया और वीरान किया। इसी के साथ यह भी ज़िक्र कर दिया गया है कि दोनों मर्तबा जब बनी इस्राईल अपने बुरे आमाल पर शर्मिन्दा होकर ताइब (तौबा करने वाले) हुए तो फिर अल्लाह तआला ने उनके मुल्क व दौलत और आल व औलाद को बहाल कर दिया।

इन दोनों वाक़िआत के ज़िक्र के बाद आख़िर में अल्लाह तआला ने इन मामलात में अपना उसूल व नियम बयान फ़रमा दिया:

وَإِنْ عُدْتُمْ عَلَيْنَا

यानी अगर तुम फिर नाफ़रमानी और सरकशी की तरफ़ लौटोगे तो हम फिर इसी तरह की सज़ा व अज़ाब तुम पर लौटा देंगे। यह उसूल क़ियामत तक के लिये इरशाद हुआ है और इसके मुखातब वे बनी इस्राईल थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में मौजूद थे, जिसमें इशारा कर दिया गया है कि जिस तरह पहले मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत की मुख़ालफ़त से और दूसरी मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम की शरीअत की मुख़ालफ़त से तुम लोग सज़ा व अज़ाब में गिरफ़्तार हुए थे अब तीसरा दौर शरीअते मुहम्मदिया का है जो क़ियामत तक चलेगा, इसकी मुख़ालफ़त करने का भी वही अन्जाम होगा। चुनौचे ऐसा ही हुआ कि उन लोगों ने शरीअते मुहम्मदिया और इस्लाम की मुख़ालफ़त की तो मुसलमानों के हाथों ज़िलावतन और ज़लील व ख़्वार हुए और आख़िरकार उनके क़िब्ले बैतुल-मुक़द़स पर भी मुसलमानों का क़ब्ज़ा हुआ। फ़र्क़ यह रहा कि पिछले बादशाहों ने उनको भी ज़लील व ख़्वार किया था और उनके क़िब्ले बैतुल-मुक़द़स की बेहुर्मती (बेक़द्री) भी की थी, अब मुसलमानों ने बैतुल-मुक़द़स फ़तह किया तो मस्जिदे बैतुल-मुक़द़स जो सदियों से गिरी और ग़ैर-आबाद पड़ी थी, उसको नये सिरे से तामीर किया और नवियों के इस क़िब्ले के एहतियाम को बहाल किया।

बनी इस्राईल के वाकिआत मुसलमानों के लिये इब्रत हैं, बैतुल-मुक़द्दस का मौजूदा वाकिआ इसी सिलसिले की एक कड़ी है

बनी इस्राईल के ये वाकिआत कुरआने करीम में बयान करने और मुसलमानों को सुनाने से बज़ाहिर मक़सद यही है कि मुसलमान भी अल्लाह के इस क़ानून से बाहर नहीं हैं, दुनिया व दीन में उनकी इज़्ज़त व शान और माल व दौलत अल्लाह की इताअत के साथ जुड़ी हैं, जब वे अल्लाह व रसूल की इताअत से मुँह मोड़ेंगे तो उनके दुश्मनों और काफ़िरों को उन पर ग़ालिब और मुसल्लत कर दिया जायेगा जिनके हाथों उनके इबादत ख़ानों और मस्जिदों की बेहुर्मती भी होगी।

आजकल जो बैतुल-मुक़द्दस पर यहूदियों के कब्ज़े की दुखद घटना और फिर उसको आग लगाने की पूरी इस्लामी दुनिया को पेशान किये हुए है हकीक़त यह है कि यह इसी कुरआनी इरशाद की तस्दीक़ हो रही है, मुसलमानों ने खुदा व रसूल को भुलाया, आख़िरत से ग़ाफ़िल होकर दुनिया की शान व शौकत में लग गये और कुरआन व सुन्नत के अहक़ाम से बेगाना हो गये तो अल्लाह का वही कायदा व उसूल सामने आया कि करोड़ों अरब वालों पर चन्द लाख यहूदी ग़ालिब आ गये, उन्होंने उनकी जान व माल को भी नुक़सान पहुँचाया और इस्लामी शरीअत की रू से दुनिया की तीन अज़ीमुश्शान मस्जिदों में से एक जो तमाम नबियों का क़िब्ला रहा है वह उनसे छीन लिया गया और एक ऐसी कौम ग़ालिब आ गई जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लील व ख़्वार समझी जाती है यानी यहूदी। इस पर अतिरिक्त यह देखा जा रहा है कि वह कौम न संख्या में मुसलमानों के मुक़ाबले में कोई हैसियत रखती है और न मुसलमानों के मजमूई मौजूदा लड़ाई के सामान और हथियारों के मुक़ाबले में उसकी कोई हैसियत है, इससे यह भी मालूम हो गया कि यह वाकिआ यहूदियों को कोई इज़्ज़त का मक़ाम नहीं देता अलबत्ता मुसलमानों के लिये उनकी नाफ़रमानी की सज़ा ज़रूर है, जिससे साफ़ ज़ाहिर है कि यह जो कुछ हुआ हमारे बुरे आमाल की सज़ा के तौर पर हुआ, और इसका इलाज इसके सिवा कुछ नहीं कि हम फिर अपने बुरे आमाल पर शर्मिन्दा होकर सच्ची तौबा करें, अल्लाह के अहक़ाम की इताअत में लग जायें, सच्चे मुसलमान बनें, गैरों की नक़ल करने और गैरों पर भरोसा करने के ज़बरदस्त गुनाह से बाज़ आ जायें तो अल्लाह के वायदे के अनुसार इन्शा-अल्लाह तआला बैतुल-मुक़द्दस और फ़िलिस्तीन फिर हमारे कब्ज़े में आयेगा, मगर अफ़सोस है कि आजकल के अरब शासक और वहाँ के आम मुसलमान अब तक भी इस हकीक़त पर सचेत नहीं हुए, वे अब भी गैरों की इमदाद पर सहारा लगाये हुए बैतुल-मुक़द्दस की वापसी के प्लान और नक़शे बना रहे हैं जिसकी बज़ाहिर कोई संभावना नज़र नहीं आती।

वह असलेहा और सामान जिससे बैतुल-मुकद्दस और फिलिस्तीन फिर मुसलमानों को वापस मिल सकता है सिर्फ अल्लाह तआला की तरफ तवज्जोह व रुजू, आखिरत पर यकीन, शरीअत के अहकाम की पैरवी, अपने रहन-सहन, सामाजिक जिन्दगी और सियासत में गैरों पर भरोसा और उनकी नकल करने से परहेज और फिर अल्लाह तआला पर भरोसा करके खालिस इस्लामी और शरई जिहाद है, अल्लाह तआला हमारे अरब हुक्मरानों और दूसरे मुसलमानों को इसकी तौफीक अता फरमायें।

एक अजीब मामला

अल्लाह तआला ने इस जमीन में अपनी इबादत के लिये दो जगहों को इबादत करने वालों का क़िब्ला बनाया है— एक बैतुल-मुकद्दस, दूसरा बैतुल्लाह। मगर क़ानूने कुदरत दोनों के बारे में अलग-अलग है, बैतुल्लाह की हिफ़ाज़त और काफ़िरों का उस पर ग़ालिब न आना यह अल्लाह तआला ने खुद अपने जिम्मे ले लिया है, इसका नतीजा वह हाथी वालों का वाक़िआ है जो क़ुरआने करीम की सूरः फ़ील में ज़िक्र किया गया है, कि यमन के ईसाई बादशाह ने बैतुल्लाह पर चढ़ाई की तो अल्लाह तआला ने मय उसके हाथियों की फ़ौज के बैतुल्लाह के करीब तक जाने से पहले ही परिन्दे जानवरों के ज़रिये हलाक व बरबाद कर दिया।

लेकिन बैतुल-मुकद्दस के मुताल्लिक़ यह क़ानून नहीं बल्कि उपरोक्त आयतों से मालूम हुआ है कि जब मुसलमान गुमराही और नाफ़रमानी में मुब्तला होंगे तो उनकी सज़ा के तौर पर उनसे यह क़िब्ला भी छीन लिया जायेगा और काफ़िर लोग इस पर ग़ालिब आ जायेंगे।

काफ़िर भी अल्लाह के बन्दे हैं मगर उसके मक़बूल नहीं

उपर्युक्त पहले वाक़िए में क़ुरआने करीम ने इरशाद फ़रमाया है कि जब दीनदार लोग फ़ितने व फ़साद पर उतर आयेंगे तो अल्लाह तआला उन पर अपने ऐसे बन्दों को मुसल्लत कर देंगे जो उनके घरों में घुसकर उनको क़त्ल व ग़ारत करेंगे। इस जगह क़ुरआने करीम ने लफ़ज़ 'अ़िबादल लना' फ़रमाया है, "अ़िबादना" नहीं कहा, हालाँकि वह मुख़्तसर था। हिक्मत यह है कि किसी बन्दे की इज़ाफ़त व निस्वत अल्लाह की तरफ़ हो जाना उसके लिये सबसे बड़ा सम्मान है जैसा कि इसी सूरत के शुरू में 'अस्रा बिअब्दिही' के तहत में यह बतलाया जा चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जो हद से ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा निकटता मेराज की रात में नसीब हुई क़ुरआने करीम ने इस वाक़िए के बयान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम या कोई सिफ़त बयान करने के बजाय सिर्फ़ 'अब्दिही' कहकर यह बतला दिया कि इन्सान का आख़िरी क़माल और सबसे ऊँचा मक़ाम यह है कि अल्लाह तआला उसको अपना बन्दा कहकर नवाज़ें। मज़क़ूर आयत में जिन लोगों से बनी इस्राईल की सज़ा का काम लिया गया ये खुद भी काफ़िर थे इसलिये हक़ तआला ने उनको "इबादना" के लफ़ज़ से ताबीर फ़रमाने के बजाय इज़ाफ़त व निस्वत को तोड़कर "अ़िबादल लना" फ़रमाया जिसमें इस तरफ़

इशारा है कि कायनात का पैदा करने वाला होने के तौर पर तो सारे ही इनसान अल्लाह के बन्दे हैं मगर बगैर ईमान के मकबूल बन्दे नहीं होते जिनकी निस्बत व इजाफत अल्लाह तआला की तरफ की जा सके।

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَيَذُوقُ الْعَذَابَ بِالْأَسْفَلِ ۝ وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

इन्-न हाज़ल्-कुरआ-न यहदी लिल्लीती
हि-य अक्वमु व युबशिशरुल्-
मुअ्मिनीनल्लज़ी-न यज़्मलूनस्-
सालिहाति अन्-न लहुम् अज़रन्
कबीरा (9) व अन्नल्लज़ी-न ला
युअ्मिनु-न बिल्आखिरति अज़्तदना
लहुम् अज़ाबन् अलीमा (10) ❀

व यदुल्-इन्सानु बिशशरि
दुआ-अहू विल्द्वैरि, व कानल्-इन्सानु
अजूला (11)

यह कुरआन बतलाता है वह राह जो सब
से सीधी है और खुशखबरी सुनाता है
ईमान वालों को जो अमल करते हैं अच्छे
कि उनके लिये है बड़ा सवाब। (9) और
यह कि जो नहीं मानते आखिरत को
उनके लिये तैयार किया है हमने दर्दनाक
अज़ाब। (10) ❀

और माँगता है आदमी बुराई जैसे माँगता
है भलाई और है इनसान जल्द बाज़। (11)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

सूरत के शुरू में मेराज के मौजिजे से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने
रिसालत का बयान था, इन आयतों में कुरआन के मौजिजे से उसको साबित किया गया है।

खुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक यह कुरआन ऐसे तरीके की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधा है (यानी इस्लाम)
और (उस तरीके के मानने और न मानने वालों की जज़ा व सज़ा भी बतलाता है कि) उन ईमान
वालों की जो कि नेक काम करते हैं यह खुशखबरी देता है कि उनको बड़ा भारी सवाब मिलेगा।
और यह भी बतलाता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हमने उनके लिये एक
दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है।

और (बाज़ा) इनसान (जैसे काफ़िर लोग हैं) बुराई (यानी अज़ाब) की ऐसी दुआ करता है

जिस तरह भलाई की दुआ (की जाती है) और इनसान कुछ (कुछ तबई तौर पर ही) जल्दबाज (होता) है।

मअरिफ़ व मसाईल

कौमों का तरीका

कुरआन जिस तरीके की हिदायत करता है उसको 'अक्वम' कहा जाता है। अक्वम की तफ़सीर यह है कि वह रास्ता जो मन्ज़िले मक़सूद तक पहुँचाने में करीब भी हो, आसान भी हो और ख़तरों से ख़ाली भी हो। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

इससे मालूम हुआ कि कुरआने करीम इनसानी ज़िन्दगी के लिये जो अहकाम देता है वह इन तीनों खूबियों और सिफ़्तों को अपने अन्दर रखते हैं, अगरचे इनसान अपनी कम-समझी की वजह से कई बार उस रास्ते को दुश्वार या ख़तरे से भरा समझने लगे लेकिन रब्बुल-आलमीन जो कायनात के ज़र्रे-ज़र्रे का इल्म रखता है और अतीत व भविष्य उसके सामने बराबर है, वही इस हकीकत को जान सकता है कि इनसान का नफ़ा किस काम और किस सूरत में ज़्यादा है, और खुद इनसान चूँकि मजमूई हालात से वाकिफ़ नहीं वह अपने भले-बुरे को भी पूरी तरह नहीं पहचान सकता।

शायद इसी ताल्लुक़ से उपर्युक्त आयतों में से आखिरी आयत में यह ज़िक्र फ़रमाया है कि इनसान तो कई बार जल्दबाज़ी में अपने लिये ऐसी दुआ माँग लेता है जो उसके लिये तबाही व दरवादी का सबब है, अगर अल्लाह तआला उसकी ऐसी दुआ को कुबूल फ़रमा लें तो यह बरबाद हो जाये। मगर अल्लाह तआला अक्सर ऐसी दुआओं को फ़ौरन कुबूल नहीं फ़रमाता यहाँ तक कि खुद इनसान समझ लेता है कि मेरी यह दरख़्वास्त ग़लत और मेरे लिये सख्त नुक़सान देने वाली थी, और आयत के आखिरी जुमले में इनसान की एक तबई कमज़ोरी को ज़ात्ते के तौर पर भी ज़िक्र फ़रमाया कि इनसान अपनी तबीयत ही से जल्दबाज़ वाक़े हुआ है, सरसरी नफ़े-नुक़सान पर नज़र रखता है अन्जाम पर निगाह करने और परिणाम के बारे में सोचने में कोताही करता है, फ़ौरी राहत चाहे थोड़ी हो उसको बड़ी और हमेशा की राहत पर तरजीह देने लगता है। इस तक़रीर का हासिल यह है कि इस आयत में आम इनसानों की एक तबई कमज़ोरी का बयान है।

और तफ़सीर के कुछ इमामों ने इस आयत को एक ख़ास वाक़िए के संबन्धित करार दिया है, वह यह कि नज़र बिन हारिस ने इस्लाम की मुख़ालफ़त में एक मर्तबां यह दुआ कर डाली:

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

यानी या अल्लाह! अगर आपके नज़दीक यह इस्लाम ही हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई और दर्दनाक अज़ाब भेज दे। इस सूरत में इनसान से यह ख़ास इनसान या जो इसके जैसी तबीयत वाले हों मुराद होंगे।

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ حَسِبَ ۖ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا تَفْصِيلًا ۚ وَكُلُّ
 إِنْسَانٍ أَلْمَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشْهُورًا ۚ اقْرَأْ كِتَابَكَ ۚ كَفَىٰ
 بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝ مِّنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۝

व जअल्लल्लै-ल वन्नहा-र आयतैनि
 फ-महौना आयतल्लैलि व जअल्ला
 आयतन्नहारि मुब्सि-रतल्-लितब्तगू
 फज़लम् मिर्रब्बिकुम् व लितअ-लमू
 अ-ददस्सिनी-न वल्-हिसा-ब, व
 कुल्-ल शैइन् फ़स्सल्लाहु तफ़सीला
 (12) व कुल्-ल इन्सानिन् अल्ज़म्ना
 ताइ-रहू फ़ी अनुकिही, व नुख़िरजु
 लहू यौमल्-कियामति किताबंय-
 यल्काहु मन्शूरा (13) इक्करअ
 किताब-क, कफ़ा बिनफ़िसकल्-यौ-म
 अलै-क हसीबा (14) मनिह्तदा
 फ-इन्नमा यस्तदी लिनफ़िसही व मन्
 ज़ल्-ल फ-इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, व
 ला तज़िरु वाज़ि-रतुव-विज़-र उख़्रा,
 व मा कुन्ना मुअज़िजबी-न हत्ता
 नबअ-स रसूला (15)

और हमने बनाये रात और दिन दो नमूने
 फिर मिटा दिया रात का नमूना और बना
 दिया दिन का नमूना देखने को ताकि
 तलाश करो फ़ज़ल अपने रब का और
 ताकि मालूम करो गिनती बरसों की और
 हिसाब, और सब चीजें सुनाई हमने
 खोलकर। (12) और जो आदमी है लगा
 दी है हमने उसकी बुरी किस्मत उसकी
 गर्दन से, और निकाल दिखायेंगे उसको
 कियामत के दिन एक किताब कि देखेगा
 उसको खुली हुई। (13) पढ़ ले किताब
 अपनी, तू ही बस है आज के दिन अपना
 हिसाब लेने वाला। (14) जो कोई राह
 पर आया तो आया अपने ही भले को
 और जो कोई बहका रहा तो बहका रहा
 अपने ही बुरे को, और किसी पर नहीं
 पड़ता बोझ दूसरे का, और हम नहीं डालते
 बला जब तक न भेजें कोई रसूल। (15)

खुलासा-ए-तफ़सीर

हमने रात और दिन को (अपनी क़ुदरत की) दो निशानियाँ बनाया, सो रात की निशानी

(यानी खुद रात) को तो हमने धुंधला बना दिया और दिन को निशानी को हमने रोशन बनाया (कि उसमें सब चीजें बेतकल्लुफ़ दिखाई दें) ताकि (दिन में) तुम अपने रब की रोज़ी तलाश करा और (रात और दिन के आने-जाने और दोनों के रंग में फ़र्क व पहचान कि एक रोशन दूसरा अंधेरा है, और दोनों की मात्राओं में भिन्नता से) बरसों का शुमार और (दूसरे छोटे-छोटे) हिसाब मालूम कर लो (जैसा कि सूर: यूनुस के पहले रुकूअ में बयान हुआ है)। और हमने हर चीज़ को ख़ूब तफ़सील के साथ बयान किया है (लौह-ए-महफ़ूज़ में तो तमाम कायनात की मुकम्मल तफ़सील बग़ैर किसी चीज़ को अलग किये है और कुरआने करीम में ज़रूरत के हिसाब से तफ़सील है, इसलिये यह बयान दोनों की तरफ़ मन्सूब हो सकता है)।

और हमने हर (अमल करने वाले) इनसान का अमल (नेक हो या बुरा) उसके गले का हार बना रखा है (यानी हर शख्स का अमल उसके साथ जुड़ा और चिपका हुआ है) और (फिर) क़ियामत के दिन हम उसका आमाल नामा उसके (देखने के) वास्ते निकाल कर सामने कर देंगे, जिसको वह खुला हुआ देख लेगा (और उससे कहा जायेगा कि ले) अपना आमाल नामा (खुद) पढ़ ले, आज तू खुद ही अपना हिसाब जाँचने के लिये काफ़ी है (यानी इसकी ज़रूरत नहीं कि तेरे आमाल को कोई दूसरा आदमी गिनाये बल्कि तू खुद ही अपना आमाल नामा पढ़ता जा और हिसाब लगाता जा कि तुझे कितनी सज़ा और कितनी जज़ा मिलनी चाहिये। मतलब यह है कि अगरचे अभी अज़ाब सामने नहीं आया मगर वह टलने वाला नहीं, एक वक़्त ऐसा आने वाला है कि इनसान अपने सब आमाल को खुली आँखों देख लेगा, और अज़ाब की हुज्जत उस पर कायम हो जायेगी। और) जो शख्स (दुनिया में सीधी) राह पर चलता है वह अपने ही नफ़े के लिये चलता है, और जो शख्स ग़लत रास्ता इख़्तियार करता है वह भी अपने ही नुक़सान के लिये गुमरा होता है (वह उस वक़्त इसका ख़मियाज़ा भुगतेगा किसी दूसरे का कुछ नुक़सान नहीं क्योंकि हमारा क़ानून यह है कि) और कोई शख्स किसी (के गुनाह) का बोझ न उठायेगा (और जिस किसी को कोई सज़ा दी जाती है वह उस पर हुज्जत पूरी करने के बाद दी जाती है क्योंकि हमारा क़ानून यह है कि) हम (कभी) सज़ा नहीं देते जब तक किसी रसूल को (उसकी हिदायत के लिये) नहीं भेज लेते।

मज़ारिफ़ व मसाईल

उपर्युक्त आयतों में पहले रात और दिन के अलग-अलग होने और विविधता को अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत की निशानी करार दिया और फिर बतलाया कि रात को अंधेरी और दिन को रोशन करने में बड़ी हिक्मतें हैं। रात को अंधेरी करने की हिक्मत तो इस जगह बयान नहीं फ़रमाई दूसरी आयतों में बयान हुई है कि रात का अंधेरा नींद और आराम के लिये मुनासिब है और क़ुदरत ने ऐसा निज़ाम बना दिया है कि हर इनसान और जानवर को इसी रात की अंधेरी में नींद आती है, पूरा आलम एक साथ नींद में होता है अगर विभिन्न लोगों की नींद के विभिन्न वक़्त होते तो जागने वालों के शोर-शराबे और काम-काज की वजह से सोने वालों

की नींद भी हराम हो जाती।

और दिन को रोशन करने की इस जगह दो हिक्मतें बयान फरमाई हैं— पहली यह कि दिन की रोशनी में आदमी अपनी रोजी तलाश कर सकता है, मेहनत मजदूरी, कारीगरी व उद्योग सब के लिये रोशनी की ज़रूरत है। दूसरे यह कि रात दिन के आने जाने से सालों और बरसों की तादाद मालूम की जा सके जैसे कि तीन सौ साठ दिन पूरे होने पर एक साल पूरा हो गया।

इसी तरह दूसरे हिसाबत भी रात दिन के आने-जाने से जुड़े हुए हैं, अगर रात दिन का यह अलग-अलग होना न हो तो मजदूर की मजदूरी, मुलाज़िम की मुलाज़मत, मामलात की मियादें मुतैयन (निर्धारित) करना सब मुश्किल हो जायेगा।

‘नामा-ए-आमाल’ गले का हार होने का मतलब

इसका मतलब यह है कि इनसान किसी जगह किसी हाल में रहे उसके आमाल की किताब उसके साथ रहती है, उसका अमल लिखा जाता रहता है। जब वह मरता है तो वह किताब बन्द करके रख दी जाती है, फिर क़ियामत के दिन यह आमाल नामा हर एक के हाथ में दे दिया जायेगा कि खुद पढ़कर खुद ही अपने दिल में फैसला कर ले कि वह सवाब का हकदार है या अज़ाब का हकदार। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि से मन्कूल है कि उस दिन अनपढ़ आदमी भी नामा-ए-आमाल पढ़ लेगा। इस मौके पर अस्बहानी ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से यह नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन कुछ लोगों का नामा-ए-आमाल जब उनके हाथ में दिया जायेगा, वह देखेगा कि उसके कुछ नेक आमाल उसमें लिखे हुए नहीं हैं तो अर्ज़ करेगा कि मेरे परवर्दिगार इसमें मेरे फुलों-फुलों अमल दर्ज नहीं हैं तो हक़ तआला की तरफ़ से जवाब मिलेगा कि हमने उन आमाल को इसलिये मिटा दिया कि तुम लोगों की ग़ीबत किया करते थे। (तफ़सीरे मज़हरी)

रसूलों के भेजे बग़ैर अज़ाब न होने की वज़ाहत

इस आयत की बिना पर कुछ फुक्हा (दीनी मसाईल और कुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) के नज़दीक उन लोगों को कुफ़्र के बावजूद कोई अज़ाब नहीं होगा जिनके पास किसी नबी और रसूल की दावत नहीं पहुँची, और कुछ इमामों के नज़दीक जो इस्लामी अक़ीदे अक्ल से समझे जा सकते हैं जैसे खुदा का वजूद, उसकी तौहीद वग़ैरह, पर जो लोग इसके मुन्किर होंगे उनको कुफ़्र पर अज़ाब होगा अगरचे उनको किसी नबी व रसूल की दावत न पहुँची हो, अलबत्ता आम नाफ़रमानी और गुनाहों पर नबियों की दावत व तब्लीगे के बग़ैर सज़ा नहीं होगी, और कुछ हज़रत ने इस जगह रसूल से मुराद आम ली है चाहे वह रसूल व नबी हो चाहे इनसानी अक्ल कि वह भी एक हैसियत से अल्लाह का रसूल (पैग़ाम पहुँचाने वाली) ही है।

मुश्रिकों की औलाद को अज़ाब न होगा

आयत 'ला तज़िह याज़िरतुं-विज़-र उख़्रा' (किसी पर नहीं पड़ता बोझ दूसरे का) के तहत तफ़सीरे मज़हरी में लिखा है कि इस आयत से साबित होता है कि मुश्रिकों व काफ़िरों की औलाद जो बालिग़ होने से पहले मर जायें उनको अज़ाब न होगा, क्योंकि माँ-बाप के कुफ़्र से वे सज़ा के पात्र नहीं होंगे, इस मसले में फ़ुक़हा व इमामों के अक़वाल अलग-अलग हैं जिनकी तफ़सील की यहाँ ज़रूरत नहीं।

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

व इज़ा अरदना अन्नुहिल-क
कर-यतन् अमरना मुत्-रफ़ीहा
फ़-फ़-सकू फ़ीहा फ़-हकू-क
अलैहल्क़ैलु फ़-दम्मरनाहा तद्मीरा
(16) व कम् अह्लकना मिनल्कुरुनि
मिम्-बअदि नूहिन्, व कफ़ा
बिरब्बि-क बिज़ुनूबि अ़िबादिही
ख़बीरम्-बसीरा (17)

और जब हमने चाहा कि ग़ारत करें किसी बस्ती को हुक्म भेज दिया उसके ऐश करने वालों को फिर उन्होंने नाफ़रमानी की उसमें तब साबित हो गई उन पर बात फिर आखड़ मारा हमने उनको उठाकर। (16) और बहुत ग़ारत कर दिये हमने कर्न नूह के पीछे और काफ़ी है तेरा सब अपने बन्दों के गुनाह जानने वाला देखने वाला। (17)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

इससे पहली आयतों में इसका बयान था कि हक़ तआला की आदत यह है कि जब तक किसी क़ौम के पास अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिये अल्लाह तआला की हिदायतें न पहुँच जायें और फिर भी वे इताअत न करें उस वक़्त तक उन पर अज़ाब नहीं भेजते। उक्त आयतों में इसके दूसरे रुख़ का बयान है कि जब किसी क़ौम के पास रसूल और अल्लाह के पैग़ाम पहुँच गये और फिर भी उन्होंने नाफ़रमानी से काम लिया तो उस पर आम अज़ाब भेज दिया जाता है।

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जब हम किसी बस्ती को (जो अपने कुफ़्र व नाफ़रमानी की वजह से अल्लाह की हिक्मत के तकाज़े के तहत हलाक़ करने के काबिल हो) हलाक़ करना चाहते हैं तो (उसको

रसूलों के भेजने से पहले हलाक नहीं करते बल्कि पहले किसी रसूल के ज़रिये उस (बस्ती) के खुशहाल (यानी अमीर व सरदार) लोगों को (खुसूसन और दूसरे अ़याग को उमूमन ईमान व इताअत का) हुक्म देते हैं, फिर (जब) वे लोग (कहना नहीं मानते बल्कि) वहाँ शरारत मचाते हैं तो उन पर हुज्जत पूरी हो जाती है। फिर हम उस बस्ती को तबाह और ग़ारत कर डालते हैं। और (इसी आदत के मुवाफ़िक) हमने बहुत-सी उम्मतों को नूह (अलैहिस्सलाम) के (जमाने के) बाद (उनके कुफ़ व नाफ़रमानी के सबब) हलाक किया है (जैसे आद व समूद वगैरह और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ग़र्क़ होकर हलाक होना मशहूर व परिचित है इसलिये 'मिम्-बअदि नूहिन्' पर बस किया गया, खुद नूह की कौम का ज़िक्र नहीं किया। और यह भी कहा जा सकता है कि सूरत के शुरू में आयत 'जुरिय्य-त मन् हमल्ना म-अ नूहिन्' में लफ़्ज़ 'हमल्ना' से तूफ़ाने नूह की तरफ़ इशारा मौजूद है उसको कौमे नूह की हलाकत का बयान करार देकर यहाँ नूह अलैहिस्सलाम के बाद के हालात का ज़िक्र फ़रमाया गया) और आपका रब अपने बन्दों के गुनाहों को जानने वाला, देखने वाला काफी है (तो जैसा किसी कौम का गुनाह होता है वैसी ही सज़ा देता है)।

मअरिफ़ व मसाईल

एक शुब्हा और उसका जवाब

आयत के अलफ़ाज़ 'इज़ा अरदना' और इसके बाद 'अमरना' के ज़ाहिर से यह शुब्हा हो सकता था कि उन लोगों का हलाक करना ही अल्लाह का मक़सद था इसलिये उनको पहले नबियों के द्वारा ईमान व फ़रमाँबरदारी का हुक्म देना, फिर उनके बुरे आमाल व नाफ़रमानी को अज़ाब का सबब बनाना यह सब अल्लाह तआला ही की तरफ़ से हुआ, तो इस सूरत में ये बेचारे माज़ूर व मजबूर हुए। इसके जवाब की तरफ़ तर्जुमे और खुलासा-ए-तफ़सीर के तहत यह इशारा आ चुका है कि अल्लाह तआला ने इनसान को अक्ल व इख़्तियार दिया और अज़ाब व सवाब के रास्ते मुतैयन कर दिये, जब कोई अपने इख़्तियार से अज़ाब ही के काम का इरादा करे तो अल्लाह का कानून यह है कि वह उसी अज़ाब के असबाब मुहैया कर देते हैं, तो अज़ाब का असली सबब खुद उनका कुफ़ व नाफ़रमानी का इरादा है न कि केवल इरादा, इसलिये वे माज़ूर नहीं हो सकते।

उक्त आयत की एक दूसरी तफ़सीर

लफ़्ज़ 'अमरना' का मशहूर मफ़हूम व मतलब वही है जो ऊपर बयान किया गया है, यानी हुक्म दिया हमने, लेकिन इस आयत में इस लफ़्ज़ को क़िराअतें भिन्न हैं, एक क़िराअत में जिसको अबू उस्मान नहदी, अबू रज़ा, अबुल-आलिया और मुजाहिद ने इख़्तियार किया है यह लफ़्ज़ 'अम्मरना' आया है, जिसके भायदे यह होते हैं कि हमने अमीर व हाकिम बना दिया

खुशहाल और सरमायेदार लोगों को जो बुराई और गुनाहों में मुब्तला हो गये और सगरे कौम के लिये अज़ाब का सबब बने।

हज़रत अली और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक किराअत में यह लफ्ज़ 'आमरना' पढ़ा गया जिसकी तफ़सीर उन्हीं हज़रात से 'अक्सरना' नक़ल की गई है, यानी जब अल्लाह तआला किसी कौम पर अज़ाब भेजते हैं तो उसकी शुरूआती निशानी यह होती है कि उस कौम में खुशहाल सरमायेदार लोगों की अधिक संख्या कर दी जाती है और वे अपने गुनाहों और बदकारियों के ज़रिये पूरी कौम को अज़ाब में मुब्तला करने का सबब बन जाते हैं।

इनमें से पहली किराअत का हासिल तो यह हुआ कि ऐसे खुशहाल सरमायेदारों को कौम का हाकिम बना दिया जाता है, और दूसरी किराअत का हासिल यह है कि कौम में ऐसे लोगों की कसरत और अधिकता कर दी जाती है। इन दोनों से यह मालूम हुआ कि ऐश-पसन्द लोगों की हुकूमत या ऐसे लोगों की कौम में अधिकता कुछ खुशी की चीज़ नहीं बल्कि अल्लाह के अज़ाब की निशानी है। हक़ तआला जब किसी कौम पर नाराज़ होते हैं और उसको अज़ाब में मुब्तला करना चाहते हैं तो उसकी शुरूआती पहचान यह होती है कि उस कौम के हाकिम व सरदार ऐसे लोग बना दिये जाते हैं जो ऐश-पसन्द, अय्याश हों, या हाकिम भी न बनें तो उस कौम के अफ़राद में ऐसे लोगों की अधिक संख्या कर दी जाती है। दोनों सूरतों का नतीजा यह होता है कि ये लोग इच्छा पूर्ति और लज़्ज़तों में मस्त होकर अल्लाह की नाफ़रमानियाँ खुद भी करते हैं और दूसरों के लिये भी उसकी राह हमवार करते हैं, आख़िरकार उन पर अल्लाह तआला का अज़ाब आ जाता है।

मालदार लोगों का कौम पर असर होना एक तबई चीज़ है

आयत में खुशहाल, अय्याशी में डूबे हुए और मालदारों का खुसूसियत से ज़िक्र करना इस तरफ़ इशारा है कि फ़ितरी तौर पर अ़वाम अपने मालदारों और हाकिमों के अख़्लाक़ व आमाल से प्रभावित होते हैं, जब ये लोग बुरे आमाल वाले हो जायें तो पूरी कौम बुरे आमाल वाली हो जाती है, इसलिये जिन लोगों को अल्लाह तआला ने माल व दौलत दिया है उनको इसकी ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिये कि अपने आमाल व अख़्लाक़ की इस्लाह (सुधार) करते रहें, ऐसा न हो कि ये ऐश-परस्ती में पड़कर इससे गाफ़िल हो जायें और पूरी कौम इनकी वजह से ग़लत रास्ते पर पड़ जाये, तो कौम के बुरे आमाल का ववाल भी उन पर पड़ेगा।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يُصَلِّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَشْكُورًا ۝ كَلَّا نَسِدْهُنَّ أَوْلَاءَ وَهَوَّلَاهُ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۝ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

मन् का-न युरीदुल्-आजि-ल-त
 अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशा-उ
 लिमन्-नुरीदु सुम्-म जअल्ला लहू
 जहन्न-म यस्ताहा मज़ूमम्-मद्हूरा
 (18) व मन् अरादल्-आख़िर-त व
 सअा लहा सअ-यहा व हु-व
 मुअ्मिनुन् फ़-उलाइ-क का-न
 सअयुहुम् मश्कूरा (19) कुल्लन्-
 नुमिद्दु हाउला-इ व हाउला-इ मिन्
 अता-इ रब्बि-क, व मा का-न अता-उ
 रब्बि-क मस्ज़ूरा (20) उन्ज़ुर कै-फ़
 फ़ज्जलना बअ-ज़हुम् अला बअज़िन्,
 व लल्आख़िरतु अक्बरु द-रजातिव्-व
 अक्बरु तफ़ज़ीला (21)

जो कोई चाहता ही पहला घर जल्द दे दें
 हम उसको उसी में जितना चाहें जिसको
 चाहें, फिर ठहराया है हमने उसके वास्ते
 दोज़ख़, दाख़िल होगा उसमें अपनी बुराई
 सुनकर धकेला जाकर। (18) और जिसने
 चाहा पिछला घर और दौड़ की उसके
 वास्ते जो उसकी दौड़ है और वह यकीन
 पर है सो ऐसों की दौड़ ठिकाने लगी है।
 (19) हर एक को हम पहुँचाये जाते हैं
 उनको और उनको तेरे रब की बख़्शिश
 में से, और तेरे रब की बख़्शिश किसी ने
 नहीं रोक ली। (20) देख कैसा बढ़ा
 दिया हमने एक को एक से, और पिछले
 घर में तो और बड़े दर्जे हैं और बड़ी
 फ़ज़ीलत। (21)

खुलासा-ए-तफ़सीर

जो शख़्स (अपने नेक आमाल से सिर्फ़) दुनिया (के नफ़े) की नीयत रखेगा (चाहे इसलिये कि वह आख़िरत का इनकारी है या इसलिये कि आख़िरत से गाफ़िल है) हम ऐसे शख़्स को दुनिया ही में जितना चाहेंगे (फिर यह भी सब के लिये नहीं बल्कि) जिसके वास्ते चाहेंगे फ़िलहाल ही दे देंगे (यानी दुनिया ही में कुछ जज़ा मिल जायेगी) फिर (आख़िरत में ख़ाक न मिलेगा बल्कि वहाँ) हम उसके लिये जहन्नम तजवीज़ कर देंगे, वह उसमें बदहाल (बारगाह से) निकाला हुआ होकर दाख़िल होगा। और जो शख़्स (अपने आमाल में) आख़िरत (के सवाब) की नीयत रखेगा और उसके लिये जैसी कोशिश करनी चाहिए वैसी ही कोशिश भी करेगा (मतलब यह है कि हर कोशिश भी मुफ़ीद नहीं बल्कि कोशिश सिर्फ़ वही मुफ़ीद है जो शरीअत और सुन्नत के मुवाफ़िक़ हो, क्योंकि हुक्म ऐसी ही कोशिश का दिया गया है जो अमल और कोशिश शरीअत व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो वह मक़बूल नहीं) शर्त यह है कि वह शख़्स मोमिन भी हो, सो ऐसे लोगों की यह कोशिश मक़बूल होगी (ग़र्ज़ कि अल्लाह तआला के यहाँ कामयाबी की शर्तें चार हुईं— अब्बल नीयत का सही होना यानी ख़ालिस आख़िरत के सवाब की नीयत होना, जिसमें नफ़्तानी ग़र्जे

शामिल न हों, दूसरे उन नीयत के लिये अमल और कोशिश करना, सिर्फ नीयत व इरादे से कोई काम नहीं होता जब तक उसके लिये अमल न करे, तीसरे अमल का सही होना यानी कोशिश व अमल का शरीअत और सुन्नत के मुताबिक होना, क्योंकि मकसद के खिलाफ दिशा में दौड़ना और कोशिश करना बजाय मुफीद होने के मकसद से और दूर कर देता है, चौथी शर्त जो सबसे अहम और सब की असल है वह अकीदे का सही होना यानी ईमान है। इन शर्तों के बगैर कोई अमल अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं, और काफ़िरों को दुनिया की नेमतें हासिल होना उनके आमाल की मकबूलियत की निशानी नहीं, क्योंकि दुनिया की नेमतें अल्लाह की बारगाह के मकबूल लोगों के लिये मखसूस नहीं बल्कि आपके रब की (इस दुनियावी) अता में से तो हम उन (मकबूल लोगों) की भी इमदाद करते हैं और उन (गैर-मकबूल लोगों) की भी (इमदाद करते हैं) और आपके रब की (यह दुनियावी) अता (किसी पर) बन्द नहीं। आप देख लीजिए कि हमने (इस दुनियावी अता में ईमान व कुफ़ की शर्त के बगैर) एक को दूसरे पर किस तरह बरतरी दी है (यहाँ तक कि अक्सर काफ़िर अक्सर मोमिनों से ज्यादा नेमत व दौलत रखते हैं क्योंकि ये चीज़ें वक़अत के काबिल नहीं) और अलबत्ता आख़िरत (जो अल्लाह की बारगाह के मकबूल बन्दों के साथ खास है वह) दर्जों के एतिबार से भी बहुत बड़ी है और फ़ज़ीलत के एतिबार से भी (इसलिये एहतिमाम उसी का करना चाहिये)।

मआरिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में अपने अमल से सिर्फ़ दुनिया का इरादा करने वालों का और उनकी सज़ा का जो बयान फ़रमाया है उसके लिये तो अलफ़ज़:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ

इस्तेमाल फ़रमाये, जो किसी काम के लगातार और पाबन्दी से करते रहने पर दलालत करते हैं, जिसका मतलब यह है कि यह जहन्नम की सज़ा सिर्फ़ उस सूरात में है कि उसके हर अमल में हर वक़्त सिर्फ़ दुनिया ही की ग़र्ज़ छाई हुई हो, आख़िरत की तरफ़ कोई ध्यान ही न हो। और आख़िरत का इरादा करने और उसकी जज़ा के बयान में लफ़ज़:

أَرَادَ الْآخِرَةَ

का इस्तेमाल फ़रमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि मोमिन जिस वक़्त थी जिस अमल में आख़िरत का इरादा और नीयत कर लेगा उसका वह अमल मकबूल हो जायेगा, चाहे किसी दूसरे अमल की नीयत में कोई फ़साद (ख़राबी) भी शामिल हो गया हो।

पहला हाल सिर्फ़ काफ़िर और आख़िरत के मुन्किर का हो सकता है इसलिये उसका कोई भी अमल मकबूल नहीं, और दूसरा हाल मोमिन का है उसका वह अमल जो सही और ख़ालिस नीयत के साथ आख़िरत के लिये हो और बाकी शर्तें भी मौजूद हों वह मकबूल हो जायेगा, और उसके भी जिस अमल में इख़्लास न हो या दूसरी शर्तें न पाई जायें वह मकबूल नहीं होगा।

बिदअत और अपनी राय का अमल कितना ही अच्छा नज़र आये मकबूल नहीं

इस आयत में कोशिश व अमल के साथ लफज़ 'सअयहा' बढ़ाकर यह बतला दिया गया है कि हर अमल और हर कोशिश न मुफ़ीद होती है न अल्लाह के यहाँ मकबूल, बल्कि अमल व कोशिश वही मोतबर है जो मकसद (आख़िरत) के मुनासिब हो, और मुनासिब होना या न होना यह सिर्फ़ अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बयान से ही मालूम हो सकता है, इसलिये जो नेक आमाल अपनी राय से और मन-गढ़त तरीकों से किये जाते हैं जिनमें बिदअतों की रसमें शामिल हैं वो देखने में कितने ही भले और मुफ़ीद नज़र आयें मगर आख़िरत के लिये मुनासिब कोशिश नहीं, इसलिये ने वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल हैं और न आख़िरत में कारामद।

और तफसीर रुहुल-मआनी ने 'सअयहा' की व्याख्या में कोशिश के सुन्नत के मुताबिक़ होने के साथ यह भी लिखा है कि उस अमल में इस्तिक़ामत (जमाव) भी हो, यानी अमल मुफ़ीद सुन्नत के मुताबिक़ भी हो और उस पर जमाव और पाबन्दी भी हो, बद-नज़मी के साथ कभी कर लिया कभी न किया, इससे पूरा फ़ायदा नहीं होता।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ۖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ۖ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّكَ كَانَ لِلْأَوَابِينَ عَفْوَراً ۖ

ला तजअल् मअल्लाहि इलाहन्
आख़-र फ-तक़अ-द मज़ूमम्-
मख़जूला (22) ❀
व कज़ा रब्बु-क अल्ला तअबुदू इल्ला
इय्याहु व बिल्-वालिदैनि इहसानन्,
इम्मा यब्लुगन्-न अिन्द-कल्-कि-ब-र
अ-हदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तकुल्-

मत ठहरा अल्लाह के साथ दूसरा हाकिम
फिर बैठ रहेगा तू इज़ाम खाकर बेकस
होकर। (22) ❀
और हुक्म कर चुक़ तेरा रब कि न पूजो
उसके सिवाय और माँ बाप के साथ
भलाई करो अगर पहुँच जाये तेरे सामने
बुढ़ापे को एक उनमें से या दोनों तो न
कह उनको 'हूँ' और न झिड़क उनको,

लहुमा उभिफ्व-व ता तन्हरहुमा व
 कुल्- लहुमा कौलन् करीमा (23)
 वछिफज़ लहुमा जनाहज़ज़ुल्लि
 भिनरस्पति व कुरब्बिर्हम्हुमा कमा
 रब्बयानी सगीरा (24) रब्बुकुग्
 अज़लमु बिमा फी नुफूसिकुम् इन्
 तकूनू सालिही-न फ-इन्नहू का-न
 लिल्-अव्याबी-न गफूरा (25)

और कह उनसे बात अदब की। (23)
 और झुका दे उनके आगे कन्धे आजिजी
 कर कर नियाज़ मन्दी से, और कह ऐ
 रब! इन पर रहम कर जैसा कि पाला
 इन्हींने पुझकी छोटा-सा। (24) तुम्हारा
 रब खूब जानता है जो तुम्हारे जी में है
 अगर तुम नेक होगे तो वह रज़ू करने
 वालों को बख़्शाता है। (25)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

इनसे पहली आयतों में आमाज़ के कुबूल होने के लिये चन्द शर्तों का बयान आया है जिनमें एक शर्त यह भी थी कि मक़बूल अमल वही हो सकता है जो इमान के साथ हो और शरीअत व सुन्नत के मुताबिक़ हो। इन आयतों में ऐसे ही खास-खास आमाज़ की हिदायत की गई है जो शरीअत के बतलाये हुए अहकाम हैं, उन पर अमल करना आख़िरत की फ़लाह और उनकी ख़िलाफ़़र्जी आख़िरत की हलाकत का सबब है, और चूँकि उक्त शर्तों में सबसे अहम शर्त इमान की है इसलिये सबसे पहला हुक्म भी तौहीद का बयान फरमाया उसके बाद बन्दों के हुक्क से संबन्धित अहकाम हैं।

खुलासा-ए-तफ़सीर

पहला हुक्म तौहीद:

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

(ऐ मुख़ातब!) अल्लाह के साथ कोई और माबूद मत तजवीज़ कर (यानी शिर्क न कर) करना तू बद्दहाल, बेमददगार होकर बैठ रहेगा। (आगे फिर इसकी ताकीद है) तेरे रब ने हुक्म कर दिया है कि सिवाय उस (माबूदे बरहक) के किसी और की इबादत मत कर (यह आख़िरत की कोशिश के तरीके की तफ़सील है)।

दूसरा हुक्म माँ-बाप के हुक्क अदा करना:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

और तुम (अपने) माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक किया करो, अगर (वे) तेरे पास (हों और)

उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे (की उम्र) को पहुँच जाएँ (जिसकी वजह से खिदमत के मोहताज हो जायें और जबकि तबई तौर पर उनकी खिदमत करना-भारी मालूम हो) तो (उस वक़्त भी इतना अदब करो कि) उनको कभी (हाँ से) हूँ भी मत करना और न उनको झिड़कना, और उनसे खूब अदब से बात करना। और उनके सामने मेहरबानी से आजिजी के साथ झुके रहना, और (उनके लिये हक़ तआला से) यूँ दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवर्दिगार! इन दोनों पर रहमत फ़रमाइये जैसा कि इन्होंने मुझको बचपन (की उम्र) में पाला, परवरिश किया है (और सिर्फ़ इस जाहिरी अदब व सम्मान पर बस मत करना, दिल में भी उनका अदब और इताअत का इरादा रखना, क्योंकि) तुम्हारा रब तुम्हारे दिलों की बात को खूब जानता है (और इसी वजह से तुम्हारे लिये इस पर अमल करने को आसान करने के वास्ते एक आसानी का हुक्म भी सुनाते हैं कि) अगर तुम (हकीकत में दिल ही से) सआदत मन्द हो (और ग़लती या तुनक-मिज़ाजी या दिली तंगी से कोई जाहिरी कोताही हो जाये और फिर नादिम होकर माज़िरत कर लो) तो वह तौबा करने वालों की ख़ता माफ़ कर देता है।

मआरिफ़ व मसाईल

माँ-बाप के अदब व एहतियाम और इताअत की बड़ी अहमियत

इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि इस आयत में हक़ तआला ने माँ-बाप के अदब व एहतियाम और उनके साथ अच्छा सुलूक करने को अपनी इबादत के साथ मिलाकर वाजिब फ़रमाया है जैसा कि सूर: लुक़मान में अपने शुक्र के साथ माँ-बाप के शुक्र को मिलाकर लाज़िम फ़रमाया है:

أَنْ أَشْكُرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ

(यानी मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ-बाप का भी) इससे साबित होता है कि अल्लाह जल्ल शानुहू की इबादत के बाद माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी सबसे अहम और अल्लाह तआला के शुक्र की तरह माँ-बाप का शुक्रगुज़ार होना वाजिब है। सही बुख़ारी की यह हदीस भी इसी पर सुबूत है जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक शख़्स ने सवाल किया कि “अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल क्या है?” आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि “नमाज़ अपने (मुस्तहब) वक़्त में।” उसने फिर मालूम किया, उसके बाद कौनसा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? तो आपने फ़रमाया—“माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक।”

(तफ़सीरे कुर्तुबी)

माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी व खिदमत के फ़ज़ाईल हदीस की रिवायतों में

1. मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, मुस्तदरक हाकिम में सही सनद से हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि “बाप

जन्नत का दरमियानो दरवाजा है, अब तुम्हें इख्तियार है कि उसकी हिफाजत करो या जाया कर दो।" (तफसीरे मज़हरी)

2. जामे तिमिज़ी व मुस्तदरक हाकिम में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की रिवायत है और हाकिम ने इस रिवायत को सही कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़ी बाप की नाराज़ी में।"

3. इब्ने माजा ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि औलाद पर माँ-बाप का क्या हक़ है? आपने फ़रमाया कि "वे दोनों ही तेरी जन्नत या दोज़ख़ हैं। मतलब यह है कि उनकी इताअत व ख़िदमत जन्नत में ले जाती है और उनकी बेअदबी और नाराज़ी दोज़ख़ में।"

4. बैहकी ने शुअबुल-ईमान में और इब्ने असाकिर ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख्स अल्लाह के लिये अपने माँ-बाप का फ़रमाँबरदार रहा उसके लिये जन्नत के दो दरवाज़े खुले रहेंगे, और जो उनका नाफ़रमान हुआ उसके लिये जहन्नम के दो दरवाज़े खुले रहेंगे, और अगर माँ या बाप में से कोई एक ही था तो एक दरवाज़ा (जन्नत या दोज़ख़ का खुला रहेगा)।" इस पर एक शख्स ने सवाल किया कि (यह जहन्नम की वर्इद) क्या उस सूरत में भी है कि माँ-बाप ने उस शख्स पर जुल्म किया हो? तो आपने तीन मर्तबा फ़रमाया:

وَإِنْ ظَلَمْنَا، وَإِنْ ظَلَمْنَا، وَإِنْ ظَلَمْنَا

(यानी माँ-बाप की नाफ़रमानी और उनको तकलीफ़ पहुँचाने पर जहन्नम की वर्इद है चाहे माँ-बाप ने ही लड़के पर जुल्म किया हो। जिसका हसिल यह है कि औलाद को माँ-बाप से बदला लेने का हक़ नहीं कि उन्होंने जुल्म किया तो यह भी उनकी ख़िदमत व इताअत से हाथ खींच लें)।

5. बैहकी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो ख़िदमतगार बेदा अपने माँ-बाप पर रहमत व शफ़क़त की नज़र डालता है तो हर नज़र के बदले में एक मक़बूल हज़ का सवाब पाता है। लोगों ने अर्ज़ किया कि अगर वह दिन में सौ मर्तबा इस तरह नज़र कर ले? आपने फ़रमाया कि "हाँ सौ मर्तबा भी (हर नज़र पर यह सवाब मिलता रहेगा), अल्लाह तआला बड़ा है (उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं आती)।"

माँ-बाप की हक़-तल्फी की सज़ा आख़िरत से पहले

दुनिया में भी मिलती है

6. बैहकी ने शुअबुल-ईमान में अबी बकरा की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि और सब गुनाहों की सज़ा तो अल्लाह तआला जिसको चाहते हैं कियामत तक टाल देते हैं सिवाय माँ-बाप की हक-तल्फ़ी और नाफ़रमानी के कि इसकी सज़ा आख़िरत से पहले दुनिया में भी दी जाती है (ये सब रियायतें तफ़सीरे मज़हरी से नक़ल की गई हैं)।

माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी किन चीज़ों में वाजिब है और कहाँ मुख़ालफ़त की गुंजाईश है

इस पर उलेमा व फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ (सहमति) है कि माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी सिर्फ़ जायज़ कामों में वाजिब है, नाजायज़ या गुनाह के काम में फ़रमाँबरदारी वाजिब तो क्या जायज़ भी नहीं। हदीस में है:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

(यानी ख़ालिक की नाफ़रमानी में किसी मख़्लूक की इताअत जायज़ नहीं।)

माँ-बाप की ख़िदमत और अच्छे सुलूक के लिये उनका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं

इमाम कुतुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस मसले की शहादत में हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा का यह वाक़िआ सही बुख़ारी से नक़ल किया है कि हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी माँ जो मुश्रिक़ा है मुझसे मिलने के लिये आती है, क्या मेरे लिये जायज़ है कि मैं उसकी ख़ातिर मुदारात करूँ? आपने फ़रमाया:

صَلِّيْ أُمَّكَ

(यानी अपनी माँ की सिला-रहमी और ख़ातिर-मुदारात करो) और काफ़िर माँ-बाप के बारे में खुद क़ुरआने करीम का यह इरशाद मौजूद है:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

यानी जिसके माँ-बाप काफ़िर हों और उसको भी काफ़िर होने का हुक्म दें तो उनका इस मामले में हुक्म मानना जायज़ नहीं, मगर दुनिया में उनके साथ परिचित तरीक़े से बर्ताव किया जाये। ज़ाहिर है कि परिचित तरीक़े से यही मुराद है कि उनके साथ मुदारात का मामला करें।

मसला: जब तक जिहाद फ़र्ज़-ऐन (हर एक पर लाज़िमी फ़र्ज़) न हो जाये, फ़र्ज़-किफ़ायत के दर्जे में रहे उस वक़्त तक किसी लड़के के लिये बग़ैर उनकी इजाज़त के जिहाद में शरीक होना जायज़ नहीं। सही बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रियायत है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में जिहाद में शरीक होने की इजाज़त

लेने के लिये हाज़िर हुआ, आपने उससे पूछा कि "क्या तुम्हारे माँ-बाप ज़िन्दा हैं?" उसने ज़र्न किया कि हाँ ज़िन्दा हैं। आपने फ़रमाया:

ففيهما فجاهد

यानी बस तो अब तुम माँ-बाप की ख़िदमत में रहकर जिहाद करो। मतलब यह है कि उनकी ख़िदमत ही में तुम्हें जिहाद का सवाब मिल जायेगा। दूसरी रिवायत में इसके साथ यह भी बयान हुआ है कि उस शख्स ने यह बयान किया कि मैं अपने माँ-बाप को रोता हुआ छोड़कर आया हूँ इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "जाओ उनको हंसाओ जैसा कि उनको रुलाया है।" यानी उनसे जाकर कह दो कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ़ जिहाद में नहीं जाऊँगा। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

मसला: इस रिवायत से मालूम हुआ कि जब कोई चीज़ फ़र्ज़-ऐन या वाजिबुल-ऐन न हो किफ़ायत के दर्जे में हो तो औलाद के लिये वह काम बग़ैर माँ-बाप की इजाज़त के जायज़ नहीं। इसमें दीन का मुकम्मल इल्म हासिल करना और दीन की तब्लीग़ के लिये सफ़र करने का हुक्म भी शामिल है, कि दीन का इल्म फ़र्ज़ हिस्से के बराबर जिसको हासिल हो वह अ़ालिम बनने के लिये सफ़र करे या लोगों को तब्लीग़ व दावत के लिये सफ़र करे तो बग़ैर माँ-बाप की इजाज़त के जायज़ नहीं।

मसला: माँ-बाप के साथ जो अच्छे सुलूक का हुक्म कुरआन व हदीस में आया है इसमें यह भी दाख़िल है कि जिन लोगों से माँ-बाप की रिश्तेदारी या दोस्ती थी उनके साथ भी अच्छे सुलूक का मामला करे, खुसूसन उनकी वफ़ात के बाद। सही बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "बाप के साथ बड़ा सुलूक यह है कि उसके मरने के बाद उसके दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करे। और हज़रत अबू उसैद बदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नक़ल किया है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बैठा था एक अन्सारी शख्स आया और सवाल किया या रसूलुल्लाह! माँ-बाप के इन्तिक़ाल के बाद भी उनका कोई हक़ मेरे ज़िम्मे बाकी है? आपने फ़रमाया हाँ! उनके लिये दुआ और इस्तिग़फ़ार करना और जो अहद उन्होंने किसी से किया था उसको पूरा करना और उनके दोस्तों का अदब व सम्मान करना और उनके ऐसे रिश्तेदारों के साथ सिला-रहमी का बर्ताव करना जिनकी अज़ीज़ दारी का रिश्ता सिर्फ़ उन्हीं के वास्ते से है। माँ-बाप के ये हुक्क हैं जो उनके बाद भी तुम्हारे ज़िम्मे बाकी हैं।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदत थी कि हज़रत ख़दीजा उम्मुल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद उनकी सहेलियों के पास हदिया भेजा करते थे, जिससे हज़रत ख़दीजा का हक़ अदा करना मक़सद था।

माँ-बाप के अदब की रियायत खुसूसन बुढ़ापे में

माँ-बाप की ख़िदमत व फ़रमाँबरदारी माँ-बाप होने की हैसियत से किसी ज़माने में और

किसी उम्र के साथ मुक़ैयद नहीं, हर हाल और हर उम्र में माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक वाजिब है, लेकिन वाजिबात व फ़राईज़ की अदायेगी में जो हालात आदतन रुकावट बना करते हैं उन हालात में कुरआने करीम का आम अन्दाज़ यह है कि अहकाम पर अमल को आसान करने के लिये विभिन्न पहलुओं से ज़ेहनों की तरबियत भी करता है और ऐसे हालात में अहकाम पर अमल करने की पाबन्दी की और अधिक ताकीद भी।

माँ-बाप के बुढ़ापे का ज़माना जबकि वे औलाद की ख़िदमत के मोहताज हो जायें, उनकी ज़िन्दगी औलाद के रहम व करम पर रह जाये, उस वक़्त अगर औलाद की तरफ़ से ज़रा-सी बेरुख़ी भी महसूस हो तो वह उनके दिल का ज़ख़्म बन जाती है। दूसरी तरफ़ बुढ़ापे के अवारिज़ तबई तौर पर इनसान को चिड़चिड़ा बना देते हैं। तीसरे बुढ़ापे के आख़िरी दौर में जब अक्ल व समझ भी जवाब देने लगते हैं तो उनकी इच्छायें व मुतालबे कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जिनका पूरा करना औलाद के लिये मुश्किल होता है, कुरआने करीम ने इन हालात में माँ-बाप की दिलजोई और राहत पहुँचाने के अहकाम देने के साथ इनसान को उसका बचपन का ज़माना याद दिलाया कि किसी वक़्त तुम भी अपने माँ-बाप के इससे ज़्यादा मोहताज थे जिस क़द्र आज वे तुम्हारे मोहताज हैं, तो जिस तरह उन्होंने अपनी राहत व इच्छाओं को उस वक़्त तुम पर कुरबान किया और तुम्हारी बेअक्ली की बातों को प्यार के साथ बरदाश्त किया, अब जबकि उन पर मोहताजी का यह वक़्त आया तो अक्ल व शराफ़त का तकाज़ा है कि उनके इस पहले वाले एहसान का बदला अदा करो। आयत में:

كَمَارَيْتِنِي صَغِيرًا

से इसी तरफ़ इशारा किया गया है और उक्त आयतों में माँ-बाप के बुढ़ापे की हालत को पहुँचने के वक़्त चन्द ताकीदी अहकाम दिये गये हैं।

अव्वल यह कि उनको उफ़ भी न कहे। लफ़ज़ उफ़ से मुराद ऐसा लफ़ज़ और बात है जिससे अपनी नागवारी का इज़हार हो, यहाँ तक कि उनकी बात सुनकर इस तरह लम्बा साँस लेना जिससे उन पर नागवारी का इज़हार हो वह भी इसी कलिमे उफ़ में दाख़िल है। एक हदीस में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि तकलीफ़ पहुँचाने में उफ़ कहने से भी कम कोई दर्जा होता तो यकीनन वह भी ज़िक्र किया जाता (हासिल यह है कि जिस चीज़ से माँ-बाप को कम से कम भी तकलीफ़ पहुँचे वह भी मना है)।

दूसरा हुक्म है 'व ला तन्हरहुमा'। लफ़ज़ 'नहर' के मायने झिड़कने डाँटने के हैं, इसका तकलीफ़ का सबब होना ज़ाहिर है।

तीसरा हुक्म है 'कुल् लहुमा कौलन् करीमा'। पहले दो हुक्म मनफ़ी पहलू से संबन्धित थे जिनमें माँ-बाप की मामूली से मामूली उस चीज़ को रोका गया है जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे। इस तीसरे हुक्म में सकारात्मक अन्दाज़ से माँ-बाप के साथ बातचीत का अदब सिखलाया

गया है कि उनसे मुहब्बत व शफकत के नर्म लहजे में बात की जाये। हज़रत सईद बिन मुसैयब ने फ़रमाया जिस तरह कोई गुलाम अपने सख्त-मिज़ाज आका से बात करता है।

चौथा हुक्म है 'वख़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनरह्मति'। जिसका हासिल यह है कि उनके सामने अपने आपको अज़िज़ व ज़लील आदमी की सूत में पेश करे, जैसे गुलाम आका के सामने। जनाह के मायने बाजू के हैं, लफ़्ज़ी मायने यह हैं कि माँ-बाप के लिये अपने बाजू अज़िज़ी और ज़िल्लत के साथ झुकाये। आख़िर में 'मिनरह्मति' के लफ़्ज़ से एक तो इस पर सचेत किया कि माँ-बाप के साथ यह मामला महज़ दिखावे का न हो बल्कि दिली रहमत व इज़्ज़त की बुनियाद पर हो, दूसरे शायद इशारा इस तरफ़ भी है कि माँ-बाप के सामने ज़िल्लत के साथ पेश आना असली इज़्ज़त का पहला क़दम है, क्योंकि यह वास्तविक ज़िल्लत नहीं बल्कि इसका सबब शफकत व रहमत है।

पाँचवाँ हुक्म है 'व कुरिब्बिरहम्हुमा'। जिसका हासिल यह है कि माँ-बाप को पूरी राहत पहुँचाना तो इनसान के बस की बात नहीं, अपनी हिम्मत भर राहत पहुँचाने की फ़िक्र के साथ उनके लिये अल्लाह तआला से भी दुआ करता रहे कि अल्लाह तआला अपनी रहमत से उनकी सब मुश्किलों को आसान और तकलीफ़ों को दूर फ़रमाये। यह आख़िरी हुक्म ऐसा विस्तृत और आम है कि माँ-बाप की वफ़ात के बाद भी जारी है, जिसके ज़रिये वह हमेशा माँ-बाप की ख़िदमत कर सकता है।

मसला: माँ-बाप अगर मुसलमान हों तो उनके लिये रहमत की दुआ जाहिर है, लेकिन अगर वे मुसलमान न हों तो उनकी ज़िन्दगी में यह दुआ इस नीयत से जायज़ होगी कि उनको दुनियावी तकलीफ़ से निजात हो और ईमान की तौफ़ीक़ हो, मरने के बाद उनके लिये रहमत की दुआ जायज़ नहीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, संक्षिप्तता के साथ)

एक अजीब वाकिआ

इमाम क़ुर्तुबी ने अपनी मुत्तसिल सनद के साथ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और शिकायत की कि मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है। आपने फ़रमाया कि अपने वालिद (बाप) को बुलाकर लाओ। उसी वक़्त हज़रत जिब्रीले अमीन तशरीफ़ लाये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि जब इसका बाप आ जाये तो आप उससे पूछें कि वो कलिमात क्या हैं जो उसने दिल में कहे हैं, खुद उसके कानों ने भी उनको नहीं सुना? जब यह शख्स अपने वालिद को लेकर पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वालिद से कहा कि क्या बात है, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है। क्या आप चाहते हैं कि इसका माल छीन लें? वालिद ने अर्ज़ किया कि आप इसी से यह सवाल फ़रमायें कि मैं इसकी फूफ़ी ख़ाला या अपने नफ़स के सिवा कहाँ ख़र्च करता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि 'ईह' (जिसका मतलब यह था कि बस हकीकत मालूम हो गई अब

और कुछ कहने-सुनने की ज़रूरत नहीं)।

इसके बाद उसके वालिद से दरियाफ्त किया कि वे कतिमात क्या हैं जिनको अभी तक खुद तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना। उस शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! हमें हर मामले में अल्लाह तआला आप पर हमारा इमान और यकीन बढ़ा देते हैं (जो बात किसी ने नहीं सुनी उसकी आपको इत्तिला हो गई जो एक मौजिज़ा है) फिर उसने अर्ज किया कि यह एक हकीकत है कि मैंने चन्द अशआर दिल में कहे थे जिनको मेरे कानों ने भी नहीं सुना। आपने फ़रमाया कि वो हमें सुनाओ, उस वक़्त उसने ये निम्नलिखित अशआर सुनाये।

عَذْوَتِكَ مَوْلُوذًا وَمُنْتِكَ يَا فَعَا ☆ تَعَلُّ بِمَا أَجْنَى عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ

“मैंने तुझे बचपन में गिज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई, तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था।”

إِذَا لَبِئَةُ ضَافَتِكَ بِالْقَسَمِ لَمْ أَبْتَ ☆ لَسَقَمِكَ إِلَّا سَاهِرًا الْمَلْمَلُ

“जब किसी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने तमाम रात तुम्हारी बीमारी के सबब जागने और बेकरारी में गुज़ार दी।”

كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالذِّي ☆ طَرَفْتُ بِهِ دُونِي فَعِنِي تَهْمَلُ

“गोया कि तुम्हारी बीमारी मुझे ही लगी है तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं तमाम रात रोता रहा।”

تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنِّهَا ☆ لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتُ مُؤَجَّلُ

“मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहा हालाँकि मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है आगे पीछे नहीं हो सकती।”

فَلَمَّا بَلَغْتَ الْمَيِّتَ وَالْغَايَةَ الَّتِي ☆ إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتَ فِيكَ أَوْ مَلُ

“फिर जब तुम उस उम्र और हद तक पहुँच गये जिसकी मैं तमन्ना किया करता था।”

جَعَلْتَ جِزَائِي غَلْظَةً وَقِظَاظَةً ☆ كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعَمُ الْمَتَفَضَّلُ

“तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त-कत्लामी बना दिया, गोया कि तुम्हीं मुझ पर एहसान व इनाम कर रहे हो।”

فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرَعْ حَقَّ أَبِي تَمِي ☆ فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمَصَاقِبُ يَفْعَلُ

“काश! अगर तुमसे मेरे बाप होने का हक़ अदा नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसा ही कर लेते जैसा एक शरीफ़ पड़ोसी किया करता है।”

فَأَرَلَيْتَنِي حَقَّ الْجَوَارِ وَلَمْ تَكُنْ ☆ عَلِيٌّ بِمَالِ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ

“तो कम से कम मुझे पड़ोसी का हक़ तो दिया होता और खुद मेरे ही माल में मेरे हक़ में कम्जूसी से काम न लिया होता।”

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ये अशआर सुने तो बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और फरमाया:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

यानी जा तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। (तफसीरे कुर्तुबी पेज 246 जिल्द 10) ये अशआर अरबी अदब (साहित्य) की मशहूर किताब हमासा में भी नकल किये गये मगर इनको उमैया बिन अबिस्सुत्त शायर की तरफ मन्सूब किया है और कुछ लोगों ने कहा है कि यह अब्दुल-अअला के अशआर हैं। बाज़ लोगों ने इनकी निस्बत अबुल-अब्बास अअमा की तरफ की है। (हाशिया तफसीरे कुर्तुबी)

उपर्युक्त आयतों में से आखिरी आयत:

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ

(यानी आयत नम्बर 25) में उस दिली तंगी को दूर फरमा दिया गया है जो माँ-बाप के अदब व सम्मान से सम्बन्धित उक्त अहकाम से औलाद के दिल में पैदा हो सकती है, कि माँ-बाप के साथ हर वक्त रहना है, उनके और अपने हालत भी हर वक्त एक जैसे और बराबर नहीं होते, किसी वक्त ज़बान से कोई कलिमा ऐसा निकल गया जो उपरोक्त आदाब के खिलाफ हो तो उस पर जहन्नम की वईद (सज़ा की धमकी) है, इस तरह गुनाह से बचना सख्त मुश्किल होगा। इस आयत में इस शुब्हे और इसे दिली तंगी को दूर करने के लिये फरमाया कि बगैर इरादे के बेअदबी के कभी किसी परेशानी या ग़फ़लत से कोई कलिमा निकल जाये और फिर उससे तौबा कर ले तो अल्लाह तआला दिलों के हाल से वाकिफ़ हैं कि वह कलिमा बेअदबी या तकलीफ़ पहुँचाने के लिये नहीं कहा था वह माफ़ फ़रमाने वाले हैं। लफ़ज़ अब्वाबीन तव्वाबीन के मायने में है। हदीस में मग़रिब के बाद की छह रक़ातों और इशराक़ की नवाफ़िल को 'सलात-ए-अव्वाबीन' कहा गया है जिसमें इशारा है कि इन नमाज़ों की तौफ़ीक़ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो अब्वाबीन और तव्वाबीन (अल्लाह की तरफ़ रुजू करने वाले और तौबा करने वाले) हैं।

وَإِنَّ الْقُرْبَىٰ حَقٌّ وَالْيَتَامَىٰ

وَإِنَّ السَّبِيلَ وَلَا تَبْدُرُ تُبْدِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

व आति जल्कुरबा हक्कहू वल्-
मिस्की-न वब्नस्सबीलि व ला
तुबज़िर् तब्ज़ीरा (26) इन्नल्-
मुबज़िरी-न कानू इख्वानशशयातीनि,
व कानशशैतानु लिरब्बिही कफूरा (27)

और दे कराबत वाले को उसका हक़ और
मोहताज को और मुसाफ़िर को, और मत
उड़ा बेजा। (26) बेशक अड़ाने वाले भाई
हैं शैतानों के, और शैतान है अपने रब
का नाशुक्रा। (27)

इन आयतों के मज़मून का पीछे के मज़मून से ताल्लुक़

इन दोनों आयतों में बन्दों के हुक्क के बारे में दो और हुक्म बयान हुए हैं— पहला माँ-बाप के अलावा दूसरे रिश्तेदारों और आम मुसलमानों के हुक्क। दूसरा खर्च करने में फुज़ूलखर्ची की मनाही। मुख़्तसर तफ़सीर यह है:

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और कराबतदार “यानी रिश्तेदार” को उसका (माली और गैर-माली) हक़ देते रहना और मोहताज व मुसाफ़िर को भी (उनके हुक्क) देते रहना और (माल को) बेमौका मत उड़ाना, बेशक बेमौका उड़ाने वाले शैतानों के भाई-बन्द हैं (यानी उनके जैसे हैं) और शैतान अपने परवर्दिगार का बड़ा नाशुक्रा है (कि हक़ तआला ने उसको अक्ल की दौलत दी उसने उस अक्ल की दौलत को अल्लाह तआला की नाफ़रमानी में खर्च किया। इसी तरह फुज़ूलखर्ची करने वालों को अल्लाह तआला ने माल की दौलत दी मगर वे उसको अल्लाह तआला की नाफ़रमानी में खर्च करते हैं)।

मआरिफ़ व मसाईल

आम रिश्तेदारों के हुक्क का ख़ास ख़्याल

पिछली आयतों में माँ-बाप के हुक्क और उनके अदब व एहतिराम की तालीम थी, इस आयत में आम रिश्तेदारों के हुक्क का बयान है कि हर रिश्ते का हक़ अदा किया जाये जो कम से कम उनके साथ अच्छा बर्ताव और उम्दा सुलूक है। और अगर वे ज़रूरत मन्द हों तो उनकी माली इमदाद भी अपनी गुंजाईश के मुताबिक़ इसमें दाख़िल है। इस आयत से इतनी बात तो साबित हो गई कि हर शख्स पर उसके आम रिश्तेदार अज़ीज़ों का भी हक़ है, वह क्या और कितना है इसकी तफ़सील बयान नहीं हुई, मगर आम सिला-रहमी और अच्छे बर्ताव का इसमें दाख़िल होना वाजेह है। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक़ इसी फ़रमान के तहत जो रिश्तेदार जी-रहम मेहरम हो, अगर वह औरत या बच्चा है जिनके पास अपने गुज़ारे का सामान नहीं और कमाने पर भी कुदरत नहीं, इसी तरह जो रिश्तेदार जी-रहम मेहरम अपाहिज या अंधा हो और उसकी मिल्क में इतना माल नहीं जिससे उसका गुज़ारा हो सके तो उनके जिन रिश्तेदारों में इतनी गुंजाईश है कि वे उनकी मदद कर सकते हैं उन पर उन सब का नफ़का (खाना-खर्ची) फ़र्ज़ है, और अगर एक ही दर्जे के कई रिश्तेदार गुंजाईश वाले हों तो उन सब पर तक़सीम करके उनका गुज़ारा नफ़का दिया जायेगा। सूर: ब-क़रह की आयत:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

(यानी आयत नम्बर 233) से भी यह हुक्म साबित है। (तफ़सीर मज़हरी)

इस आयत में रिश्तेदारों, मिस्कीन और मुसाफ़िर को माली मदद देने और सिला-रहमी करने

की उनका हक फरमाकर इन तरफ इशारा कर दिया कि देने वाले को उन पर एहसान जताने का कोई मोका नहीं, क्योंकि उनका हक उसके जिम्मे फर्ज है, देने वाला अपना फर्ज अदा कर रहा है किसी पर एहसान नहीं कर रहा।

फुजूलखर्ची की मनाही

फुजूलखर्ची के मायने को कुरआने करीम ने दो लफ्जों से ताबीर फरमाया है— एक तब्ज़ीर और दूसरे इस्राफ़। तब्ज़ीर की मनाही तो इसी ऊपर बयान हुई आयत में वाजेह है, इस्राफ़ की मनाही 'व ला तुस्रिफू' वाली आयत से साबित है। कुछ हज़रात ने फरमाया कि दोनों लफ्ज़ एक जैसे मायने वाले हैं। किसी नाफरमानी में या बेमौका ग़लत जगह खर्च करने को तब्ज़ीर व इस्राफ़ कहा जाता है, और कुछ हज़रात ने इसमें यह तफ़सील बयान की है कि किसी गुनाह में या बिल्कुल बेमौका बेमहल खर्च करने को तब्ज़ीर कहते हैं और जहाँ खर्च करने का जायज़ मौका तो हो मगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जाये उसको इस्राफ़ कहते हैं। इसलिये तब्ज़ीर इस्राफ़ के मुकाबले में ज़्यादा सख्त है, मुबज़्ज़रीन (फुजूलखर्ची करने वालों) को शैतान का भाई करार दिया गया है।

इमामे तफ़सीर हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि अगर कोई अपना सारा माल हक के लिये खर्च कर दे तो वह तब्ज़ीर नहीं, और अगर बातिल (गैर-हक और ग़लत काम) के लिये एक मुद्द (आधा सैर) भी खर्च करे तो वह तब्ज़ीर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि गैर-हक में बेमौका खर्च करने का नाम तब्ज़ीर है। (तफ़सीरे मज़हरी) इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि तब्ज़ीर यह है कि इनसान माल को हासिल तो हक के मुताबिक़ करे मगर खिलाफ़े हक़ खर्च कर डाले, और इसका नाम इस्राफ़ भी है और यह हराम है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि हराम व नाजायज़ काम में तो एक दिरहम खर्च करना भी तब्ज़ीर है, और जायज़ व मुबाह इच्छाओं में हद से ज़्यादा खर्च करना जिससे आगे चलकर मोहताज फ़कीर हो जाने का ख़तरा हो जाये यह भी तब्ज़ीर में दाख़िल है, हाँ! अगर कोई शख्स अपनी असल जमा को महफूज़ रखते हुए उसके मुनाफ़े को अपनी जायज़ ज़रूरतों और इच्छाओं में युस्तुत के साथ खर्च करता है तो वह तब्ज़ीर में दाख़िल नहीं।

(तफ़सीरे कुर्तुबी पेज 248 जिल्द 10)

وَمَا تَعْرَضْنَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝

व इम्मा तुअरिज़न्-न अन्हुमुब्तिगा-अ
रस्मतिम्-मिर्बिबि-क तरजूहा फकुल्-
लहुम् कौलम्-मैसूरा (28)

और अगर कभी तू बेतवज्जोही करे
उनकी तरफ़ से इन्तिज़ार में अपने रब की
मेहरबानी के जिसकी तुझको उम्मीद है तो
कह दे उनको बात नर्मी की। (28)

इस आयत के मज़मून का पीछे से संबन्ध

इस आयत में बन्दों के हुक्क से संबन्धित पाँचवाँ हुक्म यह दिया गया है कि अगर किसी वक्त ज़रूरत मन्दों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक़ देने का इन्तिज़ाम न हो सके तो उस वक्त भी उनको रूखा जवाब न दिया जाये बल्कि हमदर्दी के साथ आईन्दा सहूलत की उम्मीद दिलाई जाये। आयत की तफ़सीर यह है:

खुलासा-ए-तफ़सीर

और अगर (किसी वक्त तुम्हारे पास उन लोगों को देने के लिये माल न हो और इसलिये) तुमको उस रिज़क़ के इन्तिज़ार में जिसकी अपने परवर्दिगार की तरफ़ से आने की उम्मीद हो (उसके न आने तक) उनसे दामन बचाना पड़े तो (इतना ख़्याल रखना कि) उनसे नमी की बात कह देना (यानी दिलजोई के साथ उनसे वायदा कर लेना कि इन्शा-अल्लाह तआला कहीं से आयेगा तो देंगे, दिल दुखाने वाला जवाब मत देना)।

मअरिफ़ व मसाइल

इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके वास्ते से पूरी उम्मत की अजीब अख़लाकी तरबियत है कि अगर किसी वक्त ज़रूरत मन्द लोग सवाल करें और आपके पास देने को कुछ न हो इसलिये उन लोगों से मुँह फेरने पर मजबूर हो तो भी आपका यह बेतयज्जोही बरतना बेपरवाही या मुख़ातब के लिये अपमान जनक न होना चाहिये बल्कि यह किनारा करना अपनी अज़िज़ी व मजबूरी के इज़हार के साथ होना चाहिये।

इस आयत के शाने नुज़ूल में इब्ने ज़ैद की रिवायत यह है कि कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से माल का सवाल किया करते थे और आपको मालूम था कि इनको दिया जायेगा तो ये फ़साद (ख़राबी फैलाने) में ख़र्च करेंगे इसलिये आप उनको देने से इनकार कर देते थे कि यह इनकार उनको फ़साद से रोकने का ज़रिया है, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

मुस्नद सईद बिन मन्सूर में सबा बिन हक़म की रिवायत से यह मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास कुछ कपड़ा आया था, आपने उसको मुस्तहिक़ लोगों में तक़सीम फ़रमा दिया, उसके बाद कुछ और लोग आये जबकि आप फ़ारिग़ हो चुके थे और कपड़ा ख़त्म हो चुका था, उनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

مَحْسُورًا ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

व ला तजूअल् य-द-क मूलू-लतन्
 इला अनुकि-क व ला तब्सुत्हा
 कुल्लबस्ति फ-तकजु-द मलूमम्-
 महसूरा (29) इन्-न रब्ब-क
 यब्सुतुरिज़्-क लिमंयशा-उ व
 यकिदरु, इन्हू का-न विज़िधादिही
 खबीरम्-बसीरा (30) ❀

और न रख अपना हाथ बंधा हुआ अपनी
 गर्दन के साथ और न खोल दे उसको
 बिल्कुल खोल देना, फिर तू बैठ रहे
 इज़ाम खाया हारा हुआ। (29) तेरा रब
 खोल देता है रोज़ी जिसके वास्ते चाहें और
 तंग भी वही करता है, वही है अपने बन्दों
 को जानने वाला देखने वाला। (30) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और न तो अपना हाथ गर्दन ही से बाँध लो (कि हृद से ज्यादा कन्जूसी से बिल्कुल हाथ
 खर्च करने से रोक लो) और न बिल्कुल ही खोल देना चाहिए (कि ज़रूरत से ज्यादा खर्च करके
 फुगूलखर्ची की जाये) वरना इज़ाम लिये हुए (और) खाली हाथ होकर बैठ रहोगे (और किसी की
 गरीबी व तंगदस्ती से इतना असर कर लेना कि अपने को परेशानी में डाल लो कोई माकूल बात
 नहीं, क्योंकि) बेशक तेरा रब जिसको चाहता है ज्यादा रिज़क देता है, और वही (जिस पर चाहे)
 तंगी कर देता है। बेशक वह अपने बन्दों (की हालत और उनकी मस्तेहत) को खूब जानता है,
 देखता है (सारे आलम की ज़रूरतों को पूरा करना तो रब्बुल-आलमीन ही का काम है, तुम इस
 फ़िक्र में क्यों पड़े कि अपने से हो सके या न हो सके अपने आपको मुसीबत में डालकर सब की
 ज़रूरतें पूरी ही करो। यह सूरत इसलिये बेकार है कि यह सब कुछ करने के बाद भी सब की
 ज़रूरतें पूरी कर देना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि कोई किसी का ग़म
 न करे, उसके लिये तदबीर न करे, बल्कि मतलब यह है कि सब की हाजतें पूरी करना किसी
 इनसान के बस में नहीं चाहे यह अपने ऊपर कितनी ही मुसीबत बरदाश्त करने के लिये तैयार
 भी हो क्योंकि यह काम तो सिर्फ़ मालिके कायनात ही का है कि सब की हाजतों को जानता भी
 है और सब की मस्तेहतों से भी वाकिफ़ है, कि किस वक़्त किस शख्स की किस हाजत को
 किस मात्रा में पूरा करना चाहिये, इसलिये इनसान का काम तो सिर्फ़ इतना ही है कि दरमियानी
 चाल से काम ले, न खर्च करने के मौक़े में कन्जूसी करे और न इतना खर्च करे कि कल को
 खुद ही फ़कीर हो जाये और बाल-बच्चे और घर वाले जिनके हुकूक उसके जिम्मे हैं उनके हुकूक
 अदा न हो सकें और बाद में पछताना पड़े)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

खर्च करने में दरमियानी चाल की हिदायत

इस आयत में डायरेक्ट तौर पर मुखातब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं

और आपके वास्ते से पूरी उम्मत मुखातब है, और मकराद आर्थिक स्थिति की ऐसी तालीम है जो दूसरों की इमदाद में रुकावट भी न हो और खुद अपने लिये भी मुसीबत न बने। इस आयत के शाने नुजूल में इब्ने मरदूया ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की रिवायत से और इमाम बग़वी ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से एक वाक़िआ नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक लड़का हाज़िर हुआ और अर्ज किया कि मेरी वालिदा आप से एक कुर्ते का सवाल करती हैं, उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास कोई कुर्ता उसके सिवा नहीं था जो आपके बदन मुबारक पर था। आपने लड़के को कहा कि फिर किसी वक़्त आओ जबकि हमारे पास इतनी गुंजाईश हो कि तुम्हारी वालिदा का सवाल पूरा कर सकें। लड़का घर गया, वापस आया और कहा कि मेरी वालिदा कहती हैं कि आपके बदन मुबारक पर जो कुर्ता है वही इनायत फ़रमा दें। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने बदन मुबारक से कुर्ता उतारकर उसके हवाले कर दिया, आप नंगे बदन रह गये, नमाज़ का वक़्त आया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ान दी मगर आप आदत के अनुसार बाहर तशरीफ़ न लाये तो लोगों को फ़िक्र हुई, कुछ लोग अन्दर हाज़िर हुए तो देखा कि आप कुर्ते के बग़ैर नंगे बदन बैठे हैं, इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

अल्लाह की राह में इतना खर्च करना कि खुद

परेशानी में पड़ जाये इसका दर्जा

इस आयत से बज़ाहिर इस तरह खर्च करने की मनाही मालूम होती है जिसके बाद खुद फ़कीर व मोहताज हो जाये और परेशानी में पड़ जाये। इमामे तफ़सीर कुर्तुबी रह. ने फ़रमाया कि यह हुक्म मुसलमानों के आम हालात के लिये है जो खर्च करने के बाद तकलीफ़ों से परेशान होकर पिछले खर्च किये हुए पर पछतायें और अफ़सोस करें। क़ुरआने करीम के लफ़ज़ महसूरन में इसकी तरफ़ इशारा मौजूद है। (जैसा कि तफ़सीरे मज़हरी में इसकी वज़ाहत है)

और जो लोग इतने बुलन्द हौसले वाले हों कि बाद की परेशानी से न घबरायें और हुक्क वालों के हुक्क भी अदा कर सकें उनके लिये यह पाबन्दी नहीं है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आम आदत यह थी कि कल के लिये कुछ ज़ख़ीरा न करते थे जो कुछ आज आया आज ही खर्च फ़रमा देते थे और बहुत-सी बार भूख और फ़ाके की तकलीफ़ भी पेश आती, पेट पर पत्थर बाँधने की नौबत भी आ जाती थी और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में भी बहुत-से ऐसे हज़रात हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, आपने न इसको मना फ़रमाया न उनको मत्लामत की। इससे मालूम हुआ कि इस आयत की मनाही उन लोगों के लिये है जो फ़क़ व फ़ाके की तकलीफ़ बरदाश्त न कर सकें और खर्च करने के बाद उनको अफ़सोस

हो कि काश! हम खर्च न करते। यह सूरात उनके पिछले अमल को फ़ारिद (ख़राब) कर देगी इसलिये इससे मना फ़रमाया गया।

खर्च में अव्यवस्था मना है

और असल बात यह है कि इस आयत ने बदनज़्मी (अव्यवस्था) के साथ खर्च करने को मना किया है कि आगे आने वाले हालात को अनदेखा करके जो कुछ पास है उसे इस वक़्त खर्च कर डाले, कल को दूसरे ज़रूरत वाले लोग आयें और कोई अहम दीनी ज़रूरत पेश आ जाये तो अब उसके लिये झुदरत न रहे। (तफ़सीर कुर्तुबी)

या अहल व अयाल (बीवी-बच्चे) जिनके हुक्क इसके जिम्मे वाजिब हैं उनके हक़ अदा करने से आजिज़ हो जायें। (तफ़सीर मज़हरी)

“मलूम महसूर” के अलफ़ाज़ के बारे में तफ़सीर-ए-मज़हरी में है कि ‘मलूम’ का ताल्लुक पहली हालत यानी कन्ज़ूसी से है कि अगर हाथ को कन्ज़ूसी से बिल्कुल रोक लेगा तो लोग मतामत करेंगे और महसूर का ताल्लुक दूसरी हालत से है कि खर्च करने में इतनी ज़्यादाती करे कि खुद फ़कीर हो जाये, तो यह महसूर यानी थका-मौंदा आजिज़ या अफ़सोस का मारा हुआ हो जायेगा।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ مِّمَّنْ تَرْتُزِقُونَ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ كَثِيرَهُمْ كَانَ خَطَا كَبِيرًا ۝

व ला तकतुलू औलादकुम् ख़श्य-त
इम्लाकिन्, नहनु नरज़ुकुहुम् व
इय्याकुम्, इन्-न कत्लहुम् का-न
ख़ितअन् कबीरा (31)

और न मार डालो अपनी औलाद को
मुफ़लिसी के ख़ौफ़ से, हम रोज़ी देते हैं
उनको और तुमको, बेशक उनका मारना
बड़ी ख़ता है। (31)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और अपनी औलाद को मुफ़लिसी “तंगदस्ती व गुर्बत” के डर से क़त्ल न करो (क्योंकि सब के राज़िक हम हैं) हम उनको भी रिज़क देते हैं और तुमको भी (अगर राज़िक तुम होते तो ऐसी बातें सोचते) बेशक उनका क़त्ल करना बड़ा भारी गुनाह है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इससे पहले की आयतों में इन्सानी हुक्क के बारे में हिदायतों का एक सिलसिला है, यह ठूठा हुक्म जाहिलीयत वालों (इस्लाम से पहले के ज़माने के लोगों) की एक ज़ालिमाना आदत की इस्लाह (सुधार) के लिये है। ज़माना-ए-जाहिलीयत में कुछ लोग पैदाईश के वक़्त अपनी

औलाद' खास तौर से बेटियों को इस ख़ौफ़ से क़त्ल कर डालते थे कि उनके ख़र्चों का बोझ हम पर पड़ेगा। उपर्युक्त आयत में हक़ तआला ने उनकी जहालत को वाज़ेह किया है कि रिज़क़ देने वाले तुम कौन? यह तो ख़ालिस अल्लाह तआला के कब्ज़े में है, तुम्हें भी तो वही रिज़क़ देता है, जो तुम्हें देता है वही उनको भी देगा, तुम क्यों इस फ़िक्र में औलाद को क़त्ल करने के मुजरिम बनते हो। बल्कि इस जगह अल्लाह तआला ने रिज़क़ देने में औलाद का ज़िक्र पहले करके इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया है कि पहले उनको फिर तुम्हें देंगे, जिसका मतलब दर असल यह है कि अल्लाह तआला जिस बन्दे को देखते हैं कि वह अपने अहल व अयाल (बीवी-बच्चों) की परवरिश और ज़िम्मेदारी उठाता या दूसरे ग़रीबों ज़ईफ़ों की इमदाद करता है तो उसको उसी हिसाब से देते हैं कि वह अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सके और दूसरों की इमदाद भी कर सके। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

إِنَّمَا تَنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضِعْفِائِكُمْ

यानी तुम्हारे ज़ईफ़ व कमज़ोर तबके ही की वजह से अल्लाह तआला की तरफ़ से तुम्हारी इमदाद होती है और तुम्हें रिज़क़ दिया जाता है। इससे मालूम हुआ कि अहल व अयाल (बीवी-बच्चों) की ज़िम्मेदारी उठाने वाले माँ-बाप को जो कुछ मिलता है वह कमज़ोर औरतों बच्चों की खातिर ही मिलता है।

मसला: क़ुरआने करीम के इस इरशाद से उस मामले पर भी रोशनी पड़ती है जिसमें आज की दुनिया गिरफ़्तार है कि आबादी की अधिकता के ख़ौफ़ से बच्चों की पैदाईश को रोकने और खानदानी मन्सूबा बन्दी (बर्थ कन्ट्रोल) को रिवाज दे रही है, इसकी बुनियाद भी इसी जाहिलाना सोच पर है कि रिज़क़ का ज़िम्मेदार अपने आपको समझ लिया गया है, यह मामला औलाद के क़त्ल के बराबर गुनाह न सही मगर इसके बुरा और निंदनीय होने में कोई शुब्हा नहीं।

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

व ला तक्रर बुज़िज़ना इन्नहू का-न
फ़ाहि-शतनू, व सा-अ सबीला (32)

और पास न जाओ बदकारी के वह है
बेहयाई, और बुरी राह है। (32)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और ज़िना के पास भी मत फ़टको (यानी जो चीज़ें उसकी तरफ़ दावत दें या जो उसकी पहली सीढ़ी हों उनसे भी बचो) बिला शुब्हा वह (खुद भी) बड़ी बेहयाई की बात है और (दूसरी ख़राबियों के एतिबार से भी) बुरी राह है (क्योंकि उससे दुश्मनियों, फ़ितनों और नसब को जाया व बरबाद करने की राहें खुलती हैं)।

मअरिफ व मसाइल

यह साँतवाँ हुक्म जिना की हुर्मत (हराम होने) के बारे में है, जिसके हराम होने की दो वजह बयान की गई हैं— अब्बल यह कि वह बेहयाई है और इनसान में हया न रही तो वह इनसानियत ही से मेहरूम हो जाता है। फिर उसके लिये किसी भले-बुरे काम का फर्क और भेद नहीं रहता। इसी मायने के लिये हदीस में इरशाद है:

إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت

यानी जब तेरी हया ही जाती रही तो किसी बुराई से रुकावट का कोई पर्दा न रहा, तो जो चाहोगे करोगे। और इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हया को ईमान का एक अहम हिस्सा करार दिया है:

والحياء شعبة من الإيمان. (بخاری)

दूसरी वजह सामाजिक बिगाड़ और खराबी है जो जिना की वजह से इतनी फैलती है कि उसकी कोई हद नहीं रहती और इसके बुरे नतीजे कभी-कभी पूरे कबीलों और कौमों को बरबाद कर देते हैं। फितने, चोरी, डांका, क़त्ल की जितनी अधिकता आज दुनिया में बढ़ गई है उसके हालात की तहकीक़ की जाये तो आधे से ज्यादा बाकिआत का सबब कोई औरत व मर्द निकलते हैं जो इस जुर्म के करने वाले हुए। इस जुर्म का ताल्लुक अगरचे डायरेक्ट बन्दों के हुक्क़ से नहीं मगर इस जगह बन्दों के हुक्क़ से सम्बन्धित अहकाम के ज़िमन में इसका ज़िक्र करना शायद इसी बिना पर हो कि यह जुर्म बहुत से ऐसे जुर्मों को साथ लाता है जिससे बन्दों के हुक्क़ प्रभावित होते हैं और क़त्ल व ग़ारतगरी के हंगामे बरपा होते हैं, इसी लिये इस्लाम ने इस जुर्म को तमाम जुर्मों से ज्यादा सख्त करार दिया है, इसकी सज़ा भी सारे जुर्मों की सज़ाओं से ज्यादा सख्त रखी है, क्योंकि यह एक जुर्म दूसरे सैंकड़ों जुर्मों को अपने में समोये हुए है।

हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती हैं और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि जहन्नम वाले भी उससे परेशान होंगे और आग के अज़ाब के साथ उनकी रुखाई जहन्नम में भी होती रहेगी। (बज़ार, बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से, मज़हरी)

एक दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिना करने वाला जिना करने के वक़्त मोमिन नहीं होता, चोरी करने वाला चोरी करने के वक़्त मोमिन नहीं होता और शराब पीने वाला शराब पीने के वक़्त मोमिन नहीं होता। यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में है, इसकी शरह अबू दाऊद की रिवायत में यह है कि इन जुर्मों को करने वाले जिस वक़्त जुर्म में मुब्तला होते हैं तो ईमान उनके दिलों से निकलकर बाहर आ जाता है और फिर जब उससे लौट जाते हैं तो ईमान वापस आ जाता है। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُرْفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

व ला तक्तुलून्-नफ्सल्लती हरमल्लाहु
इल्ला बिल्हक्कि, व मन् फ़ुति-ल
मज़लूमन् फ़-क़द् ज़अत्ना
लि-वलियिही सुल्तानन् फ़ ला
युस्तिफ़्-फ़िल्क़त्लि, इन्नहू का-न
मन्सूरा (33)

और न मारो उस जान को जिसको मना
कर दिया है अल्लाह ने मगर हक़ पर,
और जो मारा गया जुल्म से तो दिया
हमने उसके वारिस को जोर सौ हद से न
निकल जाये क़त्ल करने में, उसको मदद
मिलती है। (33)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जिस शख्स (के क़त्ल करने) को अल्लाह तआला ने हराम फ़रमाया है उसको क़त्ल मत करो, हाँ मगर हक़ पर (क़त्ल करना दुरुस्त है यानी जब किसी शर्ई हुक्म से क़त्ल करना वाजिब या जायज़ हो जाये तो वह अल्लाह तआला के हराम करने में दाख़िल नहीं)। और जो शख्स नाहक़ क़त्ल किया जाए तो हमने उसके (असली या हुक्मी) वारिस को इख़्तियार दिया है (क़िसास लेने का) सो उसको क़त्ल के बारे में (शरीअत की) हद से आगे न बढ़ना चाहिए (यानी क़ातिल पर क़त्ल का यकीनी सुबूत मिले वगैर क़त्ल न करे और उसके रिश्तेदारों और परिजनों वगैरह को जो क़त्ल में शरीक नहीं हैं महज़ बदला लेने के जोश में क़त्ल न करे और क़ातिल को भी सिर्फ़ क़त्ल करे नाक कान या हाथ पाँव वगैरह काटकर मुसला न करे, क्योंकि) वह शख्स (क़िसास में हद से न निकलने की सूरत में तो शर्ई तौर से) मदद के काबिल है (और उसने ज्यादती की तो फिर दूसरा पक्ष मज़लूम होकर अल्लाह की मदद का मुस्तहिक् हो जायेगा, इसलिये मक्तूल के वली को चाहिये कि वह अपने अल्लाह की तरफ़ से मदद याफ़ता होने की क़द्र करे, हद से बढ़कर अल्लाह की इस नेमत को जाया न करे)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

यह आठवाँ हुक्म नाहक़ क़त्ल करने के हराम होने के बयान में है जिसका भारी जुर्म होना दुनिया की सारी जमाअतों, मज़हबों और फ़िकों में मुसल्लम (माना हुआ) है। हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि सारी दुनिया की तबाही अल्लाह के नज़दीक इससे हल्की है कि किसी मोमिन को नाहक़ क़त्ल किया जाये (और कुछ रिवायतों में इसके साथ यह भी है कि) अगर अल्लाह तआला के सातों आसमानों और सातों ज़मीनों के

काशिये किसी मोमिन के नाहक क़त्ल में शरीक हो जायें तो उन सब को अल्लाह तआला जहन्नम में दाखिल कर देंगे। (इब्ने माजा, हसन सनद के साथ, बैहकी, तफ़सीरे मज़हरी)

और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान के क़त्ल में कातिल की इमदाद एक बात से भी की तो मैदाने हश्र में जब वह अल्लाह तआला के सामने पेश होगा तो उसकी पेशानी पर लिखा होगा:

انس من رحمة الله

यानी यह शख्स अल्लाह तआला की रहमत से मायूस कर दिया गया है। (मज़हरी, इब्ने माजा व अस्बहानी के हवाले से)

और बैहकी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास व हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उम्मीद है कि अल्लाह तआला हर एक गुनाह को माफ़ कर दे मगर वह आदमी जो कुफ़्र की हालत में मर गया या जिसने जान-बूझकर किसी मुसलमान को नाहक क़त्ल किया।

नाहक क़त्ल की वज़ाहत

इमाम बुखारी व मुस्लिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं जो अल्लाह के एक होने और मेरे रसूल होने की गवाही देता हो सिवाय तीन सूरतों के— एक यह कि उसने शादीशुदा होने के बावजूद जिना किया हो (कि इसकी शरई सज़ा यह है कि पथराव करके उसको मार दिया जाये), दूसरे वह जिसने किसी इनसान को नाहक क़त्ल किया हो (कि उसकी सज़ा यह है कि मक्तूल का वली उसको किसास में क़त्ल कर सकता है), तीसरे वह शख्स जो दीने इस्लाम से मुर्तद हो गया (यानी इस्लाम से फिर गया) हो (कि उसकी सज़ा भी क़त्ल है)।

किसास लेने का हक़ किसको है?

उक्त आयत में बतलाया गया है कि यह हक़ मक्तूल (क़त्ल होने वाले) के वली का है। अगर नसबी वली कोई मौजूद नहीं तो इस्लामी हुकूमत के हाकिम को यह हक़ हासिल होगा कि वह भी एक हैसियत से सब मुसलमानों का वली है, इसलिये खुलासा-ए-तफ़सीर में 'असली या हुक्मी वली' लिखा गया है।

जुल्म का जवाब जुल्म नहीं इन्साफ़ है, मुजरिम की सज़ा में भी

इन्साफ़ की रियायत

فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ

इस्लामी क़ानून की एक खास हिदायत है जिसका हासिल यह है कि जुल्म का बदला जुल्म

से लेना जायज नहीं, बदले में भी इन्साफ़ की रियायत लाज़िम है। जब तक मक्तूल का वला इन्साफ़ के साथ अपने मक्तूल का बदला शर्ई कि़सास के साथ लेना चाहे तो शरीअत का क़ानून उसके हक़ में है, यह अल्लाह की तरफ़ से मदद पाने वाला है, अल्लाह तआला उसका मददगार है, और अगर उसने बदला लेने के जोश में शर्ई कि़सास की हद पार की तो अब यह मज़लूम के बजाय ज़ालिम हो गया और ज़ालिम इसका मज़लूम बन गया, अब मामला उल्टा हो जायेगा, अल्लाह तआला और उसका क़ानून अब इसकी पदद करने के बजाय दूसरे फ़रीक़ की मदद करेगा कि उसको जुल्म से बचायेगा।

अरब के जाहिली दौर में यह बात आम थी कि एक शख्स क़त्ल हुआ तो उसके बदले में कातिल के ख़ानदान या साथियों में से जो भी हाथ लगे उसको क़त्ल कर देते थे। कुछ जगह यह सूरत होती कि जिसको क़त्ल किया गया वह क़ौम का कोई बड़ा आदमी है तो उसके बदले में सिर्फ़ एक कातिल को कि़सास के तौर पर क़त्ल करना काफ़ी न समझा जाता था बल्कि एक खून के बदले दो तीन या इससे भी ज़्यादा आदमियों की जान ली जाती थी। कुछ लोग बदले के जोश में कातिल के सिर्फ़ क़त्ल करने पर बस नहीं करते थे बल्कि उसके नाक कान वगैरह काटकर मुसला कर देते थे। ये सब चीज़ें इस्लामी कि़सास की हद से बाहर और हराम हैं इसलिये आयत 'फ़ला युस्रिफ़् फ़िल्क़त्लि' में इनको रोका गया है।

याद रखने के क़ाबिल एक वाक़िआ

बाज़ मुज्ताहिद इमामों के सामने किसी शख्स ने हज्जाज बिन यूसुफ़ पर कोई इल्ज़ाम लगाया, हज्जाज बिन यूसुफ़ इस्लामी इतिहास का सबसे बड़ा ज़ालिम और इन्तिहाई बदनाम शख्स है जिसने हज़ारों सहाबा व ताबिईन को नाहक क़त्ल किया है, इसलिये आम तौर पर उसको बुरा कहने की बुराई लोगों के ज़ेहन में नहीं रहती। जिस बुज़ुर्ग के सामने यह इल्ज़ाम हज्जाज बिन यूसुफ़ पर लगाया गया उन्होंने इल्ज़ाम लगाने वाले से पूछा कि तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम की कोई सनद या सुबूत मौजूद है? उन्होंने कहा नहीं। आपने फ़रमाया कि अगर अल्लाह तआला हज्जाज बिन यूसुफ़ ज़ालिम से हज़ारों बेगुनाह मक्तूलों का बदला लेगा तो याद रखो कि जो शख्स हज्जाज पर कोई जुल्म करता है उसको भी बदले से नहीं छोड़ा जायेगा, हज्जाज का बदला अल्लाह तआला उससे भी लेंगे, अल्लाह तआला की अदालत में कोई पक्षपात नहीं है कि बुरे और गुनाहगार बन्दों पर दूसरों को आज़ाद छोड़ दें और वे जो चाहें इल्ज़ाम या तोहमत लगा दिया करें।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا بِالْكَفْلِ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثَةً بِالْقِطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

व ला तवरबू मालल्-यतीमि इल्ला
 बिल्लती हि-य अह्सनु हत्ता यब्नु-ग
 अशुद्दू व औफू विल्अहिद इन्नल्-
 अह-द का-न मस्कला (34) व
 औफुल्कै-ल इजा किल्लुम् व जिनु
 विल्-किस्तासिल्-मुस्तकीमि, जालि-क
 खैरुव-व अह्सनु तअवीला (35)

और पास न जाओ यतीम के माल के
 मगर जिस तरह कि बेहतर हो जब तक
 वह पहुँचे अपनी जवानी को, और पूरा
 करो अहद को बेशक अहद की पूछ
 होगी। (34) और पूरा भर दो माप जब
 मापकर देने लगे, और तौलों सीधी
 तराजू से, यह बेहतर है और अच्छा है
 इसका अन्जाम। (35)

खुलासा-ए-तफसीर

और यतीम के माल के पास न जाओ (यानी उसे खर्च व इस्तेमाल न करो) मगर ऐसे तरीके
 से जो कि (शर्ई तौर पर) पसन्दीदा है, यहाँ तक कि वह अपने बालिग होने की उम्र को पहुँच
 जाये, और (जायज़) अहद को पूरा किया करो, बेशक अहद की कियामत में पूछताछ और
 बाज़पुर्स होने वाली है (अहद में वो तमाग अहद भी दाखिल हैं जो बन्दे ने अपने अल्लाह से
 किये हैं और वो भी जो किसी इनसान से किये हैं)। और (नापने की चीज़ों को) जब
 नाप-तौलकर दो तो पूरा नापो और (तौलने की चीज़ों को) सही तराजू से तौलकर दो। यह
 (अपने आप में भी) अच्छी बात है और इसका अन्जाम भी अच्छा है (आखिरत में तो सबाब
 और दुनिया में नेकनामी की शोहरत जो तिजारत में तरक्की का जरिया है)।

मअरिफ व मसाईल

इन दो आयतों में तीन हुक्म (नवाँ, दसवाँ, ग्यारहवाँ) माली हुक्क से संबन्धित बयान हुए हैं।
 पहले गुजरी आयतों में बदनी और जिस्मानी हुक्क का जिक्र था यह माली हुक्क का बयान है।

यतीमों के माल में एहतियात

इनमें पहली आयत में नवाँ हुक्म यतीमों के मालों की हिफाज़त और उनमें एहतियात का है
 जिसमें बड़ी ताक़ीद से यह फरमाया कि यतीमों के माल के पास भी न जाओ यानी उनमें
 खिलाफ़े शरीअत या बच्चों की मस्लेहत के खिलाफ़ कोई तसरुफ़ न होने पाये, यतीमों के माल
 की हिफाज़त और इन्तिजाप जिनके जिम्मे है उन पर लाज़िम है कि उनमें बड़ी एहतियात से
 काम लें, सिर्फ़ यतीमों की मस्लेहत को देखकर खर्च करें, अपनी इच्छा या बेफ़िक्री से खर्च न करें
 और यह सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहे जब तक कि यतीम बच्चे जवान होकर अपने माल
 की हिफाज़त खुद न कर सकें, जिसका मामूली दर्जा पन्द्रह साल की उम्र को पहुँचना और ज्यादा

अठारह साल तक है।

नाजायज़ तरीके पर किसी का माल भी खर्च करना जायज़ नहीं, यहाँ यतीमों का विशेष रूप से ज़िक्र इसलिये किया कि वे खुद तो कोई हिसाब लेने के काबिल नहीं दूसरों को उसकी ख़बर नहीं हो सकती, जिस जगह कोई इनसान अपने हक़ का मुतालबा करने वाला न हो वहाँ हक़ तआला का मुतालबा ज्यादा सख्त हो जाता है, उसमें कोताही आम लोगों के हुक्मों की तुलना में ज्यादा गुनाह हो जाती है।

मुआहदों व समझौतों के पूरा करने और उनके पालन का हुक्म

दसवाँ हुक्म अहद पूरा करने की ताकीद है। अहद दो तरह के हैं, एक वो जो बन्दे और अल्लाह के दरमियान हैं जैसे कायनात के पहले दिन में बन्दे का यह अहद कि बेशक अल्लाह तआला हमारा रब है, इस अहद का लाज़िमी असर उसके अहकाम की इताअत और उसकी रज़ा तलब करना होता है, यह अहद तो इनसान ने अज़ल (कायनात के पहले दिन) में किया है चाहे दुनिया में वह मोमिन हो या काफ़िर। दूसरा अहद मोमिन का है जो 'ला इलाह-ह इल्लल्लाहु' की गवाही के ज़रिये किया है, जिसका हासिल अल्लाह के अहकाम की मुकम्मल पैरवी और उसकी रज़ा तलब करना है।

दूसरी किस्म अहद की वह है जो इनसान किसी इनसान से करता है जिसमें तमाम सियासी, व्यापारिक और सामाजिक समझौते और मुआहदे शामिल हैं जो व्यक्तियों या समूहों के बीच में दुनिया में होते हैं।

पहली किस्म के तमाम मुआहदों व समझौतों का पूरा करना इनसान पर वाजिब है और दूसरी किस्म में जो मुआहदे खिलाफ़े शरीअत न हों उनका पूरा करना वाजिब और जो खिलाफ़े शरीअत हों उनका दूसरे पक्ष को इत्तिला करके खत्म कर देना वाजिब है। जिस मुआहदे का पूरा करना वाजिब है अगर कोई फ़रीक़ पूरा न करे तो दूसरे को हक़ है कि अदालत से रुजू करके उसको पूरा करने पर मजबूर करे। मुआहदे की हकीकत यह है कि दो फ़रीकों के बीच किसी काम के करने या न करने का अहद हो और जो कोई शख्स किसी से एक तरफ़ा वायदा कर लेता है कि मैं आपको फुलॉ चीज़ दूँगा या फुलॉ वक़्त आपसे मिलूँगा या आपका फुलॉ काम कर दूँगा उसका पूरा करना भी वाजिब है और कुछ हज़रात ने इसको भी अहद के इस मफ़हूम में दाख़िल किया है, लेकिन एक फ़र्क़ के साथ कि दोनों फ़रीकों मुआहदे की सूरत में अगर कोई खिलाफ़यर्ज़ी (उल्लंघन) करे तो दूसरा फ़रीक़ उसको अदालत के ज़रिये मुआहदे को पूरा करने पर मजबूर कर सकता है, मगर एक तरफ़ा वायदे को अदालत के ज़रिये ज़बरन पूरा नहीं करा सकता, हाँ बिना शर्ई उज़्र के किसी से वायदा करके जो उसके खिलाफ़ करेगा वह शर्ई तौर पर गुनाहगार होगा, हदीस में इसको अमली निफ़ाक़ करार दिया गया है।

इस आयत के अख़िर में इरशाद फ़रमाया:

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

यानी क्रियागत में जैसे और फ़राइज़ व वाजिबात और अल्लाह के अहकाम के पूरा करने का न करने का सवाल होगा ऐसे ही आपसी मुआहदों और समझौतों के मुताल्लिक भी सवाल होगा। यहाँ सिर्फ़ इतना कहकर छोड़ दिया गया कि इसका सवाल होगा, आगे सवाल के बाद क्या होना है इसको अस्पष्ट रखने में ख़तरे के बड़ा होने की तरफ़ इशारा है।

ग्यारहवाँ हुक्म लेन-देन के मामलों में नाप-तौल पूरा करने की हिदायत और उसमें कमी करने की मनाही का है, जिसकी पूरी तफ़्तील सूर: मुतफ़िफ़ीन में बयान हुई है।

मसला: फ़ुक़हा हज़रात ने फ़रमाया कि आयत में नाप-तौल में कमी का जो हुक्म है उसका हासिल यह है कि जिसका जितना हक़ है उससे कम देना हराम है, इसलिये इसमें यह भी दाख़िल है कि कोई मुलाज़िम अपने सुपुर्द किये हुए और तयशुदा काम में कमी करे या जितना वक़्त देना है उससे कम दे या मज़दूर अपनी मज़दूरी में कामचोरी करे।

नाप-तौल में कमी की मनाही

मसला: “औफ़ुल्कै-ल इज़ा किल्लुम”। तफ़्सीर बहरे-मुहीत में अबू हय्यान रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि इस आयत में नाप-तौल पूरा करने की ज़िम्मेदारी बेचने वाले पर डाली गई है जिससे मालूम हुआ कि नापने-तौलने और उसको पूरा करने का ज़िम्मेदार बेचने वाला है।

आयत के आख़िर में नाप-तौल पूरी करने के बारे में फ़रमाया:

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

इसमें नाप-तौल सही और बराबर करने के बारे में दो बातें फ़रमाई— एक उसका ख़ैर (बेहतर) होना, इसका हासिल यह है कि ऐसा करना अपनी ज़ात में अच्छा और बेहतर है, शरई हुक्म के अलावा अक्ली और तर्बई तौर पर भी कोई शरीफ़ इनसान नाप-तौल में कमी को अच्छा नहीं समझ सकता। दूसरी बात यह फ़रमाई कि अन्जाम और आख़िर उसका बेहतर है जिसमें आख़िरत का अन्जाम और सवाब व जन्नत का हासिल करना तो दाख़िल है ही इसके साथ दुनिया के अन्जाम की बेहतरी की तरफ़ भी इशारा है कि किसी व्यापार को उस वक़्त तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक बाज़ार में उसकी साख़ और एतिबार कायम न हो, और वह इस तिजारती ईमानदारी के बग़ैर नहीं हो सकता।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۖ وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ

الْجِبَالَ طَوْلًا ۖ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۖ

व ला तक्फु मा लै-स ल-क बिही

और न पीछे पड़ जिस बात की ख़बर

अिल्मुनु, इन्नस्सम्-अ वल्ब-स-र

नहीं तुझको, बेशक कान और आँख और

वल्फुआ-द कुल्लु उलाइ-क का-न
अन्हु मसूऊला (36) व ला तम्श
फिल्अर्जि म-रहन् इन्न-क लन्
तख्रिकल्-अर-ज व लन् तब्बुगल्-
जिबा-ल तूला (37) कुल्लु ज़ालि-क
का-न सय्यिउहू अिन्-द रब्बि-क
मक्रूहा (38)

दिल इन सब की उससे पूछ होगी। (36)
और मत चल ज़मीन पर इतराता हुआ, तू
फाड़ न डालेगा ज़मीन को और न
पहुँचेगा पहाड़ों तक लम्बा होकर। (37)
ये जितनी बातें हैं इन सब में बुरी चीज़
है तेरे रब की बेज़ारी। (38)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और जिस बात की तुझको तहकीक़ न हो उस पर अमल दरामद मत किया कर (क्योंकि) कान, आँख और दिल हर शख्स से इन सब की (कियामत के दिन) पूछ होगी (कि आँख और कान का इस्तेमाल किस-किस काम में किया, वो काम अच्छे थे या बुरे और बेदलील बात का ख्याल दिल में क्यों जमाया)। और ज़मीन पर इतराता हुआ मत चल (क्योंकि) तू (ज़मीन पर जोर से पाँव रखकर) न ज़मीन को फाड़ सकता है और न (अपने बदन को तानकर) पहाड़ों की लम्बाई को पहुँच सकता है (फिर इतराना बेकार है), ये (ज़िक्र हुए) सारे बुरे काम तेरे रब के नज़दीक (बिल्कुल) नापसन्द हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन आयतों में दो हुक्म बारहवाँ और तेरहवाँ आम सामाजिक ज़िन्दगी से संबन्धित हैं। बारहवें हुक्म में बग़ैर तहकीक़ के किसी बात पर अमल करने की मनाही फरमाई गई है।

यहाँ यह बात सामने रखना ज़रूरी है कि तहकीक़ के दर्जे मुख़ालिफ़ होते हैं, एक ऐसी तहकीक़ जो कि यकीने कामिल के दर्जे को पहुँच जाये विपरीत दिशा का कोई शुब्हा भी न रहे, दूसरे यह कि ग़ालिब गुमान के दर्जे में आ जाये अगरचे विपरीत दिशा का गुमान व संदेह भी मौजूद हो। इसी तरह अहक़ाम में भी दो किस्म हैं एक यकीनी और क़तई चीज़ें हैं जैसे अक़ीदे और दीन की बुनियादी बातें, इनमें पहले दर्जे की तहकीक़ मतलूब है उसके बग़ैर अमल करना जायज़ नहीं। दूसरे ग़ालिब गुमान वाली चीज़ें जैसे ऊपर के आमाल से संबन्धित अहक़ाम, इस तफ़सील के बाद उक्त आयत के मज़मून का तकाज़ा यह है कि यकीनी और क़तई अहक़ाम में तहकीक़ भी अव्वल दर्जे की हो, यानी बिल्कुल क़तई और कामिल यकीन के दर्जे को पहुँच जाये और जब तक ऐसा न हो अक़ीदे और इस्लाम के उसूलों में उस तहकीक़ का एतिबार नहीं, उसके तकाज़े और हुक्म पर अमल जायज़ नहीं, और ग़ालिब गुमान वाले और ऊपर के अहक़ाम

व मामलात में दूसरे दर्जे यानी गालिब गुमान के दर्जे की तहकीक काफी है। (बयानुल-कुरआन)

कान, आँख और दिल के बारे में क़ियामत के दिन सवाल

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

इस आयत में बतलाया है कि क़ियामत के दिन कान, आँख और दिल से सवाल किया जायेगा। मतलब यह है कि कान से सवाल होगा कि तूने उम्र में क्या-क्या सुना? आँख से सवाल होगा कि तमाम उम्र में क्या-क्या देखा? दिल से सवाल होगा कि तमाम उम्र दिल में कैसे-कैसे ख्यालात पकाये और किन-किन चीजों पर यक़ीन किया? अगर कान से ऐसी बातें सुनीं जिनका सुनना शरई तौर पर जायज़ नहीं था जैसे किसी की ग़ीबत या हराम गाना बजाना वगैरह, या आँख से ऐसी चीजें देखीं जिनका देखना शरई तौर पर हलाल न था जैसे ग़ैर-मेहरम औरत या मर्द तड़के पर बुरी नज़र करना, या दिल में कोई ऐसा अक़ीदा जमाया जो कुरआन व सुन्नत के खिलाफ़ हो या किसी के मुताल्लिक़ अपने दिल में बिना दलील और सुबुत के कोई इल्ज़ाम क़ायम कर लिया तो इस सवाल के नतीजे में अज़ाब में गिरफ़्तार होगा, क़ियामत के दिन अल्लाह की दी हुई सारी ही नेमतों का सवाल होगा।

لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

(यानी तुम से क़ियामत के दिन अल्लाह तआला की सब नेमतों का सवाल होगा।) कान, आँख, दिल इन नेमतों में सबसे ज़्यादा अहम हैं इसलिये यहाँ इनका खास तौर पर ज़िक्र फ़रमाया गया है।

तफ़सीरे कुर्तुबी और तफ़सीरे मज़हरी में इसका यह मतलब भी बयान किया गया है कि इससे पहले जुमले में जो यह इरशाद आया है कि:

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“यानी जिस चीज़ का तुम्हें इल्म और तहकीक़ नहीं उस पर अमल न करो।” उसके साथ ही कान, आँख और दिल से सवाल का मतलब यह है कि जिस शख्स ने बिना तहकीक़ के जैसे किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम लगाया और बिना तहकीक़ के किसी बात पर अमल किया, अगर वह ऐसी चीज़ से मुताल्लिक़ है जो कान से सुनी जाती हो तो कान से सवाल होगा और आँख से देखने की चीज़ है तो आँख और दिल से समझने की चीज़ है तो दिल से सवाल होगा कि यह शख्स अपने इल्ज़ाम और अपने दिल में जमाये हुए ख्याल में सच्चा है या झूठा। उस पर इनसान के ये बदनी हिस्से खुद गवाही देंगे जो हज़रत के मैदान में बिना तहकीक़ के इल्ज़ाम लगाने वाले और बिना तहकीक़ के बातों पर अमल करने वाले के लिये बड़ी रुस्वाई का सबब बनेगा, जैसा कि सूर: यासीन में है:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

यानी आज क़ियामत के दिन हम मुजरिमों के मुँहों पर मुहर लगाकर बन्द कर देंगे और

उनके हाथ बोलेंगे और पाँव गवाही देंगे कि इसने इन बदनी हिस्सों से क्या-क्या काम अच्छे या बुरे लिये हैं।

यहाँ कान, आँख और दिल की विशेषता शायद इसी बिना पर की गई है कि अल्लाह तआला ने इनसान को यह हवास (महसूस करने वाली चीजें) और दिल का शक्कर व एहसास इसी लिये बख़्शा है कि जो ख्याल या अक़ीदा दिल में आये इन हवास और समझ के जरिये उसको जाँच सके कि यह सही है तो उस पर अमल-करे और ग़लत है तो बाज़ रहे। जो शख्स इनसे काम लिये बग़ैर बिना तहकीक़ बातों की पैरवी में लग गया उसने अल्लाह तआला की इन नेमतों की नाशुकी की।

फिर वो हवास (महसूस करने वाली क़ुव्वतें) जिनके जरिये इनसान विभिन्न चीजों को मालूम करता है पाँच हैं— कान, आँख, नाक, ज़बान की ताक़तें और पूरे बदन में वह एहसास जिससे किसी चीज़ का ठंडा व गर्म वग़ैरह होना मालूम होता है, मगर आदतन ज़्यादा मालूमात इनसान को कान या आँख से होती हैं, नाक से सूँघने और ज़बान से चखने और हाथ वग़ैरह से छूने के जरिये जिन चीजों का इल्म होता है वो सुनने देखने वाली चीजों की तुलना में बहुत कम है। इस जगह पाँचों हवास में से सिर्फ़ दो के ज़िक्र को काफी समझना शायद इसी वजह से हो, फिर इनमें भी कान की आँख से पहले रखा गया है और कुरआने करीम के दूसरे स्थानों में भी जहाँ कहीं इन दोनों चीजों का ज़िक्र आया है उनमें कान ही को पहले बयान किया गया है, इसका सबब भी ग़ालिबन यही है कि इनसान की मालूमात में सबसे बड़ा हिस्सा कान से सुनी हुई चीजों का होता है, आँख से देखी हुई चीजें उनके मुक़ाबले में बहुत कम हैं।

ज़िक्र हुई दो आयतों में से दूसरी आयत में तेहरवाँ हुक्म यह है कि ज़मीन पर इतराकर न चलो, यानी ऐसी चाल न चलो जिससे तकब्बुर और फ़ख़्र व गुरूर ज़ाहिर होता हो, कि यह अहमकाना काम है, गोया ज़मीन पर चलकर वह ज़मीन को फाड़ देना चाहता है जो उसके बस में नहीं, और तनकर चलने से बहुत ऊँचा होना चाहता है अल्लाह तआला के पहाड़ उससे बहुत ऊँचे हैं। तकब्बुर दर असल इनसान के दिल से संबन्धित सख़्त किस्म का बहुत बड़ा गुनाह है। इनसान की चाल-ढाल में जो चीजें तकब्बुर पर दलालत करने वाली हैं वो भी नाजायज़ हैं, घमंड भरे अन्दाज़ से चलना चाहे ज़मीन पर जोर से न चले और तनकर ऊँचा न बने बहरहाल नाजायज़ हैं, तकब्बुर के मायने अपने आपको दूसरों से बेहतर व आला समझना और दूसरों को अपने मुक़ाबले में कमतर व घटिया समझना है। हदीस में इस पर सज़ा के सख़्त वायदे बयान हुए हैं।

इमाम मुस्लिम ने हज़रत अयाज़ बिन अुम्मर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मेरे पास वही के जरिये यह हुक्म भेजा है कि तवाज़ो और पस्ती (यानी विनम्रता) इख़्तियार करो, कोई आदमी किसी दूसरे आदमी पर फ़ख़्र और अपनी बड़ाई का तरीक़ा इख़्तियार न करे और कोई किसी पर

जन्म न करे। (तफ़्सीर मजहरी)

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत में दाख़िल नहीं होगा वह आदमी जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा। (तफ़्सीर मजहरी, सही मुस्लिम के हवाले से)

और एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं— बड़ा पेरी चादर है और अधपल मेरी इज़ार, जो शख्स मुझसे इनको छिनना चाहे तो मैं उसको जहन्नम में दाख़िल कर दूँगा (चादर और इज़ार से भुराद लिबास है और अल्लाह तआला न जिस्म है न जिस्म वाता जिसके लिये लिबास दरकार हो, इसलिये इससे भुराद इस जगह अल्लाह तआला की बड़ाई की सिफ़त है जो शख्स इस सिफ़त में अल्लाह तआला का शरीक बनना चाहे वह अहन्नपी है)। और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तकब्बुर करने वाले कियामत के दिन छोटी चींवटियों के बराबर इनसानों की शकल में उठाये जायेंगे जिन पर हर तरफ़ से जिल्लत व रुखाई बरसती होगी। उनको जहन्नम के एक जेलखाने की तरफ़ हॉका जायेगा जिसका नाम बोलस है, उन पर सब आगों से बड़ी तेज़ आग चढ़ी होगी और पीने के लिये उनको जहन्नम वालों के बदन से निकला हुआ पीप तहू दिया जायेगा। (लिभिज़ी अमर बिन शुऐब की रिवायत से, जो अपने बा-दादा से इसे रिवायत करते हैं, अज़ मजहरी)

और हज़रत फारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिम्बर पर ख़ुतबा देते हुए फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि जो शख्स तवाज़ी (इन्किसारी और विनम्रता) इख़्तियार करता है अल्लाह तआला उसको सर-बुलन्द फ़रमाते हैं, तो वह अपने नज़दीक तो छोटा मगर सब लोगों की नज़रों में बड़ा होता है। और जो शख्स तवाब्बुर करता है अल्लाह तआला उसको ज़लील करते हैं, वह खुद अपनी नज़रों में बड़ा होता है और लोगों की नज़रों में वह कुत्ते और सुअर से भी बदतर होता है। (तफ़्सीर मजहरी)

ज़िक्र किये गये अहकाम की तफ़्सील बयान करने के बाद आख़िरी आयत में फ़रमाया:

كُلِّ ذَلِكْ كَانَ مَعَهُ عَذَابٌ مَّكْرُومًا

यानी ज़िक्र किये गये तमाम बुरे काम अल्लाह तआला के नज़दीक मक्रूह व नापसन्द हैं।

इन ऊपर ज़िक्र हुए अहकाम में जो हराम और वर्जित चीज़ें हैं उनका बुरा और नापसन्द होना तो ज़ाहिर है मगर इनमें कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनका हुक्म क़िया गया है जैसे माँ-बाप और रिश्तेदारों के हुक्म अदा करना और अहद व समझौते का पूरा करना वगैरह, इनमें भी चूँकि मक़सद उनकी ज़िद (विपरीत दिशा) से बचना है कि माँ-बाप की तकलीफ़ से, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता ख़त्म करने के अमल से, अहद व समझौते को तोड़ने से परहेज़ करो, ये चीज़ें सब हराम व नापसन्द हैं, इसलिये सब को एक साथ मिलाकर मक्रूह फ़रमाया गया है। (बयानुल्ल-कुरआन)

तंबीह

ऊपर जिक्र हुई पन्द्रह आयतों में जो अहकाम बयान किये गये हैं वो एक हैसियत से उस कोशिश व अमल की वजाहत व तफसील हैं जो अल्लाह तआला के नजदीक मकबूल हों, जिसका जिक्र अष्टारह आयतों से पहले आया है 'व सआ लहा सअयहा' जिसमें यह बतलाया गया था कि हर कोशिश व अमल अल्लाह तआला के नजदीक मकबूल नहीं बल्कि सिर्फ वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत और तालीम के मुताबिक हो। इन अहकाम में उस मकबूल कोशिश व अमल के अहम अध्यायों और चीजों का जिक्र आ गया है जिसमें पहले अल्लाह के हुक्क का फिर बन्दों के हुक्क का बयान है।

ये पन्द्रह आयतें पूरी तौरात का खुलासा हैं

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि पूरी तौरात के अहकाम सूर: बनी इस्राईल की पन्द्रह आयतों में जमा कर दिये गये हैं। (तफसीरे मजहरी)

ذٰلِكَ بِمَا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا
 مَّدْحُوْرًا ۝ اَقْصَفْكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَاَتَّخَذَ مِنَ الْبَلٰغَةِ اِنۡشَآءً ۝ اِنۡتُمْ لَتَقُولُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝ وَّلَقَدْ
 صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝ قُلْ لَوْ كٰنَ مَعَهُۥ اِلٰهَةٌ كَمَا يَقُولُوْنَ اِذَا
 لَا بُدَّعُوْا اِلَيْ ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝ سُبْحٰنَهُ وَاَعْلٰى عَمَّا يُكُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ نَسِجَ لَهُ السَّمٰوٰتُ
 السَّبْعُ وَاَلْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۝ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اِيۡنۡجِيْ بِحَبِيْبٍ ۝ وَّلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِذۡ هُمْ
 حٰمِلِيْنَ عُرُوْرًا ۝

<p>जालि-क मिम्मा औहा इलै-क रब्बु-क मिनल्-हिक्मति, व ला तज्जअल् पअल्लाहि इलाहन् आख-र फ-तुल्फा फी जहन्न-म मलूमम्-मद्हूरा (39) अ-फअस्फाकुम् रब्बुकुम् बिल्बनी-न वत्त-हा-ज मिनल्-मलाइ-कति इनासन्, इन्नकुम् ल-तक्लू-न कौलन् अजीमा (40) ❀</p>	<p>यह है उन बातों में से जो वही भेजी तेरे रब ने तेरी तरफ अक्ल के कामों से, और न ठहरा अल्लाह के सिवा किसी और की बन्दगी फिर पड़े तू दोजख में इल्जाम खाकर धकेला जाकर। (39) क्या तुमको घुनकर दे दिये तुम्हारे रब ने बेटे और अपने लिये कर लिया फ़रिश्तों को बेटियाँ, तुम कहते हो ग़ारी बात। (40) ❀</p>
--	--

३६३

व ल-कद् सर्पना फी हाज़ल्-
 कुरआनि लि-यज़्जक्करू, व मा
 यज़ीदुहुम् इल्ला नुफ़ूरा (41) कुल्
 लौ का-न म-अहू आलि-हतुन् कमा
 यकूलू-न इज़ल्-लब्गौ इला ज़िल्-
 अर्शि सबीला (42) सुब्हानहू व
 तअला अम्मा यकूलू-न अलुव्वन्
 कबीरा (43) तुसब्बिहु लहुस्समावातुस्-
 सब्भु वल्अरज़ु व मन् फीहिन्-न,
 व इम्-मिन् शैइन् इल्ला युसब्बिहु
 बिहम्दिही व लाकिल्-ला तफ़्कहू-न
 तस्बी-हहुम्, इन्नहू का-न हलीमन्
 ग़फ़ूरा (44)

और फेर-फेरकर समझाया हमने इस
 कुरआन में ताकि वे सोचें और उनको
 ज्यादा होता है वही बिदकना। (41) कह
 अगर होते उसके साथ और हाकिम जैसा
 कि ये बतलाते हैं तो निकालते अर्श वाले
 की तरफ़ राह। (42) वह पाक है और
 बरतर है उनकी बातों से बेइन्तिहा। (43)
 उसकी पाकी बयान करते हैं सातो
 आसमान और ज़मीन और जो कोई उनमें
 है, और कोई चीज़ नहीं जो नहीं पढ़ती
 ख़ूबियाँ उसकी, लेकिन तुम नहीं समझते
 उनका पढ़ना, बेशक वह है बरदाश्त वाला
 बख़्शने वाला। (44)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) ये बातें (यानी ज़िक्र हुए अहकाम) उस हिक्मत
 में की हैं जो खुदा तअला ने आप पर वही के ज़रिये से भेजी हैं (और ऐ मुख़ातब!) अल्लाह
 बरहक के साथ कोई और माबूद तजवीज़ मत करना, वरना तू इज़ाम खाया हुआ और मरदूद
 होकर जहन्नम में फेंक दिया जायेगा (ज़िक्र हुए अहकाम को शुरू भी तौहीद के मज़मून से किया
 गया था ख़त्म भी इसी पर किया गया, और आगे भी इसी तौहीद के मज़मून का बयान है कि
 जब ऊपर शिर्क का घुरा और बातिल होना सुन लिया) तो क्या (फिर भी ऐसी बातों के कायल
 होते हो जो तौहीद के ख़िलाफ़ हैं जैसे यह कि) तुम्हारे रब ने तुमको तो बेटों के साथ ख़ास किया
 है और खुद फ़रिश्तों को (अपनी) बेटियाँ बनाई हैं (जैसा कि अरब के जाहिल फ़रिश्तों को
 अल्लाह की बेटियाँ कहा करते थे, जो दो वजह से बातिल है— अल्ल तो अल्लाह के लिये
 औलाद करार देना, फिर औलाद भी लड़कियाँ जिनको लोग अपने लिये पसन्द नहीं करते, नाकारा
 समझते हैं। इससे अल्लाह तअला की तरफ़ एक और नुक्स की निस्वत होती है) बेशक तुम
 बड़ी बात कहते हो।

और (अफ़सोस तो यह है कि इस तौहीद के मज़मून और शिर्क के बातिल होने को) हमने

इस कुरआन में तरह-तरह से बयान कर दिया है ताकि अच्छी तरह से समझ लें, और (विभिन्न तरीकों से बार-बार तौहीद के साबित करने और शिर्क के बालिल होने के बावजूद तौहीद से) उनको नफ़रत ही बढ़ती जाती है। आप (शिर्क के बालिल करने के लिये उनसे) फ़रमाईये कि अगर उस (माबूदे बरहक) के साथ और माबूद भी (शरीक) होते जैसे कि ये लोग कहते हैं तो उस हालत में अर्श वाले (असली खुदा) तक उन्होंने (यानी दूसरे माबूदों ने कभी फ़ा) रास्ता ढूँढ लिया होता (यानी जिनको तुम अल्लाह के साथ खुदाई का शरीक करार देते हो अगर वे वाकई शरीक होते तो अर्श वाले खुदा पर चढ़ाई कर देते और रास्ता ढूँढ लेते, और जब खुदाओं में जंग हो जाती तो दुनिया का निज़ाम किस तरह चलता जिसका एक खास स्थिर निज़ाम के साथ चलना हर शख्स देख रहा है, इसलिये दुनिया के निज़ाम का सही तौर पर चलते रहना खुद इसकी दलील है कि एक खुदा के सिवा कोई दूसरा उसका शरीक नहीं है। इससे साबित हुआ कि) ये लोग जो कुछ कहते हैं अल्लाह तआला उससे पाक और बहुत ज्यादा बुलन्द व बरतर है (वह ऐसा पाक है कि) तमाम सातों आसमान और ज़मीन और जितने (फ़रिश्ते आदमी और जिन्न) उनमें (मौजूद) हैं (सब के सब अपनी ज़बान या हाल से) उसकी पाकी बयान कर रहे हैं, और (यह तस्बीह "यानी पाकी बयान करना" सिर्फ़ अक्ल वाले इन्सान और जिन्नात के साथ मख़सूस नहीं बल्कि ज़मीन व आसमान की) कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कि तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान न करती हो, लेकिन तुम लोग उनकी तस्बीह (पाकी बयान करने को) समझते नहीं हो, बेशक वह बड़ा बरदाश्त वाला है, बड़ा मग़फ़िरत करने वाला है।

मकारिफ़ व मसाईल

तौहीद की जो दलील आयत "इज़ल्लव्वागौ इला ज़िल्-अर्शिल् सबीला" (यानी आयत नम्बर 42) में बयान फ़रमाई है अगर दुनिया की तमाम कायनात का ख़ालिक व मालिक और हर तरह का इख़्तियार चलाने वाली सिर्फ़ एक ज़ात अल्लाह की न हो बल्कि इस खुदाई में और भी शरीक हों तो लाज़िमी है कि उनमें कभी मतभेद व विवाद भी होगा और मतभेद की सूरत में दुनिया का सारा निज़ाम बरबाद हो जायेगा, क्योंकि उन सब में हमेशा सुलह होना और उस सुलह का हमेशा बाकी रहना आदतन नामुम्किन व मुहाल है। यह दलील यहाँ अगरचे नफी के अन्दाज़ में बयान की गई है मगर इल्मे कलाम की किताबों में इस दलील का बुरहानी और मन्तिकी होना भी बज़ाहस्त से बयान किया गया है आलिम हज़रात वहाँ देख सकते हैं।

ज़मीन व आसमान और इनमें मौजूद तमाम चीज़ों के

तस्बीह करने का मतलब

इन चीज़ों में फ़रिश्ते सब के सब और इन्सान व जिन्नात जो मोमिन हैं उनका अल्लाह की तस्बीह करना तो ज़ाहिर और आसानी से समझ-पें आने वाली बात है; सभी जानते हैं, काफ़िर

इनसान और जिन्न जो बज़ाहिर तस्बीह नहीं करते, इसी तरह दुनिया की दूसरी चीज़ें जिनको कहा जाता है कि उनमें अक्ल व शऊर नहीं है, उनके तस्बीह पढ़ने का मतलब क्या है? कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि उनकी तस्बीह से मुराद हाल की तस्बीह यानी उनके हालात की गवाही है क्योंकि अल्लाह तआला के सिवा हर चीज़ का मजमूई हाल बता रहा है कि वह न अपने वजूद में मुस्तक़िल (स्थायी) है न अपने बाकी रहने में, वह किसी बड़ी कुदरत के ताबे चल रहा है यही हाल की गवाही उसकी तस्बीह (पाकी बयान करना) है।

मगर दूसरे तहकीक वाले हज़रात का कौल यह है कि इख़्तियारी तस्बीह तो सिर्फ़ फ़रिश्ते और मोमिन जिन्नात व इनसानों के लिये मख़सूस है मगर कुदरती और ग़ैर-इख़्तियारी तौर पर अल्लाह तआला ने कायनात के ज़र्रे-ज़र्रे को अपना तस्बीह करने वाला बना रखा है, काफ़िर भी अब्बल तो उमूमन खुदा तआला को मानते और उसकी बड़ाई के कायल हैं और जो मादा-परस्त दहरिये (भौतिकवादी नास्तिक) या आजकल के कम्यूनिस्ट खुदा के वजूद के बज़ाहिर कायल नहीं मगर उनके वजूद का हर अंग जबरी तौर पर अल्लाह तआला की तस्बीह कर रहा है। जैसे दरख़्त और पत्थर मिट्टी वग़ैरह सब चीज़ें अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हैं मगर उनकी यह तस्बीह जो जबरी और तकवीनी (ग़ैर-इख़्तियारी और कुदरती वजूद के एतबार से) है यह आम लोग सुनते नहीं, कुरआने करीम का इरशाद:

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

इस पर दलालत करता है कि यह हर ज़र्रे-ज़र्रे की जबरी तस्बीह कोई ऐसी चीज़ है जिसको आम इनसान समझ नहीं सकते, हाल की तस्बीह को तो अक्ल व समझ वाले जान सकते हैं। इससे मालूम हुआ कि यह तस्बीह सिर्फ़ हाल की नहीं असली है मगर हमारी समझ व पहुँच से ऊपर है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

हदीस में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह मोजिज़ा बयान हुआ है कि आपकी भुट्टी में कंकरों का तस्बीह करना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कानों से सुना, इसका मोजिज़ा होना तो ज़ाहिर है मगर किताब 'ख़साइस-ए-कुबरा' में शैख़ जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि कंकरों का तस्बीह पढ़ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मोजिज़ा नहीं, वो तो जहाँ कहीं भी हैं तस्बीह पढ़ती हैं, बल्कि मोजिज़ा आपका यह है कि आपके हाथ मुबारक में आने के बाद उनकी वह तस्बीह कानों से सुनी जाने लगी।

इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसी तहकीक को राजेह (ज्यादा सही) क़रार दिया है, और इस पर कुरआन व सुन्नत की बहुत-सी दलीलें पेश की हैं जैसे सूर: सौद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद है:

إِنَّا مَخْرَجْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإشْرَاقِ ۝

(यानी हमने पहाड़ों को ताबे कर दिया कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ सुबह व शाम तस्बीह करते हैं। और सूर: ब-करह में पहाड़ों के पत्थरों के मुताल्लिक़ इरशाद है:

إِنَّ مِنْهَا لَمَائِيظَ مِنْ حَشِيَةِ اللَّهِ

(यानी पहाड़ों के कुछ पत्थर अल्लाह के ख़ौफ़ से नीचे गिर जाते हैं) जिससे पत्थरों में शऊर व समझ और खुदा का ख़ौफ़ होना साबित हुआ। और सूर: मरियम में ईसाईयों के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहने की तरदीद में फ़रमाया:

تَجْرُ الْجِبَالُ عَذَابًا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا

“यानी ये लोग अल्लाह के लिये बेटा तजयोज़ करते हैं, इनके इस कलिमा-ए-कुफ़्र से पहाड़ों पर ख़ौफ़ तारी हो जाता है और वे गिरने लगते हैं।”

और ज़ाहिर है कि यह ख़ौफ़ उनके शऊर व समझ का पता देता है और शऊर व समझ के बाद तस्बीह करना कोई मुहाल चीज़ नहीं रहती।

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से कहता है कि ऐ फुलौ! क्या तेरे ऊपर कोई ऐसा आदमी गुज़रा है जो अल्लाह को याद करने वाला ही? अगर वह कहता है कि हाँ, तो यह पहाड़ इससे खुश होता है। इस पर दलील देने के लिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह आयत पढ़ी:

وَقَالُوا نَحْنُ الرّٰحِمٰنُ وَاٰلٰهٰنَا

और फिर फ़रमाया कि जब इस आयत से यह साबित हुआ कि पहाड़ कुफ़्र के कलिमात सुनने से प्रभावित होते हैं, उन पर ख़ौफ़ तारी हो जाता है तो क्या तुम्हारा यह ख़्याल है कि वे बातिल (ग़लत और ग़ैर-हक़) कलिमात को सुनते हैं हक़ बात और ज़िक्रुल्लाह नहीं सुनते और उससे मुतास्सिर नहीं होते। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, दक़ाईक़ इब्ने मुबारक के हवाले से)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि कोई जिन्न व इनसान और दरख़्त और पत्थर और ढेला ऐसा नहीं जो मुअज़्ज़िन की आवाज़ को सुनता है और कियायत के दिन उसके ईमान और नेक होने की गवाही न दे। (मुवत्ता इमाम मालिक व सुनन इब्ने माजा, अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से)

इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की रिवायत से नक़ल किया है कि हम खाने की तस्बीह की आवाज़ सुना करते थे जबकि वह खाया जा रहा हो। और एक दूसरी रिवायत में है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ खाना खाते तो खाने की तस्बीह की आवाज़ सुना करते थे। और सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं यक्का मुक़र्रमा के उस पत्थर को पहचानता हूँ जो नुबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करता था और मैं अब भी उसको पहचानता हूँ। कुछ हज़रात ने कहा कि इससे मुसद हज़रे-अस्वद है। वल्लाहु आलम

इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि हदीस की रिवायतें इस तरह के मामलात में बहुत हैं और ज़स्तुयाना हम्नाना की हिकायत तो आप मुसलमानों की ज़बानों पर है जिसके राने की आवाज़

सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने सुनी जबकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने खुतबे के वक्त उसको छोड़कर निम्बर पर खुतबा देना शुरू किया।

इन रिवायतों के बाद इसमें क्या मुश्किल बात और शुक्ल रह जाता है कि जमीन व आसमान की हर चीज़ में शऊर व समझ है और हर चीज़ वास्तविक तौर पर अल्लाह की तस्बीह करती है, और इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि यह तस्बीह आम है जानदार चीज़ों में भी और गैर-जानदार चीज़ों में भी, यहाँ तक कि दरवाजे के किचाड़ों की आवाज़ में भी तस्बीह है। इमाम कुतुबी ने फरमाया कि अगर तस्बीह से मुराद हाल की तस्बीह होती तो उबत आयत में हज़रत दाऊद की क्या विशेषता रहती, हाल वाली तस्बीह तो हर अक्ल व शऊर वाला इन्सान हर चीज़ से मालूम कर सकता है, इसलिये ज़ाहिर यही है कि यह तस्बीह कौल (ज़बान से अदा करने वाली) थी (और जैसा कि किताब 'ख़साइस-ए-कुबरा' के हवाले से ऊपर नक़ल किया है कि कंकरो का तस्बीह पढ़ना गोजिज़ा नहीं वह हर जगह हर हाल और हर वक्त में आम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम का मौजिज़ा यह था कि आपके हाथ मुबारक में आने के बाद उनकी तस्बीह इस तरह हो गई कि आम लोगों ने कानों से सुना, इसी तरह पहाड़ों की तस्बीह भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा इसी हैसियत से है कि उनके मौजिज़े से वह तस्बीह कानों से सुनने के काबिल हो गई। वल्लाहु आलम)।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْجُورًا ۝

جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتُمْ فِي الْقُرْآنِ وَحَدَّثُوا وَلَهُمْ عَلَاءٌ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْجُورًا ۝ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

व इज़ा करअतल्-कुरआ-न जअल्ना
बैन-क व बैनल्लाज़ी-न ला युअ्मिनु-न
बिल्-आख़िरति हिजाबम्-मस्तूरा
(45) व जअल्ना अला कुलूबिहिम्
अकिन्नतन् अय्यंफ़कहूहु व फी
आज़ानिहिम् वक्वरन्, व इज़ा जकर-त
रब्ब-क फ़िल्कुरआनि वह्दहू वल्लौ
अला अद्वारिहिम् नुफ़ूरा (46) नहनु

और जब तू पढ़ता है कुरआन कर देते हैं
हम बीच में तेरे और उन लोगों के जो
नहीं मानते आख़िरत को एक पर्दा छुपा
हुआ। (45) और हम रखते हैं उनके
दिलों पर पर्दा कि उसको न समझें और
उनके कानों में बोझ, और जब जिक्र
करता है तू कुरआन में अपने रब का
अकेला कर-कर भागते हैं अपनी पीठ पर
बिदक कर। (46) हम ख़ूब जानते हैं

अज़्लमु बिमा यस्तमिअ-न बिही
 इज़् यस्तमिअ-न इलै-क व इज़् हुम्
 नज्वा इज़् यकूलुज़्जालिमु-न इन्
 तत्तबिअ-न इल्ला रजुलम्-मसहूरा
 (47) उन्जुर कै-फ ज़-रबू लकल्-
 अम्सा-ल फ-जल्लू फ़ला यस्ततीअ-न
 सबीला। (48) ❖

जिस वास्ते वे सुनते हैं जिस वक़्त कान
 रखते हैं तेरी तरफ़ और जब वे मश्विरा
 करते हैं जबकि कहते हैं यह बेइन्साफ़
 जिसके कहने पर तुम चलते हो वह नहीं
 है मगर एक मर्द जादू का मारा। (47)
 देख ले कैसे जमाते हैं तुझ पर मिसालें
 और बहकते फिरते हैं सो राह नहीं पा
 सकते। (48) ❖

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक़

इससे पहले की आयतों में यह ज़िक्र था कि तौहीद का मज़मून कुरआने करीम में विभिन्न
 और अनेक उनवानों और विभिन्न दलीलों के साथ बार-बार ज़िक्र होने के बावजूद ये बद-नसीब
 मुश्रिक लोग इसको नहीं मानते। इन आयतों में उनके न मानने की वजह बतलाई गई है कि ये
 आयतों में ग़ौर व फ़िक्र ही नहीं करते बल्कि उनसे नफ़रत और मज़ाक़ करते हैं, इसलिये इनको
 हकीकत के इल्म से अंधा कर दिया गया है। खुलासा-ए-तफसीर यह है:

खुलासा-ए-तफसीर

और जब आप (तब्तीग़ के लिये) कुरआन पढ़ते हैं तो हम आपके और जो लोग आख़िरत
 पर ईमान नहीं रखते उनके बीच एक पर्दा आड़ कर देते हैं (और वह पर्दा यह है कि) हम उनके
 दिलों पर पर्दा डाल देते हैं इससे कि वे इस (कुरआन के मक़सद) को समझें, और उनके कानों में
 डाट दे देते हैं (इससे कि वे इनको हिदायत हासिल करने के लिये सुनें। मतलब यह है कि वह
 पर्दा उनकी नासमझी का और इसका है कि वे समझने का इरादा ही नहीं करते जिससे वे
 आपकी नुबुव्वत की शान को पहचान सकें) और जब आप कुरआन में सिर्फ़ अपने रब (के
 कमालात और सिफ़तों) का ज़िक्र करते हैं (और ये लोग जिन माबूदों की इबादत करते हैं उनमें
 वो सिफ़तें हैं नहीं) तो वे लोग (अपनी नासमझी बल्कि टेढ़ी समझ के सबब इससे) नफ़रत करते
 हुए पीठ फेरकर चल देते हैं (आगे उनके इस बातिल अमल पर सज़ा की धमकी है कि) जिस
 वक़्त ये लोग आपकी तरफ़ कान लगाते हैं तो हम ख़ूब जानते हैं जिस गर्ज से ये (कुरआन को)
 सुनते हैं (कि वह गर्ज महज़ एतिराज़ करना, ताने देना और आलोचना करना है) और जिस वक़्त
 ये लोग (कुरआन सुनने के बाद) आपस में सरगोशियाँ "यानी चुपके-चुपके बातें" करते हैं (हम
 उसको भी ख़ूब जानते हैं) जबकि ये ज़ालिम यूँ कहते हैं कि तुम लोग (यानी उनकी बिरादरी में
 से जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ लग गये हैं) महज़ ऐसे शख्स का

साथ व हे हो जित पर जादू का (खास) असर (यानी जिन्नों का) हो गया है (यानी वह जो अजीब-अजीब बातें करते हैं यह सब जुनून और दिमागी खलल है। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! ज़रा) आप देखिए तो ये लोग आपके लिये कैसे-कैसे लकड़ तजवीज़ करते हैं। सो ये लोग (बिल्कुल ही) गुमराह हो गये, तो (अब हक का) रास्ता नहीं पा सकते (क्योंकि ऐसी हठधर्मी, जिद और फिर अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा मामला इससे इनसान की समझ व हिदायत की काबलियत छिन जाती है)।

मआरिफ़ व मसाइल

पैग़म्बर पर जादू का असर हो सकता है

किसी नबी और पैग़म्बर पर जादू का असर हो जाना ऐसे ही मुम्किन है जैसे बीमारी का असर हो जाना, इसलिये कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इनसानी ख़ासियतों से अलग नहीं होते। जैसे उनको ज़ख़्म लग सकता है, बुख़ार और दर्द हो सकता है, ऐसे ही जादू का असर भी हो सकता है, क्योंकि वह भी ख़ास तबई असबाब जिन्नात वग़ैरह के असर से होता है, और हदीस में साबित भी है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सेहर (जादू) का असर हो गया था। आख़िरी आयत में जो काफ़िरों ने आपको मसहूर (जादू का मारा हुआ) कहा और कुरआन ने उसकी तरदीद (खंडन) की इसका हासिल वह है जिसकी तरफ़ खुलासा-ए-तफ़सीर में इशारा कर दिया गया है कि उनकी मुराद दर हकीकत मसहूर कहने से मजनुँ कहना था, उसी की तरदीद कुरआन ने फ़रमाई है, इसलिये जादू वाली हदीस इसके खिलाफ़ और टकराने वाली नहीं।

ज़िक्र हुई आयतों में से पहली व दूसरी आयत में जो मज़मून आया है उसके उतरने का एक ख़ास मौक़ा और सबब है जो इमाम कुर्तुबी ने सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि से नक़ल किया है, कि जब कुरआन में सूर: लहब नाज़िल हुई जिसमें अबू लहब की बीवी की भी मज़म्मत (निंदा) ज़िक्र हुई है तो उसकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस में गई उस वक़्त सिद्दीके अकबर मज्लिस में मौजूद थे, उसको दूर से देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अज़्र किया कि आप यहाँ से हठ जायें तो बेहतर है, क्योंकि यह औरत बड़ी ख़राब ज़बान वाली है, यह ऐसी बातें कहेगी जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। आपने फ़रमाया नहीं! इसके और मेरे बीच अल्लाह तआला पर्दा रोक कर देंगे, चुनाँचे वह मज्लिस में पहुँची मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को न देख सकी तो सिद्दीके अकबर से मुखातब होकर कहने लगी कि आपके साथी ने हमारी बुराई और निंदा की है। सिद्दीके अकबर ने फ़रमाया कि अल्लाह की क़सम वह तो कोई शेर ही नहीं कहते, जिसमें आदतन बुराई की जाती है, तो वह यह कहती हुई चली गई कि तुम भी उनकी तस्दीक़ करने वालों में से हो। उसके चले जाने के बाद सिद्दीके अकबर ने अज़्र किया कि क्या उसने आपको नहीं देखा? आपने फ़रमाया कि जब

तक वह यहाँ रही एक फ़रिश्ता मेरे और उसके बीच पदा करता रहा।

दुश्मनों की नज़र से छुपे रहने का एक अमल

हज़रत कअब फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मुशिरकों की आँखों से छुपना चाहते तो कुरआन की तीन आयतें पढ़ लेते थे, इसके असर से काफ़िर लोग आपको देख न सकते थे। वो तीन आयतें ये हैं— एक आयत सूर: कहफ़ में है यानी:

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا.

(यानी आयत नम्बर 157) दूसरी आयत सूर: नहल में है:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ.

(यानी आयत नम्बर 108) और तीसरी आयत सूर: जासिया में है:

أَفْرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً.

(यानी आयत नम्बर 23)

हज़रत कअब फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह मामला मैंने मुल्के शाम के एक शख्स से बयान किया, उसको किसी ज़रूरत से रूम वालों के मुल्क में जाना था, वहाँ गया और एक ज़माने तक वहाँ मुक़ीम रहा, फिर रूम के काफ़िरों ने उसको सताया तो वह वहाँ से भाग निकला। उन लोगों ने उसका पीछा किया, उस शख्स को वह रिवायत याद आ गई और उक्त तीन आयतें पढ़ीं। कुदरत ने उनकी आँखों पर ऐसा पर्दा डाला कि जिस रास्ते पर ये चल रहे थे उसी रास्ते पर दुश्मन गुज़र रहे थे मगर वे इनको न देख सकते थे।

इमाम सालबी कहते हैं कि हज़रत कअब से जो रिवायत नक़ल की गई है कि मैंने रै के रहने वाले एक शख्स को बतलाई। इत्तिफ़ाक से दैलम के काफ़िरों ने उसको गिरफ़्तार कर लिया कुछ मुद्दत उनकी कैद में रहा फिर एक दिन मौका पाकर भाग खड़ा हुआ। ये लोग उसका पीछा करने निकले मगर उस शख्स ने भी ये तीन आयतें पढ़ लीं, इसका यह असर हुआ कि अल्लाह ने उनकी आँखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वे उसको न देख सके हालाँकि साथ-साथ चल रहे थे और उनके कपड़े इनके कपड़ों से छू जाते थे।

इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि इन तीनों के साथ सूर: यासीन की वो आयतें भी मिलाई जायें जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिजरत के वक़्त पढ़ा था जबकि मक्का के मुशिरकों ने आपके मकान का घेराव कर रखा था; आपने ये आयतें पढ़ीं और उनके बीच से निकलते हुए चले गये बल्कि उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए गये। उनमें से किसी को ख़बर नहीं हुई। वो आयतें सूर: यासीन की ये हैं:

يَسَّ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لِتُنزِلَ قُرْآنًا
الَّذِينَ ابْتَوَتْهُمُ غُفُلُونَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آعْنَاقِهِمْ غُلًّا فَهُمْ إِلَى
الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

(यानी सूर: यासीन की शुरू की नौ आयतें)

इमाम कुतुबी फरमाते हैं कि पुझे खुद अपने मुल्क उन्दुलुस में कुतुबा के करीब किला मन्सूर में यह वाकिया पेश आया कि मैं दुश्मन के सामने भागा और एक कोने में बैठ गया, दुश्मन ने दो घोड़े सवार मेरा पीछा करने के लिये भेजे और मैं बिल्कुल खुले मैदान में था कोई चीज पदा करने वाली न थी, मगर मैं सूर: यासीन की ये आयतें पढ़ रहा था। वे दोनों सवार मेरे बराबर से गुजरे फिर जहाँ से आये थे यह कहते हुए लौट गये कि यह शख्स कोई शैतान है, क्योंकि वह मुझे देख न सके अल्लाह तआला ने उनको मुझसे अंधा कर दिया था। (तफसीरे कुतुबी)

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ۗ إِنْ كُنَّا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۖ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ فَسَيُعْطُونَ لِيكُم مَّوَدِّعَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ۖ وَتُظَنُّونَ أَنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

व कालू अ-इजा कुन्ना अज़ामं-व
रुफातन् अ-इन्ना लमब्अ सू-न
खल्कन् जदीदा (49) कुल् कूनू
हिजा-रतन् औ हदीदा (50) औ
खल्कम्-मिम्मा यक्बुरु फी सुदूरिकुम्
फ-स-यकूलू-न मय्युअीदुना,
कुलिल्लजी फ-त-रकुम् अव्व-ल
मरतिन् फ-सयुन्गिजू-न इलै-क
रुऊ-सहुम् व यकूलू-न मता हु-व,
कुलू असा अय्यकू-न करीबा (51)
यौ-म यद्अूकुम् फ-तस्तजीबू-न
बिहम्दिही व तशुन्नू-न इल्लबिस्तुम्
इल्ला कलीला (52) ❀

और कहते हैं कि जब हम हो जायें
हड्डियाँ और चूरा-चूरा फिर उठेंगे नये
बनकर? (49) तू कह तुम हो जाओ
पत्थर या लोहा, (50) या कोई खल्कत
जिसको मुश्किल समझो अपने जी में।
फिर अब कहेंगे कौन लौटाकर लायेगा
हमको? कह जिसने पैदा किया तुमको
पहली बार, फिर अब मटकारेंगे तेरी तरफ
अपने सर और कहेंगे कब होगा यह? तू
कह शायद नज़दीक ही होगा। (51) जिस
दिन तुमको पुकारेगा फिर चले आओगे
उसकी तारीफ करते हुए और अटकल
करोगे कि देर नहीं लगी तुमको मगर
थोड़ी। (52) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

ये लोग कहते हैं कि जब हम (मरकर) हड्डियाँ और (हड्डियों का भी) चूरा (यानी रेज़ा-रेज़ा)

हो जाएंगे तो क्या (उसके बाद कियामत में) हम नये शिर से पैदा और जिन्दा किए जाएंगे (यानी अब्बल तो मरकर जिन्दा होना ही मुश्किल है कि जिसमें जिन्दगी की सलाहियत नहीं रही, फिर जबकि वह जिसमें भी रेजा-रेजा होकर उसके हिस्से बिखर जायें तो उसके जिन्दा होने को कौन मान सकता है)? आप (उनके जवाब में) फरमा दीजिए कि (तुम तो हड्डियों ही की जिन्दगी को दूर की और नामुश्किन बात समझते हो और हम कहते हैं कि) तुम पत्थर या लोहा या और कोई ऐसी मख्जूक होकर देख लो जो तुम्हारे जेहन में (जिन्दगी की सलाहियत से) बहुत ही दूर की चीज हो (फिर देखो कि जिन्दा किये जाओगे या नहीं। और पत्थर और लोहे को जिन्दगी से दूर की चीज करार देना इसलिये जाहिर है कि इनमें किसी वक़्त भी हैवानी जिन्दगी नहीं आती, बख़िलाफ़ हड्डियों के कि उनमें पहले उस वक़्त तक जिन्दगी रह चुकी है तो जब पत्थर व लोहे का जिन्दा करना अल्लाह तआला के लिये मुश्किल नहीं तो इनसानी हिस्सों (अंगों) को दोबारा जिन्दगी बरखा देना क्या मुश्किल होगा। और आयत में लफ़्ज़ कूनू जो हुक्म का कलिमा है इससे पुराद यहाँ हुक्म नहीं बल्कि एक शर्त है, कि फर्ज़ करो अगर तुम पत्थर और लोहा भी हो जाओ तो अल्लाह तआला फिर भी तुम्हें दोबारा जिन्दा कर देने पर कादिर है। इस पर वे पूछेंगे कि वह कौन है जो हमको दोबारा जिन्दा करेगा? आप फरमा दीजिए कि वह वह है जिसने तुमको पहली बार पैदा किया था (असल बात यह है कि किसी चीज़ के वजूद में आने के लिये दो चीज़ें दरकार हैं— एक मादा और महल "मौका व स्थान" में वजूद की काबलियत दूसरे उसको वजूद में लाने के लिये काम करने वाली कुव्वत। पहला सवाल महल "जगह और मौके" की काबलियत के मुताल्लिक था कि वह मरने के बाद जिन्दगी के काबिल नहीं रहा, इसका जवाब देकर महल की काबलियत साबित कर दी गई, तो यह दूसरा सवाल काम करने वाली ताक़त के मुताल्लिक किया गया कि ऐसा कौनसा ताक़त व कुदरत वाला है जो अपनी काम करने की कुव्वत से यह अजीब काम कर सके? इसके जवाब में फरमा दिया गया कि जिसने पहले तुम्हें ऐसे मादे से पैदा किया था जिसमें जिन्दगी की काबलियत का किसी को गुमान भी न था तो उसको दोबारा पैदा कर देना क्या मुश्किल है। और जब काबिल (कुबूल करने और असर लेने वाला) व फ़ाअिल (काम करने और असर करने वाला) दोनों का सवाल हल हो गया तो अब ये लोग उसके वाक़े व जाहिर होने के वक़्त की तहकीक के लिये) आपके आगे सर हिला-हिलाकर कहेंगे कि (अच्छ बतलाइये कि) यह (जिन्दा होना) कब होगा? आप फरमा दीजिए कि अजब नहीं यह करीब ही आ पहुँचा हो (आगे उन हालात का बयान है जो इस नई जिन्दगी के वक़्त पेश आयेंगे)।

यह उस दिन होगा कि अल्लाह तुमको (जिन्दा करने और मैदाने हश्र में जमा करने के लिये फ़रिश्तों के जरिये) पुकारेगा और तुम (बिना इख़्तियार) उसकी तारीफ़ करते हुए हुक्म का पालन करोगे (यानी जिन्दा भी हो जाओगे और मैदाने हश्र में जमा भी हो जाओगे) और (उस दिन की हौल और हैबत देखकर तुम्हारा यह हाल हो जायेगा कि दुनिया की सारी उग्र और क़ब्र में रहने की सारी मुद्दत के बारे में) तुम यह ख़्याल करोगे कि तुम बहुत ही कम (मुद्दत दुनिया में) रहे थे

(क्योंकि दुनिया और क़दम में आजको होलनाकी के गुकाबले में फिर कुठ न कुठ राहत थीं और राहत का जमाना इनसान को मुसीबत पड़ने के वक़्त बहुत मुख़्तसर मालूम हुआ करता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ

लफ़ज़ यदुक्कुम दुआ से निकला है जिसके मायने आवाज़ देकर बुलाने के हैं, और मायने यह है कि जिस दिन अल्लाह तआला तुम सब को मेहशर की तरफ़ बुलायेगा और यह बुलाना फ़रिश्ते इस्राफ़ील के ज़रिये होगा कि जब वह दूसरा सूर फूँकेंगे तो सब मुर्दे ज़िन्दा होकर मैदाने हशर में जमा हो जायेंगे, और यह भी हो सकता है कि ज़िन्दा होने के बाद सब को मैदाने हशर में जमा करने के लिये आवाज़ दी जाये। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि “क़ियामत के दिन तुमको तुम्हारे अपने और बाप के नाम से पुकारा जायेगा इसलिये अपने नाम अच्छे रखा करो, (बेहूदा नामों से परेहज़ करो)।” (तफ़सीरे कुर्तुबी)

मेहशर में काफ़िर लोग भी अल्लाह की तारीफ़ व सना करते हुए उठेंगे

فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ

इस्तिजाबत के मायने किसी के बुलाने पर हुक्म की तामील करने और हाज़िर हो जाने के हैं। मायने यह है कि मैदाने हशर में जब तुमको बुलाया जायेगा तो तुम सब उस आवाज़ की इत्ताअत करोगे और जमा हो जाओगे। बिहम्दिही इस लफ़ज़ से हुक्म की तामील करने वालों की हालत को बयान किया जा रहा है कि उस मैदान में आने के वक़्त तुम सब के सब अल्लाह की तारीफ़ व प्रशंसा करते हुए हाज़िर होंगे।

इस आयत के ज़ाहिर से यही मालूम होता है कि उस वक़्त मोमिन व काफ़िर सब का यही हाल होगा कि अल्लाह तआला की तारीफ़ करते हुए उठेंगे, क्योंकि इस आयत में असल ख़िताब काफ़िरों ही को है, उन्हीं के बारे में यह बयान हो रहा है कि सब तारीफ़ करते हुए उठेंगे। तफ़सीर के इमाम सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि काफ़िर लोग भी अपनी क़ब्रों से निकलते वक़्त ‘सुब्हान-क व बिहम्दिही’ के अलफ़ाज़ कहते हुए निकलेंगे, मगर उस वक़्त का तारीफ़ व सना करना उनको कोई नफ़ा नहीं देगा। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

क्योंकि ये लोग जब मरने के बाद ज़िन्दगी देखेंगे तो ग़ैर-इख़्तियारी तौर पर उनकी ज़बान से अल्लाह तआला की तारीफ़ व सना के अलफ़ाज़ निकलेंगे, वह कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिस पर जज़ा मुरत्तब हो।

और कुछ मुफ़त्सरीन हज़रात ने इस हाल को मोमिनों के लिये मख़सूस बतलाया है, उनको दलील यह है कि काफ़िरों के मुताल्लिक़ तो कुरआने करीम में यह है कि जब वे ज़िन्दा किये जायेंगे तो यह कहेंगे:

يَوْمَئِذٍ نَسْتَأْذِنُ مِنْ رَبِّنَا

“ऐ अफ़सोस! हमें किसने हमारी क़ब्र से ज़िन्दा कर उठाया है।” और दूसरी आयत में है कि यह कहेंगे:

يَحْسِرُنَّ عَلَى مَا فَرَّطُوا فِي جَنبِ اللَّهِ

“यानी ऐ हसरत व अफ़सोस! इस पर कि मैंने अल्लाह तआला के मामले में बड़ी कोताही की है।”

लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों अक़वाल में कोई टकराव नहीं हो सकता है कि शुरू में सब के सब तारीफ़ करते हुए उठें बाद में जब काफ़िरों को मोमिनों से अलग कर दिया जायेगा जैसा कि सूर: यासीन की आयत में है:

وَأَمَّا زُورًا فَالْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ

“ऐ मुजरियो! तुम आज सब अलग अलग और नुमायाँ होकर जमा हो जाओ।” उस वक़्त उनकी ज़बानों से वो कलिमात भी निकलेंगे जो उक्त आयतों में आये हैं, और यह बात कुरआन व सुन्नत की बेशुमार वज़ाहतों से मालूम और साबित है कि मेहशर के लोगों के खड़े होने के मौके और स्थान अलग-अलग होंगे, हर स्थान और मौके में लोगों के हाल अलग-अलग होंगे। इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि हशर में उठने की शुरुआत भी तारीफ़ से होगी, सब के सब अल्लाह की तारीफ़ करते हुए उठेंगे और सब मामलात का ख़ात्मा भी अल्लाह की तारीफ़ पर होगा जैसा कि इरशाद है:

وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“यानी सब मेहशर वालों का फैसला हक़ के मुताबिक़ कर दिया गया है और यह कहा गया है कि तारीफ़ व शुक्र है अल्लाह रब्बुल-आलमीन का।”

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَكُمْ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يُشَاقُّ بِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۝ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

व कुल्-लिअिवादी यकूलुल्लती हि-य	और कह दे मेरे बन्दों को कि बात वही
अस्सनु, इन्नशशैता-न यन्ज़गु बैनहुमु,	कहें जो बेहतर हो, शैतान झड़प करवाता

इन्नशैतान-न का-न लिह् इन्सानि
 अदुब्बम् मुबीना (53) रब्बुकुम्
 अजलमु बिकुम्, इय्यशज् यरहम्कुम्
 औ इय्यशअ युअज़िज्बुकुम्, व पा
 अर्सल्ला-क अलैहिम् वकीला (54) व
 रब्बु-क अजलमु बिगन् फिस्समावाति
 वल् अज़ि, व ल-कद् फज़ज़त्ना
 वअज़न्नबिद्यी-न अला वअज़िब-व
 आतैना दावू-द ज़बूरा (55)

है उनमें, शैतान है इन्सान का खुला
 दुश्मन। (53) तुम्हारा रब खूब जानता है
 तुमको अगर चाहे तुम पर रहम करे और
 अगर चाहे तुमको अज़ाब दे, और तुझको
 नहीं भेजा हमने उन पर जिम्मा लेने
 वाला। (54) और तेरा रब खूब जानता है
 उनको जो आसमानों में हैं और ज़मीन में
 और हमने अफ़जल किया है बाज़ों
 पैग़म्बरों को बाज़ों से, और दी हमने
 दाऊद को ज़बूर। (55)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और आप मेरे (मुसलमान) बन्दों से कह दीजिए कि (अगर काफ़िरों को जवाब दें तो) ऐसी
 बात कहा करें जो (अख़्बाक के एतिबार से) बेहतर हो (याने उसमें गाली-गलौज, बुरा-थला
 कहना, सख़्ती की बात और उत्तेजना शामिल न हो, क्योंकि) शैतान (सख़्त बात कहलवाकर)
 लोगों में फ़साद डलवा देता है, वाकई शैतान इन्सान का खुला दुश्मन है (और वजह इस तालीम
 की यह है कि सख़्ती से कोई फ़ायदा नहीं होता और हिदायत व गुमराही तो अल्लाह के हुक्म
 और तकदीर के ताबे हैं)। तुम सब का हाल तुम्हारा परवर्दिगार खूब जानता है (कि कौन किस
 काबिल है, बस) अगर वह चाहे तो तुम (में से जिस) पर (चाहे) रहमत फ़रमा दे (यानी हिदायत
 कर दे) या अगर वह चाहे तुम (में से जिस) को (चाहे) अज़ाब देने लगे (यानी उसको तौफ़ीक़ व
 हिदायत न दे)। और हमने आप (तक) को उन (की हिदायत) का जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा
 (और जब चावजूद नहीं होने के आप जिम्मेदार नहीं बनाये गये तो दूसरों की क्या मजाल है
 इसलिये किसी के पीछे पड़ जाना और सख़्ती करना बेफ़ायदा है)।

और आपका रब खूब जानता है उनको (भी) जो कि आसमानों में हैं और (उनको भी जो
 कि) ज़मीन में हैं (आसमान वालों से मुराद फ़रिश्ते और ज़मीन वालों से मुराद इन्सान और
 जिन्नात हैं)। मतलब यह है कि हम खूब वाकिफ़ हैं कि उनमें से किसको नबी और रसूल बनाना
 मुनासिब है किसको नहीं, इसलिये अगर हमने आपको नबी बना दिया तो इसमें ताज्जुब की क्या
 बात है) और (इसी तरह अगर हमने आपको दूसरों पर फ़ज़ीलत दे दी तो ताज्जुब क्या है
 क्योंकि) हमने (पहले भी) बाज़े नबियों को बाज़ों पर फ़ज़ीलत दी है (और इसी तरह अगर हमने
 आपको कुरआन दिया तो ताज्जुब की क्या बात है क्योंकि आप से पहले) हम दाऊद को ज़बूर दे
 चुके हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

बद-जुबानी और सख्त-कलामी काफ़िरों के साथ भी दुरुस्त नहीं

पहली आयत में जो मुसलमानों को काफ़िरों के साथ सख्त अन्दाज़ से कलाम करने से मना किया गया है उसकी मुराद यह है कि बिना ज़रूरत सख्ती न की जाये, और ज़रूरत हो तो कल्ल तक करने की इजाज़त है:

कि बे हुक्मे-शरअ आब खुर्दन ख़तास्त
व गर खूँ ब-फ़तवा त-रेज़ी र्वास्त

यानी अगर शरीअत की इजाज़त न हो तो पानी तक का पीना मना और गुनाह है और शरीअत की तरफ़ से इजाज़त व हिदायत और हालात का तकाज़ा हो तो खून बहाना भी जायज़ है। मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

जंग व कल्ल के ज़रिये कुफ़्र का दबदबा व जोर और इस्लाम की मुख़ालफ़त को दबाया जा सकता है इसलिये इसकी इजाज़त है। गाली-गलौज और सख्त-कलामी से न कोई क़िला फ़तह होता है न किसी को हिदायत होती है इसलिये इससे मना किया गया है। इमाम कुर्तुबी ने फ़रमाया कि यह आयत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के एक वाक़िए में नाज़िल हुई जिसकी सूरत यह थी कि किसी शख्स ने हज़रत फ़ारुके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली दी, उसके जवाब में उन्होंने भी उसको सख्त जवाब दिया और उसके कल्ल का इरादा किया, इसके नतीजे में ख़तरा पैदा हो गया कि दो क़बीलों में जंग छिड़ जाये, इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

और इमाम कुर्तुबी की तहकीक़ यह है कि इस आयत में मुसलमानों को आपस में ख़िताब करने के बारे में हिदायत है कि आपस के विवाद व झगड़े के वक़्त सख्त-कलामी न किया करें कि इसके ज़रिये शैतान उनमें आपस में जंग व फ़साद पैदा करा देता है।

وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا.

यहाँ ख़ास तौर पर ज़बूर का ज़िक्र शायद इसलिये किया गया है कि ज़बूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में यह ख़बर दी गई है कि आप रसूल व पैग़म्बर होने के साथ मुल्क व सल्तनत के मालिक भी होंगे जैसा कि कुरआने करीम में है:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

मौजूदा ज़बूर में भी कुछ हज़रात ने इसका उल्लेख होना साबित किया है। (तफ़सीरे ह्यक़ानी)

इमाम बग़वी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी तफ़सीर में इस जगह लिखा है कि ज़बूर अल्लाह तआला की किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, उसमें एक सौ पचास सूरतें हैं और तमाम सूरतें सिर्फ़ दुआ और अल्लाह की तारीफ़ व तना पर आधारित हैं, उनमें

हमारा व श्रम और शरह कानून का बयान नहीं है।

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ

عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا ۝ وَإِنْ مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا

عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

कुलिद् अल्लजी-न ज़अम्तुम् मिन्
दूनिही फ़ला यम्लिकू-न कश्फ़्ज़्जुरि
अन्कुम् व ला तहवीला (56)

उलाइ-कल्लजी-न यद्ज़ू-न यब्तगू-न
इला रब्बिहिमुल्-वसील-त अय्युहुम्
अकरबु व यर्जू-न रहम-तहू व
यखाफू-न अज़ाबहू इन्-न अज़ा-ब
रब्बि-क का-न महज़ूरा (57) व इम्-
मिन् कर्यतिन् इल्ला नहनु मुह्लिकूहा
कब्-ल यौमिल्-कियामति औ
मुअज़िज़ूहा अज़ाबन् शदीदन्, का-न
ज़ालि-क फ़िल्किताबि मस्तूरा (58)

कह पुकारो जिनको तुम समझते हो
सिवाय उसके सो वे इख्तियार नहीं रखते
कि खोल दें तकलीफ़ को तुम से और न
(यह कि) बदल दें। (56) वे लोग जिनको
ये पुकारते हैं वे खुद ढूँढते हैं अपने रब
तक वसीला कि कौनसा बन्दा बहुत
नज़दीक है, और उम्मीद रखते हैं उसकी
मेहरबानी की और डरते हैं उसके अज़ाब
से, बेशक तेरे रब का अज़ाब डरने की
चीज़ है। (57) और कोई वस्ती नहीं जिस
को हम ख़राब न कर देंगे कियामत से पहले
या आफ़त डालेंगे उस पर सख़्त आफ़त।
यह है किताब में लिखा गया। (58)

खुलासा-ए-तफ़सीर

आप (उन लोगों से) फ़रमा दीजिये कि जिनको तुम अल्लाह तआला के सिवा (माबूद) करार
दे रहे हो (जैसे फ़रिश्ते और जिन्नात) ज़रा उनको (अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिये) पुकारो तो
सही। सो वे न तुमसे तकलीफ़ को दूर करने का इख्तियार रखते हैं और न उसके बदल डालने
का (जैसे तकलीफ़ को बिल्कुल दूर न कर सकें कुछ हल्का ही कर दें)। ये लोग कि जिनको ये
मुशिक लोग (अपनी ज़रूरत पूरी करने या मुशिकल को हल करने के लिये) पुकार रहे हैं, वे खुद
ही अपने रब की तरफ़ (पहुँचने का) ज़रिया ढूँढ रहे हैं, कि उनमें कौन ज़्यादा मुकर्रब “यानी
अल्लाह का ख़ास और करीबी” बनता है (यानी वे खुद ही फ़रमाँबरदारी व इबादत में मशगूल हैं
ताकि अल्लाह तआला की निकटता मयस्सर हो जाये, और चाहते हैं कि अल्लाह की निकटता

का दर्जा और बढ़ जाये)। और वे उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं और उसके अज़ाब से (नाफरमानी की सूरत में) डरते हैं। वाकई आपके रब का अज़ाब है भी डरने की चीज़ (मतलब यह है कि जब वे खुद इबादत में लगे हुए हैं तो माबूद कैसे हो सकते हैं, और जब वे खुद ही अपनी ज़रूरतों में और तकलीफ़ के दूर करने में अल्लाह तआला के मोहताज हैं तो वे दूसरों की हाजत पूरी करने और मुश्किल को हल करने में क्या कर सकते हैं)।

और (काफ़िरों की) ऐसी कोई बस्ती नहीं जिसको हम क़ियामत से पहले हलाक न करें (या क़ियामत के दिन) उसके रहने वालों को (दोज़ख़ का) सख्त अज़ाब न दें। यह बात किताब (यानी लौह-ए-महफूज़) में लिखी हुई है (पस अगर कोई काफ़िर यहाँ हलाक होने से बच गया तो क़ियामत के दिन की बड़ी आफ़त से न बचेगा, और तबई मौत से हलाक होना तो काफ़िरों के साथ मख़सूस नहीं सभी मरते हैं, इसलिये बस्तियों के हलाक होने से इस जगह मुराद यह है कि किसी अज़ाब और आफ़त के ज़रिये हलाक किया जाये। तो खुलासा यह हुआ कि काफ़िरों पर कभी तो दुनिया में अज़ाब भेज दिया जाता है और आख़िरत का अज़ाब उसके अलावा होगा और कभी ऐसा भी होता है कि दुनिया में कोई अज़ाब न आया तो आख़िरत के अज़ाब से बहरहाल निजात नहीं)।

मआरिफ़ व मसाईल

يَسْتَفُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ.

लफ़्ज़ वसीला के मायने हर वह चीज़ जिसको किसी दूसरे तक पहुँचने का ज़रिया बनाया जाये। और अल्लाह के लिये वसीला यह है कि इल्म व अमल में अल्लाह तआला की मर्ज़ी की हर वक़्त रियायत रखे और शरीअत के अहकाम की पाबन्दी करे। मतलब यह है कि ये सब हज़रात अपने नेक अमल के ज़रिये अल्लाह तआला की रज़ा व खुशनुदी और निकटता की तलब में लगे हुए हैं।

يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ.

हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया कि उम्मीद और खौफ़ यानी अल्लाह तआला की रहमत का उम्मीदवार भी रहना और डरते भी रहना ये इनसान के दो अलग-अलग हाल हैं, जब ये दोनों बराबर दर्जे में रहें तो इनसान सही रास्ते पर चलता रहता है और अगर इनमें से कोई एक मग़लूब हो जाये तो उसी मात्रा से इनसान के हालात में ख़राबी आ जाती है। (कुर्तुबी)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا

الْأَوَّلُونَ وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝ وَإِذْ لَقْنَاكَ إِذْ

رَبُّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ

وَتَخْوِيفَهُمْ ۚ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

व मा म-न-अ ना अन्नुरसि-ल
 बिल्आयाति इल्ला अन् कज़्ज-ब
 बिहल्-अद्वलू-न, व आतैना
 समूदन्नाक-त मुब्सि-रतन् फ-ज़-लमू
 बिहा, व मा नुरसिलु बिल्आयाति
 इल्ला तख्वीफ़ा (59) व इज़् कुल्ना
 ल-क इन्-न रब्ब-क अहा-त बिन्नासि,
 व मा जअल्नरुअयल्लती अरैना-क
 इल्ला फि त् न-तल्-लिन्नासि
 वशश-ज-रतल्-मल्अून-त फ़िल्कुरआनि,
 व नुख्रव्विफ़ुहुम् फ़मा यज़ीदुहुम् इल्ला
 तुग््यानन् कबीरा (60) ❀

और हमने इसलिए रोक दीं निशानियाँ
 भेजनी कि अगलों ने उनको झुठलाया
 और हमने दी समूद को ऊँटनी उनके
 समझाने को फिर जुल्म किया उस पर,
 और निशानियाँ जो हम भेजते हैं सो डराने
 को। (59) और जब कह दिया हमने तुझ
 से कि तेरे रब ने घेर लिया है लोगों को
 और वह दिखलावा जो तुझको दिखलाया
 हमने सो जाँचने को लोगों के और ऐसे
 ही वह पेड़ जिस पर फटकार है कुरआन
 में और हम उनको डराते हैं तो उनको
 ज्यादा होती है बड़ी शरारत। (60) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और हमको खास (फ़रमाईशी) मोजिजों के भेजने से यही बात रुकावट है कि पहले लोग
 उन (के जैसे फ़रमाईशी मोजिजों) को झुठला चुके हैं (और मिजाज व तबीयतें सब काफ़िरों की
 मिलती-जुलती हैं तो ज़ाहिर यह है कि ये भी झुठलायेंगे) और (नमूने के तौर पर एक किस्सा भी
 सुन लो कि) हमने क़ौमे समूद को (उनकी फ़रमाईश के मुताबिक़ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के
 मोजिजे के तौर पर) ऊँटनी दी थी (जो अजीब अन्दाज़ से पैदा हुई और) जो कि (मोजिजा होने
 के सबब अपने आप में) बसीरत "यानी समझ और दानाई" का ज़रिया थी, सो उन लोगों ने
 (उससे समझ हासिल न की बल्कि) उसके साथ जुल्म किया (कि उसको क़त्ल कर डाला तो
 ज़ाहिर यह है कि अगर मौजूदा लोगों के फ़रमाईशी मोजिजे दिखलाये गये तो ये भी ऐसा ही
 करेंगे) और हम ऐसे मोजिजों को सिर्फ़ (इस बात से) डराने के लिये भेजा करते हैं (कि अगर ये
 फ़रमाईशी मोजिजे देखकर भी ईमान न लाओगे तो फ़ौरन हलाक कर दिये जाओगे, और होता
 यही रहा है कि जिन लोगों को फ़रमाईशी मोजिजे दिखलाये गये वे तो ईमान लाये ही नहीं यही
 मामला उनकी हलाकत और सार्वजनिक अज़ाब का सबब बनेगा, और अल्लाह की हिक्मत का
 तकाज़ा यह है कि ये लोग अभी हलाक न किये जायें इसलिये इनके फ़रमाईशी मोजिजे नहीं
 दिखलाये जाते। इसकी ताईद उस वाकिए से होती है जो इन लोगों को पहले पेश आ चुका है
 जिसका ज़िक्र यह है कि) आप वह वक़्त याद कर लीजिये जबकि हमने आप से कहा था कि
 आपका रब (अपने इल्म से) तमाम लोगों (के ज़ाहिरी व बातिनी, मौजूदा व आने वाले हालात)

को घेरे हुए है (और आने वाले हालात में उनका ईमान न लाना भी अल्लाह तआला को मालूम है जिसकी एक दलील उन्हीं का वाक़िआ यह है कि) हमने (मेराज के वाक़िए में) जो तमाशा (जागने की हालत में) आपको दिखलाया था, और जिस पेड़ की कुरआन में मज़म्मत "निंदा" की गई है (यानी ज़क़ूम जो काफ़िरों का खाना है) हमने तो दोनों चीज़ों को उन लोगों के लिये गुमराही का सबब कर दिया (यानी उन लोगों ने इन दोनों बातों को सुनकर झुठलाया, मेराज को तो इस बिना पर झुठलाया कि एक रात की थोड़ी-सी मुद्दत में मुल्के शाम जाना और फिर आसमान पर जाना उनके नज़दीक मुम्किन न था, और ज़क़ूम के पेड़ को इस वजह से झुठलाया कि उसको दोज़ख़ के अन्दर बतलाया जाता है कि आग में कोई पेड़ कैसे रह सकता है, अगर हो भी तो जल जायेगा, हालाँकि न एक रात में इतना लम्बा सफ़र तय करना अक्ली तौर पर मुहाल है न आसमान पर जाना नामुम्किन है, और आग के अन्दर पेड़ का वजूद उनकी समझ में न आया हालाँकि कोई मुहाल बात नहीं कि किसी पेड़ का मिज़ाज ही अल्लाह तआला ऐसा बना दें कि वह पाँची के बजाय आग से परवरिश पाये। फिर फ़रमाया) और हम उन लोगों को डराते रहते हैं लेकिन उनकी बड़ी सरकशी बढ़ती ही चली जाती है (ज़क़ूम के पेड़ के इनकार के साथ ये लोग मज़ाक़ भी करते थे जिसका बयान और अधिक तफ़सील व तहकीक़ के साथ सूर: साफ़ात में आयेगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

“यानी मेराज की रात में जो तमाशा हमने आपको दिखलाया था वह लोगों के लिये एक फ़ितना था।”

लफ़ज़ फ़ितना अरबी भाषा में बहुत-से मायनों के लिये इस्तेमाल होता है। इसके मायने वह हैं जो खुलासा-ए-तफ़सीर में लिये गये यानी गुमराही। एक मायने आजमाईश के भी आते हैं, एक मायने किसी हंगामे व फ़साद के बरपा होने के भी आते हैं, यहाँ इन सब मायनों की गुंजाईश है। हज़रत आयशा और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा और हज़रत हसन व हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहिमा वगैरह तफ़सीर के इमामों ने इस जगह फ़ितने से मुराद यही आखिरी मायने लिये हैं और फ़रमाया कि यह फ़ितना दीन इस्लाम से फिर जाने का था, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेराज की रात में बैतुल-मुक़दस और वहाँ से आसमानों पर जाने और सुबह से पहले वापस आने का ज़िक्र किया तो बहुत-से नवमुस्लिम लोग जिनमें ईमान अच्छी तरह जमा नहीं था इस कलाम को झुठलाकर मुर्तद हो गये। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

इसी वाक़िए से यह भी साबित हो गया कि लफ़ज़ 'रुअ्या' अरबी भाषा में अगरचे ख़्याब के मायने भी आता है लेकिन इस जगह मुराद ख़्याब (सपने) का किस्सा नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो लोगों के मुर्तद हो जाने (इस्लाम से फिर जाने) की कोई वजह नहीं थी, ख़्याब तो हर शख्स ऐसे

देख सकता है, बल्कि इस जगह 'रुआया' से मुराद एक अजोब वाकिए का जागने की हालत में दिखलाना है। उक्त आयत की तफसीर में कुछ हज़ारों ने इसको मेराज के वाकिए के अलावा दूसरे वाकिएत पर भी महमूल किया है, मगर मजमूई एतिबार से वो यहाँ फिट नहीं बैठते इसलिये उलेमा की अब्तरियत ने मेराज के वाकिए ही को इस आयत की मुराद करार दिया है और बताया है यह उसी की तरफ इस आयत में इशारा है। (तफसीरे कुर्तुबी)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ

أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ يَتَّبِعُ مِنْهُمْ قَانَ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْجُورًا ۝ وَاسْتَفْرَزَ مَنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْبِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ دَوْمًا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ الْأَغْوَرُورًا ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

व इज् कुल्ना लिल्पलाइ-कतिस्जुदू
लिआद-म फ-स-जदू इल्ला इब्ली-स,
का-ल अ-अस्जुदु लिमन् खलक्-त
तीना (61) का-ल अ-रएत-क
हाज़ल्लजी कर्म-त अलय-य, ल-इन्
अख़्खरतनि इला यौमिल्-कियामति
ल-अस्तनिकन्-न जुरिंध्य-तहू इल्ला
कलीला (62) कालफहब् फ-मन्
तबि-अ-क मिन्हुम् फ-इन्-न जहन्न-म
जज़ाउकुम् जज़ाअम्-मौफूरा (63)
वस्तफिज़ज़् मनिस्त-तअ-त मिन्हुम्
बिसौति-क व अज़िलब् अलैहिम्
विखैलि-क व रजिलि-क व शारिक्हुम्
फिल् अम्वालि वल्-औलादि व
ज़िदहम्, व मा यज़िदुहुमुश्-शैतानु

और जब हमने कहा फ़रिश्तों को कि सज्दा
करो आदम को तो वे सज्दे में गिर पड़े
मगर इब्लीस बोला क्या मैं सज्दा करूँ एक
शख्स को जिसको तूने बनाया मिट्टी का।
(61) कहने लगा भला देख तू यह शख्स
जिसको तूने मुझसे बढ़ा दिया अगर तू
मुझको ढील दे कियामत के दिन तक तो
मैं इसकी औलाद को ढाँटी दे लूँ मगर थोड़े
से। (62) फरमाया जा फिर जो कोई तेरे
साथ हुआ उनमें से सो दोज़ख है तुम सब
की सज़ा, पूरा बदला। (63) और घबरा ले
उनमें से जिसको तू घबरा सके अपनी
आवाज़ से, और ले आ उज़्र पर अपने
सवार और प्यादे और साझा कर उनसे माल
और औलाद में, और वायदा दे उनको
और कुछ नहीं वायदा देता उनको शैतान

इल्ला गुरूरा (64) इन्-न जिबादी	फगर दगाबाजी। (64) वे जो मेरे बन्दे हैं
लै-स ल-क अलैहिम् सुल्लानुन्, व	उन पर नहीं तेरी हुकुमत, और तेरा रब
कफ़ा बिरब्बि-क वकीला (65)	काफी है काम बनाने वाला। (65)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (यह वक़्त याद रखने के काबिल है) जबकि हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सज्दा करो, तो उन सब ने सज्दा किया मगर इब्लीस "यानी शैतान" ने (न किया और) कहा कि क्या मैं ऐसे शख्स को सज्दा करूँ जिसकी आपने मिट्टी से बनाया है (इस पर मरदूद हो गया। उस वक़्त) कहने लगा कि इस शख्स को जो आपने मुझ पर फौकियत "यानी बरतरी" दी है (और इसी बिना पर इसको सज्दा करने का मुझे हुक्म दिया है) तो भला बताईये तो (इसमें क्या फज़ीलत है जिसकी वजह से मैं मरदूद हुआ) अगर आपने (मेरी दरख्वास्त के मुताबिक) मुझको कियामत के ज़माने तक (मौत से) मोहलत दे दी तो मैं (भी) सियाय थोड़े-से लोगों के (जो नेक व परहेज़गार होंगे बाकी) इसकी तमाम औलाद को अपने काबू में कर लूँगा (यानी गुमराह कर दूँगा)। इश्राफ़ हुआ— जा (जो तुझसे हो सके कर ले) जो शख्स उनमें से तेरे साथ हो लेगा तो तुम सब की सज़ा जहन्नम है, सज़ा पूरी। और उनमें से जिस-जिस पर तेरा काबू चले, अपनी चीख-पुकार से (यानी बहकाने और बुरे ख़्यालात दिल में डालने से) उसका कदम (सही रास्ते से) उखाड़ देना, और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा लाना (कि तेरा सारा लश्कर मिलकर गुमराह करने में ख़ूब जोर लगाये) और उनके माल और औलाद में अपना साझा कर लेना (यानी माल व औलाद को गुमराही का ज़रिया बना देना जैसा कि यह चीज़ सामने आई), और उनसे (झूठे-झूठे) वायदे करना (कि कियामत में गुनाहों पर पकड़ न होगी और ये सब बातें शैतान की डॉट-डपट और चेतावनी के तौर पर कही गई हैं) और शैतान उन लोगों से बिल्कुल झूठे वायदे करता है (यह बयान हो रहे मज़मून से हटकर एक बात थी आगे फिर शैतान को ख़िताब है)। मेरे ख़ास बन्दों पर तेरा ज़रा भी काबू न चलेगा और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! उसका काबू मुख़्तस लोनों पर क्योंकि) आपका रब (उनका) कारसाज़ काफी है।

मआरिफ़-व-मसाईल

'ल-अस्तनिकन्-न'। एहतनाक के मायने हैं किसी चीज़ को तहस-नहस और फना कर देना या पूरी तरह उस पर ग़ालिब आना। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) 'वस्तफ़ज़िज़'। इस्तिफ़ज़ाज़ के असल मायने काटने के हैं, मुराद इस जगह हक से काट देना है। 'बिसौति-क'। लफ़्ज़ 'सौत' आवाज़ के मायने में परिचित है और शैतान की आवाज़ क्या है इसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि गाने, बाजे और खेल-तमाशे की आवाज़ें यही शैतान की आवाज़

है जिससे वह लोगों को हक से हटा और काट देता है। (लफ़्सीर कुतुबी)

इससे मालूम हुआ कि हर तरह का बाजा, संगीत और गाना बजाना हARAM है। (कुतुबी)

इब्तीस (शैतान) ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज़्दा न करने के वक़्त दो बातें कही थीं— एक यह कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किये गये और मैं आग की मख़्लूक हूँ, आपने मिट्टी को आग पर क्यों बरतरी और बढ़ाई दे दी। यह सवाल अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में हुक्म की हिक्मत मालूम करने से संबन्धित था जिसका किसी मामूर (जिसको किसी काम का हुक्म दिया जाये) को हक नहीं। अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से मामूर (हुक्म दिये गये शाख्स) को तो हिक्मत और वजह पूछने का हक क्या होता दुनिया में खुद इनसान अपने नौकर को इसका हक नहीं देता कि वह किसी काम को कहे तो नौकर वह काम करने के बजाय आका से पूछे कि इस काम में क्या हिक्मत है। इसलिये उसका यह सवाल नाकाबिले जवाब करार देकर यहाँ इसका जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा जाहिर जवाब यही है कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ पर बरतरी व बढ़ाई देने का हक उसी ज़ात को है जिसने उनको पैदा किया और पाला है, वह जिस वक़्त जिस चीज़ को दूसरी चीज़ पर बढ़ाई दे दे यही अफ़ज़ल हो जायेगी।

दूसरी बात यह कही थी कि अगर कियामत तक की ज़िन्दगी मिलने की मेरी दरख़्वास्त मन्ज़ूर कर ली गई तो मैं आदम की सारी औलाद को सिवाय चन्द लोगों के गुमराह कर डालूँगा। उक्त आयतों में हक़ तआला ने इसका जवाब दे दिया कि मेरे ख़ास बन्दे जो मुख़्लिस हैं उन पर तो तेरा काबू न चलेगा, चाहे तू अपना सारा लाव-लश्कर ले आये और पूरा जोर खर्च करे, बाकी ग़ैर-मुख़्लिस अगर वे तेरे काबू में आ गये तो उनका भी वही हाल होगा जो तेरा है कि जहन्नम के अज़ाब में तुम सब गिरफ़्तार होगे। इसमें 'अज़लिब् अलैहिम् बिख़लि-क व रजिलि-क' में जो शैतानी लश्कर के सवार और प्यादों का ज़िक्र है इससे यह लाज़िम नहीं आता कि वास्तव में भी शैतान के कुछ अफ़राद सवार हों कुछ प्यादे, बल्कि यह मुहाबरा पूरे लश्कर और पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिये बोला जाता है। और अगर वास्तव में ऐसा हो कि कुछ शैतान सवार होते हों कुछ प्यादे तो इसमें भी कोई इनकार की वजह नहीं, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जितने अफ़राद भी कुफ़्र व नाफ़रमानी की हिमायत के लिये लड़ने को चलते हैं वे सवार और प्यादे सब शैतान ही का सवार और प्यादा लश्कर है।

रहा यह मामला कि शैतान को यह कैसे मालूम हुआ कि वह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बहकाकर गुमराह करने पर क़ादिर हो जायेगा, जिसकी बिना पर उसने यह दावा किया। तो भुम्किन है कि इनसान के दो तत्व जिनसे यह तैयार हुआ है उनको देखकर उसने यह समझ लिया हो कि इसके अन्दर नफ़्सानी इच्छाओं का पालना होगा इसलिये बहकाने में आ जाना दुश्वार नहीं और इसमें भी कुछ दूर की और मुश्किल बात नहीं कि यह दावा भी बिल्कुल शूअ ही हो।

وشاركهم في الأموال والأولاد

लोगों के मालों और औलाद में शैतान की शिकत (साधेदारी) का पतलब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बयान फरमाया कि मालों में जो माल नाजायज़ हाराम तरीकों से हासिल किया जाये या हाराम कामों में खर्च किया जाये यही शैतान की उसमें शिकत है, और औलाद में शैतान की शिकत हाराम औलाद होने से भी होती है और इससे भी कि औलाद के नाम मुशिरकों वाले रखे, या उनकी हिफ़ाज़त के लिये मुशिरकों की रस्में अदा करे, या उनकी परवरिश के लिये आपदनी के हाराम साधन और असबाब इस्तेमाल करे। (तफ्सीरे कुतुबी)

رَبِّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفُكَّ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمْ فُلٌّ فَأَغْرَضْنَاهُمْ وَإِنْ أَمْسَاكَمْ الْفُلُّ الْأَنْسَانُ كُفُورًا ۝ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَيِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ وَأَيُّسِّرْ لَكُمْ فَسَّرَ ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِنْ الطِّيبِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्ज़ी लकुमुल-फुल-क
फिल्बहिर लिताब्तारू मिन् फज़िलही,
इन्नहू का-न बिकुम् रहीमा (66) व
इज़्ज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुरुह् फिल्बहिर ज़ल्-ल
गन् तद़्अ-न इल्ला इय्याहु फ-लम्मा
नज्जाकुम् इलल्-वरि अज़्ज़तुम्, व
कानल्-इन्सानु कफूरा (67)
अ-फ-अमिन्तुम् अय्यख़िस-फ बिकुम्
जानिबल्-वरि औ युसि-ल अलैकुम्
हासिबन् सुम्-म ला तजिदू लकुम्
वकीला (68) अम् अमिन्तुम्
अय्युज़ी-दकुम् फीहि ता-रतन् उद़्दरा
फयुरसि-ल अलैकुम् कासिफम्-

तुम्हारा रब वह है जो चलाता है तुम्हारे
वास्ते कश्ती दरिया में ताकि तलाश करो
उसका फज़ल, वही है तुम पर मेहरबान।
(66) और जब आती है तुम पर आफ़त
दरिया में भूल जाते हो जिनको तुम
पुकारा करते थे अल्लाह के अलावा, फिर
जब वचा लाया तुमको ख़ुश्की में फिर
जाते हो, और है इनसान बड़ा नाशुक्र।
(67) सो क्या तुम बेडर हो गये इससे कि
धंसा दे तुमको जंगल के किनारे या मेज
दे तुम पर आँधी पत्थर बरसाने वाली
फिर न पाओ अपना कोई निगहबान।
(68) या बेडर हो गये हो इससे कि फिर
ले जाये तुमको दरिया में दूसरी बार, फिर
मेजे तुम पर एक सख़्त झोंका हवा का,

मिनर्-रीहि फयुगुरि-ककुम् बिमा
 कफरतुम् सुम्-म ला तजिदू लकुम्
 अलैना बिही तबीआ (69) व ल-कद्
 कर्मना बनी आद-म व हमल्लाहुम्
 फिल्बर्ि वल्बहिर व रजत्रनाहुम्
 मिनत्तयिबाति व फज़्ज़ल्लाहुम् अला
 कसीरिम्-मिम्मन् खालवना
 तफ़्ज़ीला (70) ❀

फिर डुबा दे तुमको बदलें में इस नाशुक्रों
 के, फिर न पाओ अपनी तरफ से हम पर
 उसका कोई पूछगछ करने वाला। (69)
 और हमने इज़्जत दी है आदम की
 औलाद को और सवारी दी उनको जंगल
 और दरिया में और रोज़ी दी हमने उनको
 सुथरी चीज़ों से और बढ़ा दिया उनको
 बहुतों से जिनको पैदा किया हमने बढ़ाई
 देकर। (70) ❀

खुलासा-ए-तफ़्सीर

(इनसे पहले की आयतों में तौहीद को साबित करने और शिर्क के बातिल होने का बयान था, अब इन आयतों में यही यज़्मून एक खास अन्दाज़ से बयान किया गया है जिसका हासिल यह है कि हक़ तआला की बेशुमार अज़ीमुश्शान नेमतें जो इनसानों पर हर वक़्त नाज़िल होती हैं उनको बयान करके यह बतलाना मन्ज़ूर है कि इन तमाम नेमतों का बख़्शने वाला सिवाय एक हक़ तआला के कोई नहीं हो सकता, और सब नेमतें उसकी हैं तो उसके साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना बड़ी गुमराही है। और इरशाद फ़रमाया कि) तुम्हारा ख़ब ऐसा (नेमत देने वाला) है कि तुम्हारे (नफ़े के) लिये कश्ती को दरिया में ले चलता है ताकि तुम उसके रिज़्क की तलाश करो (इसमें इशारा है कि पानी का सफ़र तिजारत के लिये उमूमन बड़े नफ़े का सबब होता है) बेशक वह तुम्हारे हाल पर बहुत मेहरबान है।

और जब तुमको दरिया में कोई तकलीफ़ पहुँचती है (जैसे दरिया की लहर और हवा के तूफ़ान से डूबने का ख़तरा) तो सिवाय खुदा के और जिस जिसकी तुम इबादत करते थे सब ग़ायब हो जाते हैं (कि न तुम्हें खुद ही उस वक़्त उनका ख़्याल आता है न उनको पुकारते हो और पुकारो भी तो उनसे किसी इम्दाद की ज़रूत बराबर उम्पीद नहीं, यह खुद अमली तौर पर तुम्हारी तरफ़ से तौहीद "यानी अल्लाह के एक होने और उसके अलावा किसी के खुदा व माबूद न होने" का इक़्रार और शिर्क की बातिल ठहराना है) फिर जब तुमको खुश्की की तरफ़ बचा लाता है तो तुम फिर उससे रुख़ फेर लेते हो, और इनसान है बड़ा नाशुक्रा (कि इतनी जल्दी अल्लाह के इनाम और अपने फ़रियाद करने व गिड़गिड़ाने को भूल जाता है, और तुम जो खुश्की में पहुँचकर उससे अपना रुख़ फेर लेते हो) तो क्या तुम इस बात से बेफ़िक्र हो बैठे हो कि तुमको खुश्की की तरफ़ लाकर ही ज़मीन में धँसा दें (मतलब यह है कि अल्लाह के नज़दीक दरिया और खुश्की में कोई फ़र्क़ नहीं, वह जैसे दरिया में ग़र्क़ कर सकता है ऐसा ही खुश्की में

भी ज़मीन में धंसाकर गूँदा कर सकता है) या तुम पर कोई ऐसी सख्त हवा भेज दे जो कंकड़ पत्थर बरसाने लगे (जैसा कि आद क़ौम ऐसे ही हवा के तूफ़ान से हलाक की गई थी) फिर तुम खुदा के अलावा किसी को अपना कारसाज़ न पाओ। या तुम इससे बेफ़िक्र हो गये कि खुदा तआला फिर तुमको दरिया ही में दोबारा ले जाये, फिर तुम पर हवा का सख्त तूफ़ान भेज दे, फिर तुमको तुम्हारे कुफ़्र के सबब डुबो दे, फिर इस बात पर (यानी डुबो देने पर) कोई हमारा पीछा करने वाला भी तुमको न मिले (जो हम से तुम्हारा बदला ले सके)। और हमने आदम की औलाद को (विशेष सिफ़तें देकर) इज़्ज़त दी, और हमने उनको खुशकी और दरिया में (जानवरों और कश्तियों पर) सवार किया और उम्दा-उम्दा चीज़ें उनको अता फ़रमाईं। और हमने उनको अपनी बहुत-सी मख़्लूक़ात पर बरतरी दी।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इनसान की बड़ाई अक्सर मख़्लूक़ात पर किस वजह से है?

आख़िरी आयत में आदम की औलाद (यानी इनसान) की अक्सर मख़्लूक़ात पर बरतरी व बड़ाई का ज़िक्र है। इसमें दो बातें ध्यान देने के काबिल हैं अर्वायल यह कि यह अफ़ज़ल व बेहतर होना किन सिफ़ात और किन कारणों की बिना पर है। दूसरे यह कि इसमें बड़ाई अक्सर मख़्लूक़ात पर देना बयान फ़रमाया है इससे क्या मुराद है?

पहली बात की तफ़्सील यह है कि हक़ तआला ने इनसान को विभिन्न हैसियतों से ऐसी विशेषतायें अता फ़रमाईं हैं जो दूसरी मख़्लूक़ात में नहीं, जैसे सूरत की ख़ूबसूरती, जिस्म में दरमियानापन, मिज़ाज में संतुलन, क़द-काठी डील-डोल में दरमियानापन जो इनसान को अता हुआ है किसी दूसरे हैवान में नहीं। इसके अलावा अक़ल व शऊर में इसको खास विशेषता और दूसरों से अलग खुसूसियत बख़्शी गयी है जिसके ज़रिये वह ऊपर नीचे की तमाम कायनात से अपने काम निकालता है, उसको अल्लाह तआला ने इसकी कुदरत बख़्शी है कि अल्लाह की मख़्लूक़ात से ऐसे मिश्रण और चीज़ें तैयार करे जो उसके रहने-सहने, चलने-फिरने और खाने व लिबास में उसके विभिन्न तौर पर काम आयें।

बोलने व बात करने और समझने व समझाने का जो मलका (महारत व कमाल) उसको अता हुआ है वह किसी दूसरे हैवान को नहीं। इशारों के ज़रिये अपने दिल की बात दूसरों को बतला देना, तहरीर और ख़त के ज़रिये दिल की बात दूसरों तक पहुँचाना यह सब इनसान ही की विशेषतायें हैं। कुछ ज़लेमा ने फ़रमाया कि हाथ की उंगलियों से खाना भी इनसान ही की विशेष सिफ़त है, इसके सिवा तमाम जानवर अपने मुँह से खाते हैं, अपने खाने की चीज़ों को विभिन्न चीज़ों से तैयार करके लज़ीज़ और मुफ़ीद बनाने का काम भी इनसान ही करता है; बाक़ी सब जानवर अकेली-अकेली चीज़ें खाते हैं। कोई कच्चा गोश्त खाता है, कोई घास कोई फल वग़ैरह, बहरहाल सब अकेली-अकेली चीज़ें खाते हैं, इनसान ही अपनी ग़िज़ा के लिये इन

सब चीजों के मूलक्याल (मिर्ताजुली चीजें और फजान) तैयार करता है और सब से बड़ी फजीलत अक्ल व शऊर की है जिससे वह अपने खालिक और मालिक को पहचाने और उसकी मर्जी और नामर्जी को मालूम करके उसकी पसन्दीदा बातों का पालन करे नापसन्दीदा बातों से परहेज करे, और अक्ल व शऊर के एतबार से मख्लूक़ात की तक्सीम इस तरह है कि आम जानवरों में इच्छायें और शहवतें (नफ्सानी तक्वाजे) हैं अक्ल व शऊर नहीं, फरिश्तों में अक्ल व शऊर भी है इच्छायें और शहवतें नहीं। इनसान में ये दोनों चीजें जभा हैं, अक्ल व शऊर भी है और इच्छायें और शहवतें (नफ्सानी तक्वाजे) भी हैं इसी वजह से जब वह शहवतों व इच्छाओं को अक्ल व शऊर के जरिये दबा लेता है और अल्लाह तआला की नापसन्दीदा चीजों से अपने आपको बचा लेता है तो उसका मक़ाम बहुत-से फरिश्तों से भी ऊँचा हो जाता है।

दूसरी बात कि आदम की औलाद को अक्सर मख्लूक़ात पर फजीलत देने का क्या मतलब है, इसमें तो किसी को पतभेद की गुंजाईश नहीं कि दुनिया की ऊपर नीचे की तमाम मख्लूक़ात और तमाम जानवरों पर इनसान को फजीलत हासिल है, इसी तरह जिन्नात जो अक्ल व शऊर में इनसान ही की तरह हैं उन पर भी इनसान का अफज़ल होना सबके नज़दीक माना हुआ है, अब सिर्फ़ मामला फरिश्तों का रह जाता है कि इनसान और फरिश्ते में कौन अफज़ल (बेहतर और ऊँचे रतबे वाला) है, इसमें तहकीकी बात यह है कि इनसानों में आम मोमिन और नेक लोग जैसे औलिया-अल्लाह वे आम फरिश्तों से अफज़ल हैं, मगर खास फरिश्ते जैसे जिब्रिल, मीकाईल वगैरह उन आम नेक मोमिनों से अफज़ल हैं, और मोमिनों में से खास हज़रात जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, वे खास फरिश्तों से भी अफज़ल हैं। बाकी रहे काफ़िर व बदकार इनसान, वे जाहिर है कि फरिश्तों से तो क्या अफज़ल होते वे तो जानवरों से भी असल मक़सद यानी कामयाबी में अफज़ल नहीं, उनके मुताल्लिक तो कुरआन का फैसला यह है:

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

यानी ये तो चौपाये जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। (तफसीर मजहरी) बल्लाहु अलम।

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

यौ-म नद अ कुल्-ल उनासिम्
बि-इमामिहिम् फ-मन् ऊति-य
कितावहू बिधमीनिही फ-उलाइ-क
यकरऊ-न किताबहुम् व ला युज़्लमू-न

जिस दिन हम बुलायेंगे हर फिके को उन के सरदारों के साथ सो जिसको मिला उसका आपाल नाया उसके दाहिने हाथ में सो वे लोग पढ़ेंगे अपना लिखा और जुल्म न होगा उन पर एक धागे का। (71)

फतीला (71) व मन् का-न फी
हाजिही अज़्मा फहु-व फिल्आखिरति
अज़्मा व अज़ल्लु सबीला (72)

और जो कोई रहा इस जहान में अंधा सो
वह बाद के जहान में भी अंधा है और
बहुत दूर पड़ा हुआ रह से। (72)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(उस दिन को याद करना चाहिये) जिस दिन हम तमाम आदमियों को उनके आमाल नामे समेत (मैदाने हशर में) बुलाएँगे (और वो आमाल नामे उड़ा दिये जायेंगे, फिर किसी के दाहिने हाथ और किसी के बायें हाथ में आ जायेंगे)। फिर जिसका आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जायेगा (और ये ईमान वाले होंगे) तो ऐसे लोग अपना आमाल नामा (खुश होकर) पढ़ेंगे, और उनका ज़रा भी नुक़सान न किया जायेगा (यानी उनके ईमान और आमाल का सवाब पूरा पूरा मिलेगा, ज़रा न कम होगा चाहे ज़्यादा मिल जाये, और अज़ाब से निजात भी होगी चाहे शुरू ही में या गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद)। और जो शख़्स दुनिया में (निजात का रास्ता देखने से) अंधा रहा, सो वह आख़िरत में भी (निजात की मन्ज़िल तक पहुँचने से) अंधा रहेगा; और (बल्कि वहाँ दुनिया से भी) ज़्यादा भटका हुआ होगा (क्योंकि दुनिया में तो गुमराही का इलाज मुम्किन था वहाँ यह भी न हो सकेगा, ये वे लोग होंगे जिनका आमाल नामा उनके बायें हाथ में दिया जायेगा)।

मअरिफ़ व मसाईल

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اِنْسَانٍ بِاِمَامِهِمْ

इस आयत में लफ़ज़ इमाम किताब के मायने में है जैसा कि सूर: यासीन में है:

وَ كُلِّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝

इसमें इमामे मुबीन से मुराद स्पष्ट और खुली किताब है, और किताब की इमाम इसलिये कहा जाता है कि भूल-चूक और मतभेद के वक़्त किताब ही की तरफ़ रुजू किया जाता है जैसे किसी पेशवा और इमाम की तरफ़ रुजू किया जाता है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

और तिर्मिज़ी की हदीस हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अँहु की रिवायत से (जिसको तिर्मिज़ी ने हसन ग़रीब कहा है) उससे भी यही मालूम होता है कि इमाम से मुराद इस आयत में किताब है। हदीस के अलफ़ाज़ ये हैं:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اِنْسَانٍ بِاِمَامِهِمْ. قَالَ يَدْعَى اَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ. (الحديث بطوله)

“आयत ‘يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اِنْسَانٍ بِاِمَامِهِمْ’ की तफ़सीर में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि एक शख़्स को बुलाया जायेगा और उसका आमाल नामा दाहिने हाथ में दे दिया जायेगा।”

इस हदीस से यह भी मुतेयन हो गया कि इमाम किताब के मायने में है, और यह भी मालूम हो गया कि किताब से पुराद आमाल नामा है, इसलिये खुलासा-ए-तफसीर जो बयानुल-कुरआन से लिया गया है उसमें इसका तर्जुमा आमाल नामे से कर दिया गया है।

और हज़रत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु और मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि वगैरह मुफ़्तिरीन से यहाँ लफ़्ज़ इमाम के मायने मुक्त्तदा और पेशवा के भी मन्कूल हैं, कि हर शख़्त को उसके मुक्त्तदा व पेशवा का नाम लेकर पुकारा जायें, चाहे वह मुक्त्तदा व पेशवा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनके नायब बुजुर्ग व उलेमा हों या गुमराही और नाफ़रमानी की तरफ़ दावत देने वाले पेशवा (लीडर व सरगना)। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

इस मायने के लिहाज़ से आयत का मतलब यह होगा कि मैदाने हशर में हर शख़्त को उसके मुक्त्तदा और पेशवा के नाम से पुकारा जायेगा और सब को एक जगह जमा कर दिया जायेगा, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकारों, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों व ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पैरोकारों, फिर इनके तहत में मुम्किन है कि उन पैरोकारों और मानने वालों के डायरेक्ट पेशवाओं का नाम भी लिया जाये।

नामा-ए-आमाल

कुरआन मजौद की अनेक आयतों से मालूम होता है कि बायें हाथ में आमाल नामा सिर्फ़ काफ़िरो को दिया जायेगा जैसा कि एक आयत में है:

إِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ

और एक दूसरी आयत में है:

إِنَّهٗ ظَنَّ أَنْ لَّنْ يُّحَوَّرَ

पहली आयत में स्पष्ट रूप से ईमान की नफ़ी गई है और दूसरी में आख़िरत का इनकार बयान हुआ है वह भी कुफ़्र ही है। इस तुलना करने से मालूम होता है कि दाहिने हाथ में आमाल नामा ईमान वालों को दिया जायेगा चाहे मुत्तकी हों या गुनाहगार, मोमिन अपने आमाल नामे को खुशी के साथ पढ़ेगा वल्कि दूसरों को भी पढ़वायेगा, यह खुशी ईमान की और हमेशा के अज़ाब से निजात की होगी अगरचे कुछ आमाल पर सज़ा भी होगी।

और कुरआने करीम में नामा-ए-आमाल दाहिने या बायें हाथ में दिये जाने की कौफ़ियत बयान नहीं हुई लेकिन कुछ हदीसों में आमाल नामों के उड़ाये जाने का ज़िक्र आया है। (इसको इमाम अहमद ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से मरफूअन नक़ल किया है) और हदीस की कुछ रिवायतों में है कि सब आमाल नामे अर्श के नीचे जमा होंगे, फिर एक हवा चलेगी जो सब को उड़ाकर लोगों के हाथ में पहुँचा देगी, किसी के दाहिने हाथ में किसी के बायें हाथ में। (बयानुल-कुरआन, सुहुल-मअानी के हवाले से)

وَأَن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرَىٰ عَلَيْنَا آيَةً ۗ

وَإِذَا لَمْ تَأْتِكُمْ بَخِيلًا ۖ وَكَوَلَا أَن نَّبَشْتِكَ لَقَدْ كِدْتُمْ تَزْكُمُنَّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۖ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۗ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُوا مِنَّا إِلَّا أَن نَرْسِلَ بِرُسُلِنَا لِتُخْرِجُوهُمْ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ سُنَّةً مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِنُسُوتِنَا تَعْوِيلًا ۖ

व इन् कादू लयफितनू-न-क अनिल्लजी
औहैना इलै-क लितफतरि-य अलैना
गैरहू व इजल्-लत-खजू-क खलीला
(73) व लौ ला अन् सब्बत्ना-क
ल-कद् कित्-त तर-कनु इलैहिम्
शैअन् कलीला (74) इजल्
ल-अजकना-क जिअफल्-हयाति व
जिअफल्-ममाति सुम्-म ला तजिदु
ल-क अलैना नसीरा (75) व इन्
कादू लयस्तफिज्जू-न-क मिनल्अर्जि
लियुद्धिरजू-क मिन्हा व इजल्-ला
यल्बसू-न खिलाफ-क इल्ला कलीला
(76) सुन्न-त मन् कद् अरसल्ला
कब्ल-क मिर्हसुलिना व ला तजिदु
लिसुन्नतिना तस्वीला (77) ❀

और वे लोग तो चाहते थे कि तुझको
बिचला दें उस चीज़ से कि जो वही भेजी
हमने तेरी तरफ, ताकि झूठ बना लाये तू
हम पर वही के सिवा और तब तो बना
लेते तुझको दोस्त। (73) और अगर यह
न होता कि हमने तुझको संभाले रखा तो
तू लग जाता झुकने उनकी तरफ थोड़ा
सा। (74) तब तो जरूर चखाते हम
तुझको दुगना मजा ज़िन्दगी में और
दुगना मरने में फिर न पाता तू अपने
वास्ते हम पर मदद करने वाला। (75)
और वे तो चाहते थे कि घबरा दें तुझको
इस ज़मीन से ताकि निकाल दें तुझको
यहाँ से और उस वक़्त न ठहरेंगे वे भी
तेरे पीछे मगर थोड़ा। (76) दस्तूर चला
आता है उन रसूलों का जो तुझसे पहले
भेजे हमने अपने पैगम्बर और न पायेगा
तू हमारे दस्तूर में फर्क। (77) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और ये काफिर लोग (अपनी मज़बूत तदबीरों के ज़रिये) आपको उस चीज़ से बिचलाने (और हटाने) ही लगे थे जो हमने आप पर वही के ज़रिये से भेजी है (यानी इस कोशिश में लगे थे कि आप से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ़ अमल करा दें और) ताकि आप उस (अल्लाह के

(हम) के लिए हमने बहुत-बहुत आपसों और हमें गुनाह बताने की निश्चय कर दी क्योंकि नबी का गुनाह शरीअत के अन्तर्गत नहीं होता इसलिये अगर नऊहु बिल्लाहि आप से कोई अपल खिलाफ शरीअत हो जाता तो वह लाजिम आता कि उस खिलाफ शरीअत अपल को गोया अल्लाह की तरफ मन्सूब कर रहे हैं) और ऐसी हालत में आपको गहरा दोस्त बना लेते। और (उनकी यह इस्तरत ऐसी सख्त थी कि) अगर हमने आपको साबित-कदम "सही राह पर जमने वाला" न बनाया होता (यानी खलाओं से सुरक्षित न किया होता) तो आप उनकी तरफ कुछ-कुछ झुकने के करीब जा पहुँचते। (और) अगर ऐसा हो जाता (कि आपको कुछ मैलान उनकी बात की तरफ होता) तो हम आपको (इस वजह से कि अल्लाह को बारागाह के करीबी व खास लोगों का मकाम बहुत बुलन्द है) जिन्दगी की हालत में भी और मौत के बाद भी दोहरा अजाब बखाते, फिर आप हमारे मुकाबले में कोई मददगार भी न पाते (नगर चूँकि आपको हमने गुनाहों से सुरक्षित और खुदाई शरीअत पर जमने और मजबूत रहने वाला बनाया है इसलिये उनकी तरफ जरा भी मैलान न हुआ और इस अजाब से बच गये)।

और ये (काफिर) लोग इस (मक्का या यदीना की) सरजमीन से आपके कदम ही उखाड़ने लगे थे ताकि आपको इससे निकाल दें, और अगर ऐसा हो जाता तो आपके बाद ये भी बहुत कम (यहाँ) ठहरने पाते। जैसा कि उन अम्बिया के बारे में (हमारा) क़ानून व दस्तूर रहा है जिनको आपसे पहले हमने रसूल बनाकर भेजा था (कि जब उनकी क़ौम ने उनको बतान से निकाला तो फिर उस क़ौम को भी वहाँ रहना नसीब नहीं हुआ) और आप हमारे क़ायदे में बदलाव न पाएँगे।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन ऊपर जिक्र हुई आयतों में से पहली तीन आयतें एक खास वाकिए से संबन्धित हैं। तफ़्सीरे मज़हरी में इस वाकिए के निर्धारण के बारे में चन्द रिवायतें नक़ल की हैं जिनमें से कुरआनी इशागत से सबसे ज़्यादा करीब और ताईद करने वाला यह वाक़िआ है जो हज़रत जुबैर बिन नुफ़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इब्ने अबी हातिम ने नक़ल किया है कि मक्का के कुरैश में के चन्द सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अज़ किया कि अगर आप याक़ई हमारी तरफ़ (नबी बनाकर) भेजे गये हैं तो फिर अपनी मज्लिस से उन ग़रीब बुरी हालत वाले लोगों को हटा-द्रीजिये जिनके साथ बैठना हमारे लिये तौहीन की बात है, तो फिर हमें भी आपके साथी और दोस्त हो जायेंगे। उनकी इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कुछ ख़्याल पैदा हुआ कि इनकी बात पूरी कर दें, शायद ये मुसलमान हो जायें, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई।

इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़बर दे दी गयी कि उनकी बात फ़ितना है, उनकी दोस्ती भी फ़ितना है, आपको उनकी बात नहीं माननी चाहिये और फिर इरशाद फ़रमाया कि अगर हमारी तरफ़ से आपकी तरबियत और साबित-कदम रखने का एहतिमाम न होता तो कुछ बईद नहीं था कि आप उनकी बात की तरफ़ मैलान के थोड़े से करीब हो जाते।

तफ़सीरे मजहरी में है कि इस आयत से यह बात स्पष्ट तौर पर समझी जाती है कि कुरैश के काफ़िरों की बेहूदा और ग़लत बातों की तरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मैलान (रुझान और झुकाव) का तो कोई गुमान व ख़्याल ही न था हाँ मैलान के करीब हो जाने का और वह भी बहुत मामूली-सी हद में संभावना थी मगर अल्लाह तआला ने मासूम (सुरक्षित) बनाकर उससे भी बचा लिया। गौर किया जाये तो यह आयत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की आला तरीन पाकीजा पैदाईश व तबीयत पर बड़ी दलील है कि अगर पैग़म्बराना सुरक्षा भी न होती तब भी नबी की फ़ितरत ऐसी थी कि काफ़िरों की बेहूदा और ग़लत बात की तरफ़ मैलान हो जाना उससे मुम्किन न था, हाँ मैलान के कुछ करीब वह भी बहुत कम का शुब्हा व गुमान था जो पैग़म्बराना हिफ़ाज़त व सुरक्षा ने ख़त्म कर दिया।

إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ

यानी अगर मान लो जबकि यह असंभव है कि आप उनकी ग़लत रविश की तरफ़ मैलान के करीब हो जाते तो आपका अज़ाब दुनिया में भी दोहरा होता और मौत के बाद क़ब्र या आख़िरत में भी दोहरा होता, क्योंकि अल्लाह की बारगाह के करीबी व ख़ास हज़रात की मामूली-सी ग़लती भी बहुत बड़ी समझी जाती है और यह मज़मून तक़रीबन वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियों के मुताल्लिक़ कुरआने करीम में आया है:

يُنِيبَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

यानी ऐ नबी की औरतो! अगर तुम में से किसी ने खुली बेहयाई का काम किया तो उसको दोहरा अज़ाब दिया जायेगा।

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ

इस्तिफ़ज़ाज़ के लफ़्ज़ी मायने काट देने के हैं, यहाँ मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने वतन व ठिकाने मक्का या मदीना से निकाल देना है और आयत के मायने यह हैं कि करीब था कि ये काफ़िर लोग आपको अपनी ज़मीन से निकाल दें और अगर वे ऐसा कर लेते तो इसकी सज़ा उनको यह मिलती कि वे भी आपके बाद ज़्यादा देर उस शहर में न रह पाते। यह एक दूसरे वाक़िए का बयान है और इसके मुतैयन करने में भी दो रिवायतें मन्कूल हैं एक वाक़िआ मदीना तख़्यिबा का है कि मदीना के यहूद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि "ऐ अबुल-क़ासिम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! अगर आप अपनी नुबुव्वत के दावे में सच्चे हैं तो आपको चाहिये कि मुल्क शाम में जाकर रहें क्योंकि मुल्क शाम ही मेहशर की ज़मीन है, और वही अम्बिया की ज़मीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उनके कलाम का कुछ असर हुआ और तबूक की जंग के वक़्त जो मुल्के शाम का सफ़र हुआ तो आपका इरादा यह था कि मुल्के शाम को अपना एक ठिकाना बनायें मगर यह आयत नाज़िल हुई:

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ

(यानी आयत नम्बर 76) जिसमें आपको इस इरादे से रोक दिया गया, मगर इब्ने कसीर ने इस शिवायत को नकल करके नाक़ाबिले इस्पीनान करार दिया है और इस आयत का मिस्दाक़ (घरितार्थ) एक दूसरा वाक़िआ बतलाया है जो मक्का मुकर्रमा में पेश आया और इस सूरात का मक्की होना इसके लिये प्रबल इशारा है और वह वाक़िआ यह है कि एक मर्त्या कुरैश के काफ़िरो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को मक्का मुकर्रमा से निकालने का इरादा किया, इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई:

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْخَرُوا مِنَّا

(यानी आयत नम्बर 76) और इसमें मक्का के काफ़िरो को इस पर चेताया कि अगर वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को मक्का से निकाल देंगे तो फिर खुद भी मक्का में देर तक चैन से न बैठ सकेंगे। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसी वाक़िए को आयत का मिस्दाक़ (घरितार्थ) होना ज़्यादा सही करार दिया है, और फिर बतलाया कि कुरआने करीम की यह वईद (वायदा व धमकी) भी मक्का के काफ़िरो ने खुली आँखों देख ली कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फ़रमाई तो मक्का वाले एक दिन भी मक्का में चैन से नहीं बैठ सके, सिर्फ़ डेढ़ साल के बाद अल्लाह तआला ने उनको बदर के मैदान में जमा कर दिया, जहाँ उनके सत्तर सरदार मारे गये और उनकी ताकत टूट गई, फिर उहुद की जंग के आखिरी नतीजे में उन पर और ज़्यादा हैयत तारी हो गई और जंगे अहज़ाब के आखिरी मुक़ाबले ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी और हिजरत के आठवें साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने पूरा मक्का मुकर्रमा फ़तह कर लिया।

مَنْ قَدَارَ مَا

इस आयत (यानी आयत नम्बर 77) में बतलाया गया कि अल्लाह तआला की आम आदत और कायदा पहले से यही चला आया है कि जब कोई कौम अपने नबी को उसके वतन से निकालती या निकलने पर मजबूर करती है तो फिर वह कौम भी वहाँ धाकी नहीं रखी जाती, उस पर खुदा तआला का अज़ाब आता है।

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَى الْبَيْتِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝
 وَمِنَ الْبَيْتِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ
 صِدْقِي وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ
 الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيدُ
 الظَّالِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ۝

अकिमिस्सला-त लिदुलूकिश्शमिस्

कायम रख नमाज़ को सूरज ढलने से रात

इला म-सफिल्लैलि व कुरआनल्-
फजि, इन्-न कुरआनल्-फजि का-न
मशहूदा (78) व मिनल्लैलि फ-तहज्जद्
बिही नाफि-लतल् ल-क असा
अंध्यब्दा-स-क रब्बु-क मकाम्-
महमूदा (79) व कुरैब्बि अदखिल्ली
मुदखा-ल सिदकिं-व-व अखिरज्नी
मुहर-ज सिदकिं-व-वजू अल्-ली
मिल्लदुन्-क सुल्लानन् नसीरा (80)
व कुल् जाअल्-हक्कु व ज-हक्ल्-
बातिलु, इन्नल्-वाति-ल का-न जहूका
(81) व नुनज्जिलु मिनल्-कुरआनि
मा हु-व शिफाउं-व रस्मतुल् लिन्-
-मुअ्मिनी-न व ला यज़ीदुज्जालिमी-न
इल्ला ख़सारा (82)

के अंधेरे तक और कुरआन पढ़ना फजर
का, बेशक कुरआन पढ़ना फजर का होता
है 'रू-ब-रू'। (78) और कुछ रात जागता
रह कुरआन के साथ यह ज्यादाती है तेरे
लिये करीब है कि खड़ा कर दे तुझको
तेरा रब मकाम-ए-महमूद में। (79) और
कहे ऐ रब! दाखिल कर मुझको सच्चा
दाखिल करना और निकाल मुझको सच्चा
निकालना, और अता कर दे मुझको अपने
पास से हुकूमत की मदद। (80) और
कह- आया सच और निकल भागा झूठ,
बेशक झूठ है निकल भागने वाला। (81)
और हम उतारते हैं कुरआन में से जिससे
रोग दूर हों, और रहमत ईमान वालों के
वास्ते और गुनाहगारों को तो इससे
नुकसान ही बढ़ता है। (82)

खुलासा-ए-तफसीर

सूरज ढलने के बाद से रात के अंधेरे तक नमाज़ें अदा किया कीजिए (इसमें ज़ोहर, असर,
मगरिब, इशा चार नमाज़ें आ गईं जैसा कि हदीस में इस संक्षिप्तता की तफसील बयान कर दी
गई है), और सुबह की नमाज़ भी (अदा करें), बेशक सुबह की नमाज़ (फ़रिश्तों के) हाज़िर होने
का वक़्त है (सुबह का वक़्त चूंकि नींद से जागने का वक़्त है जिसमें सुस्ती का ख़तरा था
इसलिये इसको अलग करके एहतिमाम के साथ बयान फ़रमाया और इसकी एक अतिरिक्त
फ़ज़ीलत भी यह बयान कर दी कि इस वक़्त में फ़रिश्ते जमा होते हैं। इसकी तफसील हदीस से
यह मालूम हुई कि इनसान की हिफ़ाज़त और उसके आमाल को लिखने वाले फ़रिश्ते दिन के
अलग और रात के अलग हैं, सुबह की नमाज़ में फ़रिश्तों की दोनों जमाअतें जमा होती हैं, रात
के फ़रिश्ते अपना काम ख़त्म करके और दिन के फ़रिश्ते अपना काम संभालने के लिये जमा हो
जाते हैं। इसी तरह शाम को असर की नमाज़ में दोनों जमाअतें जमा होती हैं, और ज़ाहिर है कि
फ़रिश्तों का जमा होना बरक़तों का सबब है। और किन्ती वक़्त रात के हिस्से में भी (नमाज़ अदा

करें), यानी उसमें तहज्जुद पढ़ा कीजिए जो कि आपके लिये (पाँच फर्ज नमाज़ों के अलावा) एक जायद चीज़ है (इस जायद से मुराद कुछ हज़रत के नज़दीक एक जायद फर्ज है जो ख़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर फर्ज किया गया, और कुछ हज़रत ने जायद से नफ़िल मुराद ली है), उम्मीद (यानी वायदा) है कि आपका रब आपको मक़ाम-ए-महमूद में जग़ह देगा (मक़ाम-ए-महमूद से मुराद बड़ी शफ़ाअत का मक़ाम है जो मेहशर में तमाम इन्सानों के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अता होगा)।

और आप यह दूआ कीजिए कि ऐ मेरे रब! (मक्का से जाने के बाद) मुझको (जहाँ लेजाना हो) ख़ुबी (यानी राहत) के साथ पहुँचाइयो, और (जब मक्का से लेजाना हो तो) मुझको ख़ुबी (यानी राहत) के साथ ले जाइयो और मुझको अपने पास से (उन काफ़िरों पर) ऐसा ग़लबा दीजियो जिसके साथ (आपकी) नुसरत (और मदद) हो (जिससे वह ग़लबा बाकी रहने वाला और तरक्की करने वाला हो, वरना वक़्ती व अस्थायी ग़लबा तो कभी काफ़िरों को भी हो जाता है अगर उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं होती इसलिये पायेंदार नहीं होता)। और कह दीजिए कि (बस अब) हक़ (दीन ग़ालिब होने को) आया और बातिल गया-गुज़रा हुआ। वाकई बातिल चीज़ तो यूँ ही आती-जाती रहती है (हिजरत के बाद मक्का फ़तह हुआ तो ये सब वायदे पूरे हो गये)। और हम कुरआन में ऐसी चीज़ें नाज़िल करते हैं कि वो ईमान वालों के हक़ में तो शिफ़ा और रहमत है (क्योंकि ये उसको मानते और उस पर अमल करते हैं जिससे उन पर रहमत होती और बातिल अक़ीदों और फ़ासिद ख़्यालों से शिफ़ा होती है) और ज़ालिमों को उससे और उल्टा नुफ़सान बढ़ता है (कि जब वे उसको नहीं मानते तो अल्लाह तआला के क़हर व अज़ाब के हक़दार हो जाते हैं)।

मआरिफ़ व मसाईल

दुश्मनों के फ़रेब व जाल से बचने का बेहतरीन इलाज नमाज़ है

इनसे पहले की आयतों में इस्लाम के दुश्मनों की मुख़ालफ़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों में मुब्तला करने की तदबीरें और उसका जवाब बयान हुआ था, उसके बाद ऊपर बयान हुई आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नमाज़ कायम करने का हुक्म देने में इस तरफ़ इशारा है कि दुश्मनों के फ़रेब व जाल और तकलीफ़ों से बचने का बेहतरीन इलाज नमाज़ का कायम करना है जैसा कि सूर: हिज़्र की आयत में इससे ज़्यादा स्पष्ट अलफ़ाज़ में यह इरशाद है:

وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ بِضِيقِ صَدْرِكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

“यानी हम जानते हैं कि काफ़िरों की दिल दुखाने वाली बातों से आप तंगदिल (दुखी और परेशान) होते हैं तो आप अल्लाह की तारीफ़ के साथ तस्बीह किया करें और सज्दा करने वालों में से हो जायें।” (तफ़सीरे कुतुबी)

इस आयत में दुश्मनों के रताने और तकलीफ़ें देने का इलाज अल्लाह के जिक्र, तारीफ़ व तस्बीह और नमाज़ में मशगूल हो जाने को करार दिया है। जिक्रुल्लाह और नमाज़ खास तौर पर इनसे बचने का इलाज है, और यह भी कुछ दूर की बात नहीं कि दुश्मनों की तकलीफ़ों से बचना अल्लाह तआला की मदद पर मौकूफ़ है और अल्लाह की मदद हासिल करने का सब से अपज़ल जरिया नमाज़ है जैसा कि कुरआने करीम का इशारा है:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

(यानी मदद हासिल करो सब्र और नमाज़ के जरिये।)

पाँच वक़्त की नमाज़ों का हुक्म

तफसीर के इमामों की अक्सरियत ने इस आयत को पाँचों नमाज़ों के लिये जामे (मुकम्मल) हुक्म करार दिया है क्योंकि 'दुलूक' का लफ़्ज़ अगरचे असल में मैलान के मायने में आता है और सूरज का मैलान ज़वाल के वक़्त शुरू होता है, और गुरुब को भी कह सकते हैं लेकिन सहाबा व ताबिईन में की बड़ी जमाअत ने इस जगह लफ़्ज़ 'दुलूक' के मायने सूरज के ज़वाल (ढलने) ही के लिये हैं। (तफसीरे कुर्तुबी, मज़हरी और इब्ने कसीर में इसकी तफसील मौजूद है)

إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

लफ़्ज़ 'ग़सक' के मायने रात की अंधेरी मुकम्मल हो जाने के हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ग़सक की यही तफसीर नक़ल फरमाई है।

इस तरह 'दुलूकिश्शमसि इला ग़-सकिल्लैलि' में चार नमाज़ें आ गईं— जोहर, असर, मगरिब, इशा और इनमें से दो नमाज़ों का शुरूआती वक़्त भी बतला दिया गया कि जोहर का वक़्त सूरज ढलने से शुरू होता है और इशा का वक़्त 'ग़सक-ए-लैल' से यानी जिस वक़्त रात की अंधेरी मुकम्मल हो जाये, इसी लिये इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने इशा के वक़्त की शुरूआत उस वक़्त से करार दी है जबकि 'शफ़क़-ए-अस्मर' के बाद 'शफ़क़-ए-अब्जज़' भी छुप जाये। यह सब जानते हैं कि सूरज छुपने के फौरन बाद आसमान के पश्चिमी किनारे पर एक सुर्खी जाहिर होती है और उस सुर्खी के बाद एक किस्म की सफ़ेदी आसमानी किनारे पर फैली हुई नज़र आती है, फिर वह सफ़ेदी भी छुप जाती है। यह जाहिर है कि रात की अंधेरी उस वक़्त पूरी होगी जबकि आसमानी किनारे की सफ़ेदी भी ख़ता हो जाये, इसलिये इस लफ़्ज़ में इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के मस्लक की तरफ़ इशारा पाया जाता है। दूसरे इमामों ने 'शफ़क़-ए-अस्मर' (सुर्ख रोशनी) के छुपने पर इशा के वक़्त की शुरूआत करार दी है और इसी को 'ग़-सकिल्लैलि' की तफसीर करार दिया है।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا

इस जगह लफ़्ज़ कुरआन बोलकर नमाज़ मुराद ली गई है, क्योंकि कुरआन नमाज़ का मुख्य अंश है, तफसीर के अक्सर इमामों के हवाले से तफसीर इब्ने कसीर, तफसीरे कुर्तुबी और

तफसीरे मजहरी वगैरह ने यही मायने लिखे हैं, इसलिये आयत का मतलब यह हो गया कि 'दुलूकिश्शमसि इला ग-सकिरलैलि' के अलफाज में चार नमाजों का बयान था यह पाँचवों नमाज फजर का बयान है इसको अलग करके बयान करने में इस नमाज की खास अहमियत और फजीलत की तरफ इशारा किया गया है।

كَانَ مَشْهُورًا

"का-न मशहूदा" यह लफ्ज शहादत से निकला है जिसके पायने हैं हाज़िर होना। इस वक़्त में सही हदीसों की बज़ाहत के मुताबिक रात और दिन के दोनों फरिश्तों की जमाअतें नमाज में हाज़िर होती हैं इसलिये इसको मशहूद कहा गया है। इस आयत में पाँच नमाजों का हुक्म संक्षिप्त रूप से आया है जिसकी मुकम्मल तफसीर य बज़ाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कौल व फैल से बतलाई हैं और जब तक उस बज़ाहत पर अमल न किया जाये कोई शख्स नमाज अदा ही नहीं कर सकता। मालूम नहीं कि जो लोग कुरआन को बगैर हदीस और रसूल के बयान के समझने का दावा करते हैं वे नमाज कैसे पढ़ते हैं। इसी तरह इस आयत में नमाज के अन्दर कुरआन के पढ़ने का जिक्र भी संक्षिप्त रूप से आया है इसकी तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कौल व अमल से यह साबित हुई कि फजर की नमाज में हिम्मत व गुंजाईश के अनुसार किराअत लम्बी की जाये (कुरआन ज्यादा पढ़ा जाये) और जोहर व जुमे में उससे कम और असर व इशा में दरमियानी दर्जे की और मगरिब में बहुत मुखासर। मगरिब में किराअत लम्बी करने और फजर में कम करना जो कुछ रिवायतों में आया है वह अमली तौर पर मतरूक है (यानी इस पर अमल नहीं है), इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सही मुस्लिम की वह रिवायत जिसमें मगरिब की नमाज में सूर: आराफ और मुस्तलात वगैरह लम्बी सूरतों का पढ़ना या सुबह की नमाज में सिर्फ 'सूर: फलक और सूर: नास' पर बस करना मन्कूल है उसको नकल करके फरमाया है:

فمترك بالعمل ولا نكارة على معاذ التطويل و بامرہ الائمة بالتخفيف

यानी ये इतिफाकी वाकिआत मगरिब में लम्बी किराअत करने और फजर में मुखासर और कम करने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हमेशा के और मुस्तफिल अमल से और जबानी इरशादात की वजह से मतरूक (छोड़े हुए) हैं। (तफसीरे कुर्तुबी)

तहज्जुद की नमाज का वक़्त और उसके अहकाम व मसाईल

ANNEX 1

1999/2000

وَمِنْ أَيْلٍ فَتَهَيَّأْ بِهِ

लफ्ज तहज्जुद हज्जुद से निकला है और यह लफ्ज दो अलग-अलग मायनों के लिये इस्तेमाल होता है। इसके पायने सोने के भी आते हैं और जागने व बेदार होने के भी। इस जगह 'य गिनल्लैलि फ-तहज्जुद बिही' के मायने ये हैं कि रात के कुछ हिस्से में कुरआन के साथ जागा करो क्योंकि बिही (उत्तकें साथ) में जमीर यानी उस से कुरआन की तरफ इशारा है। (मजहरी)

कुरआन के साथ जागने का मतलब नमाज़ अदा करना है, इसी रात की नमाज़ को शरीअत की इस्तिहाह में तहज्जुद की नमाज़ कहा जाता है और उम्मीन इसका यह मफ़हूम लिया गया है कि कुछ देर सोकर उठने के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाये वह तहज्जुद की नमाज़ है, लेकिन तफ़्सीरे मजहरी में है कि इस आयत का मतलब इतना है कि रात के कुछ हिस्से में नमाज़ के लिये सोने को छोड़ दो और यह मफ़हूम जिस तरह कुछ देर सोने के बाद जागकर नमाज़ पढ़ने पर सादिक आता है उसी तरह शुरू ही में नमाज़ के लिये नींद को लेट करके नमाज़ पढ़ने पर भी सादिक है इसलिये तहज्जुद की नमाज़ के लिये पहले नींद होने की शर्त कुरआन के बयान का मक़सद नहीं, फिर हदीस की कुछ रिवायतों से भी तहज्जुद के इसी आम मायने पर दलील पकड़ी है।

और इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि से तहज्जुद की नमाज़ की जो तारीफ़ (परिभाषा) नक़ल की है वह भी इसी उम्मी मायने पर सुबूत है उसके अलफ़ाज़ ये हैं:

قال الحسن البصرى هو ما كان بعد العشاء و يحتمل على ما كان بعد النوم. (ابن كثير)

“हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ हर उस नमाज़ पर सादिक है जो इशा के बाद पढ़ी जाये, अलबत्ता मामूल की वजह से उसको कुछ नींद के बाद पर महमूल किया जायेगा।”

इसका हासिल यह है कि तहज्जुद की नमाज़ के असल मफ़हूम में सोने और नींद के बाद होना शर्त नहीं और कुरआन के अलफ़ाज़ में भी यह शर्त मौजूद नहीं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का आम मामूल यही रहा है कि नमाज़ रात के आखिरी हिस्से में जागकर पढ़ते थे इसलिये इसकी अफ़ज़ल सूरत यही होगी।

तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ है या नफ़िल?

“नाफ़िलतल् ल-क”। लफ़ज़ नफ़िल और नाफ़िला के लुगवी मायने ज़्यादा के हैं, इसी लिये इस नमाज़ और सदका व ख़ैरात वग़ैरह को नफ़िल कहते हैं जो शर्ई तौर पर वाजिब और ज़रूरी न हो, जिसके करने में सवाब है और न करने में न कोई गुनाह है और न किसी किस्म की बुराई। इस आयत में तहज्जुद की नमाज़ के साथ ‘नाफ़िलतल् ल-क’ के अलफ़ाज़ से ज़ाहिरी तौर पर यह समझा जाता है कि तहज्जुद की नमाज़ खुसूसियत के साथ नबी-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये नफ़िल है हालाँकि उसके नफ़िल होने में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और पूरी उम्मत सब ही शरीक हैं, इसी लिये कुछ मुफ़स्सरीन हज़रात ने इस जगह नाफ़िला को फ़रीज़ा की सिफ़त करार देकर मायने यह करार दिये हैं कि आम उम्मत पर तो सिर्फ़ पाँच-वक्त्त की नमाज़ फ़र्ज़ है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर तहज्जुद भी एक ज़्यादा फ़र्ज़ है, तो यहाँ लफ़ज़ नाफ़िला ज़ायद फ़र्ज़ के मायने में है, नफ़िल के आम मायने में नहीं।

और इस मामले की सही तहकीक़ यह है कि इस्लाम के शुरूआती दौर में जब सूर: मुज्ज़म्मिल नाज़िल हुई तो उस वक्त्त पाँच नमाज़ों तो फ़र्ज़ हुईं न थीं सिर्फ़ तहज्जुद की नमाज़

सब पर फर्ज थी, इसी फर्ज का जिक्र सूर: मुज्जमिल में है, फिर मेराज की रात में पाँच नमाज़ें फर्ज कर दी गईं तो तहज्जुद की फर्जियत (फर्ज होना) आम उम्मत से तो सब के नज़दीक मन्सूख (खत्म) हो गई और इसमें मतभेद रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी इसकी फर्जियत मन्सूख हुई या विशेष तौर पर आपके जिम्मे फर्ज रहा, और इस आयत में 'नाफिलतल् ल-क' के यही पायने हैं कि तहज्जुद की नमाज़ आपके जिम्मे एक ज़ायद फर्ज है, मगर तफ्सीरे कुर्तुबी में है कि यह कई वजह से सही नहीं— अब्बल यह कि फर्ज को नफिल से ताबीर करने की कोई वजह नहीं, अगर कहा जाये कि मजाज़ (यानी असल पायनों से हटकर दूसरे पायनों में) है तो यह एक ऐसा मजाज़ होगा जिसकी कोई हकीकत नहीं। दूसरे सही हदीसों में मुतैयन करके सिर्फ पाँच नमाज़ों के फर्ज होने का जिक्र है और एक हदीस में इसके आखिर में यह भी बयान हुआ है कि मेराज की रात में शुरू में जो पचास नमाज़ें फर्ज की गई थीं फिर कमी करके पाँच कर दी गईं तो अगरचे अदद (संख्या) घटा दिया गया मगर सवाब पचास ही का मिलेगा, और फिर फरमाया 'ला युबद्दलुल्-कौलु ल-दय्-य' यानी मेरा कौल बदला नहीं करता, जब पचास का हुक्म दिया था तो सवाब पचास ही का दिया जायेगा अगरचे अगल में कमी कर दी गई।

इन रिवायतों का हासिल यही है कि आम उम्मत और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर पाँच नमाज़ों के सिवा कोई और नमाज़ फर्ज नहीं है। एक वजह यह भी है कि नाफिला का लफ्ज़ अगर इस जगह ज़ायद फरीजे के मायने में होता तो इसके बाद लफ्ज़ ल-क (तेरे लिये) के बजाय अलै-क (तेरे ऊपर) होना चाहिये था जो वाजिब होने पर दत्तालत करता है, लफ्ज़ ल-क तो सिर्फ ज़ायज़ होने और इजाज़त के लिये इस्तेमाल होता है।

इसी तरह तफ्सीर-ए-मज़हरी में सही इसी को करार दिया है कि जब तहज्जुद की फर्जियत (फर्ज और ज़रूरी होना) उम्मत से मन्सूख (रद्द व खत्म) हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी मन्सूख हो गई, और सब के लिये नफिल रहेगा, मगर इस सूरत में यह सवाल पैदा होता है कि फिर इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुसूसियत (विशेषता और खूबी) क्या है, नफिल होना तो सब ही के लिये साबित है फिर 'नाफिलतल् ल-क' फरमाने का क्या हासिल होगा? जवाब यह है कि हदीसों के बयान व वज़ाहत के मुताबिक तमाम उम्मत की नयाफिल और तमाम नफ़ली इबादतें उनके गुनाहों का कफ़ारा और फर्ज नमाज़ों में जो कोताही कमी रह जाये उसके पूरा करने का काम देती हैं मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुनाहों से भी मासूम (सुरक्षित) हैं और नमाज़ के आदाब में कोताही से भी इसलिये आपके हक में नफ़ली इबादत बिल्कुल ज़ायद ही है जो किसी कोताही की भरपाई नहीं बल्कि महज़ अल्लाह की निकटता के ज़्यादा होने का ज़रिया है। (तफ्सीरे कुर्तुबी व मज़हरी)

तहज्जुद की नमाज़ नफिल है या सुन्नत-ए-मुअक्कदा

सुन्नत-ए-मुअक्कदा के लिये जो आम क़ायदा और जसूल फुकह (कुरआन व हदीस के

माहिर उलेमा) का है कि जिस काम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी तरफ पर पाबन्दी फरमाई हो और बिना मजबूरी के न छोड़ा हो वह सुन्नत-ए-मुअक्कदा है, सिवाय इसके कि किसी शरई दलील से यह साबित हो जाये कि यह काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये खास था आप उम्मत के लिये नहीं था। इस उसूल व कायदे का तफाज़ बजाहिर यही है कि तहज्जुद की नमाज़ भी सब के लिये सुन्नत-ए-मुअक्कदा करार पाये न कि सिर्फ नफिल, क्योंकि इस नमाज़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाबन्दी मुत्वातिर (लगातार और निरंतर) सुन्नत से साबित है, और खास होने व विशेषता की कोई दलील नहीं, इसलिये आप उम्मत के लिये भी सुन्नत-ए-मुअक्कदा होना चाहिये। तफसीरे मजहरी में इसी को पसन्दीदा और ज्यादा सही करार दिया है, और इसके वरीयता प्राप्त होने पर हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की उस हदीस से भी दलील ली गयी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस शख्स के बारे में जो पहले तहज्जुद पढ़ा करता था फिर छोड़ दिया यह इरशाद फरमाया कि "उसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया है।" इस तरह की बईद (डॉट) और चेतावनी सिर्फ नफिल में नहीं हो सकती, इससे मालूम हुआ कि यह सुन्नत मुअक्कदा है।

और जिन हज़रत ने तहज्जुद को सिर्फ नफिल करार दिया है वे इस पाबन्दी और इसका हमेशा एहतिमाम करने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुसूसियत (विशेषता) करार देते हैं और तहज्जुद पढ़ने वाले के तहज्जुद छोड़ने पर जो डॉट व तंबीह के अलफाज़ इरशाद फरमाये वो दर असल खाली छोड़ने पर नहीं बल्कि पहले आदत डालने के बाद छोड़ने पर हैं, क्योंकि आदमी जिस नफिल की आदत डाल ले तो उम्मत का इत्तिफाक इस पर है कि उसको चाहिये कि उस पर पाबन्दी करे, अगर आदत डालने के बाद छोड़ेगा तो काविले मलामत होगा, क्योंकि आदत के बाद बिना उद्य छोड़ना एक किस्म के मुँह मोड़ने और लापरवाही बरतने की निशानी है और जो शुरू से आदी न हो तो उस पर कोई मलामत नहीं। वल्लाहु आलम

तहज्जुद की रकअतों की तादाद

सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत आयशा सिदीका रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान या गैर-रमज़ान में कभी ग्यारह रकअतों से ज्यादा न पढ़ते थे, उन ग्यारह रकअतों में हनफिया के नज़दीक तीन रकअतें वित्र की होती थीं बाकी आठ तहज्जुद की।

और सही मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ये अलफाज़ नक़ल किये गये हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात में तेरह रकअतें पढ़ते थे जिनमें वित्र भी शामिल हैं और दो रकअतें फ़जर की सुन्नत की भी। (तफसीरे मजहरी)

फ़जर की सुन्नतों को रात की नमाज़ में रमज़ान की वजह से शुमार कर लिया है। इन रिवायतों से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आप आदत यह थी कि तहज्जुद की नमाज़ में आठ रकअतें अदा फरमाते थे।

लेकिन सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही की एक रिवायत से यह भी साबित है कि कभी-कभी इस संख्या से कम चार या छह रकअतों पर भी इतिफ़ा फ़रमाया है जैसा कि सही बुखारी में आपसे यह मन्कूल है कि हज़रत मसरूक ने हज़रत सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से तहज्जुद की नमाज़ के बारे में मालूम किया तो फ़रमाया कि सात, नौ और ग्यारह रकअतें होती हैं फ़जर की सुन्नतों के अलावा। (तफ़सीर मजहरी, बुखारी के हवाले से) हनफ़िया के काचदे के मुताबिक़ तीन रकअतें विब्र की हुई तो सात में से चार नौ में से छह ग्यारह में से आठ तहज्जुद की रकअतें रह जाती हैं।

नमाज़-ए-तहज्जुद की कैफ़ियत

इस नमाज़ की कैफ़ियत जो हदीस की आम रिवायतों से साबित है वह यह है कि शुरू में दो रकअत हल्की मुख़ासर क़िराअत के साथ फिर बाकी रकअतों में क़िराअत भी लम्बी और रुकूअ सज्दे भी लम्बे होते और यह लम्बा होना कभी-कभी बहुत ज्यादा हो जाता था कभी कुछ कम (यह खुलासा हदीस की उन रिवायतों का है जो इस जगह तफ़सीर-ए-मजहरी में नक़ल की गई हैं)।

मक़ाम-ए-महमूद

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस आयत में मक़ाम-ए-महमूद का वायदा किया गया है और यह मक़ाम (दर्जा और मर्तबा) तमाम अम्बिया में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये मख़सूस (खास) है, इसकी तफ़सीर में विभिन्न और अनेक अक़वाल हैं मगर सही वह है जो सही हदीसों में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मन्कूल है, यह शफ़ाअत-ए-कुबरी का मक़ाम है, कि मैदाने हश्र में जिस वक़्त तमाम इनसान जमा होंगे और हर नबी व पैग़म्बर से शफ़ाअत की दरख़्वास्त करेंगे तो तमाम नबी उज़्र कर देंगे, सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह सम्मान अता होगा कि तमाम इनसानों की शफ़ाअत फ़रमायेंगे, इसकी तफ़सील हदीस की रिवायतों में विस्तार से बयान हुई है जो इस जगह तफ़सीर इब्ने कसीर और तफ़सीर मजहरी में लिखी है।

नबियों और उम्मत के नेक लोगों की शफ़ाअत मक़बूल होगी

इस्लामी फ़िकों में से ख़ारिज और मोतज़िला नबियों के शफ़ाअत करने के इनकारी हैं, वे कहते हैं कि गुनाह-ए-कबीरा (बड़ा गुनाह) किसी की शफ़ाअत से माफ़ नहीं होगा, मगर मुत्तावातिर हदीसों इस पर गवाह हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की बल्कि उम्मत के नेक लोग की भी शफ़ाअत गुनाहगारों के हक़ में मक़बूल होगी, बहुत से लोगों के गुनाह शफ़ाअत से माफ़ कर दिये जायेंगे।

इब्ने माज़ा और बैहकी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन पहले अम्बिया हज़रत

गुनाहगारों को शफ़ाअत करेंगे फिर उलेमा फिर शहीद। और वैलर्मी ने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ज़ालिम से कहा जायेगा कि आप अपने शागिदों की शफ़ाअत कर सकते हैं अगरचे उनकी तायदाद आसगान के सितारों के बराबर हो।

और अबू दाऊद और इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से परफ़ूअन नक़ल किया है कि शहीद की शफ़ाअत उसके ख़ानदान के सत्तर आदमियों के बारे में क़बूल की जायेगी।

मुसद अहमद, तबरानी और बैहकी ने सही सनद के साथ हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत के एक आदमी की शफ़ाअत पर क़बीला रबीआ और मुज़र के तमाम लोगों से ज़्यादा आदमी जन्नत में दाख़िल किये जायेंगे।

एक सवाल और उसका जवाब

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शफ़ाअत फ़रमायेंगे और आपकी शफ़ाअत से कोई मोमिन दोज़ख़ में न रह जायेगा तो फिर उम्मत के उलेमा और नेक लोगों की शफ़ाअत किस लिये और क्योंकर होगी? तफ़सीरे मज़हरी में है कि ग़ालिबन सूरत यह होगी कि उलेमा और उम्मत के नेक लोग जिन लोगों की शफ़ाअत करना चाहेंगे वे अपनी शफ़ाअत आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में पेश करेंगे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हक़ तआला की बारगाह में शफ़ाअत फ़रमायेंगे।

फ़ायदा

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

यानी मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के उन लोगों के लिये होगी जिन्होंने कबीरा (बड़े) गुनाह किये थे। इससे बज़ाहिर यह मालूम होता है कि बड़े गुनाह वालों की शफ़ाअत आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मख़सूस होगी, कोई फ़रिश्ता या उम्मत का फ़र्द बड़े गुनाहों वालों की शफ़ाअत न कर सकेगा, बल्कि उम्मत के नेक लोगों की शफ़ाअत छोटे गुनाह वालों के लिये होगी।

तहज्जुद की नमाज़ को शफ़ाअत का मक़ाम हासिल होने में ख़ास दख़ल है

हज़रत मुजदिद अल्फ़े सानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहले तहज्जुद की नमाज़ का हुक्म दिया गया फिर मक़ामे महमूद यानी शफ़ाअत-ए-कुबरा (बड़ी शफ़ाअत) का वायदा किया गया, इससे मालूम होता है कि

तहज्जुद की नमाज़ की शपथनाम का महत्व अंग्रेज़ों के दिनों में प्रकट प्रकृत है.

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ..... الاية

इससे पहले की आयतों में पहले मक्का के काफ़िरों के सताने और उन तदबीरों का ज़िक्र था जो वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने के लिये करते थे, इसके साथ यह भी बयान हुआ कि उनकी ये तदबीरें कामयाब नहीं होंगी और उनके मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को असल तदबीर के दर्जे में तो सिर्फ़ पाँच वक़्त की नमाज़ कायम करने और तहज्जुद अदा करने की हिदायत फ़रमाई, उसके बाद आख़िरत में आपको तमाम नबियों से आला मक़ाम यानी मक़ाम-ए-महमूद अता फ़रमाने का वायदा फ़रमाया जो आख़िरत में पूरा होगा। उपरोक्त आयत नम्बर 80 में हक़ तअमला ने इसी दुनिया में पहले आपको काफ़िरों के फ़रेब, जाल और तकलीफ़ें देने से निजात देने की तदबीर मदीना को हिजरत करने की सूरत में इरशाद फ़रमाई और उसके बाद मक्का के फ़तह होने की खुशख़बरी 'व कुल् जाअल् हक्कु.....' (यानी आयत नम्बर 81) में इरशाद फ़रमाई गई।

हदीस की किताब जामे तिमिज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में थे फिर आपको मदीना की हिजरत का हुक्म दिया गया, इस पर यह आयत नाज़िल हुई:

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत 80) इसमें लफ़्ज़ 'मुदख़-ल' और 'मुख़-ज' दाख़िल होने और ख़ारिज होने की जगह के लिये है और इनके साथ सिद्क की सिफ़त बढ़ाने से मुराद यह है कि यह निकलना और दाख़िल होना सब अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक़ ख़ैर व ख़ूबी के साथ हो, क्योंकि लफ़्ज़ सिद्क अरबी भाषा में हर ऐसे काम के लिये भी इस्तेमाल होता है जो जाहिरी और बातिनी तौर पर दुरुस्त और बेहतर हो, कुरआने करीम में क़दम, जुबान और मक़ाम के साथ भी यह लफ़्ज़ सिद्क इसी मायने में इस्तेमाल हुआ है।

दाख़िल होने की जगह से मुराद मदीना और ख़ारिज होने (निकलने) की जगह से मुराद मक्का है। मतलब यह है कि या अल्लाह! मदीने में मेरा दाख़िला ख़ैर व ख़ूबी के साथ हो जाये वहाँ कोई ख़िलाफ़े तबीयत और नागवार सूरत पेश न आये, और मक्का मुकर्रमा से मेरा निकलना ख़ैर व ख़ूबी के साथ हो जाये कि वतन और घर-बार की मुहब्बत में दिल उलझा न रहे। इस आयत की तफ़सीर में कुछ और कौल भी आये हैं मगर यह तफ़सीर हज़रत हसन बसरी और हज़रत क़तादा से मन्कूल है, इब्ने कसीर ने इसी की ज़्यादा सही कौल कहा है, इब्ने जरीर ने भी इसी को इख़्तियार किया है। तरतीब का तकाज़ा यह था कि पहले निकलने की जगह का और फिर दाख़िल होने की जगह का ज़िक्र होता मगर यहाँ दाख़िल होने की जगह की पहले बयान करने और निकलने की जगह को बाद में लाने में शायद इस तरफ़ इशारा हो कि मक्का मुकर्रमा से निकलना खुद कोई मक़सद न था बल्कि बैतुल्लाह को छोड़ना बहुत बड़े सदमे की

घोज थी, अलबत्ता इस्लाम और मुसलमानों के लिये अमन की जगह तलाश करना मकसद था जो मदीने में दाखिल होने के जरिये हासिल होने की उम्मीद थी, इसलिये जो मकसद था उसको पहले और जागे रखा गया।

अहम और बड़े उद्देश्यों के लिये मकबूल दुआ

मदीना की हिजरत के वक़्त हक़ तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को इस दुआ की तालीम व हिदायत फ़रमाई कि मक्का से निकलना और फिर मदीना पहुँचना दोनों खैर व ख़ूबी और आफ़ियत के साथ हों, इसी दुआ का नतीजा था कि हिजरत के वक़्त पीछा करने वाले काफ़िरो की पकड़ से अल्लाह तआला ने हर कदम पर बचाया और मदीना तख़ियबा को जाहिरी व बातिनी तौर पर आपके और सब मुसलमानों के लिये साज़गार बनाया, इसी लिये कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि यह दुआ हर मुसलमान को अपने तमाम मक़सिद (उद्देश्यों) के शुरू में याद रखनी चाहिये और हर मक़सद के लिये यह दुआ मुफ़ीद है। इसी दुआ का आखिरी हिस्सा बाद का जुमला है 'वजअल्-ली मिल्लदुन्-क सुल्तानन् नसीरा'।

हज़रत क़तादा फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को यह मालूम था कि रिसालत के ओहदे के फ़रार्इज़ और ज़िम्मेदारियों की अदायेगी और दुश्मनों के धेरे में रहकर काम करना अपने बस का नहीं इसलिये हक़ तआला से ग़लबे और मदद की दुआ फ़रमाई जो कुबूल हुई और उसके आसार (निशानात) सब के सामने आ गये।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَفَعْنَا الْبَاطِلَ

यह आयत हिजरत के बाद मक्का फ़तह होने के बारे में नाज़िल हुई। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मक्का फ़तह होने के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम मक्का में दाखिल हुए तो उस वक़्त बैतुल्लाह के गिर्द तीन सौ साठ बुतों की मूर्तियाँ खड़ी हुई थीं, कुछ उलेमा ने इस खास संख्या की वजह यह बतलाई है कि मक्का के मुशिरक साल भर के दिनों में हर दिन का बुत अलग रखते थे, उस दिन में उसकी पूजा करते थे। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम जब वहाँ पहुँचे तो यह आयत आपकी ज़बाने मुबारक पर थी 'जाअल्-हक्कु व ज़ै-हक्ल्-बातिलु' और अपनी लकड़ी एक-एक बुत के सीने पर मारते जाते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

कुछ रिवायतों में है कि उस छड़ी के नीचे राँग या लोहे की शाम (धातु का बना हुआ एक छल्ला) लगी हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम किसी बुत के सीने में उसको मारते तो वह उल्टा गिर जाता था यहाँ तक कि ये सब बुत गिर गये और फिर आपने उनके तोड़ने का हुक्म दे दिया। (तफ़सीरे कुर्तुबी, काज़ी अयाज़ व कुशैरी के हवाले से)

शिक्र व कुफ़्र और बातिल की रस्मों व निशानात का

मिटाना वाजिब है

इमाम कुर्तुबी ने फरमाया कि इस आयत में इसकी दलील है कि मुशिक लोगों के बुत और दूसरे शिक्र वाले निशानात को मिटाना वाजिब है, और बातिल के वो तमाम असबाब व सामान और उपकरण जिनका इस्तेमाल सिर्फ़ नाफ़रमानी और गुनाह में हो उनका मिटाना भी इसी हुक्म में है। इब्ने मुन्ज़िर ने फरमाया कि तस्वीरें और प्रतिमायें जो लकड़ी पीतल वगैरह से बनाई जाती हैं वो भी बुतों ही के हुक्म में हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस पर्दे को फाड़ डाला जिस पर तस्वीरें नक्श व रंग से बनाई गई थीं। इससे आम तस्वीरों का हुक्म मालूम हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने में तशरीफ़ लायेंगे तो सही हदीस के मुताबिक़ सलीबों को तोड़ेंगे, खिन्ज़ीर (सुअर) को क़त्ल करेंगे, ये सब बातें इसकी दलील हैं कि शिक्र व कुफ़्र और बातिल के सामानों को तोड़ना और ज़ाया कर देना वाजिब है।

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ.

क़ुरआने करीम का दिलों के लिये शिफ़ा होना, शिक्र व कुफ़्र और बुरे अख़्लाक और अन्दरूनी बीमारियों से नफ़्तों की निजात का ज़रिया होना तो खुला हुआ मामला है और तमाम उम्मत इस पर एकमत है, और कुछ उलेमा के नज़दीक क़ुरआन जिस तरह अन्दरूनी और रूहानी बीमारियों की शिफ़ा है इसी तरह ज़ाहिरी बीमारियों की भी शिफ़ा है कि क़ुरआन की आयतें पढ़कर मरीज़ पर दम करना और तावीज़ लिखकर गले में डालना ज़ाहिरी बीमारियों के लिये भी शिफ़ा (का सबब) होता है, हदीस की रिवायतें इस पर गवाह हैं, हदीस की तमाम किताबों में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हदीस मौजूद है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमाअत सफ़र में थी, किसी गाँव के सरदार को बिच्छू ने काट लिया था, लोगों ने सहाबा किराम से पूछा कि आप कुछ इसका इलाज कर सकते हैं? उन्होंने सात मर्तबा सूरः फ़ातिहा पढ़कर उस पर दम किया, मरीज़ अच्छा हो गया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने इसका तज़क़िरा आया तो आपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के इस अमल को जायज़ करार दिया।

इसी तरह हदीस की दूसरी अनेक रिवायतों से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सूरः फ़लक़ और सूरः नास पढ़कर दम करना साबित है, और सहाबा व ताबिईन से सूरः फ़लक़, सूरः नास और क़ुरआन की दूसरी आयतों के ज़रिये मरीज़ों का इलाज करना लिखकर गले में डालना साबित है जिसको इस आयत के तहत इमाम कुर्तुबी ने तफ़सील से लिखा है।

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

इससे मालूम हुआ कि क़ुरआने करीम को जब एतिक़ाद व एहतिराम के साथ पढ़ा जाये तो

उसका शिफ़ा होना जिस तरह ज़ाहिर और साबित है इसी तरह कुरआन का इनकार या बेअदबी ख़सारे और आफ़तों का सबब भी है।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَكُوفًا ۝

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۝

व इज़ा अन्अमना अलत्-इन्सानि
अअर-ज व नआ बिजानिबिही व
इज़ा मस्सहुशरु का-न यऊसा (83)
कुल् कुल्लुय-यअमलु अला
शाकि-लतिही, फ़रब्बुकुम् अअलमु
बिमन् हु-व अस्दा सबीला (84) ❀

और जब हम आराम भेजें इनसान पर तो टाल जाये और बचाये अपना पहलू, और जब पहुँचे उसको बुराई तो रह जाये मायूस होकर। (83) तू कह हर एक काम करता है अपने ढंग पर, सो तेरा रब ख़ूब जानता है किसने ख़ूब पा लिया रास्ता। (84) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

और (ब्राज़ा) आदमी (यानी काफ़िर ऐसा होता है कि उस) को जब हम नेमत अता करते हैं तो (हम से और हमारे अहकाम से) मुँह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है, और जब उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो (बिल्कुल रहमत से) नाउम्मीद हो जाता है (और ये दोनों हालतें दलील हैं अल्लाह तआला से बेताल्लुकी की और वही बुनियाद है हर कुफ़ व गुमराही की)। आप फ़रमा दीजिये कि (मोमिनों और काफ़िरोँ और अच्छों और बुरों में से) हर शख्स अपने तरीके पर काम कर रहा है (यानी अपनी-अपनी सही अक्ल पर ठहरा हुआ और इल्म या जहल की बुनियाद पर विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं), सो आपका रब ख़ूब जानता है उसको जो ज्यादा ठीक और दुरुस्त रास्ते पर हो (इसी तरह जो ठीक रास्ते पर न हो उसको भी जानता है, और हर एक को उसके अमल के मुवाफ़िक़ जज़ा या सज़ा देगा, यह नहीं कि जिसका दिल चाहे बिना किसी दलील के अपने को ठीक रास्ते पर समझने लगे)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ

लफ़्ज़ 'शाकिलतुन' की तफ़्सीर में पुराने बुजुर्गों और तफ़्सीर के इमामों से विभिन्न अक़वाल नक़ल किये गये हैं— तबीयत, आदत, फ़ितरत, नीयत, तरीका वगैरह। और हासिल सब का यह है कि हर इनसान की अपने माहौल, परम्पराओं और रस्म व रिवाज के एतिबार से एक आदत और मिज़ाज बन जाता है, उसका अमल उसी के ताबे रहता है। (तफ़्सीर कुर्तुबी)

इसमें इनसान को इस पर चेताया गया है कि बुरे माहौल, बुरी सोहबत और बुरी आदतों से परहेज करे, नेक लोगों की सोहबत और अच्छी आदतों का आदी बने। (तफसीरे जस्सास) क्योंकि अपने माहौल और सोहबत और रस्म व रिवाज से इनसान की एक तबीयत बन जाती है उसका हर अमल उसी के तारे चलता है। इमाम जस्सास ने इस जगह शाकिलतुन के एक पायने हम-शक्त के भी लिये हैं। इस पायने के लिहाज से आयत का मतलब यह होगा कि हर शख्स अपने मिजाज के मुताबिक आदमी से मानूस होता है, नेक आदमी नेक से और बुरा बुरे से मानूस होता है, उसी के तरीके पर चलता है और इसकी नज़ीर हक सआला का यह कौल है:

الْعَيْتُ لِلْعَيْنِ

और:

وَالطَّيْتُ لِلطَّيْنِ

यानी खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिये और पाकीजा औरतें पाकीजा मर्दों के लिये हैं। मुराद यह है कि हर एक अपने मिजाज के मुताबिक मर्द व औरत से मानूस होता है और इसके मतलब का हासिल भी इस बात पर तंबीह और चेतावनी है कि इनसान को चाहिये कि खराब सोहबत और खराब आदतों से परहेज का एहतिमाम करे।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

وَلَيْسَ شَيْئًا لَنُدَّهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ بِهِ عَلِيمًا وَكَيْلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۗ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَافٍ ۝

قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفْرًا ۝

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفْرًا ۝

व यस्अलून-क अनिरूहि कुलिरूहु
मिन् अमिर रब्बी व मा ऊतीतुम्
मिनल्-अल्मि इल्ला कलीला (85) व
ल-इन् शिअना लनह-बन्-न बिल्लज़ी
औहैना इलै-क तुम्-म ला तजिदु
ल-क विही अलैना वकीला (86)
इल्ला रस्म-तम् मिरब्वि-क, इन्-न
फज़लहू का-न अलै-क कबीरा (87)

और तुझसे पूछते हैं रूह को, कह दे रूह है
मेरे रब के हुक्म से और तुमको इल्म दिया
है घोड़ा-सा। (85) और अगर हम चाहें-तो
ले जायें उस चीज को जो हमने तुम्हको
वही भेजी फिर तू न पाये अपने वास्त
उसके ला देने को हम पर कोई जिम्मेदार
(86) अगर मेहरबानी से तोरे रब की,
उसकी बरिआश तुझ पर बड़ी है। (87)

कुल् ल-इनिजूत-म-अतिल्-इन्सु
 वल्जिन्नु अला अय्यजूतू विमिस्ति
 हाज़ल्-कुरआनि ला यजूतू-न
 बिमिस्तिही व लौ का-न वअज़ुहुम्
 लिबअज़िन् ज़हीरा (88) व ल-कद्
 सरफना लिन्नासि फी हाज़ल्-कुरआनि
 मिन् कुल्लि म-सलिन्, फ-अबा
 अक्सरुन्नासि इल्ला कुफूरा (89)

कह अगर जमा हों आदमी और जिन्न
 इस पर कि लायें ऐसा कुरआन हरगिज़ न
 लायेंगे ऐसा कुरआन और पड़े मदद किया
 करें एक दूसरे की। (88) और हमने
 फेर-फेरकर समझाई लोगों को इस
 कुरआन में हर पिसाल से नहीं रहते
 बहुत लोग बगैर नाशुकी किये। (89)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और ये लोग आप से (इम्तिहान के तौर पर) रूह (की हकीकत) के बारे में पूछते हैं, आप (जवाब में) फरमा दीजिये कि रूह (के बारे में) मुख्तसर तौर पर बस इतना समझ लो कि वह एक चीज़ है जो) मेरे रब के हुक्म से बनी है, और (बाकी उसकी विस्तृत हकीकत से) तुमको बहुत थोड़ा इल्म (तुम्हारी समझ और ज़रूरत के मुताबिक) दिया गया है (और रूह की हकीकत का मालूम करना कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं और न उसकी हकीकत आप तौर पर समझ में आ सकती है इसलिये कुरआन उसकी हकीकत को बयान नहीं करता)।

और अगर हम चाहें तो जिस कदम आप पर हमने वही भेजी है (और उसके जरिये आपको इल्म दिया है) सब छीन लें, फिर उस (वही) के (वापस लाने के लिये) आपको हमारे पुकाबले में कोई हिमायती भी न मिलेगा मगर (यह) आपके रब ही की रहमत है (कि ऐसा नहीं किया) बेशक आप पर उसका बड़ा फज़ल है (मतलब यह है कि इनसान को रूह बगैरह हर चीज़ की हकीकत का तो क्या इल्म होता, उसको जो थोड़ा-सा इल्म वही के जरिये अल्लाह तआला की तरफ से दिया गया है वह भी उसकी कोई जागीर नहीं, अल्लाह तआला चाहे तो देने के बाद भी छीन सकता है मगर वह अपनी रहमत से ऐसा करता नहीं, वजह यह है कि आप पर अल्लाह तआला का बड़ा फज़ल है)। आप फरमा दीजिए कि अगर तमाम इनसान और जिन्नात सब इस बात के लिए जमा हो जाएं कि ऐसा कुरआन बना लाएँ तब भी वे ऐसा न कर सकेंगे, अगरचे एक दूसरे का मददगार भी बन जायें (यानी उनमें से हर एक अलग-अलग कोशिश करके तो क्या कामयाब होता सब के सब एक दूसरे की मदद से काम करके भी कुरआन के जैसा नहीं बना सकते)। और हमने लोगों के (समझाने के) लिये इस कुरआन में हर किरम का उम्दा पज़मून तरह-तरह से बयान किया है, फिर भी अक्सर लोग इनकार किये बगैर न रहे।

मआरिफ़ व मसाईल

ऊपर बयान हुई आयतों में से पहली आयत में काफ़िरों की तरफ़ से रूह के मुताल्लिक एक सवाल और हक़ तआला की तरफ़ से उसका जवाब जिक्र हुआ है। लफ़्ज़ रूह लुग़ात व मुहावरों में तथा कुरआने करीम में कई मायने के लिये इस्तेमाल होता है, मशहूर व परिचित मायने तो वही हैं जो आम तौर पर इस लफ़्ज़ से समझे जाते हैं, यानी जान जिससे हयात और जिन्दगी कायम है। कुरआने करीम में यह लफ़्ज़ जिब्रीले अमीन के लिये भी इस्तेमाल हुआ है:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَبْلِكَ

और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिये भी कई आयतों में इस्तेमाल हुआ है और खुद कुरआने करीम और वही को भी रूह के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है:

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

रूह से मुराद क्या है?

इसलिये यहाँ पहली बात सोचने के काबिल यह है कि सवाल करने वालों ने रूह का सवाल किस मायने के लिहाज़ से किया था? मुफ़त्सिरीन हज़रात में से कुछ ने मौक़े के मज़मून की रियायत से यह सवाल वही और कुरआन या वही लाने वाले फ़रिश्ते जिब्रील के बारे में करार दिया है क्योंकि इससे पहले भी 'नुनज़िलु मिनल-कुरआनि' में कुरआन का जिक्र था और बाद की आयतों में फिर कुरआन ही का जिक्र है। इसके मुनासिब इसको समझा कि सवाल में भी रूह से मुराद वही व कुरआन या जिब्रील ही हैं, और मतलब सवाल का यह होगा कि आप पर वही किस तरह आती है, कौन लाता है? कुरआने करीम ने इसके जवाब में इस पर बस किया कि अल्लाह के हुक्म से यही आती है, तफ़्सील और कैफ़ियतें जिनका सवाल था वो नहीं बतलाईं।

लेकिन सही मरफूअ हदीसों में जो इस आयत का शाने नुज़ूल ख़तलाया गया है वह तक़रीबन इसमें स्पष्ट है कि सवाल करने वालों ने जिन्दगी वाली रूह का सवाल किया था और मक़सद सवाल का रूह की हकीकत मालूम करना था कि यह क्या चीज़ है, इनसानी बदन में किस तरह आती जाती है और किस तरह उससे हैवान और इनसान जिन्दा हो जाता है। सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रियायत है कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मदीना के ग़ैर-आबाद हिस्सों में चल रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ पुधारक में एक छड़ी ख़जूर की शाख़ की थी आपका गुज़र चन्द्र यहूदियों पर हुआ, ये लोग आपस में कहने लगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आ रहे हैं, इनसे रूह के बारे में सवाल करो, दूसरों ने मना किया मगर सवाल करने वालों ने सवाल कर ही डाला। यह सवाल सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लकड़ी पर टेक लगाकर ख़ामोश खड़े हो गये जिससे मुझे अन्दाज़ा हुआ कि आप पर वही नाज़िल होने वाली है, कुछ ही देर के बाद वही नाज़िल हुई तो आपने यह आयत पढ़कर सुनाई:

وَسْتَلُّوْكَ عَنِ الرُّوْحِ

(यानी यही आयत नम्बर 85 जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) यहाँ ज़ाहिर है कि कुरआन या वही को रूह कहना यह कुरआन की एक खास इस्तिलाह (परिभाषा) थी, उन लोगों के सवाल को इस पर फिट करना बहुत दूर की बात है, अलबत्ता हैवान व इनसान की रूह का मामला ऐसा है कि इसका सवाल हर शख्स के दिल में पैदा होता ही है इसी लिये मुफ़सिरीन की एक बड़ी जमाअत— इब्ने कसीर, इब्ने जरीर, कुर्तुबी, बहरे-मुहीत व रूहुल-मआनी के लेखकों सभी ने इसी को सही क़रार दिया है कि सवाल हैवानी रूह (ज़िन्दगी वाली रूह) की हकीकत से था। रहा यह मामला कि आगे-पीछे के मज़मून में ज़िक्र कुरआन का चला आया है बीच में रूह का सवाल जवाब बेजोड़ है तो इसका जवाब खुला है कि इससे पहली आयतों में काफ़िरों व मुश्रिकों की मुखालफ़त और दुश्मनी भरे सवालों का ज़िक्र आया है जिनसे मक़सद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का रिसालत के बारे में इम्तिहान करना था, यह सवाल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, इसलिये बेजोड़ नहीं, खास तौर पर इसके शाने नुज़ूल (उतरने के मौक़े व सबब) के बारे में एक दूसरी सही हदीस मन्कूल है, उसमें यह बात ज़्यादा स्पष्ट रूप से आ गई है कि सवाल करने वालों का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत का इम्तिहान लेना था।

चुनाँचे मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि (मक्का के कुरैश जो सही-ग़लत और मुनासिब व ग़ैर-मुनासिब सवालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से करते रहते थे उनको ख़्याल पैदा हुआ कि यहूदी लोग इल्म वाले हैं उनको पिछली किताबों का भी इल्म है उनसे कुछ सवालात हासिल किये जायें जिनके ज़रिये मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का इम्तिहान लिया जाये, इसलिये कुरैश ने यहूद से मालूम करने के लिये अपने आदमी भेजे उन्होंने कहा कि तुम उनसे रूह के बारे में सवाल करो। (इब्ने कसीर)

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ही से इस आयत की तफ़सीर में यह भी नक़ल किया है कि यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपने सवाल में यह भी कहा था कि आप हमें यह बतलायें कि रूह पर अज़ाब किस तरह होता है, उस वक़्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर इस बारे में कोई बात नाज़िल न हुई थी इसलिये उस वक़्त आपने फ़ौरी जवाब नहीं दिया, फिर ज़िब्रीले अमीन यह आयत लेकर नाज़िल हुए:

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (ابن كثير ملاحظنا)

(यानी-यही आयत-नम्बर-85-जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है।)

सवाल का वाकिआ मक्का में पेश आया या मदीना में?

इससे पहले यहाँ एक बात और ग़ौर करने के काबिल है कि इस आयत के उतरने के मुताल्लिक जो दो हदीसें हज़रत इब्ने मसऊद और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ऊपर नक़ल की गई हैं उनमें से हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक

सवाल का यह वाक़िआ मदीना में पेश आया और इसी लिये कुछ मुफ़स्सिरीन ने इस आयत को मदनी करार दिया है अगरचे सूरा बनी इस्राईल का अक्सर हिस्सा मक्की है, और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत का ताल्लुक मक्का मुकर्रमा के वाक़िए से है उसके मुताबिक़ यह आयत भी पूरी सूरा की तरह मक्की याकी रहती है इसी लिये इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसी शुब्हे व गुमान को वरीयता वाला करार दिया है और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत का जवाब यह दिया है कि यह मुम्किन है कि इस आयत का उतरना मदीना में दूसरी मर्तबा हुआ हो जैसा कि कुरआन की बहुत-सी आयतों का नुज़ूल (उतरना) दोबारा होना सब उलेमा के नज़दीक मुसल्लम है। और तफ़्सीरे मज़हरी ने हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत को वरीयता प्राप्त करार देकर यह वाक़िआ मदीना का और आयत को मदनी करार दिया है, जिसकी दो वजहें यतलाई— एक यह कि यह रिवायत बुख़ारी व मुस्लिम में है और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इसकी सनद ज़्यादा मज़बूत है, दूसरे यह कि इसमें खुद वाक़िआ वाले यानी हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अपना वाक़िआ बयान कर रहे हैं, बख़िलाफ़ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत के कि उसमें ज़ाहिर यही है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बात किसी से सुनी होगी।

उपर्युक्त सवाल का जवाब

कुरआने करीम ने ऊपर ध्यान हुए सवाल का जवाब यह दिया है:

فَلِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِي

इस जवाब की व्याख्या व वज़ाहत में कुरआन के मुफ़स्सिरीन हज़रत के कलिमात और ताबीरों भिन्न और अलग-अलग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा करीब और स्पष्ट वह है जो तफ़्सीरे मज़हरी में हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस्तियार किया है। वह यह है कि इस जवाब में जितनी बात का बतलाना ज़रूरी था और जो आम लोगों की समझ में आने के काबिल है सिर्फ़ वह बतला दी गई, और रूह की मुकम्मल हकीकत जिसका सवाल था उसको इसलिये नहीं बतलाया कि वह आम लोगों की समझ से बाहर भी थी और उनकी कोई ज़रूरत उसके समझने पर अटकी भी न थी। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह हुक्म हुआ कि आप उनके जवाब में यह फ़रमा दीजिये कि “रूह मेरे परवर्दिगार के हुक्म से है।” यानी वो आम मज़्लूक़ात की तरह नहीं जो मादे के बदलाव और पैदाईश व नस्त चलने के ज़रिये वजूद में आती हैं, बल्कि वो डायरेक्ट हक़ तआला के हुक्म कुन से पैदा होने वाली चीज़ है।

इस जवाब ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि रूह को ज़ाम मादी चीज़ों पर क़ियास नहीं किया जा सकता जिससे वो तमाम शुब्हे दूर हो गये जो रूह को ज़ाम मादी चीज़ों पर क़ियास (अन्दाज़ा व तुलना) करने के नतीजे में पैदा होते हैं, और इनसान के लिये इतना ही इल्म रूह के बारे में काफी है इससे ज़्यादा इल्म के साथ उसका कोई दीनी या दुनियावी काम अटका हुआ नहीं, इसलिये सवाल का वह हिस्सा फ़ुज़ूल और बेमक़सद करार देकर उसका जवाब नहीं दिया गया,

खुसूसन जबकि उसकी हकीकत का समझना अ़वाम के लिये तो क्या बड़े-बड़े अ़क्लमन्दों और फ़लॉस्फ़रों के लिये भी आसान नहीं।

हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं

सवाल करने वाले की दीनी मस्लेहत की रियायत लाज़िम है

इमाम ज़सास रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने इस जवाब से यह मसला निकाला कि मुफ़्ती और अ़लिम के जिम्मे यह ज़रूरी नहीं कि सवाल करने वाले के हर सवाल और उसके हर हिस्से का जवाब ज़रूर दे, बल्कि दीनी मस्लेहतों पर नज़र रखकर जवाब देना चाहिये, जो जवाब मुखातब की समझ से बाहर हो या उसके ग़लत-फ़हमी में पड़ जाने का ख़तरा हो तो उसका जवाब नहीं देना चाहिये। इसी तरह बेज़रूरत या बेकार के सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहिये, अलबत्ता जिस शख्स को कोई वाकिअ पेश आया जिसके बारे में उसको कुछ अ़मल करना लाज़िम है और खुद वह अ़लिम नहीं तो मुफ़्ती और अ़लिम को अपने इल्म के मुताबिक़ उसका जवाब देना ज़रूरी है। (तफ़्सीरे ज़सास)

इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने 'किताबुल-इल्म' में इस मसले का एक मुस्तक़िल 'तर्जमतुल-बाब' रखकर बतलाया है कि जिस सवाल के जवाब से मुग़ालते (घोखे और ग़लत-फ़हमी) में पड़ जाने का ख़तरा हो उसका जवाब नहीं देना चाहिये।

रूह की हकीकत का इल्म किसी को हो सकता है या नहीं?

कुरआने करीम ने इस सवाल का जवाब मुखातब की ज़रूरत और समझ के मुताबिक़ दे दिया, रूह की हकीकत को बयान नहीं फ़रमाया, मगर इससे यह लाज़िम नहीं आता कि रूह की हकीकत को कोई इनसान समझ ही नहीं सकता और यह कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लाम को भी उसकी हकीकत मालूम नहीं थी। सही बात यह है कि यह आप्त न इसकी नफ़ी करती है न साबित करती है, अगर किसी नबी व रसूल को वही के ज़रिये या किसी वली को क़श्फ़ व इल्हाम (अल्लाह की तरफ़ से किसी चीज़ को दिल में डालने या किसी चीज़ की हकीकत खोलने) के ज़रिये इसकी हकीकत मालूम हो जाये तो इस आयत के खिलाफ़ नहीं बल्कि अ़क्ल व ज्ञान के एतिबार से भी इस पर कोई बहस व तहक़ीक़ की जाये तो इसके फ़ुज़ूल और बेकार तो कहा जायेगा मगर नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। इसी लिये पहले और बाद के बहुत-से उलेमा ने रूह के मुताल्लिक़ मुस्तक़िल किताबें लिखी हैं, आख़िरी दौर में हमारे उस्तादे मोहतरम शैख़ुल-इस्लाम हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने एक मुखासर से रिसाले में इस मसले को बेहतरीन अन्दाज़ पर लिखा है और उसमें जिस क़द्र हकीकत समझना अ़म इनसान के लिये मुम्किन है वह समझा दी है, जिस पर एक पढ़ा-लिखा इनसान क़नाअत कर सकता है और शुब्हों व इश्कालों से बच सकता है।

फायदा

इमाम बग़दी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस जगह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक तफ़सीली रिवायत इस तरह नक़ल फ़रमाई है कि यह आयत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई जबकि मक्का के कुरैशी सरदारों ने जमा होकर मशिवरा किया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हमारे अन्दर पैदा हुए और जवान हुए, उनकी ईमानदारी व सच्चाई में कभी किसी को शुक्हा नहीं हुआ, और कभी उनके बारे में झूठ बोलने की तोहमत भी किसी ने नहीं लगाई और इसके बावजूद अब जो नुबुव्वत का दावा वह कर रहे हैं हमारी समझ में नहीं आता, इसलिये ऐसा करो कि अपना एक वफ़द (प्रतिनिधि मण्डल) मदीना के यहूदी उलेमा के पास भेजकर उनसे इनके बारे में तहकीक़ात करो। चुनाँचे कुरैश का एक वफ़द यहूदियों के उलेमा के पास मदीना पहुँचा, यहूद के उलेमा ने उनको मशिवरा दिया कि हम तुम्हें तीन चीज़ें बतलाते हैं तुम उनसे इन तीनों का सवाल करो। अगर उन्होंने तीनों का जवाब दे दिया तो वह नबी नहीं, और इसी तरह तीनों में से किसी का जवाब न दिया तो भी नबी नहीं, और अगर दो का जवाब दिया तीसरी चीज़ का जवाब न दिया तो समझ लो कि वह नबी हैं। (1) वो तीन सवाल ये बतलाये कि एक तो उनसे उन लोगों का हाल पूछो जो पुराने ज़माने में शिर्क से बचने के लिये किसी ग़ार (गुफ़ा) में छुप गये थे, क्योंकि उनका वाकिआ अजीब है। दूसरे उस शख्स का हाल पूछो जिसने ज़मीन के पूरब व पश्चिम का सफ़र तय किया कि उसका क्या किस्सा है। तीसरे रूह के बारे में पूछो।

यह वफ़द वापस आया और तीनों सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने पेश कर दिये। आपने फ़रमाया कि मैं इसका जवाब तुम्हें कल दूँगा, मगर इस पर इन्शा-अल्लाह नहीं कहा, इसका नतीजा यह हुआ कि चन्द दिन तक वही का सिलसिला बन्द हो गया, बारह पन्द्रह से लेकर चालीस दिन तक की विभिन्न रिवायतों हैं जिनमें वही का सिलसिला बन्द रहा। मक्का के कुरैश को ताने मारने और बुराई करने का मौक़ा मिला कि कल जवाब देने को कहा था आज इतने दिन हो गये जवाब नहीं मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी परेशानी हुई फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम यह आयत लेकर नाज़िल हुए:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

जिसमें आपको यह तालीम की गई कि आईन्दा किसी काम के करने का वायदा किया जाये तो इन्शा-अल्लाह कहकर किया जाये, और इसके बाद रूह के मुताल्लिक यह आयत सुनाई जो ऊपर बयान हुई, और ग़ार में छुपने वालों के मुताल्लिक अस्हाब-ए-कहफ़ का वाकिआ और पूरब से पश्चिम तक सफ़र करने वाले जुल्करनैन का वाकिआ पूरी तफ़सील के साथ जवाब में बयान फ़रमाया गया, और रूह के बारे में जिस हकीक़त का सवाल था उसका जवाब नहीं दिया गया (जिससे यहूद की बतलाई हुई सच्चा नबी होने की निशानियाँ जाहिर हो गईं)। इस वाकिए को

(1) यह तफ़सील तफ़सीर मआलिफुल-कुरआन पेज 134 जिल्द 4 के मुताबिक है। मुहम्मद तकी उस्मानी

हदीस की किताब तिर्मिज़ी ने भी मुख़्तसर तौर पर बयान किया है। (तफ़सीरे मज़हरी)

सूर: हिज़्र की आयत 29 'नफ़ख़्तु फ़ीहे मिरूही' के तहत रूह और नफ़्स वग़ैरह की हकीकत के मुताल्लिक़ एक तहकीक़ तफ़सीरे मज़हरी के हवाले से पहले गुज़र चुकी है जिसमें रूह की किस्में और हर एक की हकीकत को काफ़ी हद तक खोलकर बयान कर दिया है।

وَلَيْنُ شِتْنَا لَنَذْهَبَنَّ.....الخ

पिछली आयत (यानी आयत नम्बर 85) में रूह के सवाल पर ज़रूरत के मुताबिक़ जवाब देकर रूह की हकीकत पूछने की कोशिश से यह कहकर रोक दिया गया था कि इनसान का इल्म कितना ही ज़्यादा हो जाये मगर चीज़ों की हकीकतों के विभिन्न पहलुओं के एतिबार से कम ही रहता है इसलिये ग़ैर-ज़रूरी बहसों और तहकीक़ात में उलझना अपने वक़्त को बरबाद करना है। इस आयत नम्बर 86 में इस तरफ़ इशारा है कि इनसान को जिस क़द्र भी इल्म मिला है वह भी उसकी ज़ाती जागीर नहीं, अल्लाह तआला चाहें तो उसको भी छीन सकते हैं, इसलिये उसको चाहिये कि मौजूदा इल्म पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और फ़ुज़ूल व बेकार की तहकीक़ात में वक़्त बरबाद न करे, विशेष तौर पर जबकि मक़सद तहकीक़ करना भी न हो बल्कि दूसरे का इम्तिहान लेना या उसको नीचा दिखाना मक़सद हो, अगर उसने ऐसा किया तो कुछ मुश्किल नहीं कि इस ग़लत हरकत के नतीजे में जितना इल्म हासिल है वह सब छिन जाये। इस आयत में ख़िताब अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को है मगर असल सुनाना उम्मत को मक़सद है कि जब रसूल का इल्म भी उनके इख़्तियार में नहीं तो दूसरों का क्या कहना है।

قُلْ لَيْنُ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ

यह मज़मून कुरआन मजीद की चन्द आयतों में आया है जिसमें पूरी इनसानी दुनिया को ख़िताब करके यह दावा किया गया है कि अगर तुम कुरआन को अल्लाह का कलाम नहीं मानते बल्कि किसी इनसान का बनाया हुआ भानते हो तो फिर तुम भी इनसान हो इसकी मिसाल बना कर दिखला दो। इस आयत में इस दावे के साथ यह भी फ़रमा दिया गया कि सिर्फ़ इनसान नहीं जिन्नात को भी अपने साथ मिला लो और फिर तुम सब मिलकर कुरआन की एक सूरात बल्कि एक आयत की मिसाल भी न बना सकोगे।

इस मज़मून का इस जगह पर दोहराना मुम्किन है कि यह बतलाने के लिये हो कि तुम जो हमारे रसूल से विभिन्न किस्म के सवालात रूह वग़ैरह के बारे में उनकी रिसालत व नुबुव्वत की आजमाईश के लिये करते हो, क्यों इन फ़ुज़ूल किस्सों में पड़े हो, खुद कुरआने करीम को देख लो तो आपकी नुबुव्वत व रिसालत में किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं रहती, क्योंकि जब सारी दुनिया के जिन्नात व इनसान इसकी मामूली-सी मिसाल बनाने से आजिज़ हैं तो इसके अल्लाह का कलाम होने में क्या शुब्हा रहता है, और जब कुरआने करीम का अल्लाह का कलाम होना इस आसानी से साबित हो गया तो आपकी नुबुव्वत व रिसालत में किसी शुब्हे की क्या गुंजाईश रहती है।

आखिरी आयत 'व लकद् सरफना.....' (यानी आयत नम्बर 89) में यह बतला दिया कि अगरचे कुरआने करीम का मोजिजा (खुदाई करिश्मा होना) इतना खुला हुआ है कि इसके बाद किसी सवाल और शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं रहती मगर हो यह रहा है कि लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, कुरआन की नेमत की भी कद्र नहीं पहचानते इसलिये गुमराही में भटकते रहते हैं।

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ

يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعَيْنٍ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِيفًا أَوْ تَأْتِي بَالِهٍ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلاً ۖ أَوْ يُكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ يُرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ ۖ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۖ وَمَا مَنَعَكَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْبِئِينَ لَنُزِّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۖ

व कालू लन् नुअमि-न ल-क हत्ता
तफजु-र लना मिनल्-अर्जि यम्बूआ
(90) औ तकू-न ल-क जन्नतुम् मिन्
नख्रीलिव्-व अि-नबिन् फतुफज्जिरल्
-अन्हा-र खिलालहा तफजीरा (91)
औ तुस्कितस्समा-अ कमा ज़अम्-त
अलैना कि-सफन् औ तअति-य
बिल्लाहि वल्मलाइ-कति कबीला
(92) औ यकू-न ल-क बैतुम्-मिन्
जुख्ररुफिन् औ तरका फिस्समा-इ,
व लन्-नुअमि-न लिरुकिथिय-क हत्ता
तुनज्जि-ल अलैना किताबन् नक्रउह्,
कुल् सुब्हा-न रब्बी हल् कुन्तु इल्ला
ब-शरर्-रसूला (93) ❀

और बोले हम न मानेंगे तेरा कहा जब तक तू न जारी कर दे हमारे वास्ते ज़मीन से एक चश्मा। (90) या हो जाये तेरे वास्ते एक बाग़ खजूर और अंगूर का, फिर बहाये तू उसके बीच नहरें चलाकर। (91) या गिरा दे हम पर आसमान जैसा कि तू कहा करता है टुकड़े-टुकड़े, या ले आ अल्लाह को और फरिश्तों को सामने। (92) या हो जाये तेरे लिये एक घर सुनहरा या चढ़ जाये तू आसमान में और हम न मानेंगे तेरे चढ़ जाने को जब तक न उतार लाये हम पर एक किताब जिसको हम पढ़ लें। तू कह सुब्हानल्लाह मैं कौन हूँ मगर एक आदमी हूँ भेजा हुआ। (93) ❀

वू मा म-नअन्ना-स अय्युअमिनु इज़्
जा-अहुमुल्-हुदा इल्ला अन् कालू
अ-ब-असल्लाहु ब-शररसूला (94)
कुल् लौ का-न फ़िल्अर्जि
मलाइ-कतुंयू-यम्शू-न मुत्मइन्नी-न
लनज़्रल्ला अलैहिम् मिनस्समा-इ
म-लकरसूला (95)

और लोगों को रोका नहीं ईमान लाने से
जब पहुँची उनको हिदायत मगर इसी बात
ने कि कहने लगे- क्या अल्लाह ने भेजा
आदमी को पैग़ाम देकर? (94) कह अगर
होते ज़मीन में फ़रिश्ते फिरते-बस्ते तो
हम उतारते उन पर आसमान से कोई
फ़रिश्ता पैग़ाम देकर। (95)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

इनसे पहले की आयतों में काफ़िरों के चन्द सवालात और उनके जवाबात ज़िक्र किये गये हैं
अब इन आयतों में उनके चन्द दुश्मनी व मुख़ालफ़त भरे सवालात और बेसर-पैर की फ़रमाइशों
का ज़िक्र और उनका जवाब है। (तफ़सीर इब्ने जरीर, हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये लोग (इसके बावजूद कि कुरआन के मोजिज़ा होने के ज़रिये आपकी नुबुव्वत व
रिसालत का काफ़ी और याज़ेह सुबूत इनको मिल चुका, फिर भी दुश्मनी व मुख़ालफ़त की वजह
से ईमान नहीं लाते और ये बहाने करते हैं कि) कहते हैं कि हम आप पर हरगिज़ ईमान न
लाएँगे जब तक आप हमारे लिये (मक्का की) ज़मीन से कोई चश्मा जारी न कर दें। या ख़ास
आपके लिए ख़जूर और अंगूरों का कोई बाग़ न हो, फिर उस बाग़ के बीच-बीच में जगह-जगह
बहुत-सी नहरें आप जारी कर दें। या जैसा कि आप कहा करते हैं, आप आसमान के टुकड़े हम
पर न गिरा दें (जैसा कि कुरआन की इस आयत में इरशाद है:

إِنْ نَّشَاءْ نَحْنُفِ بِهِنَّ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَفَاً مِنَ السَّمَاءِ.

“यानी हम चाहें तो उनको ज़मीन के अन्दर धँसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा
दें”) या आप अल्लाह को और फ़रिश्तों को (हमारे) सामने न ला खड़ा कर दें (कि हम खुल्लम
खुल्ला देख लें)। या आपके पास कोई सोने का बना हुआ घर न हो, या आप (हमारे सामने)
आसमान पर न चढ़ जाएँ, और हम तो आपके (आसमान पर) चढ़ने का कभी भी यकीन न
करेंगे जब तक कि (वहाँ से) आप हमारे पास एक किताब न ला दें, जिसको हम पढ़ भी लें
(और उसमें आपके आसमान पर पहुँचने की तस्दीक के तौर पर रसीद लिखी हुई हो)। आप
(इन सब ख़ुराफ़ात के जवाब में) फ़रमा दीजिये कि सुब्हानल्लाह! मैं सिवाय इसके कि आदमी हूँ
(मगर) पैग़म्बर हूँ और क्या हूँ (कि इन फ़रमाइशों को पूरा करना मेरी कुदरत में ही, यह कामिल

कुदरत और पूरा इख्तियार तो सिर्फ़ अल्लाह तआला ही की सिफ़त है, इनसान होना अपनी ज़ान में खुद बेवसी व बेइख्तियारी को लिये हुए है, रहा रिसालत का मामला तो वह भी इसका तकाज़ा नहीं करता कि अल्लाह के रसूल को हर चीज़ का मुकम्मल इख्तियार हो बल्कि नुबुव्वत व रिसालत के लिये तो इतनी बात काफी है कि रिसालत की कोई साफ़ स्पष्ट दलील आ जावे जिस पर अक्ल वाले को एतिराज़ न हो सके, और वह दलील कुरआन के बेमिसाल व भोजिज़ा होना और दूसरे भोजिज़ों की सूरत में बार-बार पेश की जा चुकी है, इसलिये नुबुव्वत व रिसालत के लिये इन फ़रमाईशों का मुतालबा बिल्कुल बेहूदा है, हाँ! अल्लाह तआला को सब कुदरत है वह सब कुछ कर सकते हैं मगर उससे किसी को मुतालबे का हक़ नहीं, जिस चीज़ को वह हिक्मत के मुताबिक़ देखते हैं ज़ाहिर भी कर देते हैं मगर यह ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी सब फ़रमाईशें पूरी करें।

और जिस वक़्त उन लोगों के पास हिदायत (यानी रिसालत की सही दलील जैसे कुरआन का भोजिज़ा होना) पहुँच चुकी, उस वक़्त उनको ईमान लाने से सिवाय इसके और कोई (काबिले तवज्जोह) बात रुकावट नहीं हुई कि उन्होंने (इनसान होने को रिसालत के विरुद्ध समझा, इसलिये कहा) क्या अल्लाह तआला ने आदमी को रसूल बनाकर भेजा है (यानी ऐसा नहीं हो सकता)। आप (जवाब में हमारी तरफ़ से) फ़रमा दीजिए कि अगर ज़मीन पर फ़रिश्ते (रहते) होते कि इसमें चलते-बसते तो ज़रूर हम अलबत्ता उन पर आसमान से फ़रिश्ते को रसूल बनाकर भेजते।

मअरिफ़ व मसाईल

बिना सर-पैर के मुख़ालफ़त भरे सवालात का पैग़म्बराना जवाब

ऊपर बयान हुई आयतों में जो सवालात और फ़रमाईशें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपने ईमान लाने की शर्त करार देकर की गई वो सब ऐसी हैं कि हर इनसान उनको सुनकर एक किस्म का मज़ाक़ और ईमान न लाने का बेहूदा बहाने के सिवा कुछ नहीं समझ सकता। ऐसे सवालात के जवाब में इनसान को फ़ितरी तौर पर गुस्सा आता है और जवाब भी उसी अन्दाज़ का देता है, मगर इन आयतों में उनके बेहूदा सवालात का जो जवाब हक़ तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तालीम फ़रमाया वह ध्यान देने के काबिल और उम्मत के सुधारकों के लिये हमेशा याद रखने और अमल में लाने वाली चीज़ है, कि उन सब के जवाब में न उनकी बेवकूफी का इज़हार किया गया न उनकी दुश्मनी भरी शरारत का, न उन पर कोई फ़िक़रा कसा गया बल्कि निहायत सादा अलफ़ाज़ में असल हकीक़त को स्पष्ट कर दिया गया कि तुम लोग शायद यह समझते हो कि जो शख्स खुदा का रसूल होकर आये उसे सारे खुदाई के इख्तियारात का मालिक और हर चीज़ पर फ़ादिर होना चाहिये, यह सोच और धारणा ग़लत है, रसूल का काम सिर्फ़ अल्लाह का पैग़ाम पहुँचाना है, अल्लाह तआला उनकी रिसालत

को साबित करने के लिये बहुत-से मौजिजे भी भेजते हैं मगर वो सब कुछ महज अल्लाह तआला की क़ुदरत व इख़्तियार से होता है, रसूल को खुदाई के इख़्तियारात नहीं मिलते, वह एक इनसान होता है और इनसानी ताक़त व क़ुदरत से बाहर नहीं होता सिवाय इसके कि अल्लाह तआला ही उसकी इमदाद के लिये अपनी ग़लबे वाली ताक़त को ज़ाहिर फ़रमा दें।

अल्लाह का रसूल इनसान ही हो सकता है फ़रिश्ते

इनसानों की तरफ़ रसूल नहीं हो सकते

आम काफ़िरो व गुशिरको का ख़्याल था कि बशर यानी आदमी अल्लाह का रसूल नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो हमारी तरह तमाम इनसानी ज़रूरतों का आदी होता है, फिर उसको हम पर क्या बरतरी और श्रेष्ठता हासिल है कि हम उसको अल्लाह का रसूल समझें और अपना मुक़्तदा (पेशवा और काबिले पैरवी) बना लें। उनके इस ख़्याल का जवाब क़ुरआने करीम में कई जगह विभिन्न उनवानों से दिया गया है। यहाँ आयत 'व मा म-नअन्ना-स.....' (यानी आयत नम्बर 94) में जो जवाब दिया गया है उसका हासिल यह है कि अल्लाह का रसूल जिन लोगों की तरफ़ भेजा जाये वह उन्हीं की जिन्स में से होना ज़रूरी है। अगर ये आदमी हैं तो रसूल भी आदमी होना चाहिये, क्योंकि ग़ैर-जिन्स के साथ आपसी मुनासबत नहीं होती और बिना मुनासबत के हिदायत व रहनुमाई का फ़ायदा हासिल नहीं होता। अगर आदमियों की तरफ़ किसी फ़रिश्ते को रसूल बनाकर भेज दें जो न भूख़ को जानता है न प्यास को न जिन्सी इच्छाओं को न सर्दी गर्मी के एहसास को, न उसको कभी मेहनत से थकान लाहिक़ होती है तो वह इनसानों से भी ऐसे ही अमल की अपेक्षा रखता, उनकी कमज़ोरी व मजबूरी का एहसास न करता।

इसी तरह इनसान जब यह समझते कि यह तो फ़रिश्ता है हम इसके कामों की नक़ल करने की सलाहियत नहीं रखते तो उसकी पैरवी क्या ख़ाक़ करते। यह फ़ायदा इस्लाह और हिदायत व रहनुमाई का सिर्फ़ इसी सूरत में हो सकता है कि अल्लाह का रसूल हो तो आदमियत की जिन्स से जो तमाम इनसानी ज़ब्बात और तबई इच्छाओं को खुद भी अपने अन्दर रखता हो मगर साथ ही उसको फ़रिश्तों वाली एक शान भी हासिल हो कि आम इनसानों और फ़रिश्तों के बीच वास्ते (माध्यम) और संपर्क का काम कर सके, वही लाने वाले फ़रिश्तों से वही हासिल करे और अपने हम-जिन्स इनसानों को पहुँचाये।

इस तक़रीर से यह शुब्हा भी दूर हो गया कि जब इनसान फ़रिश्ते से फ़ैज़ (लाभ व फ़ायदा) हासिल नहीं कर सकता तो फिर रसूल बावजूद इनसान होने के किस तरह उनसे वही का फ़ैज़ हासिल कर सकेगा।

रहा यह शुब्हा कि जब रसूल और उम्मत में एक जिन्स का होना शर्त है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को जिन्नात का रसूल किस तरह बनाया गया, जिन्नात तो इनसान

के हम-जिन्स नहीं, तो जवाब यह है कि रसूल सिर्फ़ इनसान नहीं बल्कि उसमें एक शान फ़रिश्तों वाली भी होती है, उसकी वजह से जिन्नात को भी मुनासबत उनसे हो सकती है।

आयत के आखिर में यह इरशाद फ़रमाया कि तुम इनसान होने के बावजूद जो यह मुतालबा करते हो कि हमारा रसूल फ़रिश्ता होना चाहिये, यह मुतालबा तो नामाकूल है, अलबत्ता अगर इस ज़मीन पर फ़रिश्ते आबाद होते और उनकी तरफ़ रसूल भेजने की ज़रूरत होती तो फ़रिश्ते ही को रसूल बनाया जाता। इसमें जो ज़मीन पर बसने वाले फ़रिश्तों का यह वस्फ़ (सिफ़त और खूबी) जिक्र किया गया है कि 'यमशू-न मुत्मइन्नी-न' यानी वे फ़रिश्ते ज़मीन पर मुत्मईन होकर चलते-फिरते, इससे मालूम हुआ कि फ़रिश्तों की तरफ़ फ़रिश्तों को रसूल बनाकर भेजने की ज़रूरत उसी वक़्त हो सकती थी जबकि ज़मीन के फ़रिश्ते खुद आसमान पर न जा सकते बल्कि ज़मीन ही पर चलते-फिरते रहते, वरना अगर वे खुद आसमान पर जाने की कुदरत रखते तो ज़मीन पर रसूल भेजने की ज़रूरत ही न रहती।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ

خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَشْهَدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ يُنصِرُهُمْ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا وَبُكَمًّا وَصَمًّا وَآوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۝ ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ۖ إرْنَا الْمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ ۗ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ۝

कुल् कफ़ा बिल्लाहि शहीदम्-बैनी व
बैनकुम्, इन्नहू का-न बिज़िबादिही
ख़बीरम्-बसीरा (96) व मय्यहिदल्लाहु
फहुवल्ल-मुस्तदि व मय्युज़िल्लु फ-लन्
तजि-द लहुम् औलिया-अ मिन्
दूनिही, व नश्शुरुहुम् यौमल्-कियामति
अला वुजूहिहिम् अुम्यंक्-व बुक्मंक्-व
सुम्भन्, मजूवाहुम् जहन्नमु, कुल्लमा
ख़बत् जिद्नाहुम् सज़ीरा (97) ●

कह अल्लाह काफी है हक़ साबित करने
वाला मेरे और तुम्हारे बीच में, वह है
अपने बन्दों से ख़बरदार देखने वाला।
(96) और जिसको राह दिखलाये अल्लाह
वही है राह पाने वाला और जिसको
भटकाये फिर तू न पाये उनके वास्ते कोई
साथी अल्लाह के सिवा, और उठायेंगे हम
उनको कियामत के दिन, चलेंगे मुँह के
बल अंधे और गूँगे और बहरे, ठिकाना
उनका दोज़ख़ है, जब लगेगी बुझने और
भड़का देंगे उन पर। (97) ●

ज़ालि-क जज़ा-उहुम् बिजन्नहुम्
 क-फरु बिआयातिना व कालू अ-इज़ा
 कुन्ना अिज़ामंय-ब रुफातन् अ-इन्ना
 लमब्अूसू-न खल्फन् जदीदा (98)
 अ-व लम् यरौ अन्नल्लाहल्लजी
 छा-लक़ स्समावाति वल् अर्-ज
 कादिरुन् अला अय्यरुल्लु-क़ मिस्लहुम्
 व ज-अ-ल लहुम् अ-जलत्-ला रै-ब
 फीहि, फ-अवज़ जालिम्-न इल्ला
 कुफ़ूरा (99) कुल् लौ अन्तुम्
 तम्लिकू-न ख़ाज़ाइ-न रहमति रब्बी
 इज़ल् ल-अम्सक्तुम् ख़श्य-तल्-
 इन्फ़ाकि, व कानल्-इन्सानु
 क़तूरा (100) ❀

यह उनकी सज़ा है इस वास्ते कि मुन्किर
 हुए हमारी आयतों से और बोले क्या जब
 हम हो गये हड्डियाँ और चूरा चूरा, क्या
 हमको उठायेंगे नये बनाकर। (98) क्या
 नहीं देख चुके कि जिस अल्लाह ने बनाये
 आसमान और ज़मीन वह बना सकता है
 ऐसों को और मुकर्रर किया है उनके
 वास्ते एक वक़्त जिसमें कोई शुक्का नहीं,
 सो नहीं रह जाता बैइन्साफ़ों से नाशुक्की
 किये बपैर। (99) कह अगर तुम्हारे हाथ
 में होते परे रब की रहमत के ख़ज़ाने तो
 ज़रूर बन्द कर रखते इस डर से कि ख़र्च
 न हो जाये, और इनसान है दिल का
 तंग। (100) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

(जब ये लोग रिसालत व नुबुव्वत की स्पष्ट दलीलें आ जाने और तमाम शुक्कात दूर हो जाने के बाद भी नहीं मानते तो) आप (आखिरी बात) कह दीजिये कि अल्लाह तआला मेरे और तुम्हारे बीच (के झगड़े में) काफ़ी गवाह है (यानी खुदा जानता है कि मैं वास्तव में अल्लाह का रसूल हूँ क्योंकि) वह अपने बन्दों (के हालात) को ख़ूब जानता, ख़ूब देखता है (तुम्हारी दुश्मनी व मुख़ालफ़त को भी देखता है)। और अल्लाह तआला जिसको राह पर लाये वही राह पर आता है, और जिसको वह बेराह कर दे तो खुदा के सिवा आप किसी को भी ऐसों का मददगार न पाएँगे (और कुफ़्र की वजह से ये खुदा की मदद से पेहराम रहे। मतलब यह है कि जब तक खुदा तआला की तरफ़ से मदद न हो न हिदायत हो सकती है न अज़ाब से निजात)।

और हम कियामत के दिन उनको अंधा गूँगा बइरा करके मुँह के बल चलाएँगे, उनका ठिकाना दोज़ख़ है (जिसको यह कैफ़ियत होगी कि) वह (यानी दोज़ख़ की आग) जब ज़रा धीमी होने लागेगी उसी वक़्त हम उनके लिये और ज़्यादा भड़का देंगे। यह है उनकी सज़ा, इस सबब से कि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया था, और यूँ कहा था कि क्या हम हड्डियाँ और (वह

भों) बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाएंगे तो क्या हम नये सिरे से पैदा करके (कब्रों से) उठाये जाएंगे। क्या उन लोगों को इतना भालूम नहीं कि जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन पैदा किये वह इस बात पर (और भी ज्यादा) कादिर है कि वह उन जैसे आदमी दोबारा पैदा कर दे, और (इनकार करने वालों को शायद यह ख्याल व गुमान हो कि हज़ारों लाखों मर गये मगर अब तक तो यह वायदा दोबारा ज़िन्दा होकर उठने का पूरा हुआ नहीं, तो इसकी वजह यह है कि) उनके (दोबारा पैदा करने के) लिये एक मियाद निर्धारित कर रखी है, उस (निर्धारित) मियाद (के आने) में ज़रा भी शक नहीं, इस पर भी बेइन्साफ़ लोग इनकार किये बग़ैर न रहे। आप फ़रमा दीजिये कि अगर तुम लोग मेरे रब की रहमत (यानी नुबुव्वत) के ख़ज़ानों (यानी कमालात) के मुख़्तार होते (कि जिसको चाहते देते जिसको चाहते न देते) तो उस सूरत में तुम (उसके) ख़र्च हो जाने के डर से ज़रूर हाथ रोक लेते (कभी किसी को न देते, हालाँकि यह चीज़ किसी को देने से घटती भी नहीं), और आदमी है ही बड़ा तंगदिल (कि न घटने वाली चीज़ को भी अंता करने में संकोच करता है, जिसकी वजह रसूलों से दुश्मनी और कन्जूसी के अलावा शायद यह भी हो कि अगर किसी को नबी और रसूल बना लिया तो फिर उसके अहकाम की पाबन्दी करनी पड़ेगी जैसे कोई कौम आपस में इत्तिफ़ाक़ करके किसी को अपना बादशाह बना ले तो अगरचे बनाया उन्होंने है मगर जब वह बादशाह बनेगा तो उसकी फ़रमाँबरदारी करनी पड़ती है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

आख़िरी आयत में जो यह इरशाद है कि अगर तुम लोग अल्लाह की रहमत के ख़ज़ानों के मालिक हो जाओ तो तुम कन्जूसी करोगे किसी को न दोगे, इस डर से कि अगर लोगों को देते रहे तो यह ख़ज़ाना ख़त्म हो जायेगा अगरचे रहमते रब का ख़ज़ाना ख़त्म होने वाला नहीं मगर इनसान अपनी तबीयत से तंगदिल कम-हौसला होता है उसको खुले दिल के साथ लोगों को देने का हौसला नहीं होता।

इसमें रहमते रब के ख़ज़ानों के लफ़्ज़ से अ़ाम मुफ़सिरीन ने माल व दौलत के ख़ज़ाने पुराद लिये हैं और इसका संबन्ध पीछे के मज़मून से यह है कि मक्का के काफ़िरों ने इसकी फ़रमाईश भी की थी कि अगर आप वाकई सच्चे नबी हैं तो आप इस मक्का के सूखे रेगिस्तान में नहरें जारी करके इसको हरे-भरे बागात में मुन्तक़िल कर दें, जैसा मुल्के शाम में ख़िल्ला है, जिसका जवाब पहले आ चुका है कि तुमने तो गोया मुझे खुदा ही समझ लिया कि खुदाई के इख़्तियारात का मुझसे मुतालबा कर रहे हो, मैं तो सिर्फ़ एक रसूल हूँ खुदा ज़ही, कि जो चाहूँ कर दूँ। यह आयत भी अगर इसी से संबन्धित करार दी जाये तो मतलब यह होगा कि मक्का की सरज़मीन को नहरी ज़मीन और हरी-भरी बनाने की फ़रमाईश अगर मेरी नुबुव्वत व रिसालत के इम्तिहान के लिये है तो इसके लिये क़ुरआन का बेमिसाल और मोजिज़ा होना काफ़ी है, दूसरी फ़रमाईशों की ज़रूरत नहीं। और अगर अपनी कौमी और मुल्की ज़रूरत पूरी करने के लिये है तो याद रखो कि अगर तुम्हारी फ़रमाईश के मुताबिक़ तुम्हें मक्का की ज़मीन में सब कुछ दे भी

दिया जाये और खजानों का मालिक तुम्हें बना दिया जाये तो इसका अन्जाम भी कौम और मुल्क के अधाम की खुशहाली नहीं होगा बल्कि इनसानी आदत के मुताबिक जिनके कब्जे में ये खजाने आ जायेंगे वे इन पर साँप बनकर बैठ जायेंगे, अधाम पर खर्च करते हुए तंगदस्ती और मुर्बत का खौफ उनके लिये रुकावट होगा। ऐसी सूरत में सिवाय इसके कि मक्का के चन्द सरदार और ज्यादा अमीर और खुशहाल हो जायें अधाम का क्या फायदा होगा। अक्सर मुफस्सरीन ने इस आयत का यही मतलब बयान किया है।

सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी तफ़सीर बयानुल-कुरआन में इस जगह रहमते रब से मुराद नुबुव्वत व रिसालत और रहमत के खजानों से मुराद नुबुव्वत के कमालत लिये हैं। इस तफ़सीर के मुताबिक इसका पहले की आयतों से ताल्लुक यह होगा कि तुम जो नुबुव्वत व रिसालत के लिये बिना सर-पैर के और बेहूदा मुतालबे कर रहे हो इसका हासिल यह है कि मेरी नुबुव्वत को मानना नहीं चाहते, तो क्या फिर तुम्हारी इच्छा यह है कि नुबुव्वत का निज़ाम तुम्हारे हाथों में दे दिया जाये जिसको तुम चाहे नबी बना लो। अगर ऐसा कर लिया जाये तो इसका नतीजा यह होगा कि तुम किसी को भी नुबुव्वत व रिसालत न दोगे, हाथ रोक कर बैठ जाओगे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस तफ़सीर को नक़ल करके फ़रमाया है कि यह तफ़सीर अल्लाह तआला की खास अताओं में से है कि मक़ाम के साथ बहुत ही फिट है, इसमें नुबुव्वत को रहमत के साथ ताबीर करना ऐसा ही होगा जैसे आयत:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

में तमाम हज़रत के नज़दीक रहमत से मुराद नुबुव्वत ही है। वल्लाहु सुब्ज़ानहु व तआला आलम।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سَعَةَ آيَاتِنَا فَمَسَّئَلْنَا بِنِيِّ إِسْرَائِيلَ

أَوْجَاهَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاحِبِ وَرَائِي لَأَظُنُّكَ يُفْرِعُونَ مَثُورًا ۖ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ ۖ وَمِن مَّعَهُ جَمِيعًا ۖ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۖ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلُهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ صُكُوتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۖ قُلْ إِنَّمَا أَنبِئُكُمْ بِمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْآذِقَانِ سُجَّدًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۖ وَيَخِرُّونَ لِلْآذِقَانِ يَبْكِونَ وَيَسْتَغِيثُونَ ۖ وَيُحَدِّثُونَ إِلَىٰ

وقف لازم
السجدة (5)

व ल-कद् जातैना मूसा तिरा-अ
 आयातिम्-बय्यिनातिन् फस्अल् बनी
 इस्राई-ल इज़् जा-अहुम् फका-ल लहू
 फिरऔनु इन्नी ल-अज़ुन्नु-क या
 मूसा मस्हूरा (101) का-ल ल-कद्
 अलिम्-त मा अन्ज़-ल हाउला-इ
 इल्ला रब्बुस्समावाति वल्अर्जि
 बसाइ-र व इन्नी ल-अज़ुन्नु-क या
 फिरऔनु मस्बूरा (102) फ-अरा-द
 अंय्यस्तफिज़्ज़हुम् मिनल्-अर्जि
 फ-अग्रकनाहु व मम्-म-अहू जमीआ
 (103) व कुल्ना मिम्-बअदिही
 लि-बनी इस्राईलस्कुनुल्-अर्-ज़
 फ-इज़ा जा-अ वअदुल्-आख़िरति
 जिअना बिकुम् लफीफ़ा (104) व
 बिल्हकिक् अन्ज़ल्नाहु व बिल्हकिक्
 न-ज़-ल, मा अर्सल्ना-क इल्ला
 मुबशिशरंव-व नज़ीरा। (105) व
 कुरआनन् फरकनाहु लितकर-अहू
 अलन्नासि अला मुक्सिव-व नज़्ज़ल्नाहु
 तन्ज़ीला (106) कुल् आमिनु बिही
 औ ला तुअमिनु इन्नल्लज़ी-न ऊतुल्-
 अिल्-म मिन् कब्लिही इज़ा युत्ता
 अलैहिम् यख़िरून-न लिअज़्कानि

और हमने दीं मूसा को नौ निशानियाँ
 साफ़ फिर पूछ बनी इस्राईल से जब आया
 वह उनके पारा तो कहा उसको फिरऔन
 ने मेरी अटकल में तो मूसा तुझ पर जादू
 हुआ। (101) बोला तू जान बुका है कि
 ये चीज़ें किसी ने नहीं उतारीं मगर ज़मीन
 और आसमान के मालिक ने समझाने को
 और मेरी अटकल में फिरऔन तू ग़ास्त
 हुआ चाहता है। (102) फिर चाहा कि
 बनी इस्राईल को चैन न दे उस ज़मीन में,
 फिर डुबा दिया हमने उसको और उसके
 साथ वालों को सब को। (103) और
 कहा हमने उसके बाद बनी इस्राईल को,
 आबाद रही तुम ज़मीन में फिर जब
 आयेगा वायदा आख़िरत का ले आयेगे
 हम तुमको समेटकर। (104) और सब के
 साथ उतारा हमने यह कुरआन और सब
 के साथ उतरा, और तुझको जो बीजा
 हमने सो खुशी और डर सुनाने को।
 (105) और पढ़ने को वज़ीफ़ा किया हमने
 कुरआन को अलग-अलग करके कि पढ़े
 तू इसको लोगों पर ठहर-ठहरकर और हम
 ने इसको उतारते उतारते उतारा। (106)
 कह तुम इसको मानो या न मानो जिनको
 इल्म मिला है इससे पहले से जब उनके
 पास इसको पढ़िये गिरते हैं ठोड़ियों पर

सुज्जदा (107) व यकूलू-न सुब्हा-न
रब्बिना इन् का-न वअदु रब्बिना
ल-मफ़अला (108) व यख़िररू-न
लिल्अज़क़ानि यब्कू-न व यज़ीदुहुम्
खुशूआ। (109) ◉

सज्दे में। (107) और कहते हैं पाक है
हमारा रब, बेशक हमारे रब का वायदा
होकर रहेगा। (108) और गिरते हैं
ठोड़ियों पर रोते हुए और ज्यादा होती है
उनको आजिजी। (109) ◉

खुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को खुले हुए नौ मोजिजे दिये (जिनका जिक्र पारा नम्बर नौ के छठे रुकूअ आयत नम्बर एक में है) जबकि वह बनी इस्राईल के पास आये थे। सो आप बनी इस्राईल से (भी चाहे) पूछ देखिये (और चूँकि आप फिरऔन की तरफ भी भेजे गये थे और फिरऔन और उसकी आल के इमान न लाने से वो अजीब चीज़ें और मोजिजे जाहिर हुए थे इसलिये मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को दोबारा इमान लाने के लिये याददेहानी कराई और उन स्पष्ट निशानियों से डराया) तो फिरऔन ने उनसे कहा कि ऐ मूसा! मेरे ख्याल में तो ज़रूर तुम पर किसी ने जादू कर दिया है (जिससे तुम्हारी अक्ल ख़राब हो गई कि ऐसी बहकी-बहकी बातें करते हो)। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया तू (दिल में) ख़ूब जानता है (अगरचे शर्म की वजह से ज़बान से इक़रार नहीं करता) कि ये अजीब चीज़ें खास आसमान और ज़मीन के परवर्दिगार ने ही भेजी हैं, जो कि बसीरत "यानी समझ व अक्ल" के लिये (काफी) साधन हैं, और मेरे ख्याल में ज़रूर तेरी कम-बख़्ती के दिन आ गये हैं (और या तो फिरऔन की यह हालत थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की दरख़्वास्त पर भी बनी इस्राईल को मिस्र से जाने की इजाज़त न देता था और) फिर (यह हुआ कि) उसने (इस ख्याल व संदेह से कि कहीं बनी इस्राईल मूसा अलैहिस्सलाम के असर से ताक़त न पकड़ जायें खुद ही) चाहा कि बनी इस्राईल का उस सरज़मीन से क़दम उखाड़ दे (यानी उनको शहर से निकाल दे), सो हमने (इससे पहले कि वह कामयाब हो खुद) उस (ही) को और जो उसके साथ थे सब को डुबो दिया। और उस (डुबोने) के बाद हमने बनी इस्राईल को कह दिया कि (अब) तुम इस सरज़मीन (के जहाँ से तुमको निकालना चाहता था मालिक हो, तुम ही इस) में रहो-सहो (चाहे मौजूदा हालत में या सलाहियत के एतिबार से, मगर यह मालिक बनना दुनियावी जिन्दगी तक है) फिर जब आख़िरत का वायदा आ जायेगा तो हम सब को जमा करके (क़ियामत के मैदान में गुलामी और मातहती की हालत में) ला हाज़िर करेंगे (यह शुरूआत में होगा फिर मोमिन व काफ़िर और नेक व बद को अलग अलग कर दिया जायेगा)।

और (जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिजे दिये उसी तरह आपको भी बहुत-से

मोजिजे दिवे जिनमें अजीमुश्शाग मोजिजा कुरआन है कि) हमने इस कुरआन को सच्चाई ही के साथ नाजिल किया और वह सच्चाई ही के साथ (आप पर) नाजिल हो गया (यानी जैसा अल्लाह के पास से चला था उसी तरह आप तक पहुँच गया और बीच में कोई कमी-बेशी व लब्दीली और उलट-फेर नहीं हुआ) -पस पूरी तरह सच्चाई ही सच्चाई है। और (जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बनाया था और हिदायत उनके इच्छित्वार में न थी उसी तरह) हमने आपको (भी) सिर्फ (ईमान पर सवाब की) खुशी सुनाने वाला और (कुफ्र पर अजाब से) डराने वाला बनाकर भेजा है (अगर कोई ईमान न लाये कुछ गुम न कीजिये)। और कुरआन (में सच्चाई व हक की सिफत के साथ रहमत के तकाजे से और भी ऐसी सिफत की रियायत की गई है कि उससे हिदायत ज्यादा आसान हो, चुनाँचे एक तो यह कि इस) में हमने (आयतें वगैरह का) जगह-जगह फासला रखा, ताकि आप इसको लोगों के सामने ठहर-ठहरकर पढ़ें (जिसमें वे अच्छी तरह समझ सकें, क्योंकि लगातार लम्बी तकरीर कई बार ज़हन में नहीं बैठती) और (दूसरे यह कि) हमने इसको उतारने में भी (वाकिआत के हिसाब से) थोड़ा-थोड़ा करके उतारा (ताकि पायने खूब जाहिर व स्पष्ट हों, अब इन सब बातों का तकाजा यह था कि ये लोग ईमान ले आते लेकिन इस पर भी ईमान न लायें तो आप कुछ परवाह न कीजिये बल्कि साफ़) कह दीजिये कि तुम इस कुरआन पर चाहे ईमान लाओ या ईमान न लाओ (मुझको कोई परवाह नहीं, दो बजह से— पहली तो यह कि मेरा क्या नुकसान किया, दूसरे यह कि तुम ईमान न लाये तो क्या हुआ दूसरे लोग ईमान ले आये, चुनाँचे) जिन लोगों को कुरआन (के उतारने) से पहले (दीन का) इल्म दिया गया था (यानी अहले किताब में के इन्साफ़-पसन्द उलेमा) यह कुरआन जब उनके सामने पढ़ा जाता है तो ठोड़ियों के बल सच्चे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब (वायदा-खिलाफी से) पाक है, बेशक हमारे परवर्दिगार का वायदा ज़रूर पूरा ही होता है (सो जिस किताब का जिस नबी पर नाजिल करने का वायदा पहली आसमानी किताबों में किया था उसको पूरा फरमा दिया)। और ठोड़ियों के बल (जो) गिरते हैं (तो) रोते हुए (गिरते हैं) और यह कुरआन (यानी इसका सुनना) उनका (दिली) खुशू "यानी अजिजी" और बढ़ा देता है (क्योंकि जाहिर व बातिन का समान और एक जैसा होना कौफ़ियत को मज़बूत कर देता है)।

मआरिफ व मसाईल

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ

इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नौ खुली और स्पष्ट निशानियाँ अता फरमाने का जिक्र है। आयत का लफज़ मोजिजे के मायने में भी आता है और कुरआन की आयतों यानी अल्लाह के अहकाम के गायने में भी, इस जगह दोनों मायनों की गुंजाईश है इसी लिये मुफरिसरीन की एक जभाअत ने इस जगह आयात से मुराद मोजिजे लिये हैं और नौ की संख्या से यह ज़रूरी नहीं कि नौ से ज्यादा न हों, मगर इस जगह नौ का जिक्र किसी खास अहमियत की बिना पर

किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नौ मौजिज़े इस तरह धुमार फरमाये हैं:

1. मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जो अज़्दहा बन जाती थी।
2. सफ़ेद हाथ जिसको गिरेबान में डालकर निकालने से चमकने लगता था।
3. जुबान में लुक्नत (लड़खड़ाहट) थी वह दूर कर दी गई।
4. बनी इस्राईल के दरिया पार करने के लिये दरिया को फाड़कर उसके दो हिस्से अलग कर दिये और रास्ता दे दिया।
5. टिंडी दल का अज़ाब असाधारण सूरत में भेज दिया गया।
6. तूफ़ान भेज दिया गया।
7. बदन के कपड़ों में बेहद ज़ुँए पैदा कर दी गईं जिनसे बचने का कोई रास्ता न रहा।
8. मेंढकों का एक अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया कि हर खाने पीने की चीज़ में मेंढक आ जाते थे।
9. खून का अज़ाब भेजा गया कि हर बरतन और खाने पीने में खून मिल जाता था।

और एक सही हदीस के मज़मून से यह मालूम होता है कि यहाँ आयात से मुराद अल्लाह के अहकाम हैं, यह हदीस अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा में सही सनद से हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु अन्हु से भन्कूल है, वह फरमाते हैं कि एक यहूदी ने अपने एक साथी से कहा कि मुझे उस नबी के पास ले चलो। साथी ने कहा कि नहीं न कहो अगर आपको ख़बर हो गई कि हम भी उनको नबी कहते हैं तो उनकी चार आँखें हो जायेंगी, यानी उनको फ़ख़ व खुशी का मौक़ा मिल जायेगा। फिर ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो नौ आयात-ए-बथिनात (खुली निशानियाँ) दी गई थीं वो क्या हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

1. अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो।
2. चोरी न करो।
3. जिना न करो।
4. जिस जान को अल्लाह ने हाराम किया है उसको नाहक क़त्ल न करो।
5. किसी बेगुनाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर क़त्ल व सज़ा के लिये पेश न करो।
6. जादू न करो।
7. सूद न खाओ।
8. पाक़दामन औरत पर बदकारी का बोहतान न बाँधो।
9. जिहाद के मैदान से जान बचाकर न भागो। और ऐ-यहूदियो! विशेष तौर पर तुम्हारे

लिये यह भी हुक्म है कि यौम-ए-सब्त (शनिवार के दिन) के जो खास अहकाम तुम्हें दिये गये हैं उनकी खिलाफ़वर्गी न करो।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह बात सुनकर दोनों ने आपके हाथों और पाँव को बोंसा दिया और कहा कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं। आपने फ़रमाया कि फिर तुम्हें मेरी पैरवी करने से क्या चीज़ रोकती है? कहने लगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने रब से यह दुआ की थी कि उनकी नस्ल में हमेशा नबी होते रहें, और हमें ख़तरा है कि अगर हम आपकी पैरवी करने लगे तो यहूदी हमें क़त्ल कर देंगे।

चूँकि यह तफ़सीर सही हदीस से साबित है इसलिये बहुत-से मुफ़रिसरीन ने इसी को तरजीह (वरीयता) दी है।

يَكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.

तफ़सीर मजहरी में है कि क़ुरआन तिलावत करने के वक़्त रोना मुस्तहब (अच्छा और परान्दीदा) है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रियायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जहन्नम में न जायेगा वह शख्स जो अल्लाह के ख़ौफ़ से रोया जब तक कि दूहा हुआ दूध थनों में वापस न लौट जाये (यानी जैसे यह नहीं हो सकता कि धनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में वापस डाल दिया जाये इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि अल्लाह के ख़ौफ़ से रोने वाला जहन्नम में चला जाये)। और एक रियायत में है कि अल्लाह तआला ने दो आँखों पर जहन्नम की आग़ हराम कर दी— एक वह जो अल्लाह के ख़ौफ़ से रोये, दूसरे वह जो इस्लामी सरहद की हिफ़ाज़त के लिये रात को जागती रहे। (बैहकी व हाकिम, और इन दोनों मुहदिसों ने इस रियायत को सही कहा है)

और हज़रत नज़र बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस क़ौम में कोई अल्लाह के ख़ौफ़ से रोने वाला हो तो अल्लाह तआला उस क़ौम को उसकी वजह से आग़ से निजात अता फ़रमा देंगे। (रुहुल-मअानी)

आज सबसे बड़ी मुसीबत जो मुसलमानों पर पड़ी है उसका सबब यही है कि उनमें खुदा के ख़ौफ़ से रोने वाले बहुत कम रह गये। तफ़सीर रुहुल-मअानी के लेखक इस मौक़े पर खुदा के ख़ौफ़ से रोने के फ़ज़ाईल की हदीसों नक़ल करने के बाद फ़रमाते हैं:

وَيَسْنَىٰ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَالِ الْعُلَمَاءِ

यानी उलोगा-ए-दीन का यही हाल होना चाहिये। क्योंकि इब्ने जरीर, इब्ने मुन्ज़िर वगैरह ने अब्दुल-आला तैमी रहमतुल्लाहि अलैहि का यह कौल नक़ल किया है:

“जिस शख्स को सिर्फ़ ऐसा इल्म मिला जो उसको रुलाता नहीं तो समझ लो कि उसको नफ़ा देने वाला इल्म नहीं मिला।”

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَاؤَ الرَّحْمَنِ أَيَّامًا تَدْعُوا قَلِيلَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَثِيرَةٌ كَثِيرًا ۝

कुलिद् अल्ला-ह अविद् अर्रहमा-न,
अध्यम् मा तद् अ फ-लहुल्-अस्माजल्-
हुस्ना व ला तज्हर बि-सलाति-क व
ला तुखाफित् बिहा वब्तगि वै-न
जालि-क सबीला (110) व कुलित्-
हम्दु लिल्लाहिल्लाजी लम् यत्तखिज्ज
व-लद्व-व लम् यकुल्-लहू शरीकुन्
फिल्मुल्कि व लम् यकुल्लहू
वलिथ्युम्-मिनज्जुल्लि व कब्बिरहु
तक्बीरा (111) ❀

कह— अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान
कहकर जो कहकर पुकारोगे सो उसी के
हैं सब नाम खासे, और पुकार कर मत
पढ़ अपनी नमाज़ और न चुपके पढ़ और
दूँढ ले उसके बीच में रह। (110) और
कह सब तारीफें अल्लाह के लिये हैं जो
नहीं रखता औलाद और न कोई उसका
साज़ी सल्तनत में और न कोई उसका
मददगार जिल्लत के यक्त पर, और उस
की बड़ाई कर बड़ा जानकर। (111) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

आप फरमा दीजिये कि चाहे अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारोगे (तो बेहतर है, क्योंकि) उसके बहुत-से अच्छे-अच्छे नाम हैं (और उसका शिर्क से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि एक ही जात के कई नाम होने से उसकी तौहीद में कोई फर्क नहीं आता)। और अपनी जहरी "आवाज़ से किराअत करने वाली" नमाज़ में न तो बहुत पुकारकर पढ़िये (कि मुश्रिक लोग सुनें और खुराफ़ात बकें और नमाज़ में दिल परेशान हो) और न बिल्कुल चुपके चुपके ही पढ़िये (कि मुक्तादी नमाज़ियों को भी सुनाई न दे, क्योंकि इससे उनकी तालीम व तरबियत में कमी आती है) और दोनों के बीच एक (दरमियाना) तरीका इख्तियार कर लीजिये (ताकि मस्लेहत भी न छूटे और नुक़सान भी पेश न आये)। और (काफ़िरों पर रद्द करने के लिये खुल्लम-खुल्ला) कह दीजिए कि तमाम खूबियाँ उसी अल्लाह तआला के लिये (खास) हैं, जो न औलाद रखता है और न बादशाहत में कोई उसका शरीक है, और न कमजोरी की वजह से उसका कोई मददगार है। और उसकी बड़ाईयाँ खूब बयान किया कीजिये।

मअरिफ़ व मसाईल

ये सूर: बनी इस्राईल की आखिरी आयतें हैं, इस सूरत के शुरू में भी हक़ तआला की पाकीजगी और तौहीद (एक होने) का ध्यान था, इन आखिरी आयतों में भी इसी पर ख़त्म किया जा रहा है। इन आयतों का उतरना चन्द्र याफ़िआल की बिना पर हुआ, अब्बल यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन दुआ में या अल्लाह! और या रहमान! कहकर पहुकारा तो मुश्रिकों ने समझा कि यह दो खुदाओं को पुकारते हैं और कहने लगे कि हमें तो एक के सिवा किसी और को पुकारने से मना करते हैं और खुद दो माबूदों को पुकारते हैं। इसका जवाब आयत के पहले हिस्से में दिया गया है कि अल्लाह जल्ल शानुहू के दो ही नहीं और भी बहुत-से अच्छे-अच्छे नाम हैं, किसी नाम से भी पुकारें पुराद एक ही जात है, तुम्हारा वहम ग़लत है।

दूसरा किस्सा यह है कि जब मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से कुरआन की तिलावत फरमाते तो मुश्रिक लोग मज़ाक़ व ठट्ठा करते और कुरआन और जिब्रीले अमीन और खुद हक़ तआला की शान में गुस्ताख़ी भरी बातें कहते थे, इसके जवाब में इसी आयत का आखिरी हिस्सा नाज़िल हुआ जिसमें आपको ज़ाहिर करने और धीरे पढ़ने में बीच का रास्ता इख़्तियार करने की तालीम फरमाई कि ज़रूरत तो इस बीच की आवाज़ से पूरी हो जाती है और ज़्यादा बुलन्द आवाज़ से जो मुश्रिक लोगों को मौक़ा तकलीफ़ पहुँचाने का मिलता था उससे निजात हो।

तीसरा किस्सा यह है कि यहूदी व ईसाई अल्लाह तआला के लिये औलाद फ़रार देते थे और अरब के लोग बुतों को अल्लाह का शरीक कहते थे और साबई और मजूसी लोग कहा करते थे कि अगर अल्लाह तआला के खास और करीबी नहीं तो उसकी क़द्र व इज़्ज़त में कमी आ जाये। इन तीनों फ़िक़ों के जवाब में आखिरी आयत नाज़िल हुई जिसमें तीनों चीज़ों की नफ़ी ज़िफ़ की गई है।

दुनिया में जिससे मख़सूक को किसी क़द्र ताक़त पहुँचा करती है वह कभी तो अपने से छोटा होता है जैसे औलाद और कभी अपने बराबर का होता है जैसे साझी और कभी अपने से बड़ा होता है जैसे मददगार व हिमायती, हक़ तआला ने इस आयत में तरतीबवार तीनों की नफ़ी फ़रमा दी (यानी तीनों को नकार दिया)।

मसला: उक्त आयत में नपाज़ के अन्दर तिलावत करने का यह अदब बतलाया गया है कि बहुत बुलन्द आवाज़ से हो, न बहुत आहिस्ता जिसको मुक्त्तदी न सुन सकें। यह हुक्म ज़ाहिर है कि जहरी (आवाज़ से किराअत करने वाली) नमाज़ों के साथ मख़सूस है, जोहर और असर की नमाज़ों में तो बिल्कुल पोशीदा आवाज़ से पढ़ना मुतयातिर सुन्नत से साबित है।

जहरी नमाज़ में मगरिब, इशा और फ़जर के फ़र्ज़ भी दाख़िल हैं और तहज़ुद की नमाज़ भी जैसा कि एक हदीस में है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तहज़ुद की

नमाज़ के वक़्त हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और फ़ारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास से गुज़रे तो सिद्दीक़े अकबर तिलावत आहिस्ता कर रहे थे और फ़ारूक़े आजम ख़ूब बुलन्द आवाज़ से तिलावत कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत सिद्दीक़े अकबर से फ़रमाया कि आप इतना आहिस्ता क्यों पढ़ते हैं? हज़रत अबू बक्र ने अर्ज़ किया कि पुझे जिसको सुनाना था उसको सुना दिया, क्योंकि अल्लाह तआला तो हर छुपी से छुपी और हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुनते हैं। आपने फ़रमाया कि थोड़ा आवाज़ से जाहिर करके पढ़ा करो। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि आप इतनी बुलन्द आवाज़ से क्यों पढ़ते हैं? हज़रत उमर ने फ़रमाया कि मैं नींद और शैतान को दूर करने के लिये बुलन्द आवाज़ से पढ़ता हूँ। आपने उनको भी यही हुक्म दिया कि कुछ हल्की और धीमी आवाज़ से पढ़ा करो।

(तफ़्सीरे मज़हरी, तिमिज़ी के हवाले से)

नमाज़ और ग़ैर-नमाज़ में कुरआन की तिलावत को जाहिर करके और बिना जोर की आवाज़ के अदा करने से संबन्धित मसाईल सूर: आराफ़ में बयान हो चुके हैं। आखिरी आयत 'व कुलिल् हम्दु लिल्लाहि.....' (यानी ऊपर बयान हुई आयत 111) के मुताल्लिक़ हदीस में है कि इज़्ज़त वाली यही आयत है। (अहमद व तबरानी, मुआज़ जोहनी की रिवायत से, तफ़्सीरे मज़हरी)

इस आयत में यह हिदायत भी है कि कोई इनसान कितनी ही अल्लाह तआला की इबादत और तस्बीह व तारीफ़ करे अपने अमल को उसके हक़ के मुक़ाबले में कम समझना और कोताही का इफ़रार करना उसके लिये लाज़िम है। (तफ़्सीरे मज़हरी)

और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अब्दुल-मुत्तलिब की औलाद में जब कोई बच्चा ज़बान खोलने के काबिल हो जाता तो उसको आप यह आयत सिखा देते थे:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَّلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا.

(तफ़्सीर मज़हरी)

(यानी यही इस सूरत की आखिरी आयत जिसकी तफ़्सीर बयान हो रही है) और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बाहर निकला इस तरह कि मेरा हाथ आपके हाथ में था, आपका गुज़र एक ऐसे शख्स पर हुआ जो बहुत बुरे हाल में और परेशान था। आपने पूछा कि तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? उस शख्स ने अर्ज़ किया कि बीमारी और तंगदस्ती ने यह हाल कर दिया। आपने फ़रमाया कि मैं तुम्हें चन्द कलिमात बतलाता हूँ वो पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और तंगदस्ती जाती रहेगी, वो कलिमात ये थे:

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ وَّلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا.

तवककलतु अलल्-हय्यिल्लजी ला यमूतु अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी लम् यत्तखिज़्
 व-लदं-व लम् यकुल्-लहू शरीकुन् फिल्मुल्कि व लम् यकुल्लहू वलिद्युम्-मिनज़्जुल्लि व
 कब्बिरहु तक्वीरा !

इसके कुछ समय के बाद फिर आप उस तरफ़ तशरीफ़ ले गये तो उसको अच्छे हाल में पाया, आपने खुशी का इज़हार फ़रमाया। उसने अर्ज किया कि जब से आपने मुझे ये कलिमात बतलाये थे मैं पाबन्दी से इनको पढ़ता हूँ। (अबू यअ़ला व इब्ने सनी, अज़ मज़हरी)

अल्लाह का शुक्र व एहसान है उसकी मदद व तौफ़ीक़ से आज 10 जुमादल-ऊला सन् 1390 हिजरी को इशा के बाद सूरः बनी इस्राईल की तफ़सीर मुकम्मल हुई। अब्बल व आख़िर तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला ही के लिये हैं।



तफ़सीर के लेखक की तरफ़ से इज़हार-ए-हाल


आज 29 शाबान सन् 1390 हिजरी दिन शनिवार में अल्लाह का शुक्र है कि तफ़सीर मआरिफ़ुल-कुरआन के मसौदे को दूसरी बार देखना भी मुकम्मल हो गया है, अब यह आधे कुरआने करीम की तफ़सीर हक़ तआला ने अपने फज़ल व करम से पूरी करा दी जिसकी जाहिरी असबाब के एतिबार से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रमज़ान सन् 1388 हिजरी के आख़िर में यह नाकारा ऐसी विभिन्न और अनेक बीमारियों में मुब्तला हुआ कि तक़रीबन एक साल तो बिस्तर ही पर मौत व जिन्दगी की कश्मकश में गुज़रा। उस वक़्त मजबूरी व माज़ूरी के आलम में बार-बार यह हसरत होती थी कि कुछ किताबों के मसौदे जो मुकम्मल होने के करीब थे उनकी तकमील हो जाती तो मआरिफ़ुल-कुरआन के नाम से जो दर्से कुरआन लम्बे समय तक रेडियों पाकिस्तान से प्रसारित होता रहा, बहुत से दोस्तों के तकाज़े से उस पर एक नज़र डालकर और बीच में से बाकी रही हुई आयतों की तफ़सीर के मुकम्मल करने का जो सिलसिला चल रहा था किसी तरह वह पूरा हो जाता। इसी तरह सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत (मौलाना अशरफ़ अली थानवी) रहमतुल्लाहि अलैहि ने कुरआने करीम की दो मन्ज़िलें पाँचवीं और छठी के अहकामुल-कुरआन अरबी भाषा में लिखने के लिये अहक़र को पाबन्द फ़रमाया था उसका भी आख़िरी हिस्सा लिखने से बाकी रह गया था। मौत व जिन्दगी की कश्मकश, उठने बैठने से माज़ूरी ही के आलम में शायद मेरी इस हसरत की सुनवाई अल्लाह रब्बुल-इज़ज़त की बारगाह में हो गई और यह ख़्याल ग़ालिब आया कि जो कुछ और जितना बन पड़े यह काम कर लिया जाये, यह फ़िक्र छोड़ दी जाये कि जो रह जायेगा उसका क्या होगा।

इस ख़्याल ने एक पुख़्ता इरादे की सूरत इख़्तियार कर ली, बिस्तर पर लेटे हुए ही तफ़सीर पर दोबारा नज़र डालने और अहकामुल-कुरआन के पूरा करने का काम शुरू कर दिया। कुदरत

का करिश्मा देखिये कि उस बीमारी के जमाने में काम इतनी तेज़ी से चला कि तन्दुरुस्तों में भी यह रस्तार न थी, और फिर शायद इसी की बरकत से हक़ तआला ने उन माज़ूर व मजबूर कर देने वाली बीमारियों से शिफ़ा भी फ़रमा दी और एक हद तक तन्दुरुस्तों की सूत हासिल हो गई तो अब वक्त की कद्र पहचानी और इन कामों पर अपनी हिम्मत व गुंजाईश के मुताबिक़ वक़्त लगाया। यह महज़ हक़ तआला का फ़ज़ल व इनाम ही था कि अहक़ामुल-कुरआन की दोनों मन्ज़िलों की तक़मील भी हो गई और इसी अरसे में ये दोनों जिल्दें प्रकाशित भी हो गईं और तफ़सीर मआरिफ़ुल-कुरआन की दो जिल्दें सूर: निसा तक़ छपकर शायद हो गई हैं। तीसरी जिल्द सूर: आराफ़ तक़ छपाई में चल रही है और आज आधे कुरआन के मसौदा-ए-तफ़सीर पर दोबारा नज़र डालने का काम भी पूरा हो गया (अब्वल व आख़िर में तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला ही के लिये हैं)।

इस वक़्त जबकि ये लाइनें लिखी जा रही हैं अहक़र नाकारा की उम्र के 75 साल पूरे होकर 21 शाबान सन् 1390 हिजरी को उम्र की 76वों मन्ज़िल शुरू हो गई। विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होना, तबई कमज़ोरी और ऊपर से व्यस्तताओं और फ़िक़ों का हुजूम है, अब आगे किसी किताब लिखने और तरतीब देने की उम्मीद रखना एक ख़्याल व आरज़ू से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुरआन की ख़िदमत के नाम पर क़लम चलाना चाहे कितनी ही नाकिस दर नाकिस ख़िदमत हो लिखने वाले के लिये नेकबख़्ती ही नेकबख़्ती है। इस ख़्याल ने इस पर तैयार कर दिया कि सूर: कहफ़ की तफ़सीर भी अल्लाह के नाम से शुरू कर दी जाये और बाकी बची उम्र में जो कुछ हो सके उसको ग़नीमत समझा जाये, क्योंकि मक़सद कुरआन ख़त्म करना नहीं कुरआन में अपनी उम्र व ताक़त को ख़त्म करना है। अल्लाह ही तौफ़ीक़ देने वाला है और वही मददगार है।

सूर: बनी इस्राईल की तफ़सीर मुकम्मल हुई।



१९००

* सूरः कहफ़ *

यह सूरत मक्की है। इसमें 110 आयतें
और 12 रूकूअ हैं।

सूर: कहफ़

सूर: कहफ़ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 110 आयतें और 12 रुकूअ हैं।

﴿سُوْرَةُ الْكَافِرِ مَكِّيَّةٌ﴾ (118) ﴿أَيَّاتُهَا ۱۲﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَهٗ عِوَجًا ۙ قِیْمًا لِّیُنذِرَ اَبْسَاسًا شٰدِیْدًا ۙ مِّنْ لَّدُنْهُ وَّیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ ۙ اَنْ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ مَا كُنْتُمْ فِیْهِ اَبْدًا ۙ وَ یُنذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۙ وَلَا لِاٰبَائِهِمْ ۙ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۙ اِنْ یَقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۙ فَلَئِمَّا ۙ فَتَعْلَمُكَ بِاَخَعْتُمْ نَفْسًا عَلٰی اٰثَارِهِمْ ۙ اِنْ لَّمْ یُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِیْثِ ۙ اَسْفَا ۙ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَی الْاَرْضِ زِیْنَةً ۙ لِّهَا لِنَبُوْهُنَّ ۙ اِیْتُهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۙ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَیْهَا صَعِیْدًا ۙ جُرُزًا ۙ

बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अन्ज़-ल
अला अब्दिहिल्-किता-ब व लम्
यज़ज़ल्-लहू अि-वजा (1) कय्यिमल्
लियुन्ज़ि-र वज़सन् शदीदम्-मिल्लदुनुहु
व युबशिशरल्-मुअ्मिनीनल्लज़ी-न
यज़्मलूनस्सालिहाति-अन्-न लहुम्
अज़न् ह-सना (2) माकिती-न फीहि
अ-बदा (3) व युन्ज़िरल्लज़ी-न
कालुत्त-ख़ज़ल्लाहु व-लदा (4) मा

सब तारीफ़ अल्लाह को जिसने उतारी
अपने बन्दे पर किताब और न रखी उसमें
कुछ कजी (टिढ़ और नुकस)। (1) ठीक
उतारी ताकि डर सुना दे एक आफत का
अल्लाह की तरफ से और खुशख़बरी दे
ईमान लाने वालों को जो करते हैं नेकियाँ
कि उनके लिये अच्छा बदला है। (2)
जिसमें रहा करें हमेशा। (3) और डर
सुना दे उनको जो कहते हैं कि अल्लाह
रखता है औलाद। (4) कुछ ख़बर नहीं

लहुम् बिही मिन् अलिमिं-व ला
 लि-आबाइहिम्, कबुरत् कलि-मतन्
 तख्रुजु मिन् अप्वाहिहिम्, इय्यकूलू-न
 इल्ला कजिबा (5) फ-लअल्ल-क
 वाख्रिअन्-नप्स-क अला आसारिहिम्
 इल्लम् युअ्मिन् विहाज़ल्-हदीसि
 अ-सफ़ा (6) इन्ना जअल्ला मा
 अ लल्-अजि जीनतल्-लहा
 लिनब्लु-वहुम् अय्युहुम् अहसनु
 अ-मला (7) व इन्ना लजाअिलू-न
 मा अलैहा सअीदन् जुरुज़ा (8)

उनको इस बात की और न उनके बाप
 दादाओं को, क्या बड़ी बात निकलती है
 उनके मुँह से, सब झूठ है जो कहते हैं।
 (5) सो कहीं तू घोंट डालेगा अपनी जान
 को उनके पीछे अगर वे न मानेंगे इस
 बात को पछता-पछताकर। (6) हमने
 बनाया है जो कुछ ज़मीन पर है उसकी
 रौनक ताकि जाँचें लोगों को, कौन उनमें
 अच्छा करता है काम। (7) और हमको
 करना है जो कुछ उस पर है मैदान
 छाँटकर। (8)

सूर: कहफ की विशेषतायें और फज़ाईल

हदीस की किताबों— मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और मुस्नद अहमद में हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत है कि जिस शख्स ने सूर: कहफ की पहली दस आयतें हिफज़ याद कर लीं वह दज्जाल के फितने से महफूज़ रहेगा और उपर्युक्त किताबों में हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ही से एक दूसरी रिवायत में यही मज़मून सूर: कहफ की आखिरी दस आयतें याद करने के बारे में नक़ल किया गया है।

और मुस्नद अहमद में हज़रत सहल बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से यह मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स सूर: कहफ की पहली और आखिरी आयतें पढ़ ले उसके लिये उसके क़दम से सर तक एक नूर हो जाता है और जो पूरी सूरा पढ़ ले तो उसके लिये ज़मीन से आसमान तक नूर हो जाता है।

और कुछ रिवायतों में है कि जो शख्स जुमा के दिन सूर: कहफ की तिलावत कर ले उसके क़दम से लेकर आसमान की बुलन्दी तक नूर हो जायेगा जो क़ियामत के दिन रोशनी देगा और पिछले जुमे से उस जुमे तक के लिये उसके सब गुनाह माफ़ हो जायेंगे (इमाम इब्ने कसीर ने इस रिवायत को मौक़ूफ़ करार दिया है)।

और हाफिज़ जिया मक़दसी ने अपनी किताब 'मुख्तारा' में हज़रत अली करमल्लाहु वज्हेहू की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूर: कहफ पढ़ ले वह आठ दिन तक हर फितने से सुरक्षित रहेगा और अगर

इज्जत निकल आये तो वह उसके फलतः ही सुरक्षित रहेगा (ये सब रिवायतें तफसीर इब्न कसीर से ली गई हैं)।

तफसीर रूहुल-मआनी में दैलमी से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सूरः कहफ़ पूरी की पूरी एक वक़्त में नाज़िल हुई और सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इसके साथ आये जिससे इसकी बड़ी शान जाहिर होती है।

शाने नुज़ूल

इमाम इब्ने जरीर तबरी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि (जब मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत का चर्चा हुआ और मक्का के कुरैश इससे परेशान हुए तो) उन्होंने अपने दो आदमी नज़र बिन हारिस और उक्बा बिन अबी मुईत को मदीना तय्यिबा के यहूदियों के उलेमा के पास भेजा कि वे लोग पिछली किताबों तौरात व इन्जील के आलिम हैं, वे आपके बारे में क्या कहते हैं। यहूदियों के उलेमा ने उनको बतलाया कि तुम लोग उनसे तीन सवालात करो अगर उन्होंने उनका जवाब सही (1) दे दिया तो समझ लो कि वह अल्लाह के रसूल हैं, और यह न कर सके तो यह समझ लो कि यह बात बनाने वाले हैं, रसूल नहीं। एक तो उनसे उन नौजवानों का हाल पूछो जो पुराने ज़माने में अपने शहर से निकल गये थे, उनका क्या वाकिआ है। क्योंकि यह वाकिआ अजीब है। दूसरे उनसे उस शख्स का हाल पूछो जिसने दुनिया के पूरब व पश्चिम और तमाम ज़मीन का सफ़र किया, उसका क्या वाकिआ है? तीसरे उनसे रूह के मुताल्लिक सवाल करो कि वह क्या चीज़ है?

ये दोनों कुरैशी मक्का मुकर्रमा वापस आये और अपनी बिरादरी के लोगों से कहा कि हम एक निर्णायक सूरतेहाल लेकर आये हैं, और यहूदी उलेमा का पूरा किस्सा सुना दिया, फिर ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में ये सवालात लेकर हाज़िर हुए, आपने सुनकर फ़रमाया कि मैं कल इसका जवाब दूँगा, मगर आप उस वक़्त इन्शा-अल्लाह कहना भूल गये। ये लोग लौट गये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह की वही के इन्तिज़ार में रहे कि इन सवालात का जवाब वही से बतला दिया जायेगा मगर वायदे के मुताबिक अगले दिन तक कोई वही न आई बल्कि पन्द्रह दिन इसी हाल में गुज़र गये कि न जिब्रीले अमीन आये न कोई वही नाज़िल हुई। मक्का के कुरैश ने मज़ाक उड़ाना शुरू किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इससे सख़्त रंज व ग़म पहुँचा।

(1) यानी जो जवाब उन्हें देना चाहिये वह दे दिया (और रूह के बारे में उनका सही जवाब यह होगा कि इसकी हकीकत अल्लाह तआला ही बेहतर जानते हैं) लिहाज़ा यह रिवायत जो तफसीर-ए-तबरी पेज 191 जिल्द 15 में नक़ल की गयी है उस रिवायत के विरुद्ध नहीं जो पीछे इसी जिल्द में सूरः बनी इस्सईल आयत नम्बर 85 के तहत गुज़री है। मुहम्मद तक़ी उस्मानी।

एन्द्रह दिन के बाद जिब्रिले अमीन सूर: कहफ लेकर नाजिल हुए (जिसमें वही में देर होने का सबब भी बयान कर दिया गया है कि आने वाले ज़माने में किसी काम के करने का बायदा किया जाये तो इन्शा-अल्लाह कहना चाहिये। इस बाकिए में चूँकि ऐसा न हुआ इस पर तबीह करने के लिये वही में देरी हुई। इस सूरत में इस मामले के भुताल्लिक वे आधतें आगे आयेंगी:

وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَدْبَأْكَ اللَّهُ

और इस सूरत में उन नौजवानों का वाकिया भी पूरा बतला दिया गया जिनको अल्हाब-ए-कहफ कहा जाता है, और पूरब व पश्चिम का सफ़र करने वाले जुल्फरनैन के वाकिए का भी विस्तृत बयान आ गया, और रूह के सवाल का जवाब भी। (क़र्तुबी व मजहरी, इब्ने जरीर के हवाले से)

मगर रूह के सवाल का जवाब संक्षिप्त रूप से देना हिक्मत का तफ़ाज़ था इसको सूर: बनी इस्राईल के आखिर में अलग से बयान कर दिया गया और इसी सबब से सूर: कहफ को सूर: बनी इस्राईल के बाद रखा गया है, जैसा कि इमाम सुयूती ने बयान किया है।

खुलासा-ए-तफ़सीर

तमाम ख़ूबियाँ उस अल्लाह के लिये साबित हैं जिसने अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर यह किताब नाजिल फ़रमाई, और इस (किताब) में (किसी किस्म की) ज़रा भी टेढ़ नहीं रखी (न लफ़्ज़ी कि साहित्य और कलाम की ख़ूबियों के खिलाफ़ हो और न मानवी कि इसका कोई हुक्म हिक्मत के खिलाफ़ हो, बल्कि इसको) बिल्कुल इस्तिस्नात "यानी मज़बूती" वाला बनाया (और नाजिल इसलिये किया) ताकि वह (किताब काफ़िरों की उम्मन) एक सज़ा अज़ाब से जो कि अल्लाह की तरफ़ से (उनको आखिरत में होगा) डराये। और उन ईमान वालों को जो नेक काम करते हैं यह खुशख़बरी दे कि उनको (आखिरत में) अच्छा अज़्र मिलेगा, जिसमें वे हमेशा रहेंगे। और ताकि (काफ़िरों में से विशेष तौर पर) उन लोगों को (अज़ाब से) डराये जो यूँ कहते हैं (नऊज़ु बिल्लाह) कि अल्लाह तआला औलाद रखता है (और औलाद का अक्दीदा रखने वाले काफ़िरों का आम काफ़िरों से अलग करके इसलिये बयान किया गया कि इस बातिल अक्दीदे में अरब के आम लोग मुशिरक, यहूदी, ईसाई सब हीन्धुबूला और फ़रो हुए थे)।

न तो इसकी कोई दलील उनके पास है और न उनके बाप-दादाओं के पास थी। बड़ी भारी बात है जो उनके मुँह से निकलती है। (और) वे लोग बिल्कुल (ही) झूठ बकते हैं (जो अक्ली तौर पर भी नामुम्किन है, कोई मामूली अक्ल रखने वाला भी इसका कायल नहीं हो सकता, और आप जो उन लोगों के कुफ़ व दुश्मनी पर इतना ग़म करते हैं) सो शायद आप उनके पीछे अगर ये लोग इस (क़ुरआनी) मज़मून पर ईमान न लाये तो ग़म से अपनी जान दे देंगे (यानी इतना ग़म न करें कि हताकत के करीब कर दें, वजह यह है कि दुनिया आजमाईश का जहान है इस

में इंगान व कुफ़्र और अच्छाई बुराई दोनों का मजमूआ ही रहेगा, सभी मोमिन हो जायेंगे ऐसा न होगा, इसी इम्तिहान के लिये) हमने ज़मीन पर की चीज़ों को इस (ज़मीन) के लिये रौनक का सबब बनाया, ताकि हम (इसके ज़रिये) लोगों की आजमाईश करें कि उनमें से ज्यादा अच्छा अमल कौन करता है (यह इम्तिहान करना है कि कौन इस दुनिया की चमक-दमक और रौनक पर फ़िदा होकर अल्लाह तआला से और आख़िरत से गाफ़िल हो जाता है और कौन नहीं। गर्ज यह कि यह इम्तिहान व आजमाईश का जहान है कुदरती तौर पर इसमें कोई मोमिन होगा कोई काफ़िर रहेगा, फिर गुम बेकार है, आप अपना काम किये जाइये और उनके कुफ़्र का नतीजा दुनिया ही में जाहिर हो जाने का इन्तिज़ार न कीजिये, क्योंकि वह हमारा काम है एक निर्धारित वक़्त पर होगा। चुनाँचे एक दिन वह आयेगा कि) हम इस ज़मीन पर की तमाम चीज़ों को एक साफ़ मैदान कर देंगे (न इस पर कोई बसने वाला होगा न कोई पेड़ और पहाड़ और न कोई मकान व तामीर, खुलासा यह है कि आप अपना तब्लीग़ का काम करते रहिये, इनकार करने वालों के बुरे अन्जाम का इतना गुम न कीजिये)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا.

लफ़ज़ अ़िबज के मायने किसी किस्म की कजी (टेढ़, कमी, नुक़्स) और एक तरफ़ झुकाव के हैं। कुरआने करीम अपने लफ़ज़ी और मानवी कमाल में इससे पाक है। न कलाम की उम्दगी और आला मेयार का होने के लिहाज़ से किसी जगह ज़रा बराबर कमी या कजी हो सकती है न इल्म व हिक्मत के लिहाज़ से। जो मफ़हूम लफ़ज़:

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا

से एक नफ़ी के अन्दाज़ में बतलाया गया है फिर ताकीद के लिये इसी मज़मून को साबित करने के तौर पर क़य्यिमन से स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि क़य्यिमन के मायने हैं मुस्तक़ीमन, और मुस्तक़ीम वही है जिसमें कोई मामूली-सी कजी (टेढ़) और झुकाव किसी तरफ़ न हो। और यहाँ क़य्यिम के एक दूसरे मायने भी हो सकते हैं यानी निगराँ और मुहाफ़िज़। इस मायने के लिहाज़ से इस लफ़ज़ का मफ़हूम यह होगा कि कुरआने करीम^{...} जैसे अपनी ज़ात में कामिल मुकम्मल हर किस्म की कंज़ी और कमी-बेशी से पाक है इसी तरह यह दूसरों को भी सही राह पर कायम रखने वाला और बन्दों की तमाम मस्तेहतों की हिफ़ाज़त करने वाला है। अब खुलासा इन दोनों लफ़ज़ों का यह हो जायेगा कि कुरआने करीम खुद भी कामिल व मुकम्मल है और अल्लाह की मख़्लूक को भी कामिल व मुकम्मल बनाने वाला है। (तफ़सीरे मज़हरी)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا.

यानी ज़मीन पर जो मख़्लूक़ात- जानदार, पेड़-पौधे, बेजान चीज़ें और ज़मीन के अन्दर

विभिन्न चीजों की खानें मौजूद हैं वे सब ज़मीन के लिये जीनत और रौनक बनाई गई हैं। इस पर यह शुद्धा न किया जाये कि ज़मीनो फल्लूक़ात में तो साँप, बिच्छू, दरिन्दे जानवर और बहुत सी नुकसान देने वाली और घातक चीज़ें भी हैं उनको ज़मीन की जीनत और रौनक कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी चीज़ें दुनिया में नुकसानदेह, घातक और ख़राब समझती जाती हैं वे एक एतेबार से बेशक ख़राब हैं मगर इस ज़हान के पज़मूए के लिहाज़ से कोई चीज़ ख़राब नहीं, क्योंकि हर बुरी से बुरी चीज़ में दूसरी हैसियतों से बहुत-से फ़ायदे भी अस्लाह तउग़ला ने रखे हैं। क्या ज़हरीले जानवरों और दरिन्दों से हज़ारों इन्सानी ज़रूरतें इलाज व चिकित्सा वग़ैरह में पूरी नहीं की जाती? इसलिये जो चीज़ें किसी एक हैसियत से बुरी भी हैं लेकिन दुनिया के इस भजमूई कारख़ाने के लिहाज़ से वो भी बुरी नहीं, किसी ने ख़ूब कहा है:

नहीं है चीज़ निकम्पी कोई ज़माने में ☆ कोई बुरा नहीं कुदरत के कारख़ाने में

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيعِ كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا ۝ إِذْ أَوْسَى

الْفَتِيَّةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رِزْقًا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِنَا لَبِثًا ۝ أَصْدًا ۝

जम् हसिब-त अन्-न अस्हाबल्-कस्फि
वरकीमि कानू मिन् आयातिना
अ-जबा (9) इज़् अवल्-फिल्यतु
इलल्-कस्फि फकालू रब्बना आतिना
मिल्लदुन्-क रहम-तव्-व हय्यिज्
लना मिन् अमिरना र-शदा (10)
फ-ज़ रब्ना अला आजानिहिम्
फिल्-कस्फि सिनी-न अ-ददा (11)
सुम्-म बअसनाहुम् लि-नज़ल्-म
अय्युहल्-हिज़् बैनि अहसा लिमा
लबिसू अ-मदा (12) ❀

क्या तू ख़याल करता है कि ग़ार और
खोह के रहने वाले हमारी कुदरतों में
अज़ब अम्रमा थे। (9) जब जा बैठे वे
जवान पहाड़ की खोह में फिर बोले ऐ
रब! हमको दे अपने पास से बरिश्शाश
और पूरी कर दे हमारे काम की दुरुस्ती।
(10) फिर थपक दिये हमने उनके कान
उस खोह में चन्द बरस गिनती के। (11)
फिर हमने उनको उठाया कि मालूम करें
वो फ़िक्रों में किसने याद रखी है जितनी
मुद्दत वे रहे। (12) ❀

लुगात की वजाहत

कहफ़— पहाड़ी गुफा जो लम्बी-चौड़ी हो उसको कहफ़ कहते हैं, जो लम्बी-चौड़ी न हो उसको ग़ार कहा जाता है। रकीम लफ़्ज़ी एतिबार से मरकूम के मायने में है यानी लिखी हुई चीज़। इस मक़ाम पर इससे क्या मुराद है इसमें मुफ़स्सिरीन के अक़वाल भिन्न और अलग-अलग हैं। इमाम ज़हहाक, सुददी और इब्ने जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इसके मायने एक लिखी हुई तख़्ती के क़रार देते हैं जिस पर उस वक़्त के बादशाह ने अस्हाब-ए-कहफ़ के नाम खुदवाकर ग़ार के दरवाज़े पर लगा दिया था, इसी वजह से अस्हाब-ए-कहफ़ को अस्हाबुरकीम भी कहा जाता है। क़तादा, अतीया, औफ़ी और मुजाहिद का कौल यह है कि रकीम उस पहाड़ के नीचे की वादी का नाम है जिसमें अस्हाब-ए-कहफ़ का ग़ार था। कुछ हज़रत ने खुद उस पहाड़ को रकीम कहा है। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास से यह कहते हुए सुना है कि मुझे मालूम नहीं कि रकीम किसी लिखी हुई तख़्ती का नाम है या किसी बस्ती का। क़अबे अहबार और वहब बिन मुनब्बेह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह रिवायत नक़ल करते हैं कि रकीम, ऐलाफ़ यानी अक़बा के करीब एक शहर का नाम है जो मुल्क रूम में स्थित है।

फ़ित्थतुन फ़ता की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं नौजवान। 'फ़ज़रब्ना अला आज़ानिहिम' के लफ़्ज़ी मायने कानों को बन्द कर देने के हैं, ग़फ़लत की नींद को इन अलफ़ाज़ से ताबीर किया जाता है, क्योंकि नींद के वक़्त सबसे पहले आँख बन्द होती है, मगर कान अपना काम करते रहते हैं, आवाज़ सुनाई देती है। जब नींद पूरी तरह मुसल्लत हो जाती है तो कान भी अपना काम छोड़ देते हैं और फिर जागने में सबसे पहले कान अपना काम शुरू करते हैं कि आवाज़ से सोने वाला चौंकता है फिर जागता है।

खुलासा-ए-तफ़सीर

क्या आप यह ख़्याल करते हैं कि ग़ार (खोह) वाले और पहाड़ वाले (ये दोनों एक ही जमाअत के लक़ब हैं) हमारी (कुदरत की) अजीब चीज़ों में से कुछ ताज्जुब की चीज़ थे (जैसा कि यहूदियों ने कहा था कि उनका वाकिआ अजीब है या खुद ही सवाल करने वाले कुरैश के काफ़िरो ने इसको अजीब समझकर सवाल किया था। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुखातब बनाकर दूसरों को सुनाना मक़सूद है कि यह वाकिआ भी अगरचे अजीब जरूर है मगर अल्लाह तआला की कुदरत की अजीब चीज़ों के मुक़ाबले में ऐसा काबिले ताज्जुब भी नहीं जैसा उन लोगों ने समझा है। क्योंकि ज़मीन व आसमान, चाँद सूरज और ज़मीन की तमाम कायनात को अदम से वजूद में लाना असल अजीब चीज़ों में से है। चन्द नौजवानों का लम्बी मुद्दत तक सोते रहना फिर जाग जाना इसके मुक़ाबले में कुछ अजीब नहीं। इस प्रारंभिका और भूमिका के बाद अस्हाब-ए-कहफ़ का किस्सा इस तरह बयान फ़रमाया और) वह वक़्त ज़िक्र

के काबिल है जबकि उन नौजवानों ने (एक बेदीन बादशाह की पकड़ से भागकर) उस ग़ार में (जिसका किस्सा आगे आता है) जाकर पनाह ली, फिर (अल्लाह तआला से इस तरह हुआ भाँगी कि) कहा कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको अपने पास से रहमत का सामान अता फ़रमाइये, और हमारे (इस) काम में दुरुस्ती का सामान मुहैया कर दीजिये (ग़ालिबन रहमत से मुराद उद्देश्य का हासिल होना है और दुरुस्ती के सामान से मुराद वो असबाब और बुनियादी चीज़ें हैं जो मक़सद के हासिल करने के लिये आदतन ज़रूरी होती हैं। अल्लाह तआला ने उनकी दुआ को क़बूल फ़रमाया और उनकी हिफ़ाज़त और तमाम परेशानियों से निजात देने की सूरत इस तरह बयान फ़रमाई कि) सी हमने उस ग़ार में उनके कानों पर सालों तक नींद का पर्दा डाल दिया। फिर हमने उनको (नींद से) उठाया ताकि हम (जाहिरी तौर पर भी) मालूम कर लें कि (ग़ार में रहने की मुद्दत में बहस व झगड़ा करने वालों में से) कौनसा गिरोह उनके रहने की मुद्दत का ज़्यादा जानकार था (नींद से जागने के बाद उनमें एक गिरोह का कौल तो यह था कि हम पूरा दिन या कुछ हिस्सा एक दिन का सोये हैं, दूसरे गिरोह ने कहा कि अल्लाह ही जानता है कि तुम कितने दिन सोते रहे। आयत में इशारा इसी तरफ़ है कि यह दूसरा गिरोह ही ज़्यादा हकीकत को पहचानने वाला था जिसने मुद्दत के निर्धारण को अल्लाह के हवाले किया क्योंकि इसकी कोई दलील न थी)।

मअरिफ़ व मसाईल

अस्हाब-ए-कहफ़ और रकीम वालों का किस्सा

इस किस्से में चन्द बातें गौर करने और तहकीक करने वाली हैं— अब्बल यह कि अस्हाब-ए-कहफ़ व अस्हाब-ए-रकीम एक ही जमाअत के दो नाम हैं या ये अलग-अलग दो जमाअतें हैं। अगरचे किसी सही हदीस में इसकी कोई स्पष्टता नहीं मगर इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब 'साही' में अस्हाब-ए-कहफ़ और अस्हाब-ए-रकीम दो उनवान अलग-अलग दिये फिर अस्हाब-ए-रकीम के तहत वह मशहूर किस्सा तीन शख्सों के ग़ार में बन्द हो जाने फिर दुआओं के ज़रिये रास्ता खुल जाने का जिक्र किया है जो हदीस की तमाम किताबों में तफ़्सील से मौजूद है। इमाम बुख़ारी के इस अमल से यह समझा जाता है कि उनके नज़दीक अस्हाबे कहफ़ एक जमाअत है और अस्हाबे रकीम उन तीन शख्सों को कहा गया है जो किसी ज़माने में ग़ार (खोह) में छुपे थे, फिर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर उस ग़ार के दहाने पर आकर गिरा जिससे ग़ार बिल्कुल बन्द हो गया, उनके निकलने का रास्ता न रहा। उन तीनों ने अपने-अपने खास नेक आमाल का वास्ता देकर अल्लाह तआला से दुआ की कि यह काम अगर हमने आपकी रज़ा के लिये किया था तो अपने फज़ल से हमारा रास्ता खोल दीजिये। पहले शख्स की दुआ से पत्थर कुछ सरक गया रोशनी आने लगी, दूसरे की दुआ से और ज़्यादा सरका, फिर तीसरे की दुआ से रास्ता बिल्कुल खुल गया।

लेकिन हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने शरह बुखारी में यह वाज़ेह किया है कि हदीस की रिवायत के एतिबार से इसकी कोई स्पष्ट दलील नहीं है कि अस्हाबे रक़ीम उक्त तीन शख्सों का नाम है, बात सिर्फ़ इतनी है कि खोह वाले वाक़िए के एक रावी हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में कुछ रावियों ने यह इज़ाफ़ा नक़ल किया है कि हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रक़ीम का ज़िक्र करते हुए सुना, आप ग़ार में बन्द रह जाने वाले तीन आदमियों का वाक़िआ सुना रहे थे, यह इज़ाफ़ा किताब फ़तहुल-बारी में बज़्ज़ार और तिबरानी की रिवायत से नक़ल किया है। मगर अब्बल तो इस हदीस के आम रावियों की रिवायतें जो सिहाह-ए-सित्ता (हदीस की छह बड़ी और मशहूर किताबों) और हदीस की दूसरी किताबों में तफ़सील के साथ मौजूद हैं उनमें किसी ने हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु का यह जुमला नक़ल नहीं किया, खुद बुखारी की रिवायत भी इस जुमले से ख़ाली है। फिर इस जुमले में भी इसकी वज़ाहत नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ग़ार में बन्द रह जाने वाले उन तीनों शख्सों को अस्हाब-ए-रक़ीम फ़रमाया था बल्कि अलफ़ाज़ ये हैं कि आप रक़ीम का ज़िक्र फ़रमा रहे थे उसी के तहत में इन तीन शख्सों का ज़िक्र फ़रमाया।

लफ़ज़ रक़ीम से क्या मुराद है इसके बारे में सहाबा व ताबिईन और आम मुफ़स्सरीन में जो अक़वाल की भिन्नता और मतभेद ऊपर नक़ल किया गया है वह खुद इसकी दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रक़ीम की कोई मुराद मुतैयन और तय करने के बारे में हदीस की कोई रिवायत नहीं थी, वरना कैसे मुम्किन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक लफ़ज़ की मुराद खुद मुतैयन फ़रमा दें फिर सहाबा व ताबिईन और दूसरे मुफ़स्सरीन उसके खिलाफ़ कोई कौल इख़्तियार करें। इसी लिये हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने अस्हाबे कहफ़ व रक़ीम के दो अलग-अलग जमाअतों होने से इनकार फ़रमाया और सही यह क़रार दिया कि ये दोनों एक ही जमाअत के नाम हैं, ग़ार में बन्द रह जाने वाले तीनों शख्सों का ज़िक्र रक़ीम के ज़िक्र के साथ आ गया हो इससे यह लाज़िम नहीं आता कि यही तीन शख्स अस्हाबे रक़ीम थे।

हाफिज़ इब्ने हजर ने इस जगह यह भी स्पष्ट कर दिया कि क़ुरआन ने जो किस्सा अस्हाबे कहफ़ का बयान किया है उसका मज़मून खुद यह बतला रहा है कि अस्हाबे कहफ़ व रक़ीम एक ही जमाअत है, यही वज़ह है कि मुफ़स्सरीन और मुहद्दीसीन की अक्सरियत और बड़ी संख्या इन दोनों के एक ही होने पर सहमत हैं।

दूसरा मसला इस जगह खुद इस किस्से की तफ़सीलात का है जिसके दो हिस्से हैं— एक वह जो इस किस्से की रूह और असल मक़सद है, जिससे यहूदियों के सवाल का जवाब भी हो जाता है और मुसलमानों के लिये हिदायतें और नसीहतें भी। दूसरा हिस्सा वह है जिसका ताल्लुक इस किस्से की सिर्फ़ ऐतिहासिक और भूगोलिक हैसियत से है, मक़सद के बयान करने में उसका कोई

खास दखल नहीं, जैसे यह किस्सा किस ज़माने में और किस शहर और वस्ती में पेश आया, जिस काफ़िर बादशाह से भागकर उन लोगों ने ग़ार में पनाह ली थी वह कौन था? उसके क्या अक़ीदे व ख़्यालात थे? और उसने इन लोगों के साथ क्या मामला किया जिससे ये भागने और ग़ार में छुपने पर मजबूर हो गये? फिर यह कि उन लोगों की संख्या कितनी थी और लम्बे ज़माने तक सोते रहने का कुल ज़माना कितना था? और फिर ये लोग अब तक ज़िन्दा हैं या मर गये?

क़ुरआने करीम ने अपने हकीमाना उसूल और खास अन्दाज़ के तहत सारे क़ुरआन में एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के सिवा किसी किस्से को पूरी तफ़्सील और तरतीब से बयान नहीं किया, जो आम तारीख़ी किताबों का तरीका है, बल्कि हर किस्से के सिर्फ़ वो हिस्से मौके मौके पर बयान फ़रमाये हैं जिनसे इनसानी हिदायतों और तालीमात का ताल्लुक़ था (यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को इस अन्दाज़ व तरीके से अलग रखने की वजह सूर: यूसुफ़ की तफ़्सीर में गुज़र चुकी है)।

अस्थाब-ए-कहफ़ के किस्से में भी यही तरीका इख़्तियार किया गया है कि क़ुरआन में इसके सिर्फ़ वो हिस्से बयान किये गये जो असली मकसूद से संबन्धित थे बाकी हिस्से जो ख़ालिस ऐतिहासिक और भूगोलिक थे उनका कोई ज़िक्र नहीं फ़रमाया। अस्थाब-ए-कहफ़ की संख्या और सोने के ज़माने की मुद्दत के सवालालत का ज़िक्र तो फ़रमाया और जवाब की तरफ़ इशारा भी फ़रमाया मगर साथ ही यह भी हिदायत कर दी कि ऐसे मसाईल में ज़्यादा ग़ौर व फ़िक्र और बहस व तक़रार मुनासिब नहीं, उनको खुदा तआला के हवाले करना चाहिये।

यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिनका फ़र्जे-मन्सबी क़ुरआने के मायने बयान करना है, आपने भी किसी हदीस में किस्से के उन हिस्सों को बयान नहीं फ़रमाया और बड़े सहाबा व ताबिईन ने इसी क़ुरआनी अन्दाज़ की बिना पर ऐसे मामलात में काम का यही उसूल क़रार दिया कि:

أَيُّهُمُ أَمَّا أَبْهَمَةُ اللَّهِ. (اتفان، سيوطي)

“यानी जिस ग़ैर-ज़रूरी चीज़ को अल्लाह तआला ने अस्पष्ट रखा तुम भी उसे अस्पष्ट रहने दो (कि उसमें बहस व तहकीक़ और छानबीन कुछ मुफ़ीद नहीं)।”

सहाबा व ताबिईन के बड़े हज़रत के इस अमल और तरीके का तफ़्सीर तो यह था कि इस तफ़्सीर में भी किस्से के उन हिस्सों को नज़र-अन्दाज़ कर दिया जाये जिनको क़ुरआन और हदीस ने नज़र-अन्दाज़ किया है, लेकिन यह ज़माना वह है जिसमें तारीख़ी और भूगोलिक चीज़ों की छानबीन और नई-नई चीज़ें सामने लाने ही को सबसे बड़ा क़माल समझ लिया गया है, और बाद के उलेमा-ए-तफ़्सीर ने इसी लिये कम-ज्यादा उन हिस्सों को भी बयान फ़रमा दिया है इसलिये इस तफ़्सीर में किस्से के वो हिस्से जो खुद क़ुरआन में बयान हुए हैं उनका बयान तो क़ुरआन की आयत की तफ़्सीर के तहत आ जायेगा बाकी किस्से के तारीख़ी और भूगोलिक अंशों (हिस्सों) को यहाँ ज़रूरत के मुताबिक़ बयान किया जाता है, और बयान करने के बाद भी

आखिरी नतीजा वही रहेगा कि इन मामलात में कोई निश्चित और आखिरी फैसला नामुम्किन है क्योंकि इस्लामी और फिर ईसाई तारीखों में इसके बारे में जो कुछ लिखा गया है वह खुद इस कदर भिन्न और अलग है कि एक मुसन्निफ़ (लेखक) अपनी तहकीक़ व राय को सामने रखकर इशारात और बुनियादी चीज़ों की मदद से किसी एक चीज़ को मुतय्यन करता है तो दूसरा उसी तरह दूसरी सूरत को तरजीह देता है।

दीन की हिफ़ाज़त के लिये ग़ारों में पनाह लेने वालों के वाकिआत विभिन्न शहरों और ख़ित्तों में अनेक हुए हैं

इतिहास के जानकारों के मतभेद की एक बड़ी वजह यह भी है कि ईसाई दीन में चूँकि रहबानियत (दुनिया और सामाजिक ज़िन्दगी से किनारा करने) को दीन का सबसे बड़ा काम समझ लिया गया था, तो हर ख़ित्ते और हर मुल्क में ऐसे अनेक वाकिआत पेश आये हैं कि कुछ लोग अल्लाह तआला की इबादत के लिये ग़ारों में पनाह लेने वाले हो गये, वहीं उम्रें गुज़ार दीं। अब जहाँ-जहाँ ऐसा कोई वाकिआ पेश आया है उस पर इतिहासकार को अस्हाब-ए-कहफ़ का गुमान हो जाना कुछ बर्इद नहीं था।

अस्हाब-ए-कहफ़ की जगह और उनका ज़माना

इमामे तफ़सीर कुर्तुबी उन्दुलुसी ने अपनी तफ़सीर में इस जगह चन्द वाकिआत कुछ दूसरों से सुने हुए और कुछ अपनी आँखों देखे नक़ल किये हैं, जो विभिन्न शहरों से संबन्धित हैं। इमाम कुर्तुबी ने सबसे पहले तो इमाम ज़ह्हाक की रिवायत से यह नक़ल किया है कि रकीम रूम के एक शहर का नाम है जिसके एक ग़ार में इक्कीस आदमी लेटे हुए हैं, ऐसा मालूम होता है कि सो रहे हैं, फिर इमामे तफ़सीर इब्ने अतीया से नक़ल किया है कि मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि शाम में एक ग़ार (खोह) है जिसमें कुछ मुर्दा लाशें हैं, वहाँ के मुजाविर लोग यह कहते हैं कि यही लोग अस्हाब-ए-कहफ़ हैं, और उस ग़ार के पास एक मस्जिद और मकान की तामीर है जिसको रकीम कहा जाता है और उन मुर्दा लाशों के साथ एक मुर्दा कुत्ते का ढाँचा भी मौजूद है।

और दूसरा वाकिआ उन्दुलुस ग़रनाता का नक़ल किया है, इब्ने अतीया कहते हैं कि ग़रनाता में एक लोशा-नाम के गाँव के करीब एक ग़ार (गुफ़ा) है जिसमें कुछ मुर्दा लाशें हैं और उनके साथ एक मुर्दा कुत्ते का ढाँचा भी मौजूद है, उनमें से अक्सर लाशों पर गोश्त बाकी नहीं रहा, सिर्फ़ हड्डियों के ढाँचे हैं और कुछ पर अब तक गोश्त पोस्त भी मौजूद है। उन पर सदियाँ गुज़र गई मगर सही सनद से उनका कुछ हाल मालूम नहीं, कुछ लोग यह कहते हैं कि यही अस्हाबे कहफ़ हैं। इब्ने अतीया कहते हैं कि यह ख़बर सुनकर मैं खुद सन् 504 हिजरी में वहाँ पहुँचा तो वाकई लाशें उसी हालत पर पाई और उनके करीब ही एक मस्जिद भी है और एक रूमी ज़माने

की तफ़सीर भी है जिसको रकीम कहा जाता है। ऐसा मालूम होता है कि पुराने ज़माने में कोई आलीशान महल होगा, इस वक़्त भी उसकी कई दीवारें मौजूद हैं, और यह एक ग़ैर-आबाद जंगल में है। और फ़रमाया कि ग़रनाता के ऊपरी हिस्से में एक पुराने शहर के आसार व निशानात पाये जाते हैं जो रूमियों के अन्दाज़ के हैं, उस शहर का नाम दक्कूस बतलाया जाता है, हमने उसके खण्डरों में बहुत सी अजीब चीज़ें और कब्रें देखी हैं। इमाम कुर्तुबी जो उन्दुलुस ही के रहने वाले हैं इन तमाम बाकिआत को नक़ल करने के बाद भी किसी को मुतययन तौर पर अस्ताबे कहफ़ कहने से ग़ुरज़ करते हैं और खुद इब्ने अतीया ने भी अपने देखने के बावजूद यह निश्चित तौर पर नहीं कहा कि यही लोग अस्ताबे कहफ़ हैं, महज़ आम शोहरत नक़ल की है मगर दूसरे उन्दुलुसी मुफ़रिसर अबू हय्यान जो सातवीं सदी सन् 654 हिजरी में ख़ास ग़रनाता में पैदा हुए वहीं रहे, बसे हैं, वह भी अपनी तफ़सीर बहरे-मुहीत में ग़रनाता के उस ग़ार का उसी तरह ज़िक्र करते हैं जिस तरह कुर्तुबी ने किया है। और इब्ने अतीया के अपने देखने और अनुभव का ज़िक्र लिखने के बाद लिखते हैं कि हम जब उन्दुलुस में थे (यानी काहिरा मुन्तक़िल होने से पहले) तो बहुत लोग उस ग़ार की ज़ियारत के लिये जाया करते थे और यह कहते थे कि अगरचे वो लार्शें अब तक वहाँ मौजूद हैं और ज़ियारत करने वाले उनको गिनते भी हैं मगर हमेशा उनकी संख्या बताने में ग़लती करते हैं। फिर फ़रमाया कि इब्ने अतीया ने जिस शहर दक्कूस का ज़िक्र किया है जो ग़रनाता की क़िब्ले की दिशा में स्थित है तो उस शहर से मैं खुद बेशुमार मर्तबा गुज़रा हूँ और उसमें बड़े-बड़े ग़ैर-मामूली पत्थर देखे हैं। इसके बाद कहते हैं:

ویرجع کون اهل الکھف بالاندلس لکثرة دین الصاری بها حتی هی بلاد مملکتهم العظمی

(تفسیر زحیّد ص 102-103)

“यानी अस्ताब-ए-कहफ़ के उन्दुलुस में होने की तरज़ीह के लिये यह भी इशारा है कि वहाँ ईसाईयत का ग़लबा है, यहाँ तक कि यही ख़िल्ला उनकी सबसे बड़ी मज़हबी मिलिकयत है।”

इसमें यह बात स्पष्ट है कि अबू हय्यान के नज़दीक अस्ताबे कहफ़ का उन्दुलुस में होना वरीयता प्राप्त है। (तफ़सीर कुर्तुबी पेज 356, 357 जिल्द 9)

तफ़सीर के इमाम इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने औफ़ी की रिवायत से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि रकीम एक वार्दी-का-नाम है जो फ़िलिस्तीन से नीचे ऐला (अकबा) के करीब है, और इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम और चन्द दूसरे मुहद्दिसीन ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह नक़ल किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि “मैं नहीं जानता कि रकीम क्या है, लेकिन मैंने कअबे अहबार से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि रकीम उस बस्ती का नाम है जिसमें अस्ताबे कहफ़ ग़ार में जाने से पहले रहते थे।”

(तफ़सीर रुहुल-मआनी)

इब्ने अबी शैबा, इब्ने मुन्ज़िर और इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि यह फ़रमाते हैं कि हमने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु

अन्हु के साथ रूमियों के मुकाबले में एक जिहाद किया जिसको ग़ज़वा-ए-मुजीक कहते हैं, उस मौके पर हमारा गुज़र उस ग़ार (गुफ़ा) पर हुआ जिसमें अस्हाबे कहफ़ हैं जिनका जिक्र अल्लाह तआला ने कुरआन में फ़रमाया है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरादा किया कि ग़ार के अन्दर जायें और अस्हाब-ए-कहफ़ की लाशों को देखें मगर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि ऐसा नहीं करना चाहिये, क्योंकि अल्लाह तआला ने उनको देखने से उस हस्ती को भी मना कर दिया है जो आप से बेहतर थी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, क्योंकि हक़ तआला ने कुरआन में फ़रमाया है:

لَوَاطَعَتْ عَلَيْهِمْ تَوَلَّيْتُمْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَاتٍ مِنْهُمْ رِجَاءًا

(यानी अगर आप उनको देखें तो आप उनसे भागेंगे और रौब व दहशत से मग़लूब हो जायेंगे) मगर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास की इस बात को शायद इसलिये कुबूल नहीं किया कि कुरआने करीम ने उनकी जो हालत बयान की है यह वह है जो उनकी जिन्दगी के वक़्त थी, यह क्या ज़रूरी है कि अब भी वही हालत ही इसलिये कुछ आदमियों को देखने के लिये भेजा, वे ग़ार पर पहुँचे मगर जब ग़ार में दाख़िल होना चाहा तो अल्लाह तआला ने उन पर एक सख़्त हवा भेज दी जिसने उन सब को ग़ार से निकाल दिया।

(रुहूल-मआनी पेज 227 जिल्द 15)

ऊपर बयान हुई रिवायतों और किस्सों से इतनी बात साबित हुई कि मुफ़स्सरीन हज़रात में से जिन हज़रात ने अस्हाबे कहफ़ के ग़ार की जगह का पता दिया है उनके अक़वाल तीन जगहों का पता देते हैं— एक फ़ारस की छाड़ी के किनारे अक़बा (ऐला) के करीब, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की अधिकतर रिवायतें इसी की ताईद में हैं, जैसा कि ऊपर बयान हुई रिवायतों में गुज़र चुका है।

इब्ने अतीया के देखने और अबू हय्यान की ताईद से यह ज़्यादा सही मालूम होता है कि यह ग़ार ग़रनाता उन्दुलुस में है, इन दोनों जगहों में से अक़बा में एक शहर या किसी ख़ास इमारत का नाम रक़ीम होना भी बतलाया गया है। इसी तरह ग़रनाता में ग़ार के करीब अज़ीमुशशान दूटी-फूटी इमारत का नाम रक़ीम बतलाया गया है और दोनों किस्म की रिवायतों में किसी ने भी इसका निश्चित फैसला और पक्का भरोसा नहीं किया कि यही ग़ार अस्हाबे कहफ़ का ग़ार है बल्कि दोनों किस्म की रिवायतों का मदार स्थानीय शहरत और सुनी हुई रिवायतों पर है और तक़रीबन तयाम तफ़सीरें— कुतुबी, अबू हय्यान, इब्ने ज़रीर वगैरह की रिवायतों में अस्हाबे कहफ़ जिस शहर में रहते थे उसका पुराना नाम अफ़सोस और इस्लामी नाम तरसूस बतलाया गया है, इस शहर का एशिया-ए-कोचक के पश्चिमी किनारे पर होना इतिहास लेखकों के नज़दीक मुसल्लम है, इससे मालूम होता है कि यह ग़ार भी एशिया-ए-कोचक में है, इसलिये किसी एक को कतई और निश्चित तौर पर सही और बाकी को ग़लत कहने की कोई दलील नहीं, संभावना और संदेह तीनों जगह का हो सकता है बल्कि इस संभावना की भी कोई नफ़ी नहीं कर सकता

कि इन शहरों के वाकिफ़ात नहो होने के बावजूद भी ये जग अस्तावे कहफ़ के गार न हो जिनका जिक्र कुरआन करीम में आया है, वह और किसी जगह हो, और यह भी जरूरी नहीं कि रक़ीम उस जगह किसी शहर या इमारत ही का नाम हो बल्कि इस संभावना की भी नफ़ी नहीं की जा सकती कि रक़ीम से मुराद वह लिखित पतरा या पत्थर हो जिस पर अस्तावे कहफ़ के नाम खोदकर गार के दहाने पर किसी बादशाह ने लगा दिया था।

नये इतिहासकारों की तहकीक

मौजूदा ज़माने के कुछ तारीख़ लिखने वालों और उलेमा ने ईसाई तारीख़ों और यूरोप वालों के इतिहास की मदद से अस्तावे कहफ़ के गार, जगह और ज़माना मुतयन करने के लिये काफी बहस व तहकीक और खोजबीन की है।

अबुल-कलाम साहिब आज़ाद ने ऐला (अक़बा) के करीब मौजूदा शहर टपरा जिसको अरब के इतिहास लेखक बतरा लिखते हैं, उसको पुराना शहर रक़ीम करार दिया है और मौजूदा तारीख़ों से इसके करीब पहाड़ में एक गार के निशानात भी बतलाये हैं जिसके साथ किसी मस्जिद की तामीर के निशानात भी बतलाये जाते हैं। इसके सुबूत में लिखा है कि थाईबल की किताब यशू (बाब 18 आयत 27) में जिस जगह को रक़ीम या राक़िम कहा है यह वही मक़ाम है जिसको अब टपरा कहा जाता है। मगर इस पर यह शुब्हा किया गया है कि किताब यशू में जो रक़ीम या राक़िम का जिक्र घरी बिन-यमीन की औलाद की पीरास के सिलसिले में आया है और यह इलाका उर्दुन के दरिया के और बहरे-लूत के पश्चिम में स्थित था जिसमें शहर टपरा के होने की कोई संभावना नहीं, इसलिये इस ज़माने के पुरातत्व विभाग के तहकीक करने वालों ने इस बात के मानने में सख़्त संकोच किया है कि टपरा और राक़िम एक चीज़ हैं। (इन्साईक्लू पीडिया बरटानिका, प्रकाशित सन् 1946 ई. जिल्द 17 पेज 658)

और आम मुफ़सिरीन ने अस्तावे कहफ़ की जगह शहर अफ़सोस को करार दिया है जो एशिया-ए-कौचक के पश्चिमी किनारे पर रूम वालों का सबसे बड़ा शहर था जिसके खंडर अब भी मौजूदा तुर्की के शहर अज़मीर (समरना) से 20-25 मील दक्षिण की ओर पाये जाते हैं।

हज़रत मौलाना सैयद सुलैमान साहिब नदवी रह. ने भी अपनी किताब अरज़ुल-कुरआन में शहर टपरा का जिक्र करते हुए ब्रेकिट में (रक़ीम) लिखा है मगर इतकी कोई गवाही पेश नहीं की कि शहर टपरा का पुराना नाम रक़ीम था। मौलाना हिफ़ज़ुर्रहमान सेवहारवी ने अपनी किताब कससुल-कुरआन में इसी को इख़्तियार फ़रमाया और इसके सुबूत में तौरात सफ़र अदद और सहीफ़ा सअ्या के हवाले से शहर टपरा का नाम राक़िमा बयान किया है। (सायरतुल-मआरिफ़ अरब)

उर्दुन देश में अम्पान के करीब एक सुनसान जंगल में एक गार का पत्ता लगा तो हुक्ूमत के पुरातत्व विभाग ने सन् 1965 ई. में उस जगह ख़ुदाई का काम जारी किया तो उसमें भिट्टी और पत्थरों के हदाने के बाद हड्डियों और पत्थरों से भरे हुए छह ताबूत और दो कब्रें बरामद हुईं, गार

की दक्षिणी दिशा में पत्थरों पर कुछ नुक्रुश भी उपे हुए निकले जो बङ्गालीनी भाषा में हैं, यहाँ के लोगों का ख्याल यह है कि यही जगह रकीम है, जिसके पास अस्ताबे कहफ का यह गार है।
 वल्लाहु आलम।

हजरत सय्यिदी हकीमुल-उम्मत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी तफसीर बयानुल-कुरआन में तफसीर-ए-हक्कानी के हवाले से अस्ताब-ए-कहफ की जगह और मक़ाम की तारीखी तहकीक़ यह नक़ल की है कि ज़ालिम बादशाह जिसके ख़ौफ़ से भागकर अस्ताबे कहफ़ ने गार में पनाह ली थी उसका ज़माना सन् 250 ई. था, फिर तीन सौ साल तक ये लोग सोते रहे तो मजभूआ सन् 550 ई. हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाईश सन् 570 ई. में हुई, इसलिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाईश से बीस साल पहले यह बाकिआ उनके जागने का पेश आया और तफसीरे हक्कानी में भी उनका मक़ाम शहर अफ़सोस या तरतूस को करार दिया है जो एशिया-ए-कोचक में था, अब उसके खंडरात मौजूद हैं। अल्लाह तआला ही असल हकीक़त को ज़्यादा जानते हैं।

ये तमाम ऐतिहासिक और भूगोलिक तफसीलात हैं जो पुराने मुफ़रिसरीन की रिवायतों से फिर नये इतिहासकारों के बयानात से पेश की गई हैं। अहक़र ने पहले ही यह अर्ज कर दिया था कि न कुरआन की किसी आयत का समझना इन पर मौक़ूफ़ है न इस मक़सद का कोई ज़रूरी हिस्सा इनसे संबन्धित है जिसके लिये कुरआने करीम ने यह किस्सा बयान किया है, फिर रिवायतों, किस्सों और उनके निशानात व इशारात इस हद तक भिन्न और अलग-अलग हैं कि सारी तहकीक़ व खोजबीन के बाद भी इसका कोई क़तई फ़ैसला मुश्क़िल नहीं, सिर्फ़ तरजीहात और रुझानात ही हो सकते हैं, लेकिन आजकल तालीम याफ़्ता तब्क़े में तारीखी तहकीक़ात का ज़ौक़ बहुत बढ़ा हुआ है, उसको सुकून पहुँचाने के लिये ये तफसीलात नक़ल कर दी गई हैं, जिनसे तक्रीबी और अन्दाज़े के तौर पर इतना मालूम हो जाता है कि यह बाकिआ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने के करीब पेश आया और ज़्यादातर रिवायतों इसके शहर अफ़सोस या तरतूस के करीब होने पर सहमत नज़र आती हैं। वल्लाहु आलम

और हकीक़त यह है कि इन तमाम तहकीक़ात के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे कि जगह निर्धारित करने की न कोई ज़रूरत है और न उसका निर्धारित करना किसी यकीनी माध्यम से किया जा सकता है, तफसीर व हदीस के इमाम इब्ने कसीर रह. ने इसके बारे में यही फ़रमाया है कि:

قَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ وَأَرَادَ مِنَّا فَهْمَهُ وَتَدْبِيرَهُ وَلَمْ يُخْبِرْنَا بِمَكَانِ هَذَا الْكَهْفِ فِي أَيِّ الْبِلَادِ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ لَا فَايِدَةَ لَنَا فِيهِ وَلَا قَصْدَ شَرْعِيٍّ. (ابن کثیر ج ۲ ص ۷۵)

“थानी अल्लाह तआला ने हमें अस्ताबे कहफ़ के उन हालात की ख़बर दी जिनका ज़िक्र कुरआने करीम में होता है कि हम उनको समझें और उनमें गहराई से सोचें और इसकी ख़बर

नहीं दी कि यह कहफ (गार) किस ज़मीन और किस शहर में है, क्योंकि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं और न कोई शरई मक़सद इससे संबन्धित है।”

अस्हाबे कहफ़ का वाकिआ किस ज़माने में पेश आया

और ग़ार में पनाह लेने के असबाब क्या थे?

किस्से का यह टुकड़ा भी वही है जिस पर न किसी कुरआनी आयत का समझना मौजूद है न किस्से के मक़सद पर इसका कोई खास असर है, और न कुरआन व सुन्नत में इसका बयान है, सिर्फ़ तारीख़ी वाकिआत हैं, इसी लिये अबू हय्यान रह. ने तफ़सीर बहरे-मुहीत में फ़रमाया:

وَالرُّوَاةُ مُتَخَلِّفُونَ فِي قَصَصِهِمْ وَكَيْفِ كَانُوا إِجْتَمَعَتْهُمْ وَخَرُوجُهُمْ وَلَمْ يَأْتِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ كَيْفِيَّةُ

ذَلِكَ وَلَا فِي الْقُرْآنِ. (برجیاس ۱۰۱ ج ۲)

“इन हज़रात के किस्से में बयान करने वालों का सख़्त मतभेद है, और इसमें कि ये अपने इस प्रोग्राम में किस तरह एकराय हुए और किस तरह निकले, न किसी सही हदीस में इसकी कैफ़ियत बयान हुई है न कुरआन में।”

फिर भी मौजूदा तबीयतों की दिलचस्पी के लिये जैसे ऊपर अस्हाबे कहफ़ के मक़ाम (स्थान) से संबन्धित कुछ मालूमात लिखी गई हैं इस वाकिआ के पेश आने के ज़माने और पेश आने के कारणों के बारे में भी मुख़्तसर मालूमात तफ़सीरी और तारीख़ी रिवायतों से नक़ल की जाती हैं। इस किस्से को पूरी तफ़सील और विस्तार के साथ हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने तफ़सीर-ए-मज़हरी में मुख़्तलिफ़ रिवायतों से नक़ल फ़रमाया है मगर यहाँ सिर्फ़ वह मुख़्तसर वाकिआ लिखा जाता है जिसको इमाम इब्ने कसीर ने पहले और बाद के बहुत से मुफ़त्सरीन के हवाले से पेश किया है, वह फ़रमाते हैं कि:

“अस्हाबे कहफ़ बादशाहों की औलाद और अपनी क़ौम के सरदार थे, क़ौम बुत-भरस्ता थी। एक दिन उनकी क़ौम अपने किसी मज़हबी मेले के लिये शहर से बाहर निकली, जहाँ उनका सालाना समारोह होता था, वहाँ जाकर ये लोग अपने घुत्तों की पूजा-पाठ करते और उनके लिये जानवरों की क़ुरबानी देते थे। उनका बादशाह एक जाबिर व ज़ालिम दक़ियानूस नाम का था जो क़ौम को उस बुतपरस्ती पर मजबूर करता था। उस साल जबकि पूरी क़ौम उस मेले में जमा हुई तो ये अस्हाबे कहफ़ नीजवान भी पहुँचे और वहाँ अपनी क़ौम की ये हरकतें देखीं कि अपने हाथों के बनाये हुए पत्थरों को खुदा समझते और उनकी इबादत करते और उनके लिये क़ुरबानी करते हैं, उस वक़्त अल्लाह तआला ने उनको यह अक्ल सलीम अता फ़रमा दी कि क़ौम की इस अहमकाना हरकत से उनको नफ़रत हुई और अक्ल से काम लिया तो उनकी समझ में आ गया कि यह इबादत तो सिर्फ़ उस जात की होनी चाहिये जिसने ज़मीन व आसमान और सारी मख़्लूक़ात पैदा फ़रमाई हैं। यह ख़्याल एक ही

वक़्त में उन चन्द नौजवानों के दिल में आया और उनमें से हर एक ने कौम की इस अहमक़ाना इबादत से बचने के लिये उस जगह से हटना शुरू किया, उनमें सबसे पहले एक नौजवान मजमे से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके बाद एक दूसरा शख्स आया और वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गया, इसी तरह फिर तीसरा और चौथा आदमी आता गया और पेड़ के नीचे बैठता रहा मगर उनमें कोई दूसरे को न पहचानता था और न यह कि यहाँ क्यों आया है, मगर उनको दर हकीक़त उस कुदरत ने यहाँ जमा किया था जिसने उनके दिलों में ईमान पैदा फ़रमाया।”

कौमियत और एकता की असल बुनियाद

अल्लामा इब्ने कसीर ने इसको नक़ल करके फ़रमाया कि लोग तो आपसी संगठन का सबब कौमियत और जिन्सियत को समझते हैं मगर हकीक़त वह है जो सही बुख़ारी की हदीस में है कि वास्तव में एकता व ताल्लुक या बिखराव व जुदाई पहले रूहों में पैदा होती है, उसका असर इस आलम के जिस्मों में पड़ता है। जिन रूहों के बीच कायनात के पहले दिन में मुनासबत और इत्तिफ़ाक़ पैदा हुआ वे यहाँ भी आपस में जुड़े हुए और एक जमाअत की शक़ल इख़्तियार कर लेती हैं और जिनमें यह मुनासबत और आपसी इत्तिफ़ाक़ न हुआ बल्कि यहाँ अलग ही रहीं उनमें यहाँ भी अलैहदगी रहेगी। इसी वाक़िए की मिसाल को देखो कि किस तरह अलग-अलग हर शख्स के दिल में एक ही ख़्याल पैदा हुआ, उस ख़्याल ने उन सब को ग़ैर-महसूस तौर पर एक जगह जमा कर दिया।

खुलासा यह है कि ये लोग एक जगह जमा तो हो गये मगर हर एक अपने अक़ीदे को दूसरे से इसलिये छुपाता था कि कहीं यह जाकर बादशाह के पास मुख़बिरी न कर दे, और मैं गिरफ़्तार न हो जाऊँ। कुछ देर चुप्पी के आलम में जमा रहने के बाद उनमें से एक शख्स बोला कि भाई हम सब के सब का कौम से अलग होकर यहाँ पहुँचने का कोई सबब तो ज़रूर है, मुनासिब यह है कि हम सब आपस में एक दूसरे के ख़्याल से वाक़िफ़ हो जायें। इस पर एक शख्स बोल उठा कि हकीक़त यह है कि मैंने अपनी कौम को जिस दीन व मज़हब और जिस इबादत में मुब्तला पाया मुझे यक़ीन हो गया कि यह धातिल है, इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू की होनी चाहिये जिसका कायनात के पैदा करने में कोई शरीक और साझी नहीं, अब तो दूसरों को भी मौका मिल गया और उनमें से हर एक ने इकरार किया कि यही अक़ीदा और ख़्याल है जिसने मुझे कौम से अलग करके यहाँ पहुँचाया।

अब यह एक राय धाली जमाअत एक दूसरे की रफ़ीक़ और दोस्त हो गई और इन्होंने अलग अपनी इबादत की जगह बना ली जिसमें जमा होकर ये लोग अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत करने लगे।

मगर धीरे-धीरे इनकी ख़बर शहर में फैल गई और चुग़लख़ोरो ने बादशाह तक इनकी ख़बर पहुँचा दी। बादशाह ने इन सब को हाज़िर होने का हुक़म दिया, ये लोग दरबार में हाज़िर हुए तो

बादशाह ने इनके अकीदे और तरीके के बारे में सवाल किया, अल्लाह ने इनको हिम्मत बख्शी इन्होंने बगैर किसी खौफ व खतरे के अपना तौहीद (अल्लाह को एक मानने) का अकीदा बयान कर दिया और खुद बादशाह को भी इस तरफ दावत दी, इसी का बयान कुरआने करीम की आयतों में इस तरह आया है:

وَرَبَّنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّذْعُوهُمْ قُوَّةً إِلَهًا لَّكُنَّا إِذَا
 شَطَطْنَا ۗ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ لَوْلَا بَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطٰنٍ مِّن بَيْنِ يَدَيْنَا لَأَبْلُغُوا مَعَكُم مِّن قَوْمِ آلِ فِرْعٰنٍ يَوْمَ يُنْفَخُ أَصْفَادُهُمْ ذُكِّرُوا وَلٰكِن يَلْمِزُونَ عَمَلِيَّ كَمِثْلِ
 كَلِمٰتِهِمْ ۗ

क़िबान

जब उन लोगों ने बादशाह को बेबाक होकर इमान की दावत दी तो बादशाह ने उससे इनकार किया और उनको डराया धमकाया, और उनके बदन से वह उम्दा पीशाक जो उन शहजादों के बदन पर थी उतरवा दी, ताकि ये लोग अपने माभले में गौर करें और गौर करने के लिये चन्द्र दिन की मोहलत यह कहकर दी कि तुम नौजवान हो मैं तुम्हारे क़त्ल में इसलिये जल्दी नहीं करता कि तुमको गौर करने का मौका मिल जाये, जब भी अगर तुम अपनी क़ीम के दिन व मज़हब पर आ जाते हो तो तुम अपने हाल पर रहोगे वरना क़त्ल कर दिये जाओगे।

यह अल्लाह तआला का लुफ़ व करम अपने मोमिन बन्दों पर था कि इस मोहलत ने उन लोगों के लिये वहाँ से निकलने की राह खोल दी और ये लोग वहाँ से भागकर एक ग़ार (खोह) में छुप गये।

मुफ़सिरीन की आम रिवायतें इस पर मुल्तफ़िक हैं कि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के दिन पर थे, अल्लामा इब्ने कसीर और दूसरे आम मुफ़सिरीन ने यह ज़िफ़्र किया है अगरचे इब्ने कसीर ने इसको कुबूल इसलिये नहीं किया कि अगर ये लोग ईसाई दिन पर होते तो मदीना के यहूदी इनसे दुश्मनी की बिना पर इनके वाक़िअ का सवाल न कराते और इनको अहमियत न देते, मगर यह कोई ऐसी बुनियाद नहीं जिसकी वजह से तमाम रिवायतों को रद्द कर दिया जाये, मदीना के यहूदियों ने तो महज़ एक अजीब वाक़िआ होने की हैसियत से इसका सवाल कराया जैसे जुल्करनैन का सवाल भी इसी बिना पर है, इस तरह के सवालात में यहूदियत और ईसाईयत का तास्तुब (पक्षपात) बीच में न आना ही ज़ाहिर है।

तफ़सीरे मज़हरी में इब्ने इस्हाक़ की रिवायत से उन लोगों को इमान वालों में शुमार किया है जो ईसाई दिन के मिट जाने के बाद उनमें के हक़-परस्त लोग हक़का-दुकका रह गये थे, जो सही ईसाई दिन और तौहीद पर कायम थे। इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में भी उस ज़ालिम बादशाह का नाम दक़ियानूस बतलाया है और जिस शहर में ये नौजवान ग़ार में छुपने से पहले रहते थे उसका नाम अफ़सोस बतलाया है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में भी वाक़िआ इसी तरह बयान किया है और बादशाह का नाम दक़ियानूस बतलाया है। इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में यह भी है कि अस्तावे कहफ़ के जागने के वक़्त मुल्क पर ईसाई दिन के पाबन्द जिन लोगों का

कब्जा हो गया था उनके बादशाह का नाम बैदूसीस था।

रिवायतों के मजमूए से यह बात तो गालिब गुमान से साबित हो जाती है कि अस्हाबे कहफ़ सही ईसाई दीन पर थे और उनका ज़माना मसीह अलैहिस्सलाम के बाद का है और जिस मुशरिक बादशाह से भागे थे उसका नाम दफियानूस था। तीन सौ नौ साल के बाद नींद से जागने के वक़्त जिस नेक मोमिन बादशाह की हुकूमत थी इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में उसका नाम बैदूसीस बतलाया है, इसके साथ मौजूदा ज़माने की तारीखों को मिलाकर देखा जाये तो अन्दाज़े के तौर पर उनका ज़माना मुतैयन (निर्धारित) हो सकता है, इससे ज्यादा निर्धारित करने की न ज़रूरत है और न उसकी जानकारी के असबाब मौजूद हैं।

क्या अस्हाब-ए-कहफ़ अब भी जिन्दा हैं?

इस मामले में सही और ज़ाहिर यही है कि उनकी वफ़ात हो चुकी है। तफ़सीरे मज़हरी में इब्ने इस्हाक़ की तफ़सीली रिवायत में है कि अस्हाबे कहफ़ के जागने और शहर में उनके अजीब वाक़िए की शोहरत हो जाने और उस वक़्त के बादशाह बैदूसीस के पास पहुँचकर मुलाक़ात करने के बाद अस्हाबे कहफ़ ने बैदूसीस बादशाह से रुख़सत चाही और रुख़सती सलाम के साथ उसके लिये दुआ की और अभी बादशाह उसी जगह मौजूद था कि ये लोग अपने लेटने की जगहों पर जाकर लेट गये और उसी वक़्त अल्लाह तआला ने इनको मौत दे दी।

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की यह रिवायत इब्ने जरीर, इब्ने कसीर वगैरह सभी मुफ़स्सरीन ने नक़ल की है कि:

قَالَ قَتَادَةُ غَرَّابُنُ عَبَّاسٍ مَعَ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَمَرُّوا بِكُهْفٍ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَرَأَوْا فِيهِ عِظَامًا فَقَالَ قَاتِلُ هَذِهِ عِظَامُ أَهْلِ الْكُهْفِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ بَلَيْتْ عِظَامُهُمْ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةِ سَنَةٍ. (ابن كثير)

“क़तादा कहते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हबीब इब्ने मस्लमा के साथ एक जिहाद किया तो रूम के इलाक़े में उनका गुज़र एक ग़ार पर हुआ जिसमें मुर्दा लाशों की हड्डियाँ थीं, किसी ने कहा कि ये अस्हाबे कहफ़ की हड्डियाँ हैं तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि उनकी हड्डियाँ तो अब से तीन सौ बरस पहले ख़ाक़ हो चुकी हैं।”

ये सब इस तारीख़ी किस्से के दो अंश और हिस्से थे जिनको न क़ुरआन ने बयान किया न हदीसे रसूल ने और न इस वाक़िए का कोई ख़ास मक़सद या क़ुरआन की किसी आयत का समझना इस पर मौक़ूफ़ है, और न तारीख़ी रिवायतों से इन चीज़ों का निश्चित और आख़िरी फैसला किया जा सकता है, बाकी रहे किस्से के वो हिस्से जिनका खुद क़ुरआने करीम ने ज़िक्र फ़रमाया है उनकी तफ़सील इन्हीं आयतों के तहत आती है।

यहाँ तक क़ुरआने करीम ने इस किस्से का संक्षिप्त रूप से ज़िक्र फ़रमाया था आगे तफ़सीली ज़िक्र आता है।

رَعْنُ نَقْضُ عَلَيْكَ نَبَاهُهُم بِالْحَقِّ إِلَهُمُ فَتِيَّةٌ أَمْوًا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ۖ وَرَبُّنَا
 عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ لَهَا لَقَدْ قُلْنَا
 إِذْ أَشْطَطْنَا ۖ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيْنَ يَدَيْهِمْ
 أَنْ يَكْفُرُوا مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ وَإِذْ أَنْزَلْنَا إِلَهُمُ الْمَاءَ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ
 يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۖ

नहनु नकुस्तु अलै-क न-व-अहुम्
 बिल्हकिक्, इन्नहुम् फिल्यतुन् आमनु
 बिरब्बिहिम् व जिद्नाहुम् हुदा (13)
 व रबतना अला कुलुबिहिम् इज् कामू
 फकालू रब्बुना रब्बुससमावाति
 वलअजि लन्-नदजु-व मिन् दूनिही
 इलाहल्-लकद् कुल्ना इजन् श-तता
 (14) हाउला-इ कौमुनत्त-खजू मिन्
 दूनिही आलि-हतन्, लौ ला यअतू-न
 अलैहिम् विसुल्लानिम्-बय्यिनिन्,
 फ-मन् अज़लमु मिम्-मनिफ़तरा
 अलल्लाहि कज़िबा (15) व इज़िज़्-
 -तजल्लुमूहुम् व मा यअबुदू-न
 इल्लल्ला-ह फअवू इलल्-कस्फि
 यन्शुर लकुम् रब्बुकुम् मिरस्पतिही व
 युहथियअ लकुम् मिन् अम्रिकुम्
 मिरफ़का (16)

हम सुनाये तुझको उनका तहकीकी हाल,
 वे कई जवान हैं कि यकीन लाये अपने
 स्व पर और ज्यादा दी हमने उनको सूझ।
 (13) और गिरह दी उनके दिल पर जब
 खड़े हुए फिर बोले हमारा रब है रब
 आसमान का और ज़मीन का, न पुकारेंगे
 हम उसके सिवा किसी को भावूद, नहीं
 तो कही हमने बात अक़ल से दूर। (14)
 यह हमारी कौम है ठहरा लिये इन्होंने
 अल्लाह के सिवा और भावूद, क्यों नहीं
 लाते उन पर कोई खुली सनद, फिर उससे
 बड़ा गुनाहगार कौन जिसने बाँधा अल्लाह
 पर झूठ। (15) और जब तुमने किनारा
 कर लिया उनसे और जिनको वे पूजते हैं
 अल्लाह के सिवाय तो अब जा बैठो उस
 खोह में, फैला दे तुम पर तुम्हारा रब कुछ
 अपनी रहमत से और बना दे तुम्हारे
 वास्ते काम में आराम। (16)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

हम उनका वाकिआ आप से ठीक-ठीक बयान करते हैं (इसमें इशारा कर दिया कि इसके

खिलाफ़ जो कुछ दुनिया में मशहूर है वह दुरुस्त नहीं, वे लोग (यानी अस्हाब-ए-कहफ़) कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर (उस ज़माने के ईसाई दीन के मुताबिक) ईमान लाये थे और हमने उनकी हिदायत में और तरफ़की कर दी थी (कि ईमान की सिफ़ात, दीन पर जमाव और पुसीबतों पर सब्र, दुनिया से बेताल्लुकी, आख़िरत की फ़िक्र वगैरह भी अता कर दीं, इन्हीं ईमानी सिफ़ात व हिदायत में एक बात यह थी कि) हमने उनके दिल मज़बूत कर दिये जबकि वे पक्के होकर (आपस में या मुख़ालिफ़ बादशाह के रू-ब-रू) कहने लगे कि हमारा रब तो वह है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम तो उसको छोड़कर किसी माबूद की इबादत न करेंगे (क्योंकि अगर खुदा न करे हमने ऐसा किया) तो उस सूरा में हमने यकीनन बड़ी ही बेजा बात कही। यह जो हमारी कौम है, इन्होंने खुदा को छोड़कर और दूसरे माबूद करार दे रखे हैं (क्योंकि उनकी कौम और उस वक़्त का बादशाह सब बुत-परस्त थे, सो) ये लोग अपने माबूदों (के माबूद होने) पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते (जैसा कि एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले अल्लाह की तौहीद पर स्पष्ट और यकीनी दलील रखते हैं) तो उस शख्स से ज़्यादा कौन ग़ज़ब ढहाने वाला होगा जो अल्लाह तआला पर झूठी तोहमत लगा दे (कि उसके कुछ साक्षी और शरीक थी हैं)।

और फिर (आपस में कहा कि) जब तुम इन लोगों से अक़ीदे ही में अलग हो गये हो और इनके माबूदों (की इबादत) से भी (अलग हो गये), मगर अल्लाह तआला से (अलग नहीं हुए बल्कि उसी की वजह से सब को छोड़ा है) तो अब (मस्तेहत यह है कि) तुम (फ़ुली) ग़ार में (जो मशिवरे से तय हुआ होगा) चलकर पनाह लो (ताकि अमन और बेफ़िक्री के साथ अल्लाह की इबादत कर सको) तुम पर तुम्हारा रब अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिये तुम्हारे इस काम में कामयाबी का सामान दुरुस्त कर देगा (अल्लाह तआला से इसी उम्मीद पर ग़ार में जाने के वक़्त उन्होंने सब से पहले यह दुआ की कि:

رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحِمَةٌ وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَهْدًا ۝۱۰

(यानी इसी सूरा की ऊपर वयान हुई आयत नम्बर 10)

मज़ारिफ़ व मसाइल

‘इन्हुम् फ़ित्यतुन’। फ़ित्यतुन ‘फ़ता’ की जमा (बहुवचन) है जो नौजवान के यायने में आता है। तफ़सीर के उलेमा ने फ़रमाया कि इस लफ़्ज़ में यह इशारा पाया जाता है कि आमाल व अख़लाक़ को सुधारने और हिदायत व रहनुमाई का ज़माना जवानी ही की उम्र है, बुढ़ापे में पिछले आमाल व अख़लाक़ ऐसे पुज़्जा हो जाते हैं कि कितना ही उसके खिलाफ़ हक़ घाज़ेह हो जाये उनसे निकलना मुश्किल होता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत पर ईमान लाने वाले ज़्यादातर नौजवान ही लोग थे।

(इब्ने कसीर, अबू हय्यान)

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

इयाध इन्ने कसीर के हवाले से जो बाकिए की सूरा ऊपर बयान की गई है उससे मालूम हुआ कि अल्लाह की तरफ से उनके दिलों को मजबूत कर देने का बाकिए उस वक़्त हुआ जब कि बुत-परस्त ज़ालिम बादशाह ने उन नौजवानों को अपने दरबार में हाज़िर करके सवालत किये। उस मौत व ज़िन्दगी की कश्मकश और कल्ल के खौफ़ के बावजूद अल्लाह तआला ने उनके दिलों पर अपनी मुहब्बत और बड़ाई व इर ऐसा मुसल्लत कर दिया कि उसके मुक़ाबले में कल्ल व मौत और हर मुसीबत को बरदाश्त करने के लिये तैयार होकर अपने अक़ीदे का साफ़ साफ़ इज़हार कर दिया कि वे अल्लाह के सिवा किसी माबूद की इबादत नहीं करते, और आईन्दा भी न करेंगे। जो लोग अल्लाह के लिये किसी काम का पुख़्ता इरादा कर लेते हैं तो हक़ तआला की तरफ़ से उनकी ऐसी ही इमदाद हुआ करती है।

فَاوَّا إِلَى الْكُهْفِ

इन्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि अस्हाबे कहफ़ ने जो सूरा इख़्तियार की कि जिस शहर में रहकर अल्लाह की इबादत न हो सकती थी उसको छोड़कर ग़ार में पनाह ली, यही सुन्नत है तमाम अम्बिया की कि ऐसे मक़ामात से हिजरत करके वह जगह इख़्तियार करते हैं जहाँ इबादत की जा सके।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ
ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لِيَهْدِيَ اللَّهُ الْبَالِغِينَ وَمَنْ يُضِلِلْ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝ وَتَحْسَبُهُمْ آيَاقًا وَهُمْ رُقُودٌ ۝ وَنَقَلْنَاهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ
الشِّمَالِ ۝ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَ لِيَأْتَنَّهُمْ رُعْبًا ۝

व-तरश्शम्-स इज़ा त-लअत्तज़ावरु
अन् कस्फ़हिम् ज़ातल्-यमीनि व
इज़ा ग़-रबत् तक्विरजुहुम् ज़ातशिशमालि
व हुम् फी फज्वतिम् मिन्हु, ज़ालि-क
मिन् आयातिल्लाहि, मय्यस्दिल्लाहु
फहुल्मुहत्तदि व मय्युज़िलल् फ-लन्
तजि-द लहू वलिय्यम्-मुर्शिदा (17) ❀
व तहसबुहुम् ऐक़ाज़व्-व हुम्
रुकूदुव्-व नुकल्लिबुहुम् ज़ातल्-यमीनि

और तू देखे धूप जब निकलती है बचकर
जाती है उनकी खोह से दाहिने को और
जब डूबती है कतरा जाती है उनसे बायें
को, और वह मैदान में हैं उसके, यह है
अल्लाह की क़ुदरतों में से जिसको राह दे
अल्लाह वही आये राह पर और जिसको
वह बिचलाये फिर तू न पाये उसको कोई
साथी राह पर लाने वाला। (17) ❀
और तू समझे कि वे जागते हैं और वे
सो रहे हैं और करवटें दिलाते हैं हम

व जातशिशमालि व कल्बुहुम्
वासितुन् जिराज़ैहि बिल्-वसीदि,
त्वित्त-लअ-त अलैहिम् तवल्लै-त
मिन्हुम् फिरारं-व लमुलिअ-त मिन्हुम्
रुअबा (18)

उनको दाहिने और बायें और उनका
कुत्ता पसार रहा है अपनी बाँहें चौखट
पर, अगर तू झाँक कर देखे उनको तो
पीठ देकर भागे उनसे और भर जाये
तुझमें उनकी दहशत। (18)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और ऐ मुख़ातब! (वह ग़ार ऐसी शकल व अन्दाज़ पर स्थित है कि) जब धूप निकलती है तो तू उसको देखेगा कि वह ग़ार से दाहिनी तरफ़ को बची रहती है (यानी ग़ार के दरवाज़े से दाहिनी तरफ़ अलग को रहती है), और जब छुपती है तो (ग़ार के) बाईं तरफ़ हटी रहती है (यानी उस वक़्त भी ग़ार के अन्दर धूप नहीं जाती ताकि उनको धूप की तपिश से तकलीफ़ न पहुँचे)। और वे लोग उस ग़ार की एक खुली जगह में थे (यानी ऐसे ग़ारों में जो आदतन कहीं तंग कहीं खुले होते हैं तो वे उस ग़ार के ऐसे स्थान पर थे जो खुला था ताकि हवा भी पहुँचे और जगह की तंगी से जी भी न घबराये)। यह अल्लाह की निशानियों में से है (कि जाहिरी असबाब के विपरीत उनके लिये आराम का सामान मुहैया कर दिया। पस मालूम हुआ कि) जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाता है, और जिसको वह बेराह कर दे तो आप उसके लिये कोई मददगार, राह बताने वाला न पाएँगे (ग़ार की जो शकल व हालत बतलाई गई है कि उसमें न सूरज निकलने के वक़्त सुबह को धूप अन्दर जाती न शाम को छुपने के वक़्त, यह इस सूरत में हो सकता है जबकि ग़ार उत्तरी दिशा या दक्षिणी दिशा में हो क्योंकि दाहिनी बाईं जानिब ग़ार में दाख़िल होने वाले की मुसद् हों तो ग़ार उत्तरी रुख़ का होगा और दाहिनी बाईं जानिब ग़ार से निकलने वाले की मुसद् हों तो ग़ार दक्षिणी रुख़ वाला होगा)।

और ऐ मुख़ातब! (तू अगर उस वक़्त जबकि वे ग़ार में गये और हमने उन पर नींद मुसल्लत कर दी उनको देखता तो) तू उनको जागता हुआ ख़्याल करता, हालाँकि वे सोते थे (क्योंकि अल्लाह की क़ुदरत ने उनको नींद के आसार व निशानियों से महफ़ूज़ रखा था, जैसे साँस का बदल जाना, बदन का ढीलापन, आँखें अगर बन्द भी हों तो सोने की यूक़ीनी निशानी नहीं) और (उस नींद के लम्बे ज़माने में) हम उनको (कभी) दाहिनी तरफ़ और (कभी) बाईं तरफ़ करवट दे देते थे, और (उस हालत में) उनका कुत्ता (जो किसी वजह से उनके साथ आ गया था ग़ार की) दहलीज़ पर अपने दोनों हाथ फैलाये हुए (बैठा) था (और उनके सौब और अल्लाह के दिये हुए जलाल की यह हालत थी कि) अगर (ऐ मुख़ातब!) तू उनको झाँककर देखता तो उनसे पीठ-फेरकर भाग खड़ा होता, और तेरे अन्दर उनकी दहशत समा जाती (इस आयत में ख़िताब

आम मुखातबीन को है, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का परजुब होना लाज़िम नहीं आता, और यह तमाम सामान हक़ तआला ने उन लोगों की हिफ़ाज़त के लिये जमा कर दिये थे, क्योंकि जागते हुए आदमी पर हमला करना आसान नहीं होता, और नींद के लम्बे ज़माने में करवटें न बदली जातीं तो मिट्टी एक करवट को खा लेती, और ग़ार के दरवाज़े पर कुत्ते का बैठना भी हिफ़ाज़त का सामान होना ज़ाहिर है।

मअरिफ़ व मसाईल

इन आयतों में हक़ तआला ने अस्थाबे कहफ़ के तीन हाल बतलाये हैं और तीनों अजीब हैं जो उन हज़रात की करामत से आम मामूल के खिलाफ़ ज़ाहिर हुए।

अब्दल लम्बे समय तक लगातार नींद का मुसल्लस होना और उसमें बग़ैर किसी ग़िज़ा वग़ैरह के ज़िन्दा रहना सबसे बड़ी करामत आम आदत व मामूल के खिलाफ़ है, इसकी तफ़्सील तो अगली आयतों में आयेगी यहाँ इस लम्बी नींद की हालत में उनका एक हाल तो यह बतलाया है कि अल्लाह तआला ने उनको ग़ार (खोह) के अन्दर इस तरह महफूज़ रखा था कि सुबह शाम धूप उनके करीब से गुज़रती मगर ग़ार के अन्दर उनके जिस्मों पर न पड़ती थी। करीब से गुज़रने के फ़ायदे ज़िन्दगी के आसार का कायम रहना, हवा और सर्दी, गर्मी का नॉरमल रहना वग़ैरह थे और उनके जिस्मों पर धूप न पड़ने से जिस्मों की और उनके लिबास की हिफ़ाज़त भी थी।

धूप के उनके ऊपर न पड़ने की यह सूरत ग़ार की किसी खास शक़ल, बनावट और अन्दाज़ की बिना पर भी हो सकती है कि उसका दरवाज़ा दक्षिण या उत्तर में ऐसे अन्दाज़ पर हो कि धूप तबई और आदी तौर पर उसके अन्दर न पहुँचे, इन्हे कुतैबा रह. ने उसकी कोई खास हालत और बनावट मुतैयन करने के लिये यह तकल्लुफ़ किया कि रियाज़ी (हिसाब) के उसूल व कायदों के एतिबार से उस जगह का तूले-बलद (अक्षांस) अर्जे-बलद (लम्बांश) और ग़ार का रुख़ मुतैयन किया। (मज़हरी) और इसके मुक़ाबले में जुजाज ने कहा कि धूप का उनसे अलग रहना किसी खास अन्दाज़, शक़ल व हालत और हैबत की बिना पर नहीं बल्कि उनकी करामत से बतौर आम आदत के खिलाफ़ था और इस आयत के आख़िर में यह जो इरशाद है 'ज़ालि-क मिन् आयातिल्लाहि' यह भी बज़ाहिर इसी पर दलालत करता है कि धूप से हिफ़ाज़त का यह सामान ग़ार की किसी खास शक़ल व बनावट और हालत का नतीज़ा नहीं था बल्कि अल्लाह तआला की क़ामिल क़ुदरत की एक निशानी थी। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

और साफ़ बात यह है कि अल्लाह तआला ने उनके लिये ऐसा सामान मुहैया फ़रमा दिया था कि धूप उनके जिस्मों पर न पड़े चाहे, यह सामान ग़ार की हालत और बनावट व शक़ल के ज़रिये हो, या कोई बादल वग़ैरह धूप के वक़्त दरमियान में आ जाता हो, या डायरेक्ट सूरज की किरणों को उनसे एक करिश्मे के तौर पर हटा दिया जाता हो, आयत में ये सब संभावनायें और गुंजाईशें हैं, किसी एक को मुतैयन करने पर जोर देने की ज़रूरत नहीं।

अस्हाबे कहफ़ लम्बी नींद के ज़माने में इस हालत पर थे कि देखने वाला उनको जागा हुआ समझे

दूसरा हाल यह बतलाया है कि अस्हाबे कहफ़ पर इतनी लम्बी मुद्त तक नींद मुसल्लत कर देने के बावजूद उनके जिस्मों पर नींद के आसार न थे बल्कि ऐसी हालत-थी कि उनको देखने वाला यह महसूस करे कि वे जाग रहे हैं। आम मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि उनकी आँखें खुली हुई थीं, बदन में ढीलापन जो नींद से होता है वह नहीं था, साँस में तब्दीली जो सोने वालों के हो जाती है वह नहीं थी, ज़ाहिर यह है कि यह हालत भी असाधारण और एक किस्म की करामत ही थी जिसमें बज़ाहिर हिक्मत यह थी कि उनकी हिफ़ाज़त हो, कोई उनको सोता हुआ समझकर उन पर हमला न करे, या जो सामान उनके साथ था वह न चुरा ले। और निरंतर करवटें बदलने से भी देखने वाले को उनके जागे रहने का ख़्याल हो सकता है और करवटें बदलने में यह मस्तेहत भी थी कि मिट्टी एक करवट को न खा ले।

अस्हाबे कहफ़ का कुत्ता

यहाँ एक सवाल तो यह पैदा होता है कि सही हदीस में आया है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते, और सही बुख़ारी की एक हदीस में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स शिकारी कुत्ते या जानवरों के मुहाफ़िज़ कुत्ते के अलावा कुत्ता पालता है तो हर दिन उसके अज़्र में से दो क़ीरात घट जाते हैं (क़ीरात एक छोटे-से वज़न का नाम है) और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में एक तीसरी किस्म के कुत्ते को भी इस हुक्म से अलग रखा गया है यानी जो खेती की हिफ़ाज़त के लिये पाला गया हो।

हदीस की इन रिवायतों की बिना पर यह सवाल पैदा होता है कि उन बुजुर्ग अल्लाह वालों ने कुत्ता क्यों साथ लिया? इसका एक जवाब तो यह हो सकता है कि यह हुक्म कुत्ता पालने की मनाही का शरीअते मुहम्मदिया का हुक्म है, मुम्किन है कि ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में वर्जित और मना न हो, दूसरे यह भी हो सकता है कि ये लोग जायदाद व मवेशी वालें थे उनकी हिफ़ाज़त के लिये कुत्ता पाला हो और जैसे कुत्ते की वफ़ा की सिफ़त मशहूर है ये जब शहर से चले तो वंह भी साथ लग लिया।

नेक सोहबत की बरकतें कि उसने कुत्ते का भी सम्मान बढ़ा दिया

इब्ने अतीया रह. फ़रमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद ने बतलाया कि मैंने अबुल-फ़ज़ल जौहरी

रह. का एक बयान सन् 469 हिजरी में मिस्र की जामा मस्जिद के अन्दर सुना, वह मिस्र पर यह फरमा रहे थे कि जो शख्स नेक लोगों से मुहब्बत करता है उनकी नेकी का हिस्सा उसको भी मिलता है, देखो अस्तावे कहफ़ के कुत्ते ने उनसे मुहब्बत की और साथ लग लिया तो अल्लाह तआला ने कुरआने करीम में उसका जिक्र फरमाया।

इमाम कुर्तुबी रह. ने अपनी तफ़्सीर में इन्हे अतीया रह. की रिवायत नकल करने के बाद फरमाया कि जब एक कुत्ता नेक लोगों और अल्लाह वालों की सोहबत से यह पकाम पा सकता है तो आप अन्दाज़ा कर लें कि खालिस और सच्चे ईमान वाले हज़रत जो औलिया-अल्लाह और नेक लोगों से मुहब्बत रखें उनका मक़ाम कितना बुलन्द होगा, बल्कि इस वाकिए में उन मुसलमानों के लिये तसल्ली और खुशख़बरी है जो अपने आपाल में कमज़ोर व सुस्त हैं मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत पूरी रखते हैं।

शही बुखारी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकल किया गया है कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन मस्जिद से निकल रहे थे, मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स मिला और यह सवाल किया कि या रसूलुल्लाह! क़ियामत कब आयेगी? आपने फरमाया कि तुमने क़ियामत के लिये क्या तैयारी कर रखी है (जो उसके आने की जल्दी कर रहे हो)? यह बात सुनकर वह शख्स दिल में कुछ शर्मिन्दा हुआ और फिर अर्ज किया कि मैंने क़ियामत के लिये बहुत नमाज़, रोज़े और सद्के तो जमा नहीं किये मगर मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत रखता हूँ। आपने फरमाया कि अगर ऐसा है तो (सुन लो कि) तुम (क़ियामत में) उसी के साथ होगे जिससे मुहब्बत रखते हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम यह मुधारक जुमला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुनकर इतने खुश हुए कि इस्लाम लाने के बाद इससे ज़्यादा खुशी कभी न हुई थी और इसके बाद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि (अल्हम्दु लिल्लाह) मैं अल्लाह से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से, अबू बक्र व उमर से मुहब्बत रखता हूँ इसलिये इसका उम्मीदवार हूँ कि उनके साथ हूँगा। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

अस्तावे कहफ़ को अल्लाह तआला ने ऐसा रौब व जलाल

अता फरमाया था कि जो देखे डरकर भाग जाये

لِرَاطَلَتٍ عَلَيْهِمُ

जाहिर यह है कि इसमें ख़िताब आम लोगों को है, इसलिये इससे यह लाज़िम नहीं आता कि अस्तावे कहफ़ का रौब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर भी छा सकता था, आम मुख़ातब लोगों को फरमाया गया है कि अगर तुम उनके झोंककर देखो तो डरकर भाग जाओ और उनका रौब व हैबत तुम पर तारी हो जाये।

यह रौब व दहशत किस बिना और किन असबाब की वजह से था, इसमें बहस फ़ुज़ूल है

और इतने लिये कुरआन व हदीस ने इंसानों को बयान नहीं किया। हकीकत यह है कि अल्लाह तआला ने उनकी हिफाजत के लिये ऐसे हालात पैदा फरमा दिये थे कि उनके बदन पर धूप न पड़े और देखने वाला उनको जागा हुआ समझे और देखने वाले पर उनकी हैबत (खौफ व दहशत) तारी हो जाये, कि पूरी तरह देख न सके। ये हालात खास तबई असबाब की बिना पर होना भी मुम्किन है और बतौर करामत व करिश्मे के भी। जब कुरआन व हदीस ने इसकी कोई खास बजह मुतयिन नहीं फरमाई तो खाली अन्दाजों और अटकलों से इसमें बहस करना बेकार है। तफसीरे मजहरी में इसी को तरजीह दी है और ताईद में इब्ने अबी शैधा, इब्ने मुन्ज़िर, इब्ने अबी हातिम की सनद से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का यह वाकिआ नक़ल किया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने हम्म के मुक़ाबले में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जिहाद किया जो गुज़वतुल-मुज़ीफ़ के नाम से परिचित है उस सफ़र में हमारा गुज़र उस ग़ार पर हुआ जिसमें अरहाबे कहफ़ हैं, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरादा किया कि अरहाबे कहफ़ की तहकीक़ और देखने के लिये ग़ार में जायें, हज़रत इब्ने अब्बास ने मना किया और कहा कि अल्लाह तआला ने आप से बड़ी और बेहतर हस्ती (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को उनके देखने से मना कर दिया है और यही आयत पढ़ी:

لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ

(इससे मालूम हुआ कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक 'लवित्तलअ-त अलैहिम्' का खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को था मगर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्ने अब्बास की राय को क़बूल नहीं किया (ग़ालिबन बजह यह होगी कि उन्होंने आयत का मुखातब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बजाय आम मुखातब लोगों को करार दिया होगा, या यह कि यह हालत कुरआन ने उस वक़्त की बयान की है जिस वक़्त अरहाबे कहफ़ जिन्दा थे और सो रहे थे, अब उनकी वफ़ात को अरसा हो चुका है ज़रूरी नहीं कि अब भी वही रौब व दहशत की कैफ़ियत मौजूद हो। बहरहाल) हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास की बात क़बूल न की और चन्द आदमी तहकीक़ व देखने के लिये भेज दिये, जब ये लोग ग़ार में दाख़िल हुए तो अल्लाह तआला ने उन पर एक सख़्त गर्म हवा भेज दी जिसकी बजह से ये कुछ देख न सके। (तफ़सीरे-मजहरी)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِهَا
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۗ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَ
 طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۗ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۗ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
 يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۗ

व कज़ालि-क बअस्नाहुम्
 लि-य-तसाअलू बैनहुम्, का-ल
 काइलुम्-मिन्हुम् कम् लबिस्तुम्,
 कालू लबिस्ना यौमन् औ बअ-ज
 यौमिन्, कालू रब्बुकुम् अअलमु
 बिमा लबिस्तुम् फब्असू अ-ह-दकुम्
 बिवरिकिकुम् हाज़िही इलल्-मदीनति
 फल्यन्ज़ुर अय्युहा अज़का तआमन्
 फल्यअतिकुम् बिरिज़्किम्-मिन्हु
 वल्य-त-लत्तफ् व सा युशअिरन्-न
 बिकुम् अ-हदा (19) इन्नहुम्
 इय्यज़्हस अलैकुम् यरजुमूकुम् औ
 युअीडूकुम् फी मिल्लतिहिम् व लन्
 तुफिलहू इज़न् अ-बदा (20)

और इसी तरह उनको जगा दिया हमने
 कि आपस में पूछने लगे, एक बोला उनमें
 कितनी देर ठहरे तुम? बोले हम ठहरे एक
 दिन या दिन से कम, बोले तुम्हारा ख ही
 ख़ूब जाने जितनी देर तुम रहे हो अब
 भेजो अपने में से एक को अपना यह
 रुपया देकर इस शहर में फिर देखे कौन-
 सा खाना सुथरा है सो लाये तुम्हारे पास
 उसमें से खाना और नमी से जाये और
 जता न दे तुम्हारी ख़बर किसी को। (19)
 ये लोग अगर ख़बर पा लें तुम्हारी पत्थरों
 से मार डालें तुमको या लौटा लें तुमको
 अपने दीन में, और तब तो भला न होगा
 तुम्हारा कभी। (20)

खुलासा-ए-तफसीर

और (जिस तरह हमने अपनी काबिल क़ुदरत से उनको इतनी लम्बी मुद्दत तक सुलाया)
 उसी तरह (उस लम्बी नींद के बाद) हमने उनको जगा दिया, ताकि वे आपस में पूछ-ताछ करें
 (ताकि आपसी सवाल व जवाब के बाद उन पर हक़ तआला की क़ुदरत और हिंयमत ज़ाहिर हो,
 चुनौचे) उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि (इस नींद की हालत में) तुम कितनी देर रहे होगे?
 (जवाब में) बाज़ ने कहा कि (गालिबन) एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम रहे होंगे। दूसरे
 बाज़ ने कहा कि (इसकी तफ़तीश की क्या ज़रूरत है) यह तो (ठीक-ठीक) तुम्हारे खुदा ही को
 ख़बर है कि तुम कितनी देर (सोते) रहे, अब (इस फ़ुजूल बहस को छोड़कर ज़रूरी काम क़रना
 चाहिये वह यह कि) अपने में से किसी को यह रुपया (जो कहने वाले के पास होगा क्योंकि ये
 लोग ख़र्च के लिये रकम भी लेकर चले थे, गर्ज़ यह कि किसी को यह रुपया) देकर शहर की
 तरफ़ भेजो, फिर (वह वहाँ पहुँचकर) खोज करे कि कौन-सा खाना हलाल है (इस जगह लफ़ज़
 अज़का की तफ़सीर इब्ने जरीर की रिवायत के मुताबिक़ हज़रत सईद बिन जुबैर से यही मन्कूल
 है कि मुराद इससे हलाल खाना है, और इसकी ज़रूरत इसलिये पेश आई कि उनकी घुत-परस्त

कौम अक्सर अपने बुतों के नाम पर जानवर जिबह किया करते थी और बाज़ार में ज्यादातर यही हाराम गोश्त बिकता था), तो वह उसमें से तुम्हारे पास कुछ खाना ले आये। और काम बड़ी होशियारी से करे (कि ऐसी हालत और अन्दाज़ से जाये कि कोई उसको पहचाने नहीं और खाने की तहकीक करने में भी यह ज़ाहिर न होने दे कि बुत के नाम पर जिबह किये हुए को हाराम समझता है), और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे (क्योंकि) अगर वे लोग (यानी शहर वाले जिनको अपने ख्याल में अपने ज़माने के मुशिक लोग समझे हुए थे), कहीं तुम्हारी खबर पा जाएँगे तो तुमको या तो पत्थरों से मार डालेंगे या (ज़बरदस्ती) तुमको अपने मज़हब में फिर दाखिल कर लेंगे, और ऐसा हुआ तो तुमको कभी फलाह न होगी।

मज़ारिफ़ व मसाईल

कज़ालि-क। यह लफ़्ज़ तशबीह व भिसाल देने के लिये है, मुराद इस जगह दो वाकियों का आपस में एक जैसा होना बयान करना है, एक अस्हाबे कहफ़ के वाकिए की लम्बी नींद और लम्बी मुद्त तक सोते रहने का है जिसका जिक्र किसो के शुरू में आया है:

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

दूसरा वाकिया उस लम्बी मुद्त की नींद के बाद सही सालिम और बावजूद गिज़ा न पहुँचने के ताकतवर और तन्दुरुस्त उठने और जागने का है, ये दोनों अल्लाह तआला की कुदरत की निशानियाँ होने में एक जैसे हैं, इसी लिये इस आयत में जो उनके जगाने का जिक्र फरमाया तो लफ़्ज़ कज़ालि-क से इशारा कर दिया कि जिस तरह उनकी नींद आम इन्सानों की साधारण नींद की तरह नहीं थी उसी तरह उनका जागना भी आम नॉर्मल आदत से अलग और विशेष था, और इसके बाद जो 'लिय-तसा-अलू' फरमाया जिसके मायने हैं "ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे से पूछें कि नींद कितने समय तक रही?" यह उनके जगाने की इल्लत और वजह नहीं बल्कि आदी तौर पर पेश आने वाले एक वाकिए का जिक्र है इसलिये इसके लाम को मुफ़रिसरीन हज़रात ने लाम-ए-आकिबत था लाम-ए-सैररत का नाम दिया है (यह अरबी ग्रामर की बात है)। (अबू हम्यान, कुर्तुबी)

खुलासा यह है कि जिस तरह उनकी लम्बी नींद कुदरत की एक निशानी थी उसी तरह सैकड़ों साल के बाद घड़ेर किसी गिज़ा के ताकतवर, तन्दुरुस्त हालत में जागकर बैठ जाना भी अल्लाह की कामिल कुदरत की निशानी थी, और चूँकि कुदरत को यह भी मन्ज़ूर था कि खुद उन लोगों पर भी यह हकीकत खुल जाये कि सैकड़ों बरस सोते रहे तो इसकी शुरूआत आपस के सवालात से हुई, और अंत उस वाकिए पर हुआ जिसका जिक्र अगली आयत यानी सप्चर 21 में आया है, कि शहर के लोगों पर उनका राज़ खुल गया और मुद्त के मुतैयन करने में मतभेद के बावजूद लम्बे ज़माने तक ग़ोर में सोते रहने का सब को यक़ीन हो गया।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ

किस्से के शुरू में जो बात संक्षिप्त रूप से कही गई थी कि गार में रहने की मुद्त के मुताबिक आपस में मतभेद हुआ, उनमें से एक जमानत का कौल सही था यह उसकी लफसील है कि अस्हाबे कहफ में से एक शख्स ने सवाल उठाया कि तुम कितना सोये हो? तो कुछ ने जवाब दिया कि एक दिन या दिन का एक हिस्सा, क्योंकि ये लोग सुबह के वक़्त गार में दाखिल हुए थे और जागने का वक़्त शाम का वक़्त था, इसलिये ख्याल यह हुआ कि यह वही दिन है जिसमें हम गार में दाखिल हुए थे और सोने की मुद्त तक़रीबन एक दिन है, मगर उन्हीं में से दूसरे लोगों को कुछ यह एहसास हुआ कि शायद यह वह दिन नहीं जिसमें दाखिल हुए थे फिर मालूम नहीं कितने दिन हो गये इसलिये उसके इल्म को खुदा के हवाले किया:

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُمْ

और इस बहस को गैर-ज़रूरी समझकर असल काम की तरफ तवज्जोह दिलाई कि शहर से कुछ खाना लाने के लिये एक आदमी को भेज दिया जाये।

‘इलल्-मदीनति’। इस लफ़्ज़ से इतना तो साबित हुआ कि गार के करीब बड़ा शहर था जहाँ ये लोग रहते थे, उस शहर के नाम के बारे में अबू हय्यान ने तफसीर बहरे-मुहीत में फरमाया कि जिस ज़माने में अस्हाबे कहफ यहाँ से निकले थे उस वक़्त उस शहर का नाम अफ़सोस था और अब उसका नाम तरतूस है। इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में फरमाया कि बुत-परस्तों के उस शहर पर मलबे और जाहिलीयत के ज़माने में उसका नाम अफ़सोस था, जब उस ज़माने के मुसलमान यानी ईसाई लोग उस पर ग़ालिब आये तो उसका नाम तरतूस रख दिया।

‘बि-वरिकिकुम’ से मालूम हुआ कि ये हज़रत गार में आने के वक़्त अपने साथ कुछ रकम रुपया-पैसा भी साथ लाये थे। इससे मालूम हुआ कि ज़रूरी खर्च का एहतिमाय करना परहेज़गारी व तवक्कुल के खिलाफ़ नहीं। (तफसीर बहरे-मुहीत)

أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا

लफ़्ज़ अज़का के लफ़्ज़ी मायने पाक-साफ़ के हैं। तफसीर इब्ने जुबैर के मुताबिक़ इससे मुराद हलाल खाना है और इसकी ज़रूरत इसलिये महसूस की कि जिस ज़माने में ये लोग शहर से निकले थे वहाँ बुतों के नाम का ज़बीहा (जानवरों को ज़िबह करना) होता और वही बाज़ारों में फरोख्त होता था, इसलिये जाने वाले को यह ताकीद की कि इसकी तहकीक़ करके खाना लाये कि यह खाना हलाल भी है या नहीं।

मसला: इससे मालूम हुआ कि जिस शहर या जिस बाज़ार, होटल में अक्सरियत हाराम खाने की हो वहाँ का खाना बग़ैर तहकीक़ के खाना जायज़ नहीं।

أَوْ بِرَجْمٍ

रजम के मायने संगसार करने के हैं। बादशाह ने गार में जाने से पहले उनको धमकी दी थी कि अगर अपना यह दीन न छोड़ोगे तो कत्ल कर दिये जाओगे। इस आयत से मालूम हुआ कि उनके यहाँ उनके दीन से फिर जाने वाले की कत्ल की सज़ा संगसारी (पत्थर पार-मारकर ख़त्म

करने) भी सूत में दी जाती थी ताकि सब लोग उसमें शरीक हों, और सारी कौम अपने गुस्से व नाराजगी का इज़हार करके कत्ल करे।

इस्लामी शरीअत में शादीशुदा मर्द व औरत के जिना की सज़ा भी जो संगसार करके कत्ल करना तजवीज़ किया गया है शायद इसका भी पंशा यह हो कि जिस शख्स ने हया के सारे पदों को तोड़कर इस बुरे काम का अपराध किया है उसका कत्ल सार्वजनिक तौर पर सय लोगों की शिकत के साथ होना चाहिये ताकि उसकी रुखाई भी पूरी हो और सब मुसलमान अपनी तौर पर अपने गुस्से व नाराजगी का इज़हार करें, ताकि आईन्दा कौम में इस हरकत को दोहराया न जा सके।

فَاتَّعَفُوا أَحَدَكُمْ

इस बाकिए में अस्ताबे कहफ की जमाअत ने अपने में से एक आदमी को शहर भेजने के लिये चुना और रक़म उसके हवाले की कि वह खाना ख़रीद कर लाये। इमाम बुर्तुबी ने इब्ने खुवैज़ मिन्दाद के हवाले से फरमाया कि इससे चन्द फ़िक्ही मसाईल हासिल हुए।

चन्द मसाईल

पहला यह कि माल में शिकत जायज़ है क्योंकि यह रक़म सब की साझा थी। दूसरे यह कि माल में वकालत (वकील बनाना) जायज़ है कि साझा माल में कोई एक शख्स वकील की हैसियत से दूसरों की इजाज़त से अपने इख्तियार से खर्च करे। तीसरे यह कि चन्द साथी अगर खाने में शिकत रखें यह जायज़ है अगरचे खाने की मात्राएँ आदतन भिन्न और अलग-अलग होती हैं, कोई कम खाता है कोई ज्यादा।

وَكذلكَ اعْتَرَفنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذِيتَنَّا رَعُونَ
بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَأَيْتُمْ أَعْلَمَ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ
عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا

व कज़ालि-क अज़्सरना अलैहिम्
लि-यज़् लम् अन्-न वज़्दल्लाहि
हक्कुब्-व अन्नस्ताअ-त ला रै-ब
फीहा, इज़् य-तनाज़् अ-न बैनहुम्
अम्हुम् फकालुब् अलैहिम् बुन्यानन्,
रब्बुहुम् अज़् लमु बिहिम्, कालल्लजी-न

और इसी तरह ख़बर जाहिर कर दी हमने
उनकी ताकि लोग जान लें कि अल्लाह
का वायदा ठीक है, और कियामत के
आने में धोखा नहीं, जब झगड़ रहे थे
आपस में अपनी बात पर फिर कहने लगे
बनाओ उन पर एक इमारत, उनका रब
ख़ूब जानता है उनका हाल, बोले वे लोग

ग-लबू अला अभिहिम् ल-नत्खिज़न् न
अलैहिम् मस्जिदा (21)

जिनका काम गालिब था हम बनायेंगे
उनकी जगह पर इबादत-ख़ाना। (21)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

और (हमने जिस तरह अपनी कुदरत से उनको सुलाया और जगाया) इसी तरह हमने (अपनी कुदरत व हिक्मत से उस ज़माने के) लोगों को उन (के हाल) पर बाख़बर कर दिया, ताकि (और बहुत से फ़ायदों के साथ एक फ़ायदा यह भी हो कि) वे लोग (इस वाक़िए से दलील पकड़ करके) इस बात का यकीन (या ज़्यादा यकीन) कर लें कि अल्लाह तआला का वायदा सच्चा है, और वह यह कि क़ियामत में कोई शक़ नहीं (ये लोग अगर पहले से क़ियामत में ज़िन्दा होने पर ईमान रखते थे तो ज़्यादा यकीन इस वाक़िए से हो गया और अगर क़ियामत के इनकारी थे तो अब यकीन हासिल हो गया। यह वाक़िए तो अस्तावे कहफ़ की ज़िन्दगी में पेश आया फिर इन हज़रात ने वहीं ग़ार में वफ़ात पाई तो इनके बारे में उस ज़माने के लोगों में मतभेद हुआ जिसको आगे बयान फ़रमाया है कि) वह वक़्त भी ज़िक्र के काबिल है जबकि उस ज़माने के लोग उनके मामले में आपस में शगड़ रहे थे (और वह भामला उस ग़ार का मुँह बन्द करना था ताकि उनकी लाशें सुरक्षित रहें या उनकी यादगार कायम करना उद्देश्य था) तो उन लोगों ने कहा कि उनके (ग़ार के) पास कोई इमारत बनवा दो (फिर मतभेद हुआ कि वह इमारत क्या हो, इसमें रायें भिन्न और अलग-अलग हुईं तो मतभेद के वक़्त) उनका सब उन (के विभिन्न हालात) को ख़ूब जानता था (आख़िरकार) जो लोग अपने काम पर ग़ालिब थे (यानी जिनके हाथ में सत्ता और हुकूमत थी जो उस वक़्त हक़ दीन पर कायम थे) उन्होंने कहा कि हम तो उनके पास एक मस्जिद बना देंगे (ताकि मस्जिद इस बात की भी निशानी रहे कि ये लोग खुद आबिद थे, माबूद "पूज्य" न थे, और दूसरी इमारतों में यह सदेह व गुमान था कि आगे आने वाले उन्हीं को माबूद न बना लें)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَكَذَلِكَ نَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ

इस आयत में अस्तावे कहफ़ के राज़ का शहर वालों पर खुल जाना और इसकी हिक्मत, आख़िरत व क़ियामत का अक़ीदा कि सब मुर्दे दोबारा ज़िन्दा होंगे इस पर ईमान व यकीन हासिल होना बयान फ़रमाया है। तफ़्सीरे कुर्तुबी में इसका मुख़्तसर किस्ता इस तरह बयान किया गया है कि:

अस्तावे कहफ़ का हाल शहर वालों पर खुल जाना

अस्तावे कहफ़ के निकलने के वक़्त जो ज़ालिम और मुश्रिक बादशाह दक़ियानूस उस शहर

उस वक्त कि उस वक्त पर कब्जा हक और ईमान वालों का हो गया जो लौहीद (अल्लाह के एक और तन्हा माहूद थाने) पर बकीन रखते थे। उनका बादशाह एक नेक सालेह आदमी था (जिसका नाम तफसीरे गज़हरी में तारीखी रिवायतों से बैदूसीस लिखा है) उसके ज़माने में इतिफ़ाक़ से कियागत और उसमें सब मुर्दों के दोबारा ज़िन्दा होने के मसले में कुछ मतभेद और झगड़े फैल गये, एक फ़िर्का इसका इनकारी हो गया कि ये बदन गलने सड़ने, फिर टुकड़े-टुकड़े होकर सारी दुनिया में फैल जाने के बाद फिर ज़िन्दा हो जायेंगे। उस वक्त के बादशाह बैदूसीस को इसकी फ़िक्र हुई कि किस तरह उनके शक और शुद्धे दूर किये जायें। जब कोई तदबीर न बनी तो उसने टाट के कपड़े पहने और राख के ढेर पर बैठकर अल्लाह से दुआ की और रोना-गिड़गिड़ाना शुरू किया कि या अल्लाह! आप ही कोई ऐसी सूरत पैदा फ़रमा दें कि इन लोगों का अक़ीदा सही हो जाये और ये राह पर आ जायें। इस तरफ़ यह बादशाह रोने, फ़रियाद करने और दुआ में मसरूफ़ था दूसरी तरफ़ अल्लाह तआला ने इसकी दुआ की कुबूलियत का यह सामान कर दिया कि अस्हाबे कहफ़ जाग गये और उन्होंने अपने एक आदमी को (जिसका नाम तमलीखा बतलाया जाता है) उनके बाज़ार में भेज दिया। वह खाना खरीदने के लिये दुकान पर पहुँचा और तीन सौ बरस पहले बादशाह दकियानूस के ज़माने का सिक्का खाने की कीमत में पेश किया तो दुकानदार हैरान रह गया कि यह सिक्का कहाँ से आया? किस ज़माने का है? बाज़ार के दूसरे दुकानदारों को दिखलाया सब ने यह कहा कि इस शख्स को कहीं से पुराना खज़ाना हाथ आ गया है, उसमें से यह सिक्का निकाल कर लाया है। उसने इनकार किया कि न मुझे कोई खज़ाना मिला न कहीं से लाया, यह मेरा अपना रुपया है।

बाज़ार वालों ने उसको पकड़ करके बादशाह के सामने पेश कर दिया। यह बादशाह जैसा कि ऊपर बयान हुआ है एक नेक सालेह अल्लाह वाला था, और इसने सल्तनत के पुराने खज़ाने के पुराने आसार में कहीं वह तख़्ती भी देखी थी जिसमें अस्हाबे कहफ़ के नाम और उनके फ़रार हो जाने का वाक़िआ भी लिखा हुआ था। कुछ हज़रात के नज़दीक खुद ज़ालिम बादशाह दकियानूस ने यह तख़्ती लिखवाई थी कि ये इश्तिहारी मुजरिम हैं, इनके नाम और पते सुरक्षित रहें, जब कहीं मिलें गिरफ़्तार कर लिये जायें, और कुछ रिवायतों में है कि शाही दफ़्तर में कुछ ऐसे मोमिन भी थे जो दिल से बुत-परस्ती को बुरा समझते और अस्हाबे कहफ़ को हक़ पर समझते थे मगर जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी, उन्होंने यह तख़्ती बतौर यादगार के लिख ली थी, उसी तख़्ती का नाम रकीम है जिसकी वजह से अस्हाबे कहफ़ को अस्हाबे रकीम भी कहा गया।

गर्ज़ यह कि उस बादशाह को इस वाक़िए का कुछ इल्म था और उस वक्त वह इस दुआ में मशगूल था कि किसी तरह लोगों को इस बात का यकीन आ जाये कि मुर्दा जिस्मों को दोबारा ज़िन्दा कर देना अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत के सामने कुछ मुश्किल नहीं।

इसी लिये तमलीखा से उसके हालात की तहकीक़ की तो उसको इत्मीनान हो गया कि यह

उन्हीं लोगों में से है और उसने कहा कि मैं तो अल्लाह तआला से दुआ किया करता था कि मुझे उन लोगों से मिला दे जो दक्खानूस के ज़माने में अपना इमान बचाकर भागे थे, बादशाह इस पर खुश हुआ और कहा कि शायद अल्लाह तआला ने मेरी दुआ कुबूल फ़रमाई, इसमें लोगों के लिये शायद कोई हुज्जत (दलील और निशानी) हो जिससे उनको जिस्मों के साथ दोबारा ज़िन्दा होने का यकीन आ जाये, यह कहकर उस शख्स से कहा कि मुझे उस ग़ार पर ले चलो जहाँ से तुम आये हो।

बादशाह बहुत से शहर वालों के मजमे के साथ ग़ार पर पहुँचा, जब ग़ार करीब आया तो तमलीखा ने कहा कि आप ज़रा ठहरें मैं जाकर अपने साथियों को असल मामले से बाख़बर कर दूँ कि अब बादशाह मुसलमान तौहीद वाला है और क़ौम भी मुसलमान है, वे मिलने के लिये आये हैं, ऐसा न हो कि इल्लिला से पहले आप पहुँचें तो वे समझें कि हमारा दुश्मन बादशाह चढ़ आया है। इसके मुताबिक़ तमलीखा ने पहले जाकर साथियों को तमाम हालात सुनाये तो वे लोग इससे बहुत खुश हुए, बादशाह का स्वागत अदब व सम्मान के साथ किया, फिर वे अपने ग़ार की तरफ़ लौट गये, और अक्सर रिवायतों में यह है कि जिस वक़्त तमलीखा ने साथियों को यह सारा किस्सा सुनाया उसी वक़्त सब की वफ़ात हो गई, बादशाह से मुलाकात नहीं हो सकी। तफ़्सीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान ने इस जगह यह रिवायत नक़ल की है कि मुलाकात के बाद ग़ार वालों ने बादशाह ओर शहर वालों से कहा कि अब हम आप से रुख़सत चाहते हैं और ग़ार के अन्दर चले गये, उसी वक़्त अल्लाह तआला ने उन सब को वफ़ात दे दी। और बात यह है कि सही हकीक़त का इल्म तो अल्लाह तआला ही को है।

बहरहाल! अब शहर वालों के सामने अल्लाह तआला की कुदरत का यह अजीब वाकिआ ज़ाहिर होकर आ गया तो सब को यकीन हो गया कि जिस ज़ात की कुदरत में यह दाख़िल है कि तीन सौ बरस तक ज़िन्दा इनसानों को बग़ैर किसी ग़िज़ा और ज़िन्दगी के सामान के ज़िन्दा रखे और इस लम्बे समय तक उनको नींद में रखने के बाद फिर सही सालिम, ताक़तवर, तन्दुरुस्त उठा दे, उसके लिये यह क्या मुश्किल है कि मरने के बाद भी फिर इन जिस्मों को ज़िन्दा कर दे। इस वाकिए से उनके इनकार का सबब दूर हो गया कि जिस्मों के उठाये जाने को मुहाल और कुदरत से ख़ारिज समझते थे। अब मालूम हुआ कि मालिकुल-मलकूत की कुदरत को इनसानी कुदरत पर अन्दाज़ा करना खुद जहालत है।

इसी की तरफ़ इस आयत में इशारा फ़रमाया:

لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا.

यानी हमने अस्हाबे कहफ़ को लम्बे ज़माने तक सुलाने के बाद जगाकर बैठा दिया ताकि लोग समझ लें कि अल्लाह का वायदा यानी क़ियामत में सब मुर्दों के जिस्मों को ज़िन्दा करने का वायदा सच्चा है और क़ियामत के आने में कोई शक़ नहीं।

अस्हाबे कहफ़ की वफ़ात के बाद लोगों में मतभेद

अस्हाबे कहफ़ की बड़ाई और पाकीज़गी के तो सब ही कायल हो चुके थे, उनकी वफ़ात के बाद सब का ख़्याल हुआ कि ग़ार के पास कोई इमारत बतौर यादगार के बनाई जाये। इमारत के बारे में मतभेद हुआ, कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि शहर वालों में अब भी कुछ बुत-परस्त लोग मौजूद थे, वे भी अस्हाबे कहफ़ की जियारत को आते थे, उन लोगों ने इमारत बनाने में यह राय दी कि कोई आम फ़ायदे की इमारत बना दी जाये मगर हुकूमत के जिम्मेदार और बादशाह मुसलमान थे और उन्हीं का ग़ुलबा था, उनकी राय यह हुई कि यहाँ मस्जिद बना दी जाये जो यादगार भी रहे और आईन्दा बुत-परस्ती से बचाने का सबब भी बने। यहाँ इस मतभेद का जिक्र करते हुए दरमियान में कुरआन का यह जुमला है:

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

यानी उनका रब उनके हालात को पूरी तरह जानता है।

तफ़सीर बहरे-मुहीत में इस जुमले के मायने में दो ख़्याल व संभावनायें जिक्र किये हैं, एक यह कि यह कौल उन्हीं हाज़िर होने वाले शहर वालों का हो, क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद जब उनकी यादगार बनाने की राय हुई तो जैसा कि उमूमन यादगारी तामीरात में उन लोगों के नाम और ख़ास हालात का कतवा (लिखित प्लेट वगैरह) लगाया जाता है जिनकी यादगार में तामीर की गई है तो उनके नसब (ख़ानदान) और हालात के बारे में विभिन्न गुफ़्तगूएँ होने लगीं, जब किसी हकीकत पर न पहुँचे तो खुद उन्होंने ही आख़िर में अजिज होकर कह दिया:

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

और यह कहकर असल काम यानी यादगार बनाने की तरफ़ मुतवज्जह हो गये, जो लोग ग़ालिब थे उनकी राय मस्जिद बनाने की हो गई।

दूसरा गुमान व संभावना यह भी है कि यह कलाम हक़ तआला की तरफ़ से है जिसमें उस ज़माने के आपसी झगड़ा और इख़िलाफ़ करने वालों को तंबीह की गई है कि जब तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं और उसके इल्म के साधन व माध्यम भी तुम्हारे पास नहीं तो क्यों इस बहस में यक़्त जाया करते हो, और मुन्किन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में यहूद वगैरह जो इस वाकिए में इसी तरह की बेअसल बातें और बहसें किया करते थे उनकी तंबीह करना मकसूद हो। यल्लाहु सुब्बानहु व तआला आलम

मसला: इस वाकिए से इतना मालूम हुआ कि नेक लोगों और औलिया-अल्लाह की कब्रों के पास नमाज़ के लिये मस्जिद बना देना कोई गुनाह नहीं, और जिस हदीस में नबियों की कब्रों को मस्जिद बनाने वालों पर लानत के अलफ़ाज़ आये हैं उससे पुराद खुद कब्रों को सज्दे का मक़ाम बना देना है, जो सब के नज़दीक शिर्क व हराम है। (तफ़सीरे गज़हरी)

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَأَيْبَعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ

رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَتَأْمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِبَادَتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ

فَلَا تَمَارِقِيهم إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهم مَنهُم أَحَدًا ۚ

स-यकूलू-न सला-सतुर-राबिअुहुम्
कल्बुहुम् व यकूलू-न खाम्सतुन्
सादिसुहुम् कल्बुहुम् रजूम-बिल्गौबि
व यकूलू-न सबअतुव-व सामिनुहुम्
कल्बुहुम्, कुरबी अजलमु
बिअिददतिहिम् मा यजलमुहुम् इल्ला
कलीलुन्, फला तुमारि फीहिम् इल्ला
मिराअन् जाहिरव-व ला तस्तफित
फीहिम् मिन्दुम् अ-हदा (22) ❀

अब यही कहेंगे वे तीन हैं चौथा उनका कुत्ता, और यह भी कहेंगे वे पाँच हैं छठा उनका कुत्ता, बिना निशाना देखे पत्थर चलाना, और यह भी कहेंगे वे सात हैं और आठवाँ उनका कुत्ता, तू कह मेरा खूब जानता है उनकी गिनती, उनकी खबर नहीं रखते मगर थोड़े लोग, सो मत झगड़ उनकी बात में मगर सरसरी झगड़ा, और मत तहकीक कर उनका हाल उनमें किसी से। (22) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

(जिस वक़्त अस्हाबे कहफ़ का किस्सा बयान करेंगे तो) कुछ लोग तो कहेंगे कि वे तीन हैं चौथा उनका कुत्ता है, और कुछ कहेंगे कि वे पाँच हैं छठा उनका कुत्ता है, (और) ये लोग बिना छाने-फटके बात की हाँक रहे हैं, और कुछ कहेंगे कि वे सात हैं आठवाँ उनका कुत्ता है, आप (उन मतभेद करने वालों से) कह दीजिये कि मेरा खूब उनकी गिनती खूब (सही-सही) जानता है (कि इन विभिन्न अक़याल में कोई कौल सही भी है या सब ग़लत हैं) उन (की गिनती) को (सही-सही) बहुत कम लोग जानते हैं (और चूँकि तादाद मुतैयन करने में कोई खास फ़ायदा नहीं था इसलिये आयत में कोई साष्ट फ़ैसला नहीं फ़रमाया, लेकिन रिवायतों में हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से यह मन्कूल है कि उन्होंने फ़रमाया:

انمن القليل كانوا سبعة

यानी मैं भी उन कम लोगों में दाख़िल हूँ जिनके बारे में क़ुरआन ने फ़रमाया कि कम लोग जानते हैं, वे सात थे। जैसा कि तफ़सीर दुरै-यन्सूर अबी हातिम वग़ैरह के हवाले से बयान किया गया है, और आयत में भी इस कौल के सही होने का इशारा पाया जाता है, क्योंकि इस कौल को नक़ल करके इसको रह नहीं फ़रमाया बख़िलाफ़ पहले दोनों कौल के कि उनकी तरदीद में 'रजूम बिल्गौबि' फ़रमाया गया है। वल्लाहु आलम! सो (इस पर भी अगर वे लोग झगड़ने से

बाज न आये तो) आप उनके बारे में सरसरी बहस का अलावा ज्यादा बहस न कीजिए (यानी मुक़्तसर तौर पर तो उनके ख़्यालात का रद्द क़ुरआन की आयतों में आ ही चुका है जो 'रजमम् बिल्ग़ैबि कुरब्बी अज़्लमु' से बयान कर दिया गया है। पस सरसरी बहस यही है कि इसको काफ़ी समझें, उनके एतिराज़ के जवाब में इससे ज्यादा मशगूल होना और अपने दावे को साबित करने में ज्यादा कोशिश करना मुनासिब नहीं क्योंकि यह बहस ही कोई खास फ़ायदा नहीं रखती) और आप उन (अस्हाबे कहफ़) के बारे में उन लोगों में से किसी से भी कुछ न पूछिये (जिस तरह आपको उनके एतिराज़ व जवाब में ज्यादा कोशिश से मना किया गया इसी तरह इसकी भी मनाही फ़रमा दी कि अब इस मामले के संबन्ध में किसी से सवाल या तहकीक़ करें, क्योंकि जितनी बात ज़रूरी थी वह वही में आ गई, ग़ैर-ज़रूरी सवालात और तहकीकात नबियों की शान के खिलाफ़ है)।

मआरिफ़ व मसाईल

मतभेदी और विवादित बहसों में बातचीत के आदाब

'स-यकूलून' यानी वे लोग कहेंगे। वे कहने वाले लोग कौन होंगे, इसमें दो गुमान व संभावनाएँ हैं एक यह कि इनसे मुराद वही लोग हों जिनका अस्हाबे कहफ़ के ज़माने, नाम व खानदान वगैरह के बारे में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसका ज़िक्र इससे पहली आयत में आया है। उन्हीं लोगों में से कुछ ने उनकी संख्या के बारे में पहला, कुछ ने दूसरा, कुछ ने तीसरा कौल इख़्तियार किया था। (इसको तफ़्सीर बहरे-मुहीत में बयान किया गया है)

और दूसरी संभावना यह है कि इन कहने वालों से मुराद नजरान के ईसाई लोग हों, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उनकी संख्या के बारे में मुनाज़रा किया था, उनके तीन फ़िर्के थे— एक फ़िर्का मलकानिया के नाम से नामित था, उसने संख्या के बारे में पहला कौल कहा, यानी तीन का अ़दद बतलाया। दूसरा फ़िर्का याकूबिया था उसने दूसरा कौल यानी पाँच होना इख़्तियार किया। तीसरा फ़िर्का नस्तूरिया था इसने तीसरा कौल कहा कि सात थे और कुछ ने कहा कि यह तीसरा कौल मुसलमानों का था और आख़िरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़बर और क़ुरआन के इशारे से तीसरे कौल का सही होना मालूम हुआ।

(तफ़्सीर बहरे-मुहीत)

'व सामिनुहुम' (और उनमें का आठवाँ) यहाँ यह नुक्ता ध्यान देने के काबिल है कि इस जगह अस्हाबे कहफ़ की गिनती में तीन कौल नक़ल किये गये हैं— तीन, पाँच, सात, और हर एक के बाद उनके कुत्ते को शुमार किया गया है, लेकिन पहले दो कौल में उनकी तादाद और कुत्ते के गिनने में वाव आतिफ़ा नहीं लाया गया 'सलासतुराबिअुहुम कल्बुहुम' और 'ख़म्सतुनु सादिसुहुम कल्बुहुम' बिना वाव आतिफ़ा के आया और तीसरे कौल में 'सब्अतुन' के बाद वाव आतिफ़ा के साथ 'सब्अतुन्-व सामिनुहुम कल्बुहुम' फ़रमाया।

इसकी वजह मुफ़्फ़िरीन हज़रात ने यह लिखी है कि अरब के लोगों में अदद की गहली गिरह सात ही होती थी, सात के बाद जो अदद आये वह अलग-सा शुमार होता था, जैसा कि आजकल नौ का अदद इसके कायम-मकाम है कि नौ तक इकाई है दस से दहाई शुरू होती है एक अलग-सा अदद होता है, इसी लिये तीन से लेकर सात तक जो तादाद शुमार करते तो उस में वाव आतिफ़ा (मिलाने वाली वाव) नहीं लाते थे, सात के बाद कोई अदद बतलाना होता तो वाव आतिफ़ा के साथ अलग करके बतलाते थे, और इसी लिये इस वाव को 'वाव समान' (जाठ वाली वाव) का तक्बूब दिया जाता था। (तफ़्सीरे मज़हरी वगैरह)

अस्हाबे कहफ़ के नाम

असल बात तो यह है कि किसी सही हदीस से अस्हाबे कहफ़ के नाम सही-सही साबित नहीं, तफ़्सीरी और तारीख़ी रिवायतों में नाम अलग-अलग बयान किये गये हैं, उनमें ज्यादा करीब और सही यह रिवायत है जिसको तबरानी ने 'मोजम-ए-औसत' में सही सनद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि उनके नाम ये थे:

مُكَلِّمِنَا، تَمْلِيحًا، مَرطُونِي، سُونِي، سَارِيُونِي، ذُو نَوَاسِ، كَعْبُ طَيْوُنِي.

मुक्कलमीना, तम्लीखा, मरतूनस, सनूनस, सारीनूनस, जू-नवास, कअस्तितुयूनस।

فَلَا تُعَارِفِهِمْ إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرٍ وَلَا تَنْتَفِ فِيهِمْ بَيْنَهُمْ أَحَدًا 0

यानी आप अस्हाबे कहफ़ की संख्या वगैरह के बारे में उनके साथ बहस व मुबाहसे में अपनी ऊर्जा बरबाद न करें, बल्कि सरसरी बहस फ़रमायें, और उन लोगों से आप खुद भी कोई सवाल इसके बारे में न करें।

विवादित और मतभेदी मामलों में लम्बी बहसों से बचना चाहिये

इन दोनों जुमलों में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जो तालीम दी गई है वह दर हकीकत उम्मत के उलेमा के लिये अहम रहनुमा उसूल हैं कि जब किसी मामले में इख़िलाफ़ (मतभेद व विवाद) पेश आये तो जिस कदम ज़रूरी बात है उसको स्पष्ट करके बयान कर दिया जाये उसके बाद भी लोग गैर-ज़रूरी बहस में उलझे तो उनके साथ सरसरी बातचीत करके बहस ख़त्म कर दी जाये, अपने दावे को साबित करने, कोशिश व मेहनत और उनकी बात को रद्द करने में बहुत जोर लगाने से गुरेज़ किया जाये क्योंकि इसका कोई खास फ़ायदा तो है नहीं ज्यादा बहस व तकरार में वक़्त की बरबादी भी है और आपस में तल्ख़ी (कड़वाहट) पैदा होने का ख़तरा भी।

दूसरी हिदायत दूसरे जुमले में यह दी गई है कि अल्लाह की वही के ज़रिये से अस्हाबे कहफ़ के किस्से की जितनी मालूमात आपको दे दी गई हैं उन पर क़नाअत फ़रमायें कि वे बिल्कुल काफी हैं, ज्यादा की तहकीक़ात और लोगों से सवाल वगैरह में न पड़ें। और दूसरों से सवालात का एक पहलू यह भी हो सकता है कि उनकी जहालत या नावाक़िफ़ियत जाहिर करने

और उनके जलौल करने के लिये सवाल किया आये, यह भी नबियों के आख्याक के खिलाफ है, इसलिये दूसरे लोगों से दोनों तरह के सवाल करना मना कर दिया गया, यानी अतिरिक्त तहकीक के लिये हो या मुखातब की कम-इत्मी जाहिर करने और रुखा करने के लिये हो।

وَلَا تَقُولَنَّ إِنَّمَا إِلَهُي فَإِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَاوَةً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ وَادْكُرْ شَرِيكَكَ

إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلَيَّ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۖ وَكَيْتُبُوا فِي كَتَابِهِمْ تِلْكَ مِائَةً سِتِينَ ۖ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۖ قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُبُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّلِيٍّ ۖ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۖ

व ला तकूलन्-न लिशैइन् इन्नी
फाअिलुन् जालि-क गदा (23) इल्ला
अंयशा-अल्लाहु, वज़्कुर-रब्ब-क
इजा नसी-त व कुल असा
अंय्यस्दि-यनि रब्बी लिअकर-व मिन्
हाजा र-शदा (24) व लबिसू फी
कस्फ़हिम् सला-स मि-अतिन् सिनी-न
वज़्दादू तिस्रा (25) कुलिल्लाहु
अअल्मु बिमा लबिसू लहू
गैबुस्समावाति वलुअर्बि अब्सिर् बिही
व अस्मिअ, मा लहुम् मिन् दूनिही
मिंवलियिं-व ला युशिरकु फी
हुक्मिही अ-हदा (26)

और न कहना किसी काम को कि मैं करूँगा कल को (23) मगर यह कि अल्लाह चाहे, और याद कर ले अपने रब को जब भूल जाये और कह उम्मीद है कि मेरा रब मुझको दिखलाये इससे ज्यादा नजदीक रह नेकी की। (24) और मुद्दत गुजरी उन पर अपनी खोह में तीन सौ बरस और उनके ऊपर नौ। (25) तू कह अल्लाह ख़ूब जानता है जितनी मुद्दत उन पर गुजरी, उसी के पास हैं हुये भेद आसमान और जमीन के, क्या अजीब देखता है और सुनता है, कोई नहीं बन्दों पर उसके सिवा मुद्दतार, और नहीं शरीक करता अपने हुक्म में किसी को। (26)

खुलासा-ए-तफसीर

(और अगर लोग आप से कोई बात काबिले जवाब पूछें और आप जवाब का वायदा करें तो उसके साथ इन्शा-अल्लाह तआला या इसके जैसे मायनों वाला कोई लफ्ज ज़रूर मिला लिया करे, बल्कि वायदे की भी विशेषता नहीं हर-हर काम में इसका लिहाज़ रखिये कि) आप किसी काम के बारे में यूँ न कहा कीजिए कि मैं इसको (जैसे) कल कर दूँगा, मगर खुदा तआला के चाहने को (उसके साथ) मिला दिया कीजिए (यानी इन्शा-अल्लाह वगैरह भी साथ कह दिया)

कोजिये और आईन्दा भी ऐसा न हो जैसा कि इस वाकिए में पेश जाया कि आप से लोगों ने रुह और अस्हाबे कहफ़ और जुल्करनैन के बारे में सवाल किये, आपने बगैर इन्शा-अल्लाह कहे उनसे कल जवाब देने का वायदा कर लिया, फिर पन्द्रह दिन तक वही नाज़िल न हुई और आपको बड़ा गुम हुआ। इस हिदायत के साथ उन लोगों के सवाल का जवाब भी नाज़िल हुआ। जैसा कि लुबाब में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान किया गया है।

और जब आप (इत्तिफ़ाक़ से इन्शा-अल्लाह कहना) भूल जायें (और फिर कभी याद आये) तो (उसी शक़्त इन्शा-अल्लाह कहकर) अपने रब का जिक़र कर लिया कीज़िए और (उन लोगों से यह भी) कह दीजिए कि मुझको उम्मीद है कि मेरा रब मुझको (नुबुव्वत की दलील बनने के एतबार से) इस (किस्से) से भी नज़दीकी बात बतला दे (मतलब यह है कि तुमने मेरी नुबुव्वत का इम्तिहान लेने के लिये अस्हाबे कहफ़ बगैरह के किस्से पूछे जो अल्लाह तआला ने वही के ज़रिये मुझे बतलाकर तुम्हारी संतुष्टि कर दी मगर असल बात यह है कि इन किस्सों के सवाल व जवाब नुबुव्वत को साबित करने के लिये कोई बहुत बड़ी दलील नहीं हो सकती, यह काम तो कोई गैर-नबी भी जे दुनिया की तारीख़ से ज्यादा वाक़िफ़ हो वह भी कर सकता है, मगर मुझे तो अल्लाह तआला ने मेरी नुबुव्वत के साबित करने के लिये इससे भी बड़े न कटने वाले दलाईल और मौजिजे आता फ़रमाये हैं जिनमें सबसे बड़ी दलील तो खुद कुरआन है जिसकी एक आयत की भी सारी दुनिया भिलकर नक़ल नहीं उतार सकी, इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कियामत तक के वो वाक़िआत वही के ज़रिये मुझे बतला दिये गये हैं जो ज़माने के एतबार से भी अस्हाबे कहफ़ व जुल्करनैन के वाक़िआत के मुकाबले में ज्यादा दूर के हैं, और उनका इल्म भी किसी के लिये सिवाय वही के मुश्क़िन नहीं हो सकता। खुलासा यह है कि तुमने तो अस्हाबे कहफ़ और जुल्करनैन के वाक़िआत को सबसे ज्यादा अजीब समझकर इसी को नुबुव्वत के इम्तिहान के सवाल में पेश किया मगर अल्लाह तआला ने मुझे इससे भी ज्यादा अजीब-अजीब चीज़ों को उलूम अता फ़रमाये हैं)।

और (जैसा मतभेद व झगड़ा इन लोगों का अस्हाबे कहफ़ की तायदाद में है ऐसा ही उनके सोते रहने की मुद्दत में भी बहुत मतभेद है, हम इसमें सही बात बतलाते हैं कि) वे लोग अपने ग़ार में (नींद की हालत में) तीन सौ साल तक रहे, और नौ वर्ष ऊपर और रहे (और अगर इस सही बात को सुनकर भी वे इख़िलाफ़ करते रहे तो) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला उनके (सोते) रहने की मुद्दत को (तो तुम से) ज्यादा जानता है (इसलिये जो उसने बतला दिया वही सही है, और इस वाक़िए की क्या खुसूसियत है उसकी शान तो यह है कि) तमाम आसमानों और ज़मीन का ग़ैब का इल्म उसी को है, वह कैसा कुछ देखने वाला और कैसा कुछ सुनने वाला है। उनका अल्लाह तआला के सिवा कोई भी मददगार नहीं और न अल्लाह किसी को अपने हुक्म में शरीक (किया) करता है (खुलासा यह है कि न उसका कोई टक्कर देने वाला है न शरीक, ऐसी अज़ीम ज़ात की गुज़ालफ़त से बहुत डरना चाहिये)।

मकारिफ़ व मसाईल

ऊपर जिक्र हुई चार आयतों में अस्हाबे कहफ़ का किल्मा खत्म हो रहा है इनमें से पहली दो आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपकी उम्मत को यह तालीम दी गई है कि आने वाले ज़माने में किसी काम के करने का वायदा या इकरार करना हो तो उसके साथ इन्शा-अल्लाह तआला का कलिमा मिला लिया करें, क्योंकि आईन्दा का हाल किसको मातूम है कि जिन्दा भी रहेगा या नहीं, और जिन्दा भी रहा तो वह काम कर सकेगा या नहीं, इसलिये मोमिन को चाहिये कि अल्लाह पर भरोसा दिल में भी करे और ज़बान से इसका इकरार करे कि अगले दिन में किसी काम के करने को कहे तो यूँ कहे कि अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो मैं यह काम कल करूँगा, यही मायने है कलिमा इन्शा-अल्लाह तआला के।

तीसरी आयत में उस विवादित और मतभेदी बहस का फैसला किया गया है जित्तमें अस्हाबे कहफ़ के ज़माने के लोगों की रायें भी भिन्न थीं और मौजूदा ज़माने के यहूदियों व ईसाईयों के अक़वाल भी भिन्न और अलग-अलग थे, यानी ग़ार में सोते रहने की मुद्दत। इस आयत में बतला दिया गया कि वो तीन सौ नौ साल थे, गोया यह उस सक्षिप्तता की बज़ाहत है जो किस्से के शुरू में बयान हुआ था:

فَضَرْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ بَيْنَ عَدَاوٍ

इसके बाद चौथी आयत में फिर इससे मतभेद करने वालों को तंबीह की गई है कि असल हकीकत की तुमको ख़बर नहीं, उसका जानने वाला वही अल्लाह तआला है जो आसमानों और ज़मीन की सब छुपी चीज़ों को जानने वाला, सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है, उसने जो मुद्दत तीन सौ नौ साल बतला दी उस पर पुत्मईन हो जाना चाहिये।

आईन्दा काम करने पर इन्शा-अल्लाह कहना

तफ़सीरे लुबाब में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पहली दो आयतों के शाने जुज़ूल (उतरने के मौक़े और सबब) के बारे में यह नक़ल किया है कि जब मक्का वालों ने यहूदियों के कहने के मुताबिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अस्हाबे कहफ़ के किस्से वग़ैरह के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने उनसे कल जवाब देने का वायदा बग़ैर इन्शा-अल्लाह कहे हुए कर लिया था, बड़े रुतबे वालों और ख़ास लोगों की मामूली-सी कीताही पर तंबीह हुआ करती है इसलिये पन्द्रह दिन तक वही न आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बड़ा ग़म हुआ और मक्का के मुशिरक़ों को हंसने और मज़ाक़ उड़ाने का मौक़ा मिला। पन्द्रह दिन के इस अन्तराल के बाद जब इस सूरात में सवालनात का जवाब नाज़िल हुआ तो इसके साथ ही ये दो आयतें हिदायत देने के लिये नाज़िल हुईं कि आईन्दा किसी काम के करने को कहना हो तो इन्शा-अल्लाह कहकर इसका इकरार कर लिया करें कि हर काम अल्लाह तआला के इरादे और मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है, इन दोनों आयतों को अस्हाबे कहफ़ के किस्से

के खत्म पर लाया गया है।

मसला: इस आयत से एक तो यह मालूम हुआ कि ऐसी सूरत में इन्शा-अल्लाह कहना मुस्तहब (अच्छ और पसन्दीदा) है। दूसरे यह मालूम हुआ कि अगर भूले से यह कलिमा कहने से रह जाये तो जब याद आये उस वक़्त कह लें। यह हुकूम उस विशेष पापले के लिये है जिसके मुताल्लिक ये आयतें नाज़िल हुई हैं, यानी सिर्फ़ तबरूक और अपनी बन्दगी के इकरार के लिये यह कलिमा कहना मकसूद होता है कोई शर्त लगाना मकसूद नहीं होता, इसलिये इससे यह लाज़िम नहीं आता कि ख़रीद व बेच के मामलों और मुआहदों में जहाँ शर्तें लगाई जाती हैं और शर्त लगाना दोनों पक्षों के लिये मुआहदे का मदार है वहाँ भी अगर मुआहदे के वक़्त कोई शर्त लगाना भूल जाये तो फिर कभी जब याद आ जाये जो चाहे शर्त लगा ले, इस मसले में कुछ शुक्हा (कुरआन व हदीस के मसार्दल के माहिर उलेमा) का मतभेद भी है जिसकी तफ़सील मसार्दल की किताबों में है।

तीसरी आयत में जो ग़ार (खोह) में सोने की मुद्दत तीन सौ नौ साल बतलाये हैं, कुरआन की तरतीब व अन्दाज़ से जाहिर यही है कि यह मुद्दत का बयान करना हक़ तआला की तरफ़ से है। इपाप इब्ने कसीर ने इसी को पहले और बाद के मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत का कौल करार दिया है। अबू हय्यान और कुर्तुबी ने भी इसी को इख़्तियार किया है, मगर हज़रत क़तादा रह. वग़ैरह से इसमें एक दूसरा कौल यह भी नक़ल किया गया है कि यह तीन सौ नौ का कौल भी उन्हीं मतभेद करने वालों में से कुछ का है और अल्लाह तआला का कौल सिर्फ़ वह है जो बाद में फ़रमाया यानी 'अल्लाहु अज़्ज़लमु बिमा लबिसू' (कि अल्लाह जानता है कि उन पर कितनी मुद्दत गुज़री) क्योंकि पहला कौल तीन सौ नौ के मुतैयन करने का अगर अल्लाह का कलाम होता तो इसके बाद 'अल्लाहु अज़्ज़लमु बिमा लबिसू' कहने का मौक़ा न था, मगर मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने फ़रमाया कि ये दोनों जुमले हक़ तआला का कलाम हैं, पहले में असल हकीकत का बयान है और दूसरे में इससे मतभेद करने वालों को तंबीह (चेतावनी) है कि जब अल्लाह तआला की तरफ़ से मुद्दत का बयान आ गया तो अब इसको तस्लीम करना लाज़िम है, वही जानने वाला है सिर्फ़ अन्दाज़ों और रायों से उसकी मुख़ालफ़त व विरोध बेअक्ली है।

यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि कुरआने करीम ने मुद्दत के बयान करने में पहले तीन सौ साल बयान किये उसके बाद फ़रमाया कि इन तीन सौ पर नौ और ज़्यादा हो गये, पहले ही तीन सौ नौ नहीं फ़रमाया। इसका सबब मुफ़स्सिरीन हज़रत ने यह लिखा है कि यहूदियों व ईसाईयों में चूँकि सूरज के (यानी अंग्रेज़ी) साल का रिवाज था उसके हिसाब से तीन सौ साल ही होते हैं और इस्लाम में रिवाज चाँद के साल का है और चाँद के हिसाब में हर सौ साल पर तीन साल बढ़ जाते हैं, इसलिये तीन सौ साल अंग्रेज़ी पर चाँद के (यानी इस्लामी) हिसाब से नौ साल और ज़्यादा हो गये, इन दोनों सालों का फ़र्क व भेद बताने के लिये बयान का यह उनवान इख़्तियार किया गया।

एक सवाल यह पैदा होता है कि अरहाब क़रफ़ के मामले में खुद उनके ज़माने में फिर नबी

करोम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के दौर में यहूदियों व ईसाईयों में दो बाले मलमेद का सवाल था एक अस्थाबे कहफ की तादाद दूसरे गार में उनके सोते रहने की मुद्दत। कुरआन ने इन दोनों को बयान तो कर दिया मगर इस फर्क के साथ कि तादाद का बयान स्पष्ट अलफाज़ में नहीं आया, इशारे के तौर पर आया कि जो कौल सही था उसकी तरदीद नहीं की और मुद्दत के निर्धारण को साफ व खुले अलफाज़ में बतलाया:

وَلَوْ اَفِي كَيْفِهِمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ سِنِينَ وَاَزْدَادُوا تِسْعًا

बजह यह है कि कुरआन ने अपने इस अन्दाज़ से इस तरफ इशारा फरमाया कि तादाद (संख्या) की बहस तो बिल्कुल ही फ़ुज़ूल है उससे किसी दुनियावी या दीनी मसले का ताल्लुक नहीं, अलाबत्ता लम्बी मुद्दत तक इनसानी आदत के खिलाफ़ सोते रहना और बगैर गिज़ा के सही तन्दुरुस्त रहना, फिर इतने अरसे के बाद स्वस्थ और ताकतवर उठकर बैठ जाना कियामत में उठने की एक नज़ीर है, इससे कियामत व आखिरत के मसले पर दलील पकड़ी जा सकती है इसलिये इसको स्पष्ट रूप से बयान कर दिया।

जो लोग मौजिज़ों और आम आदत के खिलाफ़ पेश आने वाली चीज़ों के बा तो इनकारी हैं या कम से कम आजकल के इस्लामी तारीख़ व उलूम को जानने वाले यहूदियों व ईसाईयों के एतिराज़ों से मरऊब होकर उनमें इधर-उधर का मतलब बयान करने के आदी हैं उन्होंने इस आयत में भी हज़रत क़तादा की तफ़सीर का सहारा लेकर तीन सौ नौ साल की मुद्दत उन्हीं लोगों का कौल करार देकर रह करना चाहा है, मगर इस पर गौर नहीं किया कि कुरआन के शुरू के जुमले में जो लफ़ज़ 'सिनी-न अ-ददा' का आया है उसको तो सिवाय अल्लाह तआला के किसी का कौल नहीं कहा जा सकता, मौजिज़े और करामत के सुबूत के लिये इतना भी काफी है कि सालों साल कोई सोता रहे और फिर सही तन्दुरुस्त जिन्दा उठकर बैठ जाये। वल्लाहु आलम

وَأَنزَلْنَا مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ

دُونِهِ مُتَسَدِّدًا ۝ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْخَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ عَذَابٍ تَجْرِبُهُمْ مِنْ تَحْتِهِمْ أَنْ يُرْمَعُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاطِيرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

वल्लु मा ऊहि-य इलै-क मिन् कित्ताबि
 रब्बि-क ला मुबदिद-ल लि-कलिमातिही,
 व लन् तजि-द मिन् दूनिही मुल्ल-हदा
 (27) वस्बिर् नफस-क मअल्लजी-न
 यद् अ-न रब्बहुम् बिल्गदाति
 वल्लअशिष्यि युरीदू-न वज्हहू व ला
 तअद्दु अना-क अन्हुम् तुरीदु
 जीनतल्-हयातिदुदुन्या व ला तुतिअ
 मन् अगुफल्ना कल्बहू अन् जिक्किना
 वत्त-ब-अ हवाहु व का-न अम्रुहू
 फुरुता (28) ▲ व कुलिल्-हक्कु
 भिर्रब्बिकुम्, फ-मन् शा-अ
 फल्युअमिं-व मन् शा-अ फल्यक्फुर
 इन्ना अअ्तदना लिज्जालिमी-न
 नारन् अहा-त बिहिम् सुरादिकुहा, व
 इय्यस्तगीसू युगासू बिमाइन् कल्मुस्लि
 यशिवल्-वुजू-ह, बिअसशशाराबु, व
 साअत् मुरत-फका (29) इन्नल्लजी-न
 आमन् व अमिलुस्सालिहाति इन्ना
 ला नुजीअु अज्-र मन् अहस-न
 अ-मला (30) उलाइ-क लहुम्
 जन्नातु अदनिन् तजरी मिन्
 तस्तिहिगुल्-अन्हारु युहल्लौ-न फीहा
 मिन् असावि-र मिन् ज-हबिं-व
 यल्लसू-न सियाबन् खुजूरम्-मिन्

और पढ़ जो वही हुई तुझको तेरे रब की
 किताब से, कोई बदलने वाला नहीं उसकी
 बातें और कहीं न पायेगा तू उसके सिवा
 छुपने को जगह। (27) और रोके रख
 अपने आपको उनके साथ जो पुकारते हैं
 अपने रब को सुबह और शाम, तालिब हैं
 उसके मुँह के, और न दौड़ें तेरी आँखें
 उनकी छोड़कर दुनिया की जिन्दगानी की
 रैनक की तलाश में, और न कहा मान
 उसका जिसका दिल ग्राफिल किया हमने
 अपनी याद से, और पीछे पड़ा हुआ है
 अपनी इच्छा के और उसका काम है हद
 पर न रहना। (28) ▲ और कह सच्ची
 बात है तुम्हारे रब की तरफ से, फिर जो
 कोई चाहे माने और जो कोई चाहे न
 माने हमने तैयार कर रखी है गुनाहगारों
 के वास्ते आग, कि घेर रही हैं उनको
 उसकी क़नातों, और अगर फरियाद करेंगे
 तो मिलेगा पानी जैसे पीप भून डाले मुँह
 को, क्या बुरा पीना है, और क्या बुरा
 आराम। (29) बेशक जो लोप यकीन
 लाये और कीं नेकियाँ, हम नहीं खाते
 बदला उसका जिसने मला किया काम।
 (30) ऐसों के वास्ते बाग हैं बसने के,
 बहती हैं उनके नीचे नहरें, पहनाये जायेंगे
 उनको वहाँ कंगन सोने के, और पहनेंगे
 कपड़े सव्ज बारीक और गाढ़े रेशम के

सुन्दुसिंध-व इस्तबकिम्-मुत्किई-न
फीहा अलत् अराइकि, निअ्पत्सवाबु,
व हसुनत् मुत्-फका (31) ❀

तकिया लगाये हुए उनमें तख्तों पर, क्या
खूब बदला है और क्या खूब
आसाम। (31) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और (आपका काम सिर्फ़ इस कदम है कि) आपके पास जो आपके रब की किताब वही के जरिये से आई है वह (लोगों के सामने) पढ़ दिया कीजिए (इससे ज्यादा इसकी फिक्र में न पड़ें कि दुनिया के बड़े लोग अगर इस्लाम की मुखालफत करते रहे तो दीन को तरक्की किस तरह होगी, क्योंकि इसका अल्लाह तआला ने खुद वायदा फरमा लिया है और) उसकी बातों को (यानी वायदों को) कोई बदल नहीं सकता (यानी सारी दुनिया के मुखालिफ़ भी मिलकर अल्लाह को वायदा पूरा करने से नहीं रोक सकते, और अल्लाह तआला खुद अगरचे बदल डालने पर क़ुदरत रखते हैं मगर वह तब्दील नहीं करेंगे) और (अगर आपने उन बड़े लोगों की दिलजोई इस तरह की जिससे अल्लाह के अहकाम छूट जायें तो फिर) आप अल्लाह तआला के सिवा और कोई पनाह की जगह न पाएँगे (अगरचे अल्लाह के अहकाम का छूटना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शर्ई दलीलों की वज़ाहत के मुताबिक़ मुहाल है, यहाँ ताकीद व मुबालगे के लिये और एक असंभव चीज़ को फर्ज़ कर लेने के तौर पर यह कहा गया है)। और (जैसा कि काफ़िरों के अमीरों और सरदारों से आपको बेपरवाह रहने का हुक्म दिया गया है इसी तरह ग़रीब मुसलमानों के हाल पर और ज्यादा तवज्जोह का आपको हुक्म है, पर) आप अपने को उन लोगों के साथ (बैठने में) रोके रखा कीजिए जो सुबह व शाम (यानी हमेशा) अपने रब की इबादत सिर्फ़ उसकी खुशी हासिल करने के लिये करते हैं (कोई दुनियावी गुर्ज़ नहीं) और दुनिया की ज़िन्दगी की रौनक के ख़्याल से आपकी आँखें (यानी तवज्जोह) उनसे हटने न पाएँ (दुनिया की रौनक के ख़्याल से मुराद यह है कि सरदार लोग मुसलमान हो जायें तो इस्लाम की रौनक बढ़ेगी, इस आयत में बतला दिया गया कि इस्लाम की रौनक माल व दौलत से नहीं बल्कि इख़्लास व फ़रमाँबरदारी से है, वह ग़रीब फ़कीर लोगों में हो तो भी इस्लाम की रौनक बढ़ेगी)।

और ऐसे शख्स का कहना (ग़रीबों को मज्लिस से हटा देने के बारे में) न पानिये जिसके दिल को हमने (उसके बैर और मुखालफ़त की सज़ा में) अपनी याद से गाफ़िल कर रखा है, और वह अपनी नपूसानी इच्छा पर चलता है, और उसका यह हाल (यानी इच्छा की पैरवी) हद से गुज़र गया है। और आप (उन सरदार काफ़िरों से साफ़) कह दीजिये कि (यह दीने) हक़ तुम्हारे रब की तरफ़ से (आया) है, सो जिसका जी चाहे ईमान ले आवे और जिसका जी चाहे काफ़िर रहे (हमारा कोई नफ़ा नुक़सान नहीं, बल्कि नफ़ा नुक़सान खुद उसका है, जिसका बयान यह है कि) बेशक़ हमने ऐसे ज़ालिमों के लिये (दोज़ख़ की) आग तैयार कर रखी है, कि उस आग की

कनातें उनको घेरे होंगी (यानी वे कनातें भी आग ही की हैं जैसा कि हदीस में है कि "ये लोग उस घेरे से न निकल सकेंगे")। और अगर (प्यास से) फ़रियाद करेंगे तो ऐसे पानी से उनकी फ़रियाद पूरी की जाएगी जो (देखने में बुरा होने में तो) तेल की तलछट की तरह होगा (और तेज़ गर्म ऐसा होगा कि पास लाते ही) मुँहों को भून डालेगा (यहाँ तक कि चेहरे की खाल उतरकर गिर पड़ेगी जैसा कि हदीस में है) क्या ही बुरा पानी होगा और यह दोज़ख़ भी क्या ही बुरी जगह होगी (यह तो ईमान न लाने का नुक़सान हुआ और ईमान लाने का नफ़ा यह है कि) बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये तो हम ऐसों का बदला बरबाद न करेंगे जो अच्छी तरह काम को करे। ऐसे लोगों के लिये हमेशा रहने के बाग़ हैं, उनके (ठिकानों के) नीचे नहरें बहती होंगी, उनको वहाँ सोने के कंगन पहनाये जाएँगे और हरे रंग के कपड़े बारीक और मोटे रेशम के पहनेंगे (और) वहाँ मसहरियों पर तकिये लगाये बैठें होंगे। क्या ही अच्छा बदला है और (जन्नत) क्या ही अच्छी जगह है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

दावत व तब्लीग़ के खास आदाब

وَأَصْرَفْكَ

इस आयत (यानी आयत नम्बर 28) के शाने नुज़ूल में चन्द वाकिआत बयान हुए हैं, हो सकता है कि वो सब ही अल्लाह के इस इरशाद फ़रमाने का सबब बने हों। इमाम बग़वी रह. ने नक़ल किया है कि उयैना बिन हसन फ़ज़ारी मक्के का सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपके पास हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे जो ग़रीब सहाबा में से थे, उनका लिबास ख़स्ता और हालत फ़कीरों की थी, और भी इसी तरह के कुछ फ़कीर ग़रीब मजमे में थे। उयैना ने कहा कि हमें आपके पास आने और आपकी बात सुनने से यही लोग रुकावट हैं, ऐसे ख़स्ताहाल लोगों के पास हम नहीं बैठ सकते, आप इनको अपनी मज्लिस से हटा दें या कम से कम हमारे लिये अलग मज्लिस बना दें और इनके लिये अलग।

इन्हे मरदूया ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि उयैना बिन ख़लफ़ जमही ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह मश्वरा दिया कि ग़रीब फ़कीर शिख़स्ताहाल मुसलमानों को आप अपने करीब न रखें बल्कि भक्का और कुरैश के सरदारों को साथ लगायें, ये लोग आपका दीन कुयूल कर लेंगे तो दीन को तरफ़की होगी।

इस तरह के वाकिआत पर अल्लाह का यह इरशाद नाज़िल हुआ जिसमें उनका मश्वरा कुबूल करने से सख़्ती के साथ मना किया गया, और सिर्फ़ यही नहीं कि उनको अपनी मज्लिस से हटायें नहीं, बल्कि हुक्म यह दिया गया कि 'दस्बिरु नफ़स-क' यानी आप अपने नफ़स को उन लोगों के साथ बाँधकर रखें। इसका यह मफ़हूम नहीं कि किसी वक़्त अलग न हों, बल्कि मराद

यह है कि ताल्लुकात और तबज्जोह सब उन लोगों के साथ जुड़ी रहे, आपलात में उन्हीं से मशिवरा ले, उन्हीं की इमदाद व सहयोग से काम करें। और इसकी वजह और हिक्मत इन अलफ़ाज़ से बतला दी गई कि ये लोग सुबह शाम यानी हर हाल में अल्लाह को पुकारते और उसी का जिक्र करते हैं, इनका जो अमल है वह ख़ालिस अल्लाह तआला की रज़ा तलब करने के लिये है, और ये सब हालत वो हैं जो अल्लाह तआला की मदद को खींचते हैं अल्लाह की मदद ऐसे ही लोगों के लिये आया करती है। चन्द दिन की परेशानी और किसी का सहारा न मिलने से पसराये नहीं, अन्जामकार फ़तह व कामयाबी उन्हीं को हासिल होगी।

और कुरैश के सरदारों का मशिवरा कुबूल करने की मनाही की वजह भी आचलों के आख़िर में यह बतलाई कि उनके दिल अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल हैं और उनके सब काम अपनी नफ़्सानी इच्छाओं के ताबे हैं, और ये हालात अल्लाह तआला की रहमत व मदद से उनको दूर करने वाले हैं।

यहाँ यह सवाल हो सकता है कि उनका यह मशिवरा तो काबिले अमल था कि उनके लिये एक मज्लिस अलग कर दी जाती ताकि उनको इस्लाम की दावत पहुँचाने में और उन लोगों को कुबूल करने में सहूलत होती, मगर इस तरह की तक़सीम में घमंडी व नाफ़रमान मालदारों का एक ख़ास सम्मान था जिससे ग़रीब मुसलमानों का दिल टूटता या हौसला पस्त हो सकता था अल्लाह तआला ने इसको ग़ायब न फ़रमाया और दावत व तब्लीग़ का उसूल यही करार दे दिया कि इसमें किसी का कोई फ़र्क और विशेषता न होनी चाहिये। बल्लाहु आलम

जन्नत वालों के लिये ज़ेवर

يَخْلَوْنَ فِيهَا

इस आयत (यानी आयत नम्बर 31) में जन्नती मर्दों को भी सोने के कंगन पहनाने का जिक्र है। इस पर यह सवाल हो सकता है कि ज़ेवर पहनना तो मर्दों के लिये न मुनासिब है न कोई ख़ूबसूरती और ज़ीनत, जन्नत में अगर उनको कंगन पहनाये गये तो वे उनको बुरी शक़ल व सूरत वाला बना देंगे।

जवाब यह है कि सिंगार व ख़ूबसूरती उर्फ़ व रिवाज के ताबे है, एक मुल्क और ख़ित्ते में जो चीज़ ख़ूबसूरती व सिंगार समझी जाती है दूसरे मुल्कों और ख़ित्तों में कई बार वह काबिले नफ़रत करार दी जाती है, और ऐसा ही इसके विपरीत भी है। इसी तरह एक ज़माने में एक ख़ास चीज़ ज़ीनत (सिंगार व सजावट) होती है दूसरे ज़माने में वह ऐब हो जाता है। जन्नत में मर्दों के लिये भी ज़ेवर और रेशमी कपड़े ख़ूबसूरती व सजावट करार दिये जायेंगे तो वहाँ इससे किसी को अजनबियत का पहसास न होगा, यह सिर्फ़ दुनिया का कानून है कि यहाँ मर्दों को सोने का कोई ज़ेवर यहाँ तक कि अंगूठी और घड़ी की चैन भी सोने की इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। इसी तरह रेशमी कपड़े मर्दों के लिये जायज़ नहीं। जन्नत का यह कानून न होगा, वह इस सारे ज़हान से अलग एक ज़हान है उसको इस बिना पर किसी चीज़ में भी क़ियास और अन्दाज़ा

नहीं किया जा सकता।

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَ
 جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَبْرًا كَانَا الْجَنَّتَيْنِ اثْنَتَا أَكْثَابًا وَلَمْ نُظَلِّمْ مِنْهُ شَيْئًا وَوَجَرْنَا خِلْفَهُمَا
 نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ
 وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَتْ
 لِي رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي
 خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي
 أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقْلَ
 مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَلَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ
 السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأَحْيَيْتَ بِثَمَرِهِ
 فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا بَيْتِي لِمَ أُشْرِكُ
 بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هَذَاكَ
 الْوَلَايَةَ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

<p>वज़िब् लहुम् म-सलरजुलैनि जअल्ना लि-अ-हदिहिमा जन्नतैनि मिन् अअनाबिन्-व हफफनाहुमा बिनखिल्व -व जअल्ना बैनहुमा जरआ (32) किल्तल्-जन्नतैनि आतत् उकु-लहा व लम् तज़िलम् मिन्हु शैअन्-व फज्जर्ना खिलालहुमा न-हरा (33) व का-न लहू स-परुन् फका-ल लिसाहिबिही व हु-व युहाविरुहू अ-न अक्सरु मिन्-क मालन्-व अ-अज़्ज़ु न-फरा (34) व द-ख-ल जन्न-तहू</p>	<p>और बतला उनको मिसाल दो मर्दों की कर दिये हमने उनमें से एक के लिये दो वाग अंगूर के और उनके गिर्द खजूरें और रखी दोनों के बीच में खेती। (32) दोनों वाग लाते हैं अपना मेवा और नहीं घटाते उसमें से कुछ, और बहा दी हमने उन दोनों के बीच नहर। (33) और मिला उसको फल फिर बोला अपने साथी से जब बातें करने लगा उससे -- मेरे पास ज्यादा है तुझसे माल और आबरू के लोग। (34) और गया अपने वाग में और</p>
---	--

व हु-व जालिमुल् लिनफिसही का-ल
 मा अजुन्नु अन् तबी-द हाजिही
 अ-बदा (35) व मा अजुन्नुस्सा-अ-त
 काइ-मतं-व ल-इरुदित्तु इला रब्बी
 ल-अजिदन्-न खौरम्-मिन्हा
 मुन्क-लबा (36) का-ल लहू साहिबुहू
 व हु-व युहाविरुहू अ-कफर-त
 बिल्लजी ख-ल-क-क मिन् तुराबिन्
 सुम्-म मिन् नुत्फतिन् सुम्-म सव्वा-क
 रजुला (37) लाकिन्-न हुवल्लाहु
 रब्बी व ला उशिरकु विरब्बी अ-हदा
 (38) व लौ ला इज़् दखाल-त
 जन्न-त-क कुल्-त मा शाअल्लाहु ला
 कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि इन् तरनि
 अ-न अकल्-ल मिन्-क पालं-व-व
 व-लदा (39) फ-असा रब्बी
 अंयुअति-यनि खौरम्-मिन्
 जन्नति-क व युरसि-ल अलैहा
 हुस्वानम्-मिनस्समा-इ फतुस्बि-ह
 सअीदन् ज-लका (40) औ युस्बि-ह
 माउहा गौरन् फ-लन् तस्तती-अ लहू
 त-लबा (41) व उही-त बि-स-मरिही
 फ-अस्ब-ह युक्लिबु कफ्फैहि अला
 मा अन्फ-क फीहा व हि-य

वह बुरा कर रहा था अपनी जान पर,
 बोला नहीं आता मुझको ख्याल कि ख़राब
 हो यह बाग़ कभी। (35) और नहीं ख्याल
 करता हूँ कि क़ियामत आने वाली है,
 और अगर कभी पहुँचा दिया गया मैं
 अपने रब के पास पाऊँगा बेहतर इससे
 वहाँ पहुँचकर। (36) कहा उसको दूसरे ने
 जब बात करने लगा— क्या तू पुन्क़ि़र हो
 गया उससे जिसने पैदा किया तुझको
 गिट्टी से, फिर क़तरे से, फिर पूरा कर
 दिया तुझको मर्द। (37) फिर मैं तो यही
 कहता हूँ वही अल्लाह है मेरा रब, और
 नहीं मानता शरीक अपने रब का किसी
 को। (38) और जब तू आया था अपने
 बाग़ में क्यों न कहा तूने जो चाहे
 अल्लाह सो हो, ताक़त नहीं अगर जो दे
 अल्लाह, अगर तू देखता है मुझको कि मैं
 कम हूँ तुझसे माल और औलाद में (39)
 तो उम्मीद है कि मेरा रब दे मुझको तेरे
 बाग़ से बेहतर और भेज दे इस पर लू
 का एक झोंका आसमान से, फिर सुबह
 को रह जाये मैदान साफ़। (40) या सुबह
 को हो रहे इसका पानी खुश्क़ फिर न ला
 सके तू उसको ढूँढकर। (41) और समेट
 लिया गया उसका सारा फल फिर सुबह
 को रह गया हाथ नचाता उस माल पर

खावि-यतुन् अला अुरुशिहा व
 यकूलु यालैतनी लम् उशिरक् बिरब्बी
 अ-हदा (42) व लम् तकुल्लहू
 फि-अतुंय्यन्सुरुनहू मिन् दूनिल्लाहि
 व मा का-न मुन्तसिरा (43)
 हुनालिकल्-वला-यतु लिल्लाहिल्-
 हविक, हु-व खौरुन् सवायंय-व
 खौरुन् जुक्बा (44) ❀

जो उसमें लगाया था और वह गिरा पड़ा
 था अपनी छतरियों पर और कहने लगा
 क्या ख़ूब होता अगर मैं शरीक न बनाता
 अपने रब का किसी को। (42) और न
 हुई उसकी जमाअत कि मदद करें उसकी
 अल्लाह के सिवा और न हुआ वह कि
 खुद बदला ले सके। (43) यहाँ सब
 इख़्तियार है अल्लाह सच्चे का, उसी का
 इनाम बेहतर है और अच्छा है उसी का
 दिया हुआ बदला। (44) ❀

खुलासा-ए-तफ़्सीर

और आप (दुनिया के फ़ानी होने और आख़िरत के बाकी रहने को ज़ाहिर करने के लिये) दो
 शख्सों का हाल (जिनमें आपसी दोस्ती या रिश्तेदारी का ताल्लुक था) बयान कीजिए (ताकि
 काफ़िरी का ख़्याल बातिल हो जाये और मुसलमानों को तसल्ली हो)। उन दो शख्सों में से एक
 को (जो कि बंद-दीन था) हमने दो बाग़ अँगूर के दे रखे थे, और उन दोनों (बाग़ों) का खजूर के
 पेड़ों से घेरा बना रखा था, और उन दोनों (बाग़ों) के बीच में खेती भी लगा रखी थी। (और)
 दोनों बाग़ अपना पूरा फल देते थे, और किसी के फल में ज़रा भी कमी न रहती थी (दूसरे बाग़ों
 के खिलाफ़ कि कभी किसी पेड़ में और किसी साल पूरे बाग़ में फल कम आता है) और उन
 दोनों (बाग़ों) के बीच में नहर चला रखी थी। और उस शख्स के पास और भी मालदारी का
 सामान था, सो (एक दिन) अपने उस (दूसरे) साथी से इधर-उधर की बातें करते-करते कहने
 लगा कि मैं तुझसे माल में भी ज़्यादा हूँ और मजमा भी मेरा ज़बरदस्त है (मतलब यह था कि तू
 मेरे तरीके को बातिल और अल्लाह के नज़दीक नापसन्द कहता है तो अब तू देख ले कि कौन
 अच्छा है, अगर तेरा दावा सही होता तो मामला उल्टा होता, क्योंकि दुश्मन को कोई नवाज़ा नहीं
 करता और दोस्त को कोई नुक़सान नहीं पहुँचाता)। और वह (अपने उस साथी को साथ लेकर)
 अपने ऊपर (कुफ़्र का) जुर्म कायम करता हुआ अपने बाग़ में पहुँचा (और) कहने लगा कि मेरा
 तो ख़्याल नहीं है कि यह बाग़ (मेरी ज़िन्दगी में) कभी भी बरबाद होगा (इससे मालूम हुआ कि
 वह खुदा के यजूद और हर चीज़ पर उसकी क़ुदरत का कायल न था बस हिफ़ाज़त के ज़ाहिरी
 सामान को देखकर उसने यह धातचीत की)। और (इसी तरह) मैं कियामत को नहीं ख़्याल करता
 कि आयेगी, और अगर (मान लो जबकि यह असंभव है कि कियामत आ भी गई और) मैं अपने
 रब के पास पहुँचाया गया (जैसा कि तेरा अक्कीदा है) तो ज़रूर इस बाग़ से बहुत ज़्यादा अच्छी

जबकि मुझको मिलेगी (क्योंकि जन्नत को जगहों का दुनिया से अच्छा और बेहतर होने का तो तुझे भी इकरार है और यह भी तुझे तस्लीम है कि जन्नत अल्लाह के मकबूल बन्दों को मिलेगी, मेरी मकबूलियत के निशानात व आसार तो तू दुनिया ही में देख रहा है अगर मैं अल्लाह के नजदीक मकबूल न होता तो बागात क्यों मिलते, इसलिये तुम्हारे इकरार व मानने के मुताबिक भी मुझे वहाँ वहाँ से अच्छे बाग मिलेंगे)।

उस (की ये बातें सुनकर उस) से उसके मुलाक़ाती ने (जो कि दीनदार मगर ग़रीब आदमी था) जवाब के तौर पर कहा, क्या तू (तौहीद और क़ियामत से इनकार करके) उस (पाक) जात के साथ कुफ़्र करता है जिसने (पहले) तुझको मिट्टी से (जो कि तेरा दूर का मादा है आदम के वास्ते से) पैदा किया, फिर (तुझको) नुफ़े से (जो कि तेरा करीब का मादा है माँ के पेट में बनाया) फिर तुझको सही व सालिम आदमी बनाया (इसके बावजूद तू तौहीद और क़ियामत से इनकार और कुफ़्र करता है तो किया कर), लेकिन मैं तो यह अक़ीदा रखता हूँ कि वह (यानी) अल्लाह तआला मेरा (असली) रब है, और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और (जब अल्लाह तआला की तौहीद और कामिल कुदरत हर चीज़ पर साबित है और उसके नतीजे में यह कुछ दूर की बात नहीं कि बाग़ की तरक्की और हिफ़ाज़त के तरे सारे असबाब व सामान किसी वक़्त भी बेकार और ख़त्म हो जायें और बाग़ बरबाद हो जाये इसलिये तुझे लाज़िम था कि असबाब के पैदा करने वाले पर नज़र करता) तो तू जिस वक़्त अपने बाग़ में पहुँचा था तो तूने यूँ क्यों न कहा कि जो अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होता है वही होता है, (और) अल्लाह तआला की मदद के बग़ैर (किसी में) कोई ताक़त नहीं (जब तक अल्लाह तआला चाहेगा यह बाग़ कायम रहेगा और जब चाहेगा वीरान हो जायेगा) अगर तू मुझको माल और औलाद में कमतर देखता है (इससे तुझको अपने मकबूल होने का शुब्हा बढ़ गया है) तो मुझको वह वक़्त नजदीक मालूम होता है कि मेरा रब मुझको तेरे बाग़ से अच्छा बाग़ दे दे (चाहे दुनिया ही में या आख़िरत में), और इस (तेरे बाग़) पर कोई तक़दीरी आफ़त आसमान से (यानी डायरेक्ट बिना तबई असबाब के) भेज दे, जिससे वह बाग़ एकदम से एक साफ़ (चटियल) मैदान होकर रह जाए, या उससे इसका पानी (जो नहर में जारी है) बिल्कुल अन्दर (ज़मीन में) उतर (कर सूख) जाये फिर तू उस (के दोबारा लाने और निकालने) की कोशिश भी न कर सके (यहाँ उस दीनदार साथी ने उस बेदीन के बाग़ का तो जवाब दे दिया, मगर औलाद के मुताल्लिक कुछ जवाब नहीं दिया, शायद वज़ह यह है कि औलाद की अधिकता तभी भली मालूम होती है जब उसकी परवरिश के लिये माल मौजूद हो वरना वह उल्टा बख़ाले जान बन जाती है। हासिल इस कलाम का यह हुआ कि तेरे बुरे अक़ीदे वाला होने का सबब यह था कि तुझे दुनियाँ में अल्लाह ने दौलत दे दी इसको तूने अपनी मकबूलियत की निशानी समझ लिया और मेरे पास दौलत न होने से मुझको ग़ैर-मकबूल समझ लिया, तो दुनिया की दौलत व भालदारी को अल्लाह के नजदीक मकबूलियत का मदार समझ लेना ही बड़ा धोखा और ग़लती है, दुनिया की नेमतों तो रब्बुल-आलमीन साँपों, बिच्छुओं, भेड़ियों और बदकारों सभी को देते हैं, मकबूलियत का असल मदार

आखिरत की नेमतों पर है जो हमेशा बाकी रहने वाली है, और दुनिया की नेमतें सब फना होने वाली हैं।

और (इस बातचीत के बाद वाकिआ यह पेश आया कि) उस शख्स के माल व दौलत के सामान को तो आफत ने आ घेरा पस उसने जो कुछ उस बाग पर खर्च किया था, उस पर हाथ मलता रह गया, और वह बाग अपनी टटियों पर गिरा हुआ पड़ा था। और कहने लगा, क्या खूब होता कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराता (इससे मालूम हुआ कि बाग पर आफत आने से वह समझ गया कि यह बवाल कुफ़ व शिर्क के सबब से आया है, अगर कुफ़ न करता तो पहले तो यह आफत ही शायद न आती और आ भी जाती तो इसका बदला आखिरत में मिलता, अब दुनिया व आखिरत दोनों में खसारा ही खसारा है। मगर सिर्फ इतनी हसरत व अफसोस से उसका ईमान साबित नहीं होता क्योंकि यह अफसोस व शर्मिन्दगी तो दुनिया के नुकसान की वजह से हुई, आगे अल्लाह की तौहीद और कियामत का इक़्रार जब तक साबित न हो उसको मोमिन नहीं कह सकते)। और उसके पास कोई ऐसा मजमा न हुआ जो अल्लाह तआला के सिवा उसकी मदद करता (उसको अपने मजमे और औलाद पर घमण्ड था, वह भी खत्म हुआ) और न वह खुद (हमसे) बदला ले सका। ऐसे मौके पर मदद करना तो अल्लाह बरहक ही का काम है (और आखिरत में भी) उसी का सदाब सबसे अच्छा है और (दुनिया में भी) उसी का नतीजा सबसे अच्छा है (यानी अल्लाह के मक़बूल बन्दों का कोई नुकसान हो जाता है तो दोनों जहान में उसका नेक फल मिलता है बख़िलाफ़ काफ़िर के कि वह बिल्कुल खसारे में रह गया)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ

तफ़्ज़ समर दरख़्तों के फल को भी कहा जाता है और आम माल व ज़र को भी, इस जगह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद, क़तादा रह. से यही दूसरे मायने मन्कूल हैं। (इब्ने कसीर) क़ामूस में है कि तफ़्ज़ समर दरख़्त के फल और माल व ज़र की किस्मों सब को कहा जाता है, इससे मालूम हुआ कि उसके पास सिर्फ़ बागात और खेत ही नहीं बल्कि सोना चाँदी और ऐश के दूसरे तमाम असबाब भी मौजूद थे, खुद उसके अलफ़ाज़ में जो कुरआन ने नक़ल किये हैं 'अ-न अवसरु मिन्-क़ मालिन्' भी इसी मफ़हूम को अदा करते हैं। (इब्ने कसीर)

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

हदीस की किताब 'शुअबुल-ईमान' में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स कोई चीज़ देखे और वह उसको पसन्द आवे तो अगर उसने यह कलिमा कह लिया:

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(मा शा-अल्लाहु ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि) तो उसको कोई चीज़ नुकसान न पहुँचायेगी (यानी वह पसन्दीदा महबूब चीज़ महफूज़ रहेगी) और कुछ रिवायतों में है कि जिसने किसी महबूब व पसन्दीदा चीज़ को देखकर यह कलिमा पढ़ लिया तो उसको बुरी नज़र न लगेगी।

हुस्बानन् । इस लफज़ की तफ़सीर हज़रत क़तादा रह. ने अज़ाब से की है और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आग से, और कुछ हज़रत ने पथराव से। इसके बाद जो क़ुरआन में आया है 'उही-त बि-स-मरिही' इसमें ज़ाहिर यह है कि उसके बाग़ और तमाम भाल व ज़र और ऐश के सामान पर कोई बड़ी आफ़त आ पड़ी जिसने सब को बरबाद कर दिया। क़ुरआन ने स्पष्ट तौर पर किसी खास आफ़त का जिक्र नहीं किया ज़ाहिर यह है कि कोई आसमानी आग आई जिसने सब को जला दिया जैसा कि लफज़ हुस्बान की तफ़सीर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी आग नक़ल की गयी है। बल्लाहु आलम

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيوةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ
 هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا. ۞ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا
 وَالْبَهِيمَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. ۞ وَيَوْمَ نَسِفُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً
 وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ۞ وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَاءً لَقَدْ حِثَّمْتُمَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ. بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. ۞ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ
 مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوبِلَتْنَا مَالٌ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْطِئْنَا. وَ
 وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا. ۞

वज़िर्ब् लहुम् म-सलल्-हयातिदुदुन्या
 कमाइन् अन्ज़ल्लाहु मिनस्समा-इ
 फख्त-ल-त बिही नवातुल्अरज़ि
 फअस्ब-ह हशीमन् तज़ूरुहुरियाहु, व
 कानल्लाहु अला कुल्लि शैइम्-
 मुक़तदिरा (45) अल्मालु वल्थनू-न
 जीनतुल्-हयातिदुदुन्या वल्बाकियातुस-
 सालिहातु ख़ैरुन् जिन्-द रब्बि-क
 सवाब्व-व ख़ैरुन् अ-मला (46)

और बतला दे उनको मिसाल दुनिया की
 जिन्दगी की जैसे पानी उतारा हमने
 आसमान से फिर रला-मिला निकला
 उसकी वजह से ज़मीन का सब्ज़ा, फिर
 कल को हो गया चूरा-चूरा हवा में उड़ता
 हुआ, और अल्लाह को है हर-चीज़ पर
 कुदरत। (45) माल और बेटे सैनक हैं
 दुनिया की जिन्दगी में और बाकी रहने
 वाली नेकियों का बेहतर है तेरे रब के
 यहाँ बदला और बेहतर है उम्मीद। (46)

व यौ-म नुसयियरुल्-जिबा-ल व
तरल्-अर्-जु बारी-ज़तब्-व हशरनाहुम्
फ-लम् नुगादिर् मिन्हुम् अ-हदा
(47) व अुरिज़ू अला रब्बि-क
सफ़न्, ल-कद् जिअ्तुमूना कमा
ख़ालफ़नाकुम् अव्व-ल मरतिम् बल्
जअ्म्तुम् अल्-लन्नजअ-ल लकुम्
मौअिदा (48) व वुज़िअल्-किताबु
फ-तरल्-मुज़िमी-न मुश्फ़की-न
मिम्मा फीहि व यक़ूल्-न यावैल-तना
मा लि-हाज़ल्-किताबि ला युगादिरु
सगी-रतब्-व ला कबी-रतन् इल्ला
अहसाहा व व-जदू मा अमिलू
हाज़िरन्, व ला यज़िलमु रब्बु-क
अ-हदा (49) ❀

और जिस दिन हम चलायें पहाड़ और तू
देखे ज़मीन को खुली हुई और घेर बुलायें
हम उनको फिर न छोड़ें उनमें से एक
को। (47). और सामने आयें तेरे रब के
कतार बाँधकर, आ पहुँचे तुम हमारे पास
जैसा कि हमने बनाया था तुमको पहली
बार, नहीं! तुम तो कहते थे कि न मुकर्र
करेंगे हम तुम्हारे लिये कोई वायदा। (48)
और रखा जायेगा हिसाब का कागज़ फिर
तू देखे गुनाहगारों को इस्ते हैं उससे जो
उसमें लिखा है, और कहते हैं हाय
छाराबी कैसा है यह कागज़ नहीं छूटी
इससे छोटी बात और न बड़ी बात जो
इसमें नहीं आ गई, और पायेंगे जो कुछ
किया है सामने, और तेरा रब शुल्म न
करेगा किसी पर। (49) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(इससे पहले दुनियाची ज़िन्दगी और उसके सामान की नापायेदारी "बाकी न रहने वाला होना" एक व्यक्तिगत और आंशिक मिसाल से बयान फरमाई थी अब यही मज़मून आम और कुल्ली मिसाल से स्पष्ट किया जाता है) और आप उन लोगों से दुनिया की ज़िन्दगी की हालत बयान फरमाइयें कि वह ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया हो, फिर उस (पानी) के ज़रिये से ज़मीन की नबतात "धानी घास और पेड़-पौधे" खूब घनी हो गई हों, फिर वह (तरोताज़ा और हरीभरी होने के बाद सूखकर) चूरा-चूरा हो जाये कि उसको हवा उड़ाये लिये फिरती हो (यही हाल दुनिया का है कि आज हरीभरी नज़र आती है कल इसका नाम व निशान भी न रहेगा) और अल्लाह तआला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं (जब चाहें बनायें, पैदा करें, तरक्की दें और जब चाहें फना कर दें। और जब इस दुनिया की ज़िन्दगी का यह हाल है और) माल और औलाद दुनिया की ज़िन्दगी की एक सैनक (और इसके तबे चीज़ों में से) हैं (तो खुद माल व औलाद तो और भी ज़्यादा जल्दी फना होने वाली हैं) और जो नेक आमाल (हमेशा

हमेशा को) बाकी रहने वाले हैं वो आपके रब के नज़दीक (यानी आखिरत में इस दुनिया से) सवाब के एतिबार से भी (हज़ार दर्जे) बेहतर है, और उम्मीद के एतिबार से भी (हज़ार दर्जे) बेहतर है (यानी नेक आमाल से जो उम्मीदें जुड़ी होती हैं वो आखिरत में ज़रूर पूरी होंगी, और उसकी उम्मीद से भी ज्यादा सवाब मिलेगा, बख़िलाफ़ दुनिया की दौलत के कि इससे दुनिया में भी इनसानी उम्मीदें पूरी नहीं होतीं और आखिरत में तो कोई संभावना व गुमान ही नहीं)।

और उस दिन को याद करना चाहिए जिस दिन हम पहाड़ों को (उनकी जगह से) हटा देंगे (यह शुरूआत में होगा, फिर वो टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे) और आप ज़मीन को देखेंगे कि एक खुला मैदान पड़ा है (क्योंकि पहाड़, दरख़्त, मकान कुछ बाकी न रहेगा) और हम उन सब को (क़ब्रों से उठाकर हिसाब के मैदान में) जमा कर देंगे, और उनमें से किसी को भी न छोड़ेंगे (कि वहाँ न लाया जाये)। और सब के सब आपके रब के सामने (यानी हिसाब के लिये) बराबर खड़े करके पेश किये जाएँगे (यह शुब्हा व गुमान न रहेगा कि कोई किसी की आड़ में छुप जाये, और उनमें जो क़ियामत का इनकार करते थे उनसे कहा जायेगा कि) देखो! आखिर तुम हमारे पास (दोबारा पैदा होकर) आये भी जैसा कि हमने तुमको पहली बार (यानी दुनिया में) पैदा किया था (मगर तुम पहली पैदाईश को देख लेने और अनुभव कर लेने के बावजूद इस दूसरी पैदाईश के कायल न हुए) बल्कि तुम यही समझते रहे कि हम तुम्हारे (दोबारा पैदा करने के) लिये कोई वायदा किया गया वक़्त न लाएँगे। और नामा-ए-आमाल (चाहे दाहिने हाथ में या बायें हाथ में देकर उसके सामने खुला हुआ) रख दिया जायेगा (जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'व नुख़्रिजु लहू यौमल्-क़ियामति किताबंय्-यल्फ़ाहु मन्शूरा) तो आप मुजरिमों को देखेंगे कि उसमें जो कुछ (लिखा) होगा (उसको देखकर) उससे (यानी उसकी सज़ा से) डरते होंगे, और कहते होंगे कि हाय! हमारी कम-बख़्ती इस नामा-ए-आमाल की अजीब हालत है कि बिना लिखे हुए न कोई छोटा गुनाह छोड़ा न बड़ा गुनाह, और जो कुछ उन्होंने (दुनिया में) किया था वह सब (लिखा हुआ) मौजूद पाएँगे। और आपका रब किसी पर जुल्म न करेगा (कि न किया हुआ गुनाह लिख ले या की हुई नेकी जो शर्तों के साथ की जाये उसको न लिखे)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَالْبَيْتِ الصَّلِيحِ

मुस्नद अहमद, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बाक़ियात-ए-सालिहात (बाकी रहने वाली नेकियों) को ज़्यादा से ज़्यादा जमा किया करो। अर्ज़ किया गया कि वो क्या हैं? आपने फ़रमाया:

مُبَحَّانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

सुब्हानल्लाहि ला इला-ह इल्लल्लाहु अल्हम्दु लिल्लाहि अल्लाहु अकबर। व ला हौ-ल व

ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि कलम।

हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है और उकैली ने हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलु करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि 'सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिज्जल्लाहि व ला इला-ह इल्लाल्लाहु वल्लाहु अक्बर' यही बाक़ियात-ए-सालिहात हैं। यही मज़मून तबरानी ने हज़रत सजद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है। और सही मुस्लिम व तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह कलिमा यानी 'सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिज्जल्लाहि व ला इला-ह इल्लाल्लाहु वल्लाहु अक्बर' घेरे नज़दीक उन तमाम चीज़ों से ज्यादा महबूब है जिन पर तूरज की रोशनी पड़ती है यानों सारे जहान से।

और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि 'ला हौ-त व ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि' कसरत से पढ़ा करो क्योंकि यह निन्नानवे इस्वाजे बीमारी और तकलीफ़ के दूर कर देता है जिनमें सब से कम दर्जे की तकलीफ़ फ़िक्क व गुम है।

इसी लिये इस आयत में लफ़्ज़ बाक़ियात-ए-सालिहात की तफ़्सीर हज़रत इब्ने अब्बास, इक्रिमा, मुजाहिद ने यही की है कि मुराद इससे यही कलिमात पढ़ना है, और सईद बिन जुबैर, मसाल्क और इब्राहीम ने फ़रमाया कि बाक़ियात-ए-सालिहात से पाँच नमाज़ें मुराद हैं।

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दूसरी रिवायत में यह है कि आयत में बाक़ियात-ए-सालिहात से मुराद उमूम तौर पर नेक आमाल हैं जिनमें ये ज़िक्र हुए कलिमात भी दाख़िल हैं, पाँचों नमाज़ें भी और दूसरे तमाम नेक आमाल भी। हज़रत कतादा से भी यही तफ़्सीर मन्कूल है। (तफ़्सीरे मज़हरी)

कुरआन के अलफ़ाज़ के मुताबिक़ भी यही है क्योंकि इन अलफ़ाज़ का लफ़्ज़ी मफ़हूम दो नेक आमाल हैं जो बाकी रहने वाले हैं और यह जाहिर है कि नेक आमाल सब ही अल्लाह के नज़दीक बाकी और कायम हैं। इब्ने जरीर तबरी और कुर्तुबी ने इसी तफ़्सीर की तरज़ीह दी है।

हज़रत अली करमल्लाहु वज्हू ने फ़रमाया कि खेती दो किस्म की होती है— दुनिया की खेती तो माल व औलाद है और आख़िरत की खेती बाक़ियात-ए-सालिहात (बाकी रहने वाली नेकियाँ) हैं। हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि बाक़ियात-ए-सालिहात इंसान की नीयत और इरादा हैं कि नेक आमाल की कुवूलियत इस पर मौक़ूफ़ है।

और अबैद इब्ने उमर ने फ़रमाया कि बाक़ियात-ए-सालिहात नेक तड़कियाँ हैं कि वे अपुने माँ-बाप के लिये सवाब का सबसे बड़ा ज़रज़ीरा हैं। इसकी तरफ़ हज़रत सिदीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत इशारा करती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मन्कूल है कि आपने फ़रमाया कि मैंने अपनी उम्रत के एक आदमी को देखा कि उसको जहन्नम में ले जाने का हुक्म दे दिया गया तो उसकी नेक तड़कियाँ उसको चिमट गई और तेने और शोर करने लगीं और अल्लाह तआला से फ़रियाद की कि या अल्लाह! इन्होंने दुनिया में हम पर बड़ा एहसान किया और हमारी तरबियत (पालन-पोषण) में मेहनत उठाई है तो अल्लाह

लक्षण ने उस पर रहम फ़रमाकर उसको बर्खा रिया, (तफ़सीर कर्तुबी)

لَقَدْ جَنَّمْنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

क़ियामत के दिन सब को ख़िताब होगा कि आज तुम उसी तरह खाली हाथ बिना किसी लागान के हमारे पास आये हो जैसे तुम्हें पहली बार पैदाईश के वक़्त पैदा किया था। बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि एक मर्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने खुसबा दिया जिसमें फ़रमाया कि ऐ लोगो! तुम क़ियामत में अपने रब के सामने नंगे पाँव, नंगे बदन पैदल चलते हुए आओगे, और सबसे पहले जिसको लिबास पहनाया जायेगा वह इब्राहीम अलैहिस्तलाम होंगे। यह सुनकर हज़रत अबूशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह! क्या सब मर्द व औरत नंगे होंगे और एक दूसरे को देखते होंगे? आपने फ़रमाया कि उस दिन हर एक को ऐसी मशगूलियत और ऐसी फ़िक्र घेरेंगी कि किसी को किसी की तरफ़ देखने का मौक़ा ही न मिलेगा, सब की नज़रें ऊपर उठी हुई होंगी।

इमाम कुतुबी रह. ने फ़रमाया कि एक हदीस में जो आया है कि मुर्दे बर्ज़ख़ में एक दूसरे से कफ़नों के लिबास में लिपटे हुए मुलाकात करेंगे, वह इस हदीस के विरुद्ध नहीं, क्योंकि वह यामला क़ब्र और बर्ज़ख़ का है यह मैदान-ए-हशर का। और हदीस की कुछ रिवायतों में जो यह मन्कूल है कि मरने वाला अपने लिबास में मैदाने हशर में उठेगा जिरामें उसको दफ़न किया गया था, हज़रत फारुक्के आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि अपने मुर्दों के कफ़न अच्छे बनाया करो क्योंकि वे क़ियामत के रोज़ उसी कफ़न में उठेंगे, इसको कुछ हज़रत ने शहीदों पर महगूल किया है और कुछ ने कहा है कि हो सकता है कि मेहशर में कुछ लोग लिबास में उठें और कुछ नंगे, इस तरह दोनों क़िस्म की रिवायतें जभा हो जाती हैं। (तफ़सीर मजहरी)

अमल ही बदला है

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

यानी सब मेहशर वाले अपने किये हुए आमाल को हाज़िर पायेंगे। इसका मफ़हम आप तौर पर हज़रते मुफ़स्तिरीन ने यह बयान किया है कि अपने किये हुए आमाल की जज़ा को हाज़िर व मौजूद पायेंगे, हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद अनवर शाह कश्मीरी फ़रमाते थे कि यह मतलब लेने की ज़रूरत नहीं, हदीस की बेशुमार रिवायतें इस पर सुबूत हैं कि यही आमाल दुनिया या अख़िरत की जज़ा व सज़ा बन जायेंगे, इनकी शकलें वहाँ बदल जायेंगी, नैक आमाल जन्नत की नेमतों की शकल इख़्तियार कर लेंगे और बुरे आमाल जहन्नम की आग और सॉप व बिच्छू बन जायेंगे।

हदीसों में है कि ज़कात न देने वालों का माल क़ब्र में एक बड़े सॉप की शकल में आकर उसको डसेगा और क़ेमा "अ-न मालु-क" (मैं तेरा माल हूँ), नैक अमल एक हसीन इन्सान की

शकल में इनसान को क़द्व की लम्हाई में कुछ घबराहट दूर करने के लिये मानूस करने के लिये आयेगा, क़ुरबानी के जानवर बुलसिरात की सवारी बनेंगे, इनसान के गुनाह मेहशर में बोझ की शकल में हर एक के सर पर लाद दिये जायेंगे।

क़ुरआन में यतीमों के माल को नाहक खाने के बारे में है:

أَمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

“ये लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं।” इन तमाम आयतों व रिवायतों को उम्मुमन असल से हटाकर दूसरे मायनों पर महमूल किया जाता है और अगर इस तहकीक को लिया जाये तो इनमें किसी जगह दूसरे और असल मायनों से हटकर मायने लेने की ज़रूरत नहीं रहती, सब अपनी हकीकत पर रहती हैं।

क़ुरआन ने यतीम के चाजायज़ माल को आग फरमाया, तो हकीकत यह है कि वह इस वक़्त भी आग ही है मगर उसके आसार महसूस करने के लिये इस दुनिया से गुज़र जाना शर्त है। जैसे कोई दिया सलाई के बक्स को आग कहे तो सही है मगर उसके आग होने के लिये रगड़ने की शर्त है, इसी तरह कोई पेट्रोल को आग कहे तो सही समझा जायेगा अगरचे उसके लिये ज़रा सी आग से टच होना शर्त है।

इसका हासिल यह हुआ कि इनसान जो कुछ नेक या बुरे अमल दुनिया में करता है यह अमल ही आखिरत में जज़ा व सज़ा की शकल इस्त्रियाह करेगा, उस वक़्त के आसार व निशानियाँ इस दुनिया से अलग दूसरी हो जायेंगी। वल्लाहु आलम

وَأَذِّنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلرَّبِّ وَاللَّهُمَّ فَسَبِّحْهُمُ وَإِلَّا يُبْلِسُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ

عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَذَكَّرُونَ ذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَعَدِّينَ عَصِدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ كَالَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝ وَالْمُجْرِمُونَ السَّارِقُونَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِقُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝ وَقَدْ ظَهَرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شِقْوَةٍ ۝ جَدَلًا ۝ وَمَا صَعَّرَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِنَا وَمَا أَنْذَرُوا هُمْ وَآ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلِئِنْ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ

19

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ كُنَّا لَهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يُهْتَدُوا وَإِذَا ابْتَدَأُ
 وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ قَبْلِ لَوْعِهِمْ مَوْعِدًا
 لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيِلًا ۝ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَادِيَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِيَهْدِيَكُمْ
 مَوْعِدًا ۝

व इज़् कुल्ना लित्मलाइ-कतिस्जुदू
 लिआद-म फ़-स-जदू इल्ला इल्ली-स,
 कान्-मिनल्-जिन्नि फ़-फ़-स-क़ अन्
 अमिर रब्बिही, अ-फ़-तत्तख़िज़्जूनहू
 व ज़ुरिय्य-तहू औलिया-अ मिन्
 दूनी व हुम् लकुम् अदुव्वुन्, बिअ-स
 लिज़्जालिमी-न ब-दला (50) मा
 अशहत्तुहुम् ख़ल्क़्-स-समावाति
 वल्अज़ि व ला ख़ल्-क़ अन्फ़ुसिहिम्
 व मा कुन्तु मुत्तख़िज़ल्-मुजिल्ली-न
 अज़ुदा (51) व यौ-म यक़ूलु नादू
 शु-रकाइ-यल्लज़ी-न ज़ अम्तुम्
 फ़-दऔहुम् फ़लम् यस्तजीबू लहुम् व
 ज़अल्ना बैनहुम् मौबिका (52) व
 र-अल् मुज़िमूनन्ना-र फ़-जन्नू
 अन्नहुम् मुवाकिअूहा व लम् यजिदू
 अन्हा मसिफ़ा (53) ❁

व ल-क़द् सरफ़ना फ़ी हाज़ल्-कुरआनि
 लिन्नासि मिन् कुल्लि म-सलिन्, व
 कानल्-इन्सानु अक्स-र शैइन्

और जब कहा हमने फ़रिश्तों को-- सज्दा
 करो आदम को, तो सज्दे में गिर पड़े मगर
 इब्लीस, था जिन्न की किस्म से सो निकल
 भागा अपने रब के हुक्म से, सो क्या अब
 तुम ठहराते हो उसको और उसकी औलाद
 को साथी गेरे सिवा, और वे तुम्हारे दुश्मन
 हैं, बुरा हाथ लगा बदला बेइन्साफ़ों के।
 (50) दिखला नहीं लिया या मैंने उनको
 बनाना आसमान और ज़मीन का और न
 बनाना खुद उनका, और मैं वह नहीं कि
 बनाऊँ वहकाने वालों को अपना मददगार।
 (51) और जिस दिन फ़रमायेगा पुकारो घेरे
 शरीकों को जिनको तुम मानते थे, फिर
 पुकारेंगे सो वे जवाब न देंगे उनको और
 कर देंगे हाग उनके और उनके बीच मरने
 की जगह। (52) और देखेंगे गुनाहगार
 आग को फिर समझ लेंगे कि उनको पड़ना
 है उसमें, और न बदल सकेंगे उससे
 रस्ता। (53) ❁

और बेशक फेर-फेरकर समझाई हमने इस
 कुरआन में लोगों को हर एक मिसाल,
 और है इनसान सब चीज़ से ज्यादा

ज दला (54) व मा म-नअन्ना-स
अंय्युअमिनु इज़् जाअहुमुल्हुदा व
यस्तग्फिरु रब्बहुम् इल्ला अन्
तअति-यहुम् सुन्नतुल्-अव्वली-न औ
यअतियहुमुल्-अज़ाबु कुबुला (55) व
गा नुसिलुल्-मुर्सली-न इल्ला
मुबशिशरी-न व मुन्ज़िरी-न व
युजादिलुल्लज़ी-न क-फरु बिल्बातिलि
लियुद्हिज़् बिहिल्हक्-क वत्त-खज़्
आयाती व मा उन्ज़िरु हुजुवा (56)
व मन् अज़्लमु मिम्-मन् जुक्कि-र
बिआयाति रब्बिही फ-अज़र-ज़ अन्हा
व नसि-य मा कद्मत् यदाहु, इन्ना
जअल्ला अला कुलूबिहिम् अकिन्न-तन्
अंय्यफकहूहु व फी आजानिहिम्
वकरन्, व इन् तद्अहुम् इलल्-हुदा
फ-लंय्यस्तदू इज़न् अ-बदा (57) व
रब्बुकल्-गफूरु ज़ुरस्मति, लौ
युआख़िज़्हुम् बिमा क-सबू
ल-अज्ज-ल लहुमुल्-अज़ा-ब, बल्-
लहुम् मौअिदुल्-लंय्यजिदू मिन् दूनिही
मौअिला (58) व तिल्कल्-कुरा
अस्लक्नाहुम् लम्मा ज-लमू व जअल्ला
लिमहिल्किहिम् मौअिदा (59) ❀

अगडालू। (54) और लोगों को जो सेवा
इस बात से कि यकीन ले आये जब
पहुँची उनको हिदायत और गुनाह
बख़्शायें अपने रब से सो इसी इन्तिज़ार
ने कि पहुँचे उन पर पहलों की रस्म या
खड़ा हो उन पर अज़ाब सामने का। (55)
और हम जो रसूल भेजते हैं सो खुशख़बरी
और डर सुनाने को, और अगड़ा करते हैं
काफ़िर झूठा अगड़ा, कि टलावेँ उससे
सच्ची बात को और ठहरा लिया उन्होंने
मेरे कलाम को और जो डर सुना दिये
गये ठड़ा। (56) और उससे ज़्यादा ज़ालिम
कौन जिसको समझाया गया उसके रब के
कलाम से फिर मुँह फेर लिया उसकी तरफ
से और भूल गया जो कुछ आगे भेज चुके
हैं उसके हाथ, हमने डाल दिये हैं उनके
दिलों पर पर्दे कि उसको न समझे और उन
के कानों में है बोझ, और अगर तू उनको
बुलाये राह पर तो हरगिज़ न आये राह पर
उस वक़्त कभी। (57) और तेरा रब बड़ा
बख़्शने वाला है रहमत वाला। अगर उनको
पकड़े उनके किये पर तो जल्द डाले उन
पर अज़ाब, पर उनके लिये एक वायदा है,
कहीं न पायेंगे उससे बरे सरक जाने की
जगह। (58) और ये सब बस्तियाँ हैं
जिनको हमने ग़ारत किया जब वे ज़ालिम
हो गये, और मुकरर किया था हमने उन
की हलाकत का एक वायदा। (59) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (वह वक़्त भी काबिले जिद्द है) जबकि हमने फ़ारिश्तों को हुक्म दिया कि आदम (अलैहिस्सलाम) के सामने सज़्दा करो, तो सब ने सज़्दा किया अलावा इब्लीस के, वह जिन्नात में से था, सो उसने अपने स्व के हुक्म को न माना (क्योंकि जिन्नात का ग़ालिब तत्व जिससे वे पैदा किये गये हैं आग है और आग के तत्व का तकाज़ा पाबन्द न रहना है मगर इस तात्विक तकाज़े की वजह से इब्लीस भाज़ूर न समझा क्योंकि उस तात्विक तकाज़े को खुदा के ख़ौफ़ से मग़लूब किया जा सकता था)। सो क्या फिर भी तुम उसको और उसके पैरोकारों (औलाद और ताबेदारों) को दोस्त बनाते हो मुझको छोड़कर (यानी पैरी इलाज़त छोड़कर उसके कहने पर चलते हो) हालाँकि वे (इब्लीस और उसकी जमाअत) तुम्हारे दुश्मन हैं (कि हर वक़्त तुम्हें नुक़सान पहुँचाने की फ़िक्र में रहते हैं)। ये (इब्लीस और उसकी नस्ल की दोस्ती) ज़ालिमों के लिये बहुत बुरा बदल है (बदल इसलिये कहा कि दोस्त तो बनाना चाहिये था मुझे लेकिन उन्होंने मेरे बदले शैतान को दोस्त बना लिया, बल्कि दोस्त ही नहीं उसको खुदाई का शरीक भी मान लिया हालाँकि) मैंने उनको न तो आसमान और ज़मीन के पैदा करने के वक़्त (अपनी मदद या मशिवरे के लिये बुलाया) और न खुद उनके पैदा करने के वक़्त (बुलाया, यानी एक के पैदा करने के वक़्त दूसरे को नहीं बुलाया) और मैं ऐसा (ज़ाज़िज़) न था कि (किसी को खास तौर पर) गुमराह करने वालों को (यानी शैतानों को) अपना (हाथ व) धाजू बनाता (यानी मदद की ज़रूरत तो उसको होती है जो खुद कादिर न हो)। और (तुम यहाँ उनको खुदाई में शरीक समझते हो, किफ़ायत में हकीकत मालूम होगी) उस दिन को याद करो कि हक़ तआला (मूशिक लोगों से) फ़रमायेगा कि जिनको तुम हमारा शरीक समझा करते थे उनको (अपनी इमदाद के लिये) पुकारो, तो वे उनको पुकारेंगे, सो वे उनको ज़वाब ही न देंगे, और हम उनके बीच में एक आड़ कर देंगे (जिससे बिल्कुल ही मायूसी हो जाये वरना बग़ैर आड़ के भी उनका मदद करना मुश्किल न था)। और मुजरिम लोग दोज़ख़ को देखेंगे, फिर यकीन करेंगे कि वे उसमें गिरने वाले हैं, और उससे बचने की कोई राह न पाएँगे।

और हमने इस कुरआन में लोगों (की हिदायत) के वास्ते हर किस्य के उम्दा मज़मून तरह-तरह से बयान फ़रमाये हैं और (इस पर भी इनकार करने वाला) आदमी झगड़ने में सबसे बढ़कर है (जिन्नात और हैवानात में अगरचे शऊर व फ़हसास हैं मगर वे ऐसा झगड़ा नहीं करते) और लोगों को इसके बाद कि उनको हिदायत पहुँच चुकी (जिसका तकाज़ा था कि ईमान ले आते) ईमान लाने से और अपने परबर्दिगार से (कुफ़ व नाफ़रमानी से) मग़फ़िरत माँगने से और कोई चीज़ रोक नहीं रही इसके अलावा कि उनको इसका इन्तिज़ार हो कि पहले लोगों के जैसा मामला (हताकत और अज़ाब का) उनको भी पेश आ जाय, या यह कि अज़ाब उनके सामने आकर खड़ा हो (मततब यह है कि उनके हालात से यह समझा जाता है कि अज़ाब ही का

इन्तिज़ार रहे वरना और सब हुज्जतें तो तमाम हो चुकीं)। और रसूलों को तो हम सिर्फ़ खुशख़बरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा करते हैं (जिसके लिये मोजिज़ों वगैरह के ज़रिये काफ़ी दलीलें उनके साथ कर दी जाती हैं इससे ज़्यादा उनसे कोई फ़रमाईश करना जहालत है) और काफ़िर लोग नाहक़ की बातें पकड़-पकड़कर झगड़े निकालते हैं ताकि उसके ज़रिये से हक़ बात को बिचला दें। और उन्होंने मेरी आयतों को और जिस (अज़ाब) से उनको डराया गया था उसको दिल्गी बना रखा है। और उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जिसको उसके रब की आयतों से नसीहत की जाये फिर वह उससे मुँह फेर ले और जो कुछ अपने हाथों (गुनाह) समेट रहा है, उस (के नतीजे) को भूल जाये। हमने उस (हक़ बात) के समझने से उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं (और उसके सुनने से) उनके कानों में डाट दे रखी है, और (इसी वजह से उनका हाल यह है कि) अगर आप उसको सही रास्ते की तरफ़ बुलाएँ तो हरगिज़ भी रास्ते पर न आएँ (क्योंकि कानों से हक़ की दावत सुनते नहीं, दिलों से समझते नहीं इसलिये आप गुम न करें)। और (अज़ाब में देर होने की वजह से जो उनको यह ख़्याल हो रहा है कि अज़ाब आयेगा ही नहीं तो इसकी वजह यह है कि) आपका रब बड़ा मग़फ़िरत करने वाला बड़ा रहमत वाला है (इसलिये मोहलत दे रखी है कि अब उनको होश आ जाये और ईमान ले आयें तो उनकी मग़फ़िरत कर दी जाये, वरना उनके आमाल तो ऐसे हैं कि) अगर उनसे उनके आमाल पर पकड़ करने लगता तो उन पर फ़ौरन ही अज़ाब ला देता, (मगर ऐसा नहीं करता) उनके (अज़ाब के) वास्ते एक तय वक़्त (ठहरा रखा) है, (यानी क़ियामत का दिन) कि उससे इस तरफ़ (यानी पहले) कोई पनाह की जगह नहीं पा सकते (यानी उस वक़्त के आने से पहले किसी पनाह की जगह में जा छुपें और उससे महफूज़ रहे)। और (यही कायदा पहले काफ़िरोँ के साथ बरता गया चुनाँचे) ये बस्तियाँ (जिनके किस्से मशहूर व मज़कूर हैं) जब उन्होंने (यानी उनके रहने वालों ने) शरारत की तो हमने उनको हलाक कर दिया, और हमने उनके हलाक होने के लिये वक़्त तय किया था (इसी तरह इन मौजूदा लोगों के लिये भी वक़्त निर्धारित है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इब्लीस के औलाद और नस्ल भी है

‘व ज़ुरिय्य-न्तहू’। इस लफ़्ज़ से समझा जाता है कि शैतान के औलाद व नस्ल है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इस जगह नस्ल व औलाद से मुराद मददगार व सहयोगी हैं, यह ज़रूरी नहीं कि शैतान की वास्तविक औलाद भी हो, मगर एक सही हदीस जिसको हुमैदी ने ‘किताबुल् जमा बैनस्सहीहेन’ में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है उसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको यह नसीहत फ़रमाई कि तुम उन लोगों में से न बनो जो सबसे पहले बाज़ार में दाख़िल हो जाते हैं या वे लोग जो सबसे आख़िर में बाज़ार से निकलते हैं, क्योंकि बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ शैतान ने अण्डे-बच्चे दे रखे हैं। इससे मालूम होता है कि शैतान की नस्ल व औलाद उसके अण्डों से फैलती है। इमाम क़ुर्तुबी ने यह रिवायत नक़ल

करने के बाद फरमाया कि शैतान के मददगार और लश्कर होना तो निश्चित दलीलों से साबित है पीठ की औलाद होने के मुताल्लिक भी एक सही हदीस ऊपर पुज़र चुकी है। वल्लाहु आलाम

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

सारी मख्लूक़ात में सबसे ज्यादा झगड़ालू इनसान बाक़े हुआ है, इसके सुबूत में एक हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन एक शख्स काफ़िरों में से पेश किया जायेगा उससे सवाल होगा कि हमने जो रसूल भेजा था उसके बारे में तुम्हारा क्या अमल रखा? वह कहेगा कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मैं तो आप पर भी इमान लाया आपके रसूल पर भी, और अमल में उनके हुक्म की तामील की। अल्लाह तआला फरमायेंगे कि यह तेरा आमाल नामा सामने रखा है इसमें तो यह कुछ भी नहीं। यह शख्स कहेगा कि मैं तो इस आमाल नामे को नहीं मानता। अल्लाह तआला फरमायेंगे कि ये हमारे फ़रिश्ते जो तुम्हारी निगरानी करते थे वे तेरे खिलाफ़ गवाही देते हैं। यह कहेगा कि मैं इनकी गवाही को भी नहीं मानता और न इनको पहचानता हूँ न मैंने इनको अपने अमल के वक़्त देखा है। अल्लाह तआला फरमायेंगे तो यह लौह-ए-महफूज़ सामने है इसमें भी तेरा यही हाल लिखा है। वह कहेगा कि मेरे परवर्दिगार! आपने मुझे जुल्म से पनाह दी है या नहीं? अल्लाह तआला फरमायेंगे बेशक जुल्म से तू हपारी पनाह में है। तो अब वह कहेगा कि मेरे परवर्दिगार मैं ऐसी गवाहियों को कैसे मानूँ जो मेरी देखी भाली नहीं, मैं तो ऐसी गवाही को मान सकता हूँ जो मेरे नफ़स की तरफ़ से हो। उस वक़्त उसके मुँह पर मुहर लगा दी जायेगी और उसके हाथ-पाँव उसके कुफ़ व शिर्क की गवाही देंगे, उसके बाद उसको आज़ाद कर दिया जायेगा और जहन्नम में डाल दिया जायेगा। (इस रियायत का मज़मून सही मुरिलम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है। क़ुर्तुबी)

وَأَذَقَ مُوسَى لِقْتَهُ لِآبِرْمُ حَتَّى أَبْلَغَ جَمْعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَى حُقْبًا ۝ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَبِيًّا حَوْثُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقْتَهُ إِتِنَا عَذَابَنَا ۚ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي لَسِئْتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنَّنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۚ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَّبِعَهُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمِينَ مِمَّا عُلِّمَتْ رُسُلًا ۝ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيحَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

व इज़् का-ल मूसा लि-फ़ताहु ला
 अब्रहु हत्ता अब्लु-ग मज्मअल्
 बहरैनि औ अम्ज़ि-य हुकुबा (60)
 फ़-लम्मा ब-लगा मज्म-अ बैनिहिमा
 नसिया हूतहुमा फ़त-ख़-ज़ सबीलहू
 फ़िल्बहिर स-रबा (61) फ़-लम्मा
 जा-वज़ा का-ल लि-फ़ताहु आतिना
 ग़दा-अना, ल-क़द् लकीना मिन्
 स-फ़रिना हाज़ा न-सबा (62) का-ल
 अ-रए-त इज़् अवैना इलस्सख़रति
 फ़-इन्नी नसीतुल्हू-त व मा अन्सानीहु
 इल्लशैतानु अन् अज़्कु-रहू वत्त-ख़-ज़
 सबी-लहू फ़िल्बहिर अ-जबा (63)
 का-ल ज़ालि-क मा कुन्ना नब्गि
 फ़त्तद्दा अला आसारिहिमा क-ससा
 (64) फ़-व-जदा अब्दम्-मिन्
 अिबादिना आतैनाहु रह्म-तम् मिन्
 अिन्दिना व अल्लम्नाहु मिल्लदुन्ना
 अिल्मा (65) का-ल लहू मूसा हल्
 अत्तबिअु-क अला अन् तुअल्लि-मनि
 मिम्मा अुल्लिम्-त रुशदा (66) का-ल
 इन्न-क लन् तस्तती-अ मअि-य सब्बा
 (67) व कै-फ़ तस्बिरु अला मा लम्
 तुह्ति बिही खुबा (68) का-ल

और जब कहा मूसा ने अपने जवान को
 मैं न हटूँगा जब तक पहुँच जाऊँ जहाँ
 मिलते हैं दो दरिया-या चला जाऊँ करनी
 “लम्बे समय तक”। (60) फिर जब पहुँचे
 दोनों दरिया के मिलाप तक भूल गये
 अपनी मछली फिर उसने अपनी राह कर
 ली दरिया में सुरंग बनाकर। (61) फिर
 जब आगे चले कहा मूसा ने अपने जवान
 को ला हमारे पास हमारा खाना हमने पाई
 अपने इस सफ़र में तकलीफ़। (62) बोला
 वह देखा तूने जब हमने जगह पकड़ी उस
 पत्थर के पास सो मैं भूल गया मछली,
 और यह मुझको भुला दिया शैतान ही ने
 कि उसका जिक्र करूँ, और उसने कर
 लिया अपना रस्ता दरिया में अजीब तरह।
 (63) कहा यही है जो हम चाहते थे, फिर
 उल्टे फिरे अपने पैर पहचानते। (64) फिर
 पाया एक बन्दा हमारे बन्दों में का जिस
 को दी थी हमने रहमत अपने पास से
 और सिखलाया था अपने पास से एक
 इल्म। (65) कहा उसको मूसा ने कहे तू
 तेरे साथ रहूँ इस बात पर कि मुझको
 सिखला दे कुछ जो तुझको सिखलाई है
 भली राह। (66) बोला तू न ठहर सकेगा
 मेरे साथ। (67) और क्योंकर ठहरेगा
 देखकर ऐसी चीज़ को कि तेरे काबू में
 नहीं उसका समझना। (68) कहा

स-तजिदुनी इन्शा-अल्लाहु साबिरं-
 व ला अज़्सी ल-क अमूरा (69)
 का-ल फ़-इनित्त-बज़्तनी फ़ला
 तस्अल्नी अन् शैइन् हत्ता उह्दि-स
 ल-क मिन्हु जिक्रा (70) ❀

तू पायेगा अगर अल्लाह ने चाहा मुझको
 ठहरने वाला और न टालूँगा तेरा कोई
 हुक्म। (69) बोला फिर अगर मेरे साथ
 रहना है तो मत पूछियो मुझसे कोई चीज़
 जब तक मैं शुरू न कर दूँ तेरे आगे
 उसका जिक्र। (70) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और वह वक़्त याद करो जबकि मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपने खादिम से (जिनका नाम बुख़ारी की रिवायत के मुताबिक़ यूशा था) फ़रमाया कि मैं (इस सफ़र में) बराबर चला जाऊँगा यहाँ तक कि उस मौक़े पर पहुँच जाऊँ जहाँ दो दरिया आपस में मिले हैं, या यूँ ही लम्बे असें तक चलता रहूँगा (और वजह इस सफ़र की यह हुई थी कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल में बयान फ़रमाया तो किरी ने पूछा कि इस वक़्त आदमियों में सबसे बड़ा आलिम कौन शख्स है? आपने फ़रमाया "मैं" मतलब यह था कि उन उलूम में कि जिनको अल्लाह की निकटता हासिल करने में दख़ल है मेरे बराबर कोई नहीं, और यह फ़रमाना सही था इसलिये आप बड़े ऊँचे रूतबे के नबी थे, आपके बराबर दूसरे को यह इल्म नहीं था लेकिन जाहिर में लफ़्ज़ आम था इसलिये अल्लाह तआला को मन्ज़ूर हुआ कि आपकी बात करने में एहतियात की तालीम दी जाये। गर्ज़ कि इरशाद हुआ कि एक हमारा बन्दा दो दरियाओं के संगम में तुम से ज्यादा इल्म रखता है। मतलब यह था कि कुछ उलूम में वह ज्यादा है अगरचे उन उलूम को अल्लाह तआला की निकटता में दख़ल न हो जैसा कि अभी आगे वाज़ेह होगा लेकिन इस बिना पर जवाब में मुतलक़ तौर पर तो अपने को सबसे बड़ा आलिम न कहना चाहिये था, गर्ज़ कि मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मिलने के इच्छुक हुए और पूछा कि उन तक पहुँचने की क्या सूरात है? इरशाद हुआ कि एक बेजान भछली अपने साथ लेकर सफ़र करो जहाँ वह भछली गुम हो जाये वह शख्स यहीं है, उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा अलैहिस्सलाम को साथ लिया और यह बात फ़रमाई।

पस जब (चलते-चलते) दोनों दरियाओं के जमा होने के स्थान पर पहुँचे (वहाँ किसी पत्थर से लगेकर) सो गये और वह भछली अल्लाह के हुक्म से ज़िन्दा होकर दरिया में जा पड़ी। यूशा अलैहिस्सलाम जागे तो भछली को न पाया, इरादा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जागे तो इसका जिक्र करूँगा मगर उनको बिल्कुल याद न रहा, शायद बीबी-बच्चों और वतन वगैरह के ख्यालात का हुजूम हुआ होगा जो जिक्र करना भूल गये वरना ऐसी अजीब बात का भूल जाना कम होता है, लेकिन जो शख्स हर वक़्त भोजिजे देखता हो उसके जेहन से किसी मामूली दर्जे की बात का निकल जाना किसी ख्याल के ग़लबे से अजीब नहीं, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी पूछने का

ख़ुदा ने (या, इस तरह से) उस अपनी नन्दी को वहाँ भूल गये और मछली न (उससे पहले जिन्दा होकर) दरिया में अपनी राह ली और चल दी। फिर जब दोनों (वहाँ से) आगे बढ़ गये (और दूर निकल गये) तो मूसा (अल्लैहिस्सलाम) ने अपने खादिम से फ़रमाया कि हमारा नाश्ता तो लाओ, हमको तो इस राफ़र (यानी आजकी मन्ज़िल) में बड़ी तकलीफ़ पहुँची (और इससे पहले की मन्ज़िलों में नहीं थके थे जिसकी वजह जाहिरी तौर पर अपनी मन्ज़िल से आगे बढ़ आना था)। खादिम ने कहा कि लोजिए देखिए (अजीब बात हुई) जब हम उस पत्थर के करीब रहते थे (और सो गये थे उस वक़्त उस मछली का एक किस्सा हुआ और मेरा इरादा आप से ज़िक्र करने का हुआ लेकिन मैं किसी दूसरे ध्यान में लग गया) तो मैं उस मछली (के ज़िक्र करने) को भूल गया और मुझको शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका ज़िक्र करता, और (वह किस्सा यह हुआ कि) उस मछली ने (जिन्दा होने के बाद) दरिया में अजीब अन्दाज़ से अपनी राह ली (एक अजीब अन्दाज़ तो खुद जिन्दा हो जाना है, दूसरे अजीब अन्दाज़ यह कि वह मछली दरिया में जहाँ को गुज़री थी वहाँ का पानी एक करिशमे के तौर पर उसी तरह सुरंग के तौर पर हो गया था ग़ालिबन फिर मिल गया होगा)।

मूसा (अल्लैहिस्सलाम) ने (यह हिकायत सुनकर) फ़रमाया - यही वह मौका है जिसकी हमको तलाश थी (वहाँ ही लौटना चाहिये), तो दोनों अपने क़दमों के निशान देखते हुए उल्टे लौटे (ग़ालिबन वह रास्ता सड़क का न होगा इसलिये निशान देखने पड़े)। तो (वहाँ पहुँचकर) उन्होंने हमारे बन्दों में से एक बन्दे (यानी खज़िर अल्लैहिस्सलाम) को पाया, जिनको हमने अपनी खास रहमत (यानी मक़बूलियत) दी थी (मक़बूलियत के मायने में विलायत और गुबुव्यत दोनों की संभावना और गुंजाईश है) और हमने उनको अपने पास से (यानी कोशिश व मेहनत के माध्यमों के बग़ैर) एक खास तरीके का इल्म सिखाया था (मुराद इससे कायनात के राज़ों का इल्म है जैसा कि आगे के वाकिआत से मालूम होगा, और इस इल्म को अल्लाह की निकटता के हासिल होने में कुछ दख़ल नहीं, जिस इल्म को अल्लाह की निकटता में दख़ल है वह अल्लाह के भेदों का इल्म है जिसमें मूसा अल्लैहिस्सलाम बढ़े हुए थे। ग़र्ज़ कि) मूसा (अल्लैहिस्सलाम) ने (उनको सलाम किया और उनसे) फ़रमाया कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ (यानी आप मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दीजिये) इस शर्त से कि जो मुफ़ीद इल्म आपको (अल्लाह की तरफ़ से) सिखाया गया है उसमें से आप मुझको भी सिखला दें। उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप से मेरे साथ रहकर (मेरे कामों पर) सब्र न हो सकेगा (यानी आप मुझ पर रोक-टोक करेंगे और शिक्षक पर शिक्षा के संबन्ध शिक्षा ग्रहण करने वाले की रोक-टोक करने से साथ रह पाना मुश्किल है)। और (भला) ऐसे मामलों पर (रोक-टोक करने से) आप कैसे सब्र करेंगे जो आपकी जानकारी से बाहर हैं (यानी जाहिर में वो मामले मक़सद व कारण मालूम न होने की वजह से खिलाफ़े शरीअत नज़र आयेंगे और आप खिलाफ़े शरीअत बातों पर ख़ामोश न रह सकेंगे)।

मूसा अल्लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि (नहीं!) इन्शा-अल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला (यानी बरदाश्त करने वाला) पाएँगे, और मैं किसी बात में आपके हुक्म के खिलाफ़ न करूँगा

(यानी मसलन अगर रोक-टोक से मना कर देंगे तो मैं रोक-टोक न करूँगा, इसी तरह और किसी बात में भी आपके हुक्म के खिलाफ़ न करूँगा)। उन बुजुर्ग ने फ़रमाया कि (अच्छा) तो अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो (इतना ख़्याल रहे कि) मुझसे किसी बात के बारे में कुछ पूछना नहीं जब तक कि उसके बारे में मैं खुद ज़िक्र शुरू न कर दूँ।

मज़ारिफ़ व मसाईल

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهِ

इस वाकिए में मूसा से मुराद मशहूर व परिचित पैग़म्बर मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम हैं, नौफ़ बकाली ने जो दूसरे किसी मूसा की तरफ़ इस वाकिए को मन्सूब किया है सही बुखारी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ़ से इस पर सख़्त रद्द मन्कूल है।

और फ़ता के लफ़्ज़ी मायने नौजवान के हैं। जब यह लफ़्ज़ किसी खास शख्स की तरफ़ मन्सूब करके इस्तेमाल किया जाता है तो उसका ख़ादिम मुराद होता है, क्योंकि ख़िदमतगार अक्सर ताक़तवर जवान देखकर रखा जाता है जो हर काम अन्जाम दे सके, और नौकर व ख़ादिम को जो उनके नाम से पुकारना इस्लाम का एक बेहतरीन अदब है कि नौकरों को भी गुलाम या नौकर कहकर ख़िताब न करो बल्कि अच्छे लक़ब से पुकारो, इस जगह फ़ता की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ है, इसलिये मुराद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ादिम और हदीस की रिवायतों में है कि यह ख़ादिम यूशा बिन नून इब्ने अफ़राईम बिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। कुछ रिवायतों में है कि यह मूसा अलैहिस्सलाम के भानजे थे मगर इसमें कोई निश्चित फ़ैसला नहीं किया जा सकता, सही रिवायतों से उनका नाम यूशा बिन नून होना साबित है, बाकी सिफ़ात व हालात का सुबूत नहीं। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

मजमउल्-बहरैन के लफ़्ज़ी मायने हर वह जगह है जहाँ दो दरिया मिलते हैं, और यह ज़ाहिर है कि ऐसे मौके दुनिया में बेशुमार हैं। इस जगह मजमउल्-बहरैन से कौनसी जगह मुराद है, चूँकि कुरआन व हदीस में इसको निर्धारित तौर पर नहीं बतलाया इसलिये आसार व अन्दाज़ों के एतबार से मुफ़स्सरीन के अक़वाल इसमें भिन्न और अलग-अलग हैं, क़तादा रह. ने फ़रमाया कि फ़ारस व रोम के दरियाओं का संगम मुराद है, इब्ने अतीया रह. ने आजर बाइज़ान के करीब एक जगह को कहा है, कुछ हज़रत ने दरिया-ए-उर्दुन और दरिया-ए-कुल्जुम के मिलने की जगह (संगम) बतलाई है, कुछ हज़रत ने कहा यह तनजा के मक़ाम में स्थित है, उबई बिन क़अब रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है कि यह अफ़्रीका में है, सुद्दी ने आरमीनिया में बतलाया है, कुछ ने दरिया-ए-उन्दुलुस जहाँ दरिया-ए-मुहीत से मिलता है वह स्थान बतलाया है। वल्लाहु आलम

बहरहाल! इतनी बात ज़ाहिर है कि अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह मक़ाम मुतैयन करके बतला दिया था जिसकी तरफ़ उनका सफ़र जारी हुआ है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

हज़रत मूसा और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम का किस्सा

इस वाकिए की तफसील सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इस तरह आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इस्राईल में खुतबा देने (बयान करने) के लिये खड़े हुए तो लोगों ने आप से यह सवाल किया कि तमाम इनसानों में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में अपने से ज्यादा इल्म वाला कोई था नहीं इसलिये) फरमाया कि "मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ।" (अल्लाह तआला अपनी बारगाह के खास बन्दों अम्बिया को खास तरबियत देते हैं इसलिये यह बात पसन्द न आई बल्कि अदब का तकाज़ा तो यह था कि इसको अल्लाह के इल्म के हवाले करते, यानी यह कह देते कि अल्लाह तआला ही जानते हैं कि सारी मख्लूक में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला कौन है)।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर अल्लाह तआला की नाराज़गी और अप्रसन्नता का इज़हार हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि हमारा एक बन्दा मजमउल्-बहरैन (दो दरियाओं के संगम) पर है वह आप से ज्यादा इल्म रखने वाला है। (मूसा अलैहिस्सलाम को जब यह मालूम हुआ तो अल्लाह तआला से दरख्वास्त की कि जब वह मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं तो मुझे उनसे लाभ उठाने के लिये सफ़र करना चाहिये) इसलिये अर्ज किया या अल्लाह! मुझे उनका पता निशान बतलाया जाये, अल्लाह तआला ने फरमाया कि एक मछली अपनी जम्बील में रख लो और मजमउल्-बहरैन (दो दरियाओं के संगम) की तरफ सफ़र करो जिस जगह पहुँचकर यह मछली गुम हो जाये वस वही जगह हमारे उस बन्दे के मिलने की है।

मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक एक मछली जम्बील में रख ली और चल दिये, उनके साथ उनके खादिम यूशा बिन नून भी थे। सफ़र के दौरान एक पत्थर के पास पहुँचकर उस पर सर रखकर लेट गये, यहाँ अचानक यह मछली हरकत में आ गई और जम्बील से निकल कर दरिया में चली गई और (मछली के जिन्दा होकर दरिया में चले जाने के साथ एक दूसरा मोजिज़ा यह हुआ कि) जिस रास्ते से मछली दरिया में गई अल्लाह तआला ने वहाँ पानी का चलना रोक दिया और उस जगह पानी के अन्दर एक सुरंग जैसी हो गई (यूशा बिन नून इस अजीब वाकिए की देख रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम सो गये-थे) जब वह जागे तो यूशा बिन नून मछली का यह अजीब मामला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बतलाना भूल गये और उस जगह से फिर खाना हो गये। पूरे एक दिन एक रात का मज़ीद सफ़र किया, जब दूसरे दिन की सुबह हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ क्योंकि इस सफ़र से काफी थकान हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि (अल्लाह का हुक्म) मूसा अलैहिस्सलाम को इससे पहले थकान भी महसूस नहीं हुई यहाँ तक कि जिस जगह पहुँचना था उससे आगे निकल गये। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नाश्ता तलाब किया तो यूशा बिन नून को मछली का वाकिआ याद आया और अपने भूल जाने का उज़्र किया कि शैतान ने मुझे

भुला दिया था कि उन वक्त आपको बाकिए की इत्तला न की और फिर बतलाया कि वह मुर्दा मछली तो जिन्दा होकर दरिया में एक अजीब तरीके से चली गई। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही तो हमारा मकसद था (यानी मन्जिले मकसूद वही थी जहाँ मछली जिन्दा होकर गुम हो जाये)।

घुनाँचे उसी वक्त वापस खाना हो गये और ठीक उसी रास्ते से लौटे जिस पर पहले धले थे ताकि वह जगह मिल जाये। अब जो यहाँ उस पत्थर के पास पहुँचे तो देखा कि उस पत्थर के पास एक शख्स सर से पाँच तक चादर ताने हुए लेटा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने (उसी हालत में) सलाम किया तो खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस (गैर-आबाद) जंगल में सलाम कहाँ से आ गया? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ तो हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि मूसा बनी इस्राईल? आपने जवाब दिया कि हाँ मैं मूसा बनी इस्राईल हूँ। इसलिये आया हूँ कि आप मुझे वह खास इल्म सिखला दें जो अल्लाह ने आपको दिया है।

खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब नहीं कर सकेंगे, ऐ मूसा! मेरे पास एक इल्म है जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह आपके पास नहीं, और एक इल्म आपको दिया है जो मैं नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्शा-अल्लाह तआला आप मुझे सब करने वाला पायेंगे और मैं किसी काम में आपकी मुखालफत नहीं करूँगा।

हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप मेरे साथ चलने ही को तैयार हैं तो किसी मामले के मुताल्लिक मुझसे कुछ पूछना नहीं जब तक कि मैं खुद आपको उसकी हकीकत न बतलाऊँ।

यह कहकर दोनों हज़रत दरिया के किनारे-किनारे चलने लगे। इत्तिफ़ाक से एक कश्ती आ गई तो कश्ती वालों से कश्ती पर सवार होने की बातचीत की, उन लोगों ने हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और इन सब लोगों को बगैर किसी किराये और उजरत के कश्ती में सवार कर लिया। कश्ती में सवार होते ही खज़िर अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी के ज़रिये कश्ती का एक तख़्ता निकाल डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम (से रहा न गया) कहने लगे कि इन लोगों ने बगैर किसी मुआवज़े के हमें कश्ती में सवार कर लिया, आपने इसका यह बदला दिया कि इनकी कश्ती तोड़ डाली ताकि ये सब गर्क हो जायें, यह तो आपने बहुत बुरा काम किया। खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आप से पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ सब न कर सकेंगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उज़्र किया कि मैं अपना वायदा भूल गया था, इस भूल पर आप पकड़ न करें।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह वाक़िआ नक़ल करके फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का पहला एतिराज़ खज़िर अलैहिस्सलाम पर भूल से हुआ था और दूसरा बतौर शर्त के और तीसरा इरादे से (इसी दौरान में) एक चिड़िया-आई और कश्ती के किनारे पर बैठकर उसने दरिया में से एक चोंच भर पानी लिया। खज़िर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम

को खिताब करके कहा कि मेरा इल्म और आपका इल्म दोनों मिलकर भी अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतनी हैसियत भी नहीं रखते जितनी इस चिड़िया की चोंच के पानी को इस समन्दर के साथ है।

फिर कश्ती से उतरकर दरिया के किनारे चलने लगे, अचानक खज़िर अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को देखा कि दूसरे लड़कों में खेल रहा है, खज़िर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से उस लड़के का सर उसके बदन से अलग कर दिया, लड़का मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने एक मासूम जान को बगैर किसी जुम के क़त्ल कर दिया यह तो आपने बड़ा ही गुनाह किया। खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह मामला पहले मामले से ज्यादा सख्त है इसलिये कहा कि अगर इसके बाद मैंने आप से कोई बात पूछी तो आप मुझे अपने साथ से अलग कर दीजिये, आप मेरी तरफ़ से उज़्र की हद पर पहुँच चुके हैं।

इसके बाद फिर चलना शुरू किया यहाँ तक कि एक गाँव पर गुज़र हुआ, इन्होंने गाँव वालों से दरख्वास्त की कि हमें अपने यहाँ मेहमान रख लीजिये, उन्होंने इनकार कर दिया। उस बस्ती में इन लोगों ने एक दीवार को देखा कि गिरने वाली है, हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने उसको अपने हाथ से सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा कि हमने इन लोगों से मेहमानी चाही तो इन्होंने इनकार कर दिया, आपने इतना बड़ा काम कर दिया अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत इनसे ले सकते थे। खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा कि:

هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ

(यानी अब शर्त पूरी हो चुकी इसलिये हमारी और आपकी जुदाई का वक़्त आ गया है)

इसके बाद खज़िर अलैहिस्सलाम ने तीनों वाकिआत की हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाकर कहा:

ذَلِكَ نَأْوِيلُ مَا لَمْ تَنْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

“यानी यह है हकीकत उन वाकिआत की जिन पर आप से सब्र न हो सका।”

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह पूरा वाकिआ जिक्र करने के बाद फ़रमाया कि जी चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और कुछ सब्र कर लेते तो इन दोनों की और कुछ ख़बरें मालूम हो जातीं।

सही बुख़ारी व मुस्लिम में यह लम्बी हदीस इस तरह आई है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मूसा बनी इस्राईल और नौजवान साथी का नाम यूशा बिन नून होना और जिस बन्दे की तरफ़ मूसा अलैहिस्सलाम को मजमउलु-बहरैन की तरफ़ भेजा गया था उनका नाम खज़िर होना स्पष्ट तौर पर बयान हुआ है, आगे कुरआन की आयतों के साथ इनके मफ़हूम और तफ़सीर को देखिये।

सफ़र के कुछ आदाब और पैग़म्बराना हिम्मत व इरादे का एक नमूना

لَا أْبْرُحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

यह जुमला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र के साथी यूशा बिन नून से कहा जिसका मतलब अपने सफ़र का रुख और मन्ज़िले मकसूद साथी को बताना था। इसमें भी अच्छी बात यह है कि सफ़र की ज़रूरी बातों से अपने साथी और खादिम को भी अवगत करा देना चाहिये, घमण्डी लोग अपने खादिमों और नौकरों को न काबिले खिताब समझते हैं न अपने सफ़र के बारे में उनको कुछ बताते हैं।

हुक्बन, हुक्बतु की जमा (बहुवचन) है, लुगत वालों ने कहा कि हुक्बा अस्सी साल की मुदत है, कुछ ने इससे ज्यादा को हुक्बा करार दिया। सही यह है कि लम्बे ज़माने को कहा जाता है इसकी कोई मुतैयन हद नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी को यह बतला दिया कि मुझे मजमउल्-बहरैन (दो दरियाओं के संगम) की उस जगह पर पहुँचना है जहाँ के लिये अल्लाह तआला का हुक्म हुआ है और इरादा यह है कि कितना ही लम्बा समय सफ़र में गुज़र जाये जब तक उस मन्ज़िले मकसूद पर न पहुँचूँ सफ़र जारी रहेगा, अल्लाह तआला के हुक्म की तामील में पैग़म्बराना हिम्मत व इरादे ऐसे ही हुआ करते हैं।

हज़रत मूसा का हज़रत खज़िर से अफ़ज़ल होना

मूसा अलैहिस्सलाम की खास तरबियत और उनके मोजिज़े

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَبِيًّا حَاتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَرْبًا

कुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों से स्पष्ट है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़माअत में भी एक खास विशेषता हासिल है, अल्लाह तआला के साथ कलाम करने का खास सम्मान उनकी विशेष फ़ज़ीलत है, और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की तो नुबुव्वत में भी मतभेद है, और नुबुव्वत को तस्लीम भी किया जाये तो रसूल होने का मर्तबा हासिल नहीं, न उनकी कोई किताब है न कोई खास उम्मत, इसलिये बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम खज़िर अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा अफ़ज़ल हैं, लेकिन हक़ तआला अपने खास बन्दों की मामूली-सी कमी और कोताही की इस्लाह फ़रमाते हैं, उनकी तरबियत के लिये मामूली-सी कोताही पर भी सख्त नाराज़गी का इज़हार होता है, उसकी तलाफ़ी व धरपाई भी उनसे उसी पैमाने पर कराई जाती है। यह सारा किस्सा इसी खास अन्दाज़े तरबियत का प्रतीक है। उनकी ज़बान से यह कलिमा निकल गया था कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ, हक़ तआला को यह

पसन्द न आया तो उनकी तंबीह के लिये अपने एक ऐसे बन्दे का उनको पता दिया गया जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ एक खास इल्म था, जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था, अगरचे मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म उनके इल्म से दर्जे में बहुत बढ़ा हुआ था मगर बहरहाल वह मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल न था। इधर मूसा अलैहिस्सलाम को हक़ तआला ने इल्म हासिल करने का ऐसा जज़्बा अता फ़रमाया था कि जब यह मालूम हुआ कि कहीं और भी इल्म है जो मुझे हासिल नहीं तो उसके हासिल करने के लिये तालिब-इल्म की हैसियत से सफ़र के लिये तैयार हो गये और हक़ तआला ही से उस बन्दे (ख़ज़िर अलैहिस्सलाम) का पता पूछा। अब यहाँ यह बात गौर करने के काबिल है कि अगर अल्लाह तआला चाहते तो ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाक़ात यहीं आसानी से करा देते, या मूसा अलैहिस्सलाम ही को तालिबे-इल्म बनाकर सफ़र कराना था तो पता साफ़ बता दिया जाता जहाँ पहुँचने में परेशानी न होती, मगर हुआ यह कि पता ऐसा अस्पष्ट बतलाया गया कि जिस जगह पहुँचकर मरी हुई मछली जिन्दा होकर गुम हो जाये उस जगह वह हमारा बन्दा मिलेगा।

सही बुख़ारी की हदीस से उस मछली के मुताल्लिक इतना साबित हुआ कि हक़ तआला ही की तरफ़ से यह हुक्म हुआ था कि एक मछली अपनी ज़म्बील में रख लें, इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं कि यह मछली खाने के लिये साथ रखने का हुक्म हुआ था या खाने से अलग, दोनों बातें हो सकती हैं, इसी लिये मुफ़स्सरीन में से कुछ हज़रत ने कहा कि यह भुनी हुई मछली खाने के लिये रखी गई थी और उस सफ़र के दोनों साथी सफ़र के दौरान उसमें से खाते भी रहे, उसका आधा हिस्सा खाया जा चुका था उसके बाद मोज़िजे के तौर पर यह भुनी हुई और आधी खाई हुई मछली जिन्दा होकर दरिया में चली गई।

इन्ने अतीया और कुछ दूसरे लोगों ने यह भी बयान किया कि यह मछली मोज़िजे के तौर पर फिर दुनिया में बाकी भी रही और बहुत देखने वालों ने देखा भी कि उसकी सिर्फ़ एक करवट है दूसरी खाई हुई है। इन्ने अतीया ~~ने~~ खुद भी अपना देखना बयान किया है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

और कुछ मुफ़स्सरीन ने कहा कि नाश्ते खाने के अलावा एक अलग ज़म्बील में मछली रखने का हुक्म हुआ था उसके मुताल्लिक रख ली गई थी; इसमें भी इतनी बात तो मुतयन है कि मछली मुर्दा थी, जिन्दा होकर दरिया में चला जाना एक मोज़िजा ही था।

बहरहाल! हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम का पता ऐसा अस्पष्ट दिया गया कि आसानी से जगह मुतयन न हो, जाहिर यह है कि यह भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ही था, इस पर और ज्यादा इम्तिहान की सूरत यह पैदा की गई कि जब ऐन मौके पर ये लोग पहुँच गये तो मछली को भूल गये। क़ुरआन की आयत में यह भूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दोनों की तरफ़ मन्सूब की गई है 'नसिया हूतहुमा', लेकिन बुख़ारी की हदीस से जो किस्सा साबित हुआ उससे मालूम होता है कि जिस वक़्त मछली के जिन्दा होकर दरिया में जाने का वक़्त आया तो मूसा अलैहिस्सलाम सोये हुए थे सिर्फ़ यूशा बिन नून ने यह अजीब वाक़िआ

के बाद अल्लाह तआला ने उन पर भूल मुसल्लत कर दी और भूल गये तो यहाँ दोनों की तरफ भूलने की निस्वत ऐसी हो गई जैसे कुरआन में:

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْؤُ وَالْمَرْجَانُ

(यांनी सूर: रहमान) में मीठे और खारी दोनों दरियाओं से मोती और मरजान निकलने का बयान आया है, हालाँकि मोती सिर्फ खारी और नमकीले दरिया से निकलते हैं, मगर मुहावरे में ऐसा कहना और लिखना एक आम बात है। और यह भी हो सकता है कि उस जगह से आगे सफर करने के वक़्त तो मछली को साथ लेना दोनों ही बुजुर्ग भूले हुए थे इसलिये दोनों की तरफ भूल को मन्सूब किया गया।

बहरहाल! यह एक दूसरी आजमाईश थी कि मन्ज़िले मकसूद पर पहुँचकर मछली के ज़िन्दा होकर पानी में गुम हो जाने से हकीकत खुल जाती है और जगह मुतयन हो जाती है, मगर अभी उस तालिबे हक़ का कुछ और भी इम्तिहान लेना था, इसलिये दोनों पर भूल मुसल्लत हो गई, और पूरे एक दिन और एक रात का और सफर तय करने के बाद भूख और थकान का एहसास हुआ, यह तीसरा इम्तिहान था, क्योंकि आदतन थकान और भूख का एहसास इससे पहले हो जाना चाहिये था वहीं मछली याद आ जाती तो इतने लम्बे सफर की अतिरिक्त तकलीफ़ न होती मगर अल्लाह तआला को मन्ज़ूर यही था कि कुछ और मशक्कत उठाये, इतना लम्बा सफर करने के बाद भूख-प्यास का एहसास हुआ और वहाँ मछली याद आई और यह मालूम हुआ कि हम मन्ज़िले मकसूद से बहुत आगे आ गये, इसलिये फिर उसी पैरों के निशान पर वापस लौटे।

मछली के दरिया में चले जाने का जिक्र पहली मर्तबा तो स-र-बा के लफ़्ज़ से आया है, सरब के मायने सुरंग के हैं जो पहाड़ों में रास्ता बनाने के लिये खोदी जाती है या शहरों में ज़मीन के नीचे रास्ते बनाने के लिये खोदी जाती है। इससे मालूम हुआ कि यह मछली जब दरिया में गई तो जिस तरफ़ को जाती पानी में एक सुरंग-सी बनती चली गई कि उसके जाने का रास्ता पानी से खुला रहा जैसा कि सही बुखारी की रिवायत से वाज़ेह हुआ। दूसरी मर्तबा जब यूशा इब्ने नून ने भूसा अलैहिस्सलाम से इस वाकिए का जिक्र लम्बे सफर के बाद किया वहाँ:

وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا

(यांनी अज़्ज़बा) के अलफ़ाज़ से इस वाकिए को बयान किया। इन दोनों में कोई टकराव नहीं, क्योंकि पानी के अन्दर सुरंग बनते चले जाना खुद एक अजीब वाक़िआ आम आदत के खिलाफ़ था।

हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात और उनकी

नुबुव्वत का मसला

कुरआने करीम में अगरचे उस वाक़िआ वाले का नाम जिक्र नहीं हुआ बल्कि 'अब्दम् मिन्

अिबादिना' (हमारे बन्दों में से एक बन्दा) कहा गया मगर सही बुखारी की हदीस में उनका नाम खज़िर बतलाया गया है। खज़िर के लफ़्ज़ी मायने हरेभरे के हैं, उनका नाम खज़िर होने की वजह आम मुफ़स्सरीन ने यह बतलाई है कि यह जिस जगह बैठ जाते तो कैसी ही ज़मीन हो वहाँ घास उग जाती और ज़मीन हरीभरी हो जाती थी। कुरआने करीम ने यह भी वाज़ेह नहीं किया कि खज़िर अलैहिस्सलाम कोई पैग़म्बर थे या औलिया-अल्लाह में से कोई फ़र्द थे, लेकिन उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक उनका नबी होना खुद कुरआने करीम में ज़िक्र किये हुए वाकिआत से साबित है, क्योंकि खज़िर अलैहिस्सलाम से उस सफ़र में जितने वाकिआत साबित हैं उनमें से कुछ तो निश्चित तौर पर खिलाफ़े शरीअत हैं और शरीअत के हुक्म से सिवाय अल्लाह की वही के कोई बाहर और अलग हो ही नहीं सकता, जो नबी और पैग़म्बर ही के साथ मख़सूस है, वली को भी कश्फ़ या इल्हाम से कुछ चीज़ें मालूम हो सकती हैं मगर वह कोई हुज्जत नहीं होती, उनकी बिना पर शरीअत के किसी ज़ाहिरी हुक्म को बदला नहीं जा सकता इसलिये यह मुतयन हो जाता है कि खज़िर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैग़म्बर थे, उनको अल्लाह की वही के ज़रिये कुछ ख़ास वो अहकाम दिये गये थे जो शरीअत के ज़ाहिर के खिलाफ़ थे, उन्होंने जो कुछ किया उसको एक विशेष और अलग रखे गये हुक्म के मातहत किया, खुद उनकी तरफ़ से इसका इज़हार भी कुरआन के इस जुमले में हो गया:

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي

(यानी मैंने जो कुछ किया अपनी तरफ़ से नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया है)

खुलासा यह है कि उम्मत की अक्सरियत और बड़ी जमाअत के नज़दीक हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम भी एक नबी और पैग़म्बर हैं, मगर निज़ामे कायनात की कुछ ख़िदमतें अल्लाह की ओर से उनके सुपर्द की गई थीं, उन्हीं का इल्म उनको दिया गया था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी इत्तिला न थी इसी लिये उस पर एतिराज़ किया। तफ़सीरे कुर्तुबी, बहरे मुहीत, अबू हय्यान और अक्सर तफ़सीरों में यह मज़मून विभिन्न उनवानों से मज़कूर है।

किसी वली को शरीअत के ज़ाहिरी हुक्म के खिलाफ़

करना हलाल नहीं

यहीं से यह बात भी मालूम हो गई कि बहुत से जाहिल ग़लत काम करने वाले तसव्वुफ़ को बदनाम करने वाले सूफ़ी जो कहने लगे कि शरीअत और चीज़ है और तरीक़त और है, बहुत-सी चीज़ें शरीअत में हराम होती हैं मगर तरीक़त में जायज़ हैं, इसलिये किसी वली को खुले गुनाहे कबीरा में मुब्तला देखकर भी उस पर एतिराज़ नहीं किया जा सकता, यह खुली हुई गुमराही और यातिल है। हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम पर किसी दुनिया के वली को क़ियास नहीं किया जा सकता, और न शरीअत के ज़ाहिर के खिलाफ़ उसके किसी फ़ैल को जायज़ कहा जा सकता है।

शागिर्द पर उस्ताद का हुक्म मानना लाज़िम है

هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلِمَ مِمَّا عُلِّمَتْ رُحَدَاۗءُ

इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बावजूद नबी व रसूल और बड़ी शान वाला पैग़म्बर होने के हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से अदब व ताज़ीम के साथ दरख़्वास्त की कि मैं आप से आपका इल्म सीखने के लिये साथ चलना चाहता हूँ। इससे मालूम हुआ कि इल्म हासिल करने का अदब यही है कि शागिर्द अपने उस्ताद की ताज़ीम व अदब और पैरवी करें, अगरचे शागिर्द अपने उस्ताद से अफ़ज़ल व आला भी हो। (तफ़सीर कुर्तुबी, मज़हरी)

आलिमे शरीअत के लिये जायज़ नहीं कि खिलाफ़े शरीअत बात पर सब्र करे

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝

हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, और कैसे सब्र करेंगे जबकि आपको मामले की हकीकत की इत्तिला न हो।

मतलब यह था कि मुझे जो इल्म अता हुआ है यह आपके इल्म से अलग अन्दाज़ व किस्म का है इसलिये आपको मेरे मामलात काबिले एतिराज़ नज़र आयेंगे, जब तक कि मैं उनकी हकीकत से आपको बाख़बर न कर दूँ आप अपने फ़र्जे मन्सबी की बिना पर उस पर एतिराज़ करेंगे।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चूँकि खुद अल्लाह तआला की तरफ़ से उनके पास जाने और उनसे इल्म सीखने का हुक्म हुआ था इसलिये यह इल्मीनान था कि उनका कोई काम हकीकत में खिलाफ़े शरीअत नहीं होगा, चाहे ज़ाहिर में समझ में न आये, इसलिये सब्र करने का वायदा कर लिया, वरना ऐसा वायदा करना भी किसी आलिमे दीन के लिये जायज़ नहीं, लेकिन फिर शरीअत के बारे में दीनी ग़ैरत के ज़ब्जे से मग़्लूब होकर उस वायदे को भूल गये।

पहला वाकिआ तो ज़्यादा संगीन भी नहीं था, सिर्फ़ कश्ती वालों का माली नुक़सान या डूब जाने का सिर्फ़ ख़तरा ही था जो बाद में दूर हो गया, लेकिन बाद के वाकिआत में मूसा अलैहिस्सलाम ने यह वायदा भी नहीं किया कि मैं एतिराज़ नहीं करूँगा, और जब लड़के के कल्ल का वाकिआ देखा तो सख़्ती के साथ एतिराज़ किया और अपने एतिराज़ पर कोई उज़्र भी पेश न किया, सिर्फ़ इतना कहा कि अगर आईन्दा एतिराज़ करूँ तो आपकी हक़ होगा कि आप मुझे साथ न रखें, क्योंकि किसी नबी और पैग़म्बर से यह बरदाश्त नहीं हो सकता कि खिलाफ़े शरीअत काम होता देखकर सब्र करे, अलबत्ता चूँकि दूसरी तरफ़ भी पैग़म्बर ही थे इसलिये आख़िरकार हकीकत इस तरह ज़ाहिर हुई कि ये आशिक वाकिआत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के लिये

शरीअत के आम कायदों से अलग कर दिये गये थे, उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह की बही के मुताबिक़ किया। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़िर के इल्म में एक बुनियादी फ़र्क़ और दोनों में जाहिरी टकराव का हल

यहाँ तबई तौर पर एक सवाल पैदा होता है कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम की वज़ाहत व खुलासे के मुताबिक़ उनको जो इल्म अता हुआ था वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म से अलग अन्दाज़ का था मगर जबकि ये दोनों इल्म हक़ तअ़ाला ही की तरफ़ से अता हुए थे तो इन दोनों के अहक़ाम में टकराव व भिन्नता क्यों हुई, इसकी तहकीक़ तफ़सीरे मज़हरी में हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने जो लिखी है वह दुरुस्तगी के ज़्यादा करीब और दिल को लगने वाली है, उनकी तफ़रीर का मतलब जो मैं समझा हूँ उसका खुलासा यह है कि:

हक़ तअ़ाला जिन हज़रात को अपनी बही और नुबुव्वत से सम्मानित फ़रमाते हैं वे एमूमन तो वही हज़रात होते हैं जिनके सुपर्द मख़्लूक की इस्लाह की ख़िदमत होती है, उन पर किताब और शरीअत नाज़िल की जाती है जिनमें अल्लाह की मख़्लूक की हिदायत और इस्लाह (सुधार) के उसूल व कायदे होते हैं। जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र कुरआने करीम में नुबुव्वत व रिसालत की वज़ाहत के साथ आया है वे सब के सब ऐसे ही थे जिनके सुपर्द कानून शरीअत की और इस्लाही ख़िदमत थीं, उन पर जो बही आती थी वह भी सब उसी के मुताल्लिक़ थी। मगर दूसरी तरफ़ कुछ तकवीनी (कुदरती और डायरेक्ट बिना असबाब के कायनाती निज़ाम से संबन्धित) ख़िदमत भी हैं जिनके लिये आम तौर से अल्लाह के फ़रिश्ते मुक़रर हैं, मगर अम्बिया की जमाअत में भी हक़ तअ़ाला ने कुछ हज़रात को इसी किस्म की तकवीनी ख़िदमत के लिये ख़ास कर लिया है। हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम उसी गिरोह में से हैं, तकवीनी ख़िदमत आशिक़ वाकिआत से संबन्धित होती हैं कि फ़ुलौ शख़्स डूबने वाले को बचा लिया जाये या फ़ुलौ को हलाक़ कर दिया जाये, फ़ुलौ को तरक्की दी जाये, फ़ुलौ को नीचे गिरा दिया जाये। उन मामलात का न आम लोगों से कोई ताल्लुक़ होता है न उनके अहक़ाम अज़ाम से मुताल्लिक़ होते हैं, ऐसे आशिक़ वाकिआत में कुछ ब्यो सूरते भी पेश आती हैं कि एक शख़्स को हलाक़ करना शरई कानून के खिलाफ़ है अगर वो तकवीनी कानून में इस ख़ास वाकिए को आम शरई कानून से अलग करके उस शख़्स के लिये जायज़ कर दिया गया है जिसको इस तकवीनी ख़िदमत पर मामूर फ़रमाया गया है। ऐसे हालात में शरई क़वानीन के उलेमा इस विशेष और अलग रखे गये हुक्म से वाकिफ़ नहीं होते और वे इसको हराम कहने पर मजबूर होते हैं, और जो शख़्स तकवीनी तौर पर इस कानून से अलग कर दिया गया है वह अपनी जगह हक़ पर होता है।

खुलारा यह है कि जहाँ यह टकराव नज़र आता है वह दर हकीकत टकराव नहीं होता कुछ आंशिक वाकिआत का आम क़ानूने शरीअत से अलग रखना होता है। अबू हय्यान ने तफ़सीर बहरे मुह्रीत में फ़रमाया:

الجمهور على ان الخضر نبى و كان علمه معرفة بواطن قد اوحيت اليه و علم موسى الاحكام والفتيا بالظاهر. (مجموعه ۱۲۷)

इसलिये यह भी ज़रूरी है कि यह क़ानूने शरीअत से अलग और बाहर रखना नुबुव्वत की वही के ज़रिये हो, किसी वली का क़शफ़ व इल्हाम शरीअत के आम क़ानून से अलग रखने के लिये हरगिज़ काफ़ी नहीं, इसी लिये हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम का लड़के को बज़ाहिर नाहक़ क़त्ल करना शरीअत के ज़ाहिर में हराम था लेकिन हज़रत ख़ज़िर तकवीनी तौर पर इस क़ानून से अलग करके पामूर किये गये थे, उन पर किसी ग़ैर-नबी के क़शफ़ व इल्हाम को क़ियास व तुलना करके किसी हराम को हलाल समझना जैसे बाज़ जाहिल सूफ़ियों में मशहूर है बिल्कुल बेदीनी और इस्लाम से बगावत है।

इब्ने अबी शैबा ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का यह वाकिआ नक़ल किया है कि नजदा हरूरी (ख़ारजी) ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने नाबालिग़ लड़के को कैसे क़त्ल कर दिया जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नाबालिग़ को क़त्ल करने से मना फ़रमाया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में लिखा कि अगर किसी बच्चे के मुताल्लिक़ तुम्हें वह इल्म हासिल हो जाये जो मूसा अलैहिस्सलाम के अ़ालिम (यानी ख़ज़िर अलैहिस्सलाम) को हासिल हुआ था तो तुम्हारे लिये भी नाबालिग़ का क़त्ल जायज़ हो जायेगा। मतलब यह था कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम को तो नुबुव्वत के पैग़ाम के ज़रिये इसका इल्म हुआ था वह अब किसी को नहीं हो सकता क्योंकि नुबुव्वत ख़त्म हो चुकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई नबी नहीं होगा जिसको वही के ज़रिये इस किस्म के वाकिआत के मुताल्लिक़ अल्लाह के किसी हुक्म से किसी ख़ास शख़्स को अलग करने और बाहर रहने का इल्म हो सके। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस वाकिए से भी यह हकीकत स्पष्ट हो गई कि किसी शख़्स को किसी शरई हुक्म से ख़ारिज और बाहर करार देने का वही वाले नबी के सिवा किसी को हक़ नहीं।

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَكِبْنَا فِي السَّفِينَةِ

خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِمْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تَأْخُذْ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا لَقِينَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۝ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثَكْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِذْ ذَاكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ سَأَلْتِكِ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ مَا فَلَا

نَضَّيْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۖ فَانْتَلَقَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا الْبَتَّىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا
 أَنْ يُضَيِّقُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ
 إِجْرًا ۖ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۖ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ

फन्त-लका, हत्ता इजा रकिबा
 फिस्सफी-नति ख-र-कहा, का-ल
 अ-खरक्तहा लितुगुरि-क अस्लहा
 ल-कद् जिअ-त शैअन् इमरा (71)
 का-ल अलम् अकुल् इन्न-क लन्
 तस्तती-अ मअि-य सब्रा (72) का-ल
 ला तुआखिज्नी बिमा नसीतु व ला
 तुरहिक्नी मिन् अम्री असूरा (73)
 फन्त-लका, हत्ता इजा लकिया
 गुलामन् फ-क-त-लहू का-ल
 अ-कतल-त नफ्सन् जकिय्य-तम्
 बिगैरि नफिसन्, ल-कद् जिअ-त
 शैअन् नुकरा (74)

का-ल अलम् अकुल्-ल-क इन्न-क
 लन् तस्तती-अ मअि-य सब्रा (75)
 का-ल इन् सअल्लु-क अन् शैइम्
 बअ्दहा फला तुसाहिब्नी कद्
 बलग्-त मिल्लदुन्नी अज्रा (76)

फन्त-लका, हत्ता इजा अ-तया
 अह-ल कुरयति-निस्तत्-अमा अस्लहा
 फ-अबौ अय्युजयिफूहुम फ-व-जदा

फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब चढ़े
 कशती में उसको फाड़ डाला, मूसा बोला
 क्या तूने इसको फाड़ डाला कि डूबा दे
 इसके लोगों को, अलबत्ता तूने की एक
 चीज भारी। (71) बोला मैंने न कहा था
 तू न ठहर सकेगा मेरे साथ। (72) कहा
 मुझको न पकड़ मेरी भूल पर और मत
 डाल मुझ पर मेरा काम मुश्किल। (73)
 फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब मिले
 एक लड़के से तो उसको मार डाला, मूसा
 बोला क्या तूने मार डाली एक जान
 सुथरी बगैर बदले किसी जान के, बेशक
 तूने की एक चीज नामाकूल। (74)
 बोला मैंने तुझको न कहा था कि तू न
 ठहर सकेगा मेरे साथ। (75) कहा अगर
 तुझसे पूछूँ कोई चीज इसके बाद तो
 मुझको साथ न रखियो, तू उतार चुका
 मेरी तरफ से इल्जाम। (76) फिर दोनों
 चले, यहाँ तक कि जब पहुँचे एक गाँव
 के लोगों तक खाना चाहा वहाँ के लोगों
 से, उन्होंने न माना कि उनको मेहमान
 रखें फिर पाई वहाँ एक दीवार जो गिरने

फीहा जिदारय्युरीदु अय्यन्कज़-ज
 फ़-अक़ामहू, का-ल लौ शिअ-त
 लत्त-खाज़-त अलैहि अजरा (77)
 का-ल हाज़ा फिराकु बैनी व बैनि-क
 स-उनब्बिउ-क बितअवीलि मा लम्
 तस्ततिअ अलैहि सब्रा (78)

ही वाली थी उसको सीधा कर दिया,
 बोला (मूसा) अगर तू चाहता तो ले लेता
 इस पर मज़दूरी। (77) कहा अब जुदाई
 है मेरे और तेरे बीच, अब जतलाये देता
 हूँ तुझको फेर उन बातों का जिस पर तू
 सब्र न कर सका। (78)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(गर्ज आपस में कौल व करार हो गया) फिर दोनों (किसी तरफ) चले (गालिबन उनके साथ यूशा अलैहिस्सलाम भी होंगे मगर वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताबे थे इसलिये ज़िक्र दो का किया गया) यहाँ तक कि (चलते-चलते किसी ऐसे मक़ाम पर पहुँचे जहाँ कश्ती पर सवार होने की ज़रूरत हुई) जब दोनों नाव में सवार हुए तो उन बुजुर्ग ने उस नाव (का एक तख़्ता निकाल कर उस) में छेद कर दिया। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि क्या आपने इस नाव में इसलिए छेद किया है कि इसमें बैठने वालों को डूबो दें। आपने बड़ी भारी (ख़तरे की) बात की। उन बुजुर्ग ने कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप से मेरे साथ सब्र न हो सकेगा (आख़िर वही हुआ, आप अपने कौल पर न रहे)। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि (मैं भूल गया था) आप मेरी भूल-चूक पर पकड़ न कीजिये और मेरे इस मामले (साथ रहने) में मुझ पर ज़्यादा तंगी न डालिये (कि भूल-चूक भी माफ़ न हो। बात गई गुज़री हो गई)। फिर दोनों (कश्ती से उतरकर आगे) चले, यहाँ तक कि जब एक (छोटी उम्र के) लड़के से मिले तो उन बुजुर्ग ने उसको मार डाला, मूसा (अलैहिस्सलाम घबराकर) कहने लगे कि आपने एक बेगुनाह जान को मार डाला (और वह भी) किसी जान के बदले के बग़ैर, बेशक आपने बड़ी बेजा हरकत की (कि अब्बल तो यह नाबालिग़ का क़त्ल है जिसको क़िसास में भी क़त्ल करना जायज़ नहीं, फिर इसने तो किसी के क़त्ल भी नहीं किया यह फ़ेल पहले फ़ेल से भी ज़्यादा सख़्त है क्योंकि इसमें थकीनी नुक़सान तो सिर्फ़ माल का था बैठने वालों के डूबने का अगरचै ख़तरा था मगर उसकी रोकथम कर दी गयी, फिर लड़का नाबालिग़ हर गुनाह से बरी)।

उन बुजुर्ग ने फ़रमाया कि क्या मैंने आप से नहीं कहा था कि आप से मेरे साथ सब्र न हो सकेगा? मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया... (कि ख़ैर अब की बार और जाने दीजिये, लेकिन) अगर इस बार के बाद मैं आप से किसी मामले के बारे में कुछ पूछूँ तो आप मुझको अपने साथ न रखिये, बेशक आप मेरी तरफ़ से उज़्र (की इन्तिहा) को पहुँच चुके हैं (इस मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने भूलने का उज़्र पेश नहीं किया, इससे मालूम होता है कि यह सवाल उन्होंने

जान-बूझकर अपनी पैगम्बराना हैसियत को मुताल्लिक किया था)। फिर लोगों (आगे) चले, यहाँ तक कि जब एक गाँव वालों पर गुजर हुआ तो गाँव वालों से खाने को माँगा (कि हम मेहमान हैं) तो उन्होंने इनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया, इतने में इनको वहाँ एक दीवार मिली जो गिरने ही वाली थी, तो उन बुजुर्ग ने उसको (हाथ के इशारे से एक मोजिजे के तौर पर) सीधा कर दिया। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया कि अगर आप चाहते तो इस (काम) पर कुछ मुआवजा ही ले लेते (कि इस वक़्त काम भी चलता और इनकी बद-अख्नाकी की इस्ताह भी होती)। उन बुजुर्ग ने कहा कि यह वक़्त हमारे और आपके अलग होने का है (जैसा कि खुद आपने शर्त रखी थी), अब मैं उन चीज़ों की हकीकत आपको बतलाये देता हूँ जिन पर आप से सब्र न हो सका (जैसा कि आगे आने वाली आयतों में इसका बयान आ रहा है)।

मआरिफ व मसाईल

أَحْرَقَتْهَا لِتُفَرِّقَ أَهْلَهَا

बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि खज़िर अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी के ज़रिये कश्ती का एक तख़्ता निकाल दिया था जिसकी वजह से कश्ती में पानी भरकर डूबने का ख़तरा पैदा हो गया था, इसलिये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर एतिराज़ किया मगर तारोखी रिवायतों में है कि पानी उस कश्ती में दाखिल नहीं हुआ चाहे इसलिये कि खज़िर अलैहिस्सलाम ने ही फिर उसकी कुछ परम्मत कर दी जैसा कि इमाम बग़वी ने एक रिवायत नक़ल की है कि उस तख़्ते की जगह खज़िर अलैहिस्सलाम ने एक शीशा लगा दिया था या बतौर मोजिजे के पानी कश्ती में न आया, इतनी बात खुद कुरआने करीम के बयान से मालूम हो रही है कि उस कश्ती को पानी में डूबने का कोई हादसा पेश नहीं आया जिससे इन रिवायतों की ताईद होती है।

حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَ غُلَامًا

तफ़्ज़ गुलाम अरबी भाषा के एतिबार से नाबालिग लड़के को कहा जाता है, यह लड़का जिसको खज़िर अलैहिस्सलाम ने क़त्ल किया इसके मुताल्लिक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल मुफ़स्सरीन ने यही कहा है कि वह नाबालिग़ था और आगे जो उसके मुताल्लिक आया है 'नफ़सन् ज़किय्यतन्' इससे भी उसके "नाबालिग़ होने की ताईद होती है, क्योंकि ज़किय्यतन् के मायने हैं गुनाहों से पाक, और यह सिफ़त या तो पैगम्बर की हो सकती है या नाबालिग़ बच्चे की, जिसके कामों और आमाल पर पेंकड़ नहीं, उसके नामा-ए-आमाल में कोई गुनाह नहीं लिखा जाता।

أَهْلَ قَرْيَةٍ

यह बस्ती जिसमें हज़रत मूसा और खज़िर अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ और उसके लोगों ने उनकी मेहमानी से इनकार कर दिया, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में अन्ताकिया और इब्ने सीरीन की रिवायत में पैका थी, और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु

से मन्कूल है कि वह उन्दुलुस को कोई वस्ती थी। (तकदीरे मजहरी) यल्कादु जालम

أَمَّا السَّيِّئَةُ فَكَانَتْ يَسْكِينُ يَعْلُونَ فِي الْبَعْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ

أَعْلِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۖ وَأَمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ
فَنَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۖ
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ
أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۖ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ
تَنْظُرْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ

अम्मस्सफी-नतु फ-कानत्
लि-मसाकी-न यअमलू-न फिल्बहिर
फ-अरत्तु अन् अजी-बहा व का-न
वरा-अहुम् गलिकुय-यअखुजु कुल्-ल
सफी-नतिन् गस्बा (79) व
अम्मल्-गुलामु फका-न अ-बघाहु
मुअमिनैनि फ-खशीना अय्युरहि-कहुमा
तुग्यानव-व कुफरा (80) फ-अरदना
अय्युब्दि लहुमा रब्बुहुमा खैरम्-मिन्ह
जकातव-व अकर-ल रुहमा (81) व
अम्मल्-जिदारु फका-न लिगुलामैनि
यतीमैनि फिल्-मदीनति व का-न
तस्तहू कन्जुल्-लहुमा व का-न
अबूहुमा सालिहन् फ-अरा-द रब्बु-क
अय्यब्तुगा अशुद्दहुमा व यस्तख्रिजा
कन्जहुमा रस्मतम् यिररब्बि-क व या
फअल्लुहू अन् अमूरी, जालि-क

वह जो कश्ती थी सो चन्द मोहताजों की
जो मेहनत करते थे दरिया में, सो मैंने
चाहा कि उसमें ऐब डाल दूँ और उनके
परे था एक बादशाह जो ले लेता था हर
कश्ती को छीनकर। (79) और वह जो
लड़का था सो उसके माँ-बाप थे ईमान
वाले फिर हमको अन्देशा हुआ कि उनको
आजिज कर दे ज़बादस्ती और कुफ़ कर
कर। (80) फिर हमने चाहा कि बदला दे
उनको उनका रब बेहतर उससे पाकीजगी
में और ज़्यादा नज़दीक शफ़कत में। (81)
और वह जो दीवार थी सो दो यतीम
लड़कों की थी इस शहर में और उसके
नीचे माल गड़ा था उनका और उनका
बाप था नेक, फिर चाहा तेरे रब ने कि वे
पहुँच जायें अपनी जवानी को और
निकालें अपना माल गड़ा हुआ मेहरबानी
से तेरे रब की, और मैंने यह नहीं किया

तأवीلु ما لم تस्तिأ-ألله
सबरा (82) ❀

अपने हुक्म से, यह है फेर उन चीजों का
जिन पर तू सब्र न कर सका। (82) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और वह जो कश्ती थी सो कुछ ग़रीब आदमियों की थी (जो उसके ज़रिये) धरिया में मेहनत मज़दूरी करते थे (उसी पर उनके गुज़ारे का मद्दर था) सो मैंने चाहा कि उसमें ऐब डाल दूँ और (बजह उसकी यह थी कि) उन लोगों से आगे की तरफ़ एक (ज़ालिम) बादशाह था, जो हर (अच्छी) कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था (अगर मैं कश्ती में ऐब डालकर बज़ाहिर बेकार न कर देता तो यह कश्ती भी छीन ली जाती और उन ग़रीबों की मज़दूरी का सहारा भी ख़त्म हो जाता, इसलिये तोड़ने में यह मस्लेहत थी)। और रहा वह लड़का, सो उसके माँ-बाप इमान वाले थे (और अगर वह बड़ा होता तो काफ़िर ज़ालिम होता और माँ को उससे मुहब्बत बहुत थी) सो हमको अन्देशा हुआ कि यह उन दोनों पर सरकशी और कुफ़्र का असर न डाल दे (यानी बेटे की मुहब्बत के सबब वे भी बेदीनी में उसका साथ न देने लगेँ)। पस हमको यह गन्ज़ूर हुआ कि (उसका तो किस्सा तमाग कर दिया जाये फिर) बजाय उसके उनका परवर्दिगार उनको ऐसी औलाद दे (चाहे लड़का हो या लड़की) जो कि पाकीज़गी (यानी दीन) में उससे बेहतर हो, और (माँ-बाप के साथ) मुहब्बत करने में उससे बढ़कर हो।

और रही दीवार, सो वह दो यतीम लड़कों की थी जो उस शहर में (रहते) हैं, और उस दीवार के नीचे उनका कुछ माल दफ़न था (जो उनके बाप से मीरास में पहुँचा है) और उनका बाप (जो मर गया है वह) एक नेक आदमी था (उसके नेक होने की बरकत से अल्लाह तआला ने उसकी औलाद के माल को महफ़ूज़ करना चाहा, अगर दीवार अभी गिर जाती तो लोग वह माल लूट ले जाते और ग़ालिबन जो शख्स उन यतीम लड़कों का सरपरस्त था उसको उस ख़ज़ाने का इल्म होगा वह यहाँ मौजूद न होगा जो इन्तिज़ाम कर लेता) सो इसलिये आपके रब ने अपनी मेहरबानी से चाहा कि वे दोनों अपनी जयानी (की उम्र) को पहुँच जाएँ और अपना दबा हुआ ख़ज़ाना निकाल लें, और (ये सारे काम मैंने अल्लाह के हुक्म से किये हैं" इनमें से) कोई काम मैंने अपनी राय से नहीं किया। यह है हकीकत उन बातों की जिन पर आप से सब्र न हो सका (जिसको मैं वायदे के मुताबिक़ बतला चुका हूँ। चुनाँचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से रुख़सत हो गये)।

मआरिफ़ व मसाइल

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ

यह कश्ती जिन मिसकीनों की थी उनके बारे में कअबे अहबार से मन्कूल है कि वे दस भाई

थे जिनमें पाँच अपाहिज माजूर थे पाँच मेहनत मजदूरी करके सब के लिये गुजारे का इन्तिजाम करते थे, और मजदूरी उनकी यह थी कि दरिया में एक कश्ती चलाते थे और उसका किराया वसूल करते थे।

मिस्कीन की परिभाषा

मिस्कीन की परिभाषा कुछ लोगों ने यह की है कि जिसके पास कुछ न हो, मगर इस आयत से मालूम हुआ कि मिस्कीन की सही परिभाषा यह है कि जिसके पास इतना माल न हो कि उसकी सही व आवश्यक ज़रूरतों से ज्यादा ज़क़ात के निसाब के बराबर हो जाये, इससे कम माल हो तो वह भी मिस्कीन के दर्जे में दाखिल है, क्योंकि जिन लोगों को इस आयत में मिस्कीन कहा गया है उनके पास कम से कम एक कश्ती तो थी जिसकी कीमत निसाब के बराबर से कम नहीं होती मगर चूँकि वह असल आवश्यक ज़रूरत में मशगूल थी इसलिये उनको मिस्कीन ही कहा गया। (तफ़सीरे मज़हरी)

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

इमाम बग़वी रह. ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि यह कश्ती जिस तरफ़ जा रही थी वहाँ एक ज़ालिम बादशाह था जो उधर से गुज़रने वालों की कश्तियाँ ज़बरदस्ती छीन लेता था, हज़रत ख़ज़िर ने इस मस्लेहत से कश्ती का एक तख़्ता उखाड़ दिया कि वह ज़ालिम बादशाह इस कश्ती को टूटी हुई देखकर छोड़ दे और ये मिस्कीन लोग इस मुसीबत से बच जायें। मौलाना रूम ने ख़ूब फ़रमाया है:

गर ख़ज़िर दर बहर कश्ती रा शिकस्त सद दरुस्ती दर शिकस्ते ख़ज़िर हस्त

कि अगर हज़रत ख़ज़िर ने दरिया में कश्ती को तोड़ा और ख़राब किया तो उस तोड़ने और ख़राब करने में उस कश्ती की बेहतरी और अच्छाई थी। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

وَأَمَّا الْفُلَامُ

यह लड़का जिसको हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने क़त्ल किया इसकी हकीकत यह बयान फ़रमाई कि उस लड़के की तबीयत में कुफ़्र और माँ-बाप के ख़िलाफ़ सरकशी थी, माँ-बाप उसके नेक और मु़ालेह थे, हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि हमें ख़तरा था कि यह लड़का बड़ा होकर नेक माँ-बाप को सतायेगा और तकलीफ़ पहुँचायेगा और कुफ़्र में मुब्तला होकर माँ-बाप के लिये भी एक फ़ितना बनेगा, इसकी मुहब्बत में माँ-बाप का इमान भी ख़तरे में पड़ जायेगा।

فَارَدْنَا أَنْ يَدَّ لِهَمَارِبَهُمَا خَيْرَاتَهُ زَكْوَةً وَأَقْرَبَ رُحَمَاءَهُ

यानी इसलिये हमने इरादा किया कि अल्लाह तआला उन नेक माँ-बाप को उस लड़के के बदले में उससे बेहतर औलाद दे दे, जो आग़ल व अख़्लाक में पाकीज़ा भी हो और माँ-बाप के हुक्क भी अदा करे।

इस वाकिए में 'खशीना' और 'अरदना' में जमा मुतकल्लिम का कलिमा इस्तेमाल फरमाया इसकी एक वजह यह हो सकती है कि यह इरादा और डर खज़िर अलैहिस्सलाम ने अपनी और अल्लाह तआला दोनों की तरफ मन्सूब किया, और यह भी हो सकता है कि खुद अपनी ही तरफ मन्सूब किया हो तो फिर 'अरदना' के मायने यह होंगे कि हमने अल्लाह से दुआ की, क्योंकि किंसी लड़के के बदले में उससे बेहतर औलाद देने का मामला खालिस हक़ तआला का काम है इसमें खज़िर अलैहिस्सलाम या कोई दूसरा इन्सान शरीक नहीं हो सकता।

और यहाँ यह शुब्हा करना दुरुस्त नहीं कि अगर अल्लाह तआला के इल्म में यह बात थी कि यह लड़का काफिर होगा और माँ-बाप को भी गुमराह करेगा तो फिर यह वाक़िआ अल्लाह के इल्म के मुताबिक़ ऐसा ही वाक़े होना ज़रूरी था, क्योंकि अल्लाह के इल्म के खिलाफ़ कोई चीज़ नहीं हो सकती।

जवाब यह है कि अल्लाह के इल्म में इस शर्त के साथ था कि यह बालिग़ होगा तो काफिर होगा और दूसरे मुसलमानों के लिये भी ख़तरा बनेगा, फिर चूँकि वह बालिग़ होने की उम्र से पहले ही क़त्ल कर दिया गया तो जो वाक़िआ पेश आया वह उस इल्मे इलाही के विरुद्ध नहीं।

(तफ़सीरे मज़हरी)

इब्ने अबी शैबा, इब्ने मुन्ज़िर, इब्ने अबी हातिम ने अतीया रह. की रिवायत से नक़ल किया है कि मक्तूल लड़के के माँ-बाप को अल्लाह तआला ने उसके बदले में एक लड़की अता फ़रमाई जिसके पेट से एक नबी पैदा हुआ, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में है कि उसके पेट से दो नबी पैदा हुए। कुछ रिवायतों में है कि उसके पेट से पैदा होने वाले नबी के ज़रिये अल्लाह तआला ने एक बड़ी उम्मत को हिदायत अता फ़रमाई।

وَنَحْنُ كُنَّا لَهُمَا

यह ख़जाना जो यतीम बच्चों के लिये दीवार के नीचे दफ़न था उसके बारे में हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह रिवायत किया है कि वह सोने और चाँदी का ज़ख़ीरा था। (तिर्मिज़ी व हाकिम, मज़हरी)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि वह सोने की एक तख़्ती थी जिस पर नसीहत के निम्नलिखित कलिमात लिखे हुए थे। यह रिवायत हज़रत उस्मान बिन अफ़फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मरफूअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी नक़ल फ़रमाई है।

(तफ़सीरे कुतुबी)

1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
2. ताज्जुब है उस शख्स पर जो तक़दीर पर ईमान रखता है फिर गुमगीन क्योंकि होता है।
3. ताज्जुब है उस शख्स पर जो इस पर ईमान रखता है कि रिज़क़ का जिम्मेदार अल्लाह तआला है फिर ज़रूरत से ज़्यादा मशक्क़त और फ़ुज़ूल किस्म की कोशिश में क्यों लगता है।
4. ताज्जुब है उस शख्स पर जो मौत पर ईमान रखता है फिर खुश व ख़ुरम कैसे रहता है।

5. ताज्जुब है उस शख्स पर जो आखिरत के हिसाब पर ईमान रखता है फिर गुफ़लत कैसे बरतता है।

6. ताज्जुब है उस शख्स पर जो दुनिया को और इसके उलट-फेर को जानता है फिर कैसे इस पर मुत्मईन होकर बैठता है।

7. ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह।

माँ-बाप की नेकी का फ़ायदा औलाद दर औलाद को भी पहुँचता है

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

इसमें इशारा है कि यतीम बच्चों के लिये गड़े खज़ाने की हिफ़ाज़त का सामान ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के ज़रिये इसलिये कराया गया था कि उन यतीम बच्चों का बाप कोई नेक आदमी था जो अल्लाह के नज़दीक मक़बूल था इसलिये अल्लाह तआला ने उसकी मुराद पूरी करने और उसकी औलाद को फ़ायदा पहुँचाने का यह इन्तिज़ाम फ़रमाया। मुहम्मद बिन मुन्कदिर रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला एक बन्दे की नेकी और सलाहियत की वजह से उसकी औलाद और औलाद की औलाद और उसके ख़ानदान की और उसके आस-पास के मकानात की हिफ़ाज़त फ़रमाते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है कि हज़रत शिबली रह. फ़रमाया करते थे कि मैं इस शहर और पूरे इलाके के लिये अमान हूँ। जब उनकी वफ़ात हो गई तो उनके दफ़न होते ही दैलम के काफ़िरों ने दजला दरिया को पार करके बग़दाद पर कब्ज़ा कर लिया, उस वक़्त लोगों की ज़बान पर यह था कि हम पर दोहरी मुसीबत है, यानी शिबली की वफ़ात और दैलम का कब्ज़ा।

(क़ुर्तुबी पेज 29 जिल्द 11)

तफ़सीरे मज़हरी में है कि इस आयत में इसकी तरफ़ भी इशारा है कि लोगों को भी उलेमा और नेक लोगों की औलाद की रियायत और उन पर शफ़क़त करनी चाहिये जब तक कि वे बिल्कुल ही कुफ़्र व बदकारी और बुरे आंमाल में मुस्तलान हो जायें।

أَنْ يَبْلُغَ أَهْلَهُمَا

तफ़ज़ अशुद्-द शिद्दत की जमा (बहुवचन) है, मुराद कुव्वत है और वह उम्र जिसमें इंसान अपनी पूरी ताक़त और भले-बुरे की पहचान पर कादिर हो जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक यह पच्चीस साल की उम्र है और कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि चालीस साल की उम्र है, क्योंकि क़ुरआने करीम में है कि:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَهْلَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. (मظहरी)

पैग़म्बराना अन्दाज़ और अदब की रियायत की एक मिसाल

इस मिसाल को समझने के लिये पहले यह बात समझ लेनी ज़रूरी है कि दुनिया में कोई अच्छा या बुरा काम अल्लाह तआला की मर्जी व इरादे के बग़ैर नहीं हो सकता। ख़ैर व शर सब उसकी मख़्लूक और उसके इरादे और मशीयत के ताबे हैं। जिन चीज़ों को शर या बुरा समझा और कहा जाता है वो ख़ास अफ़राद और ख़ास हालात के एतिबार से ज़रूर शर और बुरा कहलाने के पात्र होते हैं मगर दुनिया के मजमूए और आलमे दुनिया के मिजाज के लिये सब ज़रूरी और अल्लाह के बनाने के एतिबार से सब ख़ैर ही होते हैं, और सब हिक्मत पर आधारित होते हैं:

कोई बुरा नहीं कुदरत के कारख़ाने में

खुलासा यह है कि जो आफ़त या हादसा दुनिया में पेश आता है खुदा तआला की मर्जी व इरादे के बग़ैर नहीं हो सकता। इस लिहाज़ से हर ख़ैर व शर की निस्वत भी हक़ तआला की तरफ़ हो सकती है, मगर हकीक़त यह है कि हक़ तआला की तख़लीक़ (बनाने और पैदा करने) के एतिबार से कोई शर शर (बुरा) नहीं होता, इसलिये अदब का तकाज़ा यह है कि शर की निस्वत हक़ तआला की तरफ़ न की जाये, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलिमात जो कुरआने करीम में बयान हुए हैं:

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝

(कि अल्लाह वह है जो मुझे खिलाता पिलाता है और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वह मुझे शिफ़ा देता है) इसी तालीम व अदब का सबक़ देते हैं कि खिलाने पिलाने की निस्वत हक़ तआला की तरफ़ फ़रमाई, फिर बीमारी के वक़्त शिफ़ा देने की निस्वत भी उसी की तरफ़ की बीच में बीमार होने को अपनी तरफ़ मन्सूब करके कहा 'व इज़ा मरिज़तु फहु-व यश्फीन' "यानी जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो अल्लाह तआला मुझे शिफ़ा अता फ़रमा देते हैं।" यूँ नहीं कहा कि जब वह मुझे बीमार करते हैं तो शिफ़ा भी देते हैं।

अब हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के कलाम पर गौर कीजिये उन्होंने जब कश्ती तोड़ने का इरादा किया तो वह चूँकि ज़ाहिर में एक ऐब और बुराई है उसके इरादे की निस्वत अपनी तरफ़ करके फ़रमाया 'अरदत्तु' (मैंने इरादा किया) फिर लड़के को क़त्ल करने और उसके बदले में उससे बेहतर औलाद देने का जिफ़्र किया तो उसमें क़त्ल तो बुराई थी और बदले में बेहतर औलाद देना एक भलाई थी, संयुक्त और साज़ा मामला होने की वजह से यहाँ बहुवचन का कलिमा इस्तेमाल फ़रमाया अरदना "यानी हमने इरादा किया" ताकि इसमें जितना ज़ाहिरी शर (बुराई) है वह अपनी तरफ़ और जो ख़ैर (भलाई और अच्छाई) है वह अल्लाह तआला की तरफ़ मन्सूब हो। तीसरे वाक़िए में दीवार खड़ी करके यतीमों का माल महफूज़ कर देना सरासर ख़ैर ही ख़ैर है, उसकी निस्वत पूरी की पूरी हक़ तआला की तरफ़ करके फ़रमाया:

“यानी आपके रव ने इरादा किया।”

खज़िर अलैहिस्सलाम जिन्दा हैं या उनकी वफ़ात हो चुकी

कुरआने करीम में जो वाक़िआ हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम का बयान हुआ है उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है कि खज़िर अलैहिस्सलाम इस वाक़िए के बाद वफ़ात पा गये या जिन्दा रहे, इसी लिये कुरआन व सुन्नत में इसके मुताल्लिक कोई स्पष्ट बात मज़कूर नहीं। कुछ रिवायतों और अक़वाल से उनका अब तक जिन्दा होना मालूम होता है कुछ रिवायतों से इसके खिलाफ़ समझ में आता है, इसी लिये इस मामले में हमेशा से उलेमा की रायें भिन्न रही हैं। जो हज़रत उनकी जिन्दगी के कायल हैं उनकी दलील एक तो उस रिवायत से है जिसको इमाम हाकिम ने मुस्तद्रक में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हुई तो एक शख्स काली-सफ़ेद दाढ़ी वाले दाख़िल हुए और लोगों के मजमे को चीरते फाड़ते अन्दर पहुँचे और रोने लगे, फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरफ़ मुतवज्जह होकर ये कलिमात कहे:

إِنَّ فِي اللَّهِ عِزًّا مِّنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَعِوَضًا مِّنْ كُلِّ فَاتٍ وَخَلْفًا مِّنْ كُلِّ هَالِكٍ فَإِلَى اللَّهِ فَايِسُوا وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا
وَنظَرُهُ إِلَيْكُمْ فِي الْبَلَاءِ فَانظُرُوا فَإِنَّمَا الْمَصَابُ مِمَّنْ لَمْ يُجِبْ.

“अल्लाह की बारागाह में सब्र है हर मुसीबत से और बदला है हर फ़ौत होने वाली चीज़ का और वही कायम-मक़ाम है हर हलाक होने वाले का, इसलिये उसी की तरफ़ रुजू करो उसी की तरफ़ तवज्जोह करो और इस बात को देखो कि वह मुसीबत में मुब्तला करके तुमको आजमाता है, असल मुसीबत का मारा वह है जिसकी मुसीबत की तलाफ़ी न हो।”

यह कलिमात कहकर आने वाले साहिब रुख़सत हो गये तो हज़रत अबू बक्र और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ़रमाया कि यह खज़िर अलैहिस्सलाम थे। इस रिवायत को जज़री रह. ने हिस्ने-हसीन में भी नक़ल किया है जिनकी शर्त यह है कि सिर्फ़ सही सनद वाली रिवायतें उसमें दर्ज करते हैं।

और सही मुस्लिम की हदीस में है कि दज़्जाल मदीना तय्यिबा के करीब एक जगह तक पहुँचेगा तो मदीना से एक शख्स उसके मुक़ाबले के लिये निकलेगा, जो उस ज़माने के सब इन्सानों में बेहतर होगा या बेहतर लोगों में से होगा। अबू इस्हाक़ ने फ़रमाया कि यह शख्स हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम होंगे। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

और इब्ने अबिदुनिया ने किताबुल-हवातिफ़ में सनद के साथ नक़ल किया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात की तो खज़िर अलैहिस्सलाम ने उनको एक दुआ बतलाई कि जो इसको हर नमाज़ के बाद पढ़ा करे उसके लिये बड़ा सवाब और मग़फ़िरत व रहमत है। वह दुआ यह है:

يَأْمَنُ لَا يَشْغَلُهُ مَنَعٌ عَنْ مَنَعٍ وَيَأْمَنُ لَا تَغْلِبُهُ الْمَسَائِلُ وَيَأْمَنُ لَا يَزُومُ مِنَ الْحَاحِ الْمُلِجِينَ إِذْ قَبِي بَرْدٌ عَفْوِكَ
وَخَلَاوَةٌ مَغْفِرَتِكَ. (قرطبي)

“ऐ वह जात जिसको एक कलाम का सुनना दूसरे कलाम के सुनने से रुकावट नहीं होता और ऐ वह जात जिसको एक ही वक्त में होने वाले (लाखों करोड़ों) सवालात में कोई भुगालता नहीं लगता, और ऐ वह जात जो दुआ में रोने-गिड़गिड़ाने और बार-बार कहने से रन्जीदा नहीं होता मुझे अपने अफ़व व करम का जायका चखा दीलिये और अपनी मग़फ़िरत की मिठास नसीब फ़रमाइये।”

और फिर इसी किताब में बिल्कुल यही वाक़िआ और यही दुआ और खज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वाक़िआ हज़रत फारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से भी नक़ल किया है। (कुर्तुबी) इसी तरह उम्मत के औलिया में हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के बेशुमार वाक़िआत मन्कूल हैं।

और जो हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के ज़िन्दा होने को तस्लीम नहीं करते उनकी बड़ी दलील उस हदीस से है जो सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है, वह फ़रमाते हैं कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें इशा की नमाज़ अपनी ज़िन्दगी के आखिरी दौर में पढ़ाई, सलाम फेरने के बाद आप खड़े हो गये और ये कलिमात इरशाद फ़रमाये:

أَرَأَيْتُمْ لِيَلْتَكُمُ هَذِهِ فَإِنْ عَلَيَّ رَأْسٌ مِائَةَ سَنَةٍ مِمَّا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ.

“क्या तुम अपनी आजकी रात को देख रहे कि इस रात से सौ साल गुज़रने पर कोई शख्स उनमें से ज़िन्दा न रहेगा जो आज ज़मीन के ऊपर है।”

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह रिवायत नक़ल करके फ़रमाया कि इस रिवायत के बारे में लोग मुख़तलिफ़ बातें करते हैं मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पुराद यह थी कि सौ साल पर यह कर्न (जुमाना और दौर) ख़त्म हो जायेगा।

यह रिवायत मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से भी तक़रीबन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ मन्कूल है लेकिन अल्लामा कुर्तुबी रह. ने यह रिवायत नक़ल करने के बाद फ़रमाया कि इसमें उन लोगों के लिये कोई हुज्जत नहीं जो खज़िर अलैहिस्सलाम की ज़िन्दगी को यातिल कहते हैं, क्योंकि इस रिवायत को अगरचे तमाम इनसानों के लिये उमूम के अलफ़ाज़ हैं और उमूम को भी ताकीद के साथ लाया गया है, मगर फिर भी इसमें यह बज़ाहत नहीं कि यह उमूम तमाम इनसानों को शामिल ही ही, क्योंकि इनसानों में तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं जिनकी न यफ़ात हुई और न क़त्ल किये गये, इसलिये जाहिर यह है कि हदीस के अलफ़ाज़ 'अनल् अर्ज़ि' में अलिफ़ लाम अहद का है और मुसद अर्ज़ (जमीन) से अरब की जमीन है पूरी जमीन जिसमें याजूज व माजूज की जमीन और पूर्वी इलाक़े और जज़ीरे (दीप) जिलका नाम भी अरब वालों ने नहीं सुना इसमें शामिल नहीं, यह अल्लामा कुर्तुबी की

तहकीक है।

इसी तरह कुछ हज़रत ने ख़त्म-ए-नुबुव्वत के मसले को ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के ज़िन्दा होने के विरुद्ध समझा है, इसका ज़वाब भी ज़ाहिर है कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िन्दा होना ख़त्म-ए-नुबुव्वत के खिलाफ़ नहीं हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम की हयात (ज़िन्दा होना) भी ऐसी ही हो सकती है।

कुछ हज़रत ने ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के ज़िन्दा होने पर यह शुब्हा किया है कि अगर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में मौजूद होते तो उन पर लाज़िम था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होते और आपके ताबे होकर इस्लामी ख़िदमात में मशगूल होते, क्योंकि हदीस में इरशाद है:

لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي

“यानी अगर मूसा अलैहिस्सलाम आज ज़िन्दा होते तो उनको भी मेरा ही इत्तिबा करना पड़ता (क्योंकि मेरे आने से दीने मूसवी निरस्त व ख़त्म हो चुका है)।” लेकिन यह कुछ बड़द नहीं कि हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम की ज़िन्दगी और उनकी नुबुव्वत शरीअत वाले आ़म अम्बिया से भिन्न और अलग हो, उनको चूँकि तकवीनी (कुदरती और कायनाती) ख़िदमात अल्लाह तआला की जानिब से सुपर्द हैं, वह उनके लिये पख़्लूक से अलग-थलग अपने काम के पाबन्द हैं, रही शरीअते मुहम्मदिया की पैरवी तो इसमें कोई दूर की बात नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत के बाद से उन्होंने अपना अमल शरीअते मुहम्मदिया पर शुरू कर दिया हो। वल्लाहु आलम

अबू हय्यान ने तफ़सीर बहरे मुहीत में कई बुजुर्गों के वाकिआत हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के भी नक़ल किये हैं, मगर साथ ही यह भी फ़रमाया है कि:

وَالْجَمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ (بحر محیط، ص ۱۴۷)

“उलेमा की अक्सरियत और बड़ी जमाअत इस पर हैं कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई है।”

तफ़सीरे मज़हरी में हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने फ़रमाया कि तमाम शुब्हात का हल उसमें है जो हज़रत सैयद अहमद सरहंदी मुजदिद अल्फे सानी रह. ने अपने मुकाशफे से फ़रमाया वह यह कि मैंने खुद हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से इस मामले को आलमे कश्फ़ में दरियाफ़्त किया, उन्होंने फ़रमाया कि मैं और इलियास अलैहिस्सलाम हम दोनों ज़िन्दा नहीं हैं, लेकिन अल्लाह तआला ने हमें यह कुदरत बख़शी है कि हम ज़िन्दा आदमियों की शक़्ल में ज़ाहिर होकर लोगों की इमदाद विभिन्न सूरतों में करते हैं। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

यह बात मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम की मौत व ज़िन्दगी से हमारा कोई एतिकादी या अमली मसला संबन्धित नहीं, इसी लिये कुरआन व सुन्नत में इसके मुताल्लिक कोई स्पष्टता और वज़ाहत नहीं की गई, इसलिये इसमें ज़्यादा बहस व तहकीक़ और

खोजबीन की भी जरूरत नहीं, न किसी एक जानिब का यकीन रखना हमारे लिये जरूरी है, लेकिन चूंकि मसला अ़वाम में चला हुआ है इसलिये उपर्युक्त तफसीलात नक़ल कर दी गई हैं।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكْنُؤُنَا لَهُ فِي

الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبِعْ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ

فِي عَيْنٍ حِجَابٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُتَخَذُ فِيهِمْ

حَسَنًا ۖ قَالَ أَمَا مَنْ ظَلَمَ فَقَوْفٌ يُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا ۖ وَأَمَا مَنْ آمَنَ وَ

عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ ۖ الْحَسَنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۖ

व यस्अलून-क अन् ज़िल्करनैनि,
कुल् स-अल्लू अलैकुम् मिन्हु ज़िक्रा
(83) इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल्अर्जि
व आतैनाहु मिन् कुल्लि शैइन्
स-बबा (84) फ़-अत्ब-अ स-बबा
(85) हत्ता इज़ा ब-ल-ग़ मग़िबशशमिस
व-ज-दहा तररुबु फ़ी अ़निन्
हमि-अतिव्-व व-ज-द अ़िन्दहा
क़ौमन्, कुल्ला या ज़ल्करनैनि इम्मा
अन् तुअज़िज-ब व इम्मा अन्
तत्ख़ि-ज़ फ़ीहिम् हुस्ना (86) क़ा-ल
अम्मा मन् ज़-ल-म फ़ सौ-फ़
नुअज़िजबुहू सुम्-म युरद्दु इला
रब्बिही फ़युअज़िजबुहू अज़ाबन्-नुक्रा
(87) व अम्मा मन् आम-न व
अमि-ल सालिहन् फ़-लहू जज़ा-अ
निल्हुस्ना व स-नकूलु लहू मिन्
अमिना युस्रा (88)

और तुझसे पूछते हैं जुल्करनैन को, कह
अब पढ़ता हूँ तुम्हारे आगे उसका कुछ
अहवाल। (83) हमने उसको जमाया था
पुल्क में और दिया था हमने उसको हर
चीज़ का सामान। (84) फिर पीछे पड़ा
एक सामान के। (85) यहाँ तक कि जब
पहुँचा सूरज डूबने की जगह पाया कि वह
डूबता है एक दलदल की नदी में और
पाया उसके पास लोगों को, हमने कहा ऐ
जुल्करनैन या तो तू लोगों को तकलीफ़
दे और या रख उनमें ख़ूबी। (86) बोला
जो कोई होगा बेइन्साफ़ सो हम उसको
सज़ा देंगे, फिर लौट जायेगा अपने रब के
पास वह अज़ाब देगा उसको बुरा अज़ाब।
(87) और जो कोई यकीन लाया और
किया उसने भला काम सो उसका बदला
भलाई है, और हम हुक्म देंगे उसको
अपने काम में आसानी का। (88)

खुलासा-ए-तफसीर

जुल्करनैन का पहला सफर

और ये लोग आप से जुल्करनैन का हाल पूछते हैं (इस पूछने की वजह यह लिखी है कि उनका इतिहास करीब-करीब गुप्त था, और इसी लिये इस किस्से की जो बातें और पहलू कुरआन में बयान नहीं हुए कि वह असल किस्से से ज्यादा थे, उन बातों के मुताबिक आज तक इतिहासकारों में सख्त मतभेद पाये जाते हैं। इसी वजह से मक्का के कुरैश ने मदीने के यहूदियों के मशिवो से इस किस्से को सबाल के लिये चुना था इसलिये इस किस्से की तफसीलात जो कुरआन में बयान हुई हैं वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत की स्पष्ट दलील है)। आप फरमा दीजिये कि मैं उनका जिक्र अभी तुम्हारे सामने बयान करता हूँ (आगे हक तआला की तरफ से इसकी हिकायत शुरू हुई कि जुल्करनैन एक ऐसे अजीमुशशान बादशाह गुजरे हैं कि) हमने उनको धरती पर हुक्मत दी थी, और हमने उनको हर किस्म का (काफी) सामान दिया था (जिससे वह अपनी शाही योजनाओं को पूरा कर सकें)। चुनाँचे वह (पश्चिमी मुल्कों को फतह करने के इरादे से) एक राह पर हो लिये (और सफर करना शुरू किया) यहाँ तक कि जब (सफर करते-करते दरमियानी शहरों को फतह करते हुए) सूरज डूबने के मौके (यानी पश्चिमी दिशा में आबादी की आखिरी हद) पर पहुँचे तो सूरज उनको एक काले रंग के पानी में डूबता हुआ दिखाई दिया (मुराद इससे मालिबन समन्दर ही है कि उसका पानी अक्सर जगह सियाह नज़र आता है और अगरचे सूरज हकीकत में समन्दर में गुरूब नहीं होता मगर समन्दर से आगे निगाह न जाती हो तो समन्दर ही में डूबता हुआ मालूम होगा), और उसी जगह पर उन्होंने एक कौम देखी (जिनके काफिर होने पर अगली आयत यानी आयत नम्बर 87 दलालत करती है)। हमने (इल्हाम के द्वारा या उस ज़माने के पैगम्बर के वास्ते से) यह कहा कि ऐ जुल्करनैन! (इस कौम के बारे में दो इख्तियार हैं) चाहे (इनको शुरूआत ही से कत्ल बगैरह के ज़रिये) सज़ा दो और चाहे इनके बारे में नमी का मामला अपनाओ (यानी इनको ईमान की दावत दो, फिर न मानें तो कत्ल कर दो। बगैर तल्लीग व दावत के शुरू ही में कत्ल करने का इख्तियार शायद इसलिये दिया गया हो कि उनको इससे पहले किसी माध्यम से ईमान की दावत पहुँच चुकी होगी, लेकिन दूसरी सूरत यानी पहले दावत फिर कत्ल का बेहतर होना इशारे से बयान कर दिया कि इस सूरत को खूबी और अच्छाई वाली बात से ताबीर फरमाया)।

जुल्करनैन ने अर्ज किया कि (मैं दूसरी ही सूरत इख्तियार करके पहले उनको ईमान ही की दावत दूँगा) लेकिन (ईमान की दावत के बाद) जो ज़ालिम (यानी काफिर) रहेगा उसको तो हम लोग (कत्ल बगैरह की) सज़ा देंगे (और यह सज़ा तो दुनिया में होगी) फिर वह (मरने के बाद) अपने असली मालिक के पास पहुँचा दिया जायेगा, फिर वह उसको (दीज़ख की) सज़ा सज़ा देगा। और जो शख्स (ईमान की दावत के बाद) ईमान ले आयेगा और नैक अमल करेगा तो

उसके लिये (आखिरत में भी) बदले में भलाई मिलेगी, और हम भी (दुनिया में) अपने बर्ताव में उसको आसान (और नमी) बात कहेंगे (यानी उन पर कोई अमली सख्ती तो क्या की जाती ज़बानी और बात से भी कोई सख्ती नहीं की जायेगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

यस्अलून-क (यानी वे लोग आप से सवाल करते हैं) ये लोग सवाल करने वाले कौन हैं रिवायतों से यह जाहिर होता है कि वे मक्का के कुरैश थे, जिनको यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत और सच्चा रसूल होने का इम्तिहान करने के लिये तीन सवाल बतलाये थे— रूह के मुताल्लिक और अस्हाबे कहफ़ और जुल्करनैन के बारे में, इनमें से दो का जवाब आ चुका है, अस्हाबे कहफ़ का किस्सा अभी गुज़रा है और रूह का सवाल पिछली सूरत के आखिर में गुज़र चुका है, यह तीसरा सवाल है कि जुल्करनैन कौन था और उसको क्या हालत पेश आये। (तफसीर बहरे मुहीत)

जुल्करनैन के बारे में तफसीलात

जुल्करनैन का नाम जुल्करनैन क्यों हुआ? इसकी वजह में बेशुमार अक़वाल और सख्त भारी मतभेद हैं। कुछ हज़रात बाज़ ने कहा कि उनकी दो जुल्फें थीं इसलिये जुल्करनैन कहलाये। कुछ ने कहा कि पूरब व पश्चिम के मुल्कों पर शासक व हाकिम हुए इसलिये जुल्करनैन नाम रखा गया। किसी ने यह भी कहा कि उनके सर पर कुछ ऐसे निशानात थे जैसे सींग के होते हैं। कुछ रिवायतों में है कि उनके सर पर दोनों तरफ़ चोट के निशानात थे इसलिये जुल्करनैन कहा गया। वल्लाहु आलम

मगर इतनी बात मुतैयन है कि कुरआन ने खुद उनका नाम जुल्करनैन नहीं रखा बल्कि यह नाम यहूदियों ने बतलाया, उनके यहाँ इस नाम से उनकी शोहरत होगी। जुल्करनैन के वाकिए का जितना हिस्सा कुरआने करीम ने बतलाया है वह सिर्फ़ इतना है कि:

“वह एक नेक आदिल बादशाह थे जो पूरब व पश्चिम में पहुँचे और उनके मुल्कों को फ़तह किया और उनमें अदल व इन्साफ़ की हुक्मरानी की, अल्लाह तआला की तरफ़ से उनको हर तरह के सामान अपने मकसदों को पूरा करने के लिये अता कर दिये गये थे, उन्होंने विजय प्राप्त करते हुए तीन दिशाओं में सफ़र किये, पश्चिम में आखिरी किनारे तक, और पूरब में आखिरी किनारे तक, फिर उत्तरी दिशा में पहाड़ी श्रंखलाओं तक, इसी जगह उन्होंने दो पहाड़ों के दरमियानी दर्रे को एक अज़ीमुश्शान लोहे की दीवार के ज़रिये बन्द कर दिया जिससे याजूज माजूज की लूटमार और तबाही मचाने से इस इलाके के लोग महफूज़ हो गये।”

यहूदियों ने जो सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सच्चा होने और नुबुव्वत का इम्तिहान करने के लिये पेश किया था वे इस जवाब से मुल्मईन हो गये, उन्होंने मज़ीद ये

सवालगत नहीं किये कि उनका नाम जुल्करनैन क्यों था? वह किस मुल्क और किस ज़माने में थे? इससे मालूम होता है कि इन सवालगत को खुद यहूदियों ने भी गैर-ज़रूरी और फुज़ूल समझा और यह ज़ाहिर है कि कुरआने करीम इतिहास व किस्सों का सिर्फ़ उतना हिस्सा जिक्र करता है जिससे कोई फ़ायदा दीन या दुनिया का संबन्धित हो, या जिस पर किसी ज़रूरी चीज़ का समझना मौक़ूफ़ हो, इसलिये न कुरआने करीम ने इन चीज़ों को बतलाया और न किसी सही हदीस में इसकी ये तफ़सीलात बयान की गई और न कुरआन मजीद की किसी आयत का समझना इन चीज़ों के इल्म पर मौक़ूफ़ है, इसलिये पहले बुजुर्गों सहाबा व ताबिईन ने भी इस पर कोई ख़ास तवज्जोह नहीं दी।

अब मामला सिर्फ़ ऐतिहासिक रिवायतों का या मौजूदा तौरात व इन्जील का रह गया, और यह भी ज़ाहिर है कि मौजूदा तौरात व इन्जील को भी लगातार रद्दोबदल और कमी-बेशी ने एक आसमानी किताब की हैसियत में नहीं छोड़ा, इनका मक़ाम भी अब ज़्यादा से ज़्यादा एक तारीख़ ही का हो सकता है, और पुराने ज़माने की तारीख़ी रिवायतें ज़्यादातर इस्राईली किस्सों कहानियों से ही भरी हुई हैं, जिनकी न कोई सनद है न वे किसी ज़माने के अक्लमन्दों व बुद्धिमानों के नज़दीक़ भरोसे के काबिल पाई गई हैं। हज़राते मुफ़स्सरीन ने भी इस मामले में जो कुछ लिखा वह सब इन्हीं तारीख़ी रिवायतों का मजमूआ है, इसी लिये उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद हैं।

यूरोप के लोगों ने इस ज़माने में तारीख़ को बड़ी अहमियत दी, इस पर तहकीक़ व तफ़तीश में बिला शुब्हा बड़ी मेहनत व कोशिश से काम लिया। पुराने निशानात, इमारतों और खण्डरों वगैरह की खुदाई और वहाँ की तहरीरों व कतबों वगैरह को जमा करके उनके ज़रिये पुराने वाकिआत की हकीक़त तक पहुँचने में वो काम अन्जाम दिये जो इससे पहले ज़माने में नज़र नहीं आते। लेकिन पुराने निशानात (पुरातत्व) और उनके कतबों से किसी वाकिए की ताईद में मदद तो मिल सकती है मगर खुद उनसे कोई वाकिआ पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, इसके लिये तो तारीख़ी रिवायतें ही बुनियाद बन गई हैं, और इन मामलों में पुराने ज़माने की तारीख़ी रिवायतों का हाल अभी मालूम हो चुका है कि एक कहानी से ज़्यादा हैसियत नहीं रखतीं। पहले और बाद के उलेमा-ए-तफ़सीर ने भी अपनी किताबों में ये रिवायतें एक तारीख़ी हैसियत ही से नक़ल की हैं, जिनके सही होने पर कोई कुरआनी मक़सद मौक़ूफ़ नहीं, यहाँ भी इसी हैसियत से ज़रूरत के मुताबिक़ लिखा जाता है। इस वाकिए की पूरी तफ़तीश व तहकीक़ मौलाना हिफ़ज़ुर्रहमान साहिब रह. ने अपनी किताब 'कससुल-कुरआन' में लिखी है, तारीख़ी जौक़ रखने वाले हज़रात उसको देख सकते हैं।

कुछ रिवायतों में है कि पूरी दुनिया पर सत्तनत व हुकूमत करने वाले चार बादशाह हुए हैं, दो मोमिन और दो काफ़िर। मोमिन बादशाह हज़रात सुलैमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन हैं, और काफ़िर नमरूद और बुख़ने नस्सर हैं।

जुल्करनैन के मामले में यह अजीब इतिफ़ाक़ है कि इस नाम से दुनिया में कई आदमी मशहूर हुए हैं, और यह भी अजीब बात है कि हर ज़माने के जुल्करनैन के साथ लक़ब सिकन्दर

भी शामिल है।

हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन तीन सौ साल पहले एक बादशाह सिकन्दर के नाम से परिचित व मशहूर है जिसको सिकन्दरे यूनानी, मकदूनी, रूमी वगैरह के लकबों (उप नामों) से याद किया जाता है, जिसका वजीर अरस्तू था, और जिसकी जंग दारा से हुई, और उसे कत्ल करके उसका मुल्क फ़तह किया। सिकन्दर के नाम से दुनिया में मशहूर होने वाला आखिरी शख्स यही है, इसी के किस्से दुनिया में ज्यादा मशहूर हैं। कुछ लोगों ने इसको भी कुरआन में जिक्र हुआ जुल्करनैन कह दिया, यह सरासर ग़लत है, क्योंकि यह शख्स आतिश-परस्त (आग को पूजने वाला) मुश्रिक था, कुरआने करीम ने जिस जुल्करनैन का जिक्र किया है उनके नबी होने में तो उलेमा का मतभेद है मगर नेक मोमिन होने पर सब का इत्तिफ़ाक़ है और खुद कुरआन की आयतें इस पर सुबूत हैं।

हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने अपनी किताब 'अल-बिदाया वन्निहाया' में इब्ने असाकिर के हवाले से उसका पूरा नसब नामा लिखा है जो ऊपर जाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है, और फ़रमाया कि यही वह सिकन्दर है जो यूनानी मिस्त्री मकदूनी के नामों से परिचित है, जिसने अपने नाम पर शहर अस्कन्दरिया आबाद किया, और रूम की तारीख़ इसी के ज़माने से चलती है, और यह सिकन्दर जुल्करनैन प्रथम से एक लम्बे ज़माने के बाद हुआ है, जो दो हज़ार साल से ज्यादा बतलाया जाता है, इसी ने दारा को कत्ल किया और फ़ारस के बादशाहों को पराजित करके उनका मुल्क फ़तह किया, मगर यह शख्स मुश्रिक था इसको कुरआन में जिक्र हुए जुल्करनैन करार देना सरासर ग़लती है। इब्ने कसीर के अपने अल्फ़ाज़ ये हैं:

فاما ذو القرنين الثاني فهو اسكندر بن فيلس بن مصریح بن برس بن مبطنون بن رومی بن نعطي بن يونان بن يافث بن بونه بن شرحون بن رومه بن شرحط بن توفيل بن رومی بن الاصفير بن يقربن العيص بن اسحق بن ابراهيم الخليل عليه الصلوة والسلام كذا نبه الحافظ ابن عساكر في تاريخه المقدوني، اليوناني المصري باني الاسكندرية الذي يورخ بايامه الروم وكان متأخراً عن الاول بدهر طويل وكان هذا قبل المسيح بنحو من ثلثمائة سنة وكان ارطاطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا واذل ملوك الفرس واطوا ارضهم وانما نهبها عليه لان كثيراً من الناس يعتقد انهما واحد وان المذكور في القرآن هو الذي كان ارطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل فان الاول كان عبداً مؤمناً صالحاً وملكاً عادلاً وكان وزيره الخضر وقد كان نبياً على ما قررناه قبل هذا واما الثاني فكان مشركاً كان وزيره فيلسوفاً وقد كان بين زمانيهما ازيد من الف سنة فاین هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان الاعلى غبي لا يعرف حقائق الامور. (البرية والنبية ص ١٠٦ ج ٢)

हदीस व तारीख़ के इमाम इब्ने कसीर की इस तहकीक़ से एक तो यह मुग़लता दूर हुआ कि यह अस्कन्दर जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से तीन सौ साल पहले गुज़रा है और जिसकी जंग दारा और फ़ारस के बादशाहों से हुई और जो अस्कन्दरिया का संस्थापक है यह वह

जुल्करनैन नहीं जिसका कुरआने करीम में जिक्र आया है, यह मुग़लता कुछ बड़े मुफ़रिसरीन को भी लगा है। अबू हय्यान ने तफ़सीर बहरे मुहीत में और अल्लामा आलूसी ने तफ़सीर रुहुल-मआनी में इसी को कुरआन में जिक्र हुआ जुल्करनैन कह दिया है।

दूसरी बात 'व इन्नहू का-न नबिय्यन' के जुमले से यह मालूम होती है कि इब्ने कसीर के नज़दीक उनका नबी होना वरीयता प्राप्त है अगरचे उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक ज्यादा सही वह कौल है जो खुद इब्ने कसीर ने अबी तुफ़ैल की रिवायत से हज़रत अली करमल्लाहु वज्हहू से नक़ल किया है कि न वह नबी थे न फ़रिश्ता, बल्कि एक नेक सालेह मुसलमान थे, इसी लिये कुछ उलेमा ने इसका यह मतलब बयान किया है कि 'इन्नहू का-न' में जिसकी तरफ़ इशारा है वह जुल्करनैन नहीं बल्कि हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम हैं। और यही ज्यादा सही मालूम होता है।

अब मसला यह रहता है कि फिर वह जुल्करनैन जिनका जिक्र कुरआने करीम में है कौन हैं? और किस ज़माने में हुए हैं? इसके बारे में भी उलेमा के अक़वाल बहुत भिन्न और अलग-अलग हैं, इब्ने कसीर के नज़दीक उनका ज़माना अस्कन्दरे यूनानी मक़दूनी से दो हज़ार साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना है और उनके वज़ीर हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम थे। इब्ने कसीर रह. ने 'अल-बिदाया वन्निहाया' में पहले बुजुर्गों और उलेमा से यह रिवायत भी नक़ल की है कि जुल्करनैन पैदल चलकर हज के लिये पहुँचे, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके आने का इत्म हुआ तो भक्का से बाहर निकलकर स्वागत किया और हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनके लिये दुआ भी की और कुछ वसीयतें और नसीहतें भी उनकी फ़रमाईं। (अल-बिदाया पेज 108 जिल्द 2)

और तफ़सीर इब्ने कसीर में अज़रकी के हवाले से नक़ल किया है कि उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ तवाफ़ किया फिर कुरबानी दी।

और अबू रेहान बैरूनी ने अपनी किताब 'आसार-ए-बाक़िया अ़न कुरूनिल-ख़ालिया' में कहा है कि यह जुल्करनैन जिनका जिक्र कुरआन में है अबू बक्र बिन सम्पी बिन उमर बिन अफ़रीकीस हमीरी है, जिसने ज़मीन के पूरब व पश्चिम को फ़तह किया और तुब्बा हमीरी यमनी ने अपने शे'रों में इस पर गर्व किया है कि मेरे दादा जुल्करनैन मुसलमान थे, उनके शे'र ये हैं:

قد كان ذوالقرنين جدى مسلماً ملكاً علافى الارض غير مبعّد

بلغ المشارق والمغارب يتغى أبواب ملكٍ من كريمة سيد

यह रिवायत तफ़सीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान ने नक़ल की है। इब्ने कसीर ने भी 'अल-बिदाया वन्निहाया' में इसका जिक्र करने के बाद कहा कि यह जुल्करनैन यमन के तबाबआ में से सबसे पहला तुब्बा है, और यही वह शख्स है जिसने सबअू कुएँ के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ में फ़ैसला दिया था। (अल-बिदाया पेज 105 जिल्द 2)

इन तमाम रिवायतों में उनकी शख़्सियत और नाम व नसब (ख़ानदान) के बारे में मतभेद

होने के वावजूद उनका जमाना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना बतलाया गया है।

और मौलाना हिफज़ुर्रहमान साहिब रह. ने अपनी किताब 'कससुल-कुरआन' में जो जुल्करनैन के बारे में बड़ी तफसील के साथ बहस की है उसका खुलासा यह है कि कुरआन में जिक्र हुआ जुल्करनैन फारस का वह बादशाह है जिसको यहूदी ख़ोरस, यूनानी सायरस, फारसी गेरश और अरब के लोग केखुसरो कहते हैं, जिसका जमाना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत बाद में बनी इस्राईल के नबियों में से दानियाल अलैहिस्सलाम का जमाना बतलाया जाता है जो सिकन्दरे मकदूनी कातिले दारा के जमाने के करीब-करीब हो जाता है, मगर मौलाना मौसूफ़ ने भी इब्ने कसीर यगैरह की तरह इसका सख्ती से इनकार किया है कि जुल्करनैन वह सिकन्दरे मकदूनी जिसका वज़ीर अरस्तू था वह नहीं हो सकता, वह मुश्रिक आग को पूजने वाला था, यह मोमिन और नेक थे।

मौलाना हिफज़ुर्रहमान की तहकीक़ का खुलासा यह है कि कुरआने करीम की सूर: बनी इस्राईल में जो दो मर्तबा बनी इस्राईल के शर व फ़साद में मुब्तला होने और दोनों मर्तबा की सज़ा का जिक्र तफसील से आया है इसमें बनी इस्राईल के पहले फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) के मौक़े पर जो कुरआने करीम ने फ़रमाया है:

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ

(यानी तुम्हारे फ़साद की सज़ा में हम मुसल्लत कर देंगे तुम पर अपने कुछ ऐसे बन्दे जो बड़ी ताक़त व शौकत वाले होंगे, वे तुम्हारे घरों में घुस पड़ेंगे।) इसमें ये कुव्वत व शौकत वाले लोग बुख़्ते नस्सर और उसके साथी व सहयोगी से हैं जिन्होंने बैतुल-मुक़द्दस में चालीस हज़ार और कुछ रिवायतों के अनुसार सत्तर हज़ार बनी इस्राईल को क़त्ल किया, और एक लाख से ज्यादा बनी इस्राईल को कैद करके भेड़ बकरियों की तरह हंकाकर बाबिल ले गया, और इसके बाद जो कुरआने करीम ने फ़रमाया:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ

(यानी हमने फिर लौटा दिया तुम्हारे ग़लबे को उन पर) यह वाकिआ इसी केखुसरो ख़ोरस बादशाह के हाथों उत्पन्न हुआ, यह मोमिन और नेक आदमी था, इसने बुख़्ते नस्सर का मुक़ाबला करके उसके कैदी बनाये हुए बनी इस्राईल की उसके क़ब्ज़े से निकाला और दोबारा फ़िलिस्तीन में आबाद किया, बैतुल-मुक़द्दस को जो वीरान कर दिया था उसको भी दोबारा आबाद किया, और बैतुल-मुक़द्दस के ख़ज़ाने और अहम सामान जो बुख़्ते नस्सर यहाँ से ले गया था वो सब वापस बनी इस्राईल के क़ब्ज़े में दिये, इसलिये यह शख्स बनी इस्राईल (यहूदियों) का निजात दिलाने वाला साबित हुआ।

यह बात अन्दाज़े और क़ियास के करीब है कि मदीना के यहूदियों ने जो नुबुव्वत के इम्तिहान के लिये मक्का के कुरैश के वास्ते सवालात मुतैयन किये उनमें जुल्करनैन के सवाल को यह विशेषता भी हासिल थी कि यहूद उसको अपना निजात (मुक्ति) दिलाने वाला मानकर

उसकी तारीख व सम्मान करते थे।

मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान साहिब ने अपनी इस तहकीक पर मौजूदा तीराल के हवाले से बनी इस्त्राइल के नबियों की भविष्यवाणियों से फिर तारीखी रिवायतों से इस पर काफी सुबूत पेश किये हैं, जो सज्जन अधिक तहकीक के तालिब हों वे इसका मुताला कर सकते हैं, मेरा मकसद इन तमाम रिवायतों के नकल करने से सिर्फ इतना था कि जुल्करनैन की शख्सियत और उनके ज़माने के बारे में उम्मत के उलेमा और तारीख व तफ़सीर के माहिरीन के अक़वाल सामने आ जायें, इनमें से ज़्यादा सही किसका कौल है यह मेरे मकसद का हिस्सा नहीं, क्योंकि जिन चीज़ों का न कुरआन ने दावा किया न हदीस ने उनको बयान किया उनके मुलैयन और स्पष्ट करने की जिम्मेदारी भी हम पर नहीं, और उनमें जो कौल भी यरीयता प्राप्त और सही करार पाये कुरआन का मकसद हर हाल में हासिल है। वल्लाहु सुब्बानहू व तआला आलम

आगे आयतों की तफ़सीर देखिये:

قُلْ سَأَلْتُكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

इसमें यह गौर करने की बात है कि कुरआन ने इस जगह 'ज़िकरहू' का पुख्तसर लफ़्ज़ छोड़कर 'मिन्हु ज़िकरा' के दो कलिमे क्यों इख़्तियार किये। गौर कीजिये तो इन दो कलिमों में इशारा इस तरफ़ किया गया है कि कुरआन ने जुल्करनैन का पूरा किस्सा और उसकी तारीख़ ज़िक्र करने का वायदा नहीं किया, बल्कि उसके ज़िक्र का एक हिस्सा बयान करने के लिये फ़रमाया जिस पर हर्फ़ 'मिन्' और 'ज़िकरा' की तनवीन अरबी ग्रामर के हिसाब से सुबूत है। ऊपर जो तारीख़ी बहस जुल्करनैन के नाम व नसब और ज़माने वग़ैरह की लिखी गई है कुरआने करीम ने इसको ग़ैर-ज़रूरी समझकर छोड़ देने का पहले ही इज़हार फ़रमा दिया है।

وَأَيُّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَيِّئًا ۝

लफ़्ज़ सबब अरबी लुग़त में हर उस चीज़ के लिये बोला जाता है जिससे अपने मकसद के हासिल करने में मदद मिलती है, जिसमें उपकरण व यंत्र और माददी असबाब भी शामिल हैं और इल्म व समझ और तज़ुर्बा वग़ैरह भी। (तफ़सीर बहरे मुहीत)

और 'मिन् कुल्लि शैइन' से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हुक्मत का निज़ाम चलाने के लिये एक बादशाह और हुकमरों को पेश आती है। मुराद यह है कि अल्लाह तआला ने हज़रत जुल्करनैन को अपनी इन्साफ़ पसन्दी, दुनिया में अमन कायम करने और मुल्कों के फतह करने के लिये जिस-जिस सामान की ज़रूरत उस ज़माने में थी वो सब के सब उनको अता कर दिये गये थे।

فَاتَّبَعْنَاهُ ۝

मुराद यह है कि सामान तो हर किस्म के और दुनिया के हर खिस्ते में पहुँचाने के उनको दे दिये गये थे, उन्होंने सबसे पहले पश्चिम की तरफ़ सफ़र के सामान से काम लिया।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ ۝

मुराद यह है कि पश्चिम की तरफ उस आखिरी हद तक पहुँच गये जिससे आगे कोई आबादी नहीं थी।

فِي عَيْنِ حِمْيَةٍ

लफज़ हमिअतिन् के लुगवी मायने काली दलदल या कीचड़ के हैं। मुराद इससे वह पानी है जिसके नीचे काला कीचड़ हो, जिससे पानी का रंग भी काला दिखाई देता हो, और सूरज को ऐसे चश्मे में डूबते हुए देखने का मतलब यह है कि देखने वाले को यह महसूस होता था कि सूरज उस चश्मे में डूब रहा है, क्योंकि आगे आबादी या कोई खुशकी सामने नहीं थी, जैसे आप किसी ऐसे मैदान में सूरज ढलने के वक़्त हों जहाँ दूर तक पश्चिम की तरफ कोई पहाड़ दरख्त इमारत न हो तो देखने वाले को यह महसूस होता है कि सूरज ज़मीन के अन्दर घुस रहा है।

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا

यानी उस काले चश्मे के पास जुल्करनैन ने एक कौम को पाया। आयत के अगले हिस्से से मालूम होता है कि यह कौम काफ़िर थी, इसलिये अगली आयतों में अल्लाह तआला ने जुल्करनैन को इख़्तियार दे दिया कि आप चाहें तो उन सब को पहले उनके कुफ़्र की सज़ा दे दें, और चाहें तो उनसे एहसान का मामला करें कि पहले दावत व तब्लीग़ और वअज़ व नसीहत से उनको इस्लाम व ईमान कुबूल करने पर आमादा करें, फिर मानने वालों को उसकी जज़ा और न मानने वालों को सज़ा दें, जिसके जवाब में जुल्करनैन ने दूसरी ही सूरत को तजवीज़ किया कि पहले उनको वअज़ व नसीहत से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे फिर जो कुफ़्र पर कायम रहे उनको सज़ा देंगे और जो ईमान लाये और नेक अमल करे तो उसको अच्छा बदला देंगे।

فَلَمَّا بَادَأْنَا الْقُرْنَيْنِ

इससे मालूम होता है कि जुल्करनैन को हक़ तआला ने खुद खिताब करके यह इरशाद फ़रमाया है। अगर जुल्करनैन को नबी करार दिया जाये तब तो इसमें कोई इश्काल ही नहीं कि वही के ज़रिये ही उनसे कह दिया गया, और अगर उनकी नुबुव्वत तस्लीम न की जाये तो फिर इस 'कुलना' और 'या जुल्करनैन' के खिताब की सूरत यह हो सकती है कि किसी पैग़म्बर के वास्ते से यह खिताब जुल्करनैन को किया गया है, जैसा कि शिवायतों में हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम का उनके साथ होना बयान हुआ है, और यह भी मुम्किन है कि यह नुबुव्वत व रिसालत वाली वही न हो, ऐसी लुगवी वही हो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के लिये कुरआन में 'व औहेना' के अलफ़ाज़ आये हैं, हालाँकि उनके नबी या रसूल होने का कोई गुमान व शुब्हा नहीं, मगर अबू हय्यान ने बहरे मुहीत में फ़रमाया कि जुल्करनैन को जो यहाँ हुक्म दिया गया है वह उस कौम के क़त्ल व सज़ा का हुक्म है, इस तरह का कोई हुक्म नुबुव्वत की वही के बग़ैर नहीं दिया जा सकता, यह काम न कश्फ़ व इल्हाम से हो सकता है न बग़ैर नुबुव्वत की वही के किसी और माध्यम से, इसलिये इसके सिवा कोई गुमान व ख्याल सही नहीं कि या तो जुल्करनैन को खुद नबी माना जाये या फिर कोई नबी उनके ज़माने में मौजूद हो

उनके जरिये उनको खिताब हाता हो। वल्लाहु आलम

ثُمَّ اتَّبِعْ سَبِيلًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهَا مِن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خَيْرًا ۝

सुम्-म अल्ब-अ स-बबा (89) हत्ता
इज़ा ब-ल-ग मत् लिअ शशमिस
व-ज-दहा तत् लुअ अला कौमिल्-लम्
नज्जल्-लहुम् मिन् दूनिहा सित् रा
(90) कज़ालि-क व कद् अ-हत्ना
बिमा लदैहि खुबा (91)

फिर लगा एक सामान के पीछे। (89)
यहाँ तक कि जब पहुँचा सूरज निकलने
की जगह पाया उसको कि निकलता है
एक कौम पर कि नहीं बना दिया हमने
उनके लिये सूरज से वरे कोई हिजाब।
(90) यँ ही है और हमारे काबू में आ
चुकी है उसके पास की खबर। (91)

खुलासा-ए-तफ़सीर

फिर (पश्चिमी मुल्क फ़तह करके पूरबी मुल्क फ़तह करने के इरादे से पूरब की तरफ) एक राह पर हो लिये, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने के मौके "स्थान" पर (यानी पूरब की दिशा में आबादी की आखिरी हद पर) पहुँचे तो सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलते देखा जिनके लिए हमने सूरज के ऊपर कोई आड़ नहीं रखी थी (यानी उस जगह ऐसी कौम आबाद थी जो धूप से बचने के लिये कोई मकान या खेमा वगैरह बनाने के आदी न थे बल्कि शायद लिबास भी न पहनते हों, जानवरों की तरह खुले मैदान में रहते थे)। यह किस्सा इसी तरह है और जुल्करनैन के पास जो कुछ (सामान वगैरह) था हमको उसकी पूरी खबर है (इसमें नुबुव्वत के इम्तिहान के लिये जुल्करनैन के बारे में सवाल करने वालों को इस पर तंबीह है कि हम जो कुछ बतला रहे हैं वह इल्म व खबर की बुनियाद पर है, आम तारीखी कहानियों की तरह नहीं ताकि नुबुव्वते मुहम्मदिया का हक व सच्चा होना स्पष्ट हो जाये)।

मआरिफ़ व मसाईल

जुल्करनैन ने पूरब की दिशा में जो कौम आबाद पाई उसका यह हाल तो कुरआने करीम ने जिक्र फ़रमाया कि वे धूप से बचने के लिये कोई सामान, मकान, खेमा, लिबास वगैरह के जरिये न करते थे, लेकिन उनके मजहब व आमाल का कोई जिक्र नहीं फ़रमाया और न यह कि जुल्करनैन ने उन लोगों के साथ क्या मामला किया, और ज़ाहिर यह है कि ये लोग भी काफ़िर ही थे और जुल्करनैन ने इनके साथ भी वही मामला किया जो पश्चिमी कौम के साथ ऊपर बयान हो चुका है, मगर इसके बयान करने की यहाँ इसलिये ज़रूरत नहीं समझी कि पिछले

वाकिए पर अन्दाजा और क़ियास करके इसका भी इल्म हो सकता है। (जैसा कि इब्ने अतीया के हवाले से तफ़्सीर बहरे मुहीत में नक़ल किया गया है)

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السِّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ

دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۖ قَالُوا يَا بَنِي قُرَيْشٍ إِنَّا يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۗ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي
بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۗ أَلْتُؤْنِي بِهِ حديدٌ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا
حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۖ قَالَ أَلْتُؤْنِي أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ۗ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۖ
قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۗ

सुम्-म अत्व-अ स-बबा (92) हत्ता
इजा ब-ल-ग़ बैनस्सद्दैनि व-ज-द
मिन् दूनिहिमा कौमल्-ला यकादू-न
यफ़कहू-न कौला (93) कालू या
जल्करनैनि इन्-न यअजू-ज व
मअजू-ज मुफ़िसदू-न फ़िल्अरज़ि
फ-हल् नज़अलु ल-क ख़रजन् अला
अन् तजअ-ल बैनना व बैनहुम्
सद्दा (94) का-ल मा मक्कन्नी
फ़ीहि रब्बी ख़ौरुन् फ-अज़ीनूनी
बिकुव्वतिन् अजूअल् बैनकुम् व
बैनहुम् रद्मा (95) आतूनी जु-बरल्-
हदीदि, हत्ता इजा सावा बैनस्स-दफ़ैनि
कालन्फुखू हत्ता इजा ज-अ-लहू
नारन् का-ल आतूनी उफ़िरग् अलैहि
कित्ता (96) फ-मस्ताजू अय्यज़्हस्हु

फिर लगा एक सामान के पीछे। (92)
यहाँ तक कि जब पहुँचा दो पहाड़ों के
बीच, पाये उनसे वरे ऐसे लोग जो लगते
नहीं कि समझें एक बात। (93) बोले ऐ
जुल्करनैन! ये याजूज व माजूज घूम
उठाते हैं मुल्क में सो तू कहे तो हम
मुकरर कर दें तेरे वास्ते कुछ महसूल इस
शर्त पर कि बना दे तू हम में और उनमें
एक आड़। (94) बोला जो गुंजाईश दी
मुझको मेरे रब ने वह बेहतर है सो मदद
करो मेरी मेहनत में बना दूँ तुम्हारे और
उनके बीच एक दीवार मोटी। (95) ला
दो मुझको तख्तों लोहे के, यहाँ तक कि
जब बराबर कर दिया दोनों फाँकों तक
पहाड़ की कहा घोंको, यहाँ तक कि जब
कर दिया उसको आग, कहा लाओ मेरे
पास कि डालूँ इस पर पिघला हुआ
ताँबा। (96) फिर न बढ़ सकें इस पर

व मस्तताञ्जू लहू नक्बा (97) का-ल
हाजा रस्मतुम्-मिर्बबी फ़-इजा जा-अ
वञ्जूदु रब्बी ज-अ-लहू दक्का-अ व
का-न वञ्जूदु रब्बी हक्का (98)

और न कर सकें इसमें सुराह। (97)
बोला यह एक मेहरबानी है मेरे रब की
फिर जब आये वायदा मेरे रब का गिरा दे
इसको ढहाकर और है वायदा मेरे रब का
सच्चा। (98)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

फिर (पूरब व पश्चिम फ़तह करके) एक और राह पर हो लिये (कुरआन में उस दिशा का नाम नहीं लिया मगर आबादी ज्यादा उत्तरी दिशा में ही है इसलिये मुफ़स्तिरीन ने इस सफ़र को उत्तरी मुल्कों का सफ़र करार दिया, ऐतिहासिक तथ्य और सुबूत भी इसी को प्रबल बनाते हैं)। यहाँ तक कि जब ऐसे मक़ाम पर जो दो पहाड़ों के बीच था पहुँचे तो उन पहाड़ों से उस तरफ़ एक क़ौम को देखा, जो (भाषा और बोलचाल से नावाक़िफ़ जंगल की ज़िन्दगी की वजह से) कोई बात समझने के करीब भी नहीं पहुँचते थे (इन अलफ़ाज़ से यह मालूम होता है कि सिर्फ़ भाषा से नावाक़िफ़ियत न थी क्योंकि समझ-बूझ हो तो अनजान भाषा वाले की बातें भी कुछ इशारे किनाये से समझी जा सकती हैं, बल्कि जंगल की ज़िन्दगी ने समझ-बूझ से भी दूर रखा था मगर फिर शायद किसी अनुवादक के ज़रिये से) उन्होंने अर्ज किया, ऐ जुल्करनैन! याजूज व माजूज की क़ौम (जो इस घाटी के उस तरफ़ रहते हैं, हमारी) इस धरती में (कभी-कभी आकर) बड़ा फ़साद मचाते हैं (यानी क़त्ल व ग़ारतगरी करते हैं और हम में उनके मुक़ाबले की ताक़त नहीं) सो क्या हम लोग आपके लिये कुछ चन्दा जमा कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके बीच कोई रोक बना दें (कि वे इस तरफ़ आने न पायें)। जुल्करनैन ने जवाब दिया कि जिस माल में मेरे रब ने मुझको (ख़र्च व इस्तेमाल करने का) इख़्तियार दिया है वह बहुत कुछ है (इसलिये चन्दा जमा करने और माल देने की तो ज़रूरत नहीं अलबत्ता) हाथ-पाँव की ताक़त (यानी मेहनत मजदूरी) से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके बीच ख़ूब मज़बूत दीवार बना दूँगा। (अच्छा तो) तुम लोग मेरे पास लोहे की चादरें लाओ (कीमत हम देंगे)। ज़ाहिर यह है कि उस लोहे की दीवार बनाने के लिये और भी ज़रूरत की चीज़ें मँगवाई गई होंगी मगर यहाँ वहशी मुल्क में सबसे ज्यादा कम पाई जाने वाली चीज़ लोहे की चादरें थीं इसलिये उनके ज़िक्र करने की काफ़ी समझा गया, सब सामान जमा हो जाने पर दोनों पहाड़ों के बीच लोहे की दीवार की तामीर का काम शुरू किया गया) यहाँ तक कि जब (उस दीवार के रहे मिलाते-मिलाते) उन (दोनों पहाड़ों) के दोनों सिरों के बीच (के ख़ाली हिस्से) को (पहाड़ों के) बराबर कर दिया तो हुक्म दिया कि धौंको (धौंकना शुरू हो गया) यहाँ तक कि जब (धौंकते धौंकते) उसको लाल अंगारा कर दिया तो उस वक़्त हुक्म दिया कि अब मेरे पास पिघला हुआ ताँबा लाओ (जो पहले से तैयार करा लिया होगा) कि इस पर ज़ल दूँ (चुनाँचे यह पिघला हुआ ताँबा लाया गया और

आलात के जरिये ऊपर से छोड़ दिया गया कि दीवार की तमाम दरजों में घुसकर पूरी दीवार एक जिस्म हो जाये, उसकी लम्बाई-चौड़ाई खुदा को मालूम है) तो (उसकी बुलन्दी और चिकनाहट के सबब) न तो याजूज-माजूज उस पर चढ़ सकते थे और न उसमें (हृद से ज्यादा मज़बूती के सबब कोई) सेंध लगा सकते थे। जुल्करनैन ने (जब उस दीवार को तैयार देखा जिसका तैयार होना कोई आसान काम न था तो बतौर शुक्र के) कहा कि यह मेरे रब की एक रहमत है (मुझ पर भी कि मेरे हाथों यह काम हो गया और इस कौम के लिये भी जिनको याजूज माजूज सताते थे)। फिर जिस वक़्त मेरे रब का वायदा आयेगा (यानी इसके फना करने का वक़्त आयेगा) तो इसको ढहाकर (जमीन के) बराबर कर देगा। और मेरे परवर्दिगार का वायदा सच्चा है (और अपने वक़्त पर ज़रूर जाहिर होता है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

मुश्किल लुगात का हल

‘बैनस्सद्दैनि’। लफ़्ज़ सदुदन अरबी भाषा में हर उस चीज़ के लिये बोला जाता है जो किसी चीज़ के लिये रुकावट बन जाये, चाहे दीवार हो या पहाड़, और कुदरती हो या बनाई हुई। यहाँ सदुदैनि से दो पहाड़ मुराद हैं जो याजूज माजूज के रास्ते में रुकावट थे लेकिन उन दोनों के बीच के दर्रे से वे हमलावर होते थे जिसको जुल्करनैन ने बन्द किया।

‘जुबुरल्-हदीदि’। जुबर, ज़बरा की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने तख़्ती या चादर के हैं, मुराद लोहे के टुकड़े हैं जिनको उस दर्रे को बन्द करने वाली दीवार में ईंट पत्थर के बजाय इस्तेमाल करना था।

‘अस्सदफ़ैनि’। दो पहाड़ों की दो जानिबें जो एक दूसरे के मुकाबिल हों।

‘कित्तरन्’। कित्तर के मायने अक्सर मुफ़स्सरीन के नज़दीक पिघले हुए ताँबे के हैं, कुछ ने पिघले हुए लोहे या राँग को भी कित्तर कहा है। (तफ़्सीरे कुर्तुबी)

‘दक्का-अ’। यानी रेज़ा-रेज़ा होकर ज़मीन के बराबर हो जाने वाली।

याजूज-माजूज कौन हैं और कहाँ हैं? सदुदे जुल्करनैन

किस जगह है?

इनके बारे में इस्राईली रिवायतों और तारीखी कहानियों में बहुत बे-सर पैर की अजीब व ग़रीब बातें मशहूर हैं, जिनको बाज़ हज़राते-मुफ़स्सरीन ने भी तारीखी हैसियत से नक़ल कर दिया है, मगर वह खुद उनके नज़दीक भी क़ाबिले एतिमाद नहीं। कुरआने करीम ने उनका मुख़्तसर-सा हाल संक्षिप्त रूप से बयान किया और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बक़द्रे ज़रूरत तफ़्सील से भी उम्मत को आगाह कर दिया। ईमान लाने और एतिक़ाद रखने को

चीज़ सिर्फ़ उतनी ही है जो कुरआन और सही हदीसों में आ गई है, उससे ज्यादा तारीख़ी और भूगोलिक हालात जो मुफ़सिरीन, मुहद्दीसीन और इतिहास लेखकों ने जिक्र किये हैं वो सही भी हो सकते हैं और ग़लत भी, उनमें जो तारीख़ लिखने वालों के अक़वाल मुख़लिफ़ हैं वो इशारात, अन्दाज़ों और क़ियास पर आधारित हैं, उनके सही या ग़लत होने का कोई असर कुरआनी इरशादात पर नहीं पड़ता।

मैं इस जगह पहले वो हदीसें नक़ल करता हूँ जो इस मामले में मुहद्दीसीन के नज़दीक सही या क़ाबिले भरोसा हैं, उसके बाद बक़द्रे ज़रूरत तारीख़ी रिवायतें भी लिखी जायेंगी।

याजूज-माजूज के बारे में हदीस की रिवायतें

कुरआन व सुन्नत की वज़ाहत और खुलासों से इतनी बात तो निसंदेह साबित है कि याजूज माजूज इनसानों ही की कौमें हैं, आम इनसानों की तरह नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, क्योंकि कुरआने करीम का स्पष्ट बयान है:

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَقِيَّةَ ۝

यानी तूफ़ाने नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने इनसान ज़मीन पर बाकी हैं और रहेंगे वे सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में होंगे। तारीख़ी रिवायतें इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वे याफ़िस की औलाद में हैं, एक कमज़ोर हदीस से भी इसकी ताईद होती है। उनके बाकी हालात के मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा तफ़सीली और सही हदीस हज़रत नवास बिन समअन रज़ियल्लाहु अन्हु की है जिसको सही मुस्लिम और हदीस की तमाम मोतबर किताबों में नक़ल किया गया है और मुहद्दीसीन ने इसको सही क़रार दिया है, उसमें दज्जाल के निकलने, ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से उतरने फिर याजूज-माजूज वगैरह के निकलने की पूरी तफ़सील बयान हुई है, इस पूरी हदीस का तर्जुमा इस प्रकार है:

हज़रत नवास बिन समअन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन सुबह के वक़्त दज्जाल का तज़क़िरा फ़रमाया और तज़क़िरा फ़रमाते हुए कुछ बातें उसके भुताल्लिक़ ऐसी बयान फ़रमाई कि जिनसे उसका हकीर व ज़लील होना मालूम होता था (जैसे यह कि वह काना है) और कुछ बातें उसके भुताल्लिक़ ऐसी बयान फ़रमाई कि जिनसे मालूम होता था कि उसका फ़ितना सख़्त और बड़ा है (जैसे जन्नत व दोज़ख़ का उसके साथ होना और दूसरी ख़िलाफ़े आदत और असाधारण बातें)। आपके बयान से (हम पर ऐसा ख़ौफ़ तारी हुआ कि) गोया दज्जाल ख़जूरों के झुण्ड में है (यानी करीब ही मौजूद है) जब हम शाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आपने हमारे दिली हालात को भाँप लिया और पूछा कि तुमने क्या समझा? हमने अर्ज़ किया कि आपने दज्जाल का तज़क़िरा फ़रमाया और कुछ बातें उसके बारे में ऐसी बयान फ़रमाई जिनसे उसका मामला हकीर और आसान मालूम होता था और कुछ बातें ऐसी बयान फ़रमाई जिनसे मालूम होता है कि उसकी बड़ी ताक़त होगी उसका

गई है, उससे ज्यादा भारी है, हमें तो ऐसा मालूम होने लगा कि हमारे करीब ही वह खजूरों के झुण्ड को ने जिक्र किये हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाने लगे तुम्हारे बारे में जिन फ़ितनों का मुक़बल मुक़बलिया है है उनमें दज्जाल के मुक़बले में दूसरे फ़ितने ज्यादा काबिले ख़ौफ़ हैं (यानी होने का कोई अज़ा फ़ितना इतना बड़ा नहीं जितना तुमने समझ लिया है) अगर मेरी मौजूदगी में ना तो मैं उसका मुक़बला खुद करूँगा (तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं), वह मेरे बाद आया तो हर शख्स अपनी हिम्मत के मुताबिक़ उसको मग़लूब करने श करेगा, हक़ तआला मेरी ग़ैर-मौजूदगी में हर मुसलमान का नासिर और मददगार ती निशानी यह है) कि वह नौजवान सख्त पेचदार बालों वाला है, उसकी एक आँख उभरी हुई है (और दूसरी आँख से काना है जैसा कि दूसरी रिवायतों में है) और (उसकी बदसूरती में) उसको किसी के साथ तश्बीह दे सकता हूँ तो वह ज़ा बिन कुतन है (यह जाहिलीयत के ज़माने में बनू खुज़ाआ कबीले का एक बद-ख़स था) अगर तुम में से किसी मुसलमान का दज्जाल के साथ सामना हो जाये तो यहिये कि वह सूर: कहफ़ की शुरूआती आयतें पढ़ ले (इससे दज्जाल के फ़ितने से रहेगा) दज्जाल शाम और इराक़ के बीच से निकलेगा और हर तरफ़ फ़साद मचायेगा ह के बन्दो! उसके मुक़बले में साबित-क़दम (जमे और मज़बूत) रहना। अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! वह ज़मीन में किस क़द्र मुदत रहेगा? आप हु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया वह चालीस दिन रहेगा, लेकिन पहला दिन एक बराबर होगा और दूसरा दिन एक माह के बराबर होगा, और तीसरा दिन एक हफ़्ते बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह! जो दिन एक साल के बराबर होगा क्या हम उसमें सिर्फ़ एक दिन की (पाँच) नमाज़ें पढ़ेंगे? आपने फ़रमाया नहीं बल्कि वक़्त का अन्दाज़ा करके पूरे साल की नमाज़ें पढ़नी होंगी। फिर हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह! वह ज़मीन में किस क़द्र तेज़ी के फ़रमाया और तफ़र करेगा? फ़रमाया उस बादल की तरह तेज़ चलेगा जिसके पीछे मुवाफ़िक़ हवा जेनसे उसका हक़ हो, पस दज्जाल किसी क़ौम के पास से गुज़रेगा उनको अपने बातिल अक़ीदों की बातें उसके मुताबिक़ वे उस पर इमान लायेंगे तो वह बादलों को हुक्म देगा तो वे बरसने लगेंगे, और ख़ और बड़ा है को हुक्म देगा तो वह सरसब्ज़ व शादाब (हरीभरी) हो जायेगी (और उनके मवेशी और असाधारण बरेंगे) और शाम को जब वापस आयेंगे तो उनके कोहान पहले की तुलना में बहुत खजूरों के झुण्डों से भरे हुए होंगे और उनकी कोखें पुर होंगी फिर दज्जाल किसी क़ौम के पास से गुज़रेगा और उनको भी अपने कुफ़ व गुमराही की दावत देगा, पूछा कि तुमने वे उसकी बातों को रद्द कर देंगे, वह उनसे मायूस होकर चला जायेगा तो ये और कुछ बातें जान लोग कहत साली (सूखे के काल) में मुब्तला हो जायेंगे, और उनके पास कुछ मालूम होता था व बचेगा और वीरान ज़मीन के पास से उसका गुज़र होगा तो वह उसको ख़िताब ताक़त होगी उ कि अपने ख़जानों को बाहर ले आ, चुनाँचे ज़मीन के ख़जाने उसके पीछे-पीछे हो

लंगे, जैसा कि शहद की मक्खियाँ अपने सरदार के पीछे हो लेती हैं। फिर दज्जाल एक आदमी को बुलावेगा जिसका शबाब (जवानी) पूरे जोरों पर होगा उसको तलवार मारकर दो टुकड़े कर देगा और दोनों टुकड़े इस क़द्र फ़ासले पर कर दिये जायेंगे जिस क़द्र तीर मारने वाले और निशाने के दरमियान फ़ासला होता है, फिर वह उसको बुलावेगा वह (ज़िन्दा होकर) दज्जाल की तरफ़ उसके इस फ़ेल पर हंसता हुआ रौशन चेहरे के साथ आ जायेगा, इतनी देर में अल्लाह तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल फ़रमायेंगे चुनाँचे वह दो रंग की चादरें पहने हुए दमिश्क की पूर्वी दिशा के सफ़ेद मीनार पर इस तरह नुज़ूल फ़रमायेंगे कि अपने दोनों हाथों को फ़रिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे जब अपने सर मुबारक को नीचे करेंगे तो उससे पानी के क़तरे झड़ेंगे (जैसे कोई अभी गुस्ल करके आया हो) और जब सर को ऊपर करेंगे तो उस वक़्त भी पानी के बिखरते क़तरे जो मोतियों की तरह साफ़ होंगे गिरेंगे। जिस काफ़िर को आपके साँस की हवा पहुँचेगी वह वहीं मर जायेगा, और आपका साँस इस क़द्र दूर पहुँचेगा जिस क़द्र दूर आपकी निगाह जायेगी।

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे यहाँ तक कि आप उसे बाबुल्लुद पर जा पकड़ेंगे (यह बस्ती अब भी बैतुल-मुक़दस के करीब इसी नाम से मौजूद है) वहाँ उसको क़त्ल कर देंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के पास तशरीफ़ लायेंगे और (शफ़क़त के तौर पर) उनके चेहरों पर हाथ फ़रेंगे और जन्नत में आला दर्जों की उनको खुशख़बरी सुनायेंगे।

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी इसी हाल में होंगे कि हक़ तआला का हुक्म होगा कि मैं अपने बन्दों में ऐसे लोगों को निकालूँगा जिनके मुक़ाबले में किसी को ताक़त नहीं, आप मुसलमानों को जमा करके तूर पहाड़ पर चले जायें (चुनाँचे ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा ही करेंगे) और हक़ तआला याजूज-माजूज को खोल देंगे तो वे तेज़ी के साथ फैलने के सबब हर बुलन्दी से फिसलते हुए दिखाई देंगे, उनमें से पहले लोग बहीरा-ए-तबरिया (एक दरिया का नाम) से गुज़रेंगे और उसका सब पानी पीकर ऐसा कर देंगे कि जब उनमें से दूसरे लोग उस बहीरा से गुज़रेंगे तो दरिया की जगह खुश्क देखकर कहेंगे कि कभी यहाँ पानी होगा।

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तूर पहाड़ पर पनाह लेंगे और दूसरे मुसलमान अपने क़िलों और महफूज़ जगहों में पनाह लेंगे। खाने पीने का सामान साथ होगा मगर वह कम पड़ जायेगा तो एक बैल के सर को सौ दीनार से बेहतर समझा जायेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे मुसलमान अपनी तकलीफ़ दूर होने के लिये हक़ तआला से दुआ करेंगे (हक़ तआला दुआ कुबूल फ़रमायेंगे) और उन पर महामारी की शक़ल में एक बीमारी भेजेंगे और याजूज-माजूज थोड़ी देर में सब के सब मर जायेंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तूर पहाड़ से नीचे आयेंगे तो देखेंगे कि ज़मीन में एक बालिशत जगह भी उनकी लाशों से ख़ाली नहीं (और लाशों के सड़ने की वजह से) सख़्त बदबू फैली होगी (इस कैफ़ियत को देखकर दोबारा) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके

साथी हक तआला से दुआ करेंगे (कि: यह पुसोबत भी दूर हो, हक तआला कुबूल फरमायेंगे) और बहुत भारी भरकम परिन्दों को भेजेंगे जिनकी गर्दन उँट की गर्दन के जैसी होंगी (बि उनकी लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह की मर्जी होगी वहाँ फेंक देंगे) कुछ रिवायतों में है कि दरिया में डालेंगे, फिर हक तआला बारिश बरसायेंगे कोई शहर और जंगल ऐसा न होगा जहाँ बारिश न हुई होगी, तारी ज़मीन धुल जायेगी और शीशे के जैसी साफ़ हो जायेगी। फिर हक तआला ज़मीन को हुक्म देंगे कि अपने पेट से फलों और फूलों को उगा दे और (नये सिरे से) अपनी बरकतों को जाहिर कर दे, (चुनाँचे ऐसा ही होगा और इस कदर बरकत जाहिर होगी) कि एक अनार एक जमाअत के खाने के लिये क़िफ़ायत करेगा और लोग उसके छिलके की छतरी बनाकर साया हासिल करेंगे और दूध में इस कदर बरकत होगी कि एक उँटनी का दूध एक बहुत बड़ी जमाअत के लिये काफ़ी होगा और एक गाय का दूध एक क़बीले के सब लोगों को काफ़ी हो जायेगा, और एक बकरी का दूध पूरी बिरादरी को काफ़ी हो जायेगा, (ये असाधारण बरकतें और अमन व अमान का ज़माना चालीस साल रहने के बाद जब क़ियामत का वक़्त आ जायेगा तो) उस वक़्त हक तआला एक खुशगवार हवा बलायेंगे जिसकी वजह से सब मुसलमानों की बग़लों के नीचे एक खास बीमारी जाहिर हो जायेगी और सब के सब धफ़ात पा जायेंगे और बाकी सिर्फ़ शरीर व काफ़िर रह जायेंगे जो ज़मीन पर खुल्लम-खुल्ला हरामकारी जानवरों की तरह करेंगे, ऐसे ही लोगों पर क़ियामत आयेगी।

और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद की रिवायत में याज़ूज-माज़ूज के किस्से की ज्यादा तफ़सील आई है, वह यह कि बहीरा-ए-तबरिया (एक दरिया का नाम है) से गुज़रने के बाद याज़ूज-माज़ूज बैतुल-मुक़दस के पहाड़ों में से एक पहाड़ जबले-ख़मर पर चढ़ जायेंगे और कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को सब को क़त्ल कर दिया है तो अब हम आसमान वालों का खात्मा करेंगे, चुनाँचे वे अपने तीर आसमान की तरफ़ फेंकेंगे और वो तीर हक तआला के हुक्म से खून में भरकर उनकी तरफ़ वापस आयेंगे (ताकि वे अहमक यह समझकर खुश हों कि आसमान वालों का भी खात्मा कर दिया)।

और दज़्जाल के किस्से में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में यह इज़ाफ़ा भी है कि दज़्जाल मदीना मुनब्वरा से दूर रहेगा और मदीना के रास्ते पर भी उसका आना मुम्किन नहीं होगा तो वह मदीना के करीब एक नमकीली ज़मीन की तरफ़ आयेगा उस वक़्त एक आदमी दज़्जाल के पास आयेगा और वह आदमी उस वक़्त के बेहतर लोगो में से होगा और उसको ख़िताब करके कहेगा कि मैं यक़ीन से कहता हूँ कि तू वही दज़्जाल है जिसकी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़बर दी थी (यह सुनकर) दज़्जाल कहने लगेगा लोगो! मुझे यह बतलाओ कि अगर मैं इस आदमी को क़त्ल कर दूँ और फिर इसे जिन्दा कर दूँ तो मेरे खुदा होने में शक़ करोगे? वे जवाब देंगे— नहीं। चुनाँचे वह उस आदमी को क़त्ल कर देगा और फिर उसको जिन्दा कर देगा तो वह दज़्जाल को कहेगा कि अब मुझे तेरे दज़्जाल होने

का पहले से ज्यादा यकीन हो गया है, दज्जाल उसको दोबारा क़त्ल करने का इरादा करेगा लेकिन वह इस पर कादिर न हो सकेगा। (सही मुस्लिम)

सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमायेंगे कि आप अपनी औलाद में से जहन्नमी लोगों को उठाईये, वह अर्ज करेंगे कि ऐ रब! वे कौन हैं? तो हुयम होगा कि हर एक हजार में से नौ सौ निन्नानवे जहन्नमी हैं सिर्फ़ एक जन्नती है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सहम गये और पूछा कि या रसूलुल्लाह! हम में से वह एक जन्नती कौनसा होगा? तो आपने फ़रमाया एम न करो क्योंकि ये नौ सौ निन्नानवे जहन्नमी याजूज-माजूज में से और वह एक तुम में से होगा। और पुस्तदरक हाकिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने तमाम इनसानों के दस हिस्से किये उनमें से नौ हिस्से याजूज-माजूज के हैं और बाकी एक हिस्से में बाकी सारी दुनिया के इनसान हैं।

(तफसीर रूहुल-मआनी)

इमाम इब्ने कसीर ने अपनी किताब 'अल-बिदाया वन्निहाया' में इन रिवायतों को जिक्र करके लिखा है कि इससे मालूम हुआ कि याजूज-माजूज की तादाद सारी इनसानी आबादी से बेहद ज्यादा है।

पुस्तद अहमद और अबू दाऊद में सही सनदों से हज़रत अबू हरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया— ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरने के बाद चालीस साल ज़मीन पर रहेंगे। मुस्लिम की एक रिवायत में जो सात साल का अरसा बतलाया है हाफ़िज़ ने फ़ह्रुल-बारी में इसको ग़ैर-धरीयता प्राप्त करार देकर चालीस साल ही का अरसा सही करार दिया है और हदीसों की बज़ाहतों के मुताबिक़ यह पूरा अरसा अपन व अमान और बरकतों के ज़हूर का होगा। बुग़ज़ व दुश्मनी आपस में क़तई न रहेगी, कभी दो आदमियों में कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं होगी। (मुस्लिम व अहमद)

इमाम बुखारी ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बैतुल्लाह का हज़ व उमरा याजूज-माजूज के निकलने के बाद भी जारी रहेगा। (तफसीर मज़हरी)

बुखारी व मुस्लिम ने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (एक दिन) नींद से ऐसी हालत में जागे कि चेहरा-ए-मुबारक सुर्ख़ हो रहा था और आपकी ज़बाने मुबारक पर ये जुमले थे:

لا اله الا الله ويل للعرب من شرق اقطر فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق تسعين

“अल्लाह के सिवा कोई पाबूद नहीं, ख़राबी है अरब की उस शर (बुराई) से जो करीब आ चुका है। आज के दिन याजूज व माजूज की दीवार (रोक) में इतना सुराख़ खुल गया है और आपने अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाकर हल्का (दायरा) बनाकर दिखलाया।”

उम्मुल-मोमिनीन रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस इरशाद पर हमने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! क्या हम ऐसे हाल में हलाक हो सकते हैं जबकि हमारे अन्दर नेक लोग मौजूद हों? आपने फरमाया है! हलाक हो सकते हैं जबकि खुब्स (यानी बुराई) की अधिकता हो जाये। (बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रजि. की रिवायत से भी इसको बयान किया गया है और इमाम इब्ने कसीर ने अपनी किताब 'अल-बिदाया वन्निहाया' में भी यही लिखा है)

और याजूज-माजूज की दीवार में हल्के (गोल दायरे) के बराबर सुराख हो जाना अपने असली मायने में भी हो सकता है और इशारे के तौर पर जुल्करनैन की बनाई हुई इस आड़ और दीवार के कमजोर हो जाने के मायने में भी हो सकता है। (इब्ने कसीर अबू हय्यान)

मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माज़ा ने हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकल किया है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि याजूज-माजूज हर दिन दीवार ज़ुल्करनैन को खोदते रहते हैं यहाँ तक कि उस लोहे की दीवार के आखिरी हिस्से तक इतने करीब पहुँच जाते हैं कि दूसरी तरफ़ की रोशनी नज़र आने लगे, मगर ये कहकर लौट जाते हैं कि बाकी को कल खोदकर पार कर देंगे मगर अल्लाह तआला उसको फिर वैसा ही मज़बूत दुरुस्त कर देते हैं, और अगले दिन फिर नई मेहनत उसके खोदने में करते हैं, यह सिलसिला खोदने में मेहनत का और फिर अल्लाह की तरफ़ से उसके सही कर देने का उस वक़्त तक चलता रहेगा जिस वक़्त तक याजूज-माजूज को बन्द रखने का इरादा है, और जब अल्लाह तआला उनको खोलने का इरादा फरमायेंगे तो उस दिन जब मेहनत करके आखिरी हद में पहुँचा देंगे उस दिन यूँ कहेंगे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कल इसको पार कर लेंगे (अल्लाह के नाम और उसकी चाहत पर मौकूफ़ रखने से आज तौफ़ीक़ हो जायेगी) तो अगले दिन दीवार का बाकी बचा हिस्सा अपनी हालत पर मिलेगा और वे उसको तोड़कर पार कर लेंगे।

तिर्मिज़ी ने इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरह से अबू राफ़ेअ, क़तादा और अबू अयाना के वास्ते से नकल करके फरमाया:

غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه

(यानी इस एक सन्द के अलावा यह रिवायत मुझे किसी और वास्ते से नहीं मिली इसलिये यह ग़रीब है) इब्ने कसीर ने अपनी तफ़सीर में इस रिवायत को नकल करके फरमाया:

اساده جيد قوى ولكن متد في رفعه نكارة

“सन्द इसकी उम्दा और मज़बूत है। लेकिन हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से इसको मरफूअ करने या इसको रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ मन्सूब करने में एक अजनबियत मालूम होती है।”

और इमाम इब्ने कसीर ने अपनी किताब 'अल-बिदाया वन्निहाया' में इस हदीस के मुताल्लिक़ फरमाया कि अगर यह बात सही मान ली जाये कि यह हदीस मरफूअ नहीं बल्कि कअबे अहबार की रिवायत है तब तो बात साफ़ हो गई कि यह कोई काबिले शरोसा चीज़ नहीं,

और अगर इस रिवायत को रावी के वहम से महफूज़ करार देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हो का इरशाद करार दिया जाये तो फिर मतलब इसका यह होगा कि याजूज-माजूज का यह अमल दीवार और रुकावट को खोदने का उस वक्त शुरू होगा जबकि उनके निकलने का वक्त करीब आ जायेगा और कुरआनी इरशाद कि उस दीवार में सैंध नहीं लगाई जा सकती यह उस वक्त का हाल है जबकि जुल्करनैन ने इसको तामीर किया था, इसलिये कोई टकराव न रहा, और यह भी कहा जा सकता है कि सैंध लगाने से मुराद दीवार का वह खुला हिस्सा और सुराख है जो आर-पार हो जाये और इस रिवायत में इसकी वजाहत मौजूद है कि यह सुराख आर-पार नहीं होता। (हिदाया पेज 112 जिल्द 2)

हाफिज़ इब्ने हजर ने फत्हुल-बारी में इस हदीस को अब्द बिन हुमैद और इब्ने हिब्बान के हवाले से भी नक़ल करके कहा है कि इन सब की रिवायत हज़रत क़तादा से है, और इनमें से कुछ की सनद के रावी सही बुख़ारी के रावी हैं, और हदीस के महफूज़ करार देने पर भी कोई शुब्हा नहीं किया, और इब्ने अरबी के हवाले से बयान किया कि इस हदीस में अल्लाह की तीन आयतें यानी भोजिजे हैं— अब्बल यह कि अल्लाह तआला ने उनके ज़ेहनों को इस तरफ़ मुतवज्जह नहीं होने दिया कि दीवार व रोक को खोदने का काम रात दिन लगातार जारी रखें वरना इतनी बड़ी क़ौम के लिये क्या मुश्किल था कि दिन और रात की इयूटियाँ अलग-अलग मुफ़रर कर लेते, दूसरे उनके ज़ेहनों को इस तरफ़ से फेर दिया कि उस दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, इसके लिये उपकरणों और आलात से मदद लें हालाँकि वहब बिन मुनब्बेह की रिवायत से यह भी मालूम होता है कि ये लोग खेती-बाड़ी और उद्योगिक कामों के करने वाले हैं, हर तरह के उपकरण और सामान रखते हैं, उनकी ज़मीन में दरख़्त भी अनेक किस्म के हैं, कोई मुश्किल काम न था कि ऊपर चढ़ने के साधन और माध्यम पैदा कर लेते, तीसरे यह कि सारी मुद्त में उनके दिलों में यह बात न आये कि इन्शा-अल्लाह कह लें, सिर्फ़ उस वक्त यह कलिमा उनकी ज़बान पर जारी होगा जब उनके निकलने का निर्धारित वक्त आ जायेगा।

इब्ने अरबी ने फ़रमाया कि इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि याजूज-माजूज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के वजूद और उसकी मर्ज़ी व इरादे को मानते हैं और यह भी मुम्किन है कि बग़ैर किसी अक्वीदे के ही उनकी ज़बान पर अल्लाह तआला यह कलिमा जारी कर दे, और इसकी बरकत से उनका काम बन जाये (अशरातुस्साअत, मुहम्मद पेज 154) मगर ज़ाहिर यही है कि उनके पास भी अम्बिया अल्लैहिमुस्सलाम की दावत पहुँच चुकी है वरना कुरआनी बयान के मुताबिक़ उनको जहन्नम का अज़ाब न होना चाहिये।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

मालूम हुआ कि ईमान की दावत इनको भी पहुँची है मगर ये लोग कुफ़्र पर जमे रहे, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अल्लाह के वजूद और उसके इरादे व मर्ज़ी के कायल होंगे अगरचे सिर्फ़ अक्वीदा ईमान के लिये काफ़ी नहीं जब तक रिसालत और आख़िरत पर ईमान न हो।

बहरहाल! इन्शा-अल्लाह का कलिमा कहना बावजूद कुफ़्र के भी कुछ नामुम्किन बात नहीं।

हदीस की रिवायतों से प्राप्त नतीजे

ऊपर बयान हुई हदीसों में याजूज-माजूज के मुताल्लिक़ जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बयान से साबित हुई वो इस प्रकार हैं:

1. याजूज-माजूज आम इनसानों की तरह इनसान और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। मुहद्दीसीन व इतिहासकारों की एक बड़ी जमाअत उनको याफ़िस इब्ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद करार देते हैं और यह भी ज़ाहिर है कि याफ़िस इब्ने नूह की औलाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से जुल्करनैन के ज़माने तक दूर-दूर तक विभिन्न कबीलों और मुख़्तलिफ़ कौमों और विभिन्न आबादियों में फैल चुकी थी, याजूज-माजूज जिन कौमों का नाम है यह भी ज़रूरी नहीं कि वे सब के सब जुल्करनैन की दीवार के पीछे ही धिरे हुए हों, हाँ उनके कुछ कबीले और कौमों जुल्करनैन की बनाई हुई उस दीवार के इस तरफ़ भी होंगे अलबत्ता उनमें से जो क़त्ल व ग़ारतगरी करने वाले वहशी लोग थे वे जुल्करनैन के द्वारा बनाई गयी दीवार के ज़रिये रोक दिये गये। इतिहास लिखने वाले आम तौर से उनको तुर्क और मंगोल या मंगोलीन लिखते हैं मगर उनमें से याजूज-माजूज नाम सिर्फ़ उन वहशी (जंगली) असभ्य खूँखार ज़ालिम लोगों का है जो तहज़ीब व सभ्यता से वाकिफ़ नहीं हुए, उन्हीं की बिरादरी के मंगोल और तुर्क या मंगोलीन जो सभ्य हो गये वे इस नाम से ख़ारिज हैं।

2. याजूज-माजूज की संख्या पूरी दुनिया के इनसानों की संख्या से कई गुणा कम से कम एक और दस की तुलना से है। (हदीस नम्बर 2)

3. याजूज-माजूज की जो कौमों और कबीले दीवारे जुल्करनैन के ज़रिये इस तरफ़ आने से रोक दिये गये हैं वे क़ियामत के बिल्कुल करीब तक उसी तरह धिरे रहेंगे उनके निकलने का निर्धारित वक़्त हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने, फिर दज्जाल के निकलने के बाद वह होगा जबकि ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर दज्जाल को क़त्ल कर चुकेंगे। (हदीस नम्बर 1)

4. याजूज-माजूज के खुलने के वक़्त दीवारे जुल्करनैन गिरकर ज़मीन के बराबर हो जायेगी। (कुरआन की आयतें) उस वक़्त ये याजूज-माजूज की बेपनाह कौमों एक साथ पहाड़ों की बुलन्दियों से उतरती हुई तेज़ रफ़्तारी के सबब ऐसी मालूम होंगी कि गोया ये फिसल-फिसलकर गिर रहे हैं, और ये बेशुमार वहशी इनसान आम इनसानी आबादी और पूरी ज़मीन पर टूट पड़ेंगे और इनके क़त्ल व ग़ारतगरी का कोई मुक़ाबला न कर सकेगा। अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से अपने साथी मुसलमानों को लेकर तूर पहाड़ पर पनाह लेंगे और आम दुनिया की आबादियों में जहाँ कुछ किल्ले या सुरक्षित मक़ामात हैं वे उनमें बन्द होकर अपनी जानें बचायेंगे। खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाने के बाद ज़िन्दगी की ज़रूरतें इन्तिहाई महंगी हो जायेंगी, बाकी इनसानी आबादी को ये वहशी कौमों ख़त्म कर डालेंगी, उनके दरियाओं को चाट जायेंगी। (हदीस नम्बर 1)

5. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की दुआ से फिर यह टिड़ी दल किस्म की बेशुमार कौमें एक साथ हलाक कर दी जायेंगी, उनकी लाशों से सारी ज़मीन पट जायेगी, उनकी बदबू की वजह से ज़मीन पर बसना मुश्किल हो जायेगा। (हदीस नम्बर 1)

6. फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ही की दुआ से उनकी लाशें दरिया में डाल दी या गायब कर दी जायेंगी और पूरी दुनिया में बारिश के ज़रिये पूरी ज़मीन को धोकर पाक साफ़ कर दिया जायेगा। (हदीस नम्बर 1)

7. इसके बाद तक़रीबन चालीस साल अमन व अमान का दौर-दौरा रहेगा, ज़मीन अपनी बरकतें उगल देगी, कोई ग़रीब मोहताज न रहेगा, कोई किसी को न सतायेगा, सुकून व इत्मीनान आराम व राहत आम होगी। (हदीस नम्बर 3)

8. इस अमन व अमान के ज़माने में बैतुल्लाह का हज व उमरा जारी रहेगा। (हदीस नम्बर 4)
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और रौज़ा-ए-अक़्दस में दफ़न होना हदीस की रिवायतों से साबित है, इसकी भी यही सूत होगी कि वह हज या उमरे के लिये हिजाज़ का सफ़र करेंगे (जैसा कि हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत से इमाम मुस्लिम ने बयान किया है) उसके बाद मदीना तथ्यबा में वफ़ात होगी, रौज़ा-ए-अक़्दस में दफ़न किया जायेगा।

9. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आख़िर ज़माने में वही के ज़रिये आपको ख़्वाब दिखलाया गया कि जुल्करनैन की बनाई दीवार में एक सुराख़ हो गया है जिसको आपने अरब के लिये शर व फ़ितने की निशानी करार दिया, उस दीवार में सुराख़ हो जाने को कुछ मुहद्दिसीन ने अपनी हकीक़त पर महमूल किया है और कुछ ने इसका मतलब बतौर इशारे के यह करार दिया है कि अब यह दीवारे जुल्करनैन कमज़ोर हो चुकी है, याजूज-माजूज के निकलने का वक़्त करीब आ गया है और उसके आसार अरब कौम के पतन और गिरावट के रंग में ज़ाहिर होंगे। वल्लाहु आलम

10. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने के बाद उनका क़ियाम ज़मीन पर चालीस साल होगा। (हदीस नम्बर 2)

उनसे पहले हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़माना भी चालीस साल रहेगा जिसमें कुछ हिस्सा दोनों के इकट्ठा रहने और साथ काम करने का होगा। सैयद शरीफ़ बर्ज़न्जी ने अपनी किताब 'अशरातुस्साअत' पेज 145 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम का क़ियाम दज्जाल के क़त्ल और अमन व अमान के बाद चालीस साल होगा और दुनिया में क़ियाम की कुल मुद्दत पैंतालीस साल होगी, और पेज 112 में है कि मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तीस से ऊपर कुछ साल पहले ज़ाहिर होंगे और उनका कुल ज़माना चालीस साल होगा, इस तरह पाँच या सात साल तक दोनों हज़रत साथ रहेंगे और इन दोनों ज़मानों की यह खुसूसियत होगी कि पूरी ज़मीन पर अदल व इन्साफ़ की हुकूमत होगी, ज़मीन अपनी बरकतें और ख़जाने उगल देगी, कोई फ़कीर व मोहताज न रहेगा, लोगों में आपस में बुग़ज़ व दुश्मनी क़तई न रहेगी, हाँ! हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आख़िरी ज़माने में बड़े दज्जाल का ज़बरदस्त फ़ितना सिवाय

मक्का और मदीना और बैतुल-मुकद्दस और सूर पहाड़ के सारे आलम पर छा जायेगा और यह फितना दुनिया के तमाम फितनों से बढ़कर होगा। दज्जाल का कियाम (ठहरना) और फसाद सिर्फ चालीस दिन रहेगा मगर उन चालीस दिनों में से पहला दिन एक साल का, दूसरा दिन एक महीने का, तीसरा दिन एक हफ्ते का होगा, बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे जिसकी सूत यह भी हो सकती है कि हकीकत में ये दिन इतने लम्बे कर दिये जायें, क्योंकि उस आखिरी ज़माने में तकरीबन सारे वाकिआत ही अजीब और आम आदत से ऊपर और करिश्माती होंगे, और यह भी मुम्किन है कि दिन रात तो अपने मामूल के मुताबिक होते रहें मगर दज्जाल का बड़ा जादूगर होना हदीस से साबित है, हो सकता है कि उसके जादू के असर से आम मख्नूक की नज़रों पर यह दिन रात का बदलाव व इन्क़िलाब ज़ाहिर न हो, वे इसको एक ही दिन देखते और समझते रहें। हदीस में जो उस दिन के अन्दर आम दिनों के मुताबिक अन्दाज़ा लगाकर नमाज़ें पढ़ने का हुक्म आया है इससे भी ताईद इसकी होती है कि हकीकत के एतिबार से तो दिन रात बदल रहे होंगे, मगर लोगों के एहसास में यह बदलना नहीं होगा, इसलिये उस एक साल के दिन में तीन सौ साठ दिनों की नमाज़ें अदा करने का हुक्म दिया गया, वरना अगर दिन हकीकत में एह की दिन होता तो शरीअत के कायदों के एतिबार से उसमें सिर्फ एक ही दिन की पाँच नमाज़ें फर्ज होतीं। खुलासा यह है कि दज्जाल का कुल ज़माना इस तरह के चालीस दिन का होगा।

इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर दज्जाल को क़त्ल करके इस फितने को ख़त्म कर देंगे मगर इसके साथ ही याजूज-माजूज का ख़ुरूज होगा (यानी वे निकल पड़ेंगे) जो पूरी दुनिया में फ़साद और क़त्ल व ग़ारतगरी करेंगे, मगर उनका ज़माना भी चन्द दिन ही होंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये सब एक साथ हलाक हो जायेंगे। ग़र्ज़ कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने के आखिर में और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के शुरू में दो फितने दज्जाल और याजूज-माजूज के होंगे जो तमाम ज़मीन के लोगों को उलट-पुलट कर देंगे, गिनती के उन चन्द दिनों से पहले और बाद में पूरी दुनिया के अन्दर अदल व इन्साफ़ और अमन व सुकून और बरकात व समरात का दौर-दौरा रहेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस्लाम के सिवा कोई कलिमा व मज़हब ज़मीन पर न रहेगा, ज़मीन अपने दफ़न खज़ाने उगल देगी, कोई फकीर व मोहताज न रहेगा, दरिन्दे और ज़हरीले जानवर भी किसी को तकलीफ़ न पहुँचायेंगे।

याजूज-माजूज और दीवारे जुल्करनैन के बारे में ये मालूमात तो वो हैं जो कुरआन और हदीसों ने उम्मत को बतला दी हैं, इसी पर अक़ीदा रखना ज़रूरी और मुख़ालफ़त नाजायज़ है, बाकी रही इसकी भूगोलिक बहस कि दीवारे जुल्करनैन किस जगह स्थित है और कौमे याजूज माजूज कौनसी क़ौम है? और इस वक़्त कहाँ-कहाँ बसती है? अगरचे इस पर न कोई इस्लामी अक़ीदा मौक़ूफ़ है और न कुरआन की किसी आयत का मतलब समझना इस पर मौक़ूफ़ है, लेकिन मुख़ालिफ़ों की बक़वास के जवाब और अतिरिक्त मालूमात व तसल्ली के लिये उम्मत के

उलोम ने इससे बहस करमाई है, उसका कुछ हिस्सा निकल किया जाता है।

इमाम कुतुबी रह. ने अपनी तफसीर में सुददी के हवाले से निकल किया है कि याजूज माजूज के बाईस कबीलों में से इक्कीस कबीलों को जुल्करनैन की दीवार से बन्द कर दिया गया उनका एक कबीला दीवारे जुल्करनैन के अन्दर इस तरफ रह गया वो तुर्क हैं। इसके बाद कुतुबी ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने तुर्क के बारे में जो बातें बतलाई हैं वो याजूज-माजूज से मिलती हुई हैं, और आखिर ज़माने में मुसलमानों की उनसे जंग होना सही मुस्लिम की हदीस में है। फिर फरमाया कि इस ज़माने में तुर्क कौम की बड़ी भारी संख्या मुसलमानों के मुक़ाबले के लिये निकली हुई है जिनकी सही तादाद अल्लाह तआला ही को मालूम है, वही मुसलमानों को उनके शर से बचा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि यही याजूज माजूज हैं, या कम से कम उनकी शुरुआत और नमूना हैं। (कुतुबी पेज 58 जिल्द 11)

(इमाम कुतुबी का ज़माना छठी सदी हिजरी है जिसमें तातारियों का फ़ितना ज़ाहिर हुआ और इस्लामी ख़िलाफ़त को तबाह व बरबाद किया, उनका ज़बरदस्त फ़ितना इस्लामी तारीख़ में परिचित और तातारियों का मंगोल तुर्क में से होना मशहूर है।" मगर कुतुबी ने उनको याजूज माजूज के जैसा और उनकी पहली कड़ी करार दिया है, उनके फ़ितने को याजूज-माजूज का वह निकलना नहीं बतलाया जो क़ियामत की निशानियों में से है, क्योंकि सही मुस्लिम की उक्त हदीस में इसकी वज़ाहत है कि वह निकलना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से उतरने के बाद उनके ज़माने में होगा।

इसी लिये अल्लामा आलूसी ने अपनी तफसीर रूहुल-मअानी में उन लोगों पर सख्त रह किया है जिन्होंने तातार (कौम) ही को याजूज-माजूज करार दिया, और फरमाया कि ऐसा ख़्याल करना खुली हुई गुमराही है और हदीस के बयानात व मज़मून की मुख़ालफ़त है, अलबत्ता यह उन्होंने भी फरमाया कि बिला शुब्हा यह फ़ितना याजूज-माजूज के फ़ितने के जैसा ज़रूर है।

(तफसीर रूहुल-मअानी पेज 44 जिल्द 16)

इससे साबित हुआ कि इस ज़माने में जो कुछ इतिहासकार मौजूदा रूस या चीन या दोनों को याजूज-माजूज करार देते हैं, अगर इससे उनकी मुराद वही होती जो इमाम कुतुबी और अल्लामा आलूसी ने फरमाया कि उनका फ़ितना याजूज-माजूज के फ़ितने जैसा है तो यह कहना कुछ ग़लत न होता, मगर इसी को याजूज-माजूज का वह निकलना करार देना जिसकी ख़बर कुरआन व हदीस में क़ियामत की निशानियों के तौर पर दी गई और उसका वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने के बाद बतलाया गया, यह क़तई ग़लत और गुमराही और हदीस की वज़ाहतों का इनकार है।

मशहूर इतिहास लेखक इब्ने खुलदून ने अपनी तारीख़ के मुक़द्दमे (प्रारंभिका) में अक़लीम-ए-सादिस की बहस में याजूज-माजूज और दीवारे जुल्करनैन और उनके मौक़े व स्थान के मुताल्लिक़ भूगोलिक तहकीक़ इस तरह फरमाई है:

“सातवीं अक़लीम के नवें हिस्से में पश्चिम की ज़ानिब तुर्कों के वो क़बीले आबाद हैं

जो कनजाक और चकरस कहताते हैं और पूरब की जानिब याजूज-माजूज की आबादियाँ हैं, और इन दोनों के दरमियान काफ़ पहाड़ एक रोक है जिसका जिक्र गुज़िशता सतरों में हो चुका है कि वह बहर-ए-मुहीत (मुहीत दरिया) से शुरू होता है जो चौथी अकलीम के पूरब में स्थित है, और उसके साथ उत्तरी दिशा में अकलीम के आखिर तक चला गया है और फिर बहर-ए-मुहीत से अलग होकर उत्तर पश्चिम में होता हुआ यानी पश्चिम की जानिब झुकता हुआ पाँचवीं अकलीम के नवें हिस्से में दाखिल हो जाता है, यहाँ से वह फिर अपनी पहली दिशा को मुड़ जाता है यहाँ तक कि सातवीं अकलीम के नवें हिस्से में दाखिल हो जाता है और यहाँ पहुँचकर दक्षिण से उत्तर पश्चिम को होता हुआ गया है और इसी पहाड़ी श्रंखला के बीच सददे सिकन्दरी (जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार) स्थित है और सातवीं अकलीम के नवें हिस्से के बीच ही में वह दीवारे सिकन्दरी है जिसका हम अभी जिक्र कर आये हैं और जिसकी इत्तिहा कुरआन ने भी दी है।

और अब्दुल्लाह बिन खरदाज़बा ने अपनी भूगोल की किताब में वासिक बिल्लाह अब्बासी खलीफ़ा का वह ख़्वाब नक़ल किया है जिसमें उसने यह देखा था कि यह दीवार और रोक खुल गई है, चुनाँचे वह घबराकर उठा और हालात मालूम करने के लिये सल्लाम तर्जुमान को रवाना किया, उसने वापस आकर इस दीवार और रोक के हालात व औसाफ़ बयान किये। (मुक़द्दिमा इब्ने खुलदून पेज 79)''

वासिक बिल्लाह अब्बासी खलीफ़ा का दीवारे जुल्करनैन की तहकीक़ करने के लिये एक जमाअत को भेजना और उनका तहकीक़ करके आना इब्ने कसीर ने भी 'अल-बिदाया वन्निहाया' में जिक्र किया है, और यह कि यह दीवार लोहे से तामीर की गई है, इसमें बड़े-बड़े दरवाज़े भी हैं जिन पर ताला पड़ा हुआ है, और यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। और तफ़सीरे कबीर व तबरी ने इस वाक़िअ को बयान करके यह भी लिखा है कि जो आदमी उस दीवार का मुआयना करके वापस आना चाहता है तो रहनुमा (गाइड) उसको ऐसे चटियल मैदानों में पहुँचाते हैं जो समरकन्द के मुक़ाबिल और बराबर में हैं। (तफ़सीरे कबीर जिल्द 5, पेज 519)

उस्तादे मोहतरम हुज्जतुल-इस्लाम सैयदी हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी कुद्दिस सिरुहू ने अपनी किताब 'अक़ीदतुल-इस्लाम फ़ी हयाति ईसा अलैहिस्सलाम' में याजूज-माजूज और दीवारे जुल्करनैन का हाल अगरचे अन्तिरम तौर पर बयान फ़रमाया है मगर जो कुछ बयान किया है वह तहकीक़ व रिवायत के आला मेयार पर है। आपने फ़रमाया कि फ़साद फैलाने वाले और राहशी (जंगली व कबाइली) इनसानों की लूटमार और तबाही व ग़ारतगरी से हिफ़ाज़त के लिये ज़मीन पर एक नहीं बहुत सी जगहों में सददे (रोक और दीवारे) बनाई गई हैं जो विभिन्न बादशाहों ने विभिन्न मक़ामात पर विभिन्न ज़मानों में बनाई हैं, उनमें से ज़्यादा बड़ी और मशहूर दीवारे चीन है जिसकी लम्बाई अबू हय्यान उन्दुलुसी (ईरानी दरबार के शाही इतिहासकार) ने बारह सौ मील बतलायी है और यह कि उसका बनाने वाला फ़गाफ़ूर चीन का बादशाह है और उसके निर्माण की तारीख़ आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में उतारे जाने से तीन हज़ार चार सौ साठ साल बाद

वनवाड़े, और यह कि उस दीवार चीन को मुगल लोग 'अन्-कुंग' और तुर्क लोग 'सुरकुल-कुरआन' कहते हैं, और फरमाया कि इसी तरह को और भी अनेक दीवारें और क़िलाबंदें मुख्तलिफ़ मक़ामात पर पाई जाती हैं।

हमारे साथी और दोस्त मौलाना हिफ़ज़ुर्रहमान स्योहारवी रह. ने अपनी किताब 'क़त्तुल-कुरआन' में हज़रत अल्लामा कश्गीरी रह. के इस बयान की ऐतिहासिक यज़ाहत बड़ी तफ़्सीली व तहकीक़ से लिखी है जिसका खुलासा यह है कि:

याज़ूज माज़ूज के तबाही व ग़ारतगरी मचाने और शर व फ़साद का दायरा इतना फ़ैला हुआ था कि एक तरफ़ काकेशिया के नीचे बसने वाले उनके ज़ुल्म व सितम का शिकार थे तो दूसरी तरफ़ तिब्बत और चीन के वाशिन्दे भी हर वक़्त उनकी ज़द (चपेट) में थे, उन्हीं याज़ूज-माज़ूज के शर व फ़साद से बचने के लिये गुज़ल्लिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ मक़ामात पर कई दीवारें तामीर की गईं, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी और मशहूर दीवार चीन की है जिसका ज़िक्र ऊपर आ चुका है।

दूसरी रोक और दीवार मध्य एशिया में बुख़ारा और तिमिज़ के करीब स्थित है और उसके स्थान का नाम दरबन्द है। यह दीवार मशहूर मुग़ल बादशाह तैमूर लंग के ज़माने में मौजूद थी और रूम के बादशाह के खास साथी 'सेला बरजर जर्मनी' ने भी इसका ज़िक्र अपनी किताब में किया और उन्दुलुस के बादशाह कस्टील के कासिद कलाफ़चू ने भी अपने राफ़र नामे में इसका ज़िक्र किया है। यह सन् 1403 ई. में अपने बादशाह का दूत बनकर जब तैमूर की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उस जगह से गुज़रा है। वह लिखता है कि बाबुल-हदीद की दीवार और रोक मूसल के उस रास्ते पर है जो समरक़न्द और हिन्दुस्तान के बीच है। (अज़ तफ़्सीर जवाहिरुल कुरआन, तन्तावी पेज 198 जिल्द 9)

तीसरी दीवार रूसी इलाके दाग़िस्तान में स्थित है यह भी दरबन्द और बाबुल-अबवाब के नाम से मशहूर है, याक़ूत हमवी ने 'मोज़मुल्-बलदान' में, इदरीसी ने 'जुग़राफ़िया' में और बुस्तानी ने 'दायरतुल-मआरिफ़' में इसके हालात बड़ी तफ़्सील से लिखे हैं, जिसका खुलासा यह है कि:

“दाग़िस्तान में दरबन्द एक रूसी शहर है। यह शहर बहर-ए-ख़ज़र (कास्पियन) के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, इसका अर्ज़ुल-बलद (अक्षांस) 43-3 उत्तर में और तूलुल-बलद (लम्बांश) 48-15 पूरब में है और इसको दरबन्द अनुशेरावाँ भी कहते हैं, और बाबुल-अबवाब के नाम से बहुत मशहूर है।”

चौथी दीवार इसी बाबुल-अबवाब से पश्चिम की ओर काकेशिया के बहुत बुलन्द हिस्सों में है जहाँ दो पहाड़ों के बीच एक दर्रा दर्रा-ए-दारियाल के नाम से मशहूर है, इस जगह यह चौथी दीवार (रोक) जो क़फ़काज़ या जबल-ए-कूका या कोह-ए-काफ़ की दीवार कहलाती है, बुस्तानी ने इसके बारे में लिखा है:

“और इसी के (यानी सद्दे बाबुल-अबवाब के) करीब एक और दीवार है जो पश्चिमी

दिशा में बढ़ती चली गई है, गालिबन इसको फ़ारस वालों ने उत्तरी बरबरो से हिफ़ाज़त की खातिर बनाया होगा, क्योंकि इसके बनाने वाले का सही हाल मालूम नहीं हो सका, बाज़ ने इसकी निस्बत सिकन्दर की ओर कर दी है और बाज़ ने किसरा व नोशेरवाँ की तरफ, और याकूब कहता है कि यह ताँबा पिघलाकर उससे तामीर की गई है। (दायस्तुल-मज़रिफ़ जिल्द 7 पेज 651, मौजमुल-बलदान जिल्द 8 पेज 9)''

चूँकि ये सब दीवारें उत्तर ही में हैं और तक़रीबन एक ही ज़रूरत के लिये बनाई गई हैं इसलिये इनमें से दीवारें जुल्करनैन कौनसी है इसके मुतयन करने में शुब्हात व इश्कालात पेश आये हैं और बड़ा असमंजस इन आखिरी दो दीवारों के मामले में पेश आया, क्योंकि दोनों पफ़ापात का नाम भी दरबन्द है और दोनों जगह दीवार भी मौजूद है, ऊपर ज़िक्र हुई चार दीवारों में से दीवारें चीन जो सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा पुरानी है इसके बारे में तो जुल्करनैन की दीवार होने का कोई कायल नहीं, और वह बजाय उत्तर के पूर्वी किनारे में है और कुरआने करीम के इशारे से उसका उत्तर में होना जाहिर है।

अब मामला बाकी तीन दीवारों का रह गया जो उत्तर ही में हैं, उनमें से जो आम तौर पर इतिहासकारों मसऊदी, अस्तख़री, हमवी वग़ैरह उस दीवार को जुल्करनैन की दीवार बताते हैं जो दगिस्तान या काकेशिया के इलाक़े में बाबुल-अबवाब के दरबन्द में खंज़र के दरिया पर स्थित है, बुख़ारा व तिमिज़ के दरबन्द और उसकी दीवार को जिन इतिहासकारों ने जुल्करनैन की दीवार कहा है वह गालिबन लफ़ज़ दरबन्द के साझा होने की वजह से उनको धोखा लगा है, अब तक़रीबन इसका स्थान मुतयन हो गया कि इलाक़ा दगिस्तान काकेशिया के दरबन्द बाबुल-अबवाब में या उससे भी ऊपर कफ़काज़ पहाड़ या कोह-ए-काफ़ की बुलन्दी पर है और इन दोनों जगहों पर सद्द (दीवार और रोक) का होना इतिहासकारों के नज़दीक साबित है।

इन दोनों में से हज़रत उस्ताद मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी ने अक़ीदतुल-इस्लाम में कोह-ए-काफ़ कफ़काज़ की दीवार और रोक को तरज़ीह दी है कि यह दीवार जुल्करनैन की बनाई हुई है। (अक़ीदतुल-इस्लाम पेज 297)

जुल्करनैन की दीवार इस वक़्त तक मौजूद है और कियामत तक रहेगी या वह टूट चुकी है?

आजकल इतिहास व भूगोल के विशेषज्ञ यूरोप वाले इस वक़्त उन उत्तरी दीवारों में से किसी का मौजूद होना तस्तीम नहीं करते, और न यह तस्तीम करते हैं कि अब भी याजूज-माजूज का रास्ता बन्द है, इस बिना पर कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने भी यह कहना और लिखना शुरू कर दिया है कि याजूज-माजूज जिनके निकलने का कुरआन व हदीस में ज़िक्र है वह हो चुका है, कुछ ने छठी सदी हिजरी में तूफ़ान बनकर उठने वाली तातारी कौम ही को इसका भिस्दाक़ करार दे दिया है, कुछ ने इस ज़माने में दुनिया पर गालिब आ जाने वाली कौमों रुस

और चीन और यूरोप वालों को याजूज-माजूज कहकर इस मामले को खत्म कर दिया है, मगर जैसा कि ऊपर तफ़्सीर रूहुल-मअानी के हवाले से बयान हो चुका है कि यह सरासर ग़लत है, सही हदीसों के इनकार के बग़ैर कोई यह नहीं कह सकता कि जिस याजूज-माजूज के निकलने को क़ुरआने करीम ने क़ियामत की निशानी के तौर पर बयान किया है और जिसके बारे में सही मुस्लिम की हज़रत नवास बिन समअान वग़ैरह की हदीस में इसकी वज़ाहत है कि यह वाकिआ दज्जाल के आने और ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने और दज्जाल के क़त्ल होने के बाद पेश आयेगा वह वाकिआ हो चुका, क्योंकि दज्जाल का निकलना और ईसा अलैहिस्सलाम का नाज़िल होना बिना शुब्हा अब तक नहीं हुआ।

अलबत्ता यह बात भी क़ुरआन व सुन्नत की किसी स्पष्ट दलील और वज़ाहत के खिलाफ़ नहीं है कि जुल्करनैन के ज़रिये बनाई गई दीवार इस वक़्त टूट चुकी हो और याजूज-माजूज की कुछ क़ौमें इस तरफ़ आ चुकी हों, बशर्तकि इसको तस्लीम किया जाये कि उनका आख़िरी और बड़ा हल्ला जो पूरी इनसानी आबादी को तबाह करने वाला साबित होगा वह अभी नहीं हुआ, बल्कि क़ियामत की उन बड़ी निशानियों के बाद होगा जिनका ज़िक्र ऊपर आ चुका है, यानी दज्जाल का निकलना और ईसा अलैहिस्सलाम का नाज़िल होना वग़ैरह।

हज़रत उस्ताद हुज्जतुल-इस्लाम अल्लामा कश्मीरी रह. की तहकीक़ इस मामले में यह है कि यूरोप वालों का यह कहना तो कोई वज़न नहीं रखता कि हमने सारी दुनिया छान मारी है हमें उस दीवार का पता नहीं लगा, क्योंकि अब्दल तो खुद उन्हीं लोगों के ये बयानात मौजूद हैं कि घूमने व सैर करने और तहकीक़ के इन्तिहाई शिखर पर पहुँचने के बावजूद आज भी बहुत से जंगल और दरिया और द्वीप ऐसे बाकी हैं जिनका हमें इल्म नहीं हो सका, दूसरे यह भी कोई दूर की और असंभव बात नहीं कि अब वह दीवार मौजूद होने के बावजूद पहाड़ों के गिरने और आपस में मिल जाने के सबब एक पहाड़ ही की सूरत इख़्तियार कर चुकी हो, लेकिन कोई निश्चित दलील और वज़ाहत इसके भी विरुद्ध नहीं कि क़ियामत से पहले यह दीवार टूट जाये या किसी दूर-दराज़ के लम्बे रास्ते से याजूज-माजूज की कुछ क़ौमें इस तरफ़ आ सकें।

जुल्करनैन की इस दीवार और रोक के क़ियामत तक बाकी रहने पर बड़ी दलील तो क़ुरआने करीम के इस लफ़्ज़ से ली जाती है कि:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ

यानी जुल्करनैन का यह क़ौल कि जब मेरे रब का वायदा आ पहुँचेगा (यानी याजूज-माजूज के निकलने का वक़्त आ जायेगा) तो अल्लाह तआला इस लोहे की दीवार को रेज़ा-रेज़ा करके ज़मीन के बराबर कर देंगे। इस आयत में 'वअ़दु रब्बी' का मफ़हूम इन हज़रत ने क़ियामत को क़रार दिया है, हालाँकि क़ुरआन के अलफ़ाज़ इस बारे में निश्चित नहीं, क्योंकि 'वअ़दु रब्बी' का स्पष्ट मफ़हूम तो यह है कि याजूज-माजूज का रास्ता रोकने का जो इन्तिज़ाम जुल्करनैन ने किया है यह कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसी तरह रहे, जब अल्लाह तआला चाहेंगे कि उनका रास्ता खुल जाये तो यह दीवार गिरकर ज़मीन के बराबर हो जायेगी, इसके लिये ज़रूरी नहीं कि वह

बिल्कुल क़ियामत के करीब हो। बुनाचे तमाम हज़रत मुफ़्तिरीन ने 'वअदु रब्बा' के मफ़हूम में दोनों शुद्धे और संभावनायें ज़िक्र किये हैं। तफ़सीर बहरे मुहीत में है:

وَالْوَعْدُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنْ يَرَادَ بِهِ وَقْتُ خُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ.

इसकी तहकीक़ यूँ भी हो सकती है कि दीवार गिरकर रास्ता अभी खुल गया हो और याजूज व माजूज के हमलों की शुरूआत हो चुकी हो, चाहे इसकी शुरूआत छठी सदी हिजरी के ताहरी फितने से करार दी जाये या यूरोप और रूस व चीन वालों के ग़लबे से, मगर यह जाहिर है कि इन सभ्य और विकसित क़ौमों के निकलने और फ़साद को जो सर्वैधानिक और क़ानूनी रंग में हो रहा है वह फ़साद नहीं करार दिया जा सकता जिसका पता कुरआन व हदीस दे रहे हैं कि ख़ालिस क़त्ल व ग़ारतगरी और ऐसी ख़ूरेज़ी के साथ होगा कि तमाम इनसानी आबादी को तबाह व बरबाद कर देगा, बल्कि इसका हासिल फिर यह होगा कि उन्हीं फ़साद मचाने वालों याजूज माजूज की कुछ क़ौमों इस तरफ़ आकर तहज़ीब व सभ्यता वाली बन गई, इस्लामी मुल्कों के लिये बिला शुब्हा वो बड़ा फ़साद और ज़बरदस्त फ़ितना साबित हुई मगर अभी उनकी वहशी क़ौमों जो क़त्ल व ख़ूरेज़ी के सिवा कुछ नहीं जानतीं वे तक्दीरी तौर पर इस तरफ़ नहीं आईं और बड़ी संख्या उनकी ऐसी ही है उनका निकलना क़ियामत के बिल्कुल करीब में होगा।

दूसरी दलील तिमिज़ी और मुस्नद अहमद की उस हदीस से ली जाती है जिसमें बयान हुआ है कि याजूज-माजूज उस दीवार को रोज़ाना खोदते हैं मगर अब्वल तो इस हदीस को इब्ने कसीर ने इल्लत वाली करार दिया है दूसरे उसमें भी इसकी कोई वज़ाहत नहीं कि जिस दिन याजूज माजूज इन्शा-अल्लाह कहने की बरकत से उसको पार कर लेंगे वह क़ियामत के करीब ही होगा, और इसकी भी उस हदीस में कोई दलील नहीं कि सारे याजूज-माजूज उसी दीवार के पीछे रुके हुए रहेंगे, अगर उनकी कुछ जमाअतें या क़ौमों किसी दूर-दराज़ के रास्ते से इस तरफ़ आ जायें जैसा कि आजकल के ताक़तवर समुद्री जहाज़ों के ज़रिये ऐसा हो जाना कोई अज़ीब नहीं, और कुछ इतिहासकारों ने लिखा भी है कि याजूज-माजूज को लम्बे समुद्री सफ़र करके इस तरफ़ आने का रास्ता मिल गया है तो उस हदीस से इसकी भी नफ़ी नहीं होती।

ख़ुलासा यह है कि कुरआन व सुन्नत में कोई ऐसी स्पष्ट और निश्चित दलील नहीं है जिससे यह साबित हो कि जुल्फ़रनैन के ज़रिये बनाई गई दीवार क़ियामत तक बाकी रहेगी, या उनके शुरूआती और मामूली हमले क़ियामत से पहले इस तरफ़ के इनसानों पर नहीं हो सकेंगे, अलबत्ता वह इन्तिहाई ख़ौफ़नाक और तबाहकुन हमला जो पूरी इनसानी आबादी को बरबाद कर देगा उसका वक़्त बिल्कुल क़ियामत के करीब ही होगा जिसका ज़िक्र बार-बार आ चुका है। हासिल यह है कि कुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों और दलीलों की बिना पर न यह क़तई फ़ैसला किया जा सकता है कि याजूज-माजूज की दीवार टूट चुकी है और रास्ता खुल गया है, और न यह कहा जा सकता है कि कुरआन व सुन्नत के एतिबार से उसका क़ियामत तक कायम रहना ज़रूरी है, गुमान और संभावना दोनों ही हैं। बस असल सूतेहाल और हकीक़त का इल्म अल्लाह

तअला ही का है।

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ

جَمْعًا ۖ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۚ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۚ

व तरकना बअ-जहुम् यौमइजियमूजु
फी बअजिं-व नुफि-ख़ फिस्सूरि
फ-जमअ-नाहुम् जम्आ (99) व
अरज़ना जहन्न-म यौमइजिल्
-लिल्काफिरी-न अरज़ा (100)
अल्लज़ी-न कानत् अअ्युनुहुम् फी
गिताइन् अन् जिक्री व कानू ला
यस्ततीअू-न सम्आ (101) ❀

और छोड़ देंगे हम मख़लूक को उस दिन
एक दूसरे में घुसते और फूँक मारेंगे सूर
में, फिर जमा कर लायेंगे हम उन सब
को। (99) और दिखलायें हम दोज़ख़ उस
दिन काफ़िरों को सामने (100) जिनकी
आँखों पर पर्दा पड़ा था मेरी याद से और
न सुन सकते थे। (101) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और हम उस दिन (यानी जब उस दीवार के गिरने का निर्धारित दिन आयेगा और याजूज माजूज का निकलना होगा तो उस दिन हम) उनकी यह हालत करेंगे कि एक में एक गड़मड़ हो जाएँगे (क्योंकि ये बहुत ज्यादा होंगे और एक वक़्त में निकल पड़ेंगे और सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की फ़िक्र में होंगे), और (यह क़ियामत के क़रीब ज़माने में होगा, फिर कुछ समय के बाद क़ियामत का सामान शुरू होगा। एक बार पहले सूर फूँका जायेगा जिससे तमाम आलम फ़ना हो जायेगा फिर) सूर (दोबारा) फूँका जायेगा (जिससे सब ज़िन्दा हो जायेंगे), फिर हम सब को एक-एक करके (मैदाने हश्र में) जमा कर लेंगे। और दोज़ख़ को उस दिन काफ़िरों के सामने पेश कर देंगे जिनकी आँखों पर (दुनिया में) हमारी याद से (यानी दीने हक़ के देखने से) पर्दा पड़ा हुआ था, और (जिस तरह ये हक़ को देखते न थे उसी तरह उसको) वे सुन भी न सकते थे (यानी हक़ को मालूम करने के माध्यम देखने और सुनने के सब रास्ते बन्द कर रखे थे)।

मअरिफ़ व मसाईल

بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ

'बअजुहुम' (उनमें के बाज) के उन से ज़ाहिर यही है कि याजूज-माजूज हैं और उनका जो

हाल इसमें बयान हुआ है कि एक दूसरे में गड़मड़ हो जायेंगे ज़ाहिर यही है कि उस वक्त का हाल है जबकि उनका रास्ता खुलेगा और वे ज़मीन पर पहाड़ों की बुलन्दियों से जल्दबाजी के साथ उतरेंगे। मुफ़स्सिरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) ने दूसरी संभावनायें भी लिखी हैं।

وَجَمَعْنَهُمْ

‘व जमअनाहुम्’ (और हम उनको जमा कर लेंगे) में उन से आम मख़रूफ़ इनसान व जिन्नात मुराद हैं, मतलब यह है कि मैदाने हशर में तमाम मुकल्लफ़ (शरई अहकाम की पाबन्द) मख़रूफ़ जिन्नात व इनसान को जमा कर दिया जायेगा।

أَحْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ آلِيَاءِنَا أَغْتَدْنَا بِحَمَمٍ

لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ صَدَّقُوا كَلِمَ الْوَعْدِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۝ ذَلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزْلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا

جَوْلًا

अ-फ़-हसिबल्लजी-न क-फ़ रु
अंय्यत्तख़िजू अिबादी मिन् दूनी
औलिया-अ, इन्ना अज़्तद्ना जहन्न-म
लिक्काफ़िरी-न नुज़ुला (102) कुल्
हल् नुनब्बिउकुम् विल्-अख़सरी-न
अज़्माला (103) जल्लजी-न ज़ल्-ल
सअयुहुम् फिल्-हयातिदुदुन्या व हुम्
यत्सबू-न अन्नहुम् युत्सिनू-न सुन्आ
(104) उलाइ-कल्लज़ी-न क-फ़ रु
विआयाति रब्बिहिम् व लिक्काइही
फ़-हबितत् अज़्मालुहुम् फ़ला नुकीमु
लहुम् यौमल्-कियागति वज़्ना (105)

अब क्या समझते हैं मुन्किर कि ठहरायें मेरे बन्दों को मेरे सिवा हिमायती, हमने तैयार किया है दोजख़ को काफ़िरों की मेहमानी। (102) तू कह हम बतायें तुम को किनका किया हुआ गया बहुत अकारत। (103) वे लोग जिनकी कोशिश भटकती रही दुनिया की ज़िन्दगी में और वे समझते रहे कि ख़ूब बनाते हैं काम। (104) वही हैं जो मुन्किर हुए अपने स्व की निशानियों से और उसके मिलने से, सो बरबाद गया उनका किया हुआ, फिर न खड़ी करेंगे हम उनके वास्ते कियामत के दिन तौल। (105) यह बदज़ा उनका है

जालिक जजाउहुम् जहन्नमु विमा
कफरु वक्त-खज़ू आयाती व रुसुली
हुजुवा (106) इन्नल्लजी-न आमनू
व अभिलुस-सालिहाति कानत् लहुम्
जन्नातुत्-फिरदौसि नुजुला (107)
खालिदी-न फीहा ला यब्जू-न अन्हा
हि-वला (108)

दोज़्हा इस पर कि मुन्किर हुए और
ठहराया मेरी बातों और मेरे रसूलों को
उद्धा। (106) जो लोग ईमान लाये हैं और
किये हैं भले काम उनके वास्ते है ठण्डी
छाँव के बाग़ मेहमानी। (107) रहा करें उन
में न चाहें वहाँ से जगह बदलनी। (108)

खुलासा-ए-तफसीर

क्या फिर भी इन काफिरों का ख्याल है कि मुझको छोड़कर मेरे बन्दों को (यानी जो मेरे ममलूक व गहकूम हैं इख्तियार से या मजबूर होकर उनको) अपना करता-धरता (यानी माबूद और हाजत पूरी करने वाला) करार दें (जो खुला हुआ शिर्क और कुफ़्र है)। हमने काफिरों की दावत के लिये दोज़्हा को तैयार कर रखा है (दावत उनका मज़ाक उड़ाने और अपमान करने के तौर पर फरमाया)। और अगर (उनको अपने आमाल पर नाज़ हो जिनको वे अच्छे और नेकी समझते हों और इसके सबब वे अपने आपको निजात पाने वाला और अज़ाब से महफूज़ सागझते हों तो) आप (उनसे) कहिये कि क्या हम तुमको ऐसे लोग बताएँ जो आमाल के एतिबार से बिल्कुल घाटे में हैं। ये वे लोग हैं जिनकी दुनिया में की-कराई मेहनत (जो अच्छे आमाल में की थी) सब गई गुज़री हुई और वे (जहल्लत की वजह से) इस ख्याल में हैं कि वे अच्छा काम कर रहे हैं (आगे उन लोगों का मिस्दाक ऐसे उनवान से बतलाते हैं जिससे उनकी मेहनत जाया होने की वजह भी मालूम होती है और फिर इस आमाल के बरबाद होने की वज़ाहत भी फरमाते हैं यानी) ये वे लोग हैं जो अपने सब की आयतों का और उससे मिलने का (यानी कियामत का) इन्कार कर रहे हैं। सो (इसलिये) उनके सारे (नेक) काम ग़ारत हो गये, तो कियामत के दिन हम-उन (के नेक आमाल) का ज़रा भी वज़न कायम न करेंगे (बल्कि) उनकी सज़ा वही होगी (जो ऊपर बयान हुई) यानी दोज़्हा, इस वजह से कि उन्होंने कुफ़्र किया था, और (उस कुफ़्र का एक हिस्सा यह भी था कि) मेरी आयतों और पैग़म्बरों का मज़ाक बनाया था। (आगे उनके मुकाबले में ईमान वालों का हाल बयान फरमाते हैं कि) बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये, उनकी मेहमानी के लिये फिरदौस (यानी जन्नत) के बाग़ होंगे, जिनमें वे हमेशा रहेंगे (अ उनको कोई निकालेगा और) न वे वहाँ से कहीं और जाना चाहेंगे।

मज़ारिफ़ व मसाईल

أَفْحِبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآلَ تَيْمُودٍ وَآعِيَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ.

तफसीर बहरे-मुहीत में है कि इस जगह कुछ इवारत पोशीदा है, यानी:

فَجَدِيهِمْ نَفْعًا وَيَتَذَكَّرُونَ بِذَلِكَ الْإِتْحَادَ

और मतलब यह है कि क्या ये कफ़ करने वाले जिन्होंने गैर बजाय गैर बन्दों को अपना माबूद और कारसाज़ बना लिया है यह समझते हैं कि उनको माबूद व कारसाज़ बना लेना इनको कुछ नफ़ा बख़्शेगा और वे इससे कुछ फ़ायदा उठावेंगे, और यह इनकार के अन्दाज़ में सवाल है, जिसका हासिल यह है कि ऐसा समझना ग़लत और ज़हामत है।

अ़िबादी से मुराद इस जगह फ़रिश्ते और वे नबी हज़रात हैं जिनकी दुनिया में लोगों ने पूजा की और उनको अल्लाह का शरीक ठहराया, जैसे हज़रत उज़ैर और मसीह अलैहिमस्सलाम। फ़रिश्तों की इबादत करने वाले अरब के कुछ लोग थे और उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूद ने, ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाईयों ने खुदा का शरीक करार दिया। इसलिये अल्लाज़ी-न क-फ़रू से इस आयत में काफ़िरों के यही फ़िक्रें मुराद हैं, और जिन बाज़े मुफ़स्सरीन ने इस जगह अ़िबादी (गैर बन्दों) से मुराद शैतान लिये तो 'अल्लाज़ी-न क-फ़रू' (जिन्होंने कफ़ किया) से वे काफ़िर लोग मुराद होंगे जो जिन्नात व शैतानों की इबादत करते हैं, कुछ हज़रात ने इस जगह लफ़ज़ अ़िबादी को मख़्लूक व ममलूक (यानी अल्लाह की बनाई हुई और उसकी मिल्क में मौजूद चीज़ों) के मायने में लेकर आम करार दिया जिसमें सब बातिल माबूद— बुत, आग और सितारे भी दाख़िल हो गये। ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लफ़ज़ महकूम व ममलूक से इसी की तरफ़ इशारा है। बहरे मुहीत बग़ैरह में पहली ही तफ़सीर को ज़्यादा सही करार दिया है। वल्लाहु आलम

'औलिया-अ' वली की जमा (बहुवचन) है। यह लफ़ज़ अरबी भाषा में बहुत-से मायने के लिये इस्तेमाल होता है, इस जगह इससे मुराद कारसाज़, हाजत पूरी करने वाला है, जो माबूद बरहक की खास सिफ़त है। इससे मकसूद उनको माबूद करार देना है।

الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

इस जगह पहली तो आयतें अपने आम-मफ़हूम व मतलब के एतिबार से हर उस फ़र्द या जमाअत को शामिल हैं जो कुछ आमत को बेक समझकर उसमें जिहोज़हद और मेहनत करते हैं मगर अल्लाह तआला के नज़दीक उनकी मेहनत बरबाद और अमल जाया है। इमाम कुतुबी ने फ़रमाया कि यह सूरत दो चीज़ों से पैदा होती है— एक एतिक़ाद की ख़राबी से, दूसरे दिखावे से, यानी जिस शख्स का अक़ीदा और इमान दुरुस्त न हो वह अमल कितनी ही अच्छे करे और कितनी ही मेहनत उठावे वह आख़िरत में बेकार और जाया है। इसी तरह जिसका अमल मख़्लूक की खुश करने के लिये रियाकारों (दिखावे) से हो वह भी अमल के सवाब से मेहरूम है। इसी आम मफ़हूम के एतिबार से सहाबा हज़रात ने से कुछ ने इसका मिसदाक ख़ारिजियों (एक फ़िक्रें

हैं) को और कुछ मुफसिरीयन ने मोतजिला (एक फिक्रा है) और रयाफिज़ (शियाओं) वगैरह गुमराह फिक्रों को करार दिया, मगर अगली आयत में यह पुतैयन कर दिया गया है कि इस जगह मुराद वे काफिर लोग हैं जो अल्लाह तआला की आयतों और कियामत व आखिरत के इनकारी हों। फरमाया:

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ

इसलिये तफसीरे कुर्तुबी, अबू हय्यान, मजहरी वगैरह में तरजीह इसको दी गई है कि असल मुराद इस जगह वही काफिर लोग हैं जो अल्लाह तआला, कियामत और हिसाब व किताब के इनकारी हों, मगर बजाहिर वे लोग भी इसके आम मतलब से बेताल्लुक नहीं हो सकते जिनके आमाल उनके अक़ीदों की खराबी ने बरबाद कर दिये और उनकी मेहनत बेकार हो गई। कुछ सहाबा किराम जैसे हज़रत ज़ली और सअद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जो ऐसे अक़वाल निकल किये गये हैं उनका यही मतलब है। (तफसीरे कुर्तुबी)

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

यानी उनके आमाल जो ज़ाहिर में बड़े-बड़े नज़र आयेंगे मगर हिसाब की तराजू में उनका कोई वज़न न होगा क्योंकि ये आमाल कुफ़ व शिर्क की वजह से बेकार और बेवज़न होंगे।

सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रियायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कियामत के दिन एक आदमी क़दावर और मोटा-साज़ा नज़र आयेगा जो अल्लाह के नज़दीक एक पच्छर के पर के बराबर भी वज़नदार न होगा, और फिर फरमाया कि अगर इसकी तस्दीक करना चाहो तो कुरआन की यह आयत पढ़ो:

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि (कियामत के दिन) ऐसे ऐसे आमाल लाये जायेंगे जो जिस्म और ज़ाहिरी शकल के एतिबार से तिहामा के पहाड़ों के बराबर होंगे मगर अदल की तराजू में उनका कोई वज़न न होगा। (तफसीरे कुर्तुबी)

جَنَّتِ الْفِرْدَوْسِ

फिरदौस के मायने सरसब्ज़ (हरेभरे) बाग़ के हैं। इसमें मतभेद है कि यह अरबी लफ़्ज़ है या ग़ैर-अरबी, जिन लोगों ने ग़ैर-अरबी कहा है इसमें भी फ़ारसी है या रूमी या सुरयानी विभिन्न अक़वाल हैं।

सही बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से माँगो तो जन्नतुल-फिरदौस माँगो, क्योंकि वह जन्नत का सब से आला व अफ़ज़ल दर्जा है, उसके ऊपर रहमान का अर्श है, और उसी से जन्नत की सब नहरें निकलती हैं। (तफसीरे कुर्तुबी)

لَا يَتُفَوَّنُ غَنِيًّا حَوْلًا

मकसद यह बतलाना है कि जन्नत का यह मकाम उनके लिये हमेशा के लिये और कभी न फना होने वाली नेमत है, क्योंकि हक तआला ने यह हुक्म फरमा दिया है कि जो शख्स जन्नत में दाखिल हो गया वह वहाँ से कभी निकाला न जायेगा। मगर यहाँ एक खतरा किसी के दिल में यह गुजर सकता था कि इनसान की फितरी आदत यह है कि एक जगह रहते-रहते उकता जाता है वहाँ से बाहर दूसरे मकामात पर जाने की इच्छा होती है, अगर जन्नत से बाहर कहीं जाने की इजाजत न हुई तो एक कैद महसूस होने लगेगी। इसका जबाब इस आयत में दिया गया कि जन्नत को दूसरे मकामात पर अन्दाजा व गुमान करना जहालत है, जो शख्स जन्नत में चला गया फिर जो कुछ दुनिया में नहीं देखा और बरता था जन्नत की नेमतों और दिलकश फिजाओं के सामने उसको वे सब चीजें बेकार मालूम होंगी और यहाँ से कहीं बाहर जाने का कभी किसी के दिल में ख्याल भी न आयेगा।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ
 مَدَادًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
 عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

कुल् लौ कानल्-बहरु मिदादल्
 लि-कलिमाति रब्बी ल-नफिदल्-बहरु
 कब्-ल अन् तन्फ-द कलिमातु रब्बी
 व लौ जिअना विमिस्लिही म-ददा
 (109) कुल् इन्नमा अ-न ब-शरुम्-
 मिस्तुकुम् यूहा इलय्-य अन्नमा
 इलाहुकुम् इलाहुव्-वाहिदुन् फ-मन्
 का-न यर्जू लिक्-अ रब्बिही
 फल्यअमल् अ-मलन् सालिहव्-व ला
 युशिरक् विअिबादति ... रब्बिही
 अ-हदा (110) ❀

तू कह अगर दरिया सियाही हो कि लिखे
 मेरे रब की बातें बेशक दरिया खर्च हो
 चुके अभी न पूरी हों मेरे रब की बातें
 और अगरचे दूसरा भी लायें हम वैसा ही
 उसकी मदद को। (109) तू कह मैं भी
 एक आदमी हूँ जैसे तुम, हुक्म आता है
 मुझको कि "माबूद तुम्हारा एक माबूद है,
 सो फिर जिसको उम्मीद हो मिलने की
 अपने रब से सो वह करे कुछ काम नेक
 और शरीक न करे अपने रब की बन्दगी
 में किसी को। (110) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

आप लोगों से फरमा दीजिये कि अगर मेरे रब की बातें (यानी वे कलिमात और इबारेतें जो

अल्लाह तआला की सिफ़्तों, खूबियों और कमालात पर दलालत करते हों और उनसे अल्लाह तआला के कमालात व खूबियों को कोई बयान करने लगे तो ऐसे कलिमात को) लिखने के लिये समन्दर (का पानी) रोशनाई (की जगह) हो (और उससे लिखना शुरू करे) तो मेरे रब की बातें खत्म होने से पहले समन्दर खत्म हो जायेगा (और सब बातें घेरें में न आयेंगी) अगरचे उस समन्दर के जैसा एक दूसरा समन्दर (उसकी) मदद के लिये हम ले आएँ (तब भी वो बातें खत्म न हों और दूसरा समन्दर भी खत्म हो जाये। मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के कलिमात असीमित और बेइन्तिहा हैं उसके सिवा जिन चीज़ों को काफ़िरो ने अल्लाह तआला का शरीक माना है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं इसलिये उलूहियत व रबूबियत “खुदा होना और रब होना” उसी की ज़ात के साथ मख़सूस है, इसलिये इन लोगों से) आप (यह भी) कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा बशर हूँ (न खुदाई का दावेदार हूँ न फ़रिश्ता होने का, हाँ!) मेरे पास (अल्लाह की तरफ़ से) बस वही आती है (और) तुम्हारा माबूद बरहक़ एक ही माबूद है, सो जो शख्स अपने रब से मिलने की आरजू रखे (और उसका महबूब बनना चाहे) तो (मुझको रसूल मानकर मेरी शरीअत के मुताबिक़) नेक काम करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को शामिल व शरीक न करे।

मआरिफ़ व मसाईल

सूर: कहफ़ की आखिरी आयत में:

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(यानी आखिरी आयत के इस आखिरी टुकड़े) का उतरने का मौका और सबब जो हदीस की रिवायतों में बयान हुआ है उससे मालूम होता है कि इसमें शिर्क से मुराद शिर्क ख़फी (छुपा शिर्क) यानी दिखावा है।

इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह रिवायत नक़ल की है और इसको बुख़ारी व मुस्लिम की शर्तों के मुताबिक़ सही करार दिया है, रिवायत यह है कि मुसलमानों में से एक शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करता था, इसके साथ उसकी यह इच्छा भी थी कि लोगों में उसकी बहादुरी और जिहाद का अमल पहचाना जाये, उसके बारे में यह आयत नाज़िल हुई (जिससे मालूम हुआ कि जिहाद में ऐसी नीयत करने से जिहाद का सवाब नहीं मिलता)।

और इब्ने अबी हातिम और इब्ने अबिददुन्या ने किताबुल-इख़्तास में ताऊस रह... से नक़ल किया है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़िक्र किया कि मैं कई बार किसी नेक काम के लिये या इबादत के लिये खड़ा होता हूँ और मेरा इरादा उससे अल्लाह तआला ही की रज़ा होती है मगर उसके साथ दिल में यह इच्छा भी होती है कि लोग मेरे अमल को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह सुनकर ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाई यहाँ तक

कि यह उपर्युक्त आयत नाज़िल हुई।

और अबू नुएम और तारीख़ इब्ने असाकिर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से लिखा है कि जुन्दुब बिन जुहैर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी जब नमाज़ पढ़ते या रोज़ा रखते या सद्का करते फिर देखते कि लोग इन आमाल से उनकी तारीफ़ व प्रशंसा कर रहे हैं तो उनको खुशी होती और अपने उस अमल को और ज्यादा कर देते थे, इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

खुलासा इन तमाम रिवायतों का यही है कि इस आयत में जिस शिर्क से मना किया गया है वह रियाकारी का छुपा शिर्क है और यह कि अमल अगरचें अल्लाह ही के लिये हों मगर उसके साथ कोई नफरतानी गुर्ज शोहरत व रुतबा-पसन्दी भी शामिल हो तो यह भी एक किस्म का छुपा शिर्क है जो इनसान के अमल को ज़ाया बल्कि नुकसान पहुँचाने वाला बना देता है।

लेकिन कुछ दूसरी सही हदीसों से बज़ाहिर इसके खिलाफ़ मालूम होता है, जैसे तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि मैं कभी-कभी अपने घर के अन्दर अपनी जायनमाज़ पर (नमाज़ में मशगूल) होता हूँ अचानक कोई आदमी आ जाये तो मुझे यह अच्छा मालूम होता है कि उसने मुझे इस हाल में देखा (तो क्या यह रियाकारी हो गई)। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फस्माया अबू हुरैरह! खुदा तआला तुम पर रहमत फरमाये, तुम्हें उस वक्त दो अज़्र मिलते हैं एक छुपकर अमल का जो पहले से कर रहे थे, दूसरा ऐलानिया अमल का जो उस आदमी के आ जाने के बाद हो गया (यह रियाकारी नहीं)।

और सही मुस्लिम में हज़रत अबूज़र गिफ़री रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा गया कि ऐसे शब्द के बारे में फरमाइये कि जो कोई नेक अमल करता है फिर लोगों को सुने कि वे उस अमल की तारीफ़ व प्रशंसा कर रहे हैं? आपने फरमाया:

لَيْسَ عَاجِلُ بَشَرِي الْمُؤْمِنِ

यानी यह तो मोमिन के लिये नफ़द खुशख़बरी है (कि उसका अमल अल्लाह के तज़दीक़ क़बूल हुआ, उसने अपने बन्दों की ज़बानों से उसकी तारीफ़ करवा दी)।

तफ़सीरे मज़हरी में इन दोनों किस्म की रिवायतों में जो बज़ाहिर इख़िलाफ़ (टकराव और विरोधाभास) नज़र आता है इसमें जोड़ इस तरह बैठाया है कि पहली रिवायतें जिनके बारे में आयत नाज़िल हुई उस सूरात में हैं जबकि इनसान अपने अमल से अल्लाह तआला की रज़ा तलब करने के साथ मख़्लूक की रज़ा का तालिब या अपनी शोहरत व सम्मान की नीयत को भी शरीक करे, यहाँ तक कि लोगों की तारीफ़ करने पर अपने उस अमल को और बढ़ा दे, यह बिला शुब्का रियाकारी और शिर्क-ख़फी (छुपा शिर्क) है।

और बाद की रिवायतें तिर्मिज़ी और मुस्लिम की उस सूरात के बारे में हैं जबकि उसने अमल

खालिस अल्ताह के लिये किया हो, लोगों में उसकी शोहरत या उनकी तारीफ़ व प्रशंसा को तरफ़ कोई संवज्जोह न हो, फिर अल्ताह तआला अपने फ़ज़ल से उसको मशहूर कर दें और लोगों की ज़बानों पर उसकी तारीफ़ जारी फ़रमा दें तो इसका रियाकारी से कोई ताल्लुक नहीं, यह मोमिन के लिये (अमल के क़बूल होने की) नक़द खुशख़बरी है।

रियाकारी के बुरे परिणाम और उस पर हदीस की

सख़्त वईद

हज़रत महमूद बिन तबीद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारे बारे में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ख़ौफ़ रखता हूँ वह शिर्क असगर है। सहाबा ने अज़ किया कि या रसूलुल्लाह! शिर्क असगर क्या चीज़ है? आपने फ़रमाया कि रियाकारी (यानी दिखावा)। (मुस्नद अहमद)

और इमाम बैहकी ने शुअबुल-ईग़ान में इस हदीस को नक़ल करके इसमें यह ज़्यादती भी नक़ल की है कि क़ियामत के दिन जब अल्ताह तआला बन्दों के आमाल की जज़ा अता फ़रमायेंगे तो रियाकार लोगों से फ़रमा देंगे कि तुम अपने अमल की जज़ा लेने के लिये उन लोगों के पास जाओ जिनको दिखाने के लिये तुमने यह अमल किया था, फिर देखो कि उनके पास तुम्हारे लिये कोई जज़ा है या नहीं?

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हक़ तआला फ़रमाते हैं कि मैं शरीकों में शरीक होने से बेपरवाह और बालातर हूँ, जो शख्स कोई नेक अमल करता है फिर उसमें मेरे साथ किसी और को भी शरीक कर देता है तो मैं वह सारा अमल उसी शरीक के लिये छोड़ देता हूँ। और एक रिवायत में है कि मैं उस अमल से बरी हूँ उसको तो ख़ालिस उसी शख्स का कर देता हूँ जिसको मेरे साथ शरीक किया था। (मुस्लिम शरीफ़)

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि जो शख्स अपने नेक अमल को लोगों में शोहरत के लिये करता है तो अल्ताह तआला भी उसके साथ ऐसा ही मामला फ़रमाते हैं कि लोगों में वह हकीर व ज़लील हो जाता है। (तफ़सीरे मज़हरी अहमद व बैहकी के हवाले से)

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है कि हज़रत हसन बसरी रह. से इख़्लास और रिया (दिखावे) के बारे में सवाल किया गया तो आपने फ़रमाया कि इख़्लास का तफ़ाज़ा यह है कि तुम्हें अपने नेक और अच्छे आमाल का पोशीदा रहना पसन्दीदा हो और बुरे आमाल का पोशीदा रहना पसन्दीदा न हो, फिर अगर अल्ताह तआला तुम्हारे आमाल लोगों पर जाहिर फ़रमा दें तो तुम यह कहो कि या अल्ताह! यह सब आपका फ़ज़ल है, एहसान है, मेरे अमल और कोशिश का असर नहीं।

और हकीम तिमिजी ने हजरत सिद्दीक अकबर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा शिर्क का जिक्र फरमाया कि:

هُوَ فِئَكُمْ أَحَقُّ مِنْ شَيْبِ النَّعْلِ

यानी शिर्क तुम्हारे अन्दर ऐसे छुपे तौर पर आ जाता है जैसे चींवटी की रफ्तार बेआवाज़। और फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा काम बतलाता हूँ कि जब तुम वह काम कर लो तो शिर्क अकबर (बड़े शिर्क) और शिर्क असगर (यानी रियाकारी) सबसे महफूज़ हो जाओ, तुम तीन मर्तबा रोजाना यह दुआ किया करो:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊजु बि-क भिन् अन् उशिर-क बि-क व अ-न अजूलमु व अस्तग़फ़िरु-क लिमा ला अजूलमु।

सूर: कहफ की कुछ खास फज़ीलतें और विशेषतायें

हजरत अबूदर्दा रजियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूर: कहफ की पहली दस आयतें याद रखीं वह दज्जाल के फितने से महफूज़ रहेगा। (मुस्लिम, अहमद, अबू दाऊद व नसाई)

और इमाम अहमद, मुस्लिम और नसाई ने हजरत अबूदर्दा रजियल्लाहु अन्हु से ही इस रिवायत में ये अलफाज़ नकल किये हैं कि जिस शख्स ने सूर: कहफ की आखिरी दस आयतें याद रखीं वह दज्जाल के फितने से महफूज़ रहेगा।

और हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूर: कहफ की शुरू और आखिर की आयतें पढ़ लीं तो उसके लिये एक नूर हो जायेगा उसके कदम से लेकर सर तक, और जिसने यह सूरत पूरी पढ़ ली उसके लिये नूर होगा जमीन से आसमान तक। (इब्ने सनी व मुस्नद अहमद)

और हजरत अबू सईद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने जुमे के दिन सूर: कहफ पूरी पढ़ ली तो दूसरे जुमे तक उराके लिये नूर हो जायेगा। (तफसीरे मजहरी, हाकिम व बैहकी के हवाले से)

और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से एक शख्स ने कहा कि मैं दिल में इरादा करता हूँ कि आखिर रात में जागकर नमाज़ पढ़ू मगर नींद गालिब आ जाती है। आपने फरमाया कि जब तुम सोने के लिये बिस्तर पर जाओ तो सूर: कहफ की आखिरी आयतें (यानी आयत नम्बर 109 और 110) पढ़ लिया करो तो जिस वक़्त नींद से जागने की नीयत करोगे अल्लाह तआला तुम्हें उसी वक़्त जगा देंगे। (सातवी)

और मुस्नद हारमी में है कि जिर बिन हुबैश रह. ने हजरत अब्दा को बतलाया कि जो आदमी सूर: कहफ की ये आखिरी आयतें पढ़कर सोयेगा जिस वक़्त जागने की नीयत करेगा

उस वक्त का जादगा : अल्हा अलाह हैं कि हमन बहुत बार इसतर नजुवा किया दिक्कूल गुना
 गी कोश है।

एक अहम नसीहत

अल्लामा इब्ने अरबी रह. फरमाते हैं कि हमारे शेख तुरतूशी रह. फरमाया करते थे कि
 तुम्हारी प्यारी उम्र के औकाल (समय) अपने जमाने के लोगों और साथ वालों से मुकाबले और
 दोस्तों से मेलजोल ही में न गुजर जायें, देखो अल्लाह तआला ने अपने बयान को इस आयत पर
 खत्म फरमाया है:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

यानी जो शख्स अपने स्व से मिलने की आरजू रखता है उसको चाहिये कि नैक अमल करे
 और अल्लाह की इबादत में किसी को हिस्सेदार न बनाये। (तफसीर कुर्तूबी)

अल्लाम्दु लिल्लाह अल्लाह का बेहद शुक्र व एहसान है कि आज 8 जिकदा सन् 1390 हिजरी
 दिन जुमेरात चाशत के वक्त सूरः कहफ को वह तफसीर मुकम्मल हुई। और अल्लाह तआला का
 फज़ल व इनाम ही है कि इस वक्त कुरआन करीम के पहले आधे से कुछ ज्यादा हिस्सा पूरा हो
 गया, जबकि उम्र का 76वाँ साल चल रहा है और तबीयत में कमजोरी के साथ दो सरल से
 विभिन्न बीमारियों ने भी धेरा हुआ है, और चिंताओं का हजूम भी बहुत ज्यादा है। कुछ अजब
 नहीं कि इक तआला अपने फज़ल से बाकी कुरआन की भी तकमील करा दें। व मा जालि-क
 अलत्साहि व-अजीज़।

अल्लाह तआला का शुक्र है कि सूरः कहफ और साथ ही तफसीर मअरिफुल-कुरआन
 की पाँचवीं जिल्द पूरी हुई।

कुछ अलफाज और उनके मायने

इस्लामी महीनों के नाम:- मुहर्रम, सफ़र, रबीउल-अव्वल, रबीउस्सानी, जमादियुल-अव्वल, जमादियुस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जीकादा, ज़िलहिज्जा।

चार मशहूर आसमानी किताबें

तौरात:- वह आसमानी किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी।

ज़बूर:- वह आसमानी किताब जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी।

इन्जील:- वह आसमानी किताब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी।

कुरआन मजीद:- वह आसमानी किताब जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम पर नाज़िल हुई। यह आखिरी आसमानी किताब है।

चार बड़े फरिश्ते

हज़रत जिब्राईल:- अल्लाह तआला का एक खास फरिश्ता जो अल्लाह का पैग़ाम (वही) उसके रसूलों के पास लाता था।

हज़रत इस्माफ़ील:- अल्लाह का एक खास फरिश्ता जो इस दुनिया को तबाह करने के लिये सूँकेगा।

हज़रत मीकाईल:- अल्लाह का एक खास फरिश्ता जो बारिश का इन्तिज़ाम करने और मख़्लूक को रोज़ी पहुँचाने पर मुक़र्रर है।

हज़रत इज़्राईल:- अल्लाह का एक खास फरिश्ता जो जानदारों की जान निकालने पर लगाया गया है।

रिश्ते और निस्बतें

अबू:- बाप (जैसे अबू हुज़ैफ़ा)।

इब्न:- बेटा, पुत्र (जैसे इब्ने उमर)।

उम्म:- माँ (जैसे उम्मे कुलसूम)।

बिन्त:- बेटी, पुत्री (जैसे बिन्ते उमर)।



कफ़ारा:- गुनाह को धो देने वाला, गुनाह या ख़ता का बदला, कुसूर का दंड जो खुदा तआला की तरफ़ से मुक़र्रर है। प्रायश्चित।

क़िसास:- बदला, इन्तिकाम, खून का बदला खून।

ख़ुतबा:- तक़रीर, नसीहत, संबोधन।

ग़ज़वा:- वह जिहाद जिसमें खुद रसूलें खुदा सल्लै शरीक हुए हों। दीनी जंग।

ज़माना-ए-जाहिलीयत:- अरब में इस्लाम से पहले का ज़माना और दौर।

जिरह:- लोहे का जालीदार कुर्ता जो लड़ाई में पहनते हैं। आजकल बुलेट-प्रूफ जैकेट।

जिहाद:- कोशिश, जिद्दोजहद, दीन की हिमायत के लिये हथियार उठाना, जान व माल की कुरबानी देना।

जिना:- बदकारी, हराम कारी।

जिज्या:- वह टैक्स जो इस्लामी हुकूमत में गैर-मुस्लिमों से लिया जाता है। बच्चे, बूढ़े, औरतें और धर्मगुरु इससे बाहर रहते हैं। इस टैक्स के बदले हुकूमत उनके जान माल आबरू की सुरक्षा करती है।

जिहार:- एक किस्म की तलाक, फिका की इस्तिलाह में मर्द का अपनी बीवी को माँ बहन या उन औरतों से तशबीह देना जो शरीअत के हिसाब से उस पर हराम हैं।

टड़ी:- बाँस का छप्पर, पर्दा खड़ा करना, कनात।

तकदीर:- वह अन्दाज़ा जो अल्लाह तआला ने पहले दिन से हर चीज़ के लिये मुकर्रर कर दिया है। नसीब, किस्मत, भाग्य।

तर्का:- भीरास, भरने वाले की जायदाद व माल।

तौहीद:- एक मानना, खुदा तआला के एक होने पर यकीन करना।

दारुल-हरब:- वह मुल्क जहाँ गैर-मुस्लिमों की हुकूमत हो और मुसलमानों को मज़हबी फ़राईज़ के अदा करने से रोका जाये।

दारुल-इस्लाम:- वह मुल्क जिसमें इस्लामी हुकूमत हो।

अज़ाब:- गुनाह की सज़ा, तकलीफ़, दुख, मुसीबत।

अज़्र:- नेक काम का बदला, सवाब, फल।

अकीदा:- दिल में जमाया हुआ यकीन, ईमान, एतिबार, आस्था आदि। इसका बहुवचन अकीदे और अकायद आता है।

अदम:- नापैदी, न होना।

अबद:- हमेशगी। वह ज़माना जिसकी कोई इन्तिहा न हो।

खल्क:- मख्लूक, सृष्टि।

खालिक:- पैदा करने वाला। अल्लाह तआला का एक सिफ़ाती नाम।

ख़ियानत:- दगा, धोखा, बेईमानी, बद्-दियानती, अमानत में चोरी।

खुशूअ व खुजूअ:- आजिज़ी करना, गिड़गिड़ाना, सर झुकाना, विनम्रता इख़्तियार करना।

खुतबा:- तकरीर, नसीहत, संबोधन।

खुला:- बीवी का कुछ माल वगैरह देकर अपने पति से तलाक़ लेना।

ग़ज़वा:- वह जिहाद जिसमें खुद रसूले खुदा सल्ल. शरीक हुए हों। दीनी जंग।

ग़ैब:- गैर-मौजूदगी, पोशीदगी की हालत, जो आँखों से ओझल हो। जो अभी भविष्य में हो।

(मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी एम. ए. अलीग.)